थारु जनजाति की सामाजिक-आर्थिक परिवर्तनशीलता एवं संविकास

(उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र का एक भौगोलिक अध्ययन)

लखनऊ विश्वविद्यालय की पी-एच०डी० (भूगोल) उपाधि हेतु

प्रस्तुत शोध-प्रबन्ध

शोधार्थी

अशोक कुमार पाटक

निर्देशक

डा0 डी0के0 सिंह

समन्वयक
भूगोल विभाग
लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ

सह-निर्देशक

प्रो0 एस0एस0ए0 जाफरी

पी–एच०डी० (भूगोल)
गिरि विकास अध्ययन संस्थान
अलीगंज, लखनऊ

भूगोल विभाग

लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ

2006

प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि **"थारू जनजाति की सामाजिक–आर्थिक परिवर्तनशीलता एवं संविकास" (उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र का एक भौगोलिक अध्ययन)** शीर्षक से प्रस्तुत शोध प्रबंध **अशोक कुमार पाठक** द्वारा मेरे निर्देशन में विधिवत कार्य करके पूर्ण किया है। यह शोध कार्य पूर्णतः मौलिक है। जहाँ तक मेरी जानकारी है शोधकर्ता ने अन्य किसी उपाधि के लिए इसका प्रयोग नहीं किया है। अस्तु मैं इसे परीक्षार्थ प्रस्तुत किए जाने की संस्तुति करता हूँ।

(डॉ. डी. के. सिंह)
समन्वयक, भूगोल विभाग
लखनऊ विश्वविद्यालय
लखनऊ

(प्रो. एस. एस. ए जाफरी)
पी–एच. डी. (भूगोल)
गिरि विकास अध्ययन संस्थान
अलीगंज, लखनऊ

शपथ–पत्र

मैं अशोक कुमार पाठक शपथपूर्वक घोषणा करता हूँ कि भूगोल विषय में पी–एच. डी. की उपाधि हेतु प्रस्तुत शोध प्रबंध **''थारू जनजाति की सामाजिक, आर्थिक परिवर्तनशीलता एवं संविकास''** **(उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र का एक भौगोलिक अध्ययन)** एक मौलिक कार्य है। मैंने इसका प्रयोग किसी दूसरी उपाधि के लिए नहीं किया है।

स्थान : लखनऊ

दिनांक : 6.12.2006

(अशोक कुमार पाठक)

विषय प्रवेश

मानव, सृष्टि का सबसे मूल्यवान उपादान है, जिसने अपनी बौद्धिक क्षमता एवं सामाजिक संगठन द्वारा अपार शक्ति अर्जित कर समाज को गति प्रदान किया है। संसाधन और प्राविधिकी के बल पर जहाँ वह विकास की ऊँचाईयां छूने लगा है वहीं वह मानवोचित गुणों को भी भूलने लगा है। मानवोचित गुणों के अभाव के कारण सामाजिक बन्धन कमजोर हो रहे हैं और वसुधैव कुटुम्बकम की भावना तुच्छ स्वार्थ में बदलती जा रही है। शदियों से शोषित एवं उपेक्षित, भौगोलिक रूप से कठोर एवं विलग दशाओं में रहने वाले जनजातीय लोग एकतरफ शिक्षा, सम्पर्क, राजनीतिक संरक्षण, आपसी गठबन्धन आदि के कारण विकास की तरफ अग्रसर है वहीं वे अपने मौलिक एवं उत्तम मानवीय गुणों को खोते जा रहे हैं। जनजातीय क्षेत्रों में बाह्य हस्तक्षेप से जनजातीय लोगों की भूमि, संसाधन एवं समाज का शोषण किया गया है, जिससे विकास के प्रयासों के बावजूद उन्हें संधृत एवं समग्र विकास का स्वरूप नहीं मिल पाया है, जिसके लिए समाज ही नहीं, प्रकृति एवं परिस्थितियां भी उत्तरदायी है। जनजातियों की विपन्नता अशिक्षा एवं निराशा विकास के लिए बाधक है। अस्तु, आवश्यक है कि भौगोलिक परिप्रेक्ष्य में अनुसूचित जनजातियों की क्षेत्रीय विशेषताओं एवं समस्याओं का विवेचन किया जाए ताकि जनजातियों के संधृत एवं समग्र विकास की योजनाएं बनाई जा सके।

प्रस्तुत अध्ययन में तराई क्षेत्र के जनजातीय लोगों के परिवर्तनशील सामाजिक–आर्थिक दशाओं एवं विकास के स्वरूप को भौगोलिक परिवेश के संदर्भ में विश्लेषित करने का प्रयास किया गया है ताकि उन भौतिक एवं सामाजिक कारकों की पहचान की जा सके जो जनजातियों के विकास को प्रभावित कर रहे हैं, जिसके आधार पर सुधार योजनाएं निर्मित की जा सके। यदि समानता की बात की जाती है तो सबसे पहले जनजातियों के मनोबल, जनशक्ति एवं उपभोग स्तर को ऊपर उठाना होगा तथा उन्हें मुख्य धारा से जोड़ना होगा। उनकी सामाजिक–सांस्कृतिक धरोहर को पहचानना होगा जो समाज के लिए सबसे ज्यादा मूल्यवान है।

आठ अध्यायों में व्यवस्थित प्रस्तुत अध्ययन की आवश्यकता एवं उपयोगिता को पाठक ही सिद्ध कर सकेंगे।

आभारोक्ति

अजाय सर्ग स्थिति नाशहेतवे, त्रयीमयाय त्रिगुणत्मने ब्रह्मरूपी गुरूवे नमः

चराचर जगत में व्याप्त सर्वोच्च संचालन सत्ता के आशीर्वाद से प्रस्तुत शोध प्रबंध लिखने का साहस मुझे प्राप्त हुआ। इस कार्य में मैं अपने परम श्रद्धेय गुरूदेव जन प्रो. वी. डी. पाण्डेय, कार्यकारी अध्यक्ष, भूगोल विभाग, लखनऊ विश्वविद्यालय, प्रो. सी. पी. बर्थवाल, पूर्व कार्यकारी अध्यक्ष, भूगोल विभाग, लखनऊ विश्वविद्यालय एवं वर्तमान कुलपति, कुमायूं विश्वविद्यालय, प्रो. ए. के. सिंह, निदेशक गिरि विकास अध्ययन संस्थान लखनऊ, प्रो. हीरालाल यादव, प्रोफेसर इंचार्ज, भूगोल विभाग, लखनऊ विश्वविद्यालय का ह्रदय से आभारी हूँ।

शोध के प्रेरणा स्रोत डॉ. दिनेश कुमार सिंह, समन्वयक भूगोल विभाग, लखनऊ विश्वविद्यालय, एवं प्रो. एस. एस. ए. जाफरी, गिरि विकास अध्ययन संस्थान, लखनऊ का कृतज्ञ हूँ, जिनके कुशल निर्देशन में मुझे कार्य करने का अवसर मिला। आपके मार्गदर्शन, सहयोग एवं स्नेह का मैं आजीवन आभारी रहूँगा।

मैं अपने गुरूजनों डॉ. ओम प्रकाश मिश्र, प्राचार्य, एम. एल. के. पी. जी. कालेज, बलरामपुर, डॉ. पवन कुमार सिंह, विभागाध्यक्ष, भूगोल विभाग, नेशनल पी. जी. कालेज, लखनऊ, डॉ. कामेश्वर नाथ सिंह, वरिष्ठ प्रवक्ता, भूगोल विभाग, गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर, प्रो. डी. एम. दिवाकर, गिरी विकास अध्ययन संस्थान, लखनऊ, डॉ. सनातन नायक, गिरी विकास अध्ययन संस्थान लखनऊ, प्रो. नदीम हसनैन, मानव विज्ञान विभाग, लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ, डॉ. डी. एस. सिंह, भू–विज्ञान विभाग, लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ का ह्रदय से आभारी हूँ जिनके सतत मार्गदर्शन, सहयोग एवं स्नेह से यह शोध प्रबन्ध पूर्ण हुआ।

मैं अपने वरिष्ठ श्री एस. बी. सिंह, एस. डी. एम. सीतापुर, श्री ए. के. चतुर्वेदी, तहसीलदार, सीतापुर, परम मित्र श्री पी. के. रमन, नायब तहसीलदार लखनऊ, डॉ. अरूण कुमार द्विवेदी, सहयोगी डॉ. अर्चना गुप्ता जी एवं समस्त सहयोगियों का ह्रदय से आभारी हूँ जिन्होंने विपरीत परिस्थितियों में उत्साह वर्धन तथा बौद्धिक मंच देकर शोध प्रबंध को पूर्ण करने में मदद किया।

इसी क्रम में भूगोल विभाग के पुस्तकालय कर्मचारी श्री ईश्वर प्रसाद गुप्ता, गिरि विकास अध्ययन संस्थान के पुस्तकालय तथा कार्यालय के कर्मचारियों, टैगोर पुस्तकालय, मानव विज्ञान विभाग लखनऊ विश्वविद्यालय के पुस्तकालय, एथनोग्राफिक एवं फाल्क कल्चरल सोसाइटी के पुस्तकालय एवं योजना आयोग, लखनऊ, के कर्मचारियों का हृदय से आभारी हूँ जिन्होंने समय–समय पर शोध सहायक सामग्री उपलब्ध कराई। मैं श्री आशीष कुमार गुप्ता तथा उनके सहयोगियों को साधुवाद देता हूँ, जिन्होंने बड़े लगन से एवं कुशलतापूर्वक टंकण कार्य की इतिश्री किया। मैं भारतीय समाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद्, दिल्ली एवं गिरि विकास अध्ययन संस्थान लखनऊ का आभारी हूँ जिन्होनें शोध कार्य हेतु छात्रवृत्ति प्रदान की जिसके बिना शायद यह शोध कार्य पूर्ण न हो पाता।

शोध कार्य हेतु मेरे पूज्य माता पिता श्रीमती एवं श्री मुरलीधर पाठक के वात्सल्य, आशीर्वाद, तथा उत्साहवर्द्धन को आजीवन भुलाया नहीं जा सकता। मैं अपने भाई जर्नादन पाठक, आलोक पाठक, विनय पाठक के सहयोग एवं अपनी पत्नी श्रीमती गायत्री पाठक तथा पुत्री कु. अनामिका पाठक के प्रेम तथा प्रोत्साहन की छाया का भावपूर्ण वंदन करता हूँ।

प्रस्तुत शोध प्रबंध मेरा एक प्रयास है। अतः त्रुटियों का होना स्वाभाविक है। इन त्रुटियों के लिए मैं प्रबुद्ध पाठकों से क्षमा याचना एवं सुधार कर पढ़ने के लिए निवेदन करता हूँ। मैं समस्त समालोचकों के सुझावों हेतु हृदय से आभारी रहूँगा।

6 दिसम्बर, 2006 **(अशोक कुमार पाठक)**

अनुक्रमणिका

***

तालिका सूची

MAPS

आरेख सूची

अध्याय–1

शोध प्ररचना एवं विधि तंत्र

अध्याय 1
शोध प्ररचना एवं विधि तंत्र

प्रस्तावना –

परिवर्तन प्रकृति का नियम है[1], और विकास गुणात्मक परिवर्तन की प्रक्रिया, जिसमें उपलब्ध संसाधनों के व्यवस्थित उपयोग द्वारा एक नियत तत्व उच्च स्तर की ओर अग्रसर होता है। यह स्तर अन्य तुलना योग्य तत्वों से एवं पूर्व स्तर से आंकलित होता है। विकास के माध्यम से मानव समाज सतत उच्च स्तर को प्राप्त करने के लिए प्रयासरत है। मानव समाज में विभिन्न स्वरूपों से विविधता के दर्शन होते हैं, इस विविधता के कारण मानव समाज वर्गों में बंटा है। भारत को संस्कृतियों के मेल्टिंग पाट के रूप में जाना जाता है। अतः विविधता में एकता रखने वाले राष्ट्र में सामाजिक, सांस्कृतिक विविधताएं मिलती हैं। अपनी विचार शक्ति के नाते मानव, प्रकृति की सर्वोत्तम रचना माना जाता है। मगर इस उपाधि को बनाये रखने के लिए समाज में समतुल्यता लाना आवश्यक है। अतः प्रत्येक पक्ष से विविधताओं को एक स्तर पर लाकर एकरूपता प्राप्त करना मानव का कर्तव्य है। वर्तमान में जहां मानव जाति प्रजातीय, सांस्कृतिक एवं भाषाई दृष्टि से निरन्तर बढ़ती हुई सजातीयता की ओर अग्रसर हो रही है[2] वहीं प्राचीनतम संस्कृतियों के अनुपालक जबसे अपने अधिक सभ्य पड़ोसियों के सम्पर्क में आये, तब से नई सभ्यता की चमक में अपने प्राचीन एवं मूल स्वरूप को धूमिल करते जा रहे हैं। समान सामाजिक–सांस्कृतिक विशेषताओं से युक्त, कठोर दशाओं वाले पिछड़े क्षेत्रों में एकसूत्रता से बधें आदिम गुणों से युक्त लोगों का समूह–'जनजातियां' अब औद्योगिक सभ्यता के प्रभाव से उच्च जीवन स्तर जीने हेतु विकास का मार्ग चुन रही है। लेकिन वे अपने मूल सांस्कृतिक गुणों से पृथकता के साथ मूल्यहीन भोगवादी विचारधारा को अपनाने पर मजबूर हैं, जो विकास के एकांगी, अस्थाई एवं असंधृत स्वरूप का धोतक है।'' सामाजिक परिवर्तन के प्रभाव ने जहाँ जनजातीय सामाजिक संरचना को प्रभावित किया है वही जनजातीय महिलाओं की स्थिति पूर्व से बदतर हुई है।[3] सांस्कृतिक विलय का दूसरा पक्ष असंतुलित विकास का है जिससे विकास की योजनाएं न तो संधृत एवं समग्र विकास करने में ही पूर्ण सफल रही हैं और न ही प्राचीन सांस्कृतिक पक्षों को मूल रूप में बनाये रखने में सक्षम रह पायी है। भारत में पाई जाने वाली 642 जनजातियों में 428 जनजातियों को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 342 के तहत राष्ट्रपति द्वारा अनुसूचित जनजाति की संज्ञा प्रदान की गई है। इनके सर्वांगीण विकास करने एवं वर्तमान विकसित सामाजिक स्तर दिलाने के लिए सतत प्रयास हो रहे हैं।[4] जो मानवतापूर्ण भी हैं एवं संविधान के अनुसार आवश्यक भी।

जनजातियां आर्थिक तंगी एवं पिछड़ेपन के प्रभाव से समस्याग्रस्त रही हैं। काफी सुधार के बावजूद परिवर्तनशील परिस्थितियों में भी अच्छा स्तर नहीं प्राप्त कर पाई हैं। विश्व की 4 प्रतिशत आबादी जनजातीय समाज से है, वही भारत की 8.28 प्रतिशत (84326240) आबादी कुल 642

जनजातीय समूहों से आच्छादित है। अर्थात भारत का हर तेरहवां व्यक्ति जनजातीय समाज से है। भारत विश्व की सर्वाधिक जनजातीय जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है। उत्तर प्रदेश, राष्ट्र का चौथा बड़ा विस्तार वाला प्रदेश है जो अपनी कुल आबादी का .01 प्रतिशत (107963 व्यक्ति) जनजातीय समाज से धारित करता है। कुल जनजातीय जनसंख्या का 90 प्रतिशत भाग ग्रामीण है। प्रदेश में दो मुख्य जनजातीय क्षेत्र हैं। प्रथम तराई भावर क्षेत्र जिसमें थारू एवं बुक्सा जनजातियां रहती हैं। द्वितीय दक्षिण के पठारी जिले जिसमें ललितपुर, झांसी, बांदा, इलाहाबाद, वाराणसी, मिर्जापुर, सोनभद्र इत्यादि मुख्य हैं। इस क्षेत्र में अगरिया, वेंगा गोड, कोल, कोरवा ओरांव, परहियास, पनकास, सहरिया इत्यादि जनजातियां रहती हैं। अन्य जनजातीय क्षेत्र पॉकेटस के रूप में मिलते हैं जो जनजातीय प्रवास के परिणामस्वरूप विकसित हुए हैं।

उत्तर प्रदेश में 12 अनुसूचित जनजातियां हैं जिसमें थारू एक कृषक जनजाति है। हालांकि थारू की 13 लाख आबादी में अधिकांशतः उत्तरांचल के तराई क्षेत्र एवं नेपाल के तराई क्षेत्र में निवासित हैं। उत्तर प्रदेश में यह 66356[5] व्यक्तियों समेत कुल जनजातियों का लगभग 61 प्रतिशत आबादी धारित करती है। प्रदेश के 44 जिलों में प्रसरित यह जनजाति मुख्यतः लखीमपुर, खीरी, बहराइच, बलरामपुर, श्रावस्ती एवं महराजगंज जिलों में निवास करती है। थारू मूलतः द्रवीणीयन प्रजाति की अर्न्तमुखी आदिम जनजाति है जिसने तराई क्षेत्र के आर्यन गुणों को समाहित कर मंगोलायड प्रजातीय गुणों को धारित किया है।[6] थारू भाषा में थारू का अर्थ जंगल का आदमी होता है। अर्थात् वह प्रजाति जो जंगल में रहती है। यह आदिम प्रजाति जो 18वीं सदी में घाघरा घाटी से नेपाल तराई तक रहती थी मगर मूल घाटी को छोड़कर तराई के दुष्कर इलाके में प्रवेश कर गयी। विकास के प्रभाव से एवं बाह्य क्षेत्रों से प्रवास के कारण जनजाति में तराई के विभिन्न क्षेत्रों में अलग–अलग उपवर्ग मिलते हैं जैसे नैनीताल से खीरी तक मुख्यतः राना थारू, खीरी से बलरामपुर तक दंगुरिया थारू बलरामपुर से गोरखपुर तक कठरिया एवं चितवनिया थारू तथा पश्चिमी बंगाल में बहामास थारू प्रजातियां मिलती हैं।[7] क्षेत्रीय वर्गों को मिलाकर लगभग 74 थारू उपजातियां हैं। थारू की अपनी कोई मूल भाषा नहीं बची है वे जहां–जहां गये वहीं की भाषा में मिल गये जैसे खीरी से बलरामपुर तक अवधी मिश्रित थारू भाषा, गोरखपुर तराई में भोजपुरी मिश्रित तथा बंगाल में बंगाली मिश्रित, उत्तरांचल एवं नेपाल में पहाड़ी एवं नेपाली मिश्रित भाषा बोलते हैं। अतः थारू एक अपभ्रंश भाषा का प्रयोग करते हैं।[8] वर्तमान में 99 प्रतिशत थारू हिन्दू संस्कृति को मानते हैं और परम्परागत देवी–देवताओं के साथ हनुमान जी, राम जी, दुर्गा जी आदि देवी–देवताओं की पूजा करते हैं। मूल प्रजातीय गुणों में प्रकृति की पूजा आज भी पाई जाती है भिन्न जीवन शैली एवं काबायली परम्पराओं के चलते इनके हर उत्सव का स्वरूप अनूठा है। ऐसा माना जाता है कि मंगोलियन लक्षणों से युक्त छोटे कद के गोल सिर वाली इस जनजाति के लोग राजस्थान के राजपूतों के यहां नौकर हुआ करते थे।[9] मुगल आक्रमण के पश्चात् ये भागकर तराई क्षेत्र में शरण लिये एवं वर्तमान स्वरूप में विकसित हुए। प्रजातीय लक्षण, एवं तिब्बती गुण इनके तिब्बती क्षेत्र से आने या नेपाल के मूल निवासी होने का आधार

प्रस्तुत करते हैं। इस जनजाति के लगभग 35 प्रतिशत लोग 'बी' रक्त वर्ग के, 40 प्रतिशत 'ओ' रक्त वर्ग के एवं 25 प्रतिशत लोग 'ए' एवं 'ए बी' रक्त वर्ग के हैं।[10] मांस एवं शराब की शौकीन यह जनजाति अनेकों वर्गों में बंटी हुई है। यह एक कृषक जनजाति है जिसकी 95 प्रतिशत आबादी गांवों में रहती है। कुल आबादी के 85 प्रतिशत लोग कृषक 10.4 प्रतिशत कृषक मजदूर एवं 4.56 प्रतिशत अन्य कार्यों में लगे हैं। थारूओं ने जंगल को काटकर अपने को कृषक जनजाति के रूप में प्रतिस्थापित किया मगर कुछ क्षेत्रों में वे आधुनिक आर्थिक प्रणाली के साथ समायोजन नहीं कर सके और भूमि के लोभी किसानों तथा रक्त चूसने वाले महाजनों के शोषण के दुष्चक्र में फंस गये। आज उनकी संस्कृति असंधृत विकास से प्रभावित हो बदल रही है। स्पष्टवादिता शान्ति एवं सत्यप्रियता जैसे उच्च व्यावहारिक गुणों से युक्त ये लोग 98 प्रतिशत हिन्दू एवं 2 प्रतिशत अन्य धर्मों की विशेषताओं को मानने वाले हैं।[11] पुरूष प्रधान समाज के बावजूद महिलाओं की प्रभावकारी स्थिति एवं शरीफ, समाजवादी प्रकृति इनके उच्च गुणों का प्रतीक है।[12] परन्तु स्त्री साक्षरता में कमी एवं सामाजिक परिवर्तन के प्रभाव से जनजाति महिलाओं की स्थिति भी ह्रासित हुई है।

1967 के पश्चात् प्रदेश में जनजाति विकास की अनेकों योजनायें चलाई गयीं। जिसमें जनजातीय उपयोजना की खीरी, देहरादून, नैनीताल, पिथौरागढ़, चमोली एवं सोनभद्र, थारू विकास परियोजना, गोण्डा, बुक्सा जनजाति विकास परियोजना – बिजनौर एवं देहरादून, बिखरी जनजातियो के विकास की परियोजनायें तथा पंचवर्षीय योजनाओं के कार्य मुख्य हैं। ये छात्रावास युक्त विद्यालय, शोध छात्रवृत्ति, शिक्षा विकास, अस्पताल एवं स्वास्थ्य सुविधाओं, महिला एवं बाल विकास तथा सामाजिक–आर्थिक सुविधाओं के विकास के लिए प्रयासरत हैं।[13] विकास के प्रभाव से एक तरफ जनजातियों का जीवन स्तर उत्थित हुआ तो दूसरी तरफ उनकी मूल विशेषताओं में ह्रास तथा वातावरणीय दशाओं में अवनयन हुआ है। जो समग्रता से विकास न होने को इंगित करता है।

प्रदेश का थारू बाहुल्य तराई क्षेत्र एक समस्याग्रस्त मगर विशिष्ट भौगोलिक विशेषताओं वाला प्रदेश है, जो शिवालिक की तलहटी में स्थित क्षेत्र है। अध्ययन क्षेत्र उत्तर प्रदेश के तराई भूभाग का एक भूभाग है। तराई में, भावर प्रदेश में विलुप्त नदियां में पुनः उद्भवित हो मैदान में प्रवेश करती हैं और विसर्प बनाते हुए घाटी का विस्तार करती हैं,उनकी संयोजिकाएं चैनल के रूप में मिलती हैं, और बालू कणों समेत नवीनतम जलोढ़ से उपजाऊ मृदा का निर्माण करती हैं। जल तल की निकटता एवं उपजाऊ मृदा ने इस क्षेत्र में विशिष्ट भौतिक, सांस्कृतिक विशेषताओं को जन्म दिया है। शिवालिक तलहटी में भारत नेपाल सीमा पर कुमायूं से बंगाल तक की पट्टी तराई के रूप में जानी जाती है वैसे तराई कुमायूं डिवीजन का एक जनपद भी है। इस भू–आकृति क्षेत्र का ढाल दक्षिण पूर्व की ओर है। क्षेत्र में गोमती, शारदा, घाघरा, राप्ती मुख्य नदियां हैं। जो उपजाऊ मृदा के साथ बाढ़ का भयानक प्रकोप दिखाती हैं। क्षेत्र उष्णाद्र मानसूनी जलवायु का प्रदेश है जहां ग्रीष्मकाल में 40^{o}से. तापमान एवं 'लू' जैसी हवाओं का प्रकोप मिलता है। 120 सेमी. वर्षा का यह प्रदेश अधिकांश वर्षा बढ़ते मानसून से

प्राप्त करता है।[14] उष्ण कटिबन्धीय आर्द्र पर्णपाती वनों की घनी पंक्तियों से आच्छादित यह प्रदेश निर्वनीकरण एवं पर्यावरणीय दशाओं के परिवर्तन से ग्रस्त है। इस प्रदेश में लगभग 20 प्रतिशत जनसंख्या वृद्धि दर, 500 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी. जनसंख्या घनत्व, 915 स्त्री प्रति 1000 पुरूष लिंगानुपात एवं 25 प्रतिशत साक्षरता है। अनेकों धर्मों के संगम के रूप में विख्यात इस प्रदेश में हिन्दू धर्म को मानने वाले सर्वाधिक हैं। प्राकृतिक पूजक समाज में गन्ना, गेहूं, चावल, दाल एवं तिलहनी फसलों की खेती होती है। यहां चीनी मिल एवं अन्य कृषि प्रधान उद्योग विकसित हैं। निम्न साक्षरता एवं आर्थिक पिछड़ापन देखने को मिलता है वहीं परिश्रमी, साहसी आदर करने वाले एवं सांस्कृतिक गुणो से युक्त लोग भी हैं। अतः यह प्रदेश अपने आप में अनूठा मगर विकास की दर से पिछड़ा है। यहां प्राकृतिक समस्याओं के साथ पिछड़ापन दृश्यगत है एक समय यह मलेरिया एवं घेंघा जैसी बीमारियों का क्षेत्र माना जाता था। क्षेत्र में सामाजिक असंतुलन, अशिक्षा, निम्न जीवन स्तर, निम्न विकास स्तर देखने को मिलता है। अतः तराई क्षेत्र की परिस्थितियों में आवश्यक है कि समस्या विकास स्तर एवं प्रभाव का आंकलन किया जाए ताकि समस्याओं का निराकरण हो सके।

आवश्यकता को देखते हुए प्रस्तुत अध्ययन में थारू जनजाति पर विकास के प्रभाव का विभिन्न पक्षों से विश्लेषण किया गया है। तराई समस्याग्रस्त क्षेत्र की भौगोलिक विशेषताओं को समझते हुए थारू जनजाति के सामाजिक—सांस्कृतिक, आर्थिक, जनांकिक एवं पर्यावरणीय दशाओं पर विकास के प्रभाव का आंकलन किया गया तथा तराई क्षेत्र एवं जनजाति की समस्याओं के निराकरण के लिए सुझावों के साथ प्रस्तावित कार्ययोजना प्रस्तुत किया गया है।

1.2 अध्ययन की साहित्यिक पृष्ठभूमि –

किसी अध्ययन को पुष्ट करने के लिए विषय वस्तु से संबंधित अध्ययनों का अवलोकन आवश्यक होता है। अतः यहाँ अध्ययन की प्रासंगिकता एवं आवश्यकता को पूर्व में हुए अध्ययनों से आंकलित किया गया है।

1.2.1 भूगोल में सामाजिक अध्ययन का ऐतिहासिक आधार – मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। समाज, समान सोच, गुण, दशा आदि से युक्त लोगों का एक समूह है। पर्यावरण से तात्पर्य उन समस्त दशाओं, कारकों तथा प्रभावों का योग है जो प्रजाति, दशा या जीव के जन्म एवं मृत्यु को प्रभावित एवं नियंत्रित करता है। वे समस्त वाह्य दशाएं, प्रभांव, जो जीवों को प्रभावित करती हैं तथा वे समस्त भौतिक तथा जैविक तत्व, प्रकृति की शक्तियां, जो प्रत्येक जीव के चारों ओर पायी जाती हैं पर्यावरण कहलाता है। आस्टिंग (1948) के अनुसार पर्यावरण में तत्व, दशाएं, बल, ताकत, जीव एवं समय महत्वपूर्ण कारक है। डोवन मायर (1959) ने मृदा, जल, तापमान, प्रकाश वातावरण आग एवं जैविक कारकों को पर्यावरण में शामिल किया है। 'श्रीरामचरितमानस' में तुलसीदास जी ने ''छिति जल पावक गगन समीरा, पंच रचित यह अधम सरीरा'' के माध्यम से पर्यावरण के तत्वों की व्याख्या की है। स्पेट

(1954)[15] के अनुसार न केवल कुछ दशाओं एवं स्थानों पर बल्कि समस्त पक्षों से मानव क्रियाएं प्रभावी रूप से पर्यावरण द्वारा प्रभावित होती है।

भूगोल में मानव पर्यावरण सम्बन्धों का अध्ययन पृथ्वी के सतह के परिवर्तनशील स्वरूप का यथार्थ मूलक क्रमबद्ध एवं तर्कसंगत, विवरण तथा निर्वचन पर आधारित है।[16] चूंकि ''पृथ्वी की सतह'', एक साथ ही, प्रकृति प्रदत्त इकाई भी है और मानवीय क्रियाकलापों का चित्रपट भी है, जिसमें ये मानवीय क्रियाकलाप पृथ्वी के प्राकृतिक स्वरूप को सांस्कृतिक पहचान देते हैं। अतः भूगोल मानव के समग्रतापूर्ण प्राकृतिक और सामाजिक संसार को ''जोड़'' कर उनकी समग्रता को समझने का प्रयास करता है।[17]

पृथ्वी के भिन्न–भिन्न भागों के वर्तमान में विद्यमान दृष्यसत्ता विकास की एक दीर्घकालिक प्रक्रिया का परिणाम है। अतः दृष्य सत्ता को समझने के लिए क्षेत्र एवं काल के परिप्रेक्ष्य को समाहित करना आवश्यक है। भौगोलिक अध्ययन तीन सम्बद्ध प्रश्नों पर आधारित है। प्रथम – वस्तु क्षेत्र या घटना क्या है, अर्थात स्थिति जो क्षेत्रीय संदर्भ का द्योतक है। द्वितीय किस प्रकार का है। अर्थात् स्थान विशेष से घटना का संबंध जो पूर्ववर्ती अवधारणाओं (संकल्पना प्रत्यक्ष) ऐन्द्रिय अनुभूति एवं ज्ञान बोध पर आधारित है। (समय) एवं क्यों हैं ? अर्थात सतह के समस्त तत्व सामंजस्यपूर्ण कार्यकारण संबन्धों से जुड़े हैं। इस प्रकार भूगोल न तो पूर्णतया क्रमबद्ध विज्ञान है और न ही पूर्ण रूप से मानव शास्त्र।

एक भूगोलवेत्ता ही जानता है कि भूगोलवेत्ता को क्या करना है, (वुंगे 1962)[18], वह खोजता है, मानचित्रण करता है तथा मानव कल्याण के लिए निष्कर्ष निकालता है। एक भूगोल वेत्ता का जीवन मानचित्रण के बिना अधूरा है, मानचित्रण व्यवस्थितीकरण का स्वरूप है, तथा जीवन एवं ज्ञान प्रबंधन की आधारभूत शैली है।

भूगोल स्थित केन्द्रित, पारिस्थितिक, तथा क्षेत्र केन्द्रित अध्ययन है जिसमें मानव पर्यावरण अंतर संबंधों के स्वरूप, परिणाम एवं भावार्थ पर केन्द्रित अध्ययन होते हैं। मानव पर्यावरण अंतरसंबंधों के संदर्भ में नियतिवादी एवं संभववादी विचारधारा में बढ़ा द्वन्द्व, जिसके कारण भूगोल में क्रमबद्ध एवं प्रादेशिक तथा भौतिक एवं मानव केन्द्रित अध्ययनों में विषय वस्तु का विभेदन हो, विविध भागों में नयी भौगोलिक विधाओं का जन्म हुआ।

ज्ञान चक्षु का पटल जैसे–जैसे खुलता गया, मनुष्य की पृथ्वी एवं प्रकृति के रूप में ईश्वरीय कृति के रहस्यों को समझने की ललक से नई विधाओं का उद्‌भव हुआ। बिखरा चिन्तन स्वरूप विषय वस्तु के रूप में जन्म लेने लगा। हैकेटियस की जसपेरिओडस या प्लेटो की पृथ्वी के गोलाकार होने की सोच, इराटास्थेनीज का `Geographia' शब्द प्रयोग, स्ट्रावो की `Geographia' पुस्तक विषय में विचार के नये आयाम थे। मानव के पृथ्वी की सतह का परिणाम होने के कारण भूगोल की विषय वस्तु से उसका जीवन जुड़ा है। इस रहस्य के परदे को खोलते–खोलते नये विषय के रूप में भूगोल का जन्म हुआ। भूगोल के विद्यार्थी के विचार–विमर्श की नींव उन विद्वानों के ज्ञान पर खड़ी है जिन्होंने

सम्पूर्ण पृथ्वी के स्वरूप के बारे में ज्ञान संकलित किया है। मध्य काल का युग वैचारिक क्रान्ति का युग था जिसमें भूगोल की विषय वस्तु को विविध पक्षों से विश्लेषित किया गया। ग्रीक, अरब चिंतन से गुजरते भूगोल को 15वीं शदी में औद्योगिक क्रान्ति के जनक राष्ट्रों के चिन्तकों ने नई दिशा दी है। 16–18वीं शदी के मध्य का युग वैचारिक क्रान्ति का युग था जिसमें भूगोल के विषय वस्तु को विविध पक्षों से विश्लेषित किया गया। राजकुमार हेनरी की रूचि तथा कोलम्बस, वास्कोडिगामा, गैलेलियो, कैप्लर एवं मैगेलन जैसे आदर्श भूगोल वेत्ताओं की प्राकृतिक रहस्यों को खोजने की रूचि ने भूगोल शिक्षा में नये आयाम दिए। 1543 में सूर्य केन्द्रित विश्व की संकल्पना सर्वप्रथम कोलम्बस ने दी। लेकिन भूगोल को विश्व भूगोल से वैज्ञानिक भूगोल की ओर रूख दिया 28 वर्ष में ही सब कुछ कर जाने वाले विद्वान वारेनियस (1622–1650) जिन्होंने 'Geographia Generalis' पुस्तक में भूगोल को प्रादेशिक भूगोल तथा सामान्य भूगोल की अयोन्याश्रित विधाओं के रूप में भौगोलिक विषय वस्तु को विभाजित कर विस्तार दिया एवं द्वैत की संकल्पना की नींव डाली।[19] यह ग्रंथ सामान्य भूगोल, गणितीय भूगोल, प्राकृतिक भूगोल एवं क्षेत्रीय वर्णन को समग्रता देने का प्रथम प्रयास था। जिसने संसार की सार्वभूत प्रक्रियाओं को समय तथा स्थान के सापेक्ष समझने की वैज्ञानिक परम्परा की नींव डाली। हम्बोल्ट (1862)[20] तथा मान्टेब्रन (1773–1876) के समकालीन इमैनुअल कांट (1724–1804) एवं कार्लरिटर (1850) भूगोल की वैज्ञानिक पृष्ठभूमि को विकसित किया। सभ्यता के विकास के प्रारम्भिक चरण से ही पृथ्वी के समग्र रूप, मानव जीवन एवं प्राकृतिक परिवेश के अंतर सम्बन्धों के अध्ययन का विषय भूगोल, 18वीं सदी में क्रमबद्ध (प्राकृतिक) विज्ञान के रूप में सिमट गया था। हार्टशोर्न (1939)[21] क्रमबद्ध विज्ञानों के बढ़ते प्रभाव में 19वीं सदी के उत्तरार्द्ध में एक समय भूगोल हम्बोल्ट तथा रिटर की सैद्धान्तिक मान्यताओं से विमुख एक नये प्रकार का अध्ययन रूप में परिवर्तित होने लगा था। क्रमबद्ध वैज्ञानिक अध्ययन के प्रति बढ़ते हुए आकर्षण के परिणामस्वरूप भूगोल अध्ययन दो भागों में विभक्त हो गया। एक, प्राकृतिक विज्ञान तथा दूसरा, सामाजिक विज्ञान। लेकिन मानव केन्द्रित तथा प्रकृति केन्द्रित अध्ययन के बीच बढ़ती वैचारिक दूरी को पुनः कम करने का सफल प्रयास फ्रीडरिक रैटजेल (1844–1904) तथा एलेग्जेन्डर वान रिचथोफेन (1833–1905) ने किया। रैटजेल मानव भूगोल में वैज्ञानिक चिंतन के सूत्रधार थे। जिन्होंने 'एन्थ्रोपोजियोग्राफी'[22] के रूप में मानव भूगोल को नई वैज्ञानिक विधा के रूप में स्थापित किया। ऐतिहासिक अध्ययन में भौगोलिक सिद्धान्तों का प्रयोग तथा "मानव जाति का भौगोलिक विकास" उपशीर्षकों से प्रकाशित लेखों में सांस्कृतिक रहस्य की कल्पना को वैचारिक आधार प्रदान किया। अब भूगोल मानव केन्द्रित अध्ययन पद्धति की ओर बढ़ने लगा था। हालांकि रैटजेल मानते थे कि भूगोल के अध्ययन का केन्द्रीय विषय न तो मानव है और न हीं प्रकृति, वरन भौगोलिक अध्ययन पृथ्वी के भिन्न–भिन्न भागों में मनुष्य तथा प्राकृतिक वातावरण के अंतर संबंध की व्याख्या पर केन्द्रित है। जबकि रिचथोपेन ने स्पष्ट किया कि भूगोल पृथ्वी की सतह तथा उसके क्षेत्रीय उपांगों का अध्ययन है। पृथ्वी की सतह पर मानव जन्य तथा प्रकृतिजन्य दोनों ही प्रकार के भूदृश्य विद्यमान हैं। अतः आपने क्षेत्रीय भौगोलिक अध्ययन में दोनों प्रकार के तत्वों को विश्लेषित

किया। अपने क्षेत्र केन्द्रित परिदृष्टि के माध्यम से रिचथोपिन ने भूगोल की बढ़ती एकांगिकता को रोक सा दिया था। लेकिन हैटनर ने भूगोल की स्थानिक परिवर्तनशीलता पर विचार करते हुए स्पष्ट किया कि भूगोल न तो प्राकृतिक विज्ञान है और न ही सामाजिक वरन् दोनों प्रकार का मिश्रित अध्ययन है। स्लूटर ने हेटनर को अनुपालित करते हुए स्पष्ट किया कि भूगोल का अध्ययन प्रत्येक क्षेत्र में इन्द्रियानुभूत भूभागों की समग्रता पर केन्द्रित होना चाहिए। भावों से अनुभूत दृष्यसत्ता की समष्टि को लैण्ड शाफ्ट का नाम दिया तथा सांस्कृतिक दृष्यभूमि एवं प्राकृतिक भूदृश्य के रूप में विभाजित किया।

वाइडल डीलाब्लाश (1845–1918) ने जेनरेडीवायी के रूप में प्रकृति के प्रभावी सत्ता के पक्ष को अस्वीकार करते हुए संभववाद के रूप में भी जीवन पद्धति और मूल्य बोध की मानसिकता को विकसित किया।[23] ब्लाश ने 1913 में स्पष्ट किया कि भूगोल उन तत्वों पर केन्द्रित है जो एक ही क्षेत्र में साथ–साथ विद्यमान तथा परस्पर क्रियाशील है, और जो अपनी पारस्परिकता के आधार पर हर क्षेत्र में अपनी पहचान रखते हैं। प्रकृति ने जिन तत्वों को क्षेत्रीय स्तर पर एक साथ जोड़ रखा है, भूगोल उन्हें अलग भी नहीं करता साथ ही वह भिन्न–भिन्न तत्वों की क्षेत्रीय समरूपता और उनके सह सम्बन्धों का उद्घाटन करता है। अतः ब्लाश ने सामाजिक–आर्थिक व्यवस्था की यथार्थपरक अंतरदृष्टि पर आधारित, जीवनधारा केन्द्रित प्रादेशिक अध्ययन की नींच डाली। 1921 में प्रकाशित 'प्रिंसिपल दि ज्योग्राफी हयुमेन' की मानववादी विचारधारा को उनके शिष्य ब्रून्स (1859–1930) ने 'ला ज्योग्राफी हयुमेन' के माध्यम से आगे बढ़ाया। हेम्फोर्ड जे मैकिण्डर (1861–1947), एन्सवर्थ हंटिंगटन (1878–1947),[24] एलेन चर्लिल सैम्पुल (1863–1932) जैसे समकालिक विद्वानों के विचार से, 1930 तक आते–आते भूगोल क्रमबद्ध एवं प्रादेशिक अध्ययन विधियों से प्राकृतिक एवं मानववादी विचारधाराओं का संयुक्त रूप बन चुका था। 1959 में 'पर्सपेक्टिव आन नेचर ऑफ ज्योग्राफी'[25] में हार्टशोर्न ने लिखा है कि भूगोल मानव संसार के रूप में पृथ्वी सतह के परिवर्तनशील स्वरूप का वर्णन एवं निर्वाचन करता है।

अब भूगोल का ज्ञान अनेकों शाखाओं वाला वृक्ष बन चुका था। मानव पर्यावरण अंर्तसंबंधों के ज्ञान के रूप में मानव भूगोल, भूगोल रूपी वृक्ष के तने का मुख्य हिस्सा था। डेविड हार्वे[26] के परिमाणात्मक क्रान्ति के पश्चात् उपजी व्यवहारवादी एवं मानववादी चिन्तन धारा से मानव व्यवहार एवं स्थान केन्द्रित सामाजिक पहचानों के विकास में क्षेत्रीयबोध एवं सांस्कृतिक बोध को बढ़ावा मिला। मानववादी भूगोल पृथ्वी की सतह को मनुष्य के विकास के केन्द्र रूप में देखती है। जहां मानववादी चिंतन के अनुसार भूगोल जीवन प्रक्रिया का अध्ययन है तथा हर व्यक्ति में जन्मजात भौगोलिक अर्न्तदृष्टि होता है। वहीं व्यवहार वादी भूगोल, भूगोल को एक समाज के रूप में देखता है। जिसमें भौगोलिक स्वरूपों की आर्थिक सामाजिक एवं राजनीतिक व्यवस्था और मानवीय प्रतिबोधन, अनुभवों को प्रभावित करने वाले व्यक्तिपरक मनोवैज्ञानिक कारकों की सहायता लेता है। फिएन (1983)[27] 1980 के दशक में मानववादी भूगोल में दो धाराएं सामने आई, प्रथम, विभिन्न स्थानों के भूदृश्यों के निर्माण कार्यों में निहित ऐतिहासिक विचार क्रिया के उद्घाटन पर केन्द्रित थी। वहीं दूसरी, स्थिति परक मानववाद,

समाज तथा वैज्ञानिक चिंतन के दार्शनिक विचार–विमर्श से अभिप्रेरित जिस पर नृशास्त्रीय अध्ययन पद्धति एवं प्रतीकात्मक अंतर क्रियावाद का व्यापक प्रभाव हुआ।

1977 में प्रकाशित स्मिथ की 'हयुमन ज्योग्राफी आफ वेलफेयर एप्रोच'[28] ने बदलती मानव भौगोलिक अध्ययन विद्या को प्रभावित किया गया। लोक कल्याण पर केन्द्रित मानव भूगोल को कौन, क्या, कहाँ और कैसे प्राप्त करता है के रूप में परिभाषित किया गया। जहाँ कौन? का अर्थ आर्थिक सम्पन्नता अथवा जातीय आधार पर बँटे समाज के भिन्न–भिन्न वर्गों से है। क्या? का अर्थ सार्वजनिक सुविधाओं और असुविधाओं की गुणवत्ता से है। कहां? का अर्थ नागरिकों का जीवन स्तर और उनको प्राप्त होने वाली सुविधाओं की गुणवत्ता से है। तथा कैसे? का अर्थ उन सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक प्रक्रियाओं से है जिनके माध्यमं से इन विषमता का जन्म हुआ। मार्क्सवाद ने मानव भूगोल को सामाजिक सत्यों की खोज को समर्पित अध्ययन की एक सीमाहीन शाखा के रूप में विकसित किया। 1980 तक आते–आते सामाजिक संबंधों की उपादेयता एवं सामाजिक संरचना के सांस्कृतिक आधारों पर बल देने से मानव भूगोल के शोध, सामाजिक भूगोल के रूप में पूर्णतया स्थापित हो चुके थे।

1.2.2 सामाजिक भूगोल की संकल्पना एवं विकास – अध्ययन की विधाओं में समाज एवं उसकी विशेषता, स्वरूप, एवं समस्या, आदिकाल से ही किसी न किसी रूप में अध्ययन की विषय वस्तु रही है। भूगोल में इन्हीं विषयवस्तुओं को क्षेत्रीय एवं सामयिक परिवेश में परखने का कार्य मानव भूगोल शाखा के अन्तर्गत किया जाता था। 1908 में वेलाक्स महोदय ने 'ज्योग्राफिक शोशले लामेर' में मानव भूगोल के समानार्थी सामाजिक भूगोल शब्दावली का प्रयोग किया।[29] परन्तु 1884 में रेलसन महोदय ने मानव तथा प्रकृति के अंर्तसम्बन्धों को व्यक्त करने के लिए 'शोशल ज्योग्राफी' टर्म का प्रयोग किया था।[30] सामाजिक भूगोल, अपने पित्र स्वरूप की तरह प्राथमिक तौर पर क्षेत्र, समाज, एवं पर्यावरण से संबंधित है। मानव भूगोल, जो मानव एवं पर्यावरण अंर्तसंबंध एवं मानवीय क्रियाओं का अध्ययन करता है, के समानार्थी रूप में विकसित सामाजिक भूगोल क्षेत्र के संदर्भ में सामाजिक दृष्यभूमियों (Social Phenomena) का विश्लेषण करता है। इस विषय वस्तु को संयुक्त राज्य अमेरिका में सांस्कृतिक भूगोल के रूप में विकसित किया गया। प्रो. डड्ले स्टाम्प ने लांगमैन शब्दकोश में स्पष्ट किया कि सांस्कृतिक भूगोल मानव भूगोल की तरह मानव संस्कृतियों का अध्ययन करनेवाला विषय है। अतः सांस्कृतिक भूगोल जहां मानव संस्कृतियों का अध्ययन करता है वहीं सामाजिक भूगोल मानव समाज मानवीय प्रक्रियाओं और मानव सम्बन्धों की क्षेत्रीयता, सांस्कृतिक स्वरूप, तथा सम्पूर्ण वातावरण से मानव सम्बन्धों का अध्ययन करता है। हॉक (1907) के अनुसार सामाजिक भूगोल, सामाजिक दृष्यभूमि/घटना के वितरण का विश्लेषण करता है, मानव संगठन के तत्व तथा आधार यथा समूह विशेषता, उद्योग, तकनीक, रीति–रिवाज, मान्यता, एवं संबंधित तथ्यों तथा इनके वितरण को प्रभावित करने वाली विविधताओं का अध्ययन करता है। विद्वानों ने सामाजिक भूगोल को निम्नवत् स्पष्ट किया है।[31]

"Social Geography deals with the definition of different regions of the earth's surface according to association of social phenomena related to the total environment (Watson, 1958).

Social Geography deals with the study of the patterns and processes (required) in understanding socially defined populations in a spatial setting (Pahl, 1965)

Social Geography deals with the the study of the areal (spatial) patterns and functional relations of social groups in the context of their social environment; the internal structure and external relations of the nodes of social activity, and the articulation of various channels of social communication (Buttimer, 1968)

Social Geography deals with the analysis of the social patterns and processes arising from the distribution of, and access to, scarce resources and ..... an examination of the societal causes of, and suggested solutions to, social and environmental problems (Eyles, 1974)

Social Geography deals with the understanding of `the patterns which arise from' the use social groups make of space as they see it, and of the processes involved in making and changing such patterns (Jones, 1975)

Social Geography deals with the (it) stressed structure relations in the analysis of social problems.... Analysis (is) based on interrelated material reality and the social contradictions this produces; which are seen as the motive force for change, and thus responsible for the development of problems like different level-of-living conditions (Asheim, 1979)

Social Geography deals with the study of consumption, whether by individual or by groups (Johnston, 1981)

Social Geography deals with the it is an interactions perspective which aims to uncover how social structure is defined and maintained through social interaction, and which studies how social life is constituted geographically through the spatial structure of social relations (Jackson and Smith, 1984)"

सामाजिक भूगोल, भूगोल की नवीन शाखा है। आयलिस, इसके विकास को 19वीं सदी में संभववाद के विकास से जोड़ते हैं।[32] सामाजिक दृष्यभूमि/घटना के समग्र प्रभावों में मानव एवं पर्यावरण के अर्न्तसम्बन्धों की समग्रता पर आधारित है। वीडाल डीला ब्लाश (1913) जिन्होंने भूगोल को मानवीय एवं प्राकृतिक विज्ञान के रूप में देखा तथा पृथ्वी सतह पर एकता उत्पन्न करने वाले समस्त तत्वों को संदर्भित किया, के दर्शन को आयलिस महोदय सामाजिक भूगोल का आधार मानते हैं। फ्रीमेन (1965)[33] ने स्पष्ट किया कि मानव समूह अपने पर्यावरण से उद्‌भावित हुए हैं जो उस पर काबू पाना सीखते हैं। हथियार एवं यंत्रों के विकास, कला से, अपने जैविक स्वरूप को उपयोगी बनाता है। अतः

मानव, नियम, कानून, धरोहर, राजनीति संस्कृति कला आदि को स्थान–कार्य–समाज (Place - Work - Folk) के रूप में व्यवस्थित करता है। सामाजिक भूगोल के विकास में ब्रून्स (1920) टैथम (1957) फेव्रे (1955) मेकेन्जी (1929) लीप्ले, पेटरसन (1957), सोरोकिन (1964), राक्सवी (1930), फ्लुअर एवं जोन्स (1916) ,हैटनर (1927), स्लूटर (1899), फ्लुअर एवं जेम्स (1916) 'प्रजातीय विशेषताओं एवं क्षमताओं', राक्सवी (1930) 'विभिन्न सामाजिक संगठनों के क्षेत्रीय वितरण', विलियम (1963) 'समाज एवं भौतिक वातावरण के संबंध', रिस (1950) 'संस्कृति विकास में भूमि एवं कृषि की महत्ता', स्टेथर्न (1982) इवानस (1951) विलियम जोन्स, टेलर (1946) डिकिन्सन (1957) पार्क (1936) रिसमैन (1964) वाटसन (1957) हरबर्ट (1967) स्ट्रेशी (1969) हडसन (1974) हरबर्ट (1975) स्पेन्सर (1973) क्रिक (1951) उल्पर्ट (1965) हार्वे (1974) जान्सटन (1979) फिलिप (1981) मिचेल (1983) कार्नवाल (1984) हाल (1981) आदि विद्वानों ने सामाजिक भूगोल को व्यवस्थित करने में विशेष योगदान दिया है, जैसा कि एजाजुद्दीन अहमद ने इंगित किया है।[34]

1945 तक सामाजिक भूगोल विभिन्न प्रदेशों में वहां की सामाजिक दृष्यभूमि/घटनाओं के प्रभाव के अध्ययन तक सीमित था। 1920–30 के दशकों में तो जनसंख्या, अधिवास एवं नगरीकरण तथा जाति स्वरूप ही सामाजिक भूगोल की विषय वस्तु रहे। चालीस के दशक में स्टीवर्ट एवं वर्नज ने आगस्ट काम्टे के विचार ''भौतिक सिद्धान्तों को मानव समाज पर लागू कर सकते हैं'' को आधार बनाकर अध्ययन किया तथा मानव भूगोल का गुरूत्व माडल विकसित हुआ। 20वीं शदी के 5वें दशक तक आते–आते यात्रीकरण के दौर में सामाजिक दृष्य भूमियों के क्षेत्रीय स्वरूप पर आधारित अध्ययन शुरू हो गया, जिसमें कारक विश्लेषण (Factor Analysis) एक मुख्य यंत्र था। समरिस जॉन्स एवं वुल्फास्ट ने मूल्य अर्थ एवं भावनाओं को स्थानीय क्रियाओं में जोड़ दिया। अब ज्वलंत सामाजिक विषय वस्तु, समस्या एवं आन्दोलन सामाजिक भूगोल से अछूते नहीं थे। प्रजाति, अपराधस्वरूप गरीबी आदि विषय, अध्ययन का अंग बन गये थे। 1960 तक आते–आते कल्याणपरक बिन्दुओं, गरीबी, असमानता, नृजाति एवं धर्म को शामिल किया गया। वही मार्क्सियन भूगोल में गरीबी तथा सामाजिक असमानता मुख्य बिन्दु था। सामाजिक भौतिकी के रूप में भौतिक विश्व में मानव व्यवहारों के अध्ययन से विकसित सामाजिक चिंतन, नगरीकरण के प्रभाव, पारिवारिक क्रियात्मकता तथा परिवारों एवं समाज के सामाजिक–आर्थिक एवं सांस्कृतिक स्वरूप, आदि बिन्दु सामाजिक क्षेत्र विश्लेषण विधि के प्रयोग के रूप में शामिल हुए।

प्रजातीय अध्ययन के संदर्भ में – 1898 में फ्रेडरिक टर्नर ने ''अमेरिका को विविध प्रजातियों के 'मेल्टिंग पाट' के रूप में बताते हुए स्पष्ट किया था कि सीमान्त, सम्पूर्ण राष्ट्रीयता को निर्मित करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकते हैं। क्योंकि वहां विविध प्रजातिय समूहों का संगम होता है। नृजातीयता क्षेत्र में नृजातीय गुणों का योग है। नृजातीय भूगोल नृजातीयता के स्थानिक स्वरूप का अध्ययन है। प्रथम विश्व युद्ध के काल में इस विधा को तब बल मिला जब यूरोप की कुछ नृजातीय

समूहों ने *Political Selfdittermination* की बात की।[35] 1930 में नाजियों के प्रभाव के कारण जर्मनी ने यह विधा गति पकड़ी। 1960 के दशक में एक उपशाखा के रूप में अमेरिका तथा कनाडा के नृजातीय जागरूकता पैदा करने के लिए पल्लवित होने लगी और तबसे विश्व के ज्ञान पटल पर स्थापित हो गई।

1980 के दशक तक पाश्चात सामाजिक भूगोल सामाजिक कल्याण से पूर्णतया जुड़ गया था। जिस प्रकार भौतिक भूगोल की विषय वस्तु भौतिक विज्ञानों के मूल स्वरूप की पूरक हैं उसी तरह सामाजिक भूगोल मानव विज्ञान एवं समाजशास्त्र से संबंधित है। क्योंकि जहां मानव विज्ञान प्रकृति मानव सम्बन्धों के विविध आयामों का अध्ययन करता है वहीं सामाजिक भूगोल सामाजिक परिप्रेक्ष्यों की विविधता को, प्रकृति एवं मानव के अंर्तसम्बन्धों की दृष्टि से अध्ययन करता है। अतः सामाजिक भूगोल मानव कल्याण के लिए आवश्यक आधार प्रस्तुत करने में सहायक है।

1.2.3 भारत के सामाजिक भूगोल – भारत में आदि से ही, सामाजिक भूगोल पर केन्द्रित विषय–वस्तु चर्चा का मुख्य अंग रहा है। वर्ग केन्द्रित समाज और विविध सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक और नैतिक आयामों को 1919 में मुम्बई विश्वविद्यालय में पैट्रिक गेडिस ने एक विषय के रूप में स्थापित करने का प्रयास किया।[36] 1971 में जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय में सामाजिक भूगोल एक विषय के रूप में चयनित हुआ[37] तथा वर्तमान में समाज के सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक एवं तकनीकी पक्षों को समाहित कर सतत पल्लवित हो रहा है। प्रो. जगदीश सिंह[38] के अनुसार सामाजिक भूगोल उन क्षेत्रीय अंर्तसम्बन्धों एवं अंर्तप्रक्रियाओं का अध्ययन करता है जिससे क्षेत्रीय गुणात्मक जीवन में असमानता होती है या बढ़ती है। आपने स्पष्ट किया कि सामाजिक भूगोल भूवैज्ञानिक संगठन तथा सामाजिक संरचना के परस्पर अंर्तसम्बन्धों का यथास्थितिक अध्ययन करके संतुष्ट नहीं होता वरन् संबंधित मानव समाज का कल्याण की दृष्टि से मूल्यांकन करता है।

प्रो. सिंह[39] ने इंगित किया है कि ग्रामीण सामाजिक परिवेश के लिए असंगत मानवीय व्यवहार उत्तरदायी है जिससे वर्तमान भूवैज्ञानिक संगठन निर्मित हुआ है। विभिन्न सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, नैतिक मूल्यों एवं मान्यताओ में अंतर के कारण विभिन्न क्षेत्रों के सामाजिक समूहों के आचार व्यवहार में पर्याप्त अंतर मिलता है। प्रो. ए. वी. मुखर्जी[40] ने स्पष्ट निष्कर्ष निकाला है कि विपन्नता और सामाजिक उपदेशात्मक नीतियों के भुक्तभोगी अनुसूचित जातियों के लोगों का विशालकाय भाग सामाजिक ऋण से मुक्ति पाने की प्रबल इच्छा धारण करने के कारण सदा सदा के लिए हिन्दू धर्म का परित्याग कर मुस्लिम धर्म स्वीकार कर लिया। प्रो. एल. आर. सिंह[41] ने तराई क्षेत्र अनुसूचित जनजातियों के संदर्भ में अध्ययन किया, प्रो. काशीनाथ सिंह[42] ने अपने शोध तत्वों से विभिन्न सामाजिक समूहों की सामाजिक अवस्था और उनकी प्रमुख विशेषताओं पर प्रकाश डाला हे। डॉ. आर. एल. सिंह[43] ने मध्य गंगा घाटी के अधिवासों पर प्रकाश डालते हुए लिखा है कि 'आर्यों के आगमन के समय वहां पर मूल निवासियों (कोल, भील, शबर आदि) अथवा अन्य जातियां निवासित थीं,' उत्तरी एवं उत्तर पूर्वी भौगोलिक प्रजाति

की अनुसूचित जनजातियां संभवतः अरूणाचल प्रदेश को पार करते हुए भारत में आयीं तथा आर्यों के प्रभाव से अपना विस्तार पंजाब तक कर लिया। इसी दिशा में राणा पी. बी. सिंह, प्रो. इनायत अहमद प्रो. एम सफी, डॉ. शिवमंगल सिंह आदि विद्वानों ने प्रयास किए हैं। प्रसिद्ध भूगोलविद्ध स्वावर्टज ने उत्तर भारत के जजमानी व्यवस्था और जातियों के निर्धारक को विस्तार से समझाया है। शोफर एवं डेविड ने अवध प्रदेश की जातीय संरचना, डॉ. हार्वे ने अमेरिकन नीग्रो की समस्याओं, विलियम भूगोल वेत्ताओं को एवं अनुभूति, वाटसन ने गरीबी, कयाल ने सामाजिक संस्थाओं पर ध्यान केन्द्रित किया है। प्रो. जगदीश सिंह डॉ. हार्वे, बुंगी जैसे विद्वानों के कार्यों पर प्रकाश डालते हुए लिखा है कि किसी भी सामाजिक समस्या का समाधान एक नया कदम और एक नये व्यक्तित्व से नहीं होगा बल्कि उसके लिए समस्त सामाजिक–आर्थिक व्यवस्था में आमूल परिवर्तन करना होगा।

समाज जिसके अन्तर्गत समाज विशेष का भूविन्यास समाहित है लोगों द्वारा सृजित होता है और संभवतः लोगों द्वारा परिवर्तनीय भी होता है। अतः मार्क्सवादी दर्शन के सामाजिक प्रक्रियाओं प्राकृतिक वातावरण एवं भूवैज्ञानिक अंतरसंबंधों के परस्पर सम्बन्धों के विचार से यह परिवर्तन (समाज की सामाजिक–आर्थिक व्यवस्था में) प्राप्त होता है। चूंकि कोई भी भूविन्यास क्रम एवं सामाजिक संरचना एक लम्बे ऐतिहासिक सामाजिक परिप्रेक्ष्य में सृजित होती है अतः प्रमुख समान वर्ग स्थायित्व प्राप्त करते हैं और असमता का जन्म होता है। जो भूगोल के अध्ययन की विषय वस्तु का अंग है।

इन अध्ययनों के साथ ही भारत के सामाजिक भूगोल के अध्ययन में डी. डी. कौशाम्बी (1970) ओ. एच. के रपट (1954) सी डी देशपांडे, एस. पी. चटर्जी, एम. ए. अली (1966)एजाजुद्दीन अहमद (1993) मुनीस रजा (1977) बी एस. एस. प्रकाश एवं एड्री ब्रिटले (1971) ए आर देसाई (1981) एम एन श्रीनिवास (1969) जेहटटन (1969) जी एस धुर्ये (1969) डेविड शोफर (1980) स्टाउफर (1983) भट्ट (1980) मार्टन (1980) नोबल दत्त (1982) स्टनर (1973) हेरिस (1977) स्पेट एवं लियरमंथ (1968) फिशर (1977) श्री दास गुप्ता (1977) वेरी एवं रेस (1969) साइमन (1982) मिलर (1980) देवीसिंह (1980) नरायन नायर (1980) लियोन्टाफ (1979) कोण्डवाल (1982) वाल्केई (1972), मुरली कृष्णन (1981) डायसन मूर (1983) डिक्सन (1982) मित्रा (1963) राव एवं तिवारी (1982) वेन स्टीन (1974), आलमखान (1969) स्काटलेट एपीस्टन (1937) सिडनी वर्वा, डॉ. वशीरूद्दीन अहमद ,बी. आर. अम्बेदकर, विलियम क्रुक, जैसे विद्वजनों ने सामाजिक–आर्थिक संरचना सांस्कृतिक स्वरूप चिकित्सा प्रजाति जनांकिकी सामाजिक द्रव्य भूमि एवं स्थानिक संगठन के भारतीय संदर्भ में महत्वपूर्ण योगदान किए, जैसा कि मुनीसरजा एवं एजाजुद्दीन जी ने इंगित किया है।[44] अतः स्पष्ट है कि अनुसूचित जनजातियों जैसे सामाजिक समूहों की समस्याओं की परिस्थिति एवं मूल्यांकन में सामाजिक भूगोल महत्वपूर्ण योगदान कर सकता है।

1.2.4 भारत में जनजातीय विकास संदर्मित अध्ययनों की समीक्षा –वैज्ञानिक चिन्तन के विकास क्रम में शोध में, पूर्व के अध्ययनों से सीख लेते हुए मानव कल्याण हेतु प्रयास किया जाता है।

जनजातीय समाज विविध आयामों तथा रहस्यों से युक्त है। इन रहस्यों को सुलझाने तथा समाज को समाज से जोड़ने के लिए प्राचीन काल से ही विद्वानों ने अध्ययन किया है। तथा जनजातियों के सामाजिक–आर्थिक व्यवस्था को समझकर विकास स्वरूप को आंकते हुए योजनाओं को आधार प्रदान किया है। भारतीय जनजातियों के संदर्भ में हडसन (1922)[45] ने विभिन्न जनजातियों के ऐतिहासिक आधारों को स्पष्ट किया है। हल्टन (1941)[46] ने जनजातीय दशाओं के संदर्भ में वही फच (1973)[47] ने आदिम जातियों के संदर्भ में समाकालित अध्ययन किया है। डाल्टन (1872)[48] ने उत्तर पूर्वी राज्यों के जनजाति समाजों का अध्ययन किया। गुहा (1939–51)[49] ने जनजातियों के प्रजातीय स्वरूप को विश्लेषित किया। मामोरिया ने जनजातियों के जनांकिक प्रतिरूप का सेनगुप्ता (1959)[50] ने आदिम जातियों के उपभोग एवं पोषण प्रतिरूप का अध्ययन किया। एल. पी. विद्यार्थी (1959)[51] जनजातियों के सामाजिक–सांस्कृतिक एवं आर्थिक संगठन को विश्लेषित किया। धुर्ये (1962)[52] ने जनजाति विकास के ऐतिहासिक आधार को स्पष्ट करते हुए स्वाधीनता पश्चात् जनजातीय विकास स्तर एवं स्वरूप को विश्लेषित किया। भौमिक (1971)[53] ने भारत की विविध जनजातियों की नृजातीय संरचना एवं अन्य विशेषताओं का अध्ययन किया। बोस[54] ने भारतीय जनजातियों के सामाजिक, सांस्कृतिक स्थिति को विश्लेषित किया। वासु[55] ने जनजातीय अध्ययन में निष्कर्ष निकाला था कि जनजातीय समुदायों के विकास की नीतियां देश के विकास की नीतियों की धड़कन है। दुबे 1977[56] ने जनजातियों के सामाजिक, सांस्कृतिक संगठन के बदलते प्रतिरूप का अध्ययन किया है। बी. डी. शर्मा[57] ने जनजातियों की आर्थिक विकास प्रक्रिया एवं उनके सामाजिक–सांस्कृतिक प्रतिरूप पर प्रभाव का आंकलन किया है। राय वर्मन (1972)[58] ने उड़ीसा के सबेरा जनजाति, तथा श्रीवास्तव (1959)[59] ने सरोरा जनजाति के शैक्षिक समस्याओं का अध्ययन किया है। एम. के. मोहन्ती[60] ने क्योंझर में जनजातीय प्रदेशों के विकास हेतु रणनीति प्रस्तुत किया है। एल्विन बैरियर (1950)[61] ने बोडो की विशेषताओं का अध्ययन करते हुए उड़ीसा की जनजातियों को नियोजित किया। चट्टोपाध्याय, के. पी. (1953)[62] ने स्पष्ट किया कि जनजातीय विकास के आधारभूत तथ्य अभी आदिम रूप में है जिसके लिए प्रभावपूर्ण नियोजन की आवश्यकता है। नाग (1958)[63] ने मध्य प्रदेश की वैगा जनजाति की अर्थव्यवस्था को विश्लेषित किया। सक्सेना (1964)[64] ने पश्चिमी मध्य प्रदेश के पांच जनजातियों की अर्थव्यवस्था का अध्ययन किया है। राय (1979)[65] ने जनजातीय अर्थव्यवस्था पर बनों के प्रभाव को विश्लेषित किया है। शाह (1967)[66] ने गुजरात की जनजातियों पर कर्ज के स्वरूप को विश्लेषित किया है। वेल्श (1969)[67] ने जनजातियों पर आधुनिकता के प्रभाव, मूर्ती (1972)[68] ने जनजातियों पर साहूकारों के प्रभाव, नायर डी. पी. (1974)[69] ने विभिन्न जनजातीय वर्गों में शिक्षा के संदर्भ में अध्ययन किया है विकास के स्वरूप तथा पटेल एम. एल. (1997)[70] ने जनजातियों में भूमि समस्या का अध्ययन किया है। शर्मा, बी के (1980)[71] ने जनजातीय विकास के कमजोर सामाजिक–सांस्कृतिक एवं आर्थिक पक्षों को विश्लेषित किया है। पी. के. बोस (1981)[72] ने जनजातियों के स्तरीकरण तथा हेरारकी का अध्ययन किया जगन्नाथ प्रथी (1981)[73] ने उड़ीसा के जनजातियों के उत्पादन प्रतिरूप माखन झा (1982)[74] उड़ीसा के ओलर जनजाति की

सामाजिक–आर्थिक दशा को विश्लेषित किया। भगत (1983)[75] ने बिहार में जनजातियों द्वारा कृषि में आधुनिक यंत्रों के प्रयोग तथा उसके सामाजिक–आर्थिक प्रभावों को विश्लेषित किया। कोठारी (1985)[76] ने भीलों के सामाजिक परिवर्तन स्वरूप को विश्लेषित किया है। मौर्य आर डी. (1985)[77] ने स्पष्ट किया कि जनजातीय विकास में शिक्षा का महत्वपूर्ण योगदान होता है। श्रीवास्तव एल. आर. (1987)[78] ने जनजातियों में उत्पादन प्रतिरूप एवं अर्थव्यवस्था पर शिक्षा के प्रभाव को विश्लेषित किया। वी रामाराव (1988)[79] ने जनजातीय विकास हेतु एकीकृत स्वरूप की आवश्यकता बताई। प्रसाद आर. आर. (1988)[80] ने ब्रिटिश शासन एवं स्वतंत्र भारत के जनजातीय विकास के विविध पक्षों को विश्लेषित किया है। महालिंगम एस.[81] ने जनजातियों के परम्परागत कौशल, धरोहर एवं संसाधनों को उपयोगी बनाने की आवश्यकता बताई। शर्मा आर के. (1989)[82] ने हिमाचल प्रदेश की जनजातियों पर कृषि विकास के प्रभाव को विश्लेषित किया। शाह बी (1990)[83] ने जनजातियों के शेष भारत से पृथकता के आधारों को विश्लेषित किया। खरे (1991)[84] ने बिहार की मुण्डा जनजाति में आर्थिक विकास का सामाजिक–सांस्कृतिक दशाओं पर प्रभाव को विश्लेषित किया। बुद्धदेव चौधरी (1992)[85] ने जनजातियों के सामाजिक–सांस्कृतिक धार्मिक एवं आर्थिक परिवर्तनों को विश्लेषित किया। रूडोल्फ (1992)[86] ने जनजातियों के पृथकता (Isolation) के स्वरूप को विश्लेषित किया। भांगे एन. पी. (1993)[87] ने भारत सरकार के जनजातीय आयोगों के प्रभाव को विश्लेषित किया। ठाकुर देवेन्द्र (1995)[88] ने भारत में जनजातीय विकास एवं नियोजन स्वरूप को विश्लेषित किया। केशवन (2004)[89] ने कोरगा जनजाति के सामाजिक–सांस्कृतिक दशाओं में परिवतनर्त को इंगित करते हुए बताया कि यह जनजाति जातीयं गुणों की ओर अग्रसर है। थाभी जोल एवं सुदर्शन (1996)[90] ने जनजातियों में संधृत कृषि की आवश्यकता बताते हुए कृषि प्रारूप में जैव विविधीकरण के प्रभाव का उल्लेख किया। वरजीनियस (2003)[91] ने जनजातीय भारत में सामाजिक परिवर्तन में समाजशास्त्रियों एवं नृविज्ञानियों के योगदान का अध्ययन किया। हैमिन्डार्फ (1945)[92] ने रेड्डी समुदाय में विविध परिवर्तनों का अध्ययन किया। मोहन आर. के. (1993)[93] ने जनजातियों के सामाजिक–सांस्कृतिक आधारों का अध्ययन किया।

प्रो. पी. डी. शर्मा[94] ने जनजातीय विकास हेतु विकास केन्द्र (Growth Centre Thorn) सिद्धान्त के अनुपालन की वकालत की तो प्रो. रामचन्द्रन (1980)[95] ने जनजातीय विकास में ने ग्रामीण संघ (Village Clusters) की आवश्यकता बताई। हरमैन (1985)[96] ने नागा जीवन एवं विकास में आदर्श परिवर्तन (Tremendous Change) का निरीक्षण किया। के. एल. कोठारी (1978)[97] ने स्पष्ट किया कि जो जनजातियां अपनी संस्कृति एवं दशा में पृथकता में रहती हैं ज्यादा खुश रहती हैं। कुमार (1975)[98] ने जनजातीय महिलाओं की स्थिति को आंकलन किया। नायर के. एस. तथा अन्य (1974)[99] ने जनजातीय संदर्भ में स्पष्ट किया कि परिवार की सामाजिक–आर्थिक दशा एवं आकार शिक्षा के स्तर से प्रभावित होता है। बी. डी. शर्मा (1978)[100] को स्पष्ट किया कि जनजातीय क्षेत्र में साक्षरता तथा विद्यालयों में नामांकन अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा निम्न होता है। मिश्रा (1978)[101] ने औपचारिक शिक्षा के स्वरूप का आंकलन किया। पैट्रिक (1968)[102] ने भारत में स्वतंत्रता के पश्चात् जनजातीय समाज में

आधुनिक परिवर्तन का आंकलन किया तथा स्पष्ट किया कि स्वतंत्रता पश्चात जनजातियों ने आधुनिक विकसित समाज के गुणों को स्वीकार किया है। पनीग्रही (2001)[103] ने स्पष्ट किया कि जनजातीय समाज पर विकास का प्रभाव तो पड़ा है परन्तु यह एक अच्छे स्तर तक नहीं है। सक्सेना (1978)[104] ने जनजातियों में बंधुआ मजदूरों की समस्याओं का आंकलन किया। सिंह (1978)[105] ने मध्य भारत में जनजातीय बस्तियों में परिवर्तन तथा उनके जीवन शैली व्यापार कर्म, परिवार, नातेदारी, अपराध, धर्म एवं जादू और परिवर्तनों का आंकलन किया। के. बी. श्रीवास्तव (1977)[106] ने छोटा नागपुर की जनजातियों का अन्य वर्गों से सम्मिश्रण का आंकलन किया। शर्मा (1974)[107] ने स्पष्ट किया कि आर्थिक प्रगति के बिना सांस्कृतिक परिवर्तन संभव नहीं है। मजूमदार (1972)[108] मेघालय के हाजगोग जनजाति में सांस्कृतिक सम्मिश्रण का अध्ययन किया है। एस. बी. सिंह (1975)[109] ने जनजातीय क्षेत्र के चुनाव की चेतना का आंकलन किया। सुखांत चौधरी (2004)[110] ने उड़ीसा के कोण्ड जनजाति के सामाजिक–आर्थिक परिवर्तनों का आंकलन किया। उज्जवल मिश्रा ने जरवां जनजाति पर वाहय संपर्कों के प्रभाव का आंकलन किया। डी. सी. साह ने (2004)[111] पर्यावरणीय राजनीति का आंकलन करते हुए जनजातीयों पर वाह्य क्षेत्रों के प्रभावों को स्पष्ट किया है। श्रीवास्तव बी. के. (2005)[112] ने स्पष्ट किया यदि हम विभिन्न संस्कृतियों के मानव समूहों में अचछा जीवन स्वरूप जानना चाहते हैं तो हमें उन्हें भूख बीमारी एवं आपरेशन से मुक्त करना होगा। जैन (1972)[113] ने विकास योजनाओं की असमानता के आंकलन के साथ राजनीतिक नियोजन की आवश्यकता बताई। जोशी (1998)[114] ने स्पष्ट किया कि हमारी जनजातीय योजनाओं का उद्देश्य जनजातियों को मुख्य धारा में लाना है। मिश्रा (2002)[115] ने जरवा लोगों के प्रेस किए कपड़े पहनने के परिवर्तन को स्पष्ट किया। के. एस. सिंह (1992)[116] ने भारत की जनजातियों की सामाजिक–आर्थिक दशाओं का आंकलन किया। बी. बी. मोहन्ती (2006)[117] ने भारत में जनजातीय विकास स्वरूप के आंकलन का उसकी कमियों को स्पष्ट किया। अतः इन अध्ययनों के साथ–2 विभिन्न सरकारी समितियों की रिपोर्टों तथा सेमीनार में जनजातीय विकास स्वरूप परिवर्तन तथा आवश्यकता आदि पर चर्चायें होती रही हैं जो जनजातीय विकास को स्तरीय स्वरूप देने पर बल देती है।

1.2.5 थारू जनजाति संदर्भित अध्ययनों की समीक्षा – अन्यान्य विद्वानों ने थारू जनजाति के व्यवहार, सामाजिक–सांस्कृतिक एवं नृजातीय स्वरूप, जनसंख्या एवं आर्थिक विकास पक्षों का अध्ययन किया है। अलबरूनी[118] ने जनजाति के गुणों का उल्लेख करते हुए लिखा है कि थारू लोग तुर्कों की तरह सपाट नाक वाले एवं काले रंग के होते हैं। एटकिन्सन[119] ने जनजाति की सामाजिक–सांस्कृतिक दशाओं तथा क्षेत्र से सामंजस्य का उल्लेख किया। लेखराज सिंह[120] ने थारू जनजाति के व्यवहार स्वरूप कार्य प्रणाली पर तराई क्षेत्र के प्रभावों का आंकलन किया तथा पारिस्थितिक विकास प्रतिरूप की आवश्यकता बताई है। आमिर हसन[121] ने थारू के सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक एवं नृजातीय विशेषताओं पर ध्यान आकृष्ट करते विकास के प्रभावों का उल्लेख किया है। ग्रियर्शन[122] ने स्पष्ट किया है कि थारू द्रविण प्रजाति की आदिम जनजाति है, जिसकी भाषा क्षेत्रीय आर्थिक भाषाओं से मिश्रित हो

अपभ्रंसित हो गई है। हरबर्ट रिज्ले[123] के अनुसार थारू आदिम प्रजाति के हैं जिनके पूर्वज गंगा के मैदान में रहते थे तथा आर्यों द्वारा बीहड़ की ओर खदेड़ दिए गये, और क्षेत्रीय गुणों को ग्रहण कर मंगोलियन स्वरूप को धारण कर लिए हैं। इन पर हिन्दू संस्कृति की अमिट छाप पड़ी है। नैसफील्ड[124] ने थारू के मौलिक गुणों को इंगित किया है। आर. के. श्रीवास्तव[125] ने इस जनजाति के विभिन्न वर्गो को क्षेत्र विशेष से प्रभावित तथा इनकी मूल संस्कृति को परिवर्तित हुआ बताया है। एस. के. श्रीवास्तव[126] ने नैनीताल के खटीमा सितारगंज तहसीलों के थारू की सामाजिक–सांस्कृतिक एवं आर्थिक दशाओं का आंकलन किया है। डी. एन. मजूमदार[127] ने थारू जनजाति के आर्थिक जीवन स्वरूप तथा विकास का आंकलन किया है। एल. पी. विद्यार्थी[128] ने थारू विशेषताओं पर विकास के प्रभावों का आंकलन किया। डी. बी. बिस्ट[129] ने जनजाति में सामाजिक–आर्थिक प्रतिरूप का विश्लेषण किया है। मुस्तफा (1981)[130] ने उत्तर प्रदेश में जनजातीय विकास में कृषि की भूमिका का आंकलन किया। एम. एम. वर्मा[131] ने उत्तर प्रदेश में विविध जनजातीय परियोजनाओं के प्रभावों का आंकलन किया है।

ब्रिटले (1971)[132] एल्विन (1965)[133] धुर्ये (1963)[134] विद्यार्थी (1977)[135] आदि विद्वानों ने थारू जनजाति के स्वरूप, विशेषता, परिवर्तिता एवं हिन्दुत्व के प्रभावो का आंकलन किया। हट्टन (1986)[136] ने स्पष्ट किया कि जनजाति ने ब्राह्मण पुजारियों के आधिपत्य, गाय पूजा या मंदिर बनाने की प्रवृत्ति नहीं मिलती। त्रिपाठी (1983)[137] ने थारू निवास क्षेत्र थरूवट की विशेषताओं का उल्लेख किया है। कोचर (1958)[138] ने थारू परिवारों की विशेषताओं का उल्लेख किया है। विष्ट (1993)[139] ने स्पष्ट किया कि थारू उ. प्र. में अनुसूचित जनजाति के रूप में 1967 से नामित हुई तबसे सतत विकास की ओर अग्रसर है। मजूमदार[140] ने थारू को मंगोलियन प्रजाति के रूप में पहचान देते हुए उनके रक्त वर्ग का विश्लेषण कर स्पष्ट किया कि थारू में (AB) रक्त वर्ग के लोग सबसे ज्यादा होते थे जो तिब्बती लोगों में ज्यादा होते हैं तथा मलेरिया से संरक्षण प्राप्त करते हैं। पी. एन. शर्मा (1988)[141] ने उत्तर प्रदेश में एकीकृत जनजातीय विकास परियोजना का आंकलन किया है। हसन (1971)[142] ने थारू जीवन एवं संस्कृति का आंकलन किया है। श्रीवास्तव (1979)[143] ने थारू के मनोवैज्ञानिक प्रतिरूप का आंकलन किया है। श्रीवास्तव, सक्सेना एवं कपूर ने (1977)[144] सांस्कृतिक विभिन्नता (Cross Cultural Differences) का आंकलन करते हुए बताया कि थारू बच्चे गैर जनजातीय बच्चों से ज्यादा मजबूत हैं तथा थारू लड़कियां अन्य लड़कियों से सामाजिक अनुकूलन (Adjustment) की दृष्टि से ज्यादा सबल हैं। तथा थारू लड़के लड़कियां अन्य बच्चों की अपेक्षा कम न्यूरोटिक होते हैं। श्रीवास्तव एवं सेठ (1979)[145] ने स्पष्ट किया कि सांस्कृतिक सम्मिश्रण के प्रभाव से सांस्कृतिक दूरियां कम हुई हैं तथा कम सांस्कृतिक सम्मिश्रण वाले थारू ज्यादा व्यवस्थित, भावनात्मक रूप से स्थिर एवं नियंत्रित शर्मीले प्रायोगिक एवं स्थायी होते हैं। सक्सेना (1985)[146] ने थारू महिलाओं की उच्च जनन क्षमता के बारे में स्पष्ट किया कि थारू महिलाएं औसतन 7.25 बच्चे जन्म देती हैं। श्रीवास्तव एवं सक्सेना (1980)[147] ने बताया कि थारू बालक दृष्य रूप में ज्यादा व्यवस्थित भावनात्मक रूप से परिपक्व होते हैं। दयालू

शिष्ट शर्मीले, दिमागी प्रयोगिक नियंत्रित एवं शान्त होते हैं। श्रीवास्तव (1988)[148] ने लखीमपुर के थारू बच्चों के सांस्कृतिक सम्मेलन के प्रभाव का आंकलन किया। ए. आर. साख्यन (1998)[149] थारू के जनांकिक प्रतिरूप का अध्ययन किया। उमा कान्त सिंह (2005)[150] ने मिहिपुरवा बहराइच के साक्षरता का आंकलन करते हुए निम्न साक्षरता दर (7.29 प्रतिशत) का उल्लेख किया है। अमृत श्रीनिवासन एवं अखिलेश रंजन (2006)[151] ने थारू जनजाति के अन्य जनजातियों के सम्मिश्रण तथा तराई प्रभावों का आंकलन किया है।

इसके साथ ही थारू जनजाति के संदर्भ में वसु (1967)[152], भटनागर (1964)[153] भट्टी (1975)[154] विष्ट (1997)[155], ब्लन्ट (1912)[156] चौहान (1991)[157] क्रूक (1968)[158] खन्ना (1992)[159] लिंक (1981)[160] जैन (1991)[161] आदि विद्वानों ने थारू जनजाति की सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, मनोवैज्ञानिक पक्षों पर अध्ययन किया है।

अतः स्पष्ट है कि अध्ययन की विभिन्न विद्याओं में थारू जनजाति की विशेषताओं सामाजिक–सांस्कृतिक पक्षों का अध्ययन किया गया है। परन्तु आवश्यकता है कि विकास पर भौगोलिक दशाओं के प्रभाव का आंकलन किया जाए ताकि विकास में रही कमियों को दूर किया जा सके।

1.3 अध्ययन की आवश्यकता एवं उपयोगिता –

अन्यान्य समाजशास्त्रियों, वैज्ञानिकों एवं विद्वानों ने जनजातीय समाज एवं व्यवहार का अध्ययन किया है। स्व सर्वेक्षण से स्पष्ट हुआ कि वर्तमान परिप्रेक्ष्य के जनजाति एवं उनके पिछड़े क्षेत्र की भौगोलिक विशेषताओं का आंकलन, विकास के परिप्रेक्ष्य से करना आवश्यक है। हालांकि विकास एक स्वतंत्र प्रक्रिया है मगर विकास में समग्रता का पुट नहीं है। एकांगी विकास एवं आवश्यकता के अनुरूप विकास प्रणाली ने नदी की धारा रोकी नहीं जा सकती तो मोड़कर बाढ़ से जरूर बचा जा सकता है। वाह्य गैर जनजातीय पक्षों को अपनाने से जहां जनजातियों के सामाजिक–सांस्कृतिक गुणों का हनन होता है वहीं विकास योजनाओं का सार्थक लाभ भी नहीं मिल पाया है। थारू जनजाति के विकास स्वरूप में भी समग्रता का पुट नहीं है। इस जनजाति पर जनजातीय विकास के नाम पर कुछ प्रयोग लादकर इनकी संस्कृति का हनन हुआ है वहीं इनकी मूल आवश्यकताओं की पूर्ति भी नहीं हो पाई है। जो थारू जनजाति से संबंधित पूर्व अध्ययनों में नहीं हो पाया है अतः समन्वित सर्वांगीण विकास का एक पक्ष अधूरा मिलता है इसलिए थारू जनजाति को आधार बनाकर उसके सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, जनांकिक एवं पर्यावरणीय पहलुओं पर विकास के प्रभाव एवं भौगोलिक वातावरण के योगदान का आंकलन करना आवश्यक है।

शोध तभी महत्वपूर्ण होता है जब वह समाज के लिए उपयोगी एवं लाभप्रद हो। चूंकि थारू जनजातीय समाज एवं तराई भौगोलिक क्षेत्र से शोधकर्ता का सम्बन्ध जन्म से ही रहा है अतः थारू जनजाति को आधार बनाकर विकास स्वरूप एवं भौगोलिक तत्वों के प्रभाव आंकलन करना उपयोगिता

पूर्ण भी है। जनजातियों के वर्तमान स्वरूप एवं उनकी मूलभूत विशेषताओं से तुलना करने एवं विकास के प्रभावों के भौगोलिक विश्लेषण के माध्यम से प्राप्त निष्कर्ष, सामाजिक–आर्थिक रूप से पिछड़े क्षेत्रों एवं वर्गों के नियोजन एवं विकास के लिए उपयोगी होगा। यह जनसंख्या नियोजन, सामाजिक–आर्थिक विकास एवं वातावरण समायोजन की नीतियों में सहयोगी होगा। वहीं सामाजिक, सांस्कृतिक, भूगोल तथा प्रादेशिक नियोजन के अध्ययन के क्षेत्र में एक विचार बिन्दु प्रस्तुत करेगा। अध्ययन के द्वारा विकास एवं समाज की भौगोलिक पृष्ठभूमि के महत्व को विश्लेषित किया गया है। भविष्य में उपरोक्त तरह के क्षेत्रों में विकास के लिए अध्ययन के निष्कर्ष प्रभावी होंगे ताकि उन जगहों एवं वर्गों का समग्रता से विकास हो सके।

1.4 उद्देश्य –

यह एक विश्लेषणात्मक अध्ययन है पूर्व अध्ययनों के निष्कर्षों एवं क्षेत्र के निरीक्षण के पश्चात निम्न उद्देश्यों को लेकर अध्ययन किया गया।

1. तराई क्षेत्र की भौगोलिक परिस्थितियों को समझना।
2. उत्तर प्रदेश की अनुसूचित जनजातियों पर विकास के प्रभाव का आंकलन करना।
3. थारू जनजाति की सामाजिक, सांस्कृतिक एवं जनांकिकीय विशेषताओं को समझना।
4. थारू जनजाति की आर्थिक व्यवस्था को समझना एवं कृषि प्रारूप में हुए परिवर्तनों का आंकलन करना।
5. विकास के प्रभाव का तराई वातावरण के संदर्भ में मूल्यांकन करना।
6. अन्य विकसित समाज एवं जनजातीय समाज में मिलने वाले अन्तर को समझना।
7. विकास के लिए चलाई गई सरकारी गैर सरकारी संस्थागत योजनाओं के स्वरूप एवं प्रभाव का मूल्यांकन करना।
8. तराई क्षेत्र तथा पिछड़े सामाजिक वर्ग (थारू) की समस्याओं को समझते हुए प्रादेशिक एवं सामाजिक विकास तथा नियोजन एवं जनसांख्यिकी नीतियों हेतु सुझाव प्रस्तुत करना।

1.5 उपकल्पना –

किसी भी सामाजिक भूगोल के अध्ययन के लिए घटनाओं एवं प्रक्रियाओं का वैज्ञानिक विश्लेषण किया जाता है। जिसके लिए पूर्वज्ञान के आधार पर सामान्य अनुमान अपेक्षित है। विषय की वैज्ञानिकता के लिए अध्ययन से सम्बन्धित निम्न उपकल्पनाओं का निर्माण किया गया है।

1. थारू जनजाति की सामाजिक, आर्थिक, जनांकिक एवं वातावरणीय विशेषताएं परिवर्तित हो रही हैं।
2. जनजाति में समग्रता से विकास न होने से जनजातीय वातावरण पर कुप्रभाव पड़ा है।

3. जनजाति के वर्तमान सामाजिक–आर्थिक विशेषताओं में तराई की भौगोलिक दशाएं प्रभावकारी हैं।
4. थारू जनजाति की साक्षरता प्रति व्यक्ति आय एवं जीवन सम्भाव्यता बढ़ने से जीवन की गुणवत्ता में सुधार हुआ है।
5. बाजारू अर्थव्यवस्था थारू के भौगोलिक स्वरूप को सीधे प्रभावित कर रही है जैसे उनके जंगल, तालाब एवं परम्परागत उद्योग में ह्रास होना।
6. जिन गांवों के मध्य से सड़क गुजरती है एवं कुछ सुविधाएं स्थापित हो जाती हैं उनका विकास सड़क से दूर स्थित की अपेक्षा उच्च होती हैं।
7. जिन परिवारों ने स्नातक या उच्च स्तर की शिक्षा प्राप्त की है उनका सामाजिक–आर्थिक स्तर ऊँचा होता है।
8. थारू जनजाति के विभिन्न वर्गों में सामाजिक–आर्थिक दशाओं में अंतर मिलता है।

1.6 शोध प्रश्न –

अध्ययन में निम्न प्रश्नों के उत्तर प्राप्त करने का प्रयास किया गया है –

1. तराई क्षेत्र की मुख्य भौगोलिक विशेषताएं क्या हैं ?
2. उत्तर प्रदेश में जनजातियों में सामाजिक–आर्थिक विकास की स्थिति क्या है ?
3. थारू जनजाति की सामाजिक–सांस्कृतिक विशेषताओं पर विकास का क्या प्रभाव पड़ा है ?
4. थारू जनजाति की आर्थिक स्थिति पर विकास का क्या प्रभाव पड़ा है ? और उनकी जीवन की गुणवत्ता कैसी है ?
5. उत्तर प्रदेश की अनुसूचित जनजातियों में नवीनतम जनसांख्यिकीय एवं पर्यावरणीय प्रवृत्तियां विकास से कैसे सम्बन्धित हैं ?
6. तराई क्षेत्र की भौगोलिक विशेषताएं जनजातीय विकास स्वरूप से किस तरह से सम्बन्धित हैं ?
7. जनजातीय विकास कार्यक्रम कहाँ तक थारू पारिस्थितिकी को परिवर्तित करने में उत्तरदायी हैं और उनका सफलता स्तर क्या है ?
8. थारू जनजाति के मुख्य उपवर्गों का सामाजिक–आर्थिक विकास स्तर क्षेत्र के गैर जनजातियों के मुकाबले कैसा है?
9. तराई क्षेत्र एवं थारू जनजाति की मुख्य समस्याएं क्या हैं ? तथा उन्हें कैसे हल किया जा सकता है ?
10. किसी समाज के विकास में सड़क एवं शिक्षा का क्या योगदान होता है ?

भूगोल वह विज्ञान है जो पृथ्वी पर विशेषताओं के भूवैज्ञानिक वितरण एवं स्थिति का सिद्धान्तों के तार्किक विकास तथा परीक्षण द्वारा व्याख्या एवं प्रायुक्ति करने का प्रयास करेगी।

1.7 विधि तंत्र –

भूगोल वह विज्ञान है जो पृथ्वी पर विशेषताओं के भूवैन्यासिक वितरण एवं स्थिति का सिद्धान्तों के तार्किक विकास तथा परीक्षण द्वारा व्याख्या एवं प्रायुक्ति करने का प्रयास करता है। भूगोल का सम्बन्ध स्थानिक या भूविन्यासगत विभिन्नताओं से होता है। स्थानिक विभिन्नता क्षेत्र में अवलोकनों के सापेक्ष स्थिति के लिए प्रयुक्त होती है। भूतल एकद्विवीसीय स्वरूप है जिस पर एक स्थान अन्य स्थानों से सम्बन्ध रखता है। भूगोल में किसी विषय वस्तु का अध्ययन किसी समय विशेष में एक क्षेत्र की स्थिति, तथा उसके सापेक्ष की वस्तुओं के अवलोकन से विशेष रूप से संबंधित होता है। यह एक विशुद्ध वैज्ञानिक अध्ययन है। अतः भूगोल में अध्ययन के विभिन्न आधारों पर आंकलित करना आवश्यक होता है। अपने कथन को यदि हम माप नहीं सकते तो वह प्रामाणिक नहीं होता। (केल्विन 1891) अतः अध्ययन को सशक्त बनाने के लिए 20वीं शदी से मात्रात्मक विधियों पर बल दिया गया जिसका आधार सांख्यिकी एवं संगणक थे। भूगोल में मात्रात्मक क्रान्ति की नवीन पद्धति पर 1958 में एकरमैन ने विचार प्रकट करते हुए बताया कि यद्यपि भूतकाल में भौगोलिक वितरणों के विश्लेषण में सरलतम सांख्यिकी का प्रयोग किया जाता था परन्तु आज विषय जटिलतम सांख्यिकीय विधियों की ओर उन्मुख स्पेट (1960)[162] मानते थे कि नये भूगोलवेत्ता अनुभव करेंगे कि बिना सांख्यिकीय ज्ञान के वे समुचित रूप से सुसज्जित नहीं हैं। इस महत्वपूर्ण विद्या को भूगोल में लाने में वानथ्युनेन, मर्गेस्टर्न, नावर्न विनरे, हार्वे, जिफ, स्टीवर्ट, नेल्सन, गौरीसन, वेरी, शोरले, हैगेट लीस्टर, डयूरी, मैकेन, उल्मान वुंगे आदि विद्वानों का सहयोग रहा है। स्पेट महोदय ने मात्रात्मक विधियों की वकालत करते हुए स्पष्ट किया कि "सांख्यिकी सर्वोत्तम होते हुए भी अर्द्धजीवन युक्त है। शेषार्द्ध समझ एवं वितार्किक विश्लेषण है। वेरी ने स्पष्ट किया कि तथ्यों, सिद्धान्तों तथा विधि तन्त्रों के बीच स्पष्ट भेद के लिए हमें यह विधि अपरिहार्य है।

1.7.1 आंकड़ों का प्रतिचयन – सांख्यिकी के आधार यंत्र आंकड़े होते हैं। गूल्ड के अनुसार आंकड़े स्वयं बोलते हैं। किसी परिभाषित क्षेत्र में जहां विभिन्न तथ्य क्षेत्रानुसार वितरित हो भूगोलविदों का प्रथम कार्य इन तथ्यों का मापन तथा वितरण का अंकन करना है। आंकड़े किसी विषय वस्तु से संबंधित साक्ष्य तथा तथ्य होते हैं। आंकड़ों को क्षेत्र अवलोकन, अभिलेखीय स्रोतों या सैद्धान्तिक कार्य स्रोतों से प्राप्त किया जाता है जिन्हें प्राथमिक आंकड़ों एवं द्वितीय आंकड़ों में विभक्त किया जा सकता है। प्राथमिक आंकड़ों को प्रत्यक्ष प्रेक्षण, साक्षात्कार, प्रश्नावलीं अनुसूची आदि माध्यमों से सर्वेक्षण द्वारा प्राप्त किया जाता है, वहीं द्वितीयक आंकड़े प्रकाशित तथा अप्रकाशित स्रोतों/कार्यों से प्राप्त किए जाते हैं।[163] आंकड़ा अभिलेखन के लिए मानचित्र तथा सारणी का प्रयोग किया जाता है। मानचित्र, किसी क्षेत्र के यथार्थ का मापकीय प्रदर्शन होते हैं। जबकि सारणी में चरों की निश्चित विशेषताओं में आंकड़ों में ढालकर अध्ययन किया जाता है। वर्तमान समय में बढ़ते दायरों तथा विस्तृत स्वरूप के अध्ययन तथा

आंकलन के लिए चयन की आवश्यकता होती है। यह चयन स्वरूप प्रतिदर्श कहलाता है। प्रतिदर्शी के माध्यम से किया गया अध्ययन क्षेत्र के प्रतीक द्वारा प्राप्त वह निष्कर्ष होता है जो उन चयनित दशाओं वाले गुणों से युक्त अन्य स्थानों पर भी आधार बनाया जा सकता है।

प्रस्तुत अध्ययन में विषय वस्तु से संबंधित उद्देश्य, उपकल्पना तथा प्रश्नों को परखने के लिए तीन स्तर पर कार्य किया गया है –

1.7.2 आंकड़ा एकत्रण एवं सारणियन – सर्वप्रथम विषयानुगत पूर्व अध्ययनों का विश्लेषण करने के पश्चात् अध्ययन क्षेत्र का प्राथमिक सर्वेक्षण किया गया। तत्पश्चात क्षेत्र आवश्यकताओं एवं अध्ययन उद्देश्यों का अनुपालन करते हुए वैयक्तिक एवं ग्राम्य स्तरीय अनुसूची का निर्माण किया गया और आंकड़ा एकत्रण का कार्य किया गया। अध्ययन में आंकड़ा एकत्र दो स्तरों पर किया गया है – प्रथम, समष्टि स्तर पर द्वितीयक स्रोतों से, भारत एवं उत्तर प्रदेश की अनुसूचित जनजातियों के स्वरूप परिवर्तन एवं विकासात्मक पक्षों को परखने के लिए जनगणना विभाग, योजना आयोग, उत्तर प्रदेश, जनजाति निदेशालय उत्तर प्रदेश, जनजाति शोध संस्थान, समाज कल्याण विभाग, लखनऊ विश्वविद्यालय, गोरखपुर विश्वविद्यालय, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, एथनोग्राफिक एवं फाल्क कल्चरल सोसाइटी लखनऊ, गिरी विकास अध्ययन संस्थान लखनऊ, गोविन्द वल्लभ पंत सामाजिक विज्ञान संस्थान इलाहाबाद, अमीरूद्दौला लाइब्रेरी लखनऊ, आदि के पुस्तकालयों/विद्वानों से जानकारी/द्वितीयक आंकड़े प्राप्त किए गये वहीं 2. व्यष्टि स्तर पर प्राथमिक आंकड़ों के रूप में क्षेत्र में जाकर मूल दशाओं से संबंधित आंकड़े एकत्र किए गये। प्राथमिक आंकड़ों के एकत्रण हेतु न्यायादर्श चयन हेतु 5 स्तरीय कार्य योजना का अनुपालन किया गया है। प्रथम स्तर पर प्रदेश की जनपदवार अनुसूचित जनजातीय जनसंख्या का एकत्रण कर प्रदेश के सर्वाधिक थारू जनसंख्या वाले चार जनपदों – लखीमपुर खीरी, बलरामपुर, बहराइच, श्रावस्ती का चयन किया जो कुल थारू जनजाति जनसंख्या का लगभग 80 प्रतिशत भाग समाहित किए हैं। द्वितीय स्तर पर चयनित जनपदों में उच्चतम थारू जनसंख्या संकेन्द्रित तहसीलों का चयन किया गया। तृतीय स्तर पर चयनित तहसील में सर्वाधिक थारू जनसंख्या वाले विकास खण्डों का चयन किया गया। चतुर्थ स्तर पर प्रत्येक जनपद से निम्न तीन आधारों पर गांवों का चयन किया गया –

1. ऐसे थारू बाहुल्य गांव जो सड़क से दूर स्थित थे।
2. ऐसे थारू बाहुल्य गांव जिसके मध्य से पक्की सड़क गुजरती थी।
3. ऐसे थारू बाहुल्य गांव जो जनजातीय उपयोजना में विकास केन्द्र के रूप में स्थापित हुए हैं।

गांवों की संख्या का निर्धारण जनपद की थारू जनसंख्या के आकार को ध्यान में रखकर किया गया। प्रत्येक गांव से दैव निदर्शन विधि से परिवारों का चयन किया गया। और चयनित गांवों से

कुल 180 परिवारों से वैयक्तिक साक्षात्कार अनुसूची, एवं स्वयं अवलोकन के माध्यम से सामाजिक–आर्थिक एवं परिवर्तनशील दशाओं से संबंधित जानकारी प्राप्त किया गया।

तालिका 1.1 : अध्ययन के प्रतिचयन स्वरूप का विवरण

क्रम सं.	जनपद का नाम	तहसील नाम	विकास खण्ड	सड़क से दूर स्थित गांव	प्रति चयित परिवारों की संख्या	पक्की सड़क पर स्थित गांव	प्रति चयित परिवारों की संख्या	विकास केन्द्र के गांव	प्रति चयित परिवारों की संख्या	कुल
1.	लखीमपुर खीरी	निघासन	निघासन /पलिया	चौफेरी भट्ठा	6 10	पचपेड़ा ध्यानपुर	10 10	चन्दन चौकी वेलापर सुआ	15 14	65
2.	बलरामपुर	तुलसीपुर	पचपेडवा	नरिहवा भौरीशाल	6 7	चन्दनपुर	16	विशुनपुर विश्राम	11	40
3.	बहराइच	नानपारा	मिहीपुरवा	बरदिया धर्मापुर	10 15	फकीरपुरी	10	विशुनापुर	10	45
4.	श्रावस्ती	भिन्गा	सिरसिया	वनकटी	6	कटकुइयाँ कला	14	भचकाही	10	30
	योग	4	5	7	60	5	60	5	60	180

सर्वेक्षण में प्रयुक्त वैयक्तिक साक्षात्कार अनुसूची को सामान्य एवं विशेष दो खण्डों में विभक्त कर आंकड़ा एकत्र किया गया। ग्राम्य स्तरीय अनुसूची खण्डों को 4 खण्डों में विभक्त किया गया था जिसमें गांव की सामान्य दशाएं, गांव के मुखिया के विचार, प्रशासनिक अधिकारी के विचार, वन अधिकारी के विचार के खण्ड शामिल हैं। सर्वेक्षण एवं अन्य स्रोतों से प्राप्त आंकड़ों के सामाजिक–आर्थिक पक्षों के अन्तर्गत सारणीकृत किया गया। सारणीयन हेतु सांख्यिकीय विधियों एवं संगणक का सहारा लिया गया है। प्राथमिक आंकड़ों को गांव समूह के आधार पर थारू जनजातियों के 150 परिवारों तथा समाज वर्गानुसार राना के 40, कथरिया के 20, देगुरिया के 90, एवं गैर अनुसूचित जनजाति के 30 परिवारों के वर्गों के आधार पर सारणियां निर्मित की गई हैं।

1.7.3 आंकड़ा विश्लेषण – आंकड़ो के सारणियन के लिए सांख्यिकीय विधियों (औसत, प्रतिशत एवं कारक विश्लेषण), संगणक व अन्य माध्यमों के सहारा लिया गया और सामाजिक–आर्थिक दशाओं में परिवर्तन जांचने हेतु विविध आधारों पर 1970 की तथा वर्तमान स्थितियों में तुलनात्मक अध्ययन किया गया। जनजातियों के वितरण स्वरूप को समझने के लिए Location Coefficient (स्थानीय लब्धता सूचकांक)[164] ज्ञात किया गया है। वहीं अध्ययन क्षेत्र के विभिन्न विकास खण्डों एवं चयनित आंकड़ों में विभिन्न स्थानों के गाँवों तथा विभिन्न सामाजिक वर्गों को सामाजिक–आर्थिक विकास स्तर को मानक

MAP 1.1: THARU INHABITED VILLAGES OF STUDY AREA
N E P A L
KILOMETRE
DISTRICT LAKHIMPUR KHERI
DISTRICT BAHRAICH
DISTRICT SHRAWASTI
DISTRICT BALRAMPUR
GOLAGOKARANNATH
LAKHIMPUR
DHAURAHRA
SITAPUR
KAISARGANJ
PAYAGPUR
GONDA
UTRAULA
SIDDHARTHNAGAR
INDEX
NATIONAL BOUNDARY
DISTRICT BOUNDARY
TAHSIL BOUNDARY
VILLAGE BOUNDARY
THARU INHABITED VILLAGES
VILLAGES SELECTED FOR THE STUDY

संख्या रूपान्तरण विधि से ज्ञात किया गया है।यह चरों के रूपान्तरण संयोजन एवं तुलना के लिए एक उपयोगी गणना है जिसे जोन्स एवं फलैक्स ने 1970 में अपने अध्ययन में प्रयुक्त किया था।[165*]

जनजातियों के स्थानीयकरण लब्धता (संकेन्द्रण) को ज्ञात करने के लिए निम्न सूत्र का प्रयोग किया गया है।

$$LQ = T/S/TP/TS$$

जहाँ LQ = स्थानीयकरण लब्धता सूचकांक

S = अध्ययन क्षेत्र की कुल अनुसूचित जनजाति जनसंख्या

T = तहसील विशेष की अनुसूचित जनजाति जनसंख्या

TP = तहसील की कुल जनसंख्या

TS = अध्ययन क्षेत्र की कुल जनसंख्या

विभिन्न प्रकार के Z स्कोर प्राप्त करने के लिए अध्ययन के निम्न सूत्र का प्रयोग किया गया है।

$$Z = \frac{X - x}{\sigma}$$

यहां

Z = प्रत्येक पद हेतु मानक प्राप्तांक

X = मूल प्राप्तांक या आंकड़ा

X = X के सम्पूर्ण मूल्यों के लिए माध्य

σ = x का मानक विचलन है।

Z मानक की सहायता से विभिन्न आधारों पर चयनित कारकों के सामुच्चयिक प्रभाव के संदर्भ में कोटि निर्धारित किया गया जो सामाजिक–आर्थिक विकास स्तर का द्योतक है।

1.7.4 मानचित्र – अध्ययन में – भूगोल के अध्ययन के मुख्य यंत्र – मानचित्रों को तीन स्तरों पर निर्मित किया गया –

प्रथम, तराई अध्ययन क्षेत्र में शामिल थारू बाहुल्य गांवों का ग्राम स्तरीय मानचित्र निर्मित किया गया।

* हांलाकि इस आंकलन हेतु मल्टी वेरियेट एनालिसिस का प्रयोग भी किया जा सकता है परन्तु प्रस्तुत आंकलन से उदेदश्य प्राप्ति हो जाती है। अतः मल्टी वेरियेट एनालिसिस का प्रयोग आवश्यक नहीं लगता।

द्वितीय, सम्पूर्ण भारत में जनजातियों का वितरण एवं उत्तर प्रदेश में जनजातियों का वितरण जो जनगणना विभाग के आंकड़ों पर आधारित है को निर्मित किया गया है।

तृतीय, तराई की स्थिति एवं प्राकृतिक विभाग का मानचित्र, अध्ययन क्षेत्र का जनपद, तहसील, एवं विकास खण्ड स्तरीय मानचित्र तैयार किये गये जिन पर सामान्य भौगोलिक दशाओं के वितरण स्वरूप को प्रदर्शित किया गया।

स्थानीय वितरण एवं अन्य तथ्यों को प्रदर्शित करने के लिए आवश्यकतानुसार रेखाचित्रों का प्रयोग किया गया है।

अध्ययन से प्राप्त परिणामों को इसमें किए गये अन्य अध्ययन के परिणामों से तुलना किया गया और सम्पूर्ण अध्ययन को विवरणात्मक शैली में प्राप्त किया गया है।

1.8 शोध प्रबन्ध की संगठनात्मक रूपरेखा

प्रस्तुत अध्ययन को आठ अध्यायों में विभक्त किया गया है। प्रथम अध्याय, 'शोध प्ररचना एवं विधितंत्र का है, जिसके अन्तर्गत प्रस्तावना, साहित्यिक पृष्ठभूमि जिसमें, भूगोल में सामाजिक अध्ययन का आधार, सामाजिक भूगोल का विकास, भारत में जनजातीय विकास के संदर्भ में अध्ययन एवं थारू जनजाति के सामाजिक–आर्थिक तथा नृजातीय स्वरूपों पर हुए अध्ययनों का अवलोकन, अध्ययन की आवश्यकता एवं उपयोगिता, उद्देश्य, उपकल्पना, शोध प्रश्न विधितन्त्र संगठनात्मक रूपरेखा, आदि पक्षों को शामिल किया गया है। जो अध्ययन को विषय प्रवेश का आधार प्रस्तुत करता है।

द्वितीय अध्याय, भारत में जनजातीय विकास एवं संविकास की संकल्पना एवं प्रारूप का है जिसमें भारत का जनजातीय स्वरूप, जनजाति – अर्थ, परिभाषा एवं विशेषताएं, जनजातीय भारत का वर्गीकरण, भारत में जनजातीय विकास की आवश्यकता, संविधान एवं जनजातियां, नीतियां एवं कार्यक्रम, उत्तर प्रदेश में जनजातीय विकास की आवश्यकता, नीतियां एवं कार्यक्रम शामिल हैं जो अध्ययन में जनजातीय स्वरूप एवं विकास को समझने का आधार प्रस्तुत करता है।

तृतीय अध्याय अध्ययन क्षेत्र की भौगोलिक पृष्ठभूमि का है जिसमें तराई क्षेत्र का परिचय एवं विशेषताएं, अध्ययन क्षेत्र का परिचय, भौतिक संसाधन आधार – भौतिक स्वरूप, अपवाह तंत्र, जलवायु, मृदा, प्राकृतिक वनस्पति, जीव जन्तु, अभयारण्य एवं संरक्षित क्षेत्र, मानवीय विशेषताऐं –जननांकिक स्वरूप लिंगानुपात, साक्षरता, सामाजिक सरंचना, व्यवसायिक संगठन, अधिवास, धर्म भाषा मेले एवं त्योहार, कृषि एवं भूमि उपयोग, भूमि उपयोग दक्षता, फसल प्रतिरूप, शस्य गहनता, क्षेत्र के सामाजिक–आर्थिक विकास स्तर में कृषि का योगदान, औद्योगिक स्वरूप, परिवहन एवं संचार, थारू निवसित, गैर थारू निवसित, विकास खण्डों को क्षेत्र के औसत सामाजिक–आर्थिक स्वरूप से तुलनात्मक विश्लेषण किया गया है जो अध्ययन में भौगोलिक परिस्थितियों एवं स्वरूपों को तथा विकास परक्षेत्र की भौगोलिक दशाओं के प्रभाव को समझने का आधार प्रस्तुत करता है।

चतुर्थ अध्याय – थारू परिस्थितिकी का है जिसमें थारू जनजाति के जनजातीय स्वरूप एवं विशेषताओं का अवलोकन किया गया है। अध्याय में थारू जनजाति की उत्पत्ति, विशेषताएं, नामकरण, उपवर्ग, सामाजिक–सांस्कृतिक संगठन, आवास एवं उपयोग सामग्री, खानपान, परिवार, संयुक्त परिवार प्रथा, शिष्टाचार, महिलाओं की स्थिति, बिरादरी पंचायत, पुरोहित प्रथा, धर्म रीतिरिवाज, मान्यताएं, आमोद–प्रमोद, कुल देवता पूजा, संस्कार, विवाह, आर्थिक क्रियाकलाप एवं जनजातीय पारिस्थितिकी और क्षेत्र का भौगोलिक पर्यावरण आदि पक्षों को शामिल किया गया है जो थारू जनजाति के मौलिक गुणों एवं क्रियाकलापों को समझने में मदद करता है।

पंचम अध्याय – थारू जनजाति की सामाजिक–सांस्कृतिक परिवर्तनशीलता एवं संविकास का है जिसमें चयनित परिवारों के उत्तरों के आधार पर, विभिन्न थारू उपवर्गों एवं गैर जनजातीय लोगों, विकास केन्द्र पर, सड़क पर एवं सड़क से दूर स्थित गाँवों के परिवारों के सामाजिक–सांस्कृतिक स्वरूप एवं परिवर्तन का मूल्यांकन किया गया है तथा परिवर्तनशीलता का संविकासीय स्वरूप से तुलनात्मक विश्लेषण किया गया है। अध्याय में उत्तरदाताओं का परिचय, परिवारों का जनांकिक स्वरूप, यथा आयु संगठन, लैंगिक संरचना, शैक्षिक स्तर एवं शिक्षा का स्वरूप, व्यवसायिक संगठन वैवाहिक संगठन, उर्वरता जन्मता एवं मर्त्यता, जनांकिक संक्रमण, प्रवास। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण – सदस्यों की स्वास्थ्य दशा, चिकित्सा साधन एवं उपयोग स्वरूप, प्रसव सुविधा एवं उपयोग स्वरूप, परिवार नियोजन साधनों का उपयोग। उपभोग प्रतिरूप – भोजन, पहनावा, आवास, उपयोग सामग्री, मनोरंजन। परिवार समाज एवं संस्कृति – परिवार, पदाधिकार, शिष्टाचार, विवाह स्वरूप एवं विवाह पद्धति दहेज, नातेदारी, गोत्र, जाति एवं धर्म, रीतिरिवाज, प्रथाएं, जादू, संस्कार, महिलाओं की स्थिति, राजनीतिक गठन सामाजिक मूल्य, विश्वास एवं क्षेत्रीयता, सामुदायिक भावना सहयोग एवं सामंजस्य, संघर्ष एवं अपराध, शैक्षिक स्तर, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उपभोग स्वरूप भोजन वस्त्र एवं आवास, सामाजिक स्वरूप आर्थिक स्वरूप एवं परिवर्तनशीलता,आदि पक्षों का विश्लेषण किया गया है जो थारू सामाजिक–सांस्कृतिक पक्षों की परिवर्तनशीलता एवं उपयोगिता को स्पष्ट करता है।

षष्ठ अध्याय थारू जनजाति की आर्थिक परिवर्तनशीलता एवं संविकास का है जिसमें परिवारों के आर्थिक क्रियाकलाप, भूमि उपयोग, कृषि उत्पादकता, कृषि में तकनीकी साधन प्रयोग, कृषि आय उपभोग एवं बचत, आय, उपभोग, बचत, कर्ज, वर्तमान उधारी, आदि पक्षों का अध्ययन किया गया है तथा विभिन्न वर्गों के सामाजिक–आर्थिक विकास स्तर का आंकलन किया गया है।

सप्तम अध्याय – अध्ययन क्षेत्र में संचालित सरकारी एवं गैर सरकारी संगठनों का कार्यक्रम तथा उनके प्रभाव का है। जिसमें तराई क्षेत्र की समस्याएं, थारू जनजाति की समस्याएं, समस्याओं के कारण, ITDP खीरी, MADA बलरामपुर, बिखरी जनजाति परियोजनाएं बहराइच एवं श्रावस्ती द्वारा संचालित कार्यक्रमों, गैर सरकारी संगठनों एवं स्वयं सेवी संस्थाओं के कार्य तथा इनके प्रभावों का अवलोकन किया गया है।

अष्ठम अध्याय – प्रकार्यात्मक सुझाव एवं प्रस्तावित योजना का है, जिसमें निष्कर्ष, सुझाव एवं चयनित अध्ययन क्षेत्र के विकास हेतु प्रस्तावित कार्य योजना को प्रस्तुत किया गया है जो अध्ययन की उपयोगिता को सिद्ध करता है।

1.9 क्षेत्र भ्रमण एवं अध्ययन के दौरान अनुभव की गई कठिनाइयां

तराई क्षेत्र अपनी कठोर दशाओं वनों एवं नदियों के कारण विख्यात रहा है। क्षेत्र भ्रमण के दौरान शोधकर्ता को भी इन दशाओं को समझने का मौका मिला वहीं थारू परिवारों के सहयोगपूर्ण रवैये से उनके यहां खाने–पीने तथा जानकारी प्राप्त करने में मदद मिली परन्तु विस्तृत प्रश्नावली के प्रश्नों के उत्तर प्राप्त करने में एवं परिवारों से सही जानकारी प्राप्त करने में अति कठिनाई का सामना करना पड़ा, क्योंकि अधिकांश उत्तरदाता या तो प्रश्नों को अनुपयोगी मानते थे या फिर अपनी आवश्यकताओं के एवं डर से प्रश्नों के सही देने से कतराते थे परन्तु उन्हें इस अध्ययन के शैक्षिक एवं उपयोगी पहलुओं से अवगत कराते हुए अपेक्षित सूचना प्राप्त की गई।

References -

01. **Srimad Bhagwat Geeta** (2002), Gita Press, Gorakhpur.

02. Hasnain, N. (2002), ***Janjatiya Bharat,*** Jawahar Publications, Delhi, pp.6-19.

03. Basu, S. (1993), "Health Status of Tribal Women in India", *Social Change*, Vol.23(4), pp.19-39.

04. Kulamani, P. (2005), "Tribal Development in India – A Study in Human Development", *Orissa Review* (February-March, 2005), (Downloaded from www.googal.com).

05. Census of India (2001), Vol.III.

06. Risley, H.H. (1892), **Tribe and Castes of Bengal**, Bengal Secretariat Press, Kolkata, Vol.2, pp.312-321.

07. Research and Training Institute of Scheduled Castes and Tribes, Lucknow (2004), **Ethnographic Study of Tharus** (Unpublished Report), pp.3-5; and Gisele, K. (2005), "The Anthropology of Tharu an Annotated Bibliography", C.N.R.S., Paris (Downloaded from www.google.com)

08. Grierson, G.A. (1916), **The Linguistic Survey of India**, Low Price Publications, New Delhi, Vol.V & VI.

09. Maurya, S,D. (2002), ***Manav Bhoogal***, Prayag Publications, Allahabad, pp.489-491.

10. Majumdar, D.N. (1942), "The Tharus and their Blood Groups", *Journal of Royal Asiatic Society of Bengal*, Vol.VIII, No.1, p.33.

11. Singh, K.S. (1994), **The Scheduled Tribes**, Oxford Publications, Delhi, pp.1137-1140.

12. Srivastava, R.P. (1964), **The Physical Anthropology of the Tharus of Uttar Pradesh**, Unpublished Ph.D. Thesis, Lucknow University, Lucknow, pp.1-67.

13. Janjatiya Nideshalaya, Uttar Pradesh (2006), "*Anusuchit Janjati Vikas Ka Karyapurti Digdarsk*", Report, Lucknow.

14. Singh, R.L. (2004), **India – A Regional Geography**, UBS Publishers, New Delhi, pp.132-135.

15. Spate, O.H.K. (1954), **India and Pakistan** (Ch. Historical Outlines).

16. Saxena, H.M. (2004), Environmental Geography, Rawat Publications, New Delhi, p.4.

17. Dixit, R.D. (2004), ***Bhaugolik Chintan Ka Vikas: Ek Eitihasik Sameeksha***, Prentice-Hall of India, New Delhi, pp.2-4.

18. Bunge, W. (1962), **Theoretical Geography**, 1st edn., Lund Studies in Geography Series, C1, Vol.1, Lund: C.W.K. Gleerup.

19. Dixit, R.D. (1917), *op.cit.*, pp.16-18.

20. Humboldt, A. Von (1845-1862), **Kosmos**, 5 Vols., Stuttgart: Cotta (English translation by E.C. Otte, H.G. Bohn, London.

21. Hartshorne, R. (1939), **Nature of Geography: A Critical Survey of Current Thought in the Light of Past**, P.A., Association of American Geographers, Lancaster, p.97.

22. Ratzel, F. (1882 & 1891), **Anthropogeographie**, Vol.I, Stuttgart, J. Engethorn; **Anthropogeographie**, Vol.II, Stuttgart, J. Engethorn; Ratzel, F. (1897).

23. Blache, P. Vidal De La (1921), **Principes de Geographie Humaine, Paris**, Armand Colin (English Translation by M.T. Brigham, **Principles of Human Geography**, Constable Publishers, London, 1926).

24. Huntington, E. (1907), **The Pulse of Asia**, Houghton Mifflin, Boston.

25. Hartshorne (1959), **Perspective on the Nature of Geography**, Rand Mcnally, Chicago, p.47.

26. *Ibid*, p.4.

26. Harvey, D. (1985), "The Geopolotics of Capitalism", in Gregory, D. and Urry, J. (eds.), **Social Relations and Spatial Structures**, Macmillan, London, pp.126-163.

27. Fien, J. (1983), "Humanistic Geography", Huckle, J. (ed.), **Geographical Education: Reflection and Action**, Oxford University Press, Oxford, Ch.4, pp.43-55.

28. Smith, D.M. (1977), **Human Geography: A Welfare Approach**, Edward Arnold, London, pp.37-46.

29. Ahmad, Aijazuddin (1984), "Social Geography", Manzoor Alam (ed.), **A Survey of Research in Geography**, 1972-75, Indian Council of Social Science Research, Concept, New Delhi, pp.67-84.

30. Ahmad, Aijazuddin (1999), "Social Geography", Gurdev Singh Gosal (ed.), **A Survey of Research in Social Geography**, 1976-1982, Indian Council of Social Science Research, New Delhi, pp.249-309.

31. Ahmad, Aijazuddin (1999), **Social Geography**, Rawat Publications, Jaipur,p.25.

32. Eyles, John (1983), "Social Geography in International Perspective Croom Helm, London and Sydney of Particular Interest is Chapter Ten" by Robert W. Bradnoc, **Research in Social Geography**: South Asia, pp.275-295.

33. Freeman, T.W. (1971), **A Hundred Years of Geography**, Gerald Duckworth, London, pp.37-45.

34. Ahmad, Aijazuddin (1999), *op.cit. Ref.*31, pp.1-38.

35. Husain, Majid (2000), **Social Geography**, Anmol Publications, Delhi, pp.53-68.

36. Ahmad, Aijazuddin (1999), *op.cit Ref.31.*,pp.38-45.

37. *Ibid.*

38. Singh, J. (1982), ***Bhaugolik Chintan Key Muladhar*** (in Hindi), Vasundhara Prakashan, Gorakhpur, pp.12-39.

39. *Ibid.*

40. Mukherji, A.B. (1980), **The Chamars of Uttar Pradesh: A Study in Social Geography**, Inter-India Publications, New Delhi, pp.22-39.

41. Singh, L.R. (1956), "The Tharu: A Study in Human Ecology", *N.G.J.I.*, Varanasi, Vol.2(3).

42. Singh, Kashi N. (1993), "Caste and Clan in the Indian Rural Settlement System", in Aijazuddin Ahmad (ed.), **Social Structure and Regional Development: A Social Geography Perspective**, Rawat Publications, Jaipur, pp.51-75.

43. Singh, R.L. (1955), "Evolution of Settlement in Middle Ganga Valley", *N.G.J.I.*, Vol.I, September (Regional Geography of India)

44. Husain, Majid (2000), *op.cit.*.pp.54-69 & 329-354; also, Ahmad Aijazuddin (1999), *op.cit.*, pp.1-34.

45. Hudson, T.C. (1922), **The Primitive Culture of India**, The Royal Asiatic Society, London; also, Husain, Majid (2000), **Social Geography**, Anmol Publications, Delhi; Ahmad Aijazuddin, **Social Geography**, Rawat Publications, Delhi, pp.58-75.

46. Hulton, J.H. (1968), "Primitive Tribes", in O'Malley, LK.S.S. (ed.), **Modern India and the West**, Oxford University Press, London (First Edition, 1941 at Oxford), pp.415-444.

47. Stephen Fuchs (1973), **The Aboriginal Tribes of India**, The Macmillan Co. of India, Delhi, pp.1-32.

48. Dalton, E.T. (1872), **Descriptive Ethnology of Bengal**, Government of Bengal, Kolkata.

49. Guha, B.S. (1939), "The Aboriginal Races of India", *Science and Culture,* Vol.4(12), pop.677-683; Guha, B.S. (1951), "The Indian Aborigines and Their Administration", *Journal of Asiatic Society*, Vol.17(1), pp.19-44.

50. Sengupta, P.N. (1959), "The Aborigines, Their Nutrition and Welfare", *Bulletin of the Bihar Tribal Research Institute*, Vol.1(1), pp.56-66.

51. Vidyarthi, L.P. (ed.) (1959), "Anthropology and Tribal Welfare in India", *Council of Social and Cultural Research*, Bihar, Vol.1, pp.56-66.

52. Ghurye, G.S. (1963), **The Scheduled Tribes**, Popular Prakashan, Mumbai (3rd Revised Edition), pp.2-21.

53. Bhowmick, K.L. (1971), **Tribal India, A Profile in Indian Ethnology**, *The World Press,* Kolkata, pp.29-32.

54. Bose, N.K. (1971), **Tribal Life in India**, National Book Trust, New Delhi; Bose, N.K. (1972), **Some Indian Tribes**, National Book Trust, New Delhi, p.35.

55. Basu, Ashok Ranjan (1985), **Tribal Development Programmes and Administration of India**, National Book Organization, The Mail, Shimla, p.31.

56. Dube, S.C. (1977), **Tribal Heritage of India** (in IV Volumes), Vikash Publishing House Pvt. Ltd., New Delhi, pp.35-69.

57. Sharma, B.D. (1978), **Tribal Development – Concept and the Frame**, Prachi Publications, New Delhi, pp.12-35.

58. Roy Burman, B.K. (1972), "Distribution of Scheduled Tribes in India: An Exploratory Geo-cultural Appraisal", in A. Chandra Shekhar (ed.), *Economic and Socio-Cultural Dimension of Regionalization*, Census Monograph, No.7, Census of India, 1971, New Delhi, pp.491-493.

59. Srivastava, L.R.N., A.C. Pal and P. Pal (1971), **Identification of Educational Problems of Soras of Orissa**, NCERT, New Delhi, pp.19-32.

60. Mohanty, M.K., '**Tribal Society: Programme, Planning and Economic Change**,' Quoted from **Policies, Progress and Strategies for Tribal Development**, by N.K. Panda (2006), Kalpaja Publications, Delhi, pp.26-27.

61. Elwin Varrier (1950), **Bondo Highlands**, Oxford University Press, Mumbai.

62. Chatopadhya, K.P. (1953), "Tribal Education", *Man in India, A Quarterly Anthropology Journal.*

63. Nag, D.S. (1958), **Tribal Economy – An Economic Study of the Baiga**, Bharatiya Adimajati Seva Sangh, Kolkata, Kings Way, New Delhi, pp.12-32.

64. Saxena, R.P. (1964), **Tribal Economy in Central India**, K L. Mukhopadya, Kolkata, pp.21-35.

65. Rai, B.K. (1979), **Man and Forest in Chota Nagpur**, Unpublished Ph.D. Thesis, Ranchi University, Ranchi, pp.13-49.

66. Sah, D.C. (1967), "Partnership Ethics and Environmental Politics: Evidences from South-Western Tribal Belt of Madhya Pradesh" In D.C. Sah and Yatindra Singh Sisodia (eds.), **Tribal Issues in India**, Rawat Publications, Jaipur and New Delhi, pp.307-340.

67. Belsha, Cyrils (1969), **Traditional Exchange and Modern Markets**, Prentice-Hall of India Ltd., New Delhi, pp.35-47.

68. Murty, D.K. (1972), "The Tribal Situation in South India", in Suresh Singh (ed.), **The Tribal Situation in India**, pp.213-227.

69. Nair, K.S., *et.al.* (1979), "Inter-Tribal Differences in Educational Achievements", *Indian Anthropologist,* Vol.9(1).

70. Patel, M.L. (1974), **Changing Land Problems of Tribal India**, Progress Publishers, Bhopal, pp.9-32.

71. Sharma, B.K. (1980), "Tribal Employment and Linkages", *ICSSR Research Abstracts, Quarterly*, Vol.XX(1&2), pp.73-82.

72. Bose Pradeep Kumar (1981), "Stratification Among Tribals of Gujarat", *Economic and Political Weekly*, Vol.26(6).

73. Pathy, Jagannath (1981), "Class Structure in Rural Orissa", *Sociological Bulletin*, Vol.30(2).

74. Makhansjha (1982), **Readings in Tribal Culture**, Inter-India Publications, New Delhi.

75. Bhagat, L.N. (June 1983), "Factors Determining Adopting of New Agricultural Practices in Tribal Areas – A Quantitative Analysis", *Agricultural Situation in India.*

76. Kotari, K.L. (1985), **Tribal Social Change in India**, Himamshu Publications, Delhi, pp.3-19.

77. Maurya, R.D. (1985), "Education for Tribals in A.P.: Problems and Prospects", *Kurukshetra*, Vol.33(4).

78. Srivastava, L.R. (1987), "Education and Tribal Development", *Journal of Rural Development*, NIRD, Hyderabad.

79. Rama Rao, V. (1988), "Tribal Education and the Role of the Teacher", *Man and Life*, Vol.14(1&2).

80. Prasad, R.R. (1988), "Tribal Development in Indian Strategies and Programmes", *Journal of Rural Development*, NIRD, Hyderabad, Vol.7(1).

81. Mahalingam, S. (1989), "Tribal Groups and Market Development in India", *Journal of Rural Development*, NIRD, Hyderabad, Vol.8(3).

82. Sharma, R.K., Obroi, R.C., Moorti, T.N. (1989), "Agricultural Development on Tribal Forms", *Indian Journal of Regional Science*, Vol.XXI, No.

83. Shah, B. (1990), "Research on Tribal Education, Perspectives in Education", *A Journal of the Society for Education Research and Development*, Vol.6(3).

84. Khare, P.K. (1991), **Social Change of Indian Tribes**, Deep and Deep Publications, New Delhi, pp.22-39.

85. Chaudhuri, Budhadev (1992), **Socio-Economic and Ecological Development**, Inter-India Publications, New Delhi, pp.21-39.

86. Heredia Rudolf C. (1992), "Tribal Education in India", *New Frontiers in Education*, Vol.XXII(9).

87. Bhange, N.P. (1993), **Tribal Commissions and Committees in India,** Himalaya Publishing House, New Delhi, pp.35-42.

88. Thakur, D.N. (1995), **Tribal Development and Planning (Tribal Life in India-9)**, Deep and Deep Publications, New Delhi, pp.13-21.

89. Kesavan Veluhat (2004), "From Tribe to Caste: The Koragas of South Ranara", in B.B. Chaudhary and Arun Bandopadhyay, *op.cit.*, p.51-65.

90. Sudarsan, V. and Thamizoll, P. (1996), "Bio-Diversity, Sustainable Agriculture and Tribal Farmers", Published in Sources of Human Ecology, 7(10 1-8).

91. Xaxa, Virginius (2003), "Tribes in India", in Veena Das (ed.), **The Oxford India Companion to Sociology and Social Anthropology**, Oxford University Press, Delhi, pp.373-407.

92. Haimondorf Furer (1945), **The Reddies of Bison Hills: A Study of Acceleration,** in 2 Vols., Macmillan and Co., London.

93. Mohan, R.K. (1993), **Socio-Cultural Profile of Tribes of Andhra Pradesh**, Hyderabad, pp.35-49.

94. Sharma, B.D. (1984), **Planning for Tribal Development**, Prachi Prakashan, New Delhi, pp.75-79.

95. Ramachandran, H. (1980), **Village Clusters and Rural Development**, Concept Publishing House, New Delhi.

96. Horman, M. (1985), "Social Change in Nagaland", *The Northern East Research Bulletin*, p.6.

97. Kothari, K.L. (1978), *op.cit.*

98. Kumar, P.M. (1975), "The Status of Women in Tribal Society with Special Reference to the Tribes in Andhra Pradesh", *Tribe*, Vol.9(3).

99. Nayer, D.P. (1974), "Education for Tribes", *Kurukshetra*, Vol.23(4), pp.35-40.

100. Sharma, B.D. (1978), *op.cit.*

101. Mishra, Udayon (1978), "The Naga National Question", *Economic and Political Weekly*, Vol.13(4).

102. Patrik Clarence, H. (1968), "The Criminal Tribes of India with Special Emphasis on the Mong Garudi", *Man in India*, Vol.48(3).

103. Panigrahi, N. (2001), "Impact of State Policies on Management of Land Resources in Tribal Areas in Orissa", *Journal of Man and Development*, Vol.XXIII(1), March 2001.

104. Saksena, H.S. (1978), "Debt Bondage", *The Eastern Anthropologist*, Vol.31(3).

105. Singh, K.S. (1978), "Colonial Transformation of Tribal Societies in Middle India", *Economic and Political Weekly*, Vol.XIII(30), July 29, pp.1221-1232.

106. Srivastava, K.B. (1977), "Tribal Society of Chotanagpur", *Journal of Social Research*, Vol.20(2).

107. Sharma, R.S. (ed.) (1974), **Indian Society: Historical Probings**, Peoples Publishing House, New Delhi, pp.47-57.

108. Majumdar, D.N. (1972), "A Study of Tribe Caste Continuum and the Process Sanskritization among the Bodo-Speaking Tribes of the Garo Hills", in Singh, Suresh K. (ed.), **Tribal Situation in India, Indian Institute of Advanced Study**, Simla.

109. Singh, S.B. (1975), **Rural Settlement Geography of Sultanpur District**, Uttar Bharat Bhoogol Parishad, Gorakhpur.

110. Chaudhury, Sukant K. (2004), **Some Aspects of Indian Anthropology**, Institute of Social Research and Applied Anthropology, Kolkata.

111. Sah, D.C. (2004), *op.cit.*, p.204.

112. Srivastava, V.K. (2005a), "On the Concept of Nature", in Nadia Tazi (ed.), **Keywords,** Nature, Vistaar Publication, New Delhi; and Other Press, New York, pp.141-185.

113. Jain, Ashoka Lata (1972), **Tribal Territories in India: An Exploratory Analysis**, Unpublished M.Phil Dissertation, Centre for the Study of Regional Development, Jawaharlal Nehru University, New Delhi.

114. Joshi, Vidyut (1998), "Genesis of Tribal Problems", in Vidyut Joshi (ed.), **Tribal Situation in India: Issues in Development** (with Special Reference to Western India), Sardar Patel Institute of Economic and Social Research, Ahmedabad; and Rawat Publications, Jaipur and New Delhi, pp.13-27.

115. Mishra, Ujjwal (2002), "The Jarawa: Contact and Conflict", in K. Mukhopadhyay, R.K. Bhattacharya and B.N. Sarkar (eds.), **Jarawa Contact, Ours with Them, Theirs with Us**, Anthropological Survey of India, Kolkata, pp.13-19.

116. Singh, K S. (1992), "The People of India: An Introduction", Vol.I, *Anthropological Survey of India*, Kolkata.

117. Mohanty, B.B. (2006), **Tribal Development in India,** *Internet.*

118. Ahmad, R. (1993), **India by Al Beruni,** ***National Book Trust, New Delhi.***

119.Atkinson (1982), **Kumaun Hills, History, Geography and Anthropology with Reference to Garhwal and Nepal**, Cosmo Publications, New Delhi.

120. Singh, L.R. (1998), "Eco-Developmental Approach to Tribal Development", in Saksena, H.S. (ed.), **Perspective in Tribal Development – Focus on Uttar Pradesh**, Ethnographic and Folk Culture Society, Lucknow.

121. Hasan, Amir (1993), **Affairs of an Indian Tribe: The Story of My Tharu Relatives**, New Royal Book Co., Lucknow.

122. Griersen, G.A. (1916), *op.cit.*, Vol.V&VI.

123. Risley, M.H. (1892), *op.cit.*

124. Nesfield, J.L. (1885), "Description of Manners Industries and Religion of the Tharu and Bhoksa Tribes of Upper India", Revenue Office, *Kolkatta Review*, 46.

125. Srivastava, R.K. (1981), "Psychological Characteristics of Tharus & Non-Tharus: A Cross Cultural Study", *Journal of Psychological Researches*, Vol.25, pp.2154-2158.

126. Srivastava, S.K. (1958), **The Tharus: A Study in Cultural Dynamics**, Agra University Press, Agra.

127. Majumdar, D.N. (1944), **The Fortunes of Primitive Tribes**, Universal Publishers, Lucknow.

128. Vidyarthi, L.P. and Jha, M. (1986), **Ecology, Economy and Religion in the Himalayas**, Orient Publishers, Delhi.

129. Bista, D. B. (1972). 'The Tharu', in **People of Nepal**, Ratna Pustak Bhandar, Kathmandu, pp.118-127.

130. Mujtaba, S.M. (1981), "*Tharu Janjati Ki Arthvyavastha Mein Krishi Ki Bhoomika*", *Manav*, Vol.9(4), pp.193-196 (Hindi).

131. Verma, M.M. (1996), **Tribal Development in India: Programmes or Perceptions**, Vedars Books Pvt. Ltd., New Delhi.

132. Andre Beteille (1971), "The Definition of a Tribe", Romesh Thapar (ed.), **Tribe, Caste and Religion**, p.7.

133. Elwin Varrier (1965), The Religion in Tribe, Oxford University Press, London.

134. Ghurye, G.S. (1963), **The Scheduled Tribes**, Popular Prakashan, Mumbai.

135. Vidyarthi, L.P. (1978), "Tribal Ethnography of the Himalayas" in **Rise of Anthropology in India**, Vol.I, Concept Publishing Company, Delhi, pp.30-138.

136. Hutton, J.H. (1986), **Census of India, 1931 with Complete Survey of Tribal Life and System**, Vol.I, II & III, Gyan Publishing House, New Delhi.

137. Tripathi, M. (1983), "*Kumaon Ki Tarai Ka Prakriti Putra – Tharu*", *Vanyajati*, Vol.31(3), pp.7-11.

138. Kochar, V.K. (1958), **Family System in a Tharu Community**, Ph.D. Thesis, University of Lucknow, Lucknow.

139. Bisht, B.S. (1993), "Tharu Janjati Mein Samajik Sangthan Ke Swarup Tatha Unka Aarthik Jeevan Per Prabhav", *Manav*, Vol.21(2), pp.83-110 (Hindi).

140. Majumdar, D.N. and Kishan, K. (1947), "Blood Groups Distribution in the United Provinces, Report on the Serological Survey of Uttar Pradesh", *Eastern Anthropologist*, Vol.1(1), pp.8-15.

141. Sharma, P.N. (1988), **Critical Appraisal of Integrated Tribal Development Projects in Uttar Pradesh**, Yojana Bhawan, Lucknow.

142. Hasan Amir (1971), **A Branch of Wild Flowers and Other Essays**, Ethnographic and Folk Culture Society of Uttar Pradesh, Lucknow.

143. Srivastava, R.P. (1965), "A Quantitative Analysis of the Fingerprints of the Tharus of Uttar Pradesh", *American Journal of Physical Anthropology*, Vol.23(1), pp.99-106.

144. Saxena and K.D. Kappor (1979), "A Study of Culture, Contact and Adjustment Pattern of Tharus", *Indian Journal of Clinical Psychology*, Vol.6, pp.131-134.

145. Seth, M. and R.K. Srivastava (1979), "A Cross Cultural Study of Neuroticism Among Tribal and Non-Tribal Boys", *Indian Journal of Clinical Psychology*, Vol.6, pp.73-74.

146. Saxena, D.N. (1985), "Two Most Fertile Tribes of Uttar Pradesh", *The Hindustan Times*, October 12.

147. Srivastava, R.K., M.K. Sakzena and V. Saxena (1980), 'Personality Differences in Young Tribals and Non-Tribals", *Journal ofSocial and Economic Studies*, Vol.8(1), pp.117-122.

148. Srivastava, R.K. (1988), 'Culture Contact and Childrearing Attitude of Tharu Tribals in India', paper accepted for presentation at 29th International Congress of Psychology, Sydney, Australia, August 28-Septe.2.

149. Sankhya, A.R. (1998), "Trends of Demographic Changes in Tharu", pp.286-295, Saxena and Others (eds.), **Perspectives in Tribal Development**, Ethnographic & Folk Culture Society, Lucknow.

150. Umakant Singh and A.K. Singh (2005), "Level of Literacy Among the Tharus of Mihinpurwa Block, Bahraich District, U.P.", *Geographical Review of India*, Vol.67.

151. Srinivasan, A. & Akhilesh Rajan (2006), "Frontiers Identity of the Tarai, The Tharu", (ed. by) Saxena, H.S. and Others, **Scheduled Tribes and Development**, by Serial Publications, New Delhi, pp.99-134.

152. Basu, S.K. and Chattopadhyaya, P.K. (1967), "ABO Blood Groups and ABH Secretion in Saliva of the Rana Tharu", *Eastern Anthropologist*, Vol.20 (3), pp.269-277.

153. Bhatnagar, P.P. (1964), Census of India, 1961, **Uttar Pradesh Village Survey, Monograph No.3, Village Suganagar Domiri**, Manager of Publications, Delhi.

154. Bhatti, J.P. (1975), "Consumption Behaviour of Tharu Tribals", *Vanyajati*, Vol.23 (1), pp.13-15.

155. Bisht, B.S. (1997), **Tharu Janjati Mein Holi Ke Do Paksh: Ujli Aur Aneri Holi, in'Uttaranchal Grammen Samudaya**, Shree Almora Book Depot, Almora, pp.174-176 (Hindi).

156. Blunt, E.A.H. (1912), **United Provinces of Agra and Oudh**, Census of India, 1911, Superintendent of Government Press, Allahabad.

157. Chauhan, A.S. *et.al*, (1991), "Demographic Profile of Tribal Population of Uttar Pradesh", in **Tribal Demography of India**, by R.N. Pati and L. Jagteb, Ashish Publishing House, Delhi.

158. Crooke, W. (1968), **The Tribes and Castes of the North-Western Provinces of Agra and Oudh**, Vol.2, Calcutta, Superintendent Government Press.

159. Khanna, D.P.S. (1992), "Tharu Evam Bhoksa Jati Ki Bhumi Samasya", in **Glimpses of Tribal Life**, by D.P.S. Khanna', Sarita Book House, Delhi (Hindi).

160. Link (1981), "Tharu-Bhoksa Tribals: What is Future", *Link*, Vol.24(9), p.20.

161. Jain, B.C. (1991), "Tharu Tribe and the Institution of Marriage", *Man and Life*, Vol.17(3-4), pp.163-168.

162. Spate, O.H.K. (1960), "Quality and Quantity in Geography", *Annals of Association of American Geography*, Vol.50, pp.477-494.

163. Yadav, H.L. (1994), ***Shodh Pravidhi Evam Matratmak Bhugol***, Radha Publications, Delhi, pp.1-30.

164. Mukherjee, A.B. (1980), *oip.cit.*

165. Yadav, H.L. (1994), *oip.cit.*, pp.291-292.

————:0:————

अध्याय–2

भारत में जनजातीय विकास एवं संविकास - संकल्पना एवं प्रारूप
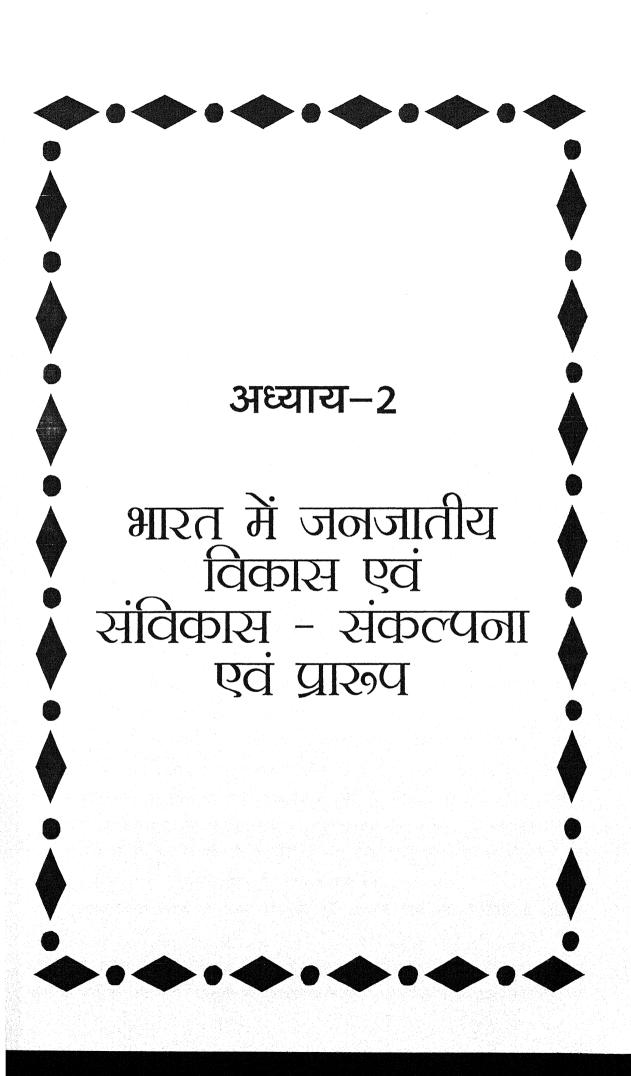
अध्याय – 2

भारत में जनजातीय विकास एवं संविकास – संकल्पना एवं प्रारूप

2.1 परिचय –

मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, समय के साथ होते परिवर्तनों के परिणामतः बढ़ती सजातीयता एवं सुनियोजितता का प्रभाव, मानव समाज के प्रत्येक वर्ग पर दिखता है। आदिवासी जो पूर्व यान्त्रिक अर्थव्यवस्था, आपरिष्कृति अनुष्ठान तथा सामाजिक प्रथाओं अविकसित भाषा एवं बोली तथा स्थानीय एवं सजातीयता युक्त समाज की, विशेषताओं से युक्त है। औद्योगिक संकीर्णता एवं वाह्य प्रभावों से अपनी मौलिक संस्कृति से दूर हटते जा रहे हैं। सभ्यता की प्रगति पर्यावरण के साथ–साथ समाजों एवं संस्कृतियों का विनाश कर रही है।[1]

हजारों वर्षों से जंगलों व पहाड़ों मे रह रही आदिमजनजातियों ने खुले मैदानों के सभ्यता केन्द्रों में बसे लोगों से बिना सम्पर्क किए अपने अस्तित्व को बनाए रक्खा है। यह कम जनदवाव एवं उन्नत समुदायों द्वारा अपने मूल्यों को आरोपित करने की तीव्र इच्छा न होने के कारण भी रहा है। परन्तु समय के साथ बढ़ती जनसंख्या तथा संचार साधनों के विस्तार के साथ इनका संपर्क बढ़ा। एक समान प्रशासन के लिए सम्पूर्ण देश के प्रत्येक उपखण्ड में अधिकारियों की पहुँच हुई जिससे वहाँ की शक्ति एवं सम्पदा को हड़पने तथा इन मासूमों के शोषण की प्रक्रिया प्रारम्भ हुई। उन्होंने जनजातियों के भूमि को हड़पा इनके मूल आवास एवं खेतों एवं वनसम्पदाओं पर कब्जा करके उनका हर दृष्टि से शोषण किया।[2] कुछ अंशों में सांस्कृतिक परिवर्तन तो आया परन्तु वे वर्तमान आर्थिक प्रणाली से समायोजन नहीं कर सके एवं महाजनों के हाथों शोषण के चक्रव्यूह में फँस गये।[3]

भारत में जनजातियों के संदर्भ में आर्यों के आक्रमण तक का इतिहास अस्पष्ट एवं दुर्बोध हैं। परन्तु यह स्पष्ट है कि भारतीय आदिवासी एकसमान प्रजाति के नहीं हैं। यहाँ एशिया के विभिन्न दिशाओं से प्रवेश पाने वाले प्रजातीय समूह भी हैं।

जो प्रजातीय अप्रवास प्रागैतिहासिक काल के अन्तिम चरण में हुआ तथा जो भारत की संस्कृति तथा इतिहास के स्वरूप निर्धारण का सर्वाधिक गम्भीर कारण बना, वह ईसा पूर्व द्वितीय सहस्राब्दी में आर्यो का था। भारत की सीमा पर आर्य सर्वप्रथम कब प्रकट हुये यह अभी भी ज्ञात नहीं है। आर्यों के प्रारम्भिक अप्रवासन तथा विजय का प्रागैतिहासिक प्रमाण अत्यन्त सूक्ष्म है तथा कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के विश्वसनीय उत्तरों की अभी भी मांग है। क्या विजित लोग सिन्धु घाटी की सभ्यता के लोग थे ? क्या वे द्रविड़ भाषा बोलते थे ? इत्यादि प्रश्न इस सन्दर्भ में उठते हैं।

ऋग्वेद काल (2000 से 1000 वर्ष ईसा पूर्व) असमान वन्य आर्य प्रजातियों के देश के उत्तरपश्चिमी क्षेत्रों में प्रवेश का साक्षी था जिसमें वे न केवल परस्पर लड़ रहे थे अपितु अनाथ जनजातियों के विरुद्ध मृत्युपर्यन्त युद्ध छेड़ रहे थे। वज्र धारण किए हुए वज्राघात करने वाले इन्द्र का दासों के दुर्गों को नष्ट करने, दस्युओं पर शरप्रहार करने का उल्लेख मिलता है। आर्यों की शक्ति तथा

गौरव की वृद्धि हेतु उनका आह्वान किया गया। वह दस्युओं व समस्युओं दोनों का वध करते हैं। सरस्वती परुश्नी नदी के किनारे बसने वाली एक शत्रुतापूर्ण जनजाति पर्वता को मार डालते हैं। विष्णु वृषहनु दस्युओं को युद्ध में पराजित कर लेते हैं तथा इन्द्र के साथ मिलकर सम्वराओं के दुर्गों को नष्ट कर देते हैं। असुरों (जिन्होंने आर्यों के एक ऋषि दभिति के नगर पर अधिकार कर लिया था) को इन्द्र द्वारा पराजित कर दिया गया तथा वे अपने लूट के माल से वंचित कर दिये गए। भारतीय जनजातियाँ सभ्यता की अनुवर्ती होकर निष्क्रिय नहीं बनी रहीं बल्कि इतिहास की स्थिरता तथा गतिशीलता के प्रति प्रतिक्रियाएँ भी व्यक्त कीं। उनकी भूमिका प्राचीन ग्रन्थों में आये सौरसों, किन्नरों तथा किरातों जैसे सन्दर्भों तक ही सीमित नहीं है। यह उपमहाद्वीप में प्रजातियों तथा संस्कृतियों के संयोजन की प्रक्रिया, हिन्दू धर्म की विवृद्धि तथा उसकी दंतकथाओं तथा मिथकों, जादू तथा धर्म, परम्पराओं तथा प्रथाओं के रवा हीन (अक्रिस्टलीय) पुंज का अंग है। भारतीय जीवन में जनजातीय अन्तर्वस्तु की तुलना समुद्र में एक बर्फ के टुकड़े से भी की जा सकती है तथा इनकी पहचान आर्यों तथा द्रविड़ों के समान की जा सकती है। सजातीय व सांस्कृतिक दृष्टि से जनजातीय जन समूहों का प्रादुर्भाव तथा उसका प्रबल समाज में अन्तर्लयन एक ऐसी प्रक्रिया है जो आज तक चल रही है।

आर्यों तथा अनार्यों के संविलयन की प्रक्रिया चलती रही। उत्तर वैदिक काल (1000 से 600 वर्ष ईसा पूर्व) में हिन्दूवाद के उद्भव, जनजातियों के आर्यीकरण तथा आर्यों के जनजातीयकरण की दोहरी प्रक्रियाओं के चलते रहने से लक्षणान्वित हैं। दो महाकाव्यों – रामायण तथा महाभारत – जिनका ऐतिहासिक महत्त्व कुछ भी हो, में जनजातियों, जैसे – शूद्र, अभीर, द्रविड़, पुलिन्द, शवरा अथवा सौर का सन्दर्भ आता है। इनमें से एक सर्वाधिक सुपरिचित है और सम्भवतः वह एकमात्र जनजाति है जो आज भी विद्यमान है तथा जिसके सबसे प्रारम्भिक सन्दर्भ "ऐतरेय ब्राह्मण" में खोजे जा सकते हैं, वह है शवरी जिसने राम को फल भेंट किये थे। वेरियर एलविन के शब्दों में "शवरी ऐसे योगदानों का एक ऐसा प्रतीक बन चुकी है कि जनजातियाँ भारत के जीवन का निर्माण कर सकती हैं और करेंगी।"[4] उस समय ज्ञात जनजातियों में से अधिकांश के महाभारत तथा असंख्य घटनाओं में सम्मिलित होने का दावा किया गया है। एकलब्य नामक एक भील जिसने द्रोणाचार्य को अपना अँगूठा अर्पित कर दिया था, दंत कथाओं में एक आदर्श शिष्य के रूप में वर्णित किया गया है। मुण्डा तथा नागाओं ने कौरवों की ओर से पाण्डवों के विरुद्ध लड़ने का दावा किया है। भीष्म का पुत्र घटोत्कच, जिसने युद्ध में असाधारण वीरता का प्रदर्शन किया था, का जन्म भीम की जनजातीय पत्नी से हुआ था। अर्जुन ने एक नागा राजकुमारी चित्रांगदा से विवाह किया था।

प्रारम्भिक ऐतिहासिक काल की मुख्य भारतीय धारा में उल्लेखनीय योगदान एवं भागीदारी की दृष्टि से नागाओं का व्यापक अध्ययन महत्त्वपूर्ण है। ऐतिहासिक अथवा मिथक नागाओं का हिन्दू समाज में इतनी पूर्णता के साथ संविलयन हो गया है कि आज उनका चिह्न भी शेष नहीं रह गया है। उल्लेखनीय है कि नागालैण्ड के नागाओं का उनके प्रसिद्ध नामधारियों से कोई सम्बन्ध नहीं है। नागाओं के प्रभाव की सीमा को नागपंचमी मनाये जाने, विष्णुमत पर नाग सम्प्रदाय (पंथ) के प्रभाव

(विष्णु की शेष शैय्या) तथा शैववाद, महाबलीपुरम् तथा राजगृह की मूर्ति कला में, एवं तक्षशिला, अनन्तनाग, नालन्दा, नागपुर तथा छोटा नागपुर जैसे स्थानों पर नागा रूपांकन से जाना जा सकता है। महाभारत एक प्रकार से मुख्यतः एक नाग–कथा है। बुद्ध ने कुछ नागाओं का धर्मान्तरण किया था। नागापंथ कश्मीर घाटी में तथा नांगशक्ति मध्य भारत में द्वितीय शताब्दी तक जीवित रही। नागदत्त, नागसेन, नागदेव आदि नाग उपासना वाले बहुत से नाग उनके प्रभाव को और भी प्रमाणित करते हैं।[5]

ऐतिहासिक काल के प्रारम्भिक चरण में आक्रमणकारियों तथा मुगल साम्राज्य शक्तियों द्वारा छोटी जनजातीय टुकड़ियों को पराधीन बनाया गया। अजातशत्रु ने वैशाली जनजातीय गंणतन्त्र को नष्ट कर दिया। सिकन्दर ने उत्तर पश्चिमी सीमा पर जनजातियों का सफाया कर दिया। अर्थशास्त्र में अतविक का सन्दर्भ आता है जिसे शक्तिशाली विरोधी माना जाता है। अशोक ने उत्तरी पश्चिमी जनजातियों को धमकी दी थी कि यदि उन्होंने विद्रोह किया तो उसके घातक परिणाम होंगे, जबकि उसने अपने राज्य की वन्य जनजातियों को अपनी शरण देने का आश्वासन दिया।

शर्मा[6] इस काल की सामाजिक संरचना के बारे में विस्तार से वर्णन करते हैं। उनका कथन है कि धम्म सूत्र (600 से 300 वर्ष ईसापूर्व) तथा मनुस्मृति (200 ईसापूर्व से 200 ईसवीं वर्ष) संविलयन व आत्मसात करने की प्रक्रिया को चलाते रहे। मिश्रित जनजातियों की संकल्पना इस प्रवृत्ति की व्याख्या करने की केवल एक काल्पनिक व सुविधाजनक विधि है। ये तथाकथित मिश्रित जातियाँ एक जाति के पुरुष तथा दूसरी जाति की स्त्री से उत्पन्न अनवित सन्तान थीं। इनमें से कुछ सम्भवतः ब्राह्मणीकृत जनजातियाँ जिन्हें मिश्रित जातियाँ नामपत्रित किया गया, निषाद थीं जिन्होंने इस काल में अपनी प्रारम्भिक स्थिति खो दी। ये आखेट करके अपना जीवन यापन करने लगे। मेदा, आन्ध्रा, मद्‌गा, चेंचू लोग वन्य पशुओं का शिकार करते थे, कसाहलस, उर्गा, पुक्कास जो पशुओं तथा पक्षियों को पकड़ते थे, अयोगवा वनों में काम करते थे, वेरा नगाड़ा बजाते थे तथा सरेंधा नौकरों तथा कुशल प्रसाधकों के रूप में कार्य करते थे। चाण्डालों की जो एक और जनजाति थी उसका हिन्दू समाज में संविलयन हो गया, तथा उन्हें पशुओं एवं मनुष्यों के शवों को हटानें, अपराधियों के अंगों को काटने और उन्हें कोड़े लगाने का कार्य सौंपा गया। इस प्रकार जनजातियों को हीन बनाने की प्रक्रिया चलती रही।

जनजातियाँ पृथक एवं अलगाव में जीवन नहीं व्यतीत कर रहीं थीं, यह बात इस तथ्य से प्रकट है कि इनमें से अनेक उप–पौराणिक एवं महाकाव्य–काल की परम्पराओं की मिथकों तथा लोकवार्ताओं में सम्मिलित हैं। राम, सीता, लक्षमण, रावण तथा भीम आदि महाकाव्यीय नायकों का मध्य भारत की कटु जनजातियों पर प्रभाव उनके द्वारा संचित मिथकों तथा कथाओं से प्रमाणित हैं। गोंड अपने को रावण की सन्तान कहते हैं। मनु एक अन्य पौराणिक व्यक्ति हैं जिन्होंने जनजातियों को गहनता से प्रभावित किया। इसीलिए मुण्डा, जनजाति के लोग उन्हीं के नाम पर स्वयं को "मनोआको" पुकारते हैं।

प्राचीन संस्कृत साहित्य उनके वर्णनों से परिपूर्ण है। पंचतंत्र तथा कथासरित्सागर में उनका रूमानी एवं मैत्रीपूर्ण परिप्रेक्ष्य में वर्णन प्रस्तुत किया गया है। विष्णु पुराण में उन्हें चपटी नासिका वाले

बौनों के रूप में वर्णित किया गया है। कादम्बरी तथा हर्षचरित में वाण भट्ट ने 'सओरा प्रमुख' का विस्तृत वर्णन किया है।

सामन्त काल 400–1000 ईस्वीं में जनजातीय क्षेत्रों को अपेक्षाकृत अधिक खुलापन प्राप्त हुआ तथा जनजातीय मुखियों का हिन्दुत्वीकरण हुआ। ब्राह्मण पुजारियों ने उनके लिए उपयुक्त पौराणिक वंशावली तैयार की तथा सत्ताधारी ब्राह्मण वर्ग ने जनजातियों के सांस्कृतीकरण तथा ब्राह्मणीकरण की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया। इसके पश्चात् 11वीं तथा 12वीं शताब्दियों में मुसलमान राजाओं के आक्रमण के कारण उनकी अधीनता न स्वीकार करने वाले राजपूतों का जनजातीय क्षेत्रों में प्रवेश प्रारम्भ हुआ जिसके फलस्वरूप बहुत सी जनजातीय टुकड़ियाँ नष्ट हो गईं।

इस प्रकार राजपूतों ने शाहाबाद से चेरो लोगों को निष्कासित कर दिया तथा बिहार के दक्षिण में मुंगेर जनपद में भूमिया जनजातियों का स्थान चन्देलों ने ले लिया।

मुस्लिम शासनकाल (12वीं से 18वीं शताब्दी) में एक नए दृष्टिकोण के दर्शन होते हैं। तुर्क, अफगानी तथा मुगल शासकों ने अधिकांश जनजातीय मुखियों अथवा मध्यभारत तथा बिहार के जनजातीय क्षेत्रों में हिन्दू शासकों की मात्र औपचारिक निष्ठा की माँग की। सन् 1585 तथा 1616 ईस्वी में मुसलमान सेनाओं ने छोटा नागपुर में प्रवेश किया तथा खुकरा के राजा को अपने अधीन कर लिया। इस प्रकार असम के जनजातीय क्षेत्रों को एक अन्य मुसलमान सेनानायक ने अपने अधीन कर लिया। सन् 1661 ई. के आसपास दाऊदखाँ ने पलामू के चेरों को अधीन कर लिया। इस काल में उत्तरपश्चिमी सीमा क्षेत्र में कुछ जनजातियों का इस्लाम धर्म में धर्मान्तरण हुआ। पीर सैय्यद शाह कमाल जिन्होंने नरों के मध्य तथा पीर सैय्यद मुहम्मद जिन्होंने कोलों के बीच कार्य किया। ऐसे कुछ मुसलमान संत हैं जिन्होंने जनजातीय क्षेत्रों की सीमा पर कार्य किया तथा अपने धर्म का प्रचार किया।

भक्ति आन्दोलन जैसे हिन्दूधर्म की कतिपय धाराओं ने भी मुण्डा तथा ओराँव जैसी जनजातियों को प्रभावित किया। चैतन्य महाप्रभु झारखण्ड से गुजरे और मुण्डा क्षेत्र में कार्य करते हुए बिनन्ददास जैसे वैष्णव प्रचारकों ने बहुत सी जनजातियों का धर्मान्तरण किया। भुइयां लोगों का पूर्णरूपेण हिन्दूकरण हो गया तथा उन्होंने अपनी सभी जनजातीय विशेषताओं को खो दिया।[7] जनजातियों में अनुवर्ती भक्ति आन्दोलन की जड़ों को वैष्णव प्रभाव में खोजा जा सकता है। असम में अहोमों के धर्मान्तरण से अधिक स्पष्ट उदाहरण और कोई नहीं है ।

इसके पश्चात् अब अँग्रेज उपनिवेशवादी अपनी आधुनिक प्रौद्योगिकी, नवीन उपागम तथा निहित स्वार्थों के साथ प्रकट हुए। अँग्रेजी शासन के उद्‌भव का अर्थ जनजातीय क्षेत्रों का समुद्री किनारों तथा बिहार तथा बंगाल में प्रवेश था। जनजातीय टुकड़ियों के बीच में ग्राण्ड ट्रंक रोड के निर्माण ने बाहर से व्यापारियों, साहूकारों तथा भूमि पर कब्जा करने वाले परदेसियों के प्रभाव में तेजी ला दी। इसके आगे बढ़ती हुई जनसंख्या के दबाव तथा जमींदारों द्वारा क्रूर शोषण तथा दमन ने किसानों तथा कारीगरों का अनधिगम्य जनजातीय क्षेत्रों में प्रवसन को सुविधाजनक बना दिया। ईसाई मिशनरियों को भी इसमें उनका हिस्सा मिल गया।

अठारहवीं शताब्दी में जनजातीय क्षेत्रों में जनजातीय व्यवस्था के भंग हो जाने की स्थिति में जनजातियों की चिरस्मरणीय सहनशक्ति तथा धैर्य का बाँध टूट गया। अठारहवीं शताब्दी के अन्त में पहाड़िया लोगों का विद्रोह, मुण्डा विद्रोह (1789–1901), संथाली विप्लव (1855–56), भील विद्रोह (1879–80), बस्तर विद्रोह (1910–11) तथा गोंड विद्रोह (1940) भारत की जनजातियों में नयी जागरूकता के कुछ उदाहरण हैं।

भारतीय जनजातियों की इस ऐतिहासिक यात्रा में एक दूसरा अत्यन्त उल्लेखनीय व ध्यान देने योग्य बिन्दु, भारत के तीन बड़े धर्मों का हस्तक्षेप है, जहाँ एक ओर हिन्दू तथा इस्लाम धर्म अधिकतर कगार पर ही रुक गए, अधिकांश मामलों में ईसाई सम्प्रदाय के लोग ब्रिटिश शासकों की संरक्षता में जनजातीय क्षेत्रों में बहुत अन्दर तंक प्रवेश कर गए। यह आगे चलकर जनजातियों में अनेक आन्दोलनों, जिनमें पुनः जीवन संचार (Revitalization) आन्दोलन भी शामिल हैं, का कारण बना। ऐसे आन्दोलनों में खेखर आन्दोलन (1871–80) सरदारी आन्दोलन (1881–95), बिरसा आन्दोलन (1895–1901), ताना भगत आन्दोलन (1920–35) तथा इसी प्रकार के दूसरे बहुत से आन्दोलन शामिल किये जा सकते हैं। कृषि एवं सांस्कृतिक मामलों से सम्बन्धित आन्दोलनों ने अनेक उच्च स्तरीय, राजनैतिक, धार्मिक नेताओं को उभारा जिन्होंने आनेवाले अनेक दशकों में जनजातीय चिन्तन को गहनता से प्रभावित किया।

ब्रिटिश उपनिवेशवासियों की विदाई तथा स्वतन्त्र भारत के उदय के साथ देश की जनजातीय नागरिकों को उचित न्याय व व्यवहार देने का वादा किया गया। भारत की स्वतंत्रता ने संवैधानिक प्राविद्यानों के तहत संपूर्ण दृश्य लेख को परिवर्तित किया है। जनजातीय लोग अब निद्रा से जाग चुके हैं। सड़कें प्रत्येक स्थान पर उनका मार्ग बना रही हैं। जो अबतक वास्तव में अनाधिगम्य थीं जैसे–जैसे शिक्षा का प्रसार हो रहा है वैसे–वैसे जनजातीय ग्रामों की सामाजिक तथा आर्थिक स्थिति क्रान्ति उत्पन्न कर रही है। तथा नई कुशलताओं को जन्म देने के साथ नई माँगों का सृजन कर रही है। अव जहां वे अपनी समस्याओं के समाधान खोजने के प्रति जागरुक होने लगे हैं। वहीं जनजातीय लोगों को अपने इतिहास के अपूर्ण विकासात्मक संकट का सामना भी करना पड़ रहा है। जनजातियों को अपने समाज में अपने सम्मान के अनुरूप अपने लिए एक स्थान की खोज करनी होगी। किन्तु यह भारत की एकता अथवा शक्ति का बिना किसी प्रकार के क्षति पहुँचाए करना होगा उन्हें स्वयं को विकासशील समाज की चुनौतियों से सामना करने वाला बनना होगा। जिसमें हम सब भारतीयों का सहयोग अपेक्षित है।

2.2 विकास एवं संविकास की संकल्पना –

ग्रीक शब्द Ge का शब्दार्थ Earth,पृथ्वी की देवी से सम्बन्धित है, जो प्रकृति को माँ के रूप में संबोधित करती है। जनसंख्या एवं पर्यावरण के समायोजित संबंधों का स्वरूप ज्ञान का आधार है। ज्ञान परिवर्तन हेतु आवश्यक है। परिवर्तन प्रकृत्ति का नियम है तथा विकास की प्रक्रिया का आवश्यक अंग भी है। प्रकृति का प्रत्येक अंग 'चरैवीति' को अनुपालित करते हुए समय के साथ सतत परिवर्तित होता रहा है। ज्ञान इसी प्रकृति के अंगों का एक उपांग है जिसमें समयानुरूप परिवर्तन होता है, और जो

नियमानुसार स्वाभाविक भी है। किसी समाज के समय के साथ होने वाला गुणात्मक परिवर्तन ही विकास कहलाता है। यह परिवर्तन जब कल्याणकारी हो तो इसे सकारात्मक विकास और जब परिवर्तन समाज को अधोगति प्रदान करे तो उसे नकारात्मक परिवर्तन कहते हैं। विकास समय संस्कृति एवं सम्पूर्ण दशाओं के उत्थान तथा पुनः व्यवस्थितीकरण की बहुआयामी प्रक्रिया है। यह समाज एवं अर्थव्यवस्था/दशा में भावात्मक उत्थान एवं गुणात्मक परिवर्तन की प्रक्रिया है (डो वोनस्की 1966)।[8] विकास एक समग्र से कल्पना है। परिवर्तनों के स्वरूप से विकास का अवलोकन किया जाता है। जनजातियों के विविध पक्षों (यथा सामाजिक सांस्कृतिक, आर्थिक, राजनीतिक एवं तकनीकी पक्ष आदि) में प्राकृतिक या वाह्य प्रयासों (Outer Interference) से होने वाले परिवर्तनों को जनजातीय विकास की संज्ञा देते है। परन्तु ये परिवर्तन तभी वास्तविक विकास का स्वरूप धारण करते है, जब वे सतत, संघृत एवं समग्र हों।

मानव जीवन स्तर के उत्थान का प्रयास सतत होता रहा है। इसलिए हजारों वर्षों से मानवीय क्रियाकलापों तथा प्रकृति एवं मानव के अन्योन्य क्रियात्मक प्रतिरूप से जहाँ प्राकृतिक वातावरण परिवर्तित हुआ है। वही नवीन सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक भूदृश्यों का उद्‌भव भी हुआ है। आखेट एवं भोजन संग्रहक अवस्था से स्थायी कृषि, नगरीकरण, पूँजीवाद एवं तकनीकी युग क्रमशः क्रमिक विकास स्वरूप का आयाम प्रस्तुत करता है। अतः विकास सतत चलने वाली प्रक्रिया है, जो किसी दशा में गुणात्मक परिवर्तन को इंगित करती है। शुम्पीटर के अनुसार– विकास चक्रीय प्रवाह के मार्गों में स्वस्फूर्ति एवं असक्त परिवर्तन है जो पूर्वस्थानित संतुलन को विस्थापित कर देता है विकास स्वैतिक दशा में निमित्त नये समीकरण को जन्म देता है। जो कि ज्ञान/नवाचार के रूप में प्रकट होते हैं।[9] महबूबउलहक ने विकास को जनसामान्य के चयन की स्वतन्त्रता का विस्तार माना है (encarquent of Human choices) । जोसेफ स्टीग्लीत्ज विकास को समाज का प्रत्यावर्तन मानते हैं।जबकि आमर्त्य सेन विकास को स्वतन्त्रता का पर्याय (Development is Freedom) मानते हैं।[10]चैम्बर (1986) ने स्पष्ट किया कि विकास मानव के लिए है न कि मानव विकास के लिए। दाश मैन ने विकास को निम्न त्रिभुज के माध्यम से स्पष्ट किया है।[11]
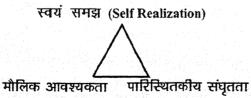
विकास का स्वरूप आवश्यकता पूर्ति के साथ स्वतंत्रता की संघृतता देने वाला होना चाहिए। वर्तमान जनासांख्यिकीय परिदृष्य एवं सामाजिक आर्थिक तथा पर्यावरणीय परिप्रेक्ष्य में यह आवश्यक है कि विकास संघृत, समग्र, सतत, एवं चिरस्थायी हो। हम आर्थिक दौड़ में इस कदर भाग रहे हैं कि हम अपने इस दौड़ की ट्रेक (प्राकृतिक तत्व, सामाजिक आर्थिक सांस्कृतिक मूल्य एवं पर्यावरण) को खोते चले जा रहे हैं, यह सोचकर कि यह तो प्रकृति एवं समाज का मुफ्त उपहार है। हम स्वार्थवश यह नहीं

सोचते कि इसी ट्रेक से हमारी आगे की पीढ़ियों को आना है। इस बात को 1864 में जार्ज पार्किन्स ने अपनी पुस्तक 'मैन एण्ड नेचर'[12] में स्पष्ट किया है। ब्रायन्ट के अनुसार विकास पथ विशेष को अक्षुण्ण बनाये रखने के लिए जैव भौतिक पर्यावरण की क्षमता एवं मात्रा को बनाए रखना आवश्यक है। निःसंदेह जैव भौतिक पर्यावरण संघृत विकास का आधार है परन्तु सामाजिक सांस्कृतिक आर्थिक पक्ष भी कम महत्वपूर्ण नहीं। मानव एक ऐसा प्राणी है जिसके पास विचार की क्षमता है। भविष्य की पीढ़ियों हेतु आवश्यकताओं से बिना समझौता किए विकास के प्रयास करना आवश्यक हैं अर्थात् विकास भी चले और भविष्य की सुरक्षा भी। इस स्वरूप को संविकास नाम दिया जाता है। थियर्स वरफोर्ड[13] के अनुसार– सतत विकास ऐसी प्रक्रिया का वर्णन करता है जिसमें प्राकृतिक संसाधनों के आधार को ह्रास नहीं होने दिया जाता यह जीवन की गुणवत्तता एवं वास्तविक आय बढ़ाने की प्रक्रिया में पर्यावरणीय गुणवत्ता तथा पर्यावरणीय आगतों की अब तक उपेक्षित भूमिका के संरक्षण पर बल देता है।

आसवर्न (1948)[14] ने अपनी पुस्तक 'अवर प्लन्डर्ड प्लानेट' में एवं कारसन (1962)[15] ने 'द साइलेन्ट स्प्रिंग' में आर्थिक विकास में भारी पर्यावरणीय लागत की ओर ध्यान आकृष्ट करने का निःसफल प्रयास किया। डेनिस मीडोज (1972)[16] ने "द लिमिट आफ ग्रोथ" में स्पष्ट किया कि यदि आर्थिक उत्पादन एवं जनसंख्या वृद्धि की वर्तमान व्यवस्था बनी रही तो अगली शदी में जनसंख्या और औद्योगिक उत्पादन दोनों ही समाप्त हो जायेंगे क्योंकि इनकी वृद्धि की विद्यमान द्विगुणित गति अनवरत नहीं चल सकती। 1972 में हुए स्टाकहोम सम्मेलन के पश्चात् IUCM द्वारा वर्ल्ड कमीशन आन एन्वायरमेन्ट एण्ड डेवलपमेण्ट (WCED) की स्थापना हुई। WCED ने 1987 में वर्ल्डलैण्ड कमीशन स्थापित किया। कमीशन ने यह स्वीकार किया कि पर्यावरण की अवहेलना करके संघृत विकास नहीं किया जा सकता। कमीशन ने अपने प्रतिवेदन में विकास की परिभाषा को व्यापकता प्रदान करते हुए बिना भावी पीढ़ी को अपनी मौलिक आवश्यकताओं की पूर्ति के अवसर से वंचित किए विद्यमान पीढ़ी की मौलिक आवश्यकताओं की पूर्ति आवश्यक है। इस संकल्पना को मूर्त रूप देने के लिए 1992 में रियो शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ,जिसमें एजेण्डा 21 पारित करते हुए मानव विकास को संघृत विकास का केन्द्रीय उद्देश्य माना गया तथा मानव विकास हेतु प्रकृति के साथ सामन्जस्य स्थापित करते हुए उत्पादन के अधिकार को मान्यता दी गई। 2002 के जोहान्स वर्ग के सम्मेलन में संविकास एक नारा मात्र बनकर रह गया।

कोकोयारे सम्मेलन 1970[17] से प्रथम बार प्रयुक्त शब्द सस्टेनेबल डेवलेपमेण्ट (संविकास) को वर्ल्ड लैण्ड कमीशन के प्रतिवेदन 'अवर कामन फ्युचर' से विकास नीतियों में अति महत्त्वपूर्ण स्थान मिला। वारवियर (1987)[18] ब्राउन (1987)[19] डेली (1989)[20] लीले (1989)[21] पेन्जी (1989)[22] रेडक्लिफ्ट (1987)[23] रेस (1989)[24] चट्टोपाध्याय एवं कारपेन्टर (1990)[25] सिन्हा (1990)[26] क्लार्क टिम्बरलैल (1982)[27] आदि विद्वानों ने विविध पक्षों से संविकास को विश्लेषित किया है। जिसमें पर्यावरणीय समस्याएँ यथा निर्वनीकरण जलस्तर अधोगमन, वाढ़, सूखा, आपदाएँ प्रदूषण कृषि में अवांछित रसायन प्रयोग अवांछित उपभोग स्वरूप को बढ़ावा, बेरोजगारी एवं अतिप्रवास, राजनीतिक संक्रमण, अव्यवस्थित आवास, असुरक्षा

आदि समस्याओं पर चर्चा करते हुए मानव के उत्तरजीविता, अन्य सभी जीवन स्वरूपों की उत्तरजीविता, मानव की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति आर्थिक क्षमता, विकाश एवं जैव भौतिक उत्पादकता को बनाए रखना, पर्यावरणीय दशाएँ एवं पारिस्थितिक तन्त्र का संरक्षण, अंतर पीढ़ी विशेषताएँ, सामाजिक न्याय, मूल एवं विचारों को बढ़ाना सामाजिक समन्वयन एवं संस्कृति संरक्षण आदि पक्षों को संविकास की दृष्टि में शामिल किया गया। तथा विद्वानों एवं संस्थाओं ने विकास के इस स्वरूप के लिए व्यूह रचनाएँ प्रस्तुत कीं जिसमें (जीरो ग्रोथ स्ट्रेटजी–डेली 1977), आर्गेनिक एग्रीकल्चर फार सेल्फ सस्टेनिंग सोसाइटीज – नास (1977), पर्यावरणीय अर्थशास्त्र का सूक्ष्म एवं अतिविशयीकृत उपागम–नारगार्ड (1985), विकास का ट्रिपल डाउन प्रोसेस (वेव आफ फेटेंसी), वाइण्ड कन्जर्वेशन स्ट्रेट्जी (1980), रियो शिखर सम्मेलन का एजेण्डा 21 (1992), यु एन ओ, एवं यु एन ई पी के प्रोग्राम एवं नीतियाँ आदि मुख्य हैं। वर्डलैण्ड कमीशन 1987 ने स्पष्ट किया है कि *"What is Required in which all nations aim at a type of Development that Integrates Production with Resource Conservation and Enhancement that looks both the provision for all of an adequate livelihood and equitable access to Resources"*[28] तथा यू एन इपी 1975 ने विकास के स्वरूप को स्पष्ट करते हुए बताया कि *"Developmental Regional and local level consistent with Potential of area, involved with attention given to the adequate and Rational use of Natural Resources and application of Technological Style".*[29]

अतः स्पष्ट है कि विकास को स्थायी एवं समग्र होना चाहिए जो मानव एवं जीवों के वर्तमान तथा भविष्य की संतुष्टि कर सके। परिवर्धनीय तत्वों के विकास को महत्व दिया जाए मानव समाज के सामाजिक–आर्थिक, राजनीतिक एवं सांस्कृतिक न्याय को विकास का महत्वपूर्ण अंग समझा जाए तथा मानव के उपभोग एवं विकास स्वरूप को पर्यावरणीय रूप से मजबूत, सामाजिक रूप से उत्तरदायी एवं कम अपव्ययी बनाना चाहिए।

विकास का दूसरा महत्वपूर्ण पहलू समग्र विकास का है। जब हम किसी समाज के विकास की बात करते हैं तो हमारा उद्देश्य एकांगी विकास नहीं होना चाहिए।

वाह्य प्रभावों तथा प्राकृतिक तत्वों से जूझते आदिम समाजों के वास क्षेत्रों पर होते कब्जों एवं संघर्ष आदि से बढ़ी समस्याओं निराकरण के साथ इन जनजातीय समुदायों के विकास की आवश्यकता है। परन्तु उसका स्वरूप समग्र होना आवश्यक है। एल.पी. विद्यार्थी ने जनजातियों के विकास में 'होलिस्टिक डेवलेपमेण्ट उपागम' की आवश्यकता बतायी है।[30] जनजातियों में विकास का वर्तमान स्वरूप नदी में नाव चलाने की तरह है जिसमें हम एक छोर को छोड़कर दूसरे छोर को जाते हैं परन्तु आवश्यकता है कि हम नदी पर पुल बनाएँ जिससे दोनों छोर जुड़े रहें विकास के दोनों छोर का तात्पर्य परम्परागत स्वरूप एवं विकास प्रतिरूप से है। प्रो. डी. एन. मजूमदार[31] ने स्पष्ट किया है कि किसी समुदाय के विकास की नीतियाँ उसकी आवश्यकताओं एवं स्वरूपों को ध्यान में रखकर निर्धारित की जाएँ। जब तक हम किसी समुदाय के रोटी की आवश्यकता पूर्ण नहीं कर पाते शिक्षा एवं स्वास्थ्य

की बात करना एकांगी होगा। समुदाय के मौलिक स्वरूप से छेड़छाड़ करना दुखदायी होगा। अतः आवश्यक है कि जनजातियों के उत्थान तथा विकास के लिए योजना बनाने से पूर्व उनकी आवश्यकताओं दशाओं को समझा जाए। बेहतर होगा कि योजनाएँ वे स्वयं बनाएँ तथा उन्हें क्रियान्वयन में तकनीकी एवं अन्य तरह के सहयोग दिए जायें ताकि जनजातीय विकास का स्वरूप संघृत एवं समग्र हो सके।
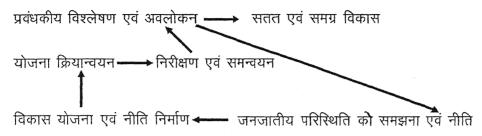
जनजातीय विकास का स्वरूप

2.3 जनजाति की संकल्पना एवं विशेषताएँ –

मानव जाति सांस्कृतिक एवं भाषाई दृष्टि से निरन्तर बढ़ती हुई सजातीयता की ओर अग्रसर हो रही है। विकास की इस यात्रा के साथ अफसोस जनक पहलू हुए हैं जो प्रकृति की मोलिकता को ललकारते हैं। मानव सभ्यता की प्रगति ने पर्यावरण के साथ–साथ समाजों तथा संस्कृतियों का ह्रास किया है। अतः जहाँ प्राचीन संस्कृतियों के मौलिक स्वरूप समाप्त होने को हैं वहीं विकास का यह एकाग्री रूप जनजातीय पक्षों को समग्रता से अपनाने में असफल रहा है। जनजातियां मानव के आदिम स्वरूप का प्रतीक रही है वे बाहरी दाव पेंच से पृथक प्रकृति में जीती रही परन्तु विकसित मानव ने उनमें हस्तक्षेप कर अनेकों समस्याओं को जन्म दिया और आवश्यक हो गया कि इन मूल जातियों को विकसित किया जाए।

अर्थ – जनजातियाँ क्षेत्रीयता आधारित सामाजिक संगठन है। जनजाति का समानार्थी 'ट्राइव' शब्द लैटिन शब्द 'ट्राइव्स' से बना है।[32] ट्राइव्स प्राचीन रोमन साम्राज्य ने लोगों की सामाजिक एवं राजनीतिक रूप से संगठित इकाई थी। यह इकाई 4 नगरीय एवं 16 ग्रामीण ट्राइव का समूह थी इन इकाइयों का उद्भव पूर्णतः नृजातीय था। पाश्चात् यह शब्द गरीब या Masses के रूप में प्रयुक्त किया गया।[33] 16वीं शदी में अंग्रेजी में यह शब्द ऐसे समाज के लिए प्रयुक्त हुआ जिनके पूर्वज एक ही थे।[34] भारत में इस शब्द का प्रयोग राजनीतिक एवं प्रशासनिक दोनों दृष्टियों से हुआ। ब्रिटिश जनगणना नृवैज्ञानिकों ने भारत में सर्वप्रथम ट्राइव शब्द का प्रयोग एक विशेष सामाजिक वर्ग के लिए किया था। जो 1881–1931 की जनगणना तक चलता रहा। भारत सरकार अधिनियम 1935 में ट्राइब शब्द के स्थान विशेष सामाजिक वर्गों के लिए पिछड़ी जनजाति (Backward Tribe) का प्रयोग किया गया।[35] स्वतन्त्र भारत में पिछड़ी जनजाति की जगह अनुसूचित जनजाति शब्द का प्रयोग किया गया। परन्तु भारतीय संविधान में इन अनुसूचित जातियों की कोई स्पष्ट परिभाषा नहीं दी गई।[36]

हिन्दी भाषा में जनजाति एक सामासिक शब्द है, जो जन+जाति शब्दों के योग से बना है। संस्कृत में जन धातु जन्म लेना के अर्थ में प्रयुक्त होता है। जनशब्द से उत्पन्न जाति शब्द कृदन्त है अर्थात् वह जाति जो सर्वप्रथम जन्म लिया हो। जनजाति शब्द अंग्रेजी के ट्राइब्स शब्द का समानार्थी है। जिसके लिए कबीला शब्द भी प्रयुक्त होता है। जनजातियों को निवास स्थान/विशेषता के आधार पर आदिवासी (मूलजाति), गिरिवासी, (पर्वतोंपर) गहवरवासी (गुफाओं में), वन्यजाति (वनों में) जनजाति (लोक समूह), अनुसूचित जनजाति आदि नाम दिया जाता है। वेरियर एल्विन ने जनजातियों को आदिवासी[37] तथा एल.पी. विद्यार्थी ने गहवर वासी[38] के रूप में व्यक्त किया है।

जनजाति एक तरह के नृजातीय समुदाय, प्रारम्भिक/आदिम गुणों वाले सामाजिक संगठन हैं। एनसाइक्लोपीडीया ब्रिटेनिका के अनुसार व्यक्तियों का एक समूह जो एक तरह की भाषा बोलता हो, सामाजिक संगठन का एक नियम हो, एक ही उद्देश्य के लिए कार्य करते हों, समान नाम, एक संस्कृति और एक ही तरह की जीवन शैली अपनाते हों, जनजाति है। नृजाति विज्ञान शब्द कोष के अनुसार जनजाति एक सामाजिक समूह के रूप में एक निश्चित क्षेत्र में रहने वाले लोगों का संगठन है, जो एक बोली, सांस्कृतिक समरूपता एवं सामाजिक एकजुटता प्रदर्शित करते हों।[39] जनजाति विविध विशेषताओं से युक्त समाज तथा मानव समाज के विकास यात्रा में एक अवस्था का द्योतक है।[40] जनजाति लोगों के समूह का एक संगठन है। जो बोली का एक ही प्रतिरूप अनुपालित करते हैं, जिनकी एक जैसी एवं मूल सांस्कृतिक विशेषता हो, परम्परागत सोच हो, निश्चित तथा एक जैसे क्षेत्र में निवास करते हों।[41] धुर्ये[42] के अनुसार– सभी जनजातीय समुदाय, सभ्य समाज से दूर जंगलों एवं पर्वतों पर रहते हैं वे समान जनजातीय बोली बोलते हैं। वे मुख्यता तीन समूहों नीग्रीटो, आष्ट्रेलायड, या मंगोलायड प्रजाति के होते हैं। वे धार्मिक रूप से एनीमिस्ट (Animist) होते हैं। भूत एवं आत्मा की पूजा करते हैं। वे आदिम व्यवसाय यथा शिकार एवं संग्रहण में संलग्न होते हैं, मूलतः मांसाहारी होते हैं। नंगे या अधनंगे या प्राकृतिक वस्त्रों में रहते हैं। वे पीने एवं नाचने के शौकीन होते हैं।

आदर्श जनजातीय समाज राजनीतिक सामाजिक तथा नैतिक रूप से एक निश्चित, सामयिक तथा क्षेत्रीय, परिधि में बंधा होता है तथा एकही धार्मिक भौतिक एवं व्यवहार प्रतिरूप का अनुपालन करता है।पैथी के अनुसार– जनजाति वह है जो अनुसूचित जनजातियों की सूची में शामिल हैं।[43] टी. आर. नायक[44] ने जनजातीय पहचान के सात आधार बताए हैं – 1. समुदाय में कार्यात्मक निर्भरता; 2. आर्थिक पिछड़ापन; 3. भौगोलिक पृथक्ता; 4. एक समान बोली; 5. राजनीतिक रूप से एक जनजातीय सत्ता में अधीन; 6. परम्परागत नियम कानून एवं नीतिव्यवस्था परिवर्तन के प्रति अरूचि। विमलचन्द्रा के अनुसार आदिम स्वरूप एवं पिछड़ापन जनजातीय पहचान के आधार हैं।[45] जनजातीय उत्पत्ति, आदिम जीवन शैली दुर्गम इलाकों में निवास तथा सभी मामलों में सामान्य पिछड़ा पन जनजातियों की मुख्य विशेषताएं हैं।[46] फच ने जनजातियों के सामान्य एवं आदिम अर्थव्यवस्था आवासीय दुर्गमता तथा वर्गविहीन सामाजिक संगठन को पहचान का आधार बनाया है।[47] वैले, जनजातियों को समान संस्कृतियों वैयक्तिक प्रभावों का संगठन मानते हैं।[48] सुरेशचन्द्र रजोरा जनजातीय समाज की मूल

विशेषताओं के संदर्भ में बताते हैं कि जनजातीय समाज एक पूर्ण समाज होता है। उनकी व्यवस्था उन्हें बांधे रहती है।[49] शान्ति के संस्कृति अपना विशेष आर्थिक व्यवस्था संस्थाओं में बहुलता संगठनात्मक पदानुक्रम तथा शराब, जनजातीय अर्थव्यवस्था मुख्य पहचान होती है।[50] ऊँचे पर्वत, गहरी खाई, सदाहरित वन, अनछुई प्राकृतिक संपदा, अमूल्य खनिज, साधारण एवं खुश लोग, आधुनिकता 'Morrow' से अछूते, स्वतंत्र विचरण करने वाले वेधनरहित तथा आधुनिक विश्व से परे जैसी विशेषताओं की ओर बी. डी. शर्मा जी ने संकेत दिया है।[51]

इम्पीरियल गजेटियर आफ इण्डिया के अनुसार जनजाति समान नाम धारण करनेवाले परिवारों का एक संगठन है, जो समान बोली बोलते हों, एक ही भूखण्ड पर अधिकार रखने का दावा करते हों। अथवा दखल रखते हो, तथा जो साधारणतया अंतर्विवाही न हो, यद्यपि मूल रूप में चाहे वैसे ही रह रहे हों।[52] एण्ड्री ब्रिटले समाज के संदर्भ में नडेल की संकल्पना को अनुपालित करते हुए जनजातियों को परिभाषित किया – *"A Tribe is an Ideal State, A self contained Unit, it constituents a society in itself"....We have described the Tribe as society with a Political linguistic and a some what vaguely defined Boundary. Further as a society based upon Kinship where social stratification is absent. Now, it has to be imphosed that like so many definitions of Social Categories, this and a definition of a ideal type. If we make a classification of societies. They will arrange themselves in a contain in many of these stratification and differentiation will be Present but only in an incipient manner the accept Point alone which one should drow a line between tribal and more ...... advanced societies will in a sense have to be arbitrarily decided .... In India we can not have Readymade definition with which one can go into the field and locate a tribe. The greatest tribe have been transformed. In a historical Perspective The process by which Tribe have been Transformed is a historical Proceeds and only by going into the antecedents of a group can be say with any confidence weather or not it should be considered as a tribe."*[53]

भारतीय संदर्भ में जनजातियों सर्वमान्य परिभाषा देते हुए मजूमदार स्पष्ट करते हैं *"A Tribe is a social group with Territorial affiliation, endogenous with No specialization of fruition, Ruled by Tribal Officers, Hereditary or otherwise United in language and dialect, Recognizing Social distance from Tribes or Castes, But without any stigma, attached in the cause of caste structure, following Tribal Traditions belief of Costums, illiberial of Maturalisation of ideas from alien sources above all concious of Homogeneity of Ethnic and Territorial integration.*[54]

मजूमदार[55] के अनुसार कि जब कोई विभिन्न विद्वानों द्वारा दी गई परिभाषाओं को देखता है तो उसका जनजाति के संघटक तत्वों सम्बन्धी विचारों की असमानता से प्रभावित न होना असम्भव है। नातेदारी व्यवस्था, समान भूखण्ड, समभाषा, संयुक्त स्वामित्व, एक राजनैतिक संगठन, आंतरिक संघर्ष की

अनुपस्थिति आदि सभी का वर्णन एक जनजाति की मुख्य विशेषताओं के रूप में किया गया है। कुछ विद्वानों ने न केवल कुछ उपरोक्त विशेषताओं को स्वीकार किया है अपितु उनमें से कुछ को एक जनजाति की विशेषताओं के रूप में स्वीकार करने का भी दृढ़ता से विरोध किया है। इस प्रकार रिवर्स[56] ने एक समान भूखण्ड में निवास करने को जनजातीय संगठन के महत्वपूर्ण लक्षण के रूप में वर्णित नहीं किया है, यद्यपि वेरी जैसे अन्य विद्वानों ने यह कहकर इस पर जोर दिया है कि यहां तक कि यायावर (घुमक्कड़) जनजातियाँ भी एक निश्चित क्षेत्र में ही विचरण करती हैं। रैड क्लिफ[57] ब्राउन ने अपने आस्ट्रेलियायी आँकड़ों से जनजाति की एक टुकड़ी के दूसरे से लड़ने का उदाहरण प्रस्तुत किया है। इस प्रकार के विद्वत् विचारों की विभिन्नता से कोई व्यक्ति केवल यह निष्कर्ष निकाल सकता है कि प्रत्येक मानवशांस्त्री के जनजाति सम्बन्धी विचार उस प्रकार के आँकड़ों से उत्पन्न होते हैं, जिनसे वह सर्वाधिक सुपरिचित होता है। इसलिये कोई व्यक्ति विश्वव्यापी (व्यापक) विशेषताओं वाली एक सूची तैयार कर सकता है, जिनमें से कुछ किसी भी स्थान की जनजाति को पारिभाषित कर सकती हैं। इस प्रकार पूर्ववर्ती पृष्ठ पर दी गई अपनी परिभाषा की विश्वव्यापी प्रयोज्यता का दावा मजूमदार करते हैं।

जनजाति की परिभाषा करने में एक सबसे बड़ी बाधा कृषक वर्ग (Peasantry) से जनजाति का विभेद करने की है। आन्द्रे (1975)[58] का कहना है कि जनजाति तथा कृषक नामकरण का प्रयोग इस प्रकार के सामाजिक संगठन के लिए करना तथा एक दूसरे से वैषम्य करके चरित्रांकन करना निस्सन्देह सम्भव है। किन्तु जनजातीय समाजों के अध्ययन में मानवशास्त्रियों द्वारा निवेशित समस्त प्रयासों के बावजूद एक जनजातीय समाज को परिभाषित करने का वास्तव में कोई मार्ग नहीं है। भारतीय सन्दर्भ में इसका अर्थ यह होता है। कि विद्वानों ने कुछ अस्पष्ट प्रकार से एक से अन्य के वैषम्य का प्रयास किया है जो स्वयं भी उतना ही अस्पष्ट है। जनजाति को कुछ अस्पष्ट रूप से समान सरकार, समान बोली व समान संस्कृति रखने वाला कमोवेश समजातीय समाज मान लिया गया। यद्यपि प्रत्येक व्यक्ति आन्द्रे बोते की मान्यता से सहमत नहीं होगा लेकिन उसका यह कथन इस समस्या का निकटता से दृढ़ अध्ययन करने वाले अनेक विचार समुदायों में से एक के रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है।

अतः यह प्रदर्शित होता है कि जनजाति अथवा जनजातीय समाज की निष्कर्षात्मक परिभाषा करना सहज नहीं है तथा इस सम्बन्ध में किसी प्रकार का मानकीकरण प्राप्त करना अत्यन्त कठिन है। इसलिये जनजाति की अवधारणा के क्षेत्रीय गुणार्थ को दृष्टि में रखते हुये अन्तर्राष्ट्रीय अथवा विश्वव्यापी स्तर से हट जाना अधिक अच्छा होगा तथा अपनी समस्याओं के समाधान हेतु भारतीय परिप्रेक्ष्य के अन्तर्गत ही मानकीकरण प्रस्तुत करने की ओर ध्यान केन्द्रित करना ठीक होगा। ऐसा करना इस परिस्थिति में कदापि उचित लगता है क्योंकि विश्वव्यापी प्रयोज्यता वाली परिभाषायें या तो बहुत विस्तृत तथा पोली हैं अथवा अत्यन्त संकीर्ण तथा सीमित हैं। इस सन्दर्भ में आंद्रे ब्रेटले[59] की टिप्पणी उचित है कि बेली सम्भवतः भारतीय क्षेत्र में कार्य करने वाला एकमात्र विद्वान है जिसने खण्डीय सिद्धान्तों के आधार पर जनजातियों का चरित्रांकन किया है किन्तु जिस वैषम्य में वह रुचि रखता था वह जनजाति

तथा कृषक वर्ग के मध्य का वैषम्य नहीं वरन् "जनजाति" तथा "जाति" के बीच का वैषम्य है। इसके आगे बेली को छोड़कर अधिकांश भारतीय विद्वानों ने जनजातीय समाज की एक–सी परिभाषा का सृजन करने की समस्या की ओर गम्भीर चिन्तन नहीं किया जा भारतीय सन्दर्भों में उपयुक्त होता।

अब हम इस समस्या का परीक्षण विशिष्ट रूप से भारतीय सन्दर्भों में करें। टी.वी. नायक (1968)[60] ने जनजातीय जीवन की कसौटियों तथा सूचकांकों की बात विशिष्ट रूप से भारतीय सन्दर्भ में करके इस समस्या को सही प्ररिप्रेक्ष्य में प्रस्तुत किया है, जनजातीय जीवन की क्या कसौटियाँ तथा सूचकांक होने चाहिये। वनों में रहना ? सूरत के डुवला तथा बहुत से अन्य जनजातीय लोग वनों में नहीं रहते, वे उर्वरक मैदानों में रहते हैं, तथापि वे अनुसूची में सम्मिलित किये गए हैं। आदिम धर्म ? किन्तु आप नहीं जानते कि भारत में आदिम धर्म क्या है। क्योंकि यहाँ भारत के अधिकांश उन्नत समुदायों के धर्मों में अत्यन्त गूढ़ दर्शन से लेकर जनजातीय देवताओं तथा अन्धविश्वास से परिपूर्ण विश्वासों में एक निरन्तरता पाई जाती है। इस सूचना के भ्रामक तथा यथातथ्य न होने के कारण पर्याप्त नहीं हैं। भौगोलिक निस्संगता व अलगाव सैकड़ों जनजातीय समूह पृथक जीवन नहीं जी रहे हैं। अनेक कृषक समूह समान आदिम (जनजातीय) आर्थिक प्रणाली द्वारा जीवनयापन कर रहे हैं।

मजूमदार (1967)[61] इस की व्याख्या निम्नलिखित तथ्यों द्वारा करते हैं :

1. जनजातीय भारत में "जनजाति" निश्चित रूप से एक क्षेत्रीय समूह है। एक जनजाति का पारम्परिक भूखण्ड होता है तथा उत्प्रवासी सदैव उसे अपना घर मानते हैं। असम के चाय के बागानों में काम करने वाले संथाल, बिहार अथवा बंगाल के विशिष्ट क्षेत्रों को अपने घर के रूप में आज भी हवाला देते हैं।
2. एक जनजाति के सभी सदस्य एक–दूसरे के नातेदार नहीं होते, किन्तु प्रत्येक भारतीय जनजाति के अन्तर्गत नातेदारी ए सुदृढ़, सहचारी, नियामक तथा एकीकरण सिद्धान्त के रूप में कार्य करती है। इसका परिणाम जनजातीय अन्तर्विवाह तथा एक जनजाति का गोत्रों एवं उपगोत्रों में विभाजन के रूप में सामने आया है। यह गोत्र नातेदारी समूह होने के कारण बहिर्विवाही होते हैं।
3. एक भारतीय जनजाति के सदस्य एक समान भाषा बोलते हैं, स्वयं उनकी अपनी अथवा/अपने पड़ोसियों की। सामूहिक पैमाने पर अन्तर्जातीय संघर्ष भारतीय जनजातियों के लक्षण नहीं है। सम्पत्ति का संयुक्त स्वामित्व जहाँ भी है, उदाहरणार्थ होत लोगों में अपवर्जित नहीं है। राजनैतिक दृष्टि से, भारतीय जनजातियाँ राज्य सरकारों के नियन्त्रण में हैं किन्तु एक जनजाति के भीतर एक ग्राम अथवा आसन्न ग्रामों की संघटक जनसंख्या की प्रजातीय तथा सांस्कृतिक विषमजातीयता के अनुरूप, अनेक पंचायतें हो सकती हैं।

भारतीय जनजातियों के अन्य बहुत से दूसरे विशिष्ट लक्षण हैं। इस प्रकार उनके युवागृह, बालकों एवं बालिकाओं के संस्थागत शिक्षा की अनुपस्थिति, जन्म विवाह तथा मृत्यु के सम्बन्ध में

विशिष्ट प्रथायें, हिन्दुओं तथा मुसलमानों से भिन्न नैतिक संहिता, धार्मिक विश्वासों की विशिष्टतायें जनजातियों को निम्न जातीय हिन्दुओं से भी भिन्न करती हैं।

अतः जनजाति भौगोलिक रूप से कठोर एवं विलग प्रदेश में, मौलिक (आदिम) स्वरूप में रहने वाले परिवारों का क्षेत्रीय समूह है। जो अपनी (अपनी एवं मौलिक) सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, एवं आर्थिक विशेषताएं रखते हों तथा वाह्यप्रभावो से मुक्त, अंर्तविवाही तथा रक्त संवधित हों।

अर्थात् जनजाति की निम्न विशेषताएँ होती हैं –

1. एकजनजाति मौलिक स्वरूप में रहने वाले व्यक्तियों या परिवारों के क्षेत्रीय समूह हैं।
2. जनजाति का अपना नाम, भाषा, रहन–सहन पहनावा तथा भोजन आदि अलग करने पर भी एक हो जाते हैं।
3. एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में निवास करते है। जो सामान्यतः दुर्गम, कठोर तथा सामान्य पहुँच से बाहर होता है।
4. सभी सदस्य एक समान भाषा बोलते हैं।
5. अपना राजनीतिक संगठन होता है।
6. लगभग एक जैसा व्यवसाय एवं क्रियाकलाप होता है, मूलतः कृषि या पशुचारण या शिकार, खाद्य संग्रहण का कार्य करते हैं।
7. परम्परागत रूप से प्रकृतिक तत्वों/टोटम की पूजा करते हैं।
8. शसक्त एकता प्रकार्यात्मक पारस्परिक निर्भरता एवं रक्त सम्बन्ध हों आदि आंतरिक संघर्ष अनुपस्थित हों।
9. वाहय प्रभावों से विलग अपने आदिम स्वरूप को ग्रहण किये हों या उससे पूर्णलगाव रखते हों।
10. परम्परागत नियमों का अनुपालन करता हो।
11. मनोवैज्ञानिक रूढ़ि वादिता हो।

2.4 जनजातीय भारत का वर्गीकरण –

भारत की 573 जनजातीय समूहों को शोधकर्ताओं एवं नीति विचारकों ने विविध दृष्टियों से समझा है। इन जनजातियों के औसत स्वरूप को संज्ञान में रखकर जनजातियों को विभिन्न आधारों पर वर्गीकृत किया जा सकता है यथा – भौगोलिक वितरण; भाषाई स्वरूप; प्रजातीय संरचना; आर्थिक क्रियाकलाप; सांस्कृतिक संपर्क; धर्म एवं व्यवहार आदि।

भारत में जनजातीय जनसंख्या का विवरण असमान है। जनजातीय जननांकिक स्वरूप एवं जनजातीय जनसंख्या वितरण कार्यान्वयन देखने से स्पष्ट होता है। कि जनजातियाँ मुख्यतः तीन क्षेत्रों में रहती हैं अतः जनजातीय विकास को तीन मण्डलों में वर्गीकृत किया जा सकता है। जिसकी पुष्टि वी. एस. गुहा ने भी की है।

जनजातियों को तीन मण्डलों में वर्गीकृत किया जा सकता है

1. उत्तर–पूर्वी तथा उत्तरी मण्डल
2. केन्द्रीय अथवा मध्य मण्डल
3. दक्षिणी मण्डल

1. उत्तर–पूर्वी तथा उत्तरी मण्डल – इसमें हिमालय के नीचे का क्षेत्र तथा भारत की पूर्वी सीमाओं की पहाड़ी घाटियाँ सम्मिलित हैं। असम, मणिपुर तथा त्रिपुरा के जनजातीय लोगों को इस भौगोलिक मण्डल के पूर्वी भाग में सम्मिलित किया जा सकता है, जबकि उत्तरी भारत में पूर्वी कश्मीर, पूर्वी पंजाब, हिमाचल प्रदेश तथा उत्तर प्रदेश की जनजातियों को सम्मिलित किया जा सकता है।

असम तथा तिब्बत के मध्य रहने वाली कुछ महत्वपूर्ण जनजातियाँ, उन्का, डाफला मीरी, गुरूंग, व आप्तानी, आदि सुवनसिरी नदी के पश्चिम में बसती हैं। "मिश्मी" जनजाति देवांग तथा लोहित नदियों के बीच उच्च क्षेत्रों में बसती हैं। इसके पूर्व में खामती तथा सिंहको जनजाति पाई जाती है। नागा पर्वतों के दक्षिण में मणिपुर, त्रिपुरा राज्य के मध्य होकर तथा चिरागम पहाड़ियों की श्रृंखला में कुकी, लुशाई, खासी तथा गारों (अब नवगठित मेघालय राज्य के निवासी) जनजातियाँ रहती हैं। सिक्किम के हिमालय के निचले क्षेत्र में तथा दार्जिलिंग के उत्तरी भाग में अनेक जनजातियाँ हैं, उनमें लेप्चा सबसे अधिक प्रसिद्ध है। उत्तर प्रदेश, हिमालय क्षेत्र में थारू, भोक्सा, जौनसारी, भोटिया, राजी जैसी महत्वपूर्ण जनजातियाँ पाई जाती हैं।

सम्पूर्ण भौगोलिक मण्डल में सघन जनसंख्या नहीं पाई जाती है। (यद्यपि यह क्षेत्र पर्याप्त बड़ा है)। भौगोलिक समानता के फलस्वरूप इस मण्डल की अधिकांश जनजातियाँ या तो सोपान कृषि (टेरेस खेती) करती हैं जिसे स्थानीय भाषा में झूम खेती भी कहते हैं। ये जनजातियाँ अधिकांशतया अत्यन्त निर्धन व आर्थिक दृष्टि से पिछड़ी हुई हैं।

2. केन्द्रीय अथवा मध्य मण्डल – इस मण्डल के उत्तर में भारत– गंगा मैदान तथा मोटे तौर पर दक्षिण में कृष्णा नदी के मध्य पठारों तथा पहाड़ी पट्टी सम्मिलित हैं तथ यह उत्तरी पूर्वी मण्डल से गारो पहाड़ियों तथा राजमहल पहाड़ियों के लुप्तांश द्वारा पृथक् हो जाती हैं। इस मण्डल में हम मध्य प्रदेश की जनजातीय जनसंख्या का एक जबरदस्त जमाव पाते हैं जिसका विस्तार उत्तर प्रदेश, मध्य भारत, दक्षिणी राजस्थान, उत्तरी महाराष्ट्र, बिहार तथा उड़ीसा तक है। उत्तरी राजस्थान, दक्षिणी महाराष्ट्र तथा बस्तर इस मण्डल की परिधि का निर्धारण करते हैं। इस मण्डल में बसने वाली महत्त्वपूर्ण जनजातियाँ सवारा, गदवा, गंजम जनपद की वोरिडो, जवांग, खारिया, खोंड, भूमजी तथा उड़ीसा की पहाड़ियों की भुइयाँ हैं। छोटा नागपुर के पठार में मुण्डा, सन्थाल, ओरॉव, हो व विरहोर जनजातियाँ बसती हैं इसके और पश्चिम में विन्ध्य श्रृंखला के साथ कटकारी, कोल तथा भील जनजातियाँ रहती हैं। गोंड सबसे बड़े समूह की संरचना करते हैं, तथा "गोंडवान प्रदेश" के नाम से पुकारे जाने वाले क्षेत्र में रहते हैं। सतपुड़ा के दोनों ओर तथा मैकाल पहाड़ियों के चारों ओर इसी प्रकार की जनजातियाँ पाई जाती हैं जैसे कोराकू, अगारिया, परधान तथा वैगा। बस्तर की पहाड़ियों में कुछ सबसे रंगारंग जनजातियाँ रहती

हैं जैसे मुरिया अभुजमेर पहाड़ियों के पहाड़ी मुरिया तथा इन्द्रावती घाटी की गौर के सीमा वाली, मारिया जनजातियाँ। इस मण्डल की अधिकांश जनजातियाँ अस्थायी कृषि (शिफटिंग खेती) के द्वारा अपना जीवनयापन करती हैं, किन्तु ओरॉंव, संथाल, मुण्डा तथा गोंड जनजातियों ने पड़ोसी ग्रामीण लोगों से सांस्कृतिक सम्पर्क के फलस्वरूप हल से कृषि करना सीख लिया है।

3. दक्षिणी मण्डल – इस मण्डल में दक्षिणी भारत का वह भाग आता है, जो कृष्णा नदी के दक्षिण में है तथा जो वाइनाड से केप केमोरिन तक फैला हुआ है। आन्ध्र प्रदेश, कर्नाटक, कुर्ग, ट्रावनकोर, कोचीन, तमिलनाडु आदि इस मण्डल में सम्मिलित हैं। इस मण्डल के उत्तर पूर्व से प्रारम्भ करके चेचू कृष्णा के उस पार नल्लाइ मल्लाइ पहाड़ियों के क्षेत्र तथा पूर्ववर्ती हैदराबाद राज्य में बसे हैं। दक्षिण कनारा के लोरागा से पश्चिमी घाटों के साथ–साथ यरुवा और टोडा कूर्म पहाड़ियों के निचले ढलान पर रहते हैं। जबकि इरुला, पनियान तथा करुम्वा वाइनाड क्षेत्र में बसते हैं। भारतीय जनजातियों में सबसे आदिम जैसे–कडार, कानिक्कर, मालवादन, मलाकुखन आदि कोचीन तथा ट्रावनकोर के घने जंगलों में बसते हैं। वे विश्व के आर्थिक दृष्टि से सबसे अधिक पिछड़े लोगों में सम्मिलत हैं किन्तु उपरोक्त कथन के कुछ अपवाद भी हैं जैसे टोडा, बदाग तथा कोटा जो नीलगिरि पहाड़ियों में रहते हैं। इस क्षेत्र के अधिकांश जनसमूह अपने भोजन संग्रह के लिये आखेट तथा मछली पकड़ने पर निर्भर रहते हैं।

यद्यपि गुहा ने अण्डमान तथा निकोबार द्वीपों के निवासियों को इन मण्डलों में भी सम्मिलित नहीं किया है तथापि इन जनजातीय लोगों को, चतुर्थ मण्डल की संरचना करने वाला कहा जाता है। इस मण्डल में रहने वाली मुख्य जनजातियाँ– जरवा, ओंगे, उत्तरी सेण्टी नलीज, अण्डमानी, शाम्पेन तथा निकोबार हैं। यद्यपि ये भारतीय जनजातियों की मुख्य धारा से अलग हैं फिर भी दक्षिण भारतीय जनजातियों से सजातीय दृष्टि से अधिक निकट हैं।

भाषा आधारित वर्गीकरण – भाषा मनमाने बोले जाने वाले प्रतीकों की एक प्रणाली है जिस के द्वारा सदस्य, सहयोग एवं अंतक्रिया करते हैं। भाषा भूगोल का उदरश्य शब्दों की रचना तथा वाक्यगत समूह है। रचना का अध्ययन करना ही भाषा वाक्यगत समूहों की रचना पर रेखीय भूगोल का प्रभाव स्पष्ट दृष्टिगोचर होता है। वर्तमान समय में भारत के लोगों को चार विभिन्न भाषाई परिवारों में विभाजित किया जा सकता है। इनके नाम हैं भारतीय–यूरोपीय (आर्य) द्रविड़, आस्ट्रिक (कोलोर मुण्डा) तथा तिब्बत–चीनी (चीनी तिब्बती)।जहाँ तक जनजातीय लोगों का सम्बन्ध है आर्य भाषा केवल सांस्कृतिक सम्पर्क के फलस्वरूप सामने आती हैं क्योंकि हमारे लगभग सभी जनजातीय लोगों का सम्बन्ध पूर्व आर्य अथवा अनार्य प्रजातियों तथा उद्भव से है।अतः अधिकांश विद्वान् इस दृष्टि से सोचते हैं कि भारत के जनजातीय लोग मुख्यतः तीन भाषा परिवारों में वर्गीकृत किये जा सकते हैं – 1. द्रविड़, 2. आस्ट्रिक, 3. तिब्बती–चीनी।

द्रविड़ भाषागत परिवार के अन्तर्गत आने वाली भाषाओं को बोलने वाले जनजातीय लोग मध्य तथा दक्षिणी भारत में बसते हैं। द्रविड़ परिवार की सर्वाधिक विकसित भाषायें तमिल, तेलगू, कन्नड़ तथा

मलयालम हैं। गोंड द्रविड़ परिवार में बोली जाने वाली जनजातीय बोलियों में प्रमुख स्थान रखती है तथा यह गोंड जनजाति द्वारा, जो मध्य प्रदेश से आन्ध्र प्रदेश तक फैली हैं, विस्तार के साथ बोली जाती है। इसका कोई साहित्य नहीं है, किन्तु इसके बोलने वालों की संख्या शक्ति को ध्यान में रखते हुये इसे जनजातीय भाषाओं के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण स्थान प्रदान किया गया है। इस समूह की एक अन्य महत्वपूर्ण भाषा "कोई" है जो उड़ीसा के कांध, छोटा नागपुर की ओरॉंव तथा राजमहल पहाड़ियों की माल्टो द्वारा बोली जाती हैं। टोडा, पलिया, चेन्यू, इरुला तथा कदार भी द्रविड़ परिवार में सम्मिलित किये जाते हैं।

आस्ट्रिक परिवार की बोलियाँ मुण्डा भाषा परिवार के रूप में भी जानी जाती हैं। मैक्समूलर प्रथम विद्वान थे जिन्होंने उसे द्रविड़ भाषा परिवार से अलग किया तथा उन्होंने ही इस समूह को मुण्डा बोली परिवार का नाम प्रदान किया। इस परिवार की बोलियाँ मुख्यतः छोटानागपुर क्षेत्र की जनजातियों द्वारा बोली जाती हैं किन्तु उनका प्रचलन, कुछ कम सीमा तक मध्य प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, मद्रास तथा बिहार से शिमला की पहाड़ियों तक फैलकर हिमालय के तराई क्षेत्रों में भी है। बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की संथाली बोली तथा बिहारी क्षेत्र की मुण्डारी, हो, खरिया, भूमिज व कुछ अन्य बोलियाँ भी इस परिवार में सम्मिलित हैं।

तिब्बती–चीनी बोलियाँ मंगोल प्रजाति समूह की अधिकांश जनजातियों द्वारा बोली जाती हैं। यह परिवार दो शाखाओं में विभाजित किया जाता है। – (1) तिब्बत–बर्मी, (2) सियामी–चीनी। असम, मेघालय तथा उत्तर–पूर्वी भारत के अन्य भागों की जनजातियाँ इस परिवार की एक न एक बोली बोलती हैं।

प्रजातीय वर्गीकरण – प्रजातियों के मूषा (मेकिंग पाट), भारत की जनजातियों को किसी विशिष्ट प्रकार अथवा क्षेत्र के बंधन में बाँधना दुष्कर कार्य है। इटैलियन शब्द 'रज्जा' से बना रेश शब्द प्रजाति, वेशानुकम या नश्ल को इंगित करता है।यह एक प्राणी शास्त्रीय अवधारणा है। टेलर के अनुसार– प्रजाति नश्ल को प्रकट करती है न कि सभ्यता को। लाखों वर्षो। में विकसित हुई मानव प्रजातीय संरचना के विकास क्रम को विभिन्न स्तरों में क्रमवत प्राचीन से आधुनिक विपण्ड स्थल नीग्रीय नीग्रायड, आष्ट्रेलायड मेडीटरनियन नार्डिक मंगोलियन तथा अव्याइन में विभक्त कियस जा सकता है। (टेलर) प्रजातियों में परिवर्तन के करवाने में जातीय सम्मिश्रण एवं जलवायु परिवर्तन मुख्य रहा है।[62] विद्वानों ने जनजातियों को विविध आधार यथा शरीर कद, सिरस्यसंचकों के कपाल ऊँचाई, सूचकों के नासा सूचकांक, मुख कृतिसूचकांक कपाल धारिता, त्वचावर्ण, वालबनावट एवं रक्तवर्ग आदि आधारों पर वर्गीकृत किया है।

डी. एन. मजूमदार ने प्रजातीय लक्षणों के आधार पर भारत की जनजातीय जनसंख्या का वर्गीकरण करने की समस्या को जटिल बताया है। वह कहते हैं कि भारत की जनजातीय समुदायों के प्रजातीय मूल अथवा सादृश्यों को निश्चित करना अत्यन्त जटिल प्रश्नों में से एक है, जिसका सामना भारतीय मानवशास्त्रियों को करना पड़ेगा। उन सजातीय समूहों के सम्बन्ध का कोई प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं

है जो प्रागैतिहासिक काल में भारत के विभिन्न भागों में वास करते थे। ऐतिहासिक काल में भारत के प्रजातीय संगठन के विषय में प्राप्त ज्ञान कम है। अतः भारत के प्रजातीय इतिहास के सम्बन्ध में समस्त ऐतिहासिक पुनर्रचना को काफी हद तक अटकलों पर निर्भर रहना पड़ेगा।

भारत में होने वाला प्रथम प्रजातीय वर्गीकरण का प्रयास सर हरबर्ट रिज्ले द्वारा किया गया था। उन्होंने अपनी खोजों को "पीपुल्स आफ इण्डिया" नामक पुस्तक में 1916 में प्रकाशित कराया। वह समस्त भारतीय जनसंख्या को सात प्रजातीय प्रकारों में वर्गीकृत करते हैं[63] –

1. टर्को–ईरानी (Turko-Iranian)
2. भारतीय–आर्य (Indo-Aryan)
3. स्कीथो–द्रविड़ (Scytho-Dravidian)
4. आर्य–द्रविड़ (Aryo-Dravidian)
5. मंगोल–द्रविड़ (Mongolo-Dravidian)
6. मंगोली (Mongloid)
7. द्रविड़ (Dravidian)

इन सातों प्रकारों को तीन आधारभूत प्रकारों–द्रविड़, मंगोल तथा भारतीय आर्य– में सरलीकृत किया जा सकता है। उल्लेखनीय है कि उन्होंने भारत के आदिवासियों (जनजातियों) के लिए कोई पृथक वर्गीकरण योजना नहीं प्रदान की। हट्टन, गुहा तथा मजूमदार द्वारा सुझाये गए वर्गीकरण भारतीय लोगों के प्रजातीय वर्गीकरण के क्षेत्र में नवीनतम हैं। गुहा[64] 6 प्रमुख प्रजातियों की सूची प्रस्तुत करते हैं जिसमें 9 उपप्रकार हैं –

1. नीग्रीटो (The Negrito),
2. आद्य–आस्ट्रेलायड (The Proto-Australoid)
3. मंगोल (The Mongoloid)
   - अ. पुरामंगोल (Palaeo-Mongoloids)
   - ब. लम्बे सिर वाले (Long-headed)
   - स. चौड़े सिर वाले (Broad-headed)
4. मध्य भूसागरीय (The Mediterranean)
   - अ. पुरा भूमध्य सागरीय (Palaeo-mediterranean)
   - ब. मध्य सागरीय (Mediterranean)
   - स. प्राच्य प्रकार (Oriental type)
5. पाश्चात्य चौड़े सिर वाले (The Western Brachy Cephals)
   - अ. एल्पीनायड (Alpinoid)
   - ब. डिनारिक (Dinaric)
   - स. आरमीनायड (Armenoid)
6. नार्डिक (The Nordic)

भारत की जनजातीय जनसंख्या की वंशक्रमिका मुख्यतः प्रथम तीन प्रकारों में ढूँढ़ी जाती हैं :

कोचीन और ट्रावनकोर की पहाड़ियों की जनजातियाँ जैसे – कादर, इरुला, पलियन आदि, असम के अंगमी नाग तथा पूर्वी बिहार की राजमहल पहाड़ियों की जनजातियाँ नी ग्रीटो प्रजातीय प्रकार में सम्मिलित हैं, जिनका आकार छोटा होता है, त्वचा का रंग काला, काले सख्त बाल, पतले होंठ तथा नाक चौड़ी होती है।

आद्य–आस्ट्रेलायड प्रजातीय प्रकार के लोगों का छोटे से मध्यम आकार, लम्बा तथा ऊँचा सिर, चौड़ा तथा छोटा चेहरा तथा छोटी चपटी नाक होती है। मध्य अथवा केन्द्रीय भारत की अधिकांश जनजातियाँ इस प्रजातीय प्रकार में आती हैं, किन्तु कुछ दक्षिण भारतीय जनजातियाँ जैसे चेंचू, भील आदि भी इस प्रकार की प्रजातीय विशेषताओं को प्रदर्शित करते हैं।

जहाँ तक मंगोल प्रजातीय समूह का सम्बन्ध है, उत्तर पूर्वी भारत की अधिकांश जनजातियाँ इस प्रजातीय प्रकार में सम्मिलित हैं तथा पीले रंग की त्वचा वाली होती हैं, उनके बाल सीधे तथा काले, चपटी नाक, उन्नत गाल की हड्डियाँ तथा शिखरा मोड़ (एपिकैन्थिक) सहित बादाम के आकर वाली आँखें होती हैं। नागा, चकमा, लेपचा आदि इस प्रजातीय समूह की कुछ महत्त्वपूर्ण जनजातियाँ हैं।

प्रजातियों का मूषा (मेल्टिंग पॉट) होन के कारण, प्रजातीय वर्गीकरण की उपरोक्त योजना के बावजूद प्रजातीय दृष्टि से भारत की जनजातियाँ किसी एक विशिष्ट प्रकार अथवा क्षेत्र के अन्तर्गत नहीं रखी जा सकतीं हैं। ऊपर सन्दर्भित सामान्यीकृत प्रकार सभी प्रकार की जनजातियों का पूर्ण विवरण प्रस्तुत नहीं करते। इस प्रकार नीलगिरि पहाड़ियों के टोडा, एक उदाहरण के रूप में अब तक बिना किसी प्रजातीय नामपत्र के हैं। सीरम तथा भाषागत शोध किए जा रहे हैं किन्तु इनके द्वारा जनजातीय भारत की प्रजातीय संरचना के किसी नये पक्ष का प्रकट होना शेष है।

आर्थिक वर्गीकरण – एडम स्मिथ का शास्त्रीय वर्गीकरण तथा थर्नवाल्ड एवं हर्सकाविट्स के अभिनव वर्गीकरण को, जनजातियों को आर्थिक तौर पर वर्गीकृत करने के लिए सारे विश्व में प्रयोग किया गया है। थर्नवाल्ड द्वारा प्रस्तुत योजना को भारतीय सन्दर्भ में सर्वाधिक स्वीकार्य माना जाता है तथा वह निम्न प्रकार है :

1. पुरुषों के सजातीय शिकारी समुदाय तथा जाल डालने वाले, महिलायें, संग्रहकर्ता के रूप में। चेन्चू, खरिया तथा कोरवा, कुछ भारतीय जनजातियाँ इस श्रेणी में आती हैं।
2. शिकारियों, जाल डालने वालों तथा कृषकों के सजातीय समुदाय– कामार, बैंगा तथा विरहोर भारत के कुछ उदाहरण हैं।
3. शिकारियों, जाल डालने वाले कृषकों और शिल्पियों के श्रेणीकृत समाज – अधिकांश भारतीय जनजातियाँ इस श्रेणी में आती हैं। चेरों तथा अगरिया तमाम ऐसी जनजातियाँ शिल्पी के रूप में प्रसिद्ध हैं।
4. पशुपालक – टोडा तथा महान भीलों की कुछ उपजातियाँ भारत में ऐसी श्रेणी का शास्त्रीय उदाहरण प्रस्तुत करती हैं।
5. सजातीय शिकारी तथा पशुपालक– इस श्रेणी का भारतीय जनजातियों में प्रतिनिधित्व नहीं है। टोडा शिकार नहीं करते और न तो वे मछली या चिड़ियाँ पकड़ते हैं।
6. नृजातीय दृष्टि से स्तरीकृत पशुओं का प्रजनन एवं व्यापार करने वाले – उत्तर प्रदेश के निचले हिमालय क्षेत्र के भोटिया याक का प्रजनन करवाते हैं तथा घूमने वाले व्यापारी हैं।

7. सामाजिक दृष्टि से श्रेणीबद्ध पशुपालक– शिकारी (कृषक तथा शिल्पी जनसंख्या सहित)।

मजूमदार[65] का मत है कि इस प्रकार का वर्गीकरण यद्यपि लाभप्रद है, तथापि अधिक सहायक नहीं है क्योंकि वर्गीकरण करने के प्रयास का प्रयोजन मुख्यतः जनजातीय समुदायों द्वारा अनुभूत आर्थिक कठिनाइयों के स्वरूप की ओर संकेत करना है। मुख्यतः प्रौद्योगिक उपलब्धियों का अनुचिन्तन करते हुये आर्थिक जीवन दशा के आधार पर अधिक बेहतर तथा स्पष्ट वर्गीकरण करने का प्रयास किया जा सकता है।

1. वनों में शिकार (आखेट) करने वाली जनजातियाँ
2. पहाड़ी कृषि (झूम, कर्तन तथा दहन कृषि प्रणाली) में संलग्न जनजातियाँ
3. समतल भूमि पर कृषि करने वाली जनजातियाँ
4. सरल कारीगर (शिल्पी) जनजातियाँ
5. पशुचारण जनजातियाँ
6. लोक कलाकारों के रूप में जीवन व्यतीत करने वाली जनजातियाँ
7. कृषि तथा दूसरे प्रकार के श्रम में लगी जनजातियाँ
8. नौकरी तथा व्यापार में संलग्न जनजातियाँ

जो जनजातियाँ वनों में आखेट करके अपना जीवन व्यतीत करती हैं, वे अपनी जीविका निर्वाह खाद्य जड़ों तथा फलों के संग्रह, शिकार तथा मछली पकड़ने द्वारा करती हैं। जनजातियों का यह वर्ग अधिकतर दक्षिण भारत में पाया जाता है। आन्ध्र प्रदेश की चेंचू और चांडी, केरल के कादार, मालापत्रम व करुम्बा तथा तमिलनाडु के पलियान, अण्डमान तथा निकोबार द्वीप समूहों के ओंगे, जरवा सेण्टनेलिज तथा निकोबारीज, दक्षिण भारत में रहने वाली कुछ महत्वपूर्ण जनजातियाँ हैं। उत्तर प्रदेश की राजी, मेघालय के हिलगारों, छोटा नागापुर की विरहोर, कोरवा तथा पहाड़ी खरिया तथा उड़ीसा की जुवांग भी इस वर्ग के कुछ उल्लेखनीय उदाहरण हैं। यद्यपि इन जनजातियों के कुछ समूह शनैःशनै कृषि सीख रहे हैं फिर भी उनका सांस्कृतिक लोकाचार अब भी आखेट–संग्रह प्रकार का है।

भारतीय जनजातियों का एक बहुत बड़ा टुकड़ा उत्तरी पूर्वी तथा मध्य अथवा केन्द्रीय भारत के पहाड़ी पथ पर झूम–कृषि में आबाद्ध है। कृषि का यह तरीका पारम्परिक स्थाई कृषि से भिन्न है। इस प्रणाली के अन्तर्गत झाड़ियाँ तथा वृक्ष काट कर जला दिये जाते हैं। इसके पश्चात राख पर बीज छिड़क दिया जाता है तथा शेष प्रकृति पर छोड़ दिया जाता है।

असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम और त्रिपुरा की लगभग सभी जनजातियाँ इसी प्रकार की कृषि द्वारा फसल उत्पादन करती हैं। उड़ीसा की कुछ जनजातियाँ तथा मध्य प्रदेश के गोंड व वैगा जनजातियाँ भी इसी प्रकार की कृषि में आबद्ध हैं।

सभ्य समूहों से करीबी सम्बन्ध व सम्पर्क के कारण अधिकतर भारतीय जनजातियों ने स्थाई कृषि को अपने जीवन–यापन का साधन चुन लिया है। उनकी कृषि प्रविधियाँ तथा तरीके अन्य कृषक समूहों के समान हैं तथा वे बैलों, हल तथा अन्य कृषि उपकरणों का प्रयोग भी करते हैं, किन्तु उनकी

अधिकांश भूमि असिंचित है, अतः वे प्रकृति की अनिश्चितता का शिकार होते हैं। वर्षा पर पूर्णरूपेण निर्भरता के अतिरिक्त कृषि के अन्य कारक जैसे– उर्वरक, उच्च पैदावार वाले अनाजों, कीटाणुनाशक आदि के अभाव में उन्हें निम्न एवं कम उपज से संतुष्ट रह जाना पड़ता है। संख्या की दृष्टि से बड़ी जनजातियों में ओराँव, मुण्डा, हो तथा संथाल सफल कृषक हैं।

कुछ भारतीय जनजातियाँ कुटीर उद्योगों द्वारा अपना जीवन यापन करती हैं। वे टोकरी तथा चटाई बनाने वाले, कपड़ा बनने तथा लोहारी के कार्य में आबद्ध हैं तथा अपने जनजातीय तथा अजनजातीय पड़ोसी समाजों की आवश्यकताओं का अनुरूपण करती हैं। कश्मीर के गुज्जर, हिमाचल प्रदेश के किन्नौर लकड़ी का काम करते हैं, बिहार के असुर तथा मध्य प्रदेश के अगरिया लोहे को गलाने में दक्ष हैं, महाराष्ट्र के कोलाम पारम्परिक चटाई बुनने वाले हैं तथा तमिलनाडु के हरुला बाँस की सुन्दर चटाइयाँ तथा टोकरियाँ बनाते हैं।

जनसंख्या की दृष्टि से पूर्णरूपेण पशुचारण जनजातियाँ बहुत कम हैं, किन्तु नीलगिरि पहाड़ियों के टोंडा, हिमाचल प्रदेश के गद्दी तथा बकरावल, मध्य प्रदेश की नगेशिया, गुजरात की मल्धान तथा उत्तरी व दक्षिणी भारत की कुछ अन्य जनजातियाँ इस वर्ग की जनजातियों के उल्लेखनीय उदाहरण हैं। यह भी उल्लेखनीय है कि सभी पशुचारण जनजातियाँ दुग्ध व्यापार नहीं करती हैं, उनमें से कुछ भेड़ तथा बकरी जैसे पशुओं को बाजार के लिए पालते हैं।

जनजातियों का एक अन्य वर्ग नृत्य करके, कलाबाजी दिखाकर तथा साँप नचाने आदि द्वारा अपनी जीविका का निर्वाह करता है, इसलिये उन्हें लोक कलाकार कहा जा सकता है। उत्तर प्रदेश के नट तथा सँपेरे इस श्रेणी के अच्छे उदाहरण हैं। उड़ीसा के मुण्डप्पटू कुशल नट हैं, तमिलनाडु के कोटा सँपेरे हैं, मध्य प्रदेश के गोडों के कुछ समूह गोदना गोदने वाले तथा नर्तक हैं तथा पूर्वी भारत और दक्षिण भारत की कुछ अन्य जनजातियाँ भी इस श्रेणी में रखी जा सकती हैं।

कृषि मजदूरी में आबद्ध जनजातियों में वे हैं जो पारम्परिक दृष्टि से कृषक हैं, किन्तु अपनी भूमिहीनता के कारण कृषि मजदूरों के रूप में दूसरों की भूमि पर कार्य करते हैं। एक अनुदार अनुमान के अनुसार सम्पूर्ण जनजातीय जनसंख्या का पाँचवाँ भाग कृषि में श्रमजीवी के रूप में आबद्ध हैं। अकृषक जनजातीय श्रमबल में वे जनजातियाँ सम्मिलित हैं जो बिहार, उड़ीसा तथा बंगाल के स्थानीय कारखानों तथा खानों में असम व पड़ोसी क्षेत्रों के चाय बागानों में काम करते हैं।

संवैधानिक प्राविधानों के प्रयोग के फलस्वरूप अपेक्षाकृत छोटी संख्या में जनजातीय लोग सरकारी तथा अर्द्ध–सरकारी पदों पर भी कार्यरत हैं। इस प्रकार की जनजातियों में मेघालय, मिजोरम तथा नागालैण्ड (देश के उत्तरपूर्वी सीमावर्ती क्षेत्र) और मुख्यतः छोटा नागपुर की ईसाई जनजातियाँ सम्मिलित हैं।

सांस्कृतिक सम्पर्क पर आधारित वर्गीकरण – भारतीय जनजातियों को उनकी ग्रामीण व नगरीय समूहों से सांस्कृतिक दूरी के अनुसार भी वर्गीकृत किया जा सकता है। मजूमदार (1950)[66] यह मत व्यक्त करते हैं कि यह तुलनात्मक दृष्टिकोण पुनर्वास योजना के मल्यांकन के लिए सर्वाधिक उपयोगी

है क्योंकि यह हमारा ध्यान जनजातीय भारत की उन समस्याओं की ओर केन्द्रित करता है जो ग्रामीण–नगरीय समूहों से अल्प व्यवस्थित सम्पर्क अथवा उनसे पृथक रहने का परिणाम है।

वर्तमान शताब्दी के पाँचवें दशक में वेरियर एल्विन ने एक सुसीमांकित वर्गीकरण का प्रयास किया। उन्होंने चार प्रकार के आदिवासियों का वर्णन किया है –

1. जो सर्वाधिक आदिम हैं तथा एक संयुक्त सामुदायिक जीवन व्यतीत करते हैं तथा कुल्हाड़े से कृषि करते हैं।
2. वे जा, यद्यपि अपने एकाकीपन तथा पुरातन परम्पराओं से समान रूप से जुड़े हुये हैं, अपेक्षाकृत अधिक वैयक्तिक हैं, कुल्हाड़े से कम ही कृषि करते हैं, बाह्य जीवन में अधिक अभ्यस्त हैं तथा सामान्यतः प्रथम वर्णित श्रेणी की अपेक्षा कम सरल तथा ईमानदार हैं।
3. वे जो संख्या की दृष्टि से सर्वाधिक हैं, जो बाह्य प्रभाव के कारण अपनी जनजातीय संस्कृति, धर्म तथा सामाजिक संगठनों की क्षति के कारण अपनी पहचान खो रहे हैं।
4. भील व नागा जैसी जनजातियाँ जो देश की प्राचीन कुलीनता की प्रतिनिधि कही जाती हैं, जो अपने मूल जनजातीय जीवन को बचाये हुये हैं तथा जिन्होंने संस्कृति सम्पर्क की लड़ाई को जीत लिया है।

मजूमदार ने एल्विन के वर्गीकरण को "धर्मयुद्धकर्ता के घोषणापत्र" की संज्ञा उचित ही दी है। वह आगे कहते हैं कि यद्यपि एल्विन का वर्गीकरण जनजातीय भारत में संस्कृति संकट के समकालीन चित्र की प्रस्तुति में सहायता करता है किन्तु पुनर्वास के कार्यक्रम के लिए एक आधार के रूप में यह स्वीकार्य नहीं है। वह वर्गीकरण की अपनी निजी योजना प्रस्तुत करते हैं। उनके अनुसार जनजातीय संस्कृतियाँ तीन समूहों में आती हैं।

1. जो ग्रामीण–नगरीय समूहों से सांस्कृतिक दृष्टि से सबसे अधिक दूर हैं, अर्थात् कमोवेश सम्पर्क से बाहर हैं।
2. जो ग्रामीण–नगरीय समूहों की संस्कृति के प्रभाव में है तथा जिन्हें परिणामस्वरूप परेशानियों तथा समस्याओं का सामना करना पड़ा।
3. वे जो, यद्यपि ग्रामीण–नगरीय समूहों के सम्पर्क में हैं, जिन्होंने ग्रामीण–नगरीय संस्कृति में परसंस्कृति ग्रहण हो जाने के कारण, किसी प्रकार का संकट नहीं उठाया, अथवा उन्होंने वस्तुस्थिति को पलट दिया और अब कोई संकट नहीं उठाते। भले ही उन्हें अतीत में ऐसा करना पड़ा हो।

मजूमदार, एल्विन की इस बात से सहमत नहीं है कि सभ्य संसार से प्रत्येक सम्पर्क जनजातियों के लिये कष्ट लाता है। वह यह आधार लेते हैं कि हमारा लक्ष्य जनजातीय समुदायों के इन सभी तीन प्रकारों को आगे ले जाना, होना चाहिये तथा नियोजित (योजनाबद्ध) दशाओं के अंतर्गत ग्रामीण–नगरीय समूहों तथा उनके मध्य स्वस्थ एवं सृजनात्मक सम्पर्क स्थापित करना चाहिये।

भारतीय समाज कार्य अधिवेशन (1952) के पश्चात् एक जनजातीय कल्याण समिति गठित की गई जिसने निम्नलिखित वर्गीकरण का सुझाव दिया था। –

1. जनजातीय समुदाय
2. अर्द्ध–जनजातीय समुदाय
3. परसंस्कृतिकृत जनजातीय समुदाय
4. पूर्णरूपेण आत्मसात्कृत जनजातियाँ।

धार्मिक विश्वासों पर आधारित वर्गीकरण – भारत के मुख्य धर्मों ने विभिन्न जनजातीय धर्मों तथा देवकुलों को विविध रूप से प्रभावित किया है तथा केवल वे जनजातीय समुदाय ही अब भी अपने मूल धार्मिक विश्वासों को शुद्धता से कायम रखे हैं जो घने बसे वनों में नितांत एकाकी सामाजिक अस्तित्व का जीवन व्यतीत कर रहे हैं। 1961 तथा 1971 की जनगणना के आँकड़ों के आधार पर जनजातियों को हिन्दू ,ईसाई,बौद्ध,इस्लाम,जैन धर्म,अन्य

धर्मों में वर्गीकृत किया जा सकता है –

उपरोक्त वर्णित धर्मों में सभी जनजातियों पर हिन्दू धर्म का प्रभाव बहुत अधिक है तथा लगभग 90 जनजातियाँ किसी न किसी रूप में हिन्दू धर्म का अनुसरण करती हैं। जिन्होंने ईसाई धर्म ग्रहण कर लिया है उनकी संख्या भी पर्याप्त है तथा लगभग 6 प्रतिशत लोग ''क्रास की छाया'' में हैं। किन्तु जो बौद्ध धर्म, इस्लाम अथवा जैन धर्म, का अनुसरण करते हैं उनकी संख्या अत्यंत कम है। इस सन्दर्भ में एक महत्वपूर्ण बिन्दु जिसे मस्तिष्क में रखन है, वह यह है कि यहाँ तक वे जनजातियाँ जिन्होंने उपरोक्त वर्णित मुख्य धर्मों में से किसी को अंगीकार कर लिया है, उनके लिये यह आवश्यक नहीं कि उन्होंने अपने जनजातीय विश्वास छोड़ दिये हों, बल्कि उनमें से अनेक अपने पारम्परिक विश्वास का भी व्यवहार करती पायी जाती हैं।

जब हम भौगोलिक परिप्रेक्ष्य में स्थिति को देखते हैं तो हम देखते हैं कि बंगाल की खाड़ी तथा अरब सागर के अन्तर्गत आने वाले द्वीपों में बसने वाली जनजातियों को छोड़कर पश्चिमी भारत तथा मध्य भारत के साथ दक्षिणी भारत की जनजातियों में अधिकतर कमोवेश हिन्दू विश्वास वाले हैं। उत्तरी–पूर्वी भारत की अधिकांश जनजातियों में ईसाई धर्म ने बहुत अधिक सफलता प्राप्त की है तथा नागालैण्ड तथा मिजोरम की 90 प्रतिशत जनसंख्या ईसाई धर्म का अनुसरण करती है। मध्य भारत में छोटा नागपुर की कुछ मुख्य जनजातियाँ भी ईसाई धर्म को मानती हैं और इनमें से ओराँव, मुण्डा तथा हो उल्लेखनीय हैं। इस्लाम का अनुसरण करने वाली जनजातियाँ अधिकतर लक्षद्वीप, हिमाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र और जम्मू तथा कश्मीर में तितर–बितर फैली हैं। इस प्रकार की जनजातियों में लक्षद्वीप, मिनीकाय, व अमीनदिवि द्वीप समूहों की मूल जनसंख्या का लगभग 90 प्रतिशत इस्लाम के

मानने वाले हैं। भारतीय जनजातियों में अरुणाचल प्रदेश के कुछ जनजातीय समूह बौद्ध धर्म के अनुयायी हैं।

2.5 भारत में जनजातीय विकास की आवश्यकता

प्रजातीय स्वरूप जलवायुविक प्रभाव आर्थिक संरचना एवं विचारों की विवधिताओं के इतर सम्पूर्ण मानव जाति होमोसेपियन्स की वंशज है। विविध मानव समूहों में मौलिक पहचान/एकरूपता पायी जाती है। प्रकृति की गोद एवं नदी उपत्यकाओं में प्रथमतः स्थापित आदिम जातियों को नई एवं परिष्कृत मानव समूहों ने कठोर दशाओं वाले क्षेत्रों की ओर विस्थापित किया है, और अपनी तथाकथित अच्छी संस्कृति हथियार एवं कौशल के बल पर संघर्ष में सफल रहे हैं। औद्योगिक क्रान्ति तथा वैश्विक एकरूपता के प्रभाव ने इन आदिम समूहों को परिष्कृत कर उत्पादन एवं उपभोग की संस्कृति की ओर पलायित किया है। सामाजिक प्राणी के रूप में स्थापित करने के उद्देश्य के अनुपालन में विकसित मानव समूहों ने विकास योजनाओं के माध्यम से इन जनजातियों को तथाकथित उच्च सांस्कृतिक स्तर तक ले जाने का प्रयास किया है। जिससे एक तरफ जनजातियों का उपभोग एवं जीवन स्तर उत्थित हुआ है। वही उनकी मौलिकता पर चोट करके पारिस्थितकीय समस्याओं को जन्म दिया है। जनजातियों को उच्च उत्पादन एवं उपभोग वाली संस्कृति के तुल्य सरल जीवन हेतु स्थापित करने के प्रयासों का समग्र रूप एवं संसकारात्मक गुणात्मक परिवर्तन का नाम जनजातीय विकास है। भारत में जनजातीय विकास की नीतियों, कार्यक्रमों की सफलता हेतु जनजातीय विकास की आवश्यकता का आंकलन आवश्यक है, जिसके लिए विविध संकेतों के आधार पर वर्तमान में जनजातीय स्थिति का विश्लेषण किया गया है।

भारत विश्व में अफ्रीका के पश्चात् सर्वाधिक जनजातीय जनसंख्या धारित करता है जिसकी कुल आबादी का 8.60 प्रतिशत भाग जनजातीय समाज से है। ये जनजातीय लोग भारत के प्रथम निवासी रहे हैं। नई प्रजातियों ने पुरानी प्रजातियों को सीमावर्ती क्षेत्रों की ओर विस्थापित किया अतः सबसे प्राचीन प्रजातियां मौलिकता के लक्षणों की साथ सीमावर्ती क्षेत्रों वर्ग और दुर्गम स्थानों में पायी जाती है। वर्तमान में ये जनजातियां सामाजिक आर्थिक व्यावहारिक एवं प्रजातीय विविधताओं को प्रस्तुत करती है।

2.5.1. जनसंख्या वितरण – भारत के अनुसूचित जनजातियों के वितरण असमान ही राज्यों में सस्थिति और असंतुलित है – (तालिका 2.1) जहां मध्य प्रदेश, उड़ीसा, रांची, झारखण्ड आदि राज्यो में जनजातीय जनसंख्या अधिक है। वही पंजाब, हरियाणा आदि राज्यों में शून्य है।

तालिका 2.1 : भारत के प्रदेशों में अनुसूचित जनजाति जनसंख्या

भारत / प्रदेश	कुल जनसंख्या	अनुसूचित जनजाति जनसंख्या	कुल जनसंख्या से अनुसूचित जनजाति जनसंख्या का प्रतिशत	अनुसूचित जनजाति जनसंख्या से अनुसूचित जनजाति जनसंख्या का प्रतिशत
भारत	1028610328	84326240	8.20	100.00
जम्मू कश्मीर	10143700	1105979	10.90	1.31
हिमाचल प्रदेश	6077900	244587	4.02	0.29
पंजाब	24358999	0	0.00	0.00
चंडीगढ़	900635	0	0.00	0.00
उत्तरांचल	8489349	256129	3.02	0.30
हरियाणा	21144564	0	0.00	0.00
दिल्ली	13850507	0	0.00	0.00
राजस्थान	56507188	7097706	12.56	8.42
उत्तर प्रदेश	166197921	107963	0.06	0.13
बिहार	82998509	758351	0.91	0.90
सिक्कम	540851	111405	20.60	0.13
अरूणांचल प्रदेश	1097968	705158	64.22	0.84
नागालैण्ड	1990036	1774026	89.15	2.10
मणिपुर	2166788	741141	34.20	0.88
मिजोरम	888573	839310	94.46	1.00
त्रिपुरा	3199203	993426	31.05	1.18
मेघालय	2318822	1992862	85.94	2.36
आसाम	26655528	3308570	12.41	3.92
पश्चिम बंगाल	80176197	4406794	5.50	5.23
झारखण्ड	26945829	7087068	26.30	8.40
उड़ीसा	36804660	8145081	22.13	9.66
छत्तीसगढ़	20833803	6616596	31.76	7.85
मध्य प्रदेश	60348023	12233474	20.27	14.51
गुजरात	50671017	7481160	14.76	8.87
दमन एवं दीव	158204	13997	8.85	0.02
दादरा एवं नागर हवेली	220490	137225	62.24	0.16
महाराष्ट्र	96878627	8577276	8.85	10.17
आन्ध्र प्रदेश	76210007	5024104	6.59	5.96
कर्नाटक	52850562	3463986	6.55	4.11
गोवा	1347668	566	0.04	0.00
लक्षद्वीप	60650	57321	94.51	0.07
केरल	31841374	364189	1.14	0.43
तमिलनाडू	62405679	651321	1.04	0.77
पांडीचेरी	974345	0	0.00	0.00
अंडमान निकोबार द्वीप समूह	356152	29469	8.27	0.03

स्रोत : भारत जनगणना, 2001
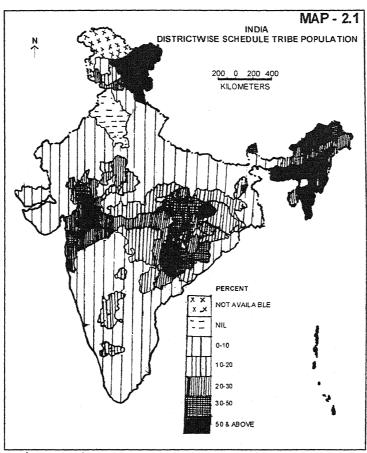
स्रोत : भारतीय जनगणना 2001

जनजातियों की तीव्र जनसंख्या वृद्धि इनके जनांकिक दृष्टि से क्रमशः की द्वितीय अवस्था में होने का संकेत देता है।

तालिका 2.2 : भारत के अनुसूचित जनजातियों की दशकीय जंनसंख्या वृद्धि दर (1971–2001)

जन गणना वर्ष	कुल जनसंख्या (000,000 में)	अनुसूचित जनजाति जनसंख्या (000,000 में)	कुल जनसंख्या का प्रतिशत	जनसंख्या वृद्धि दर प्रतिशत में	
				कुल जनसंख्या	अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या
1971	548.1	38.0	6.9	24.8	26.3
1981	683.4	51.6	7.6	24.7	35.8
1991	846.3	67.8	8.08	23.9	31.4
2001	1027.0	88.8	8.6	21.3	31.0

स्रोत – भारत जनजातीय उपयोजना दसवीं पंचवर्षीय योजना का ड्राफ्ट पृ. 452

2.5.2. साक्षरता – समस्याग्रस्त होने के कारण तथा सुविधाओं के अभाव के कारण जनजातियों में साक्षरता दर निम्न है परन्तु समय के साथ विकास योजनाओं के प्रभाव से अनुसूचित जनजातीय

साक्षरता दर में वृद्धि हुई है। परन्तु कुल साक्षरता सतत् बढ़ रहा है। चूंकि अशिक्षा समस्त समस्याओं की मूल है, अतः अशिक्षा निवारण पर सतत प्रयास हो रहा है। महिला साक्षरता बहुत कम है परन्तु राष्ट्र के औसत साक्षरता वृद्धि दर से अधिक तीव्र गति से वृद्धि हो रही है।

तालिका 2.3 : भारत में अनुसूचित जनजातीय साक्षरता का राष्ट्र के औसत साक्षरता से तुलनात्मक स्वरूप (1971–2001)

(प्रतिशत में)

	वर्ग	1971	1981	1991	2001
कुल साक्षरता	कुल जनसंख्या	29.45	36.23	52.21	65.38
	अनु. जनजाति जनसंख्या	11.30	16.35	29.60	47.10
	अंतर	18.15	19.88	22.61	28.28
महिला साक्षरता	कुल जनसंख्या	18.69	29.85	39.29	54.16
	अनु. जनजाति जनसंख्या	4.85	8.04	18.19	34.80
	अंतर	13.84	21.81	21.10	20.08

स्रोत – भारत जनजातीय उपयोजना दसवीं पंचवर्षीय योजना का ड्राफ्ट पृ. 452

2.5.3. विद्यालय में नामांकन – जनजातियों में विद्यालय में नमांकन स्वरूप पर परिवर्तनशील दशाओं का प्रभाव दृष्टिगत होता है। नमांकन स्तर के आधार पर जीवन स्तर का अनुमान लगाया जा सकता है। जहां विद्यालयों में नामांकन की मात्रा कुल जनसंख्या के मुक़ाबले के मामले में अनु. जनजाति जनसंख्या का निम्न है। वही विद्यालयों से मध्य में छोड़ने की प्रवृत्ति कुल जनसंख्या के मुकाबले काफी अधिक है।

तालिका 2.4 : भारत में अनुसूचित जनजातियों के विद्यालय नामांकन का अनुपात

	आधार	1990–91		1999–2000	
		कक्षा 1–5	कक्षा 1–8	कक्षा 1–5	कक्षा 1–8
कुल जनसंख्या	कुल	100.1	62.1	94.9	58.8
	बालक	114.0	76.6	104.1	67.2
	बालिका	85.5	47.0	85.2	49.7
अनुसूचित जनजाति जनसंख्या	कुल	103.4	39.7	97.7	58.0
	बालक	126.8	51.3	112.7	70.8
	बालिका	78.6	27.5	82.7	70.8
अंतर	कुल	+ 3.3	– 22.4	+ 2.8	– 0.8
	बालक	+ 12.8	– 25.3	+ 8.6	+ 3.6
	बालिका	– 6.9	– 20.5	– 2.5	– 4.9

स्रोत – भारत जनजातीय उपयोजना दसवीं पंचवर्षीय योजना का ड्राफ्ट पृ. 452–455

2.5.4. मध्यावधि में विद्यालय छोड़ने की प्रवृत्ति – मध्यावधि में विद्यालय छोड़ने की प्रवृत्ति के आधार पर जीवन स्तर तथा विकास जागरूकता का अनुमान लगाया जाता है। भारत में कुल जनसंख्या के अनुपात अनु. जनजातियों में मध्यावधि विद्यालय छोड़ने की प्रवृत्ति अधिक मिलती है।

तालिका 2.5 : मध्यावधि में विद्यालय छोड़ने की प्रवृत्ति

(प्रतिशत में)

वर्ग	कक्षा 1–5		कक्षा 1–8		कक्षा 1–10	
	1990–91	1998–99	1990–91	1998–99	1990–91	1998–99
कुल	42.60	39.74	60.90	56.82	71.34	67.44
अनु. ज. जाति	62.52	57.36	78.57	72.80	85.81	82.46
अंतर	19.92	17.62	17.67	15.98	13.67	15.52

स्रोत – भारत जनजातीय उपयोजना दसवीं पंचवर्षीय योजना का ड्राफ्ट पृ. 452–455

2.5.5. लिंगानुपात – चूंकि लिंगानुपात सामाजिक आर्थिक विकास का एक मुख्य संकेत है। लिंगानुपात परिवर्तन का आंकलन भारत के औसत लिंगानुपात का अनु. जनजाति लिंगानुपात से तुलना करके किया गया है। भारत की जनजातियों के लिंगानुपात का स्तर सामान्य की अपेक्षा उच्च है परन्तु सतत घटा है।

तालिका सं 2.6 : भारत में अनुसूचित जनजाति लिंगानुपात एवं कुल लिंगानुपात (1971–2001)

जनगणना वर्ष	लिंगानुपात कुल जनसंख्या	लिंगानुपात अनु. जनजाति	अंतर
1971	930	982	52
1981	934	984	50
1991	927	972	45
2001	933	978	45

स्रोत : भारतीय जनगणना 1971, 1981, 1991, 2001

2.5.6. गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन – समाज की जितनी ज्यादा जनसंख्या गरीबी रेखा से नीचे रहती है वहीं समाज उतना ही विकास दृष्टि से पीछे होता है। जनजातियों में गरीबी की समस्या विकट है। जहां कुल जनसंख्या की तुलना के अनु. जनजातियों में ज्यादा लोग गरीबी रेखा से नीचे जीते हैं वहीं दिन प्रतिदिन गरीबी की मात्रा घट रही है।

तालिका 2.7 : भारत के गरीबी रेखा से नीचे जाने वाली अनुसूचित जनजाति जनसंख्या का विवरण

वर्ग	1993–94		1999–2000		प्रतिशत परिवर्तन	
	ग्रामीण	नगरीय	ग्रामीण	नगरीय	ग्रामीण	नगरीय
कुल	37.27	32.38	21.09	23.62	– 10.18	– 10.04
अनु. जनजातियां	51.94	41.14	45.86	34.75	– 6.08	– 6.39
अंतर	14.67	7.48	18.77	11.13	– 4.10	+ 3.65

स्रोत – भारत जनजातीय उपयोजना दसवीं पंचवर्षीय योजना का ड्राफ्ट पृ. 452–455

2.5.7. सरकारी सेवाओं में सहभागिता – अनुसूचित जनजातियों के पिछड़ेपन का प्रभाव सरकारी सेवाओं में संलग्नता पर भी दिखता है। तालिका 2.8 से स्पष्ट है कि जहां 1974 के मुकाबले अनु. जनजातियों का सरकारी सेवाओं में संलग्नता बढ़ी है वहीं इनका प्रतिशत अभी भी कम है। जिसके लिए विविध आरक्षण नियमों तथा सुविधाओं के माध्यम से प्रयास हो रहे हैं।

तालिका 2.8 : केन्द्रीय सेवाओं के अनु. जनजातियों की सहभागिता

	वर्ग	सेवा वर्ग				कुल
		समूह अ	समूह ब	समूह स	समूह द	
1.1.1974	कुल जनसंख्या	33672	52343	1566796	1242548	2895359
	अनु. जनजाति	155	258	33383	47679	51445
	प्रतिशत	8.46	0.49	2.13	3.84	2.81
1.1.1999	कुल जनसंख्या	93520	104963	2396426	449353	3544262
	अनुसूचित जनजाति	3172	3512	145482	66482	218653
	प्रतिशत	3.39	3.35	6.07	7.00	6.17

स्रोत – भारत जनजातीय उपयोजना दसवीं पंचवर्षीय योजना का ड्राफ्ट पृ. 452–455

यह स्वरूप भारतीय प्रशासनिक सेवाओं एवं मंत्रालय में सहभागिता के रूप में और भी स्वरूप है 2000 में कुल 24 मंत्रियों के केन्द्रीय मंत्रालय में मात्र 3 (4.1 प्रतिशत) अनुसूचित जनजाति के थे।

तालिका 2.9 : भारत में भारतीय प्रशासनिक सेवा एवं केन्द्रीय मंत्रालय में अनु. जनजातियों की सहभागिता (2000)

वर्ग	मंत्री	आई. ए. एस.	आई. पी. एस.	आई. एफ. एस.
कुल	74	5519	3301	2552
अनु. जनजाति	3	261	229	179
प्रतिशत	4.1	5.1	6.9	2.0

स्रोत – भारत जनजातीय उपयोजना दसवीं पंचवर्षीय योजना का ड्राफ्ट पृ. 452–455

2.5.8 राजनीतिक सहभागिता– राजनीतिक सहभागिता में भी अनु. जनजातियों की स्थिति बहुत अच्छी नहीं रही है परन्तु आर. एफ. तथा विशेषाधिकार के चलते वर्तमान में समिति में सतत् सुधार हो रहा है।

तालिका 2.10 : नीति निर्धारक संस्थाओं/राजनीति में अनु. जनजातियों की सहभागिता 1995–2001

वर्ग	पंचायती राज संस्थायें 2001				राज्य विधान सभा	लोकसभा
	ग्राम पंचायत	पंचायत समिति	जिला परिषद	कुल		
कुल	2580261	128581	13484	2722326	4072	543
अनु. जनजाति	235445	7237	1170	243852	530	41
प्रतिशत	9.01	5.6	8.7	9.0	13.0	7.5

स्रोत – भारत जनजातीय उपयोजना दसवीं पंचवर्षीय योजना का ड्राफ्ट पृ. 452–455

भारत में जनजातियों को महत्वपूर्ण स्थान अभी भी प्राप्त नहीं हुआ है । भारत के जनजातीय समूहों में सामाजिक आर्थिक व्यावहारिक एवं सजातीय विविधता पायी जाती है। जनजातियों की आर्थिक क्रियाओं को खाद्य संग्रहण, पशुचारण, स्थानान्तरित, कृषि, हस्तशिल्प, कृषि, व्यापार एवं वाणिज्य तथा श्रम आदि में विभक्त किया जा सकता है। भारत में जनजातियों की आदिम जीवन शैली आर्थिक एवं सामाजिक पिछड़ापन एवं अवसंरचनात्मक सुविधाओं का अभाव, जनजातीय विकास की आवश्यकता पर बल देता है। अतः निम्न पक्षों पर जनजातीय विकास की आवश्यकता है।

1. **जीवन की गुणवत्ता** – भारत में जनजातीय विकास कार्यक्रमों की संधृतता लिए आवश्यक है कि जनजातियों के जीवन स्तर में वृद्धि की जाए जिसके लिए मूलभूत सुविधाओं यथा पेयजल स्वास्थ्य, आवासदशा, पोषण, परिवहन एवं संचार सुविधा, उद्योग तथा रोजगार सुविधाओं का विकास, आदि का विकास करना होगा। जनजातियां कमजोर स्वास्थ्य दशाओं से ग्रसित है।[67] और मलेरिया क्षय रोग, यौन रोग, कुष्ठ रोग एवं कुपोषक जनित रोगों से ग्रसित है। अतः स्वास्थ्य दशाओं के उत्थान के लिए प्रयास की आवश्यकता है। पेयजल एक मूलभूत आवश्यकता है जो स्वास्थ्य से सीधे सम्बन्धित है। जनजातियों के पोषण स्तर में सुधार के लिए प्रयास की आवश्यकता है।
2. **गरीबी में कमी करना** – रोजगार एवं उत्पादकता स्तर में उत्थान के साथ गरीबी नियंत्रण जनजातियां क्षेत्रों की मूल आवश्यकता है। पिछड़ी एवं परम्परागत उत्पादन दशाओं, छिपी बेरोजगारी एवं अकुशल श्रम, निम्न उत्पादन गरीबी शोषण के कारण गरीबी की मात्रा ज्यादा है। अतः कृषि, बागवानी, पशुपालन, वनोद्यौगीकरण, कुटीर एवं लघु उद्योगों के विकास एवं मूलभूत उत्पादन सुविधाओं एवं तकनीकीकरण के साथ विपणन एवं प्रशिक्षण के विस्तार की आवश्यकता है।
3. **शोषण पर नियंत्रण** – जनजातीय क्षेत्रों में जनजातियों/जनजातियों एवं सरकारी कर्मियों द्वारा शोषण से संरक्षण की आवश्यकता है। अशिक्षा जनजातियों की मूल समस्या है। जनजातियों का शैक्षिक स्तर अति निम्न है।[68] महिलाओं की दशा तो और दयनीय है। अशिक्षा जनजातियों में अज्ञानता, वहन एवं भाग्यवादिता को बढ़ावा देता है।जनजातियों का सामाजिक आर्थिक विकास शिक्षा की गुणवत्ता पर निर्भर है। कुछ जनजातियां समुदायों के लिए शिक्षा किसी मौलिक आवश्यकता से ज्यादा आवश्यक है।[69] शिक्षा का स्वरूप तथा माध्यम जनजातियों को अग्र समाज को समझने तथा उन्हें विकसित करने में सहायक होगी।

किसी दशा विशेष या अन्य कारणों से सरल जनजातीय व्यक्तियों/दशाओं का शोषण होता है।[70] शोषण मुख्यतः भूमिहस्तांतरण, बंधुआपन एवं शराब के रूप में होता है।[71] शोषण के लिए सामाजिक राजनीतिक दशा भी कभी–2 जिम्मेदार होती है। शोषण कई जनजातियों की यह एक मुख्य समस्या है। इनके परम्परागत कार्य व्यवहार में खर्च की अधिकता तथा कम आय के कारण बचत कम हो पाती है। अतः आकस्मिक आवश्यताओं की पूर्ति के लिए ऋण लेना पड़ता है। सरकारी संस्थानों से होती कठिनाइयों के कारण साहूकारों से ऋण लेते हैं तथा कभी–कभी वे तीसरी पीढ़ी तक ऋण के

रूपये चुकाते हैं।[72] यह व्यवस्था राजस्थान में सागरी, उड़ीसा में गोठी, आंध्र प्रदेश में बेट्टी, मैसूर में जेठा, मध्य प्रदेश में नौकरीनामा, एवं महीदारी आदि नामों से जानी जाती है। अतः जनजातीय और जनजातीय जनजातीय लोगों द्वारा सरकारी कर्मचारियों एवं कर्जदाताओं से होते शोषण को रोकने की आवश्यकता है।

जनजातीय क्षेत्रों में मूलभूत सुविधाओं यथा सिंचाई, शिक्षा, सड़क एवं परिवहन एवं संचार लघु उद्योग एवं शक्ति, विद्युत आदि का अभाव है। कठोर दशाओं वाला क्षेत्र होने के कारण इन सुविधाओं का विकास करना कठिन कार्य है। परन्तु सामाजिक आर्थिक विकास के लिए आधारभूत आवश्यकता भी है। जनजातीय स्थानान्तरण शील कृषि प्रवृत्ति को रोकना आवश्यक है।[73] लम्बे समय से वन, जनजातियों द्वारा उपयोग किए गये हैं। हालांकि वन जनजातियों के आश्रय स्थल रहे हैं अतः उनका संबंध 'दाता एवं पाता' का रहा है परन्तु बदलती दशाओं में जनजातियों के तकनीकीकरण के लिए स्थान्तरणशील कृषि व्यवस्था पर नियंत्रण होना आवश्यक है। वन जनजातियों को ईंधन से एवं छाया से तृप्त रखते है। सरकार के वन नियंत्रक कार्यक्रमों से जनजातियों का आर्थिक भौतिक एवं मनोवैज्ञानिक स्वरूप प्रभावित हुआ था।

जंगल कर्मियों ने जनजातियों का शोषण किया है। जनजातियों की कृषि के विकास के साथ वनों पर निर्भरता कम हुई है। परन्तु वन गांवों की दशा दयनीय है। वनकर्मियों द्वारा भी जनजातियां दासता का शिकार हुई है। हालांकि उन्हें कुछ भूमि तो मिली परन्तु उसका नियमितीकरण नहीं हुआ। सुविधाओं के अभाव में वनग्रामों की दशा में सुधार आवश्यक है। कृषि मजदूरों के स्वरूप में बढ़ती भूमिहीन जनजातीय संख्या एक चिन्तनीय विषय है। भूमि जनजातियों की सामाजिक स्वरूप का भी अंग रहीं है। परन्तु सुविधाओं के अभाव में उनकी कृषि पद्धति में चक्रीय व्यवस्था मिलती है। स्थानान्तरणशील कृषि भी उसी का रूप है। पहाड़ों पर भूमि उपयोग की प्राचीन विधियों में वन एवं झाड़ियों को काटकर खेती करना, तथा 2–3 वर्ष बाद छोड़ देना एक प्रवृत्ति है। झूम चक्र क्षेत्र की जनसंख्या आकार पर भी निर्भर करता है। कभी–2 पुनः भूमि क्षमता प्राप्त करने से पूर्व ही चक्र पूरा हो जाता है। उड़ीसा में यह चक्र 15–22 वर्षो तक वही क्योंझर में यह 5–12 वर्षो में पूरा होता है। जो समय के साथ 2–3 वर्षो में पूरा होने लगा है। अन्य राज्यों में अरूणाचल में 4–17 वर्ष, मेघालय में 4–5 वर्ष मिजोरम में 6–8 वर्ष नागालैंड में 6–15 वर्ष मिलता है।[74]

जनसंख्या के तीव्र बढ़ने तथा झूम से कम उत्पादकता से वाहय प्रवास मजदूरी एवं कर्ज को बढ़ावा मिला है। भारत में 109 जनजातियां स्थानांतरणशील कृषि करती हैं। कुछ क्षेत्रों में वन तीव्र गति से न उगने के कारण का स्थनान्तरण शील कृषि को कमोबेश रोका जा रहा है। और भारत में विविध पंचवर्षीय योजनाओं में झूम कृषि नियंत्रण के प्रयास हुए हैं।

जनजातीय विकास, उनकी विशाल प्राकृतिक संपदा यथा जल मृदा वन, खनिज आदि के संरक्षण तथा सही उपयोग के लिए भी आवश्यक है। हमारे विकास कार्यक्रम जनजातीय समाज की

सच्चाइयों पर आधारित नहीं रहे हैं। अतः परम्परागत स्वरूप सामाजिक सांस्कृतिक संस्थाओं के स्वरूप को समझते हुए जनजातीय विकास की आवश्यकता है।

2.6 जनजातियां एवं भारतीय संविधान[75]

स्वतन्त्रता के पश्चात नवलिखित भारतीय संविधान में जनजातियों के लिए उपर्युक्त परिभाषा नहीं दी गई है। इससे पूर्व भारत सरकार अधिनियम 1935 में सर्वप्रथम पिछड़ी, आदिम, एवं शोषित वर्गों को अनुसूचित/परिगणित जनजाति का दर्जा गया था। परन्तु संविधान के अनुच्छेद 342 में यह अधिकार राष्ट्रपति को दिया गया कि वे जनजातीय गुणों के आधार पर जनजातीयों को नामित करें। यह नामिनीकरण जनसामान्य समझ अर्थात् विलक्षण आचरण, विलक्षण रीतिरिवाज पर्वतों एवं जंगल के दुर्गम क्षेत्रों में आवास आदि लक्षणों एवं राजनीतिज्ञों प्रशासकों नृवैज्ञानिकों तथा अन्य विद्वानों द्वारा निर्धारित विशेषताओं के आधार पर किया जाता है।

भारतीय संविधान सामाजिक आर्थिक समतुल्यता लाने के लिए हर संभव उपबन्ध करता है। अन्य उपवंधों के साथ जिन प्रमुख उपवंधों में जनजातियों के विशेष संदर्भ में उपबंध नियत किये गये हैं वे मौलिक अधिकारों के अनुच्छेद 15 (1) स्पष्ट करता है। 'राज्य किसी नागरिक के विरुद्ध केवल धर्म, मूलवंश जाति, लिंग, स्थान या इनमें से किसी के आधार पर कोई विवाद नहीं करेगा' तथा संरक्षण देते हुए अनुच्छेद 15(4) में "इस अनुच्छेद या अनुच्छेद 29 (2) की कोई बात राज्य को सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े हुए नागरिकों के किन्हीं वर्गों की उन्नति के लिए अनुसूचित जातियाँ और जनजातियों के लिए कोई विशेष उपबंध करने से निवारित नही करेगी" के माध्यम से संस्थाओं में अनुसूचित जाति/जनजातियों सार्वजनिक संस्थाओं के आरक्षण तथा फीस रियायत की भी मान्यता को सिद्ध करता है। मद्रास बनामं चम्पकम दारोइजन के मामले में उच्चतम न्यायालय के निर्णय के परिणामतः प्रथम संसाधन अधिनियम 1951 के माध्यम से जुड़े उपबंध को अवधारणा बनाते हैं। अनुच्छेद 15(5) के रूप में 104 वे संविधान संसाधन 2005 में सरकारी सहायता प्राप्त/गैर सरकारी सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं में आरक्षण का उपबंध करता है। अनुच्छेद 16(4) कोई बात राजा को पिछड़े हुए नागरिकों के किसी वर्ग के पक्ष में जिनका प्रतिनिधित्व राज्य के राय में राज्य के अधीन सेवाओं पर्याप्त नही युक्तियों एवं पदों के आरक्षण के लिए उपबंध करने से निवारित नहीं करेगी। 16(4) क "इस अनुच्छेद की कोई बात राज्य को अनुसूचित जातियों और जनजातियों के पक्ष में जिनका प्रतिनिधित्व राज्य की राय में राज्य के अधीन सेवाओं में पर्याप्त नहीं है राज्य के अधीन सेवाओं के (किसी वर्ग या वर्गों के पदों पर परिणामिक वरिष्ठता के साथ प्रोन्नति मामलों में आरक्षण के लिए उपबंध करने से निवारित नहीं करेगी "अनुच्छेद 16(4) में अनुध्यात आरक्षण 50 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए। संविधान अनुच्छेद 19(5) "उक्त खण्ड के उपखण्ड घ और उपखण्ड (ङ) की कोई बात उक्त उपखण्डों द्वारा दिग्गजों अधिकारों के प्रयोग पर साधारण जनता के हितों में भी अनुसूचित जनजाति के हित में संरक्षण के लिए मुक्ति युक्त निर्बन्धन जहां तक कोई विधमान विधि अध्यारोपित करती है। वहाँ तक उसके प्रवर्तन पर प्रभाव नहीं डालेगी या वैसे निर्बन्धन अधिरोपित करने वाली कोई विधि बनाने से राज्य

को निवारित नहीं करेगी'' के माध्यम से राज्य को जनजातीय क्षेत्र में सामान्य नागरिकों की भांति सर्वत्र संरचना वसाव, या संपत्ति हस्तान्तरण को रोकने का अधिकार देता है। क्योंकि इन समाजों में धोखेबाजी तथा शोषण करना आसान है। अनुच्छेद 23 'मानव को दुर्व्यापार और बेगार तथा इसी प्रकार का अन्य बलात श्रम प्रतिषिद्ध किया जाता है और इस उपबंध का कोई भी उल्लंघन अपराध होगा जो विधि के अनुसार दण्डनीय होगा'' के माध्यम से अन्य अवयवों के साथ जनजातियों से झुका कंटकों 1. नारी क्रय विक्रय तथा 2. बेगार के अंत को आधार प्रदान करता है। अनुच्छेद 29 (1) भारत के राज्य या उसके किसी भाग के निवासी नागरिकों के किसी अनुभाग को जिसकी अपनी विशेष भाषा लिपि, या संस्कृति है उसे बनाए रखने का अधिकार होगा, राज्य को जनजातीय भाषा संस्कृति के संरक्षण दुर्बल वर्गों के शिक्षा और अर्थसंबंधी हितों की अभिवृद्धि के लिए संविधान अनुच्छेद 46 ''राज्य जनता के दुर्बल वर्गों के विशिष्टतया अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की विशेष सावधानी से अभिवृद्धि करेगा और सामाजिक अन्याय और सभी प्रकार के शोषण से उनकी रक्षा करेगा'' राज्यों को निर्देशित करता है। संविधान अनुच्छेद 164(1) ''...... परन्तु विहार, मध्य प्रदेश और उड़ीसा राज्यों में जनजातियों के कल्याण का भारसाधक एक मंत्री हो सकेगा'' के माध्यम जनजाति बाहुल्य क्षेत्रों में जनजातीय हितों की संरक्षा का विशेष उदाहरण प्रस्तुत करता है। संविधान अनुच्छेद 330, 332 एवं 334 में लोकसभा में संविधान सभाओं में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए स्थानों के आरक्षण का उपबंध करते हुए स्पष्ट करता है – (1) लोक सभा में (क) अनुसूचित जनजातियों को छोड़कर अन्य अनुसूचित जनजातियों के लिए और (5) असम के स्वशासी जिलों की अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थान आरक्षित होंगे। अनुच्छेद 330 (2) खण्ड (1) के अधीन किसी राज्य या संघ राज्य क्षेत्र में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या का अनुपात लोक सभा में उस राज्य या पंचायत में अनुसूचित जनजातियों के बाद अनुच्छेद 243–घ स्पष्ट करता है।

1. (ख) अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थान आरक्षित रहेंगे और इस प्रकार आरक्षित स्थानों की संख्या का अनुपात, उस पंचायत में प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा भरे जाने वाले स्थानां की कुल संख्या से यथाशक्य वही होगा जो उस पंचायत क्षेत्र में अनुसूचित जातियों की अथवा उस पंचायत क्षेत्र में अनुसूचित जनजातियों का अनुपात उस क्षेत्र की कुल जनसंख्या से है और ऐसे स्थान किसी पंचायत में भिन्न–भिन्न निर्वाचन–क्षेत्रों को चक्रानुक्रम से आवंटित किए जा सकेंगे।
2. खण्ड 1 के अधीन आरक्षित स्थानों की कुल संख्या के कम से कम एक–तिहाई स्थान, यथास्थित, अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों की स्त्रियों के लिए आरक्षित रहेंगे।
3. प्रत्येक पंचायत में प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा भरे जाने वाले स्थानों की कुल संख्या के कम से कम एक–तिहाई स्थान (जिनके अन्तर्गत अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की स्त्रियों के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या भी है) स्त्रियों के लिए आरक्षित रहेंगे और ऐसे स्थान किसी पंचायत में भिन्न–भिन्न निर्वाचन–क्षेत्रों को चक्रानुक्रम से आवंटित किए जा सकेंगे।

4. ग्राम या किसी अन्य स्तर पर पंचायतों में अध्यक्षों के पद अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और स्त्रियों के लिए ऐसी रीति से आरक्षित रहेंगे, जो राज्य का विधान–मण्डल, विधि द्वारा, उपबन्धित करे।

परन्तु किसी राज्य में प्रत्येक स्तर पर पर पंचायतों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित अध्यक्षों के पदों की संख्या का अनुपात, प्रत्येक स्तर पर उन पंचायतों में से ऐसे पदों की कुल संख्या से यथाशक्य वही होगा, जो उस राज्य में अनुसूचित जातियों की अथवा उस राज्य में अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या का अनुपात उस राज्य की कुल जनसंख्या से है :

परन्तु यह और कि प्रत्येक स्तर पर पंचायतों में अध्यक्षों के पदों की कुल संख्या के कम से कमं एक–तिहाई पद स्त्रियों के लिए आरक्षित रहेंगे :

परन्तु यह भी कि इस खण्ड के अधीन आरक्षित पदों की संख्या प्रत्येक स्तर पर भिन्न–भिन्न पंचायतों को चक्रानुक्रम से आबंटित की जाएगी।

5. खण्ड (1) और खण्ड (2) के अधीन स्थानों का आरक्षण और खण्ड (4) के अधीन अध्यक्षों के पदों का आरक्षण (जो स्त्रियों के लिए आरक्षण से भिन्न है) अनुच्छेद 334 में विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति पर प्रभावी नहीं रहेगा।

6. इस भाग की कोई बात किसी राज्य के विधान–मंडल को पिछड़े हुए नागरिकों के किसी वर्ग के पक्ष में किसी स्तर पर किसी पंचायत में स्थानों के या पंचायतों में अध्यक्षों के पदों के आरक्षण के लिए कोई उपबन्ध करने से निवारित नहीं करेगी।

नगर पालिका तथा योजना समितियों में जनजातियों के आरक्षण के संदर्भ में भाग 9 पंचायत अनुच्छेद 243 (घ) में विनिर्दिष्टानुसार प्रदान किया जाएगा जो अनुच्छेद 334 में विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति पर समाप्त हो जाएगा।

जनजातियों के आर्थिक विकास संरक्षण के संदर्भ में संविधान के अनुच्छेद 275 में स्पष्ट किया है "ऐसी राशियाँ, जिनका संसद विधि द्वारा उपबंध करे, उन राज्यों के राजस्वों में सहायता अनुदान के रूप में प्रत्येक वर्ष भारत की संचित निधि पर भारित होंगी जिन राज्यों के विषय में संसद यह अवधारित करे कि उन्हें सहायता की आवश्यकता है और भिन्न–भिन्न राज्यों के लिये भिन्न–भिन्न राशियां नियत की जा सकेंगी :

परन्तु किसी राज्य के राजस्वों में सहायता अनुदान के रूप में भारत की संचित निधि में से ऐसी पूँजी और आवर्ती राशियाँ संदत्त की जाएँगी जो उस राज्य को उन विकास स्कीमों के खर्चों को पूरा करने में समर्थ बनाने के लिए आवश्यक हों, जिन्हें उस राज्य में अनुसूचित जनजातियों के कल्याण की अभिवृद्धि करने या उस राज्य में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन स्तर को उस राज्य के शेष क्षेत्रों के प्रकाशन स्तर तक उन्नत करने के प्रयोजन के लिए उस राज्य द्वारा भारत सरकार के अनुमोदन से हाथ में लिया जाए :

1. खण्ड (1) के दूसरे परंतुक के खण्ड (क) के अधीन संदेय कोई राशियां स्वशासी राज्य को उस दशा में संदत्त की जाएंगी, जब उसमें निर्दिष्ट सभी जनजाति क्षेत्र उस स्वशासी राज्य में समाविष्ट हों और यदि स्वशासी राज्य में उन जनजाति क्षेत्रों में से केवल कुछ ही समाविष्ट हों तो वे राशियां असम राज्य और स्वशासी राज्य के बीच ऐसे प्रभाजित की जाएंगी, जो राष्ट्रपति आदेश द्वारा विनिर्दिष्ट करें ;

अनुच्छेद 330. लोक सभा में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण के संदर्भ में उपबंध करता है। लोक सभा में –(ख) असम के स्वशासी जिलों की अनुसूचित जनजातियों को छोड़कर अन्य अनुसूचित जनजातियों के लिए, और)(ग) असम के स्वशासी जिलों की अनुसूचित जनजातियों के लिए, स्थान आरक्षित रहेंगे।खण्ड (1) के अधीन किसी राज्य (या संघ राज्यक्षेत्र) में अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या का अनुपात, लोक सभा में उस राज्य (या संघ राज्यक्षेत्र) को आबंटित स्थानों की कुल संख्या से यथाशक्य वही होगा जो, यथास्थिति, उस राज्य (या संघ राज्यक्षेत्र) की अनूसूचित जातियों की अथवा उस राज्य (या संघ राज्यक्षेत्र) की या उस राज्य (या संघ राज्यक्षेत्र) के भाग की अनुसूचित जनजातियों की, जिनके संबंध में स्थान इस प्रकार आरक्षित हैं, जनसंख्या का अनुपात उस राज्य (या संघ राज्यक्षेत्र) की कुल जनसंख्या से है। खण्ड (2) में किसी बात के होते हुए भी, लोक सभा में असम में स्वशासी जिलों की अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या का अनुपात, उस राज्य को आबंटित स्थानों की कुल संख्या के उस अनुपात से कम नहीं होगा जो उक्त स्वशासी जिलों की अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या का अनुपात उस राज्य की कुल जनसंख्या से है।)

अनुच्छेद 332. राज्यों की विधान सभाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों के आरक्षण के संदर्भ में स्पष्ट किया – ''प्रत्येक राज्य की विधान सभा में अनुसूचित जातियों के लिए और (असम के स्वशासी जिलों की अनुसूचित जनजातियों को छोड़कर) अन्य अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थान आरक्षित रहेंगे।(2) असम राज्य की विधान सभा में स्वशासी जिलों के लिए भी स्थान आरक्षित रहेंगे।खण्ड (1) के अधीन किसी राज्य की विधान सभा में अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या का अनुपात, उस विधान सभा में स्थानों की कुल संख्या से यथाशक्य वही होगा जो, यथास्थिति, उस राज्य की अनुसूचित जातियों की अथवा उस राज्य की या उस राज्य के भाग की अनुसूचित जनजातियों की, जिनके संबंध में स्थान इस प्रकार आरक्षित हैं, जनसंख्या का अनुपात उस राज्य की कुल जनसंख्या से है।

(3–क) खण्ड (3) में किसी बात के होते हुए भी सन् 2026 के पश्चात् की गई पहली जनगणना के आधार पर, अरूणांचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम और नागालैंड राज्यों की विधान सभाओं में स्थानों की संख्या के, अनुच्छेद 170 के अधीन, पुनः समायोजन के प्रभावी होने तक, जो स्थान ऐसे किसी राज्य की विधान सभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित किए जाएंगे, वे –

(क) यदि संविधान (सत्तावनवां संशोधन) अधिनियम, 1987 के प्रवृत्त होने की तारीख को ऐसे राज्य की विद्यमान विधान सभा में (जिसे इस खण्ड में इसके पश्चात् विद्यमान विधान सभा कहा गया है) सभी स्थान अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों द्वारा धारित हैं तो, एक स्थान को छोड़कर सभी स्थान होंगे; और

(ख) किसी अन्य दशा में, उतने स्थान होंगे, जिनकी संख्या का अनुपात, स्थानों की कुल संख्या के उस अनुपात से कम नहीं होगा जो विद्यमान विधान सभा में अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों की (उक्त तारीख को यथाविद्यमान) संख्या का अनुपात विद्यमान विधान सभा में स्थानों की कुल संख्या से है।

(3–ख) खण्ड (3) में किसी बात के होते हुए भी सन् (2006) के पश्चात् की गई पहली जनगणना के आधार पर, त्रिपुरा राज्य की विधान सभा में स्थानों की संख्या के, अनुच्छेद 170 के अधीन, पुनः समायोजन के प्रभावी होने तक, जो स्थान उस विधान सभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित किए जाएंगे वे उतने स्थान होंगे जिनकी संख्या का अनुपात, स्थानों की कुल संख्या के उस अनुपात से कम नहीं होगा जो विद्यमान विधान सभा में अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों की संविधान (बहत्तरवां संशोधन) अधिनियम, 1992 के प्रवृत्त होने की तारीख को यथाविद्यमान संख्या का अनुपात उक्त तारीख को उस विधान सभा में स्थानों की कुल संख्या से है।)

(4) असम राज्य की विधान सभा में किसी स्वशासी जिले के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या का अनुपात, उस विधान सभा में स्थानों की कुल संख्या के उस अनुपात से कम नहीं होगा जो उस जिले की जनसंख्या का अनुपात उस राज्य की कुल जनसंख्या से है।

(5) असम के किसी स्वशासी जिले के लिए आरक्षित स्थानों के निर्वाचन–क्षेत्रों में उस जिले के बाहर का कोई क्षेत्र समाविष्ट नहीं होगा।

(6) कोई व्यक्ति जो असम राज्य के किसी स्वशासी जिले की अनुसूचित जनजाति का सदस्य नहीं है, उस राज्य की विधान सभा के लिए उस जिले के किसी निर्वाचन–क्षेत्र से निर्वाचित होने का पात्र नहीं होगा :

(प्रतिबन्ध यह है कि असम राज्य की विधान सभा के निर्वाचन के लिए, बोडोलैण्ड प्रादेशिक जिला क्षेत्र में सम्मिलित निर्वाचन क्षेत्रों में अनुसूचित जनजातियों और गैर अनुसूचित जनजातियों का प्रतिनिधित्व, इस प्रकार अधिसूचित, और बोडोलैण्ड प्रादेशिक जिला क्षेत्र के गठन के पूर्व, बनाए रखा जाएगा।)

अनुच्छेद 335. सेवाओं और पदों के लिए अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के दावे के संदर्भ में स्पष्ट किया है – या किसी राज्य के कार्यकलाप से संबंधित सेवाओं और पदों के लिए नियुक्तियां करने में, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों के दावों का, प्रशासन की दक्षता बनाए रखने की संगति के अनुसार ध्यान रखा जाएगा :" संविधान संशोधन सं. 82, 2000 यह उपबंध करता है कि अनुच्छेद 335 की कोई बात राज्य को अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित

जनजाति से दावों के लिए ऐसे उपबंध करने से नहीं रोकेगा जो संघ या राज्य से संबंधित किसी वर्ग या सेवा के वर्गों या पदों पर प्रोन्नत के संदर्भ में आरक्षित है।

अनुच्छेद 338–क. अनुसूचित जनजाति के लिए राष्ट्रीय आयोग के संदर्भ में स्पष्ट करता है –(1) अनुसूचित जनजाति के लिए एक आयोग होगा जो राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के नाम से ज्ञात होगा।

(2) संसद द्वारा इस निमित्त बनाई किसी विधि के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, आयोग एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और तीन अन्य सदस्यों से मिलकर बनेगा और इस प्रकार नियुक्त किए गए अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों की सेवा की शर्तें, और पदावधि ऐसी होंगी, जो राष्ट्रपति नियम द्वारा अवधारित करें।

(3) राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अधिपत्र द्वारा आयोग के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति करेगा।

(4) आयोग को अपनी प्रक्रिया स्वयं विनियमित करने की शक्ति होगी।

(5) आयोग का यह कर्तव्य होगा कि वह, –

(क) अनुसूचित जनजातियों के लिए इस संविधान या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि या सरकार के किसी आदेश के अधीन उपबंधित रक्षोपायों से संबंधित सभी विषयों का अन्वेषण करे और उन पर निगरानी रखे तथा ऐसे रक्षोपायों के कार्यकरण का मूल्यांकन करे;

(ख) अनुसूचित जनजातियों को उनके अधिकारों और रक्षोपायों से वंचित करने की बाबत विनिर्दिष्ट शिकायतों की जांच करे;

(ग) अनुसूचित जनजातियों के सामाजिक, आर्थिक विकास की योजना प्रक्रिया में भाग ले और उन पर सलाह दे तथा संघ और किसी राज्य के अधीन उनके विकास की प्रगति का मूल्यांकन करे;

घ) उन रक्षोपायों के कार्यकरण के बारे में प्रतिवर्ष और ऐसे अन्य समयों पर जो आयोग ठीक समझे राष्ट्रपति को प्रतिवेदन दे;

(ङ.) ऐसे प्रतिवेदनों में उन उपायों के बारे में जो उन रक्षोपायों के प्रभावपूर्ण कार्यान्वयन के लिए संघ या किसी राज्य द्वारा किए जाने चाहिए तथा अनुसूचित जनजातियों के संरक्षण, कल्याण और सामाजिक–आर्थिक विकास के लिए अन्य उपायों के बारे में सिफारिश करे ;

(च) अनुसूचित जनजातियों के संरक्षण, कल्याण, विकास तथा उन्नयन के संबंध में ऐसे अन्य कृत्यों का निर्वहन करे जो राष्ट्रपति संसद द्वारा बनाई गई किसी विधि के उपबंधों के अधीन रहते हुए नियम द्वारा विनिर्दिष्ट करे।

(6) राष्ट्रपति ऐसे सभी प्रतिवेदनों को संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाएगा और उसके साथ संघ से संबंधित सिफारिशों पर की गई या किए जाने के लिए प्रस्थापित कार्यवाही तथा यदि कोई ऐसी सिफारिश अस्वीकृत की गई है तो अस्वीकृतों के कारणों को स्पष्ट करने वाला ज्ञापन भी होगा।

(7) जहां कोई ऐसा प्रतिवेदन या उसका कोई भाग किसी ऐसे विषय से संबंधित है जिसका किसी राज्य सरकार से संबंध है तो ऐसे प्रतिवेदन की एक प्रति उस राज्य के राज्यपाल को भेजी जाएगी जो उसे राज्य के विधान मंडल के समक्ष रखवाएगा और उसके साथ राज्य से संबंधित सिफारिशों पर की गई या किए जाने के लिए प्रस्थापित कार्यवाही तथा यदि ऐसी कोई सिफारिश अस्वीकृत की गई है तो अस्वीकृति के कारणों को स्पष्ट करने वाला ज्ञापन भी होगा।

(8) आयोग को खण्ड (5) के उपखण्ड (क) में निर्दिष्ट किसी विषय पर अन्वेषण करते समय या उपखण्ड (ख) में निर्दिष्ट किसी परिवाद के बारे में जांच करते समय, विशिष्टतया निम्नलिखित विषयों के संबंध में, वे सभी शक्तियां होंगी जो वाद का विचारण करते समय सिविल न्यायालय को है, अर्थात्–

(क) भारत के किसी भी भाग में किसी भी व्यक्ति को समन करना और हाजिर कराना तथा शपथ पर उसकी परीक्षा करना;

(ख) किसी दस्तावेज को प्रकट और पेश करने की अपेक्षा करना ;

(ग) शपथ–पत्रों पर साक्ष्य ग्रहण करना;

(घ) किसी न्यायालय या कार्यालय से किसी लोक अभिलेख या उसकी प्रति की अपेक्षा करना,

(ङ) साक्षियों और दस्तावेजों की परीक्षा के लिए कमीशन निकालना;

(च) कोई अन्य विषय, जो राष्ट्रपति नियम द्वारा अवधारित करे।

(9) संघ और प्रत्येक राज्य सरकार अनुसूचित जनजातियों को प्रभावित करने वाले सभी महत्वपूर्ण नीतिगत विषयों पर आयोग से परामर्श करेगी।

अनुच्छेद 339. अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के बारे में संघ का नियंत्रण तथा आदेश के सन्दर्भ में स्पष्ट करता है – (1) राष्ट्रपति, राज्यों के अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के बारे में प्रतिवेदन देने के लिए आयोग की नियुक्ति, आदेश द्वारा, किसी भी समय कर सकेगा और इस संविधान के प्रारम्भ से दस वर्ष की समाप्ति पर करेगा।

आदेश में आयोग की संरचना, शक्तियां और प्रक्रिया परिनिश्चित की जा सकेंगी और उसमें ऐसे आनुषंगिक या सहायक उपबन्ध समाविष्ट हो सकेंगे जिन्हें राष्ट्रपति आवश्यक या वांछनीय समझे।

(2) संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार (किसी राज्य) को ऐसे निदेश देने तक होगा जो उस राज्य की अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए निदेश में आवश्यक बताई गई स्कीमों के बनाने और निष्पादन के बारे में है।

अनुच्छेद 342. अनुसूचित जनजातियों को परिभाषित करते हुए स्पष्ट करती है–(1) राष्ट्रपति, (किसी राज्य) (या संघ राज्य क्षेत्र) के संबंध में और जहां वह राज्य है वहां उसके राज्यपाल से परामर्श करने के पश्चात्) लोक अधिसूचना द्वारा, उन जनजातियों या जनजाति समुदायों अथवा जनजातियों या जनजाति समुदायों के भागों या उनमें के यूथों को विनिर्दिष्ट कर सकेगा, जिन्हें इस

संविधान के प्रयोजनों के लिए, (यथास्थिति) उस राज्यया संघ राज्यक्षेत्र) के संबंध में अनुसूचित जनजातियां समझा जाएगा।

(2) संसद, विधि द्वारा, किसी जनजाति या जनजाति समुदाय को अथवा किसी जनजाति या जनजाति समुदाय के भाग या उसमें के यूथ को खण्ड (1) के अधीन निकाली गई अधिसूचना में विनिर्दिष्ट अनुसूचित जनजातियों की सूची में सम्मिलित कर सकेगी या उसमें से अपवर्जित कर सकेगी, किन्तु जैसा ऊपर कहा गया है उसके सिवाय उक्त खण्ड के अधीन निकाली गई अधिसूचना में किसी पश्चात्‌वर्ती अधिसूचना द्वारा परिवर्तन नहीं किया जाएगा।

पांचवीं अनुसूची के अनुच्छेद 244(1) में अनुसूचित क्षेत्रों एवं अनुसूचित जनजातीयों के पशासन एवं नियंत्रण के बार में उपबन्ध करता है जिसके भाग 2 में जंनजातीय सलाहकार परिषद्‌ की स्थापना का उपबन्ध है। (1) ऐसे प्रत्येक राज्य में, जिसमें अनुसूचित क्षेत्र हैं और यदि राष्ट्रपति ऐसा निदेश दे तो, किसी ऐसे राज्य में भी जिसमें अनुसूचित जनजातियां हैं, किन्तु अनुसूचित क्षेत्र नहीं हैं, एक जनजाति सलाहकार परिषद्‌ स्थापित की जाएगी जो बीस से अनधिक सदस्यों से मिलकर बनेगी जिनमें से यथाशक्य निकटतम तीन चौथाई उस राज्य की विधान सभा में अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधि होंगे :

परन्तु यदि उस राज्य की विधान सभा में अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधियों की संख्या जनजाति सलाहकार परिषद्‌ में ऐसे प्रतिनिधियों से भरे जाने वाले स्थानों की संख्या से कम है तो शेष स्थान उन जनजातियों के अन्य सदस्यों से भरे जाएंगे।

(2) जनजाति सलाहकार परिषद्‌ का यह कर्तव्य होगा कि वह उस राज्य की अनुसूचित जनजातियों के कल्याण और उन्नति से संबंधित ऐसे विषयों पर सलाह दे जो उसको राज्यपाल द्वारा निर्दिष्ट किए जाएं। भाग – ग, अनुसूचित क्षेत्र के संदर्भ में स्पष्ट करता है कि – अनुसूचित क्षेत्र –(1) इस संविधान में, "अनुसूचित क्षेत्र" पद से ऐसे क्षेत्र अभिप्रेत हैं जिन्हें राष्ट्रपति आदेश द्वारा अनुसूचित क्षेत्र घोषित करे।

(2) राष्ट्रपति किसी भी समय आदेश

(क) निदेश दे सकेगा कि कोई संपूर्ण अनुसूचित क्षेत्र या उसका कोई विनिर्दिष्ट भाग अनुसूचित क्षेत्र या ऐसे क्षेत्र का भाग नहीं रहेगा;

(कक) किसी राज्य के किसी अनुसूचित क्षेत्र के क्षेत्र को उस राज्यपाल से परामर्श करने के पश्चात्‌ बढ़ा सकेगा।

संविधान की छठी अनुसूची का अनुच्छेद 275(1) असम मेघालय त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में उपवैध करता है। अतः भारतीय संविधान में अस्थाई उपबंधों के साथ जनजाति के विकास के विशेष आयाम प्रारम्भ से ही व्यवस्थित थे।

2.7 भारत के जनजातीय विकास की नीतियां –

23.6 नीतियां किसी कार्य हेतु सामान्य आधार/निर्देश है। जबकि नीतियों को सही विधि से लागू करने का स्वरूप रणनीति है। रणनीति विभिन्न उद्देश्यों एवं तथ्यों को प्राप्त करने का आधार है। अतः जनजातीय विकास के परिप्रेक्ष्य में उचित रणनीति की आवश्यकता है। भारत में जनजातीय समस्याओं एवं पिछड़ेपन को लम्बित करते हुए प्राचीन काल से कमोबेश विविध पक्षों से सुधार के प्रयास हुए हैं।

प्राचीन भारत में जनजातीया एक स्वतंत्र जीवन जीती थी तब वे समस्या में नहीं थी अतः किसी जनजातीय नीति की आवश्यकता भी नहीं थी। मात्र कुछ लोग यथा राजाओं एवं राजकुमारों के शिकार के समय या आकस्मिक क्षेत्र भ्रमण के समय जनजातियों से आकस्मिक मेल के प्रमाण रामायण एवं महाभारत आदि ग्रन्थों में मिलती है यथा राम के द्वारा शबरी के जूठे बेर खाने के प्रमाण रामायण में एक आदर्श उदाहरण है। अतः प्राचीन समय में उनके पृथकता एवं शुद्धता को कम नहीं किया गया। अशोक के शिलालेखों में जनजातियों के मेल के प्रमाण मिले हैं। हालांकि यह स्पष्ट है कि आर्यो ने इन पिछड़ी आदिम जातियों को कठोर क्षेत्रों की ओर पलायित किया है। तथा उन पर हिन्दू प्रभाव डाला है। अतः अधिकांश जनजातियों में हिंदू प्रभाव स्पष्ट दिखता है। और कभी–कभी राजपूत राजाओं के अधीन संगठित होने के प्रमाण मिले है। मुस्लिम राज में कुछ जनजातियों के शासन सत्ता में क्षेत्रों के प्रमाण मिले हैं यथा गोड राज्य। और मुस्लिम राजाओं की सेना तथा प्रशासन में महत्वपूर्ण पदों के हकदार बने। इस काल में पिछड़े क्षेत्र वाह्य हिन्दू वर्गो के अतिक्रमण एवं भूमि हस्तांतरण की प्रक्रिया प्रारम्भ हो गई थी। जिसने जनजातियों को आदिम अवस्था में बनाए रखा और यह वर्तमान समय तक जनजातियों को पिछड़े रखने के लिए जिम्मेदार भी है।

ब्रिटिश शासन काल में जब मिशनरी लोगों ने आदिम जनजातीय क्षेत्रों में प्रवेश किया तो सरकार इनके बारे में सजग हुई। जेम्स हट्टन जनजातियों पर ब्रिटिश प्रभावों को स्पष्ट करते हुए लिखते हैं *"Far from being of immediate benefit to the Primitive Tribe. The establishment of British rule in India did most of them did much harm then good. It may be said that the early days of British administration did very great detriment to the economic Position of Tribes Through ignorance of Tribes and Customs. Many changes have been caused incidentally by the Penetration of Tribal country. The opening up of Communication the Protection of forest and establishment of schools to say nothing the opening given in this way to Christian missions many of the Results of these changes have caused acute discomfort to the Tribes."*[76]

धुर्ये ने इस सन्दर्भ में स्पष्ट किया *"A cuteness of discomfort was very often so great that it lead to apathy, indifference. Moral deterioration and even a decline of population.*[77] ब्रिटिश नीतियों के प्रभाव से जनजातियों के विकसित पड़ोसियों एवं अधिकारियों ने उनका शोषण किया। ब्रिटिश सोचते थे कि ये जनजातियां आदिम एवं पिछड़ी हैं। वनसंरक्षण की नीतियों ने इन्हें बाधित एवं हासिल किया। जमींदारों भूस्वामियों तथा ठेकेदारों ने इनका शोषण किया। क्योंकि ब्रिटिश शासन का

आधार ही 'समर्थक को सहारा' support to supporters की रही हैं। अतः जनजातीय शोषण एवं पृथकता ने जनजातियों को गरीबी कर्ज तथा दुर्दशाओं की ओर ढकेला है। परिणामतः 1772 के मलपहाड़ी, विद्रोह, 1831 का सिंह भूमि का हो विद्रोह, 1846 का खोड विद्रोह, 1855 का संथाल विद्रोह, आदि इस शोषण के प्रति असंतोष का परिणाम थे। इसके पश्चात् ब्रिटिश सरकार द्वारा इन्हें पृथक् करने की नीति में 1874 के अनुसूचित जनपद अधिनियम, 1919 भारत सरकार अधिनियम की धारा 52(ए) 1935 का भारत सरकार अधिनियम आदि में इन्हें स्वतंत्रता से जीने देने की बातें की गई हैं।

अंग्रेजों ने आदिम जातियों के स्वयं में जीने की प्रवृत्ति को देखते हुए कुछ जनजातियों के प्रति पूर्णतः अलगाव तथा कुछ को विशेष मामलों में पृथकता की नीति का अनुशरण किया गया जिन प्रान्तों में जनजातियां रहती थीं उनके सामान्य प्रशासन के हस्तक्षेप को जनजातीय क्षेत्रों में कम किया गया तथा जनजातीय दशाओं को समझने वाले एक सरकारी कर्मचारी की नियुक्ति हुई। अतः जनजातियों के प्रति ब्रिटिशों की पूर्ण अलगाव (Isolation) तथा समिति पृथकता (Partially Exclusion) की नीति रही है। जिन अधिकारियों ने पृथक छोड़ने की नीति का अनुसरण किया उनका विचार था जनजातीय क्षेत्रों में प्रशासन का कार्य घने वनों वाले क्षेत्रों में कठिन है क्योंकि वहां राजनीतिक छूट का प्रभाव तीव्रगति से होती है एवं नियंत्रण कठिन हो जाता है।

अधिकांश अधिकारी सोचते थे कि जनजातीय लोग अपनी मूल संस्कृति से ज्यादा खुश रहते हैं। वे मानते थे कि जनजातीय सांस्कृतिक पृष्ठभूमि में अनावश्यक हस्तक्षेप ठीक नहीं है। जनजातीय क्षेत्रों के नियम एवं कानूनों के व्यवस्थितीकरण के लिए स्थानीय संस्थाओं को प्रशासन का जिम्मा सौंपा गया। वारेन हेस्टिंग्स के काल से जनजातीय लोगों को प्रशासनिक अधिकार मिलना प्रारम्भ हुआ। मुनरो एफिन्सर्टन तथा मेटकाफ जैसे प्रशासकों ने जनजातीय क्षेत्रों में प्रशासन की नई व्यवस्था लागू की तथा मिशनरियों के प्रभाव से जनजातियों में ईसाईयत के प्रति श्रद्धा तथा विश्वास को स्थापित करने का प्रयास किया गया। अतः ब्रिटिश काल में संस्कृति धर्म एवं जातिगत हस्तक्षेप तथा आर्थिक शोषण ने जनजातयों को राजनीतिक एवं सामाजिक कठिनाई में ढकेल दिया था।

स्वतंत्रता के पश्चात् जनजातियों तथा पिछड़े वर्गों को समान धारा पर लाने के प्रयास हुए तथा भावनात्मक एकरूपता की नीति का अनुसरण किया गया। धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक समाज बनाने के लिए संविधान ने अनुच्छेद 46, में जनजातियों के विशेष उपबंध किए गये। तथा विविध पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से जनजातियों को गैर जनजातियों के समान लाने के प्रयास किए गये। अनुसूची 5 एवं 6 में जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन एवं प्रबंधन का स्वरूप निर्धारित किया गया। भाग तीन, चार, दस, बारह, एवं सोलह में जनजातियों के लिए विशेष उपबंध किये गये। अल्पसंख्यक जनजातियों के लिए विशेष संरक्षण उपबंधों के साथ शिक्षा को महत्ता दी गई है। अनुसूची 15(4) एवं 29(1) में रोजगार संख्या अनुच्छेद 16(4), 320(4), 333 में आर्थिक संरक्षा अनु. 19 में, शोषण से संरक्षा अनु. 46 में राजनीतिक संरक्षा अनु. 330, अनु. 332, अनु. 333, अनु. 334 में तथा विशिष्ट बातों के लिए अनु. 371(7) 371 (13) एवं 371 (6) में तथा अनुसूचित के लिए वित्त पोषण की व्यवस्था अनुच्छेद 275 में की

गई। अनुच्छेद 75 में कानूनी सहायता तथा अनु. 164 में बिहार मध्य प्रदेश, उड़ीसा में विशेष मंत्री की नियुक्ति का प्राविधान है।[78] (संविधान में जनजातीय उपबंधां की विस्तृत चर्चा अध्याय के संविधान एवं जनजातियां खण्ड में की गई है।)

तालिका सं0 2.11 : भारत के पंचवर्षीय योजनाओं में जनजातीय विकास

क्रम सं.	पंचवर्षीय योजना	विकास कार्यक्रम	जनजातियों पर आयोजना व्यय करोड़ रूपये में	कुल योजना व्यय का प्रतिशत	जनजाति जनसंख्या करोड़ में	कुल जनसंख्या का प्रतिशत
1.	प्रथम पंचवर्षीय योजना (1 अप्रैल 1951–31 मार्च 1956)	सहभागिता विकास उपागम	17.47	0.83	2.25	6.62
2.	द्वितीय पंचवर्षीय याजेना (1 अप्रैल 1956–31 मार्च 1961)	46बहुउद्देशीय विकास खण्डों का चयन, पंचशील को अपनाना	48.86	0.87	2.62	6.62
3.	तृतीय पंचवर्षीय योजना (1 अप्रैल 1961–31 मार्च 1966)	व्यवस्थित जनजातीय विकास खण्डों के सुधार एवं 484 विकास खण्डों का पोषण	52.55	0.61	299	6.80
4.	तीन एक वार्षिक योजना (1 अप्रैल 1966–31 मार्च 1969)	जनजातीय विकास खण्डों की समीक्षा	34.64	0.61	3.35	6.80
5.	चतुर्थ पंचवर्षीय योजना (1 अप्रैल 1969–3 मार्च 1974)	व्यवस्थित जनजातीय विकास एजेन्सी का चयन	75.00	0.47	3.80	6.90
6.	पंचम पंचवर्षीय योजना (1 अप्रैल 1974–31 मार्च 1978)	जनजातीय उपयोजना एकीकृत विकास कार्यक्रम, एवं बिखरी जनजाति विकास कार्यक्रम LAMPS का गठन	605.00	1.11	4.11	6.90
7.	वार्षिक योजना (1 अप्रैल 1978–31 मार्च 80)	ITDP का क्रियान्वयन एवं जनजातीय विकास	867.11	-	4.11	6.90
8.	षष्ठ पंचवर्षीय योजना (1 अप्रैल 1980–31 मार्च 1985)	एकीकृत उपागम पर अत्यधिक धन व्यवस्था एवं जनजातीय उपयोजना का विस्तार गरीबी निवारण कार्यक्रम	4694.00	6.61	5.38	7.80
9.	सप्तम पंचवर्षीय योजना (1 अप्रैल 1986–31 मार्च 1990)	जनजातीय उपयोजना के माध्यम से अवसंरचनात्मक सुविधाओं का विस्तार जनजातीय सहकारी संस्थाओं की स्थापना	7921.00	4.40	5.78	7.80
10.	वार्षिक योजनाऐं (1 अप्रैल 1990–31 मार्च 1992)	पूर्व संचालित कार्यक्रमों का संचालन	847	-	6.77	8.08
11.	अष्टम पंचवर्षीय योजना (1 अप्रैल 1992–31 मार्च 1997)	वैयक्तिक सहभागिता आधारित जनजातीय विकास	16640.00	4.05	6.77	8.08
12.	नवम् पंचवर्षीय योजना (1 अप्रैल 1997–31 मार्च 2002)	जनजातीय युवा संगठनों एवं जनजातीय मंत्रालय का गठन एवं जनजातीय सशक्तिकरण	3174.13	-	8.88	8.60
13.	दशम् पंचवर्षीय योजना (1 अप्रैल 2002–31 मार्च 2007)	जनजातीय विकास को तीव्र सहभागी बनाने के प्रयास, मूलभूत सुविधाओं का विकास आदिम जनजातियों की सुरक्षा जनजातीय प्रवास पर नियंत्रण	5754.00	-	8.88	8.60

स्रोत : विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं के ड्राफ्ट

1950 में राष्ट्रपति के विशेष आदेश के तहत जनजातियों के विकास के लिए प्रयास प्रारम्भ हुआ और सेवाओं में आरक्षण राजनीतिक सहभागिता, जनजातीय सलाहकार समिति के प्रयासों तथा

आर्थिक उन्नयन के कार्यों की सहभागिता पूर्ण नीति से जनजातियों को मानचित्र पर ऊपर एक स्थान दिलाने के प्रयास हुए। अब व्यवस्थित जनजातीय नीतियों का निर्माण किया गया तथा जनजातीय क्षेत्रों पर विशेष ध्यान केन्द्रित करते हुए जनजातीय विकास खण्डों विशेष बहुउद्देशीय विकास खण्डों[79] की स्थापना हुई तथा जनजातियों को अच्छी दशा उत्तम जीवन स्तर दिलाने के प्रयास शुरू हुए।[80] भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहर लाल नेहरू ने बेरियर एल्विन की 'फिलासफी आफ नेफा' पुस्तक का विमोचन करते हुए जनजातीय विकास के पंचशील स्वरूप[81] को स्वीकार किया। उन्होंने अनुभव किया कि विकास विविध दृष्टिकोण से करना होता है जिसमें संचार, स्वास्थ्य, शिक्षा एवं अच्छी कृषि मुख्य पक्ष हैं। अतः निश्चित ढांचे के पांच आधारों पर जनजातीय विकास की वकालत की है। 1. यथा जनजातीय लोग स्वयं के मत से विकसित हो, हम उन पर कुछ लादे नहीं, और उनके कला एवं संस्कृति को हर दृष्टि से प्रोत्साहित करें। 2. भूमि तथा वनों पर उनके अधिकार को सुरक्षित करते हुए शोषण से मुक्ति के प्रयास किए जाए। 3. विकास अधिकारियों को जनजातीय जीवन क्षेत्र एवं विशेषताओं का ज्ञान होता था, जनजातीय लोगों को एक समूह को प्रशिक्षित करना चाहिए जो उनके प्रशासन एवं विकास के लिए कार्य कर सके कुछ दशाओं को छोड़कर बाहरी लोगों को जनजातीय हस्तक्षेप से निराश किया जाए। 4. अति प्रशासन एवं अतिदबाव की नीति को हासिल करते हुए विभिन्न योजनाओं के माध्यम से उनके सामाजिक, सांस्कृतिक संस्थानों को विकसित करना चाहिए। 5. पैसे के व्यय से विकास का अनुमान न करके मानव चरित्र के निर्माण तथा गुणवत्ता के आधार पर विकास का आंकलन करना चाहिए।

स्वाधीनता पश्चात सोवियस रूस के 'गोसो प्लान' पर आधारित पंचवर्षीय योजनाओं का शुभारंभ हुआ। अप्रैल 1951 से प्रारम्भ प्रथम पंचवर्षीय योजना में गरीबी पिछड़ापन एवं अशिक्षा की विशाल चुनौती को आधार मानकर सम्पूर्ण विकास एवं सुसम्पन्न बनाने के प्रयास प्रारम्भ हुए। 50 प्रतिशत से अधिक जनजातीय जनसंख्या वाले क्षेत्रों को अनुसूचित क्षेत्रों के रूप में पहचान कर समुदाय विकास कार्यक्रम कार्यक्रम विकास प्रखण्ड (TDB) जैसे कार्यक्रमों के माध्यम से सहभागिता विकास तथा संरक्षण के प्रयास हुए तथा 19.93 करोड़ रूपये खर्च किए गये। जो कुल योजना लागत का 1 प्रतिशत से कम था।

द्वितीय पंचवर्षीय योजना (1956–61) में 43 जनजातीय विकास खण्डों का गठन किया गया तथा इन पर 6.42 करोड़ रूपये खर्च किए गये। सम्पूर्ण योजना में जनजातीय विकास पर 43.93 करोड़ रूपये खर्च हुए जो योजना की राशि का 0.60 प्रतिशत था जिसमें शिक्षा संचार कृषि पशुपालन तथा चिकित्सा सुविधाओं को प्राथमिकता दी गई। इस योजना में बेरियर एल्विन समिति (1960) ने बहुउद्देशयीय जनजातीय विकास प्रखण्डों का मूल्यांकन किया।

तृतीय पंचवर्षीय योजना (1961–66) में 489 जनजातीय विकास खण्ड खोले गये जिसमें खाद्य उत्पादन एवं उत्पादकता बढ़ाने तथा एडविन कमीशन एवं हेवार कमेटी (1960–61) के सुझाव पर शिक्षा व्यवस्था, सघन कृषि कार्यक्रम (JADP) आवास एवं संचार पर विशेष ध्यान दिया गया। तथा कुल 53.40 करोड़ रू. खर्च हुआ जो कुल योजना का 0.6 प्रतिशत था। हालांकि इस योजना पर 1962 में

चीन से युद्ध तथा 1965 के पाकिस्तान से युद्धों का प्रभाव पड़ा। अतः कुल योजना राशि में प्रति व्यक्ति अनुपात 3.90 रू. से घटकर 3.58 रूपये हो गया था। 1966–69 के मध्य तीन एकवर्षीय योजनाओं में 34.64 करोड़ रूपये खर्च हुए। 1966 में पी. शीलू ए. ओ. की अध्यक्षता में जनजातीय विकास योजनाओं के मूल्यांकन के आयोग का गठन किया गया।

चौथी पंचवर्षीय योजना (1969–74) इस योजना में तत्कालीन प्रधानमंत्री इन्दिरा गांधी ने 'गरीबी हटाओ' का नारा दिया। अतः गरीब लोगों की समस्या को हल करने के लिए लघु कृषक विकास एजेन्सी (एस. एफ. डी. ए.) जनजातीय विकास एजेन्सी, विशेष ग्राम्य विकास योजनाएं एवं वानिकी योजनाओं को लागू किया गया। योजना काल में 6 पायलट प्रोग्राम लागू किए गये जिसमें 40,000 लोगों को शामिल किया गया। जिन पर 1.50 करोड़ रूपये खर्च किए गये। कार्यक्रम में कृषि के तकनीक प्रयोग उर्वरक बीज सिंचाई सुविधाओं लघु कृषक विकास एजेन्सी, (SFDA) सीमान्त कृषक एवं कृषक श्रमिक एजेन्सी (MFL) पशु चिकित्सा मत्स्यन पर विशेष बल दिया गया। सम्पूर्ण योजना काल में 75.00 करोड़ रूपये खर्च किए गये जो योजना राशि का .47 प्रतिशत था।

स्वाधीनता पश्चात् से 1974 तक जनजातीय विकास योजनाओं से बढ़े संपर्कों में वाह्य लोगों ने रूचि दिखाया तथा 1950–60 में भूमि हस्तांतरण व शोषण की समस्या बढ़ी एवं बंधुआपन में वृद्धि हुई। तथा गरीबी शैक्षिक पिछड़ेपन एवं सामाजिक कमजोरियों में अल्प मात्रा में कमी आयी।[82] यहां तक जनजातीय विकास खण्डों का प्रभाव संतोषजनक नहीं रहा ये मात्र कुछ क्षेत्रों में छोटी सिंचाई योजना को संचार साधन विकास एवं विद्युतीकरण आदि सीमित रह गये। प्रारम्भिक योजनाओं में यही मुख्य कमियों में संविधान में जनजातीय क्षेत्रों एवं जनजातियों के लिए विशेष प्रावधानों को सही से लागू करना, कम धन को अधिक से अधिक पक्षों पर खर्च करना, सरकार की सैद्धान्तिक नीतियों का अभाव आदि आदि मुख्य है। 1969 में पी. शीलू. ए ओ कमेटी ने जनजातीय विकास कार्यक्रमों की समीक्षा करते हुए स्पष्ट किया *"If Progress is to be Judged by what remains to be done to bring the Tribal on Par with the Rest of Population the lee way to made up is still Considerable and that the delay in the implementation of considered recommendation were intended to correct while the failure to pay attention to and profit by their advise on matters Pertaining to the partition and implementation of Tribal development Programmes has Resulted in failure of Resulted schemes and consequent waste of valuable Resources."*[83] समिति ने जनजातीय विकास खण्डों को कम एवं प्रभावी तथा कार्यक्रमों को स्थानीय आवश्यकतानुसार न होने की कमी को उजागर किया।

पांचवीं पंचवर्षीय योजना (1974–79) – पूर्व योजनाओं की कमियों को ध्यान में रखते हुए बनी इस योजना से भारत में जनजातीय विकास का नया अध्याय जुड़ा। जिसमें निर्धनता निवारण तथा आत्मनिर्भरता को मुख्यतः लक्षित किया गया। सरकार ने जनजातीय विकास की निश्चित एवं स्पष्ट रणनीति बनायी। जिसमें निर्धनता निवारण तथा आत्मनिर्भरता को मुख्यतः लक्षित किया गया योजना में

विशेष जनजातीय क्षेत्रों की पहचान करते हुए योजना आयोग ने पिछड़े वर्गों के विकास की जांच हेतु विशेष जांच दलों को मध्यम एवं वृहत स्तरों पर गठन किया। केन्द्रीय संयोजक समिति (Central Coordination Committee) का गठन पिछड़े क्षेत्रों के जनजातीय क्षेत्रों के विकास की नयी रणनीतियां हिस्सा थीं। कमेटी तथा कार्यात्मक समूहों ने पांचवीं पंचवर्षीय योजना में एक नयी रणनीति का शुभारम्भ किया। जिसे जनजातीय उपयोजना का नाम दिया गया। जनजातीय उपयोजना एक नीति नहीं वरन एक नया उपागम था। जिसमें जनजातीय क्षेत्रों की विशेष आवश्यकताओं, हेतु विकास रणनीति में एकीकृत क्षेत्र विकास उपागम को अपनाया गया। उपागम मे केन्द्रीय सहायता, राज्य सरकारों की सहायता से विकास की सामान्य दशाओं को लागू करते हुए जनजातीय क्षेत्रों में संस्थान एवं प्रशासन का पुनः व्यवस्थितीकरण किया गया।

उपयोजना के उद्देश्यों ने जनजातियों तथा और जनजातियों के बीच विकास के अंतर को कम करना, जनजातियों के जीवन स्तर में उत्थान करना, शोषण में कमी, सामाजिक आर्थिक विकास को गति तथा जनजातीय संगठनात्मक स्वरूप को विकसित करना मुख्य था। इस उपयोजना में समस्या निराकरण, के (Problem Solving) उपागम को पहली बार आधार दिया गया।[84] तथा समस्याओं को नैतिक आधार पर जांचा गया। उपयोजना में जनजातीय क्षेत्रों को तीन वर्गों में विभक्त किया गया। 50 प्रतिशत से अधिक जनजातीय जनसंख्या के 50 प्रतिशत से कम एवं बिखरी जनजातीय जनसंख्या के लिए पूर्णतया पिछड़ी एवं पृथक लघु आदिम समुदायों का क्षेत्र।

पचास प्रतिशत से अधिक जनजातीय जनसंख्या वाले क्षेत्रों को प्रथमतः लेते हुए परियोजना क्षेत्रों का गठन किया गया। तथा प्रत्येक क्षेत्र में परियोजना में एकीकृत जनजाति विकास परियोजना/एकीकृत जनजाति विकास एजेन्सी लागू की गई। सम्पूर्ण जनजातीय उपयोजना में 180 ITDP ने कार्य प्रारम्भ किया। ITDP एकछत्र कार्य संगठन है One Umbrella organisation[85] जिसमें जनजातीय लोगों की समस्त समस्याओं को एक जगह एक अधिकारिता से संदर्भ के तहत निराकरण किया है। आदर्श रूप में एक परियोजना क्षेत्र की समस्याओं का क्रम से पहचान कर प्राथमिकता के आधार पर निराकरण करते हुए सामाजिक आर्थिक दशाओं में उत्थान करती है।[86]

75 बिखरी एवं पृथक आदिम जनजातियों के लिए सूक्ष्म परियोजनाएं संचालित की जा रही है। ये आदिम जातियां अल्प भाषा में हैं तथा नीति निर्धारकों की दृष्टि में पृथक रही है। अतः पिछड़ेपन की समस्या तथा अन्य समस्याओं से जूझ रही थी।[87] इन बन्द समूहों (Closed Groups) के लिए इनके परम्परागत विचारों को लेते हुए सामाजिक आर्थिक विकास की रणनीतियां बनाई गई है।

जिन जनजातीय उपखण्डों में 10000 का अधिक की जनसंख्या 50 प्रतिशत से कम जनजातीय जनसंख्या थी वहां परिष्कृत क्षेत्र विकास उपागम (MADA) अपनाया गया जो इन क्षेत्रों के सामाजिक आर्थिक विकास का कार्य कर रहे हैं।

1976 के तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने 20 सूत्रीय कार्यक्रम की घोषणा की। 'गरीबी हटाओ' के मुख्य बिन्दु पर आधारित इस कार्यक्रम के पैरा 11(5) में जनजातियों ने भूमि के समुचित वितरण शोषण से निजात, एवं आर्थिक विकास पर ध्यान केन्द्रित किया गया।

इस योजना में 184 ITDP, 277 MADA 73 लघुस्तरीय परियोजना एवं 32 संघ (Clusters) स्थापित किए गये तथा कुल 1102 करोड़ रूपये व्यय किया गया। जो कुल योजना राशि का 3.01 प्रतिशत था।

छठी पंचवर्षीय योजना 1980–85 1979 में जनता सरकार ने छठी पंचवर्षीय योजना का कार्य आधार तैयार किया जिसे 1980 में श्रीमती इन्दिरा गांधी जो तत्कालीन योजना आयोग की अध्यक्ष थी ने संशोधित कर पुनः (1980–85) की अवधि के लिए निर्मित किया। इस योजना में जनजातीय शोषण को कम करने जनजातीय सामाजिक आर्थिक विकास प्रक्रिया को तीव्र करने, तथा जनजातियों में संगठनात्मक क्षमता के विकास की रणनीति रखी गई। इस योजना काल में जनजातियों के विविध क्रियाकलाप में यथा कृषि, पशुपालन, वनीकरण, उद्योग आदि में उत्पादन बढ़ाकर, 50 प्रतिशत लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर पहुँचाना मानव संसाधनों का विकास एवं शिक्षा स्तर में उत्थान भूमि, कर्म, तथा वन शोषण से जनजातियों को भूमि, जनजातीय क्षेत्रों में आधारभूत सुविधाओं का LAMPS के माध्यम से विकास तथा परिवार विकास उपागम पर बल दिया गया है। अतः इस योजना तक जनजातीय विकास क्षेत्रों के लिए एवं आधार (Platform/Grand) बनाया जा चुका था। योजना काल में जनजातियों पर 5335 करोड़ रूपये खर्च किये गये जो कुल योजना का 5 प्रतिशत था।

सातवीं पंचवर्षीय योजना में 1985–90 ने 1. उत्पादकता स्तर को बढ़ाने को गरीबी हटाने को आधार माना गया। जनजातियों में कृषि बागवानी, पशुपालन, उद्योग के विकास आदि पक्षों में तकनीक के प्रयोग पर बल दिया गया। 2. अभी तक शिक्षा जो काफी कम थी के वैश्वीकरण तथा युवा शिक्षा के स्तर को बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया ताकि साक्षरता में वृद्धि होसके। 3. भूमिबंधक, बंधुमजदूरी तथा शराब के ठेकेदारों द्वारा शोषण को निर्मूल करना आदि पक्ष रखे गये। उत्पादन के लिए आधारभूत अवसंरचनाओं के विकास गरीबी एवं अशिक्षा निवारण के लिए भौतिक सुविधाओं के विकास पर बल दिया गया तथा जनजातीय क्षेत्रों के पर्यावरण संरक्षण पर बल दिया गया। योजनाकाल में कुल 5988.85 करोड़ रूपये खर्च किये गये।

आठवीं पंचवर्षीय योजना में पूर्व कार्यों का विविध स्तरों से मूल्यांकन कर, कार्यक्रमों को उद्देश्य एवं परिणाम आधारित बनाया गया। मात्रात्मक तकनीकों के प्रयोग आदिम जनजातियों के सर्वपक्षीय विकास, शैक्षिक विकास, महिला शिक्षा संस्थान तथा आर्थिक एवं सामाजिक अवसंरचनाओं के विकास का कार्य हुआ।

नवीं पंचवर्षीय योजनाकाल में कुल सामाजिक सशक्तिकरण पर आधारित थी इस काल में जनजातीय विकास मंत्रालय 2000 में गठित किया गया। तथा राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त विकास समिति स्थापित हुई। (2001) योजनाकाल में जनजातियों को स्वतंत्र तथा आत्मविश्वास पूर्ण बनाने,

सामाजिक सशक्तिकरण, आर्थिक सशक्तिकरण, एवं सामाजिक न्याय, शोषण एवं पार्थक्य को समाप्त करना विकास सुविधाओं को धनी एवं निर्धन वर्गों में बांटकर लागू करना, तथा विविध कार्यक्रमों के माध्यम से समाज का उत्थान किया गया। योजनाकाल में 194 ITDP 252 MADA, 78 संघों Clusters एवं 75 आदिम जनजाति विकास में सूक्ष्म परियोजनाओं को पोषित किया गया।

दसवीं योजना – 8.6 प्रतिशत जनजातीय जनसंख्या वाले राष्ट्र भारत की 10वीं पंचवर्षीय योजना में जनजातीय शिक्षा एवं साक्षरता स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, स्वरोजगार महिला बाल विकास, जनजातीय सम्पर्क, जनजातियों के पुर्नवास, भूमि हस्तांतरण को कम कर्ज, स्थान्तरण कृषि तथा वन अधिकारों के प्रति ध्यान आकृष्ट किया गया। शिक्षा, संचार, सिंचाई, सुविधा, संरक्षण आदि पर बल देते हुए मौलिक आवश्यकताओं की पूर्ति, शिक्षा का विकास शिक्षा के स्तर में उत्थान, वन ग्रामों के विकास, वित्तीय सहायता के पुर्नसंगठन SCP तथा TSP की समीक्षा तथा व्यवस्थीतिकरण आदि मुख्य है।

तालिका 2.12 : नवीं एवं दसवीं पंचवर्षीय योजना में जनजातीय विकास के विभिन्न मदों पर खर्च का प्राविधान का मदवार विवरण (करोड़ रू. में)

नीति/योजना Scheme	नवीं पंचवर्षीय (1997–2002) योजना में हिस्सा	दसवीं योजना (2002–2007)
1. गैर सरकारी संगठनों कोचिंग तथा प्रतियोगिता परीक्षा तथा किया गया कार्य	92.09	178.98
2. जनजातीय प्रशिक्षण केन्द्र	30.25	67.12
3. कम साक्षरता वाले कार्यक्रम	23.20	44.74
4. ट्राइफेड को निवेश सहायता एवं मूल्य संवर्धन	41.22	33.63
5. STDC को सहायता	45.48	78.31
6. ग्राम्य अनाज भण्डार	12.80	231.00
7. PIG's का विकास	22.00	111.87
8. NSTF DC	0.00	178.99
9. TSP के विकास की एजेंसी	2010.00	2500.00
10. अनु. 275(1) के तहत ग्रान्ट	750.00	1500.00
11. जनजातीय गांवों का विकास	2.00	
योग	3030.07	4924.64
विशेष केन्द्रीय कार्यक्रम 12. जनजातियों के लिये पश्चात मैट्रिक छात्रवृत्ति 13. बुक बैंक योजना (अनु. जनजाति छात्र) तथा मेरिट स्तरीकरण तथा कोचिंग एवं सहयोगी कार्य*	94.24	383.09
14. जनजातीय छात्र–छात्राओं हेतु छात्रावास	73.39	134.24
15. आश्रम विद्यालय	49.86	78.30
16. शोध एवं प्रशिक्षण जनजाति	25.90	58.73
17. उत्तर पूर्व राज्यों के लिए विशद		175.00
योग	144.06	829.36
महायोग	3174.13	5754.00

स्रोत : दसवीं पंचवर्षीय योजना ड्राफ्ट

• यह कार्यक्रम सन् 2000 तक अनुसूचित जाति एवं जनजाति दोनों के लिए संचालित थी जिसमें जनजातियों पर 94.24 करोड़ रू. खर्च हुए।

2.8 भारत में जनजातीय विकास के मुख्य कार्यक्रम –

सुदूरवर्ती कठोर जलवायु, दुर्गम भू–भाग वाले पृष्ठ प्रदेशों में रहने वाली जनजातियां जो मुख्यत: कृषि पर आश्रित कर्ज में डूबी, निरक्षरता सादगी के कारण शोषण का शिकार, एवं

अवसंरचनात्मक सुविधाओं के अभाव का प्रभाव झेलती है। के विकास के लिए जनजातीय विकास खण्ड एवं जनजातीय उपयोजना के माध्यम से अनु:वर्तन (फालो अप) क्रिया के तहत जनजातीय विकास की रणनीतियां बनाई गई। क्षेत्रों की पहचान स्पष्ट नीतियां एवं प्रशासकीय ढांचा तैयार किया गया तथा केन्द्र एवं राज्य सरकारों एवं सरकारी गैर सरकारी संगठनों के प्रयास से जनजातीय उत्थान के लिए जो कार्यक्रम चलाए गए। उनमें केन्द्र सरकार द्वारा जनजातीय विकास खण्ड, सहकारिता, महिला छात्रावास, मैट्रिक पश्चात छात्रवृत्ति, प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए कोचिंग, तथा परीक्षापूर्व प्रशिक्षण हेतु योजनाएं, शोध प्रशिक्षण एवं विशेष परियोजनाएं, राज्य सरकार द्वारा, मैट्रिक पूर्व छात्रवृत्ति आवास, अनुदान, छात्रावास, निःशुल्क पुस्तकों की सुविधा, स्टेशनरी, वर्दी, दोपहर का भोजन आदि, आर्थिक विकास के लिए एवं कृषि कार्यों के लिए परिदान (सब्सिडी) बीज, खाद, कुटीर उद्योग, पुनर्वास पशुपालन, उद्यान विकास, मत्स्य पालन, सिंचाई तथा मृदा संरक्षण तथा विविध उद्योगों का विकास, स्वास्थ्य, आवास एवं अन्य सुविधाओं के विकास, पीने के पानी की आपूर्ति, मेडिकल तथा जनस्वास्थ्य, सामाजिक सांस्कृतिक गतिविधियां, स्वैच्छिक संस्थाओं को सहायता आदि सुविधाएं एवं धन मुहैया कराया गया है।

बहुउद्देशीय विशेष जनजातीय खण्डों का प्रादुर्भाव 1955 में हुआ। जब जनजातीय क्षेत्रां में 46 विकास खण्ड, गृह मंत्रालय तथा सामुदायिक विकास मंत्रालय के अधीन खोले गये। ये विकास खण्ड अधिक प्रबल योजनाओं, कम क्षेत्र एवं कम जनसंख्या भार केवल अकुशल एवं जनजातीय लोगों से कार्य लेना ऋणों को सहायता के रूप में बांटना, तथा क्षेत्रीय आवश्यकतानुसार प्रशिक्षित कर्मचारी आदि पक्षों में सामान्य विकास खण्डों से भिन्न थे। एल्विन कमेटी की समालोचना तथा कृषि, सिंचाई, भूमि सुधार, मृदा संरक्षण, पर जोर देने एवं कार्यक्रमों में तारतम्यता रखने के सुझावों के पश्चात तृतीय पंचवर्षीय योजना में जनजातीय विकास खण्डों का प्रादुर्भाव हुआ जो जनजातियों के सामाजिक आर्थिक स्तर में सुधार लाने के लिए 484 विकास खण्डों की स्थापना की गई तथा बल दिया गया कि 60 प्रतिशत धन विकास कार्यक्रमों के लिए 25 प्रतिशत संचार एवं संपर्क के लिए 15 प्रतिशत धन सामाजिक सेवा के लिए रखा जाएं। विद्यार्थी टास्क फोर्स के मूल्यांकन के अनुसार यद्यपि इस कार्यक्रम से जनजातियों के दृष्टिकोण विशेषकर शिक्षा एवं कृषि क्षेत्र में परिवर्तन हुआ। परन्तु अपेक्षित फल न देने के कारण कार्यक्रम में अस्थाई कृषि से अलग होने, फलों के पौधों एवं कलमों, तरकारियों के बीज की आपूर्ति, मृदा संरक्षण एवं सिंचाई के लिए ऋण व अनुदान तथा कृषि तरीकों के प्रदर्शन पर बल दिया गया साथ ही सुअर पालन, मुर्गी पालन, भेड़ पालन एवं दुधारू पशुओं की संख्या बढ़ाने स्थानीय कच्चे माल आधारित कुटीर उद्योगों को बढ़ाने सामुदायिक केन्द्रों, शिक्षा, स्वास्थ्य एवं सफाई सुविधाओं के विकास तथा मनोरंजक सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया।

जनजातीय विकास खण्डों की कमियों को आधार बनाते हुए पांचवीं पंचवर्षीय योजना में जनजातीय उपयोजना का विचार आया। यह योजना क्षेत्रीय विकास के नये दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व करती थी। विकास की समस्या को 50 प्रतिशत से अधिक जनसंख्या के क्षेत्रों में तथा बिखरी

जनजातीय जनसंख्या क्षेत्रों में विभक्त किया गया तथा एकीकृत जनजातीय विकास परियोजना का नाम दिया गया जिसका उद्देश्य जनजातीय तथा अन्य क्षेत्रों के विकास के स्तर की दूरी को कम करना, जनजातीय समुदाय के रहन–सहन में सुधार लाना, शोषण का अंत, भूमि हस्तांतरण को रोकने, हस्तान्तरित भूमि को वापस दिलाने, बंधुआ मजदूरी को बन्द करने, औद्योगीकरण द्वारा उत्पन्न समस्याओं तथा आबकारी नीतियों के पुनरीक्षण, कृषि विकास भूमि स्वामित्व में सुधार, सिंचाई सुविधा, उपज के विकसित तरीकों, खाद बीज एवं दवाओं के वितरण कृषि प्रदर्शन तथा भूमि संबंधी अभिलेखों के निरीक्षण, उद्यान विकास कार्यक्रमों, पशु पालन, व्यावहारिक व्यवसायों, स्थानीय सुविधाओं आधारित कुटीर एवं लघु उद्योगों, संचार व्यवस्था एवं स्वास्थ्य केन्द्रों के विकास स्कूलों की स्थापना, विपणन तथा ऋण संस्थाओं के विकास, ग्रामीण विद्युतीकरण श्रम शक्ति का प्रशिक्षण तथा सहकारी समितियों के गठन पर आदि था। अतः यह उपयोजना जनजातियों को शोषण से बचाने तथा बराबरी का दर्जा दिखाने का कार्य कर रही है।

योजना आयोग तथा सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय सम्बद्ध मंत्रालयों के सहयोग से जनजातीय क्षेत्र एवं लोगों के विकास के लिए कार्य करता है जिसमें 1998 तक के महत्वपूर्ण कार्य है–

1. 1998 के दौरान जनजातीय लोगों में जागृति तथा विश्वास पैदा करने जनजातीय युवा संगठनों तथा स्वयं सेवी समूहों के कौशल में वृद्धि करने के लिए विशेष केन्द्रीय योजना बनाई गयी तथा अनुच्छेद 339 (1) के तहत 11 सदस्यीय अनुसूचित क्षेत्र एवं अनुसूचित जनजाति आयोग की स्थापना का निर्णय लिया गया है।
2. जनजातीय सलाहकार परिषद – संविधान की पांचवीं अनुसूची के 714 के तहत सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के अधीन 20 सदस्यी जनजातीय सलाहकार परिषद का गठन 8 राज्यों (आंध्र प्रदेश, बिहार, गुजरात, हिमांचल प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान, तमिलनाडु तथा पश्चिमी बंगाल) में किया गया है।
3. आवासीय विद्यालयों/अन्य विद्यालयों की स्थापना – 1997–98 में अनुच्छेद 275(1) के अधीन केन्द्रीय सहायता से 100 आवासीय विद्यालयों की स्थापना का निर्णय लिया गया जहां 6–12 तक की शिक्षा दी जाएगी। इनकी संख्या सतत बढ़ रही है। प्राथमिक तथा उच्च शिक्षा विद्यालयों की स्थापना पर बल दिया जा रहा है।
4. शोध एवं प्रशिक्षण – जनजातीय विकास मंत्रालय ने शोध एवं मूल्यांकन कार्यों के संचालन, संगोष्ठियों एवं कार्यशालाओं के आयोजन अधिकारियों को प्रशिक्षण एवं अभिमुखन प्रदान करने के लिए जनजातीय शोध संस्थाओं की स्थापना की है। इसके साथ जनजातीय विशेषताओं एवं विकास के विविध पक्षों पर शोध करने के लिए डाक्टोरल तथा पोस्ट डाक्टोरल फेलोशिप की व्यवस्था है।
5. जनजातियों के लिए बालिका छात्रावास की स्थापना का निर्णय तीसरी योजना 46 छात्रावासों के लिए से लिया गया वही बालक छात्रावासों की स्थापना का निर्णय 1989–90 में 282

छात्रावासों की स्थापना से लिया गया। जनजातीय उपयोजना क्षेत्र में 1990–91 में केन्द्रीय सहायता से संचालित आश्रम पाठशाला की योजना प्रारम्भ की गई जिसमें 297 विद्यालयों के निर्माण का लक्ष्य रखा गया।

6. रोजगारोन्मुखी प्रशिक्षण केन्द्र – रोजगार एवं स्वरोजगार के अवसर हासिल करने तथा जनजातीय युवा वर्ग के कौशल में वृद्धि करने के लिए केन्द्रीय क्षेत्र योजना के रूप में 89 जनजातीय रोजारोन्मुखी प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना की जाये।

7. निम्न साक्षरता वाले पाकेट में शैक्षिक समष्टि की स्थापना 1993–94 में गैर सरकारी संगठनों के जरिए 8 राज्यों आंध्र प्रदेश, अरूणाचल प्रदेश, बिहार, गुजरात, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के 48 जिलों में की गई। जो अब उपरोक्त राज्यों समेत तमिलनाडु, पश्चिमी बंगाल एवं कर्नाटक के 136 जिलों में चल रही है जिसमें शैक्षिक समष्टियों की स्थापना के लिए पूरी सहायता दी जाती है। एक समष्टि में 1–5वीं कक्षा तक के 50 छात्रों के लिए रोजगारोन्मुखी शिक्षा के साथ प्रशिक्षण का प्राविधान होता है। जिसमें निःशुल्क भोजन आवास यूनीफार्म एवं स्वास्थ्य परीक्षण की व्यवस्था होती है।

8. ग्रामीण अन्न बैंक योजना – दूरवर्ती और पिछड़े जनजातियां क्षेत्रों में पोषण के निम्न स्तर के कारण होती बच्चों की मृत्यु पर रोक लगाने के लिए 1996–97 से 234 अन्न बैंकों की स्थापना की गई। जिसमें अन्न भण्डारण, मापन, एवं निम्न दर पर अन्न वितरण की व्यवस्था होती है।

9. अनुसूचित जनजातीय क्षेत्रों में कार्य करने वाली स्वयं सेवी संस्थाओं को आवासीय विद्यालय, छात्रावास, चिकित्सा इकाइयों कम्प्यूटर प्रशिक्षण शार्ट हैण्ड एवं टाइपिंग इकाइयां, बालवाड़ी, क्रेच, पुस्तकालय एवं जागरूकता पैदा करने वाले कार्यक्रम आडियो विजुअल इकाइयां तथा शोध के लिए अनुदान की व्यवस्था की गई।

10. केन्द्रीय संभाग योजना के तहत लघु अन्य उत्पाद अभियानों का संचालन करने के लिए राज्य जनजातीय विकास सहकारी निगम वन विकास निगम तथा लघु वन उत्पाद संघ को 100 प्रतिशत अनुदान है जिससे लघु वन उत्पाद परिमाण को बढ़ाने, वैज्ञानिक वेयर हाउसों का निर्माण प्रोसेस उद्योगों तथा शोध एवं विकास कार्यों के लिए अनुदान शामिल है।

11. मूल्यों में होते उतार–चढ़ाव के अचानक होते नुकसान से जनजातीय किसानों को बचाने के लिए ट्राइफेड को वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है। (ट्राइफेड – भारतीय जनजातीय सहकारिता बाजार विकास संघ लिमिटेड की स्थापना 1987 में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिक मंत्रालय के अधीन 100 करोड़ का अधिशेष पूंजी से की गई जो अनुसूचित जनजाति समुदायों को अपने लघु वन्य उत्पादों तथा अधिशेष कृषि उत्पादों के लिए उचित कीमत दिलाने तथा बिचौलियों से शोषण से बचाने के लिए कार्य करता है।)

12. बीस सूत्री कार्यक्रम में सूत्र 11बी के तहत जनजातीय आर्थिक विकास पर वे शेष बल देता है जिसमें कृषि एवं ग्रामीण विकास बागवानी पशुपालन रेशम पालन वनारोपण लघु एवं कुटीर उद्योग छोटे व्यवसाय आदि पर योजनाओं के जरिए सहायता प्रदान की जाती है।
13. आदिम जनजातीय समूह (पी. टी. जी.) के विकास के लिए केन्द्रीय क्षेत्र योजना आरम्भ की गई जिसमें जनजातीय विकास परियोजनाओं जनजातीय शोध संस्थानों तथा गैर सरकारी संगठनों को आदिम जनजातियों के विकास के लिए 100 प्रतिशत केन्द्रीय सहायता प्रदान की जाती है।

जनजातीय कार्य मंत्रालय के अधीन संचालित योजनाएं – अनुसूचित जनजातियों के विकास से संबंधित कार्यक्रमों की आयोजना, संवर्धन समन्वय तथा कार्यान्वयन की देखरेख करने के लिए जनजातीय कार्य मंत्रालय सरकार की नोडल एजेन्सी आदिवासियों के विकास की ओर से अधिक ध्यान देने के लिए सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय में से अक्टूबर 1999 के एक अलग जनजातीय मंत्रालय बनाया गया। मंत्रालय को आवंटित विषयों में वित्तीय सहायता के माध्यम से अन्य केन्द्रीय मंत्रालयों/राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों तथा स्वैच्छिक संगठनों के प्रयासों में मदद करने तथा संवर्धित करने एवं अनुसूचित जनजातियों की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए इस कठिन दूरी को समाप्त करना शामिल है। जनजातियों मे 55 प्रतिशत किसान, 34 प्रतिशत कृषि मजदूर के साथ 87 प्रतिशत जनसंख्या प्राथमिक क्रियाकलापों में संलग्न है। 30 प्रतिशत साक्षरता तथा 3/4 अशिक्षित महिमाओं वाले इस वर्ग के 52 प्रतिशत ग्रामीण तथा 42 प्रतिशत शहरी लोग गरीबी रेखा से नीचे हैं। अतः संवैधानिक प्राविधानों के साथ सरकार का दायित्व बनती है कि वे जनजातियों का उत्थान करे अतः जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा कार्यक्रमों के निरीक्षण के साथ 75 आदिम समुदायों के विकास, 100 आवसीय माडल स्कूलों की संरक्षण अवसंरचनात्मक विकास प्रशिक्षण एवं अनुसंधान मानीटरिंग 194 समेकित आदिवासी परियोजनाओं को केन्द्रीय सहायता, जनजातीय लड़कों के लिए 258 एवं लड़कियों के लिए 302 हॉस्टलों एवं 376 आश्रम स्कूलों को अनुदान देना, आदिवासियों को व्यावसायिक प्रशिक्षण, वजीफा, 11 प्रदेशों के 136 जिलों में कम साक्षरता वाले पाकेटों के अनुसूचित जनजाति की लड़कियों के लिए शैक्षिक परिसर की देखभाल को वित्तीय मदद, लघु वन उत्पाद कार्यकलापों के लिए राज्य आदिवासी विकास सहकारी निगम, वन विकास निगम, तथा लघु वन उत्पाद परिसंघ को वन उत्पाद, निर्माण, मूल्य संवर्धन एवं संरक्षण, अनुसंधान तथा विकास के लिए सहायता, कृषि उत्पादों में आकस्मिक हानियों से जनजाति कृषकों को बचाने के लिए ट्राइफेड को सहायता, ट्राइफेड के शेयर पूंजी आधार में निवेश, ग्रामीण अन्न बैंक योजना को संरक्षण स्वैच्छिक संगठनों को जनजातीय क्षेत्र में कार्य के लिए सहायता अनुदान, अनुसंधान एवं संरक्षण, आदिवासी विकास के विभिन्न पहलुओं पर शोध के लिए डाक्टोरल पोस्ट डाक्टोरल फेलोशिप अनुदान, आदिवासी सलाहकार परिषद को संरक्षण तथा आदिम जनजातीय समूहों के विकास के लिए केन्द्रीय सहायता 20 सूत्रीय कार्यक्रम के सूत्र 11(ख) के अधीन आर्थिक विकास कार्यक्रमों का पोषण तथा सामान्य प्रशासन आदि कार्य मुख्य है।

जनजातीय विकास में लगी अन्य प्रमुख संस्थाओं में – 1. ट्राइबल कोआपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन आफ इण्डिया जो 1987 से जनजातियों को प्राइवेट व्यापारियों के शोषण से बचाने तथा वनोत्पादों एवं खेतिहर उत्पादों को यथोचित मूल्य प्राप्ति करवाने के लिए कार्य कर रही है। 2. राष्ट्रीय अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वित्त विकास निगम 8 फरवरी 1989 से जनजातीय आर्थिक विकास तथा विकास निगमों एवं एजेन्सियों के पहचान तथा पोषण का कार्य कर रही है। इसके साथ अन्यान्य गैर सरकारी संस्थाएं विकास के लिए कार्यरत है।

उपरोक्त योजनाओं के साथ समाज कल्याण विभाग, ग्राम्य विकास विभाग के बाल विकास एवं महिला विकास के कार्यक्रमों तथा अन्य विभागों का लाभ भी जनजातियों को मिलता है।

2.9 उत्तर प्रदेश में जनजातीय विकास –

2.9.1 परिचय – उत्तर प्रदेश में जनजातीय विकास की समीक्षा के पूर्व वर्तमान में प्रदेश के जनजातियों की सामाजिक–आर्थिक स्थित का अवलोकन आवश्यक है जो निम्न है –

उत्तर प्रदेश में 107963 (2001) अनुसूचित जनजाति के लोग निवास करते हैं। जिसमें थारू एवं बुक्सा मुख्य जनजाति हैं। अनुसूचित जनजातियों का वितरण जनपदीय दृष्टि से असमान है। प्रदेश में जनजातियों के दो मुख्य क्षेत्र हैं 1. तराई क्षेत्र 2. पठारी क्षेत्र। परन्तु राष्ट्रीय औसत के अनुपात में जनजातीय जनसंख्या का प्रतिशत निम्न है।
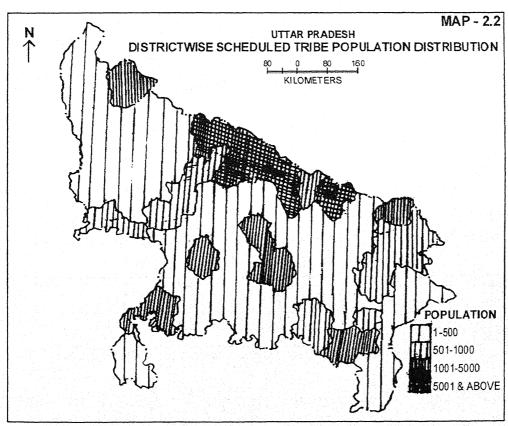
तालिका सं0 2.13 : उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जनजाति जनसंख्या का वृद्धि स्वरूप (1971–2001)

वर्ष	कुल जनसंख्या (00,000 में)	जनजातीय जनसंख्या (00,000 में)	कुल जनसंख्या का प्रतिशत	दशकीय वृद्धि	
				अनुसूचित जनजाति जनसंख्या	कुल जनसंख्या
1971	883.41	1.99	0.23	1.82	–
1981	1108.62	2.33	0.21	2.30	1.60
1991	1391.12	2.88	0.21	2.29	2.10
2001	1661.97	1.07	0.06	–	–

स्रोत : उत्तर प्रदेश वार्षिक योजना 2005–06 की जनजातीय उपयोजना, पृ0 256–265

साक्षरता – 2001 की जनगणना के अनुसार कुल साक्षरता 70.1 प्रतिशत के मुकाबले जनजातीय साक्षरता दर 35.1 है जिसमें महिला साक्षरता 20.7 प्रतिशत है जो अनुसूचित जनजातियों के निम्न साक्षरता स्थिति तथा पिछड़े सामाजिक आर्थिक दशा का द्योतक है।

तालिका 2.14 : उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जनजातियों का साक्षरता स्तर (1971–2001)

(प्रतिशत में)

वर्ष	कुल जनसंख्या			अनुसूचित जनजाति जनसंख्या		
	पुरूष	स्त्री	कुल	पुरूष	स्त्री	कुल
1971	31.50	10.55	21.70	22.51	5.58	14.59
1981	38.76	14.04	27.16	31.22	8.69	20.45
1991	55.73	25.31	41.60	49.95	19.86	35.70
2001	78.8	50.1	70.1	48.4	20.7	35.1

स्रोत : उत्तर प्रदेश वार्षिक योजना 2005–06 की जनजातीय उपयोजना, पृ0 256–265

नगरीकरण – प्रदेश की अधिकांश अनुसूचित जनजाति जनसंख्या ग्रामीण है (88.76 प्रतिशत) वहीं मात्र 11.23 जनसंख्या नगरीय है। जो इस बात का संकेत है कि अनुसूचित जनजातियों में सामाजिक आर्थिक विकास का स्तर निम्न है।

तालिका 2.15 : उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जनजाति जनसंख्या का ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्रानुसार विवरण (2001)

अनु. जनजातिय संख्या	पुरूष	स्त्री	कुल	लिंगानुपात
कुल	55834	52129	107963 (100.00)	934
ग्रामीण	49276	46552	95828 (88.76)	945
नगरीय	6558	5577	12135 (11.23)	850.0

स्रोत : उत्तर प्रदेश वार्षिक योजना 2005–06 की जनजातीय उपयोजना, पृ0 256–265

लिंगानुपात – प्रदेश में लिंगानुपात, शिशु लिंगानुपात, तथा कार्य सहभागिता की दृष्टि से जनजातियों की स्थिति सम्पूर्ण जनसंख्या के मुकाबले अच्छी है। परन्तु लिंगानुपात सतत घट रहा है। वहीं कार्य

सहभागिता उच्च होने के बावजूद निम्न मजदूरी दर एवं निम्न प्रति व्यक्ति आय के कारण जीवन स्तर निम्न है।

तालिका 2.16 : उत्तर प्रदेश में कुल जनसंख्या के समक्ष जनजातीय जनसंख्या के लिंगानुपात का तुलनात्मक स्वरूप (2001)

आधार	उत्तर प्रदेश अनुसूचित जनजाति	उत्तर प्रदेश कुल	अंतर
लिंगानुपात प्रति हजार (पुरूष)	934	898	36
शिशु लिंगानुपात प्रति हजार पुरूष	973	916	57
कार्य सहभागिता दर कुल	40.3	32.5	78
पुरूष कार्य सहभागिता दर	48.4	46.8	2.2
स्त्री कार्य सहभागिता दर	30.1	16.5	13.6

स्रोत : उत्तर प्रदेश वार्षिक योजना 2005–06 की जनजातीय उपयोजना, पृ0 256–265

कार्यात्मक संगठन – जनजातियों के कार्यात्मक स्वरूप को देखें तो जनजातियों के मुख्य कर्मकारों की प्रतिशत उत्तर प्रदेश के कुल मुख्य कर्मकारों की प्रतिशत की तुलना में कम है, वहीं महिला कर्मकारों का प्रतिशत अधिक है। जनजाति में कृषक एवं खेतिहर मजदूरों का प्रतिशत अधिक है जो उनके सामाजिक–आर्थिक दृष्टि से पिछ़डे होने का संकेत देता है।

तालिका सं0 2.17 : उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जनजातियों की कार्यात्मक संरचना

कर्मकार	अनुसूचित जनजाति			कुल जनसंख्या		
	कुल	पुरूष	स्त्री	कुल	पुरूष	स्त्री
कुल कर्मकार	43528	27839	15689	53983824	40981558	13002266
मुख्य कर्मकार	66.9	78.2	46.0	72.9	83.8	38.5
सीमान्त कर्मकार	33.4	21.8	54.0	27.1	16.2	61.5
कुल काश्तकार	44.6	47.0	40.0	41.1	42.7	36.1
खेतिहर मजदूर	31.4	28.0	37.5	24.8	20.1	39.6
पारिवारिक उद्योग श्रमिक	2.4	2.3	2.6	5.6	4.7	8.3
अन्य कर्मकार	21.6	22.6	19.6	28.5	32.5	16.0

स्रोत : उत्तर प्रदेश वार्षिक योजना 2005–06 की जनजातीय उपयोजना, पृ0 256–265

जनजातियों में प्राथमिक क्रिया कलापों में संलग्नता का प्रतिशत काफी अधिक है वहीं द्वितीयक एवं तृतीयक क्रियाकलापों में संलग्नता आधे से कम है।

तालिका 2.18 : उत्तर प्रदेश के जनजातीय कर्मकारों का कुल कर्मकारों से तुलनात्मक स्वरूप

क्षेत्र	कुल कर्मकार	जनजातीय कर्मकार	सामान्य कर्मकार
प्राथमिक क्रियाकलाप	73.01	84.36	70.25
द्वितीयक क्रियाकलाप	8.98	6.41	9.41
तृतीय क्रियाकलाप	18.01	9.23	20.34
सभी क्षेत्र	100.00	100.00	100.00

स्रोत : उत्तर प्रदेश वार्षिक योजना 2005–06 की जनजातीय उपयोजना, पृ0 256–265

यदि सरकारी सेवाओं में कर्मचारियों की संलग्नता देखें तो सम्पूर्ण भारत के जनजाति प्रतिशतता की तुलना में उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जनजातियों की सहभागिता अति निम्न है।

तालिका सं. 2.19 सरकारी सेवाओं में अनुसूचित जनजातियों की सहभागिता(प्रतिशत में)

सेवा वर्ग	सम्पूर्ण भारत	उ. प्र.
अ	2.53	0.54
ब	2.53	0.50
स	4.98	0.41
द	6.82	0.63

स्रोत : उत्तर प्रदेश वार्षिक योजना 2005–06 की जनजातीय उपयोजना, पृ0 256–265

गरीबी – जनजातियों में गरीबी की दर अति उच्च है। सम्पूर्ण भारत के जनजातियों के गरीबी रेखा से नीचे जीने वाले लोगों के प्रतिशतता की तुलना में उत्तर प्रदेश में गरीबी रेखा से नीचे जीने वाले अनुसूचित जनजातीय लोगों का प्रतिशत अधिक है तथा जनजातियों के भूमि धारिता का आकार सतत घट रहा है।

तालिका 2.20 : उत्तर प्रदेश में गरीबी रेखा से नीचे जीने वाली अनुसूचित जनजातियों का प्रतिशत 1993–94

वर्ग	भारत	उत्तर प्रदेश
कुल जनसंख्या	37.4	45.3
अनुसूचित जनजातियां जनसंख्या	51.1	66.6

स्रोत : उत्तर प्रदेश वार्षिक योजना 2005–06 की जनजातीय उपयोजना, पृ0 256–265

उत्तर प्रदेश में जनजातियों के सामाजिक आर्थिक पिछड़ेपन के कारण इनके तीव्र विकास की आवश्यकता है। अतः संविधानिक प्राविधानों के अनुपालन में एवं सरकारी, गैर सरकारी पक्षों से जनजातियों के विकास के लिए प्रयास किए जा रहे हैं।

2.9.2. उत्तर प्रदेश में जनजातीय विकास का स्वरूप नीतियां एवं कार्यक्रम – स्वाधीनता के समय उत्तर प्रदेश के किसी भी समुदाय को अनुसूचित जनजाति का दर्जा प्राप्त नहीं था। 1967 में माननीय राष्ट्रपति महोदय ने संविधान के अनुच्छेद 342 के तहत बुक्सा भोटिया राजी जौनसारी एवं थारू को अनुसूचित जनजाति का दर्जा प्रदान किया। 1967 तक ये जनजातियां अनुसूचित जातियों के रूप में थीं जिनका प्रशासन हरिजन कल्याण निदेशालय के अधीन होता था। जिसकी स्थापना 1950–51 में की गई थी। 1955 में समाज कल्याण विभाग की स्थापना की गई जिसमें 1962 में हरिजन कल्याण निदेशालय मिला दिया गया। तथा हरिजन एवं समाज कल्याण निदेशक एवं जिला

स्तर पर हरिजन एवं समाज कल्याण अधिकारी कार्य देखते थे। लेकिन दोनों निदेशक (हरिजन कल्याण एवं समाज कल्याण) एक ही निर्देशक के अधीन कार्य कर रहे थे।

हरिजन कल्याण जांच समिति उत्तर प्रदेश के सुझावों पर 12 जनवरी, 1978 से हरिजन कल्याण एवं समाज कल्याण विभाग सभी स्तरों पर मिला दिए गये तथा हरिजन एवं समाज कल्याण विभाग एक मंत्री के अधीन कार्य करने लगा। तथा निदेशालय स्तर जनजातीय विकास उप निदेशालय की स्थापना हुई जो हरिजन एवं समाज कल्याण निदेशक के अधीन उपनिदेशक जनजाति के द्वारा संचालित किया जाता था। पांचवीं पंचवर्षीय योजना (1974–79) के समस्त जनजातीय कार्यों के लिए एवं नई जनजाति कल्याण नीतियों के लिए 1975 में तीन संस्थाएं स्थापित हुईं। 1. तराई क्षेत्र एवं मैदान क्षेत्र की जनजातियों के लिए तराई अनुसूचित जनजाति विकास निगम लिमिटेड, तथा पर्वतीय जनजातियों के विकास के लिए गढ़वाल अनुसूचित जनजाति विकास निगम देहरादून, कुमाऊं, अनुसूचित जनजाति विकास निगम नैनीताल। जनजातीय विकास संस्था (TDA) देहरादून की स्थापना 1978 में हुई, जो देहरादून, उत्तरकाशी एवं टेहरी गढ़वाल की जनजातियों की देखभाल एक निदेशक के माध्यम से करती थी।

उत्तर प्रदेश सरकार के राष्ट्रीय एकता प्रभाग की नोटिस संख्या 15/99/76 राष्ट्रीय एकता/15–10–76 से यह निर्णीत किया गया कि राज्य की अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों के लिए एक निदेशक की नियुक्ति भारत सरकार की तरफ से की जाएगी जो राज्य के विविध नीतियों/कानूनों के साथ संवैधानिक प्राविधानों के तहत अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों को संरक्षा प्रदान करेगा। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति निदेशक का कार्यालय लखनऊ में स्थापित किया गया।

1984 तक हरिजन एवं समाज कल्याण निदेशक के अधीन उपनिदेशक जनजाति की देखरेख में चल रहे जनजातीय विकास कार्यों के लिए 1983–84 में आदेश संख्या 971/J–26–3 84–89 (30/84) नवम्बर 6, 1984 से राज्य सरकार ने जनजातीय निदेशालय की स्थापना की जिसका मूलभूत उद्देश्य जनजातियों का आर्थिक उत्थान एवं सामाजिक स्तरीकरण करना था। निदेशालय का मुख्यालय लखनऊ में स्थापित हुआ जिसके पश्चात तराई एक अनुसूचित जनजाति विकास लिमिटेड मिला दिया गया। निदेशालय के कार्यों में शिक्षा विकास, आर्थिक विकास स्वास्थ्य एवं आवासीय शाख दशाएं विशेष एकीकृत जनजातीय परियोजनाएं, मानव संसाधन का विकास, शोषण के खिलाफ संरक्षण, तथा जनजातीय संस्कृति का संरक्षण एवं शोध विस्तार मुख्य थे। निदेशालय के अधीन विविध संस्थाओं के कार्यों का संक्षिप्त विवरण निम्न है –

1. तराई अनुसूचित जनजाति विकास निगम लिमिटेड 2 अगस्त 1975 में कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 617 के अधीन स्थापित हुआ था। जिसके मुख्य कार्यों में ITDP खीरी एवं MADA गोण्डा (वर्तमान बलरामपुर) की देखरेख तराई क्षेत्र में जनजातीय उपयोजना के प्रस्तावों को लागू करना। गोरखपुर, बहराइच, महाराजगंज की बिखरी जनजातियों का सामाजिक आर्थिक विकास, बिजनौर

की बुक्सा आदिम जनजाति का विकास, पूर्वक 6 जिलों की आदिवासियों की देखरेख जनजातिय कौशल में वृद्धि, सिंचाई सुविधाओं का विस्तार, कृषि उत्पाद आधिक्य एवं सूक्ष्म वन उत्पादों को क्रय करना, जनजातीय संस्कृति संरक्षण हेतु पुस्तकालय एवं संग्रहालय की स्थापना, शोध इकाइयों के माध्यम से सर्वेक्षण, शोध, प्रशिक्षण नियोजन एवं मूल्यांकन करना, खीरी की तेल उत्पादन इकाईयों तथा चिकन उत्पादन केन्द्रों की देखरेख मुख्य थे। पश्चात, यह निगम जनजातीय विकास निदेशालय में मिश्रित कर दिया गया।

2. गढ़वाल अनुसूचित जनजाति विकास निगम की स्थापना 1975 में गढ़वाल संभाग विकास कारपोरेशन की सहयोगी संस्था के रूप में हुई जिसका मुख्य उद्देश्य गढ़वाल संभाग के परम्परागत उनी व्यवसाय को प्रोत्साहन तथा जनजातियों को कुटीर उद्योग स्थापित करने के लिए सरकारी सुविधाएं देना था। निगम उनी में जनजातियों के अनाजों को खरीद कर उन्हें बिचौलियों एवं ठेकेदारों के शोषण से बचाने, उन्हीं जनजातियों लोगों से ऊन धागे से ऊनी कपड़े तैयार कराना तथा राष्ट्रीय जनजातीय ऊनी कपड़ों का प्रचार प्रसार करना था।

3. कुमांयू अनुसूचित विकास निगम नैनीताल – कुमायूं संभाग की जनजातियों के विकास के लिए 1975 में निगम की स्थापना हुई जिसका उद्देश्य जनजातीय परिवारों को कच्चा माल उपलब्ध कराना जनजातियों को प्रशिक्षित कर उत्पादों को व्यवसायिक स्तरीकरण देना जनजातीय उत्पादों को खरीदकर बेचने की व्यवस्था करना। गरीब जनजातियों को लघु कुटीर उद्योगों के लिए सुविधा एवं सब्सिडी देना कृषि तथा पशुपालन में जनजातियों को तकनीकी सुविधाएं प्रदान करना। जनजातियों को व्यवसायिक दुकानें उपलब्ध कराना। मुर्गी पालन, रेशम पालन, प्लास्टिक वस्तु निर्माण आदि लघु उद्योगों के लिए आवश्यक सुविधाएं प्रदान करना, शीतगृह, उर्वरक एवं बीज गोदाम उद्योग, कार्यशाला इकाई, सिनेमाहाल, पेट्रोल पम्प आदि भी 'न लाभ न हानि' के सिद्धान्त पर स्थापित कर कार्य करना। निगम दरी उद्योग ऊन उद्योग खरीद एवं विक्रय का प्रशिक्षण मदों का संचालन कर रहा है।

4. जनजातीय परियोजना अधिकारिता (TPA) – देहरादून, गढ़वाल संभाग के निदेशक की अध्यक्षता में 20 सितम्बर 1978 को पहाड़ी क्षेत्रों के जनजातियों के तीव्र विकास के लिए स्थापित किया गया। जिसका उद्देश्य जनजातीय क्षेत्र के विकास के लिए योजनाएं बनाना, पहाड़ी क्षेत्र विकास के सहयोग (फण्ड) को विविध कार्यक्रमों के रूप में उपयोग करना जनजातीय क्षेत्रों में विविध विभाग तथा एजेंसियां के माध्यम से कार्य कराना तथा विविध विभागों के आदेशों का अनुपालन एवं देखरेख करते हुए संभाग की जनजातियों का सामाजिक आर्थिक विकास करना।

उत्तर प्रदेश जनजातीय विकास परियोजनाएं – जनजातीय उपयोजना में एकीकृत क्षेत्र विकास उपागम को अपनाते हुए उत्तर प्रदेश की 2,32,705 जनजातियों जनसंख्या में 85,970 (70.92 प्रतिशत) को जनजातीय उपयोजना में प्रथम दृष्टया शामिल किया गया। विकास के माध्यम से क्षेत्र की जनजातियों में जनजाति–गैर जनजाति की सामाजिक आर्थिक इकाई को कम करने, विकास का

आर्थिक परिप्रेक्ष निर्मित करने, उत्पादकता बढ़ाने, तकनीकी गैर तकनीकी बालिका एवं युवा शिक्षा स्तर के विकास, कृषि, पशुपालन तथा कुटीर लघु उद्योगों को संरक्षण, शोषण से बचाव, मानव संसाधन विकास, बिखरी तथा आदिम जनजातियों के विकास एवं जनजातीय महिलाओं के विकास के मुख्य उद्देश्यों के साथ जनजातीय उपयोजना में उत्तर प्रदेश छठी एवं पश्चात पंचवर्षीय योजनाओं ITDP खीरी, MADA गोण्डा (वर्तमान बलरामपुर) ITDP - खटीमा – नैनीताल, ITDP नुचनी पिथौरागढ़, ITDP - चकराता, ITDP जोशीमठ चमोली, ITDP चकराता देहरादून, ITDP - बाजपुर नैनीताल संचालित की गई। आदिम जनजातियों के लिए बुक्सा आदिम जनजाति परियोजना नजीबाबाद, वुक्सा आदिम जाति कार्यक्रम बिजनौर, बुक्सा आदिम जाति कार्यक्रम पिथौरागढ़, वुक्सा आदिम जाति परियोजना देहरादून, वुक्सा आदिम जाति कार्यक्रम नैनीताल तथा राजी आदिम जाति परियोजना पिथौरागढ़ मुख्य थे वहीं बिखरी जनजातियों के विकास में बिखरी जनजाति विकास परियोजना महराजगंज गोरखपुर बिखरी आदिम जनजाति विकास कार्यक्रम – बहराइच (वर्तमान वाराणसी) भोटिया एवं जौनसारी विकास कार्यक्रम संस्थाएं आदि शामिल थे।

तालिका 2.21 : उत्तर प्रदेश में जनजातीय उपयोजना में प्राप्ति एवं व्यय का योजना वार विवरण

(करोड़ रूपयों में)

योजनाकाल	राज्य योजना		जनजातीय उपयोजना			विशेष केन्द्रीय सहायता			
	प्राप्ति	व्यय	प्राप्ति	व्यय	कुल राशि का प्रतिशत	प्राप्ति राशि	खर्च राशि	प्रतिशत	लाभांवित संख्या
छठी पंचवर्षीय योजना	6200.00	6594.29	5.54	2.52	0.09	1.02	0.95	93.14	–
सातवीं पंचवर्षीय योजना	11000.00	11948.72	7.68	6.79	0.07	2.46	2.43	98.78	–
वार्षिक योजना	3200.00	3208.22	1.80	1.24	0.06	0.69	0.63	91.30	2810
वार्षिक योजना	371000	3695.54	2.53	1.31	0.07	0.58	0.54	93.10	543
आठवीं पंचवर्षीय	22005.00	21679.81	110.02	88.66	0.50	3.93	3.38	86.44	–
नवीं पंचवर्षीय योजना	46340.00	40092.90	191.80	–	0.26	3.65	3.97	108.77	10557
दसवीं पंचवर्षीय योजना	84233.00	–	111.00	–	0.06	2.78	–	–	–

स्रोत – दसवीं पंचवर्षीय योजना (उत्तर प्रदेश) की जनजातीय उपयोजना 2005–06

तालिका 2.22 : अविभाजित उ. प्र. में एकीकृत जनजाति विकास परियोजनावार जनसंख्या एवं खर्च

(लाख रूपये में)

क्षेत्र	ITDP जनपद के	विकास खण्ड	जनजाति	जनसंख्या 1991	सातवीं योजना	आठवीं योजना
1.	नैनीताल उधमसिंह नगर खटीमा	सितारगंज खटीमा	थारू	53406	216.15	225.82
2.	पिथौरागढ़ (नुचनी)	मुन्सियारी, नुचनी धरचुला	भोटिया	14271	83.56	86.80
3.	चमोली जोशीमठ	जोशीमठ	भोटिया	6406	55.25	69.46
4.	देहरादून (चकराता)	चकराता, काल्सी	जौनसारी	64948	216.96	120.20
5.	नैनीताल (उधमसिंह नगर वाजपुर)	वाजपुर, गदरपुर, रामनगर, काशीपुर	बुक्सा	20548	147.58	224.40
5.	लखीमपुर खीरी चंदन चौकी	पलिया, निघासन	थारू	26335	534.13	1325.43
6.	गोण्डा वर्तमान में बलरामपुर, विशुनपुर विश्राम (MADA)	पचपडेवा गैसडी	थारू	12.350	435.65	542.50

स्रोत – उ. प्र. जनजातीय विकास सातवीं, आठवीं पंचवर्षीय योजना के उपयोजना सारांश से।

एकीकृत जनजातीय उपयोजना लागू होने के पश्चात् पांचवी पंचवर्षीय योजना उत्तर प्रदेश में लखीमपुर खीरी में एकीकृत जनजातीय विकास परियोजना को 1976–77 में शुरू किया गया। 1980–81 में संसोधित क्षेत्र विकास उपागम करते हुए थारू विकास परियोजना वर्तमान बलरामपुर में लागू हुआ।* इसके अलावा पर्वतीय क्षेत्र में उपयोजना के तहत निम्न परियोजनाएं संचालित की गई हैं। चकराता देहरादून में जौनसारी, नैनीताल के खटीमा में थारू, बाजपुर में बुक्सा, पिथौरागढ़ के मुनीसीयारी में भोटिया जनजाति रहती हैं। इसके अलावा पिथौरागढ़, उत्तरकाशी, टिहरी गढ़वाल में गोजर वाजी आदि आदिम जातियां रहती हैं जिनके लिए 1984–85 में पर्वतीय क्षेत्र योजना (Hill Area Plan) के तहत पांच ITDP लागू की गई। जिसके लिए राज्य सरकार ने 108.50 करोड़ रू. जारी किया। (तालिका 2.22)

ITDP खटीमा, नैनीताल – यह परियोजना 1982 में थारू जनजाति के 142 गांवों के 53408 व्यक्तियों को लाभ देने के लिए चलाई गई। 1982 में इस परियोजना में 5 पद थे। परियोजना में 1984–90 के मध्य सिंचाई, शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल एवं परिवहन संचार के विकास पर ध्यान केन्द्रित किया गया तथा 216 लाख रूपये में से 148.205 लाख रू. खर्च किये गये।

आठवीं योजना में 225.82 लाख रूपये का प्रावधान था। वर्तमान में यह परियोजना उत्तरांचल समाज कल्याण विभाग के जनजातीय विकास के अधीन संचालित है।

ITDP मुन्सियारी धरचुला पिथौरागढ़ 1984–85 में यह योजना मुख्यतः भोटिया जनजाति के 162 गांवों के 14,196 व्यक्तियों के उत्थान हेतु संचालित हुई, जिसके लिए 1984–85 में 9 लाख रुपये एवं 1985–90 में 83.56 लाख रू. दिया गया। 1992–97 में 750.00 लाख रू. खर्च किया गया। जिससे कुटीर उद्योग, शिक्षा, स्वास्थ्य, विकास, सिचांई एवं उद्योगों की स्थापना की गयी। वर्तमान में यह योजना उत्तरांचल में संचालित है।

ITDP जोशीमठ चमोली – छठी पंचवर्षीय योजना (1984–85) में चमोली जनपद में भुटिया जनजाति के उत्थान हेतु 50 गांवों की 6528 जनजाति के व्यक्तियों के लिए परियोजना शुरू हुई जिसके लिए 108.50 लाख रू. दिया गया । 7वीं योजना में 55 लाख रू. तथा आठवीं योजना में 69.46 लाख रू. का प्रावधान हुआ। वर्तमान में यह योजना उत्तरांचल में संचालित है।

ITDP चकराता देहरादून का प्रारम्भ 1984–85 देहरादून के जौनसारी प्रधान 357 पहाड़ी गांवों के 63710 व्यक्तियों के लिए के उत्थान हेतु प्रारम्भ जिसके लिए 20.60 लाख रू. का प्राविधान हुआ। जो 1985–90 के दौरान 216.96 लाख रू. तथा 90–92 रूपये 25.8 लाख रू. व्यय किये गये। आठवीं पंचवर्षीय योजना में 120.20 लाख रू. का प्राविधान हुआ जिसके माध्य में से क्षेत्र की जनजातियों का सतत विकास हो रहा है। यह योजना वर्तमान में उत्तरांचल में संचालित है।

ITDP बाजपुर नैनीताल 1984–85 में नैनीताल के बुक्सा प्रधान 86 गांवों के 18884 जनजातीय लोगों को लाभान्वित करने के लिए लागू किया गया। जिसके लिए 84–85 में 36.70 लाख रू. का

*ITDP खीरी एवं MADA बलरामपुर का विवरण अध्याय 6 में दिया गया है।

प्राविधान किया गया। जो सातवीं योजना काल में 147.58 लाख रूपये तथा आठवीं योजना काल में 224.40 लाख रू. विनियोजित करने का प्राविधान हुआ। वर्तमान में यह परियोजना उत्तरांचल में संचालित है।

प्रदेश के मैदानी तथा पर्वतीय क्षेत्रों में बुक्सा राजी तथा अन्य लघु आदिम जनजातीय समुदाय रहते हैं। पर्वतीय क्षेत्रों में बुक्सा राजी तथा अन्य लघु आदिम जनजातीय समुदाय रहते हैं। मैदानी क्षेत्र के बिजनौर जिले में नजीबाबाद में बुक्सा जनजाति के उत्थान हेतु हरिजन एवं समाज कल्याण अधिकारी बिजनौर द्वारा 1982–83 में हरिद्वार के बहादुराबाद विकास खण्ड एवं बिजनौर के नजीबाबाद कोतवाली, अफजलगढ़ विकास खण्डों के 18 बुक्सा प्रधान गांवों के 790 परिवारों के 3859 जनजातीय व्यक्तियों के विकास हेतु स्थापित की गई। अति पिछड़ी दशा छोटे जोत, 2 प्रतिशत साक्षरता, 71 प्रतिशत परिवारों के गरीबी रेखा से नीचे वाले तकनीकी एवं शैक्षिक दृष्टि से लगभग शून्य इस क्षेत्र के विकास के लिए यह परियोजना एक साहसपूर्ण कार्य था। स्थापना के समय 18 गांवों के 701 परिवारों में 3308 व्यक्तियों के उत्थान हेतु चिन्हित किया गया। पश्चात यह विकास इकाई तराई अनुसूचित जनजाति विकास निगम लिमिटेड की देखरेख में विकास परियोजना के रूप में बिजनौर में स्थापित हुई। परियोजना में सातवीं पंचवर्षीय योजनायें 46.60 लाख रूपयों तथा आठवीं योजना में 42.975 लाख रूपये का प्राविधान था।

तालिका 2.23 : उत्तर प्रदेश में आदिम जनजातियों की जनसंख्या एवं योजना अन्तर्गत प्राविधान

	जनपद	विकास खण्ड	जनजाति	जनसंख्या	सातवीं योजना 1985–90 प्राविधान (लाख रू0 में)	वार्षिक योजना 1990–92 (लाख रू0 में)	आठवीं योजना 1992–97 में खर्च (लाख रू0 में)
1.	पौड़ी गढ़वाल	दुगददा	बुक्सा	1107	5.04	1.00	27.45
2.	देहरादून	रामपुर एवं विकास नगर डोलीवाला	बुक्सा	14430	12.16	9.00	55.12
3.	नैनीताल	बाजपुर दिसपुर रामनगर काशीपुर	बुक्सा	20548	115.48	8.00	5128.18
4.	बिजनौर एवं हरिद्वार	नजीबाबाद, कोतवाली, अफजलगढ़ बहादुराबाद	बुक्सा	3659	48.60	—	42.97
5.	पिथौरागढ़	दीदीहार, कसाली चिन्हा, धरचुला, चम्पावत	राजी	494	5.65	8.05	257.47

स्रोत – उत्तर प्रदेश सरकार जनजातीय उपयोजना सातवीं आठवीं योजना हेतु उप योजना।

पंचवर्षीय क्षेत्रों के नैनीताल, देहरादून एवं पौढ़ी गढ़वाल में बुक्सा अधिक क्षेत्रों में विकास कार्य ITDP के तहत किया गया। सातवीं योजना में पौढ़ी गढ़वाल से 84 परिवारों को आश्रित करके 5.04 लाख रूपये का प्राविधान किया गया। 1990–92 में 1.00 लाख रूपये तथा आठवीं योजना में 27.45 लाख रूपयों का प्राविधान हुआ। देहरादून के शाहपुर डोईवाला, विकास नगर, विकास खण्डों में सातवीं

योजना में 356 बुक्सा परिवारों हेतु 19.94 लाख रूपये खर्च किए गये वहीं 1990–92 में 9.00 लाख तथा आठवीं योजना में 55.12 लाख रूपयों का प्राविधान किया गया। नैनीताल में बुक्सा जनजातियों हेतु सातवीं योजना 1985–90 में 115.48 लाख, 1990–92 में 8.00 लाख तथा आठवीं योजना में 128.18 लाख रूपयों का प्राविधान किया गया।

पिथौरागढ़ के राजी जनजातियों में दीदीहार, कनाली, चिन्हा, धरचुला एवं चम्पावत में रहते हैं वे सामाजिक–आर्थिक एवं शैक्षिक दृष्टि से अति पिछड़े थे। सातवीं योजना में 5.65 लाख रूपये 1990–92 में 18.05 लाख तथा आठवीं योजना 1992–97 में 257.47 लाख रूपयों का प्राविधान किया गया।

बिखरी जनजातियों में पर्वतीय क्षेत्र में 3148 लाख भोटिया एवं मैदानी क्षेत्र में 12178 (1991) थारू जनजाति के लोग जैसे ही जो उचित विकास योजना के मानकों पर संगठित नहीं है अतः उत्तर प्रदेश के महाराजगंज के लखीमपुर, नौतनवा फरेदा विकास खण्ड 41 गांवों के 2528 (1991) थारू जनजाति के लोग निवास करते थे। बहराइच की जनजातियों के विकास का कार्य MADA गोण्डा (वर्तमान बलरामपुर) को दिया गया। महाराजगंज व गोरखपुर की थारू जनजातीयों के विकास हेतु महाराजगंज में बिखरी जनजाति परियोजना का गठन किया गया। सातवीं योजना में मैदानी बिखरी जनजातियों के 90.04 लाख 1990–92 में 7.70 लाख तथा आठवीं योजना में 86.80 लाख रूपयों का प्राविधान किया गया।

पर्वतीय क्षेत्रों की बिखरी जनजातियों में उत्तरकाशी में भटवारी विकास खण्ड पिथौरागढ़ में दीदीहार एवं वेरीनाग तथा अल्मोड़ा के कापकोट में 3148 व्यक्तियों के लिए छठी योजना में 41.00 लाख रुपये एवं सातवीं योजना में 50.00 लाख रुपये का प्राविधान किया गया।

तालिका 2.24 : अविभाजित उत्तर प्रदेश में बिखरी जनजातियों की स्थिति एवं पंचवर्षीय योजनाओं में प्रायोजित धन का विवरण

क्षेत्र	जनपद	विकास खण्ड	जनसंख्या (1991)	सातवीं योजना (रू0 लाख में)	आठवीं योजना (रू0 लाख में)
मैदानी क्षेत्र	बहराइच, श्रावस्ती,	मिहिपुरवा, सिरसिया	9378	29.62	52.80
	महाराजगंज एवं गोरखपुर	नौतनवा, लक्ष्मीपुर, फरेंदा	2528	8.35	34.00
पहाड़ी क्षेत्र	उत्तरकाशी, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़	भटवारी, कापकोट, बेरीनाग दीदीहार	3148	38.83	50.00

स्रोत – उत्तर प्रदेश के सातवीं, आठवीं पंचवर्षीय योजनाओं में जनजातीय उपयोजनाएं

जनजाति विकास निदेशालय [88]

पृथक उत्तरांचल राज्य के गठन के पश्चात् उत्तर प्रदेश में जनजातीय विकास का कार्य समाज कल्याण विभाग के जनजातीय विकास निदेशालय के अधीन लखनऊ से संचालित है। वर्ष 2003 में भारत सरकार द्वारा सूचीबद्ध की गई 10 जनजातियों के साथ वर्तमान में कुल 12 अनुसूचित जनजातियां निवास करती हैं।

तालिका 2.25 : विभाजित उत्तर प्रदेश में जनजातियों की जिलेवार स्थिति

क्रम सं.	जनजाति	जनसंख्या	प्रतिशत	निवास जनपद
1.	थारू	79947	16.23	लखीमपुर बहराइच श्रावस्ती बलरामपुर महाराजगंज गोरखपुर लखनऊ समेत कुल 43 जनपदों में
2.	बुक्सा	2427	0.49	बिजनौर
3.	गोड धुरिया नायक, पठारी राजगोड, ओझा	185744	37.72	मऊ आजमगढ़ जौनपुर बलिया गाजीपुर वाराणसी सोनभद्र।
4.	खरबार/खैरवार	80199	16.29	देवरिया बलिया गाजीपुर वाराणसी सोनभद्र
5.	सहरिया	23747	4.82	ललितपुर
6.	परहिया	598	0.12	सोनभद्र
7.	वैगा	19576	3.98	सोनभद्र
8.	पंखा, पनिका	17940	3.64	सोनभद्र मिर्जापुर
9.	अगरिया	12419	2.52	सोनभद्र
10.	पठारी	750	0.15	सोनभद्र
11.	चेरो	31727	6.44	सोनभद्र, वाराणसी
12.	भुइया भुनिया	11787	2.39	सोनभद्र
13.	अन्य	25589	5.20	
	योग	492450	100.00	

निदेशालय के उद्देश्य

1. गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को व्यावसायिक जीवन पद्धति का आंकलन कर उनके लिए आर्थिक उन्नति हेतु विभिन्न कार्यक्रमों का संचालन।
2. अनुसूचित जनजातियों के सामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षिक स्तर में सुधार।
3. अनुसूचित जनजातियों हेतु मानव संसाधन विकास संबंधी योजनाओं को क्रियान्वित कर रोजगार के अवसर सुलभ कराना।
4. अनुसूचित जनजातियों को समाज की मुख्य सामाजिक, आर्थिक धारा में समाहित करना तथा गरीबी की रेखा से ऊपर उठाना।
5. अनुसूचित जनजातियों को आर्थिक, सामाजिक एवं शैक्षिक शोषण से सुरक्षा।
6. शिक्षा के स्तर पर सुधार एवं साक्षरता दर वृद्धि हेतु छात्रवृत्ति राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय एवं छात्रावासों का संचालन, तकनीकी शिक्षा, कुशल कारीगरी, शिल्प उद्योग के क्षेत्र में

प्रशिक्षण संबंधी कार्यक्रमों का समावेश तथा स्वतः रोजगार के अवसरों में वृद्धि हेतु कार्यक्रमों का संचालन।

प्रशासनिक ढांचा एवं विभागीय चार्ट – जनजाति विकास निदेशालय द्वारा प्रदेश में अनुसूचित जनजातियों के कल्याणार्थ विभिन्न योजनाओं के सफल संचालन हेतु प्रशासनिक ढांचा की रूपरेखा निम्न प्रकार है :–

निदेशालय स्तर पर निदेशक के नियंत्रण में एक उप–निदेशक सहित मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी, विशेष अधिकारी, सहायक निदेशक एवं सहायक लेखाधिकारी द्वारा प्रदेश में चल रही योजनाओं के कार्यों को सम्पादित किया जाता है। छात्रवृत्ति का कार्य जिला स्तर पर समाज कल्याण अधिकारी के द्वारा सम्पादित किया जाता है। इसके अतिरिक्त विभिन्न परियोजनाओं द्वारा संचालित किये जाने वाले आर्थिक कार्यक्रमों का संचालन विभाग के नियंत्रण में क्षेत्रीय स्तर पर परियोजना अधिकारी द्वारा तथा शैक्षिक विकास के कार्यक्रम में छात्रवृत्ति का वितरण जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा एवं राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालयों का संचालन अधीक्षक द्वारा सम्पादित किया जाता है। इसी प्रकार अनुसूचित जनजाति के छात्रों को उच्च शिक्षा प्राप्त कराने हेतु निःशुल्क आवास उपलब्ध कराने के उद्देश्य से छात्रावास का संचालन प्रबन्धक की देख–रेख में कराया जाता है।

उत्तरांचल राज्य के पृथक रूप से गठन के पश्चात प्रदेश में चार परियोजनाएं संचालित हैं जिसमें दो परियोजना अधिकारी एवं एक उप परियोजना अधिकारी के पद स्वीकृत हैं। शेष एक परियोजना जिला समाज कल्याण अधिकारी के नियंत्रण में संचालित हैं। एक छात्रावास एवं 9 राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय संचालित हैं, जिसके लिए प्रबन्धक का एक पद तथा अधीक्षक/अधीक्षिका के 9 पद स्वीकृत हैं।

विभाग द्वारा संचालित योजनायें/शैक्षिक/आर्थिक कार्यक्रम एवं उपलब्धियों का विवरण – विभाग द्वारा संचालित 9 राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालयों में बालिकाओं हेतु दो जूनियर हाई स्कूल स्तर एवं एक प्राइमरी स्तर के विद्यालय संचालित हैं। इसी प्रकार शेष 6 विद्यालयों में एक विद्यालय कक्षा 1 से 8 तक तथा पांच (कक्षा 6–8 तक के) जूनियर हाई स्कूल स्तर के विद्यालय संचालित हैं। इन विद्यालयों में छात्र/छात्राओं को निःशुल्क शिक्षा, भोजन, वस्त्र, आवास, स्टेशनरी, दवा आदि की सुविधा उपलब्ध करायी जाती है। इन विद्यालयों में छात्र/छात्राओं की कुल क्षमता 1060 है। जनपद बलरामपुर में 50 छात्रों की क्षमता का एक छात्रावास संचालित है। स्वैच्छिक संस्थाओं द्वारा संचालित विद्यालयों को भी अनुदान दिया जाता है। पूर्वदशम एवं दशमोत्तर कक्षाओं में पढ़ने वाले अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति की व्यवस्था की गयी है। वर्ष 2004–2005 में राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालयों/छात्रावासों एवं छात्रवृत्ति योजना से कुल 47762 छात्र/छात्राओं को लाभान्वित किया गया है।

प्रदेश में संचालित परियोजनाओं का विवरण निम्न प्रकार है :–

1. एकीकृत जनजाति विकास परियोजना चन्दन चौकी लखीमपुर–खीरी।

2. थारू विकास परियोजना विशुनपुर विश्राम बलरामपुर।
3. बुक्सा आदिम जनजाति विकास परियोजना नजीबाबाद बिजनौर।
4. बिखरी जनजातियों का विकास (बहराइच एवं महराजगंज)

नवीन नामित जनजातियों के विकास के लिए सोनभद्र में जनजातीय विकास परियोजना प्रस्तावित है।

वित्तीय वर्ष 2004-2005 में आयोजनागत पक्ष में रू. 318.62 लाख तथा आयोजनेत्तर पक्ष में रू. 301.46 लाख कुल रू. 620.08 लाख की धनराशि व्यय की गयी। इसी प्रकार वर्ष 2005-06 में जनवरी, 2006 तक आयोजनागत पक्ष में रू. 94.14 लाख तथा आयोजनेत्तर पक्ष में रू. 259.62 लाख की धनराशि व्यय की गयी है। जनपद लखीमपुर-खीरी के सोनहा ग्राम में वर्ष 2000-01 से अनुसूचित जनजाति के बालकों के लिए कक्षा 6 से 12 तक के आवासीय विद्यालय का निर्माण शत-प्रतिशत केन्द्रीय सहायता से किया जा रहा है।

वर्तमान समय में प्रदेश के कुल 19 जनपदों में निवासरत 12 जातियां अनुसूचित जनजाति की सूची में सम्मिलित हैं। बुक्सा जनजाति जनपद बिजनौर में, थारू जनजाति 5 जनपदों महराजगंज, बलरामपुर, लखीमपुर-खीरी, श्रावस्ती एवं बहराइच में, गोड, धुरिया, नायक, ओझा, पठारी एवं राजगोड़ जनपद महाराजगंज, सिद्धार्थ नगर, बस्ती, गोरखपुर, देवरिया, मऊ, आजमगढ़, जौनपुर, बलिया, गाजीपुर, चन्दौली मिर्जापुर एवं सोनभद्र में, खरवार/खैरवार जनपद देवरिया, बलिया, गाजीपुर, चन्दौली एवं सोनभद्र में, सहरिया जनपद ललितपुर में, पहरिया, बैगा, अगरिया, पठारी, भुइया, भुनिया जनपद सोनभद्र में पंखा, पनिका, जनपद सोनभद्र एवं मिर्जापुर में तथा चेरो जनपद सोनभद्र एवं चन्दौली में निवासरत हैं। वर्ष 2003 के पूर्व अनुसूचित जनजाति की सूची में केवल दो ही जातियां थारू एवं बुक्सा सम्मिलित थीं। यह जातियां शैक्षिक, आर्थिक एवं सामाजिक दृष्टि से अत्यंत पिछड़ी हुयी हैं तथा इनके विकास की गति मंद है। चतुर्थ पंचवर्षीय योजनाकाल से ही इनके विकास हेतु सुनियोजित ढंग से योजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं। वित्तीय वर्ष 2004-05 में कुल रू. 620.08 लाख की धनराशि व्यय की गयी है। वर्ष 2005-06 में उपलब्ध रू. 1656.56 लाख के प्राविधान के सापेक्ष स्वीकृत धनराशि रू. 637.50 लाख के विरूद्ध माह जनवरी 2006 तक रू. 353.62 लाख की धनराशि व्यय की जा चुकी है। वित्तीय वर्ष 2006-07 में कुल रू. 2623.67 लाख की धनराशि आय-व्ययक में प्राविधान किया गया है।

क. निर्देशन एवं प्रशासन - इस योजना के अन्तर्गत अनुसूचित जनजातियों के कल्याण हेतु संचालित योजनाओं के संचालनार्थ निदेशालय स्तर एवं जनपद स्तर पर अधिकारी/कर्मचारी तैनात हैं जिनके लिए स्थापना अधिष्ठान मद पर व्यय हेतु धनराशि की व्यवस्था की जाती है। वर्ष 2004-05 में रू. 43.48 लाख व्यय किये गये। वर्ष 2005-2006 में माह जनवरी 2006 तक रू. 40.81 लाख व्यय किये गये। वर्ष 2006-2007 में रू. 67.78 लाख व्यय किये जाने का प्रस्ताव है।

ख. आर्थिक विकास - प्रदेश में निवास करने वाली ऐसी अनुसूचित जातियां जो अनुसूचित जनजातियों की सूची में सम्मिलित नहीं की गयी हैं के व्यक्तियों को जो गरीबी की रेखा के नीचे जीवन

यापन कर रहे हैं को कृषि बागवानी तथा कुटीर उद्योग कार्यक्रमों द्वारा लाभान्वित किया जाता है। वर्ष 2004–05 में उक्त योजना पर रूपये 16.91 लाख व्यय किये गये हैं। वर्ष 2005–06 में माह जनवरी, 2006 तक 0.43 लाख व्यय किया गया है तथा वर्ष 2006–07 में रू. 20.00 लाख का आय–व्ययक में प्राविधान किया गया है, जिसका योजनावार विवरण निम्न प्रकार है –

1. कृषि तथा बागवानी :– प्रदेश में निवास करने वाली अनुसूचित जनजातियों की जीविका का प्रमुख साधन कृषि है उनकी आर्थिक दशा सुधारने के उद्देश्य से मैदानी क्षेत्र के सोनभद्र मिर्जापुर, चन्दौली, इलाहाबाद, चित्रकूट, झांसी जनपदों में निवास करने वाली गैर अनुसूचित जनजातियों के लिये कृषि तथा गिवानी के निमित्त अनुदान दिये जाने का प्राविधान है। यह अनुदान ऐसे व्यक्तियों को स्वीकृत किया जाता है जिनको नयी भूमि का आवंटन किया गया है तथा जिसका धनाभाव के कारण विकास नहीं किया जा सकता है। जनजाति क्षेत्र में कृषि विकास सम्बन्धी योजनाओं का संचालन भार जनजाति विकास निदेशालय को सौंपा गया है।

2. कुटीर उद्योग :– जैसा कि पूर्व में उल्लेख किया गया कि अधिकांश जनजातियां कृषि पर निर्भर हैं। जिन गैर अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों के पास कृषि पर्याप्त नहीं है और पुराने धंधे ही अपनाना चाहते हैं उन्हें नये तकनीकी विकास के साथ उनके धंधों के पुराने तरीकों में विविध परिवर्तन लाकर उन्हें लघु कुटीर उद्योग स्थापित करने हेतु अनुदान दिये जाने का प्राविधान है।

ग. शैक्षिक कार्यक्रम :– शैक्षिक कार्यक्रमों के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2004–05 में कुल 9 योजनाएं संचालित हैं, जिनका योजनावार विवरण निम्न प्रकार है :–

1. दशमोत्तर कक्षाओं में छात्रों को छात्रवृत्ति।
2. अनुसूचित जनजातियों की सहायता प्राप्त पाठशालाओं, पुस्तकालयों व छात्रावासों के सुधार/विस्तार हेतु अनुदान।
3. छात्रावासों के संचालन एवं छात्रावासों का निर्माण।
4. आश्रम पद्धति विद्यालयों का संचालन एवं भवनों का निर्माण।
5. बुक बैंक की स्थापना।
6. पूर्वदशम छात्रवृत्ति।
7. राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों का संचालन एवं भवन निर्माण।
8. अनुसूचित जनजातियों की छात्राओं हेतु यूनीफार्म एवं बाइसिकिल अनुदान।
9. जनजाति विकास पर शोध कार्य हेतु छात्रवृत्ति।

शैक्षिक कार्यक्रम के अन्तर्गत अनुसूचित जनजातियों की छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्ति एवं निःशुल्क शिक्षा दिये जाने का प्राविधान है। प्रदेश के इन विद्यालयों मे पढ़ने वाले छात्र/छात्राओं, जो दूर–दराज से आते हैं, उनके लिए आवासीय सुविधा हेतु जनपद बलरामपुर में एक छात्रावास संचालित है, जिसकी क्षमता 50 छात्रों की है। प्रदेश में अनुसूचित जनजातियों के लिए 9 राजकीय आश्रम पद्धति

विद्यालय संचालित किये गये हैं, जिसमें गरीबी की रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले जनजाति बालक/बालिकाओं को शासन द्वारा निःशुल्क शिक्षा एवं आवासीय सुविधा प्रदान की जाती है तथा उन बालक/बालिकाओं पर होने वाला भोजन, वस्त्र एवं स्टेशनरी आदि का समस्त व्यय शासन द्वारा वहन किया जाता है। यह 9 राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय प्रदेश के 6 जनपदों में संचालित हैं। जनपद लखीमपुर–खीरी में 3 विद्यालय, जनपद बलरामपुर में 2 विद्यालय तथा जनपद बहराइच, श्रावस्ती, बिजनौर एवं महराजगंज में एक–एक विद्यालय संचालित है, जिनका विवरण इस योजनान्तर्गत निम्नवत दिया गया है। यह विद्यालय जूनियर हाईस्कूल स्तर के 8 तथा प्राइमरी तर के एक हैं, जिसमें बालिकाओं के लिए जूनियर हाईस्कूल स्तर के 2 तथा बालकों के लिए 6 विद्यालय हैं। बालिकाओं के लिए प्राइमरी स्तर का एक विद्यालय है। इनकी कुल क्षमता 1060 छात्र/छात्राओं की है। राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान तथा जनजाति छात्राओं को यूनिफार्म एवं बाइसिकिल अनुदान की योजना वित्तीय वर्ष 2003–04 में नई स्वीकृत की गयी हैं। वित्तीय वर्ष 2005–06 में उपरोक्त वर्णित विद्यालयों में से 3 विद्यालय यथा राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय विशुनपुर विश्राम बलरामपुर (बालिका, कक्षा 6 से 8 तक), बालापुर बलरामपुर (बालक, कक्षा 6 से 8 तक) तथा सिरसिया श्रावस्ती (बालक, कक्षा 6 से 8 तक) को कक्षा–12 तक साहित्य एवं विज्ञान वर्ग में उच्चीकृत किया गया है। जिसके लिए वित्तीय वर्ष 2005–06 में रू. 120.39 लाख की व्यवस्था की गई है।

शैक्षिक कार्यक्रमों के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2004–05 में रू. 433.49 लाख की धनराशि व्यय की गयी तथा वर्ष 2005–06 में माह जनवरी, 2006 तक रू. 236.29 लाख व्यय किया गया है। वर्ष 2006–07 में रू. 2126.78 लाख की धनराशि व्यवस्थित की गयी है।

1. दशमोत्तर कक्षाओं की छात्रवृत्ति –दशमोत्तर कक्षाओं में अध्ययन करने वाले अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों को आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। दशमोत्तर कक्षाओं में पढ़ने वाले जिन छात्र/छात्राओं के अभिभावकों की वार्षिक आय सीमा रू. 100000/– तक है उन्हें छात्रवृत्ति की सुविधा निम्नवत् दरों के आधार पर अनुमन्य किये जाने की व्यवस्था की गयी है।वर्ष 2004–05 में आयोजनेत्तर पक्ष में रू. 6.83 लाख तथा आयोजनागत पक्ष में रू. 80.66 लाख कुल रू. 87.49 लाख की धनराशि व्यय की गयी है। वित्तीय वर्ष 2005–06 में आयोजनागत पक्ष में रू. 100.00 लाख तथा आयोजनेत्तर पक्ष में रू. 7.00 लाख कुल रू. 170.00 लाख की व्यवस्था आय–व्ययक में की गयी है। जिसके सापेक्ष माह जनवरी, 2006 तक रू. 14.22 लाख व्यय किया गया है। वित्तीय वर्ष 2006–07 में आयोजनागत पक्ष में रू. 470.85 लाख एवं आयोजनेत्तर पक्ष में रू. 7.00 लाख कुल रू. 477.85 लाख की व्यवस्था की गयी हैं।

2. स्वैच्छिक संस्थाओं द्वारा विद्यालयों के रख–रखाव हेतु सहायता :– अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों में प्राइमरी पाठशालाओं एवं बालवाड़ी के संचालनार्थ स्वैच्छिक संस्थाओं को अनुदान स्वीकृत करने की योजना वर्ष 1979–80 से संचालित की गयी थी। इस योजना के अन्तर्गत वर्ष 2004–2005 में रू.

5.84 लाख व्यय किये गये हैं तथा वित्तीय वर्ष 2005–2006 में माह जनवरी, 2006 तक रू. 1.61 लाख व्यय किया गया है तथा वर्ष 2006–2007 में रू. 6.00 लाख व्यय किये जाने की व्यवस्था की गयी है।

3. छात्रावास :–प्रदेश में अनुसूचित जनजाति के छात्रों को निःशुल्क आवास सुविधा उपलब्ध कराने हेतु जनपद बलरामपुर के मुख्यालय पर मात्र एक छात्रावास संचालित है। इसके अतिरिक्त बरगदवा महराजगंज में 50 छात्रों की क्षमता के एक जनजाति छात्रावास संचालित किये जाने की स्वीकृति वित्तीय वर्ष 2006–07 से प्रदान की गयी है। जिसके लिए आय–व्ययक में रू. 6.06 लाख की व्यवस्था की गयी है। नीचे दिये गये विवरण के अनुसार आयोजनागत पक्ष में जो धनराशि दर्शायी गयी है वह छात्रावासों के निर्माण एवं नये जनजाति छात्रावास के संचालन के लिये व्यवस्थित है।

वर्ष 2004–2005 में आयोजनेत्तर पक्ष में रू. 4.42 लाख व्यय किया गया है। वर्ष 2005–2006 मे माह जनवरी, आयोजनेत्तर पक्ष में 3.59 लाख व्यय किया गया तथा वर्ष 2006–07 में नये छात्रावासों के निर्माण हेतु आयोजनागत पक्ष में रू. 20.00 लाख एवं नये छात्रावास के संचालन हेतु रू. 0.06 लाख कुल रूपया 26.06 लाख तथा पूर्व से जनपद बलरामपुर के मुख्यालय पर संचालित एक जनजाति छात्रावास हेतु आयोजनेत्तर पक्ष में रू. 8.45 लाख कुल रू. 34.51 लाख की व्यवस्था किया गया है।

4. राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय :– अनुसूचित जनजातियों के बालक/बालिकाओं के शैक्षिक विकास एवं उत्थान के लिये उचित ढंग से शिक्षा दिये जाने के उद्देश्य से प्रदेश में 9 राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय संचालित किये गये हैं, जहां पर बालक/बालिकाओं की शिक्षा, भोजन, वस्त्र आवास एवं पुस्तकें आदि की सभी सुविधायें निःशुल्क प्रदान की जाती है।

राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालयों के छात्र/छात्राओं को भोजन व्यवस्था हेतु रू. 550 प्रतिमाह, सूती तथा ऊनी वस्त्र की व्यवस्था के अन्तर्गत रू. 400.00 प्रति छात्र तथा लेखन सामग्री क्रय हेतु कक्षा 1 से 8 तक रू. 100.00 प्रति छात्र वार्षिक दर से प्राविधान किया गया है। वित्तीय वर्ष 2004–2005 में आयोजनेत्तर पक्ष एवं आयोजनागत पक्ष में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष रू. 177.01 लाख व्यय करके 9 विद्यालयों को लाभान्वित किया गया है। इसी प्रकार वर्ष 2005–2006 में माह जनवरी, 2006 तक कुल रू. 109.81 लाख व्यय करके 9 विद्यालयों का संचालन किया गया। वित्तीय वर्ष 2006–2007 में निर्माणाधीन विद्यालयों को पूर्ण करने तथा तीन विद्यालयों को इण्टरमीडिएट स्तर तक उच्चीकृत करने के लिए भवन विस्तार हेतु तथा इन्हीं 9 विद्यालयों में से तीन विद्यालयों यथा राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय विशुनपुर विश्राम बलरामपुर (बालिका), बालापुर बलरामपुर (बालक) एवं सिरसिया श्रावस्ती (बालक) को कक्षा–12 तक उच्चीकृत कर संचालन करने के उद्देश्य से आयोजनागत पक्ष में कुल रू. 212.64 लाख तथा आयोजनेत्तर पक्ष में संचालन हेतु रू. 177.34 लाख कुल रू. 389.98 लाख की व्यवस्था आय–व्ययक में की गयी है। प्रदेश के 6 जनपदों में वर्तमान में कुल 09 विद्यालय संचालित हैं। जिसका विवरण निम्नवत् हैं। (तालिका 2.26)

तालिका 2.26 : उत्तर प्रदेश में जनजातीय निदेशालय द्वारा संचालित राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय

क्र.	विद्यालय का नाम	कक्षायें	क्षमता
1.	राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय, लखीमपुर, खीरी।	1–8	175 बालक
2.	राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय, चन्दनचौकी, लखीमपुर–खीरी।	6–8	105 बालिका
3.	राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय, बेलापरसुआ, लखीमपुर–खीरी।	6–8	105 बालक
4.	राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय, बालापुर, बलरामपुर।	6–8	105 बालक
5.	राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय, विशुनपुर विश्राम, बलरामपुर।	6–8	105 बालिका
6.	राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय, सिरसिया, श्रावस्ती।	6–8	105 बालक
7.	राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय, बिछिया, बहराइच।	1–5	150 बालिका
8.	राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय, नजीबाबाद, बिजनौर।	6–8	105 बालक
9.	राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय, नौतनवां, महराजगंज।	6–8	105 बालक
		योग	1060

5. बुक बैंक की स्थापना :– चालू वित्तीय वर्ष 2004–05 में नई योजनान्तर्गत अनुसूचित जनजाति की छात्राओं को बुक बैंक की स्थापना हेतु निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध कराने के लिए अनुदान देने हेतु रू. 10.00 लाख की व्यवस्था द्वितीय अनुपूरक के अन्तर्गत की गयी हैं। वित्तीय वर्ष 2005–06 इस योजना में कोई व्यवस्था नहीं की गयी है आगामी वित्तीय वर्ष 2006–08 में रू. 10.00 लाख की व्यवस्था की गयी है।

6. पूर्वदशम कक्षाओं में विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति एवं अनावर्तीय सहायता :– पूर्वदशम कक्षाओं में अध्ययन करने वाले अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति प्रदान करने की व्यवस्था है। 1–8 तक की कक्षाओं में पढ़ने वाले सभी छात्र/छात्राओं को अनिवार्य रूप से आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है इसके अतिरिक्त कक्षा 9 व 10 में पढ़ने वाले छात्र/छात्राओं को जिनके अभिभावकों की मासिक आय रू. 2500/– से कम है, को छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। कक्षा 1 से 5 तक रू. 25.00 प्रति माह, 6 से 8 तक प्रति माह रू. 40.00 एवं 9–10 तक रू. 60.00 प्रति माह की दर से छात्रवृत्ति की धनराशि का भुगतान किया जा रहा है।

पूर्वदशम छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत वर्ष 2004–2005 में आयोजनागत पक्ष में रूपया 121.16 लाख तथा आयोजनेत्तर पक्ष में रू. 35.59 लाख कुल रू. 156.75 लाख व्यय करके 41801 छात्रों को लाभान्वित किया गया। इसी प्रकार वर्ष 2005–2006 में माह जनवरी, 2006 तक आयोजनागत पक्ष में रू. 71.83 लाख तथा आयोजनेत्तर पक्ष में रू. 34.08 लाख कुल रू. 105.91 लाख व्यय करके छात्रों को लाभान्वित किया गया। वर्ष 2006–07 में आयोजनागत पक्ष में रू. 1292.90 लाख तथा आयोजनेत्तर पक्ष में रू. 36.50 लाख कुल रू. 1329.40 लाख की व्यवस्था की गयी है।

7. राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान का संचालन :– वित्तीय वर्ष 2003–04 में जनपद सोनभद्र में एक राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान खोले जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी है। उक्त आई. टी. आई. में कुल 3 ट्रेड, मोटर मैकेनिक, फिटर एवं कम्प्यूटर खोले जाएंगे। उक्त संस्थान में

प्रारम्भ के वर्ष में 48 छात्र तथा उसके दूसरे वर्ष में 96 छात्र अध्ययन कर सकते हैं। इस प्रकार उक्त संस्थान कुल 96 छात्रों की क्षमता वाला होगा। उक्त तीनों ट्रेडों के संचालन पर चालू वित्तीय वर्ष 2005–06 में कुल रू. 55.19 लाख की व्यवस्था की गयी है।

वित्तीय वर्ष 2006–07 में उक्त आई.टी.आई. के संचालन हेतु विभिन्न चार मानक मदों के प्रत्येक मद में प्रतिकात्मक व्यवस्था सुनिश्चित करते हुए कुल रू. 0.04 लाख की व्यवस्था की गयी है।

8. अनुसूचित जनजाति की छात्राओं को यूनीफार्म एवं बाइसिकिल अनुदान :– अनुसूचित जनजाति के कक्षा 6–12 तक की वे गरीब छात्रांए जो विभाग द्वारा संचालित आश्रम पद्धति विद्यालयों में नहीं पढ़ती हैं, बल्कि किसी दूसरे विद्यालय में पढ़ती हैं, को प्रोत्साहन स्वरूप यूनीफार्म एवं बाइसिकिल निःशुल्क उपलब्ध कराने हेतु उपरोक्त योजना वित्तीय वर्ष 2003–04 में स्वीकृत की गयी है, जिसके अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2004–05 में रू. 15.00 लाख के उपलब्ध आय–व्ययक प्राविधान के सापेक्ष रू. 1.98 लाख व्यय किया गया वित्तीय वर्ष 2005–06 में रू. 15.00 लाख के उपलब्ध प्राविधान के सापेक्ष माह जनवरी 2006 तक रू. 1.15 लाख की धनराशि व्यय की गयी है।वित्तीय वर्ष 2006–07 में उक्त योजनान्तर्गत कुल रू. 15.00 लाख की व्यवस्था की गयी है।

9. शोध छात्रवृत्ति :– इस योजना के अन्तर्गत जनजातियों के विकास पर किये जाने वाले शोध छात्रों को छात्रवृत्ति के रूप में भारत सरकार से शत–प्रतिशत सहायता प्रदान की जाती है। वर्ष 2004–2005 में इस योजनान्तर्गत रू. 4.00 लाख के उपलब्ध आय–व्ययक प्राविधान के सापेक्ष व्यय शून्य रहा। वर्ष 2005–2006 में रू. 4.00 लाख के उपलब्ध आय–व्ययक प्राविधान के सापेक्ष माह जनवरी 2006 तक व्यय शून्य रहा है। वित्तीय वर्ष 2006–2007 में इस योजनान्तर्गत रू. 4.00 लाख की व्यवस्था की गयी हैं।

घ. जनजाति उपयोजना के लिये विशेष केन्द्रीय सहायता :– इस योजना के अन्तर्गत संविधान के अनुच्छेद 275 (1) पाकेट प्लान तथा प्रीमिटिव ग्रुप्स के अन्तर्गत एकीकृत जनजाति विकास परियोजना, चन्दन चौकी, खीरी, थारू विकास परियोजना, बलरामपुर, आदिम जनजाति विकास परियोजना, नजीबाबाद, बिजनौर, बिखरी जनजातियों के विकास के लिये संचालित योजनाओं हेतु भारत सरकार से प्राप्त धनराशि को उनके आर्थिक एवं सामाजिक विकास पर व्यय किया जाता है। इसके अतिरिक्त भारत सरकार की सहायता से ही बुक्सा आदिम जनजाति समूह के विकास हेतु भारतीय जीवन बीमा निगम की जनश्री बीमा योजना के अन्तर्गत 500 आदिम जनजाति समूह परिवारों को लाभान्वित करने हेतु वित्तीय वर्ष 2006–07 में रू. 2.50 लाख की व्यवस्था की गयी है।

1. संविधान की धारा 275 (1) के अन्तर्गत :– इस केन्द्रीय सहायता की एकीकृत जनजाति विकास परियोजना, चन्दन चौकी, खीरी तथा थारू विकास परियोजना, बलरामपुर द्वारा संचालित कार्यक्रमों पर व्यय किया जाता है। उक्त परियोजनाओं द्वारा जनजाति के शैक्षिक, आर्थिक एवं सामाजिक उत्थान के कार्यक्रमों सम्बन्धी अवस्थापना मदों पर व्यय किया जाता है। वर्ष 2004–2005 में

रू. 30.00 लाख के आय–व्ययक प्राविधान के विरूद्ध रू. 11.71 लाख की धनराशि व्यय की गयी है। वर्ष 2005–2006 में रू. 120.00 लाख का आय–व्ययक प्राविधान किया गया है, जिसके सापेक्ष माह जनवरी, 2006 तक व्यय शून्य रहा है। वित्तीय वर्ष 2006–2007 में कुल रू. 30.00 लाख की व्यवस्था की गयी है।

2. पाकेट प्लान तथा प्रिमिटिव ग्रुप्स योजना :– उपर्युक्त के अतिरिक्त पाकेट प्लान तथा प्रिमिटिव ग्रुप्स योजना के अन्तर्गत एकीकृत जनजाति विकास परियोजना, चन्दन चौकी, खीरी तथा थारू विकास परियोजना, विशुनपुर–विश्राम, जनपद बलरामपुर द्वारा संचालित योजनाओं के लिये शत–प्रतिशत भारत सरकार द्वारा सहायता प्राप्त होती है। वित्तीय वर्ष 2004–2005 में रू. 13.61 लाख की धनराशि व्यय की गयी है। वर्ष 2005–2006 में रू. 108.40 लाख की व्यवस्था की गयी है। वित्तीय वर्ष 2006–2007 में इस योजना में कुल रू. 27.10 लाख की धनराशि की व्यवस्था की गयी है।

3. बुक्सा आदिम जनजाति उत्थान :– बुक्सा जनजाति को भारत सरकार द्वारा आदिम समूह घोषित किया गया है। अतः इस योजना हेतु भारत सरकार द्वारा विशेष केन्द्रीय सहायता उपलब्ध करायी जाती है। बुक्सा आदिम जनजाति जनपद बिजनौर के नजीबाबाद क्षेत्र में निवास करती है।

वित्तीय वर्ष 2004–2005 में आयोजनागत पक्ष में उपलब्ध रू. 5.00 लाख के आय–व्ययक प्राविधान के सापेक्ष व्यय शून्य रहा है। वित्तीय वर्ष 2005–06 में आयोजनागत पक्ष में उपलब्ध रू. 5.00 लाख के आय–व्ययक में व्यवस्था है। वित्तीय वर्ष 2006–07 में इस योजनान्तर्गत रू. 5.00 लाख की व्यवस्था की गयी है।

4. बिखरी आबादी वाले जनजातियों का विकास :– यह योजना मैदानी क्षेत्र में जनपद बहराइच, श्रावस्ती एवं महराजगंज में संचालित की जा रही है, इस योजना हेतु विकास मद में वर्ष 2004–2005 में रू. 4.00 लाख की धनराशि व्यय की गयी है, वर्ष 2005–2006 में रू. 5.00 लाख की व्यवस्था की गयी है। वर्ष 2006–2007 में रू. 5.00 लाख व्यवस्था की गई है।

5. आदिम जनजाति समूह के लिए जनश्री बीमा योजना :– भारत सरकार की सहायता से बुक्सा आदिम जनजाति समूह के विकास हेतु भारतीय जीवन बीमा निगम की जनश्री बीमा योजना के अन्तर्गत 500 आदिम जनजाति समूह परिवारों को लाभान्वित करने हेतु वित्तीय वर्ष 2006–07 में रू. 2. 50 लाख की व्यवस्था की गयी है।

ङ. जनजाति क्षेत्र उपयोजना :–

1. जनपद खीरी एवं बलरामपुर में संचालित परियोजनाओं द्वारा चिकित्सालयों के संचालनार्थ प्रथम बार राज्य सहायता के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2002–2003 में आयोजनागत पक्ष में रू. 8. 35 लाख की व्यवस्था आय–व्ययक में की गयी थी। जिसके सापेक्ष रू. 4.00 लाख की धनराशि व्यय की गयी। वित्तीय वर्ष 2004–05 में उक्त योजनान्तर्गत उपलब्ध प्राविधान रू. 8. 35 लाख के सापेक्ष व्यय शून्य रहा है। वित्तीय वर्ष 2005–06 में उपलब्ध प्राविधान रू. 8.35

लाख के सापेक्ष माह जनवरी 2006 तक व्यय शून्य रहा है। वर्ष 2006–07 में इस योजना में रू. 8.35 लाख का प्राविधान किया गया है।

2. अनुसूचित जनजातियों में 10 नई जातियों को सूचीबद्ध किये जाने के उपरान्त इन सभी अनुसूचित जनजातियों के समग्र विकास हेतु जनपद सोनभद्र में एकीकृत जनजाति विकास परियोजना कार्यालय की स्थापना का प्रस्ताव है इसी उद्देश्य से जनजाति बाहुल्य वाले जनपद सोनभद्र में एकीकृत जनजाति परियोजना की स्थापना हेतु चालू वित्तीय वर्ष 2005–06 के आय–व्ययक में रू. 184.02 लाख की व्यवस्था की गई है। वर्ष 2006–07 में उक्त योजना के अन्तर्गत रू. 79.40 लाख की व्यवस्था की गयी है।

च. अन्य व्यय :– इस शीर्षक के अन्तर्गत कुल 5 योजनाएं संचालित हैं। इसके अतिरिक्त वित्तीय वर्ष 2006–07 में एक नई योजना विकलांग व्यक्तियों हेतु कौशल विकास केन्द्र के निर्माण के लिए रू. 2.00 लाख की व्यवस्था की गयी है।

1. अत्याचारों से उत्पीड़ित अनु. जनजातियों की सहायता :– इस योजनान्तर्गत अत्याचारों से उत्पीड़ित जनजाति परिवारों को तुरन्त सहायता उपलब्ध कराये जाने का प्राविधान है।

2. स्वैच्छिक संगठनों को अनुदान :– अनुसूचित जनजातियों के कल्याणार्थ 800–अन्य व्यय शीर्षक में स्वैच्छिक संस्थाओं को अनुदान दिये जाने की योजना संचालित की गयी है। वर्ष 2004–2005 में उपलब्ध रू. 2.50 लाख प्राविधान के सापेक्ष व्यय शून्य रहा है। वित्तीय वर्ष 2005–2006 में रू. 2.51 लाख के प्राविधान के सापेक्ष व्यय शून्य रहा है। वित्तीय वर्ष 2006–07 में कुल रू. 2.51 लाख की व्यवस्था की गयी है।

3. अनु. जनजाति की बालिकाओं के विवाह एवं गम्भीर बीमारी के इलाज हेतु अनुदान :– अनुसूचित जनजाति के गरीब परिवार के बालिकाओं के विवाह एवं गम्भीर बीमारी के इलाज हेतु अनुदान स्वीकृत करने की योजना वित्तीय वर्ष 2002–03 से प्रारम्भ की गयी है। वर्ष 2004–2005 में रू. 14.82 लाख व्यय किया गया। वर्ष 2005–2006 में आयोजनागत पक्ष में रू. 15.00 लाख की उपलब्ध आय–व्ययक प्राविधान के सापेक्ष माह जनवरी 2006 तक रू. 7.56 लाख व्यय किया गया है। वित्तीय वर्ष 2006–07 में रू. 15.00 लाख की व्यवस्था की गयी है।

उपर्युक्त कार्यक्रम के अतिरिक्त अन्य व्यय के अन्तर्गत ही एकीकृत जनजाति विकास परियोजना, चन्दन चौकी, खीरी, थारू विकास परियोजना, विशुनपुर विश्राम बलरामपुर, बुक्सा आदिम जनजाति परियोजना, नजीबाबाद–बिजनौर तथा महराजगंज एवं बहराइच में जिला स्तर पर नियुक्त स्टाफ के अधिष्ठान व्यय (जनजाति उपयोजना) वहन किया जाता है

4. जनजाति उपयोजनाएं :–

क. एकीकृत जनजाति विकास परियोजना, चन्दन चौकी, खीरी :– यह योजना वर्ष 1976–77 से प्रारम्भ हुई। इस योजना का संचालन वर्ष 1980 से तराई अनुसूचित जनजाति विकास निगम लि., द्वारा किया जा रहा था। इससे पूर्व यह योजना समाज कल्याण निदेशालय द्वारा संचालित की जा रही थी। जिसे 1985–86 से निदेशालय जनजाति विकास द्वारा संचालित किया जा रहा है।

ख. जनजाति क्षेत्रीय कार्यक्रम – थारू विकास परियोजना, बलरामपुर :– यह परियोजना वर्ष 1980–81 से तराई अनुसूचित जनजाति विकास निगम द्वारा संचालित की जा रही थी। जिसे जून, 1996 से निदेशालय, जनजाति विकास द्वारा संचालित किया जा रहा है। इस परियोजना द्वारा एक जन–चिकित्सालय, एक पशु चिकित्सालय, 3 स्टाफ मैन सेन्टर, एक प्रशिक्षण केन्द्र संचालित है। जिनमें विभिन्न व्यवसायों में जनजाति युवकों एवं युवतियों को प्रशिक्षण दिया जाता है। इसके अतिरिक्त परिवारोन्मुखी आर्थिक विकास कार्यक्रम, गृह निर्माण, सड़क एवं ग्रामों के विद्युतीकरण आदि का कार्य उक्त परियोजना द्वारा संचालित किया गया।

ग. अधिष्ठान व्यय हेतु आर्थिक सहायता :– इस योजनान्तर्गत जनपद बिजनौर में निवासरत बुक्सा जनजातियों को भारत सरकार से प्राप्त शत–प्रतिशत सहायता से वितास करने हेतु एक बुक्सा आदिम जनजाति परियोजना नजीबाबाद–बिजनौर में स्थापित किया गया है, जिसमें नियुक्त स्टाफ के अधिष्ठान व्यय की व्यवस्था इस योजनान्तर्गत आयोजनेत्तर पक्ष से की जाती है।

घ. बिखरी आबादी वाली जनजातियों का विकास :– जनपद महाराजगंज, बहराइच एवं श्रावस्ती में बिखरी जनजातियों को भारत सरकार से प्राप्त शत–प्रतिशत सहायता से आर्थिक विकास कार्यक्रम जनजाति उपयोजना के विशेष केन्द्रीय सहायता अन्तर्गत संचालित हैं, उक्त योजना के संचालन हेतु जिला स्तर पर जनपद बहराइच एवं महराजगंज में जो स्टाफ नियुक्त है, उनके अधिष्ठान व्यय की व्यवस्था उपरोक्त योजनान्तर्गत आयोजनेत्तर पक्ष से की जाती है।

5. विभिन्न आयोजनों हेतु सामुदायिक केन्द्रों का निर्माण :– अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों को उनके परम्पराओं, समय–समय पर व्यवहृत होने वाले त्योहारों के अवसरों पर होने वाले कार्यक्रमों तथा शैक्षिक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों के आयोजनों हेतु सामुदायिक केन्द्रों का निर्माण किया जाना है, इसी उद्देश्य से प्रथम बार वित्तीय वर्ष 2003–04 से उक्त योजना प्रारम्भ की गयी है। वर्ष 2004–05 में उपलब्ध आय–व्ययक प्राविधान रू. 5.00 लाख के सापेक्ष 5.00 लाख की धनराशि व्यय करके सामुदायिक केन्द्रों का निर्माण किया जाना है। वर्ष 2005–2006 में रू. 5.00 लाख का आय–व्ययक प्राविधान उपलब्ध है। वित्तीय वर्ष 2006–07 में रू. 5.00 लाख का प्राविधान किया गया है।

6. विकलांग व्यक्तियों हेतु कौशल विकास केन्द्र :– अनुसूचित जनजाति के विकलांग व्यक्तियों के प्रशिक्षण के लिए कौशल विकास केन्द्र की स्थापना हेतु भवन का निर्माण प्रस्तावित है। इस हेतु वित्तीय वर्ष 2006–07 में प्रथम बार रू. 2.00 लाख की व्यवस्था की गयी है।

7. अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति, शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान, उ. प्र. लखनऊ– प्रदेश में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति, शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान, उ. प्र., लखनऊ की स्थापना वर्ष 1986–87 में शासनादेश संख्या–1261/26–ज–86–850–84, दिनांक 15 जनवरी, 1987 द्वारा की गयी। यह संस्थान अन्य प्रदेशों की भांति जनजाति कार्य मंत्रालय, भारत सरकार की शोध प्रशिक्षण योजना के अन्तर्गत स्थापित है जिसमें आयोजनागत व्यय का 50 प्रतिशत अंश केन्द्र पुरोनिधानित योजना के अन्तर्गत भारत सरकार तथा शेष 50 प्रतिशत राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाता है।

शासन द्वारा इस संस्थान के निम्नलिखित उद्देश्य निर्धारित किये गये हैं :–

1. पिछड़े–वर्गों, जिनमें अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति, खानाबदोश जाति तथा अन्य पिछड़ी जातियां सम्मिलित हैं, के लिए आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक तथा शैक्षणिक विकास की योजनाओं हेतु शोध तथा सर्वेक्षण कार्य करना।
2. विभिन्न विकास योजनाओं के परिकल्पन, नियोजना तथा क्रियान्चयन की प्रक्रिया विधि का विकास करना।
3. पिछड़े वर्गों के कल्याण कार्य पर लगे कार्मिकों (अधिकारियों तथा कर्मचारियों) को विभिन्न विकास योजनाओं को तैार करने व उनके सुचारू क्रियान्वयन के परिप्रेक्ष्य में प्रशिक्षित करना।
4. पिछड़े वर्गों के कल्याण हेतु चलाये जा रहे विकास कार्यक्रमों का अध्ययन मूल्यांकन करना तथा उसमें संशोधन/परिवर्धन तथा सुधार की सिफारिश करना।
5. पिछड़े वर्गों के कल्याण/विकास के संबंध में बहुआयामी सामग्री का संचय तथा प्रकाशन करना।
6. आवश्यकता होने पर पिछड़े वर्गों के लिए व्यावहारिक योजनाएं तैयार करना।

निष्कर्ष –

अतः जनजातीय जीवन के गुणात्मक प्रगति तथा जनजातीयों के सामाजिक आर्थिक विकास में गति लाने के लिए सतत प्रयाग हो रहे हैं, परिणामतः जनजातीय समाज में तीव्र परिवर्तन दृष्टिगत है। दूर दराज के क्षेत्र में रहने वाले जनजातियों पर इसका प्रभाव कम देखने को मिलता है परन्तु शिक्षा स्वास्थ्य एवं अवस्थानात्मक सुविधाओं के विस्तार में गति आई है। निर्मल धारा के प्रवाह की ओर बढ़ चली जनजातियों में योजनाओं को लागू करने से पूर्व सांस्कृतिक पक्ष को बचाने के लक्ष्य को समक्ष रखने की आवश्यकता है।

References:

1. Hasnain, Nadeem (2004), ***Janjatiaya Bharat***, Jawahar Publications, New Delhi, p.2.

2. *Ibid.*

3. *Ibid.*

4. Elvin, V. (1949), **The Myth of Middle India**, Oxford University Press, London, pp.3-22.

5. Hasnain, Nadeem (2004), *Ibid.*, p.3.

6. Sharma, B.D. (1977), "Administration for Tribal Development", *The Indian Journal of Public Administration*, Vol.XXIII(2), July-September.

7. Hasnain, Nadeem (2004), *op.cit..*, p.5.

8. Drew Nowski J. (1965), **Studies in the Measurement of Levels of Living and Welfare,** Report No.703, UNIRSD.

9. Schumpeter, J.A., **The Theory of Economic Development**, pp.63-66.

10. Singh, J. and Kashinath Singh (2003), ***Arthik Bhoogal Ke Mool Tatwa***, Gramoday Publications, Gorakhpur, pp.493-495.

11. Daseman, R.F. (1976), **Environmental Conservation**, John Wiley, New York, pp.16-29.

12. Jorge Parkinson (1964), **Man and Nature**, Quoted from Marsh, J.P. (1874), **The Earth as Modified by Man**, pp.3-5.

13. Thears Barford, Quoted in Mukherjee and Agnihotri, V.K. (1993), **Environment and Development,** Concept Publishing, Delhi, p.3.

14. Osborn (1948), **Our Plundered Planet**, pp.9-19.

15. Karson (1962), **The Silent Sprint**, Hamish Hamilton, London, pp.12-15.

16. Meadows, D, *et.al.* (1972), The Limits to Growth, Earth Island, London, pp.2-5.

17. Andrew Blowerst (1993), "Environment and Development Theme, Sustainable Development" in **Environment and Development** by Amitava Mukherjee, V.K. Agnihotri, Concept Publishing, Delhi, pp.349-350.

18. Barbier, E.B. (1987), "The Concept of Sustainable Development", *Environment Conservation*, Vol.14 (2), pp.101-110.

19. Brown, B.J. Hanson, M.E., Liverman, D.M. and Merideth, R.W. (Jr.) (1987), "Global Sustainability: Towards Definition", *Environmental Management,* Vol.11 (6), pp.713-719.

20. Daly, H.E. (1989), "Sustainable Development: From Concept and Theory Towards Operational Principles", *Population and Development Review,* Washington.

21. Lele, S.M. (1989), **Sustainable Development – A Critical Review**, Unpublished Report, Environment and Policy Institute, East West Centre, Hawaii, USA.

22. Pezzey, J. (1989), **Economic Analysis of Sustainable Growth and Sustainable Development**, W.P. No.15, Environment Department, The World Bank.

23. Radcliff, M. (1987), **Sustainable Development – Exploring the Contradiction,** Methben and Co., London.

24. Rees, W.E. (1988), "A Role for Environmental Assessment in Achieving Sustainable Development", *Environmental Impact Assessment Review,* Vol.8(4), pp.273-291.

25. Chattopadhyaya, S. and Carpenter, R.A. (1990), **A Theoretical Framework for Sustainable Development Planning in the Context of a River Basin,** Unpublished Report, Environment and Policy Institute, East West Centre, Hawaii, USA.

26. Sinha, S. (1990), "The Environmental Scenario, Development and the Earth Science", *Geographical Review of India,* Vol.52 (1), pp.51-58.

27. Clark, W.C. (1982), **Carbon Dioxide Review**, Oxford University Press, p.28.

28. WCED (1987), **Our Common Future**, Oxford University Press.

29. Radcliff, M. (1991), "The Multiple Dimensions of Sustainable Development", *Geography,* Vol.76, pp.36-42.

30. Vidyarthi, L.P., "Problems and Prospects of Tribal Development in India", in Buddhadeb Choudhury (ed.), **Tribal Development in India: Problems and Prospects**, *op.cit.*, pp.376-377.

31. Majumdar, D.N. and T.N. Madan (1967), **An Introduction to Social Anthropology,** Asia Publishing House, Mumbai, pp.35-37.

32. Biswal, G.C. (1985), "Tribal Development and Education, Some Issues", *Vanyajati,* January, Vol.XXXII(1), p.14.

33. *Ibid.*

34. Panda, N.K. (2006), **Tribal Development,** Kulpaj Publications, Delhi, pp.50-75.

35. *Ibid.*

36. Bahura, N.K. (1990), "Tribal Societies in Orissa", in **Tribes of Orissa** (ed.) H and T.W. Department, Government of Orissa.

37. Elwin, Verrier (1964), **A Philosophy of NEFA**, Shillong, pp.45-46.

38. Vidyarthi, L.P. (1964), **Cultural Contours of Tribal Bihar**, Punthi Pustak, Kolkata.

39. Lewis, I M. (1968), "Tribal Society", in **International Encyclopaedia of Social Sciences**, The Macmillan Co. and the Free Press, Vol.16, p.147.

40. Pathy, Suguna (2002), "Destitution, Deprivation and Tribal Development", *Economic and Political Weekly*, Vol.38(27), pp.283-286.

41. Lewis, I.M. (1968), *op.cit.*

42. Ghurye, G.S. (1958), **The Scheduled Tribes**, 2nd Edn.

43. Pathy, *et.al.*, "Tribal Studies in India: An Appraisal", *The Eastern Anthropologists.*

44. Naik, T.B. (1968), "What is Tribe, Conflicting Definition", in I.P. Vidyarthi (ed.), **Applied Anthropology**, Allahabad, pp.84-97.

45. Vimal Chandra (1968), **Handbook of Scheduled Castes and Scheduled Tribes**, Government of India, New Delhi, pp.27-28.

46. *Ibid.*

47. Stephen Fuchs (1973), **The Aboriginal Tribes in India**, The Macmillan Company of India Ltd., p.25.

48. Bailey, F.G. (1960), **Tribe, Caste and Nation**, Oxford University Press, Mumbai, pp.263-266.

49. Suresh Chandra Rajora (1986), "Tribal Society and Its Differential Profile", *Vanyajati*, January, Vol.XXXIV(1),pp.7-10.

50. Beteille Andre (1975), **The Definition of Tribe: Tribe, Caste and Religion**, Macmillan, India, p.10.

51. Sharma, B.D. (1984), **Planning for Tribal Development**, Prachi Prakashan, New Delhi, pp.v & vii.

52. Louis Prakash (2003), "Scheduled Castes and Tribes, The Reservation Debate", *Economic and Political Weekly*, Vol.38(25), pp.2475-2478.

53. Beteille Andre (1975), *op.cit*

54. Majumdar, D.N. and T.N. Madan (1980), **An Introduction to Social Anthropology**, Asia Publishing House, Mumbai, p.241.

55. *Ibid.*

56. Rivers, W.H.R. (1906), **The Todas**, Macmillan, London.
57. Radcliffe-Brown, A.R. (1948), **The Andaman Islanders**, Illinois Free Press, Glencoe.
58. Beteille Andre (2000), **Antinomies of Society: Essays on Ideologies and Institution**, Oxford University Press, New Delhi.
59. *Ibid.*
60. Naik, T.B. (1968), *op.cit.*
61. Majumdar, D.N. and T.N. Madan (1967), *Op.cit.*
62. Taylor, G. (1949), **Environment Race and Migration**, p.275.
63. Hasnain, Nadeem (2002), *op.cit.*, pp.23-26.
64. Guha, B.S. (1938), **The Racial Elements of India**, Popular Prakashan, Mumbai, pp.26-28.
65. Majumdar, D.N. (1944), **Races and Cultures of India**, Universal Publishers, Lucknow, pp.12-36.
66. Majumdar, D.N. (1950), **The Affairs of a Tribe – A Study in Tribal Dynamics**, Universal Publishers, Lucknow.
67. Rath, G.C. (2006), **Tribal Development in India: Contemporary Debate**, Sage Publications, New Delhi.
68. Mehta, Om (1976), **Tribal Development: The New Strategy**, Government of India, New Delhi, p.2.
69. Mishra, Nita (1996), "Tribal Resistance in the Chhechhari Valley: A Field Report", *Economic and Political Weekly,* Vol.31(24), pp.1539-1540.
70. Mohanty, B.B. (2003a), "Education Progress of Scheduled Tribes: A Discursive Review", *Man and Development*, Vol.25(2), pp.91-106.
71. Bajrathi Shashi (1991), **Tribal Culture Economy and Health,** Rajendra Printers, Jaipur.
72. Mohanty, P.K. (2000), **Encyclopaedia of Castes and Tribes in India**, Indian Publications, Delhi.
73. Banerjee, N.K., "An Appraisal of the Shifting Cultivation in India", in M.L. Patel, **Agro-Economic Problems of Tribals in India**, *op.cit.*, pp.113-114.
74. Panda, N.K. (2006), *op.cit.*
75. Basu, D.D. (2006), ***Bharat Ka Sambidhan Ek Parichaya***, Buddhdev Publications, Delhi, & Pandey, J.N. (2006), ***Bharat Ka Sambidhan***, Central Law Agency, Allahabad.

76. Hutton, J.H. (1986), **Census of India, 1931: With Complete Survey of Tribal Life and System**, Gyan, Delhi, 3 Vols.

77. Ghuray, G.S. (1963), **The Scheduled Tribes**, Popular Publication, Mumbai, Quoted from Panda, N.K. (2006), *op.cit.*.

78. Pandey, J.N. (2006), *op.cit.*, pp.25-27.

79. Rath, G.C. (2006), *op.cit.*

80. Rath, M.K and S.C. Das, "Constitutional Safeguards for Scheduled Tribes", in Buddhadeb Choudhury (ed.), **Tribal Development in India: Problems and Prospects**, *op.cit.*, p.310.

81. Verma, M.M. (1996), **Tribal Development in India**, Mittal Publications, New Delhi, pp.46-83.

82. Verma, M.M. (1995), "Tribal Development in India: An Overview", in Bedi, M.S. (ed.), **Tribal Development in Rajasthan (with Special Reference to Women and Children),** Himanshu Publications, Udaipur, pp.45-69.

83. Shilo Ao Committee Report (1969), (Mimeographed), New Delhi, p.25.

84. Verma, M.M. (1995), *op.cit.*

85. Sharma, B.D. (1978), "Tribal Development Administration", in S.K. Sharma (ed.), **Dynamics of Development: An International Perspective**, Concept Publishing House, Delhi.

86. Sharma, P.D. (2006), **Anthropology of Primitive Tribes in India**, Serial Publications, Delhi.

87. Verma, M.M. (1996), *op.cit.*

88. *Janjatiya Nideshalaya,* Uttar Pradesh (2006), *Anusuchit Janjati Vikas Ke Karaya Purti Digdarsak*, Report, Lucknow.

------:0:------

अध्याय–3

अध्ययन क्षेत्र की भौगोलिक पृष्ठभूमि
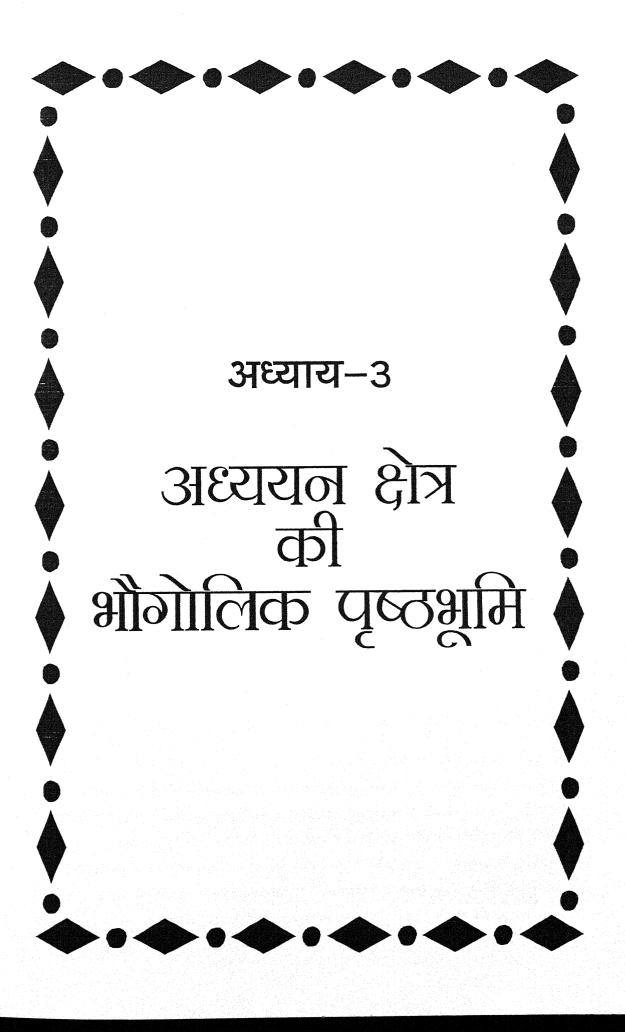
अध्याय – 3

अध्ययन क्षेत्र की भौगोलिक पृष्ठभूमि

किसी क्षेत्र में मानव पर्यावरण अंतर सम्बन्ध के स्वरूपों को क्षेत्रीय विभिन्नता एवं स्थानीय संगठन की दृष्टि से समझने और विषय वस्तु पर क्षेत्रीय भूगोल के प्रभाव को समझते हुए वैचारिक पृष्ठभूमि विकसित करने के लिए क्षेत्र के भौगोलिक पृष्ठभूमि का ज्ञान होना आवश्यक है। अतः प्रस्तुत अध्याय में थारू जनजाति के निवास क्षेत्र में तराई के भौगोलिक स्वरूप का अध्ययन किया गया है।

3.1 तराई क्षेत्र का सामान्य परिचय

तराई, लैटिन शब्द इण्डस के नाम से नामित[1] राष्ट्र इण्डिया (भारत) की धमनियों के समान फैली नदियों द्वारा निर्मित शिवालिक की तलहटी का क्षेत्र हैं। यहां विशाल मैदान को मैदानी चरित्र प्रदान करने हेतु भाबर में विलुप्त नदियां पुनः प्रकट होती है। यहाँ से मुकुटरूपी हिमालय पर्वतीय क्षेत्र को, मैदान से पृथकता प्राप्त होती है। कैम्ब्रियन काल से आज तक होती रही विवर्तनिक एवं भूआकृतिक घटनाओं से विशाल मैदान का वर्तमान स्वरूप विनिर्मित हुआ। यह पैंजिया के विघटन के पश्चात अंगारालैण्ड तथा गोण्डवानालैण्ड के बीच बनी भूसन्नित में अवसाद भरने तथा सीमावर्ती पिण्डों के दबाव से तीन विभिन्न चरणें में निर्मित हिमालय, की दक्षिणी श्रेणी शिवालिक श्रंखला तथा गोंडवाना क्षेत्र की बची वनी द्रोणी में अवसाद जमा होने से निर्मित हुआ है।

तराई, गंगा ब्रह्मपुत्र मैदान का कठोर निवाश्य दशाओं वाला भूभाग है। यह भावर के दक्षिण में स्थित है तथा उच्च जल स्तर, निम्न ढाल प्रवणता, अव्यवस्थित जल बितरकाओं, सघन वनों, उपजाऊ मृदा से आच्छादित है। तराई विशाल गंगा, ब्रह्मपुत्र मैदान की उत्तरी सीमा पर यमुना से दिहॉग तक विस्तृत 15–30 तक चौड़ी दलदली भू आकृति है जहां शिवालिक पर्वत के ढाल को विराम मिलता है ; तथा भावर में विलुप्त नदियां अपनी संयोजिकाओं के साथ प्रकट होती है।[2]

तराई को परिभाषित करते हुए एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका में स्पष्ट किया गया हैं –

"The Terai or Tarai ("moist land") is a belt of marshy grassland, savannas and forests at the base of the Himalaya range in India, Nepal and Bhutan, from the Yamuna River in the West to the Brahmaputra River in the east. Above the Terai Belt lies the Bhabhar, a forested Belt of rock, gravel and, soil eroded from Himalayas, where the water table lies from 5 to 37 meters deep. The Terai zone lies below the Bhabar and is composed of alternative layers of clay and sand, with a Highwater table that creates many springs and wet lands. The Terai Zone is inundated yearly by the Monsoon swollen Rivers of the Himalaya.[3]

हिमालयन गजेटियर आफ नार्थ वेस्टर्न प्राविंसेज में तराई को स्पष्ट करते हुए लिखा गया है।

"The Terai is characterised by the Presence of reads and grasses showing the marshy nature of the grand the streams carry of only a Portia of superflows moisture and ugglishly run in Tanuous Channels Dubbhy Back constantly in their course the soil consists of moist Alluvial mater without a region of rock either in fragments or inside.[4]

तराई, उत्तरी मैदान एवं हिमालय पर्वत के मध्य एक सीमान्त के रूप में है। यहां उत्स्रुत कूपो एवं झरनों की श्रृंखलाएं मिलती हैं।[5] तराई मैदान प्राकृतिक रूप से धसाव से निर्मित है। तराई में, भावर में विलुप्त नदियों का पुनः निर्गमन होता है। झरनों में अधिकता एवं उच्च जल स्तर के कारण दलदल मिलता है। यह चावल प्रदेश है, जहां नदियों की अधिकता अधिक आर्द्रता एवं अस्वास्थ्यकर जलवायु मिलती है।[6] तराई में साल वृक्षों की प्रधानता है।

तराई का अर्थ परशियन भाषा में 'आर्द्र भूमि' होता है। नेपाल में इसे कालापानी क्षेत्र कहते हैं। अस्वास्थ्यकर दशाओं से युक्त तराई, आयोडीन की कमी युक्त जल तथा मच्छरो के बहुलता के कारण मलेरिया, डेंगू एवं मस्तिष्क ज्वर से पीड़ित दशाओं वाले घने सवाना सदृश्य वनों से युक्त भूमि के रूप में जाना जाता रहा है। बाघ, तेन्दुआ, भालू एवं अन्यान्य जंगली जानवरों से युक्त यह क्षेत्र अब धान, गेहूँ, गन्ना, चाय, मक्का, दाल एवं सरसों जैसी फसलों का उत्पाद स्थल बन चुका है। जहाँ, यहां पहले थारू सदृश्य जनजातियां ही निवास करती थीं, अब बाह्य लोगों के अतिक्रमण का केन्द्र बन चुका है। गुरूग (1997) के अनुसार शायद ही नेपाल तराई में अब कोई पूर्ववर्ती जंगल बचा हो।[7]

तराई प्रदेश, यमुना से ब्रह्मपुत्र तक विस्तृत शिवालिक की तलहटी में अवस्थित एक भूआकृतिक स्वरूप है। जो 21°10' उत्तरी से 29°30' उत्तरी अक्षांश एवं 78°50' पूर्वी से 96°30' पूर्वी देशान्तर के मध्य लगभग 1800 किमी लम्बे एवं 15–50 किमी. चौड़ी पट्टी के रूप में 36000 वर्ग किमी. में प्रसारित है। तराई क्षेत्र भूकंप के उपखण्ड (जोन) 4, 5, 6 में आता है।[8] जिसकी संभाव्यता पूर्व से पश्चिम में बढ़ती जाती है। यह प्रदेश भारत के उत्तरांचल, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिमी बंगाल, असम, सिक्किम एवं अरूणाचल प्रदेश में तथा नेपाल एवं भूटान में अवस्थित है। नेपाल के कुल क्षेत्रफल का 17 प्रतिशत भूभाग तराई विशेषताओं वाला है। जिसमें दून घाटी, दांगघाटी, चितवन घाटी, राप्ती घाटी, मुख्य है। लुम्बिनी एवं तराई प्रदेश बौद्ध स्थलों के लिए प्रसिद्ध रहा है, जिसमें लुम्बिनी कपिलवस्तु, रामग्राम श्रावस्ती आदि मुख्य हैं।

भारत में डॉ. आर. एल. सिंह[9] के द्वारा वर्गीकृत वृहत मैदान के द्वितीय स्तरीय प्रदेशों में तराई क्षेत्र मुख्यतः रूहेलखण्ड, अवध मैदान, गंगा घाघरा विभाजन, सरयू पार मैदान, मिथिला मैदान, कोशी मैदान, द्वार क्षेत्र, उत्तरी ऊपरी आसाम घाटी, तथा उत्तरी निम्न आसाम घाटी के उत्तरी भागों में अवस्थित है। इसे भारत समेत नेपाल तथा भूटान के तराई विशेषताओं वाले क्षेत्र की भूआकृतिक एवं भूगर्भिक समानता तथा अन्य प्रदेशों से विलगता को ध्यान में रखते हुए नदी सीमा को आधार मानकर 4 मुख्य भागो में विभक्त किया जा सकता है।

ऊपरी गंगा मैदान तराई प्रदेश का विस्तार यमुना नदी से घाघरा नदी तक विस्तृत है जो आदिकाल से ही तपस्वियों की भूमि रहा है। जहाँ हिन्दू बौद्ध एवं जैन धर्म के महापुरूषों ने धार्मिक एवं सामाजिक शिक्षा का प्रसार किया। वनों को साफ करने के पश्चात वर्तमान में क्षेत्र में कृषि एवं उद्योग का विस्तार हुआ जिससे अब यहां जनसंख्या घनत्व बढ़ा है।

मध्य गंगा मैदान तराई प्रदेश घाघरा से कोसी नदी तक विस्तृत है जो महात्मा बुद्ध जी की जन्म एवं कर्म भूमि रहा है। जलोढ़ मृदा, अपवाह के जटिल जाल, दुर्गम साल वन, 100 सेमी. की औसत वर्षा, 30 से. औसत तापमान, उत्सुत कूपों से युक्त यह प्रदेश ऊपरी गंगा मैदान तराई से अधिक जनघनत्व वाला है। परन्तु औद्योगिक दृष्टि से ऊपरी गंगा मैदान तराई से पिछड़ा है।

निचला गंगा मैदान तराई प्रदेश कोसी से तिस्ता नदी तक विस्तृत उच्च जनघनत्व (600 व्यक्ति वर्ग किमी.) वाला प्रदेश है जो कृषि तथा औद्योगिक दृष्टि से विकसित है। 8000 मी. तक की गहराई के अवसादों से युक्त प्रदेश में 29 से औसत तापमान, 150 सेमी. औसत वर्षा, साल के घने वन, तथा कृषि आधारित उद्योगों की प्रधानता है।

ब्रह्मपुत्र मैदान तराई प्रदेश का विस्तार तिस्ता से लोहित नदी तक विस्तृत ब्रह्मपुत्र तथा उसकी सहायक नदियों द्वारा निर्मित प्रदेश है जहां की ऊँचाई 150 मी. है। यहाँ मोनेडनाक के अवशेष एवं उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन पाये जाते हैं। पेट्रोलियम पदार्थों की अधिकता के कारण जनघनत्व 400 वर्ग किमी. से अधिक है तथा औद्योगिक एवं आर्थिक विकास हुआ है। क्षेत्र की मुख्य फसलों में चावल, चाय तथा जूट मुख्य है।
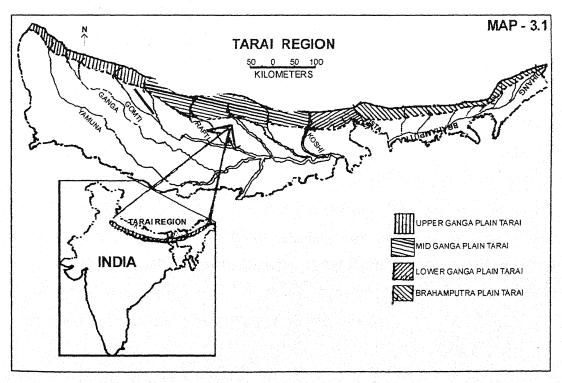
Source : Singh, R.L., 2004, India - A Regional Geography

3.2 अध्ययन क्षेत्र का भौगोलिक स्वरूप

प्रस्तुत अध्ययन के लिए उत्तर प्रदेश के चार थारू बाहुल्य जनपदों का चयन किया गया है। इन जनपदों में लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती एवं बलरामपुर में उत्तर प्रदेश की लगभग 80 प्रतिशत थारू जनसंख्या निवास करती हैं।[10] इस क्षेत्र की विविध भौगोलिक दशाओं में क्षेत्रीय विकास स्वरूप को प्रभावित किया है। अतः क्षेत्र के भौगोलिक स्वरूप को समझना आवश्यक है।

3.2.1 परिचय – अध्ययन क्षेत्र का विस्तार 26°55′ उत्तरी से 28°40′ उत्तरी अक्षांश एवं 80°05′ पूर्वी से 82°45′ पूर्वी देशान्तर के मध्य लगभग 240 किमी. लम्बाई एवं 110 किमी. चौड़ाई के साथ 25,000 वर्ग किमी. क्षेत्र में प्रसरित है। इस सम्पूर्ण क्षेत्र में तराई भूभाग 25 से 30 किमी. चौड़ा है जो उत्तरी सीमावर्ती क्षेत्र में 7,500 वर्ग किमी. में प्रसरित है। क्षेत्र के उत्तर में नेपाल राष्ट्र, पूर्व में महाराजगंज जनपद, दक्षिण पूर्व में गोण्डा जनपद, दक्षिण में बाराबंकी जनपद, दक्षिण पश्चिम में सीतापुर एवं हरदोई जनपद एवं पश्चिम में सहारनपुर एवं पीलीभीत जनपद स्थित हैं।

प्राचीन काल से यह प्रदेश देवताओं एवं तपस्वियों की भूमि रहा है। यह मनु के ज्येष्ठ पुत्र इक्ष्वाकु के शासन के अधीन रहा है।[11] आर्यों के आगमन से पूर्व इस प्रदेश में भूमध्य सागरीय, एवं द्रविण लोगों के अतिरिक्त दो अन्य बहुसंख्यक प्रजातियां निवास करती थीं जिन्हें वैदिक साहित्य में आदिम निषाद (प्रोटोआण्टेलाइड) एवं हब्सी (निग्रीटो) के नाम से चिन्हित किया गया है।[12] लखीमपुर के गोला गोकरननाथ एवं गजमोचन नाथ, बलामीर बरकार, बहराइच की ब्रह्मस्थली, लव की राजधानी श्रावस्ती, बलरामपुर का माँ पाटेश्वरी का क्षेत्र देवीपाटन, विश्वविख्यात है। पृथ्वी के केन्द्र माने जाने वाले चक्रतीर्थ नैमिषारण्य के पड़ोसी जनपद में स्थित गजमोचन नाथ में भगवान विष्णु ने अपने गजसुत शिष्य को मगरमच्छ से बचाने के पश्चात विश्राम किया था।[13] वही गोला गोकर्णनाथ में रावण द्वारा तपस्या से प्राप्त शिवलिंग को चरवाहे के द्वारा स्थापित करने तथा पुनः रावण द्वारा शिवलिंग को न उठा पाने से, अपने अंगूठे से वहीं दबा देने से बने गड्ढे को धार्मिक एवं पौराणिक स्थल के रूप में मान्यता प्राप्त है।[14] खीरी का नाम खेमकरन से जोड़ा जाता है। जो सर्प हवन के बाद प्रचलित हुआ था। यह हवनकुण्ड जनपद के देवकली गांव में सूरजकुण्ड नाम से अवस्थित है।[15] चावल एवं दूध के मुख्यतः उत्पादन होने तथा खीर (भोज्य पदार्थ) की प्रसिद्धि से जनपद के नाम का सम्बन्ध बताया जाता रहा है। महाभारतकाल में यह क्षेत्र हस्तिनापुर के राज्य में था[16] और मोहम्मदी का वलमीर वरकार 3500 वर्ष पूर्व राजा विराट की प्रसिद्ध राजधानी 'विराटखेड़ा' के रूप में अवस्थित था। अल्बरूनी के अनुसार कन्नौज का नाम पाण्डव वंशजों से तथा मथुरा का नाम श्रीकृष्ण वंशजों से जुड़ा है।[17] अतः पाण्डवों से संबंधित प्रमाण जनपद को कन्नौज से संबंधित होने की पुष्टि करते हैं।

MAP - 3.2
STUDY AREA
LOCATION, EXTENT AND ADMINISTRATIVE SETUP
N
1:1300000
10 0 10 20
KILOMETERS
POSITION OF STUDY AREA IN UTTAR PRADESH
100 0 100 200
KILOMETERS
POSITION OF STUDY AREA IN INDIA
400 0 400 800
KILOMETERS
NEPAL
PILIBHIT
MAHARAJGANJ
SITAPUR
BARABANKI
GONDA
KHERI
BAHRAICH
SHRAWASTI
BALRAMPUR
PALIA
BIJUA
NICHASAN
RAMIABEHAR
BANKEGANJ
GOLA
GOKRANNATH
PHULBEHAR
KUMBHI GOLA
MOHAMMDI
BEHJAM
NAKAHA
PASGAO
MITAULI
DHAURAHRA
ISANAGAR
MAHIPURWA
NAWABGANJ
BELHA
NANPARA
SHIVPUR
RISIA
JAMUNHA
SIRSIA
HARIHARPUR RANI
BINGHA
HARRIYA SATGHARWA
MAHSI
TAJWAPUR
CHITTORA
GILOLA
ICKUNA
TULSIPUR
GAINSARI
PACHPERWA
FAKHARPUR
PRAYAGPUR
HUZURPUR
VISHESHARGANJ
KAISARGANJ
JARWAL
UTRAULA
SRIDUTTGANJ
GENDASBUZARG
REHRABAZAR
INTERNATIONAL BOUNDARY
DISTRICT BOUNDARY
TEHSIL BOUNDARY
BLOCK BOUNDARY
DISTRICT
TEHSIL
BLOCK
METER GUAGE RAILWAY LINE
ROAD
28°30'
28°15'
28°00'
27°45'
27°30'
27°15'
80°15'
80°30'
80°45'
81°00'
81°15'
81°30'
81°45'
82°00'
82°15'
82°30'
82°45'

वर्तमान श्रावस्ती, बहराइच, एवं बलरामपुर जनपद प्राचीन समय में कोशलराज का अंग रहे हैं। कोशल या अवध का केन्द्र अयोध्या ऐसा केन्द्र था जहां युद्ध की बात सोची भी नहीं जा सकती थी। यहां महराज मनु से लेकर श्रीरामचन्द्र तक 64 सूर्यवंशी राजाओं ने शासन किया था। गंधर्व वन के क्षेत्र बहराइच को ब्रह्मा ने तपस्या स्थल के रूप में चुना था तथा ऋषियों को तपस्या हेतु प्रेरित किया था।[18] जनपद का नाम भी ब्रह्मा के नाम से बने शब्द ब्रह्मइच अपभ्रंश है। अचिरावती नदी के तट पर स्थित राज्य श्रावस्त द्वारा बसाई गई नगरी श्रावस्ती, श्री रामपुत्र 'लव' के अधीन उत्तरी कोशल की राजधानी थी।[19] पाणिनी के अष्टाध्यायी में इस प्रदेश को कोशल के उत्तरी भाग में स्थित होने का वर्णन मिलता है। अंगुत्तर निकाय में कोशल को 16 महाजनपदों में से एक बताया गया है। संयुक्त निकाय में कोशल में प्रसेनजित के राज्य एवं प्रशासन का वर्णन मिलता है। कालीदास के रघुवंश महाकाव्य में श्रावस्ती को सरावस्ती नाम से सबंधित किया गया है।[20]सम्पूर्ण अध्ययन क्षेत्र में हिन्दू मंदिर एवं बौद्ध मठ पाये जाते हैं। श्रावस्ती में महात्मा बुद्ध ने अपने 28 चातुर्मासों में क्षेत्र को धर्म, दर्शन, एवं चिन्तन का नया अध्याय दिया था। महात्मा बुद्ध के समय में श्रावस्ती भारत के 6 बड़े नगरों में से एक था। श्रावस्ती के 6 किमी. पश्चिम इकौना के पास टेण्डवा क्षेत्र को कश्यप बुद्ध का जन्मस्थल माना गया है। इस स्थान को फाह्यान ने तोवाई[21] का नाम दिया है। इकौना में महात्मा बुद्ध ने 500 अंधे लोगों को दृष्टि प्रदान की थी।[22] जिनके डंडों को गाड़ने से Recovered Sight नामक वन क्षेत्र अपताक्सिन वन/अपनेत्र वन नाम दिया गया था। भिंगा से 19 किमी. पूर्व हथियाकुण्ड कर्ण का क्षेत्र था। सहेट महेट एवं जेतवन, श्रावस्ती में विध्वंसों को स्पष्ट करते हैं। परन्तु इस धार्मिक क्षेत्र को बुद्ध एवं महावीर जैन ने पुनः स्थापित किया। बौद्ध युग में कोशल राज्य के राजा महा कोशल एवं उसके पुत्र प्रसेनजित के काल में (570 ई. पू.) यह क्षेत्र विकसित हुआ। बौद्ध युग में प्रसेनजित के शासन काल में श्रावस्ती में अंगुलिमाल को महात्मा बुद्ध ने सही रास्ता दिखाया था। श्रावस्ती में संभवनाथ एवं चन्द्रप्रभा नामक विचारकों का जन्म हुआ।[23] मौर्यकाल में क्षेत्र को प्रसिद्धि प्राप्त हुई। ह्वेनसांग के अनुसार सम्राट अशोक ने जेतवन के द्वार पर 21 मी. ऊंचे खम्भे गड़वाये जिस पर चक्र एवं वृषभ स्थापित था। पुष्यमित्र शुंग के प्रशासन काल में क्षेत्र में यवनों के आक्रमण के प्रमाण मिलते हैं। (कुषाण एवं मुगलकाल में) चन्द्रगुप्त प्रथम के राज्य विस्तार को वायु पुराणं में स्पष्ट किया गया है। क्षेत्र का इतिहास बहुत पुष्ट नहीं रहा बल्कि कोशल के प्रशासन की धूमिल होती स्थिति को हर्षकाल में विराम मिला।[24] मध्य काल में 12वीं सदी तक मुस्लिम प्रभाव लखीमपुर से बहराइच तक प्रसारित हो चुका था। क्षेत्र में इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी, तथा मुहम्मद बिन तुगलक के भ्रमण के प्रमाण मिलते हैं।[25] फिरोजशाह तुगलक ने कठेरिया राजाओं के प्रभाव को कम करने के लिए सरयू नदी के किनारों में किले बनवाये थे। बहराइच में 1032 ई. में सैफुद्दीन द्वारा सहायता माँगे जाने पर आये महमूद गजनवी के भतीजे सैयद सलारमसूदगाजी[26] को 1033 में राजा सुहेल देव तथा अन्य स्थानीय राजाओं ने कौडियाला नदी के तट पर हराकर मार दिया था। अकबर ने इस क्षेत्र पर कब्जा किया था। अकबर के काल में लखीमपुर, खैराबाद सरकार में तथा बहराइच सरकार के अधीन आ गया।[27] 1414 ई. में श्रावस्ती के इकौना में जनवार राजा बैरियर शाह ने नींव

जमाई जो बाद में बलरामपुर तक प्रसरित हो गये। बौड़ी के रैक्वार मुखिया हेरिहर देव पर खुश होकर मुगलों ने बहराइच एवं सीतापुर की 9 जागीरें प्रदान कीं। और हरिहर देव के पुत्र ने बहराइच में एक ब्राह्मण जमींदार की लड़की से शादी करके हाशिगपुर के उत्तर में हरिहरपुर नाम से 52 गाँवों की जागीर स्थापित किया जो वर्तमान में हरिहरपुर रानी के नाम से स्थित है। बाद में बौड़ी की जागीरें विभक्त हो गईं। इधर इकौना के जनवार राजा बैरियर साह के सातवें वंशज महादेव सिंह ने बलरामपुर को अपने कब्जे में ले लिया था। 1777 में बलरामपुर राजा नवल सिंह के शासन में आया। जो एक अच्छे शासक थे। पश्चिम ने बहराइच के नानपारा में 148 गांवों को शाहजहां द्वारा दाराशिकोह की पत्नी सलौना बेगम को देने का जिक्र भी मिलता है। अर्थात् बहराइच से पश्चिम के क्षेत्र में मुगल शासकों का हस्तक्षेप अधिक था। बंजारी राज्य के रूप में अवस्थित श्रावस्ती के भिन्ना क्षेत्र में भवानी सिंह विसेन ने बंजारा राज्य को हराकर स्वयं को स्थापित किया। जमींदारी प्रथा के समय क्षेत्र में मुस्लिम जमींदारों का आधिपत्य बढ़ गया था। परन्तु 7 फरवरी 1856 को अवध प्रान्त के अंग्रेजों के अधीन आने पर बहराइच विगफील्ड की कमिश्नरी का केन्द्र बन गया। कम्पनी शासन में क्षेत्र में भुखमरी, दुराचार, बेकारी, डकैती एवं हत्या में वृद्धि हुई।[28] सतत बढ़ते संघर्ष तथा स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के भ्रमण से प्रदेश में स्वतंत्रता संग्राम का बिगुल तेज हुआ और 1947 के पश्चात संपूर्ण अवध, गोण्डा ,बहराइच एवं लखीमपुर जनपदों के रूप में व्यवस्थित हुआ। 1998 में मायावती के मुख्यमंत्रित्व काल में गोण्डा से बलरामपुर तथा बहराइच से श्रावस्ती को विलगकर श्रावस्ती एवं बलरामपुर नामक जनपदों की नींव पड़ी। अतः वर्तमान में अध्ययन क्षेत्र में लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती एवं बलरामपुर जनपद, लोकतंत्रीय प्रशासन के तहत व्यवस्थित है।

3.2.2 अध्ययन क्षेत्र की भौतिक पृष्ठभूमि

भूगर्भिक संरचना – लगभग समान जलोढ़ संरचना वाला यह अध्ययन क्षेत्र सिन्धु गंगा मैदान का भाग है। उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर ढालू प्रदेश की समुद्र तल से औसत ऊंचाई 150 मी. है। शिवालिक पदस्थली से प्रारम्भ होता यह क्षेत्र आदि में एक गर्त के अवशेष के रूप था जिसमें नदियों के द्वारा सतत जलोढ़ जमा किया गया। यह जमाव टर्शियरी युग के अभिनूतन शक से लेकर वर्तमान तक निरन्तर चल रहा है। कर्नल बुरार्ड का मत है कि इस क्षेत्र की उत्पत्ति हिमालय के उत्थान के समय भूगर्भिक हलचलों से बनी 2400 किमी. लम्बी तथा 32 किमी. चौड़ी दरार घाटी में निक्षेपों के जमाव से हुई है। परन्तु यह मत भूवैज्ञानिकों ने सर्वमान्य नहीं है। वाडिया महोदय, घाटी की गहराई बुराई द्वारा प्रस्तुत गहराई से कम मानते हैं। वाडिया[29] के अनुसार गंगा के केन्द्रीय भूभाग में जलोढ़ संभरण सर्वाधिक है जो पश्चिम में तथा पूर्व में राजमहल पहाड़ियों की तरफ ह्रास होता जाता है। ओल्डहम के अनुसार पूरे प्रदेश में जलोढ़ की गहराई 4000–6000 मी. तक पाई जाती है जो उत्तर पूर्व से दक्षिण की ओर कम होती जाती है। हालांकि लखीमपुर बहराईच तथा गोरखपुर सदृश्य बेसिनों में गहराई 8000 मी. से भी अधिक है।[30] (मानचित्र 3.3)
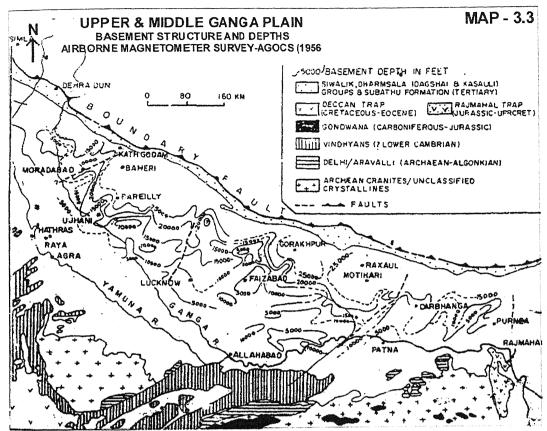
Source : Singh, R.L., 2004, India - A Regional Geography, p.130.

तराई मैदान से 15–60 मी. ऊँचा 32 किमी. चौड़ा संक्रमण प्रदेश, भावर, जो नदियों द्वारा लाये गये वोल्डर, बजरी एवं कंकड़ी के अवसादों से निर्मित है के दक्षिण से यह क्षेत्र प्रारम्भ होता है। दक्षिण की ओर बढ़ने पर घने वनों की मात्रा एवं आद्रता की मात्रा कम होती जाती है वहीं जनसंख्या घनत्व तथा विकास स्वरूप बढ़ता जाता है। क्षेत्र में प्लायोसीन काल से सतत होते जमाव के स्वभाव में भिन्नता मिलती है। नलकूप बोरिंग से निकलते अवसादों के निरीक्षण में चिकनी, बलुई तथा कंकड़ की परतें प्राप्त होती हैं। लखीमपुर गोला मोहम्मदी से प्राप्त कांकर में चूना अवशेष प्राप्त होता है। यह कांकर बहराइच में चित्तूर, शाहपुरवारा, मैनानवरिया, अमलिया, सितौली आदि गांवों में तथा बलरामपुर में भी पाया जाता है। कुछ स्थानों पर रेह भी मिलती है। परन्तु पूरे क्षेत्र में चीका मिट्टी पाई जाती है।

उच्चावच – क्षेत्रों का उच्चावच विविधतायुक्त है। क्षेत्र के उत्तरी भाग की ऊँचाई समुद्र तल से 200 मी. तथा लखीमपुर के उत्तर में माहोना नदी के पास 182 मी. की ऊँचाई मिलती हैं। कौडियाला एवं घीवार नदी के संगमपुर पर 114 मी. तथा बलरामपुर में 198 मी. तुलसीपुर 107 मी. की उचांई (समुद्रतल से) प्राप्त है। जो तरहर भाग 94 मी. तक आ जाती है।

उ.प. से दक्षिण पूर्व की ओर औसत 24 सेमी./किमी. का ढाल कहीं–कहीं 140 सेमी./किमी. तक हो जाता है।[31]

भौतिक विभाग – अध्ययन क्षेत्र को नदी बेसिन क्षेत्र, भौतिक स्वरूप एवं प्रादेशिक एकरूपता के आधार पर 7 भागों में बांटा जा सकता है।

1. गोमती खादर प्रदेश
2. गोमती–शारदा उपरहर प्रदेश
3. शारदा–घाघरा खादर क्षेत्र
4. घाघरा–राप्ती उपरहर प्रदेश
5. शारदा–घाघरा तराई प्रदेश
6. घाघरा–राप्ती उपरहर प्रदेश
7. राप्ती पार तराई प्रदेश

गोमती खादर प्रदेश, क्षेत्र के पश्चिम स्थित घास एवं ढाक के जंगलों युक्त निम्न भूमि है, जिसमें मध्य भाग उपजाऊ मृदा युक्त भूमि तथा पूर्व में बालू अवसादयुक्त गोमती अपवाह क्षेत्र स्थित है। गोमती शारदा दोआब (उपरहर) का पश्चिमी भाग बलुई संरचना युक्त है वही पूर्वी भाग उपजाऊ मृद्रा से आच्छादित हैं। यह सम्पूर्ण प्रदेश उच्च भूमि है। शारदा से कौडियाला/घाघरा के मध्य की तराई भूमि पर नदी चैनल तथा वनों का विस्तार है जो द. पूर्व की ओर कम होता जाता है। बाढ़युक्त क्षेत्र का उत्तरी भाग आर्द्र तथा घने वनों से युक्त है। दुधवा नेशनल पार्क इसी प्रदेश में अवस्थित है। शारदा–घाघरा का पश्चिम भाग उपजाऊ भूमि के रूप में विस्तृत हैं जहां कृषि योग्य मृदा एवं अधिक जनसंख्या घनत्व मिलता है। घाघरा से राप्ती के मध्य का उत्तरी भाग भी आर्द्र एवं तराई विशेषताओं वाला हैं जहां कर्तनियाघाट वन्य जीव क्षेत्र स्थित हैं वहीं दक्षिणी पश्चिमी भाग उपरहर भूमि के रूप में विकसित तथा घनी आबादी वाला प्रदेश है। राप्ती पार तराई प्रदेश में राप्ती के उत्तर पूर्व में नेपाल से लगे श्रावस्ती तथा बलरामपुर जनपदों की तराई भूमि आती है। जो आर्द्र दशाओं एवं घने वनों से युक्त है। यहां सुहेलवा वन्य जीव अभ्यारण्य स्थित है।
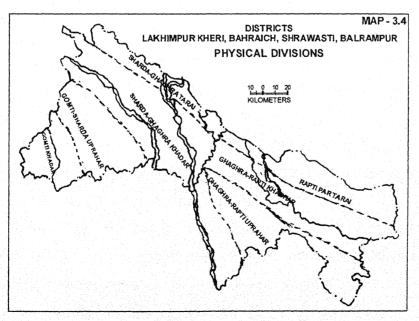
उच्चावच, भूआकृतिक संरचना एवं विकास के आधार पर क्षेत्र को तराई, उपरहर एवं तरहर भागों में विभक्त किया जा सकता है। तराई प्रदेश अध्ययन क्षेत्र का उत्तरी भाग है जो लखीमपुर की निघासन, पलिया तहसीलों, बहराइच की नानपारा, श्रावस्ती की भिन्गा, तथा बलरामपुर की बलरामपुर एवं तुलसीपुर तहसीलों में नेपाल से सटा भाग है जहां नदिया भावर प्रदेश से निकलकर प्रकट होती है। यहां नदियों के चैनल, बदलते रास्ते मृत नदी रास्ते एवं घने वन मिलते हैं। इस Zone of Seepage क्षेत्र में महीन कणों की संरचना वाली चीका युक्त मिट्टी मिलती हैं। जहां जल स्तर अति उच्च है। कहीं–कहीं 3 मी. से भी कम मिलता है। मलेरिया युक्त आयोडीन कमी वाले मानव निवास के लिए दुष्कर क्षेत्र में आदिम जाति थारू निवास करती रही है। तराई के दक्षिण में सर्वाधिक उपजाऊ भाग में प्रसरित उपरहर क्षेत्र तराई से ऊँचा प्रदेश है। जहां उपजाऊ मृदा एवं घनी बस्तियां मिलती हैं। बाढ़ की कम प्रभाविता एवं तकनीकी रूप से सशक्तता के कारण क्षेत्र में कृषि एवं अन्य आर्थिक क्रियाकलाप विकसित हुए हैं। परन्तु वनों का क्षेत्र सतत कम हुआ है। उपरहर के दक्षिण में कुछ जगहों पर तरहर प्रदेश मिलता है जिसमें छोटी नदियां रेह युक्त आर्द्र भूमि में पायी जाती है।

अपवाह तंत्र – वृक्षाकार अपवाह प्रतिरूप वाले इस प्रदेश का प्रवाह उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व को है। छोटी–छोटी जल संयोजिका से निर्मित यह अपवाह तन्त्र, क्षेत्र को बाढ़ तथा उपजाऊ भूमि से प्लावित कर देता है। इन सदावाही नदियों में बरसात के समय तो अत्यधिक पानी रहता है मगर मई तक पहुंचते–पहुंचते जल की मात्रा बहुत कम हो जाती है। कुछ संयोजक पहाड़ी नाले भी हैं जो बरसात के पश्चात सूख जाते हैं। नदी संयोजिकाओं के घने जाल वाले क्षेत्र के अपवाह तन्त्र को निम्नवत वर्गीकृत किया जा सकता है।(दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर क्रमशः)

गोमती तंत्र

1. गोमती–धनुमती नाम से नामित यह नदी 28°35′ उत्तरी अक्षांश एवं 87°30′ पूर्वी देशान्तर पर उद्भवित होकर, नदी पीलीभीत जनपद से 67 किमी. दूरी तय करके, लखीमपुर के रामपुर गांव में प्रवेश करती है। और औरंगाबाद से होती हुई हरदोई एवं सीतापुर के मध्य सीमा निर्मित करती है। इसके दायें किनारे से चुआ एवं हुआ संयोजिकाएं मिलती हैं। नदी घाटी, एक समतलित बालूयुक्त उच्च भूमि से निर्मित है।
2. कथनो – गोमती की सहायक नदी कथनो, मोतीझील (शाहजहांपुर) से उद्भवित होती है। 16 किमी. का रास्ता तय करके मैलानी के निकट यह अध्ययन क्षेत्र में प्रवेश करती है। दक्षिण की ओर मुड़कर 160 किमी. की दूरी तय करके सीतापुर में गोमती में मिल जाती है।
3. पुरई एवं सरायन – पुरई नदी खमरिया के निकट उदभवित हो पूर्व में सीतापुर की ओर प्रवाहित होती है। सरायन नदी हैदराबाद, (परगना गोला), के निकट उदभवित हो पलिया होते हुए सीतापुर में गोमती में मिल जाती है। सहायक नदी जमवारी, पलिया परगना में उदभवित हो दक्षिण पूर्व की ओर खीरी परगना के पास, 48 किमी. दूरी तय करके सरायन में मिल जाती है।

घाघरा तन्त्र

1. कौडियाला नदी – नेपाल के सीसापानी की स्थान से कौडियाला के नाम से दक्षिण की ओर प्रवाहित होती है। क्षेत्र के उत्तरी पश्चिमी सीमा पर घाटी में मोहन नाला मिलता है। 11 किमी. बाद नदी में गेरूआ नदी एवं सरयू धारा मिलती है। कठाई घाट के बाद यही नदी घाघरा के नाम से जानी जाती है।
2. घाघरा नदी – लखीमपुर बहराईच तथा सीतापुर की सीमा बनाने वाली यह नदी बरसात में प्रलयंकारी रूप दिखाती है। पूर्वी किनारा नीचे होने से बरसात में नदी का जल दूर–दूर तक फैलकर क्षेत्र को बाढ़ के चपेट में ले लेता है। इसकी विशालता, किनारे पर कटाव तथा विनाशकारी प्रकृति एवं घरघराहट की आवाज के कारण संभवतः इसको घाघरा नाम दिया गया। यह नदी सतत द. पूर्व को बहती हुई पटना से पहले गंगा में मिल जाती है।
3. केवानी नदी – यह छोटी सरिता, खीरी परगना के निकट जुनेठा गांव से उत्पन्न हो दक्षिण की ओर प्रवाहित होती हुई सीतापुर में चौका नदी में मिल जाती है।
4. युवाई नदी – पीलीभीत के पुरानपुर परगना से निकलकर भूरा होते हुए निघासन एवं लखीमपुर सीमा पर 176 किमी. पश्चात चौका नदी में मिल जाती है। चौका नदी जिसे काली एवं सरयू की संयुक्त धारा (शारदा) के नाम से भी जाना जाता है। पीलीभीत की तरफ से क्षेत्र में प्रवेश कर दक्षिण पूर्व की ओर प्रवाहित होती है। यह निघासन तहसील को लखीमपुर तहसील से पृथक करती है। तथा बेहरामघाट के निकट घाघरा में मिल जाती है। यह निश्चित नहीं रहता कि यह नदी अगले वर्ष अपनी पूर्व निर्मित घाटी में ही बहेगी।
5. दहावर नदी – यह नदी निघासन तहसील की दक्षिणी सीमा पर घाघरा में मिलती है। यह सुखनी सरिता से जल प्राप्त करती है।
6. सुहेली या सरयू नदी – नेपाल राज्य में उत्तरपूर्व से बहती हुई यह नदी बहराईच में बवाई नाम से घरमतपुर के पास प्रवेश करती है। मोतीपुर के पास इसका प्रवाह पुनः दक्षिण पूर्व को हो जाता है। तथा दक्षिण पूर्व की ओर बहती हुई खीरी गढ़ के पास कौरियाना नदी में मिल जाती है। यह नदी भी अपने रास्ते को बदलने के लिए प्रसिद्ध है। कहा जाता है कि यह नदी पहले बहराइच के पास से बहती थी पुरानी सरयू आज भी बहराईच में पसका के पास घाघरा में मिल जाती है।
7. मोहाना नदी – नेपाल राज्य से क्षेत्र में उत्तरी सीमा लखीमपुर के केजरिया गांव के पास प्रवेश करती है तथा थोड़ी दूरी तय करके रामनगर के पास कौरियाला में मिल जाती है।
8. गिरूवा नदी – नेपाल राज्य की पहाड़ियों से उद्‌भवित हो पूर्व में बहती धर्मापुर के पास बहराइच में प्रवेश करती है तथा जनपद में बहती हुई भरतपुर में कौडियाला में मिल जाती है।
9. टेढ़ी नदी – बहराइच से 5 किमी. दूर चित्तौर ताल से उद्‌भवित हो दक्षिण पूर्व में बहती हुई वघेल ताल में मिल जाती है – यहाँ से एक धारा 13 किमी. रास्ता तय करने के पश्चात कुवानो का रूप

लेती है। तथा बलरामपुर, उतरौला होती हुई बस्ती में घाघरा में मिलती है। इसके अलावा मनवर आदि छोटी नदियां हैं।

राप्ती तन्त्र

1. राप्ती नदी – नेपाल से आकर यह नदी श्रावस्ती में कुण्डवा गांव से प्रवेश करती है तथा चर्दा (भिन्गा) इकौना परगना होती हुई बलरामपुर में डेगरा जोत गांव के पास प्रवेश करती है। द. पूर्व को बहती हुई गोरखपुर होते हुए बरहाज के निकट घाघरा में मिलती है।
2. भकला – राप्ती की मुख्य सहायक नदी है जो नेपाल तराई से चर्दा के क्षेत्र में प्रवेश करती है। तथा भिन्गा होती हुई इकौना के पास में राप्ती में दायें किनारे से मिलती है।
3. केन – तुलसीपुर तराई से उ. प. को बहती हुई यह नदी हथियाकुण्ड सदृश्य छोटी सरिताओं का जल लेकर श्रावस्ती के भिन्गा के लक्ष्मणपुर गुरपुरवा के पास राप्ती में मिलती है।
4. बूढ़ी राप्ती – नेपल से उदभवित हो राप्ती के पूर्वी भाग के समान्तर छोटी सरिताओं को समेटती हुई यह नदी बलरामपुर होते हुए बस्ती सीमा पर राप्ती में मिलती है।
5. सुवांव – राप्ती के दक्षिण में बलरामपुर में उत्पन्न हो उतरौला परगना होते हुए बस्ती के रसूलाबाद में राप्ती में मिलती हैं।
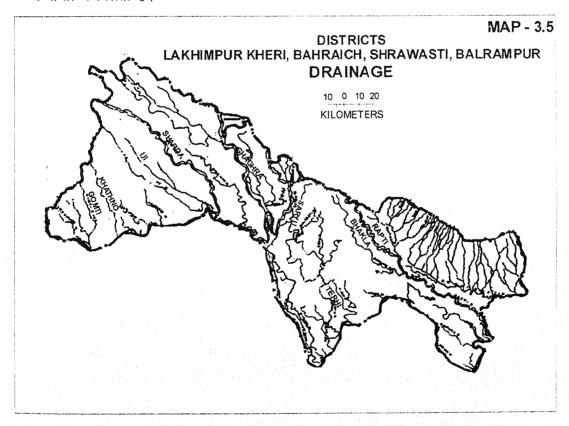
झील एवं तालाब – क्षेत्र के उत्तरी भाग में नदी अवशेष के रूप में झीलों, एवं तालाबों का अस्तित्व अधिक मिलता है। खीरी परगना का गजमोचिनी ताल, सिकन्दराबाद ताल, धौरहरा ताल, पलिया में

सेमरी ताल, तिरकुलिया ताल, धर्मापुर ताल, लखीमपुर खीरी में रोहिया, पटेहरी, जव्दा, भाडी, झरेला, खजुआ, मुझेला आदि ताल पाये जाते हैं वहीं श्रावस्ती में पयागपुर का बधेल ताल एवं बहराइच का चित्तूर ताल से छोटी–2 सरिताएं प्रवाहित होती हैं। गन्नौरा एवं अनार कली झीलें, रेहुआ का मनिया ताल एवं बाजखताल, इकौना में सीतापुर ताल, गाय घाट ताल, दहावर ताल, अरंगा झील आदि स्थित है। इसके अलावा क्षेत्र के प्रत्येक भाग में छोटे–2 तालाब विद्यमान है।

जलवायु – क्षेत्र की जलवायु का प्रभाव यहां के प्रत्येक पक्ष पर स्पष्ट रूप से परिलक्षित है। उपोष्ण कटिबंध में स्थित प्रदेश में उपार्द्र मानसूनी जलवायु मिलती है। इस पर हिमालय का प्रभाव स्पष्ट दृष्टिगोचर होता है। औसत जलवायुविक दशाओं के आधार पर क्षेत्र में 4 ऋतएं दृष्टिगोचर होती है। उष्ण ग्रीष्म, आर्द्र ग्रीष्म, पूर्व शीत एवं शीतऋतु जिसे क्रमशः ग्रीष्म, दक्षिणी–पश्चिमी मानसून, उत्तर पूर्वी मानसून, शीत ऋतु का नाम दिया जाता है। मार्च में तापमान बढ़ना शुरू होता है और मई जून में 40 से. तक पहुंच जाता है। तीव्र गति से चलती भू स्थानीय पवन (लू) क्षेत्र को चपेट में ले लेती है। यह समय ग्रीष्मकाल का होता है। जून के अंतिम सप्ताह से सितम्बर तक द. पू. मानसून की ऋतु होती है। जो क्षेत्र की मुख्य वर्षा ऋतु है। इस समय क्षेत्र 86 प्रतिशत से ज्यादा वार्षिक वर्षा प्राप्त करता है।
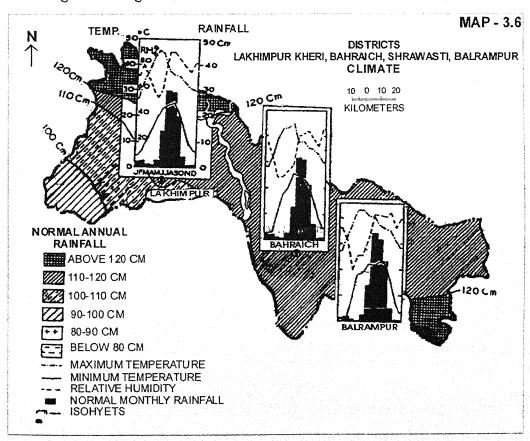
अक्टूबर–नवम्बर लौटते मानसून का काल होता है जब क्षेत्र को 10 प्रतिशत वर्षा प्राप्त होती है। यह फसलों के लिए उपयुक्त होती है। नवम्बर फरवरी तक का समय शीतकाल का होता है जब क्षेत्र में तापमान, 2 से. तक पहुंच जाता है। क्षेत्र की जलवायुविक विशेषताएं निम्न हैं।

1. वर्षा – क्षेत्र में औसतन 1000 मिमी. वार्षिक वर्षा प्राप्त होती है। यह वर्षा दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर बढ़ती जाती है। क्षेत्र में वर्षा में काफी विविधता पायी जाती है। यह कभी–कभी औसत वर्षा का 186 प्रतिशत तक बढ़ जाती है। (बहराइच, 1938) तो कभी–कभी क्षेत्र को औसत वर्षा का 40 प्रतिशत वर्षा ही प्राप्त होती है। क्षेत्र में औसतन 48 दिन वर्षा के होते हैं। दैनिक वर्षा भी कभी–कभी 428 मिमी. तक पहुंच जाती है।

तालिका 3.1 : अध्ययन क्षेत्र में औसत मासिक वर्षा का जनपदवार विवरण (2002)

(मिलीमीटर में)

जनपद	माह की औसत वर्षा												वर्ष की औसत वर्षा	
	जनवरी	फरवरी	मार्च	अप्रैल	मई	जून	जुलाई	अगस्त	सितम्बर	अक्टूबर	नवम्बर	दिसम्बर	2002	2000–2002
लखीमपुर	51.2	54.3	0.0	7.5	30.2	83.0	92.2	178.1	295.0	3.5	1.0	5.1	651.9	979.8
बहराइच	10.6	19.5	0.0	0.0	19.8	85.4	147.4	200.0	177.0	6.8	0.7	0.5	625.0	1022.5
श्रावस्ती	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	87.6	63.0	49.9	0.0	0.0	0.0	200.5	344.8
बलरामपुर	20.7	18.2	0.0	3.0	12.1	54.3	99.8	86.8	66.2	6.9	0.0	0.0	367.9	809.4

स्रोत : उत्तर प्रदेश सांख्यिकीय सारांश, 2003
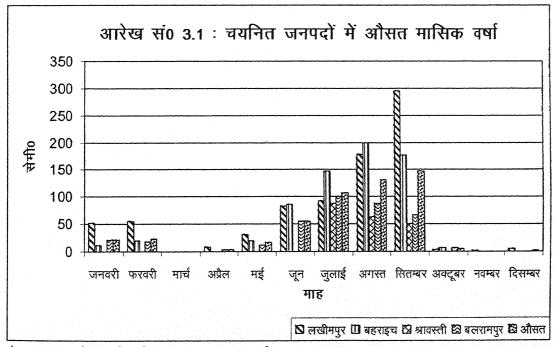
स्रोत : उत्तर प्रदेश सांख्यिकीय सारांश 2003 एवं तालिका 3.1

2. तापमान – खीरी तथा बहराइच के जलवायु केन्द्रों के अनुसार जनवरी का महीना सबसे ठंडा महीना होता है। शीत हवाएं क्षेत्र में तापमान को 2° से. तक कम कर देती हैं। शीतकाल में औसत अधिकतम ताप 22° से. तथा न्यूनतम 8° से रहता हे। फरवरी के पश्चात तापमान अचानक बढ़ने लगता है और मई के अंत में तापमान 48° से. तक पहुंच जाता है। ग्रीष्म काल का औसत अधिकतम तापमान 47.6° से. तथा औसत न्यूनतम तापमान 25° से. तक मिलता है।
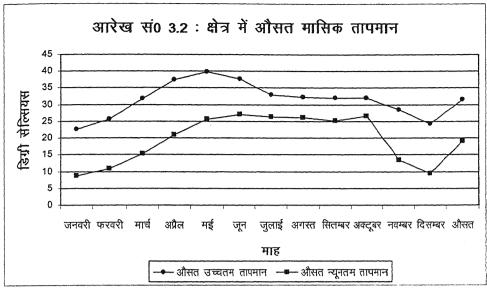
स्रोत : तालिका 3.2

3. **आर्द्रता** – मानसून काल में 80 प्रतिशत तक आर्द्रता पाई जाती है परन्तु ग्रीष्म काल में यह आर्द्रता 40 प्रतिशत तक कम हो जाती है।

4. **बादलों की स्थिति** – क्षेत्र, शीतकाल में पश्चिमी विक्षोभों के समय तथा दक्षिण पश्चिमी मानसून काल में सामान्यतः कपासी वर्षा एवं वर्षा स्तरी बादलों से ढंका रहता है। वही ग्रीष्मकाल में बहुत कम मात्रा में उच्च कपासी बादल पाये जाते हैं।

5. **हवाएं** – क्षेत्र में सामान्यतः वर्ष भर हवाएं चलती हैं। मानसून काल में वायु पूर्व एवं दक्षिण पूर्व दिशा से चलती है। अक्टूबर माह में सुबह को पछुवा हवाएं चलती हैं वही दोपहर में पुर्वा हवाएं चलती हैं नवम्बर से अप्रैल तक सुबह पूर्व एवं दक्षिण पूर्व से तथा शाम को पश्चिम एवं दक्षिण पश्चिम से हवाएं चलती हैं। 'लू' यहां की स्थानीय पवन है। जो गर्म एवं अंधड़युक्त है।

6. **औसत मौसमी दशाएं** – जनवरी से अप्रैल तक क्षेत्र में पश्चिमी विक्षोभों के प्रभाव से Thounder storms आते हैं कभी–2 ये ओले भी लाते हैं जिससे रवी फसलों को नुकसान होता है। अतः औसतन विविधता युक्त जलवायु मिलती है।

तालिका 3.2 : अध्ययन क्षेत्र में औसत मौसमी/जलवायुविक दशाओं का जनपदवार विवरण–औसत (1950–2000)

जलवायु दशाऐं	जनवरी	फरवरी	मार्च	अप्रैल	मई	जून	जुलाई	अगस्त	सितम्बर	अक्टूबर	नवम्बर	दिसम्बर	औसत
वर्षा (मिमी.)	16.5	20.8	10.2	7.1	26.2	143.3	361.7	329.7	241.8	49.5	5.6	6.6	1219.0
औसत उच्चतम तापमान	22.6	25.6	31.9	37.4	39.8	37.6	33.0	32.2	32.1	32.1	28.6	24.3	31.5
औसत न्यूनतम तापमान	8.8	10.9	15.4	20.9	25.6	27.0	26.3	26.1	25.1	26.7	13.4	9.4	19.1
औसत अधिकतम सापेक्षिक आद्रता	82	74	55	43	50	68	81	83	80	73	72	79	70
औसत न्यूनतम सापेक्षिक आद्रता	57	47	32	24	31	51	73	77	72	57	51	56	52
तूफानी थंडर	1.0	1.0	1.0	1.0	2	3	3	3	2	1.0	0	.3	1.8
ओला	0.1	0.0	0.1	0.0	0.1	0	0	0	0.1	0.4	0	0	0.8
धूल भरा अंधड़	0.3	0.0	0.0	0.2	0.3	0.4	0	0.0	0.1	0	0	0	1.3
कुहरा	0	0	0	0	0	0.3	0	0	0.2	0.1	1.0	0	1.6
स्क्वेल	0	0	0	0	0.2	0.3	0	0	0	0	0.1	0	0.6
वाइड स्पीड किमी.	3.9	5.1	6.5	7.4	7.7	7.3	6.4	5.2	4.6	3.0	2.4	2.8	5.2

स्रोत : जिला गैजिटयर– गोण्डा, बहराईच, लखीमपुर एवं मेट्रोलॉजिकल विभाग, लखनऊ

मृदा – मिट्टी खनिज एवं जैवीय तत्वों का गत्यात्मक प्राकृतिक सम्मिश्रण है जिसमें वनस्पति एवं पौधों को उत्पन्न करने की क्षमता होती है। लगभग समान मृदा विशेषताओं वाले इस क्षेत्र में जलोढ़ (Alluvial) की प्रधानता है।[32] मृदा की रासायनिक एवं यौगिक संरचना तथा जलवायुविक एवं अपवाह भिन्नता का प्रभाव मृदा पर दिखता है। मृदा में सिलिका आयरन एल्युमिनियम पोटास युक्त मृदा पायी जाती है। मृदा में ह्युमश की मात्रा अधिक पायी जाती है। पश्चिम में बालू युक्त 'भूड' मृदा मिलती है। नदियों के किनारे खादर मृदा तथा नदी घाटी से दूर बागर मृदा मिलती है। खादर प्रतिवर्ष बाढ़ प्रभावित होने तथा 'पन' प्राप्त करने के कारण ज्यादा उपजाऊ है। मृदा का P.H. मूल्य 6–8 है। बांगर मृदा पर बाढ़ का प्रभाव नहीं मिलता हैं। अतः निम्न स्थानों के अलावा अम्लीय मृदा मिलती है जिसका P.H. मान 6 से कम है। इसके अलावा घाघरा मैदान तथा तराई के कुछ भागों में जहां वन नहीं है तथा उच्च जल स्तर नहरों के प्रभाव एवं सोडियम कार्बोनेट तथा सल्फेट की अधिकता के कारण अति क्षारीय हो जाने से ऊषर या रेह में परिवर्तित हो गई है। नहर सिंचाई ने कल्लर समस्या को भी जन्म दिया है।

इस प्रकार क्षेत्र में मृदा को संरचना एवं उपयोगिता के आधार पर निम्न वर्गों में विभक्त किया जा सका है।

1. **तराई मृदा** – तराई प्रदेश में अधिक आर्द्रता, नदियों द्वारा जमाव, तथा वनों की अधिकता के कारण ह्युमश की मात्रा अधिक होने से अति उपजाऊ मृदा पायी जाती है। परन्तु निरन्तर हो रहे निर्वनी करण के परिणामस्वरूप तराई की मृदा संरचना तथा ह्युमश की मात्रा प्रभावित हो रही है। जिससे उत्पादकता में निरन्तर ह्रास हो रहा है।यह मृदा लखीमपुर के निघासन, बहराइच के नानपारा श्रावस्ती के भिन्गा ताि बलरामपुर के तुलसीपुर तहसीलों में पायी जाती है।
2. **जलोढ़ मृदा** – यह मृदा लखीमपुर के निघासन, बहराइच के नानपारा श्रावस्ती के भिन्गा बलरामपुर के तुलसीपुर तराई के दक्षिण में पायी जाती है। जलोढ़ मृदा प्रदेश को बाढ़ आवर्तन तथा जलोढ़ की आयु, संरचना, तथा उत्पादकता के आधार पर दो वर्गों में विभक्त किया जाता है।

   क. प्राचीन जलोढ़ या वागर – इस मृदा का विस्तार नदी के खादर या प्रतिवर्ष बाढ़ से प्रभावित घाटी क्षेत्र को छोड़कर ऊँचे भागों में पाया जाता है। यह मिट्टी बाढ़ के पानी एवं पन से अछूते होने के कारण खादर की तरह उपजाऊ तथा ह्युमश युक्त नहीं है। अध्ययन क्षेत्र में यह मृदा उपरहर के तीन अलग पेटियों में मिलती हैं। प्रथम घाघरा खादर व तराई प्रदेश के मध्य लखीमपुर, बहराइच, श्रावस्ती व बलरामपुर में, द्वितीय गोमती व घाघरा नदी के मध्य लखीमपुर में, तथा तृतीय गोमती पार पश्चिम में लखीमपुर में पायी जाती है। इस मृदा में दोमट, मटियार, बलुई दोमट व भूड मिट्टियां पायी जाती हैं एवं ये कहीं–कहीं क्षेत्र में ऊसर एवं कल्लर के साथ अति अम्लीय एवं क्षारीय मृदा भी छिटपुट मिलती है।

   ख. नवीन जलोढ़ या खादर मृदा – यह मृदा हल्के रंगों वाली छिद्रयुक्त महीन कणों वाली होती है। जिसमें चूना पोटाश में मैग्नीशियम एवं जीवाश्म की मात्रा भी पायी जाती है। यह

मिट्टी मुख्यतः नदियों की घाटियों में मिलती हैं। जहां प्रतिवर्ष नदियां बाढ़ों के साथ लाये अवसादों को परत दर परत 'पन' के रूप में जमा करती जाती हैं। क्षेत्र में इस मृदा की तीन अलग पेटियां मिलती हैं। प्रथम राप्ती खादर प्रदेश जो मुख्यतः श्रावस्ती एवं बलरामपुर जनपदों में 2. घाघरा खादर प्रदेश जो शारदा एवं घाघरा एवं उनके सहायक नदियों द्वारा निर्मित हैं। लखीमपुर एवं बहराइच जनपदों में तथा 3. गोमती खादर प्रदेश जो गोमती व उसकी सहायक नदियों द्वारा निर्मित हैं। अध्ययन क्षेत्र में उपजाऊ जलोढ़ मृदा पाये जाने से अच्छी कृषि संभव हो सकी है।
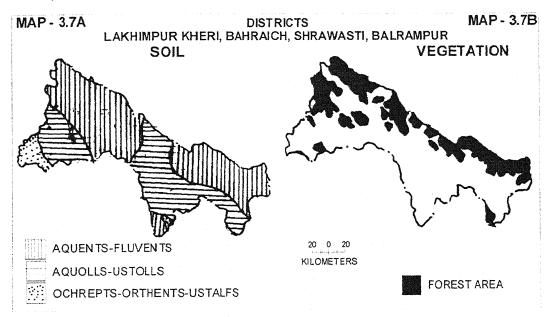
Source : Census of India, 1991, Vol. 25, U.P. Atlas

प्राकृतिक वनस्पति – प्राकृतिक वनस्पति वन सम्पदा का आधार एवं पर्यावरण की संरक्षक होती हैं। अध्ययन क्षेत्र आदिकाल से ही अति सघन सवाना सदृश्य वनों से आच्छादित रहा है। खाण्डव वन लखीमपुर, नैमिषारण्य, सीतापुर एवं अंजन वन, जेतवन, अंघवन, (श्रावस्ती) ब्रह्मस्थली (बहराइच) आदि विश्वविख्यात वन क्षेत्र रहे हैं। एक समय वनों की सघनता तथा शांति के कारण इस क्षेत्र के वनों को देवताओं ने तपस्थली के रूप में चुना था।[33] तीर्थ नीमसार में दधीच कुण्ड महर्षि दधीच की तपस्यास्थली, रही है वहीं खाण्डव वन जन्मेजय द्वारा सर्पयज्ञ का उदाहरण भी धर्मग्रंथों में मिलता हैं। उत्तर प्रदेश के 7 प्रतिशत वन क्षेत्रों के समक्ष अध्ययन क्षेत्रों में 19 प्रतिशत वन क्षेत्र मिलता है। जो भारत के औसतन वन क्षेत्र (22.55 प्रतिशत) से कम है।

लखीमपुर औसत 21 प्रतिशत वन क्षेत्र के समेत निघासन तथा मोहम्मदी तहसीलों में 28900 हेक्टेयर क्षेत्र में वनो क्षेत्र का विस्तार है। इसी प्रदेश में दुधवा राष्ट्रीय पार्क स्थित है।

तालिका 3.3 : अध्ययन क्षेत्र में वन क्षेत्र प्रतिशत का जनपदवार विवरण

क्रम सं.	जनपद	1991	2001
1.	खीरी	21.3	211
2.	बहराइच	14.9	13.9
3.	श्रावस्ती	–	178
4.	बलरामपुर	–	18.7
5.	उत्तर प्रदेश	17.3	7.0
6.	भारत	–	22.5 प्रतिशत

स्रोत : उत्तर प्रदेश सांख्यिकीय सांराश 2003

बहराइच जनपद के 13.9 प्रतिशत वन क्षेत्र में मुख्यतः नानपारा तहसील में नेपाल सीमा पर पाया जाता है। जहां कतर्निया घाट वन्य जीवन अभयारण्य स्थित है। श्रावस्ती में भिन्गा के तराई में बरहवा, वनकटवा एवं पश्चिमी सुहेलवा पूर्वी सुहेलवा तथा बलरामपुर में पूर्वी सुहेलवा के भाभर रेंज, रामपुर रेंज, तुलसीपुर रेंज के रूप में सुहेलवा वन्य जीव अभयारण्य पाया जाता है। वन की मात्रा उत्तर से दक्षिण को बढ़ने पर कम होती है। अर्थात् क्षेत्र में वनों का संकेन्द्रण मुख्यतः तराई भागों में है। मैदानी भाग में वनों के रूप में बलरामपुर के कुआनो वन, सदृश्य छिटपुट वन ही मिलते हैं। अध्ययन क्षेत्र में मुख्यतः वृक्षों की मुख्यतः निम्न प्रजातियां पायी जाती हैं।

साल – (सोरिया रोवस्टा), असना – (टरमिनालिया टेमनटोसा), हल्दू – (अडीना कोर्डीफोलिया), फाल्दू – (मित्राजिना नैरी फोलिया), तेन्दू – (डायोसपिरोस टेमंटोसा), महुआ – (माधुका इण्डिका), डोनसाल – (मेलूसा वेलुआटिना), जामुन – (साइजिम क्युमिनी), टीक – (टेक्टोना ग्राण्डिस), धौ – (अनोजीसस लैटीफोलिया), बेल – (एजल मारमेलोस), जिगना – (ओडिना वुडियर), खुम्बी – (कैरिया अखोरिया), रबर – (अकासिया कटेचू), बबूल – (अकासिया अराविका), बहेर – (टरमिनालिया वलेरिका), गूलर – (फिकस रेसमोसा), करौरा – (करीसा करन्डस), भकमल – (अरडीसीया सोलान्का), शीशम – (डलवर्जिया सीसू), सेमल – (बाम्बाक्स मेला वरिकम), टूल सेडेरेला – (टूना), ढाक – (वेटुका मेनोस्पर्मा), नीम – (अजा दीराचटा इण्डिका), अमलतास – (कासिया फिटटुला), इमली – (टेमरीण्डस इण्डिका), आम – (मैंगीफेरा इण्डिका), बरगद – (फिकस वोन्गालेनेसिस), कजरौटा – (मिलीनुसा वेलूटीना), पैनार – (बुचनानिया लैटीफोलिया), अगई – (वेलिनिया पेण्टाजिना), आंवला – (एम्बलिका ओफार्सिनालिस), हर्र – (टरमिनालिया छेबुला), खजूर – (फोनिस सिब्लाट्रिस), पीपल आदि। उपरोक्त वृक्षों के अलावा क्षेत्र में वनकपसी (हिवसकसलैम्पस), भाट (कलेरोड्रेनेदम विस्कोसम) मदार (कालाट्रोपिस ब्रासेरा), रोहिनी (मालोटरा फिलीपीन्स), इठी (क्राप्टोलेपिस बुचानानी), माघ (मिलाया औरी कुलाटा) जराकुश, मकरा, वनस्कस, दूब, खसगडरा, भलुआ, कुश, जनेवा, भगुई, मूंज, नरकुल, आदि झाड़ियां एवं घासें पायी जाती हैं।[34]

क्षेत्र के साल वनों को रेलपथ निर्माण एवं आवासीय फर्नीचरों के निर्माण के लिए काफी नुकसान पहुंचाया गया है। और वर्तमान में भी यह कार्य वैध या अवैध रूप में चल रहा है। तराई वन प्रदेशों में पायी जाने वाली वन्य जातियां थारू जिसका जीवन ही वन था वन से पृथक कर दी गई वहीं

वन निगम के माध्यम क्षेत्र में वन विभाग वनोत्पादों को बेधड़क बेचता एवं काटता है। पिछले कुछ वर्षों से तराई के दक्षिण में मैदानी क्षेत्र में निजी वन क्षेत्रों का विस्तार किया गया है तथा खाली भूमि पर वृक्षारोपण किया जा रहा है।

जींव जन्तु – अध्ययन क्षेत्र के जंगलों में मुख्यतः लियोपार्ड (पैन्थरों पारडोस) वाघ (पैंथरा टिगरिस), हाथी (एलीफस मैक्समस) पैंथर (पैथरा पारडौस) हिरन – (कारवस हुवान कली) भेड़िया (केनिसलुपस) सियार – (कैनिस औरस) लोमड़ी (वुल्फस वेन्गालेनेसिस) जंगली सुअर – (एस स्क्रोफा किसटाटस) – सांभर – (सरवस युनी कोलर) चीतल – (एल्फिस एक्सिस) गौंडा – (सरवस डेसकेली), एण्टीलोप (टेट्रासिनस क्वाड्री कोरनिस) आदि जानवर तथा मोर – (पावोक्रिस्टेशस) वन मुर्ग – (गैलस सोनेराठी), पारट्रीडज, (फ्रानकोलिनस) कोयल (टरनिकस कोम्युनस) आदि में पक्षी मिलते है।

क्षेत्र में कोबरा – (नाजा नाजा) करैत (वुनागारस करेनतास) मगरमच्छ (क्रोकोडालिस पालोस्ट्रिस), घड़ियाल, (गैविलस गगैटिकस) आदि सरीसृप पाये जाते हैं। तालाबों में रोहू, नैनी, सींग, मंगुर, कतला आदि मछलियां तथा घोंघा, सीप आदि जन्तु मिलते हैं।[35] इसके अलावा यहां की आर्द्र तराई भूमि अन्यान्य जैव विविधताओं से युक्त है। वनों के साफ होने से जीव जन्तुओं को क्षति हुई और अब वे उद्यान एवं अभयारण्यों में ही रह रहे हैं। मानव दबाव के कारण जन्तुओं के नरभक्षी होने की शिकायतें भी मिलती हैं। बाद में उन्हें मार दिया जाता है तथा इसमें उन्हीं का दोष है।इस पर दुधवा राष्ट्रीय पार्क के संग्रहालय में रखी नरभक्षी बाघ की आत्मा की आवाज पर सम्पूर्ण मानव समाज को विचार करने की आवश्यकता है।"[36]

अभ्यारण्य एवं संरक्षित क्षेत्र – क्षेत्र में एक राष्ट्रीय उद्यान (दुधवा राष्ट्रीय उद्यान – खीरी) एवं तीन वन्य जीव अभयारण्य, कर्तनिया घाट वन्य जीव अभयारण्य, (बहराइच), किशुनपुर वन्य जीव विहार (खीरी) सोहेलवा वन्य जीव अभयारण्य (श्रावस्ती एवं बलरामपुर) स्थित है।

1. दुधवा राष्ट्रीय उद्यान (खीरी) – यह उत्तर प्रदेश का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है सामान्यतः टाइगर रिजर्व के नाम से भी जाना जाता है। 1861 में मोहाना एवं सुहेली नदी के बीच 775 वर्ग किमी. वन क्षेत्र को आरक्षित किया गया था। इसके पश्चात 15.7 किमी. क्षेत्र को सोनारीपुर सेंचुरी के नाम से हिरण संरक्षण क्षेत्र के रूप में विकसित किया गया। जो बाद में बढ़कर 212 वर्ग किमी. हो गया तथा इसका नाम 'दुधवा सेंक्चुरी' हुआ। 1972 में किसुनपुर सेंचुअरी (204 वर्ग किमी.) स्थापित हुआ और 1977 में 614 वर्ग किमी. क्षेत्र को संरक्षित कर दुधवा राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना हुई।[37]

1994 में 66 वर्ग किमी. क्षेत्र जुड़ जाने से वर्तमान में राष्ट्रीय उद्यान का कुल क्षेत्रफल 884 वर्ग किमी. हे। यह उद्यान 28°18' उत्तरी से 28°42' उत्तरी अक्षांश एवं 80°28' पूर्वी से 80°57' पूर्वी देशान्तर के मध्य अवस्थित है। जो उत्तर में मोहाना नदी एवं दक्षिण में सुहेली नदी से आवंधित है। यहां 75 प्रजातियों के वृक्ष 21 प्रजाति की झाड़ियां, 17 प्रजाति की लताएं 77 प्रजाति की घासें एवं 179 प्रकार के जलपौधे चिन्हित हैं। जसमें साल, असना, खेर, युकेलिप्टस, सागौन, शीशम, नरकुल, कांस, मूंज आदि मुख्य हैं। यहां एम्फीवियन प्रजाति की 15 जातियां, रेप्टाइल की 25, चिड़ियों की 410, स्तनाई की

51, प्रजातियां चिन्हित हैं। जिनमें काला हिरण, फिसिंग कैट, हिस्पिड हेयर, हाथी, गुलदार, वाघ, भालू, गैंडा, पैगोलिन रैटेल, वाराहसिंघा, जाइंट फलाइग, एवं रेल गैजेटिआ, डाल्फिन, मगरमच्छ घड़ियाल, कछुआ, चीतल, पांड़ा, काकड़, सांभर आदि मिलते हैं। पक्षियों में वेनाल फलोरियन, ग्रेट इण्डियन हार्नविल, शहीन फैल्कान, अस्प्रे, पीफाउल, इरहैडेड मर्लिन आदि मुख्य हैं। वन मुर्गा इस क्षेत्र की मुख्य विशेषता है। वही टाइगर के लिए यह क्षेत्र संरक्षित है।

2. **कतर्निया घाट वन्य जीव अभ्यारण्य** – इस अभयारण्य की स्थापना 1977 में 480 वर्ग किमी. क्षेत्र में मोहाना नदी सीमा पर बहराइच के नानपरा तहसील एवं खीरी के निघासन क्षेत्र में की गई थी। मगरमच्छ के लिए प्रसिद्ध रहा यह क्षेत्र चीतल, हिरण, बारहसिंघा, वाघ, हाथी, गैंडा, मुर्गा आदि के लिए प्रसिद्ध है। कतर्निया घाट वन्य, जीव अभ्यारण्य 6 प्रशासनिक उपखण्डों में विभक्त है।

3. **सुहेलवा वन्य जीव अभ्यारण्य** की स्थापना 1988 में श्रावस्ती एवं बलरामपुर के 452 वर्ग किमी. क्षेत्र में हुई थी जिसमें भांभर रेज, रामपुर रेंज, तुलसीपुर रेंज, भरहवा रेंज, बनकटवा रेंज, सुहेलवा पूर्वी रेंज, सुहेलवा पश्चिमी रेंज एवं पार्वती अरंगा पक्षी विहार क्षेत्र अवस्थित है। जो क्षेत्र का एकमात्र पक्षी विहार है।

4. श्रावस्ती के भिन्गा में वनकटवा वन क्षेत्र स्थित है।

खनिज संसाधन – क्षेत्र में खनिजों के रूप में कंकड़, बालू, क्ले, वोल्डर जैसे तत्व पाये जाते हैं जिनसे ईट उद्योग, मिट्टी के बर्तन, निर्माण का विस्तार हुआ है। क्षेत्र के पेट्रोलियम के मिलने की संभावना है तथा आयल नेचुरल गैस कमीशन इसके लिए प्रयासरत है।

3.2.3 मानवीय पृष्ठ भूमि – मनुष्य के गंगा घाटी में पहुँचने से पूर्व यह प्रदेश मुख्य रूप से जंगल एवं दलदली वनस्पतियों से आच्छादित था। लगभग 15000 वर्ष पूर्व पुरा पाषाण कालीन अवस्था में मनुष्य इस क्षेत्र में प्रविष्ट हुआ। विकास के क्रमिक' पायदानों (यथा आखेट, खाद्य संग्रहण, पशुपालन, कृषि अवस्था, एवं औद्योगिक क्रियाकलाप आदि से गुजरते मानव समाज ने विभिन्न संस्कृतियों का विकास किया। क्षेत्र में नाटे श्यामांगी लोगों के पश्चात आये आदिम निषाद (प्रोटो आस्ट्रेलायड) ने नवपाषाण संस्कृति की नींव डाली तथा मुण्डा भाषा का विस्तार हुआ जो अभी भी कुछ आदिम जातियों में दृष्यगत है। भूमध्य सागरीय आरमेनायड लोगों ने पुरातत्व, नौवाहन कला, सिक्कों के प्रयोग, गेहूं, की खेती को विकसित किया। क्षेत्र की आदिम जातियों को विस्थापित कर आर्य सत्ता को स्थापित करने वाले आर्य दक्षिण पूर्व एवं पूर्व दिशा की ओर अग्रसरित हुए। गंगा मैदान में इनका विस्तार दो शाखाओं में हुआ। पृथम शाखा घाघरा घाटी की ओर अवध प्रदेश में (अयोध्या में) स्थापित हुई वही दूसरी शाखा काशी प्रदेश में प्रसरित हुई और विकसित होते आर्यावर्त में आर्य संस्कृति की स्थापना हुई। आर्यों ने कर्म के आधार पर समाज में सामाजिक श्रेणियों को व्यवस्थित किया। इस विभाजन में तत्कालीन धार्मिक, आर्थिक परिस्थितियों का भी योगदान था। आर्यों के हस्तेक्षेप से कुछ अनार्य जातियां कठोर एवं

अस्वास्थ्यकर क्षेत्रों की ओर पलायित हुई। यह भूभाग वैदिक एवं आदिवासी संस्कृति का मिश्रण क्षेत्र रहा है।
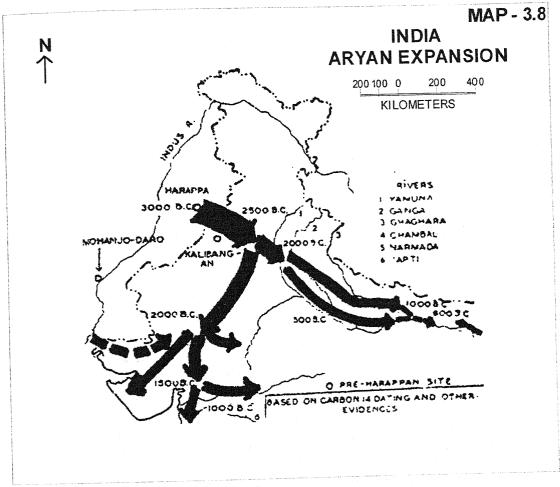
Source : Singh, R.L., 2004, India - A Regional Geography

वैदिक साहित्यों में भूमि पर वैयक्तिक स्वामित्व के प्रमाण मिलते हैं। परन्तु कम जनसंख्या एवं अधिक क्षेत्र के कारण व्यक्तियों ने क्षमतानुसार भूमि को साफ कर कृषि कार्य प्रारम्भ किया। पंचायतों के सामूहिक अधिकार होने एवं जाति व्यवस्था के कलुषित न होने के प्रमाण भी मिलते हैं।वैदिक काल में क्षेत्र में स्थायी जीवन एवं विद्या कला कौशल का तीव्र विकास हुआ था। कृषि पशुपालन एवं व्यापार त्रिसा विद्या के समकक्ष गिना जाने लगा था। नागरिकों की समृद्धि, उद्यान, खेतों, भवनों एवं धन–धान्य से आंकलित होती थी। वैश्यों को कृषि गोरक्ष जीवन्तः कहा गया है। गोमती नदी का कछारी क्षेत्र पशुचारण के उपयोग में आता था। इस क्षेत्र में पशुपालन के मुख्य व्यवसाय के रूप में होने का उल्लेख मिलता है। पशु उत्पाद आधारित कुटीर उद्योगों एवं हाथी दांत उद्योग के प्रमाण मिलते हैं। वनों से जीविका चलाने वाले लोगों को वन जीवन कहा जाता था। क्षेत्र में खनिज पदार्थों के उपलब्धता एवं धातु उद्योग वस्त्र उद्योग में प्रगति के प्रमाण मिलते हैं।

बौद्ध काल में क्षेत्र में कर्म प्रधानता को आधार बनाया। इसके परिणामस्वरूप तत्कालीन समाज में आत्मनिर्भर ग्राम्य समुदाय स्थापित हुए। अरण्य भूमि, अस्वाभाविक भूमि आदि पर राजा का अधिकार होता था। राजा उत्पाद का षष्ठांश से बारहवें अंश तक कर लेता था। उत्तर बौद्ध काल में वनों का विस्तार और स्थापित नगरों की स्थिति में ह्रास हुआ। हर्ष के शासन काल में आये ह्वेन सांग के अनुसार "श्रावस्ती जैसे नगर में सिर्फ 200 परिवार ही बचे थे। कुशीनगर एवं समीपवर्ती गांव प्रायः उजाड़ एवं फसल शून्य हो गये थे। दीवारों मीलों भग्न पड़ी थीं।"[38] हर्षकाल के पश्चात यह क्षेत्र छोटी–छोटी आदिवासी रियासतों के अधीन आ गया। आदिवासी प्रशासन काल में उत्तम कृषि के साथ ग्राम समुदाय जाति समूह आधारित प्रशासन का विस्तार हुआ। मुगल काल में सुनिश्चित राजनीति एवं सामाजिक प्रशासक का स्वरूप विस्तृत हुआ। अकबर के समय परगना एवं प्रतिवीधा लगान व्यवस्थां का निर्धारण किया गया। आइने अकबरी के अनुसार परती पड़ी भूमि पर जोतने वालों से छठे हिस्से को लगान में देना होता था। दैवीय प्रकोपों के समय लगान से छूट मिलती थी। नवाबी काल में क्षेत्र में कृषि कार्य का विस्तार हुआ।

मुगलकाल के पश्चात क्षेत्र पर जनसंख्या दबाव बढ़ने लगा था। स्वतंत्र भारत में परिवारों के विभाजन और बढ़ती जनसंख्या से जातों का आकार छोटा होता गया। परन्तु आधुनिक कृषि पद्धति एवं छोटे उद्योगों के विकास से लोगों की आर्थिक स्थिति में उत्थान हुआ तथा जाति व्यवस्था एवं सामाजिक असंतुलन में कमी आयी अर्थात क्षेत्र सामाजिक, सांस्कृतिक एवं आर्थिक स्वरूप परिष्कृत हुआ।

जनांकिक प्रतिरूप – यह क्षेत्र प्राचीन समय से ही मानव सभ्यता का केन्द्र रहा है। परन्तु यहां सामाजिक सांस्कृतिक दृष्टि अन्यान्य विविधताएं व्याप्त हैं। जनसंख्या वह संदर्भ बिन्दु है जिसमें उन सभी अन्य तत्वों का अवलोकन किया जाता है जिससे वे तत्व एकल या सामूहिक रूप से सार्थकता एवं अर्थवत्ता प्राप्त करते हैं। जनसंख्या ही अन्य तत्वों का फोकस बिन्दु है।[39] प्राकृतिक वातावरण स्वतः अत्यन्त गत्यात्मक रहते हुए भी सांस्कृतिक संदर्भ में मानव उपयोग के बिना एक निष्क्रिय पदार्थ है। किसी क्षेत्र की जनसंख्या के संकेताकों के आधार पर क्षेत्र के विकास स्वरूप का अनुमान लगाया जा सकता है क्योंकि जनसंख्या से मानव एवं पर्यावरण दृष्यभूमि का स्वरूप एवं उपयोगिता सिद्ध होती है। मानव केवल भौतिक वातावरण का उपयोगकर्ता ही नहीं वरन सांस्कृतिक वातावरण का निर्माता भी है भौतिक पक्षों की तुलना में मानवीय तत्व अधिक गतिशील होते हैं क्योंकि मानव अपने स्थान एवं कार्य पद्धति में परिवर्तन कर सांस्कृतिक दृष्यभूमियों का निर्माण करता है।

क्षेत्र के लगभग 17900 वर्ग किमी. भूभाग में 84 लाख जनसंख्या निवास करती है। जनसंख्या का वितरण असमान है। क्षेत्र में उत्तर से दक्षिण की ओर बढ़ने पर जनसंख्या घनत्व बढ़ता जाता है। तराई क्षेत्र सतत सघन होता जा रहा है। क्षेत्र में 15 तहसीलों में नानपारा तहसील में सर्वाधिक जनसंख्या है वही महसी तहसील में सबसे कम जनसंख्या है।

तालिका 3.4 : चयनित जनपदों में तहसीलवार जनसंख्या का लिंगानुसार विवरण

क्र. सं.	तहसील	कुल जनसंख्या	पुरूष जनसंख्या	स्त्री जनसंख्या	अध्ययन क्षेत्र की कुल जनसंख्या से तहसील जनसंख्या का प्रतिशत
1	निघासन	541102	286691	254411	6.41
2	गोला गोकरन नाथ	623383	331505	291878	7.38
3	मोहम्दी	659494	355161	304333	7.81
4	लखीमपुर	919907	490706	429201	10.89
5	धौरहरा	463346	249845	213501	5.49
6	नानपारा	969830	519068	450762	11.48
7	माहसी	422890	228041	194849	5.01
8	बहराईच	352192	188289	163903	4.17
9	कैसरगंज	636160	339953	296207	7.53
10	भिनगा	518886	279932	238954	6.14
11	इकौना	337099	181066	156033	3.99
12	पयागपुर	320406	170918	149488	3.79
13	बलरामपुर	521958	282188	239770	6.18
14	तुलसीपुर	. 604100	322692	281408	7.15
15	उतरौला	556292	283059	273233	6.59
16	योग	8447045	4509114	3937931	100

स्रोत : भारतीय जनगणना, 2001
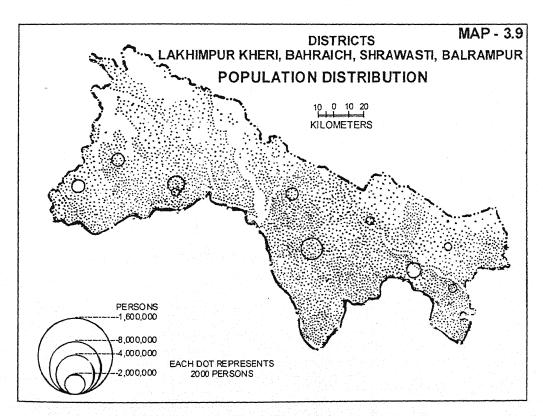
Source : Census of India, 2001

जनसंख्या वितरण, जनसंख्या के स्थितिगत स्वरूप को, तथा जनसंख्या घनत्व, जनसंख्या एवं क्षेत्र के आनुपातिक स्वरूप को प्रदर्शित करता है। सम्पूर्ण क्षेत्र में जनसंख्या का वितरण असमान है जहां तराई के दुष्कर इलाकों में जनसंख्या कम है वहीं दक्षिण एवं पश्चिम की ओर बढ़ने पर जनसंख्या वितरण संगठित होता है।
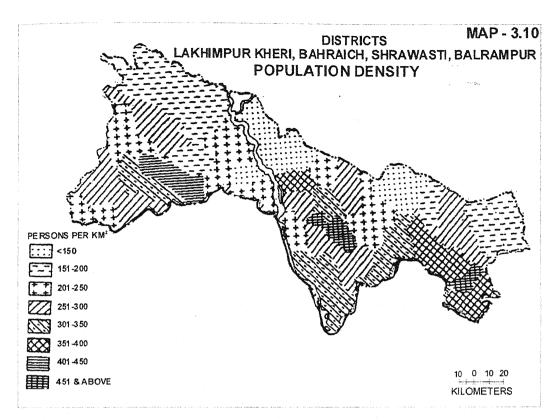
Source : Census of India, 1991

लिंगानुपात – क्षेत्र की तहसीलों में कुल लिंगानुपात 873, सर्वाधिक लिंगानुपात उतरौला में तथा सबसे कम बलरामपुर में है। परन्तु 0–6 वर्ष के आयु वर्ग का लिंगानुपात सभी तहसीलों में औसत लिंगानुपात से अधिक है। वहीं अनु. जनजाति का लिंग अनुपात सामान्य लिंगानुपात से अधिक है। जो नानपारा में 1033, बहराइच में 1000, निघासन 969, भिन्गा में 964, तुलसीपुर में 912 है बाकी तहसीलों में मोहम्मदी, धौरहरा, नानपारा, महसी, बहराइच, कैसरगंज, भिन्गा, इकौना, पयागपुर, बलरामपुर, तुलसीपुर में औसत से कम है वहीं उतरौला निघासन गोला गोकरन नाथ एवं लखीमपुर में औसत से अधिक है। (तालिका 3.5)

तालिका 3.5 : चयनित जनपदों में तहसीलवार लिंगानुपात स्थिति

क्र. सं.	तहसील	कुल लिंगानुपात	0–6 आयु वर्ग लिंगानुपात	अनुसूचित जनजाति	अनुसूचित जनजाति
1	निघासन	887	966	887	969
2	गोला गोकरन नाथ	880	952	891	840
3	मोहम्दी	857	923	857	871
4	लखीमपुर	875	918	887	752
5	धौरहरा	855	984	857	636
6	नानपारा	868	983	861	1033
7	माहसी	854	959	844	761
8	बहराईच	870	944	852	1000
9	कैसरगंज	871	969	856	0
10	भिनगा	854	943	830	964
11	इकौना	862	946	843	0
12	पयागपुर	875	932	864	0
13	बलरामपुर	850	951	832	535
14	तुलसीपुर	872	974	837	912
15	उतरौला	965	955	933	583
16	योग	873	953	862	657

स्रोत : भारतीय जनगणना, 2001

साक्षरता – यह क्षेत्र निम्न साक्षरता वाला क्षेत्र है क्षेत्र की औसत साक्षरता, 31.88 प्रतिशत पुरूष साक्षरता 41.24 प्रतिाश्त, स्त्री साक्षरता 21.16 प्रतिशत है। सर्वाधिक साक्षरता लखीमपुर में 45.07 प्रतिशत, सबसे कम साक्षरता भिन्गा में 21.67 प्रतिशत है। वहीं महिला साक्षरता के संदर्भ में सर्वाधिक साक्षरता लखीमपुर, 34.87 प्रतिशत तथा सबसे कम भिन्गा में 10.98 प्रतिशत है। अतः क्षेत्र में कुल साक्षरता, पुरूष साक्षरता तथा महिला साक्षरता स्तर अतिनिम्न है। उत्तर से दक्षिण बढ़ने पर साक्षरता की दर बढ़ती जाती है। तालिका श्रावस्ती जहां महिला साक्षरता एवं कुल साक्षरता की दृष्टि से प्रदेश में निम्नतम स्थान पर है। वहीं बलरामपुर की स्थिति भी नाजुक है। (तालिका 3.6)

तालिका 3.6 : चयनित जनपदों में तहसीलवार साक्षरता स्थिति

क्र. सं.	तहसील	कुल साक्षरता	पुरूष साक्षरता	स्त्री साक्षरता
1	निघासन	32.04	41.15	21.78
2	गोला गोकरन नाथ	40.84	50.72	29.62
3	मोहम्दी	42.97	52.99	31.28
4	लखीमपुर	45.07	53.99	34.87
5	धौरहरा	25.52	34.34	15.20
6	नानपारा	24.30	33.17	14.09
7	माहसी	26.13	35.26	15.45
8	बहराईच	42.59	49.39	34.78
9	कैसरगंज	26.67	36.18	15.76
10	भिनगा	21.67	30.80	10.98
11	इकौना	28.06	39.11	15.24
12	पयागपुर	34.74	47.59	20.05
13	बलरामपुर	29.37	38.68	18.42
14	तुलसीपुर	24.80	33.42	14.90
15	उतरौला	29.03	39.10	18.59
16	योग	31.88	41.24	21.16

स्रोत : भारतीय जनगणना, 2001
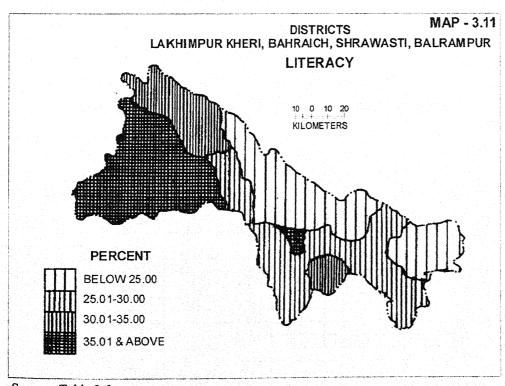
Source : Table 3.6

सामाजिक संरचना – क्षेत्र में अनुसूचित जनजातियों का मुख्य संकेंद्रण उत्तरी भाग के तराई क्षेत्र में गुच्छों के रूप में है। वही अनुसूचित जातियों का संकेन्द्रण पश्चिम से पूर्व की ओर घटती दर से मिलता है।क्षेत्र में सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या लखीमपुर में है वही सबसे कम बहराइच तहसील में है जबकि अनु. जनजाति के संदर्भ में सर्वाधिक जनसंख्या निर्धासन में है। जनजातियां मुख्यतः क्षेत्र के नेपाल सीमावर्ती तहसीलों, निघासन, नानपारा, भिन्गा तथा तुलसीपुर में मिलती है।

तालिका 3.7 : चयनित जनपदों में तहसीलवार अनुसूचित जाति एव जनजाति जनसंख्या का वितरण

क्र. सं.	तहसील	अनुसूचित जाति जनसंख्या	अनुसूचित जाति जनसंख्या का लब्धता सूचकांक	अनुसूचित जनजाति जनसंख्या	अनुसूचित जनजाति जनसंख्या का लब्धता सूचकांक
1	निघासन	101449	0.99	36077	7.98
2	गोला गोकरन नाथ	187338	1.58	1082	0.21
3	मोहम्दी	190930	1.52	393	0.07
4	लखीमपुर	229828	1.31	361	0.05
5	धौरहरा	110814	1.26	36	0.01
6	नानपारा	164203	0.89	8427	1.04
7	माहसी	62976	0.78	118	0.03
8	बहराइच	48333	0.72	12	0.00
9	कैसरगंज	67235	0.56	1	0.00
10	भिनगा	81093	0.82	4756	1.10
11	इकौना	73482	1.15	0	0.00
12	पयागपुर	61777	1.01	0	0.00
13	बलरामपुर	84498	0.85	66	0.02
14	तुलसीपुर	72212	0.63	19262	3.81
15	उतरौला	70043	0.66	19	0.00
16	योग	1606211	1.00	70610	1.00

स्रोत : भारतीय जनगणना, 2001

व्यवसायिक प्रतिरूप : क्षेत्र में औसत कार्य सहभागिता दर निम्न है। गैर कामगारों का प्रतिशत अधिक है वहीं पुरूष कामगार दर से महिला कामगारों का प्रतिशत उच्च है। क्षेत्र में औसत सहभागिता दर 36.52 प्रतिशत है। तहसीलों में सर्वाधिक कार्य सहभागिता दर तुलसीपुर में 45.00 प्रतिशत है तथा सबसे कम मोहम्मदी में 28.40 प्रतिशत है। क्षेत्र में 63.48 प्रतिशत जनसंख्या गैर कर्मकार हैं वही मुख्य कर्मकार 27.55 प्रतिशत तथा सीमान्त कर्मकार 0.97 प्रतिशत है। कुल कर्मकारों के संदर्भ में 55.13 प्रतिशत कृषक है। 27.67 प्रतिशत कृषक मजदूर 2.75 प्रतिशत गृह उद्योगकर्मी तथा 14.43 प्रतिशत अन्य कर्मकार हैं। (तालिका 3.8)

तालिका 3.8 : चयनित जनपदों में तहसीलवार व्यवसायिक संगठन

(प्रतिशत में)

क्र. सं.	तहसील	कार्य सहभागिता दर	मुख्य कर्मकार	सीमांत कर्मकार	गैर कर्मकार	कृषक	कृषक मजदूर	घरेलु उद्योगों में लगे लोग	अन्य कर्मकार
1	निघासन	33.40	27.20	6.10	66.60	54.30	27.30	3.10	15.40
2	गोला गोकरन नाथ	32.60	25.60	6.90	67.40	49.00	28.00	3.70	19.20
3	मोहम्दी	28.40	24.90	3.50	71.60	60.60	21.30	3.20	14.80
4	लखीमपुर	30.20	25.30	5.00	69.80	51.50	19.80	3.30	25.40
5	धौरहरा	34.40	29.00	5.40	65.60	62.80	25.40	3.70	8.00
6	नानपारा	36.80	26.40	10.40	63.20	53.00	32.70	2.10	12.10
7	माहसी	37.00	29.20	7.80	63.00	61.40	30.40	1.50	6.70
8	बहराइच	30.50	24.30	6.20	69.50	27.80	21.20	3.90	47.10
9	कैसरगज	35.20	26.40	8.80	64.80	58.10	31.50	2.10	8.20
10	भिनगा	44.20	30.00	14.20	55.80	59.90	28.70	2.70	8.70
11	इकौना	41.80	29.00	12.80	58.20	61.00	28.20	2.40	8.40
12	पयागपुर	36.30	26.70	9.60	63.70	62.90	25.60	2.60	8.90
13	बलरामपुर	40.20	29.00	11.20	59.80	48.30	32.50	3.40	15.90
14	तुलसीपुर	45.00	32.40	12.60	55.00	56.70	32.80	1.90	8.60
15	उतरौला	41.8	27.8	14	58.2	59.6	29.7	1.6	9.1
16	योग	36.52	27.55	8.97	63.48	55.13	27.67	2.75	14.43

स्रोत : भारतीय जनगणना, 2001
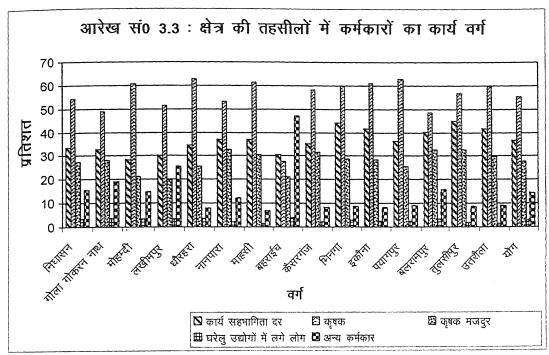
स्रोत : तालिका 3.8
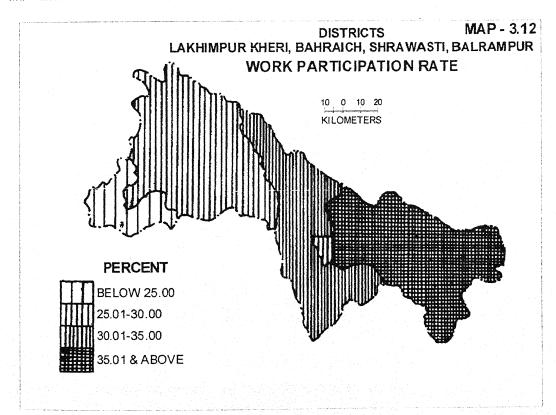
क्षेत्र में महिला कर्मकारों का प्रतिशत 18.32 है वहीं पुरूष कर्मकारों का प्रतिशत 52.22 है। क्षेत्र में उत्तरी भाग में कर्मकारों का प्रतिशत अधिक है वहीं महिला कर्मकारों की मात्रा उत्तर से दक्षिण को कम होती जाती है। जनजातीय क्षेत्रों में महिला कर्मकारों का प्रतिशत क्षेत्र के औसत महिला कर्मकारों के प्रतिशत से अधिक मिलता है। (तालिका 3.9)

तालिका 3.9 : चयनित जनपदों में तहसीलवार लिंगानुसार व्यवसायिक संगठन

(प्रतिशत में)

क्र. सं.	तहसील	पुरूष			महिला		
		मुख्य कर्मकार	सीमांत कर्मकार	गैर कर्मकार	मुख्य कर्मकार	सीमांत कर्मकार	गैर कर्मकार
1	निघासन	**46.50**	**5.70**	**47.80**	**5.50**	**6.60**	**87.90**
2	गोला गोकरन नाथ	44.50	7.00	48.50	4.30	6.80	88.90
3	मोहम्दी	44.40	5.20	50.50	2.20	1.60	96.20
4	लखीमपुर	44.10	5.50	50.40	3.70	4.40	91.90
5	धौरहरा	49.30	5.30	45.40	5.30	5.60	89.20
6	नानपारा	**43.80**	**8.60**	**47.60**	**6.40**	**12.40**	**81.20**
7	माहसी	48.60	6.10	45.20	6.40	9.80	83.70
8	बहराईच	40.80	6.50	52.70	5.30	5.80	88.90
9	कैसरगंज	45.40	7.50	47.10	4.50	10.30	85.20
10	भिनगा	**47.50**	**8.60**	**43.90**	**9.50**	**20.70**	**69.80**
11	इकौना	46.70	7.80	45.50	8.50	18.60	72.90
12	पयागपुर	44.50	7.80	47.70	6.30	11.70	82.00
13	बलरामपुर	44.80	8.80	46.40	10.50	13.90	75.50
14	तुलसीपुर	**47.60**	**7.00**	**45.40**	**14.90**	**19.00**	**66.10**
15	उतरौला	41.9	7	51.1	13.1	21.3	65.6
16	योग	45.36	6.96	47.68	7.09	11.23	81.67

स्रोत : भारतीय जनगणना, 2001

स्रोत : तालिका 3.9

अधिवास – अधिवास का तात्पर्य उस रचना से है जिसका उपयोग जीव विश्राम आमोद–प्रमोद भोजन, सुरक्षा, आदान प्रदान एवं अन्य सामाजिक–आर्थिक क्रियाओं के सम्पादन में होता है। अधिवास मानव या प्राणियों के संगठित उपनिवेशों को जिसमें भवन सम्मिलित है, जिसके अन्दर वे रहते हैं, कार्य करते हैं, अध्ययन करते हैं, या उनका प्रयोग करते हैं, वे पथ और गलियां, जिन पर गतिशील रहते हैं को प्रदर्शित करते हैं। सांस्कृतिक भूदृश्यों में अधिवासों का महत्वपूर्ण स्थान है। इन अधिवासों की

प्रारम्भिक इकाई घर होती है जिसे जीव आवश्यकता क्षमता एवं परिस्थितिनुसार तत्वों से निर्मित करता है और आवास को संपर्क से जोड़ता है। जो स्थानीय संगठन का प्रथम आधार है।

मानव विकास का क्रम एक दिन का नहीं अपितु सदियों पुराना है। विकास के क्रम में मानव को अधिवासीय चेतना की जागृति ने समाज निर्माण को प्रथम आधार प्रदान किया। गुफाएं मानव की प्रथम व्यवस्थित आश्रय स्थल बनी जिसकी पुष्टि गुफाओं में पत्थरों पर मिले प्रमाणों से होती है। नवपाषांण काल तक आते–आते मानव के समूहों के रूप में स्थायितत्व की प्रवृत्ति विकसित हो चुकी थी। सामाजिक सांस्कृतिक एवं तकनीकी विकास के साथ आवास स्थायित्व प्रवृत्ति बहुमंजिली इमारतों के रूप में पुष्ट हुई।

कोई जीव वहीं ठहरना उपयुक्त समझता है जहां उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। पर्यावरणीय परिस्थितियां एवं सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक स्वरूप ठहरने के कारणों को आधार प्रदान करते हैं। अतः एक जीव क्रमशः अस्थाई, अर्द्ध स्थाई, एवं स्थाई बस्तियों का निर्माण करता है। इन सभी स्वरूपों को मानव बस्तियों में शामिल किया जा सकता है। विचार की प्रवृत्ति से होते नये अविष्कार एवं पर्यावरण से समायोजन के प्रयासों से अधिवासों को सतत परिवर्तनशील स्वरूप मिला है।

यह क्षेत्र मुण्डभाषी एवं भूमध्यसागरीय आरमेनाइड लोगों का संगम स्थल रहा है। यहां मुण्डा भाषी लोगों ने ग्रामीण अधिवास तथा द्रविण लोगों ने नगरीय संस्कृति को अपनाया। रामायण काल में आश्रम, घोष, ग्राम, ग्राम संवास, महाग्राम, पट्टन दुर्ग राज्य एवं राष्ट्र के रूप में उत्तरोत्तर विकसित अधिवास मिलता है। महाभारत काल में अधिवासी के रूप में पल्ली, दुर्ग, ग्राम, खरवट, पत्तन, नगर का उल्लेख मिलता है।[40] इस काल में गांव का मुखिया ग्रामीणी 10 गांवों का दस ग्रामी 20 गांवों का विंशतिप 100 गांवों का शत ग्रामिणी एवं हजार गांवो का मुखिया अधिपति कहलाता था।मनु[41] ने ग्राम को मूलभूत इकाई मानते हुए ग्राम अधिकारिता संख्या के आधार पर ग्रामीण दर्श, विक्सी शतेश एवं सहस्रेस नामक प्रधान पदों का उल्लेख किया है। मनसार शिल्प शास्त्र में[42] ने मार्ग, सामाजिक संरचना, सामान्य आकारिकी के आधार पर ग्रामों नगरों को आठ प्रकार बताए है। – दण्डक (आयताकार/वर्गाकार) सर्वतोभद्र (आयताकार/वर्गाकार) नन्दयावर्त (आयताकार/वर्गाकार) पदमक – चतुर्भुजाकार, षष्ठभुजाकार, आठ भुजाकार, स्वास्तिक स्वातिकार प्रास्तर आयताकार, करमुक्त, अर्द्धचन्द्राकार, चतुर्मुख, आदि थे। जैन ग्रंथ उत्तराध्ययन सूत्र में घर, रथ्या, वाट, आश्रम, विहार, सन्निवेश, समाज, घोष, स्थल, सेना स्कन्धार, सार्थ, ग्राम, पल्ली, खेट, कर्वट/खर्वट, द्रोणमुख, पत्तन, मटमल, संवाह, नगर, राजधानी, निगम आदि प्रकार बताया गया है।[43] सुक्रनीतिशार में कुम्भ, पल्ली, एवं ग्राम का उल्लेख मिलता है। अभिगम्यता के विकास के साथ अधिवासों का स्वरूप परिवर्तित हुआ।[44]

क्षेत्र में अधिक सोकों दो वर्गों में विभक्त किया जा सकता है। 1. ग्रामीण अधिवास 2. नगरीय अधिवास।

ग्रामीण अधिवास – ग्रामीण क्षेत्र के अधिवास में नगरों की अपेक्षा सामान्यतः जनसंख्या घनत्व कम एवं मकानों का आकार बड़ा एवं खुला मिलता है। गांवों में 70 प्रतिशत अधिक जनसंख्या कृषि कार्य में

संलग्न है। क्षेत्र के 4591 गांवों में जनसंख्या निवास करती है। सतत बढ़ती जनसंख्या के कारण लगभग गांवों का आकार बढ़ा है। लगभग 68 प्रतिशत गांव मध्यम आकार (500–5000 व्यक्ति) 12 प्रतिशत गाँव लघु आकार (500 व्यक्ति से कम) तथा 20 प्रतिशत गांव वृहत आकार (5000 व्यक्ति से अधिक) के हैं।

तालिका 3.10 : चयनित जनपदों में जनसंख्या वर्गानुसार ग्रामों की संख्या तथा उनकी जनसंख्या

(प्रतिशत में)

वर्ग		लखीमपुर	बहराईच	श्रावस्ती	बलरामपुर	उत्तर प्रदेश
200 से कम	ग्राम	6.14	3.99	2.80	2.10	9.29
	जनसंख्या	0.34	0.23	0.16	0.16	0.65
200–499	ग्राम	13.58	10.63	7.95	8.81	17.23
	जनसंख्या	3.00	2.10	1.70	2.14	4.57
500–999	ग्राम	23.67	19.67	19.88	22.92	26.15
	जनसंख्या	10.48	8.21	9.00	11.27	14.26
1000–1999	ग्राम	28.73	34.30	41.38	42.04	27.79
	जनसंख्या	24.68	28.49	36.37	39.34	29.31
2000–4999	ग्राम	22.94	27.99	25.92	22.42	11.06
	जनसंख्या	39.60	47.36	45.41	39.90	36.96
5000 से अधिक	ग्राम	4.86	3.41	2.06	1.70	1.50
	जनसंख्या	21.90	13.62	7.36	7.19	14.24

स्रोत : उत्तर प्रदेश सांख्यिकीय सारांश 2003

क्षेत्र के अधिवासों के वितरण स्वरूप में क्षेत्र की आकारिकी, मृदा स्वरूप, जनसंख्या, परिवहन संचार तथा अर्थव्यवस्था का प्रभाव स्पष्ट होता है। तराई क्षेत्र में अधिवासों का वितरण अनियमित है, जो वहां के कठोर जलवायुविक दशा बाढ़, घने जंगल के कारण है। गैर आवासित गांव तराई क्षेत्र की एक मुख्य विशेषता है। अधिकांश गांव पुरवों के रूप में ऊँचे स्थानों पर मिलते हैं। जैसे–2 हम उत्तर से दक्षिण की ओर बढ़ते हैं अधिवासों का आकार तथा सघनता बढ़ती जाती है। सामान्यतः गांवों के मध्य की औसत दूरी 2 किलोमीटर है परन्तु यह तराई क्षेत्र में 3–4 किमी. तथा खादर एवं वागर क्षेत्र में 1–1 1/2 किमी. तक मिलती है। क्षेत्र के उत्तरी भाग में अधिवासों का बिखरा (Dispersed) प्रतिरूप एवं दक्षिणी भाग में केन्द्रीय (Nucleated) प्रतिरूप मिलता है। केन्द्रीय प्रतिरूप में गुच्छित एवं अर्द्ध गुच्छित बस्तियां मिलती है। उपरहर तथा दोआव के गांवों में खेड़ा, पुरवा, पुर आदि प्रत्ययों से युक्त है।

गांव मानव विकास के आदिकाल से ही भौतिक तथा सांस्कृतिक अस्तित्व रखते हैं। यदि भौतिक स्वरूप में गांवों के प्रतिरूप निर्माण में भूमिका अदा की है तो सांस्कृतिक कारकों ने गांवों को संधृतता तथा सजीवता प्रदान की है। क्षेत्र के अधिकांश गांवों के मध्य में मंदिर पाया जाता है। तराई के जनजातीय गांवों के बाहर शीतला माता तथा अन्य देवी देवताओं के स्थान बने मिलते हैं। क्षेत्र के अधिकांश गांवों में गांव के मुखिया, बीच पटिया का आवास मध्य में होता है। कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था के कारण गांवों में निवास के साथ पशु आवास भी बना मिलता है। तराई के जनजातीय आवासों में घर के सामने बाड़े से घिरे घर पशु के खाने–पीने तथा विश्राम आदि के लिए मकान बने होते हैं। जहाँ

तराई क्षेत्र के थारू आवासों मे एवं आंगन का अभाव मिलता है। वहीं क्षेत्र के ग्रामीण घरों में आंगन प्रमुख है परन्तु कच्चे मकान आज भी अधिसंख्य मात्रा में हैं।

क्षेत्र की कुल जनसंख्या का 91 प्रतिशत ग्रामीण है जिसका विवरण निम्नवत है :–

तालिका 3.11 : चयनित जनपदों में तहसीलवार ग्रामीण एवं नगरीय जनसंख्या

क्र. सं.	तहसील	नगरीय जनसंख्या	प्रतिशत	ग्रामीण जनसंख्या	प्रतिशत
1	निघासन	52134	9.63	488968	90.37
2	गोला गोकरन नाथ	66633	10.69	556750	89.31
3	मोहम्दी	50259	7.62	609235	92.38
4	लखीमपुर	157609	17.13	762298	82.87
5	धौरहरा	18902	4.08	444444	95.92
6	नानपारा	42773	4.41	927057	95.59
7	माहसी	0	0.00	422890	100
8	बहराईच	179445	50.95	172747	49.05
9	कैसरगंज	15780	2.48	620380	97.52
10	भिनगा	20415	3.93	498471	96.07
11	इकौना	12941	3.84	324158	96.16
12	पयागपुर	0	0.00	320406	100
13	बलरामपुर	72501	13.89	449457	86.11
14	तुलसीपुर	35577	5.89	568523	94.11
15	उतरौला	27502	4.94	528790	95.06
16	योग	752471	8.91	7694574	91.09

स्रोत : भारतीय जनगणना 2001

नगरीय अधिवास – नगरीय अधिवास भारतीय जनगणना 2001 के अनुसार एक नगर की निम्न विशेषताएं हैं:–

1. नगर पालिका, नगर निगम, छावनी बोर्ड या अधिसूचित नगर क्षेत्र समिति आदि सहित सभी सांविधिक स्थान।
2. ऐसे स्थान जो एक साथ निम्न तीन शर्तें पूरी करते हों।

   क. कम से कम 5000 की जनसंख्या,

   ख. कम से कम 75 प्रतिशत पुरूष जनसंख्या जो गैर कृषि क्रिया कलापों में कार्यरत हो।

   ग. जनसंख्या का घनत्व कम से कम 400 व्यक्ति प्रति किमी. (1000 व्यक्ति प्रति वर्गमील) हो।

उक्त आधारों पर आंकलित क्षेत्र की नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत 8.91 है जो जनपद के केन्द्रीय तहसीलों में अधिक है वहीं क्षेत्र के उत्तरीय भाग में कम मिलता है।

क्षेत्र में नगरीय जनसंख्या असमान रूप से वितरित है। जहां तराई क्षेत्र में नगरीयता छोटे–2 कस्बों के रूप में मिलती है वहीं उत्तर से दक्षिण बढ़ने पर नगरों का आकार संगठनात्मक एवं कार्यात्मक स्वरूप, सुव्यवस्थित एवं सुगठित होता जाता है। अधिकांश नगर नदी के किनारे बसे मिलते हैं। तराई क्षेत्र की अपेक्षा खादर एवं बांगर क्षेत्र ज्यादा नगरीकृत हैं (27 प्रतिशत) यहां तुलसीपुर, बलरामपुर, भिन्गा, बहराइच, कैंसरगंज, नानपारा, निघासन, खीरी, गोकरननाथ, धौरहरा आदि मुख्य नगर हैं। इन नगरों की लगभग 70 प्रतिशत जनसंख्या द्वितीयक एवं तृतीयक क्रियाओं में संलग्न पायी जाती है। क्षेत्र में अधिवासीय प्रारूप में कार्यात्मक एकरूपता मिलती है। शहरों की गलियां संकरी एवं

अव्यवस्थित मोड़ से युक्त हैं। शहरों का मुख्य भूभाग को चौक के रूप में पाया जाता है। जहां चारों दिशाओं से सड़कें आकर मिलती हैं। इन सड़कों के दोनों पार्श्वों पर दुकानें एवं व्यापारिक प्रतिष्ठान अवस्थित मिलते हैं। इमारतों का आकार सामान्यतः नगर के आकार से मेल खाता है जैसे – 2 चौक से दूर जाते हैं गोदाम रिहायशी मकान गाक्षेप, झोंपड़ पट्टी एवं औद्योगिक केन्द्र मिलते हैं। कश्वों के केन्द्र में छोटी दुकानें तेल मशीन तथा पुराने एकमंजिला मकान मिलते हैं जो शहर निर्माण के प्रारम्भिक अवस्था से विद्यमान हैं। अतः क्षेत्र नगर निश्चित भौगोलिक व्यवस्था से बंधे हैं तथा उनकी उत्पत्ति एवं विकास ऐतिहासिक एवं भौगोलिक कारकों से प्रभावित है। क्षेत्र में नगरीय परन्तु क्रमिक व्यवस्था प्रादेशिक नगर प्रादेशिक केन्द्र 0.7–2 दक्षिण के रूप प्रादेशिक नगरों में कुल नगरीय परियोजना 25 प्रतिशत प्रादेशिक केन्द्रों में 19 प्रतिशत उपप्रादेशिक 3.9 प्रतिशत निवास करती है। क्षेत्र में कुल नगरीय जनसंख्या का निम्न है।

तालिका 3.12 : चयनित जनपदों में जनसंख्या वर्गानुसार नगरों की संख्या तथा उनकी जनसंख्या

(प्रतिशत में)

वर्ग		लखीमपुर	बहराईच	श्रावस्ती	बलरामपुर	उत्तर प्रदेश
20,000 से कम	नगर	50.00	50.00	50.00	25.00	56.70
	जनसंख्या	20.70	11.30	38.80	10.60	11.60
20,000– 49,999	नगर	30.00	25.00	50.0	50.00	26.33
	जनसंख्या	28.50	18.00	61.20	36.00	13.10
50,000– 99,999	नगर	10.00	0.00	0.00	25.00	8.20
	जनसंख्या	15.60	0.00	0.00	53.50	9.60
100,000 से अधिक	नगर	10.00	25.00	0.00	0.00	8.90
	जनसंख्या	35.20	70.70	0.00	0.00	65.70

स्रोत : उत्तर प्रदेश सांख्यिकीय सारांश 2003
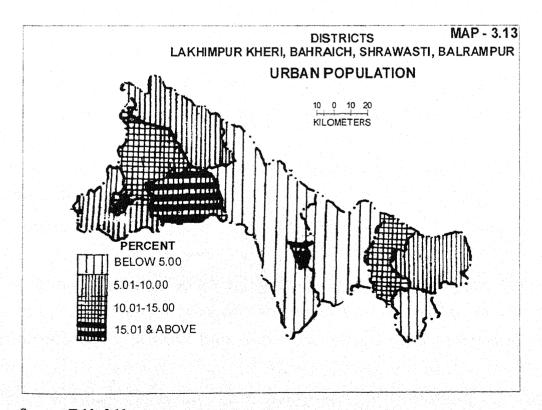
Source : Table 3.11

धर्म, भाषा, मेले एवं त्योहार – आदि काल से ही मानव सृष्टा एवं सृष्टि के बारे में जानने का प्रयास करता रहा है। और इन दोनों के संदर्भ में अपने आचरण को नियमित करने एवं निर्देशित करने के लिए अपने जीवन में कुछ नियमों का पालन करता है सृष्टा सृष्टि के साथ सम्बन्धों को नियंत्रित करने के ये नियम ही धर्म कहे जाते हैं। क्षेत्र में हिन्दू धर्म को मानने वाले लोगों का प्रतिशत अधिक है। (83 प्रतिशत) वहीं मुस्लिम (16 प्रतिशत) द्वितीय स्थान पर, सिक्ख (0.24 प्रतिशत) लोगों की संख्या अधिक है परन्तु पूर्व की ओर बढ़ने पर सिक्ख की संख्या कम होती है। अन्य धर्मों में ईसाई बौद्ध एवं जैन मतावलम्बी भी सीमित संख्या में पाये जाते हैं।

अवधी भाषा प्रधान क्षेत्र में वाह्य सम्मिश्रण तथा विकास के प्रभाव यहां की शुद्ध हिन्दी मिश्रित क्षेत्रीय भाषा स्वरूप पर स्पष्ट दृष्टिगोचर होता है। अतः उत्तर से दक्षिण क्रमशः थारूई अवधी एवं हिन्दी मिश्रित क्षेत्रीय भाषा बोली जाती है।

रीतिरिवाज मेले एवं त्योहार किसी समाज के संदेश वाहक होते हैं। क्षेत्र में हिन्दू त्योहार में श्री रामनवमी, जन्माष्टमी, नागपंचमी, कजरी तीज, दशहरा, नवरात्रि, करवाचौथ, दीपावली, मकर संक्रान्ति (खिचड़ी) वसंत पंचमी, दशहरा, एवं होली आदि त्योहार परम्परागत मान्यताओं के आधार पर मनाए जाते हैं। वही बाराहवफात, शब–ए–बारात, इदुल–फितर, इदुल–जुहा, रमजान में रोजा, मोहर्रम एवं चहेल्लुम मुख्यतया मुस्लिम त्योहारों में हैं। क्षेत्र में मोहर्रम, हिन्दू एवं मुस्लिम दोनों धर्मों के लोग मिलकर मनाते हैं। श्रावस्ती में बौद्ध पूर्णिमा हर्षोल्लास से मनाया जाता है।

देवीपाटन मेला (बलरामपुर) विश्व प्रसिद्ध है, जो महाभारत काल से मान्य रहा है। श्रावस्ती का बौद्ध पूर्णिमा मेला, सीताद्वार मेला, बहराइच का दरगाह शरीफ मेला, लखीमपुर का गोला गोकर्णनाथ मेला विश्व प्रसिद्ध मेले हैं जो मानवता एवं एकात्मता स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं।

आर्थिक पक्ष – मानव विकास की प्रक्रिया में सतत गुणात्मक जीवन स्तर प्राप्त करने के लिए प्रयासरत हैं। जिसके लिए वह उपलब्ध संसाधनों के सम्यक उपयोग के लिए प्रयास करता है। प्राविधिकी, का संसाधन उपयोग की सम्यक्ता में महत्वपूर्ण स्थान है। क्षेत्र में तत्वों में कार्यात्मक अन्योन्याश्रिता पायी जाती है। जिससे सम्पूर्ण अर्थतत्व विकसित होता है। अर्थतत्व का क्षेत्रीय या भूवैज्ञानिक संगठन मानव क्रियाकलापों के अंतर संबंधों का पुंज है। जिसका स्वरूप संसाधन समुच्चय एवं संसाधन उपभाग पर निर्भर करता है तथा यह परिवर्तनशील दशाओं के साथ गत्यात्मक होता है।

अध्ययन क्षेत्र में संचालित आर्थिक क्रियाओं को तीन मुख्य वर्गों में विभक्त किया जा सकता है। 1. प्राथमिक क्रियाकलाप जो मौलिक रूप में, प्राकृतिक संसाधनों के उपभोग एवं परिष्करण में संलग्न हैं। यथा – गैर तकनीकी कृषि एवं पशुचारण, खनन, लकड़ी काटना, वन पदार्थ एकत्रण आदि। 2. द्वितीयक क्रियाकलाप वे क्रियाकलाप जिसमें प्राथमिक क्रिया कलापों के उत्पादों या मूल उत्पादों को परिष्कृत कर नये उत्पाद निर्मित किये जाते हैं जैसे तकनीकी कृषि, उद्योग आदि इन क्रियाओं में प्राविधिकी का महत्वपूर्ण योगदान होता है। 3. तृतीयक क्रियाकलाप में वे क्रियाएं आती हैं जो प्राथमिक

एवं द्वितीयक क्रियाओं को उत्पादों को समाज तक पहुंचाने तथा संवर्धक परिकरण तकनीक एवं कल्याण की बात सोचने आदि से संबंधित हैं। यथा परिवहन, संचार, आफिस, कार्य प्रशासन, शिक्षा, शोध चिकित्सा आदि।

कृषि एवं भूमि उपयोग – अध्ययन क्षेत्र में अर्थतन्त्र मुख्यतः कृषि पर निर्भर है। यहां 65 प्रतिशत भूमि पर कृषि कार्य होता है। सभ्यता के प्रारम्भ से ही मानव के आकर्षण एवं विकास का आधार, क्षेत्र की उपजाऊ मृदा, रही है। यहां का भूमि उपयोग प्रतिरूप जनसंख्या एवं संसाधन संबंधों का प्रतिफल है।

कृषि कार्य का प्रारम्भ पूर्व ऐतिहासिक एवं आर्य संस्कृति के सम्मिश्रण के साथ हुआ[45] और चालवासी कृषि पद्धति ने शनैः शनैः स्थाई एवं तकनीकी कृषि पद्धति का रूप ग्रहण कर लिया। वैदिक काल में कृषि से आर्यत्व एवं ब्रह्म की पहचान होती थी। बैलों तथा हलों की संख्या किसानों के स्तर का प्रतीक था।[46] कृषि कार्य की सर्वोच्चता के बारे में कहा जाता था – "उत्तम खेती, मध्यम वान, नीच चाकरी भीख निदान" शतपथ ब्राह्मण में कृषि की चारों प्रक्रियाओं यथा जुताई (कृषन्तः) बोआई (वपन्तः) लवाई (लुनन्तः) और मणाई (मृणन्तः) आदि के उल्लेख तत्कालीन कृषि व्यवस्था का द्योतक है।[47] मृदा में उपजाऊपन बनाए रखने के लिए गोबर की खाद आदि का प्रयोग होता था। रामायण काल में क्षेत्र में निवास भूमि, कृषि भूमि, गोचर या चरागाह क्षेत्र एवं वन/कानन क्षेत्र में भूमि उपयोग स्वरूप वर्गीकृत था। कृषि योग्य भूमि एवं जंगल भूमि पर ग्रामीणों का समान अधिकार रहता था। मध्यकाल में राजकीय व्यवस्था में परिवर्तन तथा कर वसूली की कठोर व्यवस्था में अत्याचार का प्रचलन बढ़ा। स्वतंत्रता पश्चात क्षेत्र में भूमि व्यवस्था को एक व्यवस्थित स्वरूप प्रदान किया गया।

भूमि संसाधन उपयोग, भूमि समस्या एवं योजना सम्बन्धी विवेचना की धुरी है। अतः आदर्श भूमि उपयोग प्रतिरूप विकसित करने के लिए वर्तमान भूमि उपयोग प्रतिरूप का अवलोकन एवं भूमि के सदुपयोग–दुरूपयोग का मूल्यांकन आवश्यक है। क्षेत्र में शुद्ध कृषिगत भूमि का प्रतिशत 65 प्रतिशत अधिक है। उत्तर की ओर बढ़ने पर वन क्षेत्र में वृद्धि होती है। साथ ही शुद्ध कृषि क्षेत्र की प्रतिशतता में कमी होती जाती है।

औसत 7 प्रतिशत परती भूमि में नवीन परती एवं पुरानी परती का भाग क्रमशः 5 प्रतिशत एवं 2 प्रतिशत है। परती भूमि की मात्रा उत्तरी तराई क्षेत्रों में 10 प्रतिशत तक है वहीं दक्षिण भाग में कम होती जाती है। कुल 4 प्रतिशत कृषि योग्य बंजर भूमि में बंजर की मात्रा मध्य क्षेत्र के बागर एवं रेह क्षेत्रों में अधिक है। कृषि के लिए अप्राप्य भूमि 11 प्रतिशत है। क्षेत्र के उत्तरी भाग से दक्षिण की ओर अप्राप्य भूमि की मात्रा बढ़ती जाती है। यह पचपेडवा, गैसडी, नानपारा एवं पलिया विकास खण्डों में 1–3 प्रतिशत के मध्य मिलता है। उद्यान चारागाह आदि अन्य अकृषिगत भूमि की प्रतिशतता औसत 3.5 प्रतिशत है जो मध्य खादर क्षेत्र में 2 प्रतिशत तक वही उत्तरी भाग में 3 प्रतिशत तक मिलता है। कुछ क्षेत्र में उद्यान एवं चरागाह की प्रतिशतता 1 से भी कम है। कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 20 प्रतिशत क्षेत्र बहुफसली भूमि से है जो नदी खादर क्षेत्रों में 32 प्रतिशत से अधिक मिलता है।

तालिका 3.13 : जनपदवार भूमि उपयोग

(कुल भूमि का प्रतिशत)

क्रम सं.	जनपद	कुल क्षेत्र	वन	बंजर भूमि	वर्तमान परती भूमि	अन्य परती	कृषि अयोग्य बंजर	गैर कृषि कार्यों में प्रयुक्त भूमि	चारागाह	झाड़ी	शुद्ध बोया गया क्षेत्र	कुल भूमि में सकल कृषि क्षेत्र				कुल सिंचित भूमि
												कुल	रबी	खरीफ	जायद	
1	लखीमपुर	776051	21.13	0.42	4.62	0.64	0.42	9.64	0.12	0.74	62.29	91.19	32.69	55.78	1.28	68.33
2	बहराइच	486062	13.93	0.78	1.89	1.34	0.75	11.24	0.08	1.32	68.66	105.39	46.40	57.55	1.43	36.80
3	श्रावस्ती	324852	18.14	0.52	7.70	0.90	1.07	10.17	0.07	1.63	59.79	91.13	40.72	49.59	0.72	31.79
4	बलरामपुर	193147	17.79	0.26	1.08	1.53	0.36	11.48	0.14	1.08	66.28	100.02	45.37	53.78	0.84	32.43

स्रोत : लखीमपुर, बहराइच, श्रावस्ती एवं बलरामपुर जनपद की जनपद सांख्यिकीय पत्रिका, 2004, योजना आयोग उत्तर प्रदेश।

सिंचाई – क्षेत्र का 30 प्रतिशत कृषित क्षेत्र सिंचित है। सिंचाई सुविधाओं की मात्रा एवं सिंचित क्षेत्र का प्रतिशत उत्तर से दक्षिण बढ़ता जाता है। खीरी एवं बहराइच में 45 प्रतिशत एवं 35 प्रतिशत क्षेत्र कृषि है वहीं बलरामपुर श्रावस्ती में 40 प्रतिशत क्षेत्र तालाब सिंचित तराई क्षेत्र में सिंचाई सुविधाओं का अभाव है।

क्षेत्र के भूमि उपयोग प्रतिरूप से स्पष्ट होता है कि संतुलित भूमि उपयोग हेतु भूमि उपयोग की विभिन्न शैलियों में संतुलन आवश्यक है। सतत कम होती प्रति व्यक्ति शुद्ध कृषि भूमि (.17 एकड़) वन क्षेत्र एवं उर्वरा शक्ति में ह्रास जैसे पक्षों में संतुलन के लिए दूरदर्शी योजना की आवश्यकता है। क्षेत्र में कृषि विकास की सबसे बड़ी बाधा सिंचाई सुविधाओं में कमी की है। क्षेत्र है। बलरामपुर एवं श्रावस्ती के तराई क्षेत्रों में सिंचाई सुविधाओं का पूर्णतः अभाव है। सिंचाई सुविधा विस्तार के साथ संतुलित उर्वरक उपयोग की आवश्यकता है। वृक्षारोपण से वन क्षेत्रों में होती वृद्धि के लिए आवश्यक है कि बंजर एवं कम उर्वरा भूमि को वन क्षेत्रों के रूप में बदला जाए।

भूमि उपयोग दक्षता – भूमि उपयोग दक्षता का तात्पर्य भूमि संसाधन इकाई की उत्पादन क्षमता से है जिसमें उत्पादन लागत की अपेक्षा शुद्ध लाभ अधिक होता है।[48] भूमि संसाधन उपयोग की मात्रा विभिन्न तत्वों के आपसी क्रियाकलापों या अंर्तसम्बन्धों पर आधारित होती है। किसी विशेष समय या स्थान पर इन तत्वों का संयोग भूमि संसाधन उपयोग की दक्षता को निर्धारित करता है। भूमि उपयोग दक्षता से आशय कुल उपलब्ध भूमि से बोई गई भूमि के प्रतिशत से है। जिसके माध्यम से दो या अधिक फसल क्षेत्र की मात्रा की जानकारी प्राप्त की जाती है। यदि बहुफसली क्षेत्र अधिक है तो सस्य गहनता या भूमि उपयोग दक्षता अधिक होगी। भूमि दक्षता का सम्बन्ध उस प्रभावोत्पादक क्रिया से है जहां भूमि तथा श्रम के क्रमिक प्रयोग से भूमि उत्पादन मात्रा में निरन्तर वृद्धि होती जाती है।

क्षेत्र में शुद्ध कृषिगत क्षेत्र, कृषि के लिए अप्राप्य भूमि, अन्य अकृषित भूमि, कृषि योग्य बंजर, सिंचित क्षेत्र एवं दो फसली क्षेत्र के आधार से कोटि गुणांक विधि से 43 विकास खण्डों में प्राप्त भूमि उपयोग दक्षता क्षेत्र के उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व एवं दक्षिण पश्चिम की ओर बढ़ती जाती है। पलिया

निघासन सिरसिया, रमिया बेहड़, बिजुआ, धौराहरा, ईशानगर, जमनहा, बेलहा, तेजवापुर, विशेस्वरगंज आदि विकास खण्डों में भूमि उपयोग दक्षता निम्न है। वही गैसडी, पचपेडवा, उतरौला, हरिहरपुर रानी, कैसरगंज आदि विकास खण्डों में यह उच्च मिलती है।
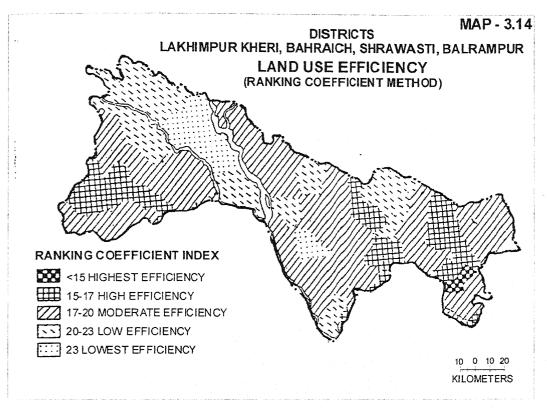
Source : District Statistical Handbook, Lahkimpur, Shrawasti, Bahriach, Balrampur, 2004

फसल प्रतिरूप – क्षेत्र में निर्वाहक कृषि प्रणाली की प्रधानता है। अतः से था खाद्यान्न उत्पादन की प्रमुखता है। 80 प्रतिशत भूमि पर खाद्यान्न की खेती होती है। खरीफ, रबी एवं जायद ऋत्विक फसलों में खरीफ तथा रबी को प्रमुखता प्राप्त है।

चावल क्षेत्र की प्रथम कोटि की खाद्यान्न फसल है जो औसत 27 प्रतिशत भूभाग पर होती है। उत्तर पूर्व से दक्षिण पूर्व की ओर चावल का फसल क्षेत्र घटता जाता है। 24 प्रतिशत भूभाग पर गेहूं की खेती होती है जो उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर बढ़ता जाता है। 7 प्रतिशत भूभाग पर मक्के की खेती होती है। खरीफ में मक्के की खेती अधिक होती है। घाघरा के खादर क्षेत्र में मक्का का उत्पादन होता है। चना, मसूर एवं अरहर, मुख्य दलहनी फसले हैं। मसूर नदी कछारों में रबी की मुख्य फसल है। अरहर 2.5 प्रतिशत क्षेत्र पर, उरद, 1 प्रतिशत भूभाग पर, मसूर 3 प्रतिशत भूभाग पर एवं चना 5 प्रतिशत भूभाग पर उत्पादित होता है। मूंगफली एवं सरसों मुख्य तिलहनी फसल हैं। 1 प्रतिशत भूभाग पर आलू की खेती होती है। क्षेत्र में गन्ना मुख्य व्यापारिक फसल हैं जो 5 प्रतिशत भूभाग पर उत्पादित की जाती हैं। गन्ने का उत्पादन क्षेत्र पूर्व से दक्षिण पूर्व कीं ओर बढ़ता जाता है। लखीमपुर तराई में गन्ने की खेती का विकास तीव्रगति से हो रहा है।

सस्य गहनता – कृषि गहनता से आशय, कोई क्षेत्र, वर्ष में कितनी बार फसल उत्पादन के लिए प्रयोग किया जाता है अर्थात् वर्ष के कितनी अवधि तक क्षेत्र किसी न किसी फसल के उत्पादन में प्रयुक्त होता है। किसी भी क्षेत्र में शुद्ध बोये गये क्षेत्र की अपेक्षा कुल फसल क्षेत्र का अधिक होना कृषि गहनता की मात्रा का द्योतक है। शुद्ध बोये गये क्षेत्र में फसलों की संख्या जितनी अधिक होगी कृषि गहनता भी उतनी अधिक होगी।

$$\text{कृषि गहनता} = \frac{\text{कुल फसल क्षेत्र}}{\text{शुद्ध बोया गया क्षेत्र}} \text{X100}$$

क्षेत्र में औसत गहनता 130 प्रतिशत है। कृषि गहनता सिंचाई, मिट्टी की उर्वरता तथा कृषित फसलों की प्रकृति से भी निर्धारित होती है। क्षेत्र में जहां दक्षिण पूर्व में एवं गन्ना उत्पादक क्षेत्रों में कृषि गहनता कम है वहीं उत्तर–पूर्वी भाग एवं नदी कछारों में कृषि गहनता अधिक है क्योंकि इन क्षेत्रों में वर्ष में 2–3 फसलें ली जातीं हैं एवं एक साथ भी 2–3 फसलें प्राप्त की जाती हैं। जबकि गन्ना वाले क्षेत्र में एक ही फसल मिलती है। क्षेत्र के पश्चिमी एवं उत्तर पश्चिमी भाग में कृषि गहनता की कमी पर सिंचित भूमि की मात्रा का कम होना, परती भूमि अधिक छोड़ना, ऊसर भूमि की अधिकता, मृदा उर्वरता में कमी तथा शस्य प्रारूप में विभिन्न फसलों की शस्य क्रम गहनता का प्रभाव स्पष्ट रूप से परिलक्षित होता है। क्षेत्र में खाद्यान्न उत्पादन पर अधिक जोर दिया जाता है कुल फसल क्षेत्र के 82 प्रतिशत भूभाग पर खाद्यान्न का उत्पादन होता है। 36 विकास खण्डों में चावल मुख्य फसल है। वहीं पांच विकास खण्डों में गेंहू तथा दो विकास खण्ड में गन्ना मुख्य फसल है।
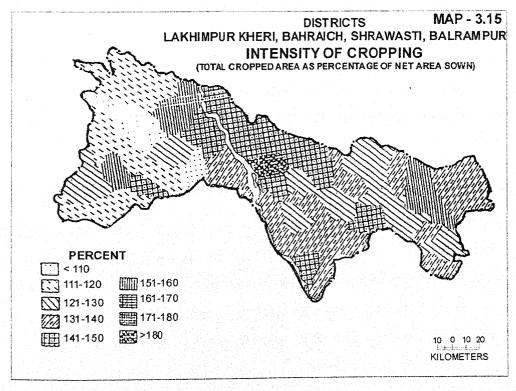
Source : District Statistical Handbook, Lahkimpur, Shrawasti, Bahriach, Balrampur, 2004

चयनित जनपदों में सामाजिक–आर्थिक विकास के अन्तःप्रादेशिक स्तर में कृषि का योगदान– किसी भी अध्ययन में क्षेत्रीय समझ के लिए विभिन्न क्षेत्रों के विकास स्तर का तुलनात्मक आंकलन आवश्यक होता है। अतः अध्ययन क्षेत्र के 43 विकास खण्डों के सामाजिक–आर्थिक विकास स्तर का आंकलन मानक संख्या रूपान्तरण विधि की सहायता से चयनित सूचकों के आधार पर किया गया है। समस्त 14 सूचकों को तीन वर्गों में विभक्त किया गया –

1. सामाजिक विकास सूचक – कुल साक्षरता, महिला साक्षरता, लिंगानुपात
2. अवस्थापनात्मक विकास सूचक – ग्रामीण बैंकों की संख्या, ग्रामीण शीत गृह, पशु अस्पताल, पंजीकृत उद्योग संख्या, सड़क की कुल लम्बाई, विद्युतीकृत गाँव, कुल ट्रैक्टर संख्या, शुद्ध बोये गये क्षेत्र से सकल बोये गये क्षेत्र का प्रतिशत
3. कृषि विकास सूचक प्रति हेक्टेयर उर्वरक प्रयोग, प्रति व्यक्ति अनाज उत्पादन, शुद्ध बोये गये क्षेत्र में सकल सिंचित क्षेत्र का प्रतिशत

उपरोक्त सूचकों के चयन का आधार ग्रामीण क्षेत्रों के सामाजिक, आर्थिक विकास के महत्वपूर्ण योगदान देने वाले कारक के रूप में है। तथा संबंधित सूचकों के विकास खण्डवार आंकड़ा जिला सांख्यिकीय पत्रिका 2004–05 इंटरनेट से प्राप्त किया गया है। समस्त सूचकों के मानक प्राप्तांक का योग कर एक क्रम तैयार किया और बढ़ते से घटते क्रम की ओर व्यवस्थित किया। (परिशिष्ट 2)

प्रस्तुत अवलोकन ने क्षेत्र के विकास में कृषि के अभाव के आंकलन के लिए गैर कृषि विकास सूचकों तथा समस्त विकास सूचकों में तुलना की गई। जिन विकास खण्डों में कृषि पक्षों का विकास कम हुआ है, वे अन्य विकास सूचकों से सबल होते हुए भी सामाजिक–आर्थिक विकास की दृष्टि से पिछड़े हैं जैसे मिहीपुरवा, बलहा, शिवपुर, तेजवापुर, फखरपुर, कैसरगंज, जरवल रोड, पलिया, बांकेगंज इत्यादि वहीं जहां कृषि का विकास अधिक हुआ है वे विकास के अन्य सूचकों की दृष्टि से पीछे होने पर भी सबल हैं अर्थात क्षेत्र के सामाजिक–आर्थिक विकास में कृषि का सर्वाधिक महत्वपूर्ण योगदान है तथा आवश्यक है कि कृषि के संधृत विकास पर बल दिया जाए तभी क्षेत्र के व्यक्तियों का जीवन स्तर समुन्नत हो सकेगा। (आरेख 3.5)

औद्योगिक स्वरूप – क्षेत्र में वृहद् उद्योगों का विकास नवीन घटना है। परन्तु हस्तशिल्प उद्योगों की मात्रा प्राचीन समय से ही अधिक थी। हथकरघा उद्योग खाण्डसारी काष्ठ एवं वन आधारित लघु उद्योग से वर्तमान क्षेत्र में कृषि आधारित उद्योग एवं वन आधारित उद्योग ही मुख्यतः पाये जाते हैं। जिनमें

1. **चीनी उद्योग** – गन्ना क्षेत्र की मुख्य नकदी फसल होने के कारण बलरामपुर तुलसीपुर, जरवल, गोकरननाथ, खम्हरिया, पलिया, पयागपुर, मिहीपुरवा आदि मुख्य चीनी मिलें स्थित हैं।
2. **दाल चावल एवं तेल मिलें** – रिसिया, बलरामपुर, खीरी, गोला, बहराइच में दाल चावल तेल एवं आटा की वृहत मिलें स्थित हैं। वहीं प्रत्येक गाँव एवं कस्बे में यह लघु उद्योग के रूप में संचालित हैं।

आरेख सं0 3.5 : अध्ययन क्षेत्र में कृषि एवं गैर कृषि सूचकांकों के आधार पर
अन्तः प्रादेशिक विकास स्तर का तुलनात्मक अवलोकन
सूचकांक
10
8
6
4
2
0
-2
-4
-6
-8
-10
विकास खण्ड
गैर कृषि सूचकांक
कृषि समेत कुल सूचकांक
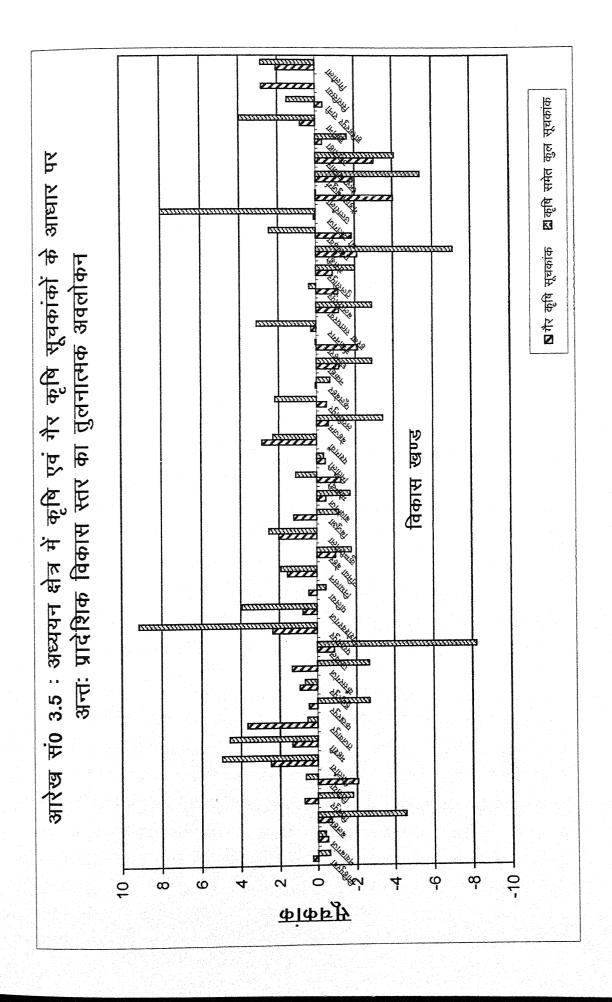
3. अन्य उद्योगों में लघु इंजीनियरिंग सामान निर्माण तथा कुटीर उद्योग सांख्यिकी कुटीर उद्योग में वास के सामान बेत एवं लकड़ी के सामान बनाए जाते हैं। इकौना, गिलौला एवं बलरामपुर के नमदे प्रसिद्ध हैं।

औसतन क्षेत्र में वृहत उद्योगों की मात्रा नगण्य है। मात्र कृषि आधारित कुछ उद्योग ही पाये जाते हैं।

परिवहन एवं संचार – गमनागमन स्थानिक संगठन का प्रथम सोपान है जिससे परिवहन एवं संचार स्वरूप विकसित होता है। परिवहन एवं संचार स्वरूप पर अधिवास विकसित होते हैं जहां से विकास की नींव पड़ती है। और किसी भी क्षेत्र के आर्थिक विकास एवं नियोजन में परिवहन तन्त्र समायोजन का प्राथमिक महत्व पाया जाता है। परिवहन एवं संचार सांस्कृतिक परिवर्तन को आधार प्रदान करता है।

प्राचीन समय में क्षेत्र में परिवहन का मुख्य साधन नदियां थीं। ये वाणिज्य एवं व्यापार का आधार थीं। रामायण काल में कोशल केन्द्र से कई स्थानों के जुड़े होने के प्रमाण उपलब्ध हैं वहीं बौद्ध काल में श्रावस्ती राजगृह कौशाम्बी आदि स्थानों को जाने के स्थल रास्ते मौजूद थे। मुगल काल में पक्के रास्ते को बनाने पर बल दिया गया। 1853 के पश्चात रेल सुविधाओं का विस्तार हुआ। 1887 एवं 1891 में क्रमशः लखीमपुर से गोण्डा एवं गोण्डा से मैलानी की छोटी लाइनें बनी उपग्रहों के विकास के साथ क्षेत्र में संचार क्रान्ति दृष्टव्य है।

वर्तमान में क्षेत्र में औसतन सड़कों का जाल (व्यक्ति/वर्ग किमी.) राष्ट्रीय एवं राज्य औसत से कम है। राष्ट्रीय राजमार्ग मात्र लखीमपुर से गुजरता है। वहीं बलरामपुर बहराईच, नानपारा–बहराइच, मुख्य प्रादेशिक राजमार्ग है।क्षेत्र का तराई एवं गांजर भूभाग 5 किमी. से अधिक दूरी के लिए अगम्य है। वहीं उत्तर पूर्व से पश्चिम गम्यता बढ़ती जाती है।वर्तमान में गांवों में विद्युतीकरण 80 प्रतिशत तक एवं रेडियो टेलीविजन मोबाइल तथा फोन के विस्तार से तीव्र गति से जागृति आ रही है। तथा साक्षरता रहन सहन जीवन स्तर सुव्यवस्थित हुआ है।

3.3 अध्ययन क्षेत्र में थारू निवासित एवं गैर थारू निवासित विकास खण्डों के सामाजिक–आर्थिक दशाओं का क्षेत्र की औसत दशाओं से तुलनात्मक अध्ययन –

किसी क्षेत्र के नियोजन एवं विकास के लिए उस क्षेत्र की भौतिक सांस्कृतिक विशेषताओं के साथ अंतर–क्षेत्रीय स्वरूप का तुलनात्मक ज्ञान आवश्यक होता है तभी इस बात पर विचार किया जा सकता है कि क्षेत्र में विकास का कौन सा पक्ष कमजोर है तथा नियोजन की रणनीति क्या होगी? अध्ययन क्षेत्र में लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती एवं बलरामपुर जनपदों में अवस्थित है जिसमें 15 तहसीलें एवं 43 विकास खण्ड हैं। अध्ययन के इस उपभाग में उपरोक्त चारों जनपदों के 43 विकास खण्डों के संबंध में जिला सांख्यिकीय पत्रिका (2004) में विविध संकेतकों पर उपलब्ध आंकड़ों के आधार

पर 43 विकास खण्डों के औसत स्वरूप तथा उन्हीं संकेतकों का 6 जनजातीय संकेन्द्रित विकास खण्डों एवं 37 गैर जनजातीय विकास खण्डों के औसत स्वरूप का तुलनात्मक आंकलन किया गया है।

3.3.1 जनांकिक प्रतिरूप – तालिका 3.14 से स्पष्ट है कि औसत रूप से थारू बाहुल्य विकास खण्डों में जनसंख्या घनत्व, अनुसूचित जनजातियों का प्रतिशत, कुल साक्षरता, पुरूष एवं महिला साक्षरता दर एकल विकास खण्डों के औसत से कम है, वहीं लिंगानुपात क्षेत्रफल एवं जनसंख्या का औसत अधिक है। थारू जनजाति निवासित विकास खण्डों मुख्य पिछड़ापन साक्षरता का है। इन विकास खण्डों में कुल साक्षरता पुरूष साक्षरता, महिला साक्षरता तीनों दृष्टियों से कुल साक्षरता क्षेत्र की औसत साक्षरता से कम है। जो समस्याओं का कारण है। अतः साक्षरता विकास की आवश्यकता है।

तालिका 3.14 : चयनित जनपदों में थारू एवं गैर थारू बाहुल्य विकास खण्डों की जनसांख्यिकीय विशेषताओं का क्षेत्र के कुल विकास खण्डों के औसत से तुलनात्मक अवलोकन

क्र. सं.	वर्ग	क्षेत्रफल	जनसंख्या	जनसंख्या घनत्व	लिंगानुपात	अनुसूचित जाति का प्रतिशत	अनुसूचित जनजाति का प्रतिशत	कुल साक्षरता (प्रतिशत में)	पुरूष साक्षरता (प्रतिशत में)	महिला साक्षरता (प्रतिशत में)
1	कुल विकास खण्डों का औसत	356.96	138400	387.71	844.71	21.10	0.86	34.63	9.53	23.27
2	थारू निवासित विकास खण्डों का औसत	509.53	158001	310.09	851.69	17.95	5.26	29.15	8.18	19.71
3	गैर थारू निवासित विकास खण्डों का औसत	332.22	135221	407.02	843.39	21.70	0.03	35.52	9.75	23.84

स्रोत : लखीमपुर, बहराइच, श्रावस्ती एवं बलरामपुर जनपद की जनपद सांख्यिकीय पत्रिका, 2004, योजना आयोग उत्तर प्रदेश।

3.3.2 शिक्षण संस्थाओं की उपलब्धता – यदि विकास खण्डों में मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं की औसत उपलब्धता को देखें तो तालिका सं. 3.15 के अनुसार थारू निवासित विकास खण्डों में औसतन प्रति विकास खण्ड 198.67 प्राथमिक विद्यालय है वहीं गैर थारू क्षेत्रों में 220.14 प्राथमिक विद्यालय, जबकि क्षेत्र की औसतन प्रति विकास खण्ड 217.14 विद्यालय हैं। प्रति विकास खण्ड महिला प्राथमिक विद्यालयों, उच्च प्राथमिक विद्यालय, माध्यमिक विद्यालयों उच्च शिक्षा संस्थाओं के संदर्भ में जनजातीय विकास खण्डों मे सम्पूर्ण क्षेत्र से औसतन कम संस्थाएं हैं। प्राविधिक शिक्षा के संदर्भ में नई आई. टी. आई. खुलने से पुरुष प्राविधिक केन्द्रों की उपलब्धता जनजाति बाहुल्य विकास खण्डों में अधिक है परन्तु औसतन शिक्षा संस्थाओं के संदर्भ में थारू जनजाति निवासित विकास खण्ड क्षेत्र के औसत एवं गैर जनजातीय निवासित विकास खण्डों के औसत से काफी पीछे है। जो विद्यालय हैं भी वे कस्बों में जनजातीय ग्रामीण क्षेत्रों में निजी क्षेत्र के विद्यालयों का पूर्णतः अभाव है। जो भी जनजातीय क्षेत्र के पिछड़ेपन के कारणों में से एक है।

तालिका 3.15 : चयनित जनपदों में थारू एवं गैर थारू बाहुल्य विकास खण्डों की मान्यता प्राप्त शिक्षण सुविधाओं का क्षेत्र के कुल विकास खण्डों के औसत से तुलनात्मक अवलोकन

(प्रतिशत में)

क्र. सं.	वर्ग	प्राथमिक विद्यालय		उच्च प्राथमिक विद्यालय		माध्यमिक विद्यालय		स्नातक डिग्री कालेज		स्नातकोत्तर डिग्री कालेज		प्रविधि प्रशिक्षण कालेज	
		कुल	प्रति	कुल	प्रति	कुल	प्रति	कुल	प्रति	कुल	प्रति	कुल	प्रति
1	कुल विकास खण्डों का औसत	217.14	45.35	69.09	15.14	45.95	5.70	0.95	0.21	0.00	0.00	0.30	0.02
2	थारू निवासित विकास खण्डों का औसत	198.67	40.17	62.83	13.50	38.83	3.67	0.67	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00
3	गैर थारू निवासित विकास खण्डों का औसत	220.14	46.19	70.11	15.41	47.11	6.03	1.00	0.24	0.00	0.00	0.27	0.03

स्रोत : लखीमपुर, बहराइच, श्रावस्ती एवं बलरामपुर जनपद की जनपद सांख्यिकीय पत्रिका, 2004, योजना आयोग उत्तर प्रदेश।

3.3.3 गाँवों का आकार – गाँवों में अधिवास स्थिति को देखने से स्पष्ट होता है कि जनजाति निवासित विकास खण्डों में बड़े आकार के गाँव अधिक मिलते हैं जो शायद वन क्षेत्र में वन्य पशुओं एवं आक्रमणों से बचने के लिए आवश्यक हैं और विकास नीतियों के समुचित संचालन के लिए सुविधाजनक भी। (तालिका 3.16)

तालिक 3.16 : चयनित जनपदों में थारू एवं गैर थारू बाहुल्य विकास खण्डों की जनसंख्या वर्गवार गांव संख्या का वितरण का क्षेत्र के कुल विकास खण्डों के औसत से तुलनात्मक अवलोकन

(प्रतिशत में)

क्र. सं.	वर्ग	200 से कम	200–499	500–991	1000–1499	1500–1999	2000–9999	49999 से अधिक	कुल
1	कुल विकास खण्डों का औसत	5.38	15.35	27.82	21.24	12.85	16.01	1.34	100.00
2	थारू निवासित विकास खण्डों का औसत	6.19	13.53	26.68	23.89	11.76	16.31	2.28	100.00
3	गैर थारू निवासित विकास खण्डों का औसत	5.26	15.68	28.04	20.75	13.05	15.96	1.16	100.00

स्रोत : लखीमपुर, बहराइच, श्रावस्ती एवं बलरामपुर जनपद की जनपद सांख्यिकीय पत्रिका, 2004, योजना आयोग उत्तर प्रदेश।

3.3.4 भूमि उपयोग प्रतिरूप – विकास खण्डों में औसत भूमि उपयोग स्वरूप से स्पष्ट होता है कि जनजाति बाहुल्य तराई विकास खण्डों में वन भूमि, परती भूमि एवं अकृषिक भूमि का प्रतिशत अधिक है वहीं ऊसर भूमि, शुद्ध कृषित भूमि की मात्रा औसतन कम है। जो स्पष्ट करता है कि जनजातीय विकास खण्ड पारिस्थितिकीय दृष्टि से ज्यादा सशक्त हैं। साथ ही यहाँ के परती बंजर एवं खाली भूमियों को कृषि में उपयोग करना क्षेत्र के कृषि विकास के लिए आवश्यक है। (तालिका 3.17)

तालिका 3.17 : चयनित जनपदों में थारू एवं गैर थारू बाहुल्य विकास खण्डों के औसत भूमि उपयोग प्रतिरूप का क्षेत्र के कुल विकास खण्डों के औसत से तुलनात्मक अवलोकन

(प्रतिशत में)

क्र. सं.	वर्ग	कुल भूमि	वन	कृषि योग्य बंजर	वर्तमान परती	अन्य परती	ऊसर / बंजर	अन्य गैर कृषि भूमि	पशु चर	झाड़ी	शुद्ध कृषित भूमि	योग
1	कुल विकास खण्डों का औसत	35627.72	5.08	0.60	4.71	1.13	0.72	12.00	0.12	1.28	74.36	100.00
2	थारू निवासित विकास खण्डों का औसत	50867.67	10.27	0.54	5.42	0.97	0.62	12.42	0.06	0.99	68.72	100.00
3	गैर थारू निवासित विकास खण्डों का औसत	33156.38	3.79	0.62	4.53	1.17	0.75	11.90	0.13	1.35	75.77	100.00

स्रोत : लखीमपुर, बहराइच, श्रावस्ती एवं बलरामपुर जनपद की जनपद सांख्यिकीय पत्रिका, 2004, योजना आयोग उत्तर प्रदेश।

3.3.5 फसलवार भूमि उपयोग प्रतिरूप – क्षेत्र में औसत शुद्ध बोया गया क्षेत्र भूमि कुल भूमि का 74.36 प्रतिशत है। वहीं जनजाति बाहुल्य विकास खण्डों में औसतन 68.72 प्रतिशत गैर जनजाति क्षेत्र में 75.77 प्रतिशत है। अतः जनजाति बाहुल्य विकास खण्डों में शुद्ध बोया गया क्षेत्र कम है। साथ ही जनजातीय विकास खण्डों में एक से अधिक बार बोया गया क्षेत्र भी औसत से कम है। सकल बोये गये क्षेत्र का प्रतिशत भी जनजातीय विकास खण्डों में कम है जिसकी मात्रा औसतन रबी एवं जायद की फसलों में और भी कम है। नकदी फसलों के संदर्भ में जनजाति बाहुल्य विकास खण्डों में गन्ना की भूमि का प्रतिशत कम है। सिंचित भूमि की मात्रा भी कुल सिंचित क्षेत्र तथा गैर जनजातीय विकास खण्डों में औसत सिंचित क्षेत्रफल के औसत से बहुत कम है।

अतः स्पष्ट है कि थारू बाहुल्य विकास खण्डों नकदी कृषि के प्रोत्साहन कृषि विस्तार तथा सिंचित क्षेत्रों के विस्तार एवं सिंचाई सुविधा के विस्तार की आवश्यकता है।

तालिका 3.18: चयनित जनपदों में थारू एवं गैर थारू बाहुल्य विकास खण्डों की फसलवार भूमि उपयोग प्रतिरूप का क्षेत्र के कुल विकास खण्डों के औसत से तुलनात्मक अवलोकन

(प्रतिशत में)

क्र. सं.	वर्ग	कुल भूमि	एक से अधिक बार बोया गया	कुल भूमि में सकल बोया गया क्षेत्र				गन्ने के लिए भूमि	शुद्ध सिंचित क्षेत्र	सकल सिंचित क्षेत्र
				कुल	रबी	खरीफ	जायद			
1	कुल विकास खण्डों का औसत	35627.72	37.19	111.56	45.63	63.81	1.36	0.75	44.09	57.11
2	थारू निवासित विकास खण्डों का औसत	50867.67	31.16	99.88	38.50	59.57	0.80	0.21	30.42	41.55
3	गैर थारू निवासित विकास खण्डों का औसत	33156.38	38.69	114.46	47.41	64.87	1.50	0.88	47.49	60.99

स्रोत : लखीमपुर, बहराइच, श्रावस्ती एवं बलरामपुर जनपद की जनपद सांख्यिकीय पत्रिका, 2004, योजना आयोग उत्तर प्रदेश।

3.3.6 सिंचित क्षेत्र एवं सिंचाई सुविधाएं – थारू निवासित विकास खण्ड में औसतन सिंचित क्षेत्र का प्रतिशत कम है। जनजाति बाहुल्य विकास खण्डों में नहरों की मात्रा कम है तथा सरकारी नलकूप से सिंचित क्षेत्र का प्रतिशत भी कम है। वहीं निजी नलकूप सिंचित क्षेत्र की मात्रा अधिक है। वह भी तराई क्षेत्रों में कम है। तराई क्षेत्र में तालाब से सिंचित क्षेत्र का प्रतिशत अधिक है। (तालिका 3.19)

तालिका 3.19: चयनित जनपदों में थारू एवं गैर थारू बाहुल्य विकास खण्डों में सिंचाई सुविधानुसार सिंचित क्षेत्र का कुल विकास खण्डों के औसत से तुलनात्मक अवलोकन

(प्रतिशत में)

क्र. सं.	वर्ग	नहर सिंचित	नलकूप सरकारी नलकूप सिंचाई	निजी नलकूप सिंचित	कुआं	तालाब सिंचित	अन्य सिंचित क्षेत्र	कुल सिंचित क्षेत्र
1	कुल विकास खण्डों का औसत	5.13	8.72	77.07	6.95	1.93	0.20	15708.88
2	थारू निवासित विकास खण्डों का औसत	2.55	3.76	89.73	0.59	3.38	0.00	15416.33
3	गैर थारू निवासित विकास खण्डों का औसत	5.54	9.51	75.06	7.96	1.70	0.23	15756.32

स्रोत : लखीमपुर, बहराइच, श्रावस्ती एवं बलरामपुर जनपद की जनपद सांख्यिकीय पत्रिका, 2004, योजना आयोग उत्तर प्रदेश।

सिंचाई साधनों के संदर्भ में (तालिका 3.20) थारू निवासित विकास खण्डों में औसत 52.33 किमी. नहरें है जो औसत 68.14 किमी. से कम है। सरकारी नलकूप प्रतिविकास खण्ड 12.33 है। बोरिंग नलकूप की संख्या 440.678 है जो कुल विकास खण्डों के नलकूपों के औसत 1101.30 से कम है। अर्थात् जनजाति बाहुल्य विकास खण्डों में सिंचाई सुविधाओं की मात्रा गैर जनजातीय विकास खण्डों एवं कुल विकास खण्डों में बहुत कम है। जिसके विस्तार की आवश्यकता है।

तालिका 3.20 : चयनित जनपदों में थारू एवं गैर थारू बाहुल्य विकास खण्डों में सिंचाई साधनों की औसत संख्या का क्षेत्र के कुल विकास खण्डों के औसत से तुलनात्मक अवलोकन

(प्रतिशत में)

क्र. सं.	वर्ग	नहर लम्बाई किमी.	सरकारी नलकूप	स्थाई कूप संत्र	रहट सं.	भूमिगत नलकूप सं.	बोरित नलकूप सं.
1	कुल विकास खण्डों का औसत	68.14	37.19	9.47	0.00	0.44	1101.30
2	थारू निवासित विकास खण्डों का औसत	52.33	12.33	10.83	0.00	0.00	440.67
3	गैर थारू निवासित विकास खण्डों का औसत	70.70	41.22	9.24	0.00	0.51	1208.43

स्रोत : लखीमपुर, बहराइच, श्रावस्ती एवं बलरामपुर जनपद की जनपद सांख्यिकीय पत्रिका, 2004, योजना आयोग उत्तर प्रदेश।

3.3.7 भूमि धारण प्रतिरूप – तालिका संख्या 3.21 से स्पष्ट है कि थारू निवासित विकास खण्डों में 0.5 हेक्टेयर से कम भूमिधारण व 0.5–1.10 हेक्टेयर भूमि धारण वर्ग में औसत भूमिधारण गैर जनजातीय विकास खण्डों एवं कुल विकास खण्डों के औसत से अधिक है। वहीं 2–4 एवं 4–10 हे. से अधिक भूमि वालों का

प्रतिशत कम है। अर्थात जनजातीय विकास खण्डों में औसत भूमि धारण आकार क्षेत्र के औसत भूमि धारण आकार से अधिक है।

तालिका 3.21 : चयनित जनपदों में थारू एवं गैर थारू बाहुल्य विकास खण्डों में औसत भूमि धारण स्वरूप का क्षेत्र के कुल विकास खण्डों के औसत से तुलनात्मक अवलोकन

(प्रतिशत में)

क्र. सं.	वर्ग	0.50 हेक्टेयर से कम		0.51–1.00 हेक्टेयर		1.01–2.00 हेक्टेयर		2.01–4.00 हेक्टेयर		4.01–10.00 हेक्टेयर		10.01 से अधिक		कुल	
		कुल कृषक	क्षेत्रफल	कुल कृषक	क्षेत्रफल	कुल कृषक	क्षेत्रफल	कुल कृषक	क्षेत्रफल	कुल कृषक	क्षेत्रफल	कुल कृषक	क्षेत्रफल	कुल कृषक	क्षेत्रफल
1	कुल विकास खण्डों का औसत	57.66	16.09	27.62	17.86	16.83	0.23	8.21	19.74	2.21	10.59	0.08	1.34	28566.70	32169.26
2	थारू निवासित विकास खण्डों का औसत	50.60	15.25	24.51	17.45	16.88	0.24	8.63	23.63	2.65	14.57	0.12	2.18	37583.17	38855.33
3	गैर थारू निवासित विकास खण्डों का औसत	59.25	16.26	28.31	17.95	16.82	0.23	8.11	18.95	2.12	9.79	0.07	1.17	27104.57	31085.03

स्रोत : लखीमपुर, बहराइच, श्रावस्ती एवं बलरामपुर जनपद की जनपद सांख्यिकीय पत्रिका, 2004, योजना आयोग उत्तर प्रदेश

3.3.8 कृषि में यंत्र प्रयोग – जनजाति बाहुल्य विकास खण्डों में कृषि यंत्रों की औसत मात्रा क्षेत्र के औसत तथा गैर जनजातीय विकास खण्डों से अधिक है। जिसके कारणों में जनजातीय लोगों को कृषि यंत्र खरीदने में अनुदान होना, बाहरी लोगों से जनजातियों को प्रेरणा होना आदि मुख्य हैं। जनजातियों को विशेष सहयोग से जहां तराई भूभाग में लकड़ी के हलों की औसत मात्रा अधिक थी वहीं प्रति विकास खण्ड ट्रैक्टर संख्या (779.8) जो सामान्य विकास खण्डों (424) से काफी अधिक है।

तालिका 3.22 : चयनित जनपदों में थारू एवं गैर थारू बाहुल्य विकास खण्डों में कृषि यंत्रों की औसत उपलब्धता का क्षेत्र के कुल विकास खण्डों के औसत से तुलनात्मक अवलोकन

(प्रतिशत में)

क्र. सं.	वर्ग	लकड़ी का हल	लोहे का हल	हेरो/कल्टीवेटर	थ्रेशर	स्प्रेयर	बोवाई के यंत्र	ट्रैक्टर
1	कुल विकास खण्डों का औसत	7615.30	5288.65	3178.21	898.42	265.49	132.00	436.07
2	थारू निवासित विकास खण्डों का औसत	12242.17	8761.50	4389.00	1100.17	266.83	119.50	778.50
3	गैर थारू निवासित विकास खण्डों का औसत	6865.00	4725.49	2981.86	865.70	265.27	134.03	380.54

स्रोत : लखीमपुर, बहराइच, श्रावस्ती एवं बलरामपुर जनपद की जनपद सांख्यिकीय पत्रिका, 2004, योजना आयोग उत्तर प्रदेश।

3.3.9 उन्नत बीज रासायनिक उर्वरक तथा कीटनाशक उपलब्धता – कृषि विकास के लिए संतुलित एवं आवश्यकतानुसार तकनीकी प्रयोग आवश्यक होता है। उर्वरा शक्ति बनाए रखने तथा उत्पादकता बढ़ाने के लिए उर्वरक एवं HYV का प्रयोग होना आवश्यक है। जिसकी उपलब्धता एवं वितरण सुविध से

प्रयोग स्वरूप का आंकलन होता है। तालिका सं. 3.23 के अनुसार HYV रासायनिक उर्वरक तथा कीटनाशकों के पंजीकृत केन्द्रों की संख्या क्षेत्र के औसत प्रति विकास खण्ड से काफी कम है जो क्षेत्र में इनके कम प्रयोग होने की पुष्टि करता है। तथा जिसका प्रभाव क्षेत्र के कृषि उत्पादकता प्रतिरूप पर स्पष्ट दृष्टिगोचर होता है। थारू निवासित विकास खण्डों में कम प्रति हेक्टेयर उत्पादकता के कम होने के कारणों में यह पक्ष भी उत्तरदायी है।

तालिका 3.23 : चयनित जनपदों में थारू एवं गैर थारू बाहुल्य विकास खण्डों में बीज, उर्वरक, कीटनाशक विक्रय केन्द्रो का क्षेत्र के कुल विकास खण्डों के औसत से तुलनात्मक अवलोकन

क्र. सं.	वर्ग	बीज विक्रय केन्द्र			उर्वरक विक्रय केन्द्र			कीटनाशक विक्रय केन्द्र		
		सरकारी केन्द्र	कृषि विभाग	अन्य	सहकारी विभाग	कृषि विभाग	अन्य	सरकारी विभाग	कृषि विभाग	अन्य
1	कुल विकास खण्डों का औसत	3.21	0.72	1.40	5.77	0.47	10.53	1.65	0.72	0.37
2	थारू निवासित विकास खण्डों का औसत	3.00	0.67	1.33	3.83	0.50	9.67	1.83	0.67	0.67
3	गैर थारू निवासित विकास खण्डों का औसत	3.24	0.73	1.41	6.08	0.46	10.68	1.62	0.73	0.32

स्रोत : लखीमपुर, बहराइच, श्रावस्ती एवं बलरामपुर जनपद की जनपद सांख्यिकीय पत्रिका, 2004, योजना आयोग उत्तर प्रदेश।

3.3.10. पशुपालन प्रतिरूप – क्षेत्र के विकास खण्डों में औसत प्रति विकास खण्ड पशु संख्या 74173.72 है वहीं गैर जनजातीय विकास खण्डों में 11136.11 है। जबकि थारू निवासित विकास खण्डों में 92905.67 है अर्थात जनजाति बाहुल्य विकास खण्डों में औसतन अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा अधिक है। आवश्यकता है कि उनको आर्थिक दृष्टि से उन्नत बनाया जाय।

तालिका 3.24 : चयनित जनपदों में थारू एवं गैर थारू बाहुल्य विकास खण्डों की औसत पशु संख्या का क्षेत्र के कुल विकास खण्डों के औसत से तुलनात्मक अवलोकन

क्र. सं.	वर्ग	गोजातीय पशु	महिष जातीय पशु	भेंड़	बकरी/बकरा	घोड़ा	सुअर	अन्य पशु	कुल पशु	कुल पोल्ट्री
1	कुल विकास खण्डों का औसत	31573.37	19859.58	1048.35	18210.30	151.33	3156.35	174.44	74173.72	12566.86
2	थारू निवासित विकास खण्डों का औसत	37503.00	31010.00	1952.33	18484.33	182.50	3500.00	273.50	92905.67	19308.33
3	गैर थारू निवासित विकास खण्डों का औसत	30611.81	18051.41	901.76	18165.86	146.27	3100.62	158.38	71136.11	11473.65

स्रोत : लखीमपुर, बहराइच, श्रावस्ती एवं बलरामपुर जनपद की जनपद सांख्यिकीय पत्रिका, 2004, योजना आयोग उत्तर प्रदेश।

3.3.11 स्वास्थ्य सुविधाएं – स्वास्थ्य सुविधाओं की दृष्टि से थारू निवासित विकास खण्डों में औसतन प्रति विकास खण्ड पशु अस्पताल, 2.17 एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र 0.50, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र 3.33 है। जबकि कुल क्षेत्र में प्रति विकास खण्ड 1.95 पशु अस्पताल 0.26 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं 3.09 सामुदायिक

स्वास्थ्य केन्द्र है। तालिका सं. 3.25 से स्पष्ट होता है कि पशु चिकित्सा एवं मानव चिकित्सा सुविधाओं की औसतन उपलब्धता थारू बाहुल्य विकास खण्डों में अधिक है। परन्तु तराई क्षेत्र के इन विकास खण्डों में स्वास्थ्य सुविधाओं का वितरण आवश्यकतानुसार नहीं मिलता। जहाँ ये सुविधार है भी वहाँ उनका संचालन नहीं होता।

तालिका 3.25 : चयनित जनपदों में थारू एवं गैर थारू बाहुल्य विकास खण्डों की औसत पशु एवं मानव चिकित्सा सुविधाओं की उपलब्धता का क्षेत्र के कुल विकास खण्डों के औसत से तुलनात्मक अवलोकन

क्र. सं.	वर्ग	पशु चिकित्सा			मानव चिकित्सा						
		पशु अस्पताल	कृत्रिम गर्भाधान केन्द्र	डी-वर्ग पशु अस्पताल	अस्पताल/डिस्पेंसरी	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र	कुल शैया	डाक्टर	पैरामेडिकल	अन्य
1	कुल विकास खण्डों का औसत	1.95	2.02	0.09	0.93	0.26	3.09	24.16	7.00	6.86	31.47
2	थारू निवासित विकास खण्डों का औसत	2.17	2.67	0.17	1.67	0.50	3.33	30.00	4.33	8.17	40.83
3	गैर थारू निवासित विकास खण्डों का औसत	1.92	1.92	0.08	0.81	0.22	3.05	23.22	7.43	6.65	29.95

स्रोत : लखीमपुर, बहराइच, श्रावस्ती एवं बलरामपुर जनपद की जनपद सांख्यिकीय पत्रिका, 2004, योजना आयोग उत्तर प्रदेश।

3.3.12 औद्योगिक स्वरूप – तालिका संख्या 3.26 से स्पष्ट होता है कि थारू जनजाति बाहुल्य विकास खण्डों में औद्योगिक इकाइयों की मात्रा सम्पूर्ण जनपदों के औसत से बहुत कम है जो इन विकास खण्डों को औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े होने की पुष्टि करता है। औद्योगिक इकाइयों के न होना आर्थिक विपन्नता का एक मुख्य कारण है।

तालिका 3.26 : चयनित जनपदों में थारू एवं गैर थारू बाहुल्य विकास खण्डों के औसत औद्योगिक केन्द्रों एवं कार्मिकों का क्षेत्र के कुल विकास खण्डों के औसत से तुलनात्मक अवलोकन

क्र. सं.	वर्ग	पंजीकृत उद्योग		लघु उद्योग		खादी उद्योग	
		संख्या	कार्मिक	संख्या	कार्मिक	संख्या	कार्मिक
1	कुल विकास खण्डों का औसत	6.12	24.23	181.88	534.91	52.53	130.81
2	थारू निवासित विकास खण्डों का औसत	3.00	14.17	137.83	386.00	41.67	109.83
3	गैर थारू निवासित विकास खण्डों का औसत	6.62	25.86	189.03	559.05	54.30	134.22

स्रोत : लखीमपुर, बहराइच, श्रावस्ती एवं बलरामपुर जनपद की जनपद सांख्यिकीय पत्रिका, 2004, योजना आयोग उत्तर प्रदेश

3.3.13 भण्डारण सुविधा – भण्डारण सुविधाओं की मात्रा से क्षेत्र में उत्पादन स्तर एवं व्यापार स्तर का अनुमान लगाया जा सकता है। तालिका 3.27 के अनुसार क्षेत्र में प्रति विकास खण्ड 9.21 शीतग्रह हैं वहीं थारू निवासित विकास खण्डों में औसतन 8.83 शीतगृह तथा गैर थारू निवासित विकास खण्डों में औसतन 9.27

शीतगृह हैं अर्थात थारू बाहुल्य विकास खण्डों में शीतगृहों की संख्या कम है। जो शीतगृह हैं भी वे बड़े कस्बों में हैं हालांकि क्षमता की दृष्टि से थारू निवासित क्षेत्रों में स्थित शीतगृह अधिक बड़े हैं परन्तु उनकी संख्या कम है तथा वितरण के प्रतिरूप भी असंतुलित हैं।

तालिका 3.27: चयनित जनपदों में थारू एवं गैर थारू बाहुल्य विकास खण्डों की औसत भण्डारण सुविधाओं का क्षेत्र के कुल विकास खण्डों के औसत से तुलनात्मक अवलोकन

क्र. सं.	वर्ग	ग्रामीण भण्डारण गृह				शीत गृह		कृषि सेवा केन्द्र		कृषि मण्डी
		सरकारी विभाग	कृषि विभाग	कुल	गृहों की क्षमता	संख्या	क्षमता	कृषि विभाग	अन्य	
1	कुल विकास खण्डों का औसत	5.88	3.33	9.21	634.30	0.02	129.28	0.23	3.14	0.16
2	थारू निवासित विकास खण्डों का औसत	3.17	5.67	8.83	677.50	0.17	926.50	0.17	2.83	0.33
3	गैर थारू निवासित विकास खण्डों का औसत	6.32	2.95	9.27	627.30	0.00	00.00	0.24	3.19	0.14

स्रोत : लखीमपुर, बहराइच, श्रावस्ती एवं बलरामपुर जनपद की जनपद सांख्यिकीय पत्रिका, 2004, योजना आयोग उत्तर प्रदेश।

3.3.14 परिवहन एवं संचार एवं वित्त सुविधाएं – परिवहन एवं संचार सुविधाओं की उपलब्धता विकास का आधा होता है। अतः तालिका संख्या 3.28 के अनुसार थारू निवासित विकास खण्डों में विद्युतीकृत गाँवों की औसत संख्या क्षेत्र के औसत से अधिक है। पक्की सड़क की उपलब्धता भी थारू क्षेत्रों में प्रति विकास खण्ड 147.83 किमी. है जो क्षेत्र के औसत प्रति विकास खण्ड सड़क की मात्रा 124.98 किमी. तथा गैर जनजातीय क्षेत्र के विका खण्डों की औसत उपलब्धता 121.27 किमी. से अधिक है। डाकघरों की संख्या टेलीफोन कनेक्शन, राष्ट्रीयकृत एवं अन्य ग्रामीण बैंकों की उपलब्ध मात्रा थारू क्षेत्रों में क्षेत्र के औसत प्रति विकास खण्ड की मात्रा से अधिक है। वही वाणिज्यिक बैंकों की उपलब्धता थारू बाहुल्य विकास खण्डों में औसतन कम है। थारू बाहुल्य विकास खण्डों से ज्यादा बड़े हैं तथा उपरोक्त सुविधाओं की उपलब्धता मात्र बड़े कस्बों में हैं। तराई के ग्रामीण क्षेत्रों में तो इन सुविधाओं का अभाव है।

तालिका 3.28 : चयनित जनपदों में थारू एवं गैर थारू बाहुल्य विकास खण्डों में औसत परिवहन संचार एवं बैंकिंग सुविधाओं का क्षेत्र के कुल विकास खण्डों के औसत से तुलनात्मक अवलोकन

क्र. सं.	वर्ग	विद्युतीकृत गांव	कुल पक्की सड़क की लम्बाई	डाकघर सं.	टेलीग्राम कार्यालय	पी0सी0ओ0	टेलीफोन कनै0	राष्ट्रीयकृत बैंक	ग्रामीण बैंक	अन्य वाणिज्य बैंक
1	कुल विकास खण्डों का औसत	69.60	124.98	20.37	0.14	26.93	548.72	3.07	3.44	0.47
2	थारू निवासित विकास खण्डों का औसत	85.83	147.83	31.17	0.67	26.33	1030.83	4.00	3.50	0.17
3	गैर थारू निवासित विकास खण्डों का औसत	66.97	121.27	18.62	0.05	27.03	470.54	2.92	3.43	0.51

स्रोत : लखीमपुर, बहराइच, श्रावस्ती एवं बलरामपुर जनपद की जनपद सांख्यिकीय पत्रिका, 2004, योजना आयोग उत्तर प्रदेश।

उपरोक्त आंकलन से स्पष्ट होता है कि थारू बाहुल्य विकास खण्ड जो अध्ययन क्षेत्र के नेपाल सीमावर्ती क्षेत्र में हैं बड़े हैं फिर भी शिक्षा, उद्योग, सिंचाई साधन तथा तकनीक उपलब्धता की दृष्टि से क्षेत्र के अन्य विकास खण्डों से पिछड़े हैं। यदि उपरोक्त सुविधाओं की उपलब्धता की राष्ट्र स्तर या

राज्य से तुलना करें तो उपलब्धता के मामले में ये विकास खण्ड काफी पीछे हैं जो क्षेत्र में गरीबी एवं पिछड़ापन का मुख्य कारण है। साथ ही ये सुविधाएं विकसित कस्बों तक ही सीमित हैं जिन्हें ग्रामीण क्षेत्रों की ओर वितरित करना होगा। हालांकि राष्ट्रपति महोदय ने 'पुरा माडल' के माध्यम से इस पर पहल की है। परन्तु उपलब्ध सुविधाओं की गुणवत्ता को परखने की आवश्यकता है। क्योंकि आंकड़ों में विद्युतीकरण 90 प्रतिशत मिलता है परन्तु गाँवों में खम्भे लगने के बाद वर्षों तक बिजली नहीं आती। (अंधरपुरवा ग्राम, श्रावस्ती) अतः थारू जनजाति क्षेत्र के पिछड़ेपन के कारणों में सुविधाओं का अभाव तथा समुचित वितरण न होना भी है जिसे संतुलित करने की आवश्यकता है। स्पष्ट है कि तराई क्षेत्र में विकास के प्रभाव से अधिकांस पक्षों ने थारू बाहुल्य विकास खण्डों का औसत सामान्य औसत से अधिक मिलता है। परन्तु यह राज्य एवं राष्ट्रीय औसत से कम है। अतः अवस्थापनात्मक सुविधाओं के विकास के साथ शिक्षा आदि पक्षों पर ध्यान संकेन्द्रित करने की आवश्यकता है।

निष्कर्ष –

उपरोक्त विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि अध्ययन क्षेत्र, तराई भूआकृति का एक हिस्सा है जो उष्णाद्र जलवायुविक दशाओं, नदियों, उपजाऊ मृदा, तथा वनस्पति से युक्त है। क्षेत्र वन एवं वन्य जीव सम्पदा की दृष्टि से घनी है परन्तु कृषि उत्पादकता, फसल प्रतिरूप, शिक्षा, उद्योग, परिवहन, संचार सुविधाओं एवं मानव विकास की दृष्टि से काफी पिछड़ा है। अध्ययन क्षेत्र के उपक्षेत्रों के मध्य सुविधाओं के वितरण में असंतुलन है। अध्ययन क्षेत्र के उत्तरी भाग के विकास खण्ड, प्राकृतिक संसाधनों से धनी है। परन्तु कठोर भौगोलिक दशाओं एवं अवस्थापनात्मक सुविधाओं के अभाव के कारण पिछड़े हैं। नगरीकरण का विस्तार कम हुआ है वहीं साक्षरता एवं शिक्षा की गुणवत्ता कम है। खनिज एवं उद्योगों का अभाव है। मात्र कृषि आधारित उद्योग ही दृष्यगत हैं। प्रति व्यक्ति आय एवं उपभोग स्तर राष्ट्रीय औसत से निम्न है।

अतः पारिस्थितिकीय दृष्टि से सशक्त यह क्षेत्र मानवीय सुविधाओं एवं सांस्कृतिक दृव्य भूमियों की परिपक्वता की दृष्टि से पीछे हैं। जागरूकता का अभाव है। मानव निवास के लिए कठोर जलवायुविक दशाओं वाले क्षेत्र में मानवीय क्रियाकलापों का विस्तार तो हुआ है परन्तु वह भी कम है। जिसका प्रभाव क्षेत्र के सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक एवं राजनीतिक स्वरूप पर दृष्यगत है। विगत दशकों में क्षेत्र की प्राकृतिक संपदा का असंधृत दोहन किया गया है। साथ ही अवस्थापनात्मक सुविधाओं का विस्तार भी आवश्यकता स्तर के अनुकूल नहीं हो पाया है, जो क्षेत्र में संधृत विकास की आवश्यकता की पुष्टि करता है।

स्पष्ट है कि तराई क्षेत्र में विकास के प्रभाव से अधिकांश पक्षों में थारू बाहुल्य विकास खण्डों का औसत सामान्य औसत से अधिक मिलता है। परन्तु यह राज्य एवं राष्ट्रीय औसत से कम है। अतः अवस्थापनात्मक सुविधाओं के विकास के साथ शिक्षा आदि पक्षों पर ध्यान संकेन्द्रित करने की आवश्यकता है।

References :

1. Lambert, R.D. (1960), **The Encyclopaedia Americana**, Part XV, p.1.

2. Singh, R.L. (2004), **India: A Regional Geography**, Utis Publishers, p.3.

3. Encyclopaedia Britannica, Downloaded from Internet.

4. Atkinson, E.T. (1873), **The Himalayan Gazetteer**, Cosmos Publications, Delhi.

5. Atkinson, E.T. (1886), **The Himalayan Districts of North-West Provinces of India**, Vol.III, p.697.

6. Geddes, A. (1960), **The Alluvial Morphology of Indogangetic Plain**, IBG, 28, pp.262-263.

7. Gurung, G.M. (1997), **Faces of Nepal**, Himal Books, Kathmandu p.134.

8. Singh, R.L. (2004), *op.cit.*, pp.136-137.

9. *Ibid.*

10. Census of India (1991).

11. Fuhrer A. (1891), **Monumental Antiquities and Inscriptions in North-Western Provinces and Oudh**, p.292.

12. Neviel (1904), **District Gazetteers of Nainital**, Vol.XXXIUV, p.199.

13. Pathak, V.N. (1963), **History of Kosla Upto Rise of Mauryas**, p.35.

14. *National Herald*, February 9, 1928.

15. Fuhrer, A. (1891), *op.cit.*, p.286.

16. *Ibid.*

17. Macmillan, **Gazetteer of the Province of Oudh**, Vol.II, p.236.

18. Cunningham, A. (1875-76), **Archeological Survey of India**, Report of Tours in Gangetic Provinces from Badaun to Bihar in 1875-76, p.150

19. Jivananda, Vidyasagar (2002), **Vishnupuran**, p.237.

20. Kalidas (2003), **Raghuvansh Mahakavyam** (Sanskrit).

21. Majumdar, R.C. and Pusalkar, A.D. (1965), **The History and Culture of Indian People**, Vol.I, The Vedic Age, Mumbai, p.326.

22. **Uttar Pradesh District Gazetteer of Bahraich District**(1979), Publication Department, Uttar Pradesh, pp.23-29..

23. *Ibid.*

24. *Ibid.*

25. Habibullah, A.B.M. (1967), **The Foundation of Muslim Rule in India**, Aligarh, p.104.

26. Elliot and Dowson, **The History of India**, by Its Own Historians, Vol.III, p.293.

27. Abdul Fazal (1949), **A in-I-Akbari** Translated by H's Jarret (ed.by) J.N.Sarkar, Vol.II, p.187.

28. Chaudhuri, S.B. (1957), **Civil Rebellion in Indian Mutinies**, pp.13-17.

29. Wadia, D.N. and Auden, J.B. (1939), **Geology and Structure of North India**, Memories, *G.S.I.*, Vol.73(1), pp.128-139.

30. Oldhum, R.D. (1960), **The Deepest Boring at Lucknow: Records of Geological Survey of India**, Vol.68(1), p.372.

31. Singh, R.L. *op.cit.*, p.342..

32. *Ibid.*

33. **District Gazetteers of Lakhimpur, Bahraich and Gonda Districts** (1979), Publication Department, Uttar Pradesh, Various pages.

34. *Ibid.*

35. *Ibid.*

36. Dudhwa National Park Museum.

37. Dudhwa National Park Museum, Booklet and Internet.

38. **Uttar Pradesh District Gazetteer of Bahraich District**(1979), Publication Department, Uttar Pradesh, pp.23-29.

39. Trewartha, G.T. (1953), "A Case of Population Geography", *A.A.A.G.*, Vo.43, p.81.

40. Mahabharat Shanti Parva, 12, 326, 20.

41. Manusmriti, 7, 15.

42. Acharya, P.K. (1933), **Architecture of the Manasara**, Oxford University Press, London, pp.69-90.

43. Uttaraadhyan Sutra, 30, pp.15-18.

44. Sukranitisar, I.264, I.267.

45. Humes, E. (1952), **Soil and Civilization**, Thomas and Hudson, London, pp.1833-184.

46. Rigveda, VIII, 6-40, X.1-4.

47. Sat Path Brahman I..6, I.3.

48. Barlow, R. (1958), **Land Resource Economics – The Political Economy of Rural and Urban Land Resource Use**, Prentice Hall Inc., Englewood Cliff, N.S., p.12.

———:0:———
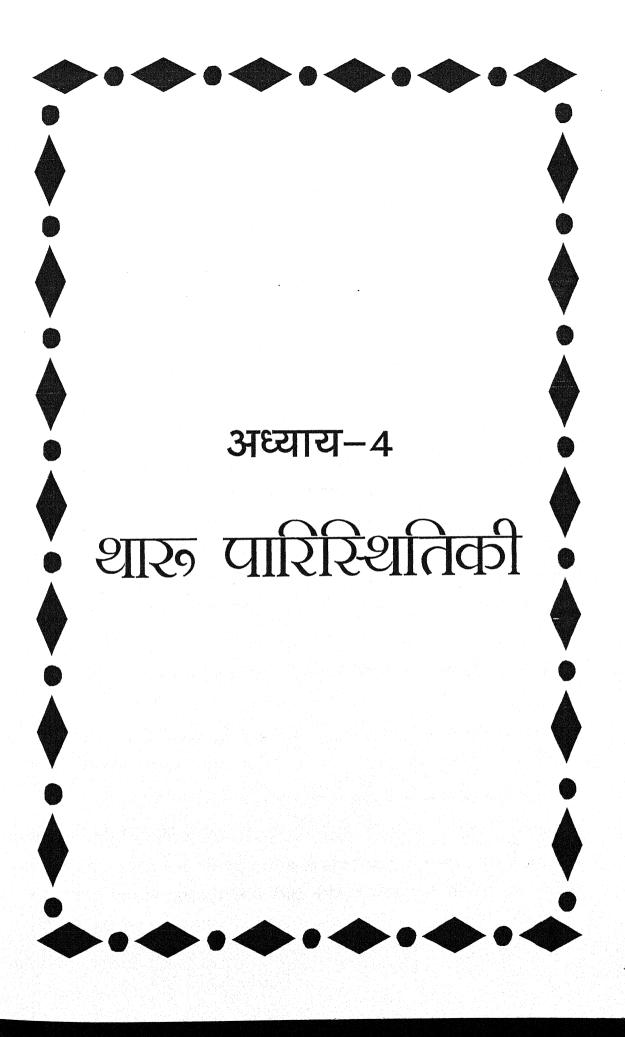
अध्याय–4

थारू पारिस्थितिकी

अध्याय – 4

थारू पारिस्थितिकी

हिमालय की शिवालिक श्रेणी के उपत्यका में थारू जनों का निवास क्षेत्र 'थरूवट' विस्तृत पतली पट्टी के रूप में उत्तरांचल, उत्तर प्रदेश, बिहार, पं. बंगाल, आसाम, एवं नेपाल राज्य में प्रसरित हैं। लगभग 13 लाख की आबादी वाला थारू समाज, अपनी भाषा, व्यवहार, रीति–रिवाज, परम्परा एवं भौगोलिक विलगता के कारण जनजाति के रूप में नामित किया गया है। भारत में सन् 1967 में थारू समुदाय को जनजाति घोषित कर संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई।

4.1 क्या थारू एक जनजाति है ?

विभिन्न विद्वानों द्वारा प्रतिपादित जनजाति की परिभाषाओं के विश्लेषण से निम्नलिखित तथ्य स्पष्ट होते हैं –

1. जनजाति के सभी लोग एक समय में एक निश्चित भूखण्ड में निवास करते हैं।

– थारू जनजाति का निवास स्थान "थरूवट" हिमालय की शिवालिक श्रंखला की उपत्यका में पतली तराई पट्टी में फैला हुआ है। राजनीतिक उथल–पुथल से अब भारत के उक्त क्षेत्र का कुछ भाग नेपाल देश की सीमा में तथा बचा हुआ भारत का शेष भाग भारत के विभिन्न राज्यों और जनपदों में विभाजित कर दिया गया है। किन्तु भौगोलिक दृष्टि से समस्त थरूवट क्षेत्र एक इकाई है। उक्त थरूवट क्षेत्र के अतिरिक्त विश्व के किसी भी अन्य क्षेत्र में थारू जनजाति समूह के रूप में (नौकरी आदि के सम्बन्ध में एकाध व्यक्तियों के स्थायी जाकर बस रहने की स्थिति को छोड़कर) कभी नहीं रही और न आज है।

2. प्रत्येक जनजाति का अपना कुल देवता होता है जिसकी पूजा करना उस जनजाति के सभी सदस्य अपना कर्तव्य मानते है और उसे क्रियान्वित करते हैं।

थारूओं के कुल देवता और प्रत्येक थारू द्वारा अनिवार्य रूप से उसकी समय–समय पर पूजा का वर्णन विस्तार से अध्याय में किया गया है।

3. जनजाति के सभी लोग अपनी ही जाति के अन्दर विवाह करते हैं अतएव उनका एक अन्तर्विवाही जन समूह होता है।

थारू जनजाति में भी यह रिवाज कट्टरता के साथ विद्यमान है। वे थारू लड़का या लड़की का विवाह किसी गैर थारू भारतीय (बजिया) अथवा नेपाल के पहाड़ी नस्ल वाले ग़ैर थारू (परबाती) परिवार में कदापि नहीं करते। परन्तु अब यह परम्परा बदल रही है।

4. सर्वाधिकार सम्पन्न जातीय पंचायत तथा क़बीले का एक सर्वमान्य नेता होना जनजाति की विशेषता है। बाह्य–शत्रु का संगठित होकर सामना करने तथा आपस में मिलजुल कर काम करने की भावना जनजाति में पायी जाती है।

यह विशेषता थारू जनजाति में पूरी तरह विद्यमान है। समूह गणधुरिया अर्थात् अपने क़बीले के प्रधान का तथा परिवार में पुरूष "मलिकवा" एवं महिलाएं "किसनिनिया" के आदेशों का पालन अनिवार्य रूप से स्वभावतः करती हैं। वे अपने निर्माण आदि से सम्बन्धित बड़े–बड़े कामों का मिलजुल कर पारस्परिक सहयोग से कर लेते हैं तथा बाह्य शत्रु का सामना करने के लिए एकजुट होकर तत्पर रहते हैं।

5. जनजाति अपने दैनिक उपयोग में आने वाली वस्तुओं का निर्माण प्रायः स्वयं करती है तथा आर्थिक दृष्टि से वे प्रायः आत्मनिर्भर होती है।

यह लक्षण भी थारूओं पर पूरी तरह घटित होता है। उनमें नाई, धोबी, तेली, लुहार, बढ़ई, कहार, अहीर, दर्जी, आदि पेशा प्रधान उप–जातियों का अभाव है। इनसे सम्बन्धित अपने सारे कार्य थारू परिवार स्वयं ही कर लेते हैं। गैर थारू हिन्दुओं में कर्मकाण्ड का सम्पादन प्रायः ब्राह्मण पुरोहित कराता है परन्तु थारूओं में यह कार्य उनका अपना धरगुरवा, जिसे वे "थरूबभना" कहते हैं सम्पादित करता है। "थरूबभना" की उपजाति नहीं होती। यह शब्द व्यक्तिगत कार्य वैशिष्ट्य का बोधक है।

आत्मनिर्भरता की स्थिति में अब तेज़ी से बदलाव आ रहा है। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् शासन की विभिन्न योजनाओं के प्रचार–प्रसार ने अब इस आत्म सन्तोषी और आत्म निर्भर जाति में "अनुदान के सहारे विकास" की प्रवृत्ति जगायी है। बदलाव की प्रवृत्ति ने क़बीले की परम्परागत प्रकृति और प्रवृत्ति को प्रभावित किया है।

6. जनजाति की अपनी एक भाषा (बोली), एक संस्कृति और एक से रीति–रिवाज होते हैं।

जनजाति का यह भेदक लक्षण भी थारू जनजाति में विद्यमान है। उनकी एक पृथक् बोली है जो भारत में कुमाऊँ (उ. प्र.) से चम्पारन (बिहार) तक तथा नेपाल में पश्चिमी छोर से पूरबी छोर तक, अति विस्तृत "थरूवट" क्षेत्र में सर्वत्र बोली जाती है।

उपरोक्त विश्लेषण के आधार पर स्पष्ट होता है कि थारू एक जनजाति है।

'थारू' नृजातीय स्वरूप में पीले रंग, चपटी नाक, सपाट चेहरा से युक्त मंगोलीय प्रजाति की वंशज दिखती है। विद्वानों में इस जनजाति के उत्पत्ति के संदर्भ में मतैक्यता नहीं है।

4.2 उत्पत्ति, विशेषताएं एवं नामकरण

थारू, एक गैर आर्यन कबीला है जो उत्तरी भारत समेत हिमालय के तराई क्षेत्र में पायी जाती है।[1] एक गैर ब्राह्मण कबीला जिसके सामाजिक मूल्य एवं व्यवहार आर्यन लोगों से मिलने के कारण

बदलते जा रहे हैं।[2] अवध गजेटियर (1867) के अनुसार थारू लोग तराई के जंगलों में ठहरने के कारण 'ठहर'[3] शब्द से अपभ्रसित हो थारू कहलाए। या फिर तराई की आद्रभूमि में रहने के कारण तरहुआ (Tharua)[4] कहलाए, या हस्तिनापुर के राजपूत मुगल युद्ध से थरथराते हुए आने के कारण थारू कहलाए।[5] एक पहाड़ी बोली में थरूआ[6] का अर्थ Paddler अर्थात् खेती करने वाला अर्थात कृषि कार्य प्रधान होने के कारण थारू कहलाये या फिर अपने मालिक के खेत में सप्ताह का आठवां दिन निःशुल्क सेवा करने के कारण अठवारू या थारू कहलाए।[7]

जनजातीय भाषा में थारू का अर्थ जंगल है। और जंगल में रहने के कारण ये आदमी या थारू कहलाए[8] या फिर अथर्वा क्षेत्र से संबंधित होने के कारण अथरू या थारू कहलाए।[9] वहीं कुछ लोग थारू शब्द को स्थविर से जोड़ते हैं।[10]

थारू लोगों की उत्पत्ति के संदर्भ में भी विद्वान मतैक्य नहीं है। नैशफील्ड[11] इन्हें एक गंगा घाटी का आदिम कबीला मानते थे जो आर्यन आक्रमण के पश्चात तराई की ओर पलायित हुए एवं पहाड़ी तथा नेपाली गुणों से मिश्रित होकर कुछ मंगोलियन गुणों को प्राप्त कर लिए हैं। उनके लम्बे लहराते काले बाल चेहरे तथा शरीर पर रोमावली भारत के मूल निवासियों की ही भांति थी। वास्तव में वे इन आदिम प्रजातियों से सम्बन्धित हैं जो द्रविणीयन या कोलारियन के रूप में जाने जाते हैं, जो उनकी भाषा से भी स्पष्ट होता है।[12] क्रुक का निष्कर्ष है कि थारू जाति में पाये जाने वाले लक्षणों के आधार पर संभावना अधिक प्रतीत होती है कि थारू मूलतः द्रविण नस्ल के हैं जिसमें पहाड़ी तथा नेपाली नस्लों के सम्मिश्रण से कुछ अंश तक मंगोलों जैसी बनावट आ गई थी।[13] कानन का मत है कि थारू मूलतः सूर्यवंशी तथा नेपाल शाखा के हैं और नेपाल की पहाड़ियों से उतरकर कर मगध तक फैले हुए गोरखों को निष्कासित कर थारूओं ने घाघरा के सम्पूर्ण उत्तर क्षेत्र पर अपना अधिकार जमा लिया था।[14] एमर्सन स्पष्ट करते है कि अपने उन्नत कपोल अस्थियों तथा चेहरे पर सपाट रूप से स्थित आँखों के कारण थारू नेपालियों तिब्बतियों तथा मंगोलों के चचेरे भाई जैसे प्रतीत होते हैं।[15] एस. के. श्रीवास्तव मानते हैं कि थारू मंगोल नस्ल के ही या फिर उनके निकटवर्ती हैं जिन्होंने गैर मंगोलियन विशेषताओं को भी आत्मसात कर लिया है।[16] कर्नल टाड थारू को चित्तौड़ के सिसोदिया देश से संबंधित मानते हैं।[17] वहीं अवध गजेटियर[18] थारूओं को आर्य एवं मंगोलों की वर्ण शंकर जाति मानता है।

उत्पत्ति एवं नामकरण संबंधी अन्य अटकलों किंवदन्तियों एवं मान्यताओं ने राजस्थान के थारू क्षेत्र से आने के कारण थारू कहा गया है।[19] अत्यधिक दारू पीने पर मैदानी क्षेत्र के एक क्षत्रिय राजा द्वारा इनका नामकरण थारू कर दिया गया।[20] मैदानी क्षेत्र से तराई क्षेत्र में आकर स्थिर होने से स्थारू या थारू कहा गया।[21] वहीं अधिकांश राजा थारू स्वयं राणा प्रताप का वंशज मानती एवं बताती है कि मुस्लिम आक्रमण से क्षत्रिय राजाओं के मारे जाने पर रानियां अपने नौकरों के साथ जंगल में आकर रहने लगीं उन्हीं की सेवा करने लगीं। वहीं नोबिल बताते हैं कि क्षेत्रीय राजाओं के आक्रमणकारियों

द्वारा मारे जाने पर रानियां महल के समार एवं साइस सबके साथ जंगल में चली गईं। चमारों से उत्पन्न जाति थारू एवं साइसों से बुक्सा उत्पन्न है।[22] वही कथा यह भी है कि थारू एवं बुक्सा दोनों ही धारा नगर के राजा नगदेव सिंह के वंश हैं। वहीं कुछ दंगुरिया थारू अपने को क्षेत्र के राजा देगीशरण दंगवै का वंशजन मानते है। एक कथा थारू को राजा बेन के पुत्र श्रतऐश्वर से रक्षित होने की पुष्टि करती है।

यदि थारू जनजाति के संदर्भ में इतिहास को देखें तो अलबरूनी[23] अपनी पुस्तक तहकीक–उल–हिन्द में लिखते हैं कि कन्नौज से पूरब चलने पर बारी दस फर्लांग पर एवं 45 फर्लांग पर दुर्ग पड़ता है। इसके आगे दाहिनी ओर का क्षेत्र थरूवट कहलाता है और वहां के निवासी थारू हैं जो रंग के सांवले तुर्कों की भांति चपटी नाक वाले होते हैं। यह तथ्य थारू के इस क्षेत्र में 10वीं शदी से पूर्व से होने की पुष्टि करता है। वैसे भी दाशराज युद्ध में आर्यों के विषय में पंच अनार्य कबीलों के शामिल होने, महाभारत एवं रामायण युद्ध में कबीलों के जिक्र होना है। इस बात के प्रतीक है कि यहां पहले भी जनजातियां विद्यमान रहे होंगे।

थारू नामकरण के संदर्भ में नेसफील्ड[24] के अनुसार "थार" शब्द का अर्थ जंगल होता है। अतः थारू का अर्थात् 'वनवासी' अथवा "वनेचर" हुआ। परन्तु जंगल के लिए थार शब्द का प्रयोग थारूओं अथवा बुक्सा आदि किसी अन्य जनजाति में प्रचलित नहीं है। हिन्दीकोश में थार का अर्थ जंगल नहीं मिलता। नेपाली या पहाड़ी भाषा में भी "थार" का अर्थ जंगल नहीं होता।

नेसफील्ड[25] के द्वारा उल्लिखित एक अन्य मतानुसार थारू शब्द "तरहुआ" से विकसित है। तर्क यह है कि थारू तराई क्षेत्र में रहते हैं जहां तरी (नमी) अधिक रहती है। अतः तर–क्षेत्र का निवासी होने से उन्हें "तरहुआ" या "तारू" कहा जाने लगा जो ध्वनि परिवर्तन द्वारा कालान्तर से "थरूआ" शब्द में विकसित हो गया। तराई में थारू ही नहीं गैर–थारू जातियां भी रहती हैं फिर एक समुदाय विशेष को ही स्थानीय जलवायु संबंधी विशेषण–युक्त सम्बोधन दिये जाने की बात युक्तिसंगत नहीं है।

एक मत यह है कि थारू शब्द "थरथराना" क्रिया से व्युत्पन्न है।[26] तराई क्षेत्र के नमी वाले भाग में रहने से थारू सदैव ठंड से थरथराते रहते हैं अतः उन्हें थारू कहा गया। परन्तु उन जातियों को जो पहाड़ पर रहती हैं जहां हिमपात होना आम बात है ठंडक झेलनी पड़ती है। वे पहाड़ी लोग जो वास्तव में कड़ी ठंड से वर्ष के पाँच महीने ठिठुरते थरथराते हैं थारू नहीं कहे गये। आज मैदानी भाग के थारू जो अवध के अन्य मैदानी क्षेत्रों की भाँति समशीतोष्ण जलवायु के निवासी हैं थरथराने की विलक्षणता के कारण थारू कहे जाने लगे, कहाँ तक युक्तियुक्त है।

मि. कारनेगी का कथन है कि थारू शब्द "स्थल" शब्द से व्युत्पन्न है। एक अन्य मत है कि हस्तिनापुर के महाभारत में पराजित राजपूतों ने भय से "थरथराते" हुए जंगलों में शरण ली अतः वे थारू कहे जाने लगे। एक अन्य मतानुसार थारू शब्द अथर्ववेद या "अथर्व" ध्वनि से सम्बन्धित है। अथर्वा से "अथरू" और फिर थारू शब्द विकसित हुआ। भारत पर हूणों के आक्रमण अर्थात् छठवीं

शताब्दी ईसवी के पूर्व थारू नामक जाति के अस्तित्व का कोई प्रमाण नहीं मिलता। थारू जाति जो घोर अशिक्षा, अज्ञान और अन्धविश्वासों में जीती आयी है, को नाम–साम्य दर्शाने के लिए अथर्वा ऋषि अथवा विश्व के प्राचीनतम ग्रन्थ "वेदों" से जोड़ना हास्यास्प्रद है।

विद्वानों ने थारू शब्द की व्युत्पत्ति जुटाने के प्रयास में "स्थविर" शब्द से इसे जोड़ने का सुझाव दिया है। स्थविर बौद्ध धर्म में वरिष्ठ साधक को कहा जाता है। श्रमण और भिक्षु की अपेक्षा "स्थविर" का पद अधिक प्रतिष्ठापूर्ण तथा विद्वता और साधना की उच्चतर स्थिति का बोधक होता है। "थारू" बौद्ध मतावलम्बी नहीं हैं। वे ईश्वरवादी हिन्दू धर्म और हिन्दू देवी–देवताओं के उपासक हैं। वे राम, कृष्ण, हनुमान, महादेव, पार्वती, सीता आदि की पूजा आराधना करते हैं। अतः उन्हें "बौद्ध स्थविर" कहना न केवल असंगत अपितु विपरीत कल्पना है। स्थविर का तद्भव शब्द "थेर" प्रचलित है। थेर और थारू शब्दों को ध्वनि साम्य के आधार पर एक मान लेना त्रुटिपूर्ण है। स्थविर त्रिरत्न "बुद्ध, धर्म और संघ" के प्रति आस्थावान् त्रिचीवरधारी बौद्ध सन्यासी होते हैं जबकि थारू त्रिरत्न से अप्रभावित और घरबारी हिन्दू हैं।[27]

एक अन्य विद्वान का मत है कि थारू शब्द "स्था' धातु से व्युत्पन्न है जिसका अर्थ है ठहरना। थारू लोग मैदानी भागों से आकर तराई क्षेत्रों में "स्थिर" हुए अतः उन्हें थारू कहा गया। यह मत भी ध्वनि–साम्य पर जुटाई गई लचर दलील है। भारत में कितनी ही जातियां एक स्थान से आकर दूसरी जगह स्थित हुईं, "आबाद हुईं" किन्तु उनमें से एक भी थारू नहीं कहलाई।[28] अतः थारू जाति के ही आकर स्थिर हो जाने से "स्थिरता" शब्द को इतना महत्व क्यों मिला कि उनका नामकरण ही स्थारू = थारू हो गया। सच तो यह है कि सरल और सन्तों–सी प्रकृति के थारूओं को न केवल एक बार विपद्काल में अपने मूल स्थान से हटना पड़ा है अपितु नेपाल में समर्थ पहाड़ी जातियों और भारत में मैदानी सशक्त और सम्पन्न लोगों ने उनकी भूमि अनेक बार हड़प की है और उन्हें एक स्थान से दूसरे असुविधाजनक स्थानों पर हटने–बसने के लिए निरन्तर बाध्य होना पड़ा है। उस आरंभिक स्थिति में जबकि उन्हें वन प्रान्तों में शरण लेने के लिए बाध्य होना पड़ा था वे स्थिर तो नहीं "अस्थिर" अवश्य रहे किन्तु वे किसी जमींदार के घरेलू नौकर नहीं थे। वे बंजर और जंगली तथा विषम जलवायु वाले क्षेत्र में जाकर बस गये थे। अतः स्थिर होने के कारण थारू नामकरण की संगति उपयुक्त नहीं प्रतीत होती।

एक अन्य मत है कि "थारू' अठवारू शब्द से विकसित हुआ है। अठवारू का अर्थ है आठवें दिन का सेवक अर्थात् वह व्यक्ति जो अपने स्वामी के यहाँ आठवें दिन सेवा टहल करने के लिए बाध्य है। यह मत इसलिए ग्राह्य नहीं प्रतीत होता कि थारूओं में ऐसी किसी प्रचलित प्रथा का कोई प्रमाण नहीं है।[29]

विद्वानों की यह धारणा है कि थारू राजपूताने से मुसलमान शासकों के आक्रमण में पराजित होकर अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए हिमालय के वनों में शरण लेने वाली मैदानी जाति है। मुसलमान

आक्रमणकारियों की अपार शत्रु सेना के साथ युद्ध करते हुए राजपूतों ने सभी लोगों का वीरगति पाना निश्चित समझ कर महिलाओं को सेवकों और भृत्यों के साथ भागकर दुर्गम स्थानों में शरण लेने के निर्देश दिये। युद्ध में सभी राजपूत मारे गये। कालान्तर में राजवंश की महिलाओं के वंश की रक्षा हेतु आपातकाल में उनके साथ गये सेवकों, अनुचरों से सन्तानें उत्पन्न कीं। उच्च वर्ग के सेवकों से उत्पन्न सन्तानें थारू कहलाईं और साईसों–चमारों से उत्पन्न सन्तानें बुक्सा कही गयीं। ये पलायनकर्ता राजपूताने के "थार" क्षेत्र से सम्बन्धित थे अतः "थारू" कहे गये। यह मत भी "भ्रान्तिपूर्ण" है। थारूओं में केवल "राना थारू" कहलाने वाला एक छोटा–सा समुदाय अपने को राणा प्रताप के वंशज और उनकी अकबर से हुई पराजय की घटना से जोड़ता है। ऐसा केवल इसलिए है कि उनकी उपजाति में "राना" शब्द लगा है। अपने देशाभिमान, स्वाभिमान के कारण राणा प्रताप का नाम भारत के कोने–कोने में प्रसिद्ध है। किन्तु थारूओं को राणा प्रताप का वंशधर होने अथवा हल्दीघाटी के युद्ध में पराजित होकर हिमालय की तराई में आ बसने की कल्पना अनैतिहासिक और निराधार है। इस कथन के सम्बन्ध में निम्नांकित तथ्य विचारणीय हैं।

क. बाबर और अकबर से लोहा लेने तथा पराजय के उपरान्त भी राणा सांगा और राणा प्रताप के वंशधर कालान्तर में अपने पूर्व क्षेत्र में ही आबाद रहे। भले ही वे स्वतंत्र अधिपति न रहकर करद शासक बनकर रहे हों। अतः उनकी राजवंश की महिलाओं का अपने टहलुओं–सेवकों के साथ प्राण रक्षा के उद्देश्य से राजस्थान से दिल्ली की ओर बढ़ते–भागते नैनीताल से लेकर चम्पारन तक के सुदूर पर्वतीय तराई क्षेत्रों में आ बसे।

ऐसा कहना सुविदित है कि राणा के युद्ध के साथी भील लोग थे जो आज भी "भीलवाड़ा" क्षेत्र में बसे हुए हैं। राजस्थान मध्य प्रदेश और गुजरात का सीमावर्ती संयुक्त क्षेत्र राजस्थानियों की प्रकृति के अनुकूल तथा वहां का वनाच्छादित दुर्गम पहाड़ी क्षेत्र विपदकाल की सर्वोत्तम शरणस्थली थी।

ख. थारू जाति राणा सांगा अथवा राणा प्रताप के जीवन काल से बहुत पहले से विद्यमान है। राणा सांगा ने सन् 1525 ई. में मुगल सेना से लड़ते हुए वीरगति पायी और हल्दीघाटी का निर्णायक युद्ध राणा प्रताप और जहाँगीर के बीच में हुआ था जबकि ग्यारहवीं शताब्दी में थारू जाति का अस्तित्व इतिहास पुष्ट है। (पूर्व में अलबरूनी का प्रमाण)

नैसफील्ड ने इस बात की पुष्टि की है कि, थारू लोग यह नहीं बता पाते हैं कि किसने चित्तौड़ के हल्दीघाटी के युद्ध में आक्रमण किया – अलाउद्दीन, अकबर या जहांगीर ने।

ग. विचारणीय है कि वह राजपूत संस्कृति जिसकी आन–बान के लिए हँसते–हँसते मर मिटने की गाथाएं संसार को चमत्कृत करती हैं, जिस जाति की नारियां पराजित होकर जीवित रहने के बजाय अग्नि में कूदकर जौहर दिखलाकर मरने के लिए लालायित रहती रहीं उनको प्राण बचाने के लिए साईसों और घुड़सवारों के साथ भागकर दो हजार किलोमीटर दूर के जंगलों में शरण लेने और उन टहलुओं से थारू और बुक्सा जैसी सन्तानें पैदा करने की बात कहां तक संभव हो सकती है।

घ. थारू कृषि–जीवी जाति है। कृषि उसकी आजीविका है और आखेट उसका व्यसन। पाँच सौ वर्ष पूर्व जब जमींदारी प्रथा नहीं थी उन दिनों लम्बी जोत वाले बड़े कृषकों को अवध क्षेत्र में ''राना'' और ''राव'' के सम्मान से सम्बोधित किया जाता रहा। सोलहवीं सदी के खेती–किसानी के महाकवि घाघ ने ''राना'' और ''राव'' शब्दों को इस प्रकार परिभाषित किया है –

दस हर राव आठ हर राना, चारि हरों का बड़ा किसाना।
दो हर खेती एक हर बारी, एक बैल से भली कुदारी।।

अर्थात् ''राव'' वे भूस्वामी कहे जाते थे जिनके पास दस जोड़ी बैलों की जोत (निजी सीर) होती थी तथा ''राना'' उन्हें कहा जाता था जो आठ हलों की खुदकाश्त करते थे। राना थारू उन भूस्वामियों के वंशज हैं जो ''राना'' उपाधि से सम्मानित और सम्बोधित होते थे।

च. ग्यारहवीं शताब्दी ईसवी में उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र के प्रतापी शासक श्रावस्ती नरेश राजा सुहेलदेव ऐतिहासिक व्यक्ति हैं। थारू लोग उनके प्रजाजन थे। सुहेलदेव ने अवध क्षेत्र के प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी, महमूद गजनवी के भांजे, सैय्यद सालार मसऊद का वध बहराइच के निकट चित्तौरा झील के तट पर जहाँ कुटिला (टेढ़ी) नदी का उद्‌गम है, युद्ध क्षेत्र में किया था। मुगल सम्राट जहाँगीर के शासनकाल में अब्दुर्रहमान चिश्ती ने ''मीराते मसऊदी'' नामक फारसी की पुस्तक में सालार मसऊद के युद्ध और करामातों का वर्णन किया है। उनका कथन है कि उन्होंने महमूद गजनवी के रोजनामचा–लेखक ''मुल्ला'' द्वारा लिखी गयी किताब के आधार पर ''मीराते मसऊदी'' की रचना की है। मीराते मसऊदी के अनुसार सुहेलदेव और मसऊदग़ाजी के बीच हुए युद्ध में सुहेलदेव के समर्थक अठारह ''राव'' सामन्तों ने मसऊद की सेना को चुनौती दी थी। इनमें से कई ''राव'' थारू थे। ''रजडेरवा'' (गोण्डा जनपद के पचपेड़वा विकास खंण्ड में स्थित) में थारू सामन्त राव रजोधानी का महल और किला था जिसके अवशेष टीले के रूप में आज भी विद्यमान है। राव मगरू राव सगरू थारू भूस्वामी थे। कहने का तात्पर्य यह है कि ''राना'' भूस्वामियों के एक वर्ग विशेष को कहा जाता था। राना शब्द जातिबोधक न होकर कृषक के वर्ग अथवा स्तर का बोधक था। थारूओं को ''राना उपजाति के आधार पर ''राना'' थारूओं को राणा प्रताप और राजपूतने के ''थार'' रेगिस्तान से जोड़ना इतिहास विरूद्ध और भ्रान्तिपूर्ण है। डी. एन. मजूमदार ने थारूओं के रक्त का परीक्षण कराके यह सिद्ध कर दिया है कि चित्तौड़ के राजपूतों से थारूओं का कोई सम्बन्ध नहीं है।

एक कहानी यह है कि थारू और बुक्सा दोनों एक ही मूल वंश के तथा धारा नगर के राजा जगदेव के वंशज हैं। थारू और बुक्सा दोनों हिमालय के दक्षिणी तलहटी, तराई भाबर क्षेत्र में रहने वाली सहवर्ती जनजातियां हैं। इनमें परस्पर बहुत–सी समानताओं के होते हुए भी बहुत–सी भिन्नताएं भी हैं। यद्यपि ये दोनों ही जातियां मुख्यतया कृषिजीवी हैं तथापि आर्थिक दृष्टि से बुक्सा की स्थिति थारूओं की अपेक्षा काफी कमजोर है।

बुक्सा थारूओं की तुलना में अधिक आलसी और सुस्त होते हैं। शराब दोनों जनजातियों की दुर्बलता है किन्तु थारूओं का पूरा परिवार दारू का सेवन करता है इसलिए वे घर पर जाँड़ या कच्ची शराब तैयार कर लेते हैं जबकि बुक्सा शराब स्वयं नहीं बनाते हैं वे भट्ठी पर जाकर शराब खरीदते हैं। एक विशेष भिन्नता यह है कि थारूओं में स्त्री–पुरूष दोनों समान रूप से शत–प्रतिशत शराब के व्यसनी होते हैं किन्तु बुक्सा पूरूष स्वयं तो छककर नित्य मदिरा पीते हैं, किन्तु बुक्सा महिलाओं को मदिरा पीने की छूट प्रायः नहीं है। वे खेल, उत्सवों, पर्वो, देवता की पूजा आदि विशिष्ट अवसरों पर ही मद्यपान कर सकती हैं। थारू और बुक्सा दोनों में एक उल्लेखनीय अन्तर यह है कि थारू महिलाएं पुरूषों की भांति ही आने–जाने, घूमने–फिरने में स्वतंत्र होती हैं। थारू महिलाएं और युवतियां वनचरी (छोटी कुल्हाड़ी) लेकर काठी करने (ईंधन जुटाने) वन में जाती हैं। रात में भी मचान पर बैठकर जंगली जानवरों से फसल की रखवाली करती हैं किन्तु बुक्सा अपनी महिलाओं, लड़कियों को जंगल के भीतर नहीं भेजते न ही वे रात में मचान पर बैठकर फसल की रखवाली कर सकती हैं।

थारू और बुक्सा दोनों समान रूप से एक क्षेत्र में रहते हैं तथापि दोनों की बोल–चाल एक दूसरे से भिन्न है। बुक्सा और थारू जातियों में वैसे कई समानताएं हैं जैसे –

1. दोनों ही हिमालय के पगतल में तराई भाबर क्षेत्र की निवासी जनजातियां हैं।

2. दोनों की आजीविका प्रधानतया कृषि पर आधारित है तथा आखेट और मेहनत मजदूरी उनके सहायक साधन हैं।

3. दोनों जातियां मांसाहारी हैं तथा दोनों को सुअर, हरिण, मुर्ग और मछली विशेष प्रिय हैं।

4. दोनों ही जातियां नसेड़ी, अशिक्षित, निर्धन, अन्ध–विश्वासग्रस्त किन्तु सहिष्णु, शान्तिप्रिय और ईमानदार हैं।

5. दोनों ही जातियां अपने को राजपूतों का वंशज मानते हैं तथा दोनों ही किसी युद्ध के समय अपना मूल निवास छोड़कर तराई में पूर्वजों के द्वारा शरण लेने की बातें कहती हैं। किन्तु थारू और बुक्सा दोनों यह बता पाने में असमर्थता और अज्ञानता व्यक्त करते हैं कि किस आक्रमणकारी द्वारा उनका कौन–सा पूर्वज पराजित हुआ था।

6. थारू और बुक्सा दोनों में संयुक्त परिवार की प्रथा है तथा दोनों में बिरादरी की "पंचायत" का निर्णय अन्तिम और अनिवार्य होता है।

   दोनों में महिलाओं का स्तर पुरूषों की अपेक्षा ऊँचा होता है। महिलाएं गोरी, सुन्दर–चुस्त तथा आभूषण प्रिय, परिश्रमी तथा जागरूक गृहणी होती हैं किन्तु पुरुष ठिगने, सांवले तथा सुस्त प्रकृति के होते हैं।

7. थारू और बुक्सा दोनों के अपने–अपने मिथक हैं। थारू राजा बेन, रिक्षेश्वर तथा रत्न परीक्षक को अपने वंश के मूल तथा महाप्रतापी पुरुषों के रूप में स्मरण करते हैं जिनका इतिहास–पुष्ट

चरित अनुपलब्ध हैं। बुक्सा लोगों में फैली अनुभूति, जिसका उल्लेख इलियट ने उनकी उत्पत्ति के सम्बन्ध में किया है, के अनुसार धारा नगरी के राजा जगदेव से किसी झगड़े के कारण उसके छोटे भाई उदयजीत को राज्य से निष्कासित होना पड़ा। उदयजीत ने तराई में शारदा नदी के किनारे वनवास ग्रहण किया। संयोगवश थोड़े ही दिनों में कुमाऊँ के पंवार क्षत्रियों के राजा ने किसी पड़ोसी शत्रु के साथ युद्ध में उदयजीत की सहायता मांगीं। पंवार राजा को विजय मिली। उसने अनुग्रह स्वरूप उदयजीत और उसके साथियों को अपने राज्य में बसा लिया। इस प्रकार वे "वनवास" छोड़कर वे कुमाऊँ नैनीताल के स्थायी निवासी बन गये। बुक्सा कुमाऊँ के उक्त पंवार राजा का नाम बता पाने में असमर्थ हैं। उदयजीत और धारा नरेश जगदेव के अस्तित्व उनके बीच के संघर्ष तथा उदयजीत के धारा से निष्कासित होने के सम्बन्ध में किसी प्रकार का ऐतिहासिक साक्ष्य उपलब्ध नहीं है।

विचारणीय है कि इस अनुश्रुति से इसका कोई संकेत नहीं मिलता कि उदयजीत के वंशजों को "बुक्सा" क्यों कहा जाने लगा। कुछ का कहना है कि धारा नगर के राजा जगदेव की दो सन्तानें चित्तौर और नन्धौर थीं। कालान्तर में इन्हीं की सन्तानें क्रमशः थारू व बुक्सा कहलाईं। कुछ लोगों की मान्यता है कि ये सारी कल्पनाएं असम्बद्ध अनैतिहासिक अटकलों पर आधारित तथा मनगढ़न्त हैं।

डॉ. मजूमदार ने स्पष्ट किया है असंदिग्ध रूप से थारू पीलापन लिए गन्दुभी शरीर एवं चेहरे पर रोम विरल और खड़े पाये जाते हैं।[30] नाक पतली और मध्यम आकार की होती है उनकी शेष आकृति नेपालियों/मंगोलियन से अधिक साम्य रखती है, अपेक्षाकृत आस्ट्रलायड़ एवं पूर्व द्रविणियन जातियों के निष्कर्ष यह निकलता है कि थारू मंगोल नस्ल के हैं किन्तु उन्होंने गैर मंगोलों का आकार भी आत्मसात कर लिया है। मजूमदार जी ने 1941 की जनगणना के लिए थारू वर्ग के रक्त परीक्षण के आधार पर यह स्पष्ट किया कि थारू में बी एवं ए बी रक्त वर्ग के लोगों की अधिकता मंगोलियन होने की पुष्टि करती है। जिसे श्रीवास्तव[31] के पूर्व ने रिस्ले[32] ने भी स्वीकारा है।

तालिका 4.1 : थारूओं जनजाति का रक्त वर्ग

वर्ग	संख्या	ओ	ए	बी	ए बी	ए + ए बी
थारू पुरूष	241	28.1	17.0	37.5	18.4	55.9
थारू महिला	82	26.6	13.4	42.7	18.3	61.0

स्रोत – डी. एन. मजूमदार (1942) 'द थारूस एण्ड दियर ब्लड ग्रुप्स' 1942, पृ. 33

अतः थारू संस्कृति में मिलने वाले राजपूतों की परम्पराओं के अवशेष तथा मंगोलियन प्रजातीय आकृति जनसंख्या की गतिशीलता एवं भौगोलिक निवास का स्वरूप इस बात की पुष्टि करता है कि थारू मंगोलियन प्रजाति के हैं तथा ये या तो (मानचित्र) हिमालय के भागों में पूर्व से निवासित रहे हैं या फिर तिब्बत एवं मंगोल क्षेत्र से भारत में आर्यो तथा तराई में पहुंचकर इसके राजाओं का शिकार

भूमि रही तराई के राजाओं का साथ निभाते हुए उनके गुणों को अपने में आत्मसात किए है। जिसका प्रभाव उनके सांस्कृतिक पहलुओं पर स्पष्ट दिखता है।

थारू जाति के नामकरण का कारण थारूओं की अतिशय मदिरापान की प्रवृत्ति से जुड़ा हुआ है। दारू थारूओं की जिन्दगी का अटूट अंग है। बच्चा पैदा होने पर प्रसूता को दो दिनों तक पानी न देकर केवल दारू दिया जाता है। जच्चा–बच्चा के शरीर पर दारू की मालिश की जाती है। थारू जीवन भर कभी दारू से अलग नहीं रह पाता। स्त्री, पुरूष, बच्चे, बूढ़े सभी दारू पीते और नित्य पीते हैं। पर्व, त्योहार, संस्कार सम्बन्धी उत्सव, भोज–विवाह, देवी–देवताओं के पूजोत्सव, अन्त्येष्टि, मृतक भोज आदि विशिष्ट अवसरों पर तो सभी छककर दारू पीते हैं। दारू उनकी जीवन संगिनी है, उनकी अनिवार्यता है। दारू अतिथि सम्मान में दी जाने वाली अनिवार्य वस्तु है। वे अपने सभी देवी–देवताओं को पूजा में "दारू" चढ़ाकर तृप्त करते हैं। दारू के बल पर वे तराई की उस विषम जलवायु को जहां "कौए को भी जूड़ी आती है" झेल लेते हैं और दारू के सहारे वे अपनी अभावों भरी जिन्दगी को चिन्ताओं से बेसुध होकर संगीत–विनोद की मस्ती में काट देते हैं। दारू उनकी प्रसन्नता का पर्याय है। प्रसिद्ध है कि – पानी पाए मेंघा। दारू पाये थारू।।

असाढ़ का दवँगरा छलकते ही मेढक जैसे आनन्द मग्न होकर चिल्ला–चिल्लाकर अपना उल्लास व्यक्त करते हैं उसी प्रकार दारू पाकर के थारू आनन्द मग्न होकर उल्लास से थिरक उठता है। थारू कहते ही उस व्यक्ति को है जिसकी जिन्दगी दारू पर निर्भर हो। दारू थारू की पहचान है–

थर्रा पियै जांड़ पिये और पियै दारू।
खाले ऊँचे गिरि परै तब कहावे थारू।।[33]

थारू दो प्रकार की मदिरा पीते हैं – जांड़ और दारू। जांड़ चावलों से और दारू महुए के सूखे फूल से बनाई जाती है। जाड़ का नशा हल्का किन्तु देर तक टिकने वाला होता है। दारू बेसुध करने वाली और उन्मत्त कर देने वाली होती है। दारू भी दो स्तर की होती है। कच्ची और ठर्रा। हल्के स्तर की दारू "कच्ची" और तेज दारू "ठर्रा" कही जाती है। "ठर्रा" शब्द थारूई बोली की प्रकृति के अनुसार "थरा" या "थार"कही जाती है। "थर्रा" पीने की ललक और आजीवन प्रवृत्ति के कारण ही उन्हें "थारू" कहा गया जिसका अर्थ है – "दारूबाज"। तराई में रहने वाली दूसरी जाति बुक्सा है। दारूबाज ये भी होते हैं किन्तु इतने नहीं। वे महिलाओं को दारू नहीं पीने देते ठीक उसी प्रकार जैसे धूमपान करने वाले शरीफ नागरिक स्वयं चेन स्मोकर होते हुए भी अपने बच्चों को सिगरेट पीते हुए देखकर बिगड़ते और उन्हें सजा देते हैं। थारू क़बीले के बच्चे, बूढ़े, स्त्री, पुरूष सभी दारू पीते हैं, नित्य पीते हैं, जीवन भर पीते हैं। यहां तक कि उनके मेहमान, उनके देवी–देवता भी दारू से ही तृप्ति पाते हैं। दारू जन्म से प्रारम्भ होकर मृत्य तक चलती है। अपनी विलक्षण प्रवृत्ति के नाते थार (ठार्रा) पीने वाला विशिष्ट समुदाय कालान्तर में थारू कहा जाने लगा।

4.3 थारू उपवर्ग

थारू समाज में श्रेणी विभाजन नहीं है जो कार्यों के आधार पर ऊँच–नीच का निर्धारण करे क्योंकि हर थारू सारा कार्य स्वयं करते हैं। मुण्डन में बाल काटने से लेकर कृषि औजार बनाने तक सारा कार्य प्रकृति पूजा से कई जनजाति में घर गुरवा (पारिवारिक पुरोहित) के रूप में कार्य सम्पादित करने वाला "थरूबभना" या थारू बभना ब्राह्मण न होकर केवल थारू होता है। उसके परिवार के लड़के लड़कियों के वैवाहिक सम्बन्ध अन्य थारूओं में प्रचलित रिवाज के अनुसार किसी भी थारू परिवार के साथ होते हैं। "थरूबभना" का सम्बोधन व्यक्तिगत है। पारिवारिक अथवा जातीय नहीं।

क्रुक ने थारू उपजातियों की संख्या 73 बताई हैं। थारूओं ने कार्यात्मक उपजातीय भेद में नहीं है अलबत्ता नेपाल के थारूओं में दो व्यवसायपरक उप जातियों की पहचान बन गयी है। वे हैं – थरू कुम्हरा और दहीत। "थरू कुम्हरा" वे हैं जो मिट्टी के बर्तन बनाने (कुम्हारी) का काम करते हैं तथा दहीत वे हैं जो पशु पालन, दूध–दही के पैतृक व्यवसाय में अरसे से जुड़े हैं। क्षेत्रीय आधार पर स्थानपरक समुदायों ने उपजातीय स्वरूप ग्रहण कर लिया है। इन उपभेदों ने स्थान के भेद के आधार पर पृथक् नाम ग्रहण कर लिया है। जैसे –

दङवरिया थारू दाङ देवखुरी (नेपाल) के निवासी होने के कारण वहाँ के थारू दङवरिया, दनवरिया या डंगुरिया कहलाए।

कठेरिया थारू – बरेली (उत्तर प्रदेश) के कठेर क्षेत्र के मूल निवासी थारूओं का समुदाय अन्य क्षेत्रों में जाकर पूर्व स्थानवाची नाम से ही सम्बोधित होता रहा है। उन्हें कठेरिया–कठरिया या कथरिया थारू कहा जाता है। कठरिया थारू दो समान वर्गों में बटे हैं, पश्चिमी तराई में रहने वाले थारूओं को पच्छिमहा एवं पूर्वी तराई क्षेत्र में रहने वाले को पूर्विया थारू कहते हैं।[34] मोरंगिया थारू – नेपाल के मोरंग के निवासी मोरंगिया थारू कहलाए। राजहटिया थारू – नेपाल के राजहट क्षेत्र के थारू रजहटिया थारू कहलाए। चितवनिया थारू – नेपाल के चितवन क्षेत्र में थारूओं को चितवनिया थारू कहा जाने लगा। कूचबिहारी थारू – बिहार के कूचबिहार चम्पारन आदि क्षेत्रों के निवासी कूचबिहारी तथा कोचिला कहलाने लगे। – लालपुरिया थारू – नेपाल में स्थित लालपुर क्षेत्र के नाम पर वहाँ के निवासी थारू "लालपुरिया" कहे गये। कोर्शकोर्फ (1989)[35] के अनुसार दंगुरिया थारू की उत्पत्ति कपिलवस्तु के पूर्व स्थित दाँगदेवखुरी है वहीं कठेरिया थारू कठेर क्षेत्र के हैं। कठरिया थारू के दो मुख्य उपवर्ग प्रथम पछिनहा जो पश्चिमी तराई में रहते हैं द्वितीय पूरबिया जो पूर्वी तराई में रहते हैं।

दुर्गम क्षेत्र में निवास करने वाली थारू जाति एक पतली तराई पट्टी में दूर तक फैली हुई है। इनके गाँवों के समूह भी दूर–दूर क्षेत्रों में स्थित हैं। दुर्गम क्षेत्र में यातायात के अभाव से इनमें परस्पर सम्पर्क नहीं हो पाता। कालान्तरमें रहन–सहन वेशभूषा सम्बन्धी क्षेत्रगत विशेषताएं भी पनपने लगी हैं। यद्यपि यह भिन्नता थारू समाज की मौलिक प्रकृति से नितान्त पृथक् और विलक्षण नहीं है तथापि एक

सीमित क्षेत्र में व्यवहार करने से समुदाय विशेष की पृथक् पहचान बन गई है। उदाहरण के लिए दंगवरिया थारूओं में से एक स्थान के थारूओं ने अपने घर का प्रवेश द्वार दक्षिण के बजाय उत्तर रखना उपयुक्त समझा। वहाँ के निवासियों में इसी ढंग का चलन हो गया तो अन्य थारू उन्हें उलटहवा कहने लगे और इस प्रकार एक उपजाति का आविर्भाव हो गया। दंगवरिया थारूओं में मुख्य रूप से पशुपालन का धंधा करने वाले थारूओं को "दहीत" कहा गया। ये लोग जंगल में पशु चराने ले जाते थे वहाँ कई घरों के पशु एक साथ चरते थे। कभी–कभी ये लोग दूर–दूर तक चले जाते थे। जिससे उन्हें अपने पशुओं की दूसरे परिवार वालों के पशुओं से अलग पहचान की आवश्यकता पड़ी। इस आवश्यकता से पशुओं को दाग़ कर विभिन्न आकृतियों के स्थायी चिन्ह बनाने का रिवाज विकसित हुआ। कुछ लोग जानवरों के अगले पुट्ठे पर दाग बनाने लगे तो कुछ गाँवों में पशुओं के पिछले पुट्ठों पर, रानों के ऊपरी भाग में गोल दाग (वृत्त) बनाने की प्रथा चल पड़ी जिन्हें *गंड़दग्गा थारू* कहा जाने लगा। कुछ पशुपालक थारूओं में वृत्त न बनाकर जलते लोहे से रान पर लकीरें बनाने की प्रथा चली जिससे वे "खतखेरी" कहे गये। उपजातियों के वर्गीकरण अलग–अलग क्षेत्रों में भिन्न–भिन्न नाम से प्रचलित हैं। नैनीताल में उपजातियों की संख्या बारह है जो दो वर्गों में विभक्त है। पहले वर्ग में बत्ता, बिरतिया, दहीत, बड़वाइन या बरवाइक और मोटक (मोतक) हैं। इनमें भी अन्तिम तीन पहले तीन की अपेक्षा निम्न समझे जाते हैं। दूसरे वर्ग, जो पहले वर्ग की तुलना में निम्न सामाजिक स्तर का है, में दङवरिया, सुनका, सन्सा, राजिया और जोगी आते हैं। ये पृथक्–पृथक् मिथकीय चरित्रों से अपनी उपजाति का विकास–सम्बन्ध मानते हैं। सामाजिक स्तर में बत्ता और बिरतिया सबसे ऊँचे जोगी (जोगिया) थारू सबसे निम्न माने जाते हैं।

खीरी, गोण्डा, बहराइच में थारूओं की उपजातियों में राना, दंगवरिया, कठरिया, प्रधान, उमरा, पुरबिया, खखिया, दतवार कोचिला, दहीत, जोगी आदि हैं। उपजातियों के ये नामकरण प्रायः स्थानवाची अथवा व्यवहार के संसूचक हैं।

क्षेत्र और विकास के अतिरिक्त वेश–भूषा की विशेषता के आधार पर भी कुछ समुदायों के नामकरण हुए। जैसे जिस क्षेत्र में लोग धोती की लांग का एक खूंट खुला रखते थे उन्हें "लमपुछवा" कहा जाने लगा। जो समुदाय विरक्त भाव से जीवन यापन करता रहा उसे जोगी थारू के नाम से पुकारा गया। जोगी थारू मांसाहारी नहीं होते और वे अपने घरों में किवाड़ भी नहीं रखते।

ए सी टीनारे ने 1931 की जनगणना रिपोर्ट में – थारू को दो उपवर्गों में बांटते हुए बताया कि बरवटिया, वडवट, दहीत, रजिया, राउत, महतो को उच्च वर्ग के तथा बुक्सा, कनका, रजीया, सासा, जुगिया, तपादमुरिया को निम्न वर्ग में रखते हैं। उच्च–वर्ग के लोग निम्न वर्ग में शादी नहीं करते थे।

थारू जाति में उपजातियों का विभाजन मुख्यतः क्षेत्रगत, वेशभूषा तथा रिवाजों की आंशिक, किन्तु एक समुदाय के भीतर व्याप्त हो जाने वाली प्रवृत्ति के आधार पर हुआ है। तथापि इनमें दो उपजातियां ऐसी हैं जिनके पृथक् नामकरण का आधार उस आरम्भिक काल से जुड़ा हुआ है जब इन

जातियों के पुरखा लोों को आपातकालीन स्थिति में दुर्गम वन–पर्वतों में शरण लेकर पारम्परिक जातीय अलगाव को समाप्त कर विशिष्ट समुदाय की संरचना के लिए बाध्य होना पड़ा था। उन पूर्व पुरूषों में विपदा के मारे शासक वर्गीय जन साथ ही उनकी सेवा–सुश्रूषा द्वारा अपनी जीविका चलाने वाले शासित एवं भृत्यवर्ग के लोग भी थे। जातीय विलीनीकरण की स्थिति में अभिजात्य को एकदम विस्मृत कर पाना सम्भव न हो सका। ''राना'' और ''राव'' का पुश्तैनी सम्बोधन विषम परिस्थितियों में भी उसी प्रकार चलता रहा जैसे जमींदारी उन्मूलन के चालीस साल बीतने पर भी लोग संस्कारवश राजघरानों के लोगों को आज भी ''राजा'' और ''महाराजा'' का सम्बोधन और समादर देते हैं।

राना थारू मुख्यतः नैनीताल के सितरगांव खटीमा लखीमपुर के जियानिघासन एवं नेपाल के शासक से है। राना और राव परिवारों के लोग लगातार दुर्गम स्थानों में शरण लेकर अपने सहचरों, सहायकों, सेवकों के बीच राना और राव के परम्परागत पारिवारिक सम्बोधन से सम्मान पाते रहे। आज भी यही वर्ग थारूओं में राना और रावत उपजाति के नाम से प्रसिद्ध हैं। अपनी कुलीनता और उच्च जीवन स्तर की विशेषताओं के कारण थारू जाति में उसे प्रधान होने का सम्मानित स्थान प्राप्त है। सामाजिक स्तर, सोच विकास एवं सांस्कृतिक क्रियाकलापों से राव एवं राना थारूओं की सर्वोच्चता तो सिद्ध होती है। वही कहेरिया दंगुरिया क्रमशः घटते हुए विरितिया जोगिया को सबसे निम्न स्तर पर पाये जाते हैं। इससे का थारू अपने को श्रेष्ठ बताता है तथा शादियां एवं समस्त क्रियाकलापों को अपने वर्ग में करता है। परन्तु समय के साथ यह प्रवृत्ति बदलती प्रतीत हो रही है।

4.4 आवास संरचना

प्राकृतिक वातावरण में रहने वाली यह जनजाति अपनी अधिकांश आवश्यकताएं प्राकृतिक संसाधनों से पूर्ण करती रही हैं।

थारू गांव एक दूसरे से 2–3 किमी. पर अवस्थित होते हैं। गांव में घर थोड़ा दूर–दूर बनाए जाते हैं जो शायद आग से बचाव के लिए करते हैं। मकान बनाने से पूर्व वे एक उपयोगितापूर्ण ऊँचा एवं जो किसी जलस्रोत से नजदीक, ऊँचा एवं खुले में जहां जल भराव न हो, नमी तथा जमीन उपजाऊ हो, जंगली जानवरों का आक्रमण न हो, एवं किसी भूतप्रेत प्रभाव में न हो। यदि किसी तरह की असुविधा होती तो वे पूरा–पूरा गांव छोड़कर अलग बस जाते थे। और जाते समय वे महत्वपूर्ण सामान ले जाते थे। बाकी सब वहीं भूतप्रेतों के रहने के लिए छोड़ जाते थे। एक गांव स्थापित करने के साथ उसके लिए पत्थर गाड़ देते तथा उस स्थान पर थान (देवताओं का स्थान) तथा कुआं बनाते थे।

जमीन की अधिकता में वे सामान्य मैदानी गांवों या घरों से ज्यादा अधिग्रहण कर लेते हैं।[36] थारू आवास की मुख्य पहचान लकड़ी है जैसा अन्य जनजातियों में देखा जाता है। प्रत्येक घर के निर्माण के पूर्व भरारा मकान के लिए स्थान चुनाव, वहां हवन, तथा शुभ मुहूर्त में मकान की नींव रखता है। मकान दो भागों में बंटा होता है। मुख्य मकान को महल जैसा सजाते हैं पहले मूंज या घास, कास

या क्षेत्रीय जंगल में उपलब्ध लम्बी घासों को पूर्व निर्मित ठाठ (ढांचे पर परत पर परत) चढ़ाते जाते हैं बांधने के लिए जंगली लताओं का प्रयोग करता ये मकान छत पर बैठकर छाते हैं। मकान की यह छत आग को छोड़कर अन्य सभी मामलों में काफी मजबूत होती है। मकान के अन्दर थमड़ा, थुनिया आते हैं जो खम्भों (Pillars) का काम करते हैं। दीवालों के लिए वट या नरकुल घास की टटिया बांधते हैं तथा उसको गोबर मिट्टी से लीपकर शक्त बना देते हैं। बीच-बीच में एक वर्ग फीट का छेद, हवा आने के लिए कर देते हैं। थारू मकानों के उपजातीय वर्गों के विविधता दृष्यगत है जहां राना थारू दो तल्ले मकान बनाते हैं वहीं दंगुरिया थारू एकतल्ला मकान का निर्माण करते हैं। दो तल्ले मकानों के ऊपरी भाग में नरकुल या घास को लीपकर बनी मजबूत बुखारी में अनाज भरते हैं तथा उसके नीचे सोते हैं। थारू का मकान काफी लम्बा चौड़ा 50-200 फीट लम्बा एवं 12-30 फीट चौड़े मकान बनाते हैं। एवं कुठिया/डेहरी से उसमें परिवार के अनुसार विभाजन करते हैं। इस प्रकार का स्वरूप दंगुरिया में देखने को मिलता है। वहीं लखीमपुर के राना एवं कठरिया थारू में मकान के निवास विभाजन नरकुल की बनी दीवालों से होता है क्योंकि वे डेहरी (कुठला) के बजाय ऊपरी भाग में बखारी बना लेते हैं। घर के उत्तर एवं उत्तर पूर्व में चौका एवं देवरही होता हैं। चौका बहुत पवित्र माना जाता है। देवराही देव स्थान होता है जिसको मिट्टी थोपकर या जानवरों की मिट्टी की मूर्तियां रखकर बनाते हैं। अधिकांश वलि या पवित्र काम यही होता है। तथा यह केवल परिवार के मुखिया या उसकी पत्नी ही करती है। घर के बाहर पूर्व में बरामदा रखते हैं। तथा उसके बाहर आंगन सामने पश्चिम की ओर खुला है। दूसरा मकान जानवरों का होता है जो मुख्यतः तीसरे ओर से लकड़ी के बाड़े से घिरा होता है।[37] चौथा भाग खुला होता है यहाँ से जानवर खाते हैं तथा थारू दिन में चारपाई डालकर बैठते हैं। इसी से सटा भूसा एवं आवश्यक लकड़ी रखने का स्थान भी होता है।

थारूओं के घर निराले होते हैं। गैर थारू लोगों की तरह दो पाख का चौमंडला मकान और बीच में आंगन रखने का रिवाज थारूओं में नहीं है। सभी थारूओं के घर उत्तर-दक्षिण को लम्बे होते हैं। दीवार नरकुल और बांस की खपच्चियों से बनी टटिया के रूप में होती है। चिकनी मिट्टी और गोबर से बाहर-भीतर से लीपकर उन्हें सुन्दर बना देते हैं। लकड़ी के छोटे बड़े खम्भों (थाम थूनी) पर बाँस और फूस के बने छप्पर टिके होते हैं। परिवार में सदस्यों की संख्या अधिक होने से थारूओं के मकान भी बहुत बड़े होते हैं। घर के सामने की खुली भूमि आंगन के काम आती है।

घर की दक्षिण-पूर्व दिशा में सबसे पहले कमरे का द्वार होता है।[38] मेहमान इसी में ठहराए जाते हैं। उत्तर का आखिरी कमरा रसोईघर (भनसाघर) होता है। एक कमरे में दक्षिण-पूर्वी कोने पर कुलदेवता की स्थापना की जाती है। परिवार का मुखिया इसी कमरे में सोता है। कभी-कभी मेहमान और कुल देवता का कमरा एक ही होता है। उलटहवा उपजाति के थारूओं के घर का प्रवेश द्वार उत्तर और भनसाघर (रसोईघर) दक्षिण दिशा में होता है। शेष कमरों में परिवार के लोग सुविधानुसार

रहते हैं। थारू पूरे साल कमरों के भीतर ही सोते हैं। इसका मुख्य कारण यह है कि उनके घर जंगल से सटे होते हैं जिससे रात में जंगली हिंसक पशुओं के आक्रमण की आशंका रहती है।

थारू लोग उत्तर–दक्खिन को सीधी लम्बाई में एक बड़ा–सा घर बनाने के अतिरिक्त कंडा, लकड़ी, भूसा आदि के लिए अलग से छोटी–सी छान डाल लेते हैं। किन्तु पशुओं को अपने रहने के घर में भीतर ही बांधते हैं। हिंसक पशुओं के आक्रमण की आशंका से रात में कभी उन्हें बाहर नहीं रखते। पालतू सूअर के लिए अलग से छोटा–सा खोभरा घर के समीप ही बनाते हैं। गाय–बैल, भैंस, बकरी, भेड़, सूअर, मुर्गी और कुत्ते थारूओं के पालतू जानवर हैं। वे सेम, करेला, लौकी, कुम्हड़ा, तरोई आदि बोकर उनकी लताओं को छान–छप्पर पर चढ़ा देते हैं। इससे उन्हें आवश्यकता के लिए पर्याप्त सब्जी मिल जाती है।

थारू स्वयं भले मैले–कुचैले रहते हों, किन्तु वे अपने घर को लीप–पोतकर, झाड़ू बुहारकर एक आश्रम की भांति स्वच्छ, सुन्दर और मनोरम बना देते हैं। दीवारों को सुन्दर चित्रकारी तथा दर्पण के टुकड़ों से सजाते हैं। उनके घर की स्वच्छता और उनकी कलाकृतियां सराहनीय हैं।

वर्तमान में आवास निर्माण स्वरूप के परिवर्तन में आबादी एवं 50 से ज्यादा मकान खपरैल, टीन या पक्के मकान के रूप में बदल गये हैं। लेकिन मकान में सामने जानवर रखने के मकान तथा चारों ओर लगी लकड़ी इनकी पहचान दूर से ही स्पष्ट करती है।

4.5 घर में उपयोग आने वाली वस्तुएं

परिवार के काम में आने वाली वस्तुएं थारू अपने साथ बहुत ज्यादा सामान नहीं रखते। मूलतः अनाज रखने के लिए डेहरी कुठिया, बखारी मछली मारने के जाल व अन्य समान कृषि के उपभोग में आने वाले औजार, बर्तन एवं कुछ संगीत यंत्र होते थे।

बखारी – नरकुल या घास के टटिया से बनी गोल बड़ी अनाज रखने का बड़ा समान जिसे चारों ओर से लीप देते हैं। राना इसे मकान के ऊपर तो दगुरिया जमीन पर बनाते हैं। **डेहरी** – मिट्टी का बना बखारी से छोटा अनाज रखने का पात्र जो दगुरिया के मकान विभाजन में दीवाल का भी काम करती है। यह चौकोर होता है। **कुठिया** – डेहरी से छोटा मिट्टी का अनाज पात्र चपटा होता है। **कुठला** – कुटिया से छोटी कुटिया को कुठला कहते हैं। **वरोसी** – तापने के लिए आग जलाने के लिए मिट्टी का बर्तन। **चूल्हा** – आग जलाकर खाना बनाने के लिए मिट्टी का पात्र। **टोकरा** – बेंत का बना गोल आकार का जिसमें खुले अनाज रखने के लिए बना था। **छपरिया** – ज्यादा खुली टोकरी, **सुपा** – अनाज साफ करने का बेंत का सामान, **चौपसिया** – एक तरह की मिट्टी की बनी जिजार जो कपड़ा आदि रखने के लिए होती थी। **शिकहर** – ऊपर से टांगने वाली रस्सी की बनी जाल नुमा सामग्री जिसपर वे बर्तन बड़े से छोटे क्रम में रखते हैं। **अरगनी** – घर की चट्टान में दोनों ओर से बंधी रस्सी का बांस जिस पर कपड़ा टांगते हैं।

वही मछली मारने के औजारों में झपिया, पंखिया, आरी, पकरिया, जाल, कटिया, धिमरी, गदरी, भाक, सूपा, खाग उपहर, लौकार चेनदरी, गुन एवं गोला। आदि को कृषि कार्य में हल, किलवी, पटाला जुआ, सूपा, मचिया, आदि, मापन हेतु छपरिया, टकहरी, पसेरी एवं धरी आदि का प्रयोग सामने से करते हैं। थारू अच्छे बढ़ई एवं लोहार भी होते हैं जिसके लिए अधिकांश घरों में सड़सी, हथौड़ा, वसुला, सरवानी, वर्मा, सुमी, वोरी, लाह बटनी, आरी, आरा, फार, कुदारी, फरूआ, हसियां, टेंगारी आदि रखते थे।[39]

घर में बर्तन एवं अन्य उपयोग सामग्री कहीं छिपी या फूस की बनी घर में बटुला चमचा करछुली, तवा, बटुई, कड़ाही, गगरा, थाली, लोटा, गिलास, आदि का प्रयोग करते हैं। कड़ाही झनजीवा चरवा पुनिया आदि बड़े कार्यक्रमों में प्रयोग आने वाले बर्तन हैं।

संगीत के यंत्रों में झांझ, मजीरा, ढोल, मृदंग तबला एवं हारमोनियम भी घरों में देखने को मिल जाती है।

4.6 वेशभूषा –

मंगोलियन विशेषता वाली इस जनजाति के पुरूषों का रंग सांवला किन्तु स्त्रियों का रंग साफ गेहुंआ, गोराई के साथ हल्का पीलापन लिए होती है। आकर्षक नाक नक्श एवं खिली–2 रहने वाली थारू स्त्रियां अपने समय में पुरूषों से उच्च एवं प्रखर बुद्धि एवं चुस्त स्वस्थ शरीर वाली होती हैं।

पर सांस्कृतिक का सर्वाधिक प्रभाव इनके पहनावे पर दिखता है जो पूर्णतया मूल रूप से अलग हैं। मूलतः थारू सिर पर चोटी रखता था। अधनंगों कोपीन या लंगोटियां कमर में रस्सियां बांधते हैं तथा इन कमरबंद पट्टियों से कमर के दोनों तरफ मारकीन कपड़े की पट्टी लटका देते हैं। दूसरी पीढ़ी तक बंडी सलूका कमीज टोपी धारण करने लगा था। वहीं वर्तमान में कोट पैंट, टी शर्ट तथा जीन्स नई नस्ल की तो बुजुर्ग भी धोती कुर्ता मूलतः पहनने लगे। स्त्रियों में अपने अंगिया चोली ओढ़नी तथा गोटेदार लहंगा ही कहीं–2 द्रष्टव्य है। अन्यथा युवाजन सलवार कमीज तथा कुछ पढ़ी–लिखी लड़कियां नये फैशन के जीन्स एवं टीशर्ट में पहुंच गई हैं।

वही थारू महिलाओं का मुख्य पहनावा लहंगा, चोली और ओढ़नी, घघरिया, अंगिया, अर्चना है महिलाएं चटखदार विरोधी रंग की (मुख्यतः काले एवं लाल रंग के) घघरिया, चोली के कपड़ों से लहंगा चोली स्वयं सिलकर तैयार करती हैं। उस पर की गई नक्काशी इसकी सुन्दरता पर चार चांद लगाती हैं। चोली को पीठ पर ये तागे से बांधती हैं। चोटी पर तो ये सीसे एवं चमकदार चीजें लगाती हैं। अधरन या ओढ़नी जो सामान्यतः चार मीटर की होती है थारू अपने में नारित्य का सम्पूर्ण तत्व समाया है। जिसके ओढ़ने का ढंग उनके वैवाहिक एवं मातृत्व का भी सूचक है। मासिक धर्म के पश्चात् के प्रथम दशहरे पर बड़ी भाभी या बड़ी बहन द्वारा अकस्मात लड़की के सिर पर ओढ़नी उड़ा दी जाती है। एक बार ओढ़नी पड़ जाने पर वह ओढ़नी हटा नहीं सकती। अविवाहित स्त्रियां सामान्यतः सिर पर

ओढ़नी नहीं डालतीं हैं, वहीं और सभी स्त्रियां कमर में बांधती हैं। जिनके पेट में बच्चा नहीं आया है वे ओढ़नी को कंधे पर डालकर पीछे से गांठ लगा देती हैं। पहला बच्चे वाली अचरही स्त्री गांठ नहीं लगाती है। थारू पुरूष महिला पैरों में पउला पहनते हैं लोकि लकड़ी की खड़ाऊं जैसा होती है। जिसमें रस्सी की जोती लगी होती है। थारू परिधान जहां सामान्य दशाओं में है होली एवं विवाह के परिधान में थारू महिलाओं की आभूषण प्रियता भी छिपी नहीं है पैर के अंगुली में बिछिया से माथे के टीका तक सोने चांदी के गहने पहनती हैं। विवाह में घूंघट माथे पर बिंदी, नाक में नथुनी/नथिया, फोफिया, कील, कान में तर्की, तरदुरिया, झुमका, बाली झीबी, ढुलहुल, गले में हसुली, हरवा, सीकर, हाथ में चुल्ला उंगली में मुंदरी, पैबंद, छदी पछेला, झुमके भुजा के जोशन पैर में बिछया अंगूठी वे पैनरा भी पहनती हैं।

थारू होली में वैवाहिक परिधान को ही पहनते हैं। वे पगड़ी, झगिया, सुतनिया, अलगा, फेंट पहनते हैं तथा नृत्य करते हैं। स्त्रियों का हमेशा एक जैसा ही परिधान होता है। थारू स्त्रियां सिंदूर भी लगाती हैं आंखों में काजल पैरों महावर लगाने की शौकीन होती है। मर्दों में हाथ में दुरिया, कान में खरूआ और नथ मुंदरिया पहनने का प्रचलन है।

गोदना — थारू पुरूष स्त्री एवं बच्चे गोदना के शौकीन होते हैं। जहां पुरूष भगवान के नाम या मित्र के नाम गुदवाते हैं वहीं स्त्रियां अपने हाथ में चित्र, पति या प्रेमी, का नाम गुदवाने की शौकीन होती हैं।

4.7 खान–पान और रहन–सहन

थारूओं का भोजन बहुत साधारण होता है। वे नियमित रूप से चार बार खाना खाने के आदी होते हैं। वे सुबेरे काम पर जाने के पूर्व कलेवा, दोपहर में मिझनी, तीसरे पहर सिंझनी तथा रात्रि में बेरी खाते हैं। दोपहर का भोजन अधिकतर काम के दिनों में खेतों अथवा जंगलों में काम करने के स्थान पर ही खाते हैं।

खेतों की जुताई–बुवाई के समय खेतों में, मछली मारते समय नदी या तालाब के किनारे तथा जंगल में लकड़ी काटते समय या नालों में पत्थर की ढुलाई–तुड़ाई करते समय वे उन्हीं स्थानों पर खाना खाते हैं। गाँव में काम करने की स्थिति में थारू महिलाएं खाना लेकर खेतों या जलाशय के किनारे जाती हैं। दूर काम पर जाने की स्थिति में वे दोपहर का खाना चावल, तरकारी (तीना) या रोटी, नमक, सब्जी बांधकर अपने साथ सुबह लेते जाते हैं।

रात का बचा खाना घर के बच्चे सुबह "बासी" के रूप में खाते हैं। प्रातः काल का नाश्ता "कलेवा" कहा जाता है। काम पर निकलने के पूर्व सभी थारू स्त्री पुरूष "कलवा" खाते हैं। कलवा में वे चावल का ताजा तैयार किया मांड़ (पसावन) मिर्चा, नमक और सिरका या अचार के साथ लेते हैं या मक्का अथवा चावल का भूजा खाते हैं। दोपहर का भोजन "मिझनी" कहा जाता है। इसमें माड़ या दही और रोटी या चावल रहता है। शिकार (मांस) अथवा सिधरा (सूखी मछलियां) का रसेदार झोल भी

कभी कदार बन जाता है। सिंझनी चार–पांच बजे के बीच किया जाने वाला अल्पाहार है। इसमें मांड, सब्जी, रोटी या दही–रोटी, दही–चावल जो भी दोपहर के खाने का बचा रहता है खाया जाता है। रात के भोजन को ''बेरी'' कहते हैं। यह रात में दस बजे तक खाया जाता है। रात्रि का भोजन तनिक विस्तार के साथ रहता है। भात तो नित्य का भोजन है साथ में कभी कदार रोटी भी बन जाती है। बेरी में ''तीना'' अर्थात् रसेदार सालन जरूरी है। प्रायः दाल तथा सालन दोनों बन जाते हैं। एक ही बनना हुआ तो सालन को प्राथमिकता दी जाती है। मांस भी शाम को बनता है। मांस को ''शिकार'' कहते हैं भले ही वह जंगल से शिकार करके लाए गए जानवर का मांस न हो। घर पर पले सुअर, बकरे, भेड़ के मांस को भी वे शिकार ही कहते हैं। सुअर और मुर्गा विशिष्ट अवसरों पर अनिवार्यतः खाया जाता है। सुखायी गयी सेहरी और झींगा थारूओं के प्रिय भोज्य हैं।

खाने के लिए शाक–सब्जी थारू स्वयं उगाते हैं। आलू, प्याज, लौकी, कुम्हड़ा, पेठा, भिंडी, टमाटर, बैंगन, मरसा, मूली तथा मसालों में हल्दी, लहसुन, धनिया, मेथी आदि वे घर के निकट ऊँची जमीन पर बो देते हैं जिसे वे बारी कहते हैं। मांस और मदिरा थारूओं का सबसे प्रिय आहार है जिसमें उनकी विशेषता गैर थारूओं से भिन्न परिलक्षित होती है। पूरी सरसों या महुए के फल (कोलइंदी) के तेल में तलकर बनाते हैं।

साग में चना, सरसों, चौलाई, बथुआ तथा करेमू (पानी में उगने वाली एक लता) प्रयोग में लाते हैं। भोज (विवाह) के अवसर पर उड़द की पीठी का बड़ा (कचरी का बरिया) और उड़द की दाल भी बनती है। आटे में गुड़, राब डालकर गुलगुला या मीठी पूड़ी बनाते हैं। महुए के फूल के रस में आटा डालकर लपसी या महुए के रस में आटा गूंथकर ढोखा (मीठी पूड़ी) बनवाते हैं। चावल या मक्के का चबेना (भूजा) भी कभी–कभी चलता है। रामदाना, भटवास, चना भी चबेना में भूनकर खाते हैं। चना, मटर उबालकर घुघुरी बनायी जाती है। धान उबाल कर आधा सूख जाने पर खपरी (मिट्टी की कड़ाही) में भूनकर गर्म–गर्म ओखली में कूटकर चिउड़ा (चूड़ा) बनाया जाता है जो बहुत दिनों तक काम आता है।

हरिण (चीतल, सांभर) खरगोश (लमहा) जंगली सुअर, जंगली मुर्ग, तीतर, बतख, मछली तथा अनेक कई प्रजातियों के वन्य पक्षियों (जिन्हें वे खान चिरई) कहते हैं का शिकार करते हैं।

थारूओं के भोजन में विविधता का अभाव है। पूरे साल उनके खाने–पीने का एक ही ढर्रा चलता है। भात, मांड़, रोटी, दाल, सब्जी, मांस, मछली में से दो या तीन चीजें जो सुलभ हो पाती हैं खाकर वे गुजर करते हैं। दालों में अरहर, उड़द, मसूर, चना और मटर तथा रोटी बनाने के अनाजों में गेहूँ, जौ, और मडुआ प्रमुख हैं। दूध बच्चों के प्रयोग में आता है। कुछ दूध का दही जमाकर छाछ दोपहर के भोजन के काम आता है। पूड़ी (सोहारी) देवी देवताओं की पूजा अर्चना में चढ़ाने के काम आती है जिसे वे प्रसाद के रूप में खाते हैं।

थारू मांसाहारी जाति है। उनमें अपवादस्वरूप दस पाँच व्यक्ति ही "मनभक्ता" (निरामिष भोजी) होते हैं। वे मांस के बेहद शौकीन होते हैं। थारूओं में आमिष के लिए बहुप्रचलित शब्द सिकार (शिकार) है। भले ही वह जंगल से शिकार करके लाए गये पशु का मांस न होकर घर पर पाले गये सुअर, भेड़ या बकरे का गोश्त हो। थारू सुअर, बकरा, भेड़, हिरन की प्रजाति के जानवर जैसे चीतल, सांभर आदि, पक्षियों में मुर्गा, बतख तथा सीखपर आदि तथा मछली बड़े चाव से खाते हैं। वे मांस के लिए सुअर, भेड़, बकरी और मुर्गा पालते हैं। अच्छी नस्ल का सुअर बधिया करके लकड़ी के बने हुए खोभरे के भीतर पालते हैं। उसे झुण्ड में बाहर घूमने तथा ग़लीज खाने के लिए नहीं छोड़ते। ऐसा पालतू सुअर "जीता" कहलाता है। मक्का, चावल आदि अनाज खिला पिलाकर उसे खूब मोटा ताजा करके भोज, मुंडन, मृतक संस्कार, देव पूजा आदि विशेष अवसरों पर मारा जाता है।

अतिशय मांस प्रेमी होते हुए भी थारू सर्वभक्षी नहीं हैं। गाय, बन्दर और भालू का मांस खाना निषिद्ध है। कछुवा, मेढक, बिज्जू, साही, लोमड़ी, सियार, तथा सांप का मांस वे कभी नहीं खाते। बतख, हारिल, कबूतर, बटेर, तित्तिल (तीतर) आदि का मांस वे चाव से खाते हैं। पक्षियों में उन्हें मुर्गा विशेष प्रिय है। नेपाल के थारूओं में मुर्गा को बधिया कर देने की भी प्रथा है। मुर्गे के अंडकोष उसकी रीढ़ के अगल–बगल पेट के भीतर होते हैं जिसे चीरा लगाकर काटकर निकाल देते हैं और कटी नस को बांध देते हैं। बधिया मुर्गे की कलगी भी काट दी जाती है। बधिया हो जाने पर मुर्गे के गले में बाहर झूलती दोनों मांसपेशियां भी धीरे–धीरे सूख जाती हैं। थारूओं का कहना है कि बधिया कर देने से मुर्गा दिन भर चारा छोड़कर मुर्गियों के पीछे नहीं भागता फिरता तथा चारा चुगने मे पूरा–पूरा समय लगाने के कारण वह जल्दी ही मोटा–ताजा हो जाता है।

मछली थारूओं का प्रिय भोजन है। पुरूष, स्त्रियां, बूढ़े, बच्चे सभी मछली का शिकार करते हैं। मछली पकड़ने के लिए वे घर पर तैयार किए गये कई तरह के उपकरणों का प्रयोग करते हैं। महिलाएं हेलुका और पखई से मछलियां पकड़ती हैं। हेलुका सबसे छोटा गोल आकृति का सन की रस्सी से बना हुआ जाल है। पखई आकार में बड़ा तथा तिकोना होता है। इसका जाल सूत से बुना जाता है। पुरूष सेवखा तथा डिगिन से मछली पकड़ते हैं। सेवका का जाल सूत से बुना जाता है। इसके किनारों पर बहुत–सी लोहे की गोती (गोटी) लगी रहती है। डिगिन को कटिया भी कहते हैं। इसमें डोर के सिरे पर लगी लोहे की कटिया में केचुना (केंचुए का चारा) फंसा दिया जाता है। डोर में बंधी गुल्ली जिसे थारूई में तिलथा कहते हैं, मछली द्वारा केचुना निगलने का संकेत करती है। मछलियों में पढ़नी, साउरा (सौर), तेंगना (टेंगना), सेधुरी (सेहरी), बोमली (बोमला), रोहू, मांगुर, भाकुरा, पतरसोइया तथा पीची उन्हें विशेष प्रिय है। झींगा तथा सुखाई हुई अन्य छोटी जाति की मछलियों को थारूई बोली में "सिधरा" कहते हैं। पाहुन आने पर जांड़ के साथ सिधरा देना सत्कार हेतु आवश्यक माना जाता है।

गेंगता (केकड़ा) तथा तलहा (घोंघा) भी थारूओं को विशेष प्रिय है। घोंघे का एक विशिष्ट व्यंजन तैयार करने की विधि मुझे नेपाल के थारूओं में देखने को मिली। वे किसी गड्ढे या जलाशय

से घोंघे लाकर घर पर नांद के भीतर पानी में डाल देते हैं। शाम को नांद में चावल का कन डाल दिया जाता है। थारूओं ने बताया कि कन खा लेने पर रात भर तें तलहा के पेट व आंतों के भीतर विद्यमान विषैले तत्व और गंदगी बाहर निकल जाती है। अगले दिन खोल समेत घोंघों को किसी बड़े बर्तन में भरकर उबालते हैं और ऊपर ढक्कन से ढंक देते हैं। उबाल कर ठंडा कर लेने पर घोंघे का घुड़ी की आकार का बन्द सिरा हंसिया से काट दिया जाता है जिससे खोल में छोटा–सा छिद्र निकल आता है। कटे हुए घोंघों को बेसन के घोल में लपेटकर तेल में तलते हैं। ठंडा हो जाने पर खोल का बेसन खाते तथा छिद्र में मुंह लगाकर खोल के भीतर बन्द घोंघे का पिघला हुआ मांस–द्रव चूसकर उसका स्वाद लेते हैं। घोंघे (केकड़े) थारूओं का पौष्टिक भोज्य हैं। कुछ थारू चूहों का मांस खाते हैं। थारू सुअर के मांस का अचार भी डालते हैं। नेपाल के थारूओं में सुअरों के मांस को सुखाकर सुक्थी (सुक्ठी) बनाने का रिवाज अधिक है। सुक्थी बनाने के लिए वे मिट्टी की कड़ाही (खपरी) को चूल्हे पर चढ़ाकर उसे रेत से आधा भर देते हैं। कड़ाही के ऊपर बांस की कमची थोड़ी–थोड़ी दूरी पर बिछा देते हैं फिर इसके ऊपर बोटियां रख दी जाती हैं। चूल्हे की आंच से बोटियों का द्रव रिस–रिसकर रेत में टपकता जाता है। टपकना बन्द हो जाने और बोटियों के खुश्क हो जाने पर उन्हें उतारकर रख लेते हैं। इस विधि से मांस को सड़ने से कुछ दिनों तक बचाया जा सकता है। इससे वे सूअर के मांस को कई–कई दिनों तक रखकर आवश्यकतानुसार थोड़ा–थोड़ा उपयोग में लाते हैं।

जाँड़ थारूओं द्वारा चावलों से घर पर तैयार की गई एक सुगन्धित मदिरा है। थारू स्त्री–पुरूष बड़े–बूढ़े भी बड़े चाव से इसे नित्य पीते हैं। इसको तैयार करने की विधि यह है कि अगहनी चावल मुख्य रूप से अनन्दी नामक धान का चावल, कटहल के पत्ते तथा कुर्ला (काँटेदार मखाना) पौधे की जड़ जो शकरकंद की तरह होती है अथवा ददरी का जड़ समेत पौधा इनमें से कोई एक 4:1:1 के अनुपात में लेकर उन्हें कूटकर आटे जैसा बारीक कर लेते हैं फिर इस आटे को गूँथकर लिट्टी (भौंरी) जैसा गोल बना लेते हैं। गीली लिट्टी के ऊपर पुरानी रखी हुई तथा इसी प्रकार तैयार की गई एक लिट्टी को बारीक करके बुरक देते हैं। फिर पयाल के ऊपर सभी गीली लिट्टियों को रखकर ऊपर पयाल से उन्हें ढंक देते हैं। दो तीन दिन में लिट्टी के ऊपर फफूँदी उग आती है इसे थारूई में ''घुरवाना'' कहते हैं। घुरवाने पर पयाल हटाकर लिट्टियों को सूखने देते हैं। खूब सूख जाने पर उसे मनचाहे समय तक रखा जा सकता है। बीच–बीच में देखभाल करते रहना चाहिए नहीं तो उसमें घुन लग जाने या पानी के सम्पर्क में आकर सड़ जाने की आशंका रहती है। यह जाँड़ तैयार करने की विधि है।

जाँड़ बनाने के लिए पहले चावल को खूब गीला उबाल लेते हैं। फिर उसे दूसरे बर्तन में निकालकर हाथ से मल–मलकर खूब पतला (पनिहा) करते हैं फिर ऊपर जिस विधि का उल्लेख हुआ है उस विधि से तैयार की गई सूखी लिट्टी को बारीक कर चावल के द्रव में मिला देते हैं फिर बर्तन को मोटे वस्त्र या पालीथिन आदि से ढंककर एक दिन एक रात रखा रहने देते हैं। दूसरे दिन खोलने पर भात बिल्कुल द्रव के रूप में (पनिहा) हो जाता है फिर उसे निकालकर किसी मिट्टी के बर्तन को

थारूई बोली में "गोलरा" कहते हैं। इस तरह तैयार ज़ाँड़ पूरे साल इस्तेमाल किया जा सकता है। वह खराब नहीं होता।

जाँड़ मधुर सुस्वादु तथा पके हरी छाल केले जैसी सुगन्ध वाला होता है। इसका नशा हल्का किन्तु देर तक खुमारी बनाये रखता है। महुए की दारू हर थारू परिवार में बनायी जाती है। जाँड़ या दारू का प्रयोग थारू नित्य तथा देवताओं को चढ़ाने में तथा सभी संस्कारों पर्वो पर करते हैं।

वर्ग स्वरूप का असर भोजन पर दृष्यगत है जहां राना एवं कठरिया थारू सुअर, बकरी, या मुर्गी एवं मछली का शिकार ही ग्रहण करना पसन्द करते हैं। दंगुरिया का मुख्य भोजन मे गेंगटा एवं तेलहा होता है। गेंगटा एवं तेलहा बेसन में तलकर खाते हैं। ये सुअर के मांस की सुक्थी बनाते हैं। वहीं राना थारू कुशल शिकारी होते हैं अतः शिकार कर मांस खाना ज्यादा पसन्द करते हैं। थारू की मांसप्रियता का असर उनके त्योहारों एवं सामाजिक क्रियाकलापों में दृष्यगत है। नातेदार हो या देवता सभी को दारू के साथ शिकार (मांस) देकर ही खुश करते हैं।

लेकिन आश्चर्य की बात तो यह है कि जो थारू इतने बड़े मांसाहारी हैं वही एक बार मंत्र लेने के पश्चात शुद्ध हो जाते हैं तथा पुनः वे मांस के एक कतरे को देखना पसन्द नहीं करते हैं। यह स्पष्ट करती है कि उन पर धार्मिकता की गहरी छाप है।

4.8 सामाजिक संगठन

थारू समाज एक होते हुए वर्गों में विभक्त है। कुल या गोत्र का आनुवांशिक महत्व होता है। क्षेत्र में मुख्य कार्यक्रमों के मध्य होता है। इसी के आधार पर उच्च व निम्न वर्ग की पहचान होती है और वे अपने रक्त की शुद्धता के लिए अपने वर्ग में ही शादी करते थे। उच्च वर्ग समतुल्यता की पहचान हुक्का लेन–देन से होती है। उच्च वर्ग में निम्न वर्गों से हुक्का नहीं लेता है। उच्च वर्ग के पांच कूरे राव, वरीतिया, दहीत, वडवैट, महतो एवं राना ने अपने को राणा प्रताप के वंशज होने का दावा करते है।।

भारत में निम्न वर्ग की जातियां अपने को उच्च वर्ग से संबंधित बताती रही है। लेकिन सोचने की बात तो यह है कि अधिकांश लोग हिन्दू समाज में द्वितीय स्तर से प्राप्त, क्षत्रियों से ही संबंधित क्यों बताते हैं उत्तर में यदि देखें, तो ब्राह्मण सदैव पूज्य एवं उच्च शिक्षित वर्ग रहा है और उसके शिक्षा स्तर को पाना संभव नहीं दिखता वहीं व्यापारियों या बनियों के बराबर धन मे साम्यता नहीं मिलती अतः बताने के प्रमाण न मिलने से अधिकांश लोग क्षत्रिय वर्ग के बताते हैं। यदि दूसरा पक्ष देखें तो तराई भूमि सदैव क्षत्रियों की शिकार भूमि रही तथा उनके अधिकृत भूमि पर रहने वाले क्षेत्र में सीधे तौर पर राजाओं क्षत्रिय राजाओं से संबंधित रही है और उनके गुणों को अपना लिए हैं। यह तथ्य दंगुरिया में चौधरी कहलवाने पर भी लागू होती है। राना उच्च वर्ण को अपनाते हुए सितार गंज (खटीमा) 87.4 प्रतिशत थारू राना ठाकुर में परिवर्तित हो गये है।

4.10 परिवार

थारू समाज का केन्द्र थारू परिवार है। थारू पितृसत्तात्मक परिवार होते थे। कहीं–2 मातृसत्तात्मक परिवारों का स्वामित्व भी दृष्यगत है। बच्चे पिता के नाम से जाने जाते हैं परन्तु घर में शासन माता का चलता है। थारू में संयुक्त परिवारों में तीन पीढ़ी तक के लोग एक साथ रहते देखे गये हैं। सबका एक भोजनालय एक ही मुखिया एवं संचालन करती होती है। लेकिन अब यह प्रथा खत्म होने को है। कुछ ही लड़के अपने माता–पिता के साथ रहना पसन्द करते हैं। बंटवारा करके अलग रहना ज्यादा पसंद कर रहे हैं। थारू समाज में संयुक्त परिवार कृषि कार्य प्रणाली के आवश्यकतानुसार भी है, अधिकांश लोग क्योंकि घर बनाने में या खेत जोतने बोने फसल काटने सब में एक आदमी द्वारा अन्य व्यक्तियों की सहायता लेना आवश्यक है। लेकिन यदि परिवार में कलह हो तो बंटवारा करना पड़ता है। वर्तमान में बंटवारा ज्यादा दृष्यगत है। फिर भी थारू की समाजप्रियता एवं सहायता प्रकृति से अभी भी संयुक्त परिवार व्यवस्था मिलती है।

परिवार में जहाँ थारू पुरूष स्वनिर्मित या कृषि सामग्री का पूर्व हकदार होता है वहीं थारू महिलाएं गहनों तथा गृह सामग्री पर एकछत्र राज्य करती हैं। थारू की संयुक्त परिवार प्रणाली हिन्दू परिवारों के मिताक्षरा कानून के तहत आता है। जिसमें बड़ा लड़का मुखिया होता है। यदि कोई बंटवारा करना चाहता है तो परिवार के समस्त पुरूष के बराबर हिस्सेदारी में उनको प्राप्त होती है। लेकिन माता–पिता के समय बंटवारा होता है तो पिता के हिस्से को अन्य सदस्यों के समान अलग रखना होता है जो सभी लोग मिलकर निश्चित करते हैं।

यदि कोई महिला सदस्य कुछ सामान लेकर बाहर शादी कर ले तथा इसका जिक्र पंचायत में तो पंचायत इसका निर्णय करती है। तथा कभी–कभी दण्ड का भाग देना होता है। पुत्रियों की पिता के सम्पत्ति में हिस्सेदारी नहीं होती है। विवाहित महिला अपने पति की सम्पत्ति में बराबर की हिस्सेदारी नहीं रखती है। लेकिन विधवा जिसके संतान नहीं होती पुर्नविवाह नहीं करने पर सम्पत्ति में हिस्सेदार होती है।

एक संतानहीन थारू बच्चों को गोद ले सकता है जिसके पंचायत प्रमाणित करती है वही पुत्रहीन परिवार में घरजमाई होने की प्रथा भी प्रचलित है जो ससुर की मृत्यु के बाद सम्पूर्ण सम्मति का हकदार होता है।

थारूओं में संयुक्त परिवार की प्रथा अभी तक विद्यमान है। इस प्रथा में परिवार के सबसे ज्येष्ठ पुरूष को सभी सदस्यों पर नियंत्रण का पूर्ण अधिकार प्राप्त है। परिवार प्रमुख को थारूई बोली में "गणधुरिया" कहा जाता है जब किसी परिवार के गणधुरिया की मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद का उसका दूसरा भाई उस पद को प्राप्त करता है। यदि मृतक का कोई भाई न हो तो मृतक का ज्येष्ठ पुत्र उस पद का अधिकारी होता है। यह उच्चाधिकार योग्यता पर आधारित न होकर पूर्णतया ज्येष्ठानुक्रम पर आधारित होता है। उदाहरण के लिए मृतक "अ" का दूसरा अनुज "ब" मन्द बुद्धि और

मूर्ख तथा तीसरा अनुज ''स'' चतुर और पढ़ा लिखा हो तो भी परिवार का ''गणधुरिया'' (प्रमुख) ''अ'' के बाद ''ब'' ही नियुक्त होगा और उसके आदेश का पालन करना परिवार के प्रत्येक सदस्य का अनिवार्य कर्तव्य होगा।

वय की ज्येष्ठता का यही अनुक्रम परिवार की महिलाओं पर भी लागू होता है। परिवार की सबसे ज्येष्ठ महिला ''किसनिनिया'' कहलाती है। वह अपने परिवार के अन्तःपुर की साम्राज्ञी होती है। घर की महिला सदस्यों के बीच कार्य का विभाजन वही करती है। घर के भंडार पर उसका नियंत्रण होता है। बहुओं–बेटियों में से किसी की भूल–चूक, गलती अथवा अपराध के लिए दण्ड देने का अधिकार भी उसी को है। ''किसनिनिया'' की सबसे बड़ी बहू उसकी मुख्य सहायिका होती है। सामान्यतया भंडार में प्रवेश करने का अधिकार किसनिनिया के बाद बड़ी बहू को होता है। अपवाद स्वरूप भोज (विवाह) अन्त्येष्टि अथवा विशिष्ट पर्वों–उत्सवों पर यह व्यवस्था शिथिल हो जाती है। उस दिन कनिष्ठ बहू को भी आवश्यकतानुसार भंडार से सामान निकालने उपयोग हेतु देने आदि का समान अधिकार होता है।

परिवार की किसी महिला सदस्य को कपड़ा आभूषण या दवा की आवश्यकता की आपूर्ति, किसको विश्राम चाहिए तथा किस महिला को खेती–किसानी आदि घर–गृहस्थी का कौन–सा कार्य करना है यह सारे निर्देश किसनिनिया ही देती है। भनसार (रसोईघर) का दायित्व सबसे छोटी बहू के जिम्मे होता है। ससुराल में प्रवेश करते ही सबसे पहली जिम्मेदारी जो दुल्हन को संभालनी होती है वह रसोईघर की है। उत्सवों, पर्वों, कई मेहमानों के एक ही दिन आ जाने अथवा स्वयं अस्वस्थ हो जाने जैसी विशेष स्थितियों को छोड़कर उसे तब तक रसोई की जिम्मेदारी निभानी पड़ती है जब तक कि उससे छोटी कोई अन्य बहू परिवार में नहीं आ जाती।

थारूओं में पारिवारिक शिष्टाचार का कड़ाई से पालन होता है। कनिष्ठ बहू किसी प्रकार की शिकायत, सलाह या किसी वस्तु के लिए आग्रह सीधे किसनिनिया से नहीं कर सकती। उसे अपनी बात, अपनी आवश्यकता, सबसे बड़ी बहू से कहनी होगी और वह उचित समझने पर किसनिनिया से कहकर उसका प्रबन्ध, समाधान करायेगी। परिवार की सभी कनिष्ठ बहुएं जैसे बड़ी बहू को सम्मान देती और उसकी आज्ञा का पालन करती हैं उसी प्रकार परिवार में सभी छोटे भाई अपने बड़े भाई को सम्मान देते, उसकी आज्ञा का पालन करते हैं। संयुक्त थारू परिवारों में ''मैं किसी की बात क्यों सहन करूँ ?'' मुझ पर हुक्म चलाने वाले ये होते कौन हैं'' जैसी सोच की कल्पना भी किसी थारू परिवार का सदस्य नहीं करता। सामूहिक दायित्व की भावना और अपने से बड़े के प्रति सम्मान का भाव ही संयुक्त प्रथा की समरसता का आधार है।

यदि आवश्यकतावश भाइयों में से कोई संयुक्त परिवार से पृथक् होना चाहता है तो अपनी इच्छा परिवार प्रमुख से व्यक्त कर देता है और वह भाइयों की संख्या के अनुसार हिस्सा लगाकर अलग होने वाले को उसका भाग देकर अलग कर देता है। थारू कभी सम्पत्ति अथवा आपराधिक विवाद के

लिए न्यायालय की शरण नहीं लेते। परिवार के अतिरिक्त विवादों का निर्णय गणधुरिया करता है उसका निर्णय अन्तिम होता है जिसकी कहीं कोई अपील नहीं की जाती।

4.11 नातेदारी

थारू समाज में सशक्त नातेदारी प्रथा पाई जाती है। अपने से छोटों में प्यार एवं बड़ों के प्रति आदर का आदर्श उदाहरण प्रस्तुत करता है थारू समाज। महिला वर्ग की तरफ के रिश्तेदार पुरूष वर्ग की तरफ के रिश्तेदारों से अपने समकक्ष से कम कर होते हैं वही छोटों के लिए बराबर होते हैं। पिता के पिता, पिता के पिता के भाई, पिता के चाचा, पिता के पिता के भाई के लड़के आदि पित्र पक्ष के तीसरी पीढ़ी के लोगों को 'दादो' कहते हैं। मातृ पक्ष के तीसरी पीढ़ी के पुरूष को नाना कहते हैं। पिता पक्ष की तीसरी पीढ़ी का महिलाओं को दादी एवं मात्र पक्ष की तीसरी पीढ़ी की महिलाओं को नानी के नाम से संबोधित किया जाता है। पिता को दउआ, पिता के बड़े भाई को भाई एवं पिता के छोटे भाई को कक्कू कहते हैं। सौतेले पिता को भी कक्कू ही कहते हैं। मां के बहन के पति को मौसा, पिता की बहन को बुआ तथा पिता के बहन के पति को फूफा कहते हैं। मां को मइया या अम्मा कहते हैं। पति एवं पत्नी अपने पिता की बहन को बुआ एवं मां को मानना बड़े भाई को 'दादा' छोटे भाई को भईया कहते हैं। बड़ी बहन के पति को जीजा वही छोटी बहन के, लाला कहते हैं। थारू पति/पत्नी के बड़े भाई को जेठर/बड़े तथा छोटे भाई को साला/देवर कहते हैं। बड़ी बहन को दीदी एवं छोटी को लालो कहते हैं। बड़े भाई की पत्नी को भौजी तथा छोटे भाई की पत्नी को हेरी कहते हैं। बेटे/बेटी की सास को समधन तथा ससुर को बुवा कहते हैं। पुत्र को लाला बहन के पुत्र को भांजा बेटे के साले को बाबू तथा भाई की पुत्री के पति या बहन के पुत्री के पति को लाला कहते हैं, पुत्री को लालो कहते हैं। स्वयं की पुत्र की पत्नी या भाई/बहन के पुत्र को स्वयं की लड़की भाई/बहन के बेटे को बेटा भाई को तथा स्वयं के लड़के या भाई/बहन के लड़के की लड़की को नातन कहते हैं। स्वयं पुत्र के पत्नी को बहन बहू या उनकी बहन को देवतन बहू कहते हैं।

थारू की नातेदारी उच्चारण में हिन्दू एवं मुस्लिम दोनों के प्रभाव दृष्टिगत हैं। कक्कू एवं अब्बा। लेकिन फिर भी सशक्त नातेदारी तथा सम्बन्ध में प्रगाढ़ता मेलमिलाप की भावना के दर्शन इस समाज की मूल विशेषताओं में से एक है।

नातेदारी में निकटतम अर्न्तसम्बन्ध होता है। समान वर्ग के मध्य विवाह या यौन सम्बन्धों की छूट नहीं है। एक छोटे भाई की औरत बड़े भाई को खाना–पानी तो दे सकती है लेकिन आदर सम्मान के साथ। यह संबंध भी कभी–2 खतरे में दिखता जिसका एक उदाहरण एस. के. श्रीवास्तव ने नादुरागांव के 'नादुर' का प्रस्तुत किया। वही पत्नी की बडी बहन एवं औरत का अपनी छोटी बहन के पति के साथ मजाक नहीं होता। एवं सामाजिक दूरी बनाई रखी जाती है। एक पुरुष अपनी पत्नी के छोटे भाई की बहन के साथ तथा एक स्त्री का पति के छोटी भाई/बहन के साथ मजाक का रिश्ता होता है। एक स्त्री अपनी बड़ी बहन के पति तथा उसके बड़े भाई बहनों के साथ मजाक नहीं करती।

पुरूष पत्नी की छोटी बहनों के साथ मजाक कर सकते है। देवर भौजी के साथ सम्मानित रिश्तों में कभी–2 शादियों तथा यौन संबंधों की शिकायतें देखने को मिल जाती हैं।

4.12 शिष्टाचार –

थारू समाज में शिष्टाचार का एक स्वरूप बड़ों एवं छोटों के मध्य देखने योग्य है। थारू पुरूष/स्त्री अपने पिता–माता, बड़ा भाई/भाभी, बड़ी बहन, चाचा चाची, दादा दादी, तथा ससुर सास आदि का नाम नहीं ले सकती हैं पति पत्नी की एक दूसरे का नाम नहीं लेते हैं। सामान्य दशाओं में वे बड़े पुत्र या पुत्री के पिता की मां से बुलाते हैं या परिवार की वरिष्ठता के आधार पर भी बुलाते हैं। एक पुरूष अपने माता–पिता बड़े भाई तथा बड़ी बहन का जूठा खा सकते हैं लेकिन अपनी छोटे बड़े भाई की स्त्री के, छोटे भाई बहन का जूठा नहीं खाते। स्त्रियां जेठ एव पति की बड़ी बहिन की जूठन से बचती हैं। मामा अपने भांजे को जूठा नहीं देता है। थारू में आपस में बड़ों को राम राम करके नमस्कार करने की प्रथा रही है। लेकिन अब पैर छूने तथा नमस्ते करने के दृश्य भी सामने आते हैं। वहीं बड़े सदस्य छोटों को राम राम या पैर छूने पर जीवन, या सुख समृद्धि, दीर्घायु का आशीर्वाद देते हैं। एक स्त्री अपने घर पहुंचने पर ससुर, पति, तथा बड़ी बहनों के पैर छूती है। एक मित्र अपने मित्र को भी दिलवर राम राम या संगन राम राम कहकर अभिवादन करते हैं।

4.13 मैत्री –

रक्त एवं विवाह सम्बन्धों के अलावा थारू में मित्रता के संबंध भी महत्वपूर्ण हैं। उनमें कहावत है कि मीत न छूटै चाहै छूटै सग भाई यह मित्रता कवल थारू में ही नहीं बल्कि एक थारू गैर थारू में भी संभव है। दो पुरूष मित्र एक दूसरे को दिलवर एवं महिला मित्र एक दूसरे को संगन कहते हैं। मित्रता का स्वरूप एक निश्चित दिन पर पार्टी के साथ पूर्ण होता है। जिसमें दिलवर दूसरे दिलवर के घर जाता है वहीं संगन भी दूसरे संगन के घर जाती है। खान–पान के साथ नये वस्त्रों का आदान–प्रदान करते हैं। यह दोनों पक्षों के घरों पर होता है। एवं फिर एक मित्र दूसरे मित्र के घर के सदस्य की तरह हो जाते हैं।

लेकिन अपने से निम्न वर्ग के लोगों से मित्रता उच्च वर्ग में कम ही दृष्टगत है।

थारुओं में मैत्री सम्बन्ध प्रगाढ़ होता है। वे रक्त सम्बन्धों तथा नाते–रिश्तों से भी अधिक महत्त्व मैत्री–सम्बन्ध को देते हैं। थारुओं में प्रचलित यह कहावत मैत्री–सम्बन्धों की प्रगाढ़ता का परिचायक है– "मीत न छटाइ चाहे छूटे सगो भाई।"

थारू पुरुष मित्र को "दिलवर" और थारू महिला अपनी सखी को "संगन" कहती हैं। मैत्री–सम्बन्ध की स्थापना कहीं-कहीं एक छोटी–सी रस्म द्वारा की जाती है। पुरुष अपने दो चार वयस्कों के साथ अपने दिलवर के घर जाकर दावत–पानी स्वीकार कर तथा वस्त्राभूषण और किसी

एक स्मृति चिह्न के आदान–प्रदान द्वारा सम्बन्ध जुड़ने की रस्म पूरी करता है। जिसकी पुष्टि स्वरूप उसका दिलवर भी उसके घर आकर उसी प्रकार सत्कृत किया जाता है। ऐसी ही रस्म महिलाओं के मैत्री–सम्बन्धों की स्थापना पर भी होती है।

4.14 परिवार में महिलाओं की स्थिति

पितृ–प्रधान समाज होते हुए भी थारुओं में महिलाओं की स्थिति बहुत अच्छी है। मजूमदार के अनुसार थारु समाज में कभी मातृ प्रधान व्यवस्था रही होगी जिसके कारण आज भी महिलाओं को प्रधानता दी जाती है। वे पुरुषों की बराबरी के साथ कई मायनों में उनसे उच्च भी हैं। पुरुषों की अपेक्षा वे अधिक परिश्रमी, अधिक जिम्मेदार और अधिक चुस्त भी होती हैं। हल जोतने, कुलाबा (खेत सींचने की कच्ची नाली) बनाने, छान–छप्पर और जंगल में शिकार करने को छोड़कर घर–गृहस्थी के अन्य सारे काम महिलाएँ ही करती हैं। हल जोतने या कुलाबा बनाने का काम वर्ष भर नहीं चलता, छान–छप्पर का काम भी सामयिक होता है अतः थारू पुरुष अपना अधिकांश समय दारू और तम्बाकू (माखुर) पीकर आराम करने, गपशप करने या नाच गाना में बिताते हैं। आरामतलबी और नशे का अधिकाधिक सेवन करने के कारण पुरुष अपेक्षाकृत सुस्त और मन्द होते हैं। अब स्थिति बदल रही है वे मजदूरी–मेहनत के लिए अन्यत्र जाने लगे हैं। पुरुषों के विपरीत अत्यधिक परिश्रम–शील होने के कारण थारू महिलाएँ खूब स्वस्थ, शरीर से काफी चुस्त और आकर्षक होती है। पुरुष अधिकतर साँवले किन्तु प्रायः सभी महिलाएँ साफ गेहुँए रंग की गोरी होती हैं। थारू जाति की महिलाओं और पुरुषों के बीच विद्यमान रंगभेद का कारण कुछ लोगों ने यह अनुमानित किया है कि उच्च क्षत्रिय राजवंश से जुड़ी होने के कारण थारू महिलाएँ गोरी, चुस्त और अत्याकर्षक होती हैं और जबकि थारू पुरुष राजघरानों में निम्न पदों पर नियुक्त सेवक लोग थे। इसलिए वे प्रायः साँवले और मन्दबुद्धि के होते हैं किन्तु यह धारणा युक्तिसंगत नहीं है। थारू जाति लगभग एक हजार वर्षों से तराई क्षेत्र में विद्यमान हैं।

परिश्रम शीलता और नशे के अल्पतम सेवन की आदतों ने थारू महिलाओं को नैसर्गिक स्वास्थ्य और मनमोहक सौन्दर्य की सम्पदा प्रदान की है। थारू महिलाएँ बेहद परिश्रमी होती हैं। जंगल से लकड़ी लाना, दूर–दराज से पानी भरकर लाना, चक्की चलाना, धान कूटना, खाना बनाना, पशुओं को खिलाना, पशु बाँधना छोड़ना, घर–बाहर की सफाई, गृह–शिल्प सम्बन्धी कार्य, फसल की निराई–रोपाई, कटाई–मड़ाई, अनाज रखने का प्रबन्ध, भोजन बनाना, परिवार के लिए वस्त्रों की सिलाई–बुनाई, बच्चों की साज–संभाल, मछली पकड़ना, आदि कामों अर्थात् गृहस्थी चलाने की मुख्य जिम्मेदारी महिलाओं की ही होती है। परन्तु लड़कियां पशु चारण का कार्य नहीं करती। राना थारुओं में पुरोहिती का कार्य भी थारू महिलाएँ करती हैं। परिश्रम शीलता थारू महिलाओं के उत्तम स्वास्थ्य और सुगठित शरीर का रहस्य है। थारू महिलाओं का सौन्दर्य उनके अत्यधिक परिश्रम का पुरस्कार है। दारू महिलाएँ भी पीती हैं किन्तु दवा–दारू की मात्रा तक! वे इतना कभी नहीं पीतीं कि कदम लड़खड़ा जाएँ। स्वल्प मदिरा पान के संयम ने विषम जलवायु में उनके स्वास्थ्य की रक्षा की है। थारू

महिलाओं ने सीमित मात्रा का उल्लंघन कर नशे के हाथों अपने स्वास्थ्य का सौदा कभी नहीं किया है। अत्यल्प मात्रा में तथा एकाध बार ही दारू लेने की आदत उनकी स्वास्थ्य विषयक जागरूकता के कारण नहीं अपितु पारिवारिक दायित्व बोध की चेतना के कारण है। गरीबी से जूझते परिवार का निर्वाह करने में दारू का बहुत थोड़ा–सा हिस्सा वे अपने लिए निकाल पाती हैं। यह अभाव की स्थिति भी उनके स्वास्थ्य के लिए वरदान सिद्ध हुई है।

थारू महिलाओं को परिवार में पुरुषों के समान ही स्वतन्त्रता प्राप्त है। वे बेरोकटोक बाहर जातीं, जंगल से लकड़ी लातीं, खेत की रखवाली करतीं तथा मेला–हाट घूमने जाती हैं। इसका तात्पर्य यह न समझना चाहिए कि वे बिल्कुल स्वच्छन्द हैं। जैसे थारू युवक या पुरुष को घर के मुखिया द्वारा निर्दिष्ट काम पर जाना होता है तथा उसकी अनुमति से ही वह अपनी किसी आवश्यकता के लिए कहीं आ जा सकता है उसी प्रकार घर की मालकिन के द्वारा निर्दिष्ट किये गये काम पर युवतियाँ या महिलाएँ जाती हैं। हाट या मेले के लिए भी घर की मालकिन अनुमति देती है। स्वतन्त्रता का तात्पर्य यहाँ यह समझा जा सकता है कि थारू परिवार में यह भेदभाव नहीं होता कि आने–जाने के लिए लड़का होने के नाते अनुमति दी जाय किन्तु लड़की होने के नाते अनुमति न दी जाय। घर के बाहर खेती आदि के कामों में महिलाएँ पुरुषों की भाँति काम करने की अभ्यस्त होती हैं। अपने परिचितों के साथ आत्मीयतापूर्ण बातचीत उनकी स्वभावगत विशेषता है। महिलाओं को सम्मति विषयक महत्त्वपूर्ण अधिकार प्राप्त है। गहने उनकी व्यक्तिगत सम्पत्ति माने जाते हैं। पत्नी की सहमति प्राप्त किए बिना पति परिवार की किसी चल अचल सम्पत्ति का हस्तान्तरण नहीं कर सकता।

भनसांघर पर महिलाओं का एकछत्र अधिकार होता है। सामान्यतः पुरुष चौके में प्रवेश नहीं कर सकते। कुछ विद्वानों ने राना थारुओं द्वारा पुरुषों को खाना पेट से सरकाकर देने की बात कही है। जो तर्क हीन है सामान्यतः राना पुरुष एवं महिला साथ–साथ खाना नहीं खाते।

थारुओं में तलाक की प्रथा बहुत जटिल नहीं है। पति–पत्नी में से कोई भी तलाक दे सकता है। तलाकशुदा स्त्री का विवाह तथा विधवा विवाह उनमें प्रचलित है सामान्यतः तलाक की पहल अधिकतर पत्नी की ओर से ही होती है। अल्पावस्था में विवाह सम्बन्ध तय होते हैं। पर अधिकांस विवाह में 15 वर्ष के बाद होते हैं। वर की अपेक्षा कन्या की अवस्था कुछ अधिक होने को तरजीह देने के कारण अनमेल विवाह की कुरीति थारुओं में है। गौना के पूर्व सजातीय किशोरों के साथ यौन–सम्बन्ध स्थापित हो जाना अस्वाभाविक नहीं है किन्तु ऐसा चोरी छिपे छिट–पुट होता है। समाज में इसकी प्रवृति अनदेखी नहीं है।

यह भी सत्य है कि थारू अपनी पुत्री की अपेक्षा बहू के प्रति अधिक सजग रहता है। पुत्री पराये घर की सदस्य बनेगी किन्तु बहू तो अपने कुल की मर्यादा है, ऐसी सोच उनमें होती है। किन्तु वे पुत्री के आचरण के प्रति एकदम असावधान नहीं रहते। गैर थारू व्यक्ति के साथ सम्बन्ध करना तो और भी अधिक गर्हित तथा दंडनीय कृत्य माना जाता है।

4.15 थारू गांव एवं बिरादरी पंचायत –

ग्राम एक संगठित सामाजिक संस्था है। जिसमें परिवार, सामान्य व्यवस्था के तहत अंर्तसंबंधित होते हैं। थारू गांवों में अंतर संबंध तथा सहयोग की भावना अधिक होती है। पारस्परिक वैवाहिक संबंध एवं नातेदारी से बंधे ये लोग किसी भी विपरीत परिस्थिति में अपने गांव के लोगों का, एक दूसरे का सहयोग करते हैं। जिसमें भोजन, वस्त्र आवास बनाना, खेतों में बोवाई आदि में सहायता शामिल है।

गांव समुदाय में भरारा का स्थान महत्वपूर्ण होता है। जो भूत प्रेतों से रक्षा करता है। गांव समुदाय थारू समाज के नियम कानूनों की रक्षा करता है तथा थारू संस्कृति की बातों को नई पीढ़ी तक मौखिक रूप से पहुंचाने में भी सहयोग करते हैं। जिसके लोकनृत्य एवं संगीत भी शामिल है।

प्रधान गांव समुदाय का मुखिया होता है। प्रधान की सहायता, मुस्ताखर, सरवारकार के लिए (सिरवार) कोटेदार, चौकीदार एवं भरारा होते हैं। भरारा जहां सामाजिक एवं धार्मिक क्रियाकलापों का मुखिया होता है। वर्तमान में गांव समाज में प्रधान एवं पंचों का चुनाव होता है। गांव में पटवारी एवं मुख्ताखर की जगह ग्राम सेवक होने लगे है।

बिरादरी पंचायत, प्रायः सभी जनजातियों और पिछड़ी जातियों में पाई जाती है किन्तु थारुओं में इसका स्वरूप अति विशिष्ट और अत्यन्त प्रमुख है। थारुओं के सारे आपसी विवाद बिरादरी पंचायत के द्वारा ही निपटाए जाते रहे हैं। वे जातीय विवाद के लिए कभी न्यायालय या पुलिस की शरण नहीं लेते। पंचायत का निर्णय उनके लिए अन्तिम और अपरिहार्य होता है। जातीय पंचायत द्वारा किया गया निर्णय अभियोगी अथवा अभियुक्त की दृष्टि में गलत होने पर भी उसके विरुद्ध अपील करने या किसी न्यायालय में जाने की बात को सोच भी नहीं सकते। पंचायत में बिरादरी के सभी स्त्री पुरुष दर्शक के रूप में जुटते हैं। बिरादरी का मुखिया (प्रधान "गणधुरिया") विवाद के सम्बन्ध में सम्बन्धित जनों, पक्ष–विपक्ष, की बातें, दलील और सफाई, सुनता है। पंचायत में लोगों को अपनी बात कहने की स्वतंत्रता होती है। उन्हें पूरा अवसर दिया जाता है। फिर पंच लोग परस्पर विचार–विमर्श करते हैं, लोगों की राय लेकर निर्णय सर्वसम्मत बनाने की कोशिश की जाती है। बहुमत की राय पर निर्णय सुनाया जाता है। जिसका पालन सन्तुष्ट तथा असन्तुष्ट दोनों पक्षों को करना होता है।

थारू पंचायतों के निर्णय अधिकतर उचित और विवेकपूर्ण होते हैं। किन्तु वे सदैव न्याय और नैतिकता की दृष्टि से उपयुक्त ही हों ऐसा नहीं है। थारू क्षेत्र में भ्रमण काल में थारुओं की जातीय पंचायत द्वारा किये गये एक विलक्षण निर्णय का उल्लेख प्रस्तुत है जिससे यह जाना जा सकता है कि जातीय पंचायत कितनी सशक्त होती है। गाँव तथा घटना से सम्बन्धित पात्रों का नामोल्लेख जान बूझकर नहीं किया जा रहा है। घटना इस प्रकार की है कि पत्थर तोड़कर गिट्टी तैयार करने वाले स्त्री व पुरुष मजदूरों के समुदाय की एक थारू युवती एक ठेकेदार के गैर थारू युवा मुंशी की घनिष्टता में आकर शारीरिक सम्बन्ध कर बैठी। बिरादरी की पंचायत जुड़ी। अभियुक्ता किशोरी के माता–पिता, भाई–बन्धु भी पंचायत में उपस्थित हुए । युवती ने अपराध स्वीकार किया, किन्तु पंचायत शारीरिक

अथवा आर्थिक दण्ड देकर युवती को बिरादरी में वापस लेने को इसलिए तैयार न हुई क्योंकि उसने यौन सम्बन्ध एक गैर थारू व्यक्ति से जोड़ा था। युवती का विवाह हो चुका था। चार ही महीने बाद गौना जाने वाला था। बिरादरी ने निर्णय किया कि कुछ दिनों के लिए यह अपनी खैनास (भूख) नहीं संभाल सकी और अन्धी होकर बिरादरी से बाहर कूद पड़ी है अतएव इसे बिरादरी में वापस लेना ठीक नहीं। यह जघन्य अपराध इसने अपनी शारीरिक भूख के कारण किया है। अतः बिरादरी के किशोरों को युवती की भूख मिटाने की आज्ञा दी जाती है। रोते बिलखते परिवार से अलग कर युवती को पशुशाला में ले जाकर उसके मूर्छित हो जाने तक किशोरों ने पंचायत के निर्णय का कार्यान्वयन किया। होश आने पर भोर होने के पहले ही वह सदा–सदा के लिए अपने गाँव परिवार से मुँह फेर कर कहीं अन्यत्र शरण ढूँढ़ने निकल गयी।[40]

थारू पंचायतें काफी सशक्त होती हैं। थारू और गैर थारू के बीच विवाह पर थारू–पंचायत ने रोक लगा रखी है। अपनी "दि फारचून ऑफ प्रिमिटिव ट्राइब्स"[41] पुस्तक में मजूमदार ने एक घटना का उल्लेख किया है। खीरी जिले के बनकटी गाँव की एक गैर थारू (केवट) जाति की युवती से एक थारू किशोर का प्रेम सम्बन्ध जुड़ गया। पंचायत ने युवक को बिरादरी में भोज देने का दण्ड दिया किन्तु बिरादरी की खिलाई–पिलाई के एक सप्ताह बाद ही उक्त किशोर पुनः उस युवती से सम्बन्ध कर बैठा। दुबारा पंचायत बैठी। महिलाओं की राय थी कि दोनों को पति–पत्नी रूप में रहने दिया जाय जबकि पुरुष वर्ग इस पर दृढ़ रहा कि इसकी छूट देने से थारू कबीले को भारी क्षति पहुँचेगी। आज हम केवट की लड़की ले आए, कल मुसलमान की, तो थारुओं की लड़कियाँ कहाँ पति ढूँढेंगी ? परिणाम यह हुआ कि युवक उक्त केवट युवती को अपने घर लाने का साहस नहीं जुटा सका।

थारू पंचायतें अपने निर्णय का पालन करने में कभी–कभी विफल भी हो जाती है। एक अन्य घटना है जिसमें एक थारू युवती का लगाव पड़ोस के एक विजातीय दुकानदार से हो गया। थारू पंचायत ने युवती को कठोर दण्ड का भय देकर सम्बन्ध विच्छेद कराना चाहा किन्तु युवती ने अपना मिजाज बदलने से इन्कार कर दिया। प्रधान की पत्नी युवती की जिद से बहुत रुष्ट हुई। प्रधान उक्त दुकानदार का कर्जदार था। वह मामले में नरमी बरतना चाहता था किन्तु उसकी पत्नी सहमत न थी। आखिरकार युवती एक रात भागकर युवक के घर स्थायी रूप से जा बसी। युवती के भाई ने पंचायत को दस रुपए का दंड भर कर मामले का पटाक्षेप किया। इस प्रकार की पंचायत कभी–कभार असमर्थ भी बन जाती है किन्तु ऐसा कम ही होता है।

थारू पंचायतें केवल अनैतिक यौनाचरणों से सम्बन्धित मामलों का ही निस्तारण नहीं करती अपितु थारू समाज के उत्थान के लिए, उसके बहुमुखी विकास के लिए दिशा–निर्देश का भी कार्य करती है। नैनीताल और पीलीभीत की थारू पंचायतों ने वर पक्ष द्वारा कन्या पक्ष वालों से "वधू का मूल्य" भरने की प्रथा पर रोक लगा दी है। प्रायः सभी जिलों में थारू पंचायतों ने कसाइयों तथा पशुवध के धन्धों में लगे अन्य लोगों के हाथ गाय–भैंस बेचना कठोर दंडनीय अपराध घोषित कर दिया है।

सगाई (वरक्षा) हो चुकने के बाद विवाह सम्बन्ध तोड़ने पर सम्बन्धित पक्ष को जुर्माना भरना पड़ता है। अपने पति को छोड़कर अन्य किसी थारू पुरुष के यहाँ भागकर दाम्पत्य जीवन बिताने वाली स्त्री "उढ़री" कही जाती है। पंचायत उढ़री प्रथा पर अंकुश लगाती है। भागी हुई स्त्री का पता लगाकर उसे पूर्व पति के पास वापस पहुँचाया जाता है। किन्तु यदि उक्त युवती पंचायत के समझाने बुझाने पर भी अपने पूर्व पति के साथ रहने को तैयार नहीं होती तो उसे पूर्व पति द्वारा विवाह में खर्च किये गये धन के अनुपात में पाँच सौ से एक हजार रुपये तक जुर्माना कर अपने नये उढ़रा पति के साथ रहने की अनुमति दे दी जाती है।

सामान्यतया विधवा को अपने देवर के साथ विवाह करना पड़ता है किन्तु यदि कोई विधवा अपने देवर से विवाह पर सहमत न होकर पूर्व परिवार से बाहर के किसी पुरुष से विवाह करना चाहती है तो उसे पूर्व पति द्वारा विवाह में किये गये खर्चे की आधी रकम पंचायत के निर्णय के अनुसार वापस करनी पड़ती है।

विधवा का देवर से भिन्न द्वितीय पति "चुटका" कहलाता है क्योंकि पुनर्विवाह का यह सम्बन्ध विधवा द्वारा द्वितीय पति की चोटी के कुछ बाल काटने की रस्म द्वारा सम्पन्न किया जाता है। यदि विधवा विवाहोपरान्त "चुटका" से सम्बन्ध विच्छेद करना चाहे तो "चुटका" को उक्त विधवा की सम्पत्ति का आधा भाग पंचायत दिला देती है। इधर हाल में पंचायत ने चुटका प्रथा को हतोत्साहित करने के उद्देश्य से सम्पत्ति का आधा भाग न दिलाकर मात्र 250 रुपये की क्षतिपूर्ति दिलाने का निर्णय लागू किया है। इस प्रकार थारू जन–जीवन में पंचायतों की एक महत्त्वपूर्ण और सशक्त भूमिका है।

एक भरारा गांव के सामाजिक धार्मिक क्रियाकलापों का मुखिया है। वह चिकित्सक पुजारी एवं जादूगरी जो जड़ी बूटियां एवं का इलाज करती हैं। भूत–प्रेतों को खत्म करती हैं। भरारी कला की ज्ञानी भरारा से सीखते हैं। जिसमें श्मशान पर नंगे ले जाते हैं तथा दीवाली की आधी रात को नग ले जाकर मंत्रों को जगाता है। एक भरारा अपने जजमानों/गांव के परिवारों से गनवत/सीधा (अनाज) देते हैं।

4.16 पुरोहित प्रथा –

थारू हिन्दू धर्म मानते हैं। गाय उनके लिए पूज्य तथा अवध्य पशु है। राम, कृष्ण, हनुमान, महादेव, सत्य–नारायण, पार्वती, सीता आदि उनके उपास्य और आराध्य हैं तथापि वे अपने कबीलें में प्रचलित कुछ विशिष्ट आत्माओं, देवी–देवताओं और पीरों की पूजा और आराधना आस्था और विश्वास के साथ करते हैं। पूजा तथा संस्कारों के धार्मिक कृत्यों को सम्पादित कराने के लिए वे पुरोहित रखते हैं। थारुओं के पुरोहित दो प्रकार के होते हैं –

1. घरगुरवा, 2. देसबँधिया पुरोहित।

घरगुरवा थारुओं का पारिवारिक पुरोहित होता है। नेपाल के चितवन, नवल–परासी, दाङ–देवखुरी, कैलाली, कंचनपुर तथा उत्तर प्रदेश के थारुओं में अपनी परम्परागत रस्मों को सम्पन्न कराने के लिए "घरगुवा" रखने का चलन है। नेपाल के कैलाली–कंचनपुर में घरगुरवा के अतिरिक्त देसबँधिया पुरोहित भी होते हैं। देसबँधिया पुरोहित का पद पैतृक परम्परागत होता है। उन्हें इसके लिए एक अधिकार–पत्र मिला होता है जिस पर नेपाल की शाही लाल–मोहर लगी होती है। देसबँधियां गुरवा पूरे गाँव के पुरोहित पद का मान्यता प्राप्त अधिकारी व्यक्ति होता है। जबकि घरगुरवा दो–चार परिवारों के द्वारा उनके इच्छानुसार नियुक्त अपना पारिवारिक पुरोहित होता है। देसबँधिया पुरोहित की प्रथा केवल नेपाल के थारुओं में है। वहाँ प्रत्येक थारू परिवार के लिए दो प्रकार के पुरोहित होते हैं। एक पूरे गाँव का सामूहिक पुरोहित देसबँधिया, दूसरा प्रत्येक परिवार का निजी पुरोहित घरगुरवा। देसबँधिया को गाँव के सभी नम्बरी (रजिस्टर में दर्ज) घरों से निर्धारित मात्रा में धन मिलता है। जबकि घरगुरवा को अपने यजमान के परिवार से केवल एक दिन की एक व्यक्ति की अवैतनिक सेवा प्राप्त होती है। देसबँधिया को दी जाने वाली धन की मात्रा बहुत थोड़ी होती है। एक नम्बरी काश्तकार के अन्तर्गत कई खेतिहर परिवार होते हैं तथा पूरे गाँव के लिए निर्धारित मात्रा का उन सभी में विभाजन हो जाता है जिससे प्रत्येक परिवार के हिस्से में बहुत अल्प मात्रा आती है। देसबँधिया गुरवा कुछ परिवारों के घरगुरवा के रूप में भी कार्य कर सकता है। पारिवारिक पूजा–पाठ एवं धार्मिक कृत्य घरगुरवा तथा गाँठ के सामूहिक धार्मिक आयोजन देसबँधिया द्वारा सम्पादित किये जाते हैं।

थारू महिलाओं का सामाजिक स्तर वैसे तो सभी उपजातियों में पुरुषों की अपेक्षा ऊँचा है किन्तु "राना" थारुओं में महिलाओं का स्थान अतिविशिष्ट है। "राना" परिवारों में पुरोहित का कार्य किसी पुरुष घरगुरवा द्वारा न कराकर राना थारू की महिला पुरोहित द्वारा सम्पादित होता है। इन महिला पुरोहितों को घरगुरवा न कहकर "भर्रा" कहा जाता है।

4.17 धर्म एवं रीति रिवाज एवं मान्यताएं –

थारू धार्मिक क्रिया भूत एवं आत्माओं के विश्वास संबंधित होती है। (क्रुक)[42] प्रकृति पूजक इस समाज के देवता या तो जंगल के जानवरों के प्रतीक के रूप में होती है या विविध प्राकृतिक तत्वों (वर्षा, कृषि, वन, पवन, सूर्य आदि के रूप में होते हैं। घर के नगरहिया देवता हो या बाहर की शीतला भवानी, सबको प्रतीक रूप में जानवरों की, मिट्टी की मूर्ति के रूप में पूजते हैं। अब वे सत्यनारायण की पूजा के साथ अन्य हिन्दू, मुस्लिम सिक्ख देवताओं को भी पूजने लगे हैं। वे भूतों के अलग–अलग नाम देते हैं। जिसमें खड़गा पछावन, बाघा, हथिया भूतों को नियंत्रित करने के लिए काला एवं सफेद जादू का प्रयोग करते हैं। पर्वत पर निवासित भूतों को अपना संरक्षक मानते हैं जिसमें परबतिया, पुण्यगिरि आदि, जिनकी सेवा होम से करते हैं। अरिमल, भारमल, वनस्पति, जंगल के देवता हैं। अरिमल एवं भारमल के लिए वन के पत्थर/लकड़ी रखते हैं। जंगल में जानवर गायब होने या किसी संकट में इन जंगल देवताओं से लिए मिन्नतें मानते हैं।

प्रत्येक गाँव के पूर्व में देव थान बांधते हैं। भौरीसाल गांव के पूर्व में स्थित थान देव इसका उदाहरण है जो नीम के पेड़ के नीचे मिट्टी पाटकर चौकोर बना है। जिसे गांव वाले भूमसेन कहते हैं। वे देवी देवताओं का रूप ज्वाला, शीतला, पारवती, हुलाका, पुरवा, काली, भूमसेन आदि की पूजा महिलाओं की अच्छी स्थिति एवं मान्यता का प्रतीक है। जगराही दूसरा मुख्य देवता है। खडगा, पछावन, पचपकड़िया, अन्य देवता हैं। पचपकड़िया गौटोद्य को डकैतों से रक्षा करता है जो कि मुस्लिम देवता है। गांव के देवता के साथ घर में भी थान बांधते हैं। थारू आत्मा में विश्वास करते हैं। निराधार उनके पूर्वज देवता हैं बच्चों के रोने या की सामान्य दुख दर्दों का निवारण ये बूढ़े बाबू या निराधार ही करते हैं। कारोदेव, राकट, कलुवा, तथा मैय्यन मोहमदा, इनके पशु घर के देवता हैं जो पशु मृत्यु नियंत्रित करते है। कुछ अच्छे भरारा भी मृत. होकर देवतों का रूप धारण करते हैं। जैसे मुसम्तिया जो अपने सिर को चढ़ाकर भवानी के लश्कर में शामिल हो गया था। श्रीवास्तव[43] खड़गा भूत, खडग सिंह भरारा की आत्मा है जो उल्टे मंत्रों के चल जाने से वाघ द्वारा मारा गया था। थारू मानते हैं कि जिस आदमी को बाघ मारता है वह बाधा भूत बन जाता है एवं हाथिया भूत, हाथी से मरने के बाद बनते हैं। थारू आकस्मिक मृत्यु से मरें लोगों की आत्मा को भी भूत मानते तथा डरते हैं। यही नहीं थारू पर अन्य समुदायों के देवी–देवताओं, संतों एवं भूतों के छाप भी पड़े हैं तथा थारू उन्हें पूजते हैं। ठाकुर उनका सर्वोच्च भगवान है। जिसकी हर घर में स्थापना होती है तथा चढावा चढ़ता है। वे मानते हैं कि ठाकुर उनसे ज्यादा विकसित वजिया/वाजी पहले वाली मारनेवाले) विकसित लोगों के देवता हैं, ठाकुर के बाद क्रमशः भूमसेन वाद परवतिया/हुलाक,ा खडगा तथा क्षेत्रीय देवता एवं भूत आते हैं।

थारू सानिन्ध्य में रहे 80 वर्षीय हरिनारायण[44] बताते हैं कि थारू 1960 के श्रावस्ती के पूर्व इकौना तथा बलरामपुर बाजार तक के जंगली क्षेत्र में रहते थे जोकि जंगल कट जाने से सिरसिया के पास सीमावर्ती क्षेत्रों की ओर पलायित हो गये हैं। थारू जनजाति को वे देवी की पूजा करने वाले बताते हैं। जादू टोना में अपार विश्वास होता है। पहले में छोटी कन्याओं को किसी पवित्र (पीपल या नीम) के नीचे बिठाकर मंत्र द्वारा मार देते थे। तथा वहीं पर अपना समस्त सोना चांदी गाड़ देते थे। जो पीढ़ी दर पीढ़ी उस परिवार का थारू आकार देखता था तथा उस स्थान पर देवी माता के रूप में देवी की पूजा करता था। बहराइच में बिरिया समय माता, इकौना के लालपुर खदरा की समय माता थी महरौली में समय माता का उदाहरण अध्ययन कर्ता को मिला है। थारू की देवी देवताओं में विश्वास तथा जादू टोना की अपार शक्ति के बारे में ,दांग घाटी के थारू महिलाओं का उदाहरण मिलता है।

4.18 कुल देवता और डिउहार पूजा –

प्रत्येक थारू का अपना कुलदेवता होता है जिसकी स्थापना घर के भीतर पूर्वी किनारे की कोठरी में की जाती है। कुल–देवता काली (भगवती) मैनियाँ या गौरैया कोई भी हो सकता है। कुल देवता की पूजा पारिवारिक कृत्य है। गौरैया अनिष्टकारी देवी है। इसका स्थान मिट्टी के छोटे–छोटे गोलाकार पिंडे से बनाया जाता है। पिण्ड पर कोई प्रतिकृति या चिह्न नहीं होता। मैनियाँ का प्रतीक

चिकनी मिट्टी, स्वच्छ रुई और खांड एक में सानकर थोपकर बनाते हैं। इसके भीतर सोने का एक छोटा–सा टुकड़ा भी रख दिया जाता है। गोलाकार पिण्ड के शिखर पर लोहे का एक छोटा–सा त्रिशूल गाड़ दिया जाता है। इसी के साथ एक लोहे की कटार जिसे "सौंरा" कहते हैं रख दी जाती है। सफेद सूती कपड़े का एक थैला, लाल मखमल का छोटा डिब्बा तथा बेंत का एक छोटा–सा डंडा भी रख देते हैं। परिवार का सबसे ज्येष्ठ व्यक्ति देवगृह (देवहार) में सोता है। परिवार का प्रत्येक धार्मिक कृत्य, कुल–देवता की आराधना, परिवार के ज्येष्ठ व्यक्ति के नाम से सम्पन्न होती है।

पारिवारिक कुल–देवता के अतिरिक्त पूरे गाँव का एक बरम अस्थान (ब्रह्मस्थान) भी होता है। दाङ देवखुरी तथा कैलाली कंचनपुर के थारू बरम न कहकर उसे "भुइँहार" कहते हैं। बरम अस्थान मिट्टी के एक छोटे से चबूतरे की शक्ल में होता है। जबकि किसी पेड़ के नीचे भुइँहार का स्थान बनाकर लकड़ी की गढ़ी हुई पतली–पतली फट्टियाँ गाड़ दी जाती हैं। बरम अस्थान और भुइँहार की पूजा गाँव में किसी महामारी की आशंका होने पर किसी भी समय की जा सकती है। वैसे वर्ष में दो बार सावन और माघ या फागुन के महीने में नियमित रूप से देवता को प्रसन्न रखने के उद्देश्य से अनिवार्य रूप से की जाती है। गाँव वाले आपस में चन्दा एकत्र कर मिलजुल कर उत्साह के साथ पूजा करते हैं। एकत्र पैसों से एक मुर्गा तथा एक बकरा या सूअर खरीदकर उसकी बलि चढ़ाई जाती है। सामूहिक भोज के लिए प्रत्येक घर आटा, तेल, सब्जी आदि देकर सहयोग करता है। थारुओं का विश्वास है कि पूजा और बलि पाकर देवता प्रसन्न हो जाते हैं और गाँव को आपदाओं, बीमारी आदि के प्रकोप से बचाते हैं।

सावन में की जाने वाली सार्वजनिक पूजा को "हरेरी" कहते हैं। इसके लिए गाँव वाले कोई एक तिथि निश्चित करते हैं। उस दिन हर घर से मुर्गी का बच्चा और दारू लेकर लोग जाते हैं। बरम अस्थान या भुइँहार के स्थान पर जहाँ बाँस की पाँच फट्टियाँ गाड़कर पाँच पांडव के प्रतीक के रूप में स्थापित की जाती हैं वहाँ गुरवा पूजा का सब सामान ढोकर ले जाता है। हर घर से एक आदमी भी जाता जो सामान ढोने में मदद करता है। चूजे और बकरे या सूअर की बलि चढ़ाकर उसका मांस पकाकर खाते हैं, खूब जमकर दारू पीते तथा रातभर नाचते गाते हैं। माघ की संक्रान्ति में हर गाँव में आठ नौ बकरे, सूअर आदि काटे जाते हैं फिर दूसरे तीसरे दिन कोई शिकार नहीं करते अर्थात् मांस के लिए कोई नया पशु पक्षी नहीं मारा जाता। पहले दिन का रखा हुआ मांस के लिए कोई नया पशु पक्षी नहीं मारा जाता। पहले दिन का रखा हुआ मांस ही खाया जाता है। जो लोग मनौती माने रहते हैं वे किसी जलाशय पर नहाने जाते हैं। और वहीं दान करते हैं फिर वहीं पर टिकरी अर्थात् चावल के आटे का लम्बा फरा बनाकर खाते हैं तत्पश्चात् अपने गाँव के बड़े–बूढ़ों को प्रणाम करने जाते हैं। उस अवसर पर गाँव के सभी लोग एक दूसरे के यहाँ प्रणाम करने जाते हैं।

फसल मौसम के प्रारम्भ में कृषि कार्य को प्रारम्भ करने से पूर्व हरवत करते हैं, जिसमें आंगन के लीपकर मध्य में कलसा रखकर उसमें दही तथा मीठा रखते हैं। कुदाल धो कर एवं साथ में पानी

लेकर खेत को जाते हैं तथा खेत के उत्तर पूर्व कोने पर पांच छेव लगाने के बाद पानी वहीं डाल देते हैं तथा अन्न देवता को याद करते हैं। उस दिन का बाकी समय हर्षोल्लास से मनाते हैं।

भरारा को थारू समाज में महत्वपूर्ण पद प्राप्त होते हैं। लेकिन बढ़ती जागरूकता तथा घटते जादूर की वजह से अब उनकी मान्यता में कमी आई है। पहली जहां वे जीन मृत्यु के निकट स्वरूप को भी मंत्रों से हलकर देते थे वहीं अब सामान्य प्रघटनाओं पर असफल हो जाते हैं। भरारा अपने ज्ञान स्तर के अनुसार ही आर्य लेता है। क्योंकि मान्यता किसे दे वह समस्या हल करने में असफल रहा तो वे मंत्र उसका ही नुकसान कर देंगे। मंत्रों का सही उच्चारण तथा सही ढंग से अनुष्ठान बहुत आवश्यक है। भरारा/अपने मंत्रों एवं जादू से गांव में डकैतों की रक्षा करने, महामारी रोकने, पालतू जानवरों की रक्षा करने तथा नियंत्रण रखने बरसात कराने से लेकर रोगों समस्याओं के निदान में मंत्रों का प्रयोग करते हैं। सामान्यतः इन मंत्रों ने उनके देवताओं की बड़ाई एवं उनको कार्यशक्ति होने के पश्चात् चढ़ावे का कथन शामिल होता है। ये सम्मोहन विधा का भी प्रयोग करती है जिसमें मुर्ग कोहिन ही नहीं समाज से बचाकर मंत्रों के किसी श्रेष्ठ देवता की दुहाई देना, मुख्य है। जैसे लोना चम्मारिकन थारू नजर पर विश्वास की तथा गर्भवती स्त्री बच्चों, दूध टेले जानवर तथा हर अच्छी चीज को बचाने की कोशिक करती है या फिर उन पर काले चिन्ह अंकित कर देते हैं।

थारू हाथ के बाजू में तारीफ गले के ताबीज धारण करते है। जो इनको भूत प्रेतों एवं नजर टोना आदि से रक्षा करता है।

थारू तराई के सबसे स्वस्थ लोगों में से हैं। (श्रीवास्तव)[45] जो शायद इनके मस्त रहने, मांस मछली प्रधान खानपान, स्वतंत्र प्राकृतिक जीवन जीने की वजह से है। तराई की कठोर एवं जीवन के लिए दुष्कर जलवायु में अपने को सफलता पूर्वक स्थापित किए हैं जो लम्बे समय से प्राकृतिक चयन का परिणाम है। (नेविल)[46]

थारू के भोजन में सूखी मछली, मांस, घोंघा, जैसे प्रोटीनयुक्त तत्वों के साथ लहसुन प्याज, शराब, मसाले तथा जड़ी बूटी का होना इन्हें रोगों से लड़ने में मदद करता है। (मजुमदार)[47] गेटस[48] का मानना है कि ए तथा ए बी रक्त वर्ग की प्रधानता ने थारूओं को मलेरिया से लड़ने में मदद किया है। क्षेत्र में छोटी माता (स्माल पाक्स), बड़ी माता (चिकन पाक्स), बुखार अधकपारी एवं कंजेक्टीवाइटस, ट्रेकोमा, घेंघा (ग्वाइटर), खुजली, दाद, जैसे रोग भी हो जातें हैं। थारू का भोजन ही इनका मुख्य रक्षा कवच है।

थारू समग्र रोगों का कारण दुष्ट आत्मा या भूत प्रेतों के कारनामों को मानते हैं और रोगों से रक्षा के लिए भरारा पर विश्वास करते हैं। थारू सीतला भवानी (छोटी माता के लिए), दुर्गा माता (कालरा के लिए), ज्वाला (मलेरिया के लिए) हुलाका (खून की उल्टी के लिए), पुरवा (पेट दर्द के लिए) एवं पार्वती (सर दर्द के लिए), पुण्यगिरी (बच्चों के रोगों के लिए) को जिम्मेदार मानते हैं तथा इनके लिए हवन या बलि देते हैं।

भूत जो नीम, सेमल, पीपल, बेर के वृक्षों पर रहते हैं भी रोगों के कारण हैं जैसे खड़गा एवं पछावन मानसिक रोगों को जन्म देते हैं। मसानी एवं चुड़ैल बच्चों तथा औरतों को नुकसान पहुंचाते हैं।

भरारा थारू का मुख्य चिकित्सक है जो मंत्रों से भूत, माता भवानी, चुड़ैल आदि का निराकरण कर रोगों को ठीक करता है तथा मन्नत मनाता है एवं शराब चढ़ाता है।

छोटी बड़ी माता, घाव, अधौखी, अधकपारी, सरदर्द से लेकर जलने कटने, बुखार निमोनिया, पायरिया तक के इलाज इन मंत्रों में हैं। सांप काटने पर डोंडी मंत्र, गैरीसन मंत्र, कुरनीया मंत्र, लोना चमारिन मंत्र, तराई के सामान्य गांवों में भी प्रयुक्त होते हैं। वर्तमान में डाक्टरों की बढ़ती लोकप्रियता से भरारा का प्रभाव खत्म होने को है। वही अब भी भरारा गरीब थारू जनता का सहारा है जो तुरन्त ही उपलब्ध होता है एवं परम्परागत रूप से रोगों का इलाज करता है।

4.19 जादू –

थारू प्राकृति में जीने वाला समाज है जो सर्वशक्तिमान ईश्वर (super natural power) में विश्वास करते हैं। जादू का प्रयोग उसी सर्वशक्तिमान सत्ता से संबंध बनाने के लिए करते हैं। थारू हमेशा से अपने काले जादू टोना डायन जादूगरी के लिए प्रचलित रहे हैं। टोना लगाने वाली स्त्री को भोक्सिन कहते हैं। थारू सामान्य घटनाओं से अलग प्रत्येक घटना प्रघटना का निराकरण धार्मिक क्रियाकलाप जादू एवं टोने से करते है। काला एवं सफेद जादू के रूप में यहां शादी, गर्भ धारण, फसल एवं जीव संरक्षण तथा क्षेत्र जादुई शक्ति में होना मानते रहे हैं। जिसमें भरारा की मुख्य भूमिका होती है। भरारा का व्यक्तित्व अनुष्ठान विधि एवं जादू का शब्द विन्यास सर्वाधिक भूमिका निभाते हैं। शब्दों की श्रंखला एवं उच्चारण जादू में आत्मिक शक्ति प्रदान करती है।

4.20 अपराध –

थारू एक शान्त प्रकृति का समाज है। ये लोग मानवता को समझते हैं। लेकिन बाहय हस्तक्षेप एवं लोगों के दुर्व्यहार से थारू समाज में अपराध बढ़ने लगे हैं। जहां तीन चार दशक पूर्व में देखने से स्पष्ट होता है कि थारू पर अत्याचार एवं अपराध बाहरी लोगों ने किया है लेकिन थारू द्वारा अपराध के दर्शन नहीं होते हैं। परन्तु अब यह परम्परा बदलती जा रही है।

4.21 बोली एवं भाषा –

एक समान भाषा/बोली का होना जनजाति के मुख्य लक्षणों में से एक है। थारू में थारूई नामक बोली बोली जाती है। थारूई इण्डो आर्यन भाषा परिवार की है। दंगीशरण कथा या दंगवे पुराण की भाषा भी थारूई है। यह एक विशिष्ट भाषा है जो सम्पूर्ण तराई के थारूओं में प्रचलित है। ग्रिर्यशन[49] इस भोजपूरी की उपबोली भंग बोली के रूप में मानते हैं। बस्ती तथा उसके निकटवर्ती क्षेत्रों में थारूई भंग बोली (ब्रोकन डायलेक्ट) हिमालय की पर्वतीय जाति में बोली जाती है। ग्रिर्यसन के भंग

बोली की संकल्पना थारू पर नहीं लागू होती क्योंकि बहराईच, श्रावस्ती, बलरामपुर में थारूजन पूर्वी हिन्दी का प्रयोग करते हैं न कि भोजपुरी का अर्थात थारूई थारूओं की मूल भाषा है जिसे अब वे मात्र बातचीत में प्रयोग करते हैं और क्षेत्रीय भाषाओं से अपभ्रसिंत भाषा का प्रयोग भी करते हैं।

4.22 त्योहार एवं मेले –

थारू त्योहार एवं मेले मूलतः फसल कटाई के समय प्रारम्भ होते हैं।[50] प्रत्येक व्यक्ति फसल बोने से पहले काटने के बाद फसल को देवताओं को समर्पित करता है। होली थारू लोगों का मुख्य त्योहार है। फागुन से पूर्णमासी जिसमें भूमसेन के निकट समर की डाल गाड़कर हिन्दुओं की तरह होलिका जलाते हैं। तथा वहीं से झांझ, मजीरा के साथ होली गीत गाते गांव में आते हैं। दूसरे दिन शादी का जोड़ा पहनते हैं एवं इस त्योहार को बड़े ही धूमधाम से मनाते हैं। तीज – दूसरा मुख्य त्योहार जो सबमें मनाई जाती है गंगा की पूजा के साथ पूर्ण होता हैं। धान काटने के बाद क्वार में नये चावल खाने के संदर्भ, में नया चावल त्योहार मनाते हैं। भगवान कृष्ण के जन्म के समय भादों में कृष्ण जन्माष्टमी को धूमधाम से मनाते हैं।

थारू भी दीवाली को वर्षी के रूप में मनाते हैं बलरामपुर एवं श्रावस्ती, लखीमपुर के थारू अब दीवाली को धूमधाम से मनाने लगे हैं लेकिन खुशी से यह त्योहार मनाते हैं। जिम्मेदारी मानते हैं। सत्यनरायण कथा एवं ठाकुर पूजा भी एक महत्वपूर्ण धार्मिक क्रियाकलाप है जिसमें सब मिलकर पूजा करते प्रसाद बांटते, हवन करते हैं।

तालिका 4.2 : थारू के धार्मिक–आर्थिक क्रिया कलापों का समयवार विवरण

माह	थारू के हाथ के मुख्य आर्थिक क्रियाकलाप	थारू त्योहार	धार्मिक क्रियाकलाप	धार्मिक मेले	अन्य क्रियाक लाप
चैत (मार्च–अप्रैल)	रबी फसलों की कटाई	बड़ी चरई	भूमसन पूजा	वन्य गिरि जा देवी पाटन पूजा	
बैसाख (अप्रैल–मई)	रबी फसलों की कटाई एवं शिकार करना	छोटी चरई	–		
जेठ (मई–जून)	मछली मारना एवं शिकार		–	दशहरा मेला	
आषाढ़ (जून–जुलाई)	मछली मारना खरीफ फसल बोआई	असाढ़ी	नियति गंगा पूजा		
सावन (जुलाई–अगस्त)	मछली मारना	तीज	एवं नियति पूजा		
भादों (अगस्त–सितम्बर)	मक्का की कटाई एवं मछली मारना	जन्माष्टमी	कृष्ण पूजा	कृष्ण जन्माष्टमी	कृष्ण लीला
क्वांर (सितम्बर–अक्टूबर)	खरीफ फसल की कटाई	अउई	नया चावल पूजा	रामलीला	रामलीला
कार्तिक (अक्टूबर–नवम्बर)	रबी फसल की बुवाई				
अगहन (नवम्बर–दिसम्बर)	रबी फसल की बुवाई एवं चारा एकत्र करना		गंगा स्नान		
पूस (दिसम्बर–जनवरी)	शिकार एवं मछलियां मारना			शीतला माता	
माघ (जनवरी–फरवरी)	शिकार एवं मछलियां मारना		भूमसेन पूजा		
फाल्गुन (फरवरी–मार्च)	मसूर कटाई	होली			

4.23 आमोद–प्रमोद

थारू बड़ी आमोद–प्रिय जाति है। वस्तुतः आमोद–प्रमोद द्वारा ही वे अपनी अभावों भरी जिन्दगी के कष्टों को भुलाकर मस्ती और उल्लास के साथ जीवन यापन करते हैं। थारू पुरुष और महिलाएँ दोनों नृत्य–संगीत में भाग लेती हैं। प्रायः कोई पुरुष जनाना वेश धारण कर नृत्य या सोंग (स्वांग–अभिनय) करता है। एक पुरुष नर्तक पुरुष–वेश में तथा दूसरा पुरुष साथी स्त्री–वेश धारण कर युगल नृत्य करते हैं। इस नृत्य को (झुमड़ा) कहते हैं। इस युगल नृत्य में गीत की पंक्तियों को दोनो नर्तकों के अतिरिक्त उपस्थित सभी स्त्री–पुरुष साथ–साथ दुहराते गाते हैं। पुरुष वेशधारी नर्तक गले में मादल लटका कर बजाता है। मादल सामान्य ढोल से लम्बा किन्तु पतला होता है। दो–चार लोग मंजीर बजाते हैं। मंजीर और मादल में रंगीन फुँदने लगे होते हैं जिनसे उनकी सुन्दरता और आकर्षक हो जाती है। महिलाएँ केवल विशेष पर्वो पर नृत्य करती हैं। उनके नृत्य प्रायः समूह नृत्य होते हैं जिनमें दस बीस स्त्रियाँ सज्जित आकर्षक वेशभूषा के साथ नाचती झूमती हैं। महिलाओं के सामूहिक नृत्य में वाद्य पुरुष बजाते हैं तथा पंक्तिबद्ध महिलाएँ आगे पीछे झूमती नृत्य करती हैं।

दसई (दशहरा), खिचड़ी (माघ संक्रांति), तथा होली आदि त्योहार पर्वो पर या देवी–देवताओं की पूजा, मेलों, धार्मिक उत्सवों पर नृत्य कर विशेष आयोजन किए जाते हैं। नृत्य–संगीत का सिलसिला रात–दिन चलता रहता है। वाद्य यन्त्रों में मादल (ढोलक) डफ, मृदंग, खँजरी तथा मंजीर मुख्य हैं। थारुओं के नृत्य गान समय के अनुरूप भिन्न होते हैं जैसे दिन–चनवा गीत रात के गीतों से भिन्न होता है इसी प्रकार भोरहरी (रात के पिछले पहर के गीत) रात के प्रथम प्रहर की गीतों से भिन्नता रखते हैं। थारू गीतों में लहचारी, सजनी, झूमड़ा आदि प्रसिद्ध हैं। गीत–नृत्य के अतिरिक्त वे अभिनय प्रधान सोंग (स्वांग) भी करते हैं। सोंग स्वाँग का ही तद्‌भव शब्द है। इसमें संगीत, हास्य और नृत्य का समन्वय होता है। थारू जीवन से जुड़े कार्य–कलाप उनके अभिनय (सोंग) के विषय होते हैं। थारुओं के नृत्य–गीत उनके सुखों और दुःखों की भावपूर्ण अभिव्यंजना करते हैं।

होली भारत का राष्ट्रीय पर्व है। प्रायः सभी वर्गों और जातियों ने बड़े उत्साह और उत्सुकता से इसे अपना लिया है। थारुओं का तो सर्वाधिक लोकप्रिय त्योहार है। ऐसा प्रतीत होता है कि अन्य जातियों की अपेक्षा थारुओं ने होली पर्व पर अपने हृदय को पूरी तरह से न्यौछावर कर दिया है। थारू जनजीवन में यह समारोह अधिक जीवन्त भड़कीला और दीर्घकालिक हो गया है। थारू लोग मदिरापान, नृत्य और जीवन की मौज मस्ती के प्रति बहुत जागरूक होते हैं जिसका सर्वाधिक उन्मुक्त स्वरूप होली में देखने को मिलता है।

थारू लोग कई महीने पहले से होली की तैयारियाँ शुरू कर देते हैं। इस अवसर पर विवाहित युवतियाँ अपने मैके लौट आती हैं। लगभग डेढ़ मास तक चलने वाले इस लम्बे पर्व का वे हर्षातिरेक से उपभोग करती है। बैसाखी समारोह, जिसे थारूई बोली में "छोटी चरई" कहा जाता है, समाप्त हो जाने पर युवतियाँ फिर अपने पतिगृह लौट जाती हैं।

ढुँड़ेहरी – होली के समारोह का आरम्भ गाँव का प्रधान अथवा उसकी अनुपस्थिति में उसका छोटा भाई होलिका के ढेर में बड़े तड़के अग्नि प्रज्वलित करके करता है। इस अवसर पर सारा गाँव होलिका स्थल पर उपस्थित रहता है। अग्नि में चावल और गाय का दूध चढ़ाया जाता है। कुछ देर होलिकाग्नि तापने के बाद लोग अपने घरों को चले जाते हैं तथा घर के प्रातः कालीन आवश्यक कार्यों को निबटा कर लगभग दो घण्टे के बाद वे फिर उक्त स्थल पर एकत्र हो जाते हैं। इस समय तक होलिकाग्नि की लपटें भी शान्त हो जाती हैं। सभी लोग बूढ़े–बच्चे, स्त्री–पुरुष, मस्तक पर होलिका की राख का टीका लगाकर दारू पीने और रंग तथा कीचड़ परस्पर उछालने में जुट जाते हैं। यह हुड़दंग तीसरे पहर तक चलता रहता है। तत्पश्चात् लोग नहा–धोकर स्वच्छ अथवा नये वस्त्र धारण करते हैं। पर्व पर मीठी पूड़ी, दाल पूड़ी, आदि एकाध पकवान बनाये जाते हैं।

खगरेरा – ढुड़ेहरी (धूलहरी) के दूसरे दिन गाँव का प्रधान पूरे गाँव को अपने यहाँ भोज पर आमंत्रित करता है। चावल और हरिण अथवा सूअर का माँस खिलाने के साथ छक कर दारू पिलाई जाती है। लोग रात तक नाचते–गाते, रंगरेलियाँ मनाते हैं अगले दिन सामूहिक भोज किसी अन्य व्यक्ति के यहाँ आयोजित होता है। अपनी सुविधा के अनुसार प्रत्येक परिवार अपने घर सामूहिक भोज और रंगरेली का आयोजन करता है। सामूहिक भोज्य और रंगरेली का उत्सव केवल आठ दिनों तक ही मनाने की परम्परा है। यदि भोज का आयोजन अपने घर कराने वालों की संख्या अधिक होती है तो एक ही दिन दो–दो मेजबानों के घर आयोजन रख लिया जाता है। आठवें दिन आमोद–प्रमोद भरे सामूहिक भोज का समापन होता है। इस कृत्य को थारुई बोली में "खगरेरा" कहा जाता है। उस दिन प्रातः काल लोग कच्ची मिट्टी की परई या दीये में चावल और तेल रखते हैं। इन दीवों को वे जलूस बनाकर ग्राम देवता के "थान" तक ले जाते हैं। प्रधान इस जलूस का नेतृत्व करता है। लोग अपने साथ घी, गुड़ और धूप या चन्दन की लकड़ी, बेल या आम की सूखी लकड़ियाँ लेकर जाते हैं। इन वस्तुओं से ग्राम देवता को अगियार (अग्निहोम) दिया जाता है। प्रधान द्वारा ही यज्ञ क्रिया (अगियारी पूजन) सम्पन्न की जाती है। महिलाएँ देवस्थान के पास ही खाना पकाती हैं जिसे सब लोग मिल बाँट कर खाते हैं। देवपूजा में सभी परिवारों के प्रतिनिधि का उपस्थित रहना अनिवार्य माना जाता है। खाना खाने के बाद मदिरापान और रंग नहलाने का कार्यक्रम चलता है। खगरेरा की देव पूजा, भोज तथा हुड़दंग का मिला जुला कार्यक्रम दस पन्द्रह दिनों तक चलता रहता है।

खगरेरा समारोह के पश्चात् भी होली समारोह की श्रृंखला चलती रहती है। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष में थारू युवतियाँ चैती अमवा जिसे बड़ी चरई भी कहते हैं मनाने में जुट जाती हैं। स्त्रियाँ एक बाग में एकत्र होकर सामूहिक भोज्य पदार्थ तैयार करती हैं। घर–गुरवा बाग में ही पूजा कराता है। पूजा समाप्त होने के बाद ही भोजन किया जा सकता है। बड़ी चरई का समारोह मुख्यतः महिलाओं का समारोह है। अतः नाच–गाना और रंगरेलियों में पुरुष भाग नहीं लेते। भोजन सामग्री की व्यवस्था तथा पूजा सम्पन्न कराने के लिए ही दो चार लोग वहाँ उपस्थित रहते हैं तथा पूजा समाप्त होते ही वहाँ से अपने घर चले जाते हैं। महिलाएँ रात के पहले पहर तक बाग में ही आमोद–प्रमोद में मस्त रहती हैं।

बड़ी चरई के पश्चात् युवतियाँ बैसाख के प्रथम पक्ष में घर–गुरवा द्वारा नियत की गयी तिथि पर छोटी चरई अथवा बैसाखी का समारोह मनाती हैं। इस समारोह में भी युवतियाँ पूजा और सामूहिक भोज का आयोजन करती हैं तथा देर रात तक नाच–गान और रंगरेलियों में मस्त रहती हैं। छोटी चरई के साथ होली पर्व की श्रृंखला समाप्त हो जाती है। इसके उपरान्त मैके से युवतियाँ अपने पतिगृह के लिए प्रस्थान करती हैं।

होली पर्व में थारू स्त्रियों की प्रभुतापूर्ण भूमिका होती है। वे पूरी स्वच्छन्दता के साथ मौज मस्ती का आनन्द लेती हैं। पर्व के प्रथम दो दिन पुरुष और स्त्रियाँ दोनों रंगरेलियों में सक्रिय भाग लेते हैं इसके बाद पुरुष वर्ग की भूमिका स्त्री प्रधान समारोहों में पूजा–पाठ की व्यवस्था आदि जुटाने तक रह जाती हैं। इस परिश्रम के बदले उन्हें छक कर दारू पीने को मिल जाती है। थारू महिलाएँ भी दारू पीती हैं। किन्तु बहुत सीमित मात्रा में। होलिकोत्सव की रंगरेलियों की अवधि में थारू स्त्रियाँ पुरुषों की जरा भी परवाह नहीं करतीं। राग–रंग मनाने के लिए उन पर कोई प्रतिबन्ध नहीं रहता।

अशिक्षा और अन्धविश्वास में जकड़ी हुई थारू जाति दरिद्रता के अभिशाप से ग्रस्त अभावों भरी जिन्दगी को मौज मस्ती के सहारे बड़ी जिन्दादिली से काट लेते हैं। वे अशिक्षा को अभिशाप तथा दारू को दुर्व्यसन नहीं मानते।

4.24 संस्कार

मनुष्य जन्मतः पशुवत् होता है। अवस्था बढ़ने के साथ संस्कारों के प्रभाव से उसमें मानवोचित गुणों का विकास होने से वह पशु प्रवृत्तियों से मुक्त होकर संस्कारवान व्यक्ति बनता है। इन संस्कारों को बच्चा कुटुम्ब और समाज से प्राप्त करता है। 'मनुष्य सामाजिक प्राणी है' इस कथन का यही आशय है समाज के द्वारा ही व्यक्ति मानवोचित गुणों को अर्जित करता है। कुटुम्ब, विद्यालय तथा नैतिक एवं धार्मिक संस्थाएँ प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप में मनुष्यता के विकास में प्रभावी भूमिका निर्वहन करती हैं। ऐसे अनेक उदाहरण हैं जब नवजात मानवशिशु को मादा भेड़ियों ने अपनी माँद में रखकर अपने दूध तथा शिकार के कच्चे मांस पर पाला पोसा और बड़े होकर भी ये पशु मानव न तो कभी मनुष्य की भाषा बोल सके और न मानवोचित आचरण कर सके। उनमें समा गयी पशुप्रवृति आजीवन विद्यमान रही।

संस्कारों के अनन्य महत्त्व का विचार करके ही महर्षियों ने गृह्यसूत्र आदि गृहस्थ आचार–शास्त्रों में उत्तम व्यक्तित्व के निर्माण के लिए सोलह संस्कारों के निर्देश किये हैं। व्यक्तित्व निर्माण में इन संस्कारों की अपूर्व क्षमता की पुष्टि आधुनिक शरीरविज्ञान तथा मनोविज्ञान दोनों ही करते हैं। आजकल शास्त्रोक्त सोलह संस्कारों में से सुशिक्षित परिवारों में आठ संस्कार ही मुख्य रूप से प्रचलित हैं। थारू जैसे पिछड़ी जातियों में तीन या चार ही संस्कार मनाये जाते हैं।

1. जलम अर्थात् जातकर्म जो शिशु के जन्मते ही मनाया जाता है।

2. छठी या नामकरण संस्कार।

3. भोज अर्थात् विवाह संस्कार (थारुओं में गृहस्थाश्रम या विवाह संस्कार 'भोज' के नाम से प्रचलित और प्रसिद्ध है)।

4. मरनी–अर्थात् अन्त्येष्टि संस्कार।

नामकरण निष्क्रमण तथा मुण्डन आदि संस्कारों पर कोई विशेष आयोजन करने का चलन नहीं है। इधर गैर थारू समाज हिन्दू परिवारों की देखादेखी कुछ थारू के मुण्डन और नामकरण पर भी खिलाई–पिलाई करने लगे हैं। थारू जनजीवन की उपर्युक्त संस्कारों पर किये जाने वाले लोकाचार का विवरण संक्षेपतः इस प्रकार है –

थारू महिला को गर्भधारण करने से लेकर बच्चे के जन्म तक कुछ सावधानियाँ बरतनी पड़ती हैं। उसको ग्रहण/चन्द्रग्रहण में बाहर नहीं निकलना होता है। यदि बाहर निकलने की अति आवश्यकता हो तो पेट (गोंठकर) ढककर बाहर निकलना होता है प्रसववती को भुतहे स्थान पर जाना शव को छूना मुर्दाघाट जाना रात में बाहर निकलना निषिद्ध होता है। प्रत्येक प्रसववती को भरारा/द्वारा बनाया गया ताबीज पहनना होता है। ताबीज मान्यतानुसार गर्भस्थ शिशु एवं माता दोनों की कुदृष्टियों से रक्षा करता है। थारू प्रसवपूर्व बच्चे के लिंग के विषय में अनुमान लगाने के लिए चिरपरिचित नुख्से अपनाते हैं जैसे गर्भवती महिला का दांया पाव या पेट का दाया भाग अपेक्षाकृत भारी होने पर बालक के जन्म लेने की अधिक संभावना होती है। वहीं बांया पांव या पेट का बाया भाग भारी होने पर बालिका की। चलते समय यदि दायाँ पांव चिटककर या धीरे चलाया जा सके तो बालक के जन्म लेने की आशा बढ़ जाती है, गर्भावस्था में महिला के खुशमिजाज या वातूनी होने पर पुरुष शिशु की संभावनाएँ बढ़ जाती हैं। वहीं गुमसुम रहने पर बालिका की आदि। प्रसव के पांच दिनों तक जच्चा बच्चा को अपवित्र मानते हैं। उस दिन तक नवजात शिशु को उसका बाप भी नहीं देखने को पाता है।

जलम (जातकर्म) – प्रसव से लेकर बच्चे की बरही तक जच्चा–बच्चा का साज–सँभाल का काम एक निपुण थारू महिला करती है। थारू बोली में उसे "सोढ़िनिया" कहा जाता है। प्रसव वेदना आरम्भ होते ही उसे बुला लिया जाता है। प्रसव हो जाने पर वह बच्चे की नाल (ढोंढ़ी) हँसिया से काटती हैं। नेपाल के थारुओं में नाल काटने के पहले हँसिया का फाल आग में तपा कर लाल कर लिया जाता है फिर उसे ठंडा करके उसी से नाल काटते हैं। कटी हुई नाल जमीन में गाड़ दी जाती है। तत्पश्चात् बच्चे को नहलाया जाता है। नवजात शिशु को प्रसूता अपने स्तन का पेउस दूध (पीयूष) पिलाती है। यदि उसके दूध ने उतरे तो बकरी अथवा गाय का दूध या किसी अन्य स्त्री का दूध बच्चे को पिलाया जाता है। प्रसूता को थारुई बोली में "औंसही" कहते हैं। नवजात शिशु के साथ "औंसही" घर के जिस भाग (कमरे) में रहती है उस सौरीघर (सूतिका गृह) को थारुई बोली में "सउड़ी बइथल कोथा" कहा जाता है। इस कमरे में जच्चा–बच्चा और दाई (सोढ़िनिया) के अतिरिक्त किसी अन्य व्यक्ति का प्रवेश निषिद्ध होता है।

प्रसूता को पहले दिन खाना नहीं दिया जाता। उत्तर प्रदेश के थारुओं में उस दिन पानी भी नहीं देते किन्तु थोड़ी–सी मदिरा पीने को दी जाती है। दूसरे दिन मुर्गे का झोल (शोरबा) अनिवार्य रूप से दिया जाता है। इस दिन से प्रसूता को एक बार खाना (दाल भात) देने लगते हैं। शाम को पीने के लिए जाँड़ भी देते हैं। छठी तक प्रसूता को प्रतिदिन "खरोन पानी या घावा" दिया जाता है। घावा बनाने की विधि है कि अदरक पीसकर सरसों के तेल में जीरा सहित डालकर भूनने के बाद पानी और गुड़ डालकर पकाते हैं। यदि हो सके तो मखाना, गरी, किशमिश भी डाल देते हैं परन्तु यह एकाध सम्पन्न घरों में ही सम्भव हो पाता है। प्रसूता के लिए यह पेय स्वादिष्ट और पौष्टिक होता है।

अवध के अन्य हिन्दू जातियों की भाँति थारुओं में भी छट्‌ठी मनाने की प्रथा है। पुत्र जन्म पर ये लोग भी पुत्री जन्म की अपेक्षा अधिक उत्साह से मनाते हैं। घर को गोबर से लीपते हैं तथा जलती आग को हटा देते हैं। सम्पन्न घरों में बन्धु–बान्धव, समीपी रिश्तेदारों तथा पड़ोसीजनों को भी उत्सव में आमंत्रित कर खिलाया–पिलाया जाता है। नेपाल के थारुओं में सोढ़िनिया जच्चा–बच्चा की सेवा टहल आदि आठ दिनों तक करती है। आठवें दिन भी मुर्गा काटा जाता है। उस दिन सोढ़िनिया सूतिका गृह की सफाई तथा जच्चा–बच्चा को तेल–बुकवा करके सेवा टहल से छुट्टी पा जाती है। नवें दिन किसी जलाशय के तट पर गोबर से वेदी लीपकर सोढ़िनिया नहा–धोकर जौ, चावल, लाही और मिर्चा से पूजा करके अपना पारिश्रिमिक लेकर प्रसूता के घर से विदा लेती है। बच्चे को कुदृष्टि से रक्षा करने के लिए शिशु की मामी उसका कान छेदती है और और शिशु को चावल/अन्न से तोला जाता है तथा उस चावल को मामी या वरीयतानुसार किसी महिला को दे दिया जाता है। नवजात शिशु के गले में मूँग की माला हाथों में कड़े तथा हाथ पांव में काला धागा बांधते हैं। शिशु की बुआ शिशु को काजल लगाती है।

बच्चे का नामकरण, छठी संस्कार उसके बाद बच्चे के मामा द्वारा किया जाता है। मामा की अनुपस्थिति में यह कार्य कोई अन्य मान्य (पद में बड़ा) रिश्तेदार करता है। नेपाल के थारुओं में "देसबँधिया" गुरवा द्वारा भी नामकरण सम्पन्न करा लिया जाता है।

थारुओं में मुंडन संस्कार का भी चलन है। मुंडन तीसरे या पाँचवें वर्ष में होता है। बच्चे का मामा छूरे से सिर के पूरे बाल (चोटी के बाल छोड़े बिना) बना देता है। मुंडन प्रायः मामा के घर पर कराने का चलन है अन्यथा मामा को बहन अपने घर बुलाकर अपने बच्चे का मुंडन कराती है। मुर्गा, बकरा या जीता (पालतू सुअर) मारते हैं। समीपी लोगों को दारू मांस खिलाते–पिलाते हैं। थारू चोटी (चुरकी) रखते हैं। मुंडन के बाद दुबारा बाल बनाते समय मामा रूपये भेंट स्वरूप देता है।

थारू परिवारों विशेषकर नेपाल के थारूओं में विवाह के पहले 'पुत–बधाव पूजा' का भी आयोजन करने की रस्म है। इस अवसर पर कुल देवता को पठिया और खसी चढ़ाया जाता है। इस पूजा में पठिया लड़के के घर से और बकरा मामा के घर से आता है। पूजा लड़के घर तथा कभी–कभी मामा के घर पर होती है। इस पूजा में जाँड़ न चढ़ाकर "दारू" (महुए के देसी शराब) चढ़ाते हैं। दारू

तैयार न होने पर जौ कूट करके उसे उबालते हैं और उसमें साखू का बुरादा या साखू के कोमल पत्ते कूँचकर डाल देते हैं। पक जाने पर उसे चढ़ाने योग्य माना जाता है। इस मादक पेय को वे ''चुकाओ बुझड'' कहते हैं। नवजात शिशु को नहलाने के बाद उसे बिच्छू सर्प आदि विषैले जन्तुओं के प्रभाव से मुक्त रखने के लिए थारूओं में एक टोटका प्रचलित है। कुश या काँस का सूखा पौधा जड़ समेत खोदकर लाया जाता है। पौधे के बीच साँप का शिर या बिच्छू का डंक जो पहले से लोग ढूँढकर रखे रहते हैं। कुश काँस के बीच रखकर अँगीठी के ऊपर बच्चे के यथासम्भव निकट रखकर जलाते हैं जिससे ताप और धुँआ उसके शरीर तक पहुँच सके। थारूओं में विश्वास है कि इस क्रिया से शिशु साँप और बिच्छू जैसे विषैले जन्तुओं से सुरक्षित रहेगा। सूतिका गृह में लोहे की कोई वस्तु खुरपी–छुरी–चाकू आदि रख दी जाती है। थारू यह मानते हैं कि लोहे की वस्तु के रहते बच्चा बुरी आत्मा की कुदृष्टि से बचा रहता है।

श्रावस्ती एवं बलरामपुर के थारूओं में थारू सोढ़िनिया के स्थान पर जच्चा का सेवा टहल के लिए चमारिन दाई बारह दिनों तक नियुक्त करने की प्रथा है। थारूओं में गोद लेने की भी प्रथा है। निःसंतान दम्पत्ति एक छोटा मोटा आयोजन कर अपने भतीजे मुख्यतः सबसे बड़े भाई के लड़कों को गोद लेता है। श्रावस्ती, बलरामपुर के दंगुरिया थारूओं में किसी विधवा से ब्याह करने वाला थारू उसके पूर्व पति से उत्पन्न बच्चे को भी पुत्र के रूप में स्वीकार करता है तथा वे बच्चे पुनर्विवाह से उत्पन्न बच्चों से ज्येष्ठता पाने के अधिकारी होते हैं।

भोज (विवाह संस्कार) – थारूओं में विवाह संस्कार को भोज कहा जाता है। यह थारू जीवन का सबसे महत्त्वपूर्ण आयोजन है। थारुओं में विवाह प्रायः छोटी अवस्था में ही हो जाते हैं। किन्तु उत्तर प्रदेश में कुर्मी नामक जाति में प्रचलित शिशु विवाह जैसा चलन थारुओं में नहीं है। वैवाहिक रिश्ता लड़के तथा लड़की के पिता अथवा अभिभावकों द्वारा थारू कबीले के भीतर ही तय किया जाता है। कभी–कभी मझपतिया भी महत्त्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। गोत्र का विचार होता है। एक ही गोत्र के लड़के–लड़की का रिश्ता नहीं होता। ममेरे–फुफेरे भाई–बहनों के बीच विवाह का चलन है किन्तु मौसेरे भाई–बहनों का सम्बन्ध बचाया जाता है। भोज के दो रूप प्रचलित हैं[51] –

1. सटहा भोज, 2.एकरंगा भोज।

सटहा का अर्थ है – सटा हुआ या जुड़ा हुआ। जब दो परिवारों के बीच दो जोड़ों को अदला–बदली के आधार पर ब्याह रचाया जाता है तो उसे सटहा या बदला विवाह कहते हैं। सटहा भोज तीन प्रकार के होते हैं। –

क. बदल भोज, ख. तिनतिकथी या तिरकोन भोज, ग. चारकोन भोज।

बदला भोज में एक परिवार का लड़का दूसरे परिवार के लड़की के साथ और दूसरे परिवार का लड़का पहले परिवार के लड़की के साथ अनुबन्धित कर लिया जाता है। बदला दो परिवारों के

बीच सम्पन्न होता है। जबकि तिरकोन (तिनतिकथी) और चारकोन के सटहा भोज क्रमशः तीन तथा चार परिवारों में एक ही साथ अनुबन्धित होते हैं।

सटहा भोज विशेषकर बदला भोज थारू समाज के लिए अभिशाप है। स्वयं थारू लोग भी बदला विवाह को निष्कृट मानते हैं। किन्तु अति निर्धन परिवारों में आर्थिक दुर्बलता के कारण सटहा भोज का अभिशाप स्वीकारने की उनकी विवशता है। अदला–बदली के कारण उपहार आदि के आपसी लेन–देन में काफी कटौती हो जाती है। अपनी पुत्री साधारण वस्त्र आदि के साथ जिस परिवार को दी गई उस परिवार की कन्या उसी प्रकार साधारण वस्त्र आदि के साथ बहू बनकर अपने घर आ गई। लम्बी रकम न देनी पड़ी और न मिली। परन्तु सटहा भोज खर्चीला न होते हुए भी अनेक बुराइयों से भरा है। सबसे बड़ा दोष यह है कि ऐसा विवाह प्रायः अनमेल होते हैं। मान लीजिए "एक" परिवार में एक कुँवारा लड़का दस वर्ष का है उसका रिश्ता दूसरे परिवार में बारह वर्ष की कन्या से तय हुआ बदले में दूसरे परिवार में एक लड़का तीन ही वर्ष का है और संयोग से पहले परिवार की लड़की ग्यारह वर्ष की है तो भी बदला भोज की स्थिति स्वीकारने में सम्बन्ध तय कर लिया जायेगा। निश्चित है कि ऐसे सम्बन्धों से दाम्पत्य जीवन सुखमय नहीं बन पाता। अतः आजकल थारू समाज सटहा भोज विशेषकर बदला भोज को गिरी निगाह से देखता है और उससे बचने का भरसक प्रयास करता है।

नेपाल देश के "चितवन" आदि कुछ जिलों में भोज सम्बन्धी एक विलक्षण प्रथा भी है जिसमें लड़के को लड़की के पिता के घर पर कामगर (कमइया) के रूप में एक या दो वर्ष, जैसा कि लड़की का पिता तय करे, रहकर टहल (काम) करना पड़ता है। इस प्रकार लड़का अपने परिश्रम द्वारा लड़की का मूल्य उसके पिता को चुकाता है। निर्धारित अवधि पूरी हो जाने पर लड़का, लड़की को पत्नी के रूप में अपने घर लाने के लिए स्वतन्त्र होता है विवाह की यह प्रथा भी जनजाति के अत्यन्त निर्धन परिवारों के बीच ही प्रचलित है।

विवाह्पद्धति दिखनौरी व पोढ़–पक्की सससकी – साधारणतः विवाह योग्य लड़के की खोज तथा सम्बन्ध के लिए प्रस्ताव की पहल लड़की के पिता की ओर से होती है। लड़की का पिता अपने मित्रों नाते–रिश्तेदारों अथवा मझपटिया (मध्यस्थ) से यह जानकारी पाने पर कि अमुक गाँव में अमुक थारू के घर विवाह–योग्य लड़का है किसी शुभ सायत पर घर–वर देखने के लिए दो चार सहयोगियों रिश्तेदारों के साथ लड़के के घर जाता है। घर और लड़का पसन्द आने पर वह कुछ रुपया लड़के को दे देता है। यह रस्म गैर थारू हिन्दू जातियों में प्रचलित "वर–रक्षा" (बरच्छा) के समान है। लड़की वालों से वर–रक्षा की रकम ले लेने पर लड़के वाले अपने लड़के के लिए अन्यत्र किसी प्रस्ताव पर हामी नहीं भर सकते। लड़के वाले यह रकम अपने पास तब तक रखते हैं जब तक लड़के का पिता अपने इष्ट मित्रों के साथ लड़की के घर जाकर पोढ़–पक्का नहीं करता। यदि लड़की और उसका घर–परिवार लड़के वालों को पसन्द आ जाता है तो वर–रक्षा के रुपये लौटाये नहीं जाते। किन्तु यदि किसी कारण लड़के वाले उक्त प्रस्तात अस्वीकार कर देते हैं तो वर–रक्षा की रकम लड़की के पिता को वापस कर

दी जाती है। लड़की का घर–परिवार पसन्द आ जाने पर विवाह सम्बन्धी प्रक्रिया आगे बढ़ती है। दोनों पक्ष्ज्ञ निकट की कोई तिथि निश्चित करते हैं जिस दिन लड़की का पिता अपने दो चार इष्ट–मित्रों के साथ लड़के के घर जाता है। लड़के के घर पर गाँव के भाई पट्टीदार तथा उसके करीबी रिश्तेदार भी आते हैं। लड़की का पिता लड़के के पिता के माथे पर दही चावल से टीका करता है। उपस्थित लोगों के बीच लड़की का पिता घोषणा करता है कि उसने अमुक महतो के अमुक नाम के लड़के के साथ अपनी अमुक नाम की लड़की का भोज करना स्वीकार किया है। लड़के के पिता की ओर से भी इसी प्रकार की घोषणा की जाती है। ये घोषणाएँ तीन–तीन बार दोहरायी जाती हैं। तत्पश्चात् दोनों पक्षों की सहमति से विवाह की तिथि निश्चित होती है। लड़के वाले लड़की वालों तथा आये हुए रिश्तेदारों को खाना खिलाते हैं। जिसमें शिकार (मांस) और दारू की प्रधानता होती है। इस खिलाई–पिलाई द्वारा अतिथि सत्कार के पश्चात् लड़की वाले अपने घर वापस आते हैं और भोज की तैयारी में जुट जाते हैं।

थारुओं में भोज मुख्यतः डिठवन (कार्तिक शुक्लकार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी–या देवोत्थान एकादशी) से प्रारम्भ होकर माघ पूर्णिमा के बीच रचाये जाते हैं। गैर थारू हिन्दुओं की देखा–देखी फाल्गुन और वैशाख में भी भोज रचाने का चलन अब थारुओं में बढ़ रहा है।

चाउर करई और दिउलाही – भोज की तिथि के चार–पाँच दिन पूर्व वर के घर पर चाउर करई की रस्म होती है। इस रस्म में पाँच मन चावल (चौदह किलो का एक कच्चा मन) ढाई मन दाल, दस सेर भेली (गुड़), दो बोतल दारू तथा नमक, मिर्च, मसाला, झींगा, सिधरा (सुखाई मछलियाँ) आदि बँहगी में भरकर लड़के के पक्ष से कन्या पक्ष के घर भेजा जाता है। कन्या पक्ष वाले इसमें से अपने इच्छानुसार कुल या कुछ सामान रख लेते हैं। शेष वापस कर देते हैं। परन्तु कुछ न कुछ सामान रख लेना आवश्यक और शुभ माना जाता है। इस रस्म में लड़की के घर सामान लेकर जाते समय नगाड़ा, डफला आदि कोई एक बाजा ले जाना शुभ माना जाता है। चउर करई की रस्म पूरी करके लोग जब घर लौटते हैं तो उस दिन यानी उक्त रस्म के दूसरे दिन लड़के वाले अपने गाँव–घर तथा रिश्तेदारों को खिलाते पिलाते भी हैं। किन्तु यह रिवाज गिने–चुने सम्पन्न थारू परिवारों तक ही सीमित है। भोज की तिथि के दो दिन पहले "दिउलाही" होती है। उस दिन स्त्रियाँ उड़द को दल कर दाल को रात में भिगो देती हैं। दूसरे दिन दोपहर के बाद गाँव घर की औरतें जुटकर भीगी हुई दाल धोकर छिलका अलग करती हैं। फिर धोई को सिलपर पीसकर कचरी (पीठा) तैयार करती हैं। शाम को कचरी की बरिया (बड़ा) तली जाती है। भोज के दिन दूल्हा यही कचरी का बरिया खाकर ससुराल के लिए प्रस्थान करता है। कचरी का बरिया खिलाकर भेजना आवश्यक तथा शुभ माना जाता है। शादी के दिन दुल्हन/दूल्हा के माँ सरदेनारश्म के लिए महिलाओं के साथ मुखिया के घर जाती साथ में थाली में चावल भरकर कुछ रुपये ले जाती हैं। पधनिया (मुखिया की पत्नी) उस सगुन को रख लेती है तथा नव दम्पत्ति के मंगल भविष्य की कामना करती हैं महिलाएँ घर में चावल के आटे का वर्ग बनाकर उसके चारो कोनों पर दीपक जलाकर पूजा करती हैं।

बारात की तैयारी – बारात की तैयारी में दूल्हे को सजाने का कार्य महत्त्वपूर्ण माना जाता है। दूल्हे की साज संभाल का दायित्व जिस व्यक्ति को सौंपा जाता है उसे ''गँजवा'' कहते हैं। यह दायित्व दूल्हे के किसी मान्य व्यक्ति फूफा या जीजा को दिया जाता है। गँजवा का दायित्व पूरा करने के लिए भोज के पश्चात् उसे कोई अच्छा–सा नेग दिया जाता है। दूल्हा सजाने के पहले उसे नहलाने की रस्म होती है। गँजवा और सहबाला (दूल्हे के साथ डोली पर बैठकर जाने वाला उसका छोटा भाई) मिलकर कुदाल से आँगन में छोटा–सा गड्ढा खोदते हैं। गड्ढे पर जुआठा (जुआठ) रखकर उस पर बिठलाकर दूल्हे को नहलाते हैं। नहलाने के पूर्व बुआ, बहन आदि मिलकर दूल्हे को बुकवा (उबटन) लगाती हैं। फिर गँजवा स्नान कराता है। तत्पश्चात् गँजवा, बुआ बहन आदि मिलकर दूल्हे को सजाते हैं। पैरों में रंग, आँखों में काजल लगाते हैं, जीजा/फूफा दूल्हे को जामा जोड़ा पगिया पहनाते हैं। कचरी की बरिया खाकर दूल्हा ''दोला'' (डोला, पालकी, मिआना) में बैठता है। कठरिया थारू में घोड़े पर सवार हो हाथ में तलवार म्यान लेकर दूल्हा व्याहने जाता है। घर वालों तथा बारातियों को भी कचरी की बरिया खाने को दी जाती है। माँ भी डोली में साथ बैठकर वर को कुँआ घुमाने ले जाती है। साथ में गाँव घर की स्त्रियों बच्चों का झुण्ड पैदल जाता है। कुँआ घूमने के बाद दूल्हा ''देवर्हार'' पर जाकर पूजा की रस्म पूरी करने के उपरान्त ससुराल के लिए प्रस्थान करता है। सहबाला डोली में साथ बैठकर जाता है। पचास–साठ लोगों का बाराती–दल पैदल जाता है। बाज वाले भी साथ जाते हैं। गाँव से थोड़ी दूर तक दूल्हे को पहुँचा कर स्त्रियाँ गाती हुई अपने घर को लौट जाती हैं।

बारात प्रस्थान करने के एक दो घण्टा पहले के यहाँ से दो चार लोग जो दोनों पक्षों से सम्बन्धित, सुपरिचित होते हैं जाकर कन्या पक्ष वालों को सूचित कर देते हैं कि बारात एक आध घंटे में पहुँचने वाली है तथा बारातियों की संख्या भी बतला देते हैं जिससे कि लड़की वालों को बारात के लिए आवश्यक सुविधा व्यवस्था करने में सहायता मिलती है। यह सूचना देने के लिए गये हुए लोग ''भितरहा'' कहलाते हैं। नेपाल के थारुओं में रिवाज है कि बारात के रास्ते में जो भी गाँव पड़ता है वहाँ का ''गणधुरिया'' बारात को खाने–पीने के लिए कुछ चीजें पेश करता है जो बाराती खाना पीना स्वीकार करते हैं। वे बदले में एक या दो रुपया उन्हें पुरस्कार स्वरूप देते हैं।

थारुओं में विवाह के लिए गिने–चुने दिन निश्चित किये जाते हैं सामान्यतः शुक्रवार, वृहस्पतिवार [52]या शनिवार को परिणामतः गाँव में एक ही दिन आठ–दस बारातें आ जाती हैं। सभी बारातें गाँव के बाहर किसी खुले मैदान, अधिकतर खाली पड़े खेत में ठहराई जाती है। जब तक गाँव में उस दिन आने वाली सभी बारातें नहीं पहुँच जाती हैं तब तक गाँव का कोई भी व्यक्ति (घराती) किसी भी बारात की अगवानी के लिए नहीं जाता है। जब सभी बारातें के पहुँच जाने की सूचना मिल जाती है तो गणधुरिया गाँव के लोगों को लेकर बारात की अगवानी के लिए जाता है। जो वर आयु में सबसे ज्येष्ठ होता है उसकी बारात सबसे आगे तत्पश्चात् अवस्थाक्रम से अन्य बारातों का जुलूस द्वारचार के लिए चलता है। गाँव में प्रवेश कर सभी बारातें पृथक्–पृथक् वधू–गृहों के लिए अलग हो जाती हैं। मझपटिया आगे नाचते हुए जाता है। लड़की के द्वार के आगे बनायी गयी वेदी पर द्वारचार

होता है। पहले गोड़धोवाई की रस्म होती है। घड़े में पानी लेकर कुछ स्त्रियाँ आती हें। बारातियों का पैर धोने के बदले वह नेग माँगती हैं। बाराती उनसे हँसी–मजाक करते हैं, और नेग में दो–चार रुपये, पाँच भेली तथा पेनी तम्बाकू जिसे धोधी कहा जाता है, देते हैं। इसके उपरान्त खाने के लिए बुलावा आता है। दूल्हे सहित सभी बाराती वधू गृह पर जाकर भोजन करते हैं। जिसमें शिकार (कलिया–सूअर का मांस) और दारू का विशेष प्रबन्ध होता है। खा–पीकर सब लोग रात्रि विश्राम के लिए जनवासा (खेत) में लौट आते हैं। दूल्हा वधू के घर पर ही रोक लिया जाता है। उसे वधू के कुल देवता की पूजा के लिए ले जाया जाता है। ''घरगुरवा'' पूजा कराता है। फिर दूल्हे को दूसरी कोन्टी (कोठरी) में ले जाते हैं। जहाँ उसके दो–चार वयस्क मित्र भी उसकी प्रतीक्षा में रहते हैं। दूल्हन की युवती सहेलियाँ वहाँ आ जाती हैं वे अश्लील गीत (गारी) गाती हैं। जिसका भाव होता है कि वह निर्दयी उनकी सहेली को छीनकर उनसे अलग कर रहा है। कुछ देर के बाद युवतियों का झुण्ड वापस चला जाता है। दूल्हा अपने मित्रों के साथ वहीं सोता है। भोर में उठकर सभी जनवो में चले जाते हैं।

उल्लेखनीय है कि वधू विवाह की रात्रि में ऐसी कोई भी रस्म नही होती है जिसे वर–वधू एक साथ मिल–बैठकर पूरी करते हों। लाजाहुति (लावा परछना) सप्तपदी (यज्ञाग्नि की प्रदक्षिणा–सात भाँवरें घूमना) शिलारोहण (पैर से सिल को छूना) सिन्दूर दान (माँग में सिन्दूर भरना) आदि जो सभी अन्य हिन्दू जातियों में विवाह के अनिवार्य कृत्य हैं थारुओं में नहीं किये जाते। वधू के घर पर बारातियों का छककर माँस–मदिरा भोज ही प्रधान कृत्य है जो विवाह के दिन सम्पन्न होता है। उस दृष्टि से थारुओं द्वारा विवाह को भोज कहा जाना बिल्कुल सार्थक है। बदलते परिवेश में घरगुरवा या थरूबभना के स्थान पर गैर थारू ब्राह्मण (बजिया पंडिटवा) के द्वारा वैवाहिक कृत्य सम्पादित कराने की प्रथा सम्पन्न थारू परिवारों में चल पड़ी है। ऐसे विवाहों को वे भोज न कहकर विवाह नाम देने लगे हैं।

भोज के दूसरे दिन जलपान तथा भोजनोपरान्त बारात वापस प्रस्थान करती है। दूल्हा डोली में बैठकर आता है। बारात विदा हो जाने के एक या दो घंटे बाद वधू की डोली भी ससुराल के लिए प्रस्थान करती है। साथ में कन्या पक्ष के दस–पन्द्रह व्यक्ति भी जिनमें दो चार स्त्रियाँ भी होती हैं, लड़की की डोली के साथ पैदल प्रस्थान करते हैं। लड़के की डोली अपने घर पहुँच कर द्वार पर तब तक प्रतीक्षा करती है जब तक दुल्हन की डोली भी पहुँच नहीं जाती। सहबाला डोली से निकलकर घर चला जाता है। दुल्हन की डोली के बगैर दूल्हा घर के भीतर प्रवेश नहीं कर सकता है। जब दोनों की डोली पहुँच जाती है तो दूल्हे की माँ अथवा उस घर की सबसे ज्येष्ठ महिला (किसनिनिया) डोली को ''परछती'' हैं। राना थारुओं में ''चारा छिंटा'' रिवाज के अनुसार पीतल थारी में चारा रखकर चारो ओर घुमाते हैं पुनः भोर घिराई रश्म करते हैं तथा सूप में कुछ अनाज व दीपक रखकर बायें हाथ में लेकर परछने वाली स्त्री अपने दायें हाथ से मूसल, पानी से भरा लोटा, खैलर (दही मथने की लकड़ी की मथानी) और लोढ़ा (बट्टा) लेकर पृथक्–पृथक् तीन या चार बार आरती उतारकर हर बार सूप से छुआती हैं। परिछन की रस्म पूरी हो चुकने पर वर–वधू घर में प्रवेश करते हैं द्वार पर घर की लड़कियाँ वर का रास्ता छेंकती हैं। वर नेग देकर घर के भीतर प्रवेश करता है। तत्पश्चात् वर–वधू

दोनों कुल देवता की कोठरी में जाते हैं और उसकी पूजा करते हैं। वहीं पर दुल्हन दूल्हे के पैरों में बुकवा उबटन मलती (छुआती) है राना में 'सीताकौर; रश्म के अनुसार वर वधू एक दूसरे को गुड़ मिला दही भात खिलाते हैं। कुछ स्थानों पर वर–वधू के सिर आपस में तीन बार छुआये जाते हैं। फिर दुल्हा–दुल्हन अलग हो जाते हैं। दुल्हन पहली बार ससुराल में केवल एक रात बिताती है। दुल्हन के साथ उसकी भाभी या घर की अन्य कोई प्रौढ़ा स्त्री भी आती है। जिसे "चोहँदी" कहते हैं। अपरिचित ससुराल में दुल्हन की साज सँभाल चोहँदी ही करती है। ससुराल में एक रात बिताकर दूसरे दिन दोपहर के बाद दुल्हन मैके से साथ आये लोगों के साथ पितृगृह के लिए विदा हो जाती है। विदाई के पूर्व लड़के के घरवाले कन्या–पक्ष के पाहुनों की सेवा लगाते हैं। कुएँ से पानी भर–भर कर उन्हें नहलाते हैं। हँसी–मजाक होता है। एक–एक व्यक्ति पचीस–तीस घड़े या बाल्टी से स्नान कर घर वालों को खिझाते, मजा लेते हैं। खिलाई–पिलाई के बाद कन्या–पक्ष वाले अपने घर के लिए प्रस्थान कर देते हैं। राना थारुओं के संध्या के समय यह दुल्हिन के उपलक्ष्य में 'बहूज' के रश्मानुसार दावत देते हैं वही गाँववासियों को "कच्ची या पक्की रोटी देते हैं।" राना थारुओं में गौने के समान 'चाला' रश्म एवं कुछ दिन बाद 'दूसरा चाला रश्म मनाते हैं।'

चितवन के थारुओं में प्रथा है कि दुल्हन ससुराल से प्रथम आगमन के समय अपने साथ एक–दो बोतल दारू, एक चटाई और सुअर का सिर मैके को ले जाती है। ये वस्तुएँ वर पक्ष की ओर से सम्मानार्थ उपहार स्वरूप होती हैं। कुछ दिनों के बाद वर–पक्ष के भी कुछ लोग कन्या–पक्ष के घर जाते हैं। यह रस्म "नाता फेरना" कहलाती है। पहली बार ससुराल से आकर दुल्हन दो तीन वर्षों तक मैके में ही रहती है। कन्या किन्हीं पारिवारिक उत्सवों में ही कभी अपनी दो एक सहेलियों के साथ ससुराल जाती है। पिता के घर रहते समय वह अपने मैके से तथा ससुराल से प्राप्त आभूषण भी अपने पास ही रखती है। दूसरी बार ससुराल आकर वह मुख्यतः ससुराल की निवासिनी बन जाती है और कभी कभार ही मैके को वापस जाती है। थारुओं में यह भी रिवाज है कि यदि विवाह के दिन वर संयोगवश अस्वस्थ हो जाय तो उसका भाला, जो दूल्हा विवाह की समस्त विधि पूरी होने तक साथ रखता है, भेज देता है। उसे वर का प्रतिनिधि मानकर विवाह की रस्म पूरी कर ली जाती है।

विवाह सम्बन्धी व्यस्तताओं से अवकाश पाने पर जितनी जल्दी सम्भव हो दूल्हा अपने सभी प्रमुख रिश्तेदारों के घर कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए जाता है। वह अपने साथ प्रत्येक सम्बन्धी के लिए एक मचिया, एक चटाई और पाँच भेली लेकर जाता है। यह सामान ढोने के लिए वह अपने घर के किसी व्यक्ति या मित्र को साथ लेकर जाता है। थारू लोग अपनी बहू को अपने घर की इज्जत मानते हैं। उनकी बहू से मजाक करने पर वे बहुत नाराज होते हैं, जबकि उनकी बेटी से मजाक करने का वे बुरा नहीं मानते हैं। उनका मानना है कि बेटी तो पता नहीं किस घर की बहू बनकर जायेगी किन्तु जो बहू अपने घर आई है वह अपने कुल–खानदान की इज्जत है।

थारुओं में अन्य हिन्दू जातियों की अपेक्षा स्त्रियों को अधिक स्वतंत्रता प्राप्त है। पुनर्विवाह की प्रथा है। पति के दिवंगत हो जाने पर पत्नी अपने देवर या किसी उपयुक्त थारू के साथ रिश्ता कर सकती है। दाम्पत्य जीवन में गतिरोध आ जाने पर सम्बन्ध विच्छेद करने का भी प्रचलन है। यदि कोई थारू युवक किसी विवाहिता थारुनी को उढ़ार कर लाता है तो उसे थारू पंचायत द्वारा तय किया गया मुआवजा उस स्त्री के पूर्व पति को देना पड़ता है तलाकशुदा स्त्री से विवाह को 'उरारी' प्रथा कहते हैं। बदला विवाह के चलते प्रायः अनमेल विवाहों की स्थिति पैदा हो जाती है। इस कुप्रथा से पीड़ित युवतियाँ अपने अबोध, अत्यल्प अवस्था वाले पति को छोड़कर किसी मनपसन्द युवा थारू के साथ प्रणय सम्बन्ध जोड़ लेती है। प्रायः ऐसे मामले बिरादरी पंचायत में आते रहते हैं। पंचायत उन्हें पूर्व वैवाहिक सम्बन्धों को पुनः स्थापित करने के लिए समझात हैं किन्तु यदि युवक या युवती पूर्व वैवाहिक सम्बन्ध को अपनाने पर तैयार नहीं होते हैं तो युवती के पूर्व पति को युवती का नया प्रेमी पंचायत द्वारा निर्धारित अर्थदण्ड अदा करता है। युवती को ससुराल पक्ष से प्राप्त आभूषण भी वापस करने पड़ते हैं। इसके उपरान्त वह उढ़री बिरादरी द्वारा मान्यता प्राप्त पत्नी की भाँति अपने नये पति के साथ रहने लगती है।

विधुर अथवा पूर्व पत्नी का किसी कारणवश परित्याग कर देने वाले पुरुष के लिए किसी उढ़री का प्रबन्ध करने का काम मझपटिया (मध्यस्थ, बिचौलिया) करता है। इस कार्य के लिए मझपटिया उस व्यक्ति से चार–पाँच सौ रुपये अपने पारिश्रमिक के रूप में ले लेता है। पूर्व पति को मुआवजा भरने तथा उढ़री थारुनी को आकर्षित करने के लिए कपड़े–गहने आदि में लगभग पाँच–छः हजार रुपये खर्च हो जाते हैं।

विवाह पूर्व प्रणय सम्बन्ध – यौनाचार के प्रति थारुओं का दृष्टिकोण नितान्त यथार्थपरक होता है। खीरी के थारुओं का गहन अध्ययन करने वाले विद्वान् श्री अमीर हसन, के अनुसार यौनाचार और और विवाह के सम्बन्ध में खीरी के थारुओं का दृष्टिकोण न केवल मनोरंजक अपितु बहुत कुछ विलक्षण भी है। रजोदर्शन की अवस्था प्राप्त करते ही थारू किशोरी ढिंगरिया उपयुक्त किशोर सहचर (ढिंगरा) की तलाश शुरू कर देती है। कुछ अधिक अवस्था वाले लड़के–लड़कियाँ उपयुक्त सहचर तलाशने में उसके सहायक बनते हैं। लगभग शत–प्रतिशत मामलों में उनका साहचर्य यौन सम्बन्धों में परिणित हो जाता है। कौमार्य की परिहार्यता शिथिल होने के कारण विवाह पूर्व यौनाचार उनके विवाह संबंधों में बाधक नहीं बनता। तथापि किशोर युवक–युवतियाँ पूरी सतर्कता बरतते हैं कि उनके यौन सम्बन्धों की भनक उनके माता–पिता को न लग सके। साथ ही माता–पिता भी अपने बेटे–बेटियों के गोपनीय कृत्यों की चौकसी में उदासीनता बरतने की परिपाटी का ही पालन करते हैं। यद्यपि प्रेमी का चयन स्थायी होता है तथापि किसी भिन्न व्यक्ति के साथ कभी–कभार आकस्मिक सम्बन्ध हो जाना अस्वाभाविक नहीं है। अपने पूर्व प्रणय सहचर से विच्छेद कर नये सहचर से प्रणय सम्बन्ध कर लेने में भी कठिनाई नहीं आती। विवाहोपरान्त भी थारू स्त्री को, जब कभी वह अपने पीहर लौटकर आती है, पर्याप्त स्वतन्त्रता रहती है। वास्तव में विवाह हो जाने के आरम्भिक वर्षों में माता–पिता अपनी पुत्री को प्रायः थोड़े–थोड़े

अन्तराल पर उसकी ससुराल से अपने घर ले आते हैं। पीहर आकर उसे अपने पुराने प्रणय सम्बन्धों को नवीकृत करने अथवा नये सम्बन्ध बना लेने का प्रचुर अवसर रहता है। होली का पर्व विशेष रूप से सहचरों से संसर्ग का उपयुक्त अवसर होता है।

मरनी (अन्त्येष्टि संस्कार) — थारू जीवन का तीसरा और अन्तिम संस्कार अन्त्येष्टि है, अन्य हिन्दू जातियों की भाँति थारुओं में भी शव को जला देने या मिट्टी में समाधि देने की प्रथा है। उत्तर प्रदेश तथा नेपाल देश के अधिकांश जिलों में शव को जला देने की प्रथा ही मुख्य रूप से प्रचलित है। नेपाल के कुछ क्षेत्रों में जलाने के स्थान पर शव को गाड़ देने की भी प्रथा है जिन समुदायों में शव को जलाने की प्रथा है उनमें भी असामान्य मृत्यु (अकाल मृत्यु) हो जाने पर शव को जलाने के स्थान पर धरती में समाधि दे देते हैं। शिशुओं तथा अविवाहित किशोरों तथा किशोरियों के शव गाड़ दिये जाते हैं। इसी प्रकार हैजा, चेचक, प्लेग आदि किसी महामारी से मृत्यु होने की स्थिति में भी शव को गाड़ने की ही परम्परा है। साँप के काटने से मृत्यु हो जाने पर शव को नदी में प्रवाहित कर दिया जाता है जो वैज्ञानिक दृष्टि से बहुत उपयुक्त है। साँप के काटे हुए रोगी के दूर तक जल के सम्पर्क में रहकर जीवित हो उठने की अनेक घटनाएँ ऐसे मृतकों को जल में प्रवाहित करने के औचित्य की पुष्टि करती है।

नेपाल के थारुओं में मृतक संस्कार के लिए थारू बॉभन (घरगुरवा) को बुलाया जाता है जो मृतक के घर से चावल, मकई, नमक, तेल, आदि बोककर (लादकर) श्मशान पर ले जाता है। खाट को उलटी करके उस पर सफेद चादर बिछाकर शव को लिटा देते हैं। तथा ऊपर से सफेद कोरा वस्त्र भी ओढ़ा दिया जाता है। गैर थारू हिन्दुओं में शव को कफन से लपेटकर गाँठ दे दी जाती है किन्तु थारू लोग कफनी को केवल ओढ़ा देते हैं। और पुरुष के शव पर कफनी के ऊपर एक तूली (लाल) चादर भी डाल देते हैं। चार व्यक्ति जो थोड़ी–थोड़ी दूरी पर बदलते रहते हैं। खाट के चारों पायों को पकड़कर अरथी को श्मशान भूमि तक पहुँचाते हैं। श्मशान स्थल प्रायः किसी नदी के तट पर या जलाशय के सन्निकट होता है। श्मशान स्थल प्रायः किसी नदी के तट पर या जलाशय के सन्निकट होता है। भारत में गैर थारू हिन्दुओं में मृतक पुरुष के मूँछ, दाढ़ी तथा सिर के बाल नाई बना देता है। किन्तु नेपाल के थारुओं में मृतक का क्षौर नहीं किया जाता है। उसे नहला धोकर साफ करते हैं। थरुबभना छूरा लेकर अग्निदाह करने वाले व्यक्ति के बाल को छुआ देता है। फिर सभी उपस्थित पुरुष एक दूसरे के सिर, भौंह, मूँछ और दाढ़ी के बाल परस्पर बना देते हैं। नदी या जलाशय पर पानी के ऊपर मचान गाड़कर उस पर लकड़ी चिनते हैं। फिर पुरुष शव को औंधे मुख (घोपतिया) तथा स्त्री शव को चित (उनाटे) लिटा देते हैं। ऊपर से फिर लकड़ी चिन दी जाती है। अग्निदाह के पूर्व श्मशान में एकत्र सभी लोग स्नान करते हैं। अग्निदाह करने वाला व्यक्ति जलाने से पूर्व पिण्डदान करता है फिर उँगलियों में कुश की पैंती (मुँदरी) पहनकर चिता को अग्नि–स्पर्श कराता है। भारत में गैर थारू हिन्दुओं में केवल अग्निदाह करने वाला अग्नि स्पर्श कराने के पूर्व स्नान करता है तथा गीली धोती पहने हुए ही अग्नि–स्पर्श और चिता की परिक्रमा भी करता है किन्तु तिलोदक या पिंडादान शव के

जल चुकने पर अन्य एकत्र लोगों के साथ स्नान कर चुकने के अनन्तर करता है। चिता जलाते समय घरगुरवा कुछ मन्त्र पढ़ता है। मृतक के सगे बन्धु–बान्धव चिता की परिक्रमा करते हैं। परिक्रमा की यह विधि गैर थारू हिन्दुओं की विधि की उलटी है। थारुओं में यह परिक्रमा पूर्व से दक्षिण, पश्चिम, उत्तर के क्रम में न होकर पूर्व से उत्तर, पश्चिम फिर दक्षिण क्रम में होती है। थारुओं में परिक्रमा आग लगाने के पहले होती है जबकि गैर थारुओं में शव के लगभग जल चुकने के बाद होती है। परिक्रमा करते समय भी लोग छोटी–छोटी लकड़ियाँ हाथ में लिए रहते हैं उसे चिता में फेंकते हैं।

थारुओं में स्नान करने के बाद कफन ओढ़ाने के पहले शव के शरीर में घी लगाते हैं। गैर थारुओं में कफन के भीतर कपूर, घी आदि रखने के अतिरिक्त चिता जलाते समय मन्त्रों के साथ घी की आहुति भी शव पर डालते हैं। थारुओं में चिता में अग्नि–स्पर्श कराने की विधि यह है कि बाँस में खर–फूस बाँधने पर परिक्रमा समाप्ति पर उसमें आग लगा लेते हैं। अग्निदाह करने वाला चिता के चारों कोनों पर उसी से आग पकड़ा देता है। थारू बभना धूप तथा सरो नामक लकड़ी की पाँच–पाँच पतली–पतली लकड़ियों का मुट्ठा बनाकर लिये रहता है वह प्रत्येक व्यक्ति को एक–एक मुट्ठा बाँट देता है। मृतक के घर से चावल मक्का आदि अनाज जो वह ढोकर लाता है उसे भी थोड़ा–थोड़ा करके सभी में बाँट देता है। आग पकड़ लेने पर सभी लोग लकड़ियों और अन्न की मूठ चिता में फेंक देते हैं। शव के पूरी तरह जल जाने पर चिता का मचान ढहा दिया जाता है। शव की एक अस्थि अग्निदाह करने वाला उठा लेता है। यह अस्थि मृतक की तेरही के पूर्व अयोध्या, गया आदि किसी तीर्थ में नदी के जल में विसर्जित कर दी जाती है। चिता की अग्नि बुझा देने पर श्मशान में उपस्थित सभी लोग दुबारा नहाते हैं। अग्निदाह के बाद राना थारुओं में कहीं–कहीं कुशा कुश से मृत का पुतला बनाकर उस पर जल छिड़कते हैं। सब लोगों के नहा चुकने पर अन्त्येष्टि करने वाले व्यक्ति को आगे करके लोग मृतक के घर आते हैं। थरुबभना मृतक के घर पर चूल्हा जलाता है। मृतक के घरवालों को छोड़कर पड़ोस के घरों के लोग मिल–जुलकर भात, दाल और तरकारी बनाते हैं। श्मशान घाट से लौटे सभी लोग यही खाना खाते हैं इस रस्म को थारुई में ''दुधमार लगेना'' कहते हैं। इस अन्त्येष्टि भोज में नमक तेल आदि का ''बराव'' नहीं होता। अन्त्येष्टि के दूसरे दिन से बारहवें (कहीं–कहीं दसवें) दिन तक मृतक के घरवाले भोजन में हल्दी तेल मांस मछली का तथा अग्नि दाह करने वाला व्यक्ति इन वस्तुओं के साथ नमक का भी परित्याग कर देता है। तेरहवें (कही–कहीं ग्यारहवें) दिन ''रोटियाही'' होती है।

थारू कार्तिक माह में वर्षी करते हैं। राना थारुओं में दीवाली के दिन होते हैं जब थारू मृतक की आत्मा को पुनः बुलाकर भोजन देने की मान्यता पूरा करते हैं। तथा भोज करते हैं बच्चों की वर्षी/पतरी जबवनी की प्रथा वर्ष के एक सप्ताह बाद होती है। वर्षी में पांच दीपक बना चौके में जाते हैं। तथा सामने दो पतरी में भोजन सजाकर के आत्माओं को अर्पित करते हैं इसदिन आत्माओं के लिए ये बलि भी देते हैं। जिसमें मुर्गा बकरा मुख्य रूप से होते हैं। पतरी को गाँव के बाहर याद में रखकर या जुठरा की रस्म पूरा करते हैं। रात में गाना बजाना करते हैं।

4.25 अर्थ व्यवस्था

थारू मूलतः शिकार, मछली, कंद–मूल फल आदि से भोजन की पूर्ति करते थे औरइस व्यस्तता के कारण खेती ज्यादा नहीं कर पाते थे। अतः खेती अत्यधिक अविकसित अवस्था में रही। यह स्थिति धीरे–धीरे बदली और थारू स्थाई खेती करने लगे। आज खेती इनका मुख्य व स्थाई उद्यम है। सहायक उद्यमों में पुशपालन, मछली पकड़ना, आखेट एवं कुटीर उद्योग प्रमुख हैं।

खेती – खेती थारू की अर्थव्यवस्था का आधार है।[53] धान की खेती में ये लोग विशेष निपुण हैं। भूमि क्षरण की रोकथाम मेंड़बन्दी से की जाती है। गोबर की खाद से मिट्टी की उर्वरता बनाये रखते हैं। स्वभावतः सुस्त व आलसी होने के कारण उपजाऊ भूमि होने पर भी बहुत कम उपज प्राप्त कर पाते हैं : परम्परागत खेती, परम्परागत यंत्र एवं प्राविधियाँ भी कम उपज होने का कारण हैं।

धान के अतिरिक्त गेहूँ, मक्का, गन्ना, सब्जियाँ एवं दालें भी उगाई जाती हैं। बागवानी की ओर भी कुछ ध्यान दिया जाने लगा है। आम, अमरूद, पपीता आदि पैदा किया जाता है।

पशुपालन, मछली और शिकार – मांस और दूध के लिए पशुपालन थारूओं का सहायक उद्यम है। दूध के लिए गाय, भैंस, बकरी पालते हैं और मांस के लिए सुअर, बकरे, मुर्गी आदि। मुर्गी पालन के लिए मिट्टी का खरला बनाते हैं। मछली पकड़ना पारिवारिक व्यय को कम करता है। मछली पकड़ना इनका पारिवारिक कार्य है और बड़े चाव से किया जाता है। इसके लिए वे झुण्ड के रूप में जाते हैं और नदियों, नालों या पोखरों में जाल या छपरियाँ डाल कर मछली पकड़ते हैं। स्त्रियाँ एवं पुरुष अलग–अलग मछली पकड़ते है, क्योंकि पुरुषों द्वारा पकड़ी गई मछलियाँ स्त्रियाँ नहीं खाती हैं।

थारू शिकार के भी शौकीन होते हैं। पाड़ा, चीतल, सुअर, शेर या अन्य वन्य पशुओं का शिकार करते थे। परन्तु अब दूर–दूर तक वनों के कट जाने से शिकार करना असम्भव हो गया है। यद्यपि शौक के तौर पर कभी–कभी लोग दूसरे जंगलों की ओर निकल पड़ते हैं।

अन्य उद्यमों के अन्तर्गत टोकरी बनाना, रस्सियाँ व झिल्लियाँ बनाना, बान बटना, लकड़ी काटना, टोपी व जूते बनाना, घरों की मरम्मत करना, जाल व चटाई बनाना इत्यादि सम्मिलित हैं।

श्रम – पुरुष खुदाई, जुताई, फसलों की देखभाल, आखेट, गृह निर्माण, मरम्मत इत्यादि कार्य करते हैं। स्त्रियाँ निराई, गुड़ाई, पछोराई, भूसा अलग करना, टोकरी और मिट्टी के बर्तन बनाना, घरों की दीवार लीपना आदि कार्य करती हैं। दोनों मिल कर कटाई, बुआई, सिंचाई, मत्स्य, आखेट व मुर्गी पालन करते हैं। धान की रोपाई व निराई स्त्रियों की महत्वपूर्ण श्रम साधना है। कई माह तक लगातार कीचड़ युक्त युक्त खेतों में काम करने से इनके हाथ–पैरों की अंगुलियाँ गलने लगती हैं। बच्चे खेतों की मेड़ बांधने, पशु चराने का कार्य करते हैं। सभी कार्य हाथ से ही सम्पन्न होते हैं।

निर्धन थारू अब नव सम्पन्न बड़े किसानों के खेतों एवं सरकारी निर्माण कार्यों में मजदूरी भी करने लगे हैं। कुछ लोग सरकारी सेवाएँ भी करते हैं, जिनकी संख्या क्रमशः बढ़ रही है। स्थाई खेती

लेने पर भी ये लोग आर्थिक दृष्टि से बाहर से आये सम्पन्न एवं शक्तिशाली किसानों के सामने नहीं टिक पाते हैं। नव आगन्तुक समृद्ध वर्गों ने थाडुवों की भूमि को अवैधानिक रूप से हड़पा है। आर्थिक शोषण के शिकार तराई के ये मूल निवासी आज छोटी जोतों के मालिक या भूमिहीन तक हैं।

थारुओं का आर्थिक जीवन सरल है। अधिकांश थारू निर्धन हैं। इनकी अकुशल खेती एक ओर जीवन यापन के लिए अपर्याप्त है, तो दूसरी ओर इससे प्राप्त आय का एक बड़ा भाग कच्ची शराब या अन्य अपव्ययों में समाप्त हो जाता है।[54] सामाजिक उत्सव एवं कन्या मूल्य भी इनकी आय को समाप्त करने के कारक हैं। ये ऋण ग्रसित हैं और आजीवन ब्याज चुकाने में ही रह जाते हैं। परिवार का बड़ा आकार भी इनकी निर्धनता का कारण है। प्रतिकूल जलवायु तथा अकुशल शारीरिक क्षमता भी निर्धनता का एक बड़ा कारण है।

धनी थारू के पास पर्याप्त भूमि, बगीचे, पशु तथा कृषि आय है। रहन–सहन का स्तर ऊँचा है। मध्यम वर्ग के पास आवश्यक भूमि है अथवा ये सरकारी सेवा में हैं। सादा रहन–सहन होने के कारण प्राप्त आय से आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाती है। दयनीय स्थिति वाले मजदूर निम्न वर्ग के हैं। दिनभर कड़ा श्रम करने पर भी ये एक बार का ही भोजन जुटा पाते हैं। सदैव ऋण ग्रसित रहने के कारण इनका शरीर समय से पहले जर्जर हो जाता है। बटाई पर कुछ खेती कर लेते हैं, पर अनाज साल भर के लिए पूरा नहीं होता।

थारू जितना कमाता है उतना खा लेता है और पेट काट कर कपड़े व अन्य आवश्यक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कुछ अनाज बेचता भी है। सहायक उद्यमों से कुछ बचत भी कर लेता है।

संयुक्त परिवारों के टूटने से जोतों का आकार छोटा होता जा रहा है। नवागन्तुक समृद्ध किसानों ने इनकी कमजोरियों का लाभ उठाकर इनकी भूमि पर अवैधानिक कब्जा कर लिया और ये मूल भूस्वामी भूमिहीन होकर गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे हैं। कानूनी संरक्षण के उपरान्त भी ये अपनी भूमि से अवैधानिक कब्जा हटा पाने में असमर्थ हैं और यांत्रिक खेती तथा आद्योगीकरण के इस युग में विकास कार्यक्रमों एवं विशेष सुविधाओं के उपरान्त भी इनका आर्थिक स्तर बहुत अच्छा नहीं है।

इसके साथ ही थारू पारिवारिक व्यय को कम करने के लिए मछली एवं अन्य जन्तुओं का शिकार तथा जंगल से खाद्य तथा अन्य वस्तुओं का एकत्रण करते हैं। स्वभाव से सुप्त वर्ण न होने तथा पिछड़ी तकनीक में काफी उपजाऊ भूमिहर भी अत्यन्त कम उपज प्राप्त करते हैं। फसल के बोने से लेकर बेचने तक के पारम्परिक ढंग उनके आय को सीमित करता है। अधिकांश थारू जनसंख्या निर्धन है। थारू अपनी आय का एक बड़ा हिस्सा शराब तथा विवाह आदि उत्सव के अपव्ययों में खर्च कर देते हैं। कुछ थारू गहरे ऋणों में डूबे हैं और अपनी ईमानदारी के कारण शोषण का शिकार होते है। थारू सबसे पहले ब्याज का भुगतान निश्चित बातों का पालन करते हैं और यदि शर्तों के मुताबिक ब्याज

अपने जीवन में नहीं अदा कर पाते तो अपने पास से अदा करने का वचन देते हैं चाहे इसके लिए उन्हें कितना भी नुकसान क्यों न उठाना पड़े।

ग्रामीण परिवेश के बावजूद कुटीर उद्योगों विशेषतः टोकरी मूंज के सामान, चक्की आदि के अलावा विशेष उद्योगों का भी विकास हो रहा है।

वर्तमान औद्योगीकरण व उन्नत समाज के साहचर्य से इनमें परिवर्तन आने लगा है। एक ओर अपनी स्त्रियों की स्वच्छन्द प्रकृति पर आज के द्रुतगति से बदलते समाज की गति से भ्रष्ट होने की आशंका से अंकुश लगाने की आवश्यकता थडुवे स्वयं अनुभव करने लगे हैं। दूसरी ओर इनकी सामाजिक–धार्मिक मान्यताओं, अर्थव्यवस्था, कला कौशल, रहन–सहन, ,खान–पान, वस्त्राभूषण, धर्म आदि में तेजी से परिवर्तन हो रहा है। अच्छाइयों के साथ बुराईयों का समावेश भी इनके समाज में बढ़ रहा है। शिक्षा–प्रसार, यांत्रिक खेती, औद्योगीकरण, भौतिक संस्थात्मक सुविधाओं (परिवहन व संचार साधन, सिंचाई, विद्युतीकरण, विद्यालय, चिकित्सालय, ग्रामीण बैंक, बीज व भण्डारण केन्द्र, नर्सरी, उर्वरक वितरण केन्द्र, पशुसेवा केन्द्र, शीत भण्डार, क्रय केन्द्र, कुटीर उद्योगों की स्थापना एवं विकास कार्यो के लिए विशेष ऋण सुविधाओं की स्थापना), सुव्यवस्थित कानूनी संरक्षण के साथ अधिग्रहित भूमि की वापसी और वनीकरण आदि कुछ बुनियादी कार्ययोजनाएँ थडुओं के सामाजिक–आर्थिक उत्थान के लिए बहुस्तर पर क्रियान्वित किये जाने की तत्काल आवश्यकता है।

4.26 थारू जनजाति की सामाजिक, सांस्कृतिक गतिविधियों पर तराई क्षेत्र की भौगोलिक दशाओं का प्रभाव

थारू जनजाति के सामाज, सांस्कृति एवं अर्थव्यवस्था पर तराई क्षेत्र की पर्यावरणीय दशाओं की अमिट छाप दृष्टिगोचर है यथा –

1. शिवालिक की तलहटी में रहने एवं पर्वतीय क्षेत्र से सम्पर्क का प्रभाव थारू के शारीरिक बनावट, मुखाकृति, कद, बाल आदि प्रजाति गुणों पर दृष्यगत है जैसे उनका पीला रंग, गोल चेहरा, आंखों में तरछा मोड़ आदि।
2. जन्म एवं मृत्युदर तराई क्षेत्र में कठोर जलवायु के कारण मृत्युदर सामान्य रूप से अधिक है। साथ ही अशिक्षा के एवं मृत्यु दर के कारण जन्मदर भी अधिक है।
3. भोजन – थारू के भोजन में मछली चावल एवं मांस की प्रमुखता है। क्योंकि चावल, मछली एवं मास तराई क्षेत्र के मुख्य उत्पाद हैं व मुर्गी जो तराई के जंगलों में आसानी से उपलब्ध है थारू के भोजन का मुख्य अंग है।
4. थारू कम वस्त्र धारण करते हैं जो गरीबी एवं तराई की उष्ण जलवायु के कारण है।

5. मकान – थारू के मकान में लकड़ी की अत्यधिक उपयोग होता है। तराई क्षेत्र में घने वनों के कारण ही ऐसा दृष्यगत है।

6. थारू के घरों में मछली पकड़ने के यंत्र लकड़ी की अधिकता, मिट्टी की डेहरी, नरकुल की टटिया आदि वस्तुओं का मिलना इस कारण भी सम्भव हुआ है क्योंकि इनसे सम्बन्धित वस्तुऐं तराई में आसानी से उपलब्ध हैं।

7. थारू सामान्यतया सरल स्वभाव के होते हैं जो तराई क्षेत्र की अन्य क्षेत्रों से विलगता के कारण है। साथ ही थारू का स्वभाव एवं आपसी सहयोग इन्हें उन कठोर दशाओं से लड़ने में मदद करता है।

8. थारू पूजा पद्धति में वन्य जीव–जन्तुओं को प्रतीक मानते हैं जो तराई क्षेत्र में वन्य जीवों की अधिकता एवं प्रभाव तथा प्राकृतिक अवस्था का द्योतक है।

9. थारू रस्मो–रिवाजों में बलि की अधिकता, एवं प्राकृतिक तत्वों पर गहरा विश्वास तराई की दिशाओं एवं जीव उपलब्धता के अनुकूल है।

10. थारू अर्थव्यवस्था में कृषि एवं पशुपालन की प्रमुखता है। जो क्षेत्र में नदियों द्वारा प्रदत्त उर्वर भूमि, कम संसाधन एवं कृषित वन क्षेत्र की उपलब्धता से संबंधित हैं।

अतः थारू के उपभोग स्वरूप समाज संस्कृति एवं अर्थ व्यवस्था की विशेषताऐं तराई की भौगोलिक दशाओं से प्रभावित एवं सम्बन्धित हैं और इन्हें ध्यान में रखकर ही समस्याओं का निराकरण हो सकता है।

References :

1. Risley, H.H. (1892), **Tribe and Caste of Bengal**, Bengal Secretariat Press, Kolkata, Vol.2, pp.312-321.

2. Nesfield, J.C. (1885), "Description of the Manners, Industries, Religion of Tharus and Bogsa Tribes of Upper India", *Calcutta Review,* January, Vol.XXX(1), p.115.

3. **Oudh Gazetteer** (1887), Volume II, p.126.

4. **Gazetteer of North West Provinces of Oudh**, Census Report, 1867, Vol.I, p.61.

5. **Gazetteer of North West Provinces of Oudh** (1881), Vol.VI, p.358.

6. S. Knowles , **Gospel in Gonda,** p.214.

7. Srivastava (1967), "The Tharus: A Study in Cultural Dynamics", Quoted from *Journal, Asiatic Society of Bengal* (1847, p.450), p.13.

8. Nesfield, J.C. (1885), *op.cit.*, p.115.

9. Singh, J. (2002), **Tharu Evom Tharui Boli**, (Hindi), p.12.

10. *Op.cit.*, p.12.

11. Nesfield, J.C. (1885), *op.cit.*, p.115.

12. Crook, W. (1896), *The Tribes and Castes of North-Western Provinces and Oudh*, Vol.IV, p.381.

13. Buchnan, P. (1976), *Eastern India*, Vol.II, p.341.

14. Srivastava, S.K. (1959), **The Tharus – A Study in Cultural Dynamics**, Ph.D. Thesis, Lucknow University, Lucknow, p.35.

15. Amerson, J., *Violent India,* Vol.III, p.242.

16. Srivastava, S.K. (1959), *op.cit.*, p.133.

17. Col. Tad, **Annals and Antiquities of Rajasthan**, p.4.

18. **Oudh Gazetteer**, Vol.II, p.126.

19. Nevil, H.R., **District Gazetteer of Nainital,** Vol.34, p.107.

20. Crook, H.R. (1896), *op.cit.*, p.381.

21. Sachau, Ec., **India** by Albaruni, p.96.

22. Nesfield, J.C. (1855), *op.cit.*, p.115.

23. Singh, J. (2002), *op.cit.*, p.13.

24. *Op.cit.*, p.13.

25. Albaruni, ***Taahkikul*** *Hind* in Ec. Sachau, *op.cit.*

26. Nesfield, J.C. (1885), *op.cit.*, p.115.

27. *Op.cit.*,

28. Singh, J. (2002), *op.cit.*, p.14.

29. *Ibid.*. pp.14-15.

30. Majumdar (1942), "The Tharus and Their Blood Groups", *Journal of Royal Asiatic Society of Bengal*, Vol.VIII(1), p.33.

31. Srivastava, R.P. (1965), "Bloods Groups in the Tharus of Uttar Pradesh and Their Bearing on Ethnic and Genetic Relationship", *Human Biology*, Vol.37, pp.1-12.

32. Risley, H. (1891), **Tribes and Castes in Bengal**, Vol.II, Firma, K.L. Mukhopadhya, Kolkata.

33. Singh, J (2002), *op.cit.*

34. Korskopff Iordre (1989), Mittes nd Possedes Les rites et Social Ceaez les Tharu (Nepal), edition du CNRS Paris, (Masters and Possessed Rituals and Social Order among the Tharu of Nepal)

35. *Ibid*

36. Singh, LR. (1956), "Tharus a Study in Human Ecology", *National Geographical Journal of India*, Vol.II(2), pp.153-166.

37. Srivastava, S.K. (1958), *op.cit.* pp.22-23.

38. *Ibid.*

39. *Ibid.*

40. Singh, J (2002), *op.cit.*, pp.35-36.

41. Majumdar, D.N. (1944), **Fortunes of Primitive Tribes**, Universal Publishers Ltd., Lucknow.

42. Crook, H.R. (1996), *op.cit.*, pp.381-385.

43. Srivastava, S.K. (1958), *op.cit.*

44. Consulted with the Villagers of Sirsia Village, Shrawasti during the Field Survey.

45. Srivastava, S.K. (1958), *op.cit.*, p.48.

46. Nevil, H.R., *op.cit.*, p.404.

47. Majumdar, D.N. (1962), **Himalayan Polyandry Structure: Functioning and Culture Change, A Field Study of Jaunsar Bawar**, Asia Publishing House, Mumbai, pp.28-35.

48. Gates, R.R. (1948), **Human Ancestry from Genetical Point of View**, p.457.

49. Grierson, G.A. (1916), **Linguistic Survey of India**, Government of India, Kolkata, Vol.VI, p.346.

50. Pyakural, K.N. (1982), **Ethnicity and Rural Development – A Sociological Study of Four Tharu Villages**, Ph.D. Thesis, Michigan Stan University, p.12.

51. Singh, J. (2002), *op.cit.*, pp.47-54.

52. Srivastava, S.K. (1958), *op.cit.*

53. Gunratne, A. (2006), **The Tharus and the State Reflections on Democracy**, State Building and Shaping of Ethnic Identity in Nepal and India, Downloaded from Internet.

54. Majumdar, M. (2006), "Social Inclusion of Nepal's Tarai – A Macro Economic Perspectives", Downloaded from *Internet.*

———:0:———

अध्याय–5

थारू जनजाति की सामाजिक-सांस्कृतिक परिवर्तनशीलता एवं संविकास
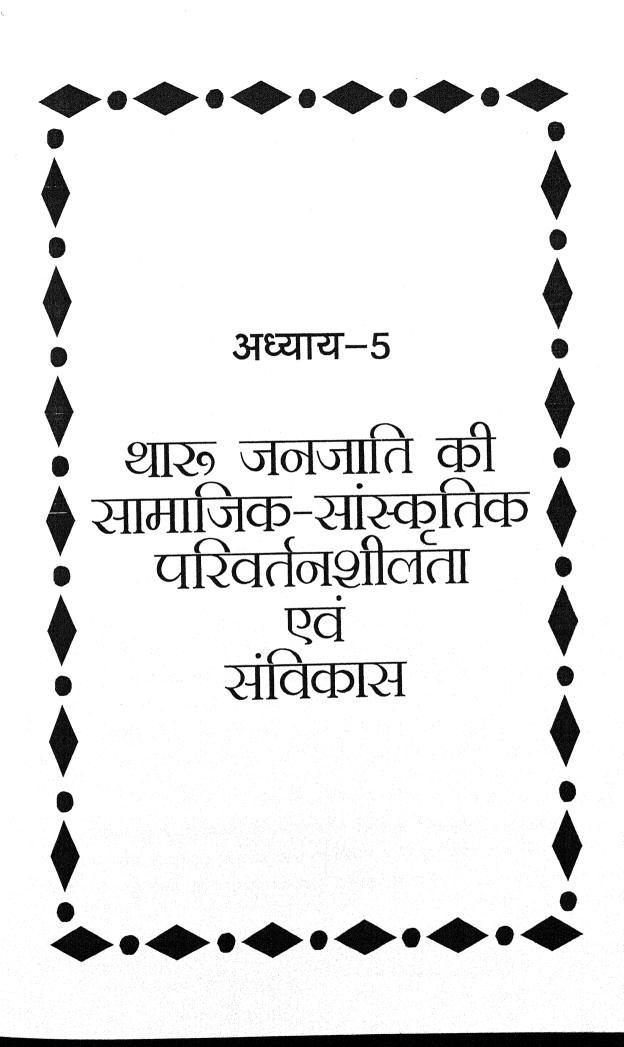
अध्याय – 5

थारू जनजाति की सामाजिक–सांस्कृतिक परिवर्तनशीलता एवं संविकास

बीसवीं सदी से चल रही जनजातीय विकास की कवायद स्वतंत्रता के पश्चात तीव्र हुई।[1] जनजातीय क्षेत्रों में अवस्थापनात्मक सुविधाओं यथा – शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवहन एवं संचार आदि सुविधाओं के विस्तार से बाहरी लोग जनजातीय क्षेत्रों में पहुँचे एवं वहाँ के संसाधनों को हथियाना प्रारम्भ किया।[2] परिणामतः एक तरफ जनजातियों की सम्पत्तियां उनसे छिनीं वहीं बाह्य संस्कृतियों में जनजातियों के मूल सांस्कृतिक पक्ष मिश्रित होने लगे और वर्तमान में जनजातीय संस्कृतियां वर्णशंकर सी हो गई हैं। उनका अधिकांश पक्ष परिवर्तित हो गया है या परिवर्तित हो रहा है।

प्रस्तुत अध्याय में उत्तर प्रदेश के लखीमपुर, खीरी, बहराइच, श्रावस्ती एवं बलरामपुर जनपदों में निवास करने वाली थारू जनजाति के तीन मुख्य उपवर्गों राना थारू, कठरिया थारू, दंगुरिया थारू की सामाजिक सांस्कृतिक स्थिति का तुलनात्मक आंकलन करके उन्हीं गांवों में रहने वाली गैर जनजातियों से तुलना करने का प्रयास किया गया है। अध्ययन में जनजातीय उपवर्गों की सामाजिक सांस्कृतिक स्थिति के साथ उन पर विकास के प्रभाव के आंकलन हेतु, विकास केन्द्र के गाँव, मुख्य सड़क पर स्थित गाँवों एवं सड़क से दूर स्थित थारू जनजाति बाहुल्य गाँवों के परिवारों की सामाजिक सांस्कृतिक स्थिति का आंकलन किया गया है।

अध्ययन में यादृच्छिक प्रतिचयन विधि से 180 परिवारों का चयन किया गया। सड़क से दूर स्थित गाँवों, सड़क पर स्थित गाँवों एवं विकास केन्द्र के गाँवों (कुल 17 गाँव) से परिवारों का चयन किया गया। कुल परिवारों में राना थारू से 40, कठरिया थारू से 20 दंगुरिया थारू से 90 एवं जनजातीय लोगों से 30 परिवार थे। वैयक्तिक साक्षात्कार अनुसूची के माध्यम से इन परिवारों के सामाजिक–सांस्कृतिक एवं आर्थिक दशा तथा पिछले 30 वर्षों में हुए परिवर्तनों का आंकलन किया गया है। साथ ही थारू समाज में परिवर्तन एवं विकास का स्वरूप तथा उसकी संघृतता का मूल्यांकन किया गया है।

तालिका 5.1 के अनुसार चयनित 180 परिवारों में कुल 2164 व्यक्ति शामिल है। जिसमें 1924 व्यक्ति थारू समाज के एवं 240 व्यक्ति गैर जनजातीय परिवारों के हैं। कुल जनसंख्या में 1113 पुरूष एवं 1051 स्त्रियां हैं जिसमें 980 पुरूष एवं 944 स्त्रियां थारू जनजाति की हैं।

तालिका 5.1 : चयनित परिवारों की कुल जनसंख्या का वर्गवार विवरण

क्र. सं.	वर्ग	चयनित परिवार संख्या	जनसंख्या		
			कुल	पुरुष	स्त्री
1	सड़क से दूर स्थित गाँव	50	581	295	286
2	सड़क पर स्थित गाँव	50	688	346	342
3	विकास केन्द्र के गाँव	50	655	339	316
	योग	150	1924	980	944
1	राना थारू	40	530	270	260
2	कठरिया थारू	20	228	115	113
3	दंगुरिया थारू	90	1166	595	571
	योग	150	1924	980	944
4	गैर जनजाति	30	240	133	107
	महायोग	180	2164	1113	1051

स्रोत : शोधकर्त्ता द्वारा अपने शोध अध्ययन "थारू जनजाति की सामाजिक आर्थिक परिवर्तनशीलता एवं संविकास" हेतु 2004–05 में किए गये सर्वेक्षण पर आधारित।

5.1.1 उत्तरदाताओं का सामान्य परिचय – किसी भी अध्ययन में उत्तरदाताओं की पृष्ठभूमि का ज्ञान आवश्यक है।[3] क्योंकि पृष्ठभूमि के माध्यम से उत्तरदाता के विचार, मनोवृत्ति, मूल्य, विश्वास, एवं आर्थिक स्तर का अनुमान लगाया जा सकता है। जिसका प्रभाव अध्ययन के निष्कर्ष पर पड़ता है। चूंकि चयनित परिवारों में उत्तर के लिए परिवार के मुखिया/बुजुर्ग सदस्य से संपर्क किया गया है अतः यह परिचय परिवार के मुखिया के संदर्भ में अवलोकनीय है।

तालिका 5.1.2. में उत्तरदाताओं की आयु संरचना का विवरण है जिसके अनुसार 80 प्रतिशत उत्तरदाता 20–65 वर्ष के मध्य के थे जो स्पष्ट करता है कि अधिकांश उत्तरदाता प्रौढ़ एवं परिपक्व थे।

तालिका 5.2 : उत्तरदाताओं का आयु संगठन

(प्रतिशत में)

क्रम सं.	वर्ग	कुल जनसंख्या	आयु वर्ग					कुल
			20 वर्ष से कम	21–34 वर्ष	35–49 वर्ष	50–64 वर्ष	65 वर्ष से अधिक	
1	सड़क से दूर स्थित गाँव	50	8.00	22.00	42.00	12.00	16.00	100.00
2	सड़क पर स्थित गाँव	50	12.00	28.00	34.00	20.00	6.00	100.00
3	विकास केन्द्र के गाँव	50	12.00	38.00	22.00	14.00	14.00	100.00
	योग	150	10.67	29.33	32.67	15.33	12.00	100.00
1	राना थारू	40	15.00	30.00	20.00	20.00	15.00	100.00
2	कठरिया थारू	20	10.00	55.00	25.00	10.00	0.00	100.00
3	दंगुरिया थारू	90	8.89	23.33	40.00	14.44	13.33	100.00
	योग	150	10.67	29.33	32.67	15.33	12.00	100.00
4	गैर जनजाति	30	26.67	30.00	23.33	16.67	3.33	100.00
	महायोग	180	13.33	29.44	31.11	15.56	10.56	100.00

स्रोत : शोधकर्त्ता द्वारा अपने शोध अध्ययन "थारू जनजाति की सामाजिक आर्थिक परिवर्तनशीलता एवं संविकास" हेतु 2004–05 में किए गये सर्वेक्षण पर आधारित।

तालिका 5.3 उत्तरदाताओं के लैंगिक संरचना, वैवाहिक स्थिति एवं स्वास्थ्य दशा को स्पष्ट करती है। जिसके अनुसार कुल उत्तरदाताओं में 95.56 प्रतिशत पुरूष एवं 4.44 प्रतिशत स्त्रियां थीं जबकि थारू उत्तरदाता में 97.33 प्रतिशत पुरूष एवं 2.67 प्रतिशत स्त्री उत्तरदाता थे। 90 प्रतिशत उत्तरदाता विवाहित 7.78 प्रतिशत उत्तरदाता अविवाहित 2.22 उत्तरदाता विधवा विधुर अथवा परित्यक्त थे। वही 90 प्रतिशत उत्तरदाता स्वस्थ एवं 10 प्रतिशत उत्तरदाता कमजोर थे।यहां स्वस्थ का अर्थ वह व्यक्ति जो दैनिक कार्यों को बिना किसी कष्ट के सुचारू रूप से संपादित करता हो, वही कमजोर का तात्पर्य वह व्यक्ति जिसे कार्यों को पूर्ण करने में शारीरिक कष्ट हो तथा कार्य को पूर्ण न कर सके। अर्थात अधिसंख्य उत्तरदाता पुरूष थे विवाहित थे एवं स्वस्थ थे। जो उनके परिपक्व एवं समझयुक्त विचार दे सकने में समर्थ होने की पुष्टि करता है। विविध आधारों से चयनित उत्तरदाताओं के विचारों से परिवर्तन तथा स्वरूप के विविध पक्षों से आंकलन में मदद मिलती है।

तालिका 5.3 : उत्तरदाताओं की लैंगिक संरचना, वैवाहिक स्थिति एवं स्वास्थ्य दशा

(प्रतिशत में)

क्रम सं.	वर्ग	कुल संख्या	लैगिंक संरचना		वैवाहिक स्थिति			स्वास्थ दशा	
			पुरूष	स्त्री	विवाहित	अविवाहित	विधवा / विधुर	स्वस्थ	कमजोर
1	सड़क से दूर स्थित गाँव	50	98.00	2.00	90.00	8.00	2.00	80.00	20.00
2	सड़क पर स्थित गाँव	50	98.00	2.00	92.00	2.00	6.00	96.00	4.00
3	विकास केन्द्र के गाँव	50	96.00	4.00	90.00	10.00	0.00	96.00	4.00
	योग	150	97.33	2.67	90.67	6.67	2.67	90.67	9.33
1	राना थारू	40	100.00	0.00	92.50	2.50	5.00	92.50	7.50
2	कठरिया थारू	20	95.00	5.00	95.00	5.00	0.00	95.00	5.00
3	दंगुरिया थारू	90	96.67	3.33	88.89	8.89	2.22	88.89	11.11
	योग	150	97.33	2.67	90.67	6.67	2.67	90.67	9.33
4	गैर जनजाति	30	86.67	13.33	86.67	13.33	0.00	86.67	13.33
	महायोग	180	95.56	4.44	90.00	7.78	2.22	90.00	10.00

स्रोत : शोधकर्त्ता द्वारा अपने शोध अध्ययन "थारू जनजाति की सामाजिक आर्थिक परिवर्तनशीलता एवं संविकास" हेतु 2004–05 में किए गये सर्वेक्षण पर आधारित।

तालिका 5.4 के अनुसार – कुल 53.89 उत्तरदाता अशिक्षित, 31.11 प्रतिशत उत्तरदाता उच्च प्राथमिक स्तर तक, 10.00 प्रतिशत माध्यमिक स्तर तक, 5.00 प्रतिशत उच्च शिक्षा प्राप्त थे। वहीं 38.33 प्रतिशत लोगों ने सामान्य शिक्षा ग्रहण की थी तथा 7.22 प्रतिशत ने विज्ञान/तकनीकी शिक्षा 0.56 प्रतिशत लोगों ने वाणिज्य की शिक्षा प्राप्त की थी। अतः स्पष्ट है कि अधिकांश परिवारों के मुखिया की शैक्षिक स्थिति अधिक सुदृढ़ नहीं है।

तालिका 5.4 : उत्तरदाताओं का शैक्षिक स्तर एवं शिक्षा का स्वरूप

(प्रतिशत में)

क्रम सं.	वर्ग	कुल संख्या	शैक्षिक स्तर				शिक्षा का स्वरूप			
			अशिक्षित	प्राथमिक	माध्यमिक	स्नातक एवं उच्च	सामान्य शिक्षा	तकनीकी शिक्षा	व्यवसायिक शिक्षा	अन्य प्रशिक्षण
1	सड़क से दूर स्थित गाँव	50	76.00	18.00	4.00	2.00	76.00	20.00	4.00	0.00
2	सड़क पर स्थित गाँव	50	42.00	40.00	16.00	2.00	42.00	50.00	6.00	2.00
3	विकास केन्द्र के गाँव	50	40.00	38.00	10.00	12.00	40.00	46.00	14.00	0.00
	योग	150	52.67	32.00	10.00	5.33	52.67	38.67	8.00	0.67
1	राना थारू	40	55.00	32.50	7.50	5.00	55.00	37.50	7.50	0.00
2	कठरिया थारू	20	40.00	35.00	20.00	5.00	40.00	35.00	25.00	0.00
3	दंगुरिया थारू	90	54.44	31.11	8.89	5.56	54.44	40.00	4.44	1.11
	योग	150	52.67	32.00	10.00	5.33	52.67	38.67	8.00	0.67
4	गैर जनजाति	30	60.00	26.67	10.00	3.33	60.00	36.67	3.33	0.00
	महायोग	180	53.89	31.11	10.00	5.00	53.89	38.33	7.22	0.56

स्रोत : शोधकर्त्ता द्वारा अपने शोध अध्ययन "थारू जनजाति की सामाजिक आर्थिक परिवर्तनशीलता एवं संविकास" हेतु 2004–05 में किए गये सर्वेक्षण पर आधारित।

तालिका 5.5 के अनुसार कुल उत्तरदाताओं में 8.33 प्रतिशत उत्तरदाता विद्यार्थी .56 प्रतिशत कार्य हेतु अक्षम, 1.11 प्रतिशत बेरोजगार 71.11 प्रतिशत कृषक, 2.22 प्रतिशत कृषक मजदूर, 3.33 प्रतिशत अन्य मजदूर, 4.44 प्रतिशत दुकानदार, 5.56 प्रतिशत सरकारी नौकर, 1.11 प्रतिशत स्थानीय नेता 2.2 प्रतिशत गैर सरकारी नौकर थे। अर्थात प्रत्येक कार्य वर्ग के विचारों को शामिल किया गया है।

तालिका 5.5 उत्तरदाताओं का व्यावसायिक प्रतिरूप

(प्रतिशत में)

क्रम सं.	वर्ग	कुल संख्या	विद्यार्थी	कार्य हेतु अक्षम	बेरोजगार	कृषक	कृषक मजदूर	अन्य मजदूर	दुकानदार	सरकारी नौकर	स्थानीय नेता	गैर सरकारी नौकर	कुल
1	सड़क से दूर स्थित गाँव	50	12.00	2.00	0.00	70.00	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	100.00
2	सड़क पर स्थित गाँव	50	4.00	0.00	2.00	70.00	0.00	4.00	4.00	10.00	0.00	4.00	100.00
3	विकास केन्द्र के गाँव	50	10.00	0.00	0.00	78.00	0.00	4.00	8.00	8.00	2.00	2.00	100.00
	योग	150	8.67	0.67	0.67	72.67	0.67	2.67	4.67	6.00	1.33	2.00	100.00
1	राना थारू	40	12.50	0.00	2.50	75.00	0.00	0.00	2.50	2.50	0.00	5.00	100.00
2	क्ठरिया थारू	20	0.00	0.00	0.00	80.00	0.00	5.00	5.00	5.00	5.00	0.00	100.00
3	छंगुरिया थारू	90	8.89	1.11	0.00	70.00	1.11	3.33	5.56	7.78	1.11	1.11	100.00
	योग	150	8.67	0.67	0.67	72.67	0.67	2.67	4.67	6.00	1.33	2.00	100.00
4	गैर जनजाति	30	6.67	0.00	3.33	63.33	10.00	6.67	3.33	3.33	0.00	3.33	100.00
	महायोग	180	8.33	0.56	1.11	71.11	2.22	3.33	4.44	5.56	1.11	2.22	100.00

स्रोत : शोधकर्त्ता द्वारा अपने शोध अध्ययन "थारू जनजाति की सामाजिक आर्थिक परिवर्तनशीलता एवं संविकास" हेतु 2004–05 में किए गये सर्वेक्षण पर आधारित।

उपरोक्त विश्लेषण से स्पष्ट है कि अधिसंख्य उत्तरदाता परिपक्व एवं प्रश्नों को समझने वाले थे। उनके विविध शिक्षा स्तर एवं व्यवसायिक संगठन, जनांकिक स्वरूप से विविध विचारों की वास्तविक स्थिति का अनुमान लगाया जा सकता है। और अध्ययन को महत्वपूर्ण निष्कर्ष प्रदान कर सकता है।

5.2 परिवार के सदस्यों की जनांकिक संरचना

5.2.1. आयु संरचना – विभिन्न वर्गों की आयु संरचना से उन वर्ग समूहों की कार्यशक्ति का पता चलता है, जिसका सीधा संबंध विकास से है।[4] परिवारों की आयु संगठन उनके जन्मता, मर्त्यता, प्रवास एवं सामाजिक आर्थिक स्तर से प्रभावित होता है। तालिका संख्या 5.6 में विभिन्न आधारों पर चुने गये वर्गों के परिवारों के सदस्यों की लिंगानुसार आयु संरचना दी गई है जिसमें सड़क से दूर स्थित गाँवों तथा दगुरिया थारू में 0–14 वर्ष की आयु की जनसंख्या अधिक है। वहीं सड़क पर के गाँवों की अपेक्षा विकास केन्द्र के गाँवों में एवं कठरिया थारू वर्ग में 60 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के व्यक्तियों की संख्या अधिक है। औसतन 60 वर्ष से अधिक आयु में महिलाओं की संख्या पुरूषों से अधिक है। वहीं 0–14 वर्ष की आयु वर्ग में पुरूषों की संख्या अधिक है। स्पष्ट है कि वर्तमान में महिलाओं की स्थिति में गिरावट आयी है। जिसका कारण है कि परिवार नियोजन के साधनों के प्रयोग एवं शिक्षा के विस्तार से जनजातीय लोग अधिक बच्चों के बजाय अब कम बच्चे रखना पसन्द करते है। जिसमें बालकों को बालिकाओं की अपेक्षा प्राथमिकता दी जाती है। जो थारू वर्ग विकास की दौड़ में आगे है, यथा राना थारू, कठरिया थारू अथवा विकास केन्द्र के गाँव वहाँ 60 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लोगों की जनसंख्या अधिक है, जो अच्छे जीवन स्तर एवं उच्च जीवन जीवन संभाव्यता का प्रतीक है। थारू जनजाति की अपेक्षा गैर थारू में कार्य क्षमता अधिक है। अर्थात् 0–14 वर्ष की अपेक्षा युवा वर्ग, एवं 60 वर्ष से अधिक आयु वर्ग की जनसंख्या ज्यादा है। अतः स्पष्ट है कि आयुवर्ग के वर्तमान स्वरूप को आधार बनाकर मानव संसाधन का उपयोग भविष्य में विकास कार्यों के लिए किया जा सकता है।

चयनित परिवार के सदस्यों की माध्य आयु, जीवन सम्भाव्यता एवं आयु वृद्धि सूचकांक – आयु संबंधी उपलब्ध आंकड़ों को आयु पिरामिड, आयु वर्ग, एवं आयु सूचकांक के आधार पर विश्लेषित कर उद्देश्यानुसार उपयोग किया जा सकता है।[5] आयु के संदर्भ में आंकलनों में माध्य आयु, जीवन प्रत्याशा, आयु सूचकांक, कार्य सहभागिता दर आदि मुख्य संकेतक है, जिनका प्रयोग अध्ययन में किया गया है।

औसत माध्य आयु – औसत आयु के आधार पर अधिसंख्य जनसंख्या के आयुस्वरूप तथा कार्य शक्ति का अनुमान लगाया जा सकता है।

$$\text{औसत माध्य आयु (M)} = 1 - \frac{(12\text{-}11)}{F1} x(m\text{-}c)$$

जहां

m = N/2
c = वर्ग अंतराल
F = बारम्बारता

तालिका 5.6 : चयनित परिवारों के सदस्यों की आयु संरचना का लिंगानुसार विवरण

(प्रतिशित में)

क्रम सं.	वर्ग	0–14 वर्ष			15–29 वर्ष			30–44 वर्ष			45–59 वर्ष			60–74 वर्ष			75वर्ष या अधिक			
		पुरुष	स्त्री	कुल	पुरुष	स्त्री	कुल	पुरुष	स्त्री	कुल	पुरुष	स्त्री	कुल	पुरुष	स्त्री	कुल	पुरुष	स्त्री	कुल	कुल
1	सड़क से दूर स्थित गाँव	42.03	42.66	42.34	32.88	33.22	33.05	13.90	13.99	13.94	7.12	6.64	6.88	3.05	2.80	2.93	1.02	0.70	0.86	100.00
2	सड़क पर स्थित गाँव	38.15	35.09	36.63	35.55	37.43	36.48	17.05	16.67	16.86	7.51	7.60	7.56	1.45	2.63	2.03	0.29	0.58	0.44	100.00
3	विकास केन्द्र के गाँव	31.27	31.01	31.15	35.99	36.71	36.34	20.35	20.25	20.31	8.55	6.96	7.79	2.95	3.80	3.36	0.88	1.27	1.07	100.00
	योग	36.94	36.02	36.49	34.90	35.91	35.40	17.24	17.06	17.15	7.76	7.10	7.43	2.45	3.07	2.75	0.71	0.85	0.78	100.00
1	राना थारू	36.67	35.77	36.23	36.67	37.31	36.98	15.93	15.38	15.66	7.04	6.92	6.98	3.33	3.85	3.58	0.37	0.77	0.57	100.00
2	कठरिया थारू	40.00	38.94	39.47	30.43	32.74	31.58	20.00	19.47	19.74	6.09	5.31	5.70	2.61	1.77	2.19	0.87	1.77	1.32	100.00
3	देगुरिया थारू	36.47	35.55	36.02	34.96	35.90	35.42	17.31	17.34	17.32	8.40	7.53	7.98	2.02	2.98	2.49	0.84	0.70	0.77	100.00
	योग	36.94	36.02	36.49	34.90	35.91	35.40	17.24	17.06	17.15	7.76	7.10	7.43	2.45	3.07	2.75	0.71	0.85	0.78	100.00
4	गैर जनजाति	33.08	28.04	30.00	23.70	26.17	24.79	18.52	18.69	18.60	13.33	14.02	13.64	10.37	12.15	11.16	1.48	0.93	1.24	100.00
	महायोग	36.30	35.20	35.77	33.54	34.92	34.21	17.40	17.22	17.31	8.43	7.80	8.13	3.41	4.00	3.69	0.81	0.86	0.83	100.00

स्रोत : शोधकर्त्ता द्वारा अपने शोध अध्ययन "थारू जनजाति की सामाजिक आर्थिक परिवर्तनशीलता एवं संविकास" हेतु 2004–05 में किए गये सर्वेक्षण पर आधारित।

आरेख 5.1 : चयनित परिवारों का वर्गवार आयु, लिंग पिरामिड

स्रोत : तालिका 5.6
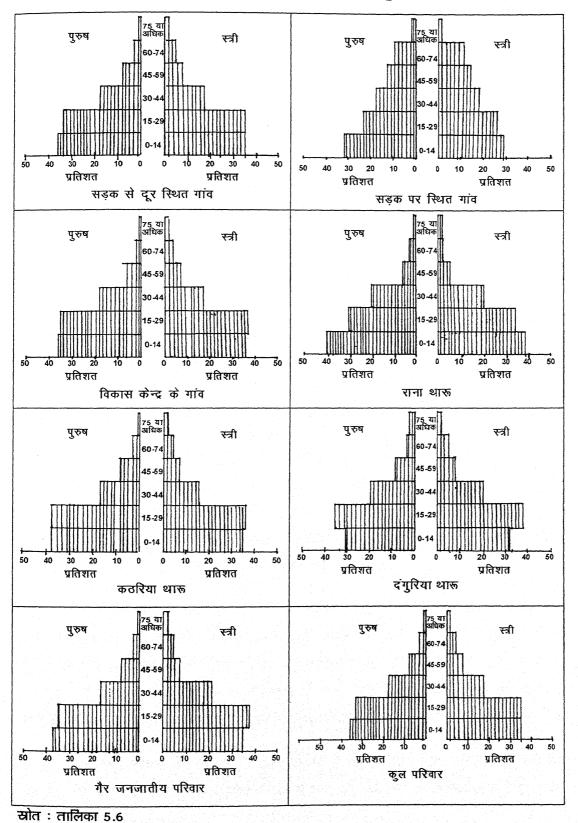
जीवन प्रत्याशा – जीवन प्रतयाशा अधिकतम आयु तक जीने की संभावना को व्यक्त करता है जिसे परिवारों में 10 वर्षों में हुई कुल मृत्युओं की आयु को कुल मृतकों की संख्या से भाग देकर ज्ञात किया गया है।

$$\text{औसत जीवन प्रत्याशा} = \frac{\text{परिवारों में कुल 10 वर्षों में हुई मृत्युओं की आयु}}{\text{कुल मृत्यु संख्या}}$$

आयु वृद्धि सूचकांक = सामान्यतः समाज में विकास के साथ अधिक आयु वाले व्यक्तियों का प्रतिशत बढ़ता है क्योंकि चिकित्सा आदि सुविधाओं के विस्तार से जीवन प्रत्याशा बढ़ती है। आयु वृद्धि सूचकांक को निम्नवत ज्ञात किया गया है।

$$\text{आयु वृद्धि सूचकांक} = \frac{\text{60 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों की संख्या}}{\text{0–14 वर्ष के आयु के बच्चों की संख्या}} \times 100$$

तालिका 5.7 में चयनित परिवारों के माध्य आयु जीवन सम्भव्यता एवं आयु सूचकांक की गणना की गई है। तालिका के अनुसार – चयनित परिवारों की माध्य आयु 19.78 की थी। वहीं जिसमें पुरूषों की माध्य आयु तथा महिलाओं की माध्य आयु 19.72 वर्ष थी। सड़क पर स्थित गाँवों एवं विकास केन्द्र पर स्थित गाँवों में माध्य आयु क्रमशः अधिक है। वही राना थारूओं में एवं कठरिया थारू वर्ग में दगुरिया एवं गांव की अपेक्षा माध्य आयु अधिक है। अतः परिवारों की माध्य आयु में वृद्धि हुई है।

जीवन संभाव्यता के संदर्भ में परिवारों की औसत जीवन संभाव्यता 59.23 वर्ष है। पुरूषों में 59.13 वर्ष तथा महिलाओं में 59.33 वर्ष है। जीवन संभाव्यता के संदर्भ में तालिका के अनुसार सड़क से दूर स्थित गाँवों की अपेक्षा सड़क पर स्थित गाँवों एवं विकास केन्द्र के गाँवों में जीवन संभाव्यता अधिक है। साथ ही राना एवं कठरिया थारू में जीवन संभाव्यता दंगुरिया थारू की अपेक्षा अधिक मिलता है। अतः स्पष्ट है कि जीवन संभाव्यता में वृद्धि हुई है।

परिवारों में आयु के संदर्भ में औसत आयु सूचकांक 12.66 है। सड़क से दूर स्थित गाँवों में आयु सूचकांक कम है। वही विकास केन्द्रों पर काफी अधिक है। जो स्पष्ट करता है कि 60 वर्ष से अधिक आयु के लोगों की संख्या विकास केन्द्रों पर अधिक है। साथ ही 0–14 वर्ष की आयु के लोगों की संख्या में कमी आयी हे जो विकास का सूचक है। इस दृष्टि से राना थारू अन्य थारू वर्गों से आगे हैं। अर्थात् राना थारू के परिवारों में आयु सूचकांक अन्य की अपेक्षा अधिक है।

अतः आयु संरचना से स्पष्ट है कि थारू परिवारों में आयु संरचना सतत परिवर्तित ही रही हैं। युवा वर्ग का बढ़ना, विकास केन्द्र के गाँवो में अधिक आयु वर्ग के लोगों का अधिक होना विकास का प्रतीक भी है।

तालिका 5.7 : चयनित परिवारों की माध्य आयु, जीवन सम्भाव्यता एवं आयु सूचकांक

क्रम स.	वर्ग	माध्य आयु			जीवन सम्भाव्यता			आयु सूचकांक
		पु.	स्त्री	कुल	पु.	स्त्री	कुल	
1	सड़क से दूर स्थित गाँव	18.53	17.94	18.24	56.10	54.00	55.05	8.87
2	सड़क पर स्थित गाँव	19.36	19.76	19.56	58.30	59.00	58.65	6.75
3	विकास केन्द्र के गाँव	21.12	20.97	21.05	62.00	63.00	62.50	14.22
	योग	19.67	19.56	19.61	58.80	58.67	58.73	9.69
1	राना थारू	20.89	20.63	20.76	60.00	61.00	60.50	11.46
2	कठरिया थारू	20.23	20.53	20.38	59.00	60.00	59.50	8.89
3	दंगुरिया थारू	17.89	17.51	17.70	57.40	55.00	56.20	9.05
	योग	19.67	19.56	19.61	58.80	58.67	58.73	9.69
4	गैर जनजाति	20.32	20.22	20.27	60.12	61.32	60.72	41.67
	महायोग	19.83	19.72	19.78	59.13	59.33	59.23	12.66

स्रोत : शोधकर्त्ता द्वारा अपने शोध अध्ययन "थारू जनजाति की सामाजिक आर्थिक परिवर्तनशीलता एवं संविकास" हेतु 2004–05 में किए गये सर्वेक्षण पर आधारित।
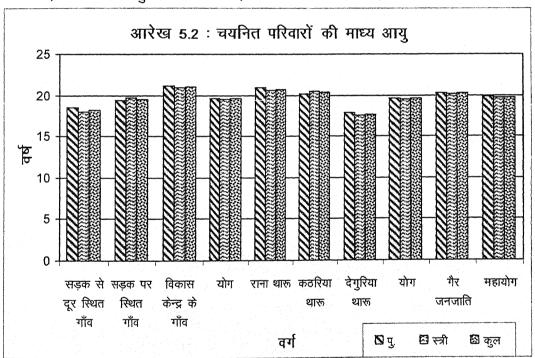
स्रोत : तालिका 5.7

5.2.2. लिंगानुपात – लिंगानुपात किसी क्षेत्र समाज की सामाजिक आर्थिक स्थिति का महत्वपूर्ण संकेतक है जो पुरूषों पर स्त्रियों की संख्या या प्रति हजार स्त्रियों पर पुरूषों की संख्या से आंकलित किया जाता है।[6] तालिका संख्या 5.8 में विभिन्न वर्गों में आयु वर्गानुसार लिंगानुपात को प्रति हजार पुरूष पर स्त्रियों की संख्या पर आंकलित किया गया है।

$$\text{लिंगानुपात} = \frac{\text{कुल स्त्री संख्या}}{\text{कुल पुरूष संख्या}} \times 1000$$

तालिका 5.8 : चयनित परिवारों के सदस्यों का आयु वर्गानुसार लिंगानुपात

क्रम सं.	वर्ग	0–14 वर्ष	15–29 वर्ष	30–44 वर्ष	45–59 वर्ष	60–75 वर्ष	75 से अधिक	कुल
1	सड़क से दूर स्थित गाँव	984	979	976	905	889	667	969
2	सड़क पर स्थित गाँव	909	1041	966	1000	1800	2000	988
3	विकास केन्द्र के गाँव	925	951	928	759	1200	1333	932
	योग	939	991	953	882	1208	1143	963
1	राना थारू	939	980	930	947	1111	2000	963
2	कठरिया थारू	957	1057	957	857	667	2000	983
3	दंगुरिया थारू	935	986	961	860	1417	800	960
	योग	939	991	953	882	1208	1143	963
4	गैर जनजाति	782	875	800	833	929	500	805
	महायोग	911	981	933	872	1105	1000	944

स्रोत : शोधकर्त्ता द्वारा अपने शोध अध्ययन "थारू जनजाति की सामाजिक आर्थिक परिवर्तनशीलता एवं संविकास" हेतु 2004–05 में किए गये सर्वेक्षण पर आधारित।
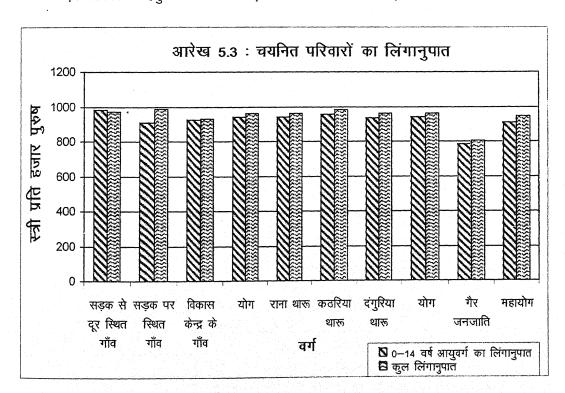
थारू परिवारों का औसत लिंगानुपात 963 है। वहीं सम्पूर्ण लिंगानुपात 944 है। सड़क पर स्थित गाँवों एवं राना थारू में लिंगानुपात की दर उच्च है। वही गैर जनजातीय लोगों में लिंगानुपात 805 है जो जनजातियों की अपेक्षा काफी निम्न है। हालांकि जनजातियों में लिंगानुपात का दर विकास के साथ घट रहा है। विकास केन्द्रों पर लिंगानुपात निम्न है। 0–14 आयु वर्ग में लिंगानुपात अन्य आयु वर्ग के औसत लिंगानुपात से कम है। (911) जो गैर जनजातीय लोगों में 782 है, जो बालिकाओं की

क्रम मान्यता, दहेज केबढ़ने एवं परिवार नियोजन साधनों के प्रयोग, बालक चयन को प्राथमिकता, स्त्री मृत्यु दर उच्चता के कारण है।

5.2.3 साक्षरता एवं शिक्षा – शिक्षा विकास का आधार है। शिक्षा का स्तर जितना उच्च होता है विकास एवं जीवन स्तर उतना ही उच्च होता है। "साक्षरता का तात्पर्य दैनिक जीवन की सामान्यताओं को लिखने–पढ़ने या समझने की क्षमता से है।[7] जिसका आंकलन निम्नवत किया गया है।

$$\text{साक्षरता दर} = \frac{\text{शिक्षित व्यक्तियों की संख्या}}{\text{कुल जनसंख्या}} \times 100$$

तालिका 5.9 के अनुसार सड़क से दूर के गाँवों में 32.70 प्रतिशत, सड़क पर 53.49 प्रतिशत, तथा विकास केन्द्रों पर 64.12 प्रतिशत साक्षरता है, जो स्पष्ट करती है कि विकास के साथ साक्षरता दर बढ़ा है। महिला साक्षरता दर पुरूष साक्षरता दर से निम्न है। विकास केन्द्रों पर महिला साक्षरता 61.08 प्रतिशत, सड़क पर स्थित गाँवों में 48.83 प्रतिशत, एवं सड़क से दूर के गाँव में 30.77 प्रतिशत है। चयनित परिवारों में राना थारू में कुल साक्षरता 68.68 प्रतिशत, कठरिया में 54.39 प्रतिशत, दंगुरिया थारू में 42.02 प्रतिशत तथा गैर जनजातियों में 43.75 प्रतिशत है। साक्षरता दर सतत बढ़ी है परन्तु अभी भी निम्न है। सड़क से दूर गाँवों में 67.30 प्रतिशत लोग, सड़क पर के गाँवों में 46.51 प्रतिशत, विकास केन्द्रों पर 35.88 प्रतिशत, राना थारू में 31.32 प्रतिशत, कठरिया थारू के 45.61 प्रतिशत, दगुरिया थारू में 57.98 प्रतिशत, गैर जनजातीय लोगों में 56.25 प्रतिशत तथा कुल जनजातीय लोगों में 49.17 प्रतिशत एवं सम्पूर्ण जनसंख्या में 49.95 प्रतिशत लोग अशिक्षित हैं।

तालिका 5.9 : चयनित परिवारों के सदस्यों की लिंगानुसार साक्षरता

(प्रतिशत में)

क्रम सं.	वर्ग	अशिक्षित			शिक्षित		
		कुल	पु.	स्त्री	कुल	पु.	स्त्री
1	सड़क से दूर स्थित गाँव	67.30	65.42	69.23	32.70	34.58	30.77
2	सड़क पर स्थित गाँव	46.51	41.91	51.17	53.49	58.09	48.83
3	विकास केन्द्र के गाँव	35.88	33.04	38.92	64.12	66.96	61.08
	योग	49.17	45.92	52.54	50.83	54.08	47.46
1	राना थारू	31.32	27.41	35.38	68.68	72.59	64.62
2	कठरिया थारू	45.61	38.26	53.10	54.39	61.74	46.90
3	दंगुरिया थारू	57.98	55.80	60.25	42.02	44.20	39.75
	योग	49.17	45.92	52.54	50.83	54.08	47.46
4	गैर जनजाति	56.25	39.85	76.64	43.75	60.15	23.36
	महायोग	49.95	45.19	55.00	50.05	54.81	45.00

स्रोत : शोधकर्त्ता द्वारा अपने शोध अध्ययन "थारू जनजाति की सामाजिक आर्थिक परिवर्तनशीलता एवं संविकास" हेतु 2004–05 में किए गये सर्वेक्षण पर आधारित।
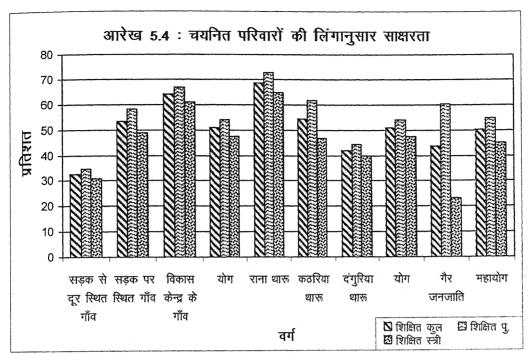
स्रोत : तालिका 5.9

शिक्षा के स्तर को देखें तो (तालिका 5.10) कुल शिक्षित जनसंख्या का मात्र 6.28 प्रतिशत लोग हाईस्कूल से ऊपर शिक्षा प्राप्त किए जिसमें सड़क से दूर गाँवों में 0.51 प्रतिशत सड़क पर गाँवों में 5.39 प्रतिशत, विकास केन्द्र के गाँवों में 11.61 प्रतिशत, राना थारू में 9.25 प्रतिशत, कठरिया थारू में 7.02 प्रतिशत, एवं दगुरिया थारू में 3.80 प्रतिशत, गैर जनजातियों में 8.33 प्रतिशत कुल थारू में 6. 04 प्रतिशत है। जिसमें परास्नातक एवं उच्च स्तर की शिक्षा 1 प्रतिशत से भी कम है।

तालिका 5.10 : चयनित परिवारों के सदस्यों की शैक्षिक स्तर

(प्रतिशत में)

क्रम सं.	वर्ग	कुल सं.	अशिक्षित	प्राथमिक	जूनियर	हाईस्कूल	इण्टरमीडिएट	स्नातक	परास्नातक	एम.बी.बी.एस.	एमबीए/पीएचडी	अन्य प्रशिक्षण	कुल
1	सड़क से दूर स्थित गाँव	581	67.3	24.1	6.37	1.72	0.34	0.17	0	0	0	0	100
2	सड़क पर स्थित गाँव	688	46.51	31.09	11.2	5.81	2.91	1.45	0.58	0.15	0.15	0.15	100
3	विकास केन्द्र के गाँव	655	35.88	33.73	13.28	5.5	5.19	2.9	2.14	0.46	0.31	0.61	100
	योग	1924	49.17	30.08	10.24	4.47	2.91	1.56	0.94	0.21	0.16	0.26	100
1	राना थारू	530	31.32	37	13.75	8.68	4.72	2.83	1.32	0.19	0	0.19	100
2	कठरिया थारू	228	45.61	32.9	9.21	5.26	2.19	1.75	1.32	0.44	0.44	0.88	100
3	दंगुरिया थारू	1166	57.98	27.53	7.72	2.4	2.23	0.94	0.69	0.17	0.17	0.17	100
	योग	1924	49.17	30.08	10.24	4.47	2.91	1.56	0.94	0.21	0.16	0.26	100
4	गैर जनजाति	240	56.25	22.92	9.17	3.33	2.92	2.08	2.08	0.83	0.42	0	100
	महायोग	2164	49.95	29.31	10.12	4.34	2.91	1.62	1.06	0.28	0.18	0.23	100

स्रोत : शोधकर्त्ता द्वारा अपने शोध अध्ययन "थारू जनजाति की सामाजिक आर्थिक परिवर्तनशीलता एवं संविकास" हेतु 2004–05 में किए गये सर्वेक्षण पर आधारित।
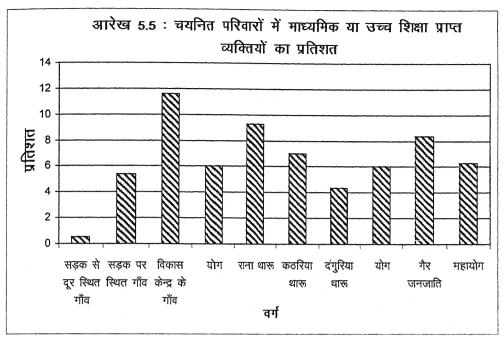
स्रोत : तालिका 5.10

यदि शिक्षा के स्वरूप को देखें तो तालिका संख्या 5.11 के अनुसार कुल शिक्षित जनसंख्या में 93.4 प्रतिशत लोग सामान्य/ कला वर्ग में शिक्षा प्राप्त थे जिनका प्रतिशत सड़क से दूर गाँव में 99.47 प्रतिशत, सड़क पर गाँवों में 95.11 प्रतिशत विकास केन्द्रों पर 90 प्रतिशत है। राना थारू में 97.14 प्रतिशत, कठरिया में 91.13 प्रतिशत, दंगुरिया में 92.06 प्रतिशत है। कुल शिक्षितों में 93.17 प्रतिशत कला वर्ग में, 5.63 प्रतिशत विज्ञान वर्ग में, 1.20 प्रतिशत वाणिज्य वर्ग में शिक्षा प्राप्त किए है। महिलाओं का प्रतिशत कला वर्ग में पुरूषों की अपेक्षा अधिक है। तालिका से स्पष्ट होता है कि सड़क से दूर के गाँवों से विकास केन्द्रों की तरफ विज्ञान/तकनीकी तथा व्यवसायिक शिक्षा की मान्यता बढ़ी है जो सकारात्मक विकास का द्योतक है।

तालिका 5.11 : चयनित परिवारों में शिक्षितों का लिंगानुसार शैक्षिक स्वरूप

(प्रतिशत में)

क्र. सं.	वर्ग	सामान्य/कला वर्ग			विज्ञान/तकनीकी वर्ग			वाणिज्य वर्ग		
		कुल	पु.	स्त्री	कुल	पु.	स्त्री	कुल	पु.	स्त्री
1	सड़क से दूर स्थित गाँव	99.47	99.02	100.00	0.53	0.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2	सड़क पर स्थित गाँव	95.11	94.02	96.40	3.80	4.98	2.40	1.09	1.00	1.20
3	विकास केन्द्र के गाँव	90.00	86.79	93.78	8.57	11.45	5.18	1.43	1.76	1.04
	योग	93.77	91.89	95.98	5.21	6.98	3.13	1.02	1.13	0.89
1	राना थारू	93.14	89.80	97.62	6.29	9.18	2.38	0.57	1.02	0.00
2	कठरिया थारू	91.13	91.55	90.57	6.45	7.04	5.66	2.42	1.41	3.77
3	दंगुरिया थारू	94.84	93.54	96.04	4.17	5.32	3.08	0.99	1.14	0.88
	योग	93.77	91.89	95.98	5.21	6.98	3.13	1.02	1.13	0.89
4	गैर जनजाति	87.62	88.75	84.00	9.52	8.75	12.00	2.86	2.50	4.00
	महायोग	93.17	91.48	95.35	5.63	7.21	3.59	1.20	1.31	1.06

स्रोत : शोधकर्त्ता द्वारा अपने शोध अध्ययन "थारू जनजाति की सामाजिक आर्थिक परिवर्तनशीलता एवं संविकास" हेतु 2004–05 में किए गये सर्वेक्षण पर आधारित।

वर्तमान शिक्षा के प्रयासों से साक्षरता की मात्रा युवा वर्गों में अधिक मिलती है जो थारू परिवारों के आयुनुसार साक्षरता स्तर देखने से स्पष्ट होता है। तालिका 5.12 के अनुसार विभिन्न आयु वर्गों में थारू परिवारों में 7–24 वर्ष की आयु में 72.08 प्रतिशत लोग शिक्षित थे। 15–29 वर्ष के 72.39 प्रतिशत लोग शिक्षित थे। जिसमें महिलाओं का प्रतिशत पुरूषों से कम है। 30–44 वर्ष के मध्य के लोगों में 22.12 प्रतिशत लोग शिक्षित थे। तथा 45–59 वर्ष के मध्य के 22.38 प्रतिशत लोग शिक्षित थे। 75 वर्ष से ऊपर आयु की 6.67 प्रतिशत लोग शिक्षित थे जिसमें महिलाओं की साक्षरता शून्य थी।

तालिका 5.12 : थारू जनजाति के परिवार के सदस्यों की आयु वर्गानुसार साक्षरता

(प्रतिशत में)

क्रम सं.	आयु वर्ग	कुल जन.			अशिक्षित			शिक्षित		
		पु.	स्त्री	कुल	पु.	स्त्री	कुल	पु.	स्त्री	कुल
1	0–6	120	110	230	90.00	86.36	88.26	10.00	13.64	11.74
2	7–14	232	230	462	22.84	33.04	27.92	77.16	66.96	72.08
3	15–29	342	339	681	20.76	34.51	27.61	79.24	65.49	72.39
4	30–44	169	161	330	73.96	81.99	77.88	26.04	18.01	22.12
5	45–59	76	67	143	72.37	83.58	77.62	27.63	16.42	22.38
6	60–74	24	29	53	75.00	89.66	83.02	25.00	10.34	16.98
7	75 वर्ष या अधिक	7	8	15	85.71	100.00	93.33	14.29	0.00	6.67
	योग	980	944	1924	45.92	52.94	49.17	54.08	47.06	50.83

स्रोत : शोधकर्त्ता द्वारा अपने शोध अध्ययन "थारू जनजाति की सामाजिक आर्थिक परिवर्तनशीलता एवं संविकास" हेतु 2004–05 में किए गये सर्वेक्षण पर आधारित।
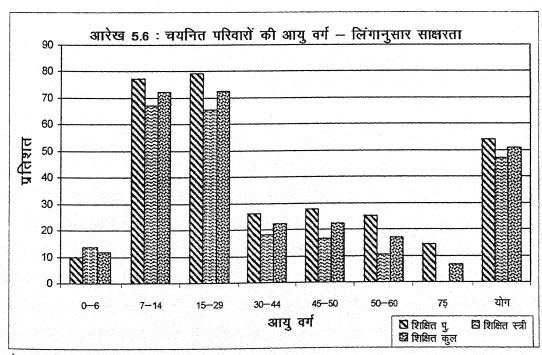
स्रोत : तालिका 5.12

स्पष्ट है कि वर्तमान में शिक्षा का तीव्र विकास हुआ है। नई पीढ़ी साक्षरता एवं शिक्षा के स्तर एवं स्वरूप के प्रति जागरूक है। तथा शिक्षा में मात्रात्मक के साथ गुणात्मक विकास हो रहा है।

मध्यावधि विद्यालय छोड़ना – सामान्यता जनजाति के अधिकांश व्यक्ति प्राथमिक स्तर तक शिक्षा प्राप्त किए हैं जो उच्च शिक्षा एवं माध्यमिक शिक्षा सुविधाओं में कमी तथा मध्यावधि में विद्यालय छोड़ने के कारण हैं। प्राथमिक स्तर पर विद्यालय छोड़ने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत सड़क से दूर के गाँवों में अधिक है। वही विकास केन्द्रों के गाँवों में पर कुल मध्यावधि विद्यालय छोड़ने का संख्या प्राथमिक स्तर के बजाय माध्यमिक स्तर पर बढ़ा है (तालिका 5.13)। जो स्पष्ट करता है कि शिक्षा में विकास हो रहा है तथा विद्यार्थी शिक्षा सुविधाओं के विस्तार से शिक्षा में रूचि लेने लगे हैं। परन्तु शिक्षा में सुधार की आवश्यकता है क्योंकि शिक्षा विकास का मूल है।

तालिका 5.13 : चयनित परिवारों में मध्यावधि विद्यालय छोड़ने की लिंगानुसार स्थिति

(प्रतिशत में)

क्र. सं.	वर्ग	पुरुष			महिला			कुल
		प्राथमिक	माध्यिमिक	कुल	प्राथमिक	माध्यिमिक	कुल	
1	सड़क से दूर स्थित गाँव	71.11	28.89	45	71.67	28.33	60	105
2	सड़क पर स्थित गाँव	62.50	37.50	32	73.33	26.67	30	62
3	विकास केन्द्र के गाँव	50.00	50.00	18	58.82	41.18	17	35
	योग	64.21	35.79	95	70.09	29.91	107	202
1	राना थारू	50.00	50.00	22	69.23	30.77	26	48
2	कठरिया थारू	40.00	60.00	10	66.67	33.33	12	22
3	दंगुरिया थारू	73.02	26.98	63	71.01	28.99	69	132
	योग	64.21	35.79	95	70.09	29.91	107	202
4	गैर जनजाति	58.33	41.67	12	56.25	43.75	16	28
	महायोग	63.55	36.45	107	68.29	31.71	123	230

स्रोत : शोधकर्त्ता द्वारा अपने शोध अध्ययन "थारू जनजाति की सामाजिक आर्थिक परिवर्तनशीलता एवं संविकास" हेतु 2004–05 में किए गये सर्वेक्षण पर आधारित।

परिवारों में कुल शिक्षा स्तर का आंकलन – जनजाति के विकास में केवल औपचारिक शिक्षा का ही योगदान नहीं होता है वरन अनौपचारिक शिक्षा भी सामाजिक आर्थिक परिवर्तन का आधारभूत अंग है।[8] अनौपचारिक शिक्षा स्रोतों में पंचायत विकास खण्ड, जनपद, एवं प्रादेशिक मुख्यालय तक राजनीतिक/प्रशासनिक पहुँच टेलीविजन, मोबाइल आदि जन संचार साधनों के प्रयोग एवं गांव से बाहर शहरों में नौकरी करना आदि पक्ष शामिल है। सामान्यतः अनौपचारिक शिक्षा साहूकारों, शोषकों, भ्रष्टाचार, अंधविश्वास के प्रति जनजातियों के जागरूक होने तथा व्यवहार परिवर्तन एवं समझ विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अतः साक्षरता आंकलन में औपचारिक एवं अनौपचारिक स्रोतों से प्राप्त शिक्षा को शामिल किया जाना चाहिए। अतः यहां औपचारिक एवं अनौपचारिक स्रोतों से शिक्षा स्तर को मूल्य (Value) देकर आंकलित किया गया है।

तालिका 5.14 : चयनित परिवारों में सदस्यों का शैक्षिक मूल्य (Value)

क्र. सं.	वर्ग	कुल सं0	औपचारिक शिक्षा मूल्य सूचकांक							अनौपचारिक शिक्षा मूल्य सूचकांक							कुल मूल्य	प्रति व्यक्ति मूल्य
			अशिक्षित, प्रति व्यक्ति 0 मूल्य	प्राथमिक शिक्षा प्राप्त, प्रति व्यक्ति 1 मूल्य	उच्च प्राथमिक शिक्षा प्राप्त, प्रति व्यक्ति 2 मूल्य	माध्यमिक शिक्षा प्राप्त, प्रति व्यक्ति 3 मूल्य	उच्च शिक्षा प्राप्त, प्रति व्यक्ति 4 मूल्य	कुल	कुल मूल्य का प्रतिशत	कोई सहभागिता नहीं प्रति व्यक्ति 0 मूल्य	ग्राम स्तर पर राजनीतिक / प्रशासनिक प्रति व्यक्ति 1 मूल्य	विकास खण्ड स्तर पर राजनीतिक प्रशासनिक सहभागिता प्रति व्यक्ति 2 मूल्य	जनपद स्तर पर राजनीतिक प्रशासनिक सहभागिता प्रति व्यक्ति 3 मूल्य	प्रदेश स्तर पर राजनीतिक प्रशासनिक सहभागिता प्रति व्यक्ति 4 मूल्य	कुल	कुल मूल्य का प्रतिशत		
1	सड़क से दूर स्थित गाँव	581	391	140	74	36	4	254	35.38	262	232	78	114	40	464	64.62	718	1.24
2	सड़क पर स्थित गाँव	688	320	215	152	180	68	615	48.46	232	335	116	147	56	654	51.54	1269	1.84
3	विकास केन्द्र के गाँव	655	235	223	170	210	168	771	50.66	192	306	140	129	176	751	49.34	1522	2.32
	योग	1924	946	578	396	426	240	1640	46.74	686	873	334	390	272	1869	53.26	3509	1.82
1	राना थारू	530	180	182	146	213	96	637	51.37	165	222	136	165	80	603	48.63	1240	2.34
2	कठरिया थारू	228	104	75	42	51	44	212	44.54	92	64	68	60	72	264	55.46	476	2.09
3	दंगुरिया थारू	1166	662	321	208	162	100	791	44.12	429	587	130	165	120	1002	55.88	1793	1.54
	योग	1924	946	578	396	426	240	1640	46.74	686	873	334	390	272	1869	53.26	3509	1.82
4	गैर जनजाति	240	135	55	44	45	52	196	40.16	82	80	70	90	52	292	59.84	488	2.03
	महायोग	2164	1081	633	440	471	292	1836	45.93	768	953	404	480	324	2161	54.07	3997	1.85

स्रोत : शोधकर्त्ता द्वारा अपने शोध अध्ययन "थारू जनजाति की सामाजिक आर्थिक परिवर्तनशीलता एवं संविकास" हेतु 2004–05 में किए गये सर्वेक्षण पर आधारित।

तालिका 5.14 में प्रति अशिक्षित व्यक्ति को 0 अंक प्राथमिक शिक्षा स्तर शिक्षित प्रति व्यक्ति को 1 अंक, जूनियर स्तर तक शिक्षा प्राप्त प्रति व्यक्ति, 2 अंक माध्यमिक स्तर तक शिक्षा प्राप्त शिक्षित प्रति व्यक्ति को 3 अंक एवं स्नातक या उच्च स्तर तक शिक्षित प्रति व्यक्ति को 4 अंक देकर कुल औपचारिक शिक्षा मूल्य प्राप्त किया गया है। अनौपचारिक शिक्षा को ग्राम स्तर पर राजनीतिक सहभागिता के लिए, बाहर शहरों में नौकरी करने एवं घर में टेलीविजन/सिनेमा देखने वाले प्रति व्यक्ति को 1 अंक, विकास खण्ड स्तर पर कार्यालयों में पहुंच/राजनीतिक सहभागिता के लिए 2 अंक, जनपद मुख्यालय तक राजनीतिक/प्रशासनिक सहभागिता के लिए प्रतिव्यक्ति 3 अंक एवं प्रदेश मुख्यालय पर राजनीतिक/प्रशासनिक स्तर तक सहभागिता के लिए 4 अंक देकर कुल शिक्षा स्तर का अनुमान लगाया गया।

सड़क से दूर के गाँवों में प्रतिव्यक्ति शिक्षा का औसत मूल्य 1.23 है। वहीं सड़क पर स्थित गाँवों के 1.84, एवं विकास केन्द्र के गांवों में 2.32, राना एवं कठरिया थारू को क्रमशः 2.34, 2.09 एवं दंगुरिया थारू में 1.54 है। गैर जनजातीय लोगों में अनौपचारिक शिक्षा पक्ष के ज्यादा होने से शिक्षा का मूल्य अधिक 2.03 है औसत प्रति व्यक्ति शिक्षा मूल्य 1.85 है। कुल शिक्षा मूल्य में 45.93 प्रतिशत औपचारिक शिक्षा से एवं 54.07 प्रतिशत अनौपचारिक शिक्षा से है। जिसमें 46.74 प्रतिशत थारू औपचारिक शिक्षा से एवं 53.26 प्रतिशत थारू शिक्षा अनौपचारिक शिक्षा प्राप्त है। दंगुरिया थारू एवं गैर जनजातीय लोगों में अनौपचारिक शिक्षा का प्रतिशत अधिक होने से शिक्षा का स्तर उच्च है। अतः विकास के लिए औपचारिक शिक्षा के साथ अनौपचारिक शिक्षा की भी आवश्यकता होती है। एवं अनौपचारिक शिक्षा, ज्ञान एवं जागरूकता के विस्तार की भी शिक्षा विस्तार के साथ आवश्यकता है।

5.2.4 व्यावसायिक संगठन – व्यावसायिक संगठन किसी समाज में आर्थिक स्थिति का आधार एवं सामाजिक, आर्थिक स्थिति का द्योतक है।[9] तालिका संख्या 5.15 के अनुसार कुल थारू परिवारों की जनसंख्या में 12.79 प्रतिशत बच्चे 23.86 प्रतिशत विद्यार्थी, 4.83 प्रतिशत बेरोजगार, 11.69 प्रतिशत किसान, 10.14 प्रतिशत कृषक मजदूर, 17.22 प्रतिशत अन्य मजदूर 18.66 प्रतिशत गृहणी, 1.35 प्रतिशत दुकानदार 2.39 प्रतिशत सरकारी नौकर, 1.62 प्रतिशत स्थानीय नेता, 4.18 प्रतिशत लोग मिलों में या गैर सरकारी प्रतिष्ठानों में नौकर, 1.66 प्रतिशत कार्य से असक्षम थे। जहां सड़क से दूर के गांवों में बच्चों की संख्या अधिक है। वहीं विकास केन्द्र पर विद्यार्थियों की संख्या अधिक है। विकास के साथ–2 बेरोजगारी की दर बढ़ी है। सड़क से दूर गाँवों की अपेक्षा विकास केन्द्र एवं सड़क पर के गांव में सरकारी नौकर एवं गैर सरकारी नौकरों का प्रतिशत अधिक है। कठरिया थारू के कृषकों एवं नौकरी कर्ताओं का प्रतिशत अधिक है। थारू की अपेक्षा गैर थारू लोगों में बच्चों एवं बेरोजगारों का प्रतिशत अधिक है।

अतः विकास के साथ बेरोजगारी की दर बढ़ी है वही नौकरी करने वालों की संख्या बढ़ी है। कृषि कार्य से लोग व्यवसाय एवं नौकरी की तरफ मुड़ रहे हैं।

तालिका 5.15 : चयनित परिवारों के सदस्यों का व्यवसायिक संगठन

(प्रतिशत में)

क्र. सं.	वर्ग	कुल सं.	बालक	विद्यार्थी	बेरोजगार	कृषक	कृषक मजदूर	अन्य मजदूर	गृहणी	दुकानदार	सरकारी नौकर	स्थानीय नेता	गैर सरकारी नौकर	अन्यअसक्षम	कुल
1	सड़क से दूर स्थित गाँव	581	13.43	18.07	4.3	13.08	13.94	10.5	17.56	1.03	0.86	0.52	5.16	1.55	100
2	सड़क पर स्थित गाँव	688	13.81	23.98	4.8	11.19	9.16	7.12	20.78	1.02	2.18	0.44	3.92	1.6	100
3	विकास केन्द्र के गाँव	655	11.15	28.86	5.34	10.99	7.79	4.43	17.4	1.98	3.97	0.92	5.34	1.83	100
4	राना थारू	530	8.3	22.07	6.98	10.94	10.38	7.36	19.25	1.7	2.83	0.94	7.17	2.08	100
5	कठरिया थारू	228	10.53	15.78	6.14	14.91	8.33	9.65	16.67	1.75	3.95	0.88	10.09	1.32	100
6	दंगुरिया थारू	1166	15.27	26.24	3.6	11.41	10.38	6.69	18.78	1.11	1.89	0.43	2.66	1.54	100
7	गैर जनजाति	240	15.83	13.34	9.17	12.08	12.08	5	18.75	2.08	2.08	0.42	4.17	5	100
	महायोग	2164	13.12	22.7	5.31	11.74	10.35	6.98	18.67	1.43	2.36	0.6	4.71	2.03	100
	योग थारू पुरुष	980	12.65	23.06	5.82	22.65	9.59	8.57	0	2.55	4.29	1.02	8.37	1.43	100
	योग थारू महिला	944	12.92	24.68	3.81	0.32	10.7	5.83	38.03	0.11	0.42	0.21	1.06	1.91	100
	योग थारू कुल	1924	12.79	23.87	4.83	11.69	10.14	7.22	18.66	1.35	2.39	0.62	4.78	1.66	100

स्रोत : शोधकर्त्ता द्वारा अपने शोध अध्ययन "थारू जनजाति की सामाजिक आर्थिक परिवर्तनशीलता एवं संविकास" हेतु 2004–05 में किए गये सर्वेक्षण पर आधारित।

तालिका संख्या 5.16 के अनुसार चयनित परिवारो में व्यवसायिक संगठन पर परिवर्तन एवं विकास के प्रभाव को आंकने के लिए, कर्मकार, गैरकर्मकार, कार्य सहभागिता दर एवं आश्रितता अनुपात को ज्ञात किया गया है।

$$\text{कार्य सहभागिता दर} = \frac{\text{कुल कर्मकार}}{\text{कुल जनसंख्या}} \times 100$$

$$\text{आश्रितता अनुपात} = \frac{\text{0–14 वर्ष से अधिक आयु के लोग + 65 वर्ष से अधिक आयु के लोग}}{\text{15–64 वर्ष के आयु के व्यक्तियों की संख्या}}$$

तालिका के अनुसार कुल कार्य सहभागिता दर 43.16 तथा आश्रितता अनुपात 67.49 प्रतिशत है। तालिका से स्पष्ट होता है कि सड़क से दूर गांवों की अपेक्षा सड़क पर के गांवों में एवं विकास केन्द्र के गांवों में कार्य सहभागिता दर अधिक है। वहीं आश्रितता अनुपात कम है। कार्य सहभागिता दर को बढ़ाना तथा आर्थिक विकास के लिए आवश्यक भी है। अतः विकास एवं परिवर्तनों के परिणामतः व्यवसायिक संगठन तथा कार्यशीलता का स्वरूप परिवर्तित हुआ है तथा थारू लोग की कार्य में हिस्सेदारी बढ़ी है।

तालिका 5.16 : चयनित परिवारों में कार्य सहभागिता दर एवं आश्रितता अनुपात

क्र.सं.	वर्ग	कार्य सहभागिता दर	आश्रितता अनुपात
1	सड़क से दूर स्थित गाँव	37.35	86.82
2	सड़क पर स्थित गाँव	44.19	64.20
3	विकास केन्द्र के गाँव	47.18	55.21
	योग	43.14	66.72
1	राना थारू	39.43	67.72
2	कठरिया थारू	33.77	75.38
3	दंगुरिया थारू	46.66	64.69
	योग	43.14	66.72
4	गैर जनजाति	43.33	73.91
	महायोग	43.16	67.49

स्रोत : शोधकर्त्ता द्वारा अपने शोध अध्ययन "थारू जनजाति की सामाजिक आर्थिक परिवर्तनशीलता एवं संविकास" हेतु 2004–05 में किए गये सर्वेक्षण पर आधारित।

यदि बाहरी स्रोतों से कार्यशील जनसंख्या की नकद आय को देखें तो तालिका 5.17 के अनुसार दूर के गाँवों में 54.9 प्रतिशत, सड़क पर के गांवों में 64.97 प्रतिशत, विकास केन्द्रों के गांवों में पर 64.58 प्रतिशत, कुल 61.80 प्रतिशत, राना थारू में 61.95 प्रतिशत, कठरिया थारू में 50.98 प्रतिशत, दगुरिया थारू में 63.80 प्रतिशत, अन्य गैर जनजाति के 62.92 प्रतिशत एवं कुल परिवारों के 61.9 प्रतिशत जनसंख्या की नकद आय नहीं होती थी। विकास केन्द्रों पर अधिक नकद आय वाले लोगों की मात्रा मजदूरी, व्यवसाय तथा शिक्षा में अधिक संलग्नता एवं अच्छी आर्थिक स्थिति के कारण अधिक हैं। कुल परिवारों में विकास केन्द्रों पर 0.12 प्रतिशत, सड़क पर के गांवों में 0.07 प्रतिशत सड़क से दूर गाँव में 0.3 प्रतिशत राना थारू में 0.08 प्रतिशत, कठरिया थारू में 0.22 प्रतिशत, दगुरिया थारू में 0.03 प्रतिशत और कुल थारू में .08 प्रतिशत तथा कुल .08 प्रतिशत लोग 10000 रुपये से अधिक मासिक आय वाले हैं। अतः उच्च आय के लोगों का प्रतिशत बहुत कम है जो सड़क से दूर स्थित गाँवों से विकास केन्द्रों की ओर सतत बढ़ती दर से प्राप्त होता है जो स्पष्ट करता है कि परिवारों की आय बढ़ी है परन्तु अधिकांश कर्मकार मजदूर एवं कम आये वाले हैं जो स्पष्ट करता है कि क्षेत्र में श्रम का मूल्य कम है अर्थात श्रम का उचित मूल्य प्राप्त नहीं होता है, जो रोजगार साधनों के अभाव तथा औद्योगीकरण विस्तार न होने के कारण दृष्यगत है।

तालिका 5.17 : चयनित परिवारों के सदस्यों की नकद आय का वर्गानुसार विवरण

(प्रतिशत में)

क्र. सं.	वर्ग	कुल संख्या	प्रति व्यक्ति मासिक आय							कुल
			कुछ नहीं	1–1000	1001–2000	2001–3000	3001–5000	5001–10000	10001 से अधिक	
1	सड़क से दूर स्थित गाँव	581	54.91	23.58	11.70	5.51	2.24	2.03	0.03	100.00
2	सड़क पर स्थित गाँव	688	64.97	14.39	12.35	3.34	2.47	2.40	0.07	100.00
3	विकास केन्द्र के गाँव	655	64.58	14.20	5.50	5.65	4.73	5.22	0.12	100.00
	योग	1924	61.80	17.10	9.82	4.78	3.17	3.25	0.08	100.00
1	राना थारू	530	61.95	18.33	7.57	4.58	3.98	3.51	0.08	100.00
2	कठरिया थारू	228	50.88	9.73	15.49	14.16	5.31	4.20	0.22	100.00
3	दंगुरिया थारू	1166	63.80	17.98	9.70	3.09	2.42	2.96	0.05	100.00
	योग	1924	61.80	17.10	9.82	4.78	3.17	3.25	0.08	100.00
4	गैर जनजाति	240	62.92	14.58	13.33	5.00	2.08	2.00	0.08	100.00
	महायोग	2164	61.92	16.82	10.21	4.81	3.05	3.11	0.08	100.00

स्रोत : शोधकर्त्ता द्वारा अपने शोध अध्ययन "थारू जनजाति की सामाजिक आर्थिक परिवर्तनशीलता एवं संविकास" हेतु 2004–05 में किए गये सर्वेक्षण पर आधारित।

बालश्रम – जनजातीय परिवारों में बालक से युवा तक सभी कार्य करते हैं। शिक्षा की कमी तथा शारीरिक श्रम प्रधान कार्य प्रणाली में अधिक श्रम के लिए बच्चों को भी साथ में लगाया जाता है। विगत दशकों में बालक लोग बाहर होटल इत्यादि पर मजदूरी करने जाने लगे हैं। बालश्रम एक तरह से विकास का अवरोधक है क्योंकि वह श्रम जो बाद में कुशल एवं तकनीकयुक्त हो सकता था प्रारम्भिक अवस्था में ही अनुत्पादक हो जाता है। परिवारों में बालश्रम की स्थिति को जानने के लिए 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को जो घर/बाहर मजदूरी करते हैं के बारे में पूछा गया। तालिका संख्या 5.18 के अनुसार कुल बालश्रमिकों (54.01 प्रतिशत) में 49.76 प्रतिशत पुरूष तथा 50.24 प्रतिशत स्त्रियां थीं। तालिका से स्पष्ट है कि पुरूष बालश्रम बढ़ा है। परन्तु कुल बालश्रम तथा स्त्री बालश्रम कम है। वहीं कठरिया थारू में बालश्रमिकों की मात्रा अधिक है। वर्तमान में भी हर पांच में दो बच्चा बाल श्रमिक के रूप में है।

तालिका 5.18 : चयनित परिवारों में बालश्रम की लिंगानुसार स्थिति

क्र. सं.	वर्ग	कुल बालकों की संख्या	कुल बाल श्रमिकों का प्रतिशत	पुरुष	स्त्री
1	सड़क से दूर स्थित गाँव	246	48.78	49.22	50.78
2	सड़क पर स्थित गाँव	252	37.70	54.29	45.71
3	विकास केन्द्र के गाँव	204	36.76	54.72	45.28
	योग	702	41.31	49.35	50.65
1	राना थारू	192	31.25	53.60	46.40
2	कठरिया थारू	90	44.44	44.83	55.17
3	दंगुरिया थारू	420	45.24	50.52	49.48
	योग	702	41.31	49.35	50.65
4	गैर जनजाति	72	41.67	56.25	43.75
	महायोग	774	41.34	49.76	50.24

स्रोत : शोधकर्त्ता द्वारा अपने शोध अध्ययन "थारू जनजाति की सामाजिक आर्थिक परिवर्तनशीलता एवं संविकास" हेतु 2004–05 में किए गये सर्वेक्षण पर आधारित।

5.2.5.वैवाहिक संगठन – विवाह स्त्री पुरुष का ऐसा योग है जिसमें स्त्री से जन्मे बच्चे को सामाजिक वैधता प्राप्त होती है। यह व्यक्ति के पारिवारिक जीवन में प्रवेश करने की संस्था है जो स्त्री पुरूष को यौन क्रिया तथा सामाजिक आर्थिक संबंधों में सम्मिलित होने का अधिकार प्रदान करता है। विवाह रक्त संबंधियों, संतानों एवं समाज के साथ संबंधों को परिभाषित एवं नियंत्रित करती है। विवाह से वैयक्तिक स्तर पर शारीरिक एवं मनोवैज्ञानिक संतुष्टि प्राप्त होती है तथा धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक लक्ष्यों की पूर्ति होती है।[10] प्राचीन समय से ही, गृहस्थाश्रम को सर्वश्रेष्ठ आश्रम माना जाता रहा है। जो मानव के लिए अपने कर्तव्यों को पालित करने का सर्वोत्तम समय होता है, का प्रारम्भ विवाह से होता है। विवाह समस्त सामाजिक संबंधों का आधार है।[11] समस्त सामाजिक, आर्थिक परिवर्तनों का प्रभाव वैवाहिक संगठन विवाह आयु आदि पक्षों पर प्रभाव पड़ता है। अतः चयनित परिवारों में सदस्यों की वैवाहिक स्थिति का आंकलन किया गया।

तालिका 5.19 के अनुसार कुल सदस्यों में 46.54 प्रतिशत लोग विवाहित थे जिसमें जनजातियों की प्रतिशतता 47.19 थी, वही 49.12 प्रतिशत व्यक्ति अविवाहित थे तथा 4.34 प्रतिशत परित्यक्त विधवा/विधुर थे। जनजातीय परिवार में 48.96 प्रतिशत अविवाहित थे तथा 3.85 प्रतिशत परित्यक्त विधवा/विधुर थे। विकास केन्द्रों की तरफ विवाहित एवं विधवा/परित्यक्त का प्रतिशत अधिक है।

तालिका 5.19 : चयनित परिवारों के सदस्यों की वैवाहिक स्थिति का लिंगानुसार विवरण

(प्रतिशत में)

क्र. सं.	वर्ग	विवाहित			अविवाहित			विधवा/विधुर तलाकशुदा		
		पुरुष	स्त्री	कुल	पुरुष	स्त्री	कुल	पुरुष	स्त्री	कुल
1	सड़क से दूर स्थित गाँव	42.38	44.4	43.37	55.93	54.2	55.08	1.69	1.4	1.55
2	सड़क पर स्थित गाँव	43.93	45.32	44.62	53.47	52.63	53.05	2.6	2.05	2.33
3	विकास केन्द्र के गाँव	51.92	54.75	53.28	42.77	35.44	39.24	5.31	9.81	7.48
	योग	46.22	48.2	47.19	50.51	47.35	48.96	3.27	4.45	3.85
1	राना थारू	43.34	45.38	44.34	53.7	50.77	52.26	2.96	3.85	3.4
2	कठरिया थारू	41.74	45.48	43.42	50.43	49.56	50	7.83	4.96	6.58
3	दंगुरिया थारू	48.4	50.09	49.22	49.08	45.36	47.26	2.52	4.55	3.52
	योग	46.22	48.20	47.19	50.51	47.35	48.96	3.27	4.45	3.85
4	गैर जनजाति	36.09	47.67	41.25	57.89	41.12	50.42	6.02	11.21	8.33
	महायोग	45.02	48.49	46.54	51.39	44.48	49.12	3.59	7.03	4.34

स्रोत : शोधकर्त्ता द्वारा अपने शोध अध्ययन "थारू जनजाति की सामाजिक आर्थिक परिवर्तनशीलता एवं संविकास" हेतु 2004–05 में किए गये सर्वेक्षण पर आधारित।

विवाह की आयु के अनुसार (तालिका 5.20) 70 प्रतिशत लोगों का विवाह 10 वर्ष से कम आयु में, 11.22 प्रतिशत लोगों का 10–14 वर्ष में, 51.64 प्रतिशत लोगों की 15–18 वर्ष में, 24.83 प्रतिशत लोगों की 18–21 वर्ष में, 11.62 प्रतिशत लोगों की 21 वर्ष के बाद शादी हुई। विकास केन्द्रों, कठरिया थारू एवं गैर जनजातीय भाग में विवाह की आयु उच्च है। वहीं सड़क से दूर के गांवों में कम आयु में शादी की प्रवृत्ति मिलती है।
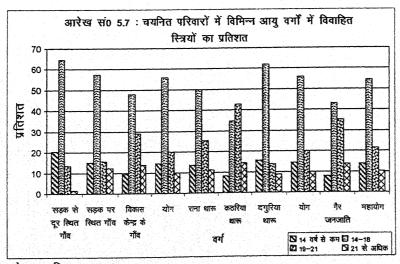
स्रोत : तालिका 5.19

तालिका 5.20 : चयनित परिवारों में विवाहित सदस्यों का आयु एवं लिंगानुसार विवरण

(प्रतिशत में)

क्र. सं.	वर्ग	विवाहित सदस्य			10 वर्ष से कम			11–14 वर्ष			15–18 वर्ष			19–21 वर्ष			21 वर्ष से अधिक		
		पुरुष	स्त्री	कुल	पुरुष	स्त्री	कुल	पुरुष	स्त्री	कुल	पुरुष	स्त्री	कुल	पुरुष	स्त्री	कुल	पुरुष	स्त्री	कुल
1	सड़क से दूर स्थित गाँव	125	127	252	0.80	1.57	1.19	20.00	18.90	19.44	60.00	64.57	62.30	12.00	13.39	12.70	7.20	1.57	4.37
2	सड़क पर स्थित गाँव	152	155	307	1.32	0.65	0.98	9.87	14.19	12.05	42.76	57.42	50.16	29.61	15.48	22.48	16.45	12.26	14.33
3	विकास केन्द्र के गाँव	176	173	349	0.00	0.58	0.29	2.84	8.67	5.73	50.57	47.98	49.28	33.52	28.90	31.23	13.07	13.87	13.47
	योग	453	455	908	0.66	0.88	0.77	9.93	13.41	11.67	50.55	55.82	53.19	26.27	20.00	23.13	12.58	9.89	11.23
1	राना थारू	117	118	235	0.00	0.85	0.43	6.84	12.71	9.79	42.74	50.00	46.38	38.46	25.42	31.91	11.97	11.02	11.49
2	कठरिया थारू	48	49	97	0.00	2.04	1.03	8.33	6.12	7.22	39.58	34.69	37.11	35.42	42.86	39.18	16.67	14.29	15.46
3	देगुरिया थारू	288	288	576	1.04	0.69	0.87	11.46	14.93	13.19	55.56	61.81	58.68	19.79	13.89	16.84	12.15	8.68	10.42
	योग	453	455	908	0.66	0.88	0.77	9.93	13.41	11.67	50.55	55.82	53.19	26.27	20.00	23.13	12.58	9.89	11.23
4	गैर जनजाति	48	51	99	0.00	0.00	0.00	6.25	7.84	7.07	31.25	43.14	37.37	45.83	35.29	40.40	16.67	13.73	15.15
	महायोग	501	506	1007	0.60	0.79	0.70	9.58	12.85	11.22	48.70	54.55	51.64	28.14	21.54	24.83	12.97	10.28	11.62

स्रोत : शोधकर्त्ता द्वारा अपने शोध अध्ययन "थारू जनजाति की सामाजिक आर्थिक परिवर्तनशीलता एवं संविकास" हेतु 2004–05 में किए गये सर्वेक्षण पर आधारित।

विवाह की आयु का संतानोत्पाद क्षमता से विपरीत संबंध है। तालिका 5.21 के अनुसार 14 वर्ष से कम आयु में शादी होनेवाली स्त्रियों में औसत प्रति स्त्री 6.20 संतान है। वही जिसमें प्रति स्त्री मृत/प्रसव पूर्व मृत संतान की औसत सं. 1.62 है। जिन स्त्रियों की शादी 14–18 वर्ष के मध्य हुई उनकी औसत संतान सं. 4.97 है तथा प्रति स्त्री औसत मृत/प्रसवपूर्व मृत संतानों की औसत सं. 0.90 है। जिन विवाहित स्त्रियों की शादी 19–21 वर्ष के बीच हुई है उनमें प्रति की औसत संतान संख्या 3.35 है तथा प्रति स्त्री मृत/प्रसव पूर्वमृत संतान सं. 0.60 है। जिन स्त्रियों की शादी 21 वर्ष के पश्चात है उनके प्रति स्त्री संतान संख्या 2.42 है तथा प्रति स्त्री मृत/प्रसव पूर्व मृत संतान संख्या 0.38 है। सामान्यतः सड़क से दूर गाँवों में औसत प्रति स्त्री संतान संख्या अधिक है वही राना थारू तथा कठरिया थारू गैर जनजाति लोगों एवं विकास केन्द्र के गांवों में प्रति स्त्री संतान संख्या उपरोक्त से कम है।

अतः स्पष्ट है कि थारू परिवारों में प्रति स्त्री अधिक संतान का कारण अल्प आयु में शादी होना एवं बच्चे को भगवान की देन मानना भी है।

तालिका 5.21 : चयनित परिवारों में विवाहित स्त्रियों की संतान संख्या का विवाह आयुनुसार विवरण

(प्रतिशत में)

क्र. सं.	वर्ग	कुल विवाहित सं0	14 वर्ष से कम			14–18 वर्ष			19–21 वर्ष			21 वर्ष से अधिक			कुल
			विवाहितों का प्रतिशत	प्रति स्त्री सन्तान	प्रति स्त्री मृत सन्तान	विवाहितों का प्रतिशत	प्रति स्त्री सन्तान	प्रति स्त्री मृत सन्तान	विवाहितों का प्रतिशत	प्रति स्त्री सन्तान	प्रति स्त्री मृत सन्तान	विवाहितों का प्रतिशत	प्रति स्त्री सन्तान	प्रति स्त्री मृत सन्तान	
1	सड़क से दूर स्थित गाँव	127	20.47	7.50	2.10	64.57	5.50	1.30	13.39	4.30	1.10	1.57	3.20	0.80	100.00
2	सड़क पर स्थित गाँव	155	14.84	6.50	1.80	57.42	5.10	0.90	15.48	3.70	0.70	12.26	2.70	0.40	100.00
3	विकास केन्द्र के गाँव	173	9.25	6.20	1.30	47.98	5.10	0.70	28.90	3.10	0.30	13.87	2.10	0.20	100.00
	योग	455	14.29	6.73	1.73	55.82	5.23	.96	20.00	3.70	.70	9.89	2.66	0.47	100.00
1	राना थारू	118	13.56	6.10	1.40	50.00	4.80	0.80	25.42	2.80	0.40	11.02	2.20	0.30	100.00
2	कठरिया थारू	49	8.16	6.50	1.80	34.69	5.10	0.90	42.86	2.90	0.70	14.29	2.30	0.30	100.00
3	दंगुरिया थारू	288	15.63	7.10	2.00	61.81	5.70	1.20	13.89	5.40	0.90	8.68	3.50	0.80	100.00
	योग	455	14.29	6.73	1.73	55.82	5.23	.96	20.00	3.70	.70	9.89	2.66	0.47	100.00
4	गैर जनजाति	51	7.84	5.10	1.30	43.14	4.10	0.70	35.29	2.30	0.40	13.73	1.70	0.10	100.00
	महायोग	506	13.64	6.20	1.62	54.55	4.92	.90	21.54	3.35	.60	10.28	2.42	0.38	100.00

स्रोत : शोधकर्त्ता द्वारा अपने शोध अध्ययन "थारू जनजाति की सामाजिक आर्थिक परिवर्तनशीलता एवं संविकास" हेतु 2004–05 में किए गये सर्वेक्षण पर आधारित।

5.2.6.जनसंख्या की उर्वरता, उत्पादकता एवं जन्मता – उर्वरता से तात्पर्य एक पुरूष स्त्री या युगल के पुनरोत्पादन (Reproductions) क्रिया में भाग लेने की क्षमता से है[12] वही उत्पादन (Fertility) वास्तविक पुनरूत्पादन क्रिया। (Actual Reproductive Performance)[13] से संबंधित है। हेनरी के अनुसार Fertility of a Human Population that make no deliberate limit to Birth. जहां उर्वरता

पूर्णतः जैविक तत्व है वही उत्पादकता सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक एवं मनोवैज्ञानिक पक्षों से प्रभावित है। एक पुरूष या स्त्री या युगल जिसने कम से कम एक जवित संतान को जन्म दिया है, (Fertile) माना जाता है। वही एक भी बच्चा जन्म न होना बन्ध्यता (Sterility) का प्रतीक है।[14] जो एक बच्चे के गर्भधारण के बाद गर्भ धारण क्षमता न रहने पर द्वितीयक वन्ध्यता, प्रारम्भ से गर्भ धारण क्षमता का अभाव प्रारम्भिक बन्ध्यता के रूप में विभाजित किया जा सकता है।

Fertility को प्रभावित करने वाले कारकों में युगलों के लैंगिक मेल की आयु, साथ–साथ रहने एवं लैंगिक सम्पर्क का समय (Period), बीमारी, स्वास्थ्य दशा, शिक्षा, समाज, संस्कृति, अर्थव्यवस्था एवं परम्परा मुख्य है।[15]

चयनित परिवारों ने उत्पादकता का आंकलन अशोधित जन्मदर एवं सामान्य उत्पादकता दर के माध्यम से किया गया है –

$$\text{अशोधित जन्मदर} = \frac{\text{कुल जीवित जन्म}}{\text{वर्ष के मध्य की कुल जनसंख्या}} \times 1000$$

$$\text{सामान्य उत्पादकता दर} = \frac{\text{कुल जीवित जन्म}}{\text{15–44 वर्ष के मध्य की स्त्रियां}} \times 1000$$

मर्त्यता – मृत्यु एक सर्वमान्य सत्य है। WHO के अनुसार "*Death is The Permanence disappearance of all evidence of life at any time after Birth, has taken place. (Post Natal Cessation of Vital functions without capacity of resuscitation)*[16]. मृत्यु में UNO जन्म से पूर्व की मृत्यु को शामिल नहीं करता।

अध्ययन तीन आधारों पर मर्त्यता का मापन किया गया है।

1. अशोधित मृत्यु दर (Crude Death Rate) =

$$\frac{\text{वर्ष में परिवारों में हुए कुल मृत्यु}}{\text{वर्तमान में परिवार कुल जनसंख्या}} \times 1000$$

2. शिशु मृत्यु दर – (शिशु का तात्पर्य एक वर्ष से कम आयु के बालक से होता हैं)

$$\text{शिशु मृत्यु दर} = \frac{\text{0–1 वर्ष के मध्य आयु में हुई मृत्यु}}{\text{कुल जीवित जन्म}} \times 1000$$

3. शिशु मात्र अनुपात (CWR) = $\frac{\text{0–4 वर्ष की आयु के बच्चे}}{\text{15–44 वर्ष की महिलाएं}} \times 1000$

उपरोक्त आधारों पर उत्पादकता एवं मर्त्यता दर का आंकलन तालिका संख्या 5.22 ने किया गया है जिसके अनुसार परिवारों में औसत परिवारों का अशोधित जन्म दर 31.42 प्रति हजार थी। जन्मदर घटती विकास केन्द्र के गाँवों में 30.00, सड़क पर स्थित गांव में 31.98, एवं सड़क से दूर

गाँवों में 41.30 प्रति हजार थी वहीं राना थारू में 30.19 कठरिया थारू में 35.09, दगुरिया थारू में 36.02, कुल थारू में 34.3, गैर थारू में 25.00 है। अतः स्पष्ट है कि परिवर्तनों का प्रभाव जन्म दर स्वरूप पर पड़ा है और तराई क्षेत्र में जन्म दर की मात्रा घट रही है।

सामान्य उत्पादकता दर – चयनित परिवारों में सामान्य उत्पादकता दर, तालिका 5.22 से स्पष्ट है। औसत सामान्य उत्पादकता दर 113.14 है वहीं सड़क से दूर के गांवों में विकास केन्द्र के गांवों की तरफ सामान्य उत्पादकता दर घटती दर से प्राप्त होता है। जो स्पष्ट करती है कि विकास के साथ सामान्य उत्पादकता दर घटा है। विभिन्न थारू वर्गों में दंगुरिया थारू में सामान्य उत्पादकता अधिक (174.60) है पर राना एवं कठरिया थारू सामान्य उत्पादकता दर कम है, साथ ही थारू की अपेक्षा गैर जनजातीय लोगों में सामान्य उत्पादकता कम है। अतः स्पष्ट है कि परिवारों में जन्म पर नियंत्रण होना प्रारम्भ हुआ है तथा सामान्य उत्पादकता दर घटा है।

अशोधित मृत्यु दर – परिवारों में अशोधित मृत्यु दर जनसंख्या परिवर्तन का एक महत्वपूर्ण पक्ष है। चयनित परिवारों में औसत मृत्यु दर 12.48/000 है। तालिका 5.22 से स्पष्ट है कि विकास के साथ मृत्यु दर घटती जाती है। जो विकास केन्द्रों पर 10.69 सड़क पर स्थिति गांवों में 11.63/000 एवं सड़क से दूर बसे 17.21 मृत्युदर थी। राना थारू में 11.32 कठरिया थारू में 13.16/000 दगुरिया थारू में 13.72/000 कुल थारू में 12.99/000 गैर जनजातियों में 8.33/000 मृत्यु दर थी। अर्थात अभी भी मृत्यु दर उच्च है। परन्तु मृत्यु दर में घटने की प्रवृत्ति मिलती है।

शुद्ध जनसंख्या वृद्धि दर – तालिका 5.22 में अशोधित जन्म दर में से अशोधित मृत्यु दर घटाकर शुद्ध जनसंख्या वृद्धि दर प्राप्त किया गया है। जो सड़क से दूर के गाँवों में 24.10 प्रतिशत, सड़क पर के गाँवों में 20.35 प्रतिशत, विकास केन्द्र पर के गाँवों में 19.85 प्रतिशत, राना थारू में 18.87 प्रतिशत कठरिया थारू में 21.93 प्रतिशत एवं दगुरिया में 22.30 प्रतिशत कुल थारू में 21.31 प्रतिशत, गैर थारू में 16.67 प्रतिशत तथा संपूर्ण परिवारों में औसत 18.95 प्रतिशत जनसंख्या वृद्धि दर है। जो स्पष्ट करता है कि जन्म दर एवं मृत्यु दर कम हुआ है, साथ ही जनसंख्या वृद्धि दर में कमी आयी है।

शिशु मात्र अनुपात/जनन अनुपात की गणना 0–4 वर्ष की आयु के जीवित बच्चों के प्रति हजार 15.44 वर्ष के मध्य (जन्म आयु) की स्त्री संख्या पर प्राप्त किया गया । तालिका 5.22 के अनुसार औसत शिशु मात्र अनुपात 467.15/000 है। शिशु मात्र अनुपात सड़क से दूर के गांवों की अपेक्षा विकास केन्द्र के गांवों के परिवारों में कम है। जो स्पष्ट करता है कि शिशुमातृ अनुपात में कमी आई है।

तालिका 5.22 : चयनित परिवारों में जन्मता मर्त्यता एवं कुल जनसंख्या वृद्धि

क्र. सं.	वर्ग	अशोधित जन्म दर	अशोधित मृत्यु दर	जनसंख्या वृद्धि दर	सामान्य उत्पादकता दर	शिशु मातृ अनुपात	शिशु मृत्यु दर
1	सड़क से दूर स्थित गाँव	41.31	17.21	24.10	177.78	711.11	208.33
2	सड़क पर स्थित गाँव	31.98	11.63	20.35	139.24	506.33	136.36
3	विकास केन्द्र के गाँव	30.53	10.69	19.85	111.11	344.44	100.00
	योग	34.30	12.99	21.31	127.17	458.57	151.52
1	राना थारू	30.19	11.32	18.87	94.89	372.26	153.85
2	कठरिया थारू	35.09	13.16	21.93	118.64	423.73	142.86
3	दंगुरिया थारू	36.02	13.72	22.30	174.60	532.89	194.44
	योग	34.30	12.99	21.31	127.17	458.57	151.52
4	गैर जनजाति	25.00	8.33	16.67	125.00	375.00	166.67
	महायोग	31.42	12.48	18.95	113.14	467.15	177.42

स्रोत : शोधकर्त्ता द्वारा अपने शोध अध्ययन "थारू जनजाति की सामाजिक आर्थिक परिवर्तनशीलता एवं संविकास" हेतु 2004–05 में किए गये सर्वेक्षण पर आधारित।
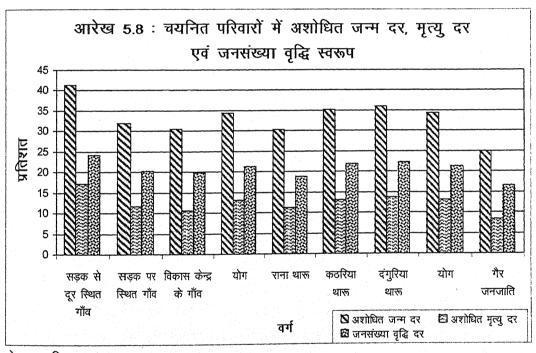
स्रोत : तालिका 5.22

चयनित परिवारों में शिशु मृत्यु दर का आंकलन 0–1 वर्ष की आयु के बच्चों की मृत्यु को 1000 जीवित जन्मों की जनसंख्या पर आंकलित किया गया है। तालिका 5.22 के अनुसार परिवारों का औसत शिशु मृत्यु दर 177.42 जो सड़क से दूर के गांवों में अधिक है एवं विकास केन्द्रों की तरफ कम होता जाता है। साथ दंगुरिया थारू की अपेक्षा कठरिया थारू एवं राना थारू में कम शिशु मृत्यु दर है जो शायद उपलब्ध स्वास्थ्य सुविधा, उच्च शिक्षा स्तर एवं अच्छे आर्थिक स्तर के कारण है। अतः स्पष्ट है कि विकास के साथ शिशु मृत्यु दर घटी है।

उपरोक्त जनांकिक आंकलनों से स्पष्ट होता है कि विकास केन्द्रों पर जनांकिक परिपक्वता अधिक है। राना थारू, कठरिया थारू में दंगुरिया थारू की अपेक्षा विकास के साथ जनांकिक स्थितियों में अधिक सुधार हुआ है। वहीं गैर जनजातीय वर्ग जनांकिक परिपक्वता की दृष्टि से पीछे है।

जनांकिक संक्रमण – किसी क्षेत्र में समय एवं विकास के साथ जन्म एवं मृत्यु दरों में परिवर्तन होता जो किसी क्षेत्र में जनसंख्यापरिवर्तन स्वरूप पर दृष्टिगोचर होती है। जन्म एवं मृत्यु दर तथा जनसंख्या परिवर्तन के स्वरूप को समय के अनुसार विभिन्न अवस्थाओं में व्यवस्थित किया जाता है। इस सन्दर्भ में लान्ड्री (1909)[17] वारेन थाम्पसन 1929[18] एक डब्लू नौटस्टीन 1945,[19] ब्लेकर (1947)[20] आदि विद्वानों ने जन्म एवं मृत्यु दर के बदलते स्वरूप से जनसंख्या स्वरूप में परिवर्तन को आंकलित कर जनसंख्या वृद्धि की विभिन्न अवस्थाओं की कल्पना की। नौटस्टीन ने स्पष्ट किया कि जिन क्षेत्रों (एशिया, अफ्रीका आदि में तकनीकी विकास प्रारम्भ हुआ है वहां मृत्यु दर पर तीव्र नियंत्रण एवं जन्म दर पर नियंत्रण न हो पाने से उच्च जनसंख्या क्षमता 'High Growth Potential'[21] है। वहीं कुछ क्षेत्रों में (जापान, लैटिन अमेरिकी देश में) जहां जन्म एवं मृत्यु दर दोनों उच्च है (रूस) जन्म दर में तीव्र गिरावट से संक्रमण वृद्धि (ट्रान्जिसन ग्रोथ) की अवस्था में है। जहां जन्मदर एवं मृत्यु दर दोनों पर नियंत्रण है। जनसंख्या में तीव्र गिरावट (इनसिपेन्ट डिक्लाइन) आया है यथा आस्ट्रेलिया न्यूजीलैण्ड एवं यूरोपियन देश यू एस ए आदि। ब्लेकर[22] ने जनसंख्या संक्रमण की 5 अवस्थाओं में – उच्चस्थैतिक अवस्था (जन्म दर एवं मृत्यु दर दोनों उच्च), प्रथम विस्तार अवस्था (जन्मदर में हल्की गिरावट एवं मृत्यु दर में तीव्र गिरावट), द्वितीय विस्तार अवस्था (जन्म दर के साथ मृत्यु दर मे तीव्र गिरावट) निम्न विस्तार अवस्था (निम्न जन्मदर के साथ निम्न मृत्यु दर), जनसंख्या ह्रास अवस्था (जन्म दर की अपेक्षा मृत्यु दर ज्यादा हो) कम स्पष्ट किया है।

स्टोस नित्ज के अनुसार[23] "आधुनिक युग के समस्त राष्ट्र परम्परागत, कृषि आधारित अर्थव्यवस्था, औद्योगिक एवं नगरीकृत स्वरूप से गुजरते हुए उच्च उत्पादकता एवं उच्च मृर्त्यता से निम्न उत्पादकता एवं निम्न मर्त्यता को प्राप्त करते हैं।

ए जे कोसे एवं इ एम हूवर[24] ने जन्म दर व मृत्यु दरों के बदलते स्वरूप को आर्थिक विकास से संबंधित कर बताया कि कृषि आधारित अर्थव्यवस्था में उच्च जन्म दर एवं उच्च मृत्यु दर मिलता है। वही उत्पादकता बढ़ने, औद्योगीकरण एवं नगरीकरण से, खाद्य एवं स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार से, जन्म दर एवं मृत्यु दर में तीव्र गिरावट आती है एवं विकास की उच्च अवस्था में युगलों की स्वतंत्रता एवं चुनाव प्रवृत्ति बदलने से स्वमेव जन्मदर, मृत्युदर की अपेक्षा कम हो जाता है। इस प्रकार जनांकिक संक्रमण अवस्था बदलती है वह चाहे क्षेत्र हो या समाज। तालिका संख्या 5.22 के अनुसार वर्तमान में थारू समाज जनसंख्या प्रस्फोट की द्वितीय अवस्था में है।

अकार्ल बिन कार्लब्लेच (1810–1865) में स्पष्ट किया कि राष्ट्र में तीन आकार की जनसंख्या मिलती है।[25] अनुकूलतम जनसंख्या (Normal Population) जनाधिक्य (Over population) जन न्यूनता

(Under Population)। एडविन कैनन ने (1861–1935)[26] अनुकूलतम जनसंख्या (Normal Population) को Optimum population शब्द देते हुए स्पष्ट करते हैं कि, एक निश्चित समय में जब राष्ट्र/समाज, निश्चित जनसंख्या, भूमि एवं उद्योगों से अधिकतम उत्पादकता प्राप्त करता है अनुकूलतम जनसंख्या प्राप्त करता है। (अनुकूलतम जनसंख्या प्रतिव्यक्ति आय, उच्चतम उत्पादकता उच्च आर्थिक कल्याण, उच्च जीवन स्तर, उच्च रोजगार दशाओं का द्योतक है।[27] जो स्वास्थ्य, जीवन तन्यता (Life Longivity) संसाधन, शक्ति उपलब्धता एवं सामाजिक सांस्कृतिक स्वरूप से प्रभावित होता है।[28]

थारू समाज के संदर्भ में संसाधन की उपलब्धता के बावजूद जनसंख्या के अनुकूलतम उपयोग न होने से समाज अनुकूलतम अवस्था तक नहीं पहुँच पा रहा है। वहीं सम्पूर्ण राष्ट्र के संदर्भ में समाज की 1/4 जनसंख्या अनुकूलतम के स्तर के पास है। अतः स्पष्ट है कि थारू समाज में विकास के साथ जनांकिक परिवर्तन हुआ है तथा समाज जनांकिक स्वरूप की द्वितीय अवस्था में है।

5.2.7**प्रवास** – प्रवास जहां जनसंख्या परिवर्तन का एक महत्वपूर्ण आधार है वहीं आर्थिक स्थिति का प्रतीक भी। युनाइटेड नेशन्स मल्टी लिंग्वेल डेमोग्राफिक डिक्शनरी के अनुसार – "*Migration is form of Geographical mobility or spatial mobility between one Geographical Unit and another. Generally involving in a change in Residence, from the Place of origin or Place of Departure, to the place of distinction or place of arrival. Such migration is called Permanent migration and should be distinguished from other forms of movement which do not involve a Permanent change of Residence.*"[29] प्रवास से किसी स्थान को आना, एवं जाना दोनों पक्ष शामिल हैं। प्रवास को प्रभावित करने वाले कारकों में पारिस्थितिकीय दबाव, प्रवास नीति आकांक्षाएं, सामाजिक संवेग, रोजगार शिक्षा आदि पक्ष मुख्य हैं जिन्हें धनात्मक एवं ऋणात्मक कारकों में विभक्त किया जा सकता है। जहां धनात्मक कारक किसी स्थान पर लोगों को आकर्षित करते हैं, वहीं ऋणात्मक कारक प्रतिकर्षित करते हैं।

अध्ययन क्षेत्र में थारू परिवारों में प्रवास स्वरूप के परिवर्तनशील स्वरूप पर विकास का प्रभाव स्पष्ट दृष्टिगोचर है।

तालिका 5.23 के अनुसार वर्ष 2004–05 में चयनित परिवारों में कुल 300 व्यक्ति प्रवासित हुए जो कुल जनसंख्या का 13.86 प्रतिशत है। जिसमें 40.83 प्रतिशत पुरूष 45.00 प्रतिशत स्त्रियां एवं 14.67 प्रतिशत बच्चे थे। सम्पूर्ण प्रवासितों में गाँव से गाँव को प्रवासित लोगों का प्रतिशत 52.67, गाँव से शहर को 28.00 प्रतिशत महानगरों को 19.33 प्रतिशत है। प्रवासितों में स्त्रियों का प्रतिशत अधिक है जिसका मुख्य कारण विवाह है। वहीं प्रवास में बच्चों की संख्या बढ़ने का कारण उन्हें शिक्षा के लिए आवासीय विद्यालयों में भेजना है। विकास केन्द्र के गाँवों एवं सड़क से जुड़े गाँवों में गाँव से शहर एवं महानगरों को प्रवास की प्रतिशतता अधिक है। कुल प्रवासितों में 84.33 प्रतिशत लोग शादी एवं रोजगार के लिए प्रवासित हुए। वहीं शिक्षा के लिए प्रवास का प्रतिशत विकास स्तर के बढ़ने के साथ बढ़ती दर से प्राप्त हुआ है। अतः विकास के साथ प्रवास के स्वरूप स्थान एवं कारक स्वरूप में परिवर्तन आया है।

तालिका 5.23 : चयनित परिवारों में प्रवासियों का प्रवास स्वरूप एवं कारणनुसार विवरण

(प्रतिशत में)

क्र. सं.	वर्ग	कुल सं0	प्रवासित			प्रवास स्थान			प्रवास कारण				योग
			पुरुष	स्त्री	बच्चे	गांव से गांव	गांव से शहर	महानगरों को	रोजगार	विवाह	शिक्षा	अन्य	
1	सड़क से दूर स्थित गाँव	79	44.30	49.37	6.33	55.70	26.58	17.72	37.97	50.63	11.39	0.00	100.00
2	सड़क पर स्थित गाँव	78	35.90	48.72	15.38	57.69	25.64	16.67	28.21	56.41	15.38	0.00	100.00
3	विकास केन्द्र के गाँव	86	43.02	37.21	19.77	46.51	32.56	20.93	31.40	48.84	17.44	2.33	100.00
	योग	243	41.15	44.86	13.99	53.09	28.40	18.52	32.51	51.85	14.81	0.82	100.00
1	राना थारू	67	38.81	43.28	17.91	50.75	26.87	22.39	29.85	52.24	16.42	1.49	100.00
2	कठरिया थारू	44	36.36	45.45	18.18	54.55	27.27	18.18	38.64	43.18	18.18	0.00	100.00
3	दंगुरिया थारू	132	43.94	45.45	10.61	53.79	29.55	16.67	31.82	54.55	12.88	0.76	100.00
	योग	243	41.15	44.86	13.99	53.09	28.40	18.52	32.51	51.85	14.81	0.82	100.00
4	गैर जनजाति	57	36.84	45.61	17.54	50.88	26.32	22.81	45.61	38.60	10.53	5.26	100.00
	महायोग	300	40.33	45.00	14.67	52.67	28.00	19.33	35.00	49.33	14.00	1.67	100.00

स्रोत : शोधकर्त्ता द्वारा अपने शोध अध्ययन "थारू जनजाति की सामाजिक आर्थिक परिवर्तनशीलता एवं संविकास" हेतु 2004–05 में किए गये सर्वेक्षण पर आधारित।

निष्कर्षतः तराई क्षेत्र में जनांकिकीय प्रतिरूप सतत परिवर्तनशील है जो विकास के संकेतकों को अनुपालित करता है। परन्तु परिवर्तन में सुधार की आवश्यकता दृष्टिगत है, जो परिवारों के सामाजिक आर्थिक स्तर में सुधार के साथ ही संभव है।

5.3 स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण

5.3.1. परिवार सदस्यों की औसत स्वास्थ्य दशा – स्वास्थ्य दशा सामाजिक आर्थिक स्थिति का मुख्य संकेतक है वही समाज में कार्यक्षमता एवं आर्थिक उत्थान के लिए आवश्यक भी। तालिका सं. 5.24 में चयनित परिवारों के सदस्यों की औसत स्वास्थ्य दशा का विवरण है जिसके अनुसार कुल परिवारों में 82.95 प्रतिशत लोग स्वस्थ, 9.15 प्रतिशत लोग कुपोषित, 7.21 प्रतिशत लोग कमजोर एवं .69 प्रतिशत लोग अपंग थे। थारू जनजाति की औसत स्वास्थ्य दशा गैर जनजातीय लोगों की अपेक्षा अच्छी है जो उनके भोजन स्वरूप के कारण हैं। सड़क से दूर गाँव में कुपोषित बच्चों की संख्या अधिक है, वहीं दंगुरिया थारूओं में भी यही स्थिति विद्यमान है।

तालिका 5.24 : चयनित परिवारों में सदस्यों की स्वास्थ्य दशा

(प्रतिशत में)

क्र. सं.	वर्ग	कुल संख्या	स्वस्थ	कमजोर	कुपोशित	अपंग	योग
1	सड़क से दूर स्थित गाँव	581	77.62	8.78	13.08	0.52	100.00
2	सड़क पर स्थित गाँव	688	85.90	6.25	7.27	0.58	100.00
3	विकास केन्द्र के गाँव	655	89.77	4.12	5.80	0.31	100.00
	योग	1924	84.72	6.29	8.52	0.47	100.00
1	राना थारू	530	86.98	5.28	7.17	0.57	100.00
2	कठरिया थारू	228	95.61	1.75	2.63	0.00	100.00
3	दंगुरिया थारू	1166	81.56	7.63	10.29	0.51	100.00
	योग	1924	84.72	6.29	8.52	0.47	100.00
4	गैर जनजाति	240	68.75	14.58	14.17	2.50	100.00
	महायोग	2164	82.95	7.21	9.15	0.69	100.00

स्रोत : शोधकर्त्ता द्वारा अपने शोध अध्ययन "थारू जनजाति की सामाजिक आर्थिक परिवर्तनशीलता एवं संविकास" हेतु 2004–05 में किए गये सर्वेक्षण पर आधारित।

अतः सामाजिक आर्थिक विकास जहां स्वास्थ्य उत्थान के लिए आवश्यक है वहीं यह तथ्य भी आवश्यक है कि लोगों को इस बात का ज्ञान होना चाहिए कि भोजन में किन वस्तुओं का सेवन किया जाये जो शरीर के लिए ज्यादा लाभकर हो। सड़क से दूर के गाँवों में गरीबी, असुविधा, एवं अशिक्षा, अधिक बच्चों की संख्या आदि कुपोषण का मुख्य कारण है।

5.3.2. परिवारों में प्राथमिक चिकित्सा साधनों के प्रयोग की स्थिति – स्वास्थ्य सुविधाओं के संदर्भ में उत्तरदाताओं द्वारा वर्तमान में प्राथमिक चिकित्सा के लिए प्रयुक्त साधनों (तालिका 5.25) के संदर्भ में 33.89 प्रतिशत लोग ओझा से सबसे पहले संपर्क करते हैं। वहीं 13.33 प्रतिशत लोग वैद्य/घरेलू दवाओं वाले लोगों से, 23.33 प्रतिशत लोग स्थानीय डाक्टरों से, 29.44 प्रतिशत लोग प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पर जाते हैं। ओझा/भरारा के पास प्राथमिक तौर पर सबसे पहले संपर्क करने वाले लोगों के प्रतिशत को, विकास केन्द्र के गाँवों, एवं सड़क से दूर के गाँवों में देखें तो स्पष्ट होता है कि विकास के साथ–2 जागरूकता के कारण लोगों की भरारा/ओझा से स्वास्थ्य परामर्श की आस्था कम हुई है। वहीं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों एवं डाक्टरों से चिकित्सा परामर्श का प्रतिशत बढ़ा है।

तालिका 5.25 : चयनित परिवारों में चिकित्सा सुविधा प्रयोग एवं परिवर्तन

(प्रतिशत में)

क्र. सं.	वर्ग	कुल सं.	प्राथमिक चिकित्सा के लिए जाते हैं				30 वर्ष पूर्व चिकित्सा सुविधा की स्थिति			योग
			ओझा	वैद्य	स्थानीय डाक्टर	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र	वर्तमान जैसी	वर्तमान से खराब	ओझा, वैद्य पर निर्भर परन्तु अच्छी	
1	सड़क से दूर स्थित गाँव	50	62.00	10.00	16.00	12.00	4.00	76.00	20.00	100.00
2	सड़क पर स्थित गाँव	50	30.00	14.00	20.00	36.00	8.00	74.00	18.00	100.00
3	विकास केन्द्र के गाँव	50	20.00	20.00	30.00	30.00	2.00	84.00	14.00	100.00
	योग	150	37.33	14.67	22.00	26.00	4.67	78.00	17.33	100.00
1	राना थारू	40	30.00	17.50	22.50	30.00	2.50	85.00	12.50	100.00
2	कठरिया थारू	20	25.00	10.00	30.00	35.00	5.00	75.00	20.00	100.00
3	दंगुरिया थारू	90	43.33	14.44	20.00	22.22	5.56	75.56	18.89	100.00
	योग	150	37.33	14.67	22.00	26.00	4.67	78.00	17.33	100.00
4	गैर जनजाति	30	16.67	6.67	30.00	46.67	23.33	26.67	50.00	100.00
	महायोग	180	33.89	13.33	23.33	29.44	7.78	69.44	22.78	100.00

स्रोत : शोधकर्त्ता द्वारा अपने शोध अध्ययन "थारू जनजाति की सामाजिक आर्थिक परिवर्तनशीलता एवं संविकास" हेतु 2004–05 में किए गये सर्वेक्षण पर आधारित।

5.3.3. प्राथमिक चिकित्सा साधनों की तीस वर्ष पूर्व स्थिति के संदर्भ में उत्तरदाताओं के विचार – तालिका संख्या 5.25 के अनुसार 69.64 प्रतिशत उत्तरदाताओं का विचार है कि लोग मानते हैं कि पहले चिकित्सा के लिए साधन एवं सुविधा की स्थिति खराब थी। 22.78 प्रतिशत लोगों का मानना है कि ओझा एवं वैद्य से की जाने वाली चिकित्सा वर्तमान से ज्यादा ठीक थी क्योंकि अब सुविधा होते हुए भी उसका सामान्य तौर पर उपयोग नहीं हो पाता है। वहीं 7.78 प्रतिशत लोगों का मानना है कि पहले भी वर्तमान जैसी चिकित्सा सुविधा थी।

अतः तीस वर्षों में जहां चिकित्सा सुविधाओं का विस्तार हुआ है वहीं वे चिकित्सा सुविधाएं समस्त लोगों को सही समय पर समुचित लाभ नहीं दे पा रही हैं। जो चिकित्सा विकास के असंधृत स्वरूप का द्योतक है।

5.3.4. चयनित परिवारों में प्रसव साधन एवं सुविधा प्रयोग की स्थिति – चयनित परिवारों में प्रसव के लिए स्थान एवं साधनों के संदर्भ में (तालिका 5.26) 77.78 प्रतिशत उत्तरदाता मानते हैं कि वे घर में प्रसव करते हैं। वहीं 22.22 प्रतिशत लोग अस्पताल में प्रसव कराते हैं। जिन लोगों ने घर में प्रसव कराते हैं उनमें 7.78 प्रतिशत लोग डाक्टरों को, 17.22 प्रतिशत लोग मिडवाइफ/दाई को, तथा 75 प्रतिशत लोग गाँव की अनुभवी महिला को प्रसव के समय घर बुलाते हैं। तालिका से स्पष्ट है कि अस्पताल में प्रसव कराने वाले परिवारों का प्रतिशत सड़क से दूर के गाँवों की अपेक्षा विकास केन्द्रों पर उच्च है। वहीं विकास केन्द्रों पर डाक्टर/मिडवाइफ से परामर्श का प्रतिशत

अधिक है, जो स्पष्ट करता है विकास के साथ स्वास्थ्य साधनों के उपयोग एवं जागरूकता का स्तर बढ़ा है। साथ ही अस्पतालों को कम प्रतिशत लोगों की प्राथमिकता इस बात का द्योतक है कि चिकित्सा जागरूकता एवं विकास का स्तर संधृत नहीं है।

तालिका 5.26 : चयनित परिवारों में प्रसव के सन्दर्भ में जागरूकता

(प्रतिशत में)

क्र. सं.	वर्ग	कुल परिवार	प्रसव का स्थान		प्रसव की लिए बुलाते हैं			योग
			घर में	अस्पताल में	डॉक्टर	मिडवाइफ/दाई	अनुभवी महिला	
1	सड़क से दूर स्थित गाँव	50	90.00	10.00	4.00	10.00	86.00	100.00
2	सड़क पर स्थित गाँव	50	80.00	20.00	6.00	16.00	78.00	100.00
3	विकास केन्द्र के गाँव	50	62.00	38.00	14.00	16.00	70.00	100.00
	योग	150	77.33	22.67	8.00	14.00	78.00	100.00
1	राना थारू	40	75.00	25.00	7.50	15.00	77.50	100.00
2	कठरिया थारू	20	75.00	25.00	10.00	15.00	75.00	100.00
3	दंगुरिया थारू	90	78.89	21.11	7.78	13.33	78.89	100.00
	योग	150	77.33	22.67	8.00	14.00	78.00	100.00
4	गैर जनजाति	30	80.00	20.00	6.67	33.33	60.00	100.00
	महायोग	180	77.78	22.22	7.78	17.22	75.00	100.00

स्रोत : शोधकर्त्ता द्वारा अपने शोध अध्ययन "थारू जनजाति की सामाजिक आर्थिक परिवर्तनशीलता एवं संविकास" हेतु 2004–05 में किए गये सर्वेक्षण पर आधारित।

5.3.5. चयनित परिवारों में परिवार नियोजन संबंधी जागरूकता एवं प्रयोग स्थिति

चयनित परिवारों में परिवार नियोजन के साधन के संज्ञान एवं उपयोग स्थिति के संदर्भ में (तालिका 5.27) 68.33 प्रतिशत उत्तरदाताओं को परिवार नियोजन के साधनों के संदर्भ में पर्याप्त जानकारी थी वही 18.89 प्रतिशत उत्तरदाता परिवार नियोजन के साधनों के विषय में पर्याप्त जानकारी नहीं रखते थे या अनजान थे, 12.78 प्रतिशत लोगों ने कोई उत्तर नहीं दिया। कुल 51.67 प्रतिशत लोगों ने परिवार नियोजन के साधनों के प्रयोग को आवश्यक मानते हुए स्वयं द्वारा प्रयोग की बात स्वीकारा, वहीं 42.78 प्रतिशत लोगों ने इसे अनुचित बताते हुए उपयोग न करने को स्वीकारा। कुल उत्तरदाताओं में 1.08 प्रतिशत लोगों ने परिवार नियोजन के साधनों में स्थानीय दवा को, 53.76 प्रतिशत लोगों ने नसबंदी/लूप को, 41.94 प्रतिशत ने कण्डोम को, 13.97 प्रतिशत ने गोली को प्राथमिकता दी। कण्डोम एवं गोली को अपनाने वालों का प्रतिशत विकास केन्द्रों की तरफ अधिक है, जो जागरूकता का प्रतीक है।

तालिका 5.27 : चयनित परिवारों में परिवार नियोजन साधनों को अपनाने की स्थिति

(प्रतिशत में)

क्र सं	वर्ग	साधनों की जानकारी है			साधनों का प्रयोग किया		साधन				योग
		हाँ	नहीं	कोई उत्तर नहीं	हाँ	नहीं	स्थानीय दवा	कण्डोम	गोली	नसबन्दी/लूप	
1	सड़क से दूर स्थित गाँव	38.00	42.00	20.00	26.00	74.00	7.69	23.08	7.69	61.54	100.00
2	सड़क पर स्थित गाँव	70.00	16.00	14.00	58.00	42.00	0.00	27.59	13.79	58.62	100.00
3	विकास केन्द्र के गाँव	80.00	10.00	10.00	76.00	24.00	0.00	26.32	15.79	57.89	100.00
	योग	62.67	22.67	14.67	53.33	46.67	1.26	26.25	13.74	58.75	100.00
1	राना थारू	75.00	12.50	12.50	47.50	27.50	0.00	63.16	26.32	63.16	100.00
2	कठरिया थारू	60.00	15.00	25.00	70.00	30.00	0.00	21.43	21.43	57.14	100.00
3	दंगुरिया थारू	57.78	28.89	13.33	41.11	58.89	2.70	16.22	8.10	72.97	100.00
	योग	62.67	22.67	14.67	46.67	46.67	1.44	30.00	15.71	67.13	100.00
4	गैर जनजाति	96.67	0.00	3.33	76.67	23.33	0.00	78.26	8.70	13.04	100.00
	महायोग	68.33	18.89	12.78	51.67	42.78	1.08	41.94	13.97	53.76	100.00

स्रोत : शोधकर्त्ता द्वारा अपने शोध अध्ययन "थारू जनजाति की सामाजिक आर्थिक परिवर्तनशीलता एवं संविकास" हेतु 2004–05 में किए गये सर्वेक्षण पर आधारित।

सर्वेक्षण के दौरान जनजाति के नसबंदी के प्राथमिकता के संदर्भ में रूचिकर तथ्य समझ आया कि पचपेडवा विकास खण्ड में मई–जून 2006 में कुल नसबंदी में अधिसंख्य थारू समाज के थे। यह प्रवृत्ति समस्त अध्ययन क्षेत्र में कमोबेश मिलती है। परन्तु अज्ञानता एवं अंधविश्वास, शर्म, बेइज्जती के डर आदि के कारण कण्डोम एवं गोली को प्राथमिकता नहीं देते। साथ ही स्थानीय तौर पर ये साधन न उपलब्ध होने के कारण सड़क से दूर के गाँवों में परिवार नियोजन के साधनों के उपयोग का अभाव है। अतः आवश्यक है कि मिडवाइफ/स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के माध्यम से परिवार नियोजन साधनों को प्रति परिवार प्रतिमाह वितरित कराया जाए जिसका समुचित प्रभाव दृष्यगत हो सकता है।

5.3.6. चयनित परिवारों में गर्भवती स्त्री के संदर्भ में विवरण – सर्वेक्षण सत्र में चयनित परिवारों में 102 गर्भधारित महिलाओं में 57.84 प्रतिशत महिलाएं मिडवाइफ निरीक्षित थीं वहीं 34.31 प्रतिशत ने पूर्व प्रसव सुविधाएं ली थीं एवं 15.69 प्रतिशत महिलाएं अतिरिक्त पोषक तत्व (दूध, फल इत्यादि) प्राप्त करती थीं। जिसमें सड़क से दूर गाँवों में मिडवाइफ निरीक्षित महिलाओं का प्रतिशत कुल गर्भ धारितों का 28.57 था, वही मात्र 5.71 प्रतिशत महिलाएं पूर्व प्रसव सुविधाएं लेती थीं, जबकि विकास केन्द्रों पर इनका प्रतिशत काफी अधिक है। (तालिका 5.28)

तालिका 5.28 : चयनित परिवारों में गर्भवती स्त्री के सन्दर्भ में विवरण

(प्रतिशत में)

क्र. स.	वर्ग	कुल गर्भ धारण	मिड वाईफ निरीक्षित	पूर्व प्रसव सुविधा प्राप्त	अतिरिक्त पोषक भोजन	बच्चा चाहते थे		गर्भ निरोधक लिया या नहीं	
						हां	नहीं	हां	नहीं
1	सड़क से दूर स्थित गाँव	35	28.57	5.71	0.00	34.29	65.71	4.35	95.65
2	सड़क पर स्थित गाँव	31	61.29	38.71	19.35	54.84	45.16	14.29	85.71
3	विकास केन्द्र के गाँव	27	85.19	59.26	33.33	81.48	18.52	0.00	100.00
	योग	93	55.91	32.26	16.13	54.84	45.16	7.14	92.86
1	राना थारू	16	86.25	62.50	43.75	87.50	12.50	0.00	100.00
2	कठरिया थारू	22	56.36	22.73	18.18	40.91	59.09	7.69	92.31
3	दंगुरिया थारू	55	49.09	27.27	7.27	50.91	49.09	7.41	92.59
	योग	93	55.91	32.26	16.13	54.84	45.16	7.14	92.86
4	गैर जनजाति	9	77.78	55.56	11.11	88.89	11.11	0.00	100.00
	महायोग	102	57.84	34.31	15.69	57.84	42.16	6.98	93.02

स्रोत : शोधकर्त्ता द्वारा अपने शोध अध्ययन "थारू जनजाति की सामाजिक आर्थिक परिवर्तनशीलता एवं संविकास" हेतु 2004–05 में किए गये सर्वेक्षण पर आधारित।

कुल गर्भधारितों में 57.84 प्रतिशत महिलाएं ही बच्चा चाहती थीं वही 42.16 प्रतिशत लोगों ने विशेष रूचि नहीं दिखाई जो स्पष्ट करता है कि यदि गर्भनिरोधक साधनों का उचित वितरण हो एवं संज्ञान हो तो अनैच्छिक गर्भधारण को रोका जा सकता है। विकास के संदर्भ में कुल गर्भधारण की संख्या का सड़क से दूर गाँवों से विकास केन्द्रों की ओर सतत कम होना, बच्चों की आवश्यकता को महत्व देना इस बात का प्रतीक है कि वे मात्र परिवार संचालन के लिए बच्चों को प्राथमिकता देते हैं वह भी मात्र 2 या 3 बच्चों तक। अतः विकास के साथ गर्भधारण की मात्रा कम हो रही है।

स्पष्ट है कि, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के संदर्भ में तराई क्षेत्र एवं थारू जनजाति में तीव्र जागरूकता प्रदर्शित है। परन्तु सुविधाओं के अभाव में, कर्मचारियों की लापरवाही से उपलब्ध सुविधाओं का उचित प्रभाव पूर्णरूप से दृष्यगत नहीं है।

5.4 मौलिक आवश्यकता एवं उपभोग स्वरूप

5.4.1. भोजन – तराई की भौगोलिक दशाओं के अनुसार ढले थारू लोग, आदिकाल से ही क्षेत्र की मुख्य उपज, चावल, मछली एवं मुर्गा पर आश्रित रहे हैं। जो इनके भोजन, पूजा एवं सामाजिक सांस्कृतिक क्रियाकलापों का अभिन्न अंग था, चावल की शराब ठर्रा इनका प्रतिरक्षक थी एवं कमजोरी का आधार भी। अब व्यवस्थित भोजन एवं देशी शराब के रूप में परिवर्तित हुई है। आज 70 प्रतिशत थारू चावल, दाल, रोटी, सब्जी को दिन में एक बार प्रयोग करते हैं। पहले जहां शिकार इनके भोजन का मुख्य अंग था अब पकवान के रूप में दृष्यगत है।

5.4.2. वस्त्र – चोटी रखे टोपी पहने सलूकाधारी अधनंगे कोपीन धारी,, थारू लोग अब पैंट शर्ट, फ्राक, साड़ी ब्लाउज, टी शर्ट एवं जीन्स पैन्ट के रूप में दृष्यगत हैं। गोटेदार लहंगा, काली ओढ़नी एवं चमकीली चोली,, अंगिया, दगुरिया थारू में का स्थान अब साड़ियों ने ले लिया है। सर्वेक्षण के दौरान 300 लोगों के वस्त्र स्वरूप पर ध्यान संकेन्द्रित किया गया जिसके अनुसार औसतन 70 प्रतिशत थारू महिलाएं साड़ी ब्लाउज का प्रयोग करती हैं एवं 3 प्रतिशत महिलाएं मैक्सी का भी प्रयोग करती हैं। युवा वर्ग 95 प्रतिशत लोग पैण्ट शर्ट, जीन्स एवं टी शर्ट धारण करते हैं। वस्त्रों का स्वयप उनके शैक्षिक एवं आर्थिक स्थिति से मेल खाता है अर्थात अच्छी आर्थिक स्थिति के थारू को पहनावा के आधार पर थारू एवं गैर थारू में भेद करना मुश्किल हो गया है। अब पहनावा एवं वस्त्र स्वरूप 90 प्रतिशत बदल गया है। जो थारू परिवर्तन का मुख्य संकेतक है। (तालिका 5.29)

तालिका 5.29 : थारू जनजाति में वस्त्र धारण प्रतिरूप का आयु एवं वर्गानुसार विवरण

(प्रतिशत में)

क्र. सं.	वर्ग	पुरुष					स्त्री					
		कुल संख्या	टी शर्ट	पैण्ट शर्ट	धोती कुर्ता टोपी	कोपीन आदि परम्परागत वस्त्र	कुल संख्या	फ्राक	सलवार समीज	लहंगा चुनरी	साड़ी धोती	मैक्सी
1	सड़क से दूर स्थित गाँव	60	13.33	33.33	36.67	16.67	30	3.33	3.33	23.33	70.00	0.00
2	सड़क पर स्थित गाँव	70	17.14	57.14	17.14	8.57	40	5.00	10.00	10.00	72.50	2.50
3	विकास केन्द्र के गाँव	70	25.71	62.86	10.00	1.43	30	6.67	16.67	3.33	66.67	6.67
	योग	200	19.00	52.00	20.50	8.50	100	5.00	10.00	12.00	70.00	3.00
1	राना थारू	60	25.00	58.33	13.33	3.33	25	8.00	12.00	12.00	64.00	4.00
2	कठरिया थारू	30	26.67	46.67	23.33	3.33	20	5.00	10.00	10.00	65.00	10.00
3	दंगुरिया थारू	110	13.64	50.00	23.64	12.73	55	3.64	9.09	12.73	74.55	0.00
	योग	200	19.00	52.00	20.50	8.50	100	5.00	10.00	12.00	70.00	3.00
1	0–14 वर्ष	30	70.00	30.00	0.00	0.00	10	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2	15–29 वर्ष	40	42.50	57.50	0.00	0.00	20	0.00	25.00	0.00	75.00	0.00
3	30–44 वर्ष	70	0.00	81.43	18.57	0.00	30	0.00	0.00	0.00	93.33	6.67
4	45–59 वर्ष से अधिक	40	0.00	37.50	45.00	17.50	30	0.00	0.00	16.67	80.00	3.33
5	60 वर्ष से अधिक	20	0.00	0.00	50.00	50.00	10	0.00	0.00	70.00	30.00	0.00
	योग	200	19.00	52.00	20.50	8.50	100	5.00	10.00	12.00	70.00	3.00

स्रोत : शोधकर्त्ता द्वारा अपने शोध अध्ययन "थारू जनजाति की सामाजिक आर्थिक परिवर्तनशीलता एवं संविकास" हेतु 2004–05 में किए गये सर्वेक्षण पर आधारित।

तराई क्षेत्र में थारू पहनावे में पश्चिम से पूर्व की ओर अधिक तन ढकने की प्रवृत्ति है, परन्तु विकास का प्रभाव पश्चिम के राना तथा कठरिया लोगों पर अधिक पड़ा है जहां के 95 प्रतिशत युवा अब मूल थारू वस्त्रों का प्रयोग मात्र विशेष अवसरों पर करता है। राना एवं कठरिया लोगों का पहनावा

97 प्रतिशत तक बदल गया है। राजसी पहनावे के प्रतीक रूप में महिलाओं के वस्त्रों पर कढ़ाई तग्गी से बंधी गोटेदार नक्कासी एवं सीसेयुक्त चोली एवं काली ओढ़नी जो राना महिलाओं की मुख्य पोशाक थी अब 70 प्रतिशत तक बदल गई है। दंगुरिया थारू की महिलाएं अंगिया एवं धोती पहनती हैं। शिक्षित घरों में साड़ी ब्लाउज का प्रचलन मिलता है।[30] अर्थात् वस्त्र के स्वरूप में राना एवं कठरिया दंगुरिया थारूओं से ज्यादा परिवर्तित स्वरूप अपनाए हैं। यह परिवर्तन युवा वर्ग में अधिक है लेकिन बुजुर्गों में मौलिक वस्त्रों के दर्शन भी मिलते हैं।

5.4.3. आभूषण – वस्त्रों की तरह थारू महिलाओं की आभूषणप्रियता के स्वरूप में परिवर्तन हुआ है। जहां 19वीं शदी तक थारू महिलाएं वजनी एवं अधिक मात्रा में विविध आभूषणों का प्रयोग करती थीं। 1950 तक आते–2 उनका स्वरूप एवं वजन बदल गया है और गैर जनजातीय लोगों के समान ही आभूषण का प्रयोग करने लगी हैं। (तालिका संख्या 5.30)

तालिका 5.30 : थारू जनजाति की आभूषण प्रियता का बदलता स्वरूप

अंग	तीसरी पीढ़ी (19वीं सदी संपूर्ण)	दूसरी पीढ़ी (बीसवीं सदी के 5वें दशक में)	वर्तमान
पैर अंगुली	बिछिया (लरीदार/अंगूठी)	बिछिया/अंगूठी	बिछिया/अंगूठी
पैर	कड़ा	पायजेब, कड़ा, लच्छा, छैलचूड़ी	पायल
कमर	कमर करधन 1 1/2 किग्रा. तक चांदी का	कमर करधन से 1 से 1/2 किग्रा. चांदी का	कमर करधन
गले	हवेल 1/2 किग्रा. चांदी	हवेल 1/2 किग्रा. चांदी का	हार
	तौक 1/2 किग्रा. चांदी का	तौक 1/2 किग्रा. चांदी का	मंगलसूत्र
	हंसुली 1 किग्रा. चांदी का	हंसुली 1/2 किग्रा. चांदी का	
	कठसरी 1/2 किग्रा. चांदी का	कठसरी 1/4 किग्रा. चांदी का	
नाक	शब्जा (बीच नाक में)	शब्जा, फोकिया	नथुनी,, कील
	फोफिया (नाक के बायें भाग में)		
कान	अयरन 100 ग्राम सोना/चांदी	अयरन	बाला, झुमका
माथे पर	पतंगी	पतंगी/टीका	टीका
हाथ में	कड़ा	कड़ा, चूड़ी, कंगन	कड़ा, चूड़ी, कंगन

स्रोत : शोधकर्त्ता द्वारा अपने शोध अध्ययन "थारू जनजाति की सामाजिक आर्थिक परिवर्तनशीलता एवं संविकास" हेतु 2004–05 में किए गये सर्वेक्षण पर आधारित।

5.4.4. आवास – आवास/मकान प्रत्येक जीव की एक मूलभूत आवश्यकता है। आवास जीव एवं उसके परिवार का आश्रय स्थल है। आवास में जीव समस्त क्रियाकलाप पूर्ण करते है और जो उन्हें सुरक्षा प्रदान करता है। आवास का स्वरूप क्षेत्रीय सुविधाओं, पर्यावरण एवं विकास स्तर के अनुसार निश्चित होता है।

लकड़ी के ढेर, मोटी सहतीरों से युक्त छत, नरकुल की टटिया जिस पर कलात्मक ढंग से मिट्टी लेपन हो, 100–200 फीट तक लम्बा डेहरी/कुठला युक्त मकान जिसके सामने बाड़ेयुक्त जानवरों के मकान, बीच में आंगन, भनसार, पूर्व में दरवाजा, दरवाजे पर कुलदेवता का स्थान, शिकहर, मछली पकड़ने का यंत्र (धीमरी), थारू आवास की मुख्य पहचान थे।[31] अब पक्के/खपरैल/टीन के मकानों में

परिवर्तित हो गये हैं। पक्का मकान समृद्धि का प्रतीक बन चुका है। राना एवं कठरिया थारू में एस्बेस्टस सीट एवं पक्के मकान अधिक हैं वही दंगुरिया थारू में खपरैल की मात्रा अधिक है। परम्परागत छप्पर के मकान कम आय वाले लोगों के पास है। इंदिरा आवास योजना के तहत जो सरकारी आवास वितरित किए गये हैं वे संख्या में कम हैं। 10 से 45 व्यक्तियों तक के परिवारों में एक कमरे के मकान की उपयोगिता, मात्र संकट की घड़ी में काम आने भर के लिए उपयोगी हो सकती है। वह भी जर्जर दशा के कारण उपयोगी न होने से, 52 प्रतिशत लोग इन्दिरा आवास के मकानों को पशुओं की चारा सामग्री रखने के लिए उपयोग करते हैं। आवासों के साथ शौचालयों का निर्माण किया गया है परन्तु वह भी कण्डा रखने के लिए उपयोग करते हैं। यह विकास के ऐसे पक्ष का प्रतीक है जो आवश्यकताओं परम्पराओं एवं व्यवहार प्रतिरूप को बिना ध्यान दिए किया गया है। आर्थिक उत्थान होने की वजह से जो मकान बिना सरकारी सहायता के परिवारों द्वारा स्वयं बनवाये गये हैं, वे चयनित परिवारों के आवासीय स्वरूप एवं सुविधाओं के संदर्भ में व्यवस्थित हैं।

परिवारों की आवास संरचना – तालिका 5.31 के अनुसार कुल 30.56 प्रतिशत छप्पर के, 32.22 प्रतिशत खपरैल, 23.89 प्रतिशत पक्का एवं 13.33 प्रतिशत टिन के मकान थे जिसमें थारू जनजाति के मकानों में 30.00 प्रतिशत छप्पर, 30.67 खपरैल, 25.33 प्रतिशत पक्का एवं 14.00 प्रतिशत टिन के मकान थे। औसतन सड़क से दूर के गाँवों से, विकास केन्द्र की ओर छप्पर एवं खपरैल की मात्रा घटती जाती है एवं पक्का तथा टिन शेड की मात्रा बढ़ती जाती है। राना थारू में पक्के एवं खपरैल की, कठरिया में पक्का एवं टिन शेड की, तथा दंगुरिया थारू में खपरैल एवं छप्पर की अधिकता मिलती है। गैर जनजातीय लोगों में पक्के एवं टिन के मकानों की कमी है। परन्तु खपरैल के मकानों की संख्या अधिक है।

तालिका 5.31 : चयनित परिवारों की आवास संरचना

(प्रतिशत में)

क्र. सं.	वर्ग	कुल परिवार संख्या	स्वआवास				पशु आवास संरचना				योग
			छप्पर	खपरैल	टीन / जी0 सी0 शीट	पक्का	छप्पर	खपरैल	टीन / जी0 सी0 शीट	पक्का	
1	सड़क से दूर स्थित गाँव	50	48.00	30.00	12.00	10.00	82.00	10.00	4.00	4.00	100.00
2	सड़क पर स्थित गाँव	50	24.00	36.00	28.00	12.00	76.00	14.00	2.00	8.00	100.00
3	विकास केन्द्र के गाँव	50	18.00	26.00	36.00	20.00	68.00	14.00	14.00	4.00	100.00
	योग	150	30.00	30.67	25.33	14.00	75.33	12.67	6.67	5.33	100.00
1	राना थारू	40	25.00	32.50	27.50	15.00	75.00	12.50	10.00	2.50	100.00
2	कठरिया थारू	20	25.00	25.00	20.00	30.00	80.00	10.00	5.00	5.00	100.00
3	दंगुरिया थारू	90	33.33	31.11	25.56	10.00	74.44	13.33	5.56	6.67	100.00
	योग	150	30.00	30.67	25.33	14.00	75.33	12.67	6.67	5.33	100.00
4	गैर जनजाति	30	33.33	40.00	16.67	10.00	96.67	3.33	0.00	0.00	100.00
	महायोग	180	30.56	32.22	23.89	13.33	78.89	11.11	5.56	4.44	100.00

स्रोत : शोधकर्त्ता द्वारा अपने शोध अध्ययन "थारू जनजाति की सामाजिक आर्थिक परिवर्तनशीलता एवं संविकास" हेतु 2004–05 में किए गये सर्वेक्षण पर आधारित।
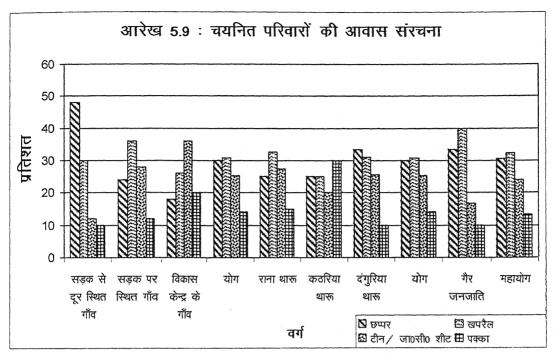
स्रोत : तालिका 5.31

पालतू पशुओं के मकानों की संरचना के संदर्भ में (तालिका 5.31) थारू जनजाति में 75.33 प्रतिशत पशु आवास छप्पर के 12.69 प्रतिशत घर खपरैल के, 6.67 प्रतिशत घर पक्के एवं 5.33 प्रतिशत घर टिन शेड के थे वहीं पक्के घरों की संख्या विकास केन्द्रों एवं दंगुरिया थारू में अधिक है। जिसका कारण है इन्दिरा आवास योजना में उपलब्ध कराए गये मकानों का अनुपयोगी होना है। इन्दिरा आवास योजना में बनवाये गये जो मकान थोड़े उपयोगी हैं भी उनमें सुदृढ़ता नहीं है। अतः उनके पशुओं की चारा सामग्री रखते हैं। गैर जनजातीय लोगों के पशुओं के आवासों में 96.67 प्रतिशत छप्पर के थे। कुल परिवारों में 78.89 प्रतिशत घर छप्पर के, 11.11 प्रतिशत खपरैल, 5.56 प्रतिशत टीन शेड के एवं 4.44 प्रतिशत घर पक्के थे। अतः स्पष्ट है कि पशु आवास सामान्यतः स्थानीय सामग्री से बने हैं परन्तु जो आवास पक्के हैं वे आर्थिक दृष्टि से सुदृढ़ परिवारों में है या इन्दिरा आवास योजना के मकानों के अनुपयोगी होने से है।

अतः स्पष्ट है कि परिवर्तन के साथ आवास स्वरूप परिवर्तित हो रहा है तथा कच्चे मकानों की अपेक्षा पक्के आवासों को ज्यादा महत्ता देते हैं। परन्तु सरकारी आवास गुणवत्ता की दृष्टि से कमजोर होने से कम उपयोगी है।

आवासों का स्वरूप एवं अधिकारिता – सम्पूर्ण आवासों में (तालिका 5.32) 56.67 प्रतिशत आवास निजी, 42.22 प्रतिशत आवास सरकारी/सरकारी सहयोग से बने, 1.11 प्रतिशत आवास किराए के थे जिनमें थारू जनजाति के 54.00 प्रतिशत मकान निजी 44.67 प्रतिशत सरकारी/सरकारी सहयोग से एवं 1.33 प्रतिशत किराए के थे। सड़क से दूर के गाँवों से विकास केन्द्रों की तरफ सरकारी केन्द्रों

की तरफ सरकारी आवासों की संख्या बढ़ती जाती है। क्योंकि वहाँ इन्दिरा आवास एवं अन्य आवासीय योजनाओं से अिधक मकान वितरित किए गये वहीं कठरिया थारू में सरकारी मकानों का प्रतिशत अधिक है। गैर जनजातीय लोगों के 70 प्रतिशत मकान निजी थे।

तालिका 5.32 : चयनित परिवारों का आवास स्वरूप एवं अधिकारिता

क्र. सं.	वर्ग	कुल परिवार	आवास स्वरूप			आवास भूमि अधिकारिता			योग
			निजी आवास	सरकारी/सर कारी सहयोग से निर्मित	किराये का	आवासों की भूमि अधिकारिता	किराये की भूमि पर	जंगल भूमि	
1	सड़क से दूर स्थित गाँव	50	64.00	36.00	0.00	64.00	20.00	16.00	100.00
2	सड़क पर स्थित गाँव	50	54.00	46.00	0.00	76.00	16.00	8.00	100.00
3	विकास केन्द्र के गाँव	50	44.00	52.00	4.00	82.00	18.00	0.00	100.00
	योग	150	54.00	44.67	1.33	74.00	18.00	8.00	100.00
1	राना थारू	40	65.00	35.00	0.00	85.00	12.50	2.50	100.00
2	कठरिया थारू	20	40.00	55.00	5.00	65.00	20.00	15.00	100.00
3	दंगुरिया थारू	90	52.22	46.67	1.11	71.11	20.00	8.89	100.00
	योग	150	54.00	44.67	1.33	74.00	18.00	8.00	100.00
4	गैर जनजाति	30	70.00	30.00	0.00	70.00	16.67	13.33	100.00
	महायोग	180	56.67	42.22	1.11	73.33	17.78	8.89	100.00

स्रोत : शोधकर्त्ता द्वारा अपने शोध अध्ययन "थारू जनजाति की सामाजिक आर्थिक परिवर्तनशीलता एवं संविकास" हेतु 2004–05 में किए गये सर्वेक्षण पर आधारित।

परिवारों की आवास भूमि (तालिका 5.32) में कुल 73.33 प्रतिशत आवास उत्तरदाताओं की निजी भूमि पर थे। 17.78 प्रतिशत आवास पट्टे की भूमि पर 8.89 प्रतिशत जंगल की भूमि/अवैध कब्जे में थे। जिसमें थारू आवास 74 प्रतिशत निजी भूमि पर 18 प्रतिशत पट्टे की भूमि पर 8.00 प्रतिशत जंगल भूमि पर थे। सड़क से दूर के गाँवों एवं कठरिया थारू में पट्टे एवं जंगल भूमि पर बने मकानों की संख्या अधिक है। वहीं गैर जनजातीय लोगों में जंगल भूमि पर अवैध कब्जे के बने मकानों की संख्या (13.33 प्रतिशत) अधिक थी। स्पष्ट है कि क्षेत्र में सरकार द्वारा आवासीय सुविधाओं का विस्तार किया गया। भूमि स्वामित्व से परिवर्तन एवं पट्टे के वितरण तथा निजीकरण से आवास का स्वरूप व्यवस्थित हुआ है।

आवासों में प्रयुक्त निर्माण सामग्री – किसी समाज में परिवर्तन के साथ आवास स्वरूप तथा आवास निर्माण सामग्री प्रयोग स्वरूप में परिवर्तन आता है। इस तथ्य को आंकने के लिए उत्तरदाताओं से प्राप्त जानकारी तालिका सं. 5.33 में दी गई है। तालिका के अनुसार 50 प्रतिशत आवासों में ईट, 40.56 प्रतिशत आवासों में सीमेन्ट, 92.78 प्रतिशत आवासों में लकड़ी 40.56 प्रतिशत आवासों में लोहा, 17.78 प्रतिशत आवासों में शीट (टिन/जी सी.) 39.44 प्रतिशत आवासों में खप्पर तथा 30.56 प्रतिशत आवासों में छप्पर का प्रयोग किया गया था। जिसमें थारू आवास में 53.33 प्रतिशत आवासों में ईट 45.

33 प्रतिशत आवासों में सीमेन्ट 94.67 प्रतिशत आवासों में लकड़ी, 45.33 प्रतिशत आवासों में लोहा, 19. 83 प्रतिशत आवासों में शीट 40.67 प्रतिशत आवासों में खप्पर 30 प्रतिशत आवासों में छप्पर का प्रयोग किया गया था। सड़क से दूर के गाँवों से विकास केन्द्र की तरफ बढ़ने पर ईंट सीमेन्ट लोहा एवं खप्पर की मात्रा बढ़ती जाती है। वही लकड़ी एवं छप्पर की मात्रा कम होती जाती है।

अतः स्पष्ट है कि विकास के साथ परिवारों के आवास निर्माण सामग्री प्रयोग स्वरूप में परिवर्तन हुआ है अब पक्की ईंट सीमेन्ट जी सी सीट एवं लोहे की मात्रा सतत बढ़ रही है। वहीं थारू विकास जहां लकड़ी भण्डार के रूप में मिलता था। अब कम लकड़ी प्रयोग होने लगी है जो पर्यावरण की दृष्टि से महत्वपूर्ण है।

तालिका 5.33 : चयनित परिवारों के आवासों में प्रयुक्त गृह निर्माण सामग्री

(प्रतिशत में)

क्र. सं.	वर्ग	कुल परिवार	ईंट	सीमेन्ट	लकड़ी	लोहा	एस्बेस्टस शीट	खप्पर	छप्पर
1	सड़क से दूर स्थित गाँव	50	40.00	36.00	98.00	36.00	20.00	32.00	48.00
2	सड़क पर स्थित गाँव	50	56.00	44.00	96.00	44.00	18.00	40.00	24.00
3	विकास केन्द्र के गाँव	50	64.00	56.00	90.00	56.00	20.00	50.00	18.00
	योग	150	53.33	45.33	94.67	45.33	19.33	40.67	30.00
1	राना थारू	40	37.50	42.50	95.00	42.50	25.00	50.00	25.00
2	कठरिया थारू	20	60.00	25.00	85.00	25.00	35.00	30.00	25.00
3	दंगुरिया थारू	90	58.89	51.11	96.67	51.11	13.33	38.89	33.33
	योग	150	53.33	45.33	94.67	45.33	19.33	40.67	30.00
4	गैर जनजाति	30	33.33	16.67	83.33	16.67	10.00	33.33	33.33
	महायोग	180	50.00	40.56	92.78	40.56	17.78	39.44	30.56

स्रोत : शोधकर्त्ता द्वारा अपने शोध अध्ययन "थारू जनजाति की सामाजिक आर्थिक परिवर्तनशीलता एवं संविकास" हेतु 2004–05 में किए गये सर्वेक्षण पर आधारित।

चयनित परिवारों के आवासों में उपलब्ध पृथक विभागों का विवरण – तालिका 5.34 के अनुसार कुल 30.56 प्रतिशत आवासों में आंगन, 75.56 प्रतिशत में बैठक, 20.56 प्रतिशत में स्नानगृह, 62.78 प्रतिशत में शौचालय 65.56 प्रतिशत में भोजनालय, 59.44 प्रतिशत में बखारी मिलता है। जिससे थारू आवास के 18 प्रतिशत में आंगन, 79.33 प्रशित में बैठक, 18 प्रतिशत में स्नानगृह, 67.33 प्रतिशत में शौचालय 70.57 में भोजनालय, 61.33 प्रतिशत में बखारी था। सड़क से दूर गाँवों से विकास केन्द्रों की तरफ बढ़ने पर मकानो में आंगन, बैठक, स्नानगृह, शौचालय, भोजनालय एवं बखारी की मात्रा बढ़ती जाती है। राना एवं थारू में कठरिया थारू तथा गैर थारू में इन सुविधाओं की मात्रा अधिक है। थारू में आंगन की व्यवस्था नहीं होती है। परन्तु बदलते परिवेश में आंगन चहरदीवारी के भीतर में देखने को मिलते है। गैर थारू में 93.33 प्रतिशत मकानों में आंगन थे। 37.22 प्रतिशत मकानों में शौचालय नहीं थे, विविध योजनाओं में निर्मित किए गये शैचालयों में 75 प्रतिशत शौचालय अनुपयोगी

हैं, जिनको ग्रामीण लोग कण्डा, लकड़ी, आदि वस्तुएं रखने में प्रयोग करते थे। अनुपयुक्त शौचालयों की मात्रा सड़क से दूर गाँवों की तरफ विकास केन्द्रों की तरफ कम होती जाती है।

तालिका 5.34 : चयनित परिवारों के आवासों में उपलब्ध पृथक विभाग

(प्रतिशत में)

क्र. सं.	वर्ग	कुल आवास सं.	आंगन	बैठक	बरामदा	शौचालय	भोजनालय	बखारी
1	सड़क से दूर स्थित गाँव	50	8.00	66.00	10.00	50.00	56.00	44.00
2	सड़क पर स्थित गाँव	50	16.00	82.00	14.00	68.00	64.00	60.00
3	विकास केन्द्र के गाँव	50	30.00	90.00	30.00	84.00	92.00	80.00
	योग	150	18.00	79.33	18.00	67.33	70.67	61.33
1	राना थारू	40	15.00	92.50	20.00	70.00	75.00	60.00
2	कठरिया थारू	20	25.00	70.00	25.00	85.00	90.00	75.00
3	दंगुरिया थारू	90	17.78	75.56	15.56	62.22	64.44	58.89
	योग	150	18.00	79.33	18.00	67.33	70.67	61.33
4	गैर जनजाति	30	93.33	56.67	33.33	40.00	40.00	50.00
	महायोग	180	30.56	75.56	20.56	62.78	65.56	59.44

स्रोत : शोधकर्त्ता द्वारा अपने शोध अध्ययन "थारू जनजाति की सामाजिक आर्थिक परिवर्तनशीलता एवं संविकास" हेतु 2004–05 में किए गये सर्वेक्षण पर आधारित।

अतः स्पष्ट है कि आवास बनवाने/शौचालय देने के लिए जो योजनाएं लागू की जाएं उनके निर्माण से पूर्व क्षेत्र एवं समाज की आवश्यकता का आंकलन हो, तभी उनका सुव्यवस्थित परिणाम मिल सकता है। सुविधा देने से पहले सुविधा की आवश्यकता एवं जानकारी का होना अति आवश्यक है।

आवासों में सुविधादायक वस्तुओं की उपलब्धता – घर में उपलब्ध वस्तुओं के स्वरूप तथा मात्रा से परिवार के जीवन स्तर का अनुमान लगाया जा सकता है।[32] सामग्री, आवश्यकता, आय एवं कार्य प्रणाली से संबंधित होती है, तथा समयानुसार विकास के साथ उनका स्वरूप भी परिवर्तित होता रहता है।थारू सामान्यतः साइकिल एवं मोटर साइकिल से वे परिवहन, बैलगाड़ी से सामान ढुलाई, मोबाइल आदि को वर्तमान समाज से संपर्क हेतु प्रयोग करते हैं जिससे विकास स्वरूप का अनुमान लगाया जा सकता है।

उपलब्ध उपयोग सामग्री (तालिका 5.35) में कुल 82.78 प्रतिशत परिवारों में साइकिल, 86.11 प्रतिशत में रेडियो, 61.67 प्रतिशत में बैलगाड़ी, 76.11 प्रतिशत में चारा मशीन, 24.44 प्रतिशत में सिलाई मशीन, 38.33 प्रतिशत में मोबाइल, 33.33 प्रतिशत में टेलीविजन, 20.56 प्रतिशत में मोटर साइकिल, 5.56 प्रतिशत में फ्रिज, 12.22 प्रतिशत में ट्रैक्टर, 2.78 प्रतिशत में जीप, 13.83 प्रतिशत में डी टी एच, 18.89 प्रतिशत में सौर ऊर्जा एवं 10.56 प्रतिशत में अखबार की व्यवस्था थी जिसमें थारू परिवार में 83.33 प्रतिशत में साइकिल 85.33 प्रतिशत में रेडियो, 78.67 में चारामशीन, 62.67 प्रतिशत में बैलगाड़ी, 24.67 प्रतिशत में सिंचाई मशीन, 39.33 प्रतिशत में मोबाइल, 32.2 प्रतिशत में टेलीविजन, 20.67 प्रतिशत में मोटर साइकिल, 6 प्रतिशत में फ्रिज, 12.67 प्रतिशत में ट्रैक्टर, 2.67 प्रतिशत में जीप/कार,

14 प्रतिशत परिवारों में डी टी एच, 20 प्रतिशत परिवारों में सौर ऊर्जा एवं 10.00 प्रतिशत परिवारों में अखबर की व्यवस्था थी। समस्त उपभोक्ता वस्तुओं की उपलब्धता की प्रतिशतता सड़क से दूर गाँवों से विकास केन्द्रों की तरफ बढ़ती जाती थी। वही दगुरिया थारू की अपेक्षा राना थारू एवं कठेरिया थारू में अधिक सामग्री मिलती है।

तालिका 5.35 : चयनित परिवारों के आवासों में उपलब्ध सुविधा सामग्री का वर्गवार विवरण

(प्रतिशत में)

क्र. सं.	वर्ग	कुल आवास	साइकिल	रेडियो	बैलगाड़ी	चारा मशीन	सिलाई मशीन	मोबाइल	टेलीविजन	मोटर साइकिल	फ्रिज	ट्रैक्टर	जीपकार	डी टी एच	सौर ऊर्जा	अखबार
1	सड़क से दूर स्थित गाँव	50	76.00	78.00	60.00	78.00	14.00	24.00	10.00	10.00	0.00	4.00	0.00	4.00	6.00	2.00
2	सड़क पर स्थित गाँव	50	90.00	88.00	70.00	74.00	24.00	36.00	36.00	18.00	4.00	10.00	2.00	14.00	20.00	10.00
3	विकास केन्द्र के गाँव	50	84.00	90.00	58.00	84.00	36.00	58.00	50.00	34.00	14.00	24.00	6.00	24.00	34.00	18.00
	योग	150	83.33	85.33	62.67	78.67	24.67	39.33	32.00	20.67	6.00	12.67	2.67	14.00	20.00	10.00
1	राना थारू	40	90.00	85.00	60.00	80.00	32.50	60.00	35.00	22.50	10.00	17.50	2.50	15.00	20.00	12.50
2	कठरिया थारू	20	90.00	80.00	60.00	80.00	35.00	50.00	50.00	40.00	10.00	25.00	5.00	35.00	50.00	20.00
3	दंगुरिया थारू	90	78.89	86.67	64.44	77.78	18.89	27.78	26.67	15.56	3.33	7.78	2.22	8.89	13.33	6.67
	योग	150	83.33	85.33	62.67	78.67	24.67	39.33	32.00	20.67	6.00	12.67	2.67	14.00	20.00	10.00
4	गैर जनजाति	30	80.00	90.00	56.67	63.33	23.33	33.33	40.00	20.00	3.33	10.00	3.33	13.33	13.33	13.33
	महायोग	180	82.78	86.11	61.67	76.11	24.44	38.33	33.33	20.56	5.56	12.22	2.78	13.89	18.89	10.56

स्रोत : शोधकर्त्ता द्वारा अपने शोध अध्ययन "थारू जनजाति की सामाजिक आर्थिक परिवर्तनशीलता एवं संविकास" हेतु 2004–05 में किए गये सर्वेक्षण पर आधारित।

तालिका 5.36 में परिवारों में प्रयुक्त की जा रही 14 वस्तुओं यथा 1 साइकिल, 2. रेडियो, 3. चारामशीन, 4. बैलगाड़ी, 5. सिलाई मशीन, 6. मोबाइल, 7. टेलीविजन, 8. मोटर साइकिल, 9. फ्रिज, 10. ट्रैक्टर, 11. जीप/कार, 12. डी टी एच, 13. सौर ऊर्जा, 14. अखबार, कुल 14 को मूल्यानुसार क्रमशः 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 अंक देकर परिवारों को व्यवस्थित किया गया। किसी भी परिवार में उपयुक्त में 9 से अधिक सामग्री प्राप्त नहीं थी। 32.22 परिवारों में सामग्री उपयोग का मूल्य 10, 17.22 प्रतिशत परिवारों में 11–20, 12.78 प्रतिशत परिवार में 21–30 10 प्रतिशत परिवार में 31–40, 722 प्रतिशत परिवारों में 41–50, 6.11 परिवारों में 51–60 परिवारों में 61–70 5.56 प्रतिशत परिवारों में 71–80, 3.89 प्रतिशत परिवारों में उपलब्ध वस्तुओं का उपभोग मूल्य 81 से अधिक था। वस्तुओं के उपयोग का मूल्य विकास केन्द्र से क्रमशः सड़क पर एवं सड़क से दूर के गाँवों की ओर कम होता जाता है वही कठरिया एवं राना थारूओं को दगुरिया थारू की अपेक्षा अधिक मूल्य प्राप्त है। गैर जनजातीय लोगों में थारू लोगों की अपेक्षा कम वस्तुएं प्राप्त हुई जो शायद गरीबी या कम शौक की वजह से है।

तालिका 5.36 : चयनित परिवारों के आवासों में उपलब्ध चयनित सुविधा सामग्री का मूल्य (Value)

(प्रतिशत में)

क्र. सं.	वर्ग	कुल आवास	आवासों में उपलब्ध समग्री का मूल्य वर्ग									योग
			0–10	11–20	21–30	31–40	41–50	51–60	61–70	71–80	81 +	
1	सड़क से दूर स्थित गाँव	50	54.00	16.00	12.00	6.00	4.00	2.00	2.00	2.00	2.00	100.00
2	सड़क पर स्थित गाँव	50	26.00	18.00	12.00	12.00	8.00	8.00	6.00	6.00	4.00	100.00
3	विकास केन्द्र के गाँव	50	16.00	16.00	14.00	12.00	10.00	10.00	8.00	8.00	6.00	100.00
	योग	150	32.00	16.67	12.67	10.00	7.33	6.67	5.33	5.33	4.00	100.00
1	राना थारू	40	32.50	12.50	15.00	12.50	10.00	5.00	5.00	2.50	5.00	100.00
2	कठरिया थारू	20	35.00	10.00	15.00	10.00	10.00	5.00	5.00	5.00	5.00	100.00
3	दंगुरिया थारू	90	31.11	20.00	11.11	8.89	5.56	7.78	5.56	6.67	3.33	100.00
	योग	150	32.00	16.67	12.67	10.00	7.33	6.67	5.33	5.33	4.00	100.00
4	गैर जनजाति	30	33.33	20.00	13.33	10.00	6.67	3.33	3.33	6.67	3.33	100.00
	महायोग	180	32.22	17.22	12.78	10.00	7.22	6.11	5.00	5.56	3.89	100.00

स्रोत : शोधकर्त्ता द्वारा अपने शोध अध्ययन "थारू जनजाति की सामाजिक आर्थिक परिवर्तनशीलता एवं संविकास" हेतु 2004–05 में किए गये सर्वेक्षण पर आधारित

परिवारों में भोजन निर्माण के लिए प्रयुक्त साधन – परिवारों में खाना पकाने के लिए प्रयुक्त साधन के आधार पर परिवारों की आर्थिक स्थिति का औसत आंकलन किया जा सकता है। उदाहरणार्थ गैस एवं बायोगैस का प्रयोग करने वाले लोगों का जीवनस्तर अन्य लोगों की अपेक्षा सामान्यतः उच्च होता है। तालिका 5.37 के अनुसार 5 प्रतिशत परिवारों में स्टोव, 8.33 प्रतिशत में गैस, एवं 3.33 प्रतिशत में बायोगैस का प्रयोग भोजन निर्माण हेतु होता हैं। थारू परिवारों में 77.33 प्रतिशत में लकड़ी, 7.33 प्रतिशत में कोयला, 2.67 प्रतिशत में तेल स्टोव, 8.67 प्रतिशत में गैस, एवं 4 प्रतिशत में बायोगैस का प्रयोग भोजन निर्माण के लिए होता है। सड़क से दूर के गाँवों में लकड़ी का प्रयोग 96 प्रतिशत परिवार में, तथा विकास केन्द्रों पर 16 प्रतिशत परिवारों में एल. पी. जी. गैस का प्रयोग किया जाता है। कठरिया थारूओं में 30 प्रतिशत परिवारों में एल. पी. जी. गैस एवं 15.00 परिवार में बायोगैस का प्रयोग मिलता है। गैर जनजातीय परिवारों में 16.67 परिवारों में तेल स्टोव का प्रयोग होता है।

तालिका 5.37 : चयनित परिवारों के आवासों में भोजन निर्माण हेतु प्रयुक्त साधन

(प्रतिशत में)

क्र. सं.	वर्ग	कुल परिवार	लकड़ी	मिट्टी का तेल	कोयला	गैस	बायोगैस	कुल
1	सड़क से दूर स्थित गाँव	50	96.00	0.00	2.00	2.00	0.00	100.00
2	सड़क पर स्थित गाँव	50	76.00	10.00	2.00	8.00	4.00	100.00
3	विकास केन्द्र के गाँव	50	60.00	12.00	4.00	16.00	8.00	100.00
	योग	150	77.33	7.33	2.67	8.67	4.00	100.00
1	राना थारू	40	80.00	7.50	2.50	7.50	2.50	100.00
2	कठरिया थारू	20	40.00	10.00	5.00	30.00	15.00	100.00
3	दंगुरिया थारू	90	84.44	6.67	2.22	4.44	2.22	100.00
	योग	150	77.33	7.33	2.67	8.67	4.00	100.00
4	गैर जनजाति	30	70.00	6.67	16.67	6.67	0.00	100.00
	महायोग	180	76.11	7.22	5.00	8.33	3.33	100.00

स्रोत : शोधकर्त्ता द्वारा अपने शोध अध्ययन "थारू जनजाति की सामाजिक आर्थिक परिवर्तनशीलता एवं संविकास" हेतु 2004–05 में किए गये सर्वेक्षण पर आधारित।

अतः आर्थिक विकास का प्रभाव परिवारों में, खाना पकाने के लिए प्रयुक्त साधनों पर भी पड़ा है। और परिवार परम्परागत साधनों से गैस एवं बायोगैस की तरफ उन्मुख हो रहे हैं।

तालिका 5.38 : चयनित परिवारों के आवासों में प्रकाश हेतु प्रयुक्त साधन

(प्रतिशत में)

क्र. सं.	वर्ग	कुल परिवार	मिट्टी तेल	अन्य तेल	गैस	बिजली	योग
1	सड़क से दूर स्थित गाँव	50	84.00	2.00	2.00	12.00	100.00
2	सड़क पर स्थित गाँव	50	64.00	0.00	4.00	32.00	100.00
3	विकास केन्द्र के गाँव	50	50.00	2.00	8.00	40.00	100.00
	योग	150	66.00	1.33	4.67	28.00	100.00
1	राना थारू	40	75.00	2.50	5.00	17.50	100.00
2	कठरिया थारू	20	80.00	0.00	10.00	10.00	100.00
3	दंगुरिया थारू	90	58.89	1.11	3.33	36.67	100.00
	योग	150	66.00	1.33	4.67	28.00	100.00
4	गैर जनजाति	30	56.67	0.00	3.33	40.00	100.00
	महायोग	180	64.44	1.11	4.44	30.00	100.00

स्रोत : शोधकर्त्ता द्वारा अपने शोध अध्ययन "थारू जनजाति की सामाजिक आर्थिक परिवर्तनशीलता एवं संविकास" हेतु 2004–05 में किए गये सर्वेक्षण पर आधारित।

परिवारों में प्रकाश के लिए प्रयुक्त साधन – आवासों में प्रकाश व्यवस्था के लिए प्रयुक्त साधनों के आधार पर विकास स्थिति का आंकलन होता है। तालिका 5.38 के अनुसार 64.44 प्रतिशत आवास में प्रकाश के लिए मिट्टी का तेल 1.11 प्रतिशत आवासों में अन्य तेल, 4.44 प्रतिशत में गैस (L.P.G.) एवं 30.00 प्रतिशत आवासों में बिजली का प्रयोग होता था। मिट्टी के तेल का प्रयोग करने वाले आवासों का प्रतिशत सड़क से दूर के गाँवों में काफी अधिक है। वही विकास केन्द्रों की तरफ कम होता जाता है। गैस तथा बिजली को प्रकाश के साधन के रूप में प्रयोग करने वाले आवासों की मात्रा विकास केन्द्र के गांवों की तरफ सतत बढ़ती दर से मिलता है।

चयनित परिवारों में विद्युत कनेक्शन एवं उसका स्वरूप – चयनित परिवारों के 53.89 प्रतिशत आवासों में विद्युत कनेक्शन था वही 46.13 प्रतिशत आवासों में विद्युत कनेक्शन नहीं था। कनेक्शन युक्त परिवारों में 9.44 प्रतिशत में व्यापारिक प्रयोग यथा आटा चक्की, पाइलेशर आदि के लिए 76.11 प्रतिशत परिवारों में घरेलू एवं नियमित, 14.44 प्रतिशत परिवारों में घरेलू एवं कटिया का प्रयोग होता था। कुल परिवारों में 30 प्रतिशत के अनुसार प्रतिदिन कुछ न कुछ समय के लिए बिजली आती है वहीं 70 प्रतिशत परिवारों का मानना था कि प्रतिदिन बिजली नहीं आती। (तालिका 5.39) विद्युत की उपलब्धता व्यापारिक प्रयोग के लिए विद्युत प्रयोग की मात्रा सड़क से दूर के गाँवों से विकास केन्द्र के गाँवों की ओर सतत बढ़ती है। सड़क से दूर के गाँवों में व्यापारिक प्रयोग के लिए कम विद्युत है प्रतिदिन की विद्युत व्यवस्था नहीं है।

तालिका 5.39 : चयनित परिवारों के आवासों में विद्युत व्यवस्था

(प्रतिशत में)

क्र. सं.	वर्ग	कुल आवास	विद्युत व्यवस्था		स्वरूप			प्रतिदिन आती है	
			हाँ	नहीं	व्यापारिक	नियमित	घरेलू कटिया	हाँ	नहीं
1	सड़क से दूर स्थित गाँव	50	30.00	70.00	4.00	82.00	14.00	12.00	88.00
2	सड़क पर स्थित गाँव	50	44.00	56.00	10.00	82.00	8.00	32.00	68.00
3	विकास केन्द्र के गाँव	50	78.00	22.00	14.00	80.00	6.00	40.00	60.00
	योग	150	50.67	49.33	9.33	81.33	9.33	28.00	72.00
1	राना थारू	40	85.00	15.00	7.50	87.50	5.00	17.50	82.50
2	कठरिया थारू	20	85.00	15.00	10.00	80.00	10.00	10.00	90.00
3	दंगुरिया थारू	90	27.78	72.22	10.00	78.89	11.11	36.67	63.33
	योग	150	50.67	49.33	9.33	81.33	9.33	28.00	72.00
4	गैर जनजाति	30	70.00	30.00	10.00	50.00	40.00	40.00	60.00
	महायोग	180	53.89	46.11	9.44	76.11	14.44	30.00	70.00

स्रोत : शोधकर्त्ता द्वारा अपने शोध अध्ययन "थारू जनजाति की सामाजिक आर्थिक परिवर्तनशीलता एवं संविकास" हेतु 2004–05 में किए गये सर्वेक्षण पर आधारित।

स्पष्ट है कि विद्युतीकरण का प्रयास तो हुआ परन्तु वह समग्र एवं स्थाई नहीं है। ग्रामीण क्षेत्र में शहरों की अपेक्षा अधिक आवश्यकता है कि वही हफ्तों में कहीं–2 वर्ष भर में एक भी घण्टे के लिए समय से विद्युत नहीं मिलती जो समस्त विकास का सूचक नहीं है।

चयनित परिवारों में पेयजल स्रोत एवं सुविधा – कुल चयनित परिवारों में 82.78 प्रतिशत परिवारों को शुद्ध पेयजल सुविधा उपलब्ध थी। (तालिका 5.40) जबकि 17.22 प्रतिशत परिवारों को शुद्ध पेयजल नहीं मिलता है। वहीं 23.33 प्रतिशत घरों में कोई जल स्रोत नहीं था। 15 प्रतिशत घरों में कुएं से, 46.67 प्रतिशत घरों में नल से, 9.44 परिवारों को सरकारी हैण्डपाइप (मार्क 2) एवं 5.56 प्रतिशत लोगों को पाइप से पेय जल प्राप्त होता है। पेयजल की सुविधा सड़क से दूर के गाँवों में खराब है। बलरामपुर जनपद में भौरीसाल गांव में एक कुआं पूरे गाँव को पेय जल उपलब्ध कराता है। 2 सरकारी हैण्ड पाइप लगे हैं परन्तु खराब हैं। राना थारू एवं कठरिया थारू घरों में पेय जल की सुविधा अच्छी है। विकास केन्द्रों पर पाइप की व्यवस्था प्रारम्भ हुई है। विशुनपुर ग्राम में (बलरामपुर) पानी टंकी का निर्माण किया गया है। तराई क्षेत्र में पानी में आयोडीन की कमी से घेंघा रोग एवं मानसिक अपंगता एवं अन्य बीमारियों का भय रहता है। अतः पेयजल की व्यवस्था एक महत्वपूर्ण आवश्यकता है। सड़क से दूर के गाँवों में आज तक शुद्ध उचित मात्रा में पेयजल सुविधा उपलब्ध नहीं है जहां है भी वह खराब है जिसकी उचित देखभाल के अभाव में उपयोगिता नहीं रह गई है। अतः विकास के लिए साधनों की उपलब्धता के साथ उसके स्वरूप एवं उपयोगिता पर ध्यान देना अवश्यक है।

तालिका 5.40 : चयनित परिवारों के आवासों में पेयजल व्यवस्था

(प्रतिशत में)

क्र. सं.	वर्ग	कुल आवास	पेयजल उपलब्धता		पेयजल स्रोत					योग
			हाँ	नहीं	कोई नहीं	कुआं	निजी पेयजल	सरकारी	पाइप	
1	सड़क से दूर स्थित गाँव	50	72.00	28.00	40.00	24.00	30.00	6.00	0.00	100.00
2	सड़क पर स्थित गाँव	50	82.00	18.00	24.00	12.00	46.00	10.00	8.00	100.00
3	विकास केन्द्र के गाँव	50	100.00	0.00	14.00	14.00	54.00	8.00	10.00	100.00
	योग	150	84.67	15.33	26.00	16.67	43.33	8.00	6.00	100.00
1	राना थारू	40	92.50	7.50	7.50	15.00	62.50	7.50	7.50	100.00
2	कठरिया थारू	20	90.00	10.00	10.00	15.00	50.00	15.00	10.00	100.00
3	दंगुरिया थारू	90	80.00	20.00	37.78	17.78	33.33	6.67	4.44	100.00
	योग	150	84.67	15.33	26.00	16.67	43.33	8.00	6.00	100.00
4	गैर जनजाति	30	73.33	26.67	10.00	6.67	63.33	16.67	3.33	100.00
	महायोग	180	82.78	17.22	23.33	15.00	46.67	9.44	5.56	100.00

स्रोत : शोधकर्त्ता द्वारा अपने शोध अध्ययन "थारू जनजाति की सामाजिक आर्थिक परिवर्तनशीलता एवं संविकास" हेतु 2004–05 में किए गये सर्वेक्षण पर आधारित।
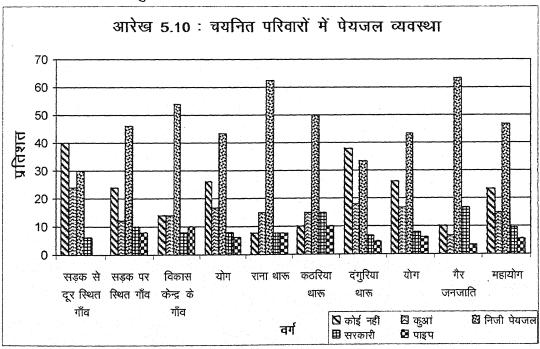
स्रोत : तालिका 5.40

जल निकास व्यवस्था – घरों में जल निकास व्यवस्था का होना समृद्धि एवं सुविधा की दृष्टि से आवश्यक है अतः जागरूकता का महत्वपूर्ण पक्ष यह भी है कि लोगों के घरों में जल निकास की उचित व्यवस्था हैं या नहीं ? तालिका 5.41 के अनुसार 65.00 प्रतिशत लोगों के घरों में जल निकास व्यवस्था है वहीं 35 प्रतिशत में जल निकास व्यवस्था नहीं है। सड़क से दूर के गाँवों में जल निकास व्यवस्था से युक्त घरों का प्रतिशत कम है वहीं का विकास केन्द्र के गाँवों में जल निकास व्यवस्था सुदृढ़ है। जल निकास व्यवस्था न होने वाले घरों में 75 प्रतिशत में वर्षा का जल एकत्रित हो जाता है वही 25 प्रतिशत घरों में नाली का जल एकत्रित होता है।

तालिका 5.41 : चयनित परिवारों के आवासों जल निकास की व्यवस्था

(प्रतिशत में)

क्र. सं.	वर्ग	कुल आवास	जल निकास व्यवस्था		जल एकत्र होता है		
			हां	नहीं	वर्षा का जल	नाली का जल	योग
1	सड़क से दूर स्थित गाँव	50	54.00	46.00	72.00	28.00	100.00
2	सड़क पर स्थित गाँव	50	60.00	40.00	68.00	32.00	100.00
3	विकास केन्द्र के गाँव	50	76.00	24.00	78.00	22.00	100.00
	योग	150	63.33	36.67	72.67	27.33	100.00
1	राना थारू	40	82.50	17.50	90.00	10.00	100.00
2	कठरिया थारू	20	70.00	30.00	85.00	15.00	100.00
3	दंगुरिया थारू	90	44.44	55.56	54.44	45.56	100.00
	योग	150	63.33	36.67	72.67	27.33	100.00
4	गैर जनजाति	30	73.33	26.67	86.67	13.33	100.00
	महायोग	180	65.00	35.00	75.00	25.00	100.00

स्रोत : शोधकर्त्ता द्वारा अपने शोध अध्ययन "थारू जनजाति की सामाजिक आर्थिक परिवर्तनशीलता वर्षा का जल एवं संविकास" हेतु 2004–05 में किए गये सर्वेक्षण पर आधारित।

जल निकास व्यवस्था में तीव्र सुधार हुआ है परन्तु जल निकास व्यवस्था की गुणवत्ता न होने से गाँवों में उनका उपयोग ही होता है और वे मात्र दिखावे का प्रतीक बन जाते हैं। जो असंधृत विकास का द्योतक है।

आवासों के स्वरूप में परिवर्तन के आंकलन के लिए उत्तरदाताओं से तीस वर्ष पूर्व घर कीस्थिति के संदर्भ में प्रश्न पूछा गया। तालिका 5.42 के अनुसार 68.89 प्रतिशत परिवारों के मकान छप्पर से बने थे, वहीं 10 प्रतिशत मकान कच्ची ईंट दीवार युक्त छप्पर के मकान थे। 10.56 प्रतिशत आवास खपरैल के, 4.44 प्रतिशत टीन शीट के आवास थे, वही 6.11 प्रतिशत आवास पक्के थे तीस वर्ष पूर्व भी पक्के एवं खपरैल आवासों की मात्रा विकास केन्द्रों पर अधिक थी।

परिवारों में तीस वर्ष पूर्व पेयजल की व्यवस्था के संदर्भ में (तालिका 5.42) 16.46 उत्तरदाताओं के अनुसार 16.11 प्रतिशत परिवारों का पेयजल स्रोत नदी 67.78 प्रतिशत परिवारों का कुआं मुख्य साधन था। वहीं 16.11 प्रतिशत परिवारों को पेयजल के लिए हैण्ड पम्प की सुविधा थी। अतः वर्तमान जल व्यवस्था क्षेत्रों में विकास हुआ है जो सकारात्मक परिवर्तन का संकेतक है।

तालिका 5.42 : चयनित परिवारों में तीस वर्ष पूर्व आवास संरचना एवं पेयजल स्रोत

(प्रतिशत में)

क्र. सं.	वर्ग	कुल आवास	आवास संरचना					पेयजल स्रोत			योग
			छप्पर	ईंट दीवार युक्त छप्पर	दीवार युक्त खपरैल	टीन शेड	पक्का	नदी	कुआं	नल/हैण्डपम्प	
1	सड़क से दूर स्थित गाँव	50	78.00	10.00	4.00	4.00	4.00	16.00	78.00	6.00	100.00
2	सड़क पर स्थित गाँव	50	72.00	12.00	8.00	4.00	4.00	20.00	64.00	16.00	100.00
3	विकास केन्द्र के गाँव	50	54.00	10.00	14.00	8.00	14.00	18.00	62.00	20.00	100.00
	योग	150	68.00	10.67	8.67	5.33	7.33	18.00	68.00	14.00	100.00
1	राना थारू	40	75.00	10.00	7.50	2.50	5.00	7.50	80.00	12.50	100.00
2	कठरिया थारू	20	60.00	15.00	10.00	5.00	10.00	10.00	50.00	40.00	100.00
3	दंगुरिया थारू	90	66.67	10.00	14.44	4.44	4.44	24.44	66.67	8.89	100.00
	योग	150	68.00	10.67	12.00	4.00	5.33	18.00	68.00	14.00	100.00
4	गैर जनजाति	30	73.33	6.67	3.33	6.67	10.00	6.67	66.67	26.67	100.00
	महायोग	180	68.89	10.00	10.56	4.44	6.11	16.11	67.78	16.11	100.00

स्रोत : शोधकर्त्ता द्वारा अपने शोध अध्ययन "थारू जनजाति की सामाजिक आर्थिक परिवर्तनशीलता एवं संविकास" हेतु 2004–05 में किए गये सर्वेक्षण पर आधारित।

आवास स्वरूप में परिवर्तन के संदर्भ में उत्तरदाताओं द्वारा दिए गये उत्तर के आधार पर निर्मित तालिका 5.43 के अनुसार 15.00 प्रतिशत आवासों ने कोई परिवर्तन नहीं हुआ है वहीं 21.11 प्रतिशत आवास छप्पर से खपरैल बने हैं। 13.33 प्रतिशत मकान छप्पर से टीन 25.56 प्रतिशत छप्पर से पक्का 11.67 प्रतिशत आवास खप्पर टीन/पक्का एवं 13.33 आवास पक्का छप्पर/खप्पर के रूप में परिवर्तित हुए हैं।

तालिका 5.43 : चयनित परिवारों के आवासों में 30 वर्षों में आवास स्वरूप में परिवर्तन

(प्रतिशत में)

क्र. सं.	वर्ग	कुल आवास	पूर्ववत	छप्पर से खपरैल	छप्पर से टीन	छप्पर से पक्का	खपरैल से टीन	खपरैल से पक्का	योग
1	सड़क से दूर स्थित गाँव	50	24.00	14.00	16.00	26.00	8.00	12.00	100.00
2	सड़क पर स्थित गाँव	50	10.00	24.00	12.00	28.00	14.00	12.00	100.00
3	विकास केन्द्र के गाँव	50	6.00	28.00	12.00	24.00	12.00	18.00	100.00
	योग	150	13.33	22.00	13.33	26.00	11.33	14.00	100.00
1	राना थारू	40	5.00	35.00	20.00	25.00	10.00	5.00	100.00
2	कठरिया थारू	20	5.00	30.00	25.00	20.00	10.00	10.00	100.00
3	दंगुरिया थारू	90	18.89	14.44	7.78	27.78	12.22	18.89	100.00
	योग	150	13.33	22.00	13.33	26.00	11.33	14.00	100.00
4	गैर जनजाति	30	23.33	16.67	13.33	23.33	13.33	10.00	100.00
	महायोग	180	15.00	21.11	13.33	25.56	11.67	13.33	100.00

स्रोत : शोधकर्त्ता द्वारा अपने शोध अध्ययन "थारू जनजाति की सामाजिक आर्थिक परिवर्तनशीलता एवं संविकास" हेतु 2004–05 में किए गये सर्वेक्षण पर आधारित।

तालिका से स्पष्ट है कि विकास के साथ आवास की संरचना परिवर्तित हुई है और थारू परिवार खपरैल पक्के आवास का अधिक महत्व देने वाले हैं एवं लकड़ी की मात्रा धीरे–2 कम हो रही है।

गलियों की संरचना एवं प्रकाश व्यवस्था – चयनित परिवारों में 16.67 प्रतिशत आवासों की गलियां कच्ची, 62.77 प्रतिशत आवासों की खड़ंज्जा एवं 20.56 प्रतिशत गलियां पक्की थीं। 17.22 प्रतिशत गलियों में विद्युत व्यवस्था नहीं थी, वहीं 56.67 प्रतिशत गलियों में बिजली थी एवं जलती थी जबकि 26. 11 प्रतिशत गलियों में बिजली होते हुए भी नहीं जलती थी। खड़ंज्जा एवं पक्की गलियां तथा विद्युतीकृत गलियों की मात्रा सड़क से दूर स्थित गांव से विकास केन्द्रों की तरफ अधिक मिलती है।

तालिका 5.44 : चयनित परिवारों के आवास गलियों की संरचना एवं प्रकाश व्यवस्था

(प्रतिशत में)

क्र. सं.	वर्ग	गलियों की संरचना			गलियों में विद्युत व्यवस्था		
		कच्ची	पक्की	खड़ंज्जा	नहीं	है और जलती है	है परन्तु जलती नहीं
1	सड़क से दूर स्थित गाँव	48.00	12.00	40.00	14.00	38.00	48.00
2	सड़क पर स्थित गाँव	4.00	24.00	72.00	20.00	62.00	18.00
3	विकास केन्द्र के गाँव	0.00	18.00	82.00	18.00	66.00	16.00
	योग	17.33	18.00	64.67	17.33	55.33	27.34
1	राना थारू	5.00	25.00	70.00	17.50	47.50	35.00
2	कठरिया थारू	5.00	25.00	70.00	20.00	70.00	10.00
3	दंगुरिया थारू	25.56	13.33	61.11	16.67	55.56	27.77
	योग	17.33	18.00	64.67	17.33	55.33	27.34
4	गैर जनजाति	13.33	33.33	53.34	16.67	63.33	20.00
	महायोग	16.67	20.56	62.77	17.22	56.67	26.11

स्रोत : शोधकर्त्ता द्वारा अपने शोध अध्ययन "थारू जनजाति की सामाजिक आर्थिक परिवर्तनशीलता एवं संविकास" हेतु 2004–05 में किए गये सर्वेक्षण पर आधारित।

5.4.5 मनोरंजन – मनोरंजन मनुष्य की प्रमुख आवश्यकता है तथा सामाजिक क्रियाओं का अंग भी। मनोरंजन स्वरूप पर बदलती सामाजिक, सांस्कृतिक तथा आर्थिक दशाओं का प्रभाव पड़ता है। इस संदर्भ में उत्तरदाताओं से मनोरंजन करने की विधि पर प्रश्न किया जिसके संदर्भ में तालिका 5.4.17 के अनुसार 6.67 उत्तरदाताओं ने कोई उत्तर नहीं दिया। 93.33 प्रतिशत उत्तरदाता ने मनोरंजन को महत्व दिया। कुल 17.22 प्रतिशत उत्तरदाता बातचीत से, 19.44 प्रतिशत उत्तरदाता परम्परागत नाच गाने से, 56.67 प्रतिशत उत्तरदाता सिनेमा आदि से मनोरंजन करते हैं। तालिका से स्पष्ट है कि परिवारों में जहां परम्परागत नाच गाना में रूचि कम हो रही है वहीं विकास कर्ता की तरफ बढ़ती सिनेमा प्रियता दृष्यगत है जो विकास के प्रभाव को स्पष्ट करता है।

तालिका 5.45 : उत्तरदाताओं के द्वारा प्रयुक्त मनोरंजन का साधन

(प्रतिशत में)

क्र. सं.	वर्ग	कुल संख्या	कोई नहीं	बात–चीत	परम्परागत नाच गाना	सिनेमा	योग
1	सड़क से दूर स्थित गाँव	50	12.00	14.00	36.00	38.00	100
2	सड़क पर स्थित गाँव	50	4.00	20.00	14.00	62.00	100
3	विकास केन्द्र के गाँव	50	0.00	18.00	16.00	66.00	100
	योग	150	5.33	17.33	22.00	55.33	100
1	राना थारू	40	5.00	17.50	30.00	47.50	100
2	कठरिया थारू	20	5.00	20.00	5.00	70.00	100
3	दंगुरिया थारू	90	5.56	16.67	22.22	55.56	100
	योग	150	5.33	17.33	22.00	55.33	100
4	गैर जनजाति	30	13.33	16.67	6.67	63.33	100
	महायोग	180	6.67	17.22	19.44	56.67	100

स्रोत : शोधकर्त्ता द्वारा अपने शोध अध्ययन "थारू जनजाति की सामाजिक आर्थिक परिवर्तनशीलता एवं संविकास" हेतु 2004–05 में किए गये सर्वेक्षण पर आधारित।

अतः अब थारू लोगों में परम्परागत नाच गानों की अपेक्षा सिनेमा आदि साधनों को मनोरंजन के साधन का प्रयोग करने में रूचि लेते हैं।

5.4.6 बोली एवं भाषा – पूर्वोल्लिखित है कि थारू जनजाति की मूल भाषा भारोपीय भाषा परिवार की 'थारूई' है, जो अवधी एवं भोजपुरी से साम्य रखती है परन्तु शिक्षा एवं सामाजिक आर्थिक सम्मिश्रण के प्रभाव थारू बोली पर पड़ा है[33] और अब थारू मिश्रित देशज शब्दों का अधिक प्रयोग करने लगे हैं। थारू अपनी थारूई से धीरे–2 हटते जा रहे हैं। और अंग्रेजी मिश्रित देशज हिन्दी के प्रयोग पर ज्यादा बल दे रहे हैं।[34]

अतः स्पष्ट है कि सामाजिक आर्थिक परिवर्तनशील परिस्थितियों उपभोग प्रतिरूप सतत सुदृढ़ हो रहा है जिसमें विकास केन्द्र के गाँव एवं राना थारू गैर जनजातीय समाज से ज्यादा व्यवस्थित है जो कठरिया थारू एवं सड़क के गाँव एवं सड़क से दूर गाँव एवं दंगुरिया थारू में क्रमशः सुदृढ़ता की ओर अग्रसर है।

5.5 परिवार, समाज एवं संस्कृति

परिवार वह शिशु ग्रह है जिसमें नये प्रजातंत्र का जन्म होता है। यह ऐसा समूह है जिसमें भावनात्मक संबंध पाया जाता है। यह एक विश्वव्यापी संस्था है। परिवार में मूलरूप से एक दम्पत्ति एवं उनके संतान रहते हैं। जॉन कानक्लिन (1984) के अनुसार *"A Family is a socially defined as set of relationship between at least two people who are situated by birth message or adoptation."*[35] मैकाइवर एवं पेज (1985) के अनुसार – *"The Family is a group defined by a sex relationship sufficiently precise and enduring to provide for the procreation and upbringing of children."*[36] परिवार का एक रूप वह है जिसमें हम जन्म पाते हैं तो दूसरा वह जिसमें हम जन्म देते हैं। अतः परिवार समाज का सबसे महत्वपूर्ण अंग है जिसमें निश्चित यौन सम्बन्धों के साथ बच्चों का जनन, लालन–पालन होता है एवं भावनात्मक संबंध पाया जाता है। लैटिन शब्द Familus से बना Family में शब्द परिवार के लिए प्रयुक्त होता ह[37], जिसमें बच्चे, माता–पिता, एवं दास शामिल हैं। अतः परिवार में सार्वभौमिकता, भावनात्मक संबंध, रचनात्मक प्रभाव, उत्तरदायित्व, एवं नियंत्रण पाया जाता है। भारतीय जनगणना 2001 एकल परिवारों में उन सदस्यों को शामिल करता है जिनका भोजन स्थाई रूप से एक चूल्हे पर बनता हो तथा भावनात्मक संबंध हो। परिवारों के योग से, समाज निर्मित होता है। समाज, संबंधों का जाल है, जिसमें रीतियां, कार्य प्रणाली, निश्चित गुण, प्रजनन, अधिकार संबंध पारस्परिक स्वायत्तता, समूह, व्यवहारों में नियंत्रण एवं स्वतंत्रता पायी जाती है। समाज सतत परिवर्तनशील होता है। जनजातीय समाज में सामान्य भूभाग, सामान्य प्रभाव, विस्तृत आकार, एक नाम, सामान्य संस्कृति, आत्मनिर्भरता, राजनीतिक संगठन, सामान्य निषेध एवं प्राकृतिक विलगता पायी जाती है। समाज एक जीवित प्राणी की तरह है जो वातावरण से प्रभावित हो सतत परिवर्तन होता एक चक्र में व्यवस्थित होता है। परिवार का स्वरूप विकास के साथ परिवर्तित होता है।

5.5.1 परिवार स्वरूप एवं पदाधिकार – प्राचीनकाल से ही थारू संयुक्त परिवार के अनुपालक रहे हैं।[38] जिसमें मुखिया के अधीन तीन चार पीढ़ियों तक के लोग एक साथ रहा करते थे। एक चूल्हे पर 150–200 तक लोगों का खाना बनता था। वर्तमान सर्वेक्षण में भी 40–45 व्यक्तियों का परिवार देखने में आया है। परन्तु संयुक्त परिवार प्रणाली अब धीरे–2 खत्म हो रही है। बढ़ती आवश्यकताएं, बिखरते परिवार, एवं आपसी कलह, इसके मुख्य कारण हैं। परिवार नियोजन साधन के बढ़ते प्रयोग, तथा जागरूकता के कारण, कम बच्चे पैदा करने की प्रवृत्ति से भी संयुक्त परिवारों का आकार छोटा होता जा रहा है।

चयनित परिवारों का सदस्य संख्यानुसार विवरण – परिवारों का आकार किसी समाज की सामाजिक–आर्थिक स्थिति का महत्वपूर्ण संकेतक है। जिसके आधार पर परिवार के स्वरूप एवं स्थिति का अनुमान लगाया जा सकता है। कुल सर्वेक्षण परिवारों में (तालिका 5.46) 41.11 प्रतिशत परिवारों में

1–5 सदस्य 30.56 प्रतिशत में 6–10 सदस्य, 11.11 प्रतिशत परिवारों में 11–15, सदस्य 4.44 प्रतिशत परिवार में 16–20 सदस्य, 5 प्रतिशत परिवार में 21–25 सदस्य, 5.00 प्रतिशत परिवारों में 26–30 सदस्य, एवं 2.78 प्रतिशत परिवारों में 30 से अधिक सदस्य थे। परिवार का औसत आकार 12.02 व्यक्तियों का ही सड़क से दूर गाँवों में औसतन प्रति परिवार 11.62 व्यक्ति, सड़क पर के गाँवों में 13.76 व्यक्ति, विकास केन्द्रों के गांवों में 13.10 व्यक्ति राना थारू 13.25 व्यक्ति कठरिया थारू में 11.40 व्यक्ति, दंगुरिया थारू में 12.96 व्यक्ति एवं गैर जनजातीय परिवारों का औसत आकार 8.00 व्यक्तियों का था।

तालिका 5.46 : चयनित परिवारों में सदस्य संख्या अनुसार विवरण

(प्रतिशत में)

क्रम सं.	वर्ग	कुल परिवार	1–5	6–10	11–15	16–20	21–25	26–30	30 से अधिक	योग	औसत
1	सड़क से दूर स्थित गाँव	50	40.00	30.00	10.00	6.00	4.00	8.00	2.00	100.00	11.62
2	सड़क पर स्थित गाँव	50	34.00	34.00	12.00	4.00	6.00	6.00	4.00	100.00	13.76
3	विकास केन्द्र के गाँव	50	34.00	32.00	14.00	6.00	6.00	4.00	4.00	100.00	13.10
	योग	150	36.00	32.00	12.00	5.33	5.33	6.00	3.33	100.00	12.83
1	राना थारू	40	30.00	20.00	20.00	12.50	7.50	5.00	5.00	100.00	13.25
2	कठरिया थारू	20	40.00	25.00	15.00	0.00	15.00	0.00	5.00	100.00	11.40
3	दंगुरिया थारू	90	37.78	38.89	7.78	2.22	3.33	7.78	2.22	100.00	12.96
	योग	150	36.00	32.00	12.00	4.67	6.00	6.00	3.33	100.00	12.83
4	गैर जनजाति	30	66.67	23.33	6.67	3.33	0.00	0.00	0.00	100.00	8.00
	महायोग	180	41.11	30.56	11.11	4.44	5.00	5.00	2.78	100.00	12.02

स्रोत : शोधकर्त्ता द्वारा अपने शोध अध्ययन "थारू जनजाति की सामाजिक आर्थिक परिवर्तनशीलता एवं संविकास" हेतु 2004–05 में किए गये सर्वेक्षण पर आधारित।

तालिका से स्पष्ट होता है कि थारू परिवारों में सदस्यों की संख्या गैर थारू की अपेक्षा अधिक है। अर्थात् थारू परिवारों का आकार बड़ा होता है। सड़क से दूर गाँवों की अपेक्षा विकास केन्द्र के गाँवों सड़क पर के परिवारों का आकार बड़ा है जिसका कारण संयुक्त परिवार का होना है। वही राना थारू परिवारों में अधिक सदस्य का होना संयुक्त परिवार का द्योतक है। कुछ परिवारों में 45–50 सदस्य तक होने की पुष्टि हुई है वही परिवारों में तीव्र गति से विभाजन एवं छोटे होने की पुष्टि होती है।

परिवार का स्वरूप एवं सामंजस्य व्यवस्था – चूंकि संयुक्त परिवार में एक से अधिक दम्पत्ति होने के आधार को स्वीकारा गया है। अतः यदि एक विवाहित संतान अपने माता–पिता के साथ रहता है तो वह भी संयुक्त परिवार में गिना गया है। संयुक्त परिवारों का प्रतिशत यह स्पष्ट नहीं करता कि परिवार अविभाजित है। अधिसंख्य परिवारों में यह तथ्य सामने आता है कि विवाह के पश्चात बच्चे बंटवारा करके अलग होना पसन्द करते हैं। जिसका मुख्य कारण असुविधा एवं गरीबी है। उपरोक्त

तालिका से स्पष्ट है कि सड़क से दूर के गाँवों में एकल परिवारों का प्रतिशत अधिक है। (तालिका संख्या 5.47 के अनुसार सर्वेक्षित परिवारों में 41.11 प्रतिशत परिवार एकल एवं 58.89 प्रतिशत संयुक्त थे जिसमें थारू समाज में 34 प्रतिशत एकल तथा 66 प्रतिशत संयुक्त थे। वहीं गैर थारू में 76.67 प्रतिशत एकल तथा 23.33 प्रतिशत संयुक्त थे। जहां राना एवं कठरिया थारू में संयुक्त परिवारों का प्रतिशत अधिक है। वही विकास केन्द्र तथा सड़क पर के गाँवों में भी संयुक्त परिवारों की अधिकता है। इसका अर्थ यह नहीं कि वहां एकल परिवार कम है। चूंकि नौकरी करने वाले अधिकांश लोग बाहर रहते हैं, बचे लोगों में एक माता–पिता उसके बाकी बच्चों का परिवार रहता है तथा एक चूल्हे पर दो परिवारों का भोजन बनता है अतः उन्हें संयुक्त परिवार में शामिल किया गया है। अर्थात् वर्तमान में थारू समाज में संयुक्त परिवारों का प्रतिशत सतत घट रहा है दूरस्थ इलाकों में तीव्र परिवर्तन में तथा गरीबी के कारण यह प्रवृत्ति और भी अधिक पायी जाती है।

तालिका 5.47 : चयनित परिवारों का स्वरूप एवं सामंजस्य व्यवस्था

(प्रतिशत में)

क्र. सं.	वर्ग	कुल परिवार	परिवार स्वरूप		परिवार में सबसे ज्यादा बात मानी जाती है				योग
			एकल	संयुक्त	पिता	माता	बड़े भाई	बड़ी बहन	
1	सड़क से दूर स्थित गाँव	50	42.00	58.00	64.00	30.00	4.00	2.00	100.00
2	सड़क पर स्थित गाँव	50	20.00	80.00	68.00	20.00	6.00	6.00	100.00
3	विकास केन्द्र के गाँव	50	40.00	60.00	60.00	22.00	6.00	12.00	100.00
	योग	150	34.00	66.00	64.00	24.00	5.33	6.67	100.00
1	राना थारू	40	22.50	77.50	55.00	35.00	2.50	7.50	100.00
2	कठरिया थारू	20	45.00	55.00	50.00	30.00	10.00	10.00	100.00
3	दंगुरिया थारू	90	36.67	63.33	71.11	17.78	5.56	5.56	100.00
	योग	150	34.00	66.00	64.00	24.00	5.33	6.67	100.00
4	गैर जनजाति	30	76.67	23.33	83.33	13.33	3.33	0.00	100.00
	महायोग	180	41.11	58.89	67.22	22.22	5.00	5.56	100.00

स्रोत : शोधकर्त्ता द्वारा अपने शोध अध्ययन "थारू जनजाति की सामाजिक आर्थिक परिवर्तनशीलता एवं संविकास" हेतु 2004–05 में किए गये सर्वेक्षण पर आधारित।

तालिका का दूसरा पक्ष स्पष्ट करता है कि 67.22 प्रतिशत परिवारों में, पिता की बात को सर्वोच्च महत्ता मिलती है। उत्तरदाताओं में 22.22 के अनुसार परिवार में माता की बात सर्वाधिक मानी जाती है। 5.00 प्रतिशत में बड़े भाई ने तथा 5.56 प्रतिशत में बड़ी बहन की बात सर्वाधिक मानी जाती है। अर्थात् थारू समाज में पितृसत्तात्मक परिवार प्रथा विद्यमान है और समाज में पुरूष प्रधानता के संकेत मिलते हैं और महिलाओं की पारिवारिक प्रभुत्व कम हुआ है।

थारू परिवारों में परिवार के मुखिया का महत्वपूर्ण स्थान होता है।[39] बड़े परिवारों में यह पद अति महत्वपूर्ण हो जाता है। परिवार के मुखिया का चुनाव घर के सबसे बड़े सदस्य, बड़े भाई के रूप में होता है। मुखिया की पत्नी घर की मालकिन होती है। यदि बड़ा भाई या सदस्य असक्षम हो तो अगले सदस्य को मुखिया चुना जाता है। तथा परिवार के प्रत्येक सदस्य को मुखिया की बात माननी

होती है। पिछले 30 वर्षों में परिवार मुखिया की परिवार में मान्यता के संदर्भ में तालिका संख्या 5.48 के अनुसार 47.22 प्रतिशत उत्तरदाताओं का मानना है कि पिछले 30 वर्षों में परिवार मुखिया की मान्यता घटी है। वहीं 12.78 प्रतिशत उत्तरदाता परिवार मुखिया की मान्यता के परिवर्तन को नहीं स्वीकारते वहीं 40 प्रतिशत उत्तरदाताओं के अनुसार मान्यता बढ़ी है। अतः परिवार मुखिया की मान्यता का कम होना सांस्कृतिक मूल्यों के गिरावट का प्रतीक है जो असंधृत विकास का सूचक है।

तालिका 5.48 : तीस वर्षों में परिवारों के मुखिया की मान्यता में परिवर्तन

(प्रतिशत में)

क्रम सं.	वर्ग	कुल परिवार	30 वर्ष पूर्व स्थिति		परिवर्तन			योग
			अच्छी	खराब	बढ़ा	घंटा	पूर्ववत	
1	सड़क से दूर स्थित गाँव	50	84.00	16.00	40.00	46.00	14.00	100.00
2	सड़क पर स्थित गाँव	50	92.00	8.00	40.00	52.00	8.00	100.00
3	विकास केन्द्र के गाँव	50	78.00	22.00	36.00	56.00	8.00	100.00
	योग	150	84.67	15.33	38.67	51.33	10.00	100.00
1	राना थारू	40	95.00	5.00	32.50	60.00	7.50	100.00
2	कठरिया थारू	20	85.00	15.00	30.00	60.00	10.00	100.00
3	दंगुरिया थारू	90	80.00	20.00	43.33	45.56	11.11	100.00
	योग	150	84.67	15.33	38.67	51.33	10.00	100.00
4	गैर जनजाति	30	56.67	43.33	46.67	26.67	26.67	100.00
	महायोग	180	80.00	20.00	40.00	47.22	12.78	100.00

स्रोत : शोधकर्त्ता द्वारा अपने शोध अध्ययन "थारू जनजाति की सामाजिक आर्थिक परिवर्तनशीलता एवं संविकास" हेतु 2004–05 में किए गये सर्वेक्षण पर आधारित।

परिवारों के संयुक्त स्वरूप होने के लिए आवश्यक है कि सभी विवाहित/अविवाहित सदस्य एक साथ रहें एवं एक चूल्हे पर भोजन बनें एवं भावनात्मक मतैक्यता हो। यदि कोई सदस्य परिस्थितिवश (मजबूरी में) अलग रहता है तो वहां भावनात्मक मतैक्यता होते हुए भी विलगता है जो विकास का अवरोधक नहीं माना जा सकता परन्तु मत भिन्नता या अलगाव के कारण परिवार के सदस्य गाँव में ही अलग रहते हैं तो यह पारिवारिक विघटन का स्वरूप है जो समाज में विघटन को जन्म देता है। इस संदर्भ में चयनित उत्तरदाताओं से सभी विवाहित संतानों के परिवार के साथ में होने के संदर्भ में तालिका 5.49 के अनुसार 60 प्रतिशत परिवारों में कोई न कोई विवाहित पुत्र साथ में नहीं रह रहा है जिसके कारण में 34.26 प्रतिशत परिवारों में बाहर नौकरी करना मुख्य कारण ही है। 54.63 प्रतिशत आपसी बंटवारा न रहने वालों के तथा 11.11 प्रतिशत परिवारों के अन्य कारण बताया गया बंटवारा का मुख्य कारण के रूप में गैर जनजातीय लोगों एवं सड़क से दूर स्थित गाँवों में अधिक स्वीकारा गया है जो स्पष्ट करता है कि आर्थिक कमजोरी से स्वच्छन्दप्रियता के कारण परिवार विकास के साथ बिखरते जा रहे हैं।[40] जो संधृत एवं समग्र विकास का सूचक नहीं है।

तालिका 5.49 : चयनित परिवारों में विभाजन की स्थिति

(प्रतिशत में)

क्र. सं.	वर्ग	कुल परिवार	परिवार में विवाहित बच्चे साथ हैं		नहीं तो कारण		
			हां	नहीं	बाहर नौकरी करना	आपसी बंटवारा	अन्य
1	सड़क से दूर स्थित गाँव	50	44.00	56.00	14.29	64.29	21.43
2	सड़क पर स्थित गाँव	50	48.00	52.00	46.15	50.00	3.85
3	विकास केन्द्र के गाँव	50	42.00	58.00	51.72	34.48	13.79
	योग	150	44.67	55.33	37.35	49.40	13.25
1	राना थारू	40	30.00	70.00	42.86	42.86	14.29
2	कठरिया थारू	20	35.00	65.00	53.85	38.46	7.69
3	दंगुरिया थारू	90	53.33	46.67	28.57	57.14	14.29
	योग	150	44.67	55.33	37.35	49.40	13.25
4	गैर जनजाति	30	16.67	83.33	24.00	72.00	4.00
	महायोग	180	40.00	60.00	34.26	54.63	11.11

स्रोत : शोधकर्त्ता द्वारा अपने शोध अध्ययन "थारू जनजाति की सामाजिक आर्थिक परिवर्तनशीलता एवं संविकास" हेतु 2004–05 में किए गये सर्वेक्षण पर आधारित।

6.5.2. विवाह एवं नातेदारी

विवाह स्वरूप एवं विवाह पद्धति में परिवर्तन – किसी समाज में सामाजिक परिस्थितियों में परिवर्तन का महत्वपूर्ण पक्ष परम्परा, रीति–रिवाज तथा मान्यताओं में परिवर्तन होना है। चूंकि विवाह समाज का महत्वपूर्ण पक्ष है अतः विवाह स्वरूप तथा पद्धति पर परिवर्तन के प्रभाव का आंकलन आवश्यक है। चयनित परिवारों में विवाह स्वरूप एवं पद्धति पर परिवर्तनशील दशाओं का स्पष्ट प्रभाव दृष्टिगत होता है। जो विवाह की आयु, विवाह पद्धति, विवाह में भोजन स्वरूप एवं व्यवस्था पर मुख्य रूप से दृष्टिगत होता है।

तालिका 5.50 के अनुसार सर्वेक्षित परिवार में बच्चों के विवाह की आयु के संदर्भ में 15.56 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने 14 वर्ष तक की आयु तक लड़कों की एवं 18.33 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने 14 वर्ष की आयु में लड़कियों की शादी को उचित माना। वहीं 15–21 वर्ष तक की आयु के बीच लड़कों की शादी को 48.89 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने एवं लड़कियों की शादी को 58.89 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने उचित स्वीकारा है। 35.56 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने लड़कों की शादी के संदर्भ में तथा 22.78 उत्तरदाताओं ने लड़कियों की शादी हेतु 21 वर्ष से अधिक आयु में विवाह करने पर सहमति जताई है।

तालिका 5.50 : उत्तरदाताओं का विवाह आयु सम्बन्धी मंतव्य

(प्रतिशत में)

क्र. सं.	वर्ग	कुल परिवार	14 वर्ष से कम आयु में		15–21 वर्ष की आयु में		21 से अधिक आयु में	
			लड़का	लड़की	लड़का	लड़की	लड़का	लड़की
1	सड़क से दूर स्थित गाँव	50	36.00	36.00	52.00	60.00	12.00	4.00
2	सड़क पर स्थित गाँव	50	10.00	14.00	58.00	68.00	32.00	18.00
3	विकास केन्द्र के गाँव	50	10.00	12.00	42.00	48.00	48.00	40.00
	योग	150	18.67	20.67	50.67	58.67	30.67	20.67
1	राना थारू	40	7.50	10.00	52.50	67.50	40.00	22.50
2	कठरिया थारू	20	10.00	10.00	35.00	45.00	55.00	45.00
3	दंगुरिया थारू	90	25.56	27.78	53.33	57.78	21.11	14.44
	योग	150	18.67	20.67	50.67	58.67	30.67	20.67
4	गैर जनजाति	30	10.00	6.67	40.00	60.00	50.00	33.33
	महायोग	180	15.56	18.33	48.89	58.89	35.56	22.78

स्रोत : शोधकर्त्ता द्वारा अपने शोध अध्ययन "थारू जनजाति की सामाजिक आर्थिक परिवर्तनशीलता एवं संविकास" हेतु 2004–05 में किए गये सर्वेक्षण पर आधारित।

तालिका से स्पष्ट होता है कि विकास के साथ–साथ समाज में अधिक आयु से विवाह की प्रवृत्ति आती है इसी वजह से विकास केन्द्रों पर 48 प्रतिशत उत्तरदाता लड़कों के विवाह हेतु 21 वर्ष या अधिक आयु को उचित मानते हैं। वही 40 प्रतिशत उत्तरदाता लड़कियों की शादी को 21 वर्ष से अधिक आयु में करना उचित मानते हैं। अतः अधिक आयु में विवाह करने की प्रवृति बढ़ी है जो वर्तमान परिप्रेक्ष्य में सकारात्मक विकास का द्योतक हैं।[41]

विवाह पद्धति में तीस वर्षो में परिवर्तन के संदर्भ में तालिका संख्या 6.51 के अनुसार 29.44 प्रतिशत उत्तरदाताओं का मत था कि कोई विशेष परिवर्तन नहीं हुआ है वहीं 70.56 प्रतिशत उत्तरदाता मानते हैं कि विवाह पद्धतियों में काफी अधिक परिवर्तन हुआ है। कुल उत्तरदाताओं के 38.89 प्रतिशत उत्तरदाताओं के अनुसार विवाह में हिन्दू परम्पराओं को अनुपालित किया जा रहा है। 17.78 प्रतिशत के अनुसार पूजा पद्धति परिवर्तित हुई है, 28.89 प्रतिशत के अनुसार दिखावा एवं आधुनिक मनोरंजन साधनों की मात्रा बढ़ी है, वहीं 14.44 प्रतिशत के अनुसार भोजन एवं खान–पान मनोरंजन स्वरूप में परिवर्तन हुआ है।

तालिका 5.51 : चयनित परिवार में विवाह पद्धति एवं स्वरूप में परिवर्तन

(प्रतिशत में)

क्र. सं.	वर्ग	कुल परिवार	विवाह पद्धति में परिवर्तन		परिवर्तन का स्वरूप			
			नहीं	हां	हिन्दू पद्धति का अनुपालन	विवाह पूजा पद्धित में परिवर्तन	मनोरंजन तथा दिखावा का बढ़ना	भोजन एवं खान पान में परिवर्तन
1	सड़क से दूर स्थित गाँव	50	44.00	56.00	54.00	20.00	14.00	12.00
2	सड़क पर स्थित गाँव	50	24.00	76.00	36.00	20.00	24.00	20.00
3	विकास केन्द्र के गाँव	50	14.00	86.00	22.00	24.00	34.00	20.00
	योग	150	27.33	72.67	37.34	21.33	24.00	17.33
1	राना थारू	40	12.50	87.50	25.00	20.00	35.00	20.00
2	कठरिया थारू	20	20.00	80.00	25.00	15.00	40.00	20.00
3	दंगुरिया थारू	90	35.56	64.44	45.55	23.33	15.56	15.56
	योग	150	27.33	72.67	37.34	21.33	24.00	17.33
4	गैर जनजाति	30	40.00	60.00	46.67	0.00	53.33	0.00
	महायोग	180	29.44	70.56	38.89	17.78	28.89	14.44

स्रोत : शोधकर्त्ता द्वारा अपने शोध अध्ययन "थारू जनजाति की सामाजिक आर्थिक परिवर्तनशीलता एवं संविकास" हेतु 2004–05 में किए गये सर्वेक्षण पर आधारित।

तालिका से स्पष्ट होता है कि विवाह पद्धति में परिवर्तन का प्रभाव पड़ा है और थारू समाज विकसित समाज की विवाह पद्धतियों को अपनाने लगे हैं। जो एक तरफ अपने समाज के मौलिक स्वरूप में ह्रास का द्योतक है। वहीं दूसरी तरफ परिपक्वता का प्रतीक भी है। अतः आवश्यक है कि समाज की मूल व्यवस्थाओं को विकास के प्रतिमानों के साथ संयुक्त करते हुए परिवर्तन में शामिल किया जाए।

बाह्य विवाह – किसी समाज में सामाजिक आर्थिक परिवर्तन के साथ बाह्य विवाह की प्रवृत्ति बढ़ती है। इस प्रवृत्ति के आंकलन के लिए उत्तरदाताओं से प्रश्न किया गया कि आप अपने बच्चों की शादी थारू/गैर थारू वर्ग में कर सकते हैं ? साथ ही पूछा गया कि क्या पड़ोस में किसी ने अन्य वर्ग में विवाह किया है ?

तालिका 5.52 के अनुसार बाह्य विवाह के संदर्भ में कुल उत्तरदाताओं में 20.56 प्रतिशत ने गैर थारू में विवाह को स्वीकारा है वहीं 79.44 के अनुसार वे दूसरे वर्ग में शादी नहीं कर सकते। विकास केन्द्र के गाँवों में 22.00 प्रतिशत लोगों ने स्वीकारा कि दूसरे थारू वर्ग में विवाह संभव है वहीं 78.00 प्रतिशत के अनुसार नहीं कर सकते, वहीं सड़क से दूर के गाँवों में मात्र 14.00 प्रतिशत लोगों ने दूसरे थारू वर्ग में या गैर थारू में विवाह को स्वीकारा वहीं 86.00 प्रतिशत के अनुसार बाहरी वर्गों में शादी नहीं कर सकते। जिसमें 38.89 प्रतिशत लोगों ने परम्परा के खिलाफ होने के कारण, 32.78 प्रतिशत लोगों ने सामाजिक अन्तर विरोध के कारण एवं 28.33 प्रतिशत लोगों ने संकीर्णता, अन्य व्यक्तियों द्वारा पसंद न किया जाना, गरीबी जैसे कारण बताये।

स्पष्ट है कि विकास के साथ जातिगत रूढ़ता कम हुई है और विवाह स्वरूप में परिवर्तन हुआ है। पास पड़ोंस में बाह्य विवाह होने के संदर्भ में 16.67 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने बाह्य विवाह होने की पुष्टि की वही 83.33 प्रतिशत ने वाह्य विवाह के न होने की पुष्टि की।

तालिका 5.52 : चयनित परिवारों में वाह्य विवाह का स्वरूप

(प्रतिशत में)

क्र. सं.	वर्ग	कुल परिवार	बच्चों की शादी (यथा गैर थारू या अन्य थारू) वर्ग में कर सकते है		नहीं तो क्यों?			क्या पड़ोस में बाह्य विवाह हुआ है	
			हां	नहीं	परम्परा के खिलाफ है	सामाजिक अन्तर विरोध	अन्य	हां	नहीं
1	सड़क से दूर स्थित गाँव	50	14.00	86.00	34.00	44.00	22.00	24.00	76.00
2	सड़क पर स्थित गाँव	50	20.00	80.00	36.00	40.00	24.00	14.00	86.00
3	विकास केन्द्र के गाँव	50	22.00	78.00	44.00	22.00	34.00	18.00	82.00
	योग	150	18.67	81.33	38.00	35.33	26.67	18.67	81.33
1	राना थारू	40	12.50	87.50	32.50	50.00	17.50	15.00	85.00
2	कठरिया थारू	20	20.00	80.00	40.00	40.00	20.00	20.00	80.00
3	दंगुरिया थारू	90	21.11	78.89	40.00	27.78	32.22	20.00	80.00
	योग	150	18.67	81.33	38.00	35.33	26.67	18.67	81.33
4	गैर जनजाति	30	30.00	70.00	43.33	20.00	36.67	6.67	93.33
	महायोग	180	20.56	79.44	38.89	32.78	28.33	16.67	83.33

स्रोत : शोधकर्त्ता द्वारा अपने शोध अध्ययन "थारू जनजाति की सामाजिक आर्थिक परिवर्तनशीलता एवं संविकास" हेतु 2004–05 में किए गये सर्वेक्षण पर आधारित।

बहु विवाह एवं विवाहपूर्ण यौन संबंधों की स्थिति – जनजातीय समाज में बहुविवाह की प्रवृत्ति देखने को मिलती है।[42] जिस पर सामाजिक आर्थिक परिस्थितियों के परिवर्तन का प्रभाव पड़ता है। अतः उत्तरदाताओं से प्रश्न किया गया कि क्या परिवार में किसी सदस्य ने एक से अधिक विवाह किया है। यदि हाँ तो एक साथी के रहते हुए भी किया है। इस संदर्भ में परिवार में एक से अधिक विवाह करने वाले सदस्यों के बारे में जानकारी एकत्र किया गया।

तालिका 5.53 के अनुसार कुल उत्तरदाताओं में 21.67 प्रतिशत परिवारों में किसी सदस्य ने दूरसी शादी की थी जिसमें 86.67 प्रतिशत पुरूष एवं 13.33 प्रतिशत महिलाएं थी। पहले साथी के रहते हुए दूसरी शादी करने वालों में 2.08 प्रतिशत महिलाएं एवं 19.00 प्रतिशत पुरूष थे। दूसरी शादी करने वालों का प्रतिशत विकास केन्द्रों पर एवं कठरिया थारू में अधिक मिलता है जो स्पष्ट करता है कि पुरूषों में बहुविवाह विवाह की प्रथा अधिक है, वही महिलाओं में ऐसा कम देखने को मिलता है तथा बहुविवाह की प्रवृत्ति बढ़ती दर से मिली है। विवाह पूर्व यौन संबंधों के संदर्भ 17.22 प्रतिशत लोगों का मानना है कि विवाह पूर्व संदर्भ पाया जाता है, वहीं 82.78 प्रतिशत लोगों ने नहीं स्वीकारा है। अर्थात थारू समाज में विवाह पूर्व यौन संबंधों को सामाजिक स्वीकृति नहीं है।

तालिका 5.53 : चयनित परिवार में विवाह बहुविवाह एवं विवाह पूर्व यौन संबंधों की स्थिति

(प्रतिशत में)

क्र. सं.	वर्ग	कुल परिवार	दूसरी शादी की है		यदि हां तो		पहले साथी के रहते		विवाह पूर्व यौन संबंध मिलता है	
			हां	नहीं	महिला	पुरुष	महिला	पुरुष	हां	नहीं
1	सड़क से दूर स्थित गाँव	50	8.00	92.00	10.00	90.00	6.00	24.00	18.00	82.00
2	सड़क पर स्थित गाँव	50	26.00	74.00	12.00	88.00	4.00	14.00	14.00	86.00
3	विकास केन्द्र के गाँव	50	34.00	66.00	18.00	82.00	0.00	18.00	24.00	76.00
	योग	150	22.67	77.33	13.33	86.67	3.33	18.67	18.67	81.33
1	राना थारू	40	20.00	80.00	12.50	87.50	0.00	15.00	20.00	80.00
2	कठरिया थारू	20	30.00	70.00	15.00	85.00	5.00	20.00	15.00	85.00
3	दंगुरिया थारू	90	22.22	77.78	13.33	86.67	4.44	20.00	20.00	80.00
	योग	150	22.67	77.33	13.33	86.67	3.33	18.67	18.67	81.33
4	गैर जनजाति	30	16.67	83.33	13.33	86.67	0.00	26.67	16.66	83.33
	महायोग	180	21.67	78.33	13.33	86.67	2.78	19.00	17.22	82.78

स्रोत : शोधकर्त्ता द्वारा अपने शोध अध्ययन "थारू जनजाति की सामाजिक आर्थिक परिवर्तनशीलता एवं संविकास" हेतु 2004–05 में किए गये सर्वेक्षण पर आधारित।

दहेज – दहेज थारू समाज में पूर्व में या तो अस्वीकृत था, या परम्परागत तौर पर सहयोग के रूप में लड़के के पक्ष से लड़की पक्ष को दिया जाता था। परन्तु सामाजिक आर्थिक विकास के साथ सामान्यतः दहेज की प्रवृत्ति बढ़ती मिलती है। इस पक्ष को आंकलित करने के लिए उत्तरदाताओं से पूछा गया कि विवाह में दहेज देते हैं या नहीं ? यदि हां तो लड़के की शादी में या लड़की की शादी में ? जिस संदर्भ में तालिका 5.54 के अनुसार 15.56 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने दहेज न देने की बात कही है। 84.

66 प्रतिशत ने दहेज देने को कमोबेश स्वीकारा। 48.89 प्रतिशत उत्तरदाताओं का मत था कि वे लड़की की शादी में दहेज देते हैं। वही 35.56 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने लड़के की शादी में दहेज देने की बात कही। सड़क से दूर के गाँव में लड़के की शादी में दहेज देने पर 52 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने स्वीकृति दी, वहीं विकास केन्द्र के गाँवों में 70 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने लड़की की शादी में, तथा 30 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने लड़के की शादी में दहेज देने की बात कही।

अतः विकास के साथ लड़कियों की शादी में दहेज देने की प्रवृत्ति बढ़ी है जो आर्थिक दृष्टि से जहां सबलता का द्योतक है, वही सामाजिक दृष्टि से असंधृत विकास का प्रतीक है।

तालिका 5.54 : चयनित परिवारों में दहेज की स्थिति एवं स्वरूप

(प्रतिशत में)

क्र. सं.	वर्ग	कुल परिवार	दहेज देते हैं		हां तो		दहेज का मुख्य सामान				
			नहीं	हां	लड़के की शादी में	लड़की की शादी में	रुपया	घर की सामग्री	अनाज	पशु	अन्य
1	सड़क से दूर स्थित गाँव	50	24.00	76.00	52.00	48.00	14.00	56.00	14.00	12.00	4.00
2	सड़क पर स्थित गाँव	50	12.00	88.00	38.00	62.00	34.00	46.00	6.00	2.00	12.00
3	विकास केन्द्र के गाँव	50	16.00	84.00	30.00	70.00	56.00	30.00	0.00	2.00	12.00
	योग	150	17.33	82.67	40.00	60.00	34.67	44.00	6.67	5.33	9.33
1	राना थारू	40	17.50	82.50	20.00	80.00	37.50	50.00	2.50	0.00	10.00
2	कठरिया थारू	20	20.00	80.00	25.00	75.00	60.00	30.00	0.00	0.00	10.00
3	दंगुरिया थारू	90	16.67	83.33	52.22	47.78	27.78	44.44	10.00	8.89	8.89
	योग	150	17.33	82.67	40.00	60.00	34.67	44.00	6.67	5.33	9.33
4	गैर जनजाति	30	6.67	93.33	13.33	86.67	70.00	23.33	3.33	3.33	0.00
	महायोग	180	15.56	84.44	35.56	64.44	40.56	40.56	6.11	5.00	7.78

स्रोत : शोधकर्त्ता द्वारा अपने शोध अध्ययन ''थारू जनजाति की सामाजिक आर्थिक परिवर्तनशीलता एवं संविकास'' हेतु 2004–05 में किए गये सर्वेक्षण पर आधारित।
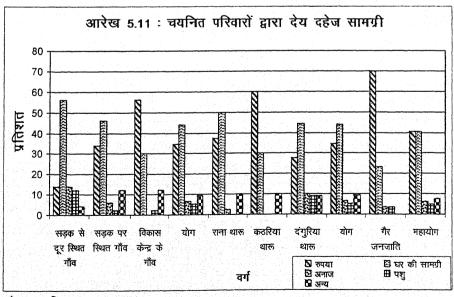
स्रोत : तालिका 5.54

दहेज में देय सामग्री के संदर्भ में (तालिका 5.54) 40.56 उत्तरदाताओं के अनुसार दहेज में मुख्य रूप से रूपया दिया जाने लगा है। वहीं 40.56 प्रतिशत उत्तरदाताओं के अनुसार ने घर की सामग्री को प्रमुखता दी। 6.11 प्रतिशत ने दहेज में अनाज को दहेज का मुख्य अंग बताया है। 5.00 प्रतिशत ने पशुओं को दहेज में देने की बात स्वीकारी। सड़क से दूर के गाँवों में मात्र 14 प्रतिशत लोगों ने रूपये को दहेज का मुख्य अंग माना वहीं 56 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने घर के सामान को प्रमुखता दी जबकि सड़क पर एवं विकास केन्द्र के गाँवों में रूपये को दहेज का मुख्य अंग बताया गया। गैर जनजातीय लोगों में 70 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने रूपये को प्रमुख अंश बताया। अतः स्पष्ट है कि परिवर्तन के साथ दहेज सामग्री स्वरूप में परिवर्तन हुआ है तथा रूपये को प्राथमिकता दी जाने लगी है।

दहेज के संदर्भ में परिवर्तन स्वरूप को आंकने के लिए उत्तरदाताओं से 30 वर्षों पूर्व दहेज की स्थिति के संदर्भ मे प्रश्न पूछा गया। तालिका संख्या 5.55 के अनुसार 23.33 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने दहेज न देने की बात बताई थी। 26.67 प्रतिशत उत्तरदाताओं के अनुसार अनिवार्य रूप से लड़की की शादी में दहेज देते थे। 28.33 प्रतिशत उत्तरदाताओं के अनुसार लड़के की शादी में दहेज देते थे वह भी लड़की पक्ष के कमजोर होने पर, रस्म अदायी में, जबकि 21.67 प्रतिशत उत्तरदाताओं का मत था कि अनिवार्य रूप से लड़के की शादी में दहेज देना पड़ता था। परिवर्तन एवं विकास के प्रभाव को देखे तो सड़क से दूर गाँवों में लड़के की शादी में कमोबेश दहेज देने की परम्परा मिलती है वहीं विकास केन्द्र के गाँवों में लड़की की शादी में दहेज की अधिकता बताया गैर जनजातीय लोगों में 70 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने लड़की की शादी में दहेज देने की बात बताई। पहले जहां अधिकांश लोग अनाज देते थे (55.55 प्रतिशत), अब घर की वस्तुऐं एवं रुपया देने लगे हैं।

अतः स्पष्ट है कि पूर्व में थारू समाज में लड़के की शादी में दहेज की अधिकता थी वहीं वर्तमान में यह पक्ष परिवर्तित हो गया है तथ लड़की की शादी में दहेज की प्रवृत्ति अधिक मिलती है।

तालिका 5.55 : चयनित परिवारों में तीस वर्ष पूर्व दहेज की स्थिति

(प्रतिशत में)

क्र. सं.	वर्ग	कुल परिवार	30 वर्ष पूर्व दहेज देते थे				सामग्री			
			नहीं	लड़की पक्ष को	लड़का पक्ष को	कमजोर होने पर लड़की पक्ष को	अनाज	घर की सामग्री	रुपया	पशु
1	सड़क से दूर स्थित गाँव	50	16.00	24.00	38.00	22.00	64.00	20.00	8.00	8.00
2	सड़क पर स्थित गाँव	50	30.00	20.00	30.00	20.00	62.00	22.00	10.00	6.00
3	विकास केन्द्र के गाँव	50	34.00	10.00	32.00	24.00	64.00	16.00	6.00	14.00
	योग	150	26.67	18.00	33.33	22.00	63.34	19.33	8.00	9.33
1	राना थारू	40	25.00	17.50	35.00	22.50	87.50	5.00	2.50	5.00
2	कठरिया थारू	20	40.00	10.00	35.00	15.00	60.00	30.00	0.00	10.00
3	दंगुरिया थारू	90	24.44	20.00	32.22	23.33	53.34	23.33	12.22	11.11
	योग	150	26.67	18.00	33.33	22.00	63.34	19.33	8.00	9.33
4	गैर जनजाति	30	6.67	70.00	3.33	20.00	16.67	0.00	60.00	23.33
	महायोग	180	23.33	26.67	28.33	21.67	55.55	16.11	16.67	11.67

स्रोत : शोधकर्त्ता द्वारा अपने शोध अध्ययन "थारू जनजाति की सामाजिक आर्थिक परिवर्तनशीलता एवं संविकास" हेतु 2004–05 में किए गये सर्वेक्षण पर आधारित।

नातेदारी – नातेदारी सामाजिक उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए स्वीकृत वंश सम्बन्ध है, जो रक्त एवं विवाह सम्बन्धों द्वारा पुष्ट होता है।[43] नातेदारी के प्राथमिक संबंधों में सीधा रक्त संबंध – यथा – पिता–पुत्र, पुत्र भ्राता, भाई–बहन, भाई–भाई, बहन–बहन, पति–पत्नी आदि संबंध आते हैं। वहीं द्वितीयक संबंधों के प्राथमिक संबंधियों के प्राथमिक संबंधी होते हैं। यथा चाचा–चाची, नाना–नानी, सास–श्वसुर, साला–बहनोई, साली–जीजा, भाभी देवर, आदि। वही नातेदारी के तृतीयक संबंधों में प्राथमिक संबंधियों के द्वितीयक संबंधी आते हैं। यह क्रम चलता रहता है। मरडाक ने 8, प्राथमिक, 33 द्वितीयक तथा 151 तृतीयक संबंधों की पहचान की है।[44]

नातेदारी में परिहास संबंध, वंशानुक्रम पदानुक्रमिक उत्तराधिकार आदि पाया जाता है। जहां वंशानुक्रम से एक व्यक्ति तथा उसके पूर्वजों के मध्य मान्य सामाजिक संबंधों की अभिव्यक्ति होती है जो पीढ़ी दर पीढ़ी ही उर्ध्वाधर रूप में जुड़ी होती है।[45] पीढ़ी दर पीढ़ी सम्पत्ति संचार करने के पदाधिकार से भी संबंधों की पहचान होती है। अतः नातेदारी एक रक्षा पंक्ति की तरह होती है।[46] यह एक ऐसी छड़ है जिस पर एक व्यक्ति जीवन भर निर्भर रहता है। यह प्रतिकूल परिस्थितियों में उसके व्यवहार को नियंत्रित करती है। तथा सामाजिक आर्थिक मानसिक संतोष तथा सुरक्षा प्रदान करती है।

नातेदारी में जीवंतता तथा संबंधों में प्रगाढ़ता आवश्यक है। परन्तु विकास के साथ स्वतंत्रता के कारण थारू समाज के लिए समाज में धीरे–2 नातेदारी में प्रगाढ़ता कम होती जा रही है। अब एक पुत्र अपने पिता की बात को पूर्णतः नहीं मानता।

किसी समाज के सामाजिक–आर्थिक परिवर्तनों का नातेदारी स्वरूप पर प्रभाव पड़ता है। इस संदर्भ में उत्तरदाताओं से प्रश्न किया गया कि पिछले तीस वर्षों में नातेदारी व्यवस्था में क्या परिवर्तन दृष्टिगत है। जिसके संदर्भ में तालिका 5.56 के अनुसार 53.89 प्रतिशत लोगों की मान्यता है कि नातेदारी के स्वरूप एवं व्यवहार में परिवर्तन दृष्यगत है वहीं 46.11 प्रतिशत लोग इसे पूर्ववत मानते हैं। परिवर्तन को इंगित करने वाले उत्तरदाताओं के 76.67 लोगों की मान्यता है कि पहले से नातेदारी प्रगाढ़ता में कमी आई है क्योंकि लोग अब ज्यादा व्यस्त रहने लगे हैं। 16.67 प्रतिशत लोगों की मान्यता है कि नातेदारी सम्बन्धों के स्वरूप भी परिवर्तित हुआ है वह 6.67 प्रतिशत के अनुसार नातेदारी का परम्परागत स्वरूप बदलना, आधुनिक व्यवस्था तथा स्वार्थप्रियता बढ़ने जैसे कारण बताए हैं।

तालिका 5.56 : चयनित परिवारों में नातेदारी स्वरूप में परिवर्तन संबंधी विचार

(प्रतिशत में)

क्र. सं.	वर्ग	कुल परिवार	नातेदारी में परिवर्तन हुआ		हां तो			योग
			हां	कुल	प्रगाढ़ता में कमी	सम्बन्धों का स्वरूप बदला है	अन्य	
1	सड़क से दूर स्थित गाँव	50	30.00	70.00	76.00	18.00	6.00	100.00
2	सड़क पर स्थित गाँव	50	44.00	56.00	72.00	20.00	8.00	100.00
3	विकास केन्द्र के गाँव	50	78.00	22.00	84.00	12.00	4.00	100.00
	योग	150	50.67	49.33	77.33	16.67	6.00	100.00
1	राना थारू	40	85.00	15.00	80.00	15.00	5.00	100.00
2	कठरिया थारू	20	85.00	15.00	70.00	25.00	5.00	100.00
3	दंगुरिया थारू	90	27.78	72.22	77.78	15.56	6.67	100.00
	योग	150	50.67	49.33	77.33	16.67	6.00	100.00
4	गैर जनजाति	30	70.00	30.00	73.33	16.67	10.00	100.00
	महायोग	180	53.89	46.11	76.67	16.67	6.67	100.00

स्रोत : शोधकर्त्ता द्वारा अपने शोध अध्ययन "थारू जनजाति की सामाजिक आर्थिक परिवर्तनशीलता एवं संविकास" हेतु 2004–05 में किए गये सर्वेक्षण पर आधारित।

5.5.3 जाति व्यवस्था – थारू समाज में अनेकों उपजातियां पाई जाती हैं। जिसमें 73 उपजातियों की पहचान की गई है।[47] इनमें राना थारू, दगुरिया थारू, कठरिया थारू, चितवनिया थारू आदि मुख्य हैं। परन्तु यह व्यवस्था उनके मध्य स्तरीकरण का प्रतीक है। एक दूसरे को अलग मानते हैं एवं अपनी ही उपजाति में शादी करते हैं। हालांकि बदलते परिवेश में अंतरजातीय शादियां होने लगी हैं तथा उच्च निम्न की खाई कम हुई है।

किसी समाज में सामाजिक–आर्थिक परिवर्तन का प्रभाव समाज की जाति व्यवस्था पर दृश्यगत होता है। इस तथ्य को समझने के लिए उत्तरदाताओं से पूछा गया कि जाति व्यवस्था में परिवर्तन हुआ है या नहीं हां तो कैसा परिवर्तन दृष्यगत है। जिस संदर्भ में तालिका 5.57 के अनुसार 70 प्रतिशत लोगों का मत था कि जाति बंधन में कमी आई है वहीं 30 प्रतिशत लोगों के अनुसार जाति व्यवस्था पूर्ववत है। कमी न आने के कारणों ने सरकारी सुविधा, अंतर्भेद, अशिक्षा आदि से वैमनस्य बढ़ना, तथा प्राकृतिक तत्वों ने अधिक विश्वास होना मुख्य है। हालांकि विकास केन्द्रों पर जाति बंधन काफी कम हुआ है परन्तु फिर भी दृष्यगत है।

तालिका 5.57 : उत्तरदाताओं के अनुसार जाति व्यवस्था में परिवर्तन

(प्रतिशत में)

क्र. सं.	वर्ग	कुल परिवार	जाति बंधन में कमी हुई		नहीं तो क्यों			योग
			नहीं	हां	जातिगत राजनीति	वैमनुष्य एवं ऊँच नीच की भावना	अन्य	
1	सड़क से दूर स्थित गाँव	50	12.00	88.00	4.00	82.00	14.00	100.00
2	सड़क पर स्थित गाँव	50	32.00	68.00	10.00	82.00	8.00	100.00
3	विकास केन्द्र के गाँव	50	40.00	60.00	14.00	80.00	6.00	100.00
	योग	150	28.00	72.00	9.33	81.33	9.33	100.00
1	राना थारू	40	17.50	82.50	7.50	87.50	5.00	100.00
2	कठरिया थारू	20	10.00	90.00	10.00	80.00	10.00	100.00
3	दंगुरिया थारू	90	36.67	63.33	10.00	78.89	11.11	100.00
	योग	150	28.00	72.00	9.33	81.33	9.33	100.00
4	गैर जनजाति	30	40.00	60.00	10.00	50.00	40.00	100.00
	महायोग	180	30.00	70.00	9.44	76.11	14.44	100.00

स्रोत : शोधकर्त्ता द्वारा अपने शोध अध्ययन "थारू जनजाति की सामाजिक आर्थिक परिवर्तनशीलता एवं संविकास" हेतु 2004–05 में किए गये सर्वेक्षण पर आधारित।

5.5.4 महिलाओं की स्थिति – थारू के प्रत्येक वर्ग में कमोबेश महिलाओं की स्थिति अच्छी रही है।[48] शिक्षा के प्रसार से महिला शिक्षा में क्रान्तिकारी परिवर्तन हुआ है परन्तु बदलते परिवेश में पुरूषों की सबलता बढ़ी है। परिवार में पुरूष स्वामित्व का स्वरूप बढ़ा है। बढ़ती दहेज प्रथा एवं परिवारों में महिलाओं की गिरती मान्यता महिलाओं के नकारात्मक स्थिति का संकेत देती है।

समाज में सामाजिक–आर्थिक परिवर्तन का महिलाओं की दशा पर प्रभाव पड़ता है इस तथ्य को आंकने के लिए उत्तरदाताओं से पूछा गया कि 30 वर्षों के महिलाओं की दशा में क्या परिवर्तन हुआ

है जिस संदर्भ में (तालिका 5.58 के अनुसार) 23.33 प्रतिशत उत्तरदाताओं का मानना है कि महिलाओं की स्थिति पूर्ववत है, 42.78 प्रतिशत उत्तरदाताओं के अनुसार महिलाओं की स्थिति अच्छी हुई है। वही 33.89 प्रतिशत उत्तरदाताओं के अनुसार पूर्व से खराब स्थिति हुई है। विकास के संदर्भ में देखें तो सड़क से दूर के गाँवों की अपेक्षा (46 प्रतिशत) विकास केन्द्र के गाँव के उत्तरदाताओं (54 प्रतिशत) के अनुसार महिलाओं की स्थिति अच्छी हुई है जो शिक्षा में तीव्र विकास के कारण हुआ है वहीं महिलाओं की स्थिति खराब होने के उत्तर का मुख्य कारण समाज में महिलाओं की पूर्व स्थापित प्रतिष्ठा कम का होना बताया है।

अतः विकास के साथ महिला शिक्षा में वृद्धि हुई है परन्तु दहेज आदि का प्रभाव धीरे-2 महिलाओं की स्थिति को कमजोर कर रहा है।

तालिका 5.58 : चयनित परिवारों में महिलाओं की मान्यता एवं शिक्षा की आवश्यकता

(प्रतिशत में)

क्र. सं.	वर्ग	कुल परिवार	महिलाओं की मान्यता			स्त्री शिक्षा की आवश्यकता				योग
			बढ़ी	घटी	पूर्ववत	नहीं	नौकरी करना	हां होशियार बनेगी	अन्य	
1	सड़क से दूर स्थित गाँव	50	16.00	46.00	38.00	18.00	28.00	30.00	24.00	100.00
2	सड़क पर स्थित गाँव	50	12.00	50.00	38.00	6.00	32.00	42.00	20.00	100.00
3	विकास केन्द्र के गाँव	50	18.00	54.00	28.00	0.00	32.00	58.00	10.00	100.00
	योग	150	15.33	50.00	34.67	8.00	30.67	43.33	18.00	100.00
1	राना थारू	40	20.00	55.00	25.00	5.00	40.00	50.00	5.00	100.00
2	कठरिया थारू	20	15.00	65.00	20.00	5.00	50.00	30.00	15.00	100.00
3	दंगुरिया थारू	90	13.33	44.44	42.22	10.00	22.22	43.33	24.44	100.00
	योग	150	15.33	50.00	34.67	8.00	30.67	43.33	18.00	100.00
4	गैर जनजाति	30	63.33	6.67	30.00	30.00	16.67	40.00	13.33	100.00
	महायोग	180	23.33	42.78	33.89	11.67	28.33	42.78	17.22	100.00

स्रोत : शोधकर्त्ता द्वारा अपने शोध अध्ययन "थारू जनजाति की सामाजिक आर्थिक परिवर्तनशीलता एवं संविकास" हेतु 2004-05 में किए गये सर्वेक्षण पर आधारित।

महिलाओं की स्थिति का अनुमान इस तथ्य से भी स्पष्ट होता है कि अभिभावक अपनी बच्चियों को पढ़ाना चाहते हैं या नहीं यदि हां तो उनको को पढ़ाने के पश्चात क्या बनाना चाहेंगे इस तथ्य को आंकने के लिए उत्तरदाताओं से किए गये प्रश्न के उत्तर में तालिका सं. 5.58 के अनुसार 11.67 प्रतिशत उत्तरदाताओं के अनुसार बच्चियों को पढ़ाने की विशेष आवश्यकता नहीं है। 42.78 प्रतिशत के अनुसार शिक्षा से लड़कियां होशियार बनेगी तथा 28.33 प्रतिशत ने पढ़ाकर नौकरी कराने को मुख्य उद्देश्य माना जबकि 17.22 प्रतिशत लोगों द्वारा व्यापार करने, शादी में प्राथमिकता, भविष्य में विपरीत परिस्थितियों में काम आने जैसे कारण बताये। अर्थात विकास के साथ स्त्री शिक्षा की महत्ता को थारू समाज स्वीकार करता है। स्त्री शिक्षा के प्रति सतत जागरूकता वृद्धि दृष्यगत है जो स्त्रियों की सबल स्थिति की ओर उन्मुख करता है।

वर्तमान में महिलाओं की स्थिति का अनुमान उत्तरदाताओं द्वारा अपनी लड़कियों की मान्यता के प्रति मानसिकता से भी लगाया जा सकता है। जिस संदर्भ में 40 प्रतिशत उत्तरदाता प्रतिदिन अपनी लड़कियों को विद्यालय भेजते हैं। विद्यालय न भेजने वालों का प्रतिशत सड़क से दूर स्थित गांवों में अधिक है। वर्तमान में 57.78 प्रतिशत उत्तरदाता लड़कियों को पराई वस्तु मानते हैं। 22.78 उत्तरदाता लड़कियों को लड़कों को बराबर का दर्जा देते हैं एवं 19.44 प्रतिशत उत्तरदाता अन्य कारणों से लड़कियों को लड़के के बराबर नहीं मानते हैं। अतः स्पष्ट है कि थारू समाज में लड़कियों की मान्यता लड़को के मुकाबले कमजोर हो रही है।

तालिका 5.59 : चयनित परिवारों में लड़का–लड़की मान्यता में अन्तर

(प्रतिशत में)

क्र. सं.	वर्ग	कुल परिवार	अपनी लडकी को प्रतिदिन विद्यालय भेजते हैं		क्या लड़के लड़की को बराबर मानते हैं		
			हां	नहीं	हां	परायी वस्तु	अन्य
1	सड़क से दूर स्थित गाँव	50	20.00	80.00	26.00	34.00	40.00
2	सड़क पर स्थित गाँव	50	30.00	70.00	30.00	50.00	20.00
3	विकास केन्द्र के गाँव	50	52.00	48.00	16.00	74.00	10.00
	योग	150	34.00	66.00	24.00	52.67	23.33
1	राना थारू	40	45.00	55.00	12.50	65.00	22.50
2	कठरिया थारू	20	75.00	25.00	5.00	85.00	10.00
3	दंगुरिया थारू	90	20.00	80.00	33.33	40.00	26.67
	योग	150	34.00	66.00	24.00	52.67	23.33
4	गैर जनजाति	30	70.00	30.00	16.67	83.33	0.00
	महायोग	180	40.00	60.00	22.78	57.78	19.44

स्रोत : शोधकर्त्ता द्वारा अपने शोध अध्ययन "थारू जनजाति की सामाजिक आर्थिक परिवर्तनशीलता एवं संविकास" हेतु 2004–05 में किए गये सर्वेक्षण पर आधारित।

समाज में स्त्रियों की स्थिति में परिवर्तन के संदर्भ को, 0–14 वर्ष की आयु में कम लिंगानुपात (तालिका 5.8) विकास के साथ घटता लिंगानुपात (तालिका 5.8) पुरूषों की अपेक्षा कम साक्षरता (तालिका 5.9) विज्ञान, तकनीकी एवं वाणिज्य वर्ग से स्त्री शिक्षितों का कम प्रतिशत अधिक मात्रा में लड़कियों द्वारा प्राथमिक स्तर पर मध्यावधि में विद्यालय छोड़ना, कम कार्य सहभागिता दर एवं द्वितीयक तथा तृतीयक व्यवसायों में पुरूषों की अधिकता कम आयु में शादी, इस बात का प्रतीक है कि महिलाओं की दशा पुरूषों से अच्छी नहीं है। परन्तु घर के अधिकांश कार्य महिलाओं द्वारा किए जाने, कम शराब पीने आदि से थारू महिलाएं ज्यादा सुन्दर एवं हष्ट पुष्ट होती है। यदि उपरोक्त पक्षों में सड़क से दूर के गाँवों तथा विकास केन्द्र के गाँवों में तुलना करे तो स्पष्ट होता है कि उपरोक्त पक्षों में महिलाओं की स्थिति में विकास के साथ सकारात्मक परिवर्तन हो रहा है परन्तु दहेज का बढ़ना तथा परिवार में पूर्व स्थापित स्थिति का गिरना भविष्य में महिलाओं की स्थिति में गिरावट का संकेत देता है।

5.5.5. राजनीतिक संगठन एवं जागरूकता – समाज में सामाजिक आर्थिक परिवर्तन का समाज की राजनीतिक व्यवस्था पर पड़ता है जिस संदर्भ में उत्तरदाताओं से थारू पंचायत में आस्था के संदर्भ में प्रश्न पूछा गया कि वे थारू पंचायत से न्याय को अच्छा मानते हैं। तालिका सं. 5.60 के अनुसार 54.44 प्रतिशत लोगों ने पंचायत में आस्था जताई वही 45.56 प्रतिशत उत्तरदाताओं के अनुसार पंचायत उचित नहीं है। विकास के साथ पंचायत आस्था घटती दर से मिली है जो नकारात्मक स्थिति का द्योतक है।

थारू पंचायत एक सशक्त राजनीतिक व्यवस्था का प्रतीक थी जिसकी स्थिति में गिरावट आई है अब पंचायत की अपेक्षा प्रशासनिक/न्यायिक व्यवस्था से निपटारा ज्यादा मान्य है। पंचायतों में सदस्यता भी घटती जा रही है तथा लोगों का रवैय्या नकारात्मक है।

राजनीतिक जागरूकता के संदर्भ में उत्तरदाताओं से पूछा गया कि वोट देना कितना आवश्यक है। जिस पर तालिका 5.60 के अनुसार 15.56 प्रतिशत उत्तरदाता वोट देना आवश्यक नहीं मानते वही 84.44 प्रतिशत उत्तरदाता वोट को आवश्यक मानते हैं। विकास के साथ वोट के प्रति आस्था कम होती प्रतीत होती है जो चुनावी दावों के न पूरा किए जाने के कारण हैं।

तालिका 5.60 : चयनित परिवारों में राजनीतिक जागरूकता

(प्रतिशत में)

क्र. सं.	वर्ग	कुल परिवार	थारु पंचायत की बात मानते हैं		वोट देना आवश्यक	
			हां	नहीं	नहीं	हां
1	सड़क से दूर स्थित गाँव	50	68.00	32.00	4.00	96.00
2	सड़क पर स्थित गाँव	50	72.00	28.00	10.00	90.00
3	विकास केन्द्र के गाँव	50	52.00	48.00	26.00	74.00
	योग	150	64.00	36.00	13.33	86.67
1	राना थारू	40	70.00	30.00	17.50	82.50
2	कठरिया थारू	20	60.00	40.00	25.00	75.00
3	दंगुरिया थारू	90	62.22	37.78	8.89	91.11
	योग	150	64.00	36.00	13.33	86.67
4	गैर जनजाति	30	6.67	93.33	26.67	73.33
	महायोग	180	54.44	45.56	15.56	84.44

स्रोत : शोधकर्त्ता द्वारा अपने शोध अध्ययन "थारू जनजाति की सामाजिक आर्थिक परिवर्तनशीलता एवं संविकास" हेतु 2004–05 में किए गये सर्वेक्षण पर आधारित।

5.5.6 धर्म एवं मान्यताएं – धर्म व्यक्ति के सांस्कृतिक जीवन से संबंधित व्यवहार का वह प्रतिमान है जो उसे श्रेष्ठ शान्ति हेतु पालित विश्वासों तथा विचारों को व्यक्त करने का आधार प्रदान करता है। धर्म माँ की गोद की तरह है जिसमें रहकर व्यक्ति अपने को सुरक्षित महसूस करता है।[49]

प्रकृति पूजक समाज 'थारू' हिन्दू धार्मिक रीति–रिवाजों को मानते हैं। आत्मा भूत–प्रेत, जादू–टोना एवं ईश्वर में असीम आस्था रखने वाले ये लोग प्राकृतिक तत्वों को प्रतीक मानकर उपासना

करते हैं। बदलते परिवेश में थारू धार्मिक क्रियाकलापों का स्वरूप परिष्कृत हुआ है। आज थारू अंधविश्वास से हटकर स्वतंत्र चिंतन करने की ओर उन्मुख हैं। भरारा एवं जादू टोना की गिरती मान्यता अस्पतालों से इलाज मंदिरों की स्थापना आदि इसके प्रमाण है। बलि जो थारू पूजा पद्धति का मुख्य आधार एवं चढ़ावा रहा है, का स्थान हवन एवं प्रसाद ने ले लिया है। अब कुलदेवता एवं प्राकृतिक तत्वों की पूजा के साथ हनुमान, दुर्गा, काली, शिव जी, श्रीराम आदि देवताओं की पूजा को बल मिला है। थारू परिवारों में कीर्तन, अखण्ड रामचरित मानस पाठ एवं भागवत गीता पाठ के आयोजन दृष्टिगत हैं। परन्तु अभी कुलदेवता जो भनसार में स्थापित होते हैं की तरह बाह्य देवताओं को समाज में मान्यता नहीं मिल पाई है।

किसी समाज में सामाजिक आर्थिक परिवर्तन का प्रभाव धार्मिक रीति–रिवाज, मान्यताओं एवं परम्पराओं पर पड़ता है, जिस संदर्भ में उत्तरदाताओं से पहला प्रश्न किया गयाकि बलि देते हैं या नहीं यदि हां तो किस जीव की ? तालिका 5.61 के अनुसार 53.3.5 प्रतिशत लोग पूजा में बलि को स्वीकारते हैं। 46.67 प्रतिशत लोगों ने बलि न देने को महत्ता देती है। 35 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने मुर्गा को प्राथमिकता दी गई 6.67 प्रतिशत लोग बकरे को, 1.11 प्रतिशत लोग भैंसा को 10.56 प्रतिशत लोग सुअर की बलि देते हैं। मुख्य रूप से 46.66 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने बलि में विशेष जीव की पुष्टि न करके मान्यतानुसार बलि देने की बात की। जो स्पष्ट करता है कि बलि की प्रवृत्ति घटती प्रतीत होती है वही जनजातीय परिवारों में गैरजनजातीय परिवारों की अपेक्षा अधिक बलि दी जाती है।

तालिका 5.61 : चयनित परिवारों में बलि का स्वरूप

(प्रतिशत में)

क्र. सं.	वर्ग	कुल परिवार	पूजा में बलि देते हैं		कौन सा जीव				
			हां	नहीं	बकरा	भैंसा	मुर्गा	सुअर	अन्य
1	सड़क से दूर स्थित गाँव	50	76.00	24.00	8.00	4.00	50.00	14.00	24.00
2	सड़क पर स्थित गाँव	50	58.00	42.00	4.00	0.00	44.00	10.00	42.00
3	विकास केन्द्र के गाँव	50	42.00	58.00	10.00	0.00	24.00	8.00	58.00
	योग	150	58.67	41.33	7.33	1.33	39.33	10.67	41.34
1	राना थारू	40	57.50	42.50	10.00	0.00	40.00	7.50	42.50
2	कठरिया थारू	20	65.00	35.00	20.00	0.00	40.00	5.00	35.00
3	दंगुरिया थारू	90	57.78	42.22	3.33	2.22	38.89	13.33	42.23
	योग	150	58.67	41.33	7.33	1.33	39.33	10.67	41.34
4	गैर जनजाति	30	26.67	73.33	3.33	0.00	13.33	10.00	73.34
	महायोग	180	53.33	46.67	6.67	1.11	35.00	10.56	46.66

स्रोत : शोधकर्त्ता द्वारा अपने शोध अध्ययन "थारू जनजाति की सामाजिक आर्थिक परिवर्तनशीलता एवं संविकास" हेतु 2004–05 में किए गये सर्वेक्षण पर आधारित।

5.5.7 रीति–रिवाज रूढ़ियां एवं प्रथाएं – मनुष्य प्रतिमानों का निर्माण करने वाला प्राणी है प्रतिमानों के माध्यम से ही समूह अपने सदस्यों पर अंकुश रखता है जैसे रीति/प्रथा आदि।

जनरीतियां – समाज में मान्यता प्राप्त स्वीकृत कार्य व्यवहार की पद्धतियां हैं जो बिना पूर्वयोजना या

निश्चित विचार के विकसित होती है एवं परस्पर हस्तांतरित होती हैं।[50] जब जनरीतियों में जीवन को उचित रूप से व्यतीत करने का दर्शन तथा समूह के कल्याण करने की भावना जुड़ जाती है तब वे रीतियां रूढ़ि का रूप धारण करती है। इनमें नैतिकता एवं सामाजिक कल्याण का पुट होता है, और इन्हीं प्रतिमानों को सामाजिक स्वीकृति प्रदान करने से कानून बनते हैं।

अध्याय 4 में उल्लिखित है कि थारू एक प्राकृतिक समुदाय है जहां विविध परम्परागत रीति–रिवाज एवं रूढ़ियां व्याप्त हैं परन्तु समय के साथ होते विविध पक्षों में परिवर्तन से पुरानी कठोर एवं अप्रासंगिक रीति–रिवाजों एवं प्रथाओं में सतत परिवर्तन दृष्यगत है।

धार्मिक रीति–रिवाज में परिवर्तन के आंकलन के लिए उत्तरदाताओंओं से पूजा पद्धति में विगत वर्षों में हुए परिवर्तन के संदर्भ में पूछे गये प्रश्न के उत्तर में तालिका 5.62 के अनुसार 31.67 प्रतिशत उत्तरदाताओं के अनुसार पूजा पद्धति में विशेष परिवर्तन नहीं हुआ वहीं 29.44 प्रतिशत लोगों ने बलि कम होने लगा तथा बलि का स्थान हवन आदि ने लेने की पुष्टि की। 38.89 प्रतिशत उत्तरदाताओं के अनुसार अब परम्परागत देवताओं के साथ हिन्दू देवी–देवताओं की पूजा होती है जिसमें हिन्दू पूजा विधियों को प्राथमिकता दी जाती है। अर्थात विकास के साथ पूजा पद्धति में परिवर्तन हुआ है तथा क्षेत्रीय सम्मिश्रण के प्रभाव से अधिशख्य लोग हिन्दू पूजा पद्धति को अपनाने लगे हैं।

तालिका 5.62 : परिवारों में पूजा पद्धति में परिवर्तन सम्बन्धी विचार

(प्रतिशत में)

क्र. सं.	वर्ग	कुल परिवार	पूजा पद्धति में परिवर्तन			योग
			नहीं	बलि कम हुआ	हिन्दू पद्धति से पूजा बढ़ी	
1	सड़क से दूर स्थित गाँव	50	42.00	24.00	34.00	100.00
2	सड़क पर स्थित गाँव	50	30.00	30.00	40.00	100.00
3	विकास केन्द्र के गाँव	50	18.00	34.00	48.00	100.00
	योग	150	30.00	29.33	40.67	100.00
1	राना थारू	40	22.50	12.50	65.00	100.00
2	कठरिया थारू	20	25.00	45.00	30.00	100.00
3	दंगुरिया थारू	90	34.44	33.33	32.22	100.00
	योग	150	30.00	29.33	40.67	100.00
4	गैर जनजाति	30	40.00	30.00	30.00	100.00
	महायोग	180	31.67	29.44	38.89	100.00

स्रोत : शोधकर्त्ता द्वारा अपने शोध अध्ययन "थारू जनजाति की सामाजिक आर्थिक परिवर्तनशीलता एवं संविकास" हेतु 2004–05 में किए गये सर्वेक्षण पर आधारित।

धर्म गुरू का स्थान – थारू जनजातीय परिवारों में धर्म गुरू का स्थान उच्च होता है।[51] जिस संदर्भ में सामाजिक आर्थिक परिवर्तनशील दशाओं पर प्रभाव को समझने के लिए उत्तरदाताओं से धर्मगुरू की मान्यता के संदर्भ में किए गए प्रश्न के संदर्भ में तालिका संख्या 5.63 के अनुसार 11.67 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने धर्म गुरू न होने की पुष्टि की वहीं 88.33 प्रतिशत उत्तरदाताओं के धर्मगुरू थे।

42.78 प्रतिशत उत्तरदाताओं के धर्म गुरू गांव का थारू भरारा है, वहीं 12.78 प्रतिशत उत्तरदाताओं का गांव के बाहर का थारू भरारा था। वहीं 27.77 प्रतिशत उत्तरदाताओं के धर्म गुरू गाँव के गैर थारू थे, वहीं 16.67 प्रतिशत उत्तरदाताओं के धर्मगुरू गाँव के बाहर के गैर थारू थे। तालिका से स्पष्ट होता है कि विकास के साथ–2 धर्मगुरू की मान्यता कम हुई है।

तालिका 5.63 : परिवारों में धर्म गुरू की मान्यता का स्वरूप

(प्रतिशत में)

क्र. सं.	वर्ग	कुल परिवार	धर्म गुरू		थारू धर्मगुरू		गैर थारू धर्मगुरू	
			नहीं	हां	गांव का	गांव के बाहर का	गांव का	गांव के बाहर का
1	सड़क से दूर स्थित गाँव	50	8.00	92.00	56.00	8.00	28.00	8.00
2	सड़क पर स्थित गाँव	50	6.00	94.00	50.00	12.00	28.00	10.00
3	विकास केन्द्र के गाँव	50	14.00	86.00	48.00	16.00	30.00	6.00
	योग	150	9.33	90.67	51.33	12.00	28.67	8.00
1	राना थारू	40	5.00	95.00	77.50	10.00	10.00	2.50
2	कठरिया थारू	20	10.00	90.00	50.00	10.00	40.00	0.00
3	दंगुरिया थारू	90	11.11	88.89	40.00	13.33	34.45	12.22
	योग	150	9.33	90.67	51.33	12.00	28.67	8.00
4	गैर जनजाति	30	23.33	76.67	0.00	16.67	23.33	60.00
	महायोग	180	11.67	88.33	42.78	12.78	27.77	16.67

स्रोत : शोधकर्त्ता द्वारा अपने शोध अध्ययन "थारू जनजाति की सामाजिक आर्थिक परिवर्तनशीलता एवं संविकास" हेतु 2004–05 में किए गये सर्वेक्षण पर आधारित।

जादू – विश्वासों एवं व्यवहार का वह संग्रह जो अलौकिक शक्ति को नियंत्रित करने का प्रयत्न करता है। यह आभाषिक विज्ञान एवं कला है जो सर्वद्धक संरक्षक एवं विनाशक स्वरूपों को धारण करता है।[52] जादू थारू समाज का अहम अंग रहा है।[53] परन्तु ज्ञान एवं तकनीक संवर्द्धन के साथ जादू के स्वरूप एवं मान्यता में परिवर्तन दृष्यगत है।

समाज के जादू की मान्यता पर क्या प्रभाव पड़ा है इस संदर्भ में उत्तरदाताओं से पूछा गया जादू पर विश्वास कम हुआ है या अधिक। जिस संदर्भ में –

तालिका संख्या 5.64 के अनुसार 56.11 प्रतिशत उत्तरदाता के अनुसार जादू पर विश्वास कम हुआ है। वहीं 12.78 प्रतिशत उत्तरदाता जादू की मान्यता को बढ़ा मानते हैं। 31.11 प्रतिशत उत्तरदाता जादू को पूर्ववत मानते हैं। सड़क से दूर स्थित गाँवों के जादू पर विश्वास करने वालों की संख्या अधिक है वहीं विकास केन्द्र के गाँवों में यह कम मिलती है जो सिद्धं करता है कि पहले से जादू पर विश्वास कम हुआ है जो सकारात्मक परिवर्तन का द्योतक है। क्योंकि इस पक्ष से कुरीतियों एवं कुप्रथाओं से थारू समाज के शनैः–शनैः हटने की प्रवृत्ति स्पष्ट होती है।

रस्मों एवं रिवाजों में परिवर्तन – इस संदर्भ में पूछे गये प्रश्न के उत्तर में तालिका 5.64 के अनुसार 45.56 प्रतिशत उत्तरदाता परम्परागत रस्मों रीतिरिवाजों को प्राथमिकता देते हैं। वहीं 36.11 प्रतिशत उत्तरदाता रस्मों एवं रीति–रिवाजों को प्राथमिकता नहीं देते। जबकि 18.33 प्रतिशत उत्तरदातों ने कोई उत्तर नहीं दिया। रीति–रिवाजों को न मानने के कारणों में पुराने रस्मो रिवाजों का अनुपालन कठिन होना, वर्तमान समाज के संदर्भ में अप्रासंगिक होना, जैसे कारण बताए हैं। अतः जिसमें विकास के साथ रस्मो रिवाजों की मान्यता कम हुई है जो सामाजिक विकास के असंधृत स्वरूप का द्योतक है जो कुरीतियों की अमान्यता विकास के संधृत स्वरूप का द्योतक होता है वहीं रस्म रीति–रिवाज एवं परम्पराओं की अमान्यता विकास के एकांगी स्वरूप का द्योतक होता है।

तालिका 5.64 : चयनित परिवारों में पुराने रस्मों–रिवाजों एवं जादू की मान्यता

(प्रतिशत में)

क्र. सं.	वर्ग	कुल परिवार	रस्मों की प्राथमिकता देते हैं			जादू की मान्यता		
			हां	नहीं	कोई उत्तर नहीं	घटी	बढ़ी	पूर्ववत
1	सड़क से दूर स्थित गाँव	50	60.00	18.00	22.00	42.00	16.00	42.00
2	सड़क पर स्थित गाँव	50	56.00	30.00	14.00	54.00	8.00	38.00
3	विकास केन्द्र के गाँव	50	46.00	44.00	10.00	62.00	14.00	24.00
	योग	150	54.00	30.67	15.33	52.67	12.67	34.66
1	राना थारू	40	47.50	32.50	20.00	62.50	10.00	27.50
2	कठरिया थारू	20	10.00	55.00	35.00	35.00	20.00	45.00
3	दंगुरिया थारू	90	66.67	24.44	8.89	52.22	12.22	35.56
	योग	150	54.00	30.67	15.33	52.67	12.67	34.66
4	गैर जनजाति	30	3.34	63.33	33.33	73.33	13.33	13.34
	महायोग	180	45.56	36.11	18.33	56.11	12.78	31.11

स्रोत : शोधकर्त्ता द्वारा अपने शोध अध्ययन "थारू जनजाति की सामाजिक आर्थिक परिवर्तनशीलता एवं संविकास" हेतु 2004–05 में किए गये सर्वेक्षण पर आधारित।
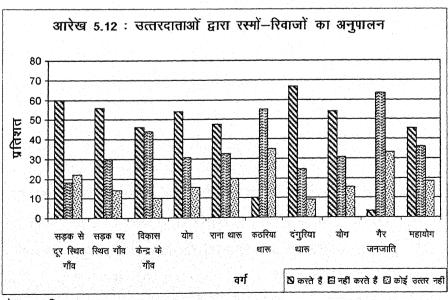
स्रोत : तालिका 5.64

5.5.8 सामाजिक मूल्य – मूल्य समाज द्वारा मान्यता प्राप्त इच्छाएं हैं जिनका अंतरीकरण, सीखने, सामाजीकरण की प्रक्रिया के माध्यम से होता है।[54] जो प्राकृतिक अधिमान्यता एवं मानक अभिलाषा बन जाती है। मूल्य भावनाओं से ओत–प्रोत होते हैं मुख्यतः समूह कल्याण की भावना। ये आदर्श विचारों एवं व्यवहारों का प्रतीक होते हैं। जैसे माता–पिता का आदर करना, चोरी न करना, सत्य बोलना, अंधविश्वास विमुक्ति, धर्म रक्षण आदि। मूल्य व्यष्टि, समाज या सामाजिक अंतरक्रिया प्रणाली को एकीकृत करने में सहायक है। जानसन ने (1985) के अनुसार मूल्य सामान्य आदर्श है और इन्हें उच्च स्तरीय मानदण्ड कहा जा सकता है।[55] किसी विचार हेतु वस्तु की सापेक्षिक आवश्यकता की सामूहिक धारणा ही मूल्य है।[56] डोनाल्ड लाइट एवं सुजोन किनर (1979) *"Values are General Ideas People share about what is good or bad right or wrong desirable or undesirable."*[57] मूल्य एक संगठनात्मक तत्व है जिसका एक सामाजिक मानक होता है यह लक्ष्मण रेखा की तरह है जिसमें समाज कल्याण की भावना छिपी होती है।

व्यक्ति की उत्कट अभिलाषा, लालच, असीमित आकांक्षा को नियन्त्रित एवं व्यवस्थित करने में मूल्यों का विशेष योगदान है। जब समाज में आदर्श व्यवस्था टूट जाती है तो मूल्यों में भ्रामक स्थिति बनती है। व्यक्ति को स्पष्ट नहीं होता कि उसे कौन सा व्यवहार तत्कालीन परिस्थिति में उचित है। इमाइल दुर्खीम के अनुसार जब समाज में ऐसी स्थिति बने कि उसका व्यक्ति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े तथा व्यक्ति संकुचित मनोभाव वाला स्वार्थी एवं अहमवादी हो जाए तो वह मूल्यों एवं आदर्शों की अवहेलना करने लगता है और परिवर्तन के साथ समाज के नियंत्रणात्मक नियमों की आदर्श संरचना शिथिल हो जाती है तथा व्यक्ति अति बलवती इच्छाओं की संतुष्टि के लिए मूल्यहीनता की ओर अग्रसर होता है।

अन्य प्राकृतिक समाजों की तरह थारू समाज में भी आदर्श मूल्यों से युक्त रहा है। परन्तु विकास की प्रक्रिया तथा शोषण के प्रभाव से धीरे–धीरे समाज के मौलिक मूल्यों में ह्रास हो रहा है।

समाज में सामाजिक आर्थिक परिवर्तनों का मूल्यों पर क्या प्रभाव पड़ता है ? को आंकने के लिए उत्तरदाताओं से चार प्रश्न किया गया कि – क्या आप अतिथियों के प्रति पूर्ववत व्यवहार कर पाते है ? क्या माता–पिता का आदर पूर्ववत है ? 3. सत्य बोलने की प्रवृत्ति पर क्या प्रभाव दिखता है ? 4. घूस देते हैं ?

तालिका संख्या 5.65 के अनुसार 45.56 प्रतिशत उत्तरदाता वर्तमान परिप्रेक्ष्य में सत्य बोलने को सर्वथा उचित नहीं मानते वहीं 54.44 प्रतिशत लोग सत्य बोलने को ही महत्व देते हैं। सड़क से दूर के गाँवों के जहां सत्य बोलने को ज्यादा महत्व देते हैं वहीं विकास केन्द्र के परिवारों में यह प्रवृत्ति कम होती प्रतीत होती है। जो स्पष्ट करती है कि विकास के साथ सत्य बोलने की प्रवृत्ति कम हुई है।

तालिका के अनुसार अपने कार्य को करने के लिए 60 प्रतिशत लोग घूस देने में विश्वास करते हैं। वहीं 40 प्रतिशत लोग घूस न देने पर बल देते हैं। घूस देने की प्रवृत्ति सड़क से दूर के गाँवों की अपेक्षा विकास केन्द्र के गाँव के परिवारों में अधिक प्राप्त होती है जो स्पष्ट करता है कि

विकास के साथ लोगों में सामाजिक मूल्यों के बजाय अपने कार्यों को कैसे भी कराने की प्रवृत्ति बढ़ी है जो संधृत विकास का द्योतक नहीं है। एवं घूस देने विभिन्न सामाजिक वर्गों में राना थारूओं में सत्य बोलने की प्रवृत्ति अन्य वर्गों से थोड़ा अधिक है वहीं गैर जनजातीय लोगों में यह प्रवृत्ति कम मिलती है। अतः पूर्व के अन्य निष्कर्षों को समाहित करते हुए यह स्पष्ट होता है कि परिवर्तनशील स्वरूप में थारू समाज के सामाजिक मूल्यों में ह्रास हुआ है।

तालिका 5.65 : चयनित परिवारों सामाजिक मूल्यों में परिवर्तन सम्बन्धी विचार

(प्रतिशत में)

क्र. सं.	वर्ग	कुल परिवार	सत्य बोलना उचित है		घूस देना उचित है	
			हां	नहीं	हां	नहीं
1	सड़क से दूर स्थित गाँव	50	32.00	68.00	48.00	52.00
2	सड़क पर स्थित गाँव	50	28.00	72.00	40.00	60.00
3	विकास केन्द्र के गाँव	50	48.00	52.00	36.00	64.00
	योग	150	36.00	64.00	41.33	58.67
1	राना थारू	40	30.00	70.00	32.50	67.50
2	कठरिया थारू	20	40.00	60.00	80.00	20.00
3	दंगुरिया थारू	90	37.78	62.22	36.67	63.33
	योग	150	36.00	64.00	41.33	58.67
4	गैर जनजाति	30	63.33	36.67	33.33	66.67
	महायोग	180	45.56	54.44	40.00	60.00

स्रोत : शोधकर्त्ता द्वारा अपने शोध अध्ययन "थारू जनजाति की सामाजिक आर्थिक परिवर्तनशीलता एवं संविकास" हेतु 2004–05 में किए गये सर्वेक्षण पर आधारित।

5.5.9. समुदाय भावना, सहयोग एवं समायोजन – व्यक्ति या समूह के समाजीकरण तथा व्यक्तित्व निर्माण के लिए आपसी सहयोग एवं समुदाय भावना होना आवश्यक है। सहयोग एक प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति या समूह से गठित रूप में समान उद्देश्यों के लिए अपने प्रयत्नों को संतुष्ट करता है। वैयक्तिक या सामूहिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए व्यक्ति या समूहों द्वारा किया गया साझा प्रयास सहयोग कहलाता है। (लेस्ले 1980)।[58] व्यक्ति या समूह शान्तिपूर्ण सह अस्तित्व को स्वीकार कर स्वयं को तत्कालीन दशा में समायोजित करता है। वह संघर्षों को रोकने या समाप्त करने के लिए अंतक्रिया करता है तथा सरलीकरण के रूप में मनोवृत्तियों को एकीकृत कर समान भावनाओं, मूल्यों, उद्देश्यों में भाग लेते हुए एक दूसरे के निकट आता है। जब विविध समूह या संस्कृति लम्बे समय तक सम्पर्क, सहयोग में रहती है तो सरल सांस्कृतिक प्रतिमानों वाली संस्कृति के मूल तत्व दूसरी संस्कृति पर दबाव या स्वेच्छा से आक्षेपित हो जाते हैं और उस संस्कृति के मौलिक प्रतिमानों में परिवर्तन होता है।

इस संदर्भ में उत्तरदाताओं से पूछा गया कि क्या पड़ोसी परिवारों में विश्वास रखते हैं जिससे प्राप्त निष्कर्ष को तालिका 5.66 के माध्यम से स्पष्ट किया गया जिसके अनुसार 36.11 प्रतिशत उत्तरदाता अपने पड़ोसी पर विश्वास नहीं रखते हैं वे पड़ोसियों से सामान्य बातों को भी बांटने से कतराते हैं जिसमें 59.44 प्रतिशत लोगों की पड़ोसियों से दुश्मनी है। वहीं 22.78 प्रतिशत उत्तरदाताओं से बातचीत करने के बावजूद पड़ोसियों पर विश्वास नहीं है क्योंकि वे पड़ोसी नफरत की भावना रखते

हैं। वहीं 17.78 प्रतिशत उत्तरदाता अन्य कारणों से (यथा संदेह, समय नही होना आदि) पड़ोसियों से सहयोग की अपेक्षा नहीं रखते। तालिका से स्पष्ट है कि सड़क से दूर के गाँवों की अपेक्षा विकास केन्द्रों पर सहयोग एवं सांमजस्य की मात्रा कम हुई है। जो इस बात का प्रतीक है कि विकास के साथ सहयोग एवं सांमजस्य की प्रवृत्ति में कमी आई है। पूर्व के निष्कर्षों से भी यह तथ्य स्पष्ट होता है कि थारू संस्कृति की सहयोगी विशेषता में कमी आई है जो विकास के संधृत एवं समग्र स्वरूप का धोतक नहीं है।

तालिका 5.66 : परिवारों में सहयोग एवं सामंजस्य की भावना में परिवर्तन

(प्रतिशत में)

क्र. सं.	वर्ग	कुल परिवार	पड़ोसी में विश्वास रखते हैं		नहीं तो क्यों		
			हां	नहीं	बातचीत के बावजूद विश्वास नहीं है	पुरानी रंजिश	अन्य
1	सड़क से दूर स्थित गाँव	50	82.00	18.00	26.00	60.00	14.00
2	सड़क पर स्थित गाँव	50	70.00	30.00	30.00	50.00	20.00
3	विकास केन्द्र के गाँव	50	56.00	44.00	16.00	62.00	22.00
	योग	150	69.33	30.67	24.00	57.33	18.67
1	राना थारू	40	67.50	32.50	12.50	67.50	20.00
2	कठरिया थारू	20	45.00	55.00	5.00	85.00	10.00
3	दंगुरिया थारू	90	75.56	24.44	33.33	46.67	20.00
	योग	150	69.33	30.67	24.00	57.33	18.67
4	गैर जनजाति	30	36.67	63.33	16.67	70.00	13.33
	महायोग	180	63.89	36.11	22.78	59.44	17.78

स्रोत : शोधकर्त्ता द्वारा अपने शोध अध्ययन "थारू जनजाति की सामाजिक आर्थिक परिवर्तनशीलता एवं संविकास" हेतु 2004–05 में किए गये सर्वेक्षण पर आधारित।
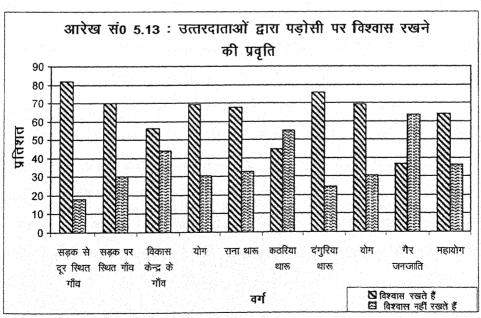
स्रोत : तालिका 5.66

5.5.10. संघर्ष एवं अपराध की प्रवृत्ति – जब व्यक्ति या समूह सीमित समान उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए शान्तिपूर्ण प्रयत्न करता है तो उसे प्रतिस्पर्धा कहते हैं। वहीं जब उन्हीं उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए वह समूह या व्यक्ति छल, दंभ, हिंसा, विरोध का प्रयोग करता है तो उसे संघर्ष कहते हैं। संघर्ष आपसी अंर्तक्रिया का वह प्रकार है जिसके द्वारा दो या दो से अधिक व्यक्ति एक दूसरे को विनाश करने या फिर अप्रभावी ढंग से बनाकर समाप्त करने की चेष्टा करते हैं। मैकाइवर ने स्पष्ट किया है कि संघर्ष से उतरा हुआ सहयोग ही समाज कहलाता है।[59]

जनजातियां प्राचीन समय से विकसित समाज के शोषण का शिकार रही हैं। वर्तमान में बढ़ती जागृति शिक्षा एवं कानूनी अधिकार से वे शोषण के विरोध के साथ आपसी संघर्ष एवं अपराध की ओर विमुख हुई हैं।

परिवर्तनशील दशाओं में अपराध शोषण एवं संघर्ष प्रवृत्ति के आंकलन के लिए उत्तरदाताओं में मुकदमों में संलग्नता, असुरक्षा की भावना एवं भूमि विक्रय तथा अधिग्रहण संबंधी जानकारी प्राप्त की गई। तालिका संख्या 5.67 के अनुसार चयनित परिवारों में 14.44 प्रतिशत उत्तरदाताओं का कोई न कोई सदस्य मुकदमों में संलग्न पाया गया वहीं 85.56 प्रतिशत परिवारों में कोई भी सदस्य मुकदमे में संलग्न नहीं था, मुकदमों में संलग्नता की मात्रा सड़क से दूर स्थित गाँवों की अपेक्षा सड़क पर एवं विकास केन्द्र पर स्थित गाँवों में थोड़ी अधिक है। परन्तु मुकदमों के स्वरूप में देखें तो सड़क से दूर स्थित गाँवों में अधिसंख्य मुकदमे सामान्य अपराध के लिए थे वहीं विकास केन्द्रों की तरफ बड़े यथा मारपीट तक के मुकदमे पाये गये। हालांकि गैर जनजाति के लोगों में मुकदमों में संलग्नता का प्रतिशत अधिक है परन्तु थारू परिवारो में अपराध प्रवृत्ति बढ़ी है।

तालिका 5.67 के अनुसार 68.89 प्रतिशत उत्तरदाताओं के अनुसार थारू महिलाएं पूर्णरूप से सुरक्षित हैं वहीं 31.11 प्रतिशत लोग असुरक्षित मानते हैं असुरक्षा की भावना सड़क से दूर के गाँवों में अधिक है वहीं विकास केन्द्रों के गाँवों में कम है। महिलाओं की असुरक्षा के मुख्य कारणों में बाहरी लोगों द्वारा थारू महिलाओं को भगा ले जाना, कर्ज के बदले में शोषण, मजदूरी करवाने के लिए ले जाने के बाद शोषण, कम मजदूरी देना, ठेकेदारों द्वारा बहकाकर ले जाना एवं शोषण शामिल है। चूंकि वे महिलाएं जो मजदूरी करने जाती हैं गरीब घरों की होती है एवं पैसा उनकी आवश्यकता होती है तः धन एवं भय के कारण वे शोषण का शिकार हो जाती हैं। कहीं–कहीं गैर थारूओं द्वारा थारू महिलाओं को भगा ले जाने की घटनाएं दृश्यगत हैं। जो स्पष्ट करता है कि उत्तरदाताओं में सुरक्षा की भावना में वृद्धि हुई है।

तालिका 5.66 : चयनित परिवारों में अपराध एवं सुरक्षा की स्थिति

(प्रतिशत में)

क्र. सं.	वर्ग	कुल परिवार	कोई मुकदमा चल रहा है		हां तो			महिलाएं सुरक्षित हैं	
			हां	नहीं	जघन्य अपराध	सामान्य अपराध	अन्य	हां	नहीं
1	सड़क से दूर स्थित गाँव	50	6.00	94.00	26.00	14.00	60.00	56.00	44.00
2	सड़क पर स्थित गाँव	50	14.00	86.00	30.00	20.00	50.00	70.00	30.00
3	विकास केन्द्र के गाँव	50	18.00	82.00	16.00	22.00	62.00	82.00	18.00
	योग	150	12.67	87.33	24.00	18.67	57.33	69.33	30.67
1	राना थारू	40	10.00	90.00	12.50	20.00	67.50	67.50	32.50
2	कठरिया थारू	20	20.00	80.00	5.00	10.00	85.00	65.00	35.00
3	दंगुरिया थारू	90	12.22	87.78	33.33	20.00	46.67	55.56	44.44
	योग	150	12.67	87.33	24.00	18.67	57.33	69.33	30.67
4	गैर जनजाति	30	23.33	76.67	16.67	13.33	70.00	67.33	32.67
	महायोग	180	14.44	85.56	22.78	17.78	59.44	68.89	31.11

स्रोत : शोधकर्त्ता द्वारा अपने शोध अध्ययन "थारू जनजाति की सामाजिक आर्थिक परिवर्तनशीलता एवं संविकास" हेतु 2004–05 में किए गये सर्वेक्षण पर आधारित।

उत्तरदाताओं द्वारा भूमि विक्रय के संदर्भ मे ग्रामीण क्षेत्रों में शोषण एवं अपराध प्रवृत्ति बढ़ने से आर्थिक दृष्टि से बल व्यक्ति कमजोर व्यक्तियों की भूमि पर कब्जा कर लेते हैं एवं भूमि विक्रय के लिए मजबूर किया जाता है या आर्थिक स्थिति खराब होने पर लोग अपनी भूमि बेच देते हैं। अतः उत्तरदाताओं से भूमि विक्रय के संदर्भ में जानकारी प्राप्त किया गया।

तालिका 5.68 के अनुसार 11.67 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने पैत्रक भूमि विक्रय किया है 88.33 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने अपनी पैत्रक भूमि नहीं बेचा। कुल उत्तरदाताओं में 23.82 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने थारू को 71.38 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने गैर थारू को एवं 4.80 प्रतिशत ने सरकार/वन विभाग को दिया।

तालिका 5.68 : चयनित परिवारों में पैतृक भूमि विक्रय की स्थिति

(प्रतिशत में)

क्र. सं.	वर्ग	कुल परिवार	भूमि विक्रय		हां तो किसको		
			हां	नहीं	थारू	गैर थारू	सरकार
च	सड़क से दूर स्थित गाँव	50	10.00	90.00	40.00	60.00	0.00
2	सड़क पर स्थित गाँव	50	14.00	86.00	14.29	71.43	14.29
3	विकास केन्द्र के गाँव	50	12.00	88.00	33.33	66.67	0.00
	योग	150	12.00	88.00	27.75	66.67	5.58
1	राना थारू	40	7.50	92.50	0.00	100.00	0.00
2	कठरिया थारू	20	10.00	90.00	50.00	50.00	0.00
3	दंगुरिया थारू	90	14.44	85.56	30.75	61.57	7.69
	योग	150	12.00	88.00	27.75	66.67	5.58
4	गैर जनजाति	30	10.00	90.00	0.00	100.00	0.00
	महायोग	180	11.67	88.33	23.82	71.38	4.80

स्रोत : शोधकर्त्ता द्वारा अपने शोध अध्ययन "थारू जनजाति की सामाजिक आर्थिक परिवर्तनशीलता एवं संविकास" हेतु 2004–05 में किए गये सर्वेक्षण पर आधारित।

भूमि पर अवैध कब्जे के संदर्भ में तालिका संख्या 5.69 के अनुसार 18.33 प्रतिशत उत्तरदाताओं की भूमि पर अवैध कब्जा किया गया है। वहीं 81.67 प्रतिशत की भूमि सुरक्षित है। अवैध कब्जा करनेवालों में 57.61 प्रतिशत उत्तरदाताओं की भूमि गैर थारू ने, तथा 21.22 प्रतिशत उत्तरदाताओं की भूमि सरकार ने तथा 21.22 प्रतिशत की भूमि थारू ने कब्जा किया है। अवैध कब्जे को प्रतिशत सड़क के गाँवों एवं विकास केन्द्रों पर अधिक है जिसका कारण इन्हीं जगहों पर बाहरी लोगों का अधिक अतिक्रमण होना है।

22.22 प्रतिशत उत्तरदाताओं की भूमि कर्ज की वजह से अवैध कब्जे में है वहीं 56.61 प्रतिशत उत्तरदाताओं की भूमि जबरन अवैध कब्जे में है। 21.22 प्रतिशत उत्तरदाताओं की भूमि निरस्त होने के कारण अवैध कब्जे में है। अतः अवैध कब्जे की मात्रा कम हुई है परन्तु क्षेत्र में अवैध कब्जे का मिलना प्रशासनिक दुर्बलता का प्रतीक है।

तालिका 5.69 : चयनित परिवारों के भूमि पर अवैध कब्जा की स्थिति

(प्रतिशत में)

क्र. सं.	वर्ग	कुल परिवार	भूमि पर अवैध कब्जा है		हां तो			कारण		
			हां	नहीं	थारू	गैर थारू	सरकार	कर्ज	जबरन	निरस्त
1	सड़क से दूर स्थित गाँव	50	14.00	86.00	28.57	28.57	42.86	28.57	28.57	42.86
2	सड़क पर स्थित गाँव	50	18.00	82.00	33.33	55.56	11.11	22.22	66.67	11.11
3	विकास केन्द्र के गाँव	50	20.00	80.00	20.00	60.00	20.00	30.00	50.00	20.00
	योग	150	17.33	82.67	26.95	50.03	23.08	26.95	50.03	23.08
1	राना थारू	40	20.00	80.00	25.00	62.50	12.50	37.50	50.00	12.50
2	कठरिया थारू	20	20.00	80.00	25.00	75.00	0.00	49.80	50.20	0.00
3	दंगुरिया थारू	90	15.56	84.44	28.53	35.73	35.73	14.27	50.00	35.73
	योग	150	17.33	82.67	26.95	50.03	23.08	26.95	50.03	23.08
4	गैर जनजाति	30	23.33	76.67	0.00	85.73	14.27	3.67	82.00	14.33
	महायोग	180	18.33	81.67	21.22	57.61	21.22	22.22	56.61	21.22

स्रोत : शोधकर्त्ता द्वारा अपने शोध अध्ययन "थारू जनजाति की सामाजिक आर्थिक परिवर्तनशीलता एवं संविकास" हेतु 2004–05 में किए गये सर्वेक्षण पर आधारित।
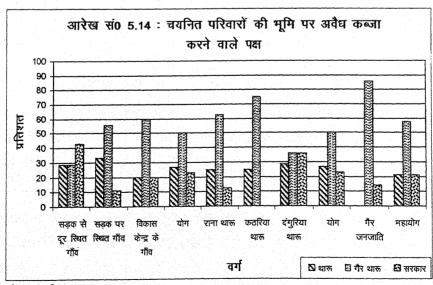
स्रोत : तालिका 5.69

परिवर्तनशील दशाओं में अपराध प्रवृत्ति के संदर्भ में उत्तरदाताओं से प्राप्त की गई जानकारी में 63.89 प्रतिशत उत्तरदाताओं के अनुसार अपराध प्रवृत्ति पूर्ववत है वहीं 36.11 प्रतिशत उत्तरदाता अपराध प्रवृत्ति को बढ़ा मानते हें। विकास के साथ अपराध प्रवृत्ति बढ़ी है जो असंधृत विकास का द्योतक है।

अतः स्पष्ट है कि थारू समाज में सामाजिक आर्थिक पक्षों में परिवर्तन के साथ जहाँ शोषण की प्रवृत्ति कम हुई है, वहीं संघर्ष एवं अपराध प्रवृत्ति बढ़ी है। एक शान्तिप्रिय समाज में अपराध का बढ़ना संधृत विकास का प्रतीक नहीं है।

5.6 थारू समाज में सामाजिक–सांस्कृतिक पक्षों में परिवर्तन का प्रभाव एक मूल्यांकन

थारू परिवारों की सामाजिक दशा में तीस वर्षों में हुए परिवर्तनों को विविध संकेतकों पर आधार पर 150 थारू उत्तरदाताओं के मतों से औसत आंकलन किया गया है। जो निम्न है।

5.6.1. कुप्रथाएं – तालिका 5.70 से स्पष्ट है कि बलि प्रथा, अंधविश्वास, भरारा, जादू टोना पर विश्वास, बालविवाह, आपसी जातिवाद, सूदखोर आदि पक्षों में कमी आई है। 82 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने स्वीकारा कि पिछले तीस वर्षों में दहेज तीव्र गति से बढ़ा है जिसका स्पष्ट प्रभाव महिलाओं की दशा पर दृष्यगत है। अर्थात दहेज के अलावा अन्य चयनित पक्षों के विकास के साथ कमी आयी है।

तालिका 5.70 : चयनित थारू उत्तरदाताओं के अनुसार कुप्रथाओं में परिवर्तन

(प्रतिशत में)

क्र. सं.	अ. कुप्रथाएं	पहले से बढ़ी	पहले से कम	कोई परिवर्तन नहीं	योग
1	बलि प्रथा	3.33	85.33	11.33	100.00
2	दहेज प्रथा	82.00	6.00	12.00	100.00
3	अंधविश्वास	2.00	78.67	19.33	100.00
4	भरारा/जादू टोना पर विश्वास	4.67	75.33	20.00	100.00
5	बाल विवाह	7.33	78.00	14.67	100.00
6	थारू के आपसी जातिवाद	14.67	67.33	18.00	100.00
7	सूदखोर एवं साहूकार हस्तक्षेप	6.67	84.67	8.67	100.00

स्रोत : शोधकर्त्ता द्वारा अपने शोध अध्ययन "थारू जनजाति की सामाजिक आर्थिक परिवर्तनशीलता एवं संविकास" हेतु 2004–05 में किए गये सर्वेक्षण पर आधारित।

5.6.2. सामाजिक सांस्कृतिक पक्ष – थारू परिवारों के सामाजिक, सांस्कृतिक पक्षों पर परिवर्तनों के प्रभाव के संदर्भ में तालिका 5.71 के अनुसार अधिसंख्य थारू उत्तरदाता पंचायत की मान्यता के घटने, परिवार मुखिया की इज्जत में कमी, संयुक्त परिवारों में कमी, भाईचारा, सुख–दुःख भागीदारी एवं सहयोग में कमी, त्योहारों के परम्परागत स्वरूप, परम्परागत विवाह पद्धति, अतिथि सत्कार प्रवृत्ति, परम्परागत नाच गाना, आदि पक्षों में पहले से कमी को स्वीकारते हैं। वहीं सिनेमा के प्रति आकर्षण, चुनाव में भागीदारी, पढ़ने की इच्छा, प्रेम विवाह, तलाक प्रवृत्ति, महिलाओं की दशा, स्वतंत्रता, प्रवास एवं परिवार नियोजन साधनों के प्रयोग आदि पक्षों को पहले से अधिक हुआ मानते हैं। जो स्पष्ट करता है कि एक तरफ सामाजिक मूल्यों में ह्रास हुआ है वही दूसरी तरफ कुछ सामाजिक, सांस्कृतिक पक्षों में परिपक्वता भी आयी है।

तालिका 5.71 : चयनित थारू उत्तरदाताओं के अनुसार विविध सामाजिक सांस्कृतिक पक्षों में परिवर्तन

(प्रतिशत में)

क्र. म.	ब. सामाजिक सांस्कृतिक पक्ष	पहले से अच्छा/ अधिक	पहले से खराब/ कम	पूर्ववत	योग
1.	थारू पंचायत की मान्यता	11.33	65.33	23.33	100.00
2.	परिवार मुखिया/बड़ों की इज्जत	16.67	60.67	22.67	100.00
3.	संयुक्त परिवार प्रथा	22.67	56.67	20.67	100.00
4.	आपसी सहयोग, एवं सुख–दुख में भागीदारी	14.67	58.00	27.33	100.00
5.	त्यौहारों का परम्परागत ढंग से मनाना	25.33	59.33	15.33	100.00
6.	परम्परागत विवाह पद्धति	28.00	64.00	8.00	100.00
7.	अतिथि सत्कार की प्रवृत्ति	25.33	61.33	13.33	100.00
8.	परम्परागत नाच–गाना	14.67	57.33	28.00	100.00
9.	सिनेमा देखने की प्रवृत्ति	85.33	10.00	4.67	100.00
10.	चुनाव के भागीदारी	88.00	1.33	10.67	100.00
11.	पढ़ने की इच्छा	94.00	0.67	5.33	100.00
12.	प्रेम विवाह	74.67	7.33	18.00	100.00
13.	तलाक देना	61.33	4.67	34.00	100.00
14.	महिलाओं की इज्जत एवं दशा	45.33	41.33	13.33	100.00
15.	स्वच्छता एवं स्वतंत्रता	46.00	32.67	21.33	100.00
16.	शहर की ओर पलायन	65.33	14.67	20.00	100.00
17.	परिवार नियोजन साधन का प्रयोग	80.67	7.33	12.00	100.00

स्रोत : शोधकर्त्ता द्वारा अपने शोध अध्ययन "थारू जनजाति की सामाजिक आर्थिक परिवर्तनशीलता एवं संविकास" हेतु 2004–05 में किए गये सर्वेक्षण पर आधारित।

आरेख 5.15 : थारू जनजाति के सामाजिक–सांस्कृतिक पक्षों में परिवर्तन
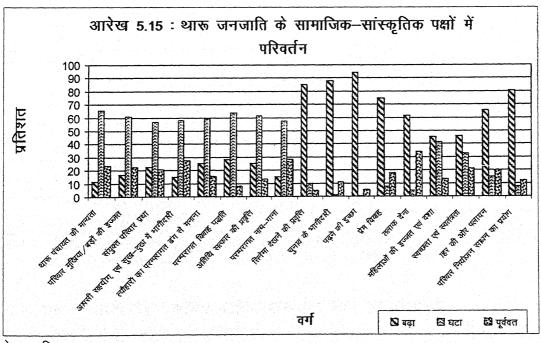
स्रोत : तालिका 5.71

5.6.3 सामाजिक सांस्कृतिक जागरूकता – परिवर्तन एवं विकास के प्रभावों को थारू परिवारों में सामाजिक, सांस्कृतिक जागरूकता के संदर्भ में तालिका सं. 5.72 के अनुसार सामाजिक सांस्कृतिक जागरूकता संबंधी चयनित विविध संकेतों में 79.33 प्रतिशत लोग छुआछूत का, 54 प्रतिशत लोग जाति प्रथा का, 40.67 प्रतिशत लोग गैर थारू के साथ बसाव का विरोध करते हैं। वहीं 30 प्रतिशत लोग महिला आरक्षण का, 25.33 प्रतिशत लोग दहेज का, 28 प्रतिशत लोग बाल श्रम का, 52.67 प्रतिशत लोग सरकार चुनाव का, 71.33 प्रतिशत लोग नसबन्दी का, 43.33 प्रतिशत लोग नशाबंदी का 65 प्रतिशत लोग शहर की ओर प्रवास, 69 प्रतिशत लोग स्वरोजगार एवं व्यापार का 92 प्रतिशत लोग नौकरी करने का समर्थन करते हैं। दहेज यौन शिक्षा महिला आश्रम बाल श्रम एवं गैर थारू के साथ वसाव के संदर्भों में उत्तर देने वाले उत्तरदाताओं की भी प्रतिशतता अधिक है। अर्थात अधिसंख्य उत्तरदाताओं द्वारा छुआछूत, जाति प्रथा बाल श्रम का विरोध करना एवं महिला आरक्षण, सरकार चुनाव, नसबन्दी, नशाबन्दी, शहर की ओर प्रवास तथा स्वरोजगार, व्यापार, नौकरी आदि पक्षों का समर्थन करना सामाजिक, सांस्कृतिक जागरूकता का प्रतीक है।

उपरोक्त आंकलन से स्पष्ट है कि विगत दशकों में थारू समाज के विकास का प्रभाव से समाज के विविध सामाजिक, सांस्कृतिक पक्षों में सकारात्मक परिवर्तन दृश्यगत है वहीं सामाजिक मूल्यों में ह्रास भी हुआ है।

तालिका 5.73 : चयनित थारू उत्तरदाताओं में सामाजिक सांस्कृतिक जागरूकता का स्वरूप

(प्रतिशत में)

क्र. सं.	सामाजिक सांस्कृतिक जागरूकता	समर्थन	उदासीन	विरोध	योग
1.	छूआछूत	1.33	19.33	79.33	100.00
2.	जातिप्रथा	18.00	28.00	54.00	100.00
3.	दहेज	25.33	43.33	31.33	100.00
4.	यौन शिक्षा	8.00	70.00	22.00	100.00
5.	महिला आरक्षण	30.00	43.33	26.67	100.00
6.	सरकार चुनाव	52.67	28.00	19.33	100.00
7.	बालश्रम	28.00	39.33	32.67	100.00
8.	नसबन्दी	71.33	12.67	16.00	100.00
9.	नशाबन्दी	43.33	14.33	37.33	100.00
10.	शहर की ओर पलायन	64.67	22.00	13.33	100.00
11.	गैर थारू के साथ बसाव	23.33	36.00	40.67	100.00
12.	स्वरोजगार/व्यापार करना	68.67	23.33	8.00	100.00
13.	सरकारी/प्राइवेट नौकरी	92.00	4.67	3.33	100.00

स्रोत : शोधकर्त्ता द्वारा अपने शोध अध्ययन "थारू जनजाति की सामाजिक आर्थिक परिवर्तनशीलता एवं संविकास" हेतु 2004–05 में किए गये सर्वेक्षण पर आधारित।

5.7 थारू जनजाति की सामाजिक आर्थिक परिवर्तनशीलता एवं संविकास

थारू जनजाति की सामाजिक आर्थिक दशा में जो परिवर्तन दृष्यगत है उनकी कुछ पक्षों की समग्रता एवं संधृतता के स्वरूप का अभाव है।

1. शिक्षा एवं साक्षरता के रूप में तीव्र वृद्धि हुई परन्तु वह मात्रात्मक रूप में मात्रात्मक रूप से यह कह देना कि 90 प्रतिशत जनसंख्या शिक्षित है इस बात को स्पष्ट नहीं कर सकता कि शिक्षित व्यक्ति, समाज के विविध रूपों को समझ ही लेगा। अतः शिक्षा के मात्रात्मक रूप में जो वृद्धि वर्तमान में दृष्यगत है उसकी संधृतता एवं उपादेयता पर प्रश्नचिन्ह लगता है क्योंकि थारू शिक्षा में जिस दर से मात्रात्मक वृद्धि है उस दर से गुणात्मक वृद्धि नहीं मिलती।
2. लिंगानुपात – लिंगानुपात सामाजिक संतुलन को दर्शाने के लिए महत्वपूर्ण संकेतक है। यह स्पष्ट करता है कि कम आयु वर्ग से लिंगानुपात कम है साथ ही द्वितीयक आंकड़ों से स्पष्ट होता है कि विगत दशकों में थारू समाज के लिंगानुपात कम हुआ है। लिंगानुपात का कम होना संधृत विकास को इंगित नहीं करता। हालांकि क्षेत्र में या समाज में, विकास के साथ लिंगानुपात पहले घटता है पुनश्च बढ़ता है। (पूर्व आंकड़ों से विश्लेषण से) परन्तु थारू समाज में लिंगानुपात का घटना समाज की मूल विशेषताओं पर नकारात्मक प्रश्नचिन्ह लगता है।
3. दहेज प्रथा – विवाह पद्धतियों में परिवर्तन के साथ दृष्यगत है कि थारू समाज में जहां पहले दहेज का पूर्णतः अभाव था। समाज में लड़की के घर पर स्वागत एवं तैयारी को देखते हुए लड़का पक्ष मदद करता था। वर्तमान में लड़की पक्ष से दहेज प्राप्त करना एक आवश्यकता बनती जा रही है, जो विकास के संधृत स्वरूप का द्योतक नहीं है। क्योंकि यह महिला स्थिति मान्यता एवं समाज में अनेकों समस्याओं को जन्म देगी। दहेज न केवल महिलाओं के लिए अभिशाप है वरन पुरूष समाज के लिए भी कोढ़ है जो परिवार को अमानवीय व्यवहार को प्रोत्साहित करता है।

   परिवार में माता–पिता की मान्यता में कमी, घर में महिलाओं की गिरती स्थिति, पंचायत मान्यता में कमी, परम्परागत त्योहार, रीति–रिवाज, मान्यता में कमी इस बात को इंगित करता है कि विकास का जो स्वरूप समक्ष है वह संधृत एवं समग्र विकास को पूर्ण नहीं कर पा रहा है। परन्तु कुरीतियों एवं कुप्रथाओं में ह्रास विकास के महत्वपूर्ण सकारात्मक प्रभावों का द्योतक है।
4. थारू समाज में अपराध की मात्रा सतत बढ़ रही है विकास के साथ अपराध का बढ़ना संधृत विकास का द्योतक नहीं है।
5. बढ़ती अपराध प्रवृत्ति में चोरी, बेईमानी,, हत्या, बलात्कार, हेराफेरी एवं धोखाधड़ी के मामले देखे जा रहे हैं। थारू समाज जो पहले ईमानदारी, सहृदयता, सुशीलता (Sobernity) आदि पक्षों के लिए प्राचीनकाल से ही मशहूर रहा है। विकास के साथ अपराध की बढ़ती प्रवृत्ति एक गलत रास्ते का संकेत देती है।
6. वन जो पर्यावरण के आधार ही में ह्रास के लिए हालांकि केवल थारू ही जिम्मेदार नहीं है परन्तु वन विभाग कर्मचारी एवं बाहरी लोग ज्यादा जिम्मेदार है परन्तु विकास के साथ वन कटाव बढ़ा है वन क्षेत्र एवं वन्य जीवों का ह्रास हुआ है जो असंधृत विकास का द्योतक है।
7. मृदा स्वरूप में परिवर्तन तथा उत्पादकता में कमी, बढ़ते असंतुलित रसायन प्रयोग एवं वन विनाश के कारण वह मृदा जो सर्वाधिक उपजाऊ हुआ करती थी अब ऊसर हो रही है, साथ ही

उपजाऊपन कम हो रहा है जो एक समय के बाद भयानक समस्याओं को जन्म देगा।

8. प्रवास – थारू समाज में तीव्रगति से प्रवास इस बात का स्पष्ट संकेत देती है कि थारू क्षेत्र में रोजगार की कमी है। चूंकि अधिकतर प्रवासी रोजगार के लिये शहरों की ओर जाते हैं यदि तराई क्षेत्र में लघु उद्योगों को लगाया जाए लें तो रोजगार, उत्पादकता एवं आय में वृद्धि होगी। श्रम के प्रवास से श्रम का फायदा दूसरे स्थान को मिलता है। थारू लोगों को अपने श्रम का उचित मूल्य नहीं मिल पाता।

9. विकास की रणनीतियों के कुछ पक्ष थारू समाज की आवश्यकता के अनुरूप नहीं मिलते यथा –

   1. इंदिरा आवास योजना में बने आवासों की मात्रा गुणवत्ता एवं उपयोगिता 20–30 व्यक्तियों के परिवार में एक कमरा मात्र आपदा सुरक्षा का कार्यकर सही गुणात्मक रूप में ठीक न होने पर उपादेयता पर प्रश्नचिन्ह लगता है।

   2. शौचालय – आवासों के साथ बने शौचालयों में अधिकांश शौचालयों का अनुपयोगी होना इस बात को स्पष्ट इंगित करता है विकास का स्वरूप असंधृत है।

   3. गैस वितरण सुविधा – थारू निवास क्षेत्र मुख्य शहरों से 30–40 किमी. दूर स्थित है एवं वन क्षेत्र होने के कारण जलावन लकड़ी भी पर्याप्त उपलब्ध है, वहां गैस उपलब्ध करना तर्कसंगत नहीं लगता।

   4. श्रावस्ती, सिरसिया एवं बलरामपुर जैसे थारू बाहुल्य स्थानों पर सिंचाई प्रथम आवश्यकता है। परन्तु इस सन्दर्भ में कार्यान्वयन नहीं हो पाया है। कुछ स्थानों पर बिजली के खम्भों से मात्र विकास के आंकड़ों के खानों को भरा गया है, उनसे आवश्यकता पर विद्युत प्राप्ति नहीं होती।

References :

1. Sinha, S.P. (1986), "Tribal Administration – A Historical Review", in L.P. Vidyarthi (ed.), **Tribal Development and Administration**, Concept Publishers, Delhi, pp.65-73.

2. *Op.cit.*

3. Singh, D.K. (1994), ***Gramin Audogikaran Avom Samajik Vikash***, Ph.D. Thesis, Department of Social Work, Lucknow University, Lucknow.

4. Bhende, A. and Tara Kanetkar (2003), **Principles of Population Studies**, Himalaya Publishing House, Mumbai, pp.49-58.

5. *Ibid.*

6. Gosal, G.S. (1984), "Population Geography in India" in **Geography and Population Approaches and Applications**, by John, I. Clark (ed.), Pergaman Press Oxford, pp.203-214.

7. Bhende, A. and Tara Kanetkar (2003), *op.cit.*

8. Sailja, Devi, A. (2005), **Socio-Economic Conditions of Tribes**, Sonali Publications, Delhi, pp.101-103.

9. Bhende, A. and Tara Kanetkar (2003), *op.cit.*

10. Leslie, G.R., *et.al.* (1980), **Introductory Sociology**, Oxford University Press, New York, p.55.

11. McIver, R.M. and C.H. Paze (1985), **Society – An Introductory Analysis**, Macmillan India Ltd., New Delhi, p.238.

12. United Nations (1958), "Multi-Lingual Demographic Dictionary", Population Studies No.29, New York, p.38.

13. *Ibid.*

14. Bhende, A. and Tara Kanetkar (2003), *op.cit.*, p.246.

15. *Ibid.*, pp.246-280.

16. United Nations Statistical Office (1953), "Principles for a Vital Statistics System, *Statistical Paper Series*, No.19, New York, p.6.

17. Landry (1909), Quoted in the United Nations, **Determinants and Consequences of Population Trends**, ST/SOA/SER A/50, Popular Studies, No.50 (1972), New York, p.58.

18. Thompson, W.S. (1929), "Population", *American Journal of Sociology*, Vol.34(6), May 1929, pp.959-975.

19. Notestein, F.W. (1945), "Population The Long View", Theodore Schultz (ed.), **Food for the World**, The University of Chicago Press, Chicago.

20. Blacker, C.P. (1947), "Stages in Population Growth", *The Eugenics Review*, Vol.30(3), pp.88-101.

21. Notestein, F.W. (1945), *op.cit.*

22. Blacker, C.P. (1947), *op.cit.*

23. Stolntz, G.J. (1964), "The Demographic Transition from High to Low Birth Rates and Death Rates", Ronald Freedor (ed.), **Population: The Vital Revolution**, Doubleday and Company, New York, p.30.

24. Hoover, M.E. and A.G. Coale (1958), **Population Growth and Economic Development**, Cambridge Princeton University Press, Princeton, pp.9-13.

25. Bhende, A. and Tara Kanetkar (2003), *op.cit.*, p.127.

26. *Ibid.*, p.125.

27. *Ibid.*, p.126.

28. *Ibid.*

29. United Nations (1956), **Multilingual Demographic Dictionary,** ST/SOA/SER A/29, Popular Studies, No.29, New York, pp.46-47.

30. Rajaure, D.P. (1981), **Tharus of Dang**, The People and Social Context, Lailash, 8(3-4), pp.155-181.

31. Srivastava, S.K. (1958), **The Tharu: A Study in Cultural Dynamics**, Agra University Press, Agra, p.23.

32. Shailja Devi, A. (2005), *op.cit.*, pp.90-100.

33. Singh, J. (2002), *Tharu Avom Tharui Boli*, pp.100-135.

34. *Ibid.*

35. Conkin, J.E. (1984), **Sociology**, Macmillan Publishing Co., New York, p.249.

36. McIver, R.M. and C.H. Pone (1985), **Society – An Introductory Analysis,** Macmillan India Ltd., New Delhi, p.238.

37. *Ibid.*

38. Srivastava, S.K. (1958), *op.cit.*, pp.23-35.

39. Singh, J. (2002), *op.cit.*, p.25.

40. *Ibid.*

41. Bhende, A. and Tara Kanetkar (2003), *op.cit.*

42. Hasnain, N. (2002), ***Jayatiya Bharat***, Jawahar Publishers, Delhi, pp.33-35.

43. Conkin, J.E. (1984), *op.cit.*

44. McIver, R.M. and C.H. Paze (1985), *op.cit.*

45. *Ibid;* also, Majumdar, D.N. and T.N. Madan (2006), ***Samajik Manavshastra Ka Parichaya***, Mayur Paper Books, Noida, pp.209-220.

46. Hasnain, N. (2002), *op.cit.*, pp.45-51.

47. Majumdar, D.N. and T.N. Madan (2006), *op.cit.*, pp.192-208.

48. Singh, J. (2002), *op.cit.*, p.26 and Srivastava, S.K. (1957), *op.cit.*, pp.23-35.

49. Singh, D.K. (1994), *op.cit.*, p.10.

50. Majumdar, D.N. and T.N. Madan (2006), *op.cit.*, pp.132-147.

51. Srivastava, S.K. (1957), *op.cit.*, pp.23-35.

52. Majumdar, D.N. and T.N. Madan (2006), *op.cit.*, pp.132-147.

53. Srivastava, S.K. (1957), *op.cit.*

54. McIver, R.M. and C.H. Paze (1985), *op.cit.*

55. *Ibid.*

56. *Ibid.*

57. *Ibid.*

58. Leslie, G.R., *et.al.* (1980), *op.cit.*, p.59.

59. McIver, R.M. and C.H. Paze (1985), *op.cit.*, pp.252-260.

————:0:————

अध्याय–6

थारू जनजाति की आर्थिक परिवर्तनशीलता एवं संविकास
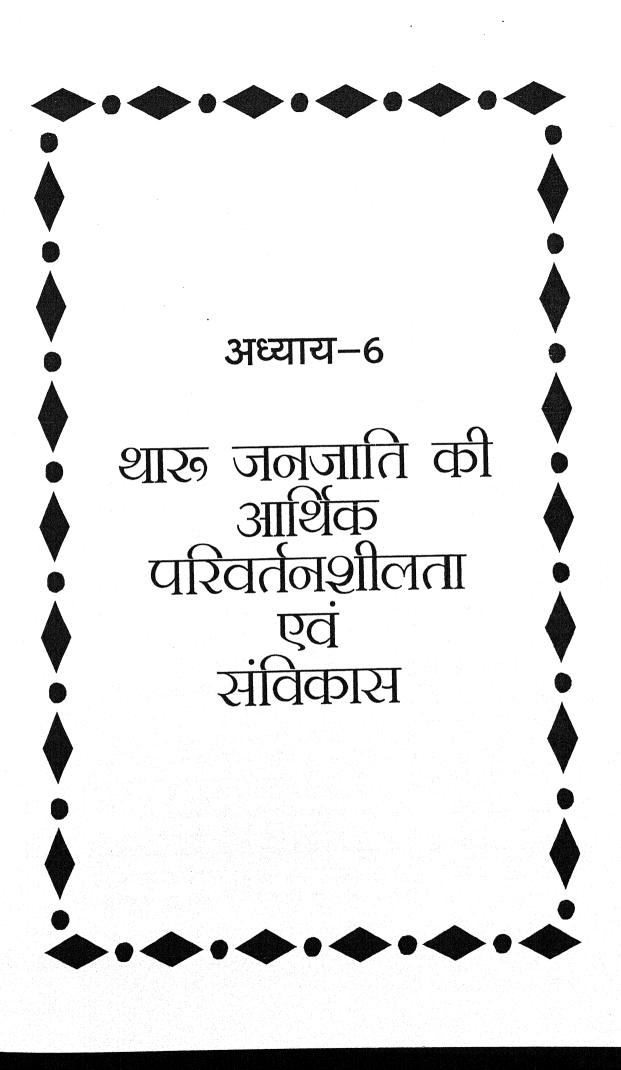
अध्याय – 6

थारू जनजाति की आर्थिक परिवर्तनशीलता एवं संविकास

आर्थिक स्थिति विकास का महत्वपूर्ण पक्ष है जिसका निर्धारण किसी व्यक्ति या समाज के कार्यस्वरूप, आय, उपभोग व्यय, तथा जीवन स्तर के आधार पर किया जाता है। किसी समाज में विकास के साथ आर्थिक क्रियाकलापों का स्वरूप भी परिवर्तित होता है। थारू एक कृषक जनजाति है, जिसमें, आखेट एवं संग्रहण के गुण भी दृष्यगत है। परन्तु वर्तमान में समाज में कृषि के तकनीकीकृत स्वरूप तथा द्वितीयक, तृतीयक एवं चतुर्थक क्रियाकलापों की तरफ बढ़ती रूचि स्पष्ट दृष्टिगोचर है।प्रस्तुत अध्याय में थारू जनजाति के आर्थिक स्थिति पर विकास के प्रभाव का आंकलन किया गया है

6.1 व्यवसाय प्रतिरूप

परिवर्तनशील दशाओं में उत्तरदाताओं के व्यवसायिक प्रतिरूप की चर्चा तालिका संख्या 5.15 एवं 5.16 के माध्यम से की जा चुकी है। व्यवसाय परिवर्तन के संदर्भ में उत्तरदाताओं से पूछा गया कि अपना पूर्व व्यवसाय परिवर्तित किया है जिस संदर्भ में तालिका 6.1 के अनुसार कुल 47.22 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने अपना व्यवसाय परिवर्तित किया है। 16.67 प्रतिशत ने कृषि से, 4.44 प्रतिशत ने पशुपालन से, 20.00 प्रतिशत ने श्रम से, 1.67 प्रतिशत ने दुकान से, 0.56 प्रतिशत ने निर्माण उद्योग से एवं 3.33 प्रतिशत ने अन्य क्रियाकलापों से व्यवसाय परिवर्तन किया है।

तालिका 6.1 : चयनित परिवारों में मुख्य व्यवसाय में परिवर्तन

(प्रतिशत में)

क्र. सं.	वर्ग	कुल परिवार	कृषि	व्यवसाय पशुपालन	श्रम	दुकान	निर्माण	निजी संचालन	कुल परिवर्तन
1	सड़क से दूर स्थित गाँव	50	8.00	2.00	12.00	0.00	0.00	2.00	24.00
2	सड़क पर स्थित गाँव	50	14.00	4.00	20.00	2.00	0.00	4.00	46.00
3	विकास केन्द्र के गाँव	50	24.00	4.00	24.00	2.00	2.00	4.00	60.00
4	योग	150	15.33	3.33	18.67	1.33	0.67	3.33	43.33
5	राना थारू	40	15.00	2.50	32.50	0.00	2.50	2.50	57.50
6	कठरिया थारू	20	10.00	0.00	35.00	0.00	0.00	5.00	50.00
7	दंगुरिया थारू	90	16.67	4.44	8.89	2.22	0.00	3.33	35.56
8	योग	150	15.33	3.33	18.67	1.33	0.67	3.33	43.33
9	गैर जनजाति	30	23.33	10.00	26.67	3.33	0.00	3.33	66.67
10	महायोग	180	16.67	4.44	20.00	1.67	0.56	3.33	47.22

स्रोत : शोधकर्त्ता द्वारा अपने शोध अध्ययन "थारू जनजाति की सामाजिक आर्थिक परिवर्तनशीलता एवं संविकास" हेतु 2004–05 में किए गये सर्वेक्षण पर आधारित।

तालिका से स्पष्ट है कि विकास के साथ परम्परागत क्रियाकलापों से तकनीकी/द्वितीयक एवं तृतीयक क्रियाकलापों में रूचि बढ़ रही है।

तालिका 6.2 : उत्तरदाताओं द्वारा रोजगार के विविध साधनों को अपनाने हेतु विचार

(प्रतिशत में)

क्र.सं.	वर्ग	किराना दुकान	आटा चक्की	तेल मिल	परिवहन हेतु टैक्सी	ट्रैक्टर खरीदना	मूंज/पत्ते से वस्तु बनाना	फर्नीचर उद्योग	रस्सी निर्माण	बांस या बेत का सामान बनाना	सिलाई दुकान	विद्यालय चलाना	मछली पालन	डेयरी उद्योग	मुर्गी पालन	मशीन रिपेयरिंग	मोटर/स्कूटर रिपेयरिंग	ट्रैक्टर रिपेयरिंग	साईकिल या रिक्शा रिपेयरिंग	इलक्ट्रानिक वस्तुएँ बनाना	अन्य छोटे उद्योग	कोई नहीं	योग
1	सड़क से दूर स्थित गाँव	4.00	4.00	0.00	2.00	6.00	2.00	0.00	6.00	4.00	2.00	0.00	2.00	4.00	0.00	4.00	2.00	2.00	2.00	0.00	4.00	50.00	100.00
2	सड़क पर स्थित गाँव	8.00	6.00	4.00	2.00	14.00	4.00	2.00	2.00	2.00	4.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	0.00	4.00	4.00	2.00	6.00	26.00	100.00
3	विकास केन्द्र के गाँव	10.00	4.00	6.00	8.00	12.00	2.00	2.00	2.00	6.00	4.00	6.00	2.00	6.00	2.00	4.00	4.00	2.00	2.00	4.00	2.00	10.00	100.00
4	योग	7.33	4.67	3.33	4.00	10.67	2.67	1.33	3.33	4.00	3.33	2.67	2.00	4.00	1.33	3.33	2.00	2.67	2.67	2.00	4.00	28.67	100.00
5	राना थारू	7.50	5.00	2.50	7.50	15.00	2.50	0.00	0.00	5.00	5.00	5.00	2.50	7.50	0.00	5.00	2.50	5.00	2.50	2.50	5.00	12.50	100.00
6	कठरिया थारू	10.00	0.00	5.00	5.00	10.00	0.00	5.00	0.00	0.00	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	5.00	5.00	0.00	5.00	10.00	25.00	100.00
7	देगुरिया थारू	6.67	5.56	3.33	2.22	8.89	3.33	1.11	5.56	4.44	2.22	1.11	2.22	2.22	2.22	3.33	1.11	1.11	3.33	1.11	2.22	36.67	100.00
8	योग	7.33	4.67	3.33	4.00	10.67	2.67	1.33	3.33	4.00	3.33	2.67	2.00	4.00	1.33	3.33	2.00	2.67	2.67	2.00	4.00	28.67	100.00
9	गैर जनजाति	16.67	13.33	0.00	10.00	13.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.33	0.00	6.67	0.00	3.33	3.33	0.00	0.00	3.33	10.00	16.67	100.00
10	महायोग	8.89	6.11	2.78	5.00	11.11	2.22	1.11	2.78	3.33	2.78	2.78	1.67	4.44	1.11	3.33	2.22	2.22	2.22	2.22	5.00	26.67	100.00

स्रोत : शोधकर्त्ता द्वारा अपने शोध अध्ययन "थारू जनजाति की सामाजिक आर्थिक परिवर्तनशीलता एवं संविकास" हेतु 2004–05 में किए गये सर्वेक्षण पर आधारित।

अध्ययन के दौरान चयनित परिवारों के कार्य की इच्छा के संदर्भ में जानकारी प्राप्त की गई –

तालिका संख्या 6.2 के अनुसार 73.33 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने किसी न किसी कार्य/रोजगार में रूचि दिखाई जिसमें 8.89 प्रतिशत उत्तरदाता किराना दुकान करने की इच्छा में थे, 6.11 प्रतिशत उत्तरदाता आटा चक्की लगाने 2.78 प्रतिशत तेल मिल लगाने चाहते थे। 5 प्रतिशत उत्तरदाता परिवहन हेतु जीप या टैक्सी खरीदना चाहते थे, 11.11 प्रतिशत लोग ट्रैक्टर खरीदकर किराये पर चलाना चाहते थे, 2.22 प्रतिशत लोग मूंज/घास/पत्ता से मशीन द्वारा वस्तु निर्माण की इच्छा में थे 1.11 प्रतिशत लोग फर्नीचर उद्योग में 2.78 प्रतिशत लोग रस्सी निर्माण में, 3.33 प्रतिशत लोग बांस एवं बेंत के सामान निर्माण करने वाला कुटीर उद्योग लगाना चाहते थे। 2.78 प्रतिशत लोग सिंचाई की दुकान में, 2.78 प्रतिशत लोग निजी विद्यालय चलाने में 1.67 प्रतिशत मछली पालन में, 4.44 प्रतिशत डेयरी चलाने में 1.11 प्रतिशत लोग मुर्गी पालन (पोल्ट्री फार्म) 2.22 प्रतिशत मशीन बनाना, 2.22 प्रतिशत लोग मोटर साईकिल रिपेयरिंग, 2.22 लोग ट्रैक्टर रिपेयरिंग 2.22 प्रतिशत साइकिल/रिक्शा रिपेयरिंग की दुकान करना चाहते थे वही 5 प्रतिशत अन्य कार्यों को करना चाहते थे साथ ही 26.67 प्रतिशत लोगों ने किसी उद्योग विशेष में रूचि नहीं दिखाई।

तालिका से निम्न तथ्य सामने आते हैं।

1. सड़क से दूर के गाँवों की अपेक्षा विकास केन्द्रों की तरफ लोगों में व्यवसाय के प्रति जागरूकता बढ़ी है। साथ ही राना थारू एवं गैर जनजातीय लोग कठरिया एवं दगुरिया की अपेक्षा व्यवसाय के प्रति ज्यादा जागरूक है।
2. तराई के लघु उद्योगों द्वितीयक कार्यों के प्रति जागरूकता बढ़ रही है अतः आवश्यकता है कि मानव श्रम का उत्पादक उपयोग किया जाए।

नये व्यवसाय संचालन के लिए इच्छुक व्यक्तियों में व्यवसाय के लिए निम्न समस्याएं सामने आती हैं (तालिका 6.3) 15.56 प्रतिशत लोग धन का अभाव को 15.56 प्रतिशत लोग ज्ञान के अभाव, 11.11 प्रतिशत लोग ऋण न मिल पाने, 6.11 लोग कच्चा माल न मिल पाना, 6.67 प्रतिशत लोग परिवहन संसाधनों के अभाव को 8.33 प्रतिशत लोग बिजली की कमी, 8.89 प्रतिशत लोग बाजार एवं विक्रय सुविधाओं के अभाव, 10.00 प्रतिशत लोग उत्पादों की गुणवत्ता में कमी, 7.78 प्रतिशत लोग तकनीकी साधनों के अभाव को तथा 10.00 लोग भ्रष्टाचार को मुख्य समस्या मानते हैं।

तालिका से स्पष्ट है कि सड़क पर स्थिति गाँवों में व्यवसाय संचालन की इच्छा रखने वालों में मुख्य समस्या अवस्थापनात्मक सुविधाओं से संबंधित है, वहीं विकास केन्द्रों पर के लोग जानकारी एवं तकनीकी सुविधाओं की कमी को मुख्य समस्या मानते हैं क्योंकि यहां अवस्थापनात्मक सुविधाओं का विस्तार हुआ है एवं वे फुटलूज उद्योगों की तरफ उन्मुख हो रहे हैं। इसका अर्थ यह नहीं कि सड़क से दूर स्थित गांवों में व्यवसायकर्ता व्यवसाय के प्रति अधिक जानकारी रखते हैं बल्कि वहां की पहली आवश्यकता अवस्थापनात्मक सुविधाओं की है। लोगों में व्यवसायिक जागरूकता बढ़ी है परन्तु समस्याओं पर नियंत्रण के साथ सुविधा विस्तार की आवश्यकता है, जिसमें धन/साधनों की उपलब्धता, सही बाजार एवं तकनीकी रूप से प्रशिक्षण दिलाने की आवश्यकता है।

तालिका 6.3 : उत्तरदाताओं द्वारा रोजगार अपनाने में आने वाली मुख्य समस्यायें

(प्रतिशत में)

क्र.सं.	वर्ग	धन का अभाव	ज्ञान का अभाव	ऋण न मिल पाना	कच्चा माल न मिलना	परिवहन साधन का अभाव	बिजली असुविधा	विक्रय केन्द्र/ बाजार का न होना	तकनीकी साधनों का अभाव	भ्रष्टाचार	अन्य	योग
1	सड़क से दूर स्थित गाँव	14.00	10.00	12.00	8.00	10.00	10.00	10.00	12.00	2.00	12.00	100.00
2	सड़क पर स्थित गाँव	16.00	16.00	14.00	4.00	6.00	6.00	10.00	10.00	8.00	10.00	100.00
3	विकास केन्द्र के गाँव	14.00	18.00	10.00	8.00	4.00	10.00	8.00	10.00	10.00	8.00	100.00
4	योग	14.67	14.67	12.00	6.67	6.67	8.67	9.33	10.67	6.67	10.00	100.00
5	राना थारू	10.00	15.00	12.50	7.50	5.00	10.00	7.50	12.50	10.00	10.00	100.00
6	कठरिया थारू	15.00	10.00	15.00	10.00	5.00	5.00	10.00	5.00	10.00	15.00	100.00
7	दंगुरिया थारू	16.67	15.56	11.11	5.56	7.78	8.89	10.00	11.11	4.44	8.89	100.00
8	योग	14.67	14.67	12.00	6.67	6.67	8.67	9.33	10.67	6.67	10.00	100.00
9	गैर जनजाति	20.00	20.00	6.67	3.33	6.67	6.67	6.67	6.67	13.33	10.00	100.00
10	महायोग	15.56	15.56	11.11	6.11	6.67	8.33	8.89	10.00	7.78	10.00	100.00

स्रोत : शोधकर्त्ता द्वारा अपने शोध अध्ययन "थारू जनजाति की सामाजिक आर्थिक परिवर्तनशीलता एवं संविकास" हेतु 2004–05 में किए गये सर्वेक्षण पर आधारित।

6.2 कृषि

6.2.1 भूमि धारण प्रतिरूप – भारत की जनजातियां आखेट एवं खाद्य संग्रहण की अवस्था से कृषि कार्य की ओर उन्मुख हुई है और सामाजिक आर्थिक परिवर्तन के प्रभाव से, परम्परागत कृषि प्रणाली, तकनीकी कृषि–प्रणाली में परिवर्तित हो रही है।

थारू जनजाति की कृषि व्यवस्था पर सामाजिक आर्थिक परिवर्तन के प्रभाव को आंकने के लिए परिवारों में भूमि धारण भूमिस्वरूप, कृषि साधन उत्पादकता आदि पक्षों को शामिल किया गया है।

तालिका संख्या 6.4के अनुसार उत्तर प्रदेश में विभिन्न सामाजिक वर्गो में भूमि धारण का औसत आकार सामान्य वर्ग में .96 हेक्टेयर, अनुसूचित जनजाति में 1.77 हेक्टेयर, अनुसूचित जाति में 0.57 हेक्टेयर है। वृहत एवं सीमान्त कृषकों में अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों की अपेक्षा सामान्य वर्ग की औसत भूमि आकार अधिक है, वहीं मध्यम कृषकों में औसत भूमिधारिता अनुसूचित जनजातियों से कम है। अर्थात् जनजातियों के पास प्रतिकृषक औसतन अधिक भूमि है।

तालिका 6.4 : उत्तर प्रदेश के विभिन्न सामाजिक वर्गों में धारित औसत भूमि आकार

(हेक्टेयर में)

क्र. सं.	भूमि आकार हे0	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	सामान्य	औसत
1	0-1	0.34	0.35	0.39	0.38
2	1-1.99	1.34	1.43	1.42	1.41
3	2-3.99	2.63	2.86	2.74	2.73
4	4-9.99	5.11	5.86	5.55	5.55
5	10+	13.93	12.68	15.36	15.34
6	औसत	0.57	1.77	0.96	0.9

स्रोत : सिंह, ए0 के0, 2004 : ट्रायबल इकोनामी, पृ0 28

तालिका संख्या 6.5 के अनुसार परिवारों में 40.56 प्रतिशत सीमान्त कृषक, 27.78 प्रतिशत लघु कृषक, 22.22 प्रतिशत मध्यम कृषक एवं 9.44 प्रतिशत वृहत किसान थे। सड़क से दूर गाँवों से सड़क पर स्थित गाँव एवं विकास केन्द्रों पर लघु, मध्यम एवं वृहत जोतों की मात्रा अधिक है वहीं गैर जनजातीय लोगों में वृहत मध्यम एवं लघु कृषकों की मात्रा अधिक है। तालिका से स्पष्ट है कि विकास केन्द्रों पर बाहर से आये लोगों के अतिक्रमण एवं विकास के प्रभाव से लोगों ने अधिक मात्रा में भूमि धारित किया है।

तालिका 6.5 : चयनित परिवारों द्वारा धारित औसत भूमि आकार

(प्रतिशत में)

क्र. सं.	वर्ग	कुल परिवार	भूमि आकार आधारित कृषक वर्ग				योग
			सीमांत	लघु	मध्यम	वृहद	
1	सड़क से दूर स्थित गाँव	50	54.00	28.00	14.00	4.00	100.00
2	सड़क पर स्थित गाँव	50	44.00	32.00	18.00	6.00	100.00
3	विकास केन्द्र के गाँव	50	44.67	32.67	16.67	6.00	100.00
4	योग	150	40.00	35.00	20.00	5.00	100.00
5	राना थारू	40	35.00	35.00	20.00	10.00	100.00
6	कठरिया थारू	20	48.89	31.11	14.44	5.56	100.00
7	दंगुरिया थारू	90	44.67	32.67	16.67	6.00	100.00
8	योग	150	40.00	26.67	23.33	10.00	100.00
9	गैर जनजाति	30	43.89	31.67	17.78	6.67	100.00
10	महायोग	180	40.56	27.78	22.22	9.44	100.00

स्रोत : शोधकर्त्ता द्वारा अपने शोध अध्ययन "थारू जनजाति की सामाजिक आर्थिक परिवर्तनशीलता एवं संविकास" हेतु 2004–05 में किए गये सर्वेक्षण पर आधारित।

तालिका 6.6 : चयनित परिवारों द्वारा धारित भूमि के उपयोग प्रतिरूप का वर्गवार विवरण

(हेक्टेयर में)

क्र. सं.	वर्ग	कुल भूमि	शुद्ध बोया गया क्षेत्र	कुल भूमि का प्रतिशत	सकल बोया गया क्षेत्र	कुल भूमि का प्रतिशत	औसत प्रति परिवार कुल भूमि	औसत प्रति व्यक्ति कुल भूमि	औसत प्रति परिवार शुद्ध बोया गया क्षेत्र	औसत प्रति व्यक्ति शुद्ध बोया गया क्षेत्र	औसत प्रति परिवार सकल बोया गया क्षेत्र	औसत प्रति व्यक्ति सकल बोया गया क्षेत्र
1	सड़क से दूर स्थित गाँव	80.91	52.09	64.38	104.82	129.55	1.62	0.14	1.04	0.09	2.10	0.18
2	सड़क पर स्थित गाँव	82.88	64.02	77.25	122.01	147.22	1.66	0.12	1.28	0.09	2.44	0.18
3	विकास केन्द्र के गाँव	80.43	70.02	87.06	137.14	170.50	1.61	0.12	1.40	0.11	2.74	0.21
4	योग	244.22	186.14	76.22	363.97	149.03	1.63	0.13	1.24	0.10	2.43	0.19
5	राना थारू	75.86	52.82	69.62	106.29	140.11	1.90	0.14	1.32	0.10	2.12	0.20
6	कठरिया थारू	34.05	26.04	76.49	70.45	206.91	1.70	0.15	1.30	0.12	1.41	0.31
7	दंगुरिया थारू	134.31	107.27	80.79	187.23	139.40	1.49	0.12	1.20	0.09	3.74	0.16
8	योग	244.22	186.14	76.22	363.97	149.03	1.63	0.13	1.24	0.10	2.43	0.19
9	गैर जनजाति	38.05	32.87	86.40	54.05	142.05	1.27	0.16	1.10	0.14	1.08	0.22
10	महायोग	282.27	219.01	77.67	418.02	148.09	1.57	0.13	1.22	0.10	2.00	0.19

स्रोत : शोधकर्त्ता द्वारा अपने शोध अध्ययन "थारू जनजाति की सामाजिक आर्थिक परिवर्तनशीलता एवं संविकास" हेतु 2004–05 में किए गये सर्वेक्षण पर आधारित।

औसत भूमि धारण तथा भूमि उपयोगिता के संदर्भ में तालिका संख्या 6.6 के अनुसार कुल परिवारों के पास 282.27 हेक्टेयर भूमि थी जिसमें 219.01 हेक्टेयर शुद्ध बोया गया क्षेत्र तथा 418.02 हेक्टेयर सकल बोया गया क्षेत्र था, कुल भूमि में शुद्ध बोया गया क्षेत्र 77.67, प्रतिशत सकल बोया गया क्षेत्र 148.09 प्रतिशत, प्रति परिवार औसत भूमि उपलब्धता 1.57 हेक्टेयर प्रतिव्यक्ति औसत भूमि उपलब्धता 0.13 हेक्टेयर, प्रति परिवार शुद्ध बोया गया क्षेत्र 1.22 हेक्टेयर प्रति व्यक्ति शुद्ध बोया गया क्षेत्र 0.10 हेक्टेयर एवं सकल बोया गया क्षेत्र (प्रति परिवार) 2.00 हेक्टेयर, तथा प्रति व्यक्ति सकल बोया गया क्षेत्र 0.19 हेक्टेयर है। शुद्ध बोये गये क्षेत्र एवं सकल बोये गये क्षेत्र की मात्रा सड़क से दूर स्थिति गाँवों की अपेक्षा विकास केन्द्रों पर अधिक है।
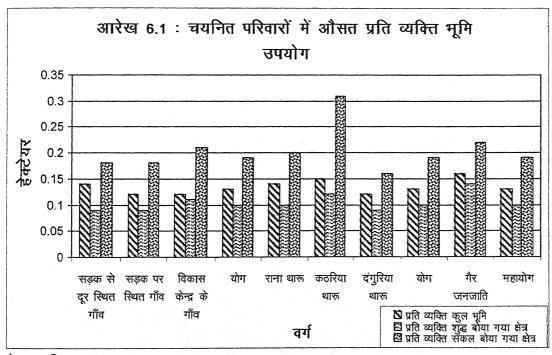
स्रोत : तालिका 6.6

6.2.2 भूमि उपयोंग प्रतिरूप – सामाजिक –आर्थिक परिवर्तन का प्रभाव धारित भूमि के स्वरूप पर भी पड़ता है।[2] अतः तालिका 6.7 के अनुसार चयनित परिवारों में कुल 282.27 हेक्टेयर भूमि का 78.38 प्रतिशत भूमि पर कृषि, 9.30 प्रतिशत भूमि परती, 3.13 प्रतिशत भूमि जंगल, 6.53 प्रतिशत भूमि बंजर/ऊसर, तालाब तथा आवास तथा 2.67 प्रतिशत भूमि अन्य रूपों में थी। सड़क से दूर स्थित गाँवों में जंगल एवं बंटाई भूमि की मात्रा अधिक है वहीं विकास केन्द्रों की तरफ परती भूमि की मात्रा अधिक है।

कुल कृषित क्षेत्र में निजी या सरकारी स्रोतों से 58.88 प्रतिशत भूभाग सिंचित है वहीं 41.12 प्रतिशत भूभाग असिंचित है। सड़क से दूर के गाँवों की अपेक्षा विकास केन्द्रों की तरफ सिंचित क्षेत्र का

प्रतिशत बढ़ता जाता है। क्योंकि कृषकों को पम्पिंग सेट, ट्यूबवेल आदि की सुविधा मिली है। परन्तु बलरामपुर एवं श्रावस्ती क्षेत्रों में बोरिंग न होने से सिंचाई की विकट समस्या है।

तालिका 6.7 : कुल भूमि के भूमि उपयोग स्वरूप का वर्गवार विवरण

(प्रतिशत में)

क्र. सं.	वर्ग	कुल भूमि (हे0 में)	कृषि भूमि	परती भूमि	जंगल भूमि	बंजर/कसर/तालाब/आवास	अन्य	सिंचित कृषि भूमि	असिंचित कृषि भूमि	योग
1	सड़क से दूर स्थित गाँव	80.91	78.27	7.09	5.1	7.97	1.57	48.98	51.02	100.00
2	सड़क पर स्थित गाँव	82.88	80.75	9.18	2.08	5.92	2.08	58.28	41.72	100.00
3	विकास केन्द्र के गाँव	80.43	78.65	11.1	1.05	5.13	4.07	66.14	33.86	100.00
4	योग	244.22	79.24	9.12	2.74	6.34	2.56	57.79	42.21	100.00
5	राना थारू	75.86	77.89	9.13	1.65	8.6	2.73	60.94	39.06	100.00
6	कठरिया थारू	34.05	77.09	9.76	3.47	5.66	4.02	60.94	39.06	100.00
7	दंगुरिया थारू	134.31	80.54	8.95	3.18	5.23	2.1	55.21	44.79	100.00
8	योग	244.22	79.24	9.12	2.74	6.34	2.56	57.79	42.21	100.00
9	गैर जनजाति	38.05	72.88	10.5	5.58	7.73	3.31	65.89	34.11	100.00
10	महायोग	282.27	78.38	9.3	3.13	6.53	2.67	58.88	41.12	100.00

स्रोत : शोधकर्त्ता द्वारा अपने शोध अध्ययन "थारू जनजाति की सामाजिक आर्थिक परिवर्तनशीलता एवं संविकास" हेतु 2004–05 में किए गये सर्वेक्षण पर आधारित।
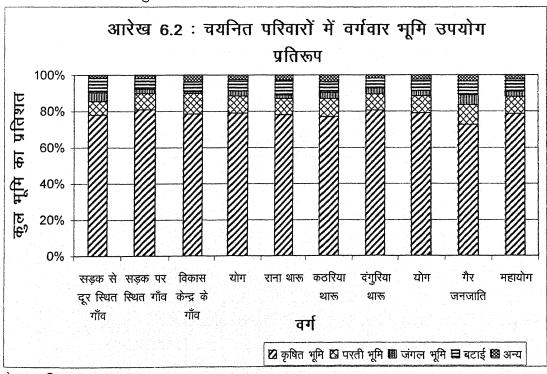
स्रोत : तालिका 6.6

6.2.3. फसल प्रतिरूप – क्षेत्र के फसल प्रतिरूप पर सामाजिक आर्थिक परिवर्तन का प्रभाव दृष्यगत है। थारू कृषक खरीफ, रबी, एवं जायद की फसलें क्रमशः वर्षा ऋतु, शीत ऋतु, एवं ग्रीष्म

ऋतु में प्राप्त करते हैं। थारू निवास क्षेत्र में उष्ण आर्द्र जलवायु होने के कारण खरीफ ऋतु की फसलें मुख्य रूप से कृषित की जाती हैं। जिसमें धान, मक्का, तिल, सावां, कोदौ, उर्द, अरहर आदि फसलो की कृषि करते हैं। रबी में गेहूं, सरसों, लाही, मसूर, आलू, आदि फसलें, तथा जायद में तरबूज, खरबूजा, ककड़ी एवं सब्जियों का उत्पादन करते हैं।

तालिका संख्या 6.8 के अनुसार कुल परिवारों के सकल कृषित क्षेत्र का 57.28 प्रतिशत खरीफ में, 33.95 प्रतिशत रबी में एवं 8.77 प्रतिशत जायद में कृषित किया जाता है। जायद फसलों का उत्पादन क्षेत्र सड़क से दूर स्थित गाँवों की अपेक्षा विकास केन्द्र के गाँवों पर अधिक है जो विकास के प्रभाव का परिचायक है। क्योंकि क्षेत्र में सामान्यतः लोग जायद में कम फसलें प्राप्त करते हैं।

फसल प्रतिरूप के संदर्भ में सकल कृषित क्षेत्र के 37.39 प्रतिशत भाग पर, धान की खेती, 26. 69 प्रतिशत भाग पर गेहूं, 1.28 प्रतिशत भाग पर ज्वार बाजरा 12.18 प्रतिशत भू–भाग पर दलहनी 5.18 प्रतिशत भाग पर तिलहन 16.11 प्रतिशत भूभाग पर गन्ना एवं 1.17 प्रतिशत भूभाग पर अन्य फसलें कृषित की जाती हैं। थारू जनजातीय परिवारों के फसल प्रतिरूप पर विकास का प्रभाव दृष्यगत है। तालिका के अनुसार सड़क से दूर स्थित गाँवों के चयनित थारू परिवारों में खाद्यान्न फसलों का क्षेत्र ज्यादा है वही विकास केन्द्र के गांवों की तरफ दलहन, तिलहन, एवं नकदी फसलों का क्षेत्र अधिक है जो यह स्पष्ट करता है कि विकास के प्रभाव से थारू परिवारों के फसल प्रतिरूप में नकदी फसलों की मात्रा बढ़ी है। जहाँ गन्ना, क्षेत्र की मुख्य नकदी फसल के रूप में उभर रहा है। वहीं धान की एकाधिकारिता कम हो रही है।

तालिका 6.8 : चयनित परिवारों के सकल कृषित क्षेत्र का फसल एवं मौसमवार शस्य प्रतिरूप

(प्रतिशत में)

क्र. सं.	वर्ग	कुल क्षेत्र (हे0 में)	फसल मौसम			धान	गेहूँ	ज्वार बाजरा	दलहन	तिलहन	गन्ना	अन्य	कुल
			खरीफ	रबी	जायद								
1	सड़क से दूर स्थित गाँव	104.82	60.11	35.51	4.38	43.89	23.29	2.19	14.21	7.00	7.88	1.55	100.00
2	सड़क पर स्थित गाँव	122.01	60.13	32.87	7.01	35.18	27.98	0.70	13.91	5.68	15.88	0.67	100.00
3	विकास केन्द्र के गाँव	137.14	53.22	31.89	14.89	30.14	27.53	0.91	12.96	5.05	21.93	1.48	100.00
4	योग	363.97	57.52	33.26	9.22	35.79	26.46	1.21	13.64	5.82	15.85	1.23	100.00
5	राना थारू	106.29	58.86	32.87	8.27	43.40	15.97	0.80	14.05	6.52	18.85	0.41	100.00
6	कठरिया थारू	70.45	54.68	34.42	10.90	35.38	18.41	0.64	9.82	6.88	27.75	1.11	100.00
7	दंगुरिया थारू	187.23	57.81	33.04	9.15	31.62	35.44	1.65	14.84	5.03	9.68	1.74	100.00
8	योग	363.97	57.52	33.26	9.22	35.79	26.46	1.21	13.64	5.82	15.85	1.23	100.00
9	गैर जनजाति	54.05	55.75	38.58	5.67	48.20	28.22	1.80	2.38	0.82	17.81	0.76	100.00
10	महायोग	418.02	57.28	33.95	8.77	37.39	26.69	1.28	12.18	5.18	16.11	1.17	100.00

स्रोत : शोधकर्त्ता द्वारा अपने शोध अध्ययन "थारू जनजाति की सामाजिक आर्थिक परिवर्तनशीलता एवं संविकास" हेतु 2004–05 में किए गये सर्वेक्षण पर आधारित।
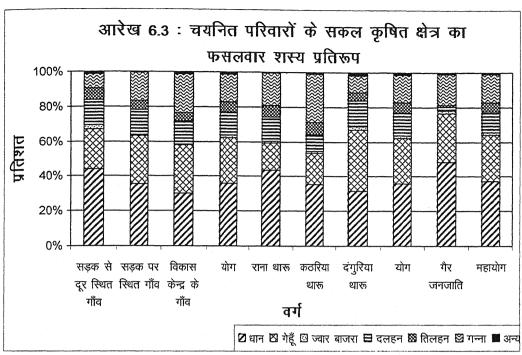
स्रोत : तालिका 6.8

उत्तर प्रदेश में सामाजिक वर्गों के अनुसार फसल प्रतिरूप – तालिका 6.9 के अनुसार 1991 में अनुसूचित जनजातियों में खाद्यान्न की खेती 92 प्रतिशत भू भाग पर होती थी वही अखाद्य फसलों की खेती 3.8 प्रतिशत भूभाग पर होती थी। वही सामान्य जाति एवं अनुसूचित जाति में खाद्यान्न फसलों की खेती क्रमशः 82.5 प्रतिशत एवं 86.5 प्रतिशत भूभाग पर होती थी। अर्थात अनुसूचित जनजातियों में नकदी फसलों की खेती कम होती है।

तालिका 6.9 : उत्तर प्रदेश के विभिन्न सामाजिक वर्गों में कुल कृषित क्षेत्र का फसलवार विवरण

क्रम सं.	फसल	सामान्य	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति
1.	धान	21.9	26.5	31.9
2.	ज्वार	2.5	3.0	–
3.	बाजरा	3.4	2.9	0.7
4.	मक्का	4.1	4.9	7.8
5.	गेहूँ	37.6	34.9	44.7
6.	जौ	2.1	2.2	3.6
7.	चना	4.5	1.9	0.2
8.	अरहर	4.5	1.9	0.2
9.	कुल अनाज	73.2	76.5	90.7
10.	कुल खाद्यान्न	82.5	86.5	92.6
11.	तिलहन	3.5	3.4	2.7
12.	गन्ना	7.2	4.8	2.6
13.	अन्य गैर खाद्यान्न	0.3	0.2	–
14.	कुल गैर खाद्य फसलें	7.3	6.3	3.8
15.	अन्य			

स्रोत – सिंह, ए. के. (2005) 'ट्रायबल इकोनामी' पृ0 29

जनजाति के फसल प्रतिरूप में सतत परिवर्तन हो रहा है। पहले वे चावल, सावा कोदौ, गेहूं, मसूर, जौ की खेती करते थे अब धान एवं गेहूं की कृषि करते हैं।थारू लोग अब परम्परागत कृषि विधियों की जगह तकनीकी कृषि को प्रमुखता देते हैं। अब नकदी फसलों की खेती करने लगे हैं जिसमें गन्ना एवं दलहन मुख्य है। बलरामपुर एवं लखीमपुर जनपदों में चीनी मिलों की अधिकता से गन्ने की खेती में तीव्र वृद्धि हुई है। परन्तु कांटा (क्रय केन्द्र) दूर होने से असुविधाओं से ग्रस्त है। वहीं श्रावस्ती में सिंचाई सुविधा न होने से गन्ने की खेती नहीं कर पाते हैं।

कृषि के साथ थारू परिवार पशुपालन एवं कृषि आधारित उद्योग भी चलाने लगे हैं। जिसे पाइलेशर, चक्की, तेल मिल, पिपरमिंट मिल आदि मुख्य हैं। साथ ही तृतीयक क्रियाकलापों की तरफ मुड़ रहे है।

6.2.4 कृषि में साधन प्रयोग – किसी समाज में सामाजिक आर्थिक परिवर्तन का प्रभाव कृषि कार्य के साधन प्रयोग पर दृव्यगत होता है।

1. जुताई एवं मड़ाई के लिए साधन प्रयोग – तालिका संख्या 6.10 के अनुसार चयनित परिवारों के सकल कृषित क्षेत्र में 64.57 प्रतिशत भूभाग परम्परागत हलों से जोता गया था वही 35.05 प्रतिशत भूभाग ट्रैक्टर से जोता गया था, 15.40 भूभाग की कटाई में हारवेस्टर का प्रयोग किया था। परम्परागत विधि से जुताई क्षेत्र की मात्रा सड़क से दूर के गाँवों में अधिक है। वही विकास केन्द्रों की तरफ ट्रैक्टर का प्रयोग बढ़ता जाता है। गैर जनजातीय लोगों में ट्रैक्टर का प्रयोग अधिक है। वहीं हारवेस्टर का भी प्रयोग अधिक है। अतः स्पष्ट है कि कृषि में तकनीकी साधनों का प्रयोग बढ़ रहा है।

2. बीज, खाद एवं कीटनाशक प्रयोग – तालिका संख्या 6.10 के अनुसार सकल कृषित क्षेत्र में 71.93 प्रतिशत भूभाग पर परम्परागत बीज का प्रयोग हुआ था वहीं 28.07प्रतिशत भूभाग पर उच्च उत्पादक किस्म के बीजों (HYV) का प्रयोग हुआ था। वही 52.75 प्रतिशत भूभाग पर कीटनाशकों का प्रयोग हुआ था तथा 76.07 प्रतिशत भूभाग पर रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग हुआ।

सड़क से दूर के गाँवों में थारू परिवारों में परम्परागत घरेलू बीजों का प्रयोग 78.37 प्रतिशत भूभाग पर किया था वहीं विकास केन्द्र के गाँवों में 67.88 प्रतिशत भूभाग पर परम्परागत बीजों का प्रयोग हुआ। वहीं गैर जनजातीय लोगों HYV, कीटनाशक दवाओं एवं रासायनिक खाद का प्रयोग अधिक क्षेत्र में किया है।

अतः स्पष्ट है कि विकास में कृषि HYV कीटनाशक एवं रासायनिक उर्वरकों, का प्रयोग बढ़ रहा है। अतः जहां एक तरफ उत्पादकता बढ़ रही है वहीं भूमि के बंजर होने का खतरा सामने आ रहा है। परम्परागत जैविक उर्वरकों का प्रयोग संधृत कृषि के लिए आवश्यक है। उर्वरकों का बढ़ता प्रयोग असंधृत स्वरूप की ओर उन्मुख कर रहा है।

तालिका 6.10 : चयनित परिवारों के सकल बोये गये क्षेत्र में साधन प्रयोग

(प्रतिशत में)

क्र. सं.	वर्ग	सकल बोया गया क्षेत्र (हे0 में)	जुताई के साधन		हारवेस्टर	बीज प्रयोग		कीटनाशक	रासायनिक खाद
			परम्परागत हल	ट्रैक्टर		परम्परागत बीज	एच0 वाई0 वी0		
1	सड़क से दूर स्थित गाँव	104.82	70.61	29.39	0.00	78.37	21.63	30.09	65.79
2	सड़क पर स्थित गाँव	122.01	66.73	33.27	16.50	70.63	29.37	48.58	68.80
3	विकास केन्द्र के गाँव	137.14	62.46	37.54	22.30	67.88	32.12	63.17	81.88
4	योग	363.97	66.24	33.76	13.93	71.82	28.18	47.28	72.86
5	राना थारू	106.29	50.97	49.03	24.55	64.86	35.14	69.75	79.83
6	कठरिया थारू	70.45	54.60	45.40	20.11	55.34	44.66	62.1	93.87
7	दंगुरिया थारू	187.23	79.29	20.71	5.48	78.03	21.97	28.94	61.00
8	योग	363.97	66.24	33.76	13.93	71.82	28.18	47.28	72.86
9	गैर जनजाति	54.05	53.30	43.74	25.99	72.05	27.95	89.65	97.71
10	महायोग	418.02	64.57	35.05	15.40	71.93	28.07	52.75	76.07

स्रोत : शोधकर्त्ता द्वारा अपने शोध अध्ययन "थारू जनजाति की सामाजिक आर्थिक परिवर्तनशीलता एवं संविकास" हेतु 2004–05 में किए गये सर्वेक्षण पर आधारित।

तालिका 6.11 के माध्यम से चयनित थारू परिवारों में कृषि विधि तथा साधन प्रयोग का फसलवार प्रतिरूप आंकलित किया गया है जिसके अनुसार खाद्यान्न की अपेक्षा गन्ना एवं नकदी फसलों में HYV उर्वरक, कीटनाशक का प्रयोग अधिक क्षेत्र में होता है।

तालिका 6.11 : चयनित परिवारों के सकल बोये गये क्षेत्र में फसलवार साधन प्रयोग

(प्रतिशत में)

क्र. सं.	वर्ग	सकल बोया गया क्षेत्र (हे0 में)	जुताई के साधन		हारवेस्टर	बीज प्रयोग		कीटनाशक	रासायनिक खाद
			परम्परागत हल	ट्रैक्टर		परम्परागत बीज	एच0 वाई0 वी0		
1	खाद्यान	188.32	65.05	53.73	15.40	63.83	54.93	34.86	49.43
2	दलहन	75.56	15.82	4.00	0.00	16.42	4.03	5.71	5.39
3	तिलहन	37.37	14.16	2.40	0.00	13.71	4.74	4.61	12.03
4	गन्ना	50.92	1.18	1.39	0.00	1.35	2.03	1.44	0.75
5	अन्य	65.86	3.79	38.45	0.00	4.60	34.63	11.62	12.75
6	कुल	418.02	66.24	33.76	15.40	71.93	28.07	52.75	76.07

स्रोत : शोधकर्त्ता द्वारा अपने शोध अध्ययन "थारू जनजाति की सामाजिक आर्थिक परिवर्तनशीलता एवं संविकास" हेतु 2004–05 में किए गये सर्वेक्षण पर आधारित।

तालिका संख्या 6.12 के अनुसार कुल परिवारों में 43.33 प्रतिशत लोग परम्परागत श्रम, 22.78 प्रतिशत लोग तकनीकी श्रम एवं 33.89 प्रतिशत लोग दोनों प्रकार का श्रम प्रयोग करते हैं। 49.44 प्रतिशत लोग परम्परागत बीज का एवं 23.33 प्रतिशत लोग HYV का प्रयोग करते हैं, 77.22 प्रतिशत लोग उर्वरक, 68.33 प्रतिशत लोग कीटनाशक का प्रयोग करते हैं। कुल उत्तरदाताओं ने 41.11 प्रतिशत लोग परम्परागत हल का, 32.22 प्रतिशत लोग ट्रैक्टर का, 26.67 प्रतिशत लोग दोनों प्रकार के हलों का प्रयोग करते हैं। 22.22 प्रतिशत लोग हारवेस्टर का प्रयोग करते हैं।

तालिका 6.12 : चयनित परिवारों द्वारा कृषि में तकनीकी साधन प्रयोग

(प्रतिशत में)

क्र. सं.	वर्ग	उत्तरदाताओं द्वारा कृषि में उपयोग किए गए श्रम साधन			बीज प्रयोग			उर्वरक प्रयोग	कीटनाशक प्रयोग	जुताई के साधन			हारवेस्टर
		परम्परागत श्रम	तकनीकी श्रम	दोनों	परम्परागत बीज	एच0 वाई0 वी0	दोनों			परम्परागत हल	ट्रैक्टर	दोनों	
1	सड़क से दूर स्थित गाँव	56.00	16.00	28.00	64.00	14.00	22.00	56.00	48.00	68.00	20.00	12.00	0.00
2	सड़क पर स्थित गाँव	42.00	22.00	36.00	44.00	26.00	30.00	78.00	68.00	46.00	34.00	20.00	22.00
3	विकास केन्द्र के गाँव	34.00	26.00	40.00	38.00	34.00	28.00	89.47	82.00	26.00	42.00	32.00	34.00
4	योग	44.00	21.33	34.67	48.67	24.67	26.66	74.00	66.00	46.67	32.00	21.33	18.67
5	राना थारू	25.00	30.00	45.00	45.00	27.50	27.50	61.11	52.50	32.50	45.00	22.50	27.50
6	कठरिया थारू	40.00	30.00	30.00	40.00	35.00	25.00	87.50	70.00	35.00	45.00	20.00	35.00
7	दंगुरिया थारू	53.33	15.56	31.11	52.22	21.11	26.67	75.56	71.11	55.56	23.33	21.11	11.11
8	योग	44.00	21.33	34.67	48.67	24.67	26.66	74.00	66.00	46.67	32.00	21.33	18.67
9	गैर जनजाति	40.00	30.00	30.00	53.33	16.67	30.00	93.33	80.00	13.33	33.34	53.33	40.00
10	महायोग	43.33	22.78	33.89	49.44	23.33	27.23	77.22	68.33	41.11	32.22	26.67	22.22

स्रोत : शोधकर्त्ता द्वारा अपने शोध अध्ययन "थारू जनजाति की सामाजिक आर्थिक परिवर्तनशीलता एवं संविकास" हेतु 2004–05 में किए गये सर्वेक्षण पर आधारित।

तालिका से स्पष्ट होता है कि विकास के साथ परम्परागत श्रम, परम्परागत बीज प्रयोग, परम्परागत जुताई विधि से खेती करने की मात्रा घटी है। वहीं तकनीकी श्रम, HYV उर्वरक प्रयोग कीटनाशक प्रयोग ट्रैक्टर, जुताई, हारवेस्टर, सोसाइटी आदि के प्रयोग की मात्रा बढ़ी है जो सकारात्मक विकास का संकेतक है।

6.2.5 कृषि में तकनीकी साधनों के प्रयोग में कठिनाइयां – जनजातियों में कृषि में तकनीकी साधनों के प्रयोग में निम्न पक्षों से कठिनाइयां दृव्यगत हैं –

1. आर्थिक कारण – अधिकांश कृषक गरीब हैं और वे मंहगी तकनीकी विधियों को खरीद पाने में असक्षम हैं। सरकार द्वारा साधनों में दी गई छूट, वृहत तथा समृद्ध कृषकों द्वारा प्रयुक्त की जाती है, क्योंकि सीमांत एवं लघु कृषक, सरकारी कर्मचारियों की आवश्यकताओं को नहीं पूर्ण कर पाते। उत्तरदाताओं की शिकायत रही है कि, अनुदान का हिस्सा मध्यस्थ या कर्मचारी स्वमेव ले लेते हैं और अनुदान का लाभ नहीं मिल पाता। वहीं किराये पर लिए गये साधनों का प्रयोग सीमान्त कृषकों के छोटे खेत आकार तथा कम क्षमता के कारण भी सम्भव नहीं हो पाता।

2. सामाजिक सांस्कृतिक कारण – अधिसंख्य कृषक अशिक्षित हैं। उन्हें तकनीकी साधनों तथा अनुदान के विषय में जानकारी नहीं है। अतः वे तकनीकी साधनों का प्रयोग नहीं कर पाते। रूढ़िगत मान्यताएं भी तकनीकी नये कृषि साधनों के प्रयोग में आड़े आती है और जनजातियां इन साधनों के प्रयोग करने में विशेष रूचि नहीं दिखाती।

संयुक्त परिवारों में अधिक संख्या के कारण जनजातियों अनाजों की अधिक आवश्यकता होती है। वे इन परिवारों में सदस्यों द्वारा प्राप्त आय को आसानी से प्रयोग कर सकते हैं और वे छोटे

परिवारों की अपेक्षा तकनीकी साधनों को अधिक प्रयोग करते देखे गये हैं। अतः परिवार का स्वरूप भी तकनीकी साधनों के प्रयोग को प्रभावित करता है।

स्पष्ट है कि सामाजिक आर्थिक परिवर्तन के प्रभाव से कृषि में साधन प्रयोग स्वरूप परिवर्तित हो रहा है। तकनीक साधनों के प्रयोग की मात्रा सतत बढ़ रही है। परन्तु उर्वरक एवं कीटनाशकों की बढ़ती प्रवृत्ति, भविष्य में भूमि की क्षमता को नुकसान पहुँचा सकती है जो असंधृत स्वरूप का द्योतक है। अतः आवश्यक है कि अभी से कीटनाशक, उर्वरकों के सही ढंग से प्रयोग की जानकारी देते हुए जैविक उर्वरक एवं कीटनाशकों के लिए जागरूक किया जाए।

6.2.6 क्रय–विक्रय का स्रोत – जनजातियों को फसल उत्पादों को साहूकर एवं व्यापारियों ने कम कीमत पर खरीदकर शोषित किया है, परन्तु परिवर्तनशील दशाओं में वे फसल विक्रय के लिए सहकारी संस्थाओं को चुनने लगे हैं। अतः यह स्वरूप भी परिवर्तित हो रहा है। इस तथ्य को आंकने के लिए उत्तरदाताओं से पूछे गये प्रश्न का विश्लेषण तालिका संख्या 6.13 में किया गया है। जिसके अनुसार 13.33 प्रतिशत उत्तरदाता स्थानीय बाजार में उत्पाद आधिक्य को बेचते हैं। वहीं 46.67 प्रतिशत उत्तरदाता गाँव के व्यापारी को 17.78 प्रतिशत सहकारी क्रय केन्द्रों पर, 22.22 प्रतिशत उत्तरदाता साहूकारों को उत्पाद आधिक्य का विक्रय करते हैं। सड़क से दूर के गाँवों की अपेक्षा विकास केन्द्र के गाँवों की ओर स्थानीय बाजार एवं सहकारी क्रय केन्द्रों को उत्पाद विक्रय का प्रतिशत बढ़ा है एवं साहूकरों को विक्रय का प्रतिशत कम हुआ है। हांलाकि गाँवों में सहकारी क्रय केन्द्रों पर फसल उत्पाद बेचने की प्रवृत्ति कम मिलती है जिसके लिए छोटे जोत एवं कम उत्पादन होना, आवश्यकता पड़ने पर ही कृषि उत्पाद बेचने की प्रवृत्ति, अनाज को केन्द्र तक ले जाने के लिए साधन न होना, जानकारी न होना, जैसे कारण मुख्य रूप से जिम्मेदार हैं।

तालिका 6.13: कृषि उत्पाद विक्रय स्रोत का वर्गवार विवरण

(प्रतिशत में)

क्र. सं.	वर्ग	कुल परिवार	कृषि सामग्री क्रय केन्द्र				कृषि उत्पाद विक्रय केन्द्र			
			स्थानीय बाजार	सोसाईटी / सहकारी केन्द्र	साहूकार	सहकारी क्रय केन्द्र	स्थानीय बाजार	स्थानीय व्यापारी	सहकारी क्रय केन्द्र	साहूकार
1	सड़क से दूर स्थित गाँव	50	64.00	12.00	18.00	6.00	2.00	46.00	10.00	42.00
2	सड़क पर स्थित गाँव	50	58.00	16.00	16.00	10.00	10.00	48.00	14.00	28.00
3	विकास केन्द्र के गाँव	50	44.00	26.00	16.00	14.00	18.00	40.00	34.00	8.00
4	योग	150	55.33	18.00	16.67	10.00	10.00	44.67	19.33	26.00
5	राना थारू	40	42.50	22.50	22.50	12.50	15.00	35.00	15.00	10.00
6	कठरिया थारू	20	50.00	30.00	10.00	10.00	10.00	35.00	35.00	20.00
7	दंगुरिया थारू	90	62.22	12.22	15.56	8.89	7.78	51.11	17.78	34.44
8	योग	150	55.33	18.00	16.67	10.00	10.00	44.67	19.33	26.00
9	गैर जनजाति	30	63.33	20.00	10.00	6.67	30.00	56.67	10.00	3.33
10	महायोग	180	56.67	17.78	15.56	9.44	13.33	46.67	17.78	22.22

स्रोत : शोधकर्त्ता द्वारा अपने शोध अध्ययन "थारू जनजाति की सामाजिक आर्थिक परिवर्तनशीलता एवं संविकास" हेतु 2004–05 में किए गये सर्वेक्षण पर आधारित।

तालिका से स्पष्ट होता है कि सड़क से दूर के गाँवों की अपेक्षा विकास केन्द्र के गाँव के परिवारों में बाजार एवं सहकारी केन्द्रों से कृषि साधनों को प्राप्त करने की प्रवृत्ति बढ़ी है। वही साहूकारों से सुविधा लेने की प्रवृत्ति सड़क से दूर गाँवों की अपेक्षा विकास केन्द्रों पर कम है। अतः स्पष्ट है कि विकास के साथ कृषि सामग्री खरीदने के लिए बाजार चयन को प्राथमिकता मिली है जो विकास का अहम पक्ष है।

6.2.7 कृषि लागत एवं प्राप्ति – परिवर्तनशील दशाओं में कृषि में लागत एवं प्राप्ति का स्वरूप बदल रहा है इस संदर्भ में विविध कृषि विधियों से लागत एवं प्राप्ति का वर्गवार एवं फसलवार आंकलन किया गया जिसमें श्रम को क्षेत्रीय मजदूरी दर पर, किराये के साधनों को क्षेत्रीय किराये दर पर आंकलित किया गया है। अन्य साधनों/प्रयुक्त सामग्री का औसत मूल्य/किराया क्षेत्रीय दरों पर आंकलित किया गया है। कुल उत्पादों के मूल्य को औसत क्षेत्रीय दरों पर आंकलित किया गया है।

तालिका संख्या 6.14 के अनुसार चयनित परिवारों में परम्परागत विधियों से कृषि क्षेत्र में प्रति हेक्टेयर औसत लागत 2174.95 रूपये है वहीं तकनीकी विधि से प्रति हेक्टेयर औसत लागत 4210.28 रुपये है। परम्परागत विधि से प्रति हेक्टेयर औसत प्राप्ति 7667.05 रू. है, वही तकनीकी विधि से प्रति हेक्टेयर औसत प्राप्ति 18350.33 रू. है। पराम्परागत विधि से एवं तकनीकी विधि से प्रति हेक्टेयर शुद्ध लाभ क्रमशः 5492.10 रू. एवं 14140.05 रू. है। दोनों विधियों में लागत की मात्रा विकास के साथ बढ़ती दर से प्राप्त होती है। वहीं कुल लाभ की मात्रा विकास केन्द्रों के गाँवों में अधिक है।

तालिका 6.14 : चयनित परिवारों में कृषि में प्रति हेक्टेयर औसत लागत एवं प्राप्ति का वर्गवार विवरण

(रुपये में)

क्र. सं.	वर्ग	औसत प्रति हेक्टेयर लागत		औसत प्रति हेक्टेयर प्राप्ति		औसत प्रति हेक्टेयर बचत	
		परम्परागत विधि	तकनीकी विधि	परम्परागत विधि	तकनीकी विधि	परम्परागत विधि	तकनीकी विधि
1	सड़क से दूर स्थित गाँव	1706.25	3863.50	5330.00	12913.30	3623.75	9049.80
2	सड़क पर स्थित गाँव	1855.80	4108.75	8137.50	15582.25	6281.70	11473.50
3	विकास केन्द्र के गाँव	1980.80	4238.75	8387.50	18530.00	6406.70	14291.25
4	योग	1925.18	4115.08	6908.33	15675.18	4983.15	11560.10
5	राना थारू	2106.08	4230.23	8087.50	17830.00	5981.43	13599.78
6	कठरिया थारू	2080.88	4126.78	7580.00	18280.00	5499.13	14153.23
7	दंगुरिया थारू	1588.58	3988.25	5057.50	10915.55	3468.93	6927.30
8	योग	1925.18	4115.08	6908.33	15675.18	4983.15	11560.10
9	गैर जनजाति	2924.28	4495.85	8425.80	23876.13	5501.53	19380.28
10	महायोग	2174.95	4210.28	7667.05	18350.33	5492.10	14140.05

स्रोत : शोधकर्त्ता द्वारा अपने शोध अध्ययन "थारू जनजाति की सामाजिक आर्थिक परिवर्तनशीलता एवं संविकास" हेतु 2004–05 में किए गये सर्वेक्षण पर आधारित।
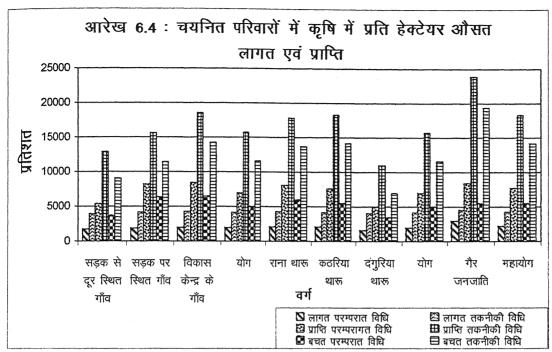
स्रोत : तालिका 6.14

तालिका 6.15 के अनुसार फसलवार दोनों विधियों में गन्ना एवं नकदी फसलों में लागत और प्राप्ति अधिक है। वहीं खाद्यान्न फसलों की लागत एवं प्राप्ति कम है।

तालिका 6.15 : चयनित परिवारों में कृषि में प्रति हेक्टेयर औसत लागत एवं प्राप्ति का फसलवार विवरण

(रुपये में)

क्र. सं.	वर्ग	प्रति हेक्टेयर लागत		प्रति हेक्टेयर प्राप्ति		प्रति हेक्टेयर बचत	
		परम्परागत विधि	तकनीकी विधि	परम्परागत विधि	तकनीकी विधि	परम्परागत विधि	तकनीकी विधि
1	खाद्यान	1912.80	3105.75	5028.38	10338.00	3115.58	7232.25
2	दलहन	1330.58	2113.63	6330.40	10325.50	4999.83	8211.88
3	तिलहन	2162.83	3114.30	7105.28	10587.75	4942.45	7473.45
4	गन्ना	3105.25	7612.63	16050.00	46175.00	12944.75	38562.38
5	अन्य	2363.30	5105.05	3821.20	14325.40	1457.90	9220.35
6	कुल	2174.95	4210.28	7667.05	18350.33	5492.10	14140.05

स्रोत : शोधकर्त्ता द्वारा अपने शोध अध्ययन "थारू जनजाति की सामाजिक आर्थिक परिवर्तनशीलता एवं संविकास" हेतु 2004–05 में किए गये सर्वेक्षण पर आधारित।

दोनों विधियों में विभिन्न कारकों में कुल लागत का प्रतिशत वार विवरण तालिका 6.16 में दिया गया है जिसके अनुसार परम्परागत विधि में जहां मानव श्रम की मात्रा अधिक (65.53 प्रतिशत) है वहीं तकनीकी विधियों में खाद बीज दवा एवं जुताई में लागत अधिक है।दोनों विधियों में लागत एवं प्राप्ति अनुपात को देखें तो तालिका 6.14 एवं 6.15के अनुसार परम्परागत विधियों से कृषि की अपेक्षा तकनीकी

विधि से अधिक लाभ प्राप्त होता है एवं विकास के साथ थारू समाज तकनीकी विधियों को अपनाने के लिए अग्रसर है।

तालिका 6.16 : विविध कृषि पद्धतियों में प्रति हेक्टेयर लागत का कारक वार विवरण

(प्रतिशत में)

क्र. सं.	कृषि पद्धति	मानव श्रम	जुताई साधन	बीज	उर्वरक	कीट–नाशक	सिंचाई	अन्य	कुल
1.	परम्परागत कृषि पद्धति	65.53	10.72	8.24	13.89	0.61	0.34	0.67	100.00 (869.98)
2.	तकनीकी कृषि पद्धति	43.51	13.79	12.89	22.65	2.51	2.41	0.82	100.00 (1684.11)

स्रोत : शोधकर्त्ता द्वारा अपने शोध अध्ययन "थारू जनजाति की सामाजिक आर्थिक परिवर्तनशीलता एवं संविकास" हेतु 2004–05 में किए गये सर्वेक्षण पर आधारित।

6.3. पशुपालन –

थारू जनजाति का दूसरा महत्वपूर्ण आर्थिक क्रियाकलाप पशुपालन है जो अधिकांशतः कृषि के साथ–साथ किया जाता है। मुख्य पशुओं में बैल, गाय, भैंस, बकरी, सुअर एवं मुर्गा प्रमुख है। पशुपालन प्रतिरूप तथा पशु उत्पाद के संदर्भ में चयनित परिवारों से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर पशुपालन प्रतिरूप में परिवर्तनशील परिस्थितियों के स्वरूप का आंकलन किया गया है।

तालिका संख्या 6.17 के अनुसार कुल चयनित परिवारों में प्रति परिवार पशुओं की औसत संख्या 9.92 है। जिसमें 597 गाय, 284 बैल, 282 बकरी, 320 सुअर, 535 भैंसे, 623 मुर्गा एवं कुल 1786 पशु पालित थे। सड़क से दूर के गाँवों से विकास केन्द्र की तरफ पशुओं की संख्या कम है। इसके साथ पशुपालन का स्वरूप बदल रहा है, अब थारू परिवार पशुओं से व्यापारिक लाभ प्राप्त करने की तरफ उन्मुख है। राना थारू एवं कठरिया थारू की अपेक्षा दगुरिया थारूओं में पशुओं की संख्या कम है। परन्तु थारू वर्गों में औसत पशु संख्या में विशेष अन्तर नहीं मिलता।

तालिका 6.17 : चयनित परिवारों में पशुओं की संख्या का वर्गवार विवरण

(प्रतिशत में)

क्र. सं.	वर्ग	कुल परिवार	गाय	बैल	बकरी	सुअर	भैंस	मुर्गा	कुल	प्रति परिवार पशु
1	स्ड़क से दूर स्थित गाँव	50	152	92	92	132	135	223	559	11.18
2	सड़क पर स्थित गाँव	50	165	78	72	94	149	203	518	10.36
3	विकास केन्द्र के गाँव	50	185	62	53	73	168	172	472	9.44
4	योग	150	502	232	217	299	452	598	1549	10.33
5	राना थारू	40	122	62	62	64	123	193	439	10.98
6	कठरिया थारू	20	53	32	32	32	83	86	203	10.15
7	दंगुरिया थारू	90	327	138	123	203	246	319	907	10.08
8	योग	150	502	232	217	299	452	598	1549	10.33
9	गैर जनजाति	30	95	52	65	21	83	25	237	7.90
10	महायोग	180	597	284	282	320	535	623	1786	9.92

स्रोत : शोधकर्त्ता द्वारा अपने शोध अध्ययन "थारू जनजाति की सामाजिक आर्थिक परिवर्तनशीलता एवं संविकास" हेतु 2004–05 में किए गये सर्वेक्षण पर आधारित।

तालिका 6.18 के अनुसार चयनित परिवारों में वर्ष 2004–05 में 11452 किलोग्राम मास का उत्पादन हुआ जो प्रति परिवार 63.62 कि.ग्राम तथा प्रतिव्यक्ति 5.29 कि.ग्राम था वहीं कुल 9227 कि. ग्राम मछली का उत्पादन हुआ जो प्रतिपरिवार 51.26 कि.ग्राम तथा प्रतिव्यक्ति 4.26 कि.ग्राम था। दुग्ध उत्पादन की मात्रा 88428 लीटर थी जो प्रतिपरिवार 491.27 थी तथा प्रतिव्यक्ति 40.86 ली. थी।

तालिका के अनुसार सड़क से दूर स्थित गाँवों में माँस एवं मछली का उत्पादन अधिक हुआ। वहीं विकास केन्द्रों की तरफ मांस एवं मछली का उत्पादन कम हुआ है एवं दुग्ध उत्पादन की मात्रा बढ़ी है। जो डेयरी हेतु भैंस पालन की मात्रा बढ़ने से है।

तालिका 6.18 : चयनित परिवारों में पशु उत्पाद का वर्गवार विवरण

(प्रतिशत में)

क्र. सं.	वर्ग	मांस उत्पादन			मछली उत्पादन			दुग्ध उत्पादन		
		कुल	प्रति व्यक्ति	प्रति परिवार	कुल	प्रति व्यक्ति	प्रति परिवार	कुल	प्रति व्यक्ति	प्रति परिवार
1	सड़क से दूर स्थित गाँव	4206	7.24	84.12	3957	6.81	79.14	19603	33.74	392.06
2	सड़क पर स्थित गाँव	3357	4.88	67.14	2603	3.78	52.06	21707	31.55	434.14
3	विकास केन्द्र के गाँव	3252	4.96	65.04	2304	3.52	46.08	28154	42.98	563.08
4	योग	10815	5.62	72.10	8864	4.61	59.09	69464	36.10	463.09
5	राना थारू	1683	3.18	42.08	1842	3.48	46.05	14240	26.87	356.00
6	कठरिया थारू	565	2.48	28.25	367	1.61	18.35	4643	20.36	232.15
7	दंगुरिया थारू	8567	7.35	95.19	6655	5.71	73.94	50581	43.38	562.01
8	योग	10815	5.62	72.10	8864	4.61	59.09	69464	36.10	463.09
9	गैर जनजाति	637	2.65	21.23	363	1.51	12.10	18964	79.02	632.13
10	महायोग	11452	5.29	63.62	9227	4.26	51.26	88428	40.86	491.27

स्रोत : शोधकर्त्ता द्वारा अपने शोध अध्ययन "थारू जनजाति की सामाजिक आर्थिक परिवर्तनशीलता एवं संविकास" हेतु 2004–05 में किए गये सर्वेक्षण पर आधारित।

अतः थारू में विकास के साथ पशुपालन प्रतिरूप परिवर्तित हो रहा है। तथा पशुपालन का स्वरूप व्यापारिक तौर पर तकनीकी ढंग से करने की ओर उन्मुख है।

6.4. रोजगार एवं कार्यस्वरूप –

तराई क्षेत्र, उत्तर प्रदेश के सबसे पिछड़े क्षेत्रों में से एक है। जहां रोजगार की सुविधाएं नहीं विकसित हो पायी हैं। परिवर्तनशील दशाओं में कृषि क्षेत्र में रोजगार संभाव्यता बढ़ रही है।[3] प्राथमिक क्रिया कलापों के रोजगार, द्वितीयक एवं तृतीयक क्रियाकलापों की ओर उन्मुख हो रहे है।[4] जनसंख्या वृद्धि के साथ वेरोजगारी की दर बढ़ रही है। कृषि क्रियाकलापों में संलग्नता बढ़ने से छिपी वेरोजगारी मिलती है। चूंकि चयनित परिवारों के व्यवसायिक संगठन एवं कार्यसहभागिता स्वरूप की तालिका संख्या 5.15, 5.16, 6.1 में की जा चुकी है। अतः यहां परिवर्तनशील दशाओं में कुल रोजगार स्थिति पर प्रभाव का आंकलन किया गया है।

6.4.1 रोजगार की मौसमी प्रवृत्ति – कृषि पर निर्भरता के कारण तराई क्षेत्र में कार्मिकों के लिए उपलब्ध रोजगार में मौसमी उतार–चढ़ाव के दर्शन होते हैं।[5] तालिका सं. 6.19 के अनुसार पुरूषों के औसत कार्यदिवसों की संख्या महिलाओं से कम है। जुलाई अगस्त के माह में कृषि कार्य की अधिकता के कारण औसत कार्यदिवसों की संख्या 36.14 है, वहीं सितम्बर –अक्टूबर में यह औसत 17.82 दिवस है। नवम्बर दिसम्बर में पुनः कार्य बढ़ने के कारण कार्य बढ़ जाती है। तालिका से यह स्पष्ट होता है कि क्षेत्र में मौसमी श्रम की आवश्यकता होती है जिसका प्रभाव मजदूरी दर पर पड़ता है। तालिका में पुरूष एवं स्त्री का औसत मजदूरी दर की चर्चा की गई है। उत्तरदाताओं से प्राप्त आंकड़ों से स्पष्ट होता है कि क्षेत्र में पुरूषों को स्त्रियों की अपेक्षा अधिक मजदूरी मिलती है। मजदूरी जुलाई अगस्त एवं मार्च अप्रैल में अधिक है।

तालिका 6.19 : चयनित परिवारों में औसत कार्य दिवस तथा मजदूरी का लिंगानुसार विवरण

क्र. सं.	मैसम	कार्यदिवसों की औसत संख्या			औसत मजदूरी रू.	
		पुरुष	स्त्री	कुल	पु.	स्त्री
1	जुलाई–अगस्त	34.59	37.69	36.14	50.50	27.30
2	सितम्बर–अक्टूबर	17.21	18.43	17.82	45.32	22.42
3	नवम्बर–दिसम्बर	29.54	33.22	31.38	48.23	25.55
4	जनवरी–फरवरी	21.32	24.68	23.00	42.31	25.32
5	मार्च–अप्रैल	32.99	34.89	33.94	49.35	26.32
6	मई–जून	17.17	19.15	18.16	41.30	24.25

स्रोत : शोधकर्त्ता द्वारा अपने शोध अध्ययन "थारू जनजाति की सामाजिक आर्थिक परिवर्तनशीलता एवं संविकास" हेतु 2004–05 में किए गये सर्वेक्षण पर आधारित।

तालिका 6.20 : चयनित परिवारों में मौसमवार प्रति कार्यशील व्यक्ति औसत कार्य दिवसों की संख्या

क्र. सं.	वर्ग	जुलाई–अगस्त	सितम्बर–अक्टूबर	नवम्बर–दिसम्बर	जनवरी–फरवरी	मार्च–अप्रैल	मई–जून	कुल	सम्पूर्ण कार्य दिवस	बेरोजगार दिवस
1	सड़क से दूर स्थित गाँव	35.53	14.73	27.43	17.32	29.35	16.32	140.68	256.34	115.66
2	सड़क पर स्थित गाँव	37.32	18.89	32.45	24.43	31.73	19.23	164.05	263.56	99.51
3	विकास केन्द्र के गाँव	39.43	22.32	36.32	26.35	38.84	22.34	185.60	268.39	82.79
4	योग	37.43	18.65	32.07	22.70	33.31	19.30	163.44	262.76	99.32
5	राना थारू	40.32	19.73	33.25	24.23	39.23	21.23	177.99	286.34	108.35
6	कठरिया थारू	37.73	18.84	34.23	25.23	37.32	19.23	172.58	272.52	99.94
7	दंगुरिया थारू	34.23	17.37	28.72	18.64	23.37	17.43	139.76	229.43	89.67
8	योग	37.43	18.65	32.07	22.70	33.31	19.30	163.44	262.76	99.32
9	गैर जनजाति	32.27	15.32	29.32	23.89	35.83	14.73	151.36	227.22	75.86
10	महायोग	36.14	17.82	31.38	23.00	33.94	18.16	160.42	253.87	93.45

स्रोत : शोधकर्त्ता द्वारा अपने शोध अध्ययन "थारू जनजाति की सामाजिक आर्थिक परिवर्तनशीलता एवं संविकास" हेतु 2004–05 में किए गये सर्वेक्षण पर आधारित।

तालिका 6.20 के अनुसार विभिन्न वर्गों में मौसमवार कार्यदिवसों का औसत जुलाई–अगस्त में 36.14, सितम्बर–अक्टूबर में 17.82, नवम्बर–दिसम्बर में 31.38, जनवरी–फरवरी में 23.00, मार्च–अप्रैल में 33.94, मई–जून में 18.16 है तालिका से स्पष्ट होता है सड़क से दूर गाँवों में मौसमी कार्य प्रणाली

अधिक पायी जाती है वही विकास केन्द्र के गाँवों की तरफ अन्य कार्यों के होने की वजह से कार्य मौसमी प्रभाव कम होता प्रतीत होता है। निष्कर्षतः विकास के साथ मौसमवार कार्यस्वरूप परिवर्तित हुआ है तथा कार्य दिवसों का वितरण भी संतुलन की ओर अग्रसर है।
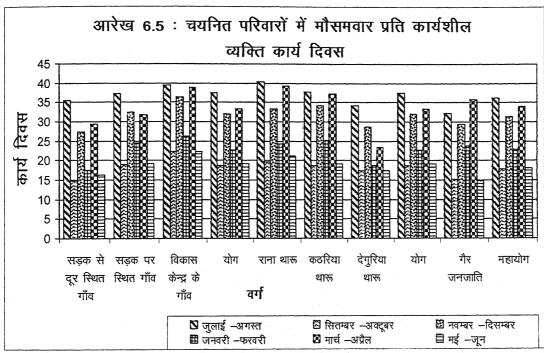
स्रोत : तालिका 6.20

6.4.2 छिपी बेरोजगारी – कृषि में मौसमवार श्रम की आवश्यकता होती है। परन्तु कार्य के अभाव में आवश्यकता से अधिक लोग कृषि कार्य में लगे रहते हैं जिससे उन्हें बेरोजगारी का अहसास नहीं होता। यह स्थिति छिपी बेरोजगारी की है जो कार्यशील व्यक्ति को दृष्यगत नहीं होता हैं।

जनजाति में छिपी बेरोजगारी के आंकलन के लिए तालिका 6.18 के अनुसार कुल कार्यदिवस में से प्राप्ति युक्त कार्य दिवसों को घटाकर औसत छिपा बेरोजगार दिवस प्राप्त किया गया। जिसके अनुसार सड़क से दूर के गाँवों में छिपी बेरोजगारी अधिक हैं, वहीं विकास के साथ छिपी बेरोजगारी कम होती प्रतीत होती है। क्योंकि विकास केन्द्रों पर गैर प्राप्तियुक्त दिवसों की संख्या अधिक है। वहीं राना तथा कठरिया थारू की अपेक्षा दगुरिया थारू वर्ग में छिपी बेरोजगारी अधिक मिलती है।

6.5 आय –

परिवारों का आय स्वरूप उनकी आर्थिक स्थिति का द्योतक होता है। चूंकि जनजातीय समाज मुख्यतः प्राथमिक या संलग्न क्रियाकलापों पर निर्भर होता है। अतः कृषि आय का महत्वपूर्ण साधन होता है। कृषि भी प्रकृति की दया पर निर्भर होता है। जहां दुर्गम इलाकों में सिंचाई आदि की उचित सुविधाएं भी कम होती हैं, वहीं सुविधाओं का एवं ज्ञान का अभाव तथा आर्थिक दुर्बलता उनके उपभोग स्वरूप में अवरोधक हुआ है। अतः कृषि तथा संलग्न क्रियाकलाप मात्र सामयिक रह जाते हैं। अध्ययन

में आय के आंकलन के लिए औसत प्राकृतिक धन प्रवाह को सम्मिलित किया गया है तथा स्थानीय बाजार मूल्य के अनुसार कीमतों का निर्धारण किया गया है। आय स्रोतों में कृषि, श्रम, मजदूरी, नौकरी, व्यापार तथा कुटीर/लघु उद्योग मुख्य हैं। तालिका 6.21 में चयनित परिवारों में विभिन्न स्रोतों से कुल औसत आय का वर्गवार विवरण है जिसके अनुसार कुल वार्षिक आय 12,772,535 रूपये थी वहीं प्रति परिवार औसत वार्षिक आय 70958.53 रू. है। सड़क से दूर स्थित गाँवों से विकास केन्द्र के गाँवों की तरफ आय में सतत वृद्धि होती है जो विकास के साथ आय के बढ़ने का द्योतक है।

कृषि से प्राप्त आय को कृषि के आगम में से लागतों को घटाकर प्राप्त किया गया है। कृषि कुल आय का 34 प्रतिशत भाग समाहित करता है। बलरामपुर एवं श्रावस्ती के जो किसान तकनीकी साधनों, HYV का प्रयोग करते हैं, सिंचाई के साधनों के अभाव में लाभ नहीं प्राप्त कर पाते, क्योंकि उत्पादकता कम हो जाती है। कुल कृषि आय का 58 प्रतिशत भाग खरीफ से, 33 प्रतिशत भाग रबी से, तथा 9 प्रतिशत भाग जायद की फसल से प्राप्त होता है। दगुरिया जनजाति में कृषि आय की मात्रा कम है क्योंकि उनमें नकदी फसलों की खेती राना एवं कठरिया थारू की अपेक्षा कम होती है। सड़क से दूर के गांवों में साधन, ज्ञान, धन एवं बाजार सुविधाओं के अभाव में आय कम पायी जाती है। लघु एवं सीमान्त कृषकों में कृषि आय की औसत मात्रा ऊँची है जो क्रमशः 42 एवं 31 प्रतिशत भाग प्रदान करते हैं।

श्रम एवं मजदूरी के स्रोतों से प्राप्त होने वाली आय की मात्रा सतत बढ़ रही है। थारू लोग अपने खेतों पर काम करते हैं साथ ही महिला, पुरूष एवं बच्चे ट्राली में भर–भर के गाँवों के बाहर अन्य जातियों के कृषकों के यहां मजदूरी करने जाते हैं। उन्हें सड़क निर्माण, भवन निर्माण आदि के ठेकेदार भी कार्य पर ले जाते हैं। अतः कुछ समय से श्रम की मात्रा बढ़ी है। विकास कार्यक्रमों/योजनाओं यथा रोजगार गारन्टी कार्यक्रम आदि में रोजगार, गैर कृषि क्षेत्रों में रोजगार, तथा निर्माण, सड़क कृषि कार्य, निर्माण में नकद पैसा प्राप्त होने, तथा गरीबी की अधिकता के कारण कुल आय का 47 प्रतिशत भाग श्रम से प्राप्त होता है। कुछ लोग गाँव छोड़कर शहर में जाकर उद्योगों या दुकानों पर मजदूरी करते हैं जो सामान्यतः सभी वर्गों में पाया जाता है। सर्वेक्षण से स्पष्ट हुआ कि जिन घरों में ज्यादा लोग बाहर मजदूरी करने चले जाते हैं, उनमें बाहरी समझ, आय में वृद्धि के कारण सामाजिक–आर्थिक दशा समकक्ष लोगों से उत्थित हुई है। जंगल प्रतिबंध के पश्चात शिकार तथा वनोत्पाद संकलन एवं विक्रय की मात्रा अति निम्न हो गई है। अतः बाहर मजदूरी करने की तरफ थारू लोग अग्रसर हुए।[6] बाहर जाने की प्रवृत्ति ने जनजाति में विरोध करने की प्रवृति की भावना विकसित की है। अतः स्पष्ट है कि यदि इन लोगों को रोजगार के कार्यो में संलग्न किया जाए तो उनका विकास तीव्र गति से हो सकता है।

शिक्षा के विस्तार तथा संवैधानिक प्राविधानों के प्रभाव से वेतनभोगी लोगों की मात्रा बढ़ी है। हालांकि यह देखा गया कि वेतनभोगी लोगों की मात्रा कुछ परिवारों तक ही सीमित है। जिस घर से एक व्यक्ति सरकारी नौकर होता है, सामान्यतः उसी परिवार के कई लोग नौकरी में पहुंचते हैं। चयनित

परिवारों के कुल आय का 12 प्रतिशत भाग वेतन से प्राप्त होता है। अधिकांश वेतनभोगी तृतीय या चतुर्थ श्रेणी के कार्य करते हैं। परन्तु वेलापरसुआ, चन्दन चौकी में बढ़े शिक्षा स्तर से पी. सी. एस. आई. पी. एस. तथा इंजीनियरिंग में भी लोग चयनित हुए हैं। शिक्षा का विकास एवं आरक्षण सुविधा से लोगों का मन परम्परागत कार्यों से हटकर सेवा, द्वितीयक क्रियाकलापों की ओर बढ़ा है। नौकरी करनेवालों का अनुपात कठरिया थारू में उच्च है। वहीं विकास केन्द्रों पर सेवा कर्मियों की मात्रा सबसे ज्यादा है सड़क से दूर गांवों में सेवा कर्मियों का प्रतिशत अति निम्न है।

थारू जनजाति के लोग जंगल से वनोत्पाद एकत्रित करते हैं, तथा बेच भी देते हैं। परन्तु सामान्य प्रतिबंध हो जाने के कारण, इसका अनुपात आय में अति निम्न है। आय के अन्य स्रोतों में व्यापार एवं लघु कुटीर उद्योग मुख्य है। विकास केन्द्रों पर व्यापार में संलग्नता अधिक है परन्तु इस क्षेत्र में सुधार की आवश्यकता है। आवश्यकता है कि जनजातियों को उत्पादक कार्यों में लगाने के लिए सुविधाएं दी जाएं। तथा उत्पादों को घर पर ही एकत्र कर लिया जाए, क्योंकि यह तो उन्हें उत्पादों को बाजार ले जाना पड़ता है अथवा अधिकांशतः स्थानीय व्यापारी को बेच देते हैं जिससे उन्हें उचित मूल्य नहीं मिल पाता अतः विकास केन्द्रों पर ही कुछ सरकारी क्रय केन्द्र को बनाया जाएं, जहां क्षेत्र के लोगों को कच्चा माल एवं अन्य कुटीर लघु उद्योग सामग्री को क्रय कर तैयार पदार्थ बेचने की व्यवस्था हो। जो क्षेत्र में आय बढ़ाने का सर्वोत्तम साधन होगा।

तालिका 6.21 : चयनित परिवारों के विभिन्न स्रोतों से आय का वर्गवार विवरण

क्र. सं.	वर्ग	कृषि	श्रम मजदुरी	तनख्वाह	व्यापार	अन्य स्रोत	कुल	प्रति परिवार वार्षिक आय	प्रति परिवार मासिक आय	प्रति व्यक्ति मासिक आय
1	सड़क से दूर स्थित गाँव	824270	1185370	183220	182320	149380	2524560	50491.20	4345.20	362.10
2	सड़क पर स्थित गाँव	1383272	1374260	293230	132340	449352	3632454	72649.08	5279.73	439.98
3	विकास केन्द्र के गाँव	1494270	1132370	623040	112030	873510	4235220	84704.40	6465.98	538.83
4	योग	3701812	3692000	1099490	426690	1472242	10392234	69281.56	5401.37	450.11
5	राना थारू	1302070	1102040	394050	53040	569070	3420270	85506.75	6453.34	537.78
6	कठरिया थारू	852060	351040	223020	55030	382210	1863360	93168.00	8172.63	681.05
7	दंगुरिया थारू	1547682	2238920	482420	318620	520962	5108604	56762.27	4381.31	365.11
8	योग	3701812	3692000	1099490	426690	1472242	10392234	69281.56	5401.37	450.11
9	ैर जनजाति	956580	453236	252360	35602	682523	2380301	79343.37	9917.92	826.49
10	महायोग	4658392	4145236	1351850	462292	2154765	12772535	70958.53	5902.28	491.86

स्रोत : शोधकर्त्ता द्वारा अपने शोध अध्ययन "थारू जनजाति की सामाजिक आर्थिक परिवर्तनशीलता एवं संविकास" हेतु 2004–05 में किए गये सर्वेक्षण पर आधारित।

थारू परिवारों में कुल आय तथा प्रति व्यक्ति आय, सामान्य मैदान क्षेत्र के परिवारों की अपेक्षा कम है। तालिका से स्पष्ट है कि कुल प्रति परिवार वार्षिक आय कठरिया थारू एवं विकास केन्द्रों पर अधिक है। प्रति व्यक्ति औसत मासिक आय 491.86 रू. है जो सड़क से दूर के गांवों से विकास केन्द्र

के गाँवों की ओर बढ़ती दर से प्राप्त होता है। जिन गांवों के मध्य से सड़क गुजरती है वहां भी प्रति व्यक्ति आय उच्च है। अतः स्पष्ट है कि थारू जनजाति में आय प्रतिरूप में सतत परिवर्तन हो रहा है। जहां पहले ये थारू कृषि तथा वनोत्पाद पर निर्भर रहते थे अब नौकरी व्यापार तथा श्रम की तरफ बढ़ रहे हैं। शिक्षा विस्तार तथा बाहर नौकरी करने, परिवहन एवं संचार सुविधाओं से सोच में परिवर्तन हुआ है जिसका कारण अन्य स्रोतों से आय एवं अन्य जातियों का सम्पर्क होना है। लोगों का आय एवं उपभोग स्तर बढ़ रहा है। आवश्यकता है कि शिक्षा तथा अन्य साधनों/उद्योगों के विस्तार पर बल दिया है। ताकि इस कर्मठ जाति के श्रम शाक्ति का उपयोग किया जा सके।

6.6 उपभोग –

आय तथा उपभोग का सीधा संबंध है।[7] किसी समाज में सामाजिक आर्थिक परिवर्तन का प्रभाव, आय के साथ–साथ उपभोग प्रतिरूप पर भी पड़ता है।[8] आर्थिक स्थिति, आय, तथा सामाजिक स्तर, व्यक्ति के भोजन एवं अन्य पक्षों पर उपभोग स्वरूप तथा मात्रा का स्वभाव निश्चित करता है।

तालिका 6.22 के अनुसार कुल परिवारों के मदवार प्रति परिवार प्रतिमाह औसत उपभोग 57.04 प्रतिशत भाग भोजन मदों में एवं 42.96 प्रतिशत भाग अन्य मदों में खर्च होता है वहीं प्रति व्यक्ति मासिक उपभोग में 56.32 प्रतिशत भाग भोजन पर तथा 42.68 प्रतिशत भाग अन्य मदों में खर्च होता है।

तालिका 6.22 : चयनित परिवारों में कुल उपभोग व्यय का मदवार विवरण

क्र. सं.	वस्तु	प्रति परिवार मासिक उपभोग (रू0 में)	प्रतिशत	प्रति व्यक्ति मासिक उपभोग (रू0 में)	प्रतिशत
1	अनाज	2371.68	31.30	203.96	32.36
2	दालें	259.90	3.43	24.71	3.92
3	अन्य खाद्य वस्तुऐं	1690.48	22.31	126.31	20.04
4	कुल खाद्य	4322.06	57.04	354.97	56.32
5	ईंधन एवं बिजली	781.97	10.32	55.02	8.73
6	तम्बाकू एवं नशा	184.13	2.43	14.62	2.32
7	वस्त्र	571.32	7.54	41.22	6.54
8	त्योहार एवं मेला	312.18	4.12	20.23	3.21
9	स्वास्थ्य	441.75	5.83	46.14	7.32
10	शिक्षा	554.65	7.32	41.22	6.54
11	अन्य	409.17	5.40	56.85	9.02
12	कुल गैर खाद्य	3255.18	42.96	275.31	43.68
13	योग	7577.25	100.00	630.27	100.00

स्रोत : शोधकर्त्ता द्वारा अपने शोध अध्ययन "थारू जनजाति की सामाजिक आर्थिक परिवर्तनशीलता एवं संविकास" हेतु 2004–05 में किए गये सर्वेक्षण पर आधारित।
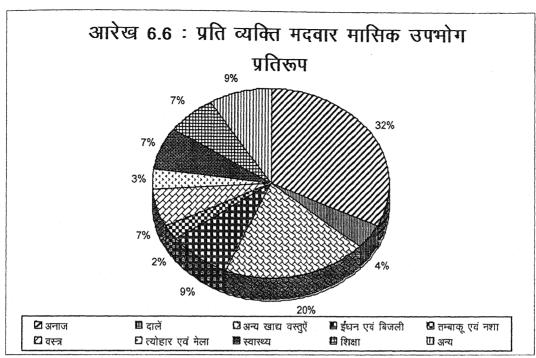
स्रोत : तालिका 6.22

तालिका 6.23 के अनुसार भोजन एवं अन्य मदों पर कुल उपभोग के स्वरूप में अंतर मिलता है। सड़क से दूर के गांवों में जहां खाद्य वस्तुओं पर ज्यादा व्यय होता है वहीं विकास केन्द्रों की तरफ खाद्य वस्तुओं पर उपभोग व्यय का प्रतिशत कम होता है। तथा अन्य मदों पर व्यय का प्रतिशत बढ़ता जाता है। जो स्पष्ट करता है कि विकास के साथ शिक्षा स्वास्थ्य एवं आरामदायक वस्तुओं पर उपभोग व्यय बढ़ रहा है।

तालिका : 6.23 चयनित परिवारों में आय एवं उपभोग के मध्य अंतर

(रुपये में)

क्र. सं.	वर्ग	औसत प्रति व्यक्ति मासिक उपभोग	खाद्य मद		अखाद्य मद	
			खर्च	प्रतिशत	खर्च	प्रतिशत
1	सड़क से दूर स्थित गाँव	477.12	298.49	62.56	178.63	37.44
2	सड़क पर स्थित गाँव	670.62	363.88	54.26	306.74	45.74
3	विकास केन्द्र के गाँव	707.92	369.08	52.14	338.84	47.86
4	योग	618.55	348.31	56.31	270.24	43.69
5	राना थारू	641.29	354.76	55.32	286.53	44.68
6	कठरिया थारू	678.78	381.88	56.26	296.90	43.74
7	दंगुरिया थारू	535.59	307.27	57.37	228.32	42.63
8	योग	618.55	348.31	56.31	270.24	43.69
9	गैर जनजाति	645.47	363.53	56.32	281.94	43.68
10	महायोग	630.27	354.97	56.32	275.30	43.68

स्रोत : शोधकर्त्ता द्वारा अपने शोध अध्ययन "थारू जनजाति की सामाजिक आर्थिक परिवर्तनशीलता एवं संविकास" हेतु 2004–05 में किए गये सर्वेक्षण पर आधारित।

तालिका 6.24 में चयनित परिवारों ने उपयोग की जाने वाली चयनित उपभोक्ता वस्तुओं के आधार पर उत्तरदाताओं के उपभोग प्रतिरूप में परिवर्तन का आंकलन किया गया है। जिसके लिए चयनित वस्तुओं में 1. नहाने का साबुन 2. फेस पाउडर, 3. फेस क्रीम, 4. सेन्ट 5. दंत मंजन 6. टार्च, 7. प्लास्टिक कुर्सी 8. विद्युत में सी एफ एल प्रयोग, 9. सी डी प्लेयर, 10. डबलबेड आदि में प्रत्येक वस्तु को 1 अंक देकर तालिका में मूल्यवार व्यवस्थित किया गया। तालिका के अनुसार 22.22 प्रतिशत परिवारों में 0–2 मूल्य की सामग्री, 23.89 प्रतिशत परिवारों में 3–5 मूल्य की सामग्री, 15.00 परिवारों में 6–8 मूल्य की सामग्री, 13.33 प्रतिशत परिवारों में 9–11 मूल्य की सामग्री, 8.89 प्रतिशत परिवारों में 12–14 मूल्य की सामग्री, 4.44 प्रतिशत परिवारों में 15–17 मूल्य की सामग्री, 7.77 प्रतिशत परिवारों में 18–30 मूल्य की सामग्री तथा 5 प्रतिशत परिवारों में 21 से अधिक मूल्य की सामग्री प्रयुक्त होती थी। तालिका से स्पष्ट होता है कि अधिक वस्तुओं के प्रयोग की प्रवृत्ति सड़क से दूर के गांवों की अपेक्षा सड़क पर स्थिति एवं विकास केन्द्र के गांवों के परिवारों में अधिक है वहीं कठरिया थारू अन्य थारू वर्गों से अधिक सामग्री प्रयोग करते हैं। गैर जनजातीय लोगों में अधिक के प्रयोग की प्रवृत्ति कम मिलती है। अतः स्पष्ट है कि परिवर्तनशील दशाओं में परिवारों में आधुनिक वस्तुओं के उपभोग की प्रवृत्ति बढ़ी है।

तालिका 6.24 : चयनित परिवारों में उपभोग की जाने वाली वस्तुओं का सूचकांकवार विवरण

(प्रतिशत में)

क्र. सं.	वर्ग	उपभोग की जानी वाली वस्तुओं का सूचकांक								योग
		0-2	3-5	6-8	9-11	12-14	15-17	28-20	21+	
1	सड़क से दूर स्थित गाँव	20.00	40.00	20.00	12.00	2.00	2.00	2.00	2.00	100.00
2	सड़क पर स्थित गाँव	24.00	16.00	14.00	14.00	12.00	4.00	10.00	6.00	100.00
3	विकास केन्द्र के गाँव	16.00	14.00	12.00	16.00	14.00	8.00	12.00	8.00	100.00
4	योग	20.00	23.33	15.33	14.00	9.33	4.67	8.00	5.33	100.00
5	राना थारू	25.00	25.00	17.50	10.00	7.50	5.00	5.00	5.00	100.00
6	कठरिया थारू	30.00	15.00	15.00	10.00	5.00	5.00	10.00	10.00	100.00
7	दंगुरिया थारू	15.56	24.44	14.44	16.67	11.11	4.44	8.89	4.44	100.00
8	योग	20.00	23.33	15.33	14.00	9.33	4.67	8.00	5.33	100.00
9	गैर जनजाति	33.33	26.67	13.33	10.00	6.67	3.33	3.33	3.33	100.00
10	महायोग	22.22	23.89	15.00	13.33	8.89	4.44	7.22	5.00	100.00

स्रोत : शोधकर्त्ता द्वारा अपने शोध अध्ययन "थारू जनजाति की सामाजिक आर्थिक परिवर्तनशीलता एवं संविकास" हेतु 2004–05 में किए गये सर्वेक्षण पर आधारित।

उपभोग प्रतिरूप, व्यक्ति का जीवन स्तर निश्चित करता है। उपभोग प्रतिरूप ज्ञात करने के लिए परिवारों के उपभोग स्वरूप के विविध मदों प्रतिमाह औसत खर्च का आंकलन किया गया। भोजन के विभिन्न मदों का दैनिक खपत प्राप्त करके उसका मासिक औसत खपत तथा पुनः औसत वार्षिक उपभोग प्रतिरूप प्राप्त किया गया। वहीं अन्य मदों के औसत मासिक व्यय से औसत वार्षिक उपभोग स्वरूप को ज्ञात किया गया है। एन्जिल के अनुसार "परिवार का आय बढ़ने से एक समय बाद खाद्य वस्तु और व्यय की मात्रा कम होती है। एवं आरामदायक वस्तुओं पर व्यय की मात्रा में वृद्धि होती है। गरीब परिवार अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति में खर्च कर देता है वही अमीर वर्ग आरामदायक/विलासितायुक्त वस्तुओं (Luxurious goods) पर खर्च करता है। यह प्रवृत्ति थारू जनजाति के उपभोग प्रतिरूप पर स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर है।

तालिका 6.25 : प्रति व्यक्ति वार्षिक उपभोग में खाद्य एवं अखाद्य वस्तुओं पर मदवार व्यय का विवरण

(प्रतिशत में)

क्र. सं.	वस्तु	सड़क से दूर स्थित गांव			सड़क पर स्थित गांव			विकास केन्द्र के गांव		
		3000 से कम आय	3000–5000	5000 से अधिक	3000 से कम आय	3000–5000	5000 से अधिक	3000 से कम आय	3000–5000	5000 से अधिक
1	अनाज	52.30	45.20	41.30	48.32	27.97	32.35	43.21	37.28	28.27
2	दालें	3.50	4.50	5.60	4.11	4.87	6.38	5.43	5.87	7.29
3	अन्य खाद्य वस्तुऐं	11.50	12.00	13.00	9.84	11.82	13.71	8.79	12.87	16.46
4	कुल खाद्य	67.30	61.70	59.90	62.27	44.66	52.44	57.43	56.02	52.02
5	ईंधन एवं बिजली	4.32	6.45	9.32	5.19	6.12	7.23	7.32	8.32	9.45
6	तम्बाकू एवं नशा	1.32	2.45	3.12	1.83	2.45	2.43	2.45	2.93	3.32
7	वस्त्र	1.31	3.43	5.25	2.45	3.93	4.54	3.63	4.84	8.35
8	त्योहार एवं मेला	3.53	3.54	4.32	3.13	3.74	4.32	3.93	4.56	5.31
9	स्वास्थ्य	9.04	7.32	5.43	7.12	5.35	4.23	7.02	5.32	4.21
10	शिक्षा	4.32	5.43	6.73	5.32	7.32	9.32	6.83	8.56	10.32
11	अन्य	8.86	9.68	5.93	12.69	26.43	15.49	11.39	9.45	7.02
12	कुल गैर खाद्य	32.70	38.30	40.10	37.73	55.34	47.56	42.57	43.98	47.98
13	योग	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

कमशः :

क्र. सं.	मद	राना थारू			कठरिया थारू			दंगुरिया थारू			गैर थारू		
		3000 से कम आय	3000–5000	5000 से अधिक	3000 से कम आय	3000–5000	5000 से अधिक	3000 से कम आय	3000–5000	5000 से अधिक	3000 से कम आय	3000–5000	5000 से अधिक
1	अनाज	44.26	38.34	32.71	48.36	38.63	28.71	52.61	46.46	39.97	52.16	43.92	39.76
2	दालें	5.37	5.06	5.82	4.17	6.29	8.41	4.88	5.06	5.82	2.43	5.86	4.92
3	अन्य खाद्य वस्तुऐं	10.09	10.99	11.42	7.52	8.54	10.21	8.69	8.96	9.34	11.26	13.26	12.84
4	कुल खाद्य	59.72	54.39	49.95	60.05	53.46	47.33	66.18	60.48	55.13	65.85	63.04	57.52
5	ईंधन एवं बिजली	5.23	6.35	7.32	5.02	6.79	7.32	3.26	4.54	5.13	5.76	6.19	7.82
6	तम्बाकू एवं नशा	2.43	3.21	3.43	3.07	3.89	4.02	2.71	3.34	5.32	2.16	3.05	3.79
7	वस्त्र	3.95	4.31	5.71	3.90	4.32	4.99	2.32	3.26	4.81	1.79	2.34	2.98
8	त्योहार एवं मेला	3.85	4.32	4.85	3.53	4.35	5.21	2.05	2.62	2.73	2.79	3.54	3.83
9	स्वास्थ्य	7.32	5.43	4.32	5.63	4.32	4.01	4.89	4.06	3.32	3.21	2.65	2.03
10	शिक्षा	6.54	7.32	8.93	5.32	6.73	9.81	3.53	4.89	6.32	4.93	5.86	7.83
11	अन्य	10.96	14.67	15.49	13.48	16.14	17.31	15.06	16.81	17.24	13.51	13.33	14.20
12	कुल गैर खाद्य	40.28	45.61	50.05	39.95	46.54	52.67	33.82	39.52	44.87	34.15	36.96	42.48
13	योग	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

स्रोत : शोधकर्त्ता द्वारा अपने शोध अध्ययन "थारू जनजाति की सामाजिक आर्थिक परिवर्तनशीलता एवं संविकास" हेतु 2004–05 में किए गये सर्वेक्षण पर आधारित।

तालिका 6.25 से स्पष्ट है कि विकास केन्द्रों पर तथा राना एवं कठरिया थारू में सामान्यतः शिक्षा एवं स्वास्थ्य पर व्यय की मात्रा अधिक है वहीं सड़क से दूर के गांवों तथा दगुरिया थारू में भोजन पदार्थों पर व्यय ज्यादा है। जिन परिवारों में प्रतिव्यक्ति आय ज्यादा है उनमें भोजन मदों के इतर व्यय की मात्रा अधिक है, वहीं कम आय वाले परिवारों में कुल व्यय का अधिकांश भाग भोजन पदार्थों पर खर्च होता है। यदि भोजन के मदों को देखेंगे तो स्पष्ट होता है कि अनाजों पर व्यय की मात्रा

सर्वाधिक है। वही जिनकी प्रति व्यक्ति आय ज्यादा है उनके परिवारों में वसा एवं प्रोटीन प्रधान पदार्थों यथा घी, तेल, चीनी, आदि पदार्थों पर व्यय ज्यादा होता है। कम प्रति व्यक्ति आय वाले परिवारों में मुख्य व्यय अनाजों पर होता है। सामान्यतः कुल भोजन खपत का 67 प्रतिशत भाग चावल पर होता है। मांस के शौकीन ये लोग चूंकि शिकार स्वयं करते हैं या फिर अपने परिवार में पशु पालते हैं तथा प्रोटीन पदार्थों को मांस से प्राप्त करते हैं। अतः प्रति व्यक्ति आय का विशेष प्रभाव उनके मांस खाने पर नहीं दिखता है। शराब उनका मुख्य प्रिय पेय है जो सभी वर्गों में पाया जाता है तथा व्यय का एक मुख्य भाग समाहित करता है।

गैर खाद्य मदों पर राना एवं कथरिया थारू में उपभोग व्यय का प्रतिशत खर्च अधिक है। विकास केन्द्रों पर तथा सड़क पर स्थित गाँवों में प्रति व्यक्ति आय उच्च होने से गैर खाद्य मदों के विविध पक्षों पर व्यय का अनुपात ज्यादा है।

जनजातियों में सामान्यतः कुपोषण की समस्या पायी जाती है। हालांकि प्राकृतिक तत्वों तथा मांस की उपलब्धता इसे नियंत्रित करती है; परन्तु खाद्यान्न अभाव एवं कम आय के कारण सामान्य लोंगों की अपेक्षा जन जातियों में कुपोषण अधिक है।

6.7. गरीबी

गरीबी ग्रामीण क्षेत्र तथा जनजातीय क्षेत्रों की मुख्य समस्या है।[9] गरीबी की मात्रा श्रमिकों तथा छोटे किसानों एवं विभाजित परिवारों में और ज्यादा हो जाती है। क्योंकि आय के अनुपात में उपभोग को व्यवस्थित कर पाने में काफी कठिनाई होती है और व्यक्ति कर्ज में डूबने लगता है। सामान्यतः एक व्यक्ति गरीब तब कहा जाता है, जब वह अपनी तथा परिवार की न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति न कर सके। ग़रीबी को भोजन, आय, ऊर्जा आदि आधारों पर मापा जाता है। दाण्डेकर, रथ मिन्हास, अहलूवालिया डी टी लकड़वाला आदि लोगों ने गरीबी मापने के प्रयास किये हैं अध्ययन में योजना आयोग के (एच. सी. आर.) विधि[10] को गरीबी मापन के लिए प्रयुक्त किया गया है।

तालिका 6.26: परिवारों में गरीबी के स्वरूप का वर्गवार विवरण

(प्रतिशत में)

क्र. सं.	वर्ग	कुल परिवार	गरीबी रेखा से नीचे	गरीब	सामान्य
1	सड़क से दूर स्थित गाँव	50	52.00	30.00	18.00
2	सड़क पर स्थित गाँव	50	22.00	42.00	36.00
3	विकास केन्द्र के गाँव	50	24.00	34.00	42.00
4	योग	150	32.67	35.33	32.00
5	राना थारू	40	32.50	42.50	25.00
6	कठरिया थारू	20	30.00	40.00	30.00
7	दंगुरिया थारू	90	33.33	31.11	35.56
8	योग	150	32.67	35.33	32.00
9	गैर जनजाति	30	50.00	33.33	16.67
10	महायोग	180	35.56	35.00	29.44

स्रोत : शोधकर्त्ता द्वारा अपने शोध अध्ययन "थारू जनजाति की सामाजिक आर्थिक परिवर्तनशीलता एवं संविकास" हेतु 2004–05 में किए गये सर्वेक्षण पर आधारित।

प्रति व्यक्ति उपभोग अनुपात – प्रति व्यक्ति अनुपात विधि के लिए उत्तर प्रदेश के कृषि श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (1998–99) सूचकांक के अनुसार ग्रामीण व्यक्तियों में प्रति व्यक्ति उपभोग व्यय 386.87 रूपये है। जिससे परिवारों में प्रति व्यक्ति उपभोग में अंतर के अनुसार गरीबी की दर का आंकलन किया गया।

तालिका 6.26 से स्पष्ट है कि 35.56 प्रतिशत परिवार गरीबी की रेखा से नीचे जीवन जी रहे हैं। वहीं जो गरीबी रेखा से ऊपर है उनमें से कुछ की स्थिति अच्छी नहीं है। 35.00 प्रतिशत परिवार समस्याग्रस्त परन्तु गरीबी रेखा के आसपास है। 29.44 प्रतिशत परिवार सामान्य आर्थिक स्तर के हैं। सड़क से दूर के गांवों में जनजातीयों गरीबी की मात्रा अधिक है। वहीं विकास केन्द्रों पर गरीबी की मात्रा कम है। राना तथा कथरिया थारू में गरीबी का प्रतिशत कम है व दगुरिया में गरीबी ज्यादा हैं जिसका कारण बेरोजगारी, एवं छिपी बेरोजगारी, कम आय, कम उत्पाद एवं शराब पीकर पड़े रहना मुख्य कारण है। आय स्तर एवं रोजगार प्रतिरूप में परिवर्तन के साथ उपभोग स्तर तथा पोषण स्तर में वृद्धि हुई है। पहले जहां लोग चावल का मांड पीकर बसर करते थे, अब संतुलित भोजन करते हैं। में निम्न आय या बेरोजगार लोगों में गरीबी के कारण उपभोग दशा दयनीय है। अतः गरीबी का स्तर घटा है परन्तु उसका स्तर अभी भी कम है जिसे व्यवस्थित करना आवश्यक है।

6.8 कर्ज एवं उधारी

जनजातीय परिवारों में गरीबी के कारण कर्ज एवं उधारी का स्वरूप मिलता है। पहले जहां यह कर्ज वे स्व–उपभोग के लिए लेते थे तथा शोषण का शिकार होते थे अब उत्पादन एवं विकास के लिए लेते हैं। अतः परिवर्तन के प्रभाव को परिवारों में कर्ज तथा उधारी का स्वरूप आंकलित किया गया है। गरीबी के उच्च स्तर तथा आय एवं उपभोग में भारी अंतर (Deficit) स्वरूप जिसकी पूर्ति के लिए या फिर कृषि आदि में लागत के लिए थारू विभिन्न स्रोतों से कर्जा लेते हैं।[11] सामान्यतः थारू जनजाति पूर्ति के लोग महाजनों से कर्जा लेते थे। और उसको लम्बे समय तक चुकाते रहे हैं। कहीं–कहीं शोषण एवं अत्याचार के विरोध में हत्या का स्वरूप भी मिला है। वर्तमान में भी कुछ लोग बैंक आदि कर्ज संस्थाओं से भी कर्ज लेने से कतराते हैं।

कम मजदूरी, अशिक्षा, रोजगार अभाव, कम उत्पादकता तथा उपभोग के बढ़ते स्तर ने जनजाति को गरीब बनाया है। अधिकांश लोग आर्थिक रूप से दुर्बल हैं। वन गाँवों में आधे से अधिक लोग गरीबी रेखा से नीचे मिलते हैं अतः उपभोग से आय कम पाया जाता है। यह अंतर 10 से 35 प्रतिशत तक मिलता है। (10–12 प्रतिशत) जो राना एवं कठरिया थारू एवं विकास केन्द्र के गाँवों एवं उच्च शिक्षित वर्ग के लोगों में कम है। सड़क से दूर के गांवों में रहने वाले लोगों विशेषकर दगुरिया थारू वर्ग में उपभोग व्यय आय से ज्यादा है। क्षेत्र के गैर जनजाति के लोगों में उपभोग व्यय आय से अधिक मिलता है। जो तालिका 6.27में स्पष्ट किया गया है।

$$\text{आय उपभोग में अंतर की तीव्रता} = \frac{\text{कुल आय} - \text{कुल उपभोग व्यय}}{\text{कुल आय}} \times 100$$

तालिका 6.27: चयनित परिवारों में प्रति व्यक्ति मासिक आय एवं उपभोग में अन्तर

क्र. सं.	वर्ग	औसत प्रति व्यक्ति आय	औसत प्रति व्यक्ति उपभोग	घाटा	घाटे की तीव्रता	आय उपभोग में कुल घाटा
1	सड़क से दूर स्थित गाँव	362.1	477.12	115.02	31.76	66826.72
2	सड़क पर स्थित गाँव	439.98	670.62	230.64	52.42	158682.1
3	विकास केन्द्र के गाँव	538.83	707.92	169.09	31.38	110752.6
4	योग	450.11	618.55	168.44	37.42	324070.7
5	राना थारू	537.78	641.29	103.51	19.25	54861.2
6	कठरिया थारू	681.05	678.78	-2.27	-0.33	-518.16
7	दंगुरिया थारू	365.11	535.59	170.48	46.69	198780.9
8	योग	450.11	618.55	168.44	37.42	324070.7
9	गैर जनजाति	526.59	645.47	118.88	22.58	28531.2
10	महायोग	491.86	630.27	138.41	28.14	299526.4

स्रोत : शोधकर्त्ता द्वारा अपने शोध अध्ययन "थारू जनजाति की सामाजिक आर्थिक परिवर्तनशीलता एवं संविकास" हेतु 2004–05 में किए गये सर्वेक्षण पर आधारित।

तालिका 6.28 के अनुसार चयनित परिवारों में 6526.00 रूपये प्रति परिवार कर्जा था जिसमें सड़क से दूर के गांवों में थारू परिवारों में, विकास केन्द्रों की अपेक्षा कर्ज कम है अर्थात् विकास के साथ कर्ज की मात्रा बढ़ी है। वही राना थारू तथा गैर जनजातीय परिवारों में प्रति परिवार ऋण अधिक है। परन्तु कर्जदार परिवारों का प्रतिशत सड़क से दूर के गांवों में अधिक है जो स्पष्ट करता है कि विकास के साथ लोगों में चेतना व नये उत्पादक कार्यों के लिए अधिक ऋण लिया है। वहीं पहले ज्यादातर लोग उपभोग के लए ऋण लेते थे जिसकी मात्रा कम होती थी परन्तु अधिकांश लोगों द्वारा ली जाती थी।

तालिका 6.28: चयनित परिवारों में औसत कर्ज का उद्देश्यवार विवरण

(प्रतिशत में)

क्र. सं.	वर्ग	प्रति परिवार कर्जा	कर्जदार परिवारों का प्रतिशत	पूंजी विनियोग	अन्य विनियोग	गृह उपभोग	पूर्व ब्याज	योग
1	सड़क से दूर स्थित गाँव	5772.00	60.00	5.33	53.11	38.36	3.20	100.00
2	सड़क पर स्थित गाँव	6222.00	56.00	9.17	55.36	31.23	4.24	100.00
3	विकास केन्द्र के गाँव	7056.00	54.00	10.11	57.18	24.33	8.38	100.00
4	योग	6350.00	56.67	8.20	55.22	31.31	5.27	100.00
5	राना थारू	6876.00	57.50	8.26	57.51	31.12	3.11	100.00
6	कठरिया थारू	6532.00	60.00	5.82	54.07	35.58	4.53	100.00
7	दंगुरिया थारू	5642.00	52.22	10.53	54.07	27.22	8.18	100.00
8	योग	6350.00	56.67	8.20	55.22	31.31	5.27	100.00
9	गैर जनजाति	7054.00	46.67	11.27	61.27	22.79	4.67	100.00
10	महायोग	6526.00	53.89	8.97	56.73	29.18	5.12	100.00

स्रोत : शोधकर्त्ता द्वारा अपने शोध अध्ययन "थारू जनजाति की सामाजिक आर्थिक परिवर्तनशीलता एवं संविकास" हेतु 2004–05 में किए गये सर्वेक्षण पर आधारित।

तालिका के अनुसार कर्ज का अधिकांश भाग (8.97 प्रतिशत) पूंजी विनियोग के लिए 56.73 प्रतिशत वर्तमान विनियोग के लिए लिया गया। वहीं 29.18 प्रतिशत भाग गृह उपयोग, 5.12 प्रतिशत पूर्व कर्ज के ब्याज के लिए, 8.97 प्रशित अन्य मदों के लिए कर्ज लिया गया। जहां विनियोग के लिए प्रति परिवार का प्रतिशत ऋण, सड़क से दूर स्थिति गांवों से विकास केन्द्रों की तरफ, बढ़ती दर से मिलता है वहीं उपभोग के लिए ऋण का प्रतिशत घटती दर से प्राप्त हुआ है। ब्याज के लिए लिए गये ऋण का प्रतिशत भी बढ़ा है जो संभवतः पूर्व में लिए गये कर्ज को चुकाने के लिए लिया गया है। साथ ही यह स्पष्ट है कि विनियोग की मात्रा बढ़ी है।

कर्ज स्रोत के संदर्भ में तालिका संख्या 6.29 के अनुसार चयनित परिवारों में प्रति परिवार औसत कर्ज का 19.46 प्रतिशत भाग संस्थागत स्रोतों से 23.55 प्रतिशत गैर थारू साहूकारों से, 12.35 प्रतिशत थारू साहूकारों से 24.05 प्रतिशत व्यपारियों से 8.82 प्रतिशत ऋण दोस्तों/रिश्तेदारों से तथा 11.58 प्रतिशत ऋण अन्य स्रोतों से लिया गया। परिवारों द्वारा लिए गये कर्ज के स्रोतों में ग्रामीण बैंक व्यापारिक बैंक, गैर थारू साहूकार, थारू साहूकर आदि स्रोत मुख्य हैं। अन्य स्रोतों में जिनमें कमीशन एजेन्ट, रिश्तेदार दोस्त एवं संस्थाएं तथा संगठन शामिल हैं। सामान्यतः थारू जनजाति के लोग महाजनों से कर्ज लेना पसन्द करते हैं क्योंकि वह समय पर एवं बिना दौड़भाग तथा असुविधा के उपलब्ध होता है। सरकारी बैंक में दौड़ भाग, कमीशन तथा घूसखोरी से बचने के लिए वे साहूकारों से कर्ज लेना ज्यादा आसान समझते हैं। कुछ साहूकार उनसे तब तक कर्ज वसूलते हैं जब उनकी फसल तैयार होती है। वहीं रिश्तेदार से तथा स्वंयं सहायता समूहों से भी कर्ज लेना पसन्द करते हैं। सामान्यतः विकास केन्द्रों तथा सड़क के गांवों में कर्ज की मात्रा ज्यादा है। जिसे अधिकांशतः संस्थागत स्रोतों से एवं उत्पादक कार्यो के लिए कम ब्याज दर पर लिया है।

तालिका 6.29 : चयनित परिवारों में औसत कर्ज का स्रोतवार विवरण

(प्रतिशत में)

क्र. सं.	वर्ग	प्रति परिवार कर्ज	संस्थागत स्रोत	साहूकार				अन्य	योग
				गैर थारू	थारू	व्यापारी	रिश्तेदार		
1	सड़क से दूर स्थित गाँव	5772.00	6.23	27.32	22.31	21.26	10.81	12.07	100.00
2	सड़क पर स्थित गाँव	6222.00	18.16	26.56	14.16	24.32	6.39	10.41	100.00
3	विकास केन्द्र के गाँव	7056.00	21.07	24.18	10.77	26.58	9.49	7.91	100.00
4	योग	6350.00	15.15	26.02	15.75	24.05	8.90	10.13	100.00
5	राना थारू	6876.00	22.98	19.16	8.16	29.26	11.35	9.09	100.00
6	कठरिया थारू	6532.00	13.10	29.63	23.36	25.42	9.44	-0.95	100.00
7	दंगुरिया थारू	5642.00	9.38	29.27	15.72	17.48	5.90	22.25	100.00
8	योग	6350.00	15.15	26.02	15.75	24.05	8.90	10.13	100.00
9	गैर जनजाति	7054.00	32.36	16.12	2.15	24.86	8.57	15.94	100.00
10	महायोग	6526.00	19.46	23.55	12.35	24.26	8.82	11.58	100.00

स्रोत : शोधकर्त्ता द्वारा अपने शोध अध्ययन "थारू जनजाति की सामाजिक आर्थिक परिवर्तनशीलता एवं संविकास" हेतु 2004–05 में किए गये सर्वेक्षण पर आधारित।

तालिका से स्पष्ट है कि सड़क से दूर के गांवों की अपेक्षा सड़क पर स्थित गांव एवं विकास केन्द्र के गांव के थारू परिवार में जहां संस्थागत स्रोतों से ऋण का प्रतिशत बढ़ती दर से मिलता है वहीं व्यापारियों तथा साहूकारों से ऋण का प्रतिशत घटती दर से है, जो स्पष्ट करता है कि विकास के साथ कर्ज स्रोतों के स्वरूप में परिवर्तन हो रहा है।

कर्ज के ब्याज दर के संदर्भ में तालिका 6.30 के अनुसार कुल कर्ज का 20.61 प्रतिशत भाग, 15 प्रतिशत से कम दर ब्याज दर पर लिया गया। वहीं 23.13 प्रतिशत कर्ज 16–20 प्रतिशत की दर से, 24.03 प्रतिशत कर्ज 21–25 प्रतिशत की दर से 28.11 प्रतिशत कर्ज 26.30 प्रतिशत की दर से, एवं 4.13 प्रतिशत कर्ज 30 प्रतिशत से अधिक की ब्याज दर पर लिया गया।

तालिका 6.30 : चयनित परिवारों में औसत कर्ज का ब्याजदर वार विवरण

(प्रतिशत में)

क्र. सं.	वर्ग	प्रति परिवार कर्ज	15 प्रतिशत से कम	16–20 प्रतिशत	21–25 प्रतिशत	26–30 प्रतिशत	30 प्रतिशत से अधिक	योग
1	सड़क से दूर स्थित गाँव	5772.00	8.65	44.22	13.51	22.26	11.36	100.00
2	सड़क पर स्थित गाँव	6222.00	11.45	39.49	19.26	26.31	3.49	100.00
3	विकास केन्द्र के गाँव	7056.00	16.32	30.94	21.59	28.95	2.20	100.00
4	योग	6350.00	22.40	27.90	22.42	21.60	5.68	100.00
5	राना थारू	6876.00	14.36	33.72	19.31	29.38	3.23	100.00
6	कठरिया थारू	6532.00	10.12	39.28	16.25	27.23	7.12	100.00
7	दंगुरिया थारू	5642.00	42.72	10.69	31.71	8.18	6.70	100.00
8	योग	6350.00	22.40	27.90	22.42	21.60	5.68	100.00
9	गैर जनजाति	7054.00	18.82	18.35	25.64	34.62	2.57	100.00
10	महायोग	6526.00	20.61	23.13	24.03	28.11	4.13	100.00

स्रोत : शोधकर्त्ता द्वारा अपने शोध अध्ययन "थारू जनजाति की सामाजिक आर्थिक परिवर्तनशीलता एवं संविकास" हेतु 2004–05 में किए गये सर्वेक्षण पर आधारित।

तालिका के अनुसार सड़क से दूर गांवों के परिवारों में कर्ज की ब्याज दर विकास केन्द्र के गांवों की परिवारों के कर्ज की अपेक्षा अधिक है। वहीं कठरिया थारू में लिए गये ऋण का प्रति ब्याज दर राना एवं दगुरिया थारू की अपेक्षा कम है। स्पष्ट है कि विकास के साथ–साथ कर्ज की ब्याज दर में कमी आई है। जो सकारात्मक पक्ष को इंगित करता है।

उत्तरदाताओं द्वारा धारित कर्ज में वर्तमान उधारी का प्रतिशत अधिक है। बढ़ती उद्योग एवं कार्यप्रियता के संदर्भ में स्पष्ट होता है कि वर्तमान में कर्ज विनियोग के लिए लिया गया। तालिका संख्या 6.30 के अनुसार कुल परिवारों में प्रति परिवार ऋण का 87.22 प्रतिशत भाग वर्तमान उधारी का है जो सड़क से दूर के गांवों के परिवारों की अपेक्षा विकास केन्द्र के गांवों में अधिक है जो स्पष्ट करता है कि विकास के साथ कर्ज तथा उधारी की प्रवृत्ति बढ़ी है।

वर्तमान उधारी के संदर्भ में उत्तरदाताओं से वर्ष के अंदर लिए गये कर्ज के स्रोत कारण एवं एवं ब्याज दर की जानकारी ली गई। तालिका 6.31 के अनुसार वर्तमान ऋण का 55.41 प्रतिशत ऋण

संस्थागत स्रोतों से लिया गया है वहीं 13.49 प्रतिशत ऋण थारू साहूकारों से, 4.32 प्रतिशत थारू साहूकारों से 20.55 प्रतिशत व्यापारियों से तथा 6.23 प्रतिशत ऋण अन्य स्रोतों से लिया गया था।

तालिका 6.31 : चयनित परिवारों में वर्तमान उधारी का स्रोतवार विवरण

(प्रतिशत में)

क्र. सं.	वर्ग	प्रति परिवार उधारी	संस्थागत स्रोत	साहूकार				योग
				गैर थारू	थारू	व्यापारी	अन्य स्रोत	
1	सड़क से दूर स्थित गाँव	4123.00	42.08	27.09	7.25	17.64	5.94	100.00
2	सड़क पर स्थित गाँव	5689.00	57.84	12.91	5.70	18.58	4.97	100.00
3	विकास केन्द्र के गाँव	6978.00	63.15	2.66	1.89	26.12	6.18	100.00
4	योग	5596.67	54.36	14.22	4.95	20.78	5.70	100.00
5	राना थारू	5987.00	55.12	20.33	2.48	19.32	2.75	100.00
6	कठरिया थारू	6339.00	54.90	18.25	7.28	18.02	1.55	100.00
7	दंगुरिया थारू	4464.00	53.05	4.08	5.08	25.00	12.79	100.00
8	योग	5596.67	54.36	14.22	4.95	20.78	5.70	100.00
9	गैर जनजाति	5978.00	58.58	11.28	2.45	19.87	7.82	100.00
10	महायोग	5692.00	55.41	13.49	4.32	20.55	6.23	100.00

स्रोत : शोधकर्त्ता द्वारा अपने शोध अध्ययन "थारू जनजाति की सामाजिक आर्थिक परिवर्तनशीलता एवं संविकास" हेतु 2004–05 में किए गये सर्वेक्षण पर आधारित।
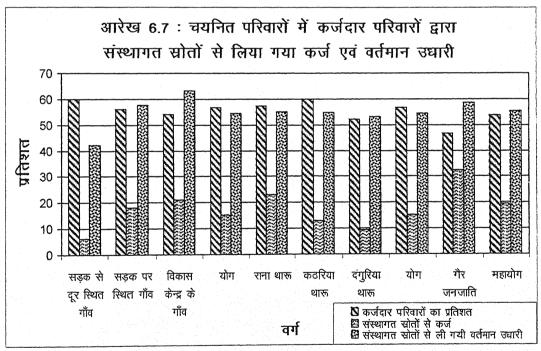
स्रोत : तालिका 6.31

तालिका से स्पष्ट होता है कि सड़क से दूर के गांवों की अपेक्षा सड़क पर के गांव एवं विकास केन्द्र के गांवों के परिवारों में प्रति परिवार वर्तमान उधारी का अधिक हिस्सा संस्थागत स्रोतों से लिया गया है। दगुरिया थारू की अपेक्षा राना थारू में प्रति परिवार वर्तमान उधारी का हिस्सा संस्थागत स्रोतों से अधिक है। सड़क से दूर के गांवों से विकास केन्द्र के गांवों की तरफ साहूकारों से उधारी का

प्रतिशत घटा है। जो स्पष्ट करता है कि विकास के साथ संस्थागत स्रोतों के प्रति जागरूकता बढ़ी है, जो सकारात्मक विकास का द्योतक है।

वर्तमान उधारी का उद्देश्यनुसार का विवरण तालिका 6.32 में उत्तरदाताओं के प्रति परिवार औसत उधारी का उद्देश्यवार प्रतिशत में दिया गया है जिसके अनुसार 55.25 प्रतिशत उधारी फसल ऋण के रूप में ली गई या 2.44 प्रतिशत ऋण बैंक एवं बैलगाड़ी के लिए 3.94 प्रतिशत पशु के लिए चाय दुकान, पान दुकान आदि कार्यों के लिए लिया गया। 2.57 प्रतिशत उधारी किराना दुकानों के लिए एवं 33.63 प्रतिशत वर्तमान उधारी घरेलू उपभोग के लिए लिया लिया गया।

तालिका 6.32 : चयनित परिवारों में वर्तमान उधारी का उद्देश्यवार विवरण

(प्रतिशत में)

क्र. सं.	वर्ग	प्रति परिवार उधारी	कृषि एवं फसल ऋण	बैल– बैलगाड़ी	पशु खरीदना	पान की दुकान एवं सब्जी	चाय की दुकार एवं किराना	घरेलू उपयोग	योग
1	सड़क से दूर स्थित गाँव	4123.00	49.36	1.92	5.62	1.25	1.38	40.47	100.00
2	सड़क पर स्थित गाँव	5689.00	54.82	2.16	3.21	2.36	2.23	35.22	100.00
3	विकास केन्द्र के गाँव	6978.00	56.67	3.25	1.69	4.27	3.24	30.88	100.00
4	योग	5596.67	53.62	2.44	3.51	2.63	2.28	35.52	100.00
5	राना थारू	5987.00	58.84	3.31	3.52	3.12	2.34	28.87	100.00
6	कठरिया थारू	6339.00	54.36	3.01	3.12	2.24	2.56	34.71	100.00
7	दंगुरिया थारू	4464.00	47.65	1.01	3.88	2.52	1.95	42.99	100.00
8	योग	5596.67	53.62	2.44	3.51	2.63	2.28	35.52	100.00
9	गैर जनजाति	5978.00	60.14	2.44	5.24	3.21	3.41	25.56	100.00
10	महायोग	5692.00	55.25	2.44	3.94	2.77	2.57	33.03	100.00

स्रोत : शोधकर्त्ता द्वारा अपने शोध अध्ययन "थारू जनजाति की सामाजिक आर्थिक परिवर्तनशीलता एवं संविकास" हेतु 2004–05 में किए गये सर्वेक्षण पर आधारित।

तालिका से स्पष्ट है कि सामाजिक आर्थिक परिवर्तन के साथ उधारी में अधिक संख्य हिस्सा विनियोग के लिए किया गया। सड़क से दूर स्थित गांवों की अपेक्षा विकास केन्द्रों की तरफ प्रति परिवार उधारी में विनियोग का हिस्सा बढ़ती दर से मिलता है। वही उपभोग के लिए उधारी का प्रतिशत कम हुआ है। अतः स्पष्ट है कि विकास के साथ उधारी का उद्देश्य स्वरूप, उत्पादन पक्ष की ओर उन्मुख हुआ है, जो सकारात्मक विकास का द्योतक है।

परिवारों में वर्तमान उधारी का ब्याज दर के अनुसार विवरण तालिका संख्या 6.33 में दिया गया है जिसके अनुसार कुल प्रति परिवार ऋण का 64.54 प्रतिशत ऋण 15 प्रतिशत या कम ब्याज दर पर 6.12 प्रतिशत ऋण, 16–20 प्रतिशत की ब्याज दर से, 11.54 प्रतिशत ऋण 21–25 प्रतिशत की दर से 15.35 प्रतिशत उधारी, 26–30 प्रतिशत एवं 2.45 प्रतिशत उधारी 30 प्रतिशत से अधिक ब्याज दर लिया गया।

तालिका 6.33 : चयनित परिवारों में वर्तमान उधारी का ब्याजदर वार विवरण

(प्रतिशत में)

क्र. सं.	वर्ग	प्रति परिवार कर्ज	15 प्रतिशत या कम	16–20 प्रतिशत	21–25 प्रतिशत	26–30 प्रतिशत	30 प्रतिशत से अधिक	योग
1	सड़क से दूर स्थित गाँव	4123.00	61.30	3.56	9.43	21.20	4.51	100.00
2	सड़क पर स्थित गाँव	5689.00	60.82	6.33	12.22	18.39	2.24	100.00
3	विकास केन्द्र के गाँव	6978.00	60.49	6.42	15.16	16.22	1.71	100.00
4	योग	5596.67	60.87	5.44	12.27	18.60	2.82	100.00
5	राना थारू	5987.00	61.24	6.73	11.17	19.35	1.51	100.00
6	कठरिया थारू	6339.00	56.37	4.24	13.28	22.60	3.51	100.00
7	दंगुरिया थारू	4464.00	65.00	5.34	12.36	13.86	3.44	100.00
8	योग	5596.67	60.87	5.44	12.27	18.60	2.82	100.00
9	गैर जनजाति	5978.00	75.55	8.16	9.36	5.58	1.35	100.00
10	महायोग	5692.00	64.54	6.12	11.54	15.35	2.45	100.00

स्रोत : शोधकर्त्ता द्वारा अपने शोध अध्ययन ''थारू जनजाति की सामाजिक आर्थिक परिवर्तनशीलता एवं संविकास'' हेतु 2004–05 में किए गये सर्वेक्षण पर आधारित।

तालिका से स्पष्ट होता है कि 25 प्रतिशत से अधिक ब्याज दर पर उधारी का प्रतिशत सड़क से दूर के गांवों की अपेक्षा विकास केन्द्र के गांवों में परिवारों में कम हुई है। साथ दगुरिया एवं कठरिया थारू की अपेक्षा राना थारू में उधारी में कम ब्याज दर का हिस्सा अधिक है।

अतः स्पष्ट है कि विकास के साथ वर्तमान उधारी में भी ब्याज दर का प्रतिशत कम हुआ है। जो विकास के सकारात्मक पक्ष का द्योतक है।

6.9 थारू समाज में आर्थिक पक्षों में परिवर्तन का प्रभाव – एक मूल्यांकन

जनजाति के आर्थिक स्वरूप में तीस वर्षों में हुए परिवर्तन सम्बन्धी विचारों में उत्तरदाताओं का विचार है कि सामान्य आर्थिक स्थिति एवं क्रय शक्ति, कृषि में रासायनिक खाद एवं कीटनाशक दवा प्रयोग कृषि के ट्रैक्टर एवं मशीन प्रयोग, व्यापार एवं नौकरी में संलग्नता तथा विश्वास, कुटीर एवं लघु उद्योग की मात्रा तीस वर्षों में बढ़ी है वहीं मजदूरी के संदर्भ में 40.67प्रतिशत लोग मानते हैं कि पहले से मजदूरी पर निर्भरता घटी है तो 38.00 प्रतिशत लोग मजदूरी प्रवृत्ति में वृद्धि तथा 21.33 प्रतिशत लोग पूर्ववत स्थिति मानते हैं यदि पूर्ववत एवं बढ़ी स्थिति सम्बन्धी विचारों का अवलोकन करते हैं तो स्पष्ट है कि पहले से मजदूरी पर निर्भरता बढ़ी है। वही जंगल से जड़ी–बूटियां तथा लकड़ी एकत्रण की मात्रा में कमी आई है।

तालिका 6.34 : चयनित थारू उत्तरदाताओं के अनुसार 30 वर्षों में आर्थिक पक्षों में परिवर्तन

(प्रतिशत में)

क्र. सं.	आर्थिक पक्ष	पहले से बढ़ा	पहले से घटा	पूर्ववत	योग
1	सामान्य आर्थिक स्थिति एवं क्रय शक्ति	70.00	16.67	13.33	100.00
2	कृषि में रासायनिक खाद एवं दवा का प्रयोग	56.67	3.33	40.00	100.00
3	ट्रेक्टर एवं मशीन का प्रयोग	72.67	0.00	27.33	100.00
4	व्यापार एवं नौकरी में विश्वास	73.33	6.00	20.67	100.00
5	मजदूरी करना	40-67	38-00	21.33	100.00
6	कुटीर एवं लघु उद्योग	61.33	16.67	22.00	100.00
7	जंगल से जड़ी बूटियां एवं लकड़ी लाना	10.00	90.00	0.00	100.00

स्रोत : शोधकर्त्ता द्वारा अपने शोध अध्ययन "थारू जनजाति की सामाजिक आर्थिक परिवर्तनशीलता एवं संविकास" हेतु 2004–05 में किए गये सर्वेक्षण पर आधारित।

उपभोग दशा में पिछले तीस वर्षों में थारू जनजाति के उपभोग दशा के विविध संकेतों में हुए परिवर्तनों में 58.00 प्रतिशत उत्तरदाताओं का मत है कि पहले से भोजन स्वरूप अच्छा है। 61.33 प्रतिशत लोगों के अनुसार बात एवं पहनावा अच्छा है 64.67 प्रतिशत उत्तरदाताओं के मत में आवास दशाएं अच्छी है। 72.67 प्रतिशत लोगों के अनुसार रहन–सहन स्वरूप ठीक है,अर्थात उपभोग दशाओं में तीस वर्षों में सकारात्मक परिवर्तन हुआ है।

तालिका 6.35 : चयनित थारू उत्तरदाताओं के अनुसार 30 वर्षों में आर्थिक पक्षों में परिवर्तन

(प्रतिशत में)

क्र. सं.	उपभोग दशा	पहले से अच्छा	पहले से खराब	पूर्ववत	योग
1	भोजन	58.00	14.67	27.33	100.00
2	वस्त्र एवं पहनावा	61.33	8.00	30.67	100.00
3	आवास दशा	64.67	6.00	29.33	100.00
4	रहन–सहन का स्वरूप	72.67	10.67	16.67	100.00

स्रोत : शोधकर्त्ता द्वारा अपने शोध अध्ययन "थारू जनजाति की सामाजिक आर्थिक परिवर्तनशीलता एवं संविकास" हेतु 2004–05 में किए गये सर्वेक्षण पर आधारित।

उपरोक्त विश्लेषण स्पष्ट करता है कि जहां सामाजिक सांस्कृतिक एवं आर्थिक स्थिति अच्छी हुई है वहीं दहेज प्रथा का एवं मजदूरी प्रवृत्ति बढ़ना तथा भाईचारा सुख दुख में भागीदारी, परम्परागत पद्धतियों का त्याग जैसे पक्षों में आई कमी, एकांगी विकास का द्योतक है।

आर्थिक जागरूकता के संदर्भ में 50.00 प्रतिशत लोगों को इन्दिरा आवास योजना की, 64.00 प्रतिशत लोगों को रोजगार गारन्टी कार्यक्रम की, 63.33 प्रतिशत लोगों को बालिका समृद्धि योजना की, 74.00 प्रतिशत उत्तरदाताओं को ग्राम स्वरोजगार योजना की, 61.33 प्रतिशत उत्तरदाताओं को अन्योदय योजना की, 64.67 प्रतिशत उत्तरदाताओं को अन्नपूर्णा योजना की, 56.66 प्रतिशत उत्तरदाताओं को वृद्ध पेंशन योजना की, जानकारी थी, जो संकेत देता है कि जनजाति में योजनाओं के संदर्भ में जागरूकता में कमी है। जानकारी न होने की स्थिति में वे यातो लाभ का प्रोत्साहन है यदि लाभ पाते हैं तो उसका एक हिस्सा मध्यस्थों के मध्य चला जाता है।

तालिका 6.36 : चयनित थारू उत्तरदाताओं में विकास जागरूकता का स्वरूप

(प्रतिशत में)

क्र. सं.	विकास जागरूकता	जानकारी नहीं	प्रशिक्षित है	लाभान्वित	योग
1	इन्दिरा आवास योजना	50.00	11.33	38.67	100.00
2	रोजगार गारन्टी कार्यक्रम	36.00	11.33	52.67	100.00
3	बालिका समृद्धि योजना	36.67	7.33	56.00	100.00
4	ग्राम स्वरोजगार योजना	26.00	8.67	65.33	100.00
5	अन्त्योदय योजना	38.67	8.00	53.33	100.00
6	अन्नपूर्णा योजना	35.33	7.33	57.33	100.00
7	वृद्धा पेंशन योजना	43.33	3.33	53.33	100.00

स्रोत : शोधकर्त्ता द्वारा अपने शोध अध्ययन "थारू जनजाति की सामाजिक आर्थिक परिवर्तनशीलता एवं संविकास" हेतु 2004–05 में किए गये सर्वेक्षण पर आधारित।

जैसा कि अध्याय दो में स्पष्ट है कि संविकास ऐसी सामाजिक उन्नति है जो प्रत्येक व्यक्ति की आवश्यकता पहचानती है, इसमें जीवन के सभी रूपों का आदर करना, एवं देखभाल करना, जीवन की गुणवत्ता बढ़ाना पृथ्वी की जीवन शक्ति और विविधता का संरक्षण करना तथा प्राकृतिक के ह्रास को कम करना, पर्यावरण के प्रति व्यक्तिगत व्यवहार और अभ्यास मे परिवर्तन करना, समुदायों को अपने पर्यावरण की देखभाल करने योग्य बनाना, प्राकृतिक संसाधनों का विवेकी उपयोग करना, आर्थिक संवृद्धि और रोजगार के उच्च एवं स्थिर को कायम करना आदि पक्ष शामिल हैं।

यदि उपरोक्त पक्षों को आधार बनाकर थारू समाज के आर्थिक पक्ष की परिवर्तनशील स्थितियों को देखें तो जीवन स्तर में उत्थान होना, शिक्षा विकास, एवं जागरूकता में वृद्धि जहां सकारात्मक विकास का द्योतक है। वहीं तराई क्षेत्र में वन भूमि में ह्रास, संस्कृति में ह्रास, खेती में उर्वरक प्रयोग से उर्वरा शक्ति के कम होने से ऊसर भूमि का बढ़ना, विकास का सड़क से दूर स्थित वन ग्रामों में कम पहुँचना एवं सांस्कृतिक पक्षों में ह्रास असंतुलित एवं असमग्र विकास का द्योतक है जो संधृत भी नहीं है।

- परिवर्तनों के असंधृत स्वरूप को स्पष्ट करने वाले पक्षों में थारू समाज में जहां कार्यशीलता बढ़ी है वहीं बेरोजगारी भी बढ़ी है।
- कृषि पद्धतियों में असंतुलित रासायनिक उर्वरक एवं कीटनाशक प्रयोग तकनीक का प्रयोग बढ़ा है परन्तु जैविक तत्वों का प्रयोग कम हुआ है जिससे ऊपर भूमि की मात्रा बढ़ी है जो असंधृत विकास का द्योतक है। तथा भविष्य में क्षेत्र में भयानक समस्याओं को जन्म दे सकता है।
- बाहरी लोगों के अतिक्रमण तथा कृषि भूमि के विस्तार से आर्थिक जागरूकता बढ़ी तथा जीवन स्तर तो उठा है परन्तु वन क्षेत्र एवं वन्य जीवों को अधिक नुकसान हुआ जो प्राकृतिक संरक्षण की दृष्टि से सही नहीं है।
- आर्थिक नियोजन के कार्यक्रमों में जो आवास एवं शौचालय की सुविधाएं मिलीं वे भी सामान्य जनता को एवं कम विकसित लोगों को अधिक मिली, साथ ही उनकी गुणवत्ता भी बहुत ठीक नहीं थी जिससे उनका समुचित लाभ नहीं मिला जो असंधृत विकास का प्रतीक है।
- शिक्षा की मात्रा तो बढ़ी है परन्तु शिक्षा की गुणवत्ता में उस अनुपात में वृद्धि नहीं हुई जिससे बेरोजगारी बढ़ी है जो असंधृत विकास का प्रतीक है।
- प्रकृति में जीने वाले इन लोगों में आर्थिक जागरूकता तो आई परन्तु रोजगार सुविधाओं के अभाव में आय न होने से जो संतुष्ट जीवन स्वरूप था वह भी आपाधापी एवं कष्ट में परिवर्तित हुआ जो असंधृत स्वरूप का प्रतीक है।

किसी प्राकृतिक समाज के विकास के लिए पहले उनके संस्कृति का संरक्षण करना आवश्यक है क्योंकि यदि हम उन पर कुछ थोपते हैं और असफल होते हैं तो हम उनके विकास के बजाय विनाश को बढ़ावा देते हैं। अतः समस्याओं को आधार बनाकर नीति निर्धारण करना होगा।

6.10 चयनित परिवारों के सामाजिक-आर्थिक सूचकांकों के आधार पर विभिन्न वर्गों का विकास स्तर (मानक संख्या रूपांतरण विधि)

चयनित परिवारों के आधार पर विभिन्न वर्गों के सामाजिक, आर्थिक विकास स्तर का आंकलन मानक संख्या रूपान्तरण विधि की सहायता से 20 चयनित संकेतांकों के आधार पर किया गया है। सामाजिक संकेतांकों में आयु सूचकांक, लिंगानुपात, हाई स्कूल से उच्च शिक्षा प्राप्त व्यक्तियों का प्रतिशत, कुल साक्षरता, महिला साक्षरता, कार्य सहभागिता दर, आश्रितता अनुपात, पक्के आवासों का प्रतिशत, अखबार मंगाने वाले परिवारों का प्रतिशत, प्रति व्यक्ति शिक्षा मूल्य, 81 से अधिक मूल्य की वस्तुओं का प्रयोग करने वाले परिवारों का प्रतिशत, गैस पर भोजन बनाने की सुविधायुक्त आवासों का प्रतिशत शामिल है। वहीं आर्थिक संकेतांकों में प्रति व्यक्ति आय, उपभोग व्यय में गैर खाद्य मदों पर व्यय का प्रतिशत हिस्सा, प्रति व्यक्ति उपभोग, 21 से अधिक मूल्य की उपभोक्ता वस्तुओं का प्रयोग करने वाले परिवारों का प्रतिशत, प्रति परिवार औसत कर्ज, पूंजी विनियोग के लिए लिये गये कर्ज का प्रतिशत, संस्थागत स्रोतों के लिए कर्ज का प्रतिशत को शामिल किया गया है।

उपरोक्त सूचकांकों के चयन का आधार परिवारों के सामाजिक, आर्थिक विकास में योगदान करने वाले महत्वपूर्ण कारकों के रूप में है। इन सूचकांकों का आंकलन 180 थारू परिवारों के सर्वेक्षण से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर किया गया है।समस्त सूचकों के मानक प्राप्तांकों को जोड़कर एक क्रम तैयार किया गया एवं बढ़ते से घटते क्रम में व्यवस्थित किया गया। आंकलन से स्पष्ट होता है कि विकास केन्द्र के गाँवों का सर्वाधिक सामाजिक, आर्थिक विकास हुआ है वहीं सड़क पर स्थित गाँवों का विकास स्तर मध्यम या विकास केन्द्रों के गाँवों से कम है। सड़क से दूर स्थित गाँवों का विकास स्तर अन्य की अपेक्षा अति निम्न है।

विभिन्न सामाजिक वर्गों में राना थारू का सामाजिक, आर्थिक विकास स्तर सर्वोच्च है वही कठरिया थारू द्वितीय स्थान पर गैर जनजातीय लोगों का सामाजिक आर्थिक विकास स्तर के क्रम में ततीय स्थान पर है। जबकि दंगुरिया थारूओं का सामाजिक आर्थिक विकास स्तर चौथे क्रम पर है। राना थारू तथा कठरिया थारू के सामाजिक आर्थिक विकास स्तर की उच्चता का कारण वंशानुगत प्रभाव एवं क्षेत्र में सिक्ख समुदाय द्वारा किए जा रहे कार्यों से सीख लेना है वही दंगुरिया थारू क्षेत्रों में मुस्लिम धर्म का प्रभाव अधिक मिलता है जिनसे वे ज्यादा प्रेरणा प्राप्त नहीं कर पाये हैं। साथ ही बलरामपुर एवं श्रावस्ती के क्षेत्र में सिंचाई की सुविधाओं का पूर्णतः अभाव है, गरीबी अधिक है, शिक्षा की कमी है, तथा तकनीकी प्रभाव एवं वाह्य हस्तक्षेप कम हुआ है जिससे अभी भी पिछड़ापन दृष्यगत है परन्तु यह अंतर बहुत अधिक नहीं मात्र क्रम के आधार पर कठरिया थारू एवं राना थारू ज्यादा उच्च है लेकिन विकास की दृष्टि से थारू वर्ग की सामाजिक आर्थिक दशा में उत्थान हुआ है वहीं गैर जनजातीय वर्गों की स्थिति में कमी आई है क्योंकि उन्हें सरकारी सुविधाओं का लाभ कम मिला है और गैर जनजातीय लोगों ने गरीबी की मात्रा विगत दशकों में बढ़ी है। इस वृद्धि के कारणों में सामान्य श्रम को करने से सामाजिक बेइज्जती समझना, मेहनत में कमी मिथ्या उच्चता की भावना, शिक्षा की कमी, एवं सुविधाओं का न मिलना आदि मुख्य है।

अतः आवश्यक है कि नियोजन में ग्राम स्तरीय विकास किया जाए न कि जाति या धर्म आधरित क्योंकि यह सामाजिक असंतुलन एवं वैमनस्य को जन्म देता है।

तालिका 6.37 : विभिन्न वर्गों का सामाजिक–आर्थिक विकास स्तर

क्र. म.	वर्ग	आयु सूचकांक	लिंगानुपात	स्नातक या उच्च शिक्षा	कुल साक्षरता	महिला साक्षरता	कार्य सहभागिता दर	आश्रितता अनुपात	पक्के आवासों का प्रतिशत	अखबार आने वाले आवसा	प्रति व्यक्ति शिक्षा मूल्य	81 से अधिक मूल्य की
1	सड़क से दूर स्थित गाँव	-0.109	0.0093	-0.2581	-0.1022	-0.0998	-0.3201	0.0186	-0.2144	-0.1875	-2.863	-0.7491
2	सड़क पर स्थित गाँव	-0.3236	0.0386	-0.0216	0.0199	0.0261	0.0722	-0.0047	-0.1072	0	0.2045	0
3	विकास केन्द्र के गाँव	0.4326	-0.0479	0.2798	0.0823	0.0737	0.2479	-0.0139	0.3215	0.1875	2.6585	0.7491
4	योग	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

क्र. म.	वर्ग	गैस की सुविधायुक्त आवास	प्रति व्यक्ति शुद्ध बोया गया क्षेत्र	भोजन के इतर मदों पर कुल उपभोग का प्रतिशत	प्रति व्यक्ति उपभोग मूल्य	21 से अधिक मूल्य के वस्तुओं का उपभोग करने वाले परिवार	आय उपभोग का अन्तर	प्रति परिवार औसत कर्ज	कुल कर्ज में पूंजी विनियोग हेतु कर्ज का प्रतिशत	संस्थागत स्रोतो से कर्ज का प्रतिशत	कुल सूचकांक	रैंक / क्रम
1	सड़क से दूर स्थित गाँव	-0.7491	-0.2028	-0.0162	-0.3086	-0.0138	-0.5354	-0.002	-0.6721	-0.2164	-7.5917	3
2	सड़क पर स्थित गाँव	0	-0.0204	-0.0013	0.1019	0.0051	0.1078	-0.0005	0.2261	0.073	0.3959	2
3	विकास केन्द्र के गाँव	0.7491	0.2232	0.0176	0.2067	0.0087	0,4276	0.0025	0.446	0.1434	7.1959	1
4	योग	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

क्र. म.	वर्ग	आयु सूचकांक	लिंगानुपात	स्नातक या उच्च शिक्षा प्राप्त	कुल साक्षरता	महिला साक्षरता	कार्य सहभागिता दर	आश्रितता अनुपात	पक्के आवासों का प्रतिशत	अखबार आने वाले आवसा	प्रति व्यक्ति शिक्षा मूल्य	81 से अधिक मूल्य की वस्तुओं वाले परिवार*
1	राना थारू	-0.0138	0.0067	1.0581	0.1729	0.2345	-0.0324	-0.2271	-0.0390	-0.1061	7.8603	1.3298
2	कठरिया थारू	-0.0193	0.0106	-0.4259	-0.0003	-0.0090	-0.4094	0.3138	0.2210	0.4418	0.5822	1.3304
3	दंगुरिया थारू	-0.0176	0.0067	-1.0781	-0.0434	-0.1808	0.2145	-0.2969	-0.0563	-0.2896	-7.2780	-0.6627
4	गैर जनजाति	0.0507	-0.0240	0.4459	-0.1292	-0.0446	0.2272	0.2102	-0.1257	-0.0461	-1.1645	-1.9982
5	योग	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

क्र. म.	वर्ग	गैस की सुविधायुक्त आवास	प्रति व्यक्ति शुद्ध बोया गया क्षेत्र	भोजन के इतर मदों पर कुल उपभोग का प्रतिशत	प्रति व्यक्ति उपभोग मूल्य	21 से अधिक मूल्य के वस्तुओं का उपभोग करने वाले परिवार	आय उपभोग का अन्तर	प्रति परिवार औसत कर्ज	कुल कर्ज में पूंजी विनियोग हेतु कर्ज का प्रतिशत	संस्थागत स्रोतो से कर्ज का प्रतिशत	कुल सूचकांक	रैंक / क्रम
1	राना थारू	-0.0433	-0.0433	-0.0022	1.8945	0.0055	-0.1057	0.0012	-0.1565	0.0439	11.8818	1
2	क्ठरिया थारू	0.1661	0.1661	0.0027	0.1092	0.0185	0.6578	0	-0.6943	-0.0792	2.2168	2
3	छंगुरिया थारू	-0.0718	-0.0718	-0.0081	-1.999	-0.031	-0.1913	-0.003	0.3438	-0.1256	-11.7682	4
4	गैर जनजाति	-0.0510	-0.051	0.0077	-0.0047	0.007	-0.3608	0.0018	0.5069	0.1609	-2.3305	3
5	योग	0.0000	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0000	

स्रोत : शोधकर्त्ता द्वारा अपने शोध अध्ययन "थारू जनजाति की सामाजिक आर्थिक परिवर्तनशीलता एवं संविकास" हेतु 2004–05 में किए गये सर्वेक्षण पर आधारित।

References :

1. Sriuvastava, S.K. (1957), **The Tharu: A Study in Cultural Dynamics**, Agra University Press, Agra, pp.3-4.

2. Ganguli, B.N. (1938), **Trend of Agriculture and Population in the Ganges Valley**, London, pp.93-94.

3. Hanumantha Rao, C.H. (1965), **Agricultural Production: Costs and Return in India**, Asia Publishing House, New Delhi.

4. Mintras, B.S. (1974), "Rural Poverty and Land Re-Distribution and Development", *Sankhya Series*, Vol.36, pp.255-263.

5. Majumdar, D.N. (1937), "Some Aspects of the Economic Life of the Boksas and Tharus of Nainital Tarai", *Journal of Anthropological Society*, Mumbai, Vol. , pp.113-135.

6. Srivastava, S.K. (1957), *Op.cit.*

7. Watts, Harold (1965), "An Economic Definition of Poverty", **Understanding Poverty** (ed.), Moynihan, Daniel, P., Basic Book Inc. Publishers, New York, p.316.

8. Rowntree, S. (1901), **Poverty – A Study of Town Life**, *op.cit.*, pp.27-29.

9. Rowntree, S. (1901), **Poverty – A Study of Town Life**, Macmillan, London; also, See, Rose Michael, E.(1972), **The Relief of Poverty**, 1834-1914, Macmillan, London, pp.27-29

10. Dandakar, V.M. and Rath, N. (1971), "Poverty in India", *Indian School of Political Economy.*

11. Srivastava, S.K. (1957), *op.cit.*

———:0:———

अध्याय–7

सरकारी एवं गैर सरकारी संगठनों के कार्य एवं प्रभाव
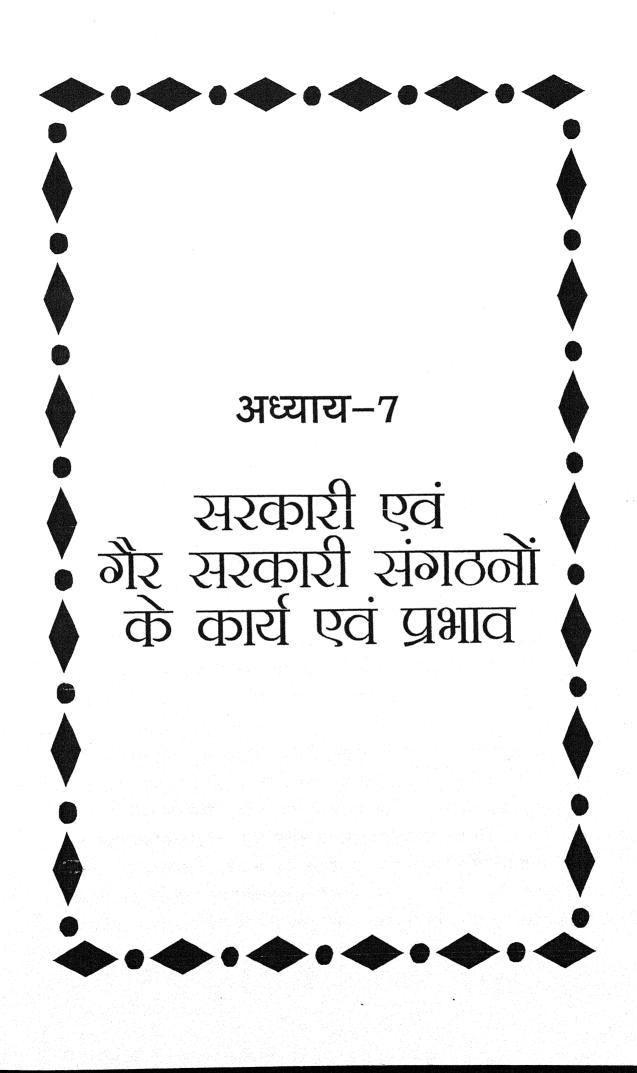
अध्याय 7

सरकारी एवं गैर सरकारी संगठनों के कार्य एवं प्रभाव

किसी समाज या क्षेत्र के विकास में दो पक्षों से प्रयास होते हैं – 1. राज्य, जो निश्चित क्षेत्र के समाजों की प्रशासनिक सत्ता होती है, के द्वारा, 2. मनुष्य के सामाजिक प्राणी होने के कारण चिन्तनशील व्यक्तियों के समूह द्वारा। अध्ययन क्षेत्र, चूंकि उत्तर प्रदेश के उन विकासशील क्षेत्रों में से एक है जो विकास के निचले पायदान पर हैं परन्तु तीव्र विकास की रफ्तार में हैं। अतः क्षेत्र के एवं क्षेत्र में निवास करने वाले आदिम समुदाय थारू के विकास के लिए सरकारी एवं गैर सरकारी संगठन सतत प्रयास कर रहे हैं।

प्रस्तुत अध्याय में तराई क्षेत्र तथा थारू जनजाति की समस्याओं एवं कारणों को इंगित करते हुए अध्ययन क्षेत्र में संचालित सरकारी एवं गैर सरकारी संगठनों के प्रयासों एवं विकास के पक्षों पर पड़े प्रभाव का अवलोकन किया गया है।

7.1 थारू निवास क्षेत्र की मुख्य समस्याएं –

उत्तर प्रदेश का तराई क्षेत्र निम्न मुख्य समस्याओं से ग्रस्त है जिसका प्रभाव क्षेत्र के निवासियों के जीवन स्तर एवं विकास स्वरूप पर दृष्टिगोचर है।

1. **जलवायुविक कठोरता** – तराई क्षेत्र में उमस, मच्छरों एवं विषैले जीवों की अधिकता है, जिसके कारण जीवन के लिए अनुकूलतम दशाएं नहीं मिलतीं।
2. **अवस्थापनात्मक सुविधाओं का अभाव** – इस क्षेत्र में छोटी–छोटी नदियों की अधिकता, बाढ़ आदि के साथ कम जनसंख्या एवं खनिज संसाधनों की कमी के कारण सड़क, रेल परिवहन एवं अन्य परिवहन तथा संचार साधनों का अभाव है। उपलब्ध सड़कों की दशा भी दयनीय है। विद्युतीकरण के बावजूद बिजली न मिल पाना भी एक मुख्य समस्या है।
3. **सिंचाई सुविधाओं की कमी** – क्षेत्र में सिंचाई सुविधाओं की कमी है। नहरों, नलकूप आदि के अभाव के कारण क्षेत्र के कृषकों की मानसून पर निर्भरता बढ़ जाती है। बलरामपुर एवं श्रावस्ती के थारू बाहुल्य गांवों की सबसे मुख्य समस्या सिंचाई सुविधाओं का न होना है।
4. **पेयजल सुविधा की कमी** – क्षेत्र में जल में स्रोतों की कमी है। जल में आयोडीन की कमी के साथ अशुद्धता भी मिलती है जो घेंघा, अपंगता एवं अन्य बीमारियों को जन्म देती है।
5. **मच्छरों की अधिकता** – क्षेत्र में आर्द्र जलवायु के कारण मच्छरों की अधिकता है जिससे मलेरिया, डेंगू, फाइलेरिया तथा मस्तिष्क ज्वर की समस्या बनी रहती है।
6. **सामाजिक असमता** – क्षेत्र की एक मुख्य समस्या सामाजिक असमता है तथा महिलाओं की स्थिति दयनीय है। क्षेत्र में परम्परागत जातिवादता व्याप्त है जिसके मुख्य कारणों में अशिक्षा,

रूढ़िगत सामाजिक व्यवस्था एवं गरीबी है।

7. **क्षेत्र में अशिक्षा** – क्षेत्र में अशिक्षा का जाल है। बहराइच, बलरामपुर एवं श्रावस्ती जनपद, प्रदेश में सबसे कम साक्षरता को प्रदर्शित करते हैं, जो शिक्षा है, वह भी मात्रात्मक है। गुणात्मक दृष्टि से शिक्षा का स्तर अति निम्न है। शिक्षा की कमी क्षेत्र के अधिकांश समस्याओं की जड़ है।
8. **जनसंख्या वृद्धि** – संसाधनों की कमी के साथ तीव्र गति से बढ़ती जनसंख्या से क्षेत्र में सामाजिक–आर्थिक समस्याएं जन्म ले रही हैं।
9. **बढ़ती अपराध प्रवृत्ति** – क्षेत्र में गरीबी एवं बेरोजगारी के कारण अपराध प्रवृत्ति बढ़ रही है जिसमें चोरी, मारपीट एवं मूल्य ह्रास मुख्य है। जिससे असुरक्षा की भावना बढ़ रही है और विकास में अवरोध उत्पन्न हो रहा है।
10. **अनैच्छिक एवं छिपी बेरोजगारी** – क्षेत्र की अधिकांश जनसंख्या कृषि कार्य में संलग्न है जिससे लगभग 50 प्रतिशत श्रम का सही उपयोग नहीं होता और गरीबी को बल मिलता है।
11. **प्रवास** – उद्योगों एवं रोजगार सुविधाओं की कमी के कारण क्षेत्र का श्रम निम्न मूल्य प्राप्त करता है और क्षेत्र से पलायित हो रहा है जो क्षेत्र के विकास के लिए अवरोधक है।
12. **आश्रित जनसंख्या की अधिकता** – क्षेत्र में आश्रित जनसंख्या अधिक है। कार्य शक्ति की कमी है जो आर्थिक विकास का अवरोधक है।
13. **कुशल श्रम का अभाव** – गुणात्मक शिक्षा के अभाव के कारण कुशल श्रम का अभाव है जो सामाजिक–आर्थिक विकास का अवरोधक है।
14. **खनिज संसाधनों का अभाव** – क्षेत्र में खनिज संसाधनों का अभाव है जिससे आर्थिक विकास में बाधा उत्पन्न होती है।
15. **उद्योगों का अभाव** – उत्तर प्रदेश के 49वें औद्योगिक सर्वेक्षण के अनुसार श्रावस्ती प्रदेश में औद्योगिक दृष्टि से सबसे पिछड़ा है। वहीं बहराइच, बलरामपुर, लखीमपुर में कृषि आधारित उद्योगों के अलावा अन्य उद्योगों का भी अभाव है। उद्योगों की कमी के कारण भी बेरोजगारी एवं गरीबी पायी जाती है।

अतः उत्तर प्रदेश का तराई क्षेत्र समस्याओं से ग्रस्त है, जिनमें प्राकृतिक समस्याओं के साथ सामाजिक समस्याएं भी क्षेत्र के विकास की मुख्य अवरोधक हैं।

7.2 थारू जनजाति की मुख्य समस्याएं –

हजारों वर्षों से आदिम जनजातियां जंगलों एवं पहाड़ी इलाकों मे रह रही हैं। खुले मैदान के निवासियों तथा सभ्यता केन्द्रों से इनका सम्बन्ध आकस्मिक ही रहा। कभी–कभार शिकार/सैन्य अभियानों के दौरान राज्य व्यवस्था से उनका दो टूक हुआ। परन्तु 19वीं सदी में आधुनिक परिवहन तथा संचार साधनों के प्रादुर्भाव से ये क्षेत्र प्रकाश में आये, तथा भूमि में भूखे मैदानी क्षेत्र के सभ्य लोगों ने विरल जनजातीय क्षेत्रों पर धावा बोल दिया और अव्यवस्थित प्रशासन तथा शान्तिप्रियता का लाभ

उठाकर व्यापारियों एवं सूदखोरों ने प्रशासकों एवं सामाजिक कार्यकर्ताओं ने येन केन प्रकारेण उनके क्षेत्र का अतिक्रमण कर लिया। जिसने जनजातीय समाज को तबाही की ओर ढकेल दिया। जनजातीय लोग अपनी आर्थिक आत्मनिर्भरता तथा अधिकांश भूमि खो बैठे और अनेकों समस्याओं से ग्रस्त हो गये। अब तक जो लोग भी जनजातियों के संपर्क में आये लगभग सभी ने जनजाति के लोगों को सरल, सीधा, सच्चा, ईमानदार, रंगीले, खुशमिजाज एवं निद्वन्द्व बताया है। ब्रिटिश सम्पर्क जिसने हिन्दुओं के साथ उनके सम्पर्क को और तेजी प्रदान की, के बाद भी कुछ जनजातीय समुदायों ने अपनी परम्पराओं को सुरक्षित रखा और अपने पुराने सामाजिक संगठन को बिल्कुल तो खत्म नहीं किया परन्तु पहले जैसी जीवन्तता नहीं रही। (धुर्ये 1963)[1]। अनगढ़ खेती, वाह्य सम्पर्क, अलगाव, निरक्षरता, एवं गरीबी के कारण जनजातियों का सामाजिक आर्थिक संगठन भी प्रभावित हुआ। कष्टप्रद आर्थिक स्थितियों के परिणामतः जनजातियों के जीवन मृत्यु संघर्ष हेतु डॉ. डी. एन. मजूमदार ने 11 मुख्य बिन्दुओं को उत्तरदायी माना है जिनमें आबकारी कानूनों की मर्मान्तक चोट, जनजातियों अधिकारियों के तबादले, जनजातीय भूमि का छिनना, भूमि से उत्खनन पर रोक या भारी शुल्क की अदायगी, परम्परागत कर्मकाण्डों को न समझना, परम्परागत कृषि पद्धति अर्थात (झूम कृषि) का निषिद्धिकरण, परम्परागत सामाजिक व्यवस्थाओं में से कुछ को यथा (अपहरण विवाह) दण्ड योग्य जुर्म मानना, मेले एवं साप्ताहिक बाजार, जो शिक्षा, न्यायिक असफलता, मिशनरी प्रभाव, बाह्य संपर्क आदि कारण मुख्य है।[2]

ए. बी. थक्कर (थक्कर बापा)[3] जिन्हें जनजातियों का मसीहा भी कहे हैं ने 6 मुख्य समस्याओं का उल्लेख किया है – गरीबी, निरक्षरता, अस्वास्थ्य कर दशायें, आदिवासी क्षेत्रों तक पहुंचने में दुर्गमता, प्रशासन का दबाव, नेतृत्व का अभाव मुख्य है। हट्टन[4] जो अंग्रेजी नीति के पक्षपोषक थे ने बुराइयों/समस्याओं के लिए, 1. ऐसी प्रशासकीय पद्धति का प्रारम्भ जो उनकी विशेष आवश्यकताओं को समझने या उन पर ध्यान देने में पूरी तरह असफल रहा, 2. इन आदिम जनजातियों की स्थितियों में सुधार करने की सदइच्छा से उठाये गये खरे कदमों को उत्तरदायी माना है। अतः जनजातीय क्षेत्रों में भूमि की हानि, जनजातीय गाँवों का प्रशासन गैर जनजातीय एवं बाहरी मुखियाओं के हाथ में होना, जीवन निर्वाह के साधनों की हानि तथा बुराइयां, आदिवासी एकता तथा परस्पर निर्भर सामाजिक संगठनों का ह्रास, अनियमित एवं अनियंत्रित बाह्य सम्पर्क, आदि कारणों ने जनजातीय क्षेत्र की निम्न मुख्य समस्याओं को जन्म दिया है।

1. गरीबी का दुष्चक्र – भारत में गरीबी औपनिवेशिक इतिहास का अंग रहा है परन्तु बदलते परिप्रेक्ष्य में प्रकृति में जीने वाले प्राकृतिक रूप से धनी आदिम जनों की आर्थिक स्थिति में अवनयन हुआ है। गरीबी, जनजाति के कम प्रतिव्यक्ति आय तथा निम्न उपभोग दशा से परिलक्षित होती है जो उनकी गरीबी का कारण बनती है और वे गरीबी के दुष्चक्र में फंसे रहते हैं। थारू जनजाति के 70 प्रतिशत लोग आज भी गरीबी रेखा से नीचे जीवन–यापन करते हैं। दूर के गांवों में आन्तरिक क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की स्थिति तो और भी दयनीय है। क्योंकि एक तरफ वे वाह्य सम्पर्क से बढ़ी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु परेशान है, तो दूसरी तरफ उनकी आय के परम्परागत साधनों को बाधित कर दिया गया।

अतः विकास के साथ–साथ बढ़ती जनसंख्या एवं वाह्य सम्पर्क के प्रभाव से गरीबी की मात्रा में संतोषजनक कमी नहीं आयी हां आर्थिक स्तर जरूर थोड़ा उत्थित हुआ है।

2. **ऋणग्रस्तता** – निर्धनता, कम कृषि उत्पादन, भाग्यवादी एवं संकुचित प्रवृत्ति, जुर्माना एवं ब्याज, भुखमरी, बेरोजगारी, आय स्रोतों का छिनना तथा दुर्बल आर्थिक दशा के कारण जनजाति के लोगों को स्वास्थ्य, मौलिक आवश्यकता या अन्य सामाजिक आर्थिक आवश्यकताओं हेतु साहूकारों संस्थाओं या अन्य स्रोतों से ऋण लेना पड़ता है। (अध्याय 5) ऋण के मामले में जनजातीय क्षेत्र में साहूकार या भूमाफियाओं की स्थिति और अच्छी होती है क्योंकि वे अधिकांशतः जनजाति के बीच रहते हैं। जनजाति के लोगों को आवश्यकता पड़ने पर उन्हें ऋण के लिए दूर नहीं जाना पड़ता। साहूकार इन्हें बिना किसी शर्त तुरन्त ऋण प्रदान करता है जिससे उन्हें बैंक आदि के चक्कर लगाने से मुक्ति मिलती है। अधिकांशतः साहूकार ऋण की अदायगी फसल तैयार होने पर करते है। अतः जनजातीय लोगों को रूपये के बोझ का अहसास कम होता है। साहूकार का व्यक्तिगत सम्बन्ध बनाए रखना, तथा बिना शर्त सभी उद्देश्यों हेतु ऋण देना भी एक महत्वपूर्ण तथ्य है। वह जनजातीय भाषा बोलता है, थारूओं के सम्पूर्ण परिवार के बारे में भलीभांति जानता है तथा उन स्थितियों से अवगत रहता है जब इन्हें धन की आवश्यकता होती है। अधिकांश ऋण शर्तें मौखिक होती हैं। अतः जनजातीय लोगों को साहूकारों के शोषण, बंधुआपन, भूमि हस्तांतरण, वेश्यावृत्ति आदि समस्याओं का सामना करना पड़ता है। कभी–2 कर्ज का बोझ पीढ़ी दर पीढ़ी चलता है जिससे जनजातीय लोग अपराध तक पर उतारू हो जाते हैं। (श्रीवास्तव 1958[5]) सरकार के अथक प्रयासों तथा कानून के प्रभाव से थारू में यह समस्या सतत कम हो रही है।

3. **भूमि हस्तांतरण** – वर्तमान में भी अधिकांश जनजातीय जनसंख्या कृषक है। कृषि पर वे सदियों से निर्भर रह रहे हैं। अतः उनका भावनात्मक लगाव रहता है। परिवहन एवं संचार व्यवस्था में विस्तार होने के कारण समस्त जनजातीय क्षेत्र बाहरी लोगों के लिए खुल गया। ये बाहरी लोग इन क्षेत्रों में अपने–अपने स्वार्थों के साथ प्रवेश कर गये तथा जनजातीय भूमि का येन केन प्रकारेण अधिग्रहण किया। अतः भूमि की स्वामी जनजातियां भूमिहीनता के कगार पर पहुंच गई। धन की कमी, साहूकार का कर्ज तथा न्यायालयी हड़प इसके मुख्य कारण रहे हैं। थारू, पंजाबी जमींदारों साहूकारों तथा पड़ोसी हिन्दू, मुसलमानों के भूशोषण का शिकार रहे हैं। बलरामपुर, बहराइच में जहां मुस्लिम प्रभाव मिलता है, वहीं श्रावस्ती में हिन्दू तथा लखीमपुर में सिक्खों को थारूओं द्वारा भूमि हस्तांतरण का स्वरूप स्पष्ट दृष्टिगोचर होता है। जंगलों को साफ करके जो कृषि योग्य भूमि थारू लोगों ने बनाई थी वह शरणार्थियों या जमींदारों, भूमाफियाओं के हाथों में चली गई और क्षेत्र की एक मुख्य समस्या बन गयी है।

4. **बेरोजगारी** – जनजातीय जनसंख्या की कृषि आश्रितता के साथ अधिकांश परिवार (80.7 प्रतिशत) सीमान्त लघु कृषक है, परिवारों का आकार 42–45 व्यक्तियों तक का भी मिल जाता है। अतः जहां मौसमी बेरोजगारी मिलती है। तकनीकी रूप से अपरिष्कृत होने के कारण कृषि में मजदूरी, तथा

ठेकेदारों के यहां मजदूरी या भट्ठे आदि पर कम मूल्य पर मजदूरी करते हैं परन्तु फिर भी उन्हें पूर्ण रूप से रोजगार प्राप्त नहीं होता।

5. हीन स्वास्थ्य दशा – भौगोलिक रूप से कठोर क्षेत्र में रहने के कारण जनजाति बहुत सी बीमारियों से ग्रस्‍ रहती है परन्तु सबसे अधिक मात्रा में जल संक्रामक रोग पाये जाते हैं जिनमें पेट के रोग कालरा, अतिसार, पेचिश, नहरूआ, आंत का कैन्सर, चर्मरोग आदि मुख्य हैं। वही आयोडीन की कमी से घेंघा, मंदबुद्धिता तथा आर्द्रभूमि होने से मच्छरों के प्रभाव से मलेरिया, फाइलेरिया, मस्तिष्क ज्वर, जैसी घातक बीमारियों के शिकार हो जाते हैं। कमजोरी तथा पोषक तत्वों की कमी से वे कमजोरी, कुपोषण एवं क्षयरोग के शिकार हो जाते हैं।सरकार के प्रयासों के बावजूद विकास की सही दृष्टि का न होना अभाव, कर्मचारियों की अरूचि, अपर्याप्त परिवहन एवं संचार व्यवस्था तथा दवाओं का अनुपलब्धता के कारण स्वाथ्य सुविधाओं का वांछित लाभ नहीं मिल पाया है। धेवार कमीशन जनजातीय प्रकृति पर टिप्पणी करते हैं – "एक सरल प्रकृति का मनुष्य पुजारी तथा डाक्टर दोनों के पास जाएगा ताकि पुजारी उसके लिए प्रार्थना करे तथा डाक्टर उसका इलाज करे। मान्यता है कि ईश्वर पुजारी की प्रार्थना सुनता है जिससे दवा का प्रभाव बढ़ जाएगा। डाक्टर ऐसा साधन है जिसके माध्यम से दैवी शक्तियां काम करती हैं।"[6] जनजातीय क्षेत्र में आवश्यकता है कि जनजातीय क्षेत्रों में समर्पित ईश्वर पर आस्था रखने वाले तथा जनजाति एवं प्रकृति से प्रेम करने वाले लोगों की नियुक्ति की जाए उन्हें शहरी डाक्टरों/कर्मचारियों से ज्यादा सुविधाएं दी जाएं। कर्मचारी प्रत्येक गाँव में नियमित रूप से निरीक्षण करें। सचल दवाखाने स्थिर चिकित्सालयों की अपेक्षा ज्यादा लाभप्रद होंगे। जनजातियों को वीडियो एवं अन्य प्रचार माध्यमों से स्वास्थ्य के प्रति सचेत करना भी लाभप्रद होगा।

6. मदिरापान – जनजाति में मदिरापान का अत्यधिक प्रचलन है। जनजाति के लोग कुछ पेय बनाते हैं जो क्षेत्रीय आवश्यकताओं के अनुरूप होता है। जिसे ठर्रा या जाड कहते हैं। थारू के जाड के बारे में कहा जाता है कि "जाड़ ही ऐसी वस्तु है जो तराई के उस दुष्कर क्षेत्र में जहां कौओं को भी 'जूड़ी' आती है ने थारू के अस्तित्व को बचाए रखा है।" महुआ तथा चावल की बनी शराब उनके लिए स्वास्थ्यप्रद है। मदिरा, जनजाति के प्रत्येक रीतिरिवाज का अभिन्न अंग है। चाहे देवी–देवताओं को चढ़ावा हो या शादी विवाह, पार्टी, संस्कार, भोज आदि सबमें मदिरापान अभिन्न अंग है। परन्तु जाड पर प्रतिबंध तथा बाहरी शराब के प्रभाव से जहां उनकी स्वास्थ्य दशा में क्षति हुई है वहीं अन्य नशाओं यथा तम्बाकू, भांग, गांजा तथा अफीम आदि के सेवन के शिकार हो गये हैं।हालांकि शराब थारू लोगों के आलस्य तथा गरीबी के मुख्य कारणों में से एक है। परन्तु रीति–रिवाजों का अभिन्न अंग भी है। स्वनिर्मित मदिरा अम्लीय मदिरा से ज्यादा स्वास्थ्यकर है। पर प्रभावशाली व्यवसायियों आबकारी पुलिस, राजस्व तथा वन कर्मचारियों एवं अन्य लोगों को भी जनजाति द्वारा शराब को चोरी छुपे बनाने की व्यवस्था से को नियम उल्लंघन के आरोप में शोषण का मौका मिलता है। घरेलू मदिरा जो सदियों से उनके जीवन का अभिन्न अंग रही है इतनी आसानी से त्यागना संभव नहीं है। अतः आवश्यकता है कि जनजातियों में उनकी मदिरा को परिष्कृत शराब बनाने का उद्योग विकसित किया जाए जिससे गरीबी

निवारण के साथ भ्रष्टाचार से मुक्ति मिल सके। परन्तु जाड पर प्रतिबंध तथा बाहरी शराब के प्रभाव से जहां उनकी स्वास्थ्य दशा में क्षति हुई है वहीं अन्य नशाओं यथा तम्बाकू, भांग, गांजा तथा अफीम आदि के सेवन के शिकार हो गये हैं।

7. अशिक्षा – प्रकृति में जीने वाली थारू जनजाति में आज भी लगभग 60 प्रतिशत लोग अशिक्षित हैं। अशिक्षा एवं अज्ञानता के कारण वे न तो सरकारी योजनाओं का लाभ ले पाते हैं और न ही समुचित आर्थिक उत्थान में सफल होते हैं। बेरियर एल्विन (1963)[7] एक जनजातीय परिवार के लिए अपने बच्चों को स्कूल भेजना आवश्यक रूप से उसकी आर्थिक स्थिति पर निर्भर करता है। गरीब परिवारों में बच्चों को स्कूल भेजने से इनके जीवन यापन के संघर्ष एवं श्रम विभाजन की योजना गड़बड़ा जाती है – बहुत से मां–बाप ऐसी स्थिति में नहीं होते कि वे अपने बच्चों को स्कूल भेज सकें अर्थात गरीबी का दुष्चक्र उन्हें पिछड़ा बना देता है। एक तरफ अशिक्षा है तो दूसरी तरफ योजनाओं की खानापूर्ति में नामांकित लोगों को साक्षर का दर्जा तो मिलता है परन्तु शिक्षा नहीं। जनजाति के लोग अप्रयोगी शिक्षा में रूचि भी नहीं लेते। आधुनिक सभ्यता से विलग तथा दूरवर्ती क्षेत्रों में रहने वाला जनजातीय बच्चा देश के भूगोल व इतिहास, औद्योगीकरण तकनीकी विकास, महत्वपूर्ण व्यक्तियों के प्रति कम रूचि लेगा उसे तो अपने पड़ोसी समुदायों के ग्राम्य जीवन, सामाजिक संगठनों, रीति–रिवाजों, विश्वास तथा परम्पराओं के विषय में जानकारी दी जानी चाहिए, इसके पश्चात् उसे उसके देश की विभिन्न स्थितियों से अवगत कराना चाहिए। प्रणालीबद्ध तरीके से ही उसके, गांव, राज्य देश तथा अंतर्राष्ट्रीयता से संबंधित जानकारी उसके विकास में सहायक होगी। ऐसे पाठ्यक्रम का निर्माण होना चाहिए जो जनजातीय परम्पराओं, रीति–रिवाज, स्थानीय आवश्यकताओं तथा राष्ट्रीय शिक्षा योजना में संतुलन स्थापित करे उनमें श्रम के सम्मान की भावना, सहकारिता, सामाजिक अनुशासन जैसे पक्षों पर बल देना चाहिए। परम्परागत खेलों को भी शिक्षा के माध्यम में बनाया जाए ताकि स्वास्थ्य एवं अपनत्व की भावना भी जागृत हो। तकनीकी ज्ञान तथा सामाजिक परिवर्तनों को भी शिक्षा का आवश्यक अंग बनाना चाहिए ताकि वे अपने मूल्यों को समझते हुए मैत्रीपूर्ण वातावरण में बने रह सकें। शिक्षक ऐसे हों जो उनके जीवन एवं संस्कृति के बारे में जानकारी रखे, साथ ही बाहर के हो तथा उन्हीं के बीच रहे जिससे वे जनजातियों से लगाव रखकर शिक्षा प्रदान कर सकेंगे। गांव के प्रहरी की भांति बने जीर्ण–शीर्ण सरकारी विद्यालयों के भवनों को व्यवस्थित तथा सुविधा सम्पन्न बनाया जाए। मध्यान्ह भोजन या शिक्षा हेतु आकर्षण करने वाली योजनाएं तब तक सफल नहीं हो सकती जब तक शिक्षा के उद्देश्यों को ध्यान में रखकर उत्तम शिक्षा न दी जाए और तभी जनजातीय उत्थान एवं विकास का सपना सही मायने में सफल हो सकेगा।

8. छिपी बेरोजगारी (Under Employment) – छिपी बेरोजगारी तराई के थारू समाज की एक मुख्य समस्या है। सम्पूर्ण कार्यदिवसों के 50 प्रतिशत से अधिक का मूल्य किसानों को प्राप्त नहीं होता है। न ही इस श्रम की आवश्यकता है अतः इस श्रम को अन्य कार्य में लगाने की आवश्यकता है।

9. कम मजदूरी – मजदूरों की मजदूरी दर कम है। वास्तव में उत्तर प्रदेश में मजदूरी दर अन्य राज्यों

की अपेक्षा कम है, परन्तु साथ ही मजदूरों की उत्पादकता भी कम है। कारण कम मजदूरी के साथ उनका स्वास्थ्य, सामाजिक एवं तकनीकी दशा भी उत्तम नहीं है। हालांकि प्रदेश में अन्य जातियों की अपेक्षा थारू मजदूर कार्य के प्रति ज्यादा संवेदनशील एवं मेहनती हैं परन्तु मदिरापान गरीबी एवं कम मजदूरी के कारण वे अनेकों समस्याओं से ग्रस्त हैं एवं उत्पादन में महत्वपूर्ण योगदान कर पाने में असमर्थ हैं।

10. प्रोत्साहन का अभाव - थारू समाज में प्रोत्साहन (Motivation) की कमी है उन्हें उनके कर्तव्य के आंकलन की ही नहीं बल्कि तकनीकी क्षमता को परिपक्व करने के लिए विशेष उपाय करने की आवश्यकता है अर्थात जनजाति के सामाजिक आर्थिक उत्थान में प्रोत्साहन सबसे अहम एवं आवश्यक है।

11. रूढ़िगत एवं परम्परागत बंधन – थारू लोगों का रूढ़ियों एवं गलत परम्पराओं के बंधन में बंधे रहना भी मुख्य समस्या है तथा समस्याओं का कारण भी है। अतः इसके प्रति थारू समाज को जागृत करने की आवश्यकता है।

12. अप्रशिक्षित श्रम – थारू जनजाति के तकनीकी एवं गुणात्मक शिक्षा के अभाव के कारण कुशल श्रम की कमी है जो अनेकों समस्याओं को जन्म दे रही है।

13. वनग्रामों की समस्या – वन ग्राम वे ग्राम हैं जो वन विभाग के परिक्षेत्र में बसे हैं। थारू एक वन्य जाति है तथा 'थरूवट' थारू का इलाका शिवालिक श्रृंखला के तराई क्षेत्रों में पड़ता है एवं घने वनों से आच्छादित रहा है। ब्रिटिश काल में वन विभाग के अधीन संगठित हो गये गांव, (यथा नरिहवा–बलरामपुर) वन ग्राम के रूप में माने जाते हैं। इन गांवों में रहने वाले लोगों की दशा अत्यन्त दयनीय है। एक तरफ वन विभाग के नियमों के कारण ये सड़कों से जुड़े नहीं हैं वहीं विद्युतीकरण भी नहीं हो पाया है तथा अवस्थापनात्मक सुविधाओं का पूर्णतः अभाव है यथा – पेय जल, विद्यालय आदि तो दूसरी तरफ उनको वन की सुविधाओं से भी बेदखल कर दिया गया तथा जमीन से बेदखल करने की प्रक्रिया जारी है। वन ग्रामों के लोग वन अधिकारियों/वन माफियाओं के शोषण का शिकार होते हैं। गरीबी तथा अशिक्षा के कारण, दैनिक मजदूरी करने जाते वन ग्रामों के लोगों को किसान तो किसान ही सरकारी कार्यो में भी उन्हें 58 रू. की मानक मजदूरी नहीं मिल पाती। अतः इन गांवों में रहनेवालों की दशा अत्यन्त दयनीय है। सोचने की बात यह है कि जो थारू हजारों वर्षों से इस क्षेत्र में रह रहा है उसके द्वारा पहले जंगल क्यों नष्ट नही हुए, जिसका दावा वन विभाग कर रहा है। एक तरफ वन विभाग इनके क्षेत्र पर कब्जा करके वन का नुकसान कर रहा है तो दूसरी तरफ वन विभाग में माध्यम से वनोत्पादों को सफेद माल बनाकर बेचा जाता है। क्या कोई अपने जीवन रेखा (वन) को नष्ट करेगा, पशु भी ऐसा नहीं करते, थारू तो अच्छी मानसिकता रखने वाले मानव हैं।

सर्वेक्षण के दौरान परिवारों ने जो समस्याएं बताई उनमें भ्रष्टाचार, शिक्षा, स्वास्थ्य, एवं परिवहन तथा संचार सुविधाओं की कमी, रोजगार के साधनों का अभाव, बिजली न आना, पेयजल की समस्या, वन अधिकारों का हनन, वन में न जाने देना तथा शोषण की समस्याएं मुख्य है।

परिवारों की मुख्य शिकायत रही कि सरकार द्वारा विविध योजनाओं में जो छूट होती है उसे बिचौलिया ही खा लेते हैं। उन तक केवल मूल धन ही मिल पाता है। जिन लोगों की राजनीतिक पकड़ होती है या अधिकारियों तक पहुँच होती है अधिकांशतः उन्हें ही योजनाओं के लाभ भी मिल पाते हैं। इसके प्रमाण के रूप में यह देखा गया है कि कई परिवारों को इंदिरा आवास योजना के चार मकान उपलब्ध करा दिए गये जबकि कई बिना मकान के छप्पर के नीचे आज भी रह रहे हैं। गांव प्रधान भी बचे धन से अपने मुख्य गांव के विकास पर केन्द्रित रहता है बिखरे पुरवों के विकास पर ध्यान कम देता है। (वेलापरसुआ, लखीमपुर)

विद्यालयों के संदर्भ में शिकायत रही कि अध्यापक आते ही नहीं, जो आते भी हैं वे पढ़ाते नहीं क्योंकि अधिकांश अध्यापक क्षेत्रीय थारू है। उनका शिक्षा स्तर भी निम्न है। अतः विद्यालय में हाजिरी लगाने के पश्चात या तो सो जाते हैं या घर जाकर काम करते हैं। सर्वेक्षण के दौरान 12 प्राथमिक विद्यालयों में यह दशा देखने को मिली जो कुल सर्वेक्षित विद्यालयों का 73 प्रतिशत है। वही जूनियर एवं आश्रम पद्धति विद्यालयों में शिक्षकों का न होना मुख्य समस्या है। श्रावस्ती के कटकुइया का राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय मात्र एक व्यक्ति के बल पर चल रहा है वही अध्यापक हैं, वही छात्रावास अधीक्षक एवं वही व्यक्ति कार्यालय अधीक्षक है। अन्य क्षेत्रों के विद्यालयों की दशा भी कोई बहुत अच्छी नहीं है। क्षेत्रों में माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा के केन्द्र न होने के कारण 8–12 माह के बाद अधिकांश बच्चे विद्यालय जाना छोड़ देते हैं और किसी न किसी कार्य को पकड़ लेते हैं। श्रावस्ती के थारू गाँवों से न्यूनतम 34 किमी. दूरी पर डिग्री कालेज भिन्गा में है। बलरामपुर के थारू क्षेत्र से डिग्री कालेज की न्यूनतम दूरी 54 किमी. तथा बहराइच के थारू क्षेत्र से डिग्री कालेज की न्यूनतम दूरी 60 किमी. है। लखीमपुर से डिग्री स्तर की शिक्षा के लिये लखीमपुर के थारू विद्यार्थियों को 32 किमी. जाना पड़ता है। अतः शिक्षा सुविधाओं के विकास पर ध्यान केन्द्रित करने की आवश्यकता है।

क्षेत्र स्वास्थ्य सुविधाओं का अभाव है। मात्र विकास केन्द्रों पर स्थित सुविधाओं में डाक्टर जाना पसन्द नहीं करते या उनके व्यवहार/परम्परागत/आर्थिक कालों से थारू मरीज आना पसन्द नहीं करते कुछ गाँव तो उतने दूर होने से आज तक समय से नहीं पहुंच पाते। समय से स्वास्थ्य क़ी नियमित जांच न होने से दाई/मिडवाइफ आदि के गांव में न रहने से समस्याएं और भी बढ़ जाती हैं। अतः आवश्यक है कि प्रत्येक गाँव में चिकित्सा प्रशिक्षित व्यक्ति का होना आवश्यक है। वह चाहे आयुर्वेद का हो या एलोपैथ का। सड़क से दूर रहने वाले लोगों तथा वनग्रामों की मुख्य समस्या परिवहन के साधनों के अभाव की रही भौरीसाल, नरिहवा (बलरामपुर) तथा भट्ठा (लखीमपुर) धर्मापुर (बहराइच) जैसे गाँव सड़क से न जुड़े होने के कारण बरसात में शेष भाग पूर्णतः पृथक हो जाते हैं और अनेकों समस्याओं से परेशान होते हैं। बिजली का न आना लगभग सभी गांवों की समस्या है। कहीं–2 तो वर्षों से बिजली न आने की शिकायतें रही हैं। अधिकारियों तथा पुलिस के द्वारा शोषण तथा बाहरी लोगों द्वारा परेशान करने की समस्या भी सर्वत्र व्याप्त पायी गई है। अन्य कुछ क्षेत्रीय समस्याओं के बलरामपुर तथा श्रावस्ती के थारूओं की सबसे मुख्य समस्या सिंचाई सुविधाओं का पूर्णतः अभाव होना

है वे लगभग पूर्णरूप से मानसून पर निर्भर हैं अतः विकास के बावजूद गरीब है। क्षेत्र में शिवालिक की श्रंखलाएं भूगर्भ में व्याप्त होने से बोरिंग नहीं हो पाता, और नलकूप से सिंचाई संभव नहीं है। नहर, तालाब आदि की भी सुविधा नहीं है। इन क्षेत्रों के लिए बड़ा तालाब या नहर एक अत्यन्त उपयोगी कदम हो सकता है जो गरीबी के दुष्चक्र को तोड़ने में सहायक हो सकती है। बाजार न होने से उत्पादों का सही विक्रय नहीं हो पाता। अतः आवश्यक है कि मौसमवार क्रय केन्द्र की स्थापना होना चाहिए। जहां जनजाति के लोग निःसंकोच अपनी उपज को बेच सके।थारू जनजाति की मुख्य समस्याओं के अवलोकन के पश्चात यह विचारणीय है कि सरकार द्वारा किए गये प्रयासों में क्या कमी रह गई है। जिससे 40 वर्षों के प्रयास के बाद भी थारू समाज का स्तरीय विकास नहीं हो पाया है।

जिनके कारणों में मुख्य हैं –

1. योजना/कार्यक्रम निर्धारण से पूर्ण जनजाति की आवश्यकता क्षेत्र के स्वरूप एवं प्रभाव को क्षेत्र एवं विस्तृत अध्ययन न हो पाने से योजनाओं को उचित आधार नहीं मिलता। जनजाति विकास में संलग्न विभागों में आपसी सहयोग का अभाव है। जिससे समस्या निवारण में एक साथ प्रबल प्रयास नहीं हो पाता।
2. जनजातीय गाँवों के भ्रमण एवं उनकी समस्याओं को समझने में क्षेत्र कार्यकर्ताओं की रूचि, अक्षमता दृष्यगत है। वे सच्चाई से ज्यादा खानापूर्ति पर बल देते हैं। अतः समस्या के सही स्तर का आंकलन नहीं हो पाता।
3. जनजाति के लोग भी क्षेत्र कार्यकर्ताओं को उचित सहयोग नहीं करते और सही आंकड़े देने से कतराते हैं। वे मात्र तुरन्त लाभ की सोचते हैं भविष्य की नहीं, और जो सहायता प्राप्त होती है उसका समुचित उपयोग भी नहीं करते।
4. जनजाति के लोगों को विकास योजनाओं एवं कार्यक्रमों की जानकारी नहीं होती और कार्यकर्ता, योजनाओं की सम्पूर्ण जानकारी नहीं देते अतः भ्रष्टाचार, बिचौलियों को बल मिलता है और योजना का सही लाभ नहीं मिल पाता।
5. कर्मचारियों में अस्थिरता भी योजनाओं को सही ढंग से लागू करने में बाधक हैं। वही अधिक कार्यभार भी सही ढंग से कार्य संचालन में बाधक है।
6. कर्मचारियों में प्रशिक्षण की कमी एवं आंतरिक बोध (Instict) का अभाव विकास कार्यक्रमों को समुचित लाभ नहीं देता।
7. भ्रष्टाचार तथा गैर जिम्मेदारी एक मुख्य कारण है।
8. कर्मचारी एवं बिचौलिए छूट का हिस्सा खा जाते हैं तथा जनजातियों को उचित लाभ नहीं मिल पाता।
9. सरकारी लाभ के लिए उन्हें ज्यादा कार्यवाहियां (Formalities) पूरी करनी पड़ती हैं जिससे जनजातियों में असुरक्षा एवं अरूचि की भावना आती है और उचित लाभ नहीं मिलता।
10. अधिकारी पात्र चुनाव में मध्यस्थों (प्रधान एवं बिचौलिए) की मदद लेते हैं। अतः उचित लोगों

को लाभ नहीं मिलता ऐसा भी दृष्यगत है कि एक ही लाभ कई बार एक व्यक्ति को मिला एवं अन्य लोगों को नहीं मिल पाया यथा इन्दिरा आवास योजना के मकान।

11. कोष (Fund) का कम उपयोग हो पाना भी विकास में बाधक बना है, आदि।

7.3 क्षेत्र में थारू जनजाति विकास हेतु सरकारी प्रयास –

पांचवीं पंचवर्षीय योजना में, पूर्व से चल रही योजनाओं की समीक्षा के पश्चात् 17 राज्यों तथा 21 केन्द्र शासित प्रदेशों में जनजातीय उपयोजना की नीति लागू हुई। जिसमें उत्तर प्रदेश समेत समस्त चयनित राज्यों में एकीकृत जनजाति विकास उपागम अपनाया गया जिसका आधार क्षेत्र में जनजातीय जनसंख्या, क्षेत्र का पिछड़ापन एवं सहयोग आदि था। तत्कालीन उत्तर प्रदेश में, चलाई गई 6 एकीकृत जनजातीय परियोजनाओं एवं विखरी तथा आदिम जाति परियोजनाओं में से वर्तमान में अध्ययन क्षेत्र में तीन परियोजनाएं संचालित हैं – 1. एकीकृत थारू जनजाति परियोजना (ITDP), चन्दन चौकी, लखीमपुर खीरी, 2. थारू जनजाति विकास परियोजना (MADA), विशुनपुर विश्राम, बलरामपुर, 3. विखरी जनजाति परियोजना बहराइच तथा श्रावस्ती। इन परियोजनाओं का आधार भूत उद्देश्य निम्न है –

1. जनजातीय एवं गैर जनजातीय क्षेत्रों के मध्य विकास की खाई को कम करना;
2. एक आर्थिक परिक्षेत्र का निर्माण करना जो जनजातीय लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर ला सके;
3. लघु एवं कुटीर उद्योग, पशुधन, कृषि तथा अन्य आर्थिक क्रियाकलापों का विकास तथा उत्पादन में वृद्धि करना;
4. शिक्षा के स्तर में उत्थान करना;
5. जनजातियों को भूमि कर्ज बहुमापन शोषण आदि से सुरक्षा तथा जनजातियों को वनोंत्पाद एवं कृषि उत्पादों का सही मूल्य सुनिश्चित कराना;
6. अवस्थापनात्मक सुविधाओं के विकास के साथ मानव संसाधनों का समुचित विकास करना आदि।

7.3.1 एकीकृत जनजाति विकास परियोजना, चन्दन चौकी, लखीमपुर खीरी – इस परियोजना का शुभारम्भ 1976–77 में लखीमपुर खीरी जनपद के तत्कालीन निधासन तहसील के पलिया विकास खण्ड के थारू बाहुल्य क्षेत्र में चन्दन चौकी गाँव में हुआ। चन्दन चौकी नेपाल राष्ट्र की सीमा से लगा हुआ गाँव है जहां पलिया से दुधवा राष्ट्रीय पार्क होते हुए नेपाल को पक्की सड़क जाती है। यहां थारू एवं गैर जनजातीय लोग निवास करते हैं।

1980 तक इस परियोजना का संचालन निदेशक, समाज कल्याण निदेशालय उत्तर प्रदेश द्वारा किया जाता था। जनवरी 1980 में यह कार्यभार प्रवेध निदेशक तराई अनुसूचित जनजाति विकास निगम लिमिटेड लखनऊ द्वारा किया गया। उत्तर प्रदेश शासनादेश संख्या 2239/26–3–96 –4 (231) –91 द्वारा दिनांक 6 जून 1996, को परियोजना का संविलयन जनजाति विकास निदेशालय में कर दिया गया तब से यह परियोजना, निदेशक जनजाति विकास निदेशालय के निर्देशन में चल रही है।

1971 को जनगणना के अनुसार परियोजना क्षेत्र में 16181 व्यक्ति, कुल 1671 परिवारों में निवास करते थे, जिसमें 1603 परिवारों समेत 15735 व्यक्ति (97.2 प्रतिशत) जनजातीय समाज से थे। 1984 में यह संख्या बढ़कर 2469 परिवारों में 22436 व्यक्ति हो गयी जिसमें 2043 परिवारों में 20177 व्यक्ति जनजातीय समाज के थे। जनगणना 1991 के अनुसार परियोजना क्षेत्र में 4389 परिवारों में 26335 व्यक्ति निवास करते थे। वर्तमान में परियोजना क्षेत्र में 41 गाँव हैं, जिसमें जनगणना 2001 के अनुसार 33814 व्यक्ति निवास करते हैं। दुधवा राष्ट्रीय पार्क में अवस्थित क्षेत्र को छोड़कर परियोजना का कुल क्षेत्रफल 9936.77 हेक्टेयर है जिसमें 8325. 25 हेक्टेयर कृषि भूमि तथा 80 प्रतिशत जनसंख्या कृषि पर निर्भर है।

तालिका 7.1 : एकीकृत जनजाति विकास परियोजना चन्दन चौकी, खीरी में भूमि उपयोग प्रतिरूप

क्र. स.	मद	क्षेत्रफल हेक्टेयर	प्रतिशत
1.	कुल भौगोलिक क्षेत्र	9936.77	100.00
2.	वन	566.40	5.70
3.	अकृषित क्षेत्र एवं वंजर क्षेत्र	238.86	2.40
4.	गैर कृषि कार्यों में प्रयुक्त भूमि	745.16	7.50
5.	कृषियोग्य वंजर भूमि	626.76	6.31
6.	झाड़ी एवं अन्य वृक्षक्षेत्र	14.76	0.15
7.	चराई भूमि/चरागाह	46.34	0.47
8.	शुद्ध बोया गया क्षेत्र	7698.49	77.47
9.	सकल बोया गया क्षेत्र	11290.39	113.62
10.	एक से अधिकबार बोया गया क्षेत्र	3591.90	36.15

स्रोत – उत्तर प्रदेश सरकार आठवी पंचवर्षीय के हेतु जनजातीय उपयोजना, 1992–93, पृ. 7

1984 में हुए विभागीय सर्वेक्षण के अनुसार 91 प्रतिशत परिवार कृषि में 7 प्रतिशत परिवार मजदूरी/श्रम में, 2 प्रतिशत लोग सरकारी गैर सरकारी नौकरी में संलग्न थे। कुल आय का 76.5 प्रतिशत भाग कृषिगत क्रियाकलापों, 9.5 प्रतिशत भाग पशुधन से 5 प्रतिशत बैलगाड़ी आदि से, 2 प्रतिशत सेवा क्षेत्र से, 2.47 प्रतिशत श्रम से एवं 0.74 प्रतिशत अन्य व्यवसायों से प्राप्त होता था। वर्तमान में (स्वयं सर्वेक्षण के अनुसार) – 78.35 प्रतिशत लोग कृषि में, 12 प्रतिशत लोग श्रम एवं मजदूरी में एवं 4 प्रतिशत लोग सरकारी नौकरी में संलग्न हैं। अतः जहाँ कृषि क्रियाकलापों में संलग्नता घटी है, वहीं श्रम, मजदूरी, सेवा एवं अन्य व्यवसायों में संलग्नता घटी है।

प्रारम्भ में क्षेत्र में अवस्थापनात्मक एक सुविधाओं का पूर्णतः अभाव था। यह क्षेत्र बाढ़ एवं मलेरिया युक्त दशाओं से प्रभावित था। स्वतंत्रता के पश्चात् विकास के लिए किए गये प्रयासों से अवस्थापनात्मक सुविधाओं का विकास हुआ है। अब अधिकांश गांव पक्की सड़क या खड़ंज्जे से जुड़ गये हैं, विद्युतीकरण, पेयजल, चिकित्सा एवं शिक्षा आदि सुविधाओं का विस्तार हुआ है।

योंजना आयोग के अनुमोदन पर 1976 में ITDP खीरी को 35.00 लाख रुपये अनुदानित किया गया जो 1977–78 में 39.00 लाख तथा 1978–79 में 87.75 लाख हो गया। पंचम पंचवर्षीय योजना में

परियोजना हेतु 187.89 लाख रुपये प्रस्तावित हुआ जिसमें 162.04 लाख रुपये खर्च हुए। इस योजना में 5 राजकीय नलकूप, 165 निजी नलकूप, तीन बीज एवं खाद केन्द्र एक पशु अस्पताल एवं कृतिम गर्भाधान केन्द्र, 3 बहुउद्देश्यीय सहकारी समिति, 3 सहकारी गोदाम एक विपणन समिति, 60 कि.मी. पक्का रोड, 30 उद्योग इकाइयां, 3 जूनियर हाईस्कूल, 1 एलोपैथिक अस्पताल, 2 आयुर्वेदिक अस्पताल, 450 हेक्टेयर में 200 पक्का घर आदि कार्य किए गये थे।

छठीं पंचवर्षीय योजना में 349.27 लाख रुपये प्रस्तावित हुआ जिसमें 232.48 लाख रुपये खचै हुआ जिसमें पारिवारिक ऋण, न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम, स्वच्छ पेयजल, आवास, सड़क, विद्युतीकरण, सिंचाई, सहकारिता, पशु धन, मानव संसाधन, सहभागिता आदि पक्षों के विकास पर बल दिया गया।

सातवीं पंचवर्षीय योजना में 534.13 लाख रुपये परियोजना हेतु प्रस्तावित हुआ जिसमें 457.68 लाख रुपये परिवार केंद्रित कार्यक्रम, न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम, सिंचाई, सहकारिता, मानव संसाधन विकास आदि पक्षों पर खर्च किया गया।

1990–92 की वार्षिक योजनाओं में 189.92 रूपये प्रस्तावित था जिसको क्षेत्र विकास के विभिन्न मदों पर खर्च किया गया।

आठवीं पंचवर्षीय योजना 1992–97 में 782.93 लाख रूपयों का प्राविधान किया गया। इस पंचवर्षीय योजना में चावल विकास कार्यक्रम तेल बीज विकास कार्यक्रम तथा फसल उत्पादों पर सब्सिडी की योजनाएं प्रस्तावित हुईं। वर्तमान में परियोजना द्वारा संचालित कार्यक्रम निम्नवत् है –

1. **न्यूनतम आवश्यकता के कार्यक्रम** :– अगस्त 1984 के सर्वेक्षण के अनुसार 2043 जनजाति परिवारों में से 1160 परिवार गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे थे जो परिवार विभाजन के फलस्वरूप कालान्तर में 1503 परिवार गरीबी की रेखा से नीचे अभिज्ञापित किये गये थे।

   इसी पंचवर्षीय योजना में 1985 तक 1220 परिवारों को आर्थिक सहायता दी गयी। उपरोक्त 1503 परिवारों में 7वीं पंचवर्षीय योजना वर्ष 1985–86 से 1989–90 तक 725 नये परिवारोंको प्रथम बार तथा 550 पूर्व में लाभान्वित परिवारों को द्वितीय खुराक के रूप में सहायता दी गयी वर्ष 1989–90 में वार्षिक लक्ष्य के सापेक्ष 260, वर्ष 1990–91 में 250, वर्ष 1991–92 में 84, वर्ष 1992–93 में 250, वर्ष 1993–94 में 250, वर्ष 1994–95 में 275, वर्ष 1995–96 में 300, वर्ष 1996–97 में 8, वर्ष 1997–98 में 274, वर्ष 1998–99 में 290, वर्ष 1999–2000 में 381, तथा वर्ष 2000–2001 में 480, वर्ष 2000–01 में 480, वर्ष 2001–02 में 480, वर्ष 2002–03 में 85, वर्ष 2003–04 में 155, वर्ष 2004–05 में अप्रैल 2004 में प्राप्त धनराशि से 39 परिवारों को आर्थिक सहायता प्रदान की गयी। वर्तमान में योजना की कुल लागत का 50 प्रतिशत अथवा रू. 6000 जो भी कम हो अनुदान लाभार्थियों को दिया जाता है जबकि अनुसूचित जाति के परिवारों को अनुदान की धनराशि संशोधित कर रू. 10000 तक दी जाती है। ग्राम्य विकास में भी अनुसूचित जनजाति के परिवारों को प्रति परिवार अनुदान की

सीमा रू. 10000 तक अथवा योजना की लागत का 50 प्रतिशत अनुमन्य है। परियोजना द्वारा संचालित स्वतः रोजगार कार्यक्रम में भी अनुदान की धनराशि रू. 10000/– संशोधित किये जाने की आवश्यकता है। अनुदान के अतिरिक्त ऋण धनराशि भारतीय स्टेट बैंक चन्दन चौकी तथा जिला सहकारी बैंक चन्दन चौकी खीरी के माध्यम से ऋण दिया जा रहा है।

2. **शिक्षा का विकास** – शिक्षा के समग्र विकास हेतु परियोजना द्वारा 6 प्राथमिक विद्यालय ग्राम धुसकिया, पोया, मुड़नुचनी, मंगलपुरवा, जयनगर, बन्दर भरारी में संचालित है। वर्ष 2000–01 में 800 छात्र/छात्राओं को ड्रेस एवं पुस्तकीय सहायता से लाभान्वित किया गया है जिसमें 3.80 लाख रुपये का धनावंटन प्राप्त हुआ था। वर्ष 2004–05 में कक्षा 1 से 5 तक की 854 छात्र/छात्राओं हेतु छात्रवृत्ति धनराशि प्राप्त हुई है जिसे 854 छात्र/छात्राओं में छात्रवृत्ति वितरित की जा चुकी है।

3. **चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सुविधाएँ** – परियोजना द्वारा एक जन चिकित्सालय चंदन चौकी खीरी में तथा एक उप स्वास्थ्य केन्द्र बनकटी में संचालित है।

4. **पशु चिकित्सीय सुविधाएँ** – पशुओं की चिकित्सा एवं नस्ल सुधारने आदि कार्यक्रमों हेतु एक पशु चिकित्सालय एवं कृतिम गर्भाधान केन्द्र चन्दन चौकी खीरी में तथा एक स्टाक,मेनसेन्टर नझोटा में परियोजना द्वारा संचालित है।

5. **पेयजल सुविधा** – परियोजना द्वारा वर्ष 1983–84 तक 273 साधारण हैण्डपम्प व 3 कुओं का निर्माण कराया गया। परियोजना द्वारा जनजातियों को स्वच्छ पेयजल व्यवस्था हेतु हैण्डपम्प लगाने के लिए यू.पी. स्टेट एग्रो इण्डस्ट्रियल कारपोरेशन खीरी को वित्तीय वर्ष 1996–97 में 18 इण्डिया मार्का–II हैण्डपम्प हेतु रू. 3.00 लाख की धनराशि तथा वित्तीय वर्ष 1997–98 में 42 हैण्डपम्प जनजाति क्षेत्र में लगा दिये गये हैं। वर्ष 1998–99 में 9 हैण्डपम्प इण्डिया मार्का जनजाति क्षेत्र में लगवाये गये हैं।

6. **आवासीय सुविधाएँ** – थारू जनजातियों के आवासीय सुविधा हेतु परियोजना द्वारा 2500/– रू. तक जी.सी. सीट्स/एसवस्ट्स सीट्स देकर वर्ष 1980–81 से 1987–88 तक 426 परिवारों के आवासों का निर्माण कराया गया है। वर्ष 1988–89 में 26 परिवारों को 18–18 टीन देकर इस योजना से लाभान्वित किया गया है तथा वर्ष 1998–99 में 26 परिवारों को इन्दिरा आवास बनवाने हेतु धनराशि देकर लाभान्वित किया गया है तथा वर्ष 2000–01 में 17 परिवारों को तथा 2003–04 में 29 परिवारों को आवास के निर्माण हेतु प्रति परिवार रू. 20000/– उपलब्ध कराया गया है।

7. **सड़क** – सार्वजनिक निर्माण विभाग को प्रारम्भ में लगभग 86 लाख की धनराशि परियोजना द्वारा वर्ष 1980–81 व 1981–82 में 33 किमी. सिंगहिया (सेढ़ामेढ़ा) से ग्राम परसिया तक पक्की सड़क का निर्माण कराने हेतु दिया गया है और इससे सम्बन्धित ग्रामों को जोड़ते हुए परियोजना एवं अन्य विभागों द्वारा सड़क का निर्माण कराया गया है तथा बेलराया से गदनिया

होते हुए बेलापरसुआ तक निर्माण कार्य किया गया है। शेष भाग गदनिया से चन्दन चौकी तक दुधवा पार्क के कोर सेक्टर में होने के कारण सड़क नहीं बन पायी है। उक्त के अतिरिक्त शेष जमीन वन विभाग के नियंत्रण में है जिसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार एवं भारत सरकार से अनुमति मिलना अपेक्षित है। परियोजना द्वारा वर्ष 1996–97 में लोक निर्माण विभाग की रोड से ग्राम चन्दन चौकी में 1200 मी. लिंक रोड एवं 2 पुलियों का निर्माण तथा लोक निर्माण की रोड से ग्राम सेढ़ामेढ़ा तक 450 मी. लिंक रोड, खड़न्जा तथा पुलिया का निर्माण कराया गया है।

8. **महिला आर्थिक एवं बाल विकास** – इस योजना के अन्तर्गत वर्ष 1982–83 से अब तक 300 महिलाओं को सिलाई, कढ़ाई एवं बुनाई तथा चिकन का प्रशिक्षण दिया गया है जिसमें 267 महिलाओं को सिलाई मशीन वितरित कर परिवारों को आर्थिक उन्नति हेतु सहायता उपलब्ध कराई गयी है। पूर्व वर्षों में परियोजना द्वारा दो प्रशिक्षण केन्द्र क्रमशः परियोजना परिसर एवं ग्राम मसानखण्ड में संचालित थे जिसमें कुल 47 जनजाति महिलाओं को प्रशिक्षण दिया गया है। वर्ष 2000–01 में परियोजना कैम्पस एवं ग्राम सेढ़ामेढ़ा में 2 प्रशिक्षण केन्द्र संचालित किये गये हैं जिनमें कुल 40 जनजाति महिलाओं को प्रशिक्षण दिया गया है। वर्ष 2004–05 में 20–20 महिलाओं को परियोजना परिसर चन्दन चौकी तथा 1 केन्द्र ग्राम बनकटी में संचालित है।

9. **व्यवसायिक प्रशिक्षण** – इस कार्यक्रम के अन्तर्गत थारू क्षेत्र में जनजाति पुरुषों को बढ़ईगीरी, ट्यूबबेल आपरेटर आदि का प्रशिक्षण दिया गया है। वर्ष 1989–90 तक चिकन, कढ़ाई में 176, हैण्डलूम/कालीन बुनाई में 13, बढ़ईगीरी में 107, दर्जीगीरी में 147 जनजाति युवकों को प्रशिक्षण दिया गया है। वर्ष 1998–99 में 47 जनजाति युवकों को बढ़ईगीरी में प्रशिक्षण दिया गया है तथा वर्ष 2000–01 में 20 जनजाति युवकों को बढ़ई गीरी का प्रशिक्षण दिया गया है।

10. **सिंचाई सुविधाओं का विकास** – परियोजना द्वारा 15 क्यूबिक क्षमता के 8 नलकूपों का निर्माण उत्तर प्रदेश नलकूप निगम द्वारा कराया गया है। 14 नलकूप सिंचाई विभाग द्वारा संचालित हैं तथा केन्द्रीय भू–गर्भ जल परिषद द्वारा 2 नलकूपों का निर्माण सेढ़ामेढ़ा तथा परसिया में कराया गया है जो सिंचाई विभाग को सौंप दिये गये हैं। परियोजना द्वारा 229 बोरिंग कराकर पम्पसेटों से सिंचाई हेतु पानी उपलब्ध कराया गया है। नलकूपों के मरम्मत का कार्य चरणबद्ध तरीके से धन उपलब्धता के आधार पर कराया जा रहा है। वर्ष 2003–04 में 2 नलकूप चालू करा दिये गये हैं। शेष की सिंचाई विभाग से मरम्मत का कार्य कराया जा रहा है। अन्य कार्यक्रमों में

    1. स्वतः रोजगार कार्यक्रम – किसी भी स्वरोजगारी को उसकी योजना की कुल लागत का 50 प्रतिशत अथवा रू. 6000/– जो भी कम हो अनुदान दिया जाता है।

2. कृषि विकास कार्यक्रम – लघु एवं सीमान्त कृषकों को उन्नतिशील बीज, खाद, कीटनाशक दवायें एवं कृषि उपकरणों पर 50 प्रतिशत अनुदान अधिकतम 1000/– रू. की सीमा तक अनुदान।
3. सिंचाई सुविधाओं का विकास – लघु एवं सीमान्त कृषकों को परियोजना द्वारा संचालित 8 नलकूपों एवं 229 कलस्टर बोरिंग से सिंचाई सुविधाओं पर 33–1/3 प्रतिशत का अनुदान।
4. महिला कल्याण एवं बाल विकास –
   1. महिला कल्याण केन्द्रों में महिलाओं को सिलाई, कढ़ाई का प्रशिक्षण दिया जाना।
   2. प्रशिक्षण के दौरान छात्रवृत्ति प्रदान किया जाना।
   3. प्रशिक्षित जनजाति महिलाओं को महिला मण्डल केन्द्रों में प्रशिक्षण दिये जाने पर मानदेय एवं 800/– रू. के टूलकिट दिये जाते हैं।
5. शिक्षा का विकास – जनजाति छात्र/छात्राओं को ड्रेस/पुस्तकीय सहायता/छात्रवृत्ति तथा निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाती है।
6. स्वास्थ्य कार्यक्रम –
   1. जनजातियों को आउटडोर/इन्डोर में निःशुल्क चिकित्सा।
   2. नेत्र चिकित्सा शिविर का आयोजन।
   3. गम्भीर बीमार मरीजों को परियोजना से बाहर चिकित्सालयों में भेजने हेतु एम्बुलेन्स की व्यवस्था।
   4. परिवार कल्याण कार्यक्रम के अन्तर्गत स्वैच्छिक कैम्प का आयोजन।
7. पशुपालन सुविधाओं का विकास –
   1. जनजाति के पशुओं को निःशुल्क चिकित्सा।
   2. क्षेत्रीय बीमारियों को वैक्सीनेशन द्वारा रोकथाम।
   3. नेचुरल सर्विस तथा अति हिमीकृत वीर्य योजना द्वारा कृतिम गर्भाधान की सुविधा।

अतः ITDP खीरी के द्वारा के जनजातियों के उत्थान के लिए विशेष कार्य किये गये हैं परन्तु आवश्यकता है कि जो कार्य किए जाएं वे जनजातियों की आवश्यकतानुसार एवं उनके मत पर आधारित हो। क्षेत्र के जनजातियों की मुख्य शिकायत भ्रष्टाचार की रही उनका कहना था कि बिना पहुंच के या बिना मध्यस्थ के सुविधा नहीं मिलती। अतः जहां ITDP खीरी के क्षेत्र के जनजातियों के शिक्षा स्वास्थ्य सुविधा एवं अवसंरचनात्मक सुविधाओं के विकास पर ध्यान दिया गया है वही आवश्यकता है कि इन सुविधाओं की गुणवत्ता, पहुंच एवं अनु. जनजाति के लोगों के स्तर को व्यक्तिगत जांच आधारित व्यवस्था कराकर सुविधाएं प्रदान की जाए उनकी आवश्यकता एवं समस्या को ध्यान में रखकर सुविधाएं दी जाए। यहां मुख्यतः रोजगार, शिक्षा, सड़क, बिजली सुविधा तकनीकी प्रशिक्षण एवं उचित बाजार सुविधा की आवश्यकता है।

7.3.2 थारू जनजाति विकास परियोजना (MADA) बलरामपुर (वर्तमान गोण्डा) –

बलरामपुर जनपद (तत्कालीन गोण्डा) के पचपेडवा तथा गैसडी विकास खण्ड के थारू परिवारों हेतु जनजातीय उपयोजना के क्षेत्र विकास कार्यक्रम के तहत थारू विकास परियोजना विशुनपुर विश्राम, 2 अक्टूबर 1980 को स्थापित हुआ। परियोजना का उद्देश्य क्षेत्र के थारू परिवारों के जीवन स्तर में सुधार करना सामाजिक आर्थिक दशा में उत्थान करना, शोषण पर नियंत्रण एवं उनके सर्वांगीण विकास आदि के साथ ही ITDP खीरी के उद्देश्यों को भी आधार बनाया गया।

1984 में हुए सर्वेक्षण के अनुसार परियोजना क्षेत्र में 3347 परिवारों के 23,669 व्यक्ति निवास करते थे, जिसमें 1387 (41.44 प्रतिशत) परिवारों के 12350 व्यक्ति (52.18 प्रतिशत) थारू जनजाति के थे। परियोजना क्षेत्र में 1991 में जनजातीय जनसंख्या बढ़कर 13994 हो गई जो 2002 में (विभागीय सर्वेक्षण के अनुसार) 21,968 व्यक्ति तक पहुँच गई।

भूमि उपयोग – परियोजना क्षेत्र में गैसडी के 11 गांव एवं पचपेड़वा के 35 गांव (कुल 46 ग्राम) के आते हैं। जिसमें 5 वन ग्राम हैं। परियोजना क्षेत्र बलरामपुर के बाढ़ युक्त तराई क्षेत्र में अवस्थित है, जहां घने वन पाये जाते हैं। कुल 9497.17 हेक्टेयर में संचालित परियोजना क्षेत्र में अधिकांश दंगुरिया थारू वर्ग के हैं तथा गरीबी, बेरोजगारी तथा सिंचाई सुविधा के अभाव से ग्रस्त हैं।

तालिका 7.2 : थारू विकास परियोजना बलरामपुर में भूमि उपयोग प्रतिरूप

क्र. स.	मद	क्षेत्रफल (हे0 में)	प्रतिशत
1.	कुल भौगोलिक क्षेत्र	9497.17	100.00
2.	वन	2029.20	21.37
3.	बंजर एवं अकृषित भूमि	654.80	6.89
4.	गैर कृषित भूमि	359.87	3.79
5.	कृषि योग्य बेकार भूमि	1131.10	11.91
6.	स्थाई पशु चर	5.00	0.05
7.	झाड़ी एवं वृक्ष	258.80	2.73
8.	परती भूमि	76.50	0.81
9.	शुद्ध बोया गया क्षेत्र	4981.90	52.46
10.	एक से अधिक करवाया गया क्षेत्र	867.30	9.13
11.	सकल कृषित क्षेत्र	5849.20	61.59

स्रोत – उत्तर प्रदेश वार्षिक जनजातीय उपयोजना 1988 पृ. 18

योजनाओं में परियोजना –

छठी पंचवर्षीय योजना में परियोजना में 213.65 लाख रूपये प्रस्तावित था जिसका 5 प्रतिशत भाग परिवारों के विकास पर 10 प्रतिशत स्वास्थ्य, 7 प्रतिशत शिक्षा पर, 22 प्रतिशत अवस्थापनात्मक सुविधाओं पर 14 प्रतिशत भाग प्रशासनिक मदों पर खर्च हुए जिससे 711 परिवारों को लाभान्वित किया गया। सातवीं पंचवर्षीय योजना में 435.65 लाख रूपये आवंटित हुआ जो गरीबी निवारण हेतु विभिन्न मदों कृषि, शिक्षा, समुदाय विकास एवं अवस्थापनात्मक सुविधाओं के विस्तार पर खर्च किया गया। इस

योजना में 3 LAMPS (विशुनपुर विश्राम, इमलिया कोडर, सोनगढ़ा) स्थापित हुए। जिसमें 1990–92 में कुल 241.3 लाख रूपये परियोजना हेतु प्रस्तावित हुए। जो क्षेत्र के विकास पर विभिन्न योजनाओं में प्रयुक्त हुआ। आठवीं पंचवर्षीय योजना में 542.50 लाख रूपये प्रस्तावित किया गया जो फसल के अधिक उत्पादन, शस्य गहनता में तथा कृषि प्रदर्शन, सब्सिडी बागवानी विकास, मृदा संरक्षण, पशुधन विकास, गन्ना उत्पादन वृद्धि, तालाब एवं मत्स्य पालन, वन संवर्धन, ग्रामीण विकास, पंचायती राज उत्थान, सहकारिता विकास, हस्तकला उद्योग, रेशमपालन शिक्षा, स्वास्थ्य, जल संसाधन विकास, सड़क निर्माण एवं विद्युतीकरण तथा अवस्थापना सुविधा विकास बिजली लघु एवं कुटीर उद्योग विकास तथा मानव एवं समाज कल्याण आदि मदों पर खर्च हुआ। वर्तमान में परियोजना द्वारा जनजातीय विकास के निम्न कार्यक्रम संचालित हैं –

परियोजना द्वारा संचालित कार्यक्रम :

1. **स्वतः रोजगार कार्यक्रम** : स्वतः रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत गरीबी की रेखा से नीचे जीवन–यापन करने वाले निर्धनतम परिवारों को परियोजना की कुल लागत का 50 प्रतिशत अनुदान रू. 6,000.00 जो भी कम हो, अनुदान परियोजना द्वारा उपलब्ध कराया जाता है तथा शेष बैंक ऋण के रूप में बैंक द्वारा उपलब्ध कराया जाता है। इसमें विशेष तौर पर बैल, परचून की दुकान, साइकिल मरम्मत, बढ़ईगिरी उद्योग, सिलाई व्यवसाय, बकरी पालन, सुअर पालन, भैंस पालन, रिक्शा वितरण, लाउडस्पीकर मेला आदि कार्यक्रम संचालित किये जाते हैं।
2. **कृषि उत्पादन एवं उद्यान विकास** : कृषि की उन्नतिशील विधियों से खेती करने हेतु लघु एवं सीमान्त कृषकों को रू. 2,000.00 तक के प्रोजेक्ट अन्तर्गत 50 प्रतिशत अथवा रू. 1,000.00 जो भी कम हैं का अनुदान खाद–बीज, कीट नाशक दवा, कृषि यन्त्र के क्रय हेतु कृषकों को उपलब्ध कराया जाता है, शेष धनराशि कृषकों द्वारा स्वयं वहन की जाती है।
3. **कौशल बुद्धि प्रशिक्षण** : इस योजना के अन्तर्गत अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों को बढ़ईगिरी, टाइपिंग, हैण्डलूम, सिलाई कढ़ाई, बुनाई आदि प्रशिक्षण समय–समय पर दिया जाता है, जिसमें रू. 350.00 छात्रवृत्ति प्रशिक्षणार्थियों को प्रत्येक माह प्रदान की जाती है, सामान्य तौर पर प्रशिक्षण का कार्यक्रम छः माह का है जिसमें प्रशिक्षक का वेतन कच्चा माल आदि की व्यवस्था आदि परियोजना द्वारा की जाती है।
4. **छात्रवृत्ति वितरण** : कक्षा 1 से 5 तक रू. 300.00 वार्षिक तथा कक्षा 6 से 8 तक रू. 480.00 वार्षिक सभी छात्र–छात्राओं को छात्रवृत्ति उपलब्ध करायी जाती है। कक्षा 9 एवं 10 तथा अन्य उच्च स्तर पर भी छात्र एवं छात्राओं को विभिन्न सुविधायें उपलब्ध करायी जाती हैं।
5. **शैक्षणिक विकास** : इस कार्यक्रम के अन्तर्गत अनुसूचित जनजाति के छात्र एवं छात्राओं को निःशुल्क शिक्षा हेतु आगम पद्धति विद्यालयों का संगठन किया जाता है जिसने जनपद में वर्तमान में कक्षा 6 से 8 तक का एक राजकीय बालिका आश्रम पद्धति विद्यालय विशुनपुर विश्राम एवं एक

राजकीय बालक आश्रम पद्धति विद्यालय बालापुर में संचालित है जिसमें निःशुल्क भोजन, वस्त्र, शिक्षा आवास आदि की सुविधा उपलब्ध करायी गयी है।

6. **आवास सुविधा :** आवासीय सुविधा के अन्तर्गत गरीबी की रेखा से नीचे जीवन–यापन करने वाले परिवारों को आवास बनाने हेतु रू. 20,000.00 का अनुदान उपलब्ध कराया जाता है जिसमें आवास, स्वच्छ शौचालय एवं अन्य अवस्थापना सुविधाओं का विकास लाभार्थी द्वारा स्वयं किया जाता है।
7. **सिंचाई सुविधाओं का विकास :** सिंचाई सुविधाओं के विकास हेतु बड़े नलकूपों की व्यवस्था प्रदेश शासन द्वारा की जाती है और इसमें बन्धी निर्माण, बड़े नलकूपों की स्थापना एवं बोरिंग की व्यवस्था करायी जाती है।
8. **जन चिकित्सीय सुविधा :** परियोजना द्वारा एक जन चिकित्सालय संचालित है, जिसमें विभिन्न रोगों के रोगियों की चिकित्सा की सुविधा, नेत्र शिविरों का आयोजना निःशुल्क सेवा के अन्तर्गत सुविधा प्रदान की जाती है।
9. **पशुधन विकास सुविधा :** जनजाति क्षेत्र में एक पशु चिकित्सालय एवं दो स्टाकमैन सेन्टर संचालित हैं जिसमें पशु चिकित्सकीय सुविधायें टीकाकरण आदि सुविधायें उपलब्ध करायी जाती हैं।
10. **पुत्रियों की शादी हेतु अनुदान :** इस कार्यक्रम के अन्तर्गत निर्धनतम परिवारों की पुत्रियों की शादी हेतु 10,000 रुपये तक की सहायता उपलब्ध करायी जाती है।
11. **गम्भीर बीमारी हेतु अनुदान :** इस कार्यक्रम के अन्तर्गत निर्धनतम परिवारों के गरीब व्यक्तियों के गम्भीर बीमारी के इलाज हेतु रू. 2000.00 उपलब्ध कराया जाता है।
12. **आवागमन सुविधाओं का विकास :** परियोजना द्वारा जनजाति क्षेत्र के ग्रामों में आवागमन की सुविधा उपलब्ध कराने हेतु सम्पर्क मार्ग, खड़ंजा, सड़क पुलिया, ह्यूम पाइप आदि की निर्माण कार्य कराया जाता है।

7.3.3 विखरी जनजाति विकास परियोजना – बहराइच एवं श्रावस्ती : अध्ययन क्षेत्र में थारू जनजाति लखीमपुर, बलरामपुर के अतिरिक्त बहराइच जनपद के नानपारा तहसील में तथा श्रावस्ती जनपद के भिन्गा तहसील के तराई क्षेत्र में मुख्य रूप से रहते हैं।

वर्तमान में जनपद बहराइच एवं श्रावस्ती में विखरी जनजातियों के विकास के लिए शतप्रतिशत केन्द्रीय सहायता से कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है जिसका संचालन जनपद स्तर पर नियुक्त अधिकारियों द्वारा किया जाता है।

सातवीं पंचवर्षीय योजना में बिखरी जनजातियों के लिए 90.04 लाख रुपये प्रस्तावित हुआ, जिसमें 22.20 लाख महाराजगंज के लिए एवं 67.84 लाख रुपये बहराइच के लिए आवंटित किया गया। 1990–92 वार्षिक योजनाओं में 20.01 लाख रुपये खर्च हुआ। आठवीं पंचवर्षीय योजना में 86.80 लाख रुपये प्रस्तावित हुआ जिनमें 34.00 लाख रुपये महाराजगंज एवं 52.80 लाख रुपये बहराइच के लिए

प्रस्तावित किया गया। नवीं एवं दसवीं पंचवर्षीय योजना में बहराइच एवं श्रावस्ती के पृथक हो जाने पर अब यह परियोजना दोनों जनपदों में संचालित है।

परियोजना के संचालित कार्यक्रम – संचालित जनजातीय विकास कार्यक्रमों में शिक्षा विकास के लिए प्राथमिक विद्यालयों के साथ श्रावस्ती के कटकुइयांकला एवं बहराइच के बिछिया में आश्रम पद्धति विद्यालय तथा गाँवों में प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना, चिकित्सा के विकास में भचकाही, आम्बा एवं सुजौली में प्राथमिक चिकित्सालयों की स्थापना, पेयजल सुविधा, आवासीय सुविधाओं एवं सड़क के विकास का कार्य किया जा गया है।

श्रावस्ती जनपद के जनजातीय विकास कार्यों की उपादेयता जनजातियों के जीवन स्वरूप पर परिलक्षित है परन्तु क्षेत्र में सिंचाई सुविधा की कोई उचित व्यवस्था नहीं है। जो कि क्षेत्र की जनजाति के विकास के लिए अति आवश्यक है। शिक्षा में मात्रात्मक विकास के साथ गुणात्मक विकास की आवश्यकता है। विद्यालयों में तकनीकी एवं कृषि क्रियाकलापों के प्रशिक्षण की आवश्यकता है जो टूर–प्रोग्राम के माध्यम से अन्य क्षेत्रों/केन्द्रों में संचालित कार्यक्रमों को दिखाकर जनजातीय क्षेत्र में कृषि एवं उद्योगों के उत्थान के लिए प्रोत्साहित किया जा सकता है। जनपद के जनजातीय क्षेत्र की मुख्य समस्या गरीबी, अशिक्षा एवं सिंचाई असुविधा है। क्षेत्र में कटकुइंयाकला को बाजार के रूप एवं लघु उद्योग केन्द्र के रूप में विकसित करने की आवश्यकता है।

बहराइच जनपद में संचालित कार्यक्रमों से शिक्षा, स्वास्थ्य एवं अवसंरचनात्मक सुविधाओं का विकास हुआ है। परन्तु अभी भी कई गाँव सड़क से अछूते हैं। द्वितीयक क्रियाकलापों की कमी, क्षेत्र में वन आधारित लघु उद्योग की मांग को इंगित करता है, जो बिछिया में संचालित किया जा सकता है। साथ ही कृषि कार्य के प्रशिक्षण एवं प्रदर्शन की आवश्यकता है ताकि जनजाति के लोगों में तीव्रगति से कृषि सुधार हो सके।

7.3.4 जनजातीय विकास हेतु विभिन्न विभागों द्वारा संचालित कार्यक्रम – ग्राम्य विकास विभाग, लोक निर्माण विभाग, सिंचाई विभाग, शिक्षा विभाग, वन विभाग, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, पशुपालन विभाग, विद्युत विभाग, उद्योग विभाग, जल निगम, मत्स्य पालन विभाग, कृषि उद्यान विभाग, जिला पंचायत विभाग, सहकारिता विभाग आदि द्वारा विभिन्न कार्यक्रम आदि वासी क्षेत्र में संचालित किये जाते हैं।

उपरोक्त संचालित कार्यक्रमों के माध्यम से परियोजना, क्षेत्र के थारू जनजाति के लोगों के विकास के लिए कार्य कर रही है। शिक्षा, स्वास्थ्य, अवसंरचनात्मक सुविधा, आर्थिक उत्थान एवं विकास के लिए किए जा रहे प्रयासों का परिणाम जनजातीय जीवन स्वरूप पर स्पष्ट परिलक्षित होता है। परन्तु परियोजना के मुख्य कार्यों का प्रभाव मुख्यालय पर अधिक दृष्यगत है वन ग्रामों तक अभी सड़क या परिवहन साधन के पहुंच का अभाव है। शिक्षा की मात्रात्मक वृद्धि की तुलना में गुणात्मक वृद्धि बहुत कम है। आवश्यकता है कि जनजातियों के (नरिहवा, भौरीसाल जैसे गांवों के) कृषि एवं सिंचाई सुविधा

के विकास लिए प्रयास किया जाए। जनजातीय गरीबी का मुख्य कारण भूमि की खराब दशा एवं कृषि की पुरानी तकनीक तथा अशिक्षा है। अतः अवसंरचनात्मक सुविधाओं के विकास के साथ शिक्षा सुविधाओं में गुणात्मक परिवर्तन की आवश्यकता है। केन्द्र पर एक इण्टर कालेज की आवश्यकता है। जिसमें कृषि तकनीक एवं वाणिज्य शिक्षा का प्रबंध हो। पेयजल की समस्या नरिहवा जैसे दूरदराज गांवों में आज भी है। आयोडीन की कमी वाला जल भी लोगों को सुलभ नहीं है। अतः शुद्ध पेय जल की व्यवस्था की अति आवश्यकता है अर्थात् – वर्तमान के गांवों को सड़क से जोड़ना, शिक्षा में गुणात्मक उत्थान तथा कृषि संवर्धक एवं तकनीक प्रयोग, सिंचाई सुविधा, शुद्ध पेयजल की व्यवस्था परियोजना क्षेत्र की मुख्य आवश्यकता है।

7.4 गैर सरकारी संगठन –

यह समाज में जागरूकता लाने, विकास कार्य एवं समाज कल्याण के लिए जागरूक व्यक्तियों का संगठन है जिनमें जागरूक, समर्पित रूचियुक्त सच्चे लोग लगते हैं। अतः कम खर्च करके अधिकतम कल्याण एवं विकास को प्राप्त करते ही उन्हें सरकारी संस्थाओं की तरह कागजी घोड़ों के बजाय स्वयं के प्रयास से विकास करना होता है। जो उनके रूचि के अनुकूल होते हैं। अतः इसके लिए उनके द्वारा किए गये प्रयास सरकारी संगठनों के प्रयास से ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। परन्तु वर्तमान में मिलती सरकारी सहायता के चक्कर में भी संगठन निर्मित हुए हैं जैसे प्रशासनिक अधिकारियों के परिवारों में निर्मित संगठन, जुगाड़ के चक्कर में निर्मित संगठन जो सिर्फ सरकारी सहायता के लिए करते हैं तथा क्षेत्र विकास के बजाय स्वयं के विकास का प्रयास करते हैं।

भारत की जनजातियों को उनके कल्याण के कार्यक्रम देने का श्रेय सर्वप्रथम पाश्चात्य देशों की ईसाई मिशनरियों को जाता है। के. एन. सहाय (1968) के अनुसार वे सभी संस्थायें जिन्होंने भारतीय जनजाति और अन्य दलित वर्गों के सांस्कृतिक पटल को बदलने में अपना योगदान दिया है, ईसाई मिशनरियां संभवतः उन सब में सबसे प्राचीन हैं। इन मिशनरियों को उच्चकोटि की समाज सेवा व परंपरा बनाने का भी श्रेय है जिसका अनुसरण बाद में अन्य संस्थाओं ने भी किया। शैक्षिक योजनाओं के क्षेत्र में सर्वप्रथम पदार्पण करने वाली इन्हीं मिशनरियों ने जनजातियों के लिये पहला अस्पताल खोला। इन सब कार्यों के साथ–साथ इन संस्थाओं ने जनजातियों में विकास की भावना तथा अधिकार बोध भी जागृत किया।

जिन क्षेत्रों में इन ईसाई मिशनरियों ने धर्म प्रचार किया वहाँ विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के अन्तर्गत अस्पताल, स्कूल, दवाखाने तथा अनाथालय खोलकर इनके जीवन की कठिनाइयों को दूर करने के साथ–साथ इन्हें भौतिक सुख उपलब्ध कराने के सभी प्रयास किये। इन मिशनरियों ने मध्य भारत तथा पूर्वोत्तर भारत की जनजातियों के बीच इन योजनाओं को सबसे अधिक कार्यान्वित किया। समस्त भारतीय जनजातियों को शैक्षिक एवं स्वास्थ्य सुविधायें प्रदान करने के साथ–साथ कुछ मिशनरियों ने इन जनजातियों के लिये आर्थिक योजनाओं का नेतृत्व भी किया। इसका उत्कृष्ट

उदाहरण है छोटा नागपुर की 'कैथोलिक मिशनरी', जिसने उस क्षेत्र में सहकारी ऋण समिति की स्थापना की। बहुत सी मिशनरियों ने जनजातियों को कृषि के आधुनिक तरीकों से अवगत कराया। विभिन्न व्यवसायिक प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना की।

इसके अतिरिक्त कुछ मिशनरियों का दृष्टिकोण ही नकारात्मक व विध्वंसक था। उनके अनुसार ईसाई धर्म के अतिरिक्त बाकी सब व्यर्थ था। इस प्रक्रिया में जनजातीय जीवन के कुछ सुन्दर पहलू पीछे छूट गये। जनजातियों को अपने–अपने व्यतीत जीवन की उपेक्षा करने की शिक्षा दी गई, जिसके कारण उनमें एक प्रकार की हीन भावना ने जन्म लिया। इन सभी विवादों, अनियमितताओं एवं जनजाति संस्कृति के पतन का उत्तरदायित्व केवल मिशनरियों पर ही नहीं था। कुछ सामाजिक कार्यकर्ताओं, गैर–सरकारी संस्थाओं एवं संकीर्ण विचारधारा के प्रशासनिक अधिकारियों ने भी जनजातियों को अपने बीते हुए जीवन की उपेक्षा करने तथा अपनी ही संस्कृति पर लज्जित होने को विवश किया।

संक्षेप में यह कहा जा सकता है कि ईसाई धर्म ने उपेक्षित एवं शोषित भारतीय जनजातियों की सामाजिक, आर्थिक स्थिति को, विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के द्वारा विकसित किया। इसीलिए जब हम किसी आदर्श सामाजिक कार्यकर्ता की प्रशंसा करते हैं तब उसे मिशनरी सामाजिक भावना से भरा हुआ कहते हैं।

भारत में निःस्वार्थ समाज सेवा की परम्परा बहुत पुरानी है तथा स्वैच्छिक संस्थायें भारत के लिये नई नहीं है। 1971 में भील सेवा मंडल की संरचना गुजरात में हुई थी। इसके साथ पंचमहल जिले की मारा कनेडी नामक जगह में एक आश्रम, भीलों व रानी परेज जनजातियों में कार्य करने के आशय से बनाया गया था। इसके मुख्य संचालक थे ए. बी. ठक्कर जो ठक्कर बापा के नाम से प्रसिद्ध थे। कालान्तर में ठक्कर बापा जनजाति कल्याण के कार्य में महान् कार्यकर्ता के रूप में सामने आये। स्वतंत्रता से पूर्व उन्होंने 21 ऐसे ही संस्थान देश के विभिन्न भागों में स्थापित किये। उनके व्यक्तित्व में एक प्रकार का जादू था। कार्यकर्ताओं को बनाने, उनमें इन कार्यों के प्रति अभिरूचि भावना जाग्रत करने तथा उन्हें इन्हीं कार्यों में लगाने में वह दक्ष थे। समाज सेवा के इन तीन दशकों का रोमांचक गौरवशाली इतिहास, दृढ़ निश्चयी, समर्पित और सिद्धान्तवादी ठक्कर बापा की ही देन है। 1948 में भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉ. राजेन्द्र प्रसाद के साथ ठक्कर बापा ने "भारतीय आदिम जाति सेवक संघ" का निर्माण किया। इसका उद्देश्य है "आदिम जातियों का सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक एवं शैक्षिक विकास, जिससे उन्हें राष्ट्रीय जीवन में समान नागरिक का स्थान प्राप्त हो।" यह शीर्षस्थ संस्था मुख्यतः अन्य संस्थाओं की गतिविधियों का समन्वय करती है। धेबर कमीशन की रिपोर्ट के अनुसार इस संघ ने, संविधान बनाने के समय जनजातियों के कल्याण की योजनाओं को स्वरूप देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इस शीर्षस्थ संस्था से आज लगभग पूरे देश की 100 से अधिक संस्थायें संबद्ध हैं। ये संस्थायें अपनी शक्तियों का प्रयोग जनजातियों की आर्थिक प्रगति एवं शैक्षिक विकास में करती रही हैं। गुजरात तथा महाराष्ट्र में (फारेस्ट लेबर कोआपरेटिव्स) "वन श्रमिक सहकारी" जैसे अग्रणी इस संस्था के समर्पण का ज्वलंत उदाहरण है।

इन सबके अतिरिक्त ''सर्वेण्टस ऑफ इण्डिया सोसाइटी'' तथा रामकृष्ण मिशन, सर्व सेवा संघ, गांधी स्मारक निधि, कस्तूरबा स्मारक निधि, आदिम जाति सेवा मंडल, अशोक आश्रम, टाटा सामाजिक विज्ञान संस्थान तथा भारतीय लोक कला मंदिर इत्यादि जैसी स्वैच्छिक संस्थायें भी इस कार्य में लगी हैं। हाल ही में इन संस्थाओं ने जनजाति कल्याण कार्यों को बढ़ावा देने के लिये प्रादेशिक तथा राष्ट्रीय स्तर पर कार्य किया। इन संस्थाओं की अधिकतर गतिविधियां शिक्षा, स्वास्थ्य, सहकारिता जैसे कार्यों से संबंधित होती हैं। रामकृष्ण मिशन की अधिकतर शाखायें असम, बिहार तथा पश्चिमी बंगाल में हैं। इस मिशन के सभी संस्थान सेवा–भाव की परंपरा को सफलतापूर्वक निभाने के साथ–साथ चरित्र निर्माण पर भी बल देते हैं। यह मिशन धर्म परिवर्तन की शिक्षा से बिल्कुल दूर हैं।

अधिकतर गैर–सरकारी संस्थायें मुख्यतः शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में कार्य कर रही हैं। इधर कुछ समय से यह संस्थायें अपने कार्यक्षेत्र में, जाति विकास, सहकारिता, वन, वाणिज्य एवं उद्योग, लघु एवं ग्राम्य उद्योग, सहकारी खेती, पशुपालन, पंचायत के कार्य, सांस्कृतिक गतिविधियों, नशाबंदी तथा कानूनी सलाह आदि को भी सम्मिलित किया है।

इन संस्थाओं के कार्य तथा गतिविधियां आदिवासियों तक पहुँचे। इसके लिये केन्द्रीय सरकार राष्ट्रीय स्तर की संस्थाओं को अनुदान भी देती है। राज्य सरकार उन संस्थाओं को सहायता देती है जो अपने राज्यों में सुचारू रूप से कार्य कर रही हैं

जनजातीय कल्याण विकास में जो भी गैर–सरकारी संस्थायें कार्यरत हैं, उनके सहयोग के महत्व को धीरे–धीरे व्यापक मान्यता मिल रही है। राज्य के सलाहकार मंडल के सदस्यों, उनके प्रतिनिधि को, जनजातीय विकास योजनाओं के बनाने एवं उनको लागू करने की प्रक्रिया में सम्मिलित किया जाता है।

शीलू आओ कमेटी ने इस प्रकार की स्वैच्छिक संस्थाओ की एक प्रवृत्ति पर ध्यान आकर्षित कराया। यह प्रवृत्ति है केवल उन्हीं जनजातीय क्षेत्रों में कार्य करना जो तुलनात्मक रूप से अधिक विकसित हैं। इस प्रवृत्ति के फलस्वरूप कई बार एक ही क्षेत्र में कई संस्थाओं ने एक ही प्रकार के विकास कार्य किये। सभी स्वैच्छिक संस्थाओं का उत्साहवर्द्धन इस बात के लिये करना चाहिये कि वे ऐसे कार्यकर्ताओं का समूह बनायें जोकि प्रशिक्षित व समर्पित होने के साथ–साथ जनजातीय कल्याण के कार्य को अपना ध्येय बनायें।

अध्ययन क्षेत्र में संचालित गैर सरकारी संगठनों में निम्न संगठन/समूह से संपर्क किया गया।

1. भारतीय मानव समाज कल्याण सेवा संस्थान देवरिया, उप कार्यालय बहराइच
2. कम्युनिटी रिसोर्ज सेण्टर, तुलसीपुर, बलरामपुर
3. थारू डेवलपमेंट सोसाइटी, पलिया कलां, खीरी
4. थारू शान्ति समाज, नौतनवा,महाराजगंज
5. थारू किसान सभा ,मिहीपुरवा, बहराइच
6. वनवासी आश्रम
7. राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ एवं बिरला ग्रुप के कार्य

क्षेत्र में संचालित गैर सरकारी संगठनों एवं स्वयं सेवी संस्थाओं के प्रयास से क्षेत्र के जनजातियों की सामाजिक, आर्थिक उत्थान एवं विकास में निम्न पक्षों में कार्य दृष्यगत है।

स्वयं सहायता समूहों का निर्माण – सरकारी, गैर सरकारी संगठनों के प्रयास से स्वयं सहायता समूहों का विकास हुआ है। परिवार मिलकर समस्या का निदान करते है, जिसके लिए सरकार से कुछ आर्थिक सहायता भी प्राप्त करते हैं। इनके प्रयास को कृषि, उद्योग एवं शिक्षा क्षेत्र में भी लागू करना आवश्यक हैं।

शिक्षा का विकास – गैर सरकारी संगठनों एवं स्वयं सहायता समूहों का एक मुख्य प्रयास शिक्षा एवं विशेषकर महिला शिक्षा के प्रति रहा है। प्राथमिक स्तर के प्राइवेट विद्यालय का विशुनपुर विश्राम एवं चन्दन चौकी में संचालन, छात्रावास निर्माण (बलरामपुर) तथा शिक्षा लेने के लिए लोगों को जागरूक करना मुख्य है।

स्वास्थ्य – स्वास्थ्य के क्षेत्र के गैर सरकारी संगठनों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। जनजातियों को स्वास्थ्य के प्रति सचेत करने, समय–समय पर टीके लगवाने के लिए पण्डाल लगवाने तथा घर–घर जाकर टीके के लिए प्रोत्साहित किया तथा ओझा के बजाय प्राथमिक चिकित्सालयों से चिकित्सा सुविधा लेने को प्रोत्साहित किया। संगठनों ने परिवार नियोजन के लिए महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। लोगों को नसबंदी के लिए प्रोत्साहित किया है जिसका परिणाम पचपेडवा के थारूओं में दृष्यगत है।

भोजन एवं पोषण – गैर सरकारी संगठनों ने जनजातियों को संतुलित आहार लेने के लिए प्रोत्साहित किया है। चूंकि अधिकांश जनजातीय परिवारों को संपोषण नहीं मिल पाता है। अतः उन्हें स्थानीय पोषक तत्वों की पहचान कराकर उन्हें संतुलित भोजन लेने के प्रति जागरूक किया है।

पेयजल की व्यवस्था – स्वयं सेवी संगठनों ने अधिक गहराई वाले नलों को लगवाया है ताकि क्षेत्र में आयोडीन रहित जल की किल्लत को कम किया जा सके। साथ ही शुद्ध पेय जल के प्रयोग, मार्क ।। के जल को प्रयोग, जल को ढंककर रखने तथा शुद्धता के प्रति जागरूक किया है।

स्वच्छता एवं सफाई – थारू आवास को काफी स्वच्छ एवं व्यवस्थित रखते हैं परन्तु गैर सरकारी संगठनों ने पास–पड़ोस में जल एवं कचरा न एकत्र करने, मच्छर आदि से बचने, तथा स्वास्थ्य एवं स्वच्छता के लिए प्रोत्साहित किया है।

शराब नियंत्रण – थारू शराब को बहुत पसन्द करते हैं अतः शराब जो उन्हें कठोर क्षेत्र में रहने के लिए आश्रय रही है। वर्तमान में विकास के लिए अवरोधक है। जिसके लिए गैर सरकारी संगठनों ने नशा उन्मुक्ति के लिए यथा जागरूक करना, आर्थिक सहायता, सम्मानित करना, आदि पक्षों से प्रयास किया है।

आवास – गैर सरकारी संगठनों ने गरीबों को पक्के आवासों के लिए मदद किया है तथा आपदा के समय उजड़े आवासों को पुनः बसाने के लिए प्रयास किया है।

कृषि सुधार – थारू जनजाति के उत्थान में अन्य प्रयासों के साथ गैर सरकारी संगठनों का मुख्य प्रयास कृषि सुधार का है जिसमें प्रदर्शन विधि का सहयोग लेकर तकनीकी कृषि के प्रति जागरूक

किया है। इसके क्षेत्र में चयनित खेतों में तकनीकी विधि से व्यापारिक फसलों को उगाया जिसे देखकर थारू कृषक भी जागरूक हुए।

बीज एवं खाद उपलब्ध करवाना – गैर सरकारी संगठनों ने थारू परिवार को HYV एवं रासायनिक खादों के साथ जैविक खाद के प्रयोग के प्रति जागरूक किया है तथा भूमि की उर्वरता को बनाए रखने के लिए सचेत किया है।

रक्षण एवं पौध लगाना – गैर सरकारी संगठनों ने जनजातियों को वनों से छोटे पेड़ काटने, वनों से उपयोगी सामग्री लेने एवं पेड़ लगाने के प्रति जागरूक एवं प्रोत्साहित किया है।

भूमि सुधार – ऊसर, बंजर आदि भूमियों के सुधार के लिए गैर सरकारी संगठनों के प्रयास अहम् हैं जिसके लिए परिवारों को भूमि में व्यवस्थित रासायनिक, जैविक खाद के प्रयोग तथा भूमि के व्यवस्थित उपयोग के लिए जागरूक करने के प्रयास किए हैं।

समाज सुधार – गैर सरकारी संगठनों ने जनजातीय रीति–रिवाजों एवं कुरीतियों को कम करने/खत्म करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। नाटक, सिनेमा, प्रदर्शन आदि विधियों से कुरीतियों के प्रति जनजातियों को जागरूक किया है जिसका परिणाम भी दृष्यगत है। अब थारू में धीरे–2 बलि प्रथा, अंधविश्वास जैसे पक्षों में कमी आई है।

रोजगार साधनों को बढ़ाना – गैर सरकारी संगठनों ने रोजगार साधनों के बढ़ाने, रोजगार के प्रति जागरूक करने, सहायता देने के प्रयास किए हैं। जिसके लिए कुटीर उद्योगों के विकास बाजार बढ़ाने के लिए प्रयास किए हैं। कुटीर उद्योग टोकरी, बाँस उद्योग, बेंत उद्योग, दुकान, छोटी मशीनें चावल दाल मिल, वनोद्योग, रस्सी उद्योग आदि के विकल्प पर काफी प्रयास किया है।

ऋण – गैर सरकारी संगठनों ने परिवारों को ऋण के प्रति जागरूक करने तथा सरकारी सुविधाओं के प्रयोग के लिए जागरूक किया ताकि वे महाजनों के शोषण मुक्त होकर आर्थिक उत्थान कर सके।

सहकारी कृषि प्रोत्साहन – गैर सरकारी संगठनों ने स्वयं सहायता समूहों के साथ सहकारी संगठनों को बनाने के प्रयास किए हैं जिनमें थारू परिवारों की भूमियों को एक साथ करके खेती करने के लिए प्रोत्साहित किया है।

पर्यावरण संरक्षण – पर्यावरण सुधार, के प्रति गैर सरकारी संगठनों का कार्य अहम है। पर्यावरण जागरूकता वन काटने से रोकने तथा पर्यावरण विकास के प्रति जागरूक किया है।

शोषण के विरोध – गैर सरकारी संगठनों ने जनजातियों को शोषण से बचाने के लिए प्रयास किए हैं। जनजातियों को उनके हक दिलाने के लिए कानूनी रूप से सचेत कर विकास में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है।

बचत के लिए प्रोत्साहन – स्वयं सेवी संगठनों द्वारा नियमित बचत के लिए प्रोत्साहित किया गया है। जिससे थारू समाज बचत कर आर्थिक उत्थान की ओर अग्रसर है। अतः आवश्यक है कि स्वयं सेवक संघों को प्रोत्साहित किया जाए जिससे निःस्वार्थ सेवा कर सके जो सर्वेण्टस आफ इण्डिया तथा सर्वेन्ट आफ द पीपुल सोसाइटी की परिपाटी का अनुसरण कर सके। लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए यह

आवश्यक है कि तमाम रचनात्मक कार्यों का निष्पादन गैर सरकारी संस्थाओं द्वारा हो। धेवार कमीशन के अनुसार "लोकतांत्रिक तथा प्रशासनिक व्यवस्था कितनी भी अच्छी क्यों न हो लोकतंत्र अपनी प्रकृति के कारण थोड़ा उदासीन होता है जबकि एक गैर सरकारी संगठन सरलता से वैयक्तिक रूप दे सकता है। अपने इन्हीं वैयक्तिक संबंधों से ये गैर सरकारी संगठन जनसमूह की शाश्वत शक्तियों को एक अविरल धारा में प्रवाहित कर सम्पूर्ण थारू जगत का विकास करने में सहायक हो सकते हैं।

सीमित स्रोतों के बावजूद गैर सरकारी संगठनों ने जनजातीय उत्थान में प्रयास किए हैं। आवश्यकता है गैर सरकारी संगठनों को सुविधा देकर उन्हें एवं उनके कार्यों को प्रोत्साहित करना चाहिए क्योंकि सरकारी संगठनों में कम रूचि के कारण गैर सरकारी संगठनों की भूमिका अति महत्वपूर्ण हो जाती है। समय–समय पर संगठनों ने सर्वेक्षण कराकर क्षेत्र के जनजातीय स्वरूप, जनांकिक सामाजिक, आर्थिक स्थिति का आंकलन कर विकास रणनीति को आगे बढ़ाया है। अतः शुद्ध आंकड़ा भी एकत्र किया है।

इन संगठनों के अन्य कार्यों में पल्स पोलिया अभियान के तहत घर–घर जाकर बच्चों को ड्राप पिलाना, हेपेटाइटिस बी के टीके लगवाना, बच्चों को विद्यालय भेजने के लिए मां बाप को प्रोत्साहित करना, लड़की शिक्षा पर जोर देना, महिला स्वास्थ्य एवं जागरूकता के उत्थान के लिए प्रयास करना, गांव के विकास के लिए सड़क पटाई पुलिया स्कूल में नाली निकालने एवं बिजली संचार आदि के विकास के लिए प्रयास करना, वृद्ध एवं विधवा पेन्शन दिलवाना, शोषण से बचाना, थाने पर दबाव बनाते हुए पुलिस द्वारा जनजातीय शोषण से बचाना। गरीब विकलांग लोगों को दुकान कराना, स्वयं के धंधा संचालन के लिए प्रोत्साहन अशिक्षित बच्चों को निःशुल्क पढ़वाना, सिंचाई केन्द्रों, प्रशिक्षण केन्द्रों का संचालन, पत्तल आदि कुटीर उद्योगों के विकास का प्रयास करना, वृक्ष लगाना, स्कूल खोलना, जागरूक करना, सर्वेक्षण करना, जानकारी एकत्र करना आदि नुक्कड़ नाटक पोस्टर्स गीत, प्रहसन, व्याख्यान आदि कम व्यय से जागृति लाना, प्रदूषण नियंत्रण, एडस जागरूकता, दलित एवं विरोधी तत्वों पर अंकुश के प्रयास आदि मुख्य पक्ष हैं।

7.5 सरकारी एवं गैर सरकारी संगठनों के प्रयासों का प्रभाव –

उपरोक्त परियोजनाओं/सरकारी कार्यक्रमों के द्वारा दिए गये प्रयासों का प्रभाव जनजातीय लोगों के सामाजिक आर्थिक जीवन पर दृष्यगत है।

1. **जागरूकता** – परियोजनाओं के प्रभाव से जहां लोगों में सामाजिक समझ विकसित हुई है वहीं आर्थिक उत्थान के प्रति लगन बढ़ी है। अब थारू लोगों का वस्त्र, आभूषण एवं भोजन स्वरूप बदलने को है मात्र बुजुर्ग ही अपने पुराने स्वरूप में मिलते हैं। नई पीढ़ी में काफी परिवर्तन दृष्यगत है यथा शहरी वस्त्र पहनना, मोबाइल प्रयोग, बंधुआ मजदूरी के प्रति विरोध अपने अधिकारों के प्रति सजगता, कुप्रथाओं का विरोध, बलि प्रथा में कमी, शिक्षा का विकास, स्वास्थ्य चेतना, परिवार

नियोजन के प्रति जागरूकता, द्वितीयक एवं तृतीयक क्रिया कलापों में बढ़ती रूचि, कृषि में तकनीक प्रयोग को प्राथमिकता आदि।

2. **जीवन स्तर उच्च हुआ है** – परियोजनाओं के प्रभाव से आर्थिक जागरूकता एवं शिक्षा के विकास से थारू परिवारों का जीवन स्तर उठा है। भोजन, वस्त्र आवास स्वरूप रोजगार एवं आय आदि पक्षों में वृद्धि हुई है। साथ ही आधुनिकता का स्वरूप दृष्यगत है। परन्तु सड़क से दूर स्थित गांवों एवं गरीबी रेखा से नीचे वाले परिवारों में दिखावे की भावना एवं बढ़ती बेरोजगारी से शांति एवं सुकून कम हुआ है, आपसी भाईचारा, सहृदयता एवं सहयोग कम हुआ है।
3. **रोजगार संसाधनों में वृद्धि** – पहले जहां थारू कृषि या पशुपालन पर निर्भर थे अब तकनीकी कृषि डेयरी फार्मिंग, विविधीकृत कृषि, कृषि सहयोगी क्रियाकलापों के साथ द्वितीयक क्रियाकलापों एवं तृतीयक क्रियाकलापों की ओर अग्रसर हुए हैं। सरकारी आरक्षण नीति एवं सहयोग के परिणामतः सजगता आई है।
4. **परिवहन एवं संचार साधनों का विकास** – परियोजनाओं के माध्यम से हुए सड़क/खडंजा निर्माण में विद्युतीकरण एवं मोबाइल फोन की घटती दरों से तराई क्षेत्र अब संचार साधनों से जुड़ गया है। वहीं सामान्य मैदानी गांवों से बेहतर स्थिति की ओर अग्रसर है।
5. **प्रवास प्रकृति** – जागरूकता के परिणामतः अधिकांश लोग बड़े शहरों की ओर पलायन कर रहे हैं। मुख्यतः युवा लोग वे बड़े शहरों में नौकरी करते तथा बाहरी दुनिया सीखकर गांवों में वही प्रवृत्ति विकसित करने में मदद करते हैं।
6. **रूढ़ियों एवं अंधविश्वास में कमी** – सरकारी गैर सरकारी संगठनों के प्रयासों से थारू परिवारों में अंधविश्वास रूढ़ियों के प्रति जागरूगता आई है तथा समन्वित जीवन जीने को अग्रसर है।
7. **स्वास्थ्य के प्रति जागरूक होना** – संगठनों के प्रयासों से जनजाति के लोग अब चिकित्सा के लिए गुरूवा के बजाय चिकित्सालयों से इलाज को अधिकतम महत्ता देने लगे हैं। तथा स्वास्थ्य उत्थान, कुपोषण से बचना, गर्भवती महिला को अतिरिक्त पोषण एवं डाक्टरी जांच, टीके लगवाने आदि पक्षो के प्रति सचेत हुए हैं।
8. **शिक्षा** – जनजाति अब शिक्षा के प्रति जागरूकक है। महिला शिक्षा में तीव्र वृद्धि इस बात का प्रतीक है कि महिलाओं को अतिरिक्त प्रशिक्षण के माध्यम से उनका उत्थान किया है। साथ ही शिक्षा में तीव्र वृद्धि हुई है।
9. **पर्यावरण चेतना** – जनजातियों में पर्यावरण चेतना बढ़ी है छोटे पेड़ों को काटने पर अंकुश, वृक्ष लगाने एवं प्रदूषण नियंत्रण के प्रति सजग हुए हैं, वन तथा पर्यावरण के लाभ के प्रचार–प्रसार से जागरूकता लाने का प्रयास किया गया है जो जनजातीय कार्य व्यवहार में दृष्यगत है।
10. **आर्थिक जागरूकता** – अब जनजाति कृषि, उद्योग, एवं सेवा क्षेत्र में प्रवेश करते हुए तकनीकी एवं व्यवसायिक प्रतिरूप में आर्थिक क्रियाकलाप की ओर अग्रसर है। लोगों को रस्सी बटने की मशीन पत्तल उद्योग, कुटीर उद्योगों के लिए प्रोत्साहित किया है।

11. **सांस्कृतिक जागरूकता** – विकास के साथ सांस्कृतिक ह्रास पर नियंत्रण के प्रयास के परिणामतः जनजाति में स्वाभिमान की जागृति देखने को मिलती है जो एक अहम पक्ष है।
12. **भूमि सुधार एवं कृषि उत्थान** – अब जनजाति भी गन्ने की खेती करने लगे हैं। ट्रैक्टर एवं अन्य यंत्रों का प्रयोग होने लगा है। पानी के लिए पंपिंग सेट एवं अन्य क्षेत्र जो इन संगठनों के प्रयासों से थारू किसानों में दृष्यगत है।
13. **जनसंख्या नियंत्रण** – जनसंख्या नियंत्रण के प्रयासों के परिणामतः परिवारों के लघु आकर एवं आदि के संवर्धन पर बल मिला है।
14. **परिवहन एवं संचार सुविधा का विस्तार** – संगठनों के प्रयासों से गांवों में मोबाइल, टेलीविजन, डी. टी. एच. टेलीफोन दृष्यगत हैं। साथ ही गावों को पक्की सड़कों एवं खडंजे से जोड़ा गया है।
15. **अकृषिगत व्यवसायों का विकास** – परम्परागत जनजातीय हस्त उद्योग, वनोधारित उद्योग कुटीर एवं लघु उद्योगों के विकास के प्रयास किए जिससे जनजाति के परिवारों का आर्थिक स्तर उत्थित हुआ है।

इसके साथ ही जनजाति के सामाजिक–आर्थिक उत्थान के लिए अनेकों प्रयास किए गये हैं। परिणामतः वर्तमान में थारू समुदाय का जनजीवन परिवर्तित हुआ है तथा उच्च जीवन स्तर की ओर अग्रसर है। परन्तु दूसरा नकारात्मक पक्ष यह भी है कि इन परियोजनाओं के द्वारा गैर जनजातीय लोगों के लिए विशेष प्रयास करने से असमानता, क्षेत्रीय वैमनस्य एवं असंतुलन को जन्म दिया है। एक साथ रहने वाले दो भाईयों को अलग करने की एक रणनीति का उदाहरण बन रहा है। आवश्यक है कि ग्राम स्तर पर ग्राम विकास केन्द्रों (अध्ययन में विस्तृत चर्चा) के माध्यम से गांव के सम्पूर्ण विकास के प्रयास करने होंगे। दूसरा चिंतनीय विषय सामाजिक सांस्कृतिक मूल्यों के ह्रास का है। सरकारी गैर सरकारी संगठनों का दायित्व बनता है कि थारू समाज के सामाजिक सांस्कृतिक मूल्यों को अक्षुण्ण बनाए परन्तु विकास की अंधी दौड़ के कारण सामाजिक सांस्कृतिक मूल्यों में ह्रास हुआ है जिसके लिए जागरूक करना आवश्यक है। सांस्कृतिक धरोहर को बचाना भी संस्थानों, संगठनों, परियोजनाओं का दायित्व है अत इस क्षेत्र में प्रयास करने की आवश्यकता है जिसके लिए थारू समाज को जागरूक करने की आवश्यकता है ताकि सामाजिक आर्थिक विकास के साथ समाज एवं संस्कृति के मौलिक गुणों एवं धरोहर को अक्षुण्ण बनाया जा सके।

अतः क्षेत्र में जनजाति के उत्थान के लिए सरकारी एवं गैर सरकारी संगठनों के प्रयास महत्वपूर्ण हैं परन्तु एक पक्ष अहम है कि जनजातीय आवश्यकताओं को सूक्ष्मता से अनुपालित नहीं किया जा रहा है जो नया ज्ञान के अभाव के कारण है। जिसके लिए व्यापक रणनीति की आवश्यकता है। ताकि इन संगठनों के प्रयास सफल हो सकें।

References :

1. Ghurey, G.S. (1963), **The Scheduled Tribe**, Popular Prakashan, Mumbai, pp.23-59.

2. Majumdar (1938), Quoted from Hasnain Nadeem (2004), ***Janjatiaya Bharat***, Jawahar Publications, New Delhi, pp.147-153.

3. Thakkar, A.B. Quoted from Hasnain Nadeem (2004), ***Janjatiaya Bharat***, *op.cit.*

4. Huttan, J. (1951), **Caste in India,** Bombay Publications, Mumbai.

5. Srivastava, S.K. (1958), **The Tharu: A Study in Cultural Dynamics**, Agra University Press, Agra.

6. Dhewar Commission, Quoted from Hasnain Nadeem (2004), *op.cit.*, p.175.

7. Elwin, Verrier (1960), **The Tribal World of Verrier Elwin**, Oxford University Press, Bombay, pp.22-25.

-------:0:-------

अध्याय–8

प्रकार्यात्मक सुझाव एवं प्रस्तावित योजना
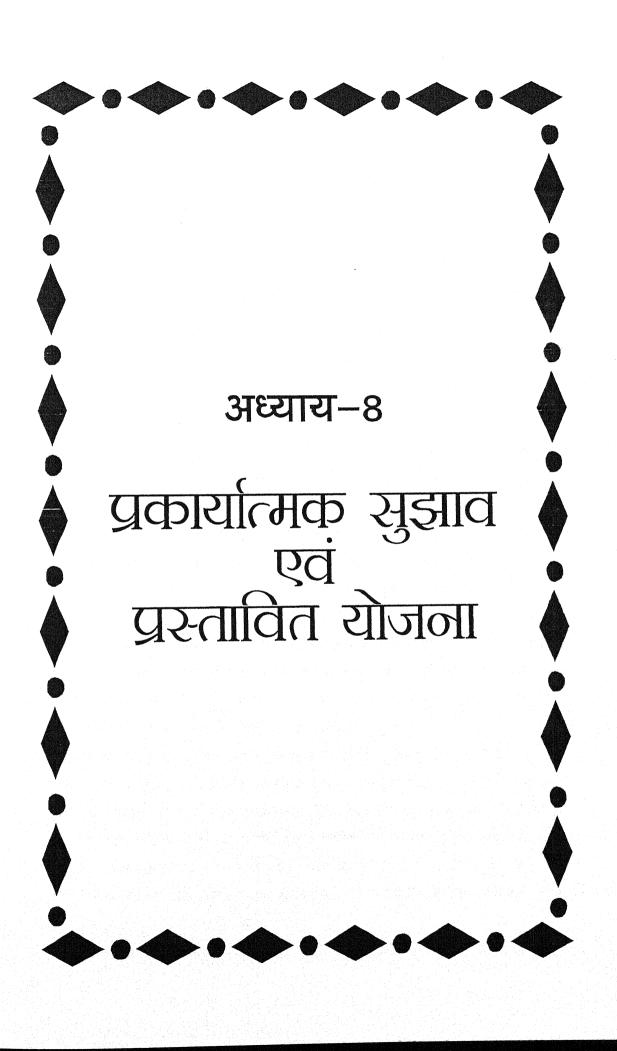
अध्याय 8

प्रकार्यात्मक सुझाव एवं प्रस्तावित योजना

किसी भी ऐसे शोध अध्ययन में जो समाज को प्रभावित करने वाले मुद्दों व समस्याओं से संबंधित होता है। शोधकर्ता के लिए आवश्यक हो जाता है कि वह अध्ययन से प्राप्त निष्कर्षों को सारांशबद्ध करे ताकि किसी भी क्षेत्र में रूचि रखने वाले पाठक को विषय–वस्तु की वास्तविक स्थिति का सरलतापूर्वक पता चल सके।

प्रस्तुत अध्याय में अध्ययन के मुख्य निष्कर्षों के साथ सुझाव एवं सर्वेक्षित क्षेत्र के विकास हेतु कार्य योजना को प्रस्तुत किया गया है।

अध्ययन के निष्कर्ष

प्रस्तुत अध्ययन से प्राप्त ज्ञान एवं विचारों को व्यवस्थित करने पर निम्न निष्कर्ष स्पष्ट होते हैं

प्रथम अध्याय शोध प्रचना तथा विधितंत्र का है, जिसके निष्कर्षों में –

- विकास गुणात्मक परिवर्तन की प्रक्रिया है जिसमें उपलब्ध संसाधनों के व्यवस्थित उपयोग द्वारा एक नियत तत्व/समाज उच्च स्तर की ओर अग्रसर होता है। मानव जाति इसी परिवर्तन के नियम का अनुपालन करते हुए सजातीयता की ओर अग्रसर है। अतः प्राचीन एवं मूल संस्कृतियां भी अपने मूल स्वरूप से हटते हुए विकास की ओर अग्रसर हैं।
- भूगोल जो मानव एवं पर्यावरण के मध्य अर्न्तसम्बन्धों को क्षेत्रीय एवं सामयिक विभिन्नता की दृष्टि से अध्ययन करने वाला विषय है, की विषय वस्तु में मानवीय दृष्यभूमि के विविध पक्ष प्राचीन समय से ही विविध रूपों के अध्ययन किए जाते रहे हैं। परन्तु वारेनियस की ज्योग्राफिया जनरेलिस एवं रेटजेल की एन्थ्रोपोज्योग्राफी के माध्यम मानवीय पक्ष को अधिक बल मिला तथा संभववादी विचारधारा ने मानव पक्षों को भूगोल के चिन्तन पटल पर व्यवस्थित किया। स्मिथ की हयुमनज्याग्राफी ए वेलफेयर एप्रोच ने मानव भूगोल की विद्या को कल्याणकारी स्वरूप प्रदान किया और सामाजिक अध्ययन को मुख्य भूमिका में पहुँचा दिया।
- 1908 में वेलाक्स ने 'ज्योग्राफिक शोशले ला मेर' में सामाजिक भूगोल के समानार्थी शब्द का प्रयोग सामाजिक दृष्य भूमियों के विश्लेषण करने वाले विषय के रूप में किया जिसके सूत्रों को स्पष्ट करते हुए डडले स्टाम्प ने सांस्कृतिक भूगोल विधा को आगे बढ़ाया और सामाजिक भूगोल भौगोलिक ज्ञान के मुख्य पटल पर उत्थित हुआ। फ्रेडरिक टर्नर के द्वारा नृजातीय पक्षों को समक्ष लाने के प्रयासों से समाज कल्याण के उद्देश्य वाली अध्ययन विद्या का विस्तार हुआ जिसे अन्य विषयों के विद्वानों ने अपने अध्ययनों द्वारा पुष्पित किया और जनजातीय अध्ययन सामाजिक भूगोल की मुख्य विद्या के रूप में स्थापित हुआ।
- भारत में जनजातियों की सामाजिक, आर्थिक स्थिति तथा विकास के संदर्भ में विभिन्न विद्वानों ने

अध्ययन किया है जिसमें हाल्टन, गुहा, एल. पी. विद्यार्थी, एजाजुद्दीन अहमद, एल्विन वेरियर, मजूमदार आदि विद्वानों के प्रयास मुख्य हैं।

➢ थारू जनजाति जो 2001 तक उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी एवं वर्तमान में भी तराई क्षेत्र की एक मुख्य जनजाति है के संदर्भ में एटकिन्सन, नैसफील्ड, एस. के. श्रीवास्तव, डी. एन. मजूमदार, एल. पी. विद्यार्थी, धुर्ये, एल्विन, कोर्शकोर्फ आदि विद्वानों ने अपने अध्ययनों से निष्कर्ष दिया कि जनजाति की सामाजिक–आर्थिक परिस्थितियां बदल रही हैं वहीं उनके मूल सांस्कृतिक पक्षों में ह्रास हो रहा है। अर्थात जनजाति के विकास का स्तर भी संतोषजनक नहीं है वहीं विकास का स्वरूप संधृत एवं समग्र नहीं है।

अध्याय दो में जनजातीय विकास एवं संविकास की संकल्पना तथा भारत एवं उत्तर प्रदेश में जनजातीय विकास की नीतियों कार्यक्रम एवं संविधान में जनजातियों के लिए उपबंधों का विश्लेषण किया गया है। जिसके अनुसार –

➢ विकास समाज में गुणात्मक परिवर्तन की प्रक्रिया है जिसका कल्याणकारी स्वरूप सकारात्मक विकास का प्रतीक है जिसे समाज की आवश्यकता की पूर्ति के साथ स्वतंत्रता की संधृतता देने वाला होना चाहिए। विकास की अंधी दौड़ के रूप में न होकर पर्यावरण एवं समाज को संधृत एवं समग्र विकास का स्वरूप प्रदान करनेवाला होना चाहिए।

➢ जनजाति भौगोलिक रूप से कठोर एवं विलग प्रदेश में, मौलिक (आदिम) स्वरूप में रहने वाले परिवारों का क्षेत्रीय समूह है। जो अपनी मौलिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक एवं आर्थिक विशेषताएं रखते हैं एवं संयुक्त परिवार प्रथा के अनुसार, अंतर्विवाही एवं रक्त संबंधित होती है। स्वजन संबंध, क्षेत्रीय आवास, एक भाषा संयुक्त स्वामित्व एक राजनीतिक संगठन, अंतरंग संघर्ष का अभाव आदि पक्षों को जनजातियों की मुख्य विशेषताएं है।

➢ प्राचीन ग्रंथों के साक्ष्यों से स्पष्ट होता है कि भारत में आदिकाल से ही जनजातियां निवास करती रही हैं। भारत में जनजातियों के तीन मुख्य क्षेत्र हैं – 1. उत्तर पूर्वी एवं उत्तरी मण्डल, जहाँ मुख्यतः मंगोलियन प्रजातिकी जनजातियां यथा मिश्मी डफला, मिरी, गुरूग, थारू, बुक्सा, गारो खासी, नागा आदि जनजातियां। 2. केन्द्रीय अथवा मध्य मण्डल जहाँ मुण्डा, संथाल, ओंराव विरहोह, गोण्ड, वोडो, भुइयाँ, सहरिया आदि जनजातियां मिलती हैं। 3. दक्षिणी मण्डल में टोडा, वैगा, कडार पुलियन जरवा अण्डमानी शोम्पेन आदि जनजातियां मिलती हैं।मजूमदार, गुहा, हरबर्ट रिज्ले आदि के विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि भारत की जनजातियां 6 मुख्य प्रजातियों की हैं। इनकी भाषा, बोली,, सांस्कृतिक स्वरूप, धर्म, सामाजिक स्थिति, आर्थिक स्वरूप में भिन्नता मिलती है जिनके आधार पर इन्हें विभाजित किया जा सकता है।

➢ भारत में जनजातियों की सामाजिक, आर्थिक स्थिति अन्य सामाजिक वर्गों से तुलनात्मक रूप में उच्च नहीं है परन्तु सतत परिवर्तनशील है। अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या वृद्धि दर कुल वृद्धि दर (2.3 प्रतिशत के मुकाबले 3.10 प्रतिशत है जो अधिक है। कुल जनसंख्या का 8.6 प्रतिशत

हिस्सा धारित करनेवाला यह वर्ग साक्षरता तथा महिला साक्षरता के दृष्टि से पिछड़ा है जनजातियों का विद्यालय में नामांकन स्तर भी सामान्य नामांकन प्रतिशत से कम है। वहीं मध्यावधि में विद्यालय छोड़ने की प्रवृत्ति अधिक मिलती है। लिंगानुपात के संदर्भ में जनजातीय लिंगानुपात की स्थिति राष्ट्रीय औसत से अच्छी है। जनजातियों में गरीबी अधिक है वे आर्थिक दृष्टि से कमजोर हैं तथा उच्च सरकारी सेवाओं में हिस्सा भी कम है। जैसे समूह अ वर्ग की सेवा में मात्र 3.39 प्रतिशत लोग अनुसूचित जनजाति के हैं। साथ ही नीति निर्धारक राजनीतिक संस्थाओं में भी जनजातियों की सहभागिता जनसंख्या के अनुपात से कम ही मिलती है। स्पष्ट है कि भारत में जनजातियों का विकास स्तर उच्च नहीं है। उनके जीवन का गुणवत्ता स्तर निम्न है, गरीबी अधिक है उनका शोषण होता है, तथा अज्ञानता में उनके द्वारा पर्यावरण को भी वर्तमान आवश्यकता की दृष्टि से नुकसान होता है। अतः विकसित समाज के समतुल्य लाने के लिए जनजातीय विकास की आवश्यकता है।

- उपरोक्त समस्याओं एवं आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए ब्रिटिश काल से ही जनजातीय विकास की कवायद शुरू हुई। हालांकि तत्कालीन समय में हुए विद्रोहों तथा अपने स्वार्थ एवं लाभ को ध्यान में रखते हुए, अंग्रेजों की नीति उन्हें विलग रखने की ही रही। उन्होंने मुख्यतः जनजातीय क्षेत्रों की सम्पदा के शोषण की दृष्टि से कार्य किया परन्तु स्वाधीनता के पश्चात से जनजातियों के विकास तथा उन्हें विकास की मुख्य धारा में लाने के प्रयास हुए।
- भारतीय संविधान में अनुच्छेद 342 के द्वारा राष्ट्रपति को जनजातियों की विशेषताओं के आधार पर अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने का अधिकार प्राप्त है। संविधान अपने विविध अनुच्छेदों के माध्यम से जनजातियों एवं जनजाति क्षेत्रों को विशेष दर्जा प्रदान करता है तथा सरकार को उनके सामाजिक, आर्थिक विकास के लिए निर्देशित करता है। इन अनुच्छेदों में अनुच्छेद 15(1), अनु. 15(4), अनु. 15(5), अनु. 16(4), अनु. 19(5), अनु. 23, अनु. 29(1), अनु. 46, अनु. 164(1), अनु. 170, अनु. 243(घ), अनु. 275(1), अनु. 330(1), अनु. 330(2), अनु. 332, अनु. 334, अनु. 335, अनु. 338(क), अनु. 339, अनु. 342 आदि में मुख्य है।
- विविध पंचवर्षीय योजनाओं में विविध योजनाओं के माध्यम से जनजातीय विकास के लिए विशेष प्रावधान किए गये जिनमें 1951 में जनजातीय विकास खण्डों का गठन, द्वितीय पंचवर्षीय योजना में बहुउद्देशीय विकास खण्डों का गठन, व्यवस्थित जनजातीय विकास एजेन्सी का चयन आदि कार्य, चौथी पंचवर्षीय योजना तक हुए। पांचवीं पंचवर्षीय योजना में जनजातीय विकास कार्यक्रम का विस्तार हुआ एवं एक छत के नीचे समस्या निराकरण के लक्ष्य को सामने रखकर जनजातीय उपयोजना लागू की गई। जिसमें ITDP, MADA, बिखरी जनजाति विकास के कार्यक्रम मुख्य थे। इन्दिरा गांधी जी के 20 सूत्रीय कार्यक्रमों से उपयोजना का विस्तार हुआ। छठी पंचवर्षीय योजना में LAMPS का गठन हुआ जो सातवीं, आठवीं योजना तक मुख्य लक्ष्य रहा। नवीं पंचवर्षीय योजना में सामाजिक सशक्तिकरण को मुख्य मुद्दा बनाया गया तथा शोषण की समाप्ति, न्याय तथा

स्वतंत्रता को बढ़ाने एवं आर्थिक उत्थान के लिए उपरोक्त परियोजनाओं के पोषण के साथ सूक्ष्म योजनाएं लागू हुईं। दसवीं पंचवर्षीय योजना में सामाजिक उत्थान, गरीबी निवारण तथा अवस्थापनात्मक सुविधाओं के विस्तार के साथ शिक्षा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण को मुख्य लक्ष्य बनाकर जनजातीय विकास का कार्य किया जा रहा है।

- उत्तर प्रदेश जो जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है। 0.11 प्रतिशत जनसंख्या अनुसूचित जनजाति की है। 2005 के जनजातीय उपयोजना ड्राफ्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश में 12 अनुसूचित जनजातियां तराई क्षेत्र, दक्षिण के पठारी क्षेत्र क्षेत्रों में निवास करती हैं।
- उत्तर प्रदेश की जनजातियां भारत की औसत जनजातीय स्वरूप से पिछड़ी हैं तथा समस्याओं से ग्रस्त हैं जिनके विकास की आवश्यकता सिद्ध होती है।
- स्वतंत्रता के पश्चात से भारत सरकार एवं राज्य सरकारें जनजातियों के विकास के लिए कटिबद्ध रही हैं और विभिन्न योजनाओं के माध्यम से उनके सामाजिक, आर्थिक विकास का कार्य कर रही हैं। परन्तु उनका प्रभाव संधृत एवं समग्र रूप में ही मिलता है।

अध्याय तीन में अध्ययन क्षेत्र की भौगोलिक विशेषताओं का विश्लेषण भौतिक एवं मानवीय पक्षों से किया गया है जिसके निष्कर्षों में –

- तराई शिवालिक श्रंखला के दक्षिण में यमुना से दिहांग तक प्रसरित, 15–20 किमी. चौड़ा भौगोलिक क्षेत्र है जहाँ भावर मे विलुप्त नदियां उत्पन्न होती हैं। यह क्षेत्र दलदली चीका मिट्टी, घने वनों से युक्त है, अति आर्द्रता युक्त होने के साथ जलवायुविक दृष्टि जीवन के लिए कठोर दशाओं वाला है।
- अध्ययन क्षेत्र का विस्तार 26°55′ उत्तरी से 28°40′ उत्तरी अक्षांश एवं 80°05′ पूर्वी से 82°45′ पूर्वी देशान्तर के मध्य 240 किमी. लम्बाई तथा 110 किमी. की चौड़ाई में 25,000 वर्ग किमी. क्षेत्र में प्रसरित है। यह क्षेत्र आदिकाल से तपस्वियों एवं धार्मिक राजाओं की भूमि रही हैं।150 मी. की समुद्रतल से औसत ऊँचाई, जलोढ़ मिट्टी, नदियों के जाल, घने वन तथा राष्ट्रीय पार्कों से युक्त है। क्षेत्र के द. पश्चिम से उ. पूर्वी की ओर गोमती खादर प्रदेश, गोमती शारदा उपरहर प्रदेश, गोमती शारदा दोआब प्रदेश, शारदा, घाघरा खादर प्रदेश, घाघरा राप्ती उपरहर प्रदेश, राप्ती पर तराई प्रदेश नामक उपविभागों में विभक्त किया जा सकता है।
- क्षेत्र में गोमती तन्त्र की गोमती धेनुमती कथनों सरायन नदी, घाघरा तंत्र की कौडियाला, घाघरा, केवानी, दहावर नदी तथा राप्ती तन्त्र की राप्ती, भकला, केन, बूढ़ी राप्ती सुआव आदि मुख्य नदिया है तथा गजमोचनी, धौरहरा, धर्मापुर, बघेल, सीताद्वारताल आदि मुख्य तालाब है।
- क्षेत्र में 100 सेमी. औसत वर्षा, ग्रीष्म शीत एवं वर्षा ऋतुएं 'लू' हवा एवं उष्णाद्र मानसूनी जलवायुविक दशाएं पाई जाती हैं।
- क्षेत्र में जलोढ़ खादर एवं तराई मृदा पाई जाती है। साल वनों की अधिकता के साथ मानसूनी घने वन, एवं दुधवा नेशनल पार्क, कर्तनिया घाट वन्य जीव अभ्यारण्य तथा सुहेलवा वन्य जीव

अभ्यारण्य आदि क्षेत्र में ही पाया जाता है।

- लगभग 84 लाख जनसंख्या वाले क्षेत्र में 16 लाख जनसंख्या अनुसूचित जाति की एवं 70 हजार जनसंख्या अनुसूचित जनजाति की है। 873 औसत लिंगानुपात वाले क्षेत्र में जनजातीय लिंगानुपात औसत लिंगानुपात से अधिक है। से अधिक है। औसत साक्षरता 31.88 प्रतिशत है वही पुरूष साक्षरता 41.24 प्रतिशत, महिला साक्षरता 21.16 प्रतिशत है। क्षेत्र में औसत कार्य सहभागिता दर 36.52 प्रतिशत है। वही 27.55 प्रतिशत मुख्य कर्मकार, 8.97 प्रतिशत सीमान्त कर्मकार, 63.48 प्रतिाश्त गैर कर्मकार, 55.13 प्रतिशत कृषक 27.67 प्रतिशत कृषक मजदूर, 2.75 प्रतिशत घरेलू उद्योगों के कर्मकार तथा 14.43 प्रतिशत अन्य कर्मकार है। क्षेत्र में महिला कर्मकारों का प्रतिशत (18.32) पुरूषों (52.22) से कम है। जनजातीय पुरूष एवं महिला कर्मकारों का प्रतिशत क्षेत्र के औसत पुरूष एवं महिला कर्मकारों से क्षेत्र में 8.91 प्रतिशत जनसंख्या ग्रामीण है वहीं 91.09 प्रतिशत जनसंख्या शहरी है। क्षेत्र के उत्तरी भाग में बिखरा अधिवास प्रतिरूप तथा दक्षिण में केन्द्रीय प्रतिरूप का अधिवास मिलता है। चौक, क्षेत्र के नगरीय अधिवासों की मुख्य विशेषता है।
- क्षेत्र में हिन्दू, मुस्लिम, सिक्ख एवं बौद्ध धर्मो का सामंजस्य मिलता है।
- निर्वाहक कृषि प्रणाली की प्रधानता वाले क्षेत्र में चावल मुख्य फसल है जो 27 प्रतिशत भूभाग पर कृषित की जाती है। 24 प्रतिशत पर गेहूँ, 7 प्रतिशत भूभाग पर मक्का की खेती होती है। क्षेत्र में नकदी फसलों की खेती कम होती है परन्तु वह भी उत्तर से दक्षिण पश्चिम को बढ़ती जाती है। विगत वर्षों में गन्ने की खेती की मात्रा बढ़ी है। क्षेत्र के विकास में कृषि का सर्वाधिक योगदान है।
- यह क्षेत्र औद्योगिक दृष्टि से पिछड़ा है। कृषि आाधरित उद्योग ही मुख्य रूप से मिलता है। वहीं अवस्थापनात्मक सुविधाओं का अभाव है।
- थारू जनजाति बाहुल्य विकास खण्डों में शिक्षा, उद्योग, सिंचाई साधन एवं तकनीकी साधनों का अभाव है। क्षेत्र में अवथापनात्मक सुविधाओं की कमी है तथा उनका वितरण असमान है अशिक्षा अज्ञानता तथा आर्थिक दृष्टि से पिछड़े होने के कारण क्षेत्र के विकास के लिए विशेष प्रयास की आवश्यकता है।

अध्याय चार में थारू जनजाति की सामाजिक, सांस्कृतिक नृजातीय एवं आर्थिक विशेषताओं का विश्लेषण भैगोलिक दशाओं को संदर्भित कर किया गया है जिसके अनुसार –

- जनजाति की सामान्य विशेषताओं के आधार पर थारू गुणों का आंकलन करने से स्पष्ट होता है कि थारू एक जनजाति है जिसकी अपनी भाषा निश्चित क्षेत्र, अंर्तविवाह स्वरूप, पंचायत व्यवस्था, उपभोग स्वरूप, बोली एवं रीति रिवाज पाया जाता है।
- विभिन्न विद्वानों के द्वारा दिए गये आंकलनों से स्पष्ट होता है कि थारू मंगोलियन प्रजाति की एक जनजाति है जो संभवतः नेपाल या तिब्बती क्षेत्र से तराई क्षेत्र में व्यवस्थित हुई है। राणा प्रताप के वंशजों से संबंध बताने वाली धारणाएं एक मिथ्या विचार को जन्म देती है। इस जाति में ए तथा ए बी रक्त वर्ग के लोगों की अधिकता, चेहरे का पीलापन, गोल चेहरा, चपटी नाक तथा तिरछी उभरी

आंखें इनके मंगोलियन होने के प्रमाण हैं। यह एक कृषक जनजाति है।

- थारू 73 से अधिक उपवर्गों में विभक्त है जिसमें उत्तर प्रदेश में राना थारू, कठेरिया थारू, दंगुरिया थारू मुख्य रूप से मिलते है। थारू की अधिसंख्य आबादी नेपाल राष्ट्र एवं उत्तरांचल राज्य में पायी जाती है।
- थारू के आवास कच्चे छप्पर के बने होते हैं जो टटिया से घिरे होते हैं। इनका दरवाजा द. पूर्व की ओर होता है। भनसार, देवताओं का गृह एवं भोजनालय होता है।
- संयुक्त परिवार होने के नाते इनके आवास 200 मीटर तक लम्बे मिलते हैं। जिनके बीच में डेहरी/कुठला (दगुरिया थारू में) या टटिया से विभाजन कर दिया जाता है। घर के सामने जानवरों के लिए फूस होता है। एकत्रित अत्यधिक मात्रा में एकत्रित लकड़ी इनके घरों की अलग पहचान बना देती है। राना थारूओं में दो मंजिला फूस के मकान भी देखने को मिलते हैं।
- थारू घरों में परम्परागत रूप से बखारी, कुठला, चूल्हा, टोकरा, छपरिया, सुपा, चौपसिया, शिकहर, अरगनी, झपिया, पखिया, आरी, जाल तथा कृषि के औजार मिलते हैं।
- थारू पुरूषों पहनावा कोपीन था वहीं महिला का पहनावा लंहगा, चुनरी एवं ओढ़नी परन्तु वर्तमान में यह पहनावा बदल गया है।
- थारू भोजन में चावल एवं ठर्रा, प्रमुख हिस्से हैं उन्हें मांस प्रिय होती है अतः भोजन में मांस या मछली अनिवार्यतः लेते हैं। जिसके लिए मुर्गा, बकरी एवं सुअर भी पालते हैं।
- थारू में मुख्यतः संयुक्त परिवार मिलते हैं जिसमें तीन चारी पीढ़ियों के लोग एक साथ रहते थे परन्तु विगत वर्षों में परिवार विभाजन एवं एकल परिवार की मात्रा बढ़ी है।
- थारू समाज में सशक्त नातेदारी प्रथा मिलती है वे बहू को पुत्री से ज्यादा सम्मान देते हैं तथा बेटी की शादी में दहेज देने के बजाय लेते हैं लेकिन यह व्यवस्था तीव्र गति से बदल रही है।
- एक परिवार में सदस्यों में राम राम कहकर नमस्ते करने, बड़े एवं छोटे के मध्य व्यवस्थित दूरी एवं सम्मानित अंतर मिलता है।
- थारू अपने मित्रों के प्रति वफादार होते हैं।
- परिवार में महिलाओं की स्थिति पुरूषों से सम्मानजनक होती है। परन्तु अब यह व्यवस्था कमजोर हो रही है।
- थारू समाज में बिरादरी पंचायत होती है जो सभी विवादों का निपटारा करती है परन्तु अब उसकी मान्यता कम हुई है।
- थारू धार्मिक क्रिया–कलाप भूत एवं आत्माओं में विश्वास करते हैं उनकी औरतें पूजा करके टोना करके व्यक्तियों को वश में कर लेती है। उनका मानना है कि व्यक्ति मरने के बाद भूत बनता है। उसमें से कुछ अच्छे होते हैं कुछ बुरे जैसे खडगा भूत, पछावन भूत आदि।
- थारू त्योहारों में बड़ी चरई, छोटी चरई, असाढ़ी, जन्माष्टमी, होली, भूमसेन पूजा, नया चावल पूजा,

वन्य गिरि पूजा, तीज आदि मुख्य है जो फसलों के तैयार होने के समय मनाए जाते हैं।

- थारू का मुख्य नृत्य झुमड़ा है जिसमें पुरूष नृत्य करता है।
- थारू अपने कुलदेवता की पूजा एवं ग्राम देवता पूजा (भुइंहार, हरेरी) पूजा विधि–विधान से करते हैं।
- थारू के मुख्य संस्कारों में जलम, भोज (विवाह) एवं मरनी मुख्य संस्कार हैं।
- थारू के मुख्य क्रियाकलाप कृषि, मजदूरी, पशुपालन एवं शिकार हैं परन्तु अब द्वितीयक एवं तृतीयक कार्य करने लगे हैं।
- थारू के समस्त सामाजिक, आर्थिक क्रियाकलाप क्षेत्रीय भौगोलिक दशाओं से प्रभावित मिलते हैं।

अध्याय पाँच में विगत दशकों में थारू जनजाति की सामाजिक, सांस्कृतिक पक्षों में परिवर्तनशीलता का आंकलन चयनित परिवारों पर किए गये सर्वेक्षण के आधार पर किया गया है जिसके अनुसार –

- वैयक्तिक साक्षात्कार अनुसूची के माध्यम से 180 परिवारों के सर्वेक्षण में विभिन्न विशेषताओं के आधार पर चयनित उत्तरदाताओं में अधिसंख्य उत्तरदाता परिपक्व एवं प्रश्नों को समझने वाले थे।
- थारू समाज में बालक एवं युवा वर्ग की जनसंख्या अधिक है। विकास के साथ अधिक आयु वाले व्यक्तियों की संख्या बढ़ी है। वहीं जहाँ 14 वर्ष में पुरूषों के मुकाबले स्त्रियों की संख्या कम हुई है।
- परिवारों में विकास के साथ माध्य आयु एवं जीवन प्रत्याशा में वृद्धि हुई है। सड़क से दूर स्थित गाँवों में औसत माध्य आयु 18.24 वर्ष है। वहीं विकास केन्द्रों पर यह 21.05 प्राप्त हुआ है। साथ ही राना थारू की अपेक्षा दंगुरिया थारू की माध्य आयु कम है।
- परिवारों का औसत लिंगानुपात 944/000 पु. है। थारू परिवारों की अपेक्षा गैर जनजातियों में लिंगानुपात काफी कम है। साथ ही 0–14 वर्ष की आयु में थारू परिवारों में लिंगानुपात सतत घट रहा है। जो एक चिन्तनीय विषय है। विविध थारू वर्गों में कठरिया थारू में लिंगानुपात उच्च है।
- परिवारों में कुल साक्षरता 50.05 प्रतिशत, पुरूष साक्षरता 54.81 प्रतिशत, एवं महिला साक्षरता 45.00 प्रतिशत है। थारू परिवारों में साक्षरता दर तीव्र गति से बढ़ा है। जो महिला साक्षरता के संघर्ष में और भी उच्च है। राना थारू वर्ग के अन्य वर्गों की अपेक्षा शिक्षा का स्तर उच्च है। शिक्षा में वृद्धि मात्रात्मक ही है। गुणात्मक शिक्षा के संदर्भ में थारू समाज काफी पीछे है। अतः शिक्षा के क्षेत्र में गुणात्मक उत्थान की आवश्यकता है।
- कुल शिक्षितों में अधिसंख्य सामान्य/कला वर्ग के थे अर्थात तकनीकी/व्यवसायिक शिक्षा का अभाव है। हालांकि तकनीकी शिक्षा का विकास हुआ है परन्तु वह बहुत ही कम है। विभिन्न थारू वर्गों में कठरिया थारू में अन्य वर्गों की अपेक्षा तकनीकी शिक्षायुक्त लोग अधिक मिलते हैं। शिक्षा को उपयोगी बनाने के संदर्भ में तकनीकी/व्यवसायिक शिक्षा की आवश्यकता है।
- कुल शिक्षितों में 7–14 वर्ष की आयु में शिक्षा का स्तर अति उच्च है जो स्पष्ट करता है कि

अशिक्षा अधिक आयु वर्ग में हैं। नई पीढ़ी में साक्षरता का स्तर उच्च (70 प्रतिशत से अधिक) है।

- शिक्षा सुविधाओं में कमी है, जनजातीय क्षेत्रों में निजी शिक्षा क्षेत्रों का अभाव है क्योंकि गरीबी के कारण जनजातीय लोग फीस नहीं दे पाते वहीं सरकारी विद्यालयों में शिक्षकों द्वारा न पढ़ाए जाने की शिकायतें रही
- थारू परिवारों में अधिसंख्य विद्यार्थी मध्यावधि में विद्यालय छोड़ देते हैं परन्तु विकास केन्द्र के गाँवों की तरफ प्राथमिक के बजाय माध्यमिक स्तर पर विद्यालय छोड़ने की प्रवृत्ति बढ़ी है, परन्तु मध्यावधि में विद्यालय छोड़ने पर नियंत्रण की आवश्यकता है जो शिक्षा में गुणात्मक उत्थान से ही संभव है न कि दलिया, चावल बांटने से।
- कुल जागरूकता तथा शिक्षा में, अनौपचारिक स्रोतों का भी महत्वपूर्ण योगदान होता है। अतः संचार साधनों के विस्तार के साथ जागरूकता तथा अन्य अनौपचारिक स्रोतों से शिक्षा सुविधा के विस्तार की आवश्यकता है।
- सड़क से दूर स्थित गाँवों की अपेक्षा विकास केन्द्र के गाँवों में बेरोजगारी, व्यवसायी एवं नौकरी करने वाले लोगों की अधिक संख्या से स्पष्ट होता है कि विगत दशकों में थारू में बेरोजगारी बढ़ी है वहीं लोग द्वितीयक एवं तृतीयक क्रियाकलापों की ओर उन्मुख हुए हैं।
- विगत दशकों में थारू परिवारों में कार्य सहभागिता दर सतत बढ़ा है वहीं आश्रितता अनुपात में कमी आयी है ।
- अधिसंख्य कर्मकार 2000 रूपये से कम मासिक आय वाले हैं जो स्पष्ट करता है कि थारू में अधिसंख्य कर्मकार श्रमिक वर्ग के हैं परन्तु विकास केन्द्र के गाँवों की तरफ परिवारों में अधिक आय वर्ग के कर्मकारों का बढ़ना विगत दशकों में बढ़े आर्थिक परिपक्वता का प्रतीक है।
- थारू समाज में बालश्रम की अधिकता है परन्तु विगत दशकों में बाल श्रम में कमी आयी है परन्तु अभी भी पांच में से दूसरा बालक बाल श्रमिक है। थारू वर्गों में कठरिया थारू वर्ग में बालश्रम की मात्रा अन्य सामाजिक वर्गों से अधिक प्राप्त हुआ है। (55.17 प्रतिशत)
- वहीं 18 वर्ष से कम आयु में विवाहितों का प्रतिशत अधिक है जो स्पष्ट करता है कि थारू समाज में कम आयु में विवाह होता था परन्तु विकास केन्द्रों की तरफ अधिक आयु में हुए विवाह के प्रतिशत का बढ़ना विगत दशकों में विवाह आयु के बढ़ने का द्योतक है। साथ ही विकास केन्द्रों की तरफ विधवा/तलाकशुदा व्यक्तियों का बढ़ना, पारिवारिक सामंजस्य में खोट के बढ़ने या आयु बढ़ने को इंगित करता है।
- कम आयु में विवाहित स्त्रियों में औसत प्रति स्त्री संतान संख्या अधिक (6.20) है वहीं प्रति स्त्री औसत मृत संतान संख्या भी कम आयु में विवाहित स्त्रियों में अधिक है। विकास केन्द्र के गाँवों की तरफ कम आयु में विवाहित स्त्रियों का प्रतिशत कम है, अतः थारू समाज में 21 वर्ष से अधिक आयु में शादी करने की ओर उन्मुख हुए हैं। विभिन्न थारू वर्गों में प्रति स्त्री औसत संतान संख्या दंगुरिया थारू में राना तथा कठरिया थारू की अपेक्षा अधिक प्राप्त हुआ है।

- परिवारों में अशोधित जन्म दर 31.42, अशोधित मृत्यु दर 12.48, तथा जनसंख्या वृद्धि दर 18.95 है। सड़क से दूर के गाँवों से विकास केन्द्र के गाँवों की तरफ अशोधित जन्म एवं मृत्यु दर में कमी आयी है। वही जनसंख्या वृद्धि दर में कमी हुई है। सामान्य उत्पादकता दर घटा है। शिशु मातृ उत्पाद कम हुआ है तथा शिशु मृत्यु दर में अधिक कमी आई है।
- थारू समाज जनांकिक संक्रमण की द्वितीय अवस्था में है।
- थारू जनजाति में अधिकांश प्रवास विवाह से प्रभावित है। विवाह गाँव से गाँव को होता है। (52.67 प्रतिशत) परन्तु विगत दशकों में यह शहरों एवं महानगरों की ओर उन्मुख हुआ है जो लोगों द्वारा रोजगार के लिए बाहर जाने के कारण प्राप्त है। वहीं शिक्षा भी एक मुख्य कारक बन रहा है।
- परिवारों में कमजोर एवं कुपोषित व्यक्तियों का प्रतिशत घटा है। विभिन्न थारू वर्गों में कठरिया थारू में कुपोषित व्यक्तियों का प्रतिशत निम्न है, वहीं दंगुरिया थारू में यह अन्य वर्गों से अधिक प्राप्त हुआ है जो उनके निम्न आर्थिक एवं शिक्षा स्तर के कारण है।
- परिवारों में प्राथमिक चिकित्सा के लिए ओझा की मदद लेने वालों का प्रतिशत सतत घटा है वहीं स्थानीय डाक्टरों एवं प्राथमिक चिकित्सा केन्द्रों से संपर्क का बढ़ना चिकित्सा समझ में परिपक्वता का प्रतीक है। साथ ही अधिसंख्य उत्तरदाताओं के मत में विगत दशकों में स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार हुआ है ।
- वर्तमान में भी अधिसंख्य उत्तरदाता अपने घर में प्रसव कराना पसन्द करते हैं ,घर में प्रसव कराने वालों में घर पर डाक्टर या मिडवाइफ को बुलाने वालों का प्रतिशत विकास केन्द्रों की तरफ अधिक है जो समाज में प्रसव के संदर्भ में जागरूकता बढ़ने का प्रतीक है। विभिन्न सामाजिक वर्गों में कठरिया थारू राज्य वर्गों में अन्य वर्गों की अपेक्षा अधिक स्वास्थ्य जागरूकता मिलती है।
- अधिसंख्य उत्तरदाताओं को परिवार नियोजन के साधनों की जानकारी है। साथ ही सड़क से दूर स्थित गाँवों की अपेक्षा विकास केन्द्रों की तरफ परिवार नियोजन साधनों की जानकारी एवं प्रयोग करने वालों की संख्या अधिक है। जो स्पष्ट करता है कि विगत दशकों में थारू समाज परिवार नियोजन साध्नों के संदर्भ में जागरूक हुआ है तथा नसबन्दी कराने वालों की संख्या का बढ़ना उनके जनसंख्या नियंत्रण में रूचि को इंगित करता है।
- विभिन्न वर्गों में सामाजिक गैर जनजातीय एवं कठरिया थारू वर्गों में अन्य वर्गों की अपेक्षा परिवार नियोजन के संदर्भ में अधिक जागरूकता मिलती है।
- गर्भवती स्त्री के संदर्भ में जागरूकता में वृद्धि का प्रतीक है, वहीं अनैच्छिक गर्भ धारण की मात्रा अधिक है।
- थारू परिवारों में भोजन स्वरूप परिवर्तित हुआ है जहां पहले वे चावल एवं जाड़ को भोजन में प्रमुखता देते थे। अब दाल, चावल, रोटी,, सब्जी आदि को भोजन में शामिल करते हैं। परन्तु मछली, चावल एवं दारू की प्रमुखता अभी भी विद्यमान है।

- थारू परिवारों में वस्त्र धारण प्रतिरूप में काफी परिवर्तन हुआ है। अब 70 प्रतिशत थारू स्त्रियां साड़ी पहनती हैं वहीं 95 प्रतिशत युवा पैण्ट शर्ट पहनते हैं। परम्परागत वस्त्र, त्योहारों, उत्सवों में या बुजुर्गों को पहने देखा जाता है। वस्त्र बदलाव का प्रभाव युवा वर्ग पर अधिक है। अर्थात विगत दशकों में थारू वस्त्र स्वरूप काफी बदल गया है।
- विगत दशकों में थारू जनजाति के आभूषण स्वरूप में काफी परिवर्तन हुआ है। अब थारू स्त्रियां विकसित समाज की तरह हल्के एवं सोने, चाँदी आदि धातुओं के गहने पहनना पसन्द करती हैं। सिन्दूर लगाना, चूड़ी पहनना एवं हिन्दू पहनावे के प्रभाव को थारू स्त्रियों पर सहज देखा जा सकता है।
- थारू आवास के स्वरूप में परिवर्तन हुआ है जहां पहले थारू घर लकड़ी एवं छप्पर के बने होते थे अब अधिसंख्य मकान पक्के, खप्पर या टीन शेड के बने मिलते हैं। कठरिया थारू में अन्य वर्गों की अपेक्षा पक्के मकानों की संख्या अधिक है।
- थारू परिवारों को दिए गये इन्दिरा आवास योजना के सरकारी मकानों की उपयोगिता कम है तथा उनमें अधिसंख्य आवास पशु आवास या पशु सामग्री रखने में प्रयोग में आते हैं।
- थारू परिवारों को जो शौचालय उपलब्ध कराये गये उनमें अधिसंख्य अनुपयोगी तथा जनजाति द्वारा कण्डा/ईंधन रखने के लिए प्रयोग में आते हैं।
- परिवारों में 56.67 प्रतिशत आवास निजी तथा 42.221 आवास सरकारी/सरकारी सहयोग से बने थे, जिनका प्रतिशत विकास केन्द्र के गाँवों की तरफ अधिक मिलता है।
- विकास के साथ परिवारों के आवास निर्माण सामग्री प्रयोग स्वरूप में परिवर्तन हुआ है। अब पक्की ईंट/सीमेण्ट/लोहे का प्रयोग अधिक होने लगा है।
- आवासों में सड़क से दूर के गाँवों से विकास केन्द्र के गाँवों की तरफ आंगन बैठक, बरामदा, शौचालय, भोजनालय, एवं बखारी का प्रतिाश्त अधिक मिलता है जो विगत दशकों में आवासों में सुधार का प्रतीक है।
- आवासों में उपलब्ध सुविधा सामग्री के आंकलन से स्पष्ट होता है कि विकास के साथ आवासों में आधुनिक सुविधा सामग्री की मात्रा बढ़ी है। वहीं ये सुविधाएं राना तथा कठरिया थारू वर्ग में अन्य वर्गों से अधिक है।
- अधिसंख्य (76.11 प्रतिशत)· उत्तरदाताओं के घर लकड़ी पर भोजन बनता है परन्तु सड़क से दूर स्थित गाँवों की अपेक्षा विकास केन्द्र के गाँवों में मिट्टी तेल LPG गैस, बायोगैस का प्रयोग अधिक होता है। कठरिया थारू तथा राना थारू वर्ग में LPG गैस एवं बायोगैस का प्रयोग अन्य वर्गों से अधिक होता है। अधिसंख्य (64.44 प्रतिशत) परिवारों में प्रकाश के लिए मिट्टी का तेल का प्रयोग होता है।
- गाँवों में विद्युतीकरण तो हुआ है परन्तु वह भी दिखावे का कहीं–कहीं तो महीनों बिजली नहीं

आती, सड़क से दूर स्थित गाँवों में तो यह स्थिति और भी दयनीय है जो संधृत विकास का प्रतीक नहीं है।

- थारू क्षेत्र में पेय जल सुविधा का विस्तार हुआ है परन्तु श्रावस्ती एवं बलरामपुर थारू गाँवों में शुद्ध पेय जल का अभाव है। क्षेत्र के जल में आयोडीन की कमी है। अतः इन क्षेत्रों में पेयजल सुविधाओं में सुधार की आवश्यकता है।
- अधिसंख्य (65.00 प्रतिशत) आवासों में जल निकास व्यवस्था है परन्तु 35.50 प्रतिशत आवासों में जल एकत्र होता है जिसमें वर्षा का जल एवं नाली का जल शामिल है जो इस मलेरिया युक्त क्षेत्र में स्वास्थ्य के लिए और भी हानिप्रद है। विगत दशकों में विकास केन्द्रों की तरफ जल निकास व्यवस्था सुदृढ़ हुई है।
- अधिसंख्य आवासों की गलियां खड़ंजेयुक्त हैं। साथ ही पक्की एवं खड़ंजेयुक्त गलियों में विस्तार हुआ है।
- अधिसंख्य उत्तरदाता सिनेमा आदि साधनों से मनोरंजन करते हैं। जिनका प्रतिशत विकास केन्द्र के गाँवों में अधिक है। जो विकास एवं जागरूकता का प्रतीक है।
- थारू संयुक्त परिवार प्रथा के अनुपालक रहे हैं। परन्तु संयुक्त परिवार सतत एकल परिवार में बदल रहे हैं फिर भी सामान्य क्षेत्रों की अपेक्षा थारू परिवारों का आकार बड़ा मिलता है। विभिन्न वर्गों में राना थारू के परिवार अन्य वर्गों से बड़े मिलते हैं।
- थारू परिवारों में परिवार मुखिया का सबसे महत्वपूर्ण स्थान होता है परन्तु पिछले दशकों में मुखिया की स्थिति में गिरावट आयी है। वहीं पहले जहां परिवार में स्त्री की बात को प्रमुखता दी जाती थी अब पुरूषों को दी जाने लगी है।
- अब थारू परिवार अधिक विभाजित हो रहे हैं जिसके कारणों में बाहर नौकरी करना एवं आपसी बंटवारा मुख्य है। हालांकि बंटवारे के कारणों में गरीबी एवं बाह्य संस्कृति का प्रभाव मुख्य है, वहीं पिछले दशकों में लोगों के बाहर नौकरी करने से भी परिवार विभाजन की स्थिति मिलती है।
- थारू परिवारों में पिछले दशकों में विवाह की आयु में वृद्धि हुई है। अब ये लोग 18 वर्ष से अधिक आयु में शादी करना पसन्द करते हैं।
- विकास एवं परिवर्तन का प्रभाव थारू की विवाह पद्धति पर दृष्यगत है। अब थारू लोग हिन्दू पद्धति, तथा शहरी व्यवस्था को ज्यादा महत्व देते हैं। जिसमें जयमाल व्यवस्था, टेन्ट व्यवस्था, खानपान एवं मनोरंजन का आधुनिक स्वरूप मुख्य है।
- थारू में बाह्य विवाह एवं बहुविवाह की प्रवृत्ति बढ़ी है जिसमें दूसरे थारू वर्ग में शादी करना, गैर थारू वर्गों का शादी करना, गन्धर्व विवाह के दृश्य भी सामने आये हैं। हालांकि बहुविवाह में महिलाओं का प्रतिशत कम है। परन्तु उसकी मात्रा भी बढ़ी है।
- विगत दशकों में थारू समाज में दहेज की मात्रा तथा स्वरूप में परिवर्तन हुआ है जहां अब दहेज

की मात्रा काफी अधिक हुई है वहीं अब लोग लड़के की शादी के बजाय लड़की की शादी में दहेज देने लगे हैं तथा दहेज सामग्री में रूपया एवं घरेलू सामान अधिक दिया जाने लगा है।

- थारू समाज में नातेदारी व्यवस्था में विगत दशकों में परिवर्तन हुआ है जहां नातेदारी सम्बन्धों में प्रगाढ़ता कम हुई है वहीं समयाभाव के कारण लोगों में नातेदारी पक्षों में रूचि एवं आत्मीयता में भी कमी आयी है।
- थारू में जाति व्यवस्था एवं जातीय संकीर्णता में कमी आयी है, वहीं आपसी मतभेद कम हुआ है अब वे दूसरी जातियों में खान पान एवं शादी सम्बन्ध करने लगे हैं।
- विगत दशकों में जहाँ थारू महिलाओं का परिवार में स्थान कमजोर हुआ है वहीं जागरूकता, शिक्षा एवं व्यवसाय के संदर्भ में महिलाओं की स्थिति सुदृढ़ हुई है।
- स्त्री शिक्षा के संदर्भ में लोगों में जागरूकता बढ़ी है तथा वे उद्देश्य लेकर बालिकाओं को शिक्षित करने में ज्यादा महत्व देने लगे हैं। जिसमें नौकरी तथा बौद्धिक परिपक्वता मुख्य है।
- थारू स्त्रियों की दशा में परिवर्तन के अन्य पक्षों को देखें तो 0–14 वर्ष में लिंगानुपात का कम होना, गुणात्मक शिक्षा की कमी एवं व्यावसायिक दृष्टि से स्त्रियों का पिछड़ा होना इस बात की पुष्टि करता है कि थारू समाज में जहाँ पहले महिलाओं का स्थान पुरूषों से ऊपर था अब घटा है, परन्तु उनके शैक्षिक स्तर एवं जागरूकता स्तर में वृद्धि हुई है।
- जनजाति में राजनीतिक जागरूकता विगत दशकों में बढ़ी है वे लोकतंत्र की वर्तमान व्यवस्था में ज्यादा रूचि दिखाने लगे हैं वही परम्परागत थारू पंचायत की मान्यता में कमी आयी है। कठरिया एवं राना थारू की राजनीतिक जागरूकता स्तर दगुरिया थारू से अधिक है वहीं गैर जनजातीय लोगों का सर्वाधिक है।
- विगत दशकों में थारू जनजाति के धार्मिक विश्वास में हिन्दू धार्मिक रीति रिवाजों एवं क्रियाकलाप का प्रभाव बढ़ा है। हिन्दू देवताओं यथा राम, कृष्ण, हनुमान, शिव एवं दुर्गा माँ की पूजा बढ़ी है। अब वे मन्दिरों एवं मूर्ति को बनाते हैं जो पहले मात्र निश्चित स्थान पर एक कच्चा चबूतरा बनाकर जीवों को प्रतीक रूप में पूजा करते थे। अर्थात धार्मिक रीतिरिवाजों पर स्थानीय दशाओं का व्यापक प्रभाव दृश्यगत है।
- थारू परिवारों में बलि में कमी आयी है अब वे बलि के जगह, हवन आदि को ज्यादा महत्व देते हैं वहीं मुर्गा जो उनका मुख्य बलि पशु था अब मुर्गे की बलि की मात्रा कम हुई है।
- थारू समाज में धर्मगुरू (गुरूवा) का स्थान उच्च होता है, परन्तु विगत दशकों में धर्मगुरू की मान्यताओं में कमी आयी है साथ ही अब वे थारू धर्म गुरू के साथ गैर थारू धर्म गुरू को भी महत्व देने लगे हैं।
- विगत दशकों में थारू में परम्परागत रस्मों एवं रीतिरिवाजों को मनाने की मान्यता कम हुई है। साथ ही जागरूकता बढ़ने से जादू पर विश्वास कम हुआ है।

- थारू समाज में सामाजिक मूल्यों में ह्रास हुआ है। थारू एक शान्तिप्रिय एवं मानवीय सामाजिक मूल्यों से परिपूर्ण जाति थी, परन्तु उत्कट अभिलाषा, लालच, असीमित आकांक्षा, एवं बाहरी लोगों द्वारा शोषण के कारण, उनके मूल्यों में कमी आई है, तथा अपने सामाजिक मूल्यों एवं आदर्शों से हटे हैं। अब अतिथि सत्कार प्रवृत्ति, माता–पिता एवं बुजुर्गों के आदर की प्रवृत्ति, सत्य बोलने की प्रवृत्ति एवं ईमानदारी आदि पक्षों में कमी आयी है जो असंधृत विकास का द्योतक है।
- थारू परिवारों में आपसी सहयोग एवं सामंजस्य व्यवस्था में विगत दशकों में कमी आयी है। अब वे अपने पड़ोसी पर कम विश्वास करते हैं साथ ही उनमें आपसी रंजिशें भी बढ़ी हैं।
- थारू जनजाति जो एक शान्तिप्रिय जनजातियों में अब अपराध प्रवृत्ति बढ़ी है, हालांकि उनमें असुरक्षा की भावना कम हुई है परन्तु जागरूकता बढ़ने एवं मूल्य ह्रास के कारण अब वे छोटे मोटे अपराध भी करने लगे हैं।
- हालांकि कम थारूओं ने अपनी भूमि को बेचा है परन्तु उन्होंने जिन लोगों को बेचा है उनमें गैर थारू लोगों का प्रतिशत अधिक है। परन्तु थारू परिवारों की भूमि पर अवैध कब्जा की मात्रा बढ़ा है जो बाहरी लोगों द्वारा कर्ज एवं जबरदस्ती कब्जे करने कारण दृश्यगत है।
- विगत दशकों में थारू समाज में बलि प्रथा, अंधविश्वास, भरारा एवं जादू पर विश्वास, बाल विवाह, जातिवाद, सूदखोरी, शोषण जैसी कुप्रथाओं में कमी आयी है वहीं थारू पंचायत मान्यता, परिवार मुखिया की मान्यता, संयुक्त परिवार प्रथा, आपसी सहयोग सुख–दुःख में भागीदारी,, परम्परात रस्मों–रिवाजों एवं मनोरंजन स्वरूप, परम्परागत विवाह पद्धति, अतिथि सत्कार प्रवृत्ति जैसे सामाजिक, सांस्कृतिक पक्षों की मान्यता में भी कमी आयी है। साथ ही दहेज प्रथा, सिनेमा देखने की प्रवृत्ति, चुनाव में भागीदारी, शिक्षा, पढ़ने की इच्छा, तलाक प्रथा, महिलाओं की दशा, स्वतंत्रता, शहर की ओर पलायन एवं परिवार नियोजन साधनों के प्रयोग तथा स्वास्थ्य दशा में उत्थान हुआ है।
- विगत दशकों में थारू समाज में सामाजिक, सांस्कृतिक पक्षों में जागरूकता बढ़ी है जैसे छुआछूत, जाति प्रथा, बालश्रम आदि पक्षों के प्रति विरोध की प्रवृत्ति बढ़ी है वहीं महिला आरक्षण, यौन शिक्षा, सरकार चुनाव, नसबन्दी, नशाबन्दी, शहर की ओर पलायन, व्यापार एवं नौकरी में विश्वास की प्रवृत्ति बढ़ी है।

अतः स्पष्ट है कि विगत दशकों में थारू परिवारों में जागरूकता बढ़ी है शिक्षा स्वास्थ्य एवं सामाजिक परिपक्वता आयी है परन्तु भावना, मूल्यों एवं परम्परागत विश्वासों में कमी आयी है। अब अपराध की मात्रा बढ़ी है जो समग्र विकास का द्योतक नहीं है।

अध्याय छह में विगत तीन दशकों में थारू जनजाति के आर्थिक पक्षों में हुए परिवर्तनों का आंकलन किया गया है। जिसके अनुसार –

- थारू एक कृषक जनजाति है जो प्राथमिक क्रियाकलापों में संलग्न रही है परन्तु विगत दशकों में उनकी रूचि द्वितीयक एवं तृतीयक क्रियाकलापों की ओर बढ़ी है हालांकि अभी भी अधिसंख्य लोग

कृषि तथा प्राथमिक क्रियाकलापों में संलग्न है।

- सामान्यतः वन क्षेत्रों में रहने के कारण जनजातियों में औसतन भूमिधारिता अधिक मिलती है। विकास केन्द्रों की ओर प्रति परिवार भूमिअधिकारिता अधिक है जो 1950–70 के दशक में ज्यादा भूमि कब्जा करने के इंगित करता है। विगत दशकों में प्रति व्यक्ति भूमिधारिता में कमी आयी है जो जनसंख्या के बढ़ने के कारण ही दृष्यगत है। विभिन्न वर्गों में गैर जनजातीय लोगों एवं राना थारू में भूमि अधिकारिता अधिक है।
- विगत दशकों में परिवारों में शुद्ध कृषित क्षेत्र एवं सकल कृषित क्षेत्र की मात्रा में वृद्धि हुई है जो स्पष्ट करता है कि भूमि उपयोगिता का स्वरूप सशक्त हुआ है। सकल कृषित क्षेत्र तथा शुद्ध कृषित क्षेत्र में वृद्धि की मात्रा गैर जनजातीय लोगों एवं कठरिया थारू में अधिक है।
- शुद्ध कृषित भूमि में विगत दशकों में सिंचित भूमि का प्रतिशत बढ़ा है वहीं परती बंजर तालाब भूमि में कमी आयी है। सिंचित क्षेत्रों में वृद्धि कठरिया एवं राना थारू क्षेत्रों में अधिक है वहीं देगुरिया थारू क्षेत्रों में कम मिलती है।
- थारू कृषकों की मुख्य फसल खरीफ की है, जो आर्द्र जलवायु एवं वर्षा पर निर्भरता के कारण है परन्तु विगत दशकों में रबी एवं जायद की कृषि में वृद्धि हुई है। फसल प्रतिरूप के संदर्भ में जहाँ धान, ज्वार, बाजरा, दलहन, तिलहन फसलों के सकल कृषित क्षेत्र में कमी आयी है वहीं गेहूं, गन्ना एवं नकदी फसलों (पिपरमिंट आदि) के क्षेत्रफल में वृद्धि हुई है। नकदी एवं गन्ने की खेती गैर जनजातीय लोगों एवं राना थारू में दंगुरिया थारू से अधिक होती है।
- विगत दशकों में क्षेत्र में सस्य गहनता की मात्रा बढ़ी है तथा कृषक एक से अधिक फसलों को एक साथ कृषि करने में ज्यादा विश्वास करने लगे हैं।
- थारू कृषकों में परम्परागत कृषि विधियों के प्रयोग का हिस्सा अधिक है परन्तु विगत दशकों में तकनीकी विधियों के प्रयोग की मात्रा बढ़ी है। जहां परम्परागत श्रम, परम्परागत बीज प्रयोग, परम्परागत विधियों से जुताई की मात्रा घटी है वहीं तकनीकी श्रम, HYV प्रयोग, उर्वरक प्रयोग, कीटनाशक प्रयोग, ट्रैक्टर से जुताई एवं हारवेस्टर प्रयोग की मात्रा बढ़ी है परन्तु अधिसंख्य कृषक परम्परागत एवं तकनीकी दोनों विधियों का प्रयोग करते हैं। तकनीकी एवं आाधुनिक कृषि विधियों का प्रयोग राना तथा कठरिया थारू में देगुरिया थारू से अधिक मिलता है।
- कृषि में तकनीकी साधनों के प्रयोग की मात्रा नकदी फसलों की कृषि में अधिक है, वहीं खाद्यान्न फसलों की कृषि में तकनीकी साधनों का प्रयोग कम है लेकिन सतत बढ़ा रहा है।
- जनजाति में आज भी तकनीकी साधनों के कम प्रयोग होने के कारणों में, गरीबी, मंहगाई, छोटे जोत, भ्रष्टाचार, अधिक ब्याज दर होना, अज्ञानता, आदि मुख्य है।
- थारू परिवार जहाँ पहले साहूकारों एवं स्थानीय व्यापारी को उत्पाद बेचने को ज्यादा महत्व देते थे, अब सहकारी क्रय केन्द्रों स्थानीय बाजार में कृषि उत्पाद विक्रय को महत्व देते हैं।
- कृषि में औसत लागत तथा प्राप्ति की मात्रा बढ़ी है ।तकनीकी विधि से कृषि में शुद्ध प्राप्ति की

मात्रा काफी अधिक है। जिसके कारण अधिक प्रति हेक्टेयर लागत के बावजूद थारू कृषक तकनीकी विधि को ज्यादा महत्व देने लगे हैं। जो राना थारू एवं कठरिया थारू में दंगुरिया थारू से अधिक है।

- खाद्यान्न फसलों की अपेक्षा नकदी फसलों की प्रति एकड़ प्राप्ति मूल्य में अधिक वृद्धि हुई है ।
- थारू परिवारों में व्यापारिक दृष्टि से पशुपालन की प्रवृत्ति बढ़ी है।
- सड़क से दूर स्थित गाँवों में मांस एवं मछली का उत्पादन, अधिक है वहीं विकास केन्द्रों पर कम है परन्तु दुग्ध उत्पादन विकास केन्द्रों पर अधिक है जो स्पष्ट करता है विगत दशकों में पशुपालन का स्वरूप व्यवसायिक हुआ है।
- क्षेत्र में औसत रोजगार की उपलब्धता जुलाई–अगस्त एवं मार्च–अप्रैल माह में अधिक होती है अर्थात मौसमी श्रम की प्रवृत्ति देखने को मिलती है। साथ ही पुरूषों की अपेक्षा स्त्रियों की मजदूरी दर लगभग आधी मिलती है। मजदूरी की सामान्य दर भी कम है।
- विगत दशकों में औसतन प्रति कार्यशील व्यक्ति, कार्य दिवसों की संख्या बढ़ी है।
- विगत दशकों में क्षेत्र में छिपी बेरोजगारी की प्रवृत्ति कम हुई है क्योंकि श्रमिक अन्य कार्यों की ओर उन्मुख हुए हैं। दगुरिया थारू में छिपी बेरोजगारी की दर राना एवं कठरिया थारू से अधिक है।
- सर्वेक्षण से स्पष्ट हुआ कि जिन परिवारों में सरकारी नौकरी है या आर्थिक स्थिति अच्छी है। सरकारी सुविधाओं का अधिकांश लाभ उन्हीं को मिला है। नौकरी के संदर्भ में, क्षेत्र के अधिकांश सरकारी नौकरी कर्ता कुछ परिवारों में ही पाये गये हैं अर्थात सरकारी सुविधाओं का सार्वभौमिक लाभ नहीं मिला है।
- विगत दशकों में प्रति परिवार कुल आय एवं प्रति व्यक्ति आय में तीव्र वृद्धि हुई है। आय के स्रोतों में तन्ख्वाह एवं मजदूरी से आय में वृद्धि का प्रतिशत अधिक है। जोकि सड़क से दूर स्थित गाँवों एवं विकास केन्द्र के गाँवों के आय प्रतिरूप को देखने से स्पष्ट होता है। औसत आय के संदर्भ में कठरिया थारू एवं गैर जनजातीय लोगों की आय अधिक है वहीं दंगुरिया थारू में अन्य थारू वर्गों की अपेक्षा कम आय है जो कठरिया थारू में ज्यादा आर्थिक परिपक्वता का प्रतीक है।
- परिवारों के कुल उपभोग व्यय का 57.04 प्रतिशत खाद्य मदों पर एवं 42.96 प्रतिशत गैर खाद्य मदों पर खर्च होता है औसतन सड़क से दूर स्थित गाँवों की अपेक्षा विकास केन्द्र के गाँवों में परिवारों में गैर खाद्य मदों (यथा शिक्षा, स्वास्थ्य आदि) में ज्यादा व्यय होता है जो स्पष्ट करता है कि विकास के साथ परिवारों के उपभोग स्वरूप में गैर खाद्य मदों पर व्यय की मात्रा बढ़ी है। यह परिवर्तन राना तथा कठरिया थारू परिवारों में गैर जनजातीय एवं दंगुरिया थारू परिवारों से थोड़ा अधिक मिलता है।
- विगत दशकों में परिवारों में प्रति व्यक्ति एवं प्रति परिवार उपभोग व्यय की मात्रा बढ़ी है। जिससे स्पष्ट होता है कि लोगों का जीवन स्तर ऊपर उठा है। यह प्रवृत्ति राना तथा कठरिया थारू में गैर जनजातियों एवं दगुरिया थारू से अधिक मिलती है।

- अब परिवारों में आधुनिक उपभोक्ता वस्तुओं (यथा साबुन, पाउडर, क्रीम, सेण्ट, मंजन, प्लास्टिक कुर्सी, सी. डी. प्लेयर, बेड आदि) का प्रयोग होने लगा है तथा प्रयोग की मात्रा सतत बढ़ रही है।
- जिन परिवारों में प्रति व्यक्ति आय अधिक है वहाँ आरामदायक वस्तुओं तथा गैर खाद्य मदों पर व्यय की मात्रा अधिक है।
- क्षेत्र में गरीबी की मात्रा विगत दशकों में कम हुई है। सड़क से दूर स्थित गाँवों में गरीबी रेखा के नीचे जीने वाले व्यक्तियों की मात्रा विकास केन्द्रों की अपेक्षा अधिक है। वहीं दंगुरिया थारू वर्ग में भी गरीबों की संख्या अधिक मिलता है।
- थारू परिवारों में प्रति परिवार कर्ज एवं उधारी की मात्रा बढ़ी है। वहीं कर्जदार परिवारों का प्रतिशत कम हुआ है। परिवारों में पूंजी विनियोग तथा अन्य विनियोग के लिए कर्ज की मात्रा बढ़ी है। वहीं गृहकार्यों के लिए कर्ज की मात्रा में कमी आयी है।
- कुल कर्ज में संस्थागत स्रोतों से लिये गये कर्ज की मात्रा बढ़ी है वहीं साहूकारों से लिये गये कर्ज की मात्रा अधिक होने के बावजूद साहूकारों से कर्ज लेने की प्रवृत्ति में कमी आयी है।
- कुल कर्ज में विगत दशकेां में औसतन कम ब्याज दर पर कर्ज की मात्रा बढ़ी है। वहीं अधिक ब्याज दर पर कर्ज की मात्रा कम हुई है जो संस्थागत स्रोतों से कर्ज लेने की प्रवृत्ति बढ़ने तथा जागरूकता बढ़ने के कारण दृश्यगत है।
- कुल कर्ज में वर्तमान उधारी का हिस्सा अधिक है जो व्यापार, विनियोग तथा आर्थिक विकास के लिए लिया गया है। सड़क से दूर स्थित गाँवों में अधिक लोगों ने कम मात्रा में कर्ज लिया जिसका अधिकांश हिस्सा घरेलू उपभोग के लिए लिया गया।
- वर्तमान उधारी में संस्थागत स्रोतों से लिये गये ऋण का हिस्सा अधिक है (55.41 प्रतिशत) वहीं सड़क से दूर स्थित गाँवों की अपेक्षा विकास केन्द्र के गाँवों में संस्थागत स्रोतों से वर्तमान उधारी की मात्रा अधिक है। साथ ही साहूकारों, गैर संस्थागत स्रोतों से कर्ज की मात्रा कम हुई है।
- अधिकांश परिवारों में (64.54 प्रतिशत) वर्तमान उधारी 16–20 प्रतिशत ब्याज दर पर ली गई परन्तु सड़क से दूर स्थित गाँवों की अपेक्षा विकास केन्द्रों पर कम ब्याज दर पर लिए गये ऋण का प्रतिशत अधिक मिलता है।
- विगत दशकों में परिवारों की सामान्य उत्तरदाताओं के अनुसार आर्थिक स्थिति एवं क्रय शक्ति में वृद्धि हुई है। जहाँ कृषि में रासायनिक खाद एवं कीटनाशक प्रयोग, ट्रैक्टर एवं तकनीकी साधनों के प्रयोग तथा कुटीर एवं लघु उद्योग की मात्रा में वृद्धि हुई है वहीं जंगल से सुविधा प्राप्ति में कमी आई है। विगत दशकों में अध्ययन क्षेत्र में परिवारों में भोजन, वस्त्र, आवास तथा रहन–सहन, स्वरूप में उत्थान हुआ है।
- उत्तरदाताओं के विचारों से स्पष्ट होता है कि अधिसंख्य लोगों को विकास योजनाओं के संदर्भ में जानकारी नहीं है। जिसके कारण वे शोषण का शिकार होते हैं।

- विगत दशकों में थारू परिवारों में आर्थिक जागरूकता बढ़ी है। कृषि उत्पादकता, आय, उपभोग स्तर बढ़ा है तथा कृषि में तकनीकी साधनों का प्रयोग बढ़ा है। परन्तु कृषि में असंतुलित मात्रा में रासायनिक खादो के प्रयोग, तथा वनों के कटने से भूमि की उत्पादकता में कमी के पक्ष सामने आये हैं।
- विविध सामाजिक वर्गों में राना थारू का औसत सामाजिक आर्थिक विकास स्तर उच्च है वहीं कठरिया थारू द्वितीय स्थान पर गैर जनजातीय थारू परिवार तृतीय स्थान पर एवं दंगुरिया थारू चतुर्थ स्थान पर हैं। गैर जनजातीय लोगों का विकास स्वरूप पूर्व से कम हो रहा है जो सरकारी सुविधाओं के न मिलने से दृष्यगत है।
- परीक्षण से यह तथ्य भी स्पष्ट होता है कि विकास केन्द्र के गाँवों में सामाजिक, आर्थिक विकास स्तर अति उच्च (प्रथम), सड़क पर स्थित गाँवों में विकास स्तर सामान्य (द्वितीय) तथा सड़क से दूर स्थित गाँवों में निम्न (तृतीय) स्तर है।
- अतः सड़क से दूर स्थित गाँवों एवं दंगुरिया थारू के गाँवों में विकास के प्रयास की अधिक आवश्यकता है।

अध्याय सात में तराई क्षेत्र एवं थारू जनजाति की मुख्य समस्याओं को विश्लेषित करते हुए अध्ययन क्षेत्र में सरकारी एवं गैर सरकारी संगठनों के क्रियाकलापों एवं प्रभाव का आंकलन किया गया है जिसके निष्कर्षों में –

- तराई क्षेत्र की मुख्य समस्याओं में जलवायुविक कठोरता स्वास्थ्य की हीन दशा, अशिक्षा, पिछड़ापन एवं अवस्थापनात्मक सुविधाओं की कमी मुख्य है। वहीं थारू जनजाति की मुख्य समस्याओं में गरीबी, ऋणग्रस्तता, भूमि हस्तांतरण, हीन स्वास्थ्य दशा, मदिरा पान, अशिक्षा, वन ग्रामों की दयनीय दशा एवं सुविधाओं का अभाव मुख्य है।
- अध्ययन क्षेत्र में संचालित सरकारी एवं गैर सरकारी संगठनों द्वारा शिक्षा, स्वास्थ्य, भोजन, पोषण, पेयजल, स्वच्छता, शराब नियंत्रण, आवास कृषि व्यवस्था, बीज एवं खाद उपलब्ध कराना, भूमि सुधार, समाज सुधार, रोजगार साधनों को बढ़ाना, ऋण सरकारी कृषि प्रोत्साहन, पर्यावरण स्थान शोषण विरोध, बचत को प्रोत्साहन किया गया है जिससे जनजातियों की सामाजिक, आर्थिक स्थिति में उत्थान हुआ है।

अध्याय आठ में शोध के निष्कर्ष, सुझाव, कार्य योजना प्रस्तुत की गई। सर्वेक्षित थारू क्षेत्र के विकास के लिए प्रत्येक तीन चार गाँवों के मध्य सड़कों के मिलन बिन्दु पर ग्राम विकास केन्द्रों का निर्माण करना चाहिए, प्रत्येक ग्राम को सड़कों से जोड़ना चाहिए एवं ग्राम विकास केन्द्रों पर विद्यालय, प्रशासनिक केन्द्रों एवं परम्परागत कुटीर एवं लघु उद्योग को स्थापित करना चाहिए। स्वमेव व्यवसायिक प्रतिष्ठान उद्भवित होने लगेंगे जिससे क्षेत्र में आय, रोजगार तथा जीवन स्तर में वृद्धि होगी।

सुझाव

अध्ययन के द्वारा यह बात स्पष्ट रूप से सामने आती है कि थारू समाज सतत विकासरत है। परन्तु निवास क्षेत्र एवं समाज की समस्याओं, विकास की नीतियों के कारण विकास का समुचित स्वरूप नहीं मिल पाया है। थारू जनजाति के विकास के लिए निम्न बिन्दु अपनाने योग्य है।

थारू जनजाति की सामाजिक आर्थिक विकास एवं जनजाति की समस्याओं निस्तारण से संबंधित –

1. किसी विकास योजना या कार्यक्रम निर्माण से पूर्व जनजाति के सामाजिक सांस्कृतिक पक्ष का सूक्ष्म अवलोकन करते हुए यह देखा जाए कि कार्यक्रम/योजना सामाजिक सांस्कृतिक पक्षों को पूर्ण करती है या नहीं।
2. योजना बनाने से पूर्व जनजाति के लोगों से उनकी समस्याओं एवं उन समस्याओं के निस्तारण के लिए उनके विचारों को समझना आवश्यक है। अतः सर्वेक्षण के माध्यम से व्यक्तिगत विचारों को भी विश्लेषित कर योजनाएं बनाई जाएं। और उन योजनाओं को जनजाति के द्वारा करने के लिए प्रोत्साहित किया जाए।
3. जनजाति के लोग हर हद तक सहयोग करने को एवं विकास की ओर तत्पर रहते हैं। योजना निर्माणकर्ता को इस प्रवृत्ति का लाभ उठाते हुए विकास कार्य को संचालित करना चाहिए। विकास कार्य जनजाति के लोगों से करवाना चाहिए एवं उसका उचित निरीक्षण करना चाहिए।
4. जनजाति के लोगों को विविध विद्याओं के व्यवसाय प्रशिक्षण, व्यवसाय संचालन में सुविधा तथा सहयोग देना उनके आर्थिक उत्थान के लिए आवश्यक एवं हितकर होगा।
5. अशिक्षा एवं अज्ञानता किसी समाज की सबसे बड़ी कमजोरी होती है अतः शिक्षा के गुणात्मक पक्ष पर ध्यान देना चाहिए जिसके लिए अध्ययन क्षेत्र में निम्न स्थानों पर महाविद्यालय की आवश्यकता दृष्यगत है। प्रथम चन्दन चौकी (लखीमपुर खीरी) बिछिया – बहराइच, सिरसिया (श्रावस्ती) विशुनपुर विश्राम (बलरामपुर) जहां मुख्य रूप से तकनीकी व्यवसायगत एवं कृषि शिक्षा दिया जाना चाहिए।
6. शिक्षा में गुणात्मक वृद्धि के लिए आवश्यक है कि औपचारिक एवं अनौपचारिक दोनों माध्यमों को शामिल किया जाए। विद्यालयों में शिक्षकों को दूर के क्षेत्र से नियुक्त करना चाहिए एवं वहां सुविधाएं दी जानी चाहिए। इस बात को ध्यान में रखा जाना चाहिए कि ये अध्यापक सामान्य अध्यापकों से ज्यादा योग्य, प्रशिक्षित एवं त्याग करने वाले (Committed) हैं।
7. गाँवों को मुख्य सड़क से जोड़कर रात्रि में कम से कम 8 घण्टे की विद्युत आपूर्ति आवश्यक है। साथ ही संचार एवं परिवहन की सुविधा देना आवश्यक है।
8. चूंकि जनजातियां कृषि पर आश्रित हैं अतः आधुनिक कृषि विधियों का प्रदर्शन एवं सुविधा प्रदान करने के साथ सिंचाई सुविधाओं के विस्तार की आवश्यकता है।
9. कृषि तथा अन्य सामाजिक–आर्थिक पक्षों को विकसित करने के लिए समूह विधि का प्रयोग करना

जनजातीय क्षेत्रों के सर्वाधिक हितकर होगा क्योंकि वे आपस के रक्त से संबंधित एवं समाजोन्मुखी होते हैं।

10. थारू लोगों में संयुक्त परिवार पाये जाते हैं। यदि तीन चार पीढ़ी से एक पीढ़ी के परिवारों के मिश्रण से समूह बनाया जाए एवं उनमें शिक्षित लोगों को सामूहिक कृषि ,कुटीर एवं लघु उद्योगों के विकास के लिए प्रशिक्षित करके उन लोगों की योजनानुसार आर्थिक सामग्री मदद दी जाए तो वे क्षेत्र के विकास के लिए प्रयास कर सकते हैं।
11. वनोत्पाद आधारित कुटीर एवं लघु उद्योगों को सरकारी तौर पर स्थापित करना चाहिए जिसमें जनजातियों को प्राथमिकता देनी चाहिए, जो कच्चा माल एकत्र कर वन केन्द्रों पर लाये उसका प्रसंस्करण कर सके जिनमें बेंत एवं बांस उद्योग, रस्सी उद्योग, शराब उद्योग, लकड़ी आधारित उद्योग, वनों से औषधि एकत्रण आदि मुख्य हैं।
12. थारू क्षेत्रों में खाद्य आधारित लघु उद्योगों को स्थापित किया जाए यथा – आटा मिल, चावल मिल, चीनी मिल आदि जिसमें जनजातीय लोगों को कार्य पर रखा जाए जिसमें जनजातीय लोगों के खाद्य उत्पादों को उद्योगों पर स्थापित क्रय केन्द्रों पर उचित दर से खरीदा जाए।
13. जनजातियों में परम्परागत मूल्यों के गिरते स्तर को रोकने के लिए आवश्यक है कि उन्हें उनके मूल्यों की उपादेयता महत्ता एवं आवश्यकता के बारे में जागरूक किया जाए।
14. जनजातियों एवं वनों का आदि से संबंध है। अतः उन्हें वनों से सुविधाएं दी जानी चाहिए। वन सीमाएं सील हों ताकि कोई भी वनोत्पाद गैर सरकारी माध्यम के वन सीमा से बाहर न जा सके। इससे जनजातियों को अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अपने मूल्यों का हनन नहीं करना होगा तथा वन संरक्षण में सुविधा होगी।
15. जनजातियों को पर्यावरण एवं जीव संरक्षण के बारे में जागरूक करना आवश्यक है। ऐसा देखा गया है कि जनजातियां छोटे वृक्षों को काट डालते हैं जो बड़े होकर उनकी कई आवश्यकताओं की पूर्ति करते है। इस बात के लिए उन्हें जागरूक एवं नियंत्रित करना आवश्यक है यह तभी संभव है जब उनको अपनी गलतियों का संज्ञान हो।
16. जनजातियों देशी शराब की दुकानों को पूर्णतः बन्द करना चाहिए।यह संभव है कि थारू क्षेत्र में परम्परागत विधियों से निर्मित शराब को परिष्कृत कर शराब उद्योगों को भी विकसित किया जा सकता है।
17. जनजाति में स्वास्थ्य जागरूकता लाने के लिए प्राथमिक चिकित्सा के होने एक चिकित्सक की अध्यक्षता में सचल चिकित्सालय होना चाहिए जो प्रतिदिन गाँवों में जाकर निरीक्षण परीक्षण एवं स्वास्थ्य जागरूकता का कार्य करें।
18. जनजाति के लोगों को उनके अधिकारों के साथ कर्तव्यो के बारे में जागरूक एवं प्रशिक्षित करना चाहिए ताकि वे उचित सहयोग कर सकें।
19. जनजातीय क्षेत्र में बाह्य हस्तक्षेप कम किया जाए एवं क्षेत्रों से प्राथमिक उत्पादों के बजाय मात्र

द्वितीयक उत्पाद ही बाहर भेजे जाएं। भूमि हस्तांतरण पर पूर्ण नियंत्रण हो। बाहरी लोगां को जनजातीय क्षेत्र में द्वितीयक तृतीयक आर्थिक क्रियाकलापों के संचालन की ही अनुमति होनी चाहिए।

जनजातीय कल्याण कार्यक्रमों के प्रशासन प्रबंधन के संदर्भ में

20. एकीकृत नियंत्रण व्यवस्था एवं उद्देश्य हो। केन्द्र से ही समस्त विभागों को एकीकृत कर एक स्थान से लागू किया जाए एवं लोकाचार (Formalities) कम हो।
21. 'सही कार्य के लिए सही व्यक्ति' की पद्धति को लागू किया जाए। यह एक ऐसा पक्ष है जो उन्हीं कार्यकर्ताओं द्वारा संभव है जो भ्रष्टाचार से विलग अनुशासित एवं जनजातीय विकास के लिए समर्पित (Commited) है।
22. योजनाओं के समस्त पक्षों की समुचित जानकारी जनजातीय लोगों को उपलब्ध कराई जाए। छोटे–छोटे प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से भी जानकारी प्रचार माध्यमों एवं प्रसारित की जा सकती हैं।
23. समस्त कोषों (Funds) के उचित उपयोग के लिए कदम उठाना चाहिए।

योजनाओं एवं कार्यक्रमों को लागू करने के लिए –

24. स्वयं सहायता समूहों का गठन कर उन्हें आनुपातिक रूप से विकास योजनाओं का हिस्सा बनाया जाना चाहिए।
25. गाँवों के मध्य से गुजरती सड़क पर दो–तीन गांवों के मध्य एक ग्राम विकास केन्द्र बनाना चाहिए वही जूनियर स्तर तक के विद्यालय स्वास्थ्य सुविधा केन्द्र एवं लघु/कुटीर उद्योग को विकसित करना चाहिए इससे वह केन्द्र लघु वाणिज्य केन्द्र के रूप में विकसित होंगे एवं आर्थिक विकास को गति मिलेगी।
26. प्रदर्शन विधि से जागरूकता लाना – जनजातीय क्षेत्र में जागरूकता का प्रमुख कार्यक्रम है। कृषि क्रियाकलापों के साथ अन्य सामाजिक आर्थिक पक्षों पर प्रदर्शन विधियों का सहयोग लेना चाहिए। यथा रेशम पालन, मशरूम खेती, मुर्गी पालन, मत्स्य पालन, फूल की कृषि, सब्जी की कृषि, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, सामाजिक सांस्कृतिक पक्षों आदि पर प्रदर्शन विधि का प्रयोग करना चाहिए
27. जनजातीय लोग सिनेमा के अधिक शौकीन होते हैं। अतः प्रोजेक्टर चलचित्र प्रदर्शक के माध्यम से सांस्कृतिक विरासत एवं मूल्य संरक्षण, समस्याओं एवं योजनाओं के बारे में जागरूकता लाना चाहिए।
28. मिशनरीज/गैर सरकारी संगठनों को विविध पक्षों में विकास कार्य का जिम्मा सौंपा जाना चाहिए। उपरोक्त सुझावों के साथ आवश्यक है कि उन कारकों/नकारात्मक परिवर्तनों की पहचान की जाए जो थारू जनजाति के विकास को असंधृत एवं असमग्र बनाने के लिए उत्तरदायी है तथा संतुलित, समान, स्थायी, समग्र एवं संधृत विकास के लिए नीतियां तथा कार्य योजना (Frame work) विकसित कर योजनाएं निर्मित एवं क्रियान्वित की जाए।

थारू जनजाति क्षेत्र के विकास प्रस्तावित कार्य योजना –

मानव का कार्य, व्यवहारस्वरूप एवं विकास उसके निवाश्य क्षेत्र की स्थानिक पृष्ठभूमि एवं पर्यावरण से प्रभावित एवं नियंत्रित होता है। विशिष्ट विकास कार्यक्रमों के वास्तविक क्रियान्वयन एवं उनकी उपयुक्त स्थिति के संदर्भ में भौगोलिक बिन्दुओं का चयन नियोजकों के लिए मुख्य समस्या होती है। चूंकि जनजातियों के सामाजिक आर्थिक उत्थान के लिए उनके निवास क्षेत्र में अवसंरचनात्मक सुविधाओं के विकास के साथ जनजातीय आवश्यकताओं को समझते हुए नियोजन की आवश्यकता होती है। अतः आवश्यक है कि योजना निर्माण से पूर्व समस्याओं आवश्यकताओं एवं संसाधनों का आंकलन करते हुए बहुकेन्द्रित विकास प्रणाली को अपनाया जाए जिसके लिए विकास ध्रुव, विकास कन्द्र एवं विकास बिन्दु के रूप में क्रमितरूप के कन्द्रीय स्थानों का चयन किया जाए। ये केन्द्रीय स्थान, क्षेत्र की जनसंख्या की निश्चित आवश्यकताओं की पूर्ति करने में सक्षम हों। जिसके लिए किसी स्थान पर उपलब्ध सुविधाआ सेवा क्षेत्र विस्तार, एवं विकास केन्द्रों के बीच की दूरी विचारणीय होती है। केन्द्रीय अवस्थिति वाले अधिवास स्थल जो प्रकार्यात्मक सम्बन्धों के केन्द्र हों उन्हें आदर्श नियोजन के लिए आधार माना जा सकताहै। यह अनुभव किया जाता है कि सेवाओं एवं प्रकार्यों से सम्पन्न उच्च पदानुक्रम वाले केन्द्रीय स्थानों से संबंधित लोग सेवा केन्द्र से दूर निवास करने वाले लोगों की तुलना में ज्ञान, सूचना एवं सामाजिक आर्थिक दृष्टि से अधिक लाभ प्राप्त करते हैं। अतः केन्द्रीय स्थलों का नियोजित वितरण एवं संवर्धन विकास के लिए प्रभावशाली साधन के रूप में प्रयुक्त हो सकता है।

केन्द्र स्थलों के चयन के सम्बन्ध में पहला सुनियोजित प्रयास जर्मन विद्वान वाल्टर क्रिस्टालर[1] ने किया। आपने जर्मनी में टेलीफोन संख्या को आधार मानकर केन्द्र स्थलों की केन्द्रीयता ज्ञात की। इस संदर्भ में ग्रीन महोदय ने परिवहन साधनों को ब्रेसी[2] ने केन्द्रों पर आने वाली जनसंख्या को उल्मान ब्रुश[3], स्मेल[4] आदि विद्वानों ने केन्द्रीय प्रकार्यों को, बेरी एवं गैरीसन[5] ने सेवा केन्द्रों पर सेवा विशेष के लिए आने वाली जनसंख्या को आधार बनाकर केन्द्रीयता ज्ञात किया। केन्द्र स्थलों में क्रोड एवं उपान्त की समस्या के निराकरण के लिए पेराक्स महोदय ने विकास केन्द्र सिद्धान्त का प्रतिपादन किया। आपने स्पष्ट किया कि आर्थिक विकास तभी अग्रसर होताहै जब कोई प्रेरक उद्योग देश/क्षेत्र में स्थापित हो इस उद्योग के विकास से अग्र तथा पश्च श्रंखला में आबद्ध विविध उद्योग सक्रिय हो जाते हैं जिससे सम्पूर्ण अर्थतंत्र विकसित हो जाता है। चूंकि यह सिद्धान्त प्रादेशिक विषमता को समेटने में कमजोर प्रतीत हुआ। अतः 1958 में जर्मन विद्वान बोदविले ने स्पष्ट किया कि प्रेरक उद्योगों की किसी न किसी केन्द्र पर स्थापना होगी, जहाँ ऐसा प्रेरक उद्योग स्थापित होगा वह बिन्दु विकास ध्रुव बन जाएगा तथा अन्य केन्द्र जो अग्र तथा पश्च श्रंखला से प्रेरक उद्योग से जुड़े है विकास केन्द्र बन जाएंगे।

इस प्रकार किसी प्रदेश में केन्द्र स्थल पदानुक्रमिक व्यवस्था में आबद्ध होते हैं और नई प्राविधिकी इन्हीं पदानुक्रमिक माध्यमों से प्रसरित होती है। चूँकि आर्थिक विकास प्राविधिकी उत्पत्ति, प्रसार तथा आत्मसात होने पर निर्भर करता है अतः आर्थिक विकास भी उसी क्रम में आगे बढ़ता है।

इस प्रक्रिया में एक तरफ क्रोड–उपान्त समस्या का हल निकलना प्रारम्भ हो जाता है वही दूसरी तरफ उपरिगामी विकास प्रक्रिया संचालित होने लगती है जो समग्र एवं संधृत विकास के लिए आवश्यक है। यह प्रक्रिया आंतरिक प्रेरणा से प्रारम्भ हो प्रसरण की ओर उन्मुख होता है।

केन्द्रीय स्थानों तथा उनके पदानुक्रमों के चयन के लिए विद्वानों ने विविध आधार बनाए हैं जिसमें प्रकार्यात्मक गुण एवं मात्रा, सेवा केन्द्र से प्राप्त वस्तुओं एवं सेवाओं की मात्रा तथा दूरी को आधार मानकर मानक सूचकांक निर्मित किया जाता है तथा पदानुक्रम के आधार पर केन्द्र स्थलों का निर्धारण किया जाता है।

शोधकर्ता द्वारा शोध हेतु किये गये सर्वेक्षण के दौरान यह स्पष्ट हुआ कि जिन केन्द्रों पर सुविधाएं अधिक हैं वहां का विकास अधिक होता है। जो केन्द्र इन विकास केन्द्रों से संलग्न है। वे भी विकास की धारा से जुड़ जाते हैं अतः आवश्यक है प्रत्येक क्षेत्र को विकास का कोई न कोई आधार प्रदान किया जाए।

आर्थिक उन्नति के लिए सामाजिक प्रतिबद्धता की दृष्टि से नियोजन कर्ताओं एवं बुद्धिजीवियों द्वारा इस बात को ध्यान में रखा जाता है कि संसाधनों का उपयोग किस स्थान तथा किस क्षेत्र में किया जाए ताकि संसाधनों का समुचित उपयोग हो तथा सामाजिक आर्थिक विकास सुनिश्चित हो सके। प्रशासनिक दृष्टि से सामाजिक हितों को सुरक्षित एवं व्यवस्थित करने के लिए अनुकूल अवस्थिति का महत्वपूर्ण योगदान होता है। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखकर थारू जनजाति निवाश्य क्षेत्र में केन्द्रीय अवस्थिति सिद्धान्त का अनुपालन करते हुए ग्रामों का विकास स्तर ज्ञात किया गया। केन्द्रीय स्थलों की स्थानिक तथा प्रकार्यात्मक गठन की प्रक्रिया के संदर्भ में निम्न पक्षों पर विचार किया गया – 1. आर्थिक निवेश के लिए प्रभावकारी अनुकूलतम केन्द्रों का चयन 2. पदानुक्रम अंतराल को दूर करने केन्द्रों को विकसित करना 3. विभिन्न प्रकार्यों की उपलब्धता के आधार पर केन्द्रों का चयन 4. स्थानिक आवश्यकताएं एवं क्षेत्रीय दृष्टि से आवश्यक सुविधाएं 5. सेवा केन्द्रों के चयन में प्राथमिक स्तर की प्रकार्यात्मक सुविधाओं को ध्यान में रखा गया है उनमें प्राथमिक विद्यालय, उच्च प्राथमिक विद्यालय, मातृ एवं शिशु कल्याण केन्द्र, डाकघर, सार्वजनिक टेलीफोन, बचत बैंक, सहकारी समिति, साप्ताहिक बाजार को सम्मिलित किया गया है। इन सुविधाओं को ग्राम स्तरीय केन्द्र प्राप्त करते हैं तथा समबद्ध क्षेत्रों को सुविधाएं उपलब्ध कराते हैं।

द्वितीय स्तर की प्रकार्यात्मक सुविधाओं में बस स्टेशन, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, परिवार नियोजन केन्द्र, माध्यमिक विद्यालय, पुलिस चौकी, राष्ट्रीयकृत बैंक, डाकघर, दैनिक बाजार, कृषि उपकरण बिक्री केन्द्र, उर्वरक एवं कीटनाशक विक्रय केन्द्र, पशु चिकित्सालय आदि को सम्मिलित किया गया है। ये सुविधाएं क्षेत्र विकास केन्द्र प्राप्त करते हैं तथा सम्बद्ध क्षेत्रों को सुविधाएं उपलब्ध कराते हैं।

तृतीय स्तर की प्रकार्यात्मक सुविधाओं में रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, महाविद्यालय, प्रशासनिक केन्द्र आदि को सम्मिलित किया गया है जो उपनगरीय विकास केन्द्रो पर मिलते हैं तथा सम्बद्ध ग्राम एवं कस्बा स्तर तक को सुविधाएं उपलब्ध कराते हैं।

अध्ययन क्षेत्र में केन्द्रीयता निर्धारण हेतु उपरोक्त चयनित सुविधाओं में 25 प्रकार्यात्मक सुविधाओं को सेवित जनसंख्या के आधार पर सूचकांक अदि तथा क्षेत्र/केन्द्र पर उपलब्ध सुविधाओं के सूचकांकों को जोड़कर (तालिका 87) स्थानों का मानक सूचकांक ज्ञात किया गया। पुनश्च ज्ञान स्थलों को 4 वर्गों में विभक्त किया गया 1. उपनगरीय विकास केन्द्र 2. क्षेत्र स्तरीय विकास केन्द्र 3. ग्राम्य स्तरीय विकास केन्द्र, 4. ग्राम।

तालिका 8.1 : केन्द्र स्थलों का सूचकांकनुसार पदानुक्रम वर्ग

क्रम	वर्ग	सूचकांक	स्थल संख्या
1.	उपनगरीय विकास केन्द्र	50 से अधिक	निघासन, पलिया (लखीमपुर), मिहीपुरवा (बहराइच), सिरसिया (श्रावस्ती), गैसडी पचपेडवा (बलरामपुर) कुल (6)
2.	क्षेत्र स्तरीय विकास केन्द्र	25–50	गौरीफंटा, चन्दन चौकी, बेलापरसुआ, (लखीमपुर) बिछियां, निशानगाड़ा (बहराइच), कटकुइयां कला (श्रावस्ती) विशुनपुर विश्राम, जरवा (बलरामपुर), कुल 8
3.	ग्राम्य स्तरीय विकास केन्द्र	25–10	वनकटी, भूडा, रामनगर, ध्यानपुर, सिंगहिया, ठकिया, छिदिया पश्चिम नझौटा, सौनहा, सूरमां, मसानखम्भ, पचपेडा, परसिया, मुडनोचनी, कडिया, फरेन्दा (लखीमपुर खीरी), सेमरहवा हथियाकोडर, नवलगढ़, कोहरगड्डी, चन्दनपुर, भुसहरपुरई, वनघुसरी, मोहकमपुर, एवं भोजपुरथारू (बलरामपुर) बिशुनापुर, सुजौली, धर्मापुर, सहोनी, (बहराइच) भचकाही, रनियापुर, (श्रावस्ती) कुल 34
4.	ग्राम	10 से कम	शेष ग्राम

प्रस्तावित कार्य योजना –

तराई क्षेत्र थारू समाज के सामाजिक आर्थिक उत्थान के लिए आवश्यक है कि –

1. सम्पूर्ण क्षेत्र में ITDP/क्षेत्र अन्य क्षेत्र स्तरीय विकास केन्द्रों को ग्राम विकास केन्द्रों के रूप में उप विभाजित किया जाए।

ग्राम विकास केन्द्रों का निर्माण – अध्ययन से प्राप्त निष्कर्षों से स्पष्ट होता है कि शिक्षा सड़क, स्वास्थ्य, संचार एवं अंतर्वोध किसी क्षेत्र के विकास के लिए प्राथमिक आवश्यकता है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए ग्राम विकास का पुरा माडल अपनाया गया परन्तु इस माडल के क्रियान्वयन से मिल रही सुविधाओं की गुणवत्ता तथा उपयोगिता को बढ़ाने के लिए एवं ग्राम्य विकास का वास्तविक सपना साकार करने के लिए ग्राम विकास केन्द्रों को आधार बनाना होगा।ग्राम विकास केन्द्रों के निर्माण के लिए पूर्व संचालित एवं कार्यक्रमों को ग्राम विकास केन्द्रों के मानक के अनुरूप क्रियान्वित करना

होगा यथा –प्रत्येक गाँव के मध्य से पक्की सड़क को निकालना 2–3 किमी. की दूरी में स्थित तीन चार ग्रामों के मध्य मिलते सड़कों के चौराहे पर ही उच्च प्राथमिक / माध्यमिक स्तर के विद्यालयों की स्थापना हो, न कि गाँव के किसी भाग में, साथ ही उन्हीं स्थानों पर पंचायत घर एवं राजस्व कर्मचारी तथा अन्य ग्राम स्तरीय कर्मचारियों के निवासों का निर्माण होना चाहिए, जिससे उन केन्द्रों पर स्वतः लोग आकर्षित होंगे तथा उक्त चौराहे के आसपास स्वमेव व्यवसायिक प्रतिष्ठान उद्भवित होने लगेंगे जिससे क्षेत्र में आय, रोजगार तथा जीवन स्तर में वृद्धि होगी।

इन विकास बिन्दुओं पर उपरोक्त उल्लेखित प्राथमिक स्तर की सुविधाओं को एक ही स्थान पर उपलब्ध कराया जाए जिससे वह बिन्दु क्षेत्र के आर्थिक उत्थान के केन्द्र के रूप में विकसित होगा।

2. क्षेत्र के समस्त गाँवों को पक्की सड़कों से इस प्रकार जोड़ा जाए कि वे सड़कें गांवों के मध्य से गुजरती हुई चयनित विकास केन्द्रों तक पहुंच तथा विकास ध्रुव एवं उच्च स्तरीय विकास बिन्दु से होकर सेवा केन्द्रों से जुड़े।
3. समस्त विकास केन्द्रों पर डिग्री कालेज स्तर तक की शिक्षा व्यवस्था IIT एवं लघु उद्योग प्रशिक्षक केन्द्रों की व्यवस्था की जाए।
4. चयनित विकास बिन्दुओं पर लघु एवं कुटीर उद्योगों की स्थापना की जाए तथा विकास केन्द्रों पर वृहत लघु उद्योगों की स्थापना की जाए एवं विकास बिन्दुओं से उत्पादित पदार्थों के क्रय–विक्रय केन्द्रों की स्थापना की जाए।
5. विकास बिन्दुओं एवं केन्द्रों पर खाली पड़ी भूमि के सुनियोजित उपयोग, वृक्षारोपण एवं सकल कृषित क्षेत्र में वृद्धि करने के साथ उत्पाद गुणवत्ता सुधार हेतु जागरूकता पैदा करना चाहिए तथा सुविधाएं मुहैया कराई जानी चाहिए।
6. लोगों में क्षेत्र विकास के प्रति जागरूकता पैदा करना चाहिए जिसके लिए विभिन्न विकास केन्द्रों के मध्य कार्यकर्ताओं को लाना एवं भेजना चाहिए। अर्थात सेवा केन्द्रों पर बाहर तथा दूसरे सेवा केन्द्रो से कर्मियों को नियुक्त करना चाहिए एवं उन्हें दूसरे सेवा केन्द्रों के विकास स्तर की जानकारी उपलब्ध करायी जाए।
7. भूमि अधिग्रहण नियंत्रक एवं भ्रष्टाचार के पक्ष पर नियंत्रण करना चाहिए।

उपरोक्त कार्य योजना को विकास नीतियों में शामिल करने से क्षेत्र एवं समाज के सामाजिक आर्थिक विकास को गति मिल सकेगी।

References :

1. Cristallar, W. (1966), 'Central Places in Southern Germany', Translated by C.W. Baskin, Pretence Hall Inc., Englewood Cliffs, New Jersey.

2. Bracey, H.E. (1953), 'Town as Rural Service Centre Transport Institutions', *British Geographers*, pp.95-105.

3. Brush, John (1953), 'The Hierarchy of Central Places in South Western Wisconsin', *Geographical Review*, Vol.45, pp.340-420.

4. Smailes, A.E. (1944), 'The Urban Hierarchy in England and Wales', *Geographical Review*, Vol.39, pp.41-51.

5. Berry, B.J.L. and Garrison, W.L. (1958), 'The Functional Bases of Central Place Theory and Range of Goods', *Economic Geography*, Vol.34, pp.154-164.

———:0:———

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

Ackerman, E.A. (1945), "Geographic Training, Wartime Research and Immediate Professional Objectives", *Annals of the Association of American Geographers*, Vol.35, pp.121-143.

Agnew, J.A. and J.D. Duncan (1981), "The Transfer of Ideas into Anglo-American Geography", *Progress in Human Geography*, Vol.5, pp.42-47.

Ahmad, Aijazuddin (1962), **Human Geography of the Indian Desert** (unpublished Ph.D. Thesis), Aligarh Muslim University, Aligarh.

Ahmad, Aijazuddin (1980), "Integrated Rural Development in India: Social Implications of Planning Since Independence", Proceedings of the Second International Symposium on Asian studies, pp.905-0922.

Ahmad, Aijazuddin (1985), "Development and Redistribution of Tribal Population in India", Kosinski and Elahi (eds.), **Development and Redistribution of Population**, pp.65-78.

Ahmad, Aijazuddin (1985), "Regional Development Process and Redistribution of Tribal Population", L.A. Kosinski and K.M. Elahi (eds.), **Population Redistribution and Development in South Asia**, pp.65-78.

Ahmad, Aijazuddin (1988), "Cultural Roots of Tribals in India", *Contemporary Affairs*, Vol.II(2), April-June, pp.50-60.

Ahmad, B. (2005), **A Handbook of Social Geography**, Akansha Publications, Delhi, pp.1-35.

Ahmad, Enayat (1952), "Rural Settlement Types in Uttar Pradesh" (United Provinces of Agra and Oudh), *Annals Association of American Geographers*, Vol.42, pp.223-246.

Aitchison, C.V. (1930), A Collection of Treaties, Engagement and Samads, Kolkata, Vol.II, pp.98-100.

Ali, S.M. (1969), **Geography of the *Puranas***, Peoples Publishing House, Delhi.

Allchin, Bridget and Raymond (1968), **The Birth of Indian Civilization,** Penguin Books Ltd., Hammondsworth.

Allen, John (1951), Catalogue of the Coins in the Indian Museum, pp.150-151, and see also Majumdar, R.C. and A.D. Pusalkar (eds.), The History and Culture of Indian People, Vol.II, London, p.174.

Allen, N.R. (1973), "Buddhism without Monks: The Vajrayana Religion of the Newars of the Kathmandu Valley", *South Asia*, 2.

Ambedkar, B.R. (1948), **Untouchables – Who are the Shudras? How They Came to be the Fourth Verna in the Indo-Aryan Society?** Thakker and Company, Mumbai, (1970), 3rd Reprint.

Ambedkar, B.R. (1950), ***Achhoot Kaun Aur Kaise*** (Hindi), pp.33-334.

Andre Beteille (1971), "The Definition of a Tribe", Romesh Thapar (ed.), **Tribe, Caste and Religion**,

Andre Beteille (1971), "The Social Framework of Agriculture", Louis Lefeber and Mrinal Dutta-Chaudhuri (eds.), **Regional Development Experiences and Prospects in South and South-East Asia**; *Ibid* (1966), Caste, Class and Power.

Arun, L.K. *et. al.* (2001), "Bio-Diversity Conservation and Livelihood Issues of Tribesfolk: A Case Study of Periyar Tiger Reserve", Discussion Paper 37, KRPLLD, Thiruvananthapuram.

Baden-Powell, B.H. (1896), The India Village Community, Longman, London, pp.8-10.

Bahura, N. and Panigrahi, N. (2001), **Functionary of the Fifth Schedule of the Constitution of India: The Role of Welfare Agencies in the State of Orissa**, Report Submitted to ICSSR, New Delhi.

Bahura, N.K. and Nilakantha Panigrahi (2006), **Tribals and the Indian Constitution**, Rawat Publication, New Delhi, pp.54-74 & 392-360.

Bailey, F.G. (1960), **Tribe, Caste and Nation: A Study of Political Activity and Political Change in Highland Orissa**, Manchester University Press, Manchester.

Bandaranage, A. (1997), **Women Population and Global Crisis**, Zed Books, London.

Bardhan, P.K. (1974), "On the Incidence of Poverty in Rural India in the Sixties", *Sankhya Series*, Parts 2&3, Vol.36, pp.264-280.

Barlow, R. and V.W. Johnson (1954), **Land Problems and Policies**, McGraw Hill Book Company, New York,

Basu, D.D. (2006), ***Bharat Ka Sambidhan Ek Parichaya***, Buddhdev Publications, Delhi,.

Basu, S.K. (1968), 'PTC sensitivity among the Rana Tharus Thakurs of Chandan Chowki (Uttar Pradesh)', *Man in India,* Vol.48(4), pp.357-372.

Basu, S.K. (1993), "Health Status of Tribal Women in India", *Social Change*, Vol.23(4), pp.19-39.

Basu, S.K. and P.K. Chattopadhyaya (1967), 'ABO blood groups and ABH secretion in saliva of the Rana Tharus Thakurs', *Eastern Anthropologist,* Vol.20(3), pp.269-276.

Behura, N.K. and Milkantha P. (2006), **Tribes and Constitution**, Rawat Publication, New Delhi.

Bernard, S. Cohn, "The Changing Status of a Depressed Caste", D.N. Majumdar (ed.), **Inter-Caste Tension**; Hamza Alavi, "Peasants and Revolution", A.R. Desai (ed.), **Rural Sociology in India**, *op.cit*, pp.354-365; 398-402; 410-423.

Beteille, A. (1991), **Society and Politics in India: Essays in a Comparative Perspective**, The Athlone Press, London.

Beteille, A. (1992), **The Backward Classes in Contemporary India**, Oxford University Press, Delhi.

Beteille, Andre (1992), **Society and Politics in India: Essays in a Comparative Perspective**, Oxford University Press, Delhi.

Beueridge, A.S. (1922), The Babarnama (in English), Vol.II,.

Bhaskar, B.R.P. (ed.) (2001), **Human Rights**, Vigil India Movement, Bangalore.

Bhowmick, P.K. (1986), "Reports on Scheduled Tribes: An Appraisal", L.P. Vidyarthi (ed.), **Tribal Development and Its Administration**, Concept Publishing Company, New Delhi,

Bird, J.H.(1989), **The Changing World of Geography: A Critical Guide to Concepts and Methods**, Oxford Clarendon Press.

Bisht, B.S. (1994), **Tribes of India, Nepal and Tibet Borderland: A Study of Cultural Transformation**, Gyan Publishing House, New Delhi.

Bista, D. B. (1972). 'The Tharu', in **People of Nepal**, Ratna Pustak Bhandar, Kathmandu, pp.118-127.

Blache, P. Vidal De La (1913), "De Caractteres Distictifs de la Geographie", *Annales de Geographie*, Vol.22, pp.289-299.

Blache, P. Vidal De La (1921), **Principes de Geographie Humaine, Paris**, Armand Colin (English Translation by M.T. Brigham, **Principles of Human Geography**, Constable Publishers, London, 1926).

Bose, N.K. (1941), "The Hindu Method of Tribal Absorption", *Science and Culture*, Vol.7, pp.1881-191.

Bose, N.K. (1975), **The Structure of Hindu Society** (1st Edition 1941), Translated from Bengali by A. Beteille, Orient Longman, Delhi.

Bose, Saradindu (1967), **Carrying Capacity of Land Under Shifting Cultivation**, Asiatic Society, pp.131-135.

Buck, J.L. (1967), **Land Utilization in China**, Vol.I, University of Nanking.

Bunge, W. (1963), **Fitzgerland: Geography of Revolution**, Schenkman, Cambridge (Mass).

Carpenter, R.A. and Harper, D.E. (1989), "Towards a Science of Sustainable Upland Management in Developing Countries", *Environmental Management*, Vol.13 (1), pp.43-54.

Chakravarti, M. and C.S. Singhrole, "Problems of Tribal Education: A Key to Development", *Man in India*, Vol.14(1&2), pp.91-96.

Chand, R.P. (1984), Change in Centrality and Urban Hierarchy in Awadh Region, *U.B.B.P.*, Vol.20(2), pp.114-117.

Chandhoke, N. (2003), "Governance and the Pluralization of the State – Implications for Demographic Citizenship". *Economic and Political Weekly*, Vol.38(28), pp.2957-2968.

Chatterji, S.K. (1974). **The Indo-Mongoloids: their Contributions to the History and Culture of India**, The Asiatic Society, Kolkata.

Chaubey, C. (1957), 'The Tharu songs', *Indian Folklore,* Vol.2 (1), pp.52-53.

Chaudhari, B. (1982), **Tribal Development in India – Problems and Prospects**, Patel Enterprises, Delhi.

Chaudhari, E. and Chaudhari, R.S. (2006), ***Tarai Ka Tharu Haru*** (Nepali).

Chaudhary, B. (1992), **Tribal Transformation in India**, Vol.III – Ethno-Politics and Identity Crisis, Inter-India Publication, Delhi.

Chaudhary, B.B. and Arun Bandopadhyay (2004), **Tribe Forest and Social Formation in Indian History**, Manohar Publishers and Distributors, New Delhi.

Chisholm, M. (1975), **Human Geography: Evolution or Revolution**?, Hammondsworth: Penguin Books.

Choudhury, B. and Sumita Choudhury, **On Some Tribal Problems**, *op.cit,* pp.89-90.

Choudhury, P.C. Roy (1952), 'The Tharus', *Man in India,* Vol.32 (4), pp.246-250.

Clifford, J. (1988), **The Predicament of Culture: Nineteenth Century Ethnography Literature and Art**, Harvard University Press, Cambridge (MA).

Crooke, W. (1975), **The Tribes and Castes of North Western India**, Geneva Press, Kolkata; Reprint (1986), Casino Publications, Delhi,

D.R. Dangal and S.B. Gurung (1991), 'Ethnobotany of the Tharu Tribe of Chitwan District' *International Journal of Pharmacognosy,* Vol.29(3), p.203ff.

Dahrendorf, R. (1958), "Towards a Theory of Social Conflict", *Journal of Conflict Resolution*, Vol.II, pp.170-183.

Dalton, E.T. (1872), **Descriptive Ethnology of Bengal**, Government of Bengal, Kolkata.

David, E. Sopher (1975), "Indian Pastoral Castes and Livestock Ecologies: A Geographic Analysis", L.S. Leshnik and G.D. Sontheimer (eds.), **Pastoralists and Nomads in South Asia**, pp.183-208.

Desai, A.R. (1976), ***Bhartiya Rastrabad Ki Samajik Pristhabhumi*** (in Hindi), The Macmillan & Co. of India Ltd., New Delhi.

Desai, A.R. (1977), "Tribes in Transition", Romesh Thapar (ed.), **Tribe, Caste and Religion**, The Macmillan Company of India Ltd., Delhi, pp.15-28.

Deshpande, C.D. (1973), "The Naga Village: A Reconnaissance Study", *Geographical Outlook*, Vol.IX, pp.15-18.

Dev, Hari, (1932), 'Birth customs among the Tharus', *Man in India* Vol.12, pp.116-160.

Dhurya, G.S. (1969), **Caste and Race in India**, Popular Prakashan, Mumbai.

Dhurye, G.S., Caste and Race in India, Sagar, S.L., Hindu Culture and Caste System in India; and See also, Ambedkar, B.R., Untouchable and Untouchable Caste in India.

Dicastro (2002), **Nature and Research**, Vol.31,

Dikshit, R.D. (1997), **Geographical Thought: A Contextual History of Ideas**, Prentice-Hall of India, New Delhi.

Dovers, S. and Handmer, J. (1992), "Uncertainty, Sustainability and Change", *Global Environmental Change*, Vol.2(4), December, pp.262-276.

Dube, S.C. (1968), "Approaches to Tribal Problems in India", in L.P. Vidyarthi (ed.), **Applied Anthropology in India**, Kitab Mahal, Allahabad.

Durkheim, E. (1947), **The Division of Labour in Society** (Trans. G.Simpson), (Glencoe, Illinois), First published in 1893.

Ekka, Alex (2001), "Adivasi Rights: Empowerment and Deprivation", B.R.P. Bhaskar (ed.), **Human Rights**.

Elliot and Dowson, History of India and told by its own Historians, Vol.II, pp.533-534.

Elwin Varrier (1960), **Tribal Myths of Orissa**, Oxford University Press, London

Elwin Varrier (1965), The Religion in Tribe, Oxford University Press, London.

Elwin, V. (1944), **The Aboriginals**, Oxford University Press, Mumbai.

Elwin, Verrier (1949), **The Myths of Middle India**, Oxford University Press, London & Mumbai.

Elwin, Verrier (1960), **The Tribal World of Verrier Elwin**, Oxford University Press, Bombay.

Elwin, Verrier (1963), **A New Deal for Tribal India**,.

Embee, A.T. (1977), "Frontiers into Boundaries: From Traditional to the Modern State", in Richard, G. Fod (ed.), **Realm and Region in Traditional India**, Vikas, New Delhi.

Emrys, Jones (1960), **Social Geography of Belfast**, Oxford University Press, London.

Emrys, Jones and John Eyles (1977), **An Introduction to Social Geography**, Oxford University Press, Oxford and New York

Eyles John, (1974), "Social Geography", in R.J. Johnston, *et.al.* (eds.) (1981), **The Dictionary of Human Geography**, Basil Blackwell, Oxford, pp.309-312.

Eyles, John (1981), "Social Geography", R.J. Johnston, *et.al.*, **The Dictionary of Human Geography**, Basil Blackwell, Oxford, pp.309-312.

FAO Investment Centre (2006), **India Overview of Socio-Economic Situation of Tribal Communities and Tribal Livelihood in Madhya Pradesh and Bihar**.

Febvre, LK. (1932), **A Geographical Introduction to History**, Kegan Paul Trench Trubner, London.

Forster, William (1911), The English Factories in India, 1934-36, Oxford

Fuhrer, A. (1972), **Antiquities of the Buddha's Birth Place in the Nepal Tarai**, Indological Book House, Delhi.

Fujikura, T. (2006), **Translocal Interactions and Social Transformations in Western Tarai – The Case of Kamaiya Mobilization.**

Furer-Haimendorf, C. von (1966), **Caste and Kin in Nepal, India and Ceylon: Anthropological Studies in Hindu-Buddhist Contact Zones**, Asia Publishing House, Mumbai.

Ghurye, G.S. (1963), **The Scheduled Tribes** (1st Edition, 1959), Popular Prakashan, Mumbai.

Giddens, A. (1984), **The Constitution of Society**, Polity Press, Cambridge.

Gopala Rao, N. and Ram Gopal, N. (1983), **Chinnalabdu Resurveyed**, A.E.R. Centre, Andhra University, Waltair-3,.

Gould, P.R. and White, R. (1974), **Mental Maps**, Penguin Books, Hammondsworth

Government of India (1980), **A Manual Integrated Rural Development Programme**, Ministry of Rural Reconstruction, January,

Government of India, New Delhi, **Tribal Development: The New Perspective**,

Government of India, **Tentative Outline and Checkpoints for Examination of IIDPS**, New Delhi,

Government of Uttar Pradesh (1987), **Annual Tribal Sub-Plan** (Plains and Hills) for 1988-89, Lucknow.

Government of Uttar Pradesh (1990), **Harijan and Social Welfare Department** (Tribal Development), **Tribal Sub-Plan for Eighth Plan** (1990-95) and **Annual Plan** (1991-92), Lucknow.

Government of Uttar Pradesh (1991), **Ministry of Social Welfare** (Tribal Development), **Tribal Sub-Plan for Eighth Plan** (1992-97), and **Annual Plan** for 1992-93, Lucknow.

Government of Uttar Pradesh (1994), **Ministry of Social Welfare** (Tribal Development), **Draft Tribal Sub-Plan** (1994-95), Lucknow.

Government of Uttar Pradesh (2005), **Annual Tribal Sub-Plan** for 2005-06, Lucknow.

Government of Uttar Pradesh (2006), **Annual Tribal Sub-Plan** for 2005-06, Lucknow.

Govila, J. P. (1959), 'The Tharu of Terai and Bhabar', *Indian Folklore,* Vol.2,

Gregory, D. (1981), **Human Agency and Human Geography**, Transactions, Institute of British Geographers, N.S.6, pp.1-18.

Gubbins, R.M. (1859), An Account of the Mutinies in Oudh and of the Siege of Lucknow, London,

Guha. Sumit (1999), **Environment and Ethnicity in India, 1200-1991,** Cambridge University Press, Cambridge.

Guneratne, A. (1994) **'The Tharus of Chitwan: Ethnicity, Class and the State in Nepal'**, Ph.D thesis, University of Chicago.

Gupta, Trinath and Shreekant Sombarni (1978), "Control of Shifting Cultivation, The Need for a Systematic Approach and Systematic Appraisal", *IJAE,* Vol.XXXIII(4), October-December,

Gurung, G. M. (1999), 'Migration, politics and deforestation in lowland Nepal', in H.O. Skar (ed.), **Nepal: Tharu and Tarai Neighbours**. Kathmandu: Bibliotheca Himalayica/EMR Publications.

Guyot, A. (1849), **The Earth and Man: Lectures on Comparative Physical Geography in its Relation to the History of Mankind**, Gould and Lincoln, Boston.

Haggett, P. (1965), **Locational Analysis in Human Geography**, London.

Haimondorf Furer (1941), "Seasonal Nomadism and Economies of the Chenchu of Hyderabad", *Journal of Royal Asiatic Society of Bengal*, Vol.7.

Harman, H.H. (1980), **Modern Factor Analysis**, The University of Chicago Press, Chicago.

Harvey, D. (1973), **Social Justice and the City**, Edward Arnold, London.

Hasan, A. (1968), 'The social profiles of a border Tharu village', *Vanyajati,* Vol.16, p.133.

Hasan, A. (1969a),'The occupational pattern in a Terai village', *Eastern Anthropologist,* Vol.22, pp.187-206.

Hasan, A. (1969b), 'The economic structure of a border Tharu village', *Vanyajati,* Vol.17, pp.19-27.

Hasan, A. (1970), 'A Bunch of Wild Flowers and Others Articles', Ethnographic and Folk Culture Society, Lucknow.

Hasan, A. (1993), **Affairs of an Indian Tribe, The Story of my Tharu Relatives**, New Royal Book Co., Lucknow

Hasnain, Nadeem (1974), *"Jounsar Bawar: Jahan Draupadi Adarsh Hai"*, *Navjivan,* January 13, Lucknow.

Heady, E.O. and Dillon, J.L. (1966), **Agricultural Production Functions,** Lowe State University, Lowe, pp.202-203.

Herbertson, A.J. (1905), "The Major Natural Regions: An Eassy in Systematic Geography", *Geographical Journal*, Vol.25, pp.300-312.

Hettner, A. (1927), **Die Geographie-Ihre Geochishte, Ihre Wesen**, Und Ihre Methoden, Ferdinand Hirt, Breslau.

Hu, C.T. (1955), 'Demographic study of village Chandanpur' *Eastern Anthropologist*, Vol.9, pp. 4-20.

Hu, C.T. (1957), 'Marriage by exchange among the Tharus', *Eastern Anthropologist*, Vol.10 (2), pp.116-129.

Huntington, E. (1915), **Civilisation and Climate**, Yale University Press, New Haven.

Husain, M. (1976), "A New Approach to the Agricultural Productivity Regions of the Satlej-Ganga Plains of India", *Geographical Review of India*, Vol.38(3), pp.230-236.

Hutton, J.H. (1946), **Caste in India**, Cambridge University Press, Cambridge.

Hutton, J.H. (1986), **Census of India**, 1931, With Complete Survey of Life and System, Vol.I,II & III, Gyan Publications, Delhi.

Irfan Habib (1969), "Presidential Address to the Medieval History Section", Indian History Congress, Patna.

Jacques, T. (1997), Multivariate Analysis Techniques in Social Science Research, Sage Publications, London, pp.140-250.

Janah, Sunil (1993), **The Tribals of India**, Oxford University Press, Kolkata.

Jones, E. and John Gainless (1977), **An Introduction to Social Geography**, Oxford University Press, Oxford and New York.

Jordan, T.G. (1973), **The European Culture Area**, Harper and Row, New York,

Joshi, E.B. (1960), Faizabad: Uttar Pradesh District Gazetteer, U.P. Government, Lucknow, pp.74-75 & 364.

Justice, S.E., Ashok Chaudhury and Ajay Choudhury (2006), "The Decline of Zamindars of Rupandehi District", Downloaded from *Internet.*

Kern, S. (1983), **The Culture of Time and Space**, 1880-1918, Harvard University Press, Cambridge (Mass).

Kesavan Veluhat (2004), "From Tribe to Caste: The Koragas of South Ranara", in B.B. Chaudhary and Arun Bandopadhyay, *op.cit.*, p.51-65.

Kesbekar, P.P.(1966), **Institutional Agricultural Credit**, Cooperative Review, pp.818-825.

Khan, Wahududdin and Tripathy, R.N. (1972), **Intensive Agricultural and Modern Inputs**, Prospects of Small Farmer, NIRD, Hyderabad.

Khanna, D.P.S. (ed.) (1992), **Glimpses of Indian Tribal Life**, Sarita Book House, New Delhi.

Khatana, R.P., "Development and the Process of Sedentarization among the Gujjar Bakarwals of Hammu and Kashmir", in Aijazuddin Ahmad (ed.), **Social Structure and Regional Development**, pp.283-307.

Kobayashi, A. and Mackenzie, S. (1989), "Introduction: Humanism and Historical Materialism in Human Geography", in Kobayashi, A. and Mackenzie, S. (eds.), **Remaking Human Geography**, Unwin Hymann, Boston, pp.1-14.

Kochar, V.K (1963). 'Size and composition of families in a Tharu village', *Vanyajati*, Vol.11, pp.99-106.

Kochar, V.K (1965), 'Fission and segmentation process in the joint families of a Tharu village', *Vanyajati,* Vol.12(1), pp.3-8.

Koirala, R.L. (2003), **Enforced Assimilation: A Case Study of Rana Tharus of Nepal.**

Kosambi, D.D. (1962), **Myth and Reality: Studies in the Formation of Indian Culture**, Popular Prakashan, Mumbai.

Kosambi, D.D. (1972), **The Culture and Civilization of Ancient India in Historical Outline**, Vikas Publications, Delhi.

Kosambi, D.D. (1981), **The Culture and Civilization of Ancient India in Historical Culture**, Vikas Publications, Delhi, Mumbai & Bangalore.

Kraskopff, G. (1998), "The Anthropology of the Tharus: An Annotated Bibliography", http://www.google.com

Krishna Kumar Rao, T.R.K. (1979), **Structure and Flow of Agricultural Credit: A Case Study of Anakapalli Taluk**, Unpublished Thesis, Andhra University, Waltiar.

Kumar, A. (2004), **Social Geography in India**, Anmol Publications, Delhi, pp.1-32.

Kumar, N and A.K. Mitra (1975), 'Reproductive performance of Tharu women', *Eastern Anthropologist,* Vol.28(4), pp.349-357.

Kumar, N. (1968), 'A genetic survey among the Rana Tharus of Nainital District in Uttar Pradesh', *Journal of the Indian Anthropological Society*, Vol.3(1-2), pp.39-55.

Law, B.C. (1972), The Historical Geography of Ancient India (in Hindi), Lucknow,

Lawoti, M. (1998), "Racial Discrimination Towards the Indigenous Peoples in Nepal", *Himalayan Ecology and Development*, Vol.6(1),

Ley D. (1985), **Cultural Humanistic Geography**, Progress in Human Geography, pp.415-423.

Ley, D. and Samuels, M.S. (1978), "Introduction: Contexts of Modern Humanism in Geography", pp.1-18, in Ley, D. and Samuels, M.S., (eds.), **Humanistic Geography, Prospects and Problems**, Maroufa Press, Chicago.

Mahalanobis, P.C.(1948-49), 'Physical appearance in relation to ethnological evidence', *Sankhy,* Vol.9, pp.181-202.

Mahendra Dev S., Ajit Ranade (1998), "Rising Food Prices and Rural Poverty Going Beyond Correlations", *Economic and Political Weekly*, Vol.XXXIII(39), September 26 – October 2, pp.25-30.

Maheswhari, J.K., K.K. Singh and S. Saha (1981), The Ethnobotany of the Tharus of Kheri District, Uttar Pradesh. Economic Botany Information Service, National Botanical Research Institute, Lucknow.

Majumdar, D.N. (1942), 'The Tharus and their blood groups', *Journal of the Royal Asiatic Society of Bengal,* Vol.8, pp.25-37.

Majumdar, D.N. (1937), **A Tribe in Transition: A Study in Culture Patterns**, Longman Green & Co., London.

Majumdar, D.N. (1937), 'Some aspects of the economic life of the Bhoksas and Tharus of Nainital Terai'. *Journal of the Anthropological Society of Bombay*, Jubilee Volume, pp.113-135.

Majumdar, D.N. (1944), **The Fortunes of Primitive Tribes**, Universal Publishers, Lucknow.

Majumdar, R.C. (1951), Race Movement and Pre-Historic Culture, The Vedic Age, History and Culture of Indian People, Vol.I, (ed.by) Majumdar, R.C. and A.D. Pusalkar, Allen and Unwin, London.

Majumdar, R.C. and A.D. Pusalkar (1951), The Vedic Age, History and Culture of Indian People, Vol.I, Allen and Unwin, London,.

Majumdar, R.C., H.C. Raychaudhary and K. Dutta (1951), An Advanced History of India, London,

Malamound, C. (1998), "Village and Forest in the Ideology of Brahmanic India", in C. Malamound (ed.), **Cooking the World: Ritual and Thought in Ancient India**, Translated by David White, Oxford University Press, Delhi.

Mamoria, C.B. (1957), **Tribal Demography in India**, Kitab Mahal, Allahabad; Mamoria, C.B. (1957), "Tribes in India – Their Classification", *The Modern Review*, Vol.150(4), pp.278-283.

Marrior, Mekim (ed.) (1973), Village India (in Hindi) Rajasthan Hindi Granth Academy, Jaipur.

Marriott McKim (1961), "Villages India, Little Communities" in **An Indigenous Civilization** (ed.by) McKim Marriott, Asia Publishing House, Mumbai. pp.175-227.

Martin Ravallion (1998), "Reform, Food Prices and Poverty in India", *Economic and Political Weekly*, Vol.XXXIII(1-2).

Massam, B.H. (1976), **Location, Space and Social Administration**, Edward Arnold, London.

Mathur, S. (1967), 'Marriage among the Tharus of Chandanchowki', *Eastern Anthropologist*, Vol.20(1), pp.33-46.

McDonaugh, C. (1984a.), 'The Tharu of Dang: a Study of Social Organisation, Myth and Ritual in West Nepal', Ph.D thesis, University of Oxford.

McLeish, A. (1983), **The Frontier People of India** (1st edn., 1921), Mittal Publication, Delhi.

McPherson, A.M. (1972), **The Human Geography of Alexander von Humboldt**, (Unpublished Ph.D. Thesis, submitted at the University of California), Berkeley (cited in Bowen, 1981).

Meyer K. and P. Duel (1996), 'Who are the Tharus? National minority and identity as manifested in housing forms and practices', in H.O. Skar and G. M. Gurung, (eds,), **Nepal:Tharus and their Neighbours**, Bibliotheca Himalayica/EMR Publications, Kathmandu, forthcoming.

Michael, B.A. (2005), **The Tarai a Part of Moglar or Gorkha, Perspectives from the Time of Anglo-Gorkha War, 1814-1816.**

Minshull, R.M. (1970), **The Changing Nature of Geography**, Hutchinson University Library, London.

Mishra, S.M. (1972), Evaluation of Land Tenure and Land Use in Lower Middle Gomati Valley, *Uttar Bharat Bhoogol Patrika*, Vol.8, p.20.

Mittal, S.K. (1978), **Peasant Uprising and Mahatma Gandhi in North Bihar**, Anu Prakashan, Meerut.

Mohan Rao, M. (1990), **The Kolams a Primitive Tribe in Transition**, Book Links Corporation, Hyderabad, pp.57-58.

Mohanty Gopinath (1962-63), "Evaluation of Tribal Policy", *Adibasi.*

Mohanty, B.B. (1997), "State and Tribal Relationship in Orissa", *Indian Anthropologist*, Vol.27(1), pp.1-17.

Mohanty, B.B. (2001), "Land Distribution Among Scheduled Castes and scheduled Tribes", *Economic and Political Weekly*, October 2001.

Mohanty, B.B. (2003b) "Land and Agriculture Among Scheduled Tribes in Maharashtra", *The Eastern Anthropologist*, Vol.56(2-4), pp.435-488.

Mohapatra, A.C. (1981), "Spatial Dimensions of Tribal Development: A Regional Approach", *Indian Journal of Regional Science*, Vol.XIII(2), pp.113-123.

Mohapatra, P.C. (1987), **Economic Development of Tribal India**, Ashish Publishing House, New Delhi, p.130.

Montek, S. Ahluwalia (1978), "Rural Poverty and Agricultural Performance in India", *Journal of Development Studies*, Vol.14(3), April, pp.298-324.

Montgomery, R.H. (1991), **From Cattle to Cane: The Economic and Social Transformation of Tarai Village, North India**, (Unpublished Ph.D. Thesis), Cambridge University, Cambridge.

Moonis Raza and Aijazuddin Ahmad (1990), **An Atlas of Tribal India**, Concept Publishing Company, New Delhi,.

Moonis Raza, Aijazuddin Ahmad and Nuna, S.C., "Spatial Pattern of Tribal Literacy in India", in Ashish Bose, *et.al*, *op.cit.*, pp.273-296.

Morris Desmand and Peter Marsh (1988), **Tribes**, Pyramid Books, London,

Mortimer Wheeler (1959), **Early India and Pakistan.**

Mukherjee Amitab (1993), "Meaning of Development A Common Man Concern, A Reflections Through Participatory Rural Appraisal Methods", in **Environment and Development**, by Amitab Mukherjee, pp.387-437.

Mukherjee, Radha Kamal (1938), Hindu Civilization (in Hindi), Mumbai,

Mukherji, A.B. (1970), "The Religious Composition of India's Population", *Tijdscbrift roor economische en Sociale Geografic*, Vol.LXI, No.2, pp.91-100.

Mukherji, A.B. (1972), **The Muslim Population of Uttar Pradesh (India): A Spatial Interpretation**, Punjab University Research Bulletin, Chandigarh.

Mukherji, M., Bhattacharya, N. and Chatterji, G.S. (1972), "Poverty in India: Measurement and Amelioration", *Commerce*, August 19, pp.99-114.

Müller-Böker, U. (1993a) 'Ethnobotanical studies among the Citawan Tharus', *Journal of The Nepal Research Centre 9*, pp.17-56.

Müller-Böker, U. (1993b) 'Tharus and Paharyas in Citawan: some observations concerning the question of multiethnicity in Nepal', in G. Toffin, (ed.), **Nepal, Past and Present**, Presses du CNRS, Paris, pp.279-93.

Nag, LK.N.B. (1983), "Factors Determining Adoption of New Agricultural Practices in Tribal Areas – A Quantitative Analysis", *Agricultural Situation in India*, June, pp.127-130.

Naik, T.B. (1956), **The Bhils, Bhartiya Adimjati Sevak Sangh**, Delhi.

NCAER (1963), **Report on Socio-Economic Conditions of Primitive Tribes in Madhya Pradesh**, New Delhi, p.ix.

Nehru, J.L. (1977), **The Discovery of India**, See also (Moonis Raza and Aijazuddin Ahmad), **General Geography of India** (Ch.Unity in Diversity).

Nesfield, J. (1885), "Tribes and Castes in India", *Calcutta Review*, January, Referred in Gazetteer of Champaran.

Nesfield, J.C., Brief Review of Caste System, N.W. Provinces of Agra and Oudh, pp.97-146.

Nevill, H.R. (1903), Unnao: A Gazetteer, Allahabad, Vol.XXXVIII,.

Nevill, H.R. (1905), Kheri: A Gazetteer, the District Gazetteer of the United Provinces of Agra and Oudh, Allahabad, Vol.XLII, p.136.

Nevill, H.R. (1909), Gorakhpur: A Gazetteer, Allahabad, Vol.XXXI, pp.216-217.

Obroi, R.C., T.V. Murty and R.K. Sharma (1989), "Agricultural Development of Tribal Farms", *Indian Journal of Regional Science*, Vol.XXI(2),pp.66-71.

Oldham, W. (1870), Historical and Statistical Memoirs of Ghazipur District, Part I, Allahabad,.

Pandey, B.M. (1968), "Development Schemes as Factors of Change in Rural Areas", *Journal of Social Research*, September,

Pandey, Rajbali (1946), The History of Gorakhpur District and Its Rajput Clans (in Hindi), Thakur Maharam Rao, Gorakhpur, pp.128-161.

Pandey, Rajbali (1962), Prachin Bharat (in Hindi), Nand Kishor and Sons, Varanasi,

Pandey, T.N. (1979), "The Anthropologist – Informant Relationship, The Navajo and Zuni in America and the Tharu in India", in M.N. Srinivas, A.M. Shah and E.A. Ramaswamy (eds.), **The Fieldworker and the Field**, Oxford University Press, Delhi.

Panigrahi, N. (2001), "Impact of State Policies on Management of Land Resources in Tribal Areas in Orissa", *Journal of Man and Development*, Vol.XXIII(1), March 2001.

Parry. N.E. (1932), **The Lakhers**, Macmillan, London.

Parvathamma, C. (1984), **Scheduled Castes and Tribes: A Socio-Economic Survey**, Ashish Publishing House, New Delhi, pp.4-23.

Patel, M.L. (1972), **Agro-economic Survey of Tribal Mands**, People's Publishing House, Delhi.

Patel, M.L. (1972), **Some Aspects of Shifting Cultivation, The Newsletter**, July, Government of India, Department of Social Welfare, New Delhi, pp.23-29.

Patel, M.L. (1982), "Agro-Economic Problems of Tribals in India, in Buddhadeb Choudhury" (ed.), **Tribal Development in India, Problems and Prospects**, Inter-India Publications, Delhi, p.51.

Patel, M.L. (1982), **Agro-Economic Problems of Tribals in India**,

Patel, M.L. (1982), **Agro-Economic Problems of Tribals in India**, *op.cit*, pp.53-54.

Patel, M.L. (1989), "Some Aspects of Educational Development of Tribes", *Bulletin of Cultural Research Institute*, Kolkata, Vol.X(3&4); G.P. Reddy, **Introductory Agriculture in Tribal Community: The Case of Chenchus**, M.K. Raha and P.C. Coomar (eds.), **Tribal India: Problems, Development Prospect**, Vol.II, Gian Publishing House, New Delhi.

Pathy, J. (1992), "The Idea of Tribe and the Indian Scene", in B. Chaudhary (ed.), **Tribal Transformation in India**, Vol.III, **Ethno-Politics and Identity Crisis**, Inter India Publications, Delhi.

Patnaik, N. and S. Bose (1976), "An Integrated Tribal Development Plan for Keonjhar District, Orissa", *National Institute of Community Development*, Hyderabad.

Patnaik, S.M. (2000), "Understanding Involuntary Resettlement: An Anthropological Perspectives", *The Eastern Anthropologist*, Vol.53(1&2).

Pradhan, H. Dev (1937), 'Social economy in the Terai (the Tharus)', *Journal of the United Provinces Historical Society*, Vol.10, pp.59-76.

Pradhan, H. Dev (1938) 'Social economy in the Terai (The Tharus)', *Journal of the United Provinces Historical Society*, Vol.11, pp.51-73.

Prasad, D. (1998), **Smarika: Tharus Mahotsava Bagaha**, Kamla Press, Motihari.

Prasad, Gayatri (2002), ***Sanskritik Bhoogol, Sarda Pustak Bhawan***, Allahabad,.

Prasad, L.M., "A Survey of Administration in Tribal Areas with Special Reference to Bihar", in L.P. Vidyarthi (ed.), **Tribal Development and Its Administration**, *op.cit.*

Prasad, T. (1959), 'Folksongs of the Tharus', *Indian Folklore,* Vol.2, pp.144-148.

Pratap, D.R., "Approach to Tribal Development", in Buddhadeb Choudhury (ed.), **Tribal Development in India: Problems and Prospects**,

Pyakuryal K.N. (1982) '**Ethnicity and Rural Development. A Sociological Study of Four Tharu Villages**', Ph.D thesis, Michigan State University.

Radcliffe-Brown, A.K. (1952), **Structure and Function in Primitive Society**, London.

Radha Krishna, R. (1964), "A Study of Regional Productivity of Agricultural Inputs", *Indian Journal of Agricultural Economics*, Vol.19(1), January-March, pp.237-242.

Raghava Rao, D.V. (1973), **Marketing of Produce and Indebtedness among Tribes**, A.E.K.R. Centre, Andhra University, Waltair.

Raghavaiah, V.R. (1981), "Background of Tribal Struggles in India", pp.12-22; *Ibid*., **Tribal Revolts in Chronological Order**, 1778-1971, pp.23-27; L. Natrajan, The Santhal Insurrection: 1855-56, pp.136-147; in A.R. Desai (ed.), **Peasant Struggles in India**, Oxford University Press, Delhi, Paperback Edition.

Raha, M.K. and J.C. Das, "Constitutional Safeguards for Scheduled Tribes", in Buddhadeb Choudhury (ed.), **Tribal Development in India: Problems and Prospects**, *op.cit.*

Rai, Haridwar, "Politico-Administrative Basis of India, Field Administration", *The Indian Journal of Public Administration*, Vol.XVI(4),

Raj Krishna (1964), "Some Production Functions for the Punjab", *Indian Journal of Agricultural Economics*, Vol.19(3-4), July-December, pp.89-97.

Rajaure, D.P (1977) '**An Anthropological Study of the Tharus of Dang District**', MA thesis, CNAS, Tribhuvan University, Kathmandu.

Ramachandra, K. *et.al.* (2000), "Indebtedness of Households: Changing Characteristics", *Economic and Political Weekly*, Vol.XXXVI(19), pp.1617-1626.

Rath, S.N. and D.K. Behera (1991), **A Glance at the Problems of Education Among the Tribal Child in India: A Socio-Economic Profile**, Anmol Publications, New Delhi, pp.206-207.

Ray, N.R. (1972), "Introductory Address", in K.S. Singh (ed.), **Tribal Situation in India**, Indian Institute of Advanced Studies, Shimla.

Raychaudhary, H.C.(1953), Political History of Ancient India, Kolkata, pp.103-104.

Raza, Moonis (1979), "Defining the Area of Social Geography", in Moonis Raza (ed.), **ICSSR Survey of Research in Geography (1969-72)**, Allied Publishers, New Delhi, pp.63-65.

Raza, Moonis (ed.) (1979), **A Survey of Research in Geography**, Indian Council of Social Science research, New Delhi, pp.63-65.

Raza, Moonis and Aijazuddin Ahmad (1990), An Atlas of Tribal India, Concept Publishing Company, New Delhi.

Redfield Robert (1955), **The Little Community**, University of Chicago Press, Chicago.

Report of the Committee on Tribal Economy in Forest Areas (1967), New Delhi.

Report of the Scheduled Area and Scheduled Tribes Commission, Government of India, New Delhi, p.513. This Commission recommended that shelters in Forest Villages should be granted security of land tenure.

Report of the Steering Group on Development of Backward Classes and Social Welfare for the Fifth Five Year Plan, Planning Commission (1973).

Richthofen, F. von (1883), ***Aufgaben und Methoden der heutigen Geographie*** (Akademische Antittsrede), Veit, Leipzig.

Rigveda 10.75.6 (1908) and also see, Dutta, R.C., Early Hindu Civilization, Kolkata, pp.5-14.

Risley, H.H. (1915), **The People of India**, Oriental Books Reprint Corporation, New Delhi.

Rosser, C. (1966), "Social Mobility in the Newar Caste System", in C. von Furer-Haimendorf (ed.), **Caste and Kin in Nepal India and Ceylon: Anthropological Studies in Hindu-Buddhist Contact Zones**. Asia Publishing House, Mumbai.

Roy Burman, B.K. (1972), "Tribal Demography: A Preliminary Appraisal", in K.S. Singh (ed.), **Tribal Situation in India**, Indian Institute of Advanced Studies, Shimla.

Roy Burman, B.K. (1982), "Transfer and Alienation of Tribal Land", in Buddhadeb Choudhury (ed.), **Tribal Development in India, Problems and Prospects**, Inter-India Publications, Delhi,

Roy Burman, B.K., "Various Dimensions of Land Problems Among the Tribes of India", *Vanyajati*, Vol.XIX(2),.

Russel, R.V. and Hiralal (1916) (Reprint 1974), **The Tribe and Castes of the Central Provinces of India**, Macmillan and Co., London & Cosmo Publications, New Delhi.

Sachau, E.C. (1888), **Alberuni's India**, Trübner & Co., London.

Safi Mohamad (1969), "Can India Support Five Times Her Population", *Science Today*, Vol.3(9), pp.21-36.

Sahay, K.N. (1962), "Christianity as an Agency of Tribal Welfare in India", in L.P. Vidyarthi (ed.), **Applied Anthropology in India**, *op.cit*; M.N. Srinivas, **Caste in Modern India and Other Essays**, Asia Publishing House, Mumbai.

Sarkar, Jayanta and Jyotirmay Chakraborty (eds.) (2003), "Transition, Change and Transformation, Impacting the Tribes in India", *Anthropological Survey of India*, Kolkata.

Schwartzberg, J.E. (1955), "The Distribution of Selected Castes in the North Indian Plain", *Geographical Review*, Vol.55,.

Schwartzberg, Joseph E. (ed.) (1978, 1994), **A Historical Atlas of South Asia**, The University of Chicago Press, Chicago, London.

Shafi, M. (1960), "Measurement of Agricultural Efficiency of Uttar Pradesh", *Economic Geography*, Vol.36(4), pp.296-305.

Shah, Ch. And Shukla, Tara (1956), "An Approach to the Problem of Rural Credit", *Indian Journal of Agricultural Economics*, Vol.XI, No.2,

Shah, Vimal (1967), "Tribal Economy in Gujarat", Paper published in *Tribal*, Vol.IV(2).

Shanmuga Velayuthan, K. (1979), "A Sub-Plan Approach to Tribal Development", *The Indian Journal of Social Work*, Vol.XI(2), July.

Sharda, Prasad (1992), **The Impact of Socio Economic Changes on the Tribal Life of the Tharu in Paschim Champaran Dstrict** (Ph.D dissertation?), Muzaffarpur

Sharma, R.C. (1964b),**Village Suganagar Domri (Tahsil Balrampur, District Gonda).** Village Survey Monograph 3. *Census of India 1961*, Vol. 15, Part 6. The Manager of Publications, Delhi.

Sharma, R.C. (1964a), **Village Rajderwa Tharu (Tashil Balrampur, District Gonda).** Village Survey Monograph 1. *Census of India 1961*, Vol.15, Part 6. The Manager of Publications, Delhi.

Sharma, R.C. (1965), **Village Bankati (Tahsil Nighasan, District Kheri).** Village survey monograph 11, *Census of India 1961*, Vol. 15, Part 6. The Manager of Publications, Delhi.

Sideney, Kerba, Basiruddin Ahmad and Anil Bhatta, **Caste Race and Politics: A Comparative Study of India and the United States**, Sage Publications, London.

Singh and Kahlon (1971), "A Study of Credit Requirements and Advances to Farmers in Patiala District", *Indian Journal of Agricultural Economics*, Vol.XXVI(4),

Singh, B. (1976), "System Approach in Advancement and Measurement of Continuity and Change of Caste Institution: A Case Study of Shahabad Tahsil", *Uttar Bharat Bhoogol Parishad*, Vol.12, No.1, June.

Singh, B.B. (1967), "Land Utilization Efficiency, Stages and Optimum", *U.B.B. Patrika*, Gorakhpur, Vol.7(2), pp.85-101.

Singh, J. (1979), "Central Places and Spatial Organization in a Backward Economy – A Case Study of Gorakhpur Region", *U.B.B. Patrika,* Gorakhpur, pp.79-90.

Singh, K. Suresh (ed.) (1966), **Dust Storm and the Hanging Mist**, Firms K.L. Mukhopadhya, Kolkata.

Singh, K.S. (1978), "Colonial Transformation of Tribal Societies in Middle India", *Economic and Political Weekly*, Vol.XIII(30), July 29, pp.1221-1232.

Singh, K.S. (1985), **Tribal Society in India: An Anthropo-Historical Perspective**, Manohar Publications, New Delhi.

Singh, K.S. (1993), **An Anthropological Atlas**, Vol.XI, People of India, Oxford University Press,

Singh, K.S. (ed.) (1972), **Tribal Situation in India**, Indian Institute of Advanced Study, Shimla.

Singh, Kashi, N. (1974), **Social Pattern and Space Articulation in the Indian Villages**, Vasundhara Prakashan, Gorakhpur.

Singh, L R.. (1956), 'The Tharus: a study in human ecology', *NGJL,* Vol. 2(3), pp.153-166.

Singh, L R.. (1965), **The Terai Region of UP, a Study in Human Geography**, Ram Narain Lal Beni, Allahabad.

Singh, P. Kumar (1983), **A Tribe in Transition with Special Reference to Tharus of West Champaran, Bihar**, Ph,D thesis, University of Gorakhpur.

Singh, R.B. (1975), "Rajput Clan Settlement of Varanasi District", *National Geographical Society of India*, Varanasi

Singh, R.B. (1975), Rajput Clan Settlements in Varanasi District, *N.G.J.I.*, Varanasi,

Singh, R.L. (1955), Evolution of Rural Settlements in the Middle Ganga Valley, *N.G.J.I.*, Varanasi.

Singh, R.L. (1955), Evolution of Settlements in the Middle Ganga Valley, *N.G.J.I.*, Vol.1,

Singh, R.L. (1974), Evolution of Clan Territorial Units through Land Occupancy in the Middle Ganga Valley, *N.G.J.I.*, Vol.20.

Singh, R.L. (ed.) (1971), India: A Regional Geography, *N.G.S.S.I.*, Varanasi,.

Singh, R.L. and Kashi N. Singh (1963), Evolution of Medieval Towns in the Saryupar Plain of the Middle Ganga Valley, A Case Study, *N.G.J.I.*, Vol.9.

Singh, Ramesh P. (1979), "Educating Tribal Adolescents: Problems and Prospects", *Tribe*, Vol.12(1).

Singh, Rana P.B. (1975), "Distribution of Castes and Search for a New Theory of Caste Ranking: A Case Study of Saran Plain (Bihar)", *N.G.J.I.*, Vol.21.

Singh, Rana, P.B. (1977), Clan Settlements in the Saran Plain (Middle Ganga Valley): A Study in Cultural Geography, *N.G.J.I.,* Varanasi.

Singh, S.M. (1962), The Ancient Bhars and Their Ruined Settlements in the Ganga Ghaghra Doab West, *N.G.J.I,* Vol.8.

Singh, Sheo Mangal, "The Ancient Bhars and Their Ruined Settlement in the Ganga Ghaghra Doab West", *N.G.J.I.*, Vol.8, pp.183-196.

Sinha, B.N. (1964), "Agricultural Efficiency in India", *The Geographer*, Vol.XV, November, Special No.XXI, International Geographical Congress, pp.101-127.

Sinha, S.P. (1986), "Tribal Development Administration", in L.P. Vidyarthi (ed.), **Tribal Development and Its Administration**, Concept Publishing Company, New Delhi.

Sinha, S.P., "Tribal Development Administration-A Historical Overview", in L.P. Vidyarthi (ed.), **Tribal Development and Its Administration**, Concept Publishing Company, New Delhi, pp.65 & 73.

Sinha, Surjit (1962), "State Formation and Jajput Myth in Tribal Central India", *Man in India,* Vol.42(1), pp.35-80.

Sitapathi, G.V. (1945), "Interpenetration of the Aryan and the Aboriginal Cultures with Special Reference to the Soras" (Savaras), Proceedings of 32nd ISC, Part III, Nagpur, Reprinted from the *Quarterly Journal of the Mythic Society*, Bangalore, 1950.

Skar, H.O. and G.M. Gurung (1996), **Nepal: Tharus and their Neighbours,** Kathmandu: Bibliotheca Himalayica/EMR Publications, forthcoming.

Smelser. N.J. (1964), "Toward a Theory of Modernisation", in Etzioni, A. and E. (eds.), **Social Change: Sources, Patterns and Consequences**, London, pp.258-274.

Smith, David M. (1979), **Where the Grass is Greener: Living in an Unequal World**, Penguin Books Australia Ltd., Victoria.

Sohoni, S. V. (1955), 'Tharu songs', *Journal of the Bihar Research Society*, Vol.42, pp.332-339.

Sopher, D.A., "Rohilkhand and Oudh: An Exploration of Social Gradients Across a Political Frontier", in Fox R.G. (ed.), **Realm and Regions of Traditional India**, Vikas Publications, New Delhi, pp.283-300.

Spate, O.H.K. (1954), **India and Pakistan** (Ch. Historical Outlines).

Spate, O.H.K. (1960), "Quality and Quantity in Geography", *Annals of the Association of American Geographers*, Vol.50, pp.477-494.

Sreekumar, T.T. (2002), "Democracy, Development and New Forms of Social Movements", *The Indian Journal of Labour Economics*, Vol.45(2).

Srinivas, M.N. (1986), **India: Social Structure**, Hindustan Publishing Corporation, Delhi.

Srivastava, R. P. (1964), 'Further data on non-tasters among the Tharus of Uttar Pradesh', *Eastern Anthropologist,* Vol.17(1), pp.19-22.

Srivastava, R. P. (1965a), 'Blood Groups in the Tharus of Uttar Pradesh and their bearing on ethnic and genetic relationships', *Human Biology*, Vol.37, pp.1-12.

Srivastava, R. P. (1965b), 'A quantitative analysis of the fingerprints of the Tharus of Uttar Pradesh', *American Journal of Physical Anthropology,* Vol.23, pp.99-106.

Srivastava, S.K (1949-50), 'Some problems of culture contact among the Tharus', *Eastern Anthropologist,* Vol.3, pp.36-39.

Srivastava, S.K. (1949), 'The Diwali festival among the Tharus', *Man in India,* Vol.29(1), pp.29-35.

Srivastava, S.K. (1958), **The Tharus: a Study in Culture Dynamics**, Agra University Press, Agra.

Srivastava, S.K. (1951), **The Tharus: a Study in Cultural Dynamics**, PhD thesis, University of Lucknow.

Srivastava, S.K. (1996), 'Culture dynamics among the Rana Tharus. The past in the present', in H.O. Skar and G. M. Gurung, (eds.), **Nepal: Tharus and their Neighbours**, Bibliotheca Himalayica/EMR Publications, Kathmandu, forthcoming.

Srivastava, S.K. 'Spring festival among the Tharus', Eastern Anthropologist 2(1), 1948-49, 27-33.

Srivastava, S.K.(1956), 'Directed cultural change among the Tharus', *Agra University Journal of Research Letters,* Vol.4, pp.53-69.

Srivastava, V.K. (1994), "Indian Tribals: An Overview", *The Toppers' India*, Vol.1(1), pp.25-30 and Vol.1(2), pp.30-32.

Srivastava, V.K. (2003), "Some Responses of Communities to Social Tensions in India", *Anthropos*, Vol.98, pp.157-165.

Stanley, W. (1996), "Machkund, Upper Kolab and Nalco Project in Koraput District, Orissa", *Economic and Political Weekly*, Vol.XXXI(24), pp.1533-1538.

Stewart, J.Q. and Warntz, W. (1958), "Macrogeography and Social Science", *Geographical Review*, Vol.48, pp.167-184.

Subba Reddy. S. (1977), "Crisis of Confidence among the Tribal People and the Naxalite Movement in Srikakulam District", *Human Organization*, Vol.36(1).

Subbarao, B. (1958), **The Personality of India: Early India and Pakistan**, M.S. University, Baroda.

Sujatha, K. (1988), "Tribal Education in India, Perspectives in Education", *A Journal of the Society for Education Research and Development*, Vol.4(4).

Sundaram, K.V. (1993), "Emerging New Development Paradigm - Issues Considerations and Research Agenda", in **Environment and Development** by Amitav Mukherjee and V.K. Agnihotri, Serial Publications, Delhi, pp.69-90

Tatham, G. (1951), "Geography in the Nineteenth Century", in Taylor, G. (ed.), **Geography in the Twentieth Century**, Methuen, London, pp.28-69.

Thapar, Romesh (ed.) (1977), **Tribe, Caste and Religion**, The Macmillan Company of India Ltd., Delhi.

Thurnwald, R. (1933), **Nomads**, *Encyclopaedia of Social Sciences*.

Thurston, E. (1987), **Castes and Tribes of Southern India**, Vol.VI, p.305, Vol.III.

Tilak, Bal Gangadhar (1925), The Arctic Home in the Vedas, Poona.

Tiwari, U.D. (1960), **The Origin and Development of Bhojpuri,** The Asiatic Society Monograph Series 10, The Asiatic Society, Kolkata.

Topal, Y.S., Pant, R., Samal, P.K. (2005),"Development Interventions Realizations and Peoples Perception: Case Study of a Tribal Village of Central Himalaya", *Internet*.

Trewartha, G.T. (1975), **Tribal Development: Retrospect and Prospect**, New Delhi.

Upadhyay, R. and R. Tripathi (1982), "*Tharu Janjati Mein Bhumi Hastantaran Ki Samasya, Ek Addhayayan*", *Manav*, Vol.3&4, pp.165-170.

Uprethi, B.C. (2006), **Politics of Citizenship in Nepal – Issues in Discrimination and Marginalization of Tarai.**

Urry, J. (1987), "Society, Space and Locality, Environment and Planning", *Society and Space*, Vol.5, pp.435-444.

Urry, J. (1989), "Sociology and Geography", in Peet, R. and Thrift, N. (eds.), **New Models in Geography**, Vol.2, Unwin Hyman, London, Ch.12, pp.295-317.

Vaid, V.C. (1921), History of Medieval Hindu India, 600-800 AD, Vol.I, Poona.

Verma, M.M. (1996), **Tribal Development in India: Programmes or Perceptions**, Vedars Books Pvt. Ltd., New Delhi.

Verma, M.M. (1998), "On Probation: Dangers of Blanket Solution", *Economic and Political Weekly*, Vol.XXXIII(16), pp.877-879.

Verma, N.K. (1993), "The Decipherment of Indus Script", *Social Change- Issues and Perspectives*, Vol.23(2-3).

Verma, R.C. (1990), **Tribes of India Though the Ages**, Publications Division, Ministry of Information and Broadcasting, Delhi.

Verrier Elwin (1963), **New Deal for Tribal India**, Government of India, New Delhi.

Vidyarthi, L.P.(1963), **The Maler – A Case Study in Nature Man – Spirit Complex of a Hill Tribe in Bihar**, Book Land, Kolkata.

Virginius Xana (1999), "Transformation of Tribes in India – Terms of Discourse", *Economic and Political Weekly*, June 12.

Wadia, F.K. (1976), "Control of Shifting Cultivation in North-Eastern Region", *Prajna*, Vol.3, July-September, p.315.

Watson, J.W. (1979), **Social Geography of United States**, Logman, London and New York.

Wilke Arthur, Fran French and Raj P. Mohan (1979), "Tribal India, Uninternational Acculturation", *Bulletin of the International Committee on Urgent Anthropological and Ethnological Research*, No.21.

Yadav, Phool Chandra (1976-86), **Acculturation among the Tribes in Uttar Pradesh with Particular Reference to the Tharus of Gorakhpur District**, PhD thesis, University of Gorakhpur.

Zipf, G.K. (1949), **Human Behaviour and the Principal of Least Effort**, Addison-Wesley Press, Cambridge (Mass).

-------:0:-------

परिशिष्ट
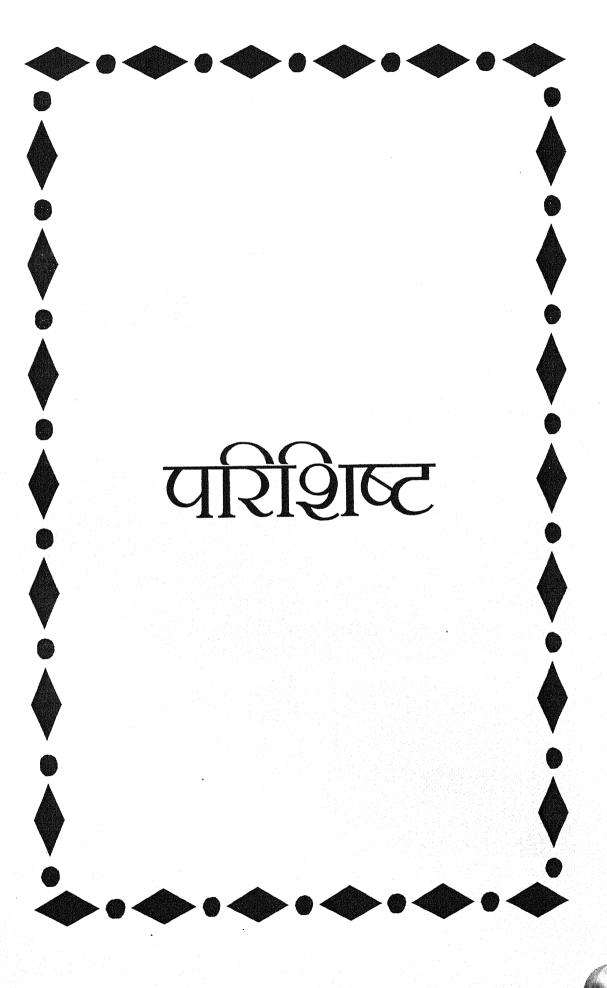
कुछ दंगुरिया थारु युवक–धर्मापुर (बहराइच)
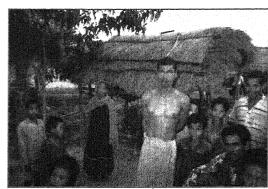
दंगुरिया थारु परिवार–भौरीसाल (बलरामपुर)

ग्राम प्रधान–कंटकुंइयां कला (श्रावस्ती)
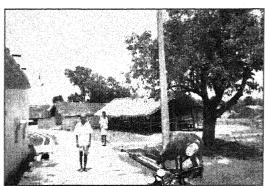
दंगुरिया थारु वृद्ध भचकाही (श्रावस्ती)
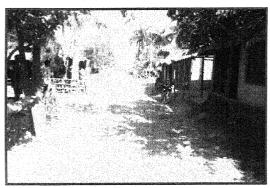
सड़क पर स्थित गांव का विकास –चन्दनपुर (बलरामपुर)

गांव बनकटी (श्रावस्ती)

सिनेमा के शौकीन थारु–बेलापरसुवा (लखीमपुर खीरी)

सर्वेक्षण के दौरान–ग्राम भौंरीशाल (बलरापुर)

सड़क पर स्थित थारु गांव–चन्दनपुर

पशुओं को चराता थारु वृद्ध–चन्दनपुर

थारु के दोमंजिले छप्पर के आवास–चन्दनचौकी

लकड़ी के बाड़े से घिरा पशु आवास

पूजा स्थल मंदिर के रुप में – आंबा (बहराइच)

वनग्राम नरिहवा (बलरामपुर) का थारु आवास

हमारे वस्त्र भी बदल रहे हैं

हम तो कमिशनर से सीधे बात करित है–प्रधान बेलापरसुआ

बलि में मुर्गा की प्रमुखता

प्राथमिक विद्यालय–फकीरपुरी (बहराइच)

घाघरा का उद्गम स्थल–लखीमपुर

पशु चराते थारु बच्चे–भौंरीसाल (बलरामपुर)
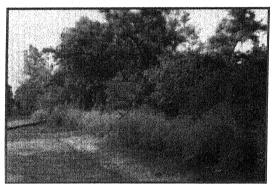
दुधवा नेशनल पार्क–लखीमपुर खीरी
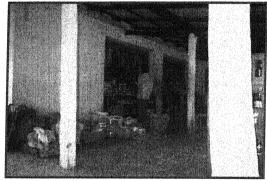
थारु गांव में परचून की दुकान–चन्दनचौकी

ग्राम भट्ठा–लखीमपुर खीरी
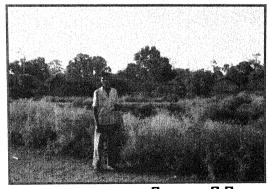
राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय–कटकुईया (श्रावस्ती)

मेरे पास आवास भी नहीं है-भौंरीसाल (बलरामपुर)
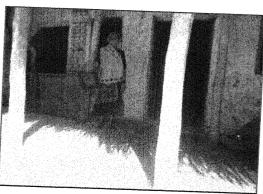
कठरिया थारु वृद्ध महिला
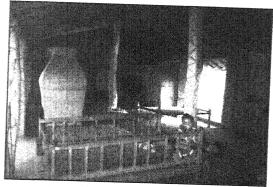
कुठलायुक्त दंगुरिया थारु घर

कठरिया थारु परिवार-चौफेरी (लखीमपुर)

कठरिया थारु वृद्ध-बेलापरसुआ

जागरुक दंगुरिया थारु वृद्ध-फकीरपुरी (बहराइच)

प्जक्ट खीरी के परियोजना निदेशक

राना थारु के दोमंजिले खप्पर के मकान

मछली पकड़ने हेतु छपरिया बनाते

वन देवता पूजा स्थल

थारू कृषि यंत्र

थारू घरों में बर्तन

हम साथ–साथ दारू पीते हैं
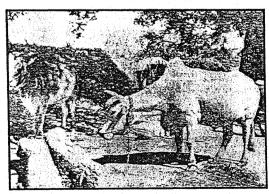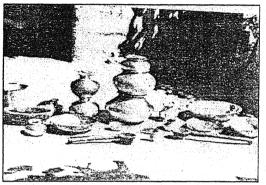
मछली पकड़ने का यंत्र बनाता थारू

थारू घरों में पशु पालन
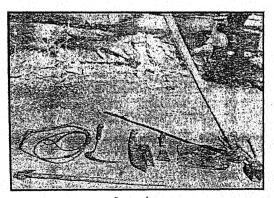
कृषि औजार

चयनित जनपदों में विकास खण्डों का सामाजिक–आर्थिक विकास स्तर सूचकांक

(मानक संख्या रूपांतरण विधि)

क्र. सं.	विकास खण्ड	कुल साक्षरता	महिला साक्षरता	लिंगानुपात	ग्रामीण बैंकों की संख्या	ग्रामीण शीतगृह	पशु अस्पताल सं0	पंजीकृत उद्योग सं0	सड़कों की लम्बाई	विद्युतीकृत गांव	ट्रैक्टर सं0	शु0 बो0 क्षे0 में स0 बो0 क्षे0 का प्रति0	प्रति हे0 उ0 प्रयोग	शु0 बो0 क्षे0 में सिं0 क्षे0 का प्रति0	प्रति व्य0 आ0 उत्पादन	विकास खण्डों में अवस्थापनात्मक स0	क्रम संख्या	कृषि समेत कुलसू0	क्रम संख्या
1.	पलिया	0.06	0.30	0.03	-0.34	0.00	0.06	0.02	0.10	0.08	0.10	-2.30	0.02	-0.01	1.42	0.42	17	-0.46	24
2.	निघासन	-0.19	-0.08	0.01	0.42	-0.03	1.41	0.01	-0.01	-0.04	0.06	-1.18	0.00	0.05	1.46	1.57	9	1.91	13
3.	रमिया बेहर	-0.18	-0.13	-0.03	0.42	0.00	-1.28	0.34	-0.04	-0.05	0.01	-2.35	0.00	0.07	1.47	-0.95	33	-1.75	30
4.	कुम्भीगोला	0.32	0.52	-0.01	-0.34	0.04	1.41	0.01	0.07	-0.01	0.00	-0.58	0.04	-0.01	1.05	2.02	8	2.53	9
5.	बिजुआ	-0.07	0.03	0.00	-0.34	0.04	1.41	0.15	0.00	-0.03	0.02	-3.40	0.01	0.05	1.01	1.22	10	-1.12	27
6.	बांकेगंज	0.18	0.29	0.00	-1.10	0.00	0.06	0.18	-0.02	-0.06	0.00	-1.43	0.02	-0.02	0.21	-0.47	26	-1.70	29
7.	मोहम्दी	0.12	0.17	-0.03	-0.34	0.09	-1.28	-0.01	0.01	0.02	0.03	1.42	0.02	0.06	0.83	-1.22	37	1.11	15
8.	मितौली	0.45	0.74	-0.01	-1.86	0.12	0.06	0.02	-0.02	0.02	0.02	-1.41	0.01	0.05	1.43	-0.45	25	-0.36	23
9.	पशगवाँ	0.35	0.61	-0.05	0.42	0.12	1.41	-0.04	0.02	-0.01	0.04	-1.25	0.02	0.00	0.66	2.88	2	2.31	11
10.	बेहजम	0.39	0.60	-0.01	-1.86	0.07	0.06	-0.03	0.08	0.05	0.02	-1.30	0.02	-0.03	-1.49	-0.62	29	-3.42	37
11.	लखीमपुर	0.37	0.56	0.01	-1.86	0.02	0.06	0.19	0.01	0.09	0.03	2.41	0.05	0.01	0.25	-0.51	28	2.21	12
12.	फूलबेहर	-0.03	0.02	0.01	-0.34	0.04	0.06	0.26	-0.04	0.02	0.03	0.39	0.01	0.04	-1.18	0.05	21	-0.69	27
13.	नकहा	-0.08	-0.06	-0.02	-1.10	0.00	0.06	0.07	-0.02	0.01	0.00	-2.58	0.02	-0.02	0.83	-1.15	35	-2.89	35
14.	धौरहरा	-0.21	-0.22	-0.02	-0.34	-0.05	-1.28	0.06	-0.02	-0.06	0.00	0.66	0.02	0.02	1.47	-2.13	42	0.04	20
15.	ईशानगर	-0.11	-0.14	-0.03	0.42	0.04	0.06	0.04	-0.01	-0.04	0.04	1.36	0.00	0.02	1.47	0.27	18	3.13	7
16.	मिहिपुरवा	-0.11	-0.15	0.01	0.42	-0.03	0.06	-0.03	0.04	0.04	0.01	-1.84	-0.02	-0.03	1.02	0.26	19	-0.61	26
17.	नवाबगंज	0.00	-0.08	-0.01	-0.34	-0.05	0.06	-0.05	0.00	-0.03	-0.02	2.17	-0.01	-0.01	-2.03	-0.51	28	-0.40	25
18.	बलहा	-0.17	-0.30	-0.02	1.18	-0.05	-1.28	-0.02	0.00	-0.03	-0.02	2.11	-0.01	-0.04	-5.91	-0.71	30	-4.56	39
19.	शिवपुर	-0.21	-0.30	-0.03	1.18	0.12	0.06	-0.05	-0.03	-0.02	-0.02	2.80	-0.02	-0.04	-5.24	0.70	15	-1.80	31
20.	रिसिया	-0.06	-0.26	0.00	-0.34	0.00	-1.28	-0.05	-0.01	-0.04	-0.02	1.25	-0.01	-0.04	1.47	-2.06	40	0.62	17
21.	चित्तौरा	-0.07	-0.11	-0.02	1.18	0.02	1.41	0.03	0.04	0.03	-0.02	1.04	0.00	-0.01	1.43	2.48	4	4.95	3
22.	महशी	0.06	0.09	0.01	1.18	0.04	0.06	-0.05	0.02	-0.05	-0.03	4.64	-0.01	-0.03	-1.37	1.34	9	4.56	4
23.	तजवापुर	-0.05	-0.10	-0.01	1.18	0.04	2.76	-0.05	-0.02	-0.06	-0.03	4.00	-0.01	-0.03	-7.12	3.67	1	0.52	18
24.	फखरपुर	-0.04	-0.05	0.00	0.42	0.14	0.06	-0.05	0.00	-0.03	-0.02	-1.18	-0.01	-0.01	-1.94	0.45	16	-2.70	34
25.	हुजुरपुर	-0.10	-0.21	0.01	1.18	0.07	0.06	-0.05	-0.03	-0.01	-0.02	-1.59	-0.01	-0.03	1.34	0.92	11	0.64	16
26.	कैसरगंज	0.04	0.06	0.00	1.18	0.07	0.06	-0.05	-0.01	0.00	-0.02	-5.43	-0.01	-0.02	1.45	1.34	9	-2.67	33
27.	जरवल	-0.01	0.01	0.00	0.42	0.07	-1.28	-0.05	-0.02	0.01	-0.02	-8.77	0.00	-0.03	1.46	-0.87	32	-8.20	42
28.	पयागपुर	0.30	0.29	-0.01	0.42	0.02	1.41	-0.04	0.01	-0.05	-0.01	5.32	-0.02	-0.02	1.47	2.35	5	9.11	1
29.	विशेश्वरगंज	0.22	0.15	0.00	0.42	0.02	0.06	-0.05	-0.04	-0.04	-0.01	1.74	-0.02	-0.02	1.47	0.74	13	3.92	6
30.	जमुनाहा	-0.18	-0.39	0.00	0.42	-0.19	0.06	-0.05	0.01	-0.01	-0.03	-1.00	-0.01	-0.03	-0.24	-0.36	23	-1.63	28
31.	इकौना	0.04	-0.09	-0.01	-0.34	-0.19	1.41	-0.05	0.01	0.04	-0.03	2.11	0.00	-0.02	1.08	0.79	13	3.96	5
32.	हरिहरपुर रानी	-0.10	-0.22	-0.05	-0.34	0.37	0.06	-0.05	-0.01	-0.04	-0.03	0.75	-0.01	-0.01	1.18	-0.40	24	1.51	14
33.	सिरसिया	-0.25	-0.45	-0.04	0.42	0.54	2.73	-0.05	-0.02	-0.04	-0.01	-1.96	-0.01	-0.04	-0.82	2.83	3	0.00	21
34.	गिलौला	-0.01	-0.15	-0.05	1.95	0.21	0.06	-0.05	0.00	0.10	0.00	0.99	-0.01	-0.03	-0.18	2.07	6	2.85	8
35.	हरैया सतघरवा	-0.18	-0.37	-0.05	-0.34	-0.19	0.06	-0.05	-0.01	-0.04	0.00	0.57	-0.01	-0.03	-2.27	-1.16	36	-2.91	36
36.	बलरामपुर	0.02	0.02	-0.01	-1.10	-0.19	0.06	-0.05	0.03	0.08	-0.01	0.56	-0.01	-0.05	1.00	-1.13	34	0.36	24
37.	तुलसीपुर	-0.19	-0.18	-0.01	-0.34	-0.19	0.06	-0.05	0.01	0.04	-0.01	-1.33	-0.01	0.03	0.17	-0.86	31	-2.00	32
38.	गेसड़ी	-0.17	-0.18	0.00	-0.34	-0.19	-1.28	-0.05	0.02	0.08	-0.01	-2.78	-0.01	0.00	-2.16	-2.12	41	-7.08	41
39.	पचपेड़वा	-0.03	-0.06	0.03	-0.34	-0.19	-1.28	-0.05	0.00	0.09	-0.01	5.07	-0.01	0.10	-0.84	-1.85	38	2.48	10
40.	श्री दत्तगंज	-0.10	-0.13	0.09	0.42	-0.19	0.06	-0.05	-0.01	0.00	-0.01	6.64	0.00	0.13	1.14	0.09	20	8.00	2
41.	उत्तरौला	-0.06	-0.14	0.12	-1.10	-0.19	-2.63	-0.05	-0.01	0.04	-0.01	2.78	0.00	-0.02	1.22	-4.02	43	-0.03	22
42.	गेंडास बुजुर्ग	-0.04	0.02	0.08	-0.34	-0.19	-1.28	-0.05	-0.04	-0.05	-0.01	-4.80	0.01	0.07	1.24	-1.90	39	-5.38	40
43.	रेहरा बाजार	0.05	0.07	0.10	-0.34	-0.19	-2.63	-0.05	-0.02	-0.01	0.00	-2.19	0.00	-0.03	1.15	-3.04	42	-4.10	38

स्रोत : लखीमपुर, बहराइच, श्रावस्ती एवं बलरामपुर जनपद की जनपद सांख्यिकीय पत्रिका, 2004, योजना आयोग उत्तर प्रदेश।

चयनित जनपदों में सामाजिक-आर्थिक विकास का विविध संकेतांकों के आधार पर तुलनात्मक अवलोकन

क्रम सं.	आधार	लखीमपुर	बहराइच	अवधि	बलरामपुर	उ. प्र.
1.	भौगोलिक क्षेत्रफल	7680	4420	24.58	3349	240928
2.	कुल जनसंख्या	3207	2381	1176	1682	166198
3.	जनसंख्या में 10 वर्ष में प्रतिशत वृद्धि	32.59	29.41	27.45	22.89	25.91
4.	जनसंख्या का घनत्व	418	539	479	502	690
5.	प्रति हजार पुरूषों पर स्त्रियों की संख्या (लिंगानुपात)	871	867	862	895	898
6.	नगरीय जनसंख्या का कुल जनसंख्या से प्रतिशत	10.8	10.0	2.8	8.1	20.8
7.	जनपदवार जनसंख्या का प्रदेश की जनसंख्या से प्रतिशत	1.9	1.4	0.7	1.0	100
8.	अनुसूचित जाति की जनपदवार जनसंख्या का कुल जनसंख्या से प्रतिशत	25.6	14.4	18.4	13.5	21.1
9.	अनुसूचित जाति जनसंख्या का प्रदेश की कुल अनु जाति जन से प्रतिशत	2.3	1.0	0.6	0.6	100
10.	अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या का कुल जनसंख्या से प्रतिशत	1.2	0.4	0.4	1.1	0.1
11.	अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या का प्रदेश की अनु जन जन से प्रतिशत	35.2	17.9	4.4	17.9	100
12.	प्रतिलाख जनसंख्या पर एलोपैथिक चिकित्सालयों/औषधालयों की संख्या	2.32	2.84	1.24	2.43	2.82
13.	प्रतिलाख जन पर एलोपैथिक चिकि/औषधालयों में शैयाओं की संख्या	20.13	35.58	10.87	30.29	41.16
14.	प्रतिलाख जन पर आयुर्वेदिक/होम्योपैकिक/यूनानी औषधालयों की संख्या	1.81	2.11	1.48	2.08	2.10
15.	प्रतिलाख जन पर आयुर्वेदिक/होम्योपैथिक/यूनानी औषधालयों में शैया सं	5.45	592	1.98	5.61	6.04
16.	प्रतिलाख जनसंख्या पर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों की संख्या	2.14	2.31	0.25	0.58	1.95
17.	प्रतिलाख जनसंख्या पर मातृ एवं शिशु कल्याण केन्द्र/उपकेन्द्रों की संख्या	12.27	11.91	14.17	12.49	11.69
18.	पेयजल सुविधायुक्त मजरों का कुल मजरों की संख्या से प्रतिशत	100	100	100	100	100
19.	साक्षरता प्रतिशत कुल	48.39	35.16	33.82	34.60	56.27
20.	पुरूष साक्षरता प्रतिशत	59.50	45.50	46.67	45.84	68.82
21.	महिला साक्षरता प्रतिशत	35.38	22.78	18.50	21.79	42.22
22.	जू. बे. विद्यालय	63	63	68	62	68
23.	जू. बे. विद्यालय	14	10	10	10	10
24.	उ. म. विद्यालय विभिन्न शैक्षिक स्तरों पर प्रति अध्यापक पर छात्र संख्या	3	3	3	3	7
25.	जू. बे. विद्यालय	95	129	56	106	86
26.	सी. बे. विद्यालय	35	110	38	93	68
27.	उ. म. विद्यालय	112	120	44	57	46
28.	प्रति लाख जनसंख्या पर औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों की संख्या	0.06	0.00	0.00	0.00	0.08

29.	प्रति लाख जनसंख्या पर बहुधंधी तकनीकी संस्थानों की संख्या	0.03	0.04	-	-	0.04
30.	प्रति लाख जन पर लोक निर्माण विभाग के अधीन पक्की सड़कों की लम्बाई	54.96	61.26	46.86	59.02	76.62
31.	प्रति हजार वर्ग कि.मी. क्षे पर लो नि वि के अधीन पक्की सड़कों की लम्बाई	237.89	342.08	236.67	3.04.87	551.37
32.	प्रति लाख जनसंख्या पर कुल पक्की सड़कों की लम्बाई	62.70	67.17	53.18	60.41	82.38
33.	प्रति हजार वर्ग किमी. पर कुल पक्की सड़कों की लम्बाई	265.76	367.87	257.93	307.55	582.47
34.	प्रति व्यक्ति विद्युत उपभोग की मात्रा	63.9	62.5	-	52.7	176.3
35.	कुल उपभुक्त विद्युत में से कृषि में उपभुक्त विद्युत का प्रतिशत	39.7	31.6	-	32.7	18.7
36.	उद्योग में प्रयुक्त विद्युत का कुल विद्युत उपभोग से प्रतिशत	5.1	9.1	-	4.6	31.3
37.	घरेलू उपयोग में प्रयुक्त विद्युत का कुल विद्युत उपभोग से प्रतिशत	48.7	48.8	-	50.5	36.5
38.	विद्युतीकृत ग्रामों का कुल आबाद ग्रामों से प्रतिशत	61.1	61.1	-	-	57.9
39.	कुल अवशेष जल का कुल भूमिगत जल से प्रतिशत	29.0	49.0	45	63.0	46
40.	शुद्ध सिंचित क्षेत्रफल का शुद्ध बोये गये क्षेत्रफल से प्रतिशत	67.5	42.9	42.1	39.2	76.3
41.	कुल सिंचित क्षेत्रफल का कुल बोये गये क्षेत्रफल से प्रतिशत	71.8	29.9	29.0	30.8	716
42.	राज्य में कुल पम्पिंग सेटों/नलकूपों का प्रतिशत वितरण	2.9	1.5	1.1	1.3	100
43.	निजी पम्पिंग सेट/नलकूप	2.5	2.2	-	1.0	100
44.	नहर सिंचित क्षेत्र का प्रतिशत	8.2	10.2	0.2	6.9	21.2
45.	राजकीय नलकूप सिंचित क्षेत्र का प्रतिशत	1.4	7.2	10.6	2.6	3.5
46.	निजी नलकूप सिंचित क्षेत्र का प्रतिशत	89.9	65.2	75.4	84.2	67.9
47.	अन्य स्रोतों से सिंचित क्षेत्र का प्रतिशत	0.1	0.1	0.0	0.4	0.9
48.	प्रति लाख जनसंख्या पर तारघरों की संख्या	0.4	0.2	0.1	0.3	0.5
49.	प्रति लाख जनसंख्या पर डाकघरों की संख्या	11.6	11.0	9.3	9.6	10.3
50.	प्रतिलाख जनसंख्या पर दूरभाष कनेक्शनों की संख्या	1021	839	113	252	1523
51.	प्रति लाख जनसंख्या पर पी.सी.ओ. की संख्या	27.98	37.03	9.06	7.11	71.94
52.	बाढ़ से प्रभावित क्षेत्रफल का खरीफ क्षेत्रफल से प्रतिशत	2.57	4.76	-	0.10	2.45
53.	बाढ़ से प्रभावित जनसंख्या का कुल जनसंख्या से प्रतिशत	1.08	0.25	0.33	2.04	9.05
54.	शुद्ध बोये गये क्षेत्रफल का कृषि योग्य भूमि से प्रतिशत	89.90	91.17	94.28	91.61	86.64
55.	फसल सघनता	149.93	156.42	158.10	152.48	151.36
56.	प्रति है, सकल बोये गये क्षेत्रफल पर कुल उर्वरक वितरण	108.80	50.81	43.45	50.44	96.64
57.	प्रति है, सकल बोये गये क्षेत्रफल पर कृषि उपज का सकल मूल्य	26092	13776	13313	16405	21218
58.	प्रति है, शुद्ध बोये गये क्षेत्रफल पर कृषि उपज का सकल मूल्य	38072	20908	20594	27142	31910

59.	प्रति है, शुद्ध बोये गये क्षेत्रफल पर विनियमित मण्डियों की संख्या	3.5	2.4	0.8	1.9	3.5
60.	प्रति ग्रामीण व्यक्ति पर शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल	0.16	0.15	0.11	0.13	0.12
61.	कुल खाद्यान्न उत्पादन हजार मिट्रीक टन	11081.62	844.230	339.867	466.352	44134.07 6
62.	औसत उपज कुन्तल प्रति हेक्टेयर	25.71	17.89	17.66	17.97	2164
63.	गेंहू उत्पादन हजार मिट्रीक टन	589.6	387.2	151.4	207.7	25498.0
64.	गेंहू औसत उपज कुन्तल प्रति हेक्टेयर	29.88	2482	25.02	22.86	27.55
65.	चावल उत्पादन हजार मिट्रीक टन	484.3	299.1	142.2	220.1	12855.5
66.	चावल औसत उपज कुन्तल प्रति हेक्टेयर	25.83	19.20	192.7	18.96	21.17
67.	तिलहन उत्पादन हजार मिट्रीक टन	29.8	7.6	2.50	10.8	725.1
68.	तिलहन औसत उपज कुन्तल प्रति हेक्टेयर	6.65	7.20	6.10	6.32	8.69
69.	गन्ना उत्पादन हजार मिट्रीक टन	11500.4	1182.7	159.7	20308	117481.5
70.	गन्ना औसत उपज कुन्तल प्रति हेक्टेयर	532.5	546.6	522.7	529.3	579.80
71.	जनपद के प्रतिवेदित क्षेत्रफल का प्रदेश के प्रतिवेदित क्षेत्रफल से प्रतिशत	3.2	2.00	.8	1.3	100.00
72.	ऊसर भूमि का प्रतिवेदित क्षेत्रफल से प्रतिशत	0.5	.8	.4	1.11	2.5
73.	शुद्ध बोये गये क्षेत्रफल का कुल प्रतिवेदित क्षेत्रफल से प्रतिशत	61.8	68.1	66.1	64.7	69.5
74.	वन के अन्तर्गत क्षेत्रफल का कुल प्रतिवेदित क्षेत्रफल से प्रतिशत	21.1	13.9	17.8	18.1	7.0
75.	प्रति व्यक्ति खाद्यान्न का उत्पादन	346.3	354.1	289.2	276.7	265.7
76.	प्रति व्यक्ति दलहन का उत्पादन	6.5	10.0	17.7	19.0	14.3
77.	प्रति हेक्टेयर शुद्ध बोये गये क्षेत्रफल पर पशुधन की संख्या	2.56	2.95	3.94	3.46	3.36
78.	प्रति हजार जनसंख्या पर पशुधन की संख्या	369	39.6	414	421	330
79.	कृषि योग्य भूमि का प्रतिवेदित क्षेत्रफल से प्रतिशत	68.7	74.7	70.2	70.6	80.2
80.	प्रति ट्रैक्टर पर सकल बोये गये क्षेत्रफल की उपलब्धता	28.75	69.3	252.4	207.43	38.08
81.	प्रति पशु चिकित्सालय पर पशुधन की संख्या	31428	29596	38666	45520	29109
82.	प्रति पशुधन विकास केन्द्र पर पशुधन की संख्या	38303	42463	16233	42842	20425
83.	प्रति हजार जनसंख्या पर दुधारू पशुओं की संख्या	84	70	76	84	80
84.	प्रति कृत्रिम गर्भाधान केन्द्र/उपकेन्द्र पर दुधारू पशुओं की संख्या	49958	5367	7991	3609	3740
85.	प्रति लाख दुधारू पशुओं पर दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियों की संख्या	86	171	0	67	130
86.	सकल बोये गये क्षेत्रफल में खरीफ फसलों के क्षेत्रफल का प्रतिशत	57.09	50.95	56.55	52.71	49.68
87.	सकल बोये गये क्षेत्रफल में रबी फसलों के क्षेत्रफल का प्रतिशत	33.49	46.49	47.66	45.31	52.31
88.	वाणिज्यिक फसलों के अन्तर्गत क्षेत्र का सकल बोये गये क्षेत्रफल से प्रतिशत	40.01	8.91	4.73	19.05	19.05
89.	प्रति लाख जनसंख्या पर औद्योगिक आस्थानों की संख्या	.012	.04	.00	06	.11
90.	पंजीकृत कारखानों में प्रति श्रमिक आवर्धित मूल्य	139.32	20.34	68.00	524.92	413.41
91.	प्रति लाख जनसंख्या पर पंजीकृत कारखानों में लगे व्यक्तियों की संख्या	300	80	1	112	228
92.	प्रति व्यक्ति औद्योगिक उत्पादन का सकल मूल्य	2864	1050	19	1867	3743

93.	प्रति लाख जनसंख्या पर कार्यरत कारखानों की संख्या	4.2	2.00	0.1	0.6	6.7
94.	वृहद एवं मध्यम उद्योगों का प्रतिशत	1.2	0.3	0.0	0.1	100
95.	ऋण जमा अनुपात	50.53	65.48	34.02	29.54	30.42
96.	प्रति लाख जनसंख्या पर अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की संख्या	3.9	4.1	4.4	4.0	4.8
97.	प्रति लाख जनसंख्या पर सहकारी क्रय विक्रय केन्द्र	3.52	2.59	1.40	1.21	2.17
98.	प्रति लाख जनसंख्या पर सहकारी विपणन (क्रय विक्रय) समितियों की संख्या	0.21	0.16	0.00	0.00	0.14
99.	प्रति लाख ग्रामीण जनसंख्या पर प्राथमिक कृषि ऋण समितियों की संख्या	4.30	4.87	3.75	0.00	5.41
100.	प्रति लाख जनसंख्या पर सहकारी कृषि एवं ग्राम्य विकास बैंकों की संख्या	0.27	.12	0.00	0.17	0.18
101.	प्रति हजार वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर शीतगृहों की संख्या	0.39	2.04	0.00	0.60	4.72
102.	कुल जनसंख्या में कर्मकरों का प्रतिशत	26.13	26.58	28.81	29.82	23.67
103.	कुल जनसंख्या में मुख्य कर्मकरों का कुल मुख्य कर्मकरों से प्रतिशत	79.12	81.67	87.53	84.60	62.12
104.	कृषि में लगे कुल कर्मकरों में श्रमिकों का प्रतिशत	20.67	21.71	25.22	25.22	14.70
105.	कृषि में लगे मुख्य पुरूष कर्मकरों का कुल मुख्य पुरूष कर्मकरों से प्रतिशत	80.10	81.23	87.71	82.50	61.52
106.	सीमान्त कर्मकरों का कुल कर्मकरों से प्रतिशत	16.91	25.03	30.34	29.75	2713
107.	मुख्य कृषकों का कुल मुख्य कर्मकरों से प्रतिशत	60.89	60.87	73.14	63.21	46.90
108.	घरेलू उद्योग में लगे मुख्य कर्मकरों का कुल मुख्य कर्मकरों से प्रतिशत	2.45	2.22	2.45	2.31	5.32
109.	अन्य मुख्य कर्मकरों का कुल मुख्य कर्मकरों से प्रतिशत	17.94	16.12	10.02	13.05	32.56
110.	कुल कर्मकरों का कुल जनसंख्या से प्रतिशत	31.45	35.46	33.46	41.35	42.44
111.	प्रति व्यक्ति कृषि उपज का सकल मूल्य (प्रचलित भावों पर)	57.31	2476	2999	3233	3233
112.	प्रति ग्रामीण व्यक्ति पर कृषि उपज का सकल मूल्य (प्रचलित भावों पर)	6423	2751	3086	3516	4081
113.	निबल आय का प्रतिशत वितरण (प्रचलित भावों पर)	1.9	0.8	0.4	0.6	10
114.	निबल आय में कृषि (पशु पालन सहित)	53.4	41.6	52.2	53.4	35.2
115.	निबल आय में कृषि (पशु पालन सहित) खण्ड का प्रतिशत अंश	7.8	2.0	0.1	2.5	6.5
116.	निबल आय में विनिर्माण खण्ड (पंजीकृत) का प्रतिशत अंश	1.2	1.3	0.00	0.00	5.4
117.	प्रति व्यक्ति निबल उत्पाद (प्रचलित भावों पर)	9149	5216	4960	5659	9223
118.	प्रति व्यक्ति जिला योजना में व्यय (रुपये में)	62	47	57.2	56.2	63
119.	प्रति कृषक कृषि कर्मकार पर कृषि उपज का सकल मूल्य	23031	8400	8161	8782	15095

स्रोत : उत्तर प्रदेश सांख्यिकीय सारांश 2003

थारू जनजाति की सामाजिक आर्थिक परिवर्तनशीलता एवं संविकास : उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र का एक भौगोलिक अध्ययन

ग्राम स्तरीय अनुसूची

(अ) प्राथमिक सूचनाएं

1. 1. ग्राम का नाम .... 2. डाकघर/दूरी .... 3. थाना/दूरी ....
4. विकास खण्ड/दूरी .... 5. तहसील/दूरी .... 6. जनपद/दूरी ....
7. बस स्टेशन/दूरी........................... 8. रेलवे स्टेशन/दूरी.................. 9. चकबन्दीकृत 1. हाँ 2. नहीं ☐

2. 1. ग्राम का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल (हेक्टेयर) ....
2. अधिवासित क्षेत्रफल .... 3. कृषित क्षेत्रफल .... 1. सिंचित.......... 2.असिंचित..........4. बाग क्षेत्र .... 5. जंगल क्षेत्र .... 6. खनन क्षेत्र .... 7. चरागाह क्षेत्र .... 8. तालाब क्षेत्र .... 9. वन क्षेत्र .... 10. बंजर क्षेत्र .... 11.नदी क्षेत्र ....12. बसाव क्षेत्र (मकान, पूजा स्थल, सड़क, रेलवे लाइन, क्रीड़ा स्थल, अस्पताल, स्कूल, बाजार अन्य)....................

3. प्राकृतिक संसाधन
(1) मुख्य बनस्पतियां ....
(2) नदी ....
(3) पर्वत ....
(4) खनिज ....
(5) पशु ....
(6) फसलें ....
(7) उद्योग..

4. अन्य –
(1) मुख्य भोजन
(2) वस्त्र
(3) त्योहार
(4) मान्यताएं
(5) वैवाहिक मान्यता
(6) देवी–देवता
(7) धर्म
(8) भाषा
(9) अन्य

5. गांव में कर्मचारी

क्रम	कर्मचारी	थारू 1. पु0 2. स्त्री	अन्य 1. पु0 2. स्त्री
1.	प्रधान		
2.	थारु पंचायत प्रमुख		
3.	लेखपाल		
4.	ग्राम विकास अधिकारी		
5.	मिड वाइफ		
6.	ग्राम पंचायत अधिकारी		
7.	अन्य		

6. जनांकिक संरचना
(1) जनसंख्या : 1. कुल जनसंख्या – 1. स्त्री 2. पुरुष
2. थारू जनसंख्या – 1. स्त्री 2. पुरुष
3. शिक्षित .... 1. स्त्री 2. पुरुष

4. उम्र के अनुसार जनसंख्या लक्षणों का स्वरूप

आयु वर्ग	शिक्षित				अशिक्षित				रोजगार में लगे			
	स्त्री		पुरुष		स्त्री		पुरुष		स्त्री		पुरुष	
	थारु	अन्य	थारु	अन्य	थारु	अन्य	थारु	अन्य	थारु	अन्य	थारु	अन्य
1	2	3	4	5	10	11	12	13	14	15	16	17
0–14												
15–59												
60+												

6. जनसंख्या का वर्गवार विवरण : 1. हिन्दू .... 2. मुसलमान............. 3. सिक्ख........... 4. थारू..............5. अन्य ....
2) सवर्ण जाति– 1. ब्राह्मण.........., 2. क्षत्रिय........, 3. वैश्य......., 4. लाला......., 5. सैयद.......,
6. शेख..............., 7. पठान........., 8. अन्य..........
3) पिछड़ी जाति – 1. यादव ...., 2. कुर्मी ...., 3. लोध ...., 4.तेली......... 5. नाई.......... 6. जुलाहा ....
7. चिकवा ....8. कसाई....... 9. बेहना............, 10. भिश्ती........... 11.' अन्य...........
4) अनुसूचित जाति – 1. नट ......, 2. पासी ...., 3. चमार ...., 4. भंगी ...., 5. धोबी..........., 6. फकीर............
5) अनुसूचित जनजाति – 1. थारु ...., 2. बुक्सा ...., 3. अन्य ....
6) थारु के सामाजिक वर्ग – 1. पुजारी........ 2. क्षत्रिय 3. वैश्य........... 4. धोबी........ 5. नाई..........
6. सफाईवाला........... 7. अन्य
7) ग्राम पंचायत समिति में भागीदारी – थारू पुरूष – महिला – अन्य पुरूष महिला

7. विकलांगों की विवरण

8. पिछले दो वर्ष में प्रवासितों का विवरण

प्रवास		कुल	रोजगार के लिए	भूमि का क्रय/विक्रय	निष्कासन	अन्य
1	2	3	4	5	6	7
गांव में आने वाले	थारू					
	अन्य					
गांव से जाने वाले	थारू					
	अन्य					

10. अवसंरचनात्मक व्यवस्था –

1. आवास : 2. कुल मकानों की संख्या .... 3. कच्चे ...... 4. लकड़ी के......... 5. मिट्टी......... 6. छप्पर.........
   7. खपरैल........ 8. पक्के .... 9. साधारण .... 10. टाइल....... 11. सरकारी सहयोग से बने मकान............12. युवागृह
   14. मुख्य बाजार से संलग्नता – 1. पक्की सड़क से 2. कच्ची सड़क से 3. मार्ग मे 1. पक्का पुल 2. कच्चा पुल
2. सड़कें (मीटर में) 1. खड़ंजा .... 2. पक्की – 1. डामर .... 2. सीमेन्ट............... 3.कच्चा...................
3. जल स्रोत विवरण

जल स्रोत स्थिति	प्राइवेट हैंड पम्प		मार्क II		पाइप		अन्य	
	संख्या	दशा	संख्या	दशा	संख्या	दशा	संख्या	दशा
1	2	3	4	5	6	7	8	9
घर के बाहर जल स्रोत								
मकान में जल स्रोत								

4. कितने घरों में जल निकास की पक्की नाली व्यवस्था .... कच्ची नाली.................... इकट्ठा होना........................
5. बिजली कनेक्सन – 1. व्यापारिक इस्तेमाल युक्त .... 2. घरेलू कनेक्सन .... 3. कटिया ......
6. खाना पकाने का ईंधन – 1. लकड़ी .... 2. उपले .... 3. मिट्टी का तेल .... 4. गैस ....
   5. बायोगैस ....6. सौर ऊर्जा .... 7. अन्य
7. संचार साधनों युक्त मकान – 1. टेलीविजन.......... 2. अखबार............. 3. कम्प्यूटर........... 4. मोबाइल........ बेसिक ....
8. परिवाहन साधन – 1. स्कूटर............. 2. मोटरसाईकल.............3. जीप............. 4. कार.............. 5.अन्य..........

11. संस्थाएं

1. शिक्षण संस्थाएं

क्रम	शिक्षण संस्था	संख्या	1. सरकारी 2. गैर सरकारी	1.आवासीय 2. गैर आवासीय	स्थान / दूरी	अन्य विद्यार्थी		थारू विद्यार्थी		शिक्षक		क्रीड़ा स्थल 1. हाँ 2. नहीं	शौचालय युक्त 1. हाँ 2. नहीं	मध्य में छोड़ने वाले थारू		विवरण
						स्त्री	पु0	स्त्री	पु0	स्त्री	पु0			पु.	स्त्री.	
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	13	14	15	16	17		
1.	प्राथमिक विद्यालय															
3.	जु0हाई स्कूल															
4.	हाई स्कूल															
5.	इण्टर															
6.	डिग्री कालेज															
7.	प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र															
8.	आगनबाड़ी केन्द															
9.	अन्य शिक्षण संस्थाएं															

2. अन्य संस्थाएं

क्रम	संस्था	गाँव में	बाहर/ दूरी किमी0	क्रम	संस्था	गाँव में	बाहर/ दूरी किमी0
1	2	3	4	1	2	3	4
1.	अस्पताल 1. निजी 2. सरकारी 3. अन्य			8.	दुकाने – किराना खाद/बीज, होटल/चाय मेडिकल स्टोर		
2.	पुलिस स्टेशन			9.	सिनेमा		
3.	पी.सी.ओ.			10.	पोस्ट आफिस		
4.	नजदीकी बस स्टेशन			11.	डिस्पेन्सरी		
5.	रेलवे स्टेशन			12.	कोल्ड		

					स्टोरेज/शीतगृह		
6.	बाजार – स्थाई अस्थाई			13.	मण्डी		
7.	सरकारी सस्ते गल्ले की दूकान			14.	परिवार नियोजन केन्द्र		

3. स्वयं सहायता समूह

समूह का नाम	गठन तिथि	एकत्रित धन	सदस्यों की संख्या	किये गये कार्य	विवरण
1	2	3	4	5	6

12. (1) स्वास्थ्य सुविधाएं :

क्रमांक	स्वास्थ्य सुविधाएं	दूरी	डाक्टर	नर्स	बिस्तर संख्या	दवाएं	भर्ती मरीज	अन्य
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	डिस्पेन्सरी							
2.	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र							
3.	अस्पताल							
4.	परिवार एवं शिशु कल्याण केन्द्र							
5.	पशु उपचार केन्द्र							

(2) गाँव में निजी चिकित्सक केन्द्र –1 एलोपैथिक ....2 होम्योपैथिक ....3 आयुर्वैदिक ....

(3) आर्थिक स्थिति	थारू संख्या	औसत आय	अन्य	औसत आय
उच्च जीवन स्तर				
मध्यम जीवन स्तर				
गरीबी रेखा से नीचे जीवन स्तर				

13. सुरक्षा – 1. बन्दूक .... 2. रिवाल्वर .... 4. अन्य ....

14. नौकरी पेश व्यक्तियों का विवरण :

क्रम	वर्ग	उपवर्ग	थारु		सामान्य		पिछडी		अनुसूचित जाति		विवरण
			पु0	स्त्री	पु0	स्त्री					
1	2	4	5	6	7	8	9				10
1.	अधिकारी	समूह क									
		समूह ख									
2.	शिक्षक	प्राथमिक									
		माध्यमिक									
		उच्च स्तर									
3.	चिकित्सक										
4.	इंजीनियर										
5.	कलर्क										
6.	चपरासी										
7.	अन्य										
8.	गैर सरकारी	प्रबन्धक									
		कर्मचारी									

15. आर्थिक दशाएँ

(1) प्रति व्यक्ति भूमि उपलब्धता – 1. थारू............ 2. सामान्य वर्ग............. 3. पिछ़डी जाति........... 4. अनुसूचित जाति......

(2) कृषि उत्पादकता

फसलें	उत्पादन		बेचने का स्थान	
	कुल	प्रति एकड़	मंडी	बाजार/बिचौलिए
1	2	3	4	5
अनाज				
तिलहन				
दालें				
सब्जी				
गन्ना				
अन्य				

3. कृषि उपयोग में आने वाले साधन

(1) ट्रैक्टर .... (2) पंपिग सेट .... (3) बैल ....

(4) मोटर .... (5) थ्रेसर .... (6) कम्बान्ड (7) अन्य ....

4. सिंचाई के साधन – क्षेत्र

1. नहर .... 2. कच्चा कुआं .... 3. पक्का कुआं 4. बोरिंग .... 5. ट्युवेल .... 6. तालाब .... 7. नदी ....

(5) पशुधन .... गाय............... भैंस .... बकरी................. बैल............... भैंसा.............. सूअर................. अन्य......... कुल दुग्ध उत्पादन वार्षिक .... कुल मांस उत्पादन वार्षिक

(1) उद्योग उपलब्धता

मुख्य उद्योग	हां/नहीं	कार्यशील व्यक्ति		मुख्य उद्योग	हां/नहीं	कार्यशील व्यक्ति	
		थारु	अन्य			थारु	अन्य
1	2	3	4	1	2	3	4
आटा चक्की				गुड़ निर्माण			
चावल मिल				मिट्टी बर्तन			
तेल मिल				रेशम पालन			
डेयरी				मुर्गी पालन			
अन्य लघु उद्योग				मधु मक्खी पालन			
चीनी मिल				मशीनरी रिपेरिंग			
बढ़ईगिरी				मोटरसाइकिल रि0			
टोकरी निर्माण				इलक्ट्रनिक्स रि0			
लोहार				वनस्पति दवाएँ नि			
जुलाहा				अन्य			

(6) बैंक/वित्तीय सुविधाएं

क्रमांक	संस्था	स्थान	दूरी	लाभान्वित स0		विवरण
				थारु	अन्य	
1	2	3	4	5	6	7
1.	राष्ट्रीयकृत बैंक					
2.	भूमि विकास बैंक					
3.	सहकारी समिति बैंक					
4.	साहूकार					

(7) बाजार दशा

क्रमांक	बाजार	स्थान	दूरी	सम्मिलित लोग		विवरण
				थारु	अन्य	
1	2	3	4	5	6	7
1.	अस्थाई बाजार					
2.	स्थाई बाजार					
3.	शहरी बाजार					
4.	अन्य विक्रय केन्द्र					

16. मौसम के अनुसार घटनाओं का विवरण

घटनाएं	जन.	फर.	मार्च	अप्रैल	मई	जून	जुलाई	अगस्त	सित.	अक्टू.	नव.	दिस.
स्वास्थ दशा												
खर्चा												
अपराध												
कृषि												
हीन स्थिति												

17. गाँव के मुख्य अपराध

क्रमांक	अपराध के प्रकार	थारू	अन्य
1.	हत्या		
2.	बलात्कार		
3.	जमीन हड़प		
4.	मारपीट		
5.	अन्य		

जंगल के अधिकारियों से पूछे जाने प्रश्नों की सूची

1. नाम .... पु0/स्त्री......................... क्षेत्र,........................ नियुक्ति वर्ष.........................
2. थारु जंगल से क्या क्या सामान ले जाते हैं।..
3. संरक्षित क्षेत्र बनने से पहले क्या क्या समान ले जाते थे...
4. जो सामग्री अब नही ले जा पा रहें हैं उसका क्या विकल्प ढूढ़ा है।..
5. जंगल नियमों में थारूओं को क्या अधिकार दिये गये हैं ....
6. क्या थारूओं को जंगल में अधिकार देना चाहिए, हां तो किन चीजों का ....

7. जंगल में रहने वाले लोगों का उत्थान कैसे हो सकता है

आर्थिक	उद्योग	कौन सा	स्थान
	बाजार		
सामाजिक	आवास		
	अन्य वव्स्था		

गांव में प्रशासनिक अधिकारी या नेता से पूछे जाने वाले प्रश्न

1. नाम .... पु0/स्त्री.......................... आयु...................... सामाजिक वर्ग.......कबसे..........
2. गांव सरकारी योजनाओं का विवरण

क्षेत्र	आप से पूर्व में चल रही योजनाएं	प्रभाव	वर्तमान में	प्रभाव
कृषि				
उद्योग				
रोजगार				
स्वास्थ्य				
शिक्षा				
आवास				
सामाजिक उत्थान				
अन्य				

3. गावं में क्या क्या विकास कार्य हुए हैं

1. सरकार द्वारा	
2. थारू द्वारा	

4. पिछले तीस वर्षो में गांव की दशा में क्या परिवर्तन आया है।
5. थारू लोगो पर बाह्य संस्कृति का क्या प्रभाव पड़ा है।
6. गांव की मुख्य समस्यायें क्या है।
7. गांव का विकास कैसे हो सकता है।

थारू पंचायत प्रमुख या बुजुर्ग से पूछे जाने वाले प्रश्न

1. नाम .... पु0/स्त्री.......................... आयु .... कबसे ....
2. पंचायत प्रमुख का चुनाव कैसे होता है।
3. पंचायत में कितने सदस्य होते हैं।
4. पंचायत में थारू विकास में क्या भूमिका होती है।
5. पंचायत की बातों को कहां तक माना जाता है।
6. पंचायत की चुनाव प्रक्रिया में क्या परिवर्तन आया है।
7. गांव में अब–अब कौन सी आपदायें पिछले 30 वर्षो में आयीं हैं।
8. आपके मत से पिछले 30 वर्षो में थारूओं में कौन–कौन से परिवर्तन आये हैं।

क्षेत्र	30 वर्ष पूर्व स्थिति	वर्तमान स्थिति
भोजन		
वस्त्र		
आवास		
विवाह पद्धति		
रिस्तेदारी		
धर्म		
मान्यता एवं रीति रिवाज		
वस्तु उपयोग		
कृषि प्रणाली		
महिलाओं की स्थिति		
शिक्षा		
अन्य आर्थिक क्रिया कलाप		
जंगल से सामान लेना		
तकनीकी स्तर		
जन सहभागिता		

9. थारू लोगों की मुख्य समस्योयें क्या क्या हैं।
10. जंगल से क्या सामग्री प्राप्त करते थे ....
11. जंगल से अब क्या प्राप्त करते हैं...
12. थारू समाज जो आधुनिकता वादी परिवर्तन आया है उससे कहां तक सहमत हैं।

थारू जनजाति की सामाजिक आर्थिक परिवर्तनशीलता एवं संविकास
उत्तर प्रदेश के तराई का एक भौगोलिक अध्ययन
वैयक्तिक सारक्षात्कार अनुसूची

क्रमांक..............................

1. ग्राम .... 2. पंचायत .... 3. तहसील .... 4. जनपद ....

(अ) प्राथमिक सूचनाएं

1. उत्तरदाता का नाम ....
   1. धर्म[1] .... 2. जाति .... 3. उपजाति .... 4. सामाजिक वर्ग[2].....................
3. राशन कार्ड धारी – 1. हाँ 2. नहीं हाँ तो गरीबी रेखा से 1. उपर 2. नीचे
4. परिवार सम्बन्धी सूचनाएं

क्रम	उत्तरदाता से सम्बन्ध[3]	आयु	लिंग[4]	स्थास्थ दशा[5]	शिक्षा का स्तर[6]	शिक्षा का स्वरूप[7]	व्यवसाय[8]	मासिक आय	वैवाहिक दशा[9]	विवरण
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

5. आर्थिक स्थिति – 1. निम्न 2. मध्यम 3. उच्च
6. परिवार का स्वरूप 1. एकल 2. संयुक्त 3. मिश्रित

(ब) मौलिक आवश्यकताएं

7. उपयोग की जाने वाली वस्तुऐं

साधन	वर्तमान में	तीस वर्ष पूर्व में
भोजन		
नशा		
बर्तन		
वस्त्र		
आभूषण		
हथियार		
अन्य		

8. भोजन
   1. आपका मुख्य भोजन क्या है – 1. शाकाहार, 2. मांस, 3. शराब, 4. अन्य.................. यदि मांस तो किस जानवर का मांस प्रयोग करते हैं?..
   2. आप त्योहारों में क्या भोजन बनाते हैं ?..
   3. क्या नशे की आदत है, हां/नहीं .... हां तो 1. शराब, 2. तम्बाकू, 3. बीड़ी, 4. गुटका, 5. सिगरेट, 6. अन्य.........................
9. वस्त्र – आपको कौन सा कपड़ा पहनना अच्छा लगता है ? – 1. जीन्स, 2. धोती, कुर्ता, 3. पैन्ट, 4. शर्ट, 5. साड़ी, 6. घंघरा, 7. अन्य ....
10. कौन से गहने पहनते हैं ? .... किस धातु के .... पु0............ स्त्री.................
11. आवास
    1. घर का स्वरूप– 1. निजी 2. किराये का 3. सरकारी............ 1. निजी भूमि 2. पट्टे की भूमि 3. जंगल भूमि 4.अन्य................
    2. घर की संरचना – 1. कच्चा (1. खपरैल, 2.छप्पर) 2. पक्का (1. एक मंजिला/2.बहुमंजिला) 3. मिश्रित........................ 1. छत युक्त 2. दीवाल युक्त 3. फर्स युक्त 4. पुता हुआ.....................
    3. गृह निर्माण में प्रयुक्त सामग्री – 1. ईंट, 2. सीमेन्ट, 3. छप्पर, 4. लकड़ी, 5. लोहा, 6. एसबेस्टस सीट, 7. टीन, 7.खप्पर,............................
    4. घर का क्षेत्रफल (फीट में) .... लम्बाई .... चौड़ाई ....
    5. घर में उपलब्ध विभाग – 1. आंगन, 2. बरामदा, 3. बैठक, 4. स्नान गृह, 5. शौचालय, 6. भोजनालय, 7. शयन कक्ष, 8. बखारी,................ पालतू जानवरों के कमरे..................... कमरों की कुल संख्या ....

---

[1] 1. हिन्दू 2. मुस्लिम 3. सिक्ख 4. थारू 5. बौद्ध 6. जैन

[2] 1. सामान्य 2. पिछड़ा वर्ग 3. अनुसूचित जाति 4. अनुसूचित जनजाति

[3] 1. स्वयं 2. पत्नी 3. माता पिता 4. भाई–भाभी 5 बहन 6. पुत्र–पुत्री 7. पौत्र–पौत्री 8. वधु 9. साला–साली 10. चाचा–चाची 11. भतीजा–भतीजी 12. चचेरे भाई–बहन 13. दादा–दादी 14. अन्य

[4] 1. पुरुष 2. स्त्री 3. उभय

[5] 1. स्वस्थ 2. कमजोर 3. अपंग 4. कुपोषित 5. अन्धा 6. कुष्ठ रोगी 7. अन्य

[6] 1. अशिक्षित 2. साक्षर 3. प्राथमिक 4. जुनियर हाईस्कूल 5. हाईस्कूल 6. इण्टर 7. स्नातक 8. परास्नातक 9. अन्य

[7] 1. सामान्य 2. तकनीकी 3. वाणिज्य या व्यवसायिक 4. प्रबन्धन 5. चिकित्सा 6. अन्य

[8] 1. बच्चा 2. विद्यार्थी 3. बेरोजगार 4. कृषक 5. कृषक मजदूर 6. अन्य मजदूर 7. दुकानदार 8. गृहणी 9. सरकारी नौकर 10. उद्योगपति 11. नेता 12. अन्य

[9] 1. विवाहित 2. अविवाहित 3. विधवा 4. तलाकशुदा

6. घर में उपलब्ध सुविधाएं – 1. साइकिल, 2. रेडियो, 3. सिलाई मशीन, 4. मोबाईल, 5. टेलीफोन, 6. टेलीविजन, 7. मोटर साइकिल, 8. रेफ्रीजरेटर, 9. बैलगाड़ी, 10. टैक्टर, 11. जीप, 12. कार, 13. अन्य ....
7. खाना बनाने की लिए प्रयुक्त सामग्री – 1. लकड़ी, 2. कंडा, 3. मिट्टी तेल, 4. कोयला, 5. गैस, 6. अन्य.............
8. प्रकाश की व्यवस्था के साधन– 1. मिट्टी तेल, 2. अन्य तेल, 3. गैस, 4.मोमबत्ती,, 5. बिजली, 6. अन्य............
9. घर के चारों ओर जल निकास व्यवस्था – 1. है, 2. नहीं है, ... इक्कठा होता है, 1. बरसा जल 2. नाली जल............
10. क्या पीने का स्वच्छ पानी मिल जाता है? 1. हा, 2. नहीं...............
11. तीस वर्ष पूर्व नल नहीं थे तब पानी कैसे प्राप्त करते थे...
12. घर में पानी के स्रोत – 1. हैण्ड पम्प – 1. निजी, 2. सरकारी,........... 2. पाइप, 3. कुआँ, 4. अन्य ....
13. पीने का पानी प्राप्त करने की दूरी (मीटर में) ....
14. बिजली कनेक्शन 1. है, 2. नहीं है................ है तो 1. व्यापारिक 2. घरेलू – 1. नियमित है, 2. कटिया है – 1. प्रतिदन आती है 2. नहीं आती है...
15. घर की गली में बिजली 1. है 2. नहीं है........................, है तो 1. जलती है, 2. नहीं............................
16. घर की गलियां 1. कच्ची हैं 2. पक्की हैं, 3. ईंटें बिछी हैं, 4. डामर हैं..
17. घर के निर्माण स्वरूप निर्माण सामग्री में पिछले तीस वर्षों में क्या–क्या परिर्वतन किया है?...
18. कोई दैनिक या साप्ताहिक पत्रिका आती है – 1. हाँ, 2.नहीं, ... हाँ तो 1. हिन्दी 2. अंग्रेजी.............................
19. घर में पालतू पशु – गाय .... बैल .... बकरी .... सुअर .... भैंस .... अन्य ....
20. दूध उत्पादन साल में/लीटर में ....मांस उत्पादन .... मछली उत्पादन ....
21. क्या आपको मकान निर्माण में सरकारी सहयोग मिला – 1. हाँ 2. नहीं .... यदि हाँ तो कितना ....
22. किसी सरकार अथवा गैर सरकारी संस्था के सदस्य 1. हैं, 2.नहीं ....यदि हैं तो किसके...
23. तीस वर्ष पूर्व आपका घर कैसा था?.. अब उसमें क्या बदलाव किया है.................................

12. शिक्षा –

(1) घर में शिक्षा ग्रहण कर रहे व्यक्तियों का विवरण

क्रम	मुखिया से सम्बन्ध	आयु	पु0/स्त्री 1. 2.	कक्षा	खर्चा/माह	वजीफा	स्कूल स्थानीय 1. गैर स्थानीय. 2.	सरकारी 1. प्राइवेट 2.	दूरी	आकांक्षा	विवरण
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

(2) स्कूल न जाने वाले बच्चों का विवरण

सम्बन्ध (5 से 14 वर्ष)	आयु	पु0/स्त्री 1. 2.	कारण[1]	सम्बन्ध (14 वर्ष से उपर)	आयु	पु0/स्त्री 1. 2.	कारण

(5) क्या आप लड़कियों को स्कूल भेजना चाहेंगे? 1. हाँ, 2. नहीं........... यदि हाँ तो क्यों..
(6) क्या लड़कियों का स्कूल अलग होना चाहिए? 1. हाँ, 2. नहीं,..................यदि हाँ तो क्यों –...
(7) परिवार में लड़कियों को पढ़ाकर क्या बनाना चाहेंगे ? 1. गृहणी 2. सरकारी नौकर 3. व्यवसायी................................
शिक्षा की तीस वर्ष पूर्व क्या स्थिति थी, घर में कितने लोग पढे थे.................. 1. पुरुष.................... 2. स्त्री.......................

12. चिकित्सा

(1) प्राथमिक चिकित्सा के लिए कहाँ जाते हैं? 1. ओझा 2. स्थानीय डाक्टर 3. वैद्य 4. प्राथमिक/सरकारी स्वास्थ्य केन्द्र 5. अन्य..................
(2) चिकित्सा के लिए प्रयोग में लाये जाने वाली मुख्य स्थानीय औषधियां कौन–कौन सी हैं?
बुखार.......................पेट खराबी ....फोड़ा ....गर्भ निरोधक...............अन्य....................
(3) चिकित्सा सुविधा में 30 वर्ष पूर्व क्या स्थिति थी।

13. परिवार

(1) क्या आपके परिवार में विवाहित बच्चे आपके साथ–साथ रहते हैं ? 1. हाँ, 2. नहीं,.................. यदि नहीं तो क्यों ....
(2) परिवार में सबसे ज्यादा किसकी बात मानी जाती है? 1. पिता 2. माता 3. बड़ा भाई 4. बड़ी बहन..
(3) परिवार में लड़की का क्या स्थान है ? 1. देवी 2. लड़की 3. पराई सामग्री 4. लड़के से कम...
(4) परिवार में 30 वर्ष पूर्व लड़कियों की दशा कैसी थी।

---

[1] 1- वित्तीय कमी, 2. अरुचि, 3. पारिवारिक दायित्व, 4. विद्यालय का दूर होना, 5. असुविधा, 6. कृषि, 7. मजदूरी, 8. दुकानों पर कार्य करना, 9. तकनीक सिखना, 10. अन्य..............................

14. विवाह

(1) बच्चों की शादी कब करना पसन्द करेंगे?

1. 15 वर्ष से पूर्व (पु0/स्त्री) 2. 15–21 वर्ष (पु0/स्त्री) 3. 21 वर्ष के बाद (पु0/स्त्री)

(2) विवाहित स्त्री के सन्दर्भ में विवरण

मुखिया से सम्बन्ध	विवाह की आयु	विवाह के पूर्व सम्बन्ध 1. हां 2. नहीं	सन्तान 1. हां 2. नहीं	जन्म से पूर्व मरने वाले सन्तानों की संख्या	प्रथम सन्तान के समय महिला की आयु	कुल सन्तान		विवरण
						पु0	स्त्री	

(2) क्या किसी सदस्य ने एक से ज्यादा बार विवाह रचाया है ? हाँ/नहीं यदि हाँ तो विवरण दीजिए ...

क्रम	मुखिया से सम्बन्ध	पु0/स्त्री 1. 2.	विवाह आयु			क्या कोई दूसरा साथी है 1. हां 2. नहीं	दुसरे साथी से सन्तान		दूसरा विवाह का रूप	
			प्रथम विवाह	द्वितीय विवाह	तृतीय विवाह		पु0	स्त्री	प्रथम साथी की मृत्यु पर	
1	2	3	4	5	6	7	8		9	

(3) क्या विवाह के पूर्व लड़के/लड़कियों कारे साथ–साथ रहने (यौन संबंधों) की अनुमति देते हैं? 1. हाँ 2. नहीं...................

(4) क्या लड़के/लड़कीयों के विवाह की पद्धति में बदलाव आया है? 1. हां 2. नहीं............ यदि हां तो क्या..

(4) क्या थारु स्त्री/पुरुष गैर थारु से विवाह कर सकते हैं – 1. हाँ 2. नहीं...........................

(5) क्या आपके/पड़ोस के गांव में बाहय विवाह हुआ है – 1. हाँ 2. नहीं...........................

(6) क्या आपकी स्त्रियां गैर थारु से सुरक्षित हैं — 1. हाँ 2. नहीं...........................

(7) विवाह में आप दहेज सामग्री देते हैं? 1. हाँ 2. नहीं........................... यदि हाँ 1. लड़की के 2. लड़के के..........................

(8) दहेज में कौन–कौन सी वस्तुएँ देते हैं ? 1. रुपया 2. घर का सामान 3. औजार 4.अन्य..............................

(9) तीस वर्ष पूर्व दहेज की स्थिति क्या थी...

(10) नातेदारी में क्या बदलाव दिखता है...

(11) विवाह की रस्मों में तीस वर्षों में क्या परिवर्तन आया है?..

....

15. मान्यताएं

(1) क्या आप अपने पिता को जो आदर देते थे वह अपने बेटों से प्राप्त होता है।

(2) आराध्य कौन है ? ....

(3) विवाह में किस देवता की पूजा करते हैं? ....

(4) क्या पूजा में बलि देते हैं ? 1. हाँ 2. नहीं........................... हाँ तो 1. बकरा 2. भैंसा 3. अन्य ....

(5) क्या आपका धर्म गुरू है? 1. हाँ 2. नहीं........................... यदि हाँ तो 1. थारु 2. अन्य .... कहां रहते है? 1. गाँव में 2.बाहर........

(6) आप मनोरंजन कैसे करते हैं – .... क्या परामपरागत नाच है...

(7) पुजा पद्धति में तीस वर्षों में क्या बदलाव दिखता है...

प्रवास

घर से प्रवासितों का विवरण

मुखिया से सम्बन्ध	पुरुष स्त्री	कारण[1]	कार्य

16. रोजगार एवं आर्थिक क्रियाकलाप

(1) क्या आप जानते हैं कि सरकार ने आपको रोजगार हेतु आरक्षण सुविधा दी है? 1. हाँ 2. नहीं.............................

(2) आय के मुख्य स्रोत क्या हैं? प्राथमिकता के आधार पर

1. कृषि .... 2. उद्योग ....3. नौकरी........................... 4. जंगल की लकड़ी ....

5. शिकार .... 6. मछलीपालन..., 7. गोबर के उपले बेचना...

8. शराब की बिक्री............................ 8. पशु पालन.................. 9. दस्तकारी.............10. ब्याज................ 10. अन्य............. कुल आय..

[1] विवाह 2. रोजगार तलाश 3. जमीन बेच देना 4. जमीन खरीद लेना 5. अन्य.............

(3) रोजगार में संलग्नता

कार्यवर्ग	कार्य	कार्यकर्त्ता का उत्तरदाता से सम्बन्ध	पुरुष	स्त्री	विवरण
स्वरोजगार	दुकान[1] निर्माण[2] व्यवसाय[3]				
नोकरी	सरकारी[4] मिल में[5] प्राईवेट[6] मजदुरी[7]				

(4) क्या आपकी भूमि जंगल/ आपसी विवादित है। ....

(5) भूमि उपयोग – कुल भूमि (हेक्टेयर में) .... बोई गई भूमि ....
परती .... बाग (पेड़) .... तालाब ....बंजर.................

भूमि	बोई गई		खाली पड़ी/बंजर	आवासित	तालाब
	सिंचित	असिंचित			
1	2	3	4	5	6
निजी					
पट्टे की भूमि					
जंगल भूमि					
बटाई भूमि					
अन्य					

(6) मिट्टी का स्वरूप – 1. उपजाऊ 2. चट्टानी 3. क्षारीय 4. अन्य.................................

(7) खेती की प्रणाली – 1. झूमिंग 2. परम्परागत स्थायी 3. तकनीकी कृषि......................

(8) क्या आपकी भूमि पर अन्य लोगों ने कब्जा किया है ? 1. हाँ 2. नहीं...................

(9) यदि हाँ तो 1. थारू 2. गैर थारू (सामान्य, पिछड़ी जाति,हरिजन) 3. सरकार..............., कारण 1. कर्ज 2. जबरन ....

(10) क्या आपने कृषि योग्य जमीन बेंची है – 1. हाँ 2. नहीं...................

(11) यदि हाँ तो 1. थारू 2. गैर थारू (सामान्य, पिछड़ी जाति,हरिजन) 3. सरकार,

(12) क्या सार्वजनिक भूमि – (तालाब, चरागाह, जंगल, क्रीड़ा स्थल) आदि से निरस्त किया गया है? 1. हाँ 2. नहीं...................

(13) क्या उन्नत बीज/खाद का प्रयोग करते हैं हाँ/नहीं, यदि हाँ तो प्रति हे0 कितना बीज .... खाद ....

खाद	कि0 ग्रा0 प्रति बीघा	दवा	इस वर्ष कुल उत्पादन प्रति बीघा
यूरिया			
पोटास			
डाई			
जिंक			
पेस्टिसाईड			
केचुआ खाद			
अन्य			
	कुल लागत................................		कुल उत्पादन..........................

(14) क्या रसायन एवं कम्पोस्ट मिलाकर प्रयोग करते हैं? 1. हाँ 2. नहीं...................

(15) खाद–बीज कहाँ से लाते हैं ? 1. सहकारिता केन्द्र 2. गाँव की दूकान 3. बाजार ....

(16) तीस वर्ष पूर्व कृषि व्यवस्था कैसी थी,.. अब क्या बदलाग आया है

1. खाद प्रयोग ....
2. बीज प्रयाग...
3. साधन प्रयोग ....
4. कृषि प्रणाली ....

(17) कृषि कार्य में प्रयुक्त साधान – 1. ट्रैक्टर – 1. निजी 2. किराये .... 2. पम्पिग सेट – 1. निजी 2. किराये ....
3. हारवेस्टर 4. थ्रेसर 5. बैल 6. अन्य............................

[1] 1. किराना दुकान 2. बीज खाद 3. सरिया सीमेन्ट 4. कपड़ा दुकान 5. होटल, चाय दुकान 6. नाई 7. धोबी, 8. लोहार, 9. अन्य...........................

[2] 1. मशीन निर्माण 2. साईकिल मोटर साईकिल निर्माण 3. इल्कट्रानिक रिपेरिंग, 4. कृषि उपकरण निर्माण 5. ट्रैक्टर बस निर्माण 6. अन्य.........................

[3] 1. रस्सी निर्माण 2. टोकरी 3. सिलाई करना 4. रेशम पालन 5. मछली पालन 6. मधुमक्खी पालन 7. हर्बल दवा बनान, 8. उद्योग 9. टुयूशन

[4] 1. अधिकारी, 2. शिक्षक 3. चिकित्सक 4. वकील 5. इंजीनियर 6. कलर्क, 7. चपरासी, 8. अन्य...........................

[5] 1. दैनिक भोगी 2. स्थायी

[6] 1. कृषि मजदुर, 2. दैनिक मजदूर 3. अन्य...

[7]

मौसम	इस वर्ष कृषित फसलें	कुल उत्पादन
1. खरीफ		
2. रवी		
3. जायद		

(18) खेत की मुख्य उपज

क्रमांक	फसल का नाम	कुल उपज			प्रति हेक्टेयर		उपभोग में	बिक्रीत	आय
		खरीफ	रवी	जायद	लागत	प्राप्ति			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	अनाज								
2.	दालें								
3.	तिलहन								
4.	सब्जियां								
5.	नकदी फसलें								

(19) क्या उत्पदन घरेलू खपत से अधिक है ? 1. हाँ 2. नहीं..................यदि हाँ तो 1. बाजार से खरीदते हैं 2. किसी सामान से बदलते हैं 3. अगली फसल में देते हैं

(20) कृषि उत्पाद कहाँ बेचते हैं ? 1. मंडी में 2. स्थानीय बाजार 3. सहकारी क्रय केन्द्र 4. साहूकार

(21) क्या आपका कोई उद्योग या व्यवसाय है ? 1. हाँ 2. नहीं...................

1. आटा चक्की 2. चावल मिल 3. भट्ठा 4. रेशम कीट पालन
5. डेयरी 6. मछली पालन 7. किराना दूकान
8. सरिया सीमेन्ट 9. खाद–बीज/पी.सी.ओ/ शराब दूकान/चाय की दूकान/अन्य उद्योग

(22) तीस वर्ष पूर्व आपका क्या व्यवसाय था...

17. क्या आपने कर्ज लिया है ? 1. हाँ 2. नहीं...................

उद्देश्य	स्रोत	कबसे	राशि	ब्याज दर	लोटायी/नहीं	विवरण
	साहूकार					
	सरकारी बैंक					
	स्वयं सहायता समूह					
	अन्य					

18. गाँव में कितनी मजदूरी मिलती है? पुरुषों को.................................. महिलाओं को ....

19. वर्ष में कितने दिन रोजगार मिलता है? ....

20. क्या आपको सरकारी कर्मचारियों को घूस देना पड़ता है? 1. हाँ 2. नहीं...................

21. घर का उपभोग स्वरूप

स्रोत	दैनिक खपत	माह भर में कुल खपत	सरकारी कोटे से प्राप्त अनाज	अन्य स्रोत	कुल व्यय
भोजन–1. गेंहू, 2. चावल 2. अन्य अनाज 3. सब्जी 4. दालें 5. तेल 6. मसाला नमक 7. दूध 8. चीनी 9. अण्डा/मीट 10. अन्य				1. वस्त्र 2. ईंधन 3. पशु संरक्षण 4. स्वाथ्य 5. शिक्षा 6. ब्याज 7. लगान 8. अन्य	
कुल मूल्य				कुल मूल्य	

दैनिक खपत

अनाज/वस्तु	**0–14 वर्ष**	**14–35 वर्ष**	**35–60 वर्ष**	**60 से ऊपर**	**गर्भवती स्त्री**
दाल					
तेल घी					
फल					
मछली अण्डा					
मांस					
अन्य तत्व					

23. जनसंख्या एवं परिवार नियोजन

(1) परिवार में कितने सदस्य पिछले 10 वर्षों में मरे हैं?

मुखिया से सम्बन्ध	आयु	पुरुष/स्त्री 1. 2.	टीका युक्त/नहीं 1 2.	कारण

(2) गर्भवती स्त्री का विवरण

मुखिया से सम्बन्ध	गर्भ निरोधक का प्रयोग/ नहीं 1. 2.	मिड वाइफ/डाक्टर निरिक्षित/नहीं 1. 2.	पूर्व प्रसव/ पश्चात् प्रसव सुविधाएं ली/नहीं 1. 2.	पौषिटक भोजन का प्रयोग (दूध/फल) 1. 2.	स्वास्थ्य दशा	विवरण
1	2	3	4	5	6	7

(3) 15 से 45 वर्ष के बीच इस वर्ष स्त्रियों की गर्भधारित संख्या जन्म हुआ पुरुष...................... स्त्री........................... मृत..................

(4) स्त्री कि प्रसव कहाँ कराते हैं ? घर में/घर से बाहर/अस्पताल में

(5) घर में प्रसव कराने हेतु किसे बुलाते हैं ? डाक्टर/मिडवाइफ/दायी/गाँव की अनुभवी महिलां

(6) आप कितने बच्चे रखना चाहते हैं? – लड़का .... लड़की ....

(7) परिवार नियोजन के साधन अपनाते हैं? 1. हाँ 2. नहीं.................. यदि हाँ तो कौन सा – स्थानीय दवाएं/कन्डोम/गोली/नस बन्दी/अन्य उपयोग ....

(8) परिवार नियोजन साधन कहाँ से मिलते हैं? अस्पताल/बाजार/मिडवाइफ/दोस्त/रिस्तेदार/स्वयं निर्मित

(9) तीस वर्ष पूर्व क्या परिवार नियोजन का कोई साधन प्रयोग करते थे... स्वास्थ्य सुविधाओं में पहले से क्या परिवर्तन आया है?

24. जागरूकता

(1) आपकी अपनी पंचायत है........................... यदि हां तो सदस्य हैं/नहीं ....

(2) आप अपने परम्परागत त्योहारों को पहले जैसा मनाते है या उसमें बदलाव आया है, यदि हाँ तो क्या बदलाव आया है? ....
....

(3) आप पुराने थारु रस्मों अथवा रिवाजों को मान रहे हैं ? 1. हाँ 2. नहीं..................यदि नहीं तो क्यों ....

(4) परम्परागत उद्योग कौन–कौन से हैं ? यदि उनका उत्पादन मशीनों से किया जाये तो कैसा रहेगा?..............................

(5) क्या सरकारी सहयोग या बाहरी लोगों से सहयोग लेना अच्छा है? 1. हाँ 2. नहीं..................यदि हाँ तो क्यों ? ....

25. विशेष

(1) घर में अपराध का विवरण

क्रमांक	अपराध का स्वरूप	कारण	थारु जनजाति द्वारा	अन्य लोगों द्वारा
1.	हत्या			
2.	भूमि पर जबरन कब्जा			
3.	बलात्कार			

(2) जंगल से कौन सी वस्तुऐं पहले प्राप्त करते थे।.. अब क्या प्राप्त करते हैं..

(3) योजनाआऐं	कबसे	क्या आप लाभान्वित हैं।

(3) जंगल से जो साम्रगी नहीं प्राप्त करते हैं उसका क्या विकल्य हैं ....

(4) आपके क्षेत्र की मुख्य समस्यायें क्या हैं?

1.
2.
3.

(5) विकास के लिए कौन सी सुविधाएं चाहिए ?...

(6) आपके क्षेत्र का विकास कैसे हो सकता है?

1. बाजार बनाकर : कहाँ ....
2. उद्योग लगाकर – कौन सा ....
3. आपसी सहयोग/सरकारी सहयोग ....
4. अन्य

सामाजिक आर्थिक दशा में हुए परिवर्तन सम्बन्धी विचार

पिछले तीन वर्षों के थारू संस्कृति एवं सामाजिक आर्थिक दशा में परिवर्तन के सम्बन्ध में आपका मत

कृपया लागू तथ्यों के समक्ष सही (√) का निशान लगाएं

अ. कुप्रथाएं	पहले से बढ़ी	पहले से कम	कोई परिवर्तन नहीं	मूल्य	अ. अपराध	पहले से बढ़ी	पहले से कम	कोई परिवर्तन नहीं	मूल्य
1.बलि प्रथा					1. अपराध करने की प्रवृत्ति				
2. दहेज प्रथा					2. चोरी/डकैती करना				
3. अंधविश्वास					3. हत्या/बलात्कार				
4. भरारा/जादू टोना पर विश्वास					4. धोखाघड़ी झूठ एवं फरेब				
5. बाल विवाह					5. मुकदमें में शरीक होना				
6. थारू के आपसी जातिवाद					6. विवाह पूर्व शारीरिक संबंध				
7. सूदखोर एवं साहूकार हस्तक्षेप					7. विवाह पश्चात अवैध संबंध				
ब. सामाजिक सांस्कृतिक पक्ष	पहले से अच्छा	पहले से खराब	पूर्ववत		8. शराब पीना				
1. थारू पंचायत की मान्यता					9. तम्बाकू एवं बीड़ी/सिगरेट/गुटका प्रयोग				
2.परिवार मुखिया/बड़ों की इज्जत					10. जबान देकर मुकरना				
3. संयुक्त परिवार प्रथा					11.बिना अनुमति जंगल से लकड़ी या सामान लाकर बेचना				
4. आपसी सहयोग, भाईचारा एवं सुख–दुख में भागीदारी					**ब. आर्थिक पक्ष**	पहले से बढ़ा	पहले से घटा	पूर्ववत	
5. त्यौहारों का परम्परागत ढंग से मनाना					1. सामान्य आर्थिक स्थिति एवं कम शक्ति				
6. परम्परागत विवाह पद्धति					2. कृषि में रासायनिक खाद एवं दवा का प्रयोग				
7. अतिथि सत्कार की प्रवृत्ति					3. ट्रेक्टर एवं मशीन का प्रयोग				
8. परम्परागत नाच–गाना					4. व्यापार एवं नौकरी में विश्वास				
9. सिनेमा देखने की प्रवृत्ति					5. मजदूरी करना				
10. चुनाव के भागीदारी					5. मजदूरी करना				
11. पढ़ने की इच्छा					6. कुटीर एवं लघु उद्योग				
12. प्रेम विवाह					7. जंगल से जड़ी बूटियां एवं लकड़ी लाना				
13. तलाक देना					**उपभोग दशा**	पहले से अच्छा	पहले से खराब	पूर्ववत	
14. महिलाओं की इज्जत एवं दशा					1. भोजन				
15. स्वच्छता एवं स्वतंत्रता					2. वस्त्र एवं पहनावा				
16. शहर की ओर पलायन					3. आवास दशा				
17. परिवार नियोजन साधन का प्रयोग					4. रहन–सहन का स्वरूप				
					5. पूजापद्धति				
सामाजिक सांस्कृतिक जागरूकता	समर्थन	उदासीन	विरोध		**विकास जागरूकता**	जानकारी	प्रशिक्षित	लाभान्वित	
1. छूआछूत					1.इन्दिरा आवास योजना				
2. जातिप्रथा					2. रोजगार गारन्टी कार्यक्रम				
3. दहेज					3.बालिका समृद्धि योजना				
4. यौन शिक्षा					4.परिवार कल्याण कार्यक्रम				
5. महिला आरक्षण					5.ग्राम स्वरोजगार योजना				
6. सरकार चुनाव					6.अन्त्योदय योजना				
7. बालश्रम					7.अन्नपूर्णा योजना				
8. नसबन्दी					8.वृद्धा पेंशन योजना				
9. शहर की ओर पलायन									
10. गैर थारू के साथ बसाव									
11. स्वरोजगार/व्यापार करना									
12. सरकारी/प्राइवेट नौकरी									